

धर्मशास्त्र का इतिहास

(प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक-विधियाँ)

[प्रथम भाग]

श्री आचार्य विनयचन्द्र शान मण्डल
साल मसन बीडा गन्ता,
बयपुर सिटी (राजस्थान)

मूल लेखक

भारतरत्न, महामहोपाध्याय डा० पाण्डुरङ्ग वामन काणे
एन ए एल एल एन०

मनुवाचक

प्राध्यापक अर्जुन चौधे काश्यप, एम० ए०

प्रिन्सिपल विही कासेन प्रतापगड (मदन)

श्रीमान् खेडराकर भाई दुर्लभजी द्वारा इनके
सुपुत्र रविमन्धन्व के शुभ विवाह पर भेंट।

हिन्दी समिति, सूचना विभाग

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रकाशक—

हिन्दी समिति सूचना विभाग

जनर प्रवेश शासन मण्डल

प्रथम संस्करण १९

मूल्य २१ रुपये

मुद्रक
सम्प्लेक्स मुद्रणालय
प्रयाग

प्रकाशकीय

हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था और उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र—जन्म-मरण शिक्षा विवाह व्यवसाय नीति शात-यात जात-यात शौचाशौच आदि—में धर्म का प्राधान्य है। धर्म का बिना व्यापक अर्थ और बिना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पाया जाता है। उतना उदार के किसी अन्य समाज जाति या धर्मानुयायियों में नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से उसके स्वरूप की ठीक ठीक व्याख्या करना और विविध धर्मग्रन्थों के आधार पर उसके नियमों सिद्धान्तों आदि का विवेचन करते हुए धर्मशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन काम है। वेदों से लेकर उपनिषदों पुराणों स्मृतिमें रामायण-महाभारत आदि में इतनी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है कि उन्हें सुचारु रूप से अध्ययन करके सम्पादन आदि का मगीरथ प्रयत्न बिलम्बन योग्यतावासे विद्वान् के ही बूते ही शीघ्र भी। महाभारत के कुरुक्षेत्र धर्मशास्त्रज्ञ श्री पादुरंग कामत काबे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान् हैं जिन्होंने इस महासमुद्र का मन्थन कर धर्म का सारतत्त्व इन पृष्ठों में 'सागर में सागर' की तरह भर देने का स्तुत्य प्रयास किया है। बनेनी में उनका यह विशाल ग्रन्थ छ दिनों में समाप्त हुआ है। हिन्दी के पाठकों के कामार्थ उनके बहुकाल का अनुबाध हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम माल भागके सामने है। अगला भाग भी शीघ्र जापकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। समुक्त अनुक्रमिका भी उसी में ही आवणी।

ठाकुरप्रसाद सिंह
सचिव हिन्दी समिति

प्राश्निकथन

“व्यवहारमयूख” के सस्करण के लिए सामग्री एकत्रित करते समय मेरे ध्यान में थाया कि जिस प्रकार मैंने “साहित्यदर्पण” के सस्करण में प्राश्निकथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इतिहास” नामक एक प्रकरण लिखा है उसी पद्धति पर “व्यवहारमयूख” में भी एक प्रकरण सलून कर दूँ जो निरुचय ही धर्मशास्त्र के भारतीय छाया के लिए पूर्य कामप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं जैसे जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन करता गया मुझे ऐसा झील पडा कि सामग्री अत्यन्त विस्तृत एवं विविध है उसे एक सक्षिप्त परिचय में आलख करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही उसकी प्रचुरता क समुचित परिज्ञान सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है उसका भी अवेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान मैंने यह निरुचय किया कि स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र का एक इतिहास ही लिखिबद्ध करके। सर्वप्रथम मैंने यह सोचा कि एक विश्व में आदि काल से अब तक के धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकारों से युक्त ऐतिहासिक विचार क निरूपण से यह विषय पूर्ण हो जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आनेवाले विविध विषयों के निरूपण के बिना यह धन्य सामग्री नही माना जा सकता। इन विचार स इन्में वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का कथन आवश्यक हो गया। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो अन्तिमारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके जो प्रभाव पडे हैं वे बडे घनमीर हैं बूकि हमारे आचार उनके सबक में अनौषी कारणाएँ रखत हैं इसलिए मैं निश्चि बरिष्य में इन पुस्तक का अनुवाद मान्यभाषा मराठी एवं संस्कृत में करने का संकल्प इस आशा में करता हूँ कि उमे पढन क बाद वे लोग अपने विचारों में स्वागत मान्य परिवर्तन का अनुभव करेंगे।

प्रस्तुत भाग में कर्त्तवीय विषयों के रूप में कथम धर्म धर्मशास्त्र कर्त्त उन्में कर्त्तव्य अतिकार, अस्युयना दान-प्रथा सम्कार, उपनयन आद्य विवाह (मनी सामाजिक प्रथा के साथ) आङ्गिक आचार, पञ्च महायज्ञ दान प्रतिष्ठा उत्तर्य एक पूजा तथा धीन (वैदिक) यज्ञों का विवेचन किया गया है। इनमें माय में यज्ञशास्त्र व्यवहार (विधि एवं प्रक्रिया) अनीच (अथम और मयूख उत्पन्न सुतक) याद प्रायश्चित्त तीक्ष्ण दत काल यान्ति धर्मशास्त्र पर मीमाणा आदि का प्रभाव समय समय पर धर्मशास्त्र को परिवर्तित करनेवासी रीति एवं परम्परा और धर्मशास्त्र की मावी प्रयति एवं विधान प्रभृति प्रकारों का विवेचन किया जायगा।

यद्यपि उच्चकोटि के विद्वान्विद्वान् विद्वानों ने धर्मशास्त्र क विविध विषयों पर विवेचन का प्रारम्भ कर्त्त किया है, फिर भी जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आद्य हुए समय विषयों के विवेचन का प्रयास नही किया। इस दृष्टि से आने इन का यह पहला प्रयास माना जायगा। अब इन मल्लभपूर्त्त कर्त्तों में यह आशा की जाती है कि इनमें पूर्त्त के प्रयासों की स्पृहाता का आन भी समय हो सकेगा। इन पुस्तक में जो दृष्टि दुष्कता और अन्धता प्रतीत होती है उनमें लिए संभवतः की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिच उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिखाना इसलिए आवश्यक है कि इन स्वीकाराणि स मित्रों का मयी कठिनाया का आन हो जाने में उनका भ्रम दूर होगा और वे नम कर्त्तों की प्रीतिरूप एक बटु जानाचना नही करेंगे। अन्यथा मार्त्तकों का यह महत्क अतिकार है कि प्रीतिरूप विषय में की गयी अनुद्विधा और मनीयताओं की कर्त्त से बटु आनीचना करें। कुछ पात्र यह आदिनि

कर सकते हैं कि प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत है और दूसरे मोह कह सकते हैं कि कुछ प्रकार्यों के लिए अवैधित विवेचन को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इन उभय विचारों का विचार कर मैंने मध्यम मार्ग अपनाने की चेष्टा की है।

आलोचनात्मक इस पुस्तक के सिद्धांतों में एक बड़ा प्रयोजन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन एवं मध्य-कालीन भारतीय रीति परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जनसमुदाय और देशों की रीति परम्परा तथा विश्वासों से तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर भी कभी कभी कठिनपन कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय अथवा यूरोपीय) इस प्रवृत्ति के हैं कि वे आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है उनका पूर्ण उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र में निहित जीवन-मूल्य पर डाल देते हैं। किन्तु इस विचार से सर्वथा सहमत होना बड़ा कठिन है। अतः मैंने यह विचारना का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन-समुदाय का स्वभाव साधारणतः एक जैसा है और उसमें निहित सुप्रवृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में आरम्भ काविक्रम जातिप्रथा पूर्ण सामग्र्य रखन है, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनमें दुष्प्रयोग एवं विवृत्तियों समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। चाहे बार्न वेगविद्येय हूँ या समाजविद्येय वे किसी न किसी रूप में जाति प्रथा या उसके मिश्र प्रथा से आबद्ध रहते जाय हैं।

निमज्जित जाति-प्रथा के भी कुछ विद्येय प्रकार की हानिकारक समस्याओं को जन्म दिया है किन्तु इस जातिप्रथा पर एक मात्र जाति-प्रथा को ही उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। कोई भी व्यवस्था न तो पूर्ण है और न दोषपूर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त है। यद्यपि मैं ब्राह्मण-धर्म के अस्तित्व में प्रीति हुआ हूँ फिर भी आशा करता हूँ कि पठितजन यह स्वीकार करेंगे कि मैंने विश्व के दोला पहलुओं के विचारण प्रस्तुत किये हैं और इस कार्य में सफलता-रहित होने का प्रयत्न किया है।

महान् ग्रन्थों में सिद्धे यथ उद्धरणों के सम्बन्ध में जो राज्य कह देना आवश्यक है। जो लोग अज्ञेयी नहीं जानते उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में किये गये हैं। जो भी आनन्दों को समझने में एक धीमा एक सहायक हूँ। इनके अनिश्चित मारणवर्ष में इन उद्धरणों के लिए अवैधित पुस्तकों को मुद्रण करनेवाके पुस्तकालयों या साधकों का भी अभाव है। उपर्युक्त कारणों से महान् उद्धरण पाठकविषयों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से किये गये हैं एवं बहुत कुछ में अन्वयण पाठकविषयों और तात्पर्यता से उद्धृत हैं। गिस्तलेखों तात्पर्यता के अविश्वस्यता अन्वयणता अ सम्बन्ध में भी जमी प्रकार का संशय अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक ध्यान और प्रभावित होती है कि अन्वयण में विशिष्ट विधियाँ जो कई प्रकार वर्णों से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा मानकों द्वारा विश्व के रूप में स्वीकृत गयी हैं उनमें यह विशिष्टता होना है कि ऐसे नियम पठितमध्य विद्वानों या कल्पना-व्यक्तिता द्वारा सचमित वाच्यनिक नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहार्य रहे हैं।

मैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और इस क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में कार्य करनेवाले लेखकों के प्रति आभार प्रकट करने में आनन्द का अनुभव करता हूँ। जिन पुस्तकों में उद्धरण मुझे लगातार दिये गये हैं और जिनमें मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ उनमें से कुछ प्रायः का उद्धरण आभारपूर्ण है यथा—'दुमडीन्ड की वैदिक अनुभवविषय' प्रोफेसर मेकडानल और बी.बी. वैदिक अनुभवविषय। मैकडानल द्वारा सारित "प्राच्य धर्म-मुद्रण" (मस २, ७ १२ १४ २५, २६ २७ ३ ३८ ४१ ४३ ४४)। जिन भाषा का अर्थान्त और जिन भी नाम देकर माया का ज्ञान होने से मैं अर्थात् विद्वानों की हानि का पूरा अन्वयण करने से बचि रह गया हूँ। इनके अनिश्चित में अन्वयण विद्वान् या ज्ञानी का अन्वयण करता हूँ जिनकी पुस्तक का मैंने अपने मायने आर्षों के रूप में रखा था। मैंने निम्न-लिखित प्रकृत पत्रिका की हानि का भी अनुभव्य भाग्यता प्राप्त की है जो इन क्षेत्र में मुझे पहल कार्य कर चुके हैं

वैसे डा बुकर, राव साहू वी एन मण्डलीक प्रोफेसर हापकिन्स, बी एम एम बलवर्ती तथा थी क पी जायसवाल। मैं 'बाय' के परमहंस बेबलानन्द स्वामी के सतत साहाय्य और निर्देश (विद्यापन यौन भाग) के लिए, पूना क चिन्तामणि दातार द्वारा दस गीर्भमास के परामर्श और यौन के अन्य अभ्यास क प्रति सतर्क करने के लिए, श्री कदम लक्ष्मण शंभेर द्वारा अनुक्रमगिना नाम पर कार्य करने के लिए और तर्कतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोलंबे द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और सहायन देन के लिए असाधारण आभार मानता हूँ। मैं इच्छिदा अफिम पुस्तकालय (लंदन) के अधिकारिवा का और डा एस के बन्धुकर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री प्रोफेसर रामस्वामी आदवर, प्रोफेसर पी पी एस शास्त्री डा भवतोष मट्टाचार्य डा आम्बडोर्फ प्राफेसर एच डी वेमणवर (विस्मन नासेज बर्बई) का बहुत ही कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे अपन अधिकार म सुरक्षित सस्त्रण की पाण्ड क्रिया के बहुमूल्य सहायता के अवसोक्त की हर समय सुविधाएँ प्रदान की। विभिन्न प्रकार के निदेशन में सहायता के लिए, मैं अपने मित्रसमुदाय तथा डा बी जी पराभ्रये डा एस के वे बी पी क गाडे और थी जी एन वीस का आभार मानता हूँ। हर प्रकार की सहायता के बावजूद इन पुस्तक म होनेवाली त्रुटतात्रा अशुभियों और उपेक्षाओं से मैं पूर्ण परिचित हूँ। अठ इन सब कदियों के प्रति कृतज्ञ होने के लिए मैं बिद्वाना से प्रार्थना करता हूँ।^१

पाण्डुरंग घामन काणे

१ मूल ग्रन्थ के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्राक्खणों में संश्लिप्त।

प्रा प्र प्राय प्र या प्रायश्चित्तप्रकरण
प्रा प्रकाश या प्राय प्रकाश —प्रायश्चित्तप्रकाश
प्रा वि या प्राय वि या प्रायश्चित्तवि —प्रायश्चित्त
विशेष

प्रा म या प्राय म —प्रायश्चित्तमन्त्र
प्रा सा या प्राय सा मा प्राय शार—प्रायश्चित्त
शार

बु भू —बुधमूषण

बुह या बुहस्पति —बुहस्पतिस्मृति

बु उ या बुह उप —बुहवारम्बकोरमित्यु

बु छ या बुहस्त —बुहस्तसंहिता

बी ग सु या बीधायनम् —बीधायनपुष्पसूत्र

बी घ सु या बीधा ब या बीधायनधर्म—बीधायन-
धर्मसूत्र

बी भी घू या बीधा भी या बीधायनधौत —बीधा
यनधौतसूत्र

ब्र या ब्रह्म या ब्रह्मपुत्राय

ब्रह्माष्ट —ब्रह्माष्टपुराण

मवि पु या मविष्य —मविष्यपुराण

मत्स्य —मत्स्यपुराण

म पा या मय पा —मयनपारिजात

मन या मनु —मनुस्मृति

मानव या मानवगुह्य —मानवगुह्यसूत्र

मित्रा मित्राक्षरा (विज्ञानेश्वर इति याज्ञवल्क्यस्मृति
टीका)

मीमांसात्री या मी मी —कण्ठशेखर या मीमांसाकीस्तुभ

मेडा या मेधातिथि—मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका
या मनस्मृति के टीकाकार मेधातिथि

मैत्री उप —मैत्र्युपनिषद्

मै म या मैत्रायणीम —मैत्रायणीमहिला

म ब त या मनिधर्म —मनिधर्मसंग्रह

या या याज्ञ या याज्ञ —याज्ञवल्क्यस्मृति

राज - कस्तूर की राजनर्तकी

रा प की या राजप की या राजधर्मकी —राजधर्म
कीस्तुत्र

रा भी प्र या राजनी प्र या राजनीतिप्र —मित्र
मित्र का राजनीतिप्रकाश

राज र या राजनीतिर —चण्डेश्वर का राजनीतिरत्न-
कर

राज स या राजसनेयी या राजसनेयीस —राजसनेयी
संहिता

रायु —वायुपुराण

वि वि या विवाहवि —वाहस्पति मित्र की विवाह
विश्लामणि

वि र विवाह र —विवाहरत्नाकर

विश्व या विश्वरूप—विश्वरूप की याज्ञवल्क्य
स्मृतिटीका

विष्णु —विष्णुपुराण

विष्णु या वि ष सु —विष्णुधर्मसूत्र

वी मि —वीरमिथोदय

वै स्मा या वैशालय —वैशालयसमाप्तसूत्र

व्यव त या व्यवहार या व्यवहारत —रघुनन्दन का
व्यवहाररत्न

व्य नि वा व्यवहारनि —व्यवहारनिर्णय

व्यन प्र या व्यवहारय —मित्र मित्र का व्यवहारयकाश

व्य म वा व्यवहारम —जीमूतबाह्य का व्यवहारमसूत्र

व्य गा वा व्यवहारगा —जीमूतबाह्य की व्यवहार
गस्तुका

व्यव सा या व्यवहारसा —व्यवहारसा

व्य वा या व्यतपत्रवा —सतपत्रवाह्य

वातातप —सातातपस्मृति

वा दू या वासायनदूह्य —वासायनदूह्यसूत्र

वा हा या वासायनहा वासायनशाह्य

वा भी नू या वासायनधौत —वासायनधौतसूत्र
शान्ति —शान्तिपर्व

वृक्ष मा वृक्षी या वृक्षीति—वृक्षीतिशार

वृक्षम —वृक्षमलाकर

वृ की वा वृक्षिकी —वृक्षिकीसूत्री

वृ क या वृक्षिकल्प—वृक्षिकल्पत (वृक्षि पर)

वृक्षि या वृ प्र —वृक्षिप्रकाश

धा० क ल या धाद्ववरप = धाद्ववरपलना
 धा कि षी या धाद्वक्रिया = धाद्वक्रियाकौमुबी
 धा प्र या धाद्वप्र = धाद्वप्रवाप
 धा वि या धाद्ववि = धाद्वविवेक
 स श्री मू० या धाद्वयाधधीन = धाद्वयाधधीनमूत्र
 सरस्वती या म वि = धाद्वसरस्वतीविभक्त
 सा वा या गाम वा = धाद्वगामविधानवाह्य

स्वम्ब या स्वम्बपु = स्वम्बपुराण
 स्मृ च या स्मृतिच = स्मृतिचन्द्रिका
 स्मृ मु या स्मृतिमु = स्मृतिमुक्ताफल
 स बी या सस्वारकी० = सस्वारकीस्तुम
 स० प्र = सस्वारप्रवाप
 स र मा या सस्वारर = सस्वाररत्नमाला
 हि नृ या हिरण्यवेदिगृह = हिरण्यवेदिगृहमंत्र

इंग्लिश नामों के संकेत

- A. G. = ग्रे जि (ग्रेसिये जिर्वाणकी भाव इण्डिया)
 Alm. A. = आल्मे अलबरी (अबुल फरख इत)
 A. L. R. = आल इण्डिया रिपोर्ट
 A. S. R. = आसर्वाभोजन सर्व रिपोर्ट (ए एम आर)
 A. S. W. I. = आसर्वाभोजन सर्व आर वेस्टर्न इण्डिया
 B. B. R. A. S. = बाम्बे ब्राञ्च रॉयल एशियाटिक सोसाइटी
 B. O. R. I. = बम्बेराष्ट्र ओरिएण्टल रिजर्च इन्स्टीट्यूट पुना
 C. I. I. = चार्म इन्डियान इन्डिपेंडेंस (सी आई आई)
 E. I. = एशियाटिक इण्डिया (एशिया इण्डिया)
 I. A. = इण्डियन एशियाटिक (इण्डिया ऐशिया)
 I. H. Q. = इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली (इण्डिया हिस्ट्री क्वार्टरली)
 J. A. O. S. = जर्नेल आर दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी
 J. A. S. B. = जर्नेल आर दि एशियाटिक सोसाइटी आर बंगाल
 J. B. O. R. S. = जर्नेल आर दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिजर्च सोसाइटी
 J. R. A. S. = जर्नेल आर दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन)
 S. B. L. = सैन्ट बुक आर रि ईस्ट (सैन्टबुक आर इस्ट सोसाइटी) (एम बी ई)

प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण

[इसमें से बहुतों का काल सम्भावित कल्पनात्मक एवं विचारार्थीन है। ई पू — ईसा के पूर्व
ई उ — ईसा के उपरान्त]

- ४ — १ (ई पू) महर्षि वैदिक संहिताओं ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद अथर्व वेद एवं वैदिकीय संहिता तथा ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४ ई पू के बहुत पहले की भी हो सकती हैं और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ वे भी हैं, जिन्हें विद्वान् लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १ ई पू के पश्चात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान् प्रस्तुत सिद्ध की इस माय्यता को कि वैदिक संहिताएँ ४ ई पू प्राचीन हैं मही स्वीकार करते।)
- ८ — ५ (ई पू) यास्क की रचना निश्चित।
- ८ — ४ (ई पू) प्रमुक्त ऋतसूत्र (बषा—आपस्तम्ब आश्वलायन शौबामन कात्यायन शत्यायव आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा—आपस्तम्ब एवं आश्वलायन)।
- १ — ३ (ई पू) ऋतम आपस्तम्ब शौबामन बसिष्ठ के बर्गसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य जोनों के गृह्यसूत्र।
- १ — ३ (ई पू) पाणिनि।
- ५ — २ (ई पू) वैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र।
- ५ — २ (ई पू) भगवद्गीता।
- ३ (ई पू) पाणिनि के सूत्रों पर आर्थिक किलने वाले भररुचि कात्यायन।
- ३ (ई पू) — १ (ई उ) क्रीटिल्य का अर्बशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली छीमा के आसपास)।
- १५ (ई पू) — १ (ई उ) पतञ्जलि का महाभाष्य (सम्भवत अपेक्षाकृत प्रथम छीमा के आसपास)।
- २ (ई पू) — १ (ई उ) मनुस्मृति।
- १ (ई उ) — ३ (ई उ) याज्ञवल्क्यस्मृति।
- १ — १ (ई उ) विष्णुधर्मसूत्र।
- १ — ४ (ई उ) नारदस्मृति।
- २ — ५ (ई उ) वैशालसस्मार्तसूत्र।
- २ — ५ (ई उ) वैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के माध्यकार सवर (अपेक्षाकृत पूर्व छमम के आसपास)।
- १ — ५ (ई उ) व्यवहार आदि पर बृहस्पति-स्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकती है)। इस की ई (अिस्व ३३) में व्यवहार के अस्त अतुरित हैं और श्री रचस्वामी काशपर ने बर्ग के बहुत से विषय समुहीत किये हैं जो वायक-बाइ कोरिप्लक सीपैब द्वारा प्रकाशित हैं।

- ३ — ६ (ई उ)
 ४ — ६ (ई उ)
 ५ — ५५ (ई उ)
 ६ — ६५ (ई उ)
 ६५ — ६६५ (ई उ)
 ६६ — ७ (ई उ)
 ६ — ९ (ई उ)
 ७८८ — ८२ (ई उ)
 ८ — ८५ (ई उ)
 ८५ — ९ (ई उ)
 ९९९ (ई उ)
 १ — १५ (ई उ)
 १८ — ११ (ई उ)
 १८ — ११ (ई उ)
 ११ — ११३ (ई उ)
 ११ — ११५ (ई उ)
 ११ — ११५ (ई उ)
 ११ — ११३ (ई उ)
 १११४ — ११८३ (ई उ)
 ११२७ — ११३८ (ई उ)
 ११५० — ११६ (ई उ)
 ११५० — ११८ (ई उ)
 ११५० — १२ (ई उ)
 ११५० — १३ (ई उ)
 १२ — १२२५ (ई उ)
 ११५० — १३ (ई उ)
 ११७५ — १२ (ई उ)
 १२६० — १२७ (ई उ)
 १२ — १३ (ई उ)
 १२७५ — १३१ (ई उ)
 १३ — १३७ (ई उ)

- कुछ विद्यमान पुराण यथा—बामु विष्णु मार्कण्डेय० मत्स्य कूर्म ।
 कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) ।
 बराहमिहिर पञ्च-सिद्धान्तिका बृहत्संहिता बृहत्संहिता आदि के लेखक ।
 काश्यपी एक हर्षचरित के लेखक बाम ।
 पामिनि की अष्टाध्यायी पर काशिका-व्याख्याकार बामन—जयादित्य ।
 कुमारिक का लक्ष्यवर्तिन ।
 अधिकार स्मृतियाँ यथा—पराशर, सख देवक तथा कुछ पुराण यथा—
 अग्नि मय्य ।
 महान् अद्वैतवादी धार्मिक संकराचार्य ।
 याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वकर्म ।
 मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि ।
 बराहमिहिर के बृहत्संहिता की टीका करनेवाले जल्ल ।
 बहुते-ग्रन्थों के लेखक चारेस्वर भोज ।
 याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विजयेश्वर ।
 मनुस्मृति के व्याख्याकार गोविन्दराज ।
 कश्यपकश्यप नामक विशाल वर्मसास्त्र-विषयक निबन्ध के लेखक
 लक्ष्मीचर ।
 बामभाम काशिकेक एक व्याख्यानसूत्रिका के लेखक श्रीमूढबाह्य ।
 प्रायश्चित्तप्रकरण एक अन्य ग्रन्थों के रचयिता मन्वेव भट्ट ।
 अपराक सिद्धाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी ।
 मास्कराचार्य जो सिद्धान्त-मिरोमणि के जिसका लीलावती एक ग्रन्थ है,
 प्रणेता हैं ।
 योगेश्वर देव का मानसोक्तास या अग्निवितार्थ-चिन्तामणि ।
 कश्यप की राजतरंगिणी ।
 हारकटा एक पितृदमिता के प्रणेता अजिच्छ भट्ट ।
 श्रीचर का स्मृत्यर्थसार ।
 गौतम एक आपस्तम्ब नामक वर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हारवत ।
 देवभ्य भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका ।
 मनुस्मृति के व्याख्याकार कुम्भक ।
 बनभ्य के पुत्र एक ब्राह्मणसर्वस्व के प्रणेता हलामुप ।
 हेमाद्रि की बतुर्बर्षचिन्तामणि ।
 बरबरज का व्याख्याननिर्णय ।
 पितृमन्त्रि समयप्रदीप एक अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीवत् ।
 बृहत्संहिताकार विद्यावत्मान्य, क्रियावत्मान्य आदि ग्रन्थों के रचयिता
 चण्डेश्वर ।

- ११ — ११८ (ई उ) वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के समग्रहणता सायण ।
- ११ — ११८ (ई उ) पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य बन्धों के रचयिता एवं सायण के भाई माधवाचार्य ।
- ११९ — ११९ (ई उ) मदनपाठ एव जयके पुत्र के सरक्षण में मदनपारिजात एव महार्णवप्रकाश संपूर्णित किये गये ।
- ११९ — १४८ (ई उ) मयावाक्याचली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरणकी तिथियाँ ।
- ११९ — १४८ (ई उ) बेबिए इण्डियन ऐंस्टीकवेरी (जिम्बे १४ पृ १९ - १९१) जहाँ देवसिंह के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति की विधि नामे बिसपी नामक ग्राम-बाग के पितालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (बधा—सक १३२१ सवत् १४५५, ल स २८३ एव सन् ८ ७) ।
- १३०५—१४४ (ई उ) याज्ञवल्क्य की टीका शीपककिना प्राक्खित्तविवेक बुर्गीस्त्वविवेक एव अन्य ग्रन्थों के लेखक धूमपाणि ।
- १३०५—१५ (ई उ) विशाल निबन्ध कर्मतत्त्वकल्पानिधि (भाद्र, व्यवहार आदि के प्रकाशों में विभाजित) के लेखक एव नामस्मृति के पुत्र पृथ्वीचन्द्र ।
- १४ ०—१५ (ई उ) तन्त्रशास्त्रिक के टीकानार सोमेश्वर की न्यायमुखा ।
- १४ ०—१४५ (ई उ) मिसक मिश्र का विचारचन्द्र ।
- १४२५—१४५ (ई उ) मदनसिंह देव राजा द्वारा संपूर्णित विशाल निबन्ध मदनरत्न ।
- १४२५—१४६ (ई उ) बुद्धिविभेक भाद्रविभेक आदि के लेखक लखर ।
- १४२५—१४९ (ई उ) बुद्धिचिन्तामणि तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति ।
- १४५०—१५ (ई उ) ब्रह्मविभेक गणाङ्कविवेक आदि के रचयिता वर्धमान ।
- १४९०—१५१२ (ई उ) बरुपति का व्यवहारघाट, जो मुंसिंहप्रसार का एक भाग है ।
- १४९ — १५१५ (ई उ) बरुपति का मुंसिंहप्रसार जिसके भाग में हैं—भाद्रघाट, तीर्थघाट, प्रायश्चित्तघाट आदि ।
- १५ ०—१५२५ (ई उ) प्रतापसूत्रदेव राजा के सरक्षण में संपूर्णित सरस्वतीचिन्तास ।
- १५ ०—१५४ (ई उ) बुद्धिकीमुनी भाद्रकिष्काकीमुनी आदि के प्रणेता नोविन्दात्म ।
- १५११—१५८ (ई उ) प्रयोगरत्न अस्त्येष्टिपद्धति विश्वजीसेतु के लेखक नारायण भट्ट ।
- १५२०—१५७५ (ई उ) भाद्रतत्त्व तीर्थतत्त्व बुद्धितत्त्व प्रायश्चित्ततत्त्व आदि तत्त्वों के लेखक रघुनन्दन ।
- १५२०—१५८९ (ई उ) टीकतत्त्व के सरक्षण में टीकतत्त्व में कई टीक्यों में बुद्धि तीर्थ प्रायश्चित्त कर्मविपाक एव अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे ।
- १५९ — १६२ (ई उ) ईशनिर्णय वा कर्मईशनिर्णय के लेखक लखर भट्ट ।
- १५९०—१६३ (ई उ) वैशद्यती (विष्णुवर्णमूत्र की टीका) भाद्रकल्पकला बुद्धिचिन्ता एव ब्रह्मकमीमांसा के लेखक नाम्प पण्डित ।
- १६१ — १६४ (ई उ) निर्णयसिन्धु तथा विचारताम्रब्रह्म सूत्रकर्मकाण्ड आदि ग्रन्थ २ ग्रन्थों के लेखक कर्मकाण्डर भट्ट ।

- १९१०—१९६ (ई उ) मित्र मिश्र का बीरुमिजोवय जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश प्रायश्चित्तप्रकाश
याज्ञप्रकाश आदि।
- १९१०—१९४५ (ई उ) प्रायश्चित्त दृष्टि याज्ञ आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा—नीति
मयल व्यवहारमयूख आदि) उचित मागवतमास्त्र के लेखक नीलकण्ठ।
- १९५ —१९८ (ई उ) राजधर्मकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव।
- १७०—१७४ (ई उ) वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल।
- १७०—१७५ (ई उ) टीर्थेन्दुधर, प्रायश्चित्तोत्प्रेसर, याज्ञोत्प्रेसर आदि सगमय ५ ग्रन्थों
के लेखक नागेश मठ या नागोबिमठ।
- १७९ (ई उ) धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।
- १७३०—१८२ (ई उ) नितासरा पर बासम्मटी' नामक टीका के लेखक बासम्मट।

अध्याय विषय

	पृष्ठ
२१ मृपत्र या मनुष्य यत्र	४८
२२ भोजन	४१३
२३ उपाकर्म एव उत्सर्जन	४३६
२४ अत्रिवात गृह्यं तथा अन्य इत्य	४४
२५ दात	४४०
२६ प्रतिष्ठा एव उत्सर्जन	४०२
२७ बानप्रस्थ	४८२
२८ सम्पास	४९
३९ शीत (वैशिक) यज्ञ	५८
३१ बर्ष-पूर्वमास	५२४
३१ चतुर्मास्य (शत्रु सबधी यज्ञ)	५३५
३२ पशुबन्ध	५४१
३३ क्षत्रियष्टोम	५४५
३४ अन्य सोमयज्ञ	५५६
३५ सीतामयी अस्वमेध एव अन्य यज्ञ	५६४

प्रथम खण्ड
धर्म का अर्थ आदि

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	७
	उद्देश्य-समेत	११
	इतिहास नामों के संकेत	१३
	प्रमुख धर्मों और सिद्धांतों का काफ़ निर्धारण	१४
१	धर्म का अर्थ आदि	३

द्वितीय खण्ड

१	धर्मशास्त्र के विभिन्न विषय	११
२	धर्म	१९
३	धर्मों के कर्तव्य अवोप्यताएँ एव विशेषाधिकार	१४२
४	असूक्ष्मता	१६७
५	दासप्रथा	१७२
६	संस्कार	१७७
७	अपत्यन	१८८
८	आश्रम	२६४
९	विवाह	२९९
१०	मनुष्यें तथा अन्य जातार	३८
११	अनेकपत्नीयता अनेकमर्त्यता तथा विवाह के अधिकार एव कर्तव्य	३३
१२	विधवाधर्म स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एव परदा प्रथा	३३
१३	निषेध	३३८
१४	विधवा विवाह, विवाह-विच्छेद (तलाक)	३४२
१५	सतीप्रथा	३४८
१६	भिक्षा	३५३
१७	आश्रमिक एव जातार	३५५
१८	पुरुष महामत्र	३८३
१९	वेदमत्र	३८८
२०	वैदिकवेद	४४

अध्याय विषय	पृष्ठ
२१ नृपञ्च या मनुष्य यज्ञ	४८
२२ भोजन	४१३
२३ उपाकर्म एव उत्सर्जन	४३९
२४ अन्नमात्रं सूक्ष्मं वा अन्नं हृतम्	४४
२५ वान	४४०
२६ प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग	४०२
२७ वानप्रस्थ	४८२
२८ शय्यास	४९
२९ शीत (वैदिक) यज्ञ	५८
३० दशै-पूर्वमास	५२४
३१ चतुर्मास्य (चतुःसवधी यज्ञ)	५३५
३२ पशुबन्ध	५४१
३३ अग्निष्टोम	५४५
३४ अन्न्य सोमयज्ञ	५५६
३५ उतीनामनी अस्त्रमेव एव अन्न्य यज्ञ	५६४

प्रथम खण्ड
धर्म का अर्थ आदि

श्री ध्यावार्प विनवचन्द्र ज्ञान भण्डार

साल भवन नं० ११३,
बामपुर सिटा (पत्रस्वांग)

अध्याय १

श्रीमान् खेहराधर माई दुलभजी द्वारा रच
सुपूय ररिमध्यान्त के शुभ विवाह पर भेद

धम का अध आदि

१ धम का अध

'धर्म' शब्द उम सल्लन दारु। म हे जिनका प्रयोग कई अर्थों में होता आया है। यह शब्द अनेक परिवर्तनों एवं विपर्यया के चक्र में घूम चुका है। ऋग्वेद की ऋचाओ म यह शब्द या तो बिलेपय के रूप में या मन्त्रा के रूप में प्रयुक्त हुआ है ('धर्मन्' के रूप में तथा सामान्यतः मनुष्य के लिये)। इस शब्द का इस रूप में प्रयोग छपन बार हुआ है। वेद की भाषा में उन दिनों इस शब्द का आत्मनिष्ठ अर्थ क्या था यह कहना अपस्य है। स्पष्टतः यह शब्द 'धर्म' या 'धर्म' से बना है जिसका तात्पर्य है धारण करना आत्मम्भन देना प्राप्त करना। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओ म यथा ११८३.१ १ १२२ तथा १ २१३ में 'धर्म' शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है 'विन्दु अन्य स्थानों म यह या तो मनुष्य के लिये म है या उम रूप में जिन हूय पुल्लिङ्ग एवं मनुष्य होना समझ मवत है। अधिन' स्थानों पर धर्म 'धार्मिक विधियों' या 'धार्मिक क्रिया-कारणों' के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है यथा ऋग्वेद १२२ १८ ५.२११ ७ ५३ २५ ९.१५४ १ आदि स्थानों पर। ऋग्वेद की ११५४ ५३ तथा १ ११५ ५३ 'तानि धर्मानि प्रथमाभ्यामन्' ऋचा उपर्युक्त अर्थों का प्रमाणित करती है। इसी प्रकार 'प्रथमा धर्मा' (ऋग्वेद ३१३.१ तथा १ ५१३) तथा 'मन्त्रा धर्माणि' (ऋग्वेद ३१३) का अर्थ अथवा 'प्रथम विधियाँ' तथा 'प्राचीन विधियाँ' है। बर्ती-बर्ती यह अर्थ नहीं भी प्रकट होता यथा ४५३३ ५१३३ ९७०१ ७८९.५ 'अर्थां पर धर्म का अर्थ 'निरिच्छा नियम' (अध्याय या मित्राल) या आचरण-नियम' है। 'धर्म' शब्द के उपर्युक्त अर्थ आत्मनेपदी मिला में आ मिला है (२३ तथा ५.२३) एवं स्थान पर हय ध्रुवेय धर्मया' का प्रयोग भी मिलता है। बर्ती हये 'धर्म' (धर्म म) शब्द का बहुल प्रयोग भी मिलता है। ऋग्वेद के अन्त-से अन्त अपभ्रंश में मिलन है जिनमें 'धर्मन्

- १ ऋग्वेद (११८३१) विन्दु म् स्तोत्रं धर्मो धर्मार्थं लक्ष्मीम्। धर्ती धूमन वरुणैः (३५७) में भी आया है। ऋग्वेद (१ १२२) इममन्त्रापासुमये अह्वयन धर्मनिधर्मि विदधाय लक्षणम्। ऋग्वेद, १ ३१३ (धर्म धर्माय ध्यातये अह्वयि निरुचनीरिधः।
- २ आ मा र्वाणि विद्यानि धार्मिका इतोर्' देवः धृष्टये स्थान धर्मैः।
- ३ धर्मया विवाहदत्ता विदधिना बना रत्नय अनुसय कायदा।
- ४ टावन्नुविधो वरुणय धर्मया विदधिन अहरे अरितेता।
- ५ धर्मिनी धर्म्य धर्मो धर्मिनी आ लक्षणार्थेनयो देव रीरिधः।
- ६ धर्मन्, १ ३ तथा २ १।

सम्बन्ध का प्रयोग हुआ है। अर्थात् (१९१३) में 'धर्म' शब्द का प्रयोग "धार्मिक क्रिया-संस्कार करने से संबंधित पुनः" के अर्थ में हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में 'धर्म' शब्द संस्कृत धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् (२२३) में धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अर्थ मिलता है जिसके अनुसार धर्म की तीन शाखाएँ मानी गयी हैं—(१) यज्ञ अर्थात् एव राज अर्थात् गृहस्वधर्म (२) तपस्या अर्थात् वापस धर्म तथा (३) ब्रह्मचारित्व अर्थात् आचार्य के गृह में अन्त तक रहना। यहाँ 'धर्म' शब्द आधर्मो के विक्रान्त कर्तव्यों की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'धर्म' शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है। किन्तु अन्त में यह मानव के विशेषाधिकारों कर्तव्यों अन्तर्गत का घटक धर्म जाति के सदस्य की आचार-विधि का परिचायक एवं धर्मिय का घटक हो गया। तैत्तिरीयोपनिषद् में छात्रों के लिए जो 'धर्म' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह इसी अर्थ में है, यथा "सत्यं च धर्मं चर" आदि (१११)। अगस्त्यगीता के 'स्वधर्मं विजानते' में भी 'धर्म' शब्द का यही अर्थ है। धर्मशास्त्र-शास्त्रियों में 'धर्म' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार मुनियों ने मनु से सभी धर्मों के धर्मों की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी (१२)। वही अर्थ याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पाया जाता है (११)। धर्मशास्त्र के अनुसार धर्मशास्त्रों का कार्य है धर्मों एवं आधर्मो के धर्मों की शिक्षा देना।" मनुस्मृति के व्याख्याता मेधातिथि के अनुसार स्मृतिकारों ने धर्म के पाँच स्वरूप माने हैं—(१) धर्मधर्म (२) आधर्मधर्म (३) धर्मधर्म धर्म (४) नैमित्तिक धर्म (यथा प्रायश्चित्त) तथा धर्मधर्म (अभिहित राजा के संस्रण-सम्बन्धी कर्तव्य)। इस पुस्तक में 'धर्म' शब्द का वही अर्थ लिया जायगा।

इस सम्बन्ध में धर्म की बहिष्कृत मन्त्रों परमायाजी की ओर संकेत करना अपेक्षित है। पूर्वमीमांसा-युग में वैमिनि ने धर्म को 'बिहविहित प्रेरक' क्लृप्ता के अर्थ में स्वीकार किया है, अर्थात् वेदों में प्रयुक्त अनुशासनों के अनुसार ब्रह्मा ही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों से है जिनसे आत्म्य मिलता है और जो वेदों द्वारा प्रेरित एवं प्रसिद्ध हैं। वैशेषिकसूत्रकार ने धर्म की यह परिभाषा की है—धर्म वही है जिससे आत्म्य एव निवेद्य ही सिद्धि हो।" इसी प्रकार बुद्ध एकापी परिभाषाएँ भी हैं यथा अहिंसा परमो धर्म (अनुशासनधर्म ११५१)

७. अचित्त्वा विलक्ष्य धर्मो मुपोपिम (६५१३) यज्ञेन यज्ञधर्मवत् (७.५१) नीतिं चरा विप्रकमे (७.२७.५)।

८. अत एव ततो रज्जु धर्मो धर्मवत् धर्मः च। धृतं प्रविच्यदुच्छिद्ये धीर्यं कर्मवीर्यं चो ॥

९. धर्मस्य योऽन्तर्गतात् तन्मनुस्मृत्युच्छेदमेव विप्रविशयेकप्रवेतयाधर्माधर्मवत् (ऐतरेय ब्राह्मण, ७.१३)। ऐतौ ही एक उक्ति ८१३ में भी है। उपनिषदों एवं संस्कृत में भी 'धर्मन्' शब्द बहुव्रीहि-रूपात् के परों में आया है यथा 'अनुच्छिद्यते धर्मः' (बृहदारण्यकोपनिषद्) तथा 'धर्माधर्मिन् केवलम्' पाणिनि (५.४.१२४) का लुक्।

१. धर्मो धर्मवत्त्वा यतोऽप्यन्येन बलमिति प्रचनस्तप एवेति द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलमासीत् तृतीयोऽप्यन्तर्गतान्तराचार्यकुलमासीत्। सर्व एते पुष्यलोका अगन्ति ब्रह्मसंस्कारोऽन्तर्गतवन्ति।

११ 'सर्वधर्मनृणां धर्माधर्मधर्मवत्' पृष्ठ २३७।

१२ गीतग-धर्मसूत्र (१९.१) के व्याख्याता हारदत्त तथा मनुस्मृति (२.२५) के व्याख्याता गोविन्द राज ने भी धर्म के ये ही पाँच प्रकार उपस्थित किये हैं।

१३ औदनात्मनो-धर्मः (बुद्धमीमांसा लुक् ११२)।

१४ अर्थात् धर्मो धर्मवत्त्वा यतोऽप्यन्येन भेदतत्सिद्धिः स धर्मः (वीरविक लुक्)।

'जानुसस्व परो धर्म (वनपर्व ३७३ ७३) 'आचारः परमा धर्म' (मनुस्मृति ११ ८)। हारीत ने धर्म को भृति प्रमाणक माना है।" बौद्ध धर्म-साहित्य में धर्म शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कमी-कमी इसे मगवान् बुद्ध की सम्पूर्ण शिक्षा का द्योतक माना गया है। इसे बस्तित्व का एक तत्त्व अर्थात् वह तत्त्व मन एव दक्षिणो का एक तत्त्व भी माना गया है।"

२ धर्म के उपादान

गौतमधर्मसूत्र के अनुसार वेद धर्म का मूल है।" जो धर्मज्ञ हैं जो वेदों को जानते हैं, उनका मत ही धर्म-प्रमाण है। ऐसा आपस्तम्ब का कथन है। ऐसा ही कथन बसिष्ठधर्मसूत्र का भी है (१४६)।" मनुस्मृति के अनुसार धर्म के उपादान पाँच हैं—सम्पूर्ण वेद वेदको भी परम्परा एवं व्यवहार, सामुग्रो का आचार तथा आत्मवृत्ति।" एही ही बात मातृवस्वस्मृति में भी पायी जाती है—वेद, स्मृति (परम्परा से जन्मा ज्ञाना हुआ ज्ञान) सदाचार (भद्र सोमो के आचार-व्यवहार) जो अपने को प्रिय (अच्छा) क्ये तथा उचित सकल्प से उत्पन्न अतिक्रमा या इच्छा ये ही परम्परा से जन्मे जाये हुए धर्मोपादान हैं। उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि धर्म के मूल उपादान हैं वेद स्मृतियाँ तथा परम्परा से जन्मा ज्ञाना हुआ सिद्धाचार (सदाचार)। वेदों में स्पष्ट रूप से धर्म-विषयक विधियाँ लक्ष्य प्राप्त होती किन्तु उनमें प्राथमिक निर्देश व्यवस्था पाये जाते हैं और काशान्तर के धर्मशास्त्र-सम्बन्धी प्रकरणों की ओर संकेत भी मिलता है। वेदों में लगभग पचास ऐसे स्थल हैं जहाँ विवाह विवाह-प्रकार, पुत्र प्रकार, गोव सेना सम्पत्ति-वैतण्यारिक्त्वकाम (बसीबत) आदि स्त्रीजन जैसी विधियों पर प्रकाश पड़ता है।" वेदों की आचारों से यह स्पष्ट होता है कि भ्रातृहीन कन्या को बर मिलना कठिन था। काशान्तर में धर्मसूत्रों एव याज्ञवल्क्य-स्मृति में भ्रातृहीन कन्या के विवाह के विषय में जो धर्माँ हुई हैं वह वेदों की परम्परा में मूर्ध्नी हुई हैं। विवाह के विषय में आग्नेय की १ ८५

१५ अबल्लो धर्म ध्यात्वास्तयाम। भृतिप्रमाणको धर्मः। भृतिश्च द्विविधा वैदिकी ताग्निकी च। बुक्तूक द्वारा मनु (२ १) में उद्धृत।

१६. An element of existence, i.e. of mother mind and forces vide Dr Stich erbatsky's monograph on the central conception of Buddhism (1923) P 73

१७. वेदो धर्ममूलम्। तद्विदां च स्मृतिर्हीने। (पतित-धर्मसूत्र १ २ २)।

१८. धर्मज्ञसमय प्रमाणं वेदाश्च। (आपस्तम्ब-धर्मसूत्र १ १ २ २)।

१९. भृतिस्मृतिविहितो धर्मः। तदकाले सिद्धाचारः प्रमाद्यम्। सिद्धः पुनरकामस्या।

२०. वेदोऽधिकतो धर्ममूलं स्मृतिर्हीने च तद्विदाम्। आचारतत्त्वैश्च सामुनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ मनु २ ६।

२१. भृतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। साम्यसंसर्गस्यैवः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥

याज्ञवल्क्य १ ७।

२२. वैशिष्ट, अर्जुन माण्डि कि बाण्ये बाँच रावल एधिपादिक सोशाण्यी (J B B R. A S) सिद्ध २६ (१९२२) पृ ५७-८२।

२३. जयानुविच विज्ञो सचा सती सजानादा सबसत्त्वामिदे मगम्। आग्नेय २ १७.७। वैशिष्ट, आग्नेय १ १२४ ७। ६ ५ ५, अथर्ववेद १ १७ १ तथा निबन्त ३ ४५।

२४. अटोपिभी अस्तुस्तीमसमानार्थोऽत्राज्ञम्। धामकव्यय, १-५३ वैशिष्ट, मनुस्मृति ३ ११।

वाली श्रद्धा आज तक यामी जाती है और विवाह-विधि में प्रमुख स्थान रखती है।" धर्मसूत्रों एवं मनुस्मृति में बर्णित ब्राह्मण विवाह-विधि की सख्त वैदिक समय में भी मिल जाती है।" वैदिक काल में आगुर विवाह ब्रह्मचर्य नहीं था।" नार्वर्ष विवाह की भी चर्चा वेद में मिलती है।" औरस पुत्र की महत्ता की भी चर्चा यामी है। श्रुत्येव में लिखा है—अनौरस पुत्र चाहे वह बहुत ही सुन्दर क्यों न हो नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहिए।" तैत्तिरीय संहिता में तीन श्रुतियों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।" धर्मसूत्रों में बर्णित क्षेत्रज पुत्र की चर्चा प्राचीनतम वैदिक साहित्य में भी हुई है।" तैत्तिरीय संहिता में आया है कि पिता अपने जीवन-काल में ही अपनी सम्पत्ति का बँटवारा अपने पुत्रों में कर सकता है।" इसी संहिता में यह भी आया है कि पिता ने अपने अशुभ पुत्र को सब कुछ दे दिया।" श्रुत्येव में यह आया है कि भाई अपनी बहिन को पितृक सम्पत्ति का कुछ भी भाग नहीं देता।" प्राचीन एवं अर्धप्राचीन धर्मशास्त्र-संकलनों में तैत्तिरीय संहिता के एक कथन पर विरवास रखकर सभी को रिक्त्वा (वसीयत) से बच्य कर दिया है। श्रुत्येव में विद्यार्थी-जीवन (ब्रह्मचर्य) की प्रशंसा की है। शतपथब्राह्मण में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की चर्चा की है यथा मरिच-पान से दूर रहना तथा सभ्याकाल में जमिन में समिधा बालना।" तैत्तिरीय संहिता में आया है कि जब इन्द्र में मरिचियों को कुला (मेरियों) के (साने के) लिए दे दिया तो प्रजापति ने उसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की।" शतपथब्राह्मण में राजा तथा विद्वान् ब्राह्मणों को पवित्र अनुशासन प्राप्त करनेवाले

२५. जुम्बामि ते सौनयत्वाय (श्रुत्येव १ ८५ ३६)। वैश्विण, आपस्तम्ब-बृहस्पृज २४ १५।

२६. पौतमधर्मसूत्र ४४; बौधायनधर्मसूत्र १ २२ अत्यस्तम्बधर्मसूत्र २५ ११ १७ मनुस्मृति ३ २७।

२७. वसिष्ठधर्मसूत्र १ ३६-३७; वैश्विण, आपस्तम्बधर्मसूत्र १ ६-१६ ११ अर्थात् कथा-कर्म की व्याख्या की गयी है और वैश्विण, पूर्वमीमांसासूत्र ६-१ १५—अप्यस्य धर्मशास्त्रव्युत्पत्तिः।

२८. ब्रह्मा बभूवर्षति यत्पुत्रेभ्यः स्वयं सा मित्रं वनते क्वे कित्। श्रुत्येव १ २७ १२।

२९. न हि प्रजाभारतः सुदोषो अन्धोदयो मनसा मन्तवा च। श्रुत्येव ७.५.८।

३. आयातलो वी ब्राह्मणविधिनिर्वाचनान् आसते ब्रह्मचर्येण श्रुतिभ्यो यज्ञेन वेदेभ्यः प्रकथ्या पितृभ्यः। तैत्तिरीयसंहिता, ६ ३ १ ५।

३१. को वा अमुना विचक्षेव देवर्षं न योवा कुचुते तवस्व वा। श्रुत्येव, १ ४ २।

३२. मनु बुधेभ्यो वाय अमन्वत्। तैत्तिरीय संहिता ३ १ ९ ४। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२ ६ १४ ११) तथा बौधायनधर्मसूत्र (२ १ २) में इसका आत्मन्वत् किया है।

३३. तस्मान्श्रुत्येव पुत्र वनेन निरवसाययन्ति। तैत्तिरीय संहिता २ ५ २ ७। इत कथन की और अत्यस्तम्बधर्मसूत्र (२ ६ १४ १२) तथा बौधायनधर्मसूत्र (२ २ ५) में संकेत किया है।

३४. 'न चाभये सान्धो रिक्त्वाभारतः'—श्रुत्येव, ३ ३१ २। वैश्विण, रिक्त्वा (३ ५३) की व्याख्या।

३५. तत्प्राप्तिस्त्रयो निरिभिय्या अवायावीरणि पात्वात्पुत्र उपस्तितरं ववन्ति। तैत्तिरीय संहिता, ६ ५ ८ २।

३६. ब्रह्मचारी चरति वैश्विणविद्यः स वैश्वाना नवरूपेनमङ्गलम्। श्रुत्येव १ १ १ ५.५। शतपथब्राह्मण (१ १ ५ ४ १८) में आया है—'तवापु। न ब्रह्मचारी तन्मन्वन्तीयात्स। तुक्त्वा कीचिण, मनुस्मृति २ १७७। 'तमिण्' के लिए वैश्विण शतपथब्राह्मण (१ १ ३ १ १)।

३७. इन्द्रो यतीन् शाकानुकेभ्यः प्रायच्छत्। देवातिवि (मनुस्मृति १ १ ४५) में इसका उद्धरण किया है। वैश्विण, ऐतरेयब्राह्मण, ७.२८, ताण्ड्यमहाब्राह्मण, ८ १ ४ १३ ४ १७ तथा अथर्ववेद २ ५ ३।

(धृतपत्र) कहा है।^{१८} तैत्तिरीय संहिता में कहा है—अथ सूत्र यज्ञ के मोक्ष नहीं है।^{१९} एतरेय ब्राह्मण का कथन है कि जब राजा या कोई अन्य योग्य गुणी अतिथि जाता है तो सोय बैरु या यो-सुवर्ध-उपहार देते हैं।^{२०} धृतपत्रब्राह्मण ने वेवाप्ययन को यज्ञ माना है और तैत्तिरीयारण्यक ने उग्र पाँच यज्ञों का वर्णन किया है, जिनकी चर्चा मनुस्मृति में नहीं प्रकार हुई है।^{२१} ऋग्वेद में गाय षोडा सोने तथा परिधानों के दाग की प्रथमा की गयी है।^{२२} ऋग्वेद ने उग्र मनुष्य की मर्त्यता की है जो केवल अपना ही स्वार्थ देखता है।^{२३} ऋग्वेद में 'प्रपा' की चर्चा हुई है यथा—'तू महमूर्खि में प्रपा के सदृश है।'^{२४} वैमिनि के व्याख्याता धरर तथा याज्ञवल्क्य के व्याख्याता विरदरूप ने 'प्रपा' (बहु स्वाग बहुर्यागिया को अन्न मिळता है) के लिए व्यवस्था बतलायी है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कालान्तर में धर्मग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में जो विधियाँ बतलायी गयी उनका मूल वैदिक साहित्य में खगुम्भ रूप में पाया जाता है। धर्मशास्त्रों में वेद को जो धर्म का मूल कहा है वह उचित ही है। किन्तु यह सत्य है कि अब धर्म-सम्बन्धी निबन्ध नहीं हैं बहुर्याग धर्म-सम्बन्धी बातें प्रचलना आती गयी हैं। वास्तव में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विधानों के यथावत् एव नियमनिष्ठ विवेचन के लिए हम स्मृतिमा की ओर ही श्रुतना पड़ता है।

३ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल

धर्म-सम्बन्धी निबन्धों अथवा नियमपरक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रचलन कब से आरम्भ हुआ ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु इसका कोई निश्चित उत्तर से देना सम्भव नहीं है। तिरकन (३४५) से प्रकट होता है कि यास्क के बहुत पहले रिचवाधिकार के प्रश्न को लेकर परमाणरम वाग्-विवाद उठ खड़े हुए थे यथा पुत्रों द्वारा पुनिया का रिचय-निषेध तथा पुत्रिका के अधिकार। हो सकता है कि रिचवाधिकार (बसीयन) सम्बन्धी इस प्रकार के वाद-विवाद कालान्तर में क्लिप्त हो गये हों। बसीयन-सम्बन्धी बातों की ओर यास्क ने जिस प्रकार से संकेत किया है उससे शक्यता है कि उन्होंने कुछ ग्रन्थों की ओर निर्देश किया है जिनमें वैदिक स्तोत्रों के उद्धरण दिये गये थे।^{२५} एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि बसीयन के विषय में यास्क ने एक पद्य का उद्धरण दिया है जिसे वे

१८. एव च योत्रियवर्षेती ह ई ह्यी मनुष्येषु भूतजती। धृतपत्रब्राह्मण ५४ ४ ५।

१९. तस्मान्मूर्खो यज्ञेजवस्तपः। तैत्तिरीयसंहिता, ७ १ १ ६।

२०. सप्तर्षिबाहो मनुष्यराजे आप्तेऽप्यस्तिजन्मर्द्धमुजार्ण वा देहत् वा शरत्त एवमस्या एतत्सवन्ते यवर्धिन मज्जन्ति। ऐतरेयब्राह्मण १ १५। श्रुतना कीर्ति—वसिष्ठधर्मसूत्र ४ ८।

२१. यम्भ वा एते महायज्ञा सतति प्रतायन्ते ततसि सन्तिष्ठन्ते देवयज्ञं पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञः। तैत्तिरीयारण्यक, २ १ ७।

२२. उन्वा विवि वसिवावन्तो अस्तुर्वे अश्वरा सह ते सुयव। हिरण्यवा अनुत्सर्वं जजन्ते वात्तोदाः सोम म तिरक्तं मायुः। ऋग्वेद १ १ ७ १।

२३. ज्वलतापो जवति केवलावी। ऋग्वेद, १ ११७ ६।

२४. अन्नं त्रय प्रपा अति त्वमग्न इयज्जवे वुरधे प्रल राजन्। ऋग्वेद १ ४ १।

२५. अर्वाता आभ्या रिचयप्रतिषेध उवाहुरन्ति ष्वेदेऽं पुत्रिजाया इत्येके।

शुद्धा न कहकर स्मोक कहते हैं।" इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म-सम्बन्धी ग्रन्थ स्मोक-ग्रन्थ से या स्मोकों (बनुद्यु) में प्रणीत थे। बृहस्पति जैसे विद्वान् तो ऐसा कहेंगे कि पद्य-बद्ध ग्रन्थों स्मृतिशील थी जो जगता की स्मृति में यो ही बहती जाती थी। यदि धर्म-सम्बन्धी विषयों के ग्रन्थ यास्क के पूर्व विद्यमान थे तो धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों की तिथि बहुत प्राचीन मानी जायगी। इस विषय में अन्य पुष्ट प्रमाण भी हैं। यौतम बौधायन तथा आपस्तम्ब के धर्मसूत्र विविध ऋषि से ईसापूर्व ६ और ३ के बीच के हैं। यौतम में धर्मशास्त्रों की चर्चा की है बौधायन (४५९) में भी 'धर्मशास्त्र' शब्द का प्रयोग किया है।^१ बौधायन ने 'धर्म-याठकों' की चर्चा की है (११९)। यौतम में बहुत से धर्मशास्त्रकारों के शब्द 'इत्येके' कहकर उद्धृत किये हैं (यथा २१५ २५८ ३१ ४२१ ७ २३)। उन्होंने मनु की ओर एक बार तथा 'आचार्यों' की ओर कई बार (३३६ ४१८ एव २३) संकेत किया है। बौधायन में औपबन्धि काश्यप काश्यप यौतम मीमंसूय तथा हारीत नामक धर्मशास्त्रकारों के नाम मिलते हैं। आपस्तम्ब ने भी एक गण्ड कौत्स हारीत आदि ऋषियों के नाम किये हैं। एक शक्ति भी है जिसने धर्मशास्त्र की चर्चा की है।^२ धर्मशास्त्र में लिखित सूत्र-वर्त्म्य की ओर वैशिष्टि ने संकेत किया है। पतञ्जलि ने लिखा है कि उनके समय में धर्मसूत्र से और उनका प्रमाण भगवान् की आज्ञा के बाद महत्त्वपूर्ण माने जाते थे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र यास्क ने पूर्व उपस्थित से कम-से-कम ई पू ६-३ के पूर्व तो थे वे ही और ईसा की द्वितीय शताब्दी में वे मानव-आचार से लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे।

इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण धर्मशास्त्र पर विशेषण लिख प्रचार से होया। पहले धर्मसूत्रों का विवेचन होया जिसने आपस्तम्ब हिरण्यकेशी तथा बौधायन अपने सूत्र-संग्रह हैं यौतम तथा वसिष्ठ बहुत बड़े संग्रह गयी हैं। कुछ धर्मसूत्र यथा विष्णु अन्य सूत्र-ग्रन्थों से बाद के हैं कुछ सूत्र-ग्रन्थ यथा शक-लिखित पैटीगति केवल उद्धारम-रूप में विद्यमान हैं। धर्मसूत्रों के उपरान्त हम मनुस्मृति यास्कवस्तुस्मृति आदि स्मृतियों का विवेचन उपस्थित करेगे। इनसे उपरान्त गार्ग्य, बृहस्पति ब्राह्मणन की स्मृतियाँ का वर्णन होया जिसमें अष्टिम से केवल उद्धारणों में ही मिलनी है। महाभारत रामायण तथा पुराणों में भी धर्मशास्त्र के विचारों में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। अतः इस विषय में हमारी चर्चा होनी अतन्त्र विस्वरूप वैशालि विज्ञानेश्वर, अप्सार्थ हरदत्त नामक स्मृति-टीकाओं का वर्णन

४६. तदेतदुक्तं कोशाम्बाम्भुवनम् । अङ्गावङ्गसाम्बन्धिनि त भीम सरव अन्तम् ॥ अविशेषेण
पुत्राणां शयो भवति पर्यंत । मिबुनता वितर्कवी मनुः स्वापन्नुषोऽवर्तित् ॥

४७ 'संकेतं बृक जाठ वी ईस्ट' जित् २५, मुनिना भाष ।

४८. यौतमधर्मसूत्र ९ २१—'तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राध्यङ्गानि उपवेदाः पुराणम् । धर्मग्रन्थं विश्वत्रयं भाष्य (यौ च मू २८ ४७) धर्मशास्त्र के छात्रों की ओर संकेत करता है।

४९. श्रीनि प्रबन्धात्मनिर्देशयानि मनु । यौतमधर्मसूत्र २१-७ ।

५० धर्मशास्त्र च तथा । वैशिष्ट, महाभाष्य जित् १ पु २४२ ।

५१ सूत्रश्च धर्मशास्त्रात्मान् । धर्ममीमांसा सूत्र ९ ७ ६ ।

५२ शैबेश्वर आजापयनि नात्र धर्मसूत्रकारा पठन्ति अथवाईस्तर्पां भाष्यताजिति । महाभाष्य जित् १ पु ११५ तथा जित् २ पु १६५ । वनज्जलि में 'आचार्य तज्जनाः पितरश्च श्रीनिनाः (जित् १ पु १४) उद्धृत किया है जिने वैशिष्ट—आजापयधर्मसूत्र (१७ २ ३) 'तदवाप्रे कर्तावे निमित्ते छाया गण्ड इत्यभ्युपेतैः । पतञ्जलि ने कहा है—'तैर्न न विवेच्येयं नात्र न विवेच्येयम्' तथा 'मोषयन स्तुत्या शीघ्र धर्मग्रन्थ' (जित् १ पु २५) ।

विषय-वस्तुओं एवं प्रकरणों में धर्मसूत्रों का गूढ़सूत्रों से गहरा सम्बन्ध था। अधिकतर गूढ़सूत्रों के विषय हैं—गूढ गृहार्थि गृह्यसूत्र-विभाजन प्रातः-साय की पूजा मंत्र एवं पूरे भस्त्र की पूजा पहले सोबन का हवन आदिक मंत्र विवाह पसबन जानधर्म उपनयन एवं अन्य संस्कार, छात्रों स्नातकों एवं क्षुद्रियों के नियम आठ-कर्म मनुष्यकर्म। गूढ़सूत्रों का सम्बन्ध अधिकांश परेल जीवन की चर्चाओं से है व मनुष्य के आचारों अधिकारों कर्तव्यों और उत्तर आदिकों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं अर्थात् इन बातों के नियमों से उनका सम्बन्ध न-बहुत-सा है। इसी प्रकार धर्मसूत्रों में भी उपर्युक्त कुछ विषय-वस्तुओं या प्रकरणों के विषय में नियम पाये जाते हैं यथा विवाह संस्कारों विद्याविद्या स्नातकों क्षुद्रियों आठ एवं मनुष्यकर्म के विषय में। धर्मसूत्रों में गूढ़जीवन के क्रिया-संस्कारों के विषय में चर्चा कभी ही कभी पायी जाती है और वह भी बहुत कम क्योंकि उनकी विषय-परिधि बहुत विस्तृत होती है। धर्मसूत्रों का मुख्य ध्येय है आचार, विधि-नियम (ज्ञान) एवं क्रिया-संस्कारों की विधिबद्ध चर्चा करना। आपस्तम्ब गूढ़ एवं धर्म के बहुत-से सूत्र एक ही हैं। कभी-कभी गूढ़सूत्र धर्मसूत्र की ओर निर्देश भी कर बैठते हैं। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जिनके द्वारा धर्मसूत्रों (अधिकतर प्राचीन धर्मसूत्रों) एवं स्मृतियों में अन्तरिक भ्रम भी उपस्थित किया जा सकता है और वे स्पष्ट निम्न हैं—(क) बहुत-से धर्मसूत्र या तो अत्यंत चरण के रूप के भाग हैं या गूढ़सूत्रों से गहरे रूप से सम्बन्धित हैं। (ख) धर्मसूत्र कभी-कभी अपने चरण तथा अपने वेद के उद्धारण के प्रति पक्षपात प्रदर्शित करते हैं। (ग) प्राचीन धर्मसूत्रों के प्रकटा-गण अपने को ऋषि या अतिमानव नहीं कहते किन्तु स्मृतियों व श्रेष्ठक यथा मनु एवं मातृवत्स्य ब्रह्मा एसे देवताओं के समकक्ष सा दिव गये हैं अर्थात् इनके श्रेष्ठक मान्य नहीं कहे जाते वे अतिमानव हैं। (घ) धर्मसूत्र गद्य में या मिश्रित गद्य-गद्य में हैं किन्तु स्मृतियाँ पद्यबद्ध हैं। (ङ) धर्मसूत्रों की माया स्मृतियों की माया की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। (च) धर्मसूत्रों की विषय-वस्तु एक तारतम्य से व्यवस्थित नहीं है किन्तु स्मृतियों (यहाँ तक कि प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति) में ऐसी व्यवस्था नहीं पायी जाती प्रस्तुत इसकी विषय-वस्तु तीन प्रमुख धीपों में है यथा आचार, व्यवहार एवं प्रामाणिकता। (छ) अधिकतम धर्मसूत्र अधिकतम स्मृतिमा से प्राचीन हैं।

५. गौतम का धर्मसूत्र

विद्यमान धर्मसूत्रों में गौतमधर्मसूत्र सबसे पुराना है। इसे विशेषतः सामवेद के अनुयायी पढ़ते थे। अथर्वसूत्र

५६ यथा पात्नसो वन्दो ब्राह्मणस्य इत्यवचतदोर्गेनैव उपविशति। अथ गृ ४ १७ १५, १६ तथा आप व १ १ २ ३८।

५७ अथ, अथ गृ (८ ११ १) में आया है 'जाति धात्र्यापरपत्ने यद्योपदैतं काला', जितका निरस है अथ व गृ (२७ १६ ४-२२) की ओर।

५८ तुलना कीजिए—यौ व १ ४-४ तथा आप व गृ १ २ ५ ४ 'तस्यानुवयोऽन्वरेण न आयत्ते नियमान्तरात्' तथा अथ व गृ २ ६ १३ ९ 'तस्योऽथ प्रमुञ्जन्त लीरावचतः।

५९. गौतमधर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है तथा डा. स्वर्णर का संस्करण (१८७६) कलकत्ता संस्करण (१८७६) आनन्दाधम संस्करण जिनकी टीका हरदत्त ने की है तथा मीनूर संस्करण जिनमें अरबों का भाष्य भी है जिनका अनेकों अनुवाद स्वर्णर ने किया व साथ दिया है (सिन्धु बुक आउट दि ईस्ट, सिन्धु २)। इत प्रथम में आनन्दाधम के १९१ वाक्या संस्करण काज में लाया गया है।

की टीका से पता चलता है कि गौतम सामवेद की रागायनीय शाखा के ही उपविभागी में से एक उपविभाग के आचार्य शास्त्राकार थे। सामवेद के ऋग्वेदायनधीउसूत्र (१ ३ ३ तथा १ ४ १७) तथा ब्राह्मण्ययन मीठसूत्र (१ ४ १७ ९ ३ १५) में गौतम नामक आचार्य का वर्णन अधिकतर आया है। सामवेद के मीथिसंगुहसूत्र (३ १ ६) में गौतम को प्रमाण-स्वरूप माना है। उन प्रतीत होता है अथि वृद्ध एव धर्म के सिद्धांतों से समन्वित एक सम्पूर्ण गौतमसूत्र था। गौतमधर्मसूत्र का सामवेद से गहरा सम्बन्ध या इसमें कोई संदेह नहीं। गौतम एक प्राचिनत नाम है। ऋषीपनिषद् में मथिऊठा (२ ४ १५ २ ५ ६) एव उनके पिता (१ १ १०) दोनों गौतम नाम से पुकारे गये हैं। ऋग्वेदोपनिषद् में हाज्जिमत गौतम नामक एक आचार्य का नाम आया है (४ ४ ३)।

टीकाकार हरबल के अनुसार गौतमधर्मसूत्र में कुल २८ अध्याय हैं। कसकता वाले सम्करण में धर्मविधान नामक एक और अध्याय है, जो १९वें अध्याय के उपरान्त आया है। गौतमधर्मसूत्र की विषय-सूची बहुत ही संक्षेप में इस प्रकार है—(१) धर्म के उपादान मूल वस्तुओं की व्याख्या के नियम चारों बर्णों के उपनयन का नाक प्रत्येक बर्ण के लिए उचित मेखला (करवती) मृयधर्म परिचालन एव बण्ड लीक एव आचमन के नियम मृय के पास पहुँचने की विधि (२) मज्जोपवीत-विहीन व्यक्तियों के बारे में नियम ब्रह्मचारी के नियम छात्रों का नियन्त्रण अध्यायन नाक (३) चारों आचम ब्रह्मचारी भिक्षु एव वैदानस के कर्तव्य (४) कुहस्य के नियम विवाह विवाह के समय मकरवा विवाह के बाढों प्रकार, उपजातियाँ (५) विवाहोपरान्त समीप के नियम प्रति दिन के पचयज्ञ जाने में पुरस्कार, मनुष्य के कथिपय जातियों के अतिविधो के सम्मान करने की विधि (६) माता-पिता मानेहारो (स्त्री एव पुरष) एव मुरबो को सम्मान देने के नियम मार्ग के नियम (७) ब्राह्मण की वृत्तियों के बारे में नियम विपति में उसकी वृत्तियाँ के वस्तुएँ जिन्हे न तो ब्राह्मण लेक सवठा न लय कर सवठा वा (८) ८ सवार तथा ८ आम्पा रिमक मुन (मवा हवा क्षमा भादि) (९) स्नातक तथा गृहस्थ के आचरण (१) चार जातियाँ न विरमक्षक कर्तव्य राजा के उत्तरदासित्व कर, स्वासित्व के उपागत बोध-सम्पत्ति शास्त्रान्तिय के धन की अधिमाचरता (११) राज धर्म राजा के पुरोहित के मृय (१२) अपमान सेग यात्री आचमन शीत बसात्कार नई जातियाँ न लोको की बोरी के लिए इण्ड ऋण देने मुरदोरी विपरीत मग्नापति बण्ड के विषय में ब्राह्मणों के विदोपाधिकार ऋण का मृगताल जमा (१३) साधियों के विषय में नियम मिष्याचार का प्रतिहार (१४) अग्नि-भरण के समय अवविजना (अघोष) के नियम (१५) पाँचों प्रकार के भाउ भाउ के समय न बुलाय जाने योग्य व्यक्ति (१६) उपारम धर्म में वेदाध्ययन का नाक उचक लिए छुट्टियाँ एव अक्षर (१७) ब्राह्मण तथा अन्य जातियाँ न भाजन के विषय में नियम (१८) मारियों के कर्तव्य नियम एव इसकी हयाएँ नियम छ उत्पन्न पुत्र के बारे में मधर्मा (१९) प्रायश्चित्त के कारण एव अक्षर, पापमोक्षन की पाँच बाण (जय तप हौम उपवास एव बाण) पवित्र करने के लिए वैदिक कर्म जय करनेबाम के लिए पून भोजन तप एव दान के विभिन्न प्रकार, जय के लिए उचित स्थान नाक भादि (२) प्रायश्चित्त न करनेबाल व्यक्ति का परिव्राम एव उसके लिए नियम (२१) पातियाँ की धयियों महापालन उपगतक भादि (२२) ब्रह्महत्या बलात्कार धयिय वैस्य वृत्र मय या किमी अन्य पनु की हत्या न उत्पन्न पापा के लिए प्रायश्चित्त (२३) मरिच तथा अन्य बुरी वस्तुओं के पाप व्यभिचार, अस्वभादिन अवरयाया तथा ब्रह्मचारी हाठ विदे गय बहून प्रकार के उन्मयना के लिए प्रायश्चित्त (२४) महापालक एव उपगतक के लिए मृय प्रायश्चित्त (२५) इच्छु एव अनिच्छु नामक धन (२७) चाग्नापा नामक धन सम्पति-विधायन स्त्रीपण पुन मथि द्वारा प्रकार के पुन धर्मापन।

गौतमधर्मसूत्र केवल गठ में है। इसमें उल्लेख रूप में ही कोई पद्य नहीं मिलता। अन्य धर्मसूत्रों में लम्बी

बात नहीं है। कहीं-कहीं अनुष्टुप् छन्द की इतनी अवश्य मिस्र जानी है^१। बौधायन एक आपस्तम्ब के धर्मसूत्रा की माया की अपेक्षा गौतमधर्मसूत्र की माया पाणिनि के नियमा के बहुत समीप आ जाती है। सगता है सामान्तर में इसके टीकाकारों तथा विद्याचिन्तों में पाणिनि के नियमा के अनुसार इसमें यत्तत्त हेरकर कर दिया। किन्तु एसी ही बात बौधायन एक आपस्तम्ब के धर्मसूत्रा में क्यों नहीं पायी जाती यह कहना कठिन है। गौतमधर्मसूत्र आरम्भ में किसी विशिष्ट कल्प से सम्बन्धित नहीं था अतः इसकी भाषा में परिवर्तन होना सम्भव था। किन्तु यह बात आपस्तम्बधर्मसूत्र के साथ नहीं पायी जाती क्योंकि वह आपस्तम्बकल्प का एक भाग था। टीकाकार हरदत्त ने चिन्हित गौतम एक आपस्तम्ब बना की टीका की है और जो स्वयं एक बड़े व्याकरण के स्थान-स्थान पर धर्मसूत्र के व्याकरण-सम्बन्धी वाच्यों की ओर संकेत किया है और पाणिनि के अनुसार चलन पर बल दिया है।

गौतमधर्मसूत्र में एक कल्प साहित्य की ओर विलुप्त संकेत है। इसने वैदिक साहित्या का एक बाह्यको के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की चर्चा की है—उपनिषद् (१९ १३) ब्रह्मण्य (८ ५ तथा ११ १९) इतिहास (८ ९) पुराण (८ ९ तथा ११ १९) उपवेद (११ १९) धर्मशास्त्र (११ १९)। इसने सामन्तान-ब्राह्मण से उद्धरण किया है। वैदिकीय आरम्भक से भी छ मूल लं किये हैं। गौतम ने वात्सीयिकी (११ ३) की ओर भी संकेत किया है। इसने ब्रह्महत्या मरिच-मान (सुर-मान) गुरुधम्या-भयोन (गुरु-तल्प-गमन) नामक पाण्डों के विषय में चर्चा करते हुए वेदक मनु धर्मार्थम् का नाम किया है। गौतम ने इतस्तत् अन्य आचार्यों के चर्चा का भी हवाला दिया है (यथा ३ ५ ४ १८)। 'एक्याम्' (२८-१७ तथा ३८) एक 'एक' (२ १५ ४ तथा ५९ ३ १ ४ १७ ७ २३ आदि) कहकर पूर्व आचार्यों की ओर भी संकेत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व धर्मशास्त्र के क्षेत्र में बहुत-से ग्रन्थ थे और उनही पर्याप्त चर्चा की। गौतम (११ २८) निबन्ध (११ ३) की स्मृति भी करके बैठे हैं।

गौतम ने विषय में सबसे प्राचीन संकेत बौधायनधर्मसूत्र में मिलता है। उत्तर या दक्षिण में किसी नियम की मान्यता के विषय में चर्चा करते हुए बौधायन ने गौतम का हवाला दिया है और कहा है कि नियम सबके लिए, चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का हो अद्यतन है (गी ५ सू ११ २)। एक स्थान पर यह कहते हुए कि 'यदि ब्राह्मण अध्यापन यज्ञमानी या दान से अपनी जीविका न चला सके तो वह क्षत्रिय की भाँति जीविकोपार्जन कर सकता है' बौधायन ने गौतम की किनोबी बात की ओर संकेत किया है। किन्तु आज का विद्यमान गौतमधर्मसूत्र बौधायन वाली ही बात मानता है। जो सकता है कि आज की प्रति में यह बात शेषक रूप में प्रविष्ट हो गयी हो।

१ आचोशास्तुतहिंसासु त्रिराथं परम तपः (२३ २७)।

११ गौतमधर्मसूत्र में कई एक अपाचिनीय रूप पाये जाते हैं, यथा "हाविग्रह" के स्थान पर "हाविच्छते" आया है (१ १४)।

१२ 'बन्धो धमनाद्विद्यारुत्तेनादानात्मवमेत्'। निश्चय में जाया है 'बन्धो बन्धते धमनाद्विद्यौप-नन्धव'।

१३ अध्यापनयाज्जप्रतिष्ठीरसक्तः क्षत्रधर्मं कीर्तेत्यनन्तरत्वात्'। नेति गौतमोऽप्युपो हि क्षत्रधर्मो ब्राह्मणस्य। गी ५ सू २९ १९, ७।

१४ याज्जनाध्यापनप्रतिष्ठा सर्वेषाम्। पूर्व. पूर्वां गुरुः तद्वज्जाने क्षत्रधर्मः। तद्वज्जाने वैद्व्यधर्मः। गी ५ सू ७ ४-७।

शौचामय ने कुछ परिवर्तन करने गौतमधर्मसूत्र के उन्नीसवें अध्याय को जिसमें प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा है सम्पूर्ण रूप में अपना लिया है। शौचामय एक गौतम के बहुत-से सूत्र एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं यथा शैतम ३ २५ ३४ एव शौचामय २ ६ १७ गौ ३ ३ एव ३५ तथा शौ २ ६ २९ आदि।

बसिष्ठधर्मसूत्र ने भी गौतम को दो स्थानों (४ ३४ एव ३६) पर उद्धृत किया है। बसिष्ठ ने गौतम के उन्नीसवें अध्याय को अपना दार्डिसर्वा अध्याय बना लिया है। इतना ही नहीं दोनों के बहुत-से सूत्र एक ही हैं यथा गौतम ३ ३१ ३३ एव बसिष्ठ ९ १-३ यौ ३ २६ एव बसिष्ठ ९ १ आदि। मनुस्मृति (३ १६) ने गौतम को उत्तम्य का पुत्र कहा है। याज्ञवल्क्य ने भी उन्हें धर्मशास्त्रकारों में गिना है (१ ५)। अपराध ने भविष्यपुराण से एक पद्य उद्धृत किया है जो गौतम के सुरापान-निषेध वाले सूत्र-सा ही है। 'मनुस्मृति क टीकाकार कुम्भक (११ १४६ पर) ने गौतम के २३ २ को उसी पुराण में देखा है। टल्कबार्तिक के लेखक कुमारिल भ गौतम के समाग एक दर्शन सूत्र उद्धृत किये हैं। शकटाचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (३ १ ८ एव ३ ३ ३८) में शैतम के ११ २९ तथा १२ ४ वाले सूत्रों को उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विद्यवरूप ने गौतम के बहुत-से सूत्रों की ओर संकेत किया है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि ने गौतम की अधिकांश में उद्धृत किया है (यथा मनु के २ ६ ८ १२५ आदि श्लोका के भाष्य के चिह्नचिह्ने में)।

उपरोक्त विवेचन से हम गौतमधर्मसूत्र के प्रथमनराल के निर्णय पर कुछ प्रकाश पा सकते हैं। गौतम धामविभाग-ब्राह्मण के बहुत बाद आते हैं। वे यास्क के बाद के हैं और उनके समय में पालिनि का व्याकरण था तो या ही नहीं और यदि था तो वह ठक ठक अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर सका था। उनका उपस्थित ग्रन्थ शौचामय एक बसिष्ठ को आते था और सन् ७ ईसापूर्व वह इसी रूप में था। शैतमधर्मसूत्र में (ब्राह्मणवाद पर) कुछ खबना उनके अनुयायियों द्वारा किये गये क्षामिन आशंका की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमधर्मसूत्र ईसा पूर्व ४ ०-६ के मूलके ही प्रणीत हो चुका था।

हरदत्त न मितालप नाम से गौतमधर्मसूत्र पर एक विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। इस विषय में ८९वें प्रकरण में पुन कुछ कहा जायगा। उन्होंने इस धर्मसूत्र के अन्य भाष्यकारों की चर्चा की है। मानसपुत्र मत्सरो ने भी इस पर भाष्य लिखा है। किन्तु शास्त्र-जम में ये हरदत्त के उपरान्त आते हैं। अमहाय नामक एक अन्य टीकाकार है (वेदिए प्रकरण ५९)।

मितालरा स्मृतिपरिव्रा हेमाद्रि मानव आदि ने किसी एकोन-गौतम को भी उद्धृत किया है।^१ अपराध हेमाद्रि तथा मानव ने बृह-गौतम तथा बलकमीमासा (पृ ७२) ने बृह-गौतम तथा बृह-गौतम दोनों को एक ही धर्म में उद्धृत किया है। तिस्रोवेहू से 'गौतम' बहुत बाद में बन्य है। जीवानन्द ने बृह-गौतम की स्मृति को २२ अध्याय एव १७ पद्यों में प्रकाशित किया है (भाग १ पृ ४९७-६३६) जहाँ यह लिखित है कि मुक्तिरि ने हृष्य से चारों पाठियों के नामों के बारे में पूछा। वास्तव में ये धर्मशास्त्र बाद के हैं केवल 'गौतम' नाम का जाने से किसी प्रकार की शंका करना व्यर्थ एव निराधार है क्योंकि गौतमधर्मसूत्र एव इन गौतम नाम वाले धर्मों में बहुत-से भेद हैं।

१५. प्रतिवेक सुरापाने मद्यस्य च नराधिपः द्विजोत्तमागामेवोक्तः सततं गौतमादिभिः ॥ भविष्यपुराण अपराध (पृष्ठ १ ७६) द्वारा उद्धृत।

१६. वेदिए, पराशर-भाष्यटीक, सिद्ध १ भाग १, पृ ७।

१. बौधायनधर्मसूत्र^१

बौधायन कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य थे। बौधायनधर्मसूत्र प्रथम पूर्ण रूप से अभी नहीं प्राप्त हो सका है। आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी की भाँति यह पूर्वश्लेष सुरक्षित नहीं रह सका है। डा. बर्मस ने बौधायन के सूत्रों को छ प्रकरणों अर्थात्सूत्रों को १९ प्रश्नों में वर्णान्तसूत्र को २ अध्यायों में द्विसूत्र को चार प्रश्नों में गृहसूत्र को चार प्रश्नों में धर्मसूत्र को चार प्रश्नों में एव गृहसूत्र को तीन अध्यायों में रखा है। इसी प्रकार डा. आर. सामशास्त्री डा. कैठेन्द्र आदि ने अपने अपने ढंग से इस धर्म-सूत्र को पठित किया है। बौधायनगृहसूत्र में स्वयं बौधायन के मत को उद्घुष्ट किया है। बौधायनधर्मसूत्र में बौधायनगृहसूत्र की चर्चा की है। बी. गुह्य (३९९) में इसे पदकार आश्रय कृत्तिकार कौशिकन्य प्रबन्धकार कण्व बौधायन तथा सूत्रकार आपस्तम्ब के नाम लिखते हैं^२ बौधायनधर्मसूत्र में (२५२७ अधितर्पण) कण्व बौधायन आपस्तम्ब सूत्रकार तथा सत्यापाठ हिरण्यकेशी क्रमशः आते हैं। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जब बौधायनधर्मसूत्र लिखा गया तब कण्व बौधायन एक प्राचीन ऋषि माने जा चुके थे और वे किसी भी प्रकार से गृहसूत्र एव धर्मसूत्र के लेखक नहीं माने जा सकते। हो सकता है कि बौधायन कण्व बौधायन के बन्धु थे। बौधायनस्वामी ने भी बौधायन को काव्यायन कहा है। धर्मसूत्र में कई बार बौधायन स्वयं एक प्रमाण माने गये हैं। स्पष्ट है धर्मसूत्रकार बौधायन ने अपने पूर्वज को जिनका नाम कण्व बौधायन या कई बार उद्घुष्ट किया है। बौधायनधर्मसूत्र की विषयसूची निम्न है।

प्रश्न १—(१) धर्म के उपादान छिष्ट कौन है? परिषद् उत्तर एव दक्षिण भारत के विभिन्न आचार ऋषिहर, सिध्दो एव मिथित जातियों के स्थान मिथित जातियों में जाने के कारण प्रायश्चित्त (२) ४८ २४ या १२ वर्षों का काष्ठत्व उपनयन एव मंगला का काष्ठ प्रदंश जाति के लिए धर्म दण्ड ब्रह्मचारी के कर्तव्य ब्रह्मधर्म की प्रशंसा (३) अध्यायन एव उज्जिताचरण की परिसमाप्ति के उपरान्त अविवाहित स्नातक के कर्तव्य (४) स्नातक के विषय में बड़े को आ जाने के बारे में आशेष (५) सार्वीरिक एव मानसिक असीच कठिपय पदार्थों का निर्ममीकरण या पवित्रीकरण अण्य-मरण पर अपविणता (असीच) सपिण्ड एव सनुत्य का धर्म बसीयत के नियम अथ एव रजस्वला स्त्री को कूने पर तथा भुल के काटने पर पवित्रीकरण कौन-से मास या मोजन निषिद्ध है और कौन स नहीं (६) यज्ञ के लिए पवित्रीकरण परिवात भूमि वास ईधन बरतन तथा यज्ञ के अन्य पदार्थों का पवित्रीकरण (७) यज्ञ-महत्ता के विषय में निबन्ध यज्ञ-नाश पुरोहित यात्रिक तथा उसकी स्त्री की पञ्चाश-भाग अपराधी सोम एव अग्नि के विषय में नियम (८) चारों धर्म और उपजातियाँ (९) मिथित जातियाँ (१०) राजा के कर्तव्य पञ्च महापाठक एव उनके लिए दण्ड-विधान पत्नियों को मारने पर दण्ड सभिन्दा (११) अष्ट विवाह कृटियाँ। प्रश्न २—(१) ब्रह्महत्या एव अण्य पशुओं के लिए प्रायश्चित्त ब्रह्मधर्म दोषों

१७ इस धर्मसूत्र का सम्पादन कई बार हुआ है—डा. कुम्भ ने लिप्यक्षिप में सन् १८८४ में इसे प्रकाशित किया। बालाभाजन स्मृति-सङ्घ मैसूर संस्करण सन् १९७ में इसे जिन पर बोधिन्य स्वामी ने टीका लिखी। इसका अंग्रेजी अनुबाद (जूमिका के साक्ष) टीकेड बुक आफ दि ईस्ट, सिन्ध १४ में है।

१८ अथ दक्षिणतः प्राचीनत्वान्तीतिने वैश्वान्वयनाय ऋत्विज्जैः सितिरये उवाचयोऽप्यावाये आशेवथ पदकाराय कौशिकन्याय कृत्तिकाराय कण्वाय बोधायनाय प्रबन्धकाराय वस्तन्वाथ सूत्रकाराय सत्यापाठाय हिरण्य-नेत्राय बाजसनेयाय यातकन्याय ब्रह्माव्यान्विष्यायाचार्येभ्य ऋषीरतोभ्यो बानप्रस्थेभ्यो ब्रह्मन्वेभ्य एकपत्नीभ्य वन्ययानीति।

पर ब्रह्मचारी के लिए समोत्र कन्या से विवाह करने ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर प्रायश्चित्त छोटे-छोटे पाप पराक कुञ्जु, अतिङ्गुञ्जु नामक व्रतों का वर्णन (२) बहीमथ का विभाजन ज्येष्ठ पुत्र का भाग औरस पुत्र के स्थान पर अन्य प्रतिभ्यक्ति बहीमथ से नियेय गारी की अश्रितता पुत्रो एव स्थिचो द्वारा व्यभिचार किये जाने पर प्रायश्चित्त नियोग-नियम विपति मे जीविका के उपाय अग्निहोत्र आदि गृहस्व-कर्तव्य (३) स्नान आचमन वैश्वदेव भोजन-दान जैसे गृहस्व-कर्तव्य (४) सन्ध्या (५) स्नान आचमन सूर्य-पूजा बेनो ऋषियो पितरों को तर्पण करने के नियम (६) प्रति दिन के पच महायज्ञ चारों जातियों एव उनके कर्तव्य (७) भोजन नियम (८) श्राद्ध (९) पुत्रो एव पुत्रो से उत्पन्न आध्यात्मिक काम की प्रवृत्ति (१) सन्ध्या के नियम। प्रश्न ३—(१) छाकीन एव यायावर नामक गृहस्वो की जीविका के उपाय (२) 'पद्मिबर्तनी' नामक वृत्ति के उपाय (३) अरव्यवासी घाघु के कर्तव्य एव वृत्ति (४) ब्रह्मचारी एव गृहस्व के नियमों के विरोध में जाने पर (पासन न करने पर) प्रायश्चित्त (५) परम पवित्र अन्नमर्जन पहले की पद्धति (६) प्रवृत्तयात्रक का क्रिया-संस्कार (७) कृन्ध्याक नामक घोषक होम (८) चन्द्रायन व्रत (९) विना ज्ञाने बेबोष्चार (१) पाप काटने के लिए पवित्रीकरण एव अन्य परार्थों के निर्मलीकरण के लिए सिद्धांत। प्रश्न ४—(१) बर्जित मोहन का लेने या बर्जित पेय पी लेने आदि पर प्रायश्चित्त (२) कतिपय पापों के मोहन के लिए प्राणायाम एव अन्नमर्जन (३) गुप्त प्रायश्चित्त (४) प्रायश्चित्तस्वल्प कतिपय वैदिक मन्त्र (५) जप होम इष्टि एव यज्ञ द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के साधन कुञ्जु, अतिङ्गुञ्जु सान्त्वन पराक आन्नायन नामक व्रत (६) पवित्र मूल मन्त्रो इष्टियों का जप (७) यज्ञ की प्रवृत्ति होम में प्रयुक्त कतिपय वैदिक मन्त्र (८) काश्चकस सिद्धि के साधनों में किष्ट केशो की भर्तना कुछ निश्चित ब्राह्मणों में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन परार्थों की प्राप्ति की अनुज्ञा।

बीबायनधर्मसूत्र अपनी साम्प्रदायिक के साथ आज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः बीबा प्रश्न शेषक है। इसके आठ अध्यायों के अधिक अंश कविता में हैं। टीसी में भी मिश्रता है। इस धर्मसूत्र में बहुत-सी बातें बार-बार आयी हैं। तीखे प्रश्न का हलना अध्याय पौनमधर्मसूत्र से लिया गया है। इस प्रश्न का उठा अध्याय त्रिपुनधर्मसूत्र के अष्टाधीश्वर अध्याय से माया-सम्बन्धी बातों में बहुत मिलता है। बीबायनधर्मसूत्र रचना में कुछ गिबिल एव आचम्यकता से अधिक विस्तृत है। स्वयं गोविन्दस्वामी ने इस ओर संकेत किया है। रचना-व्यवस्था में यह रचना प्रवर्धित नहीं की गयी है। इसकी माया प्राचीन है।”

बीबायन की निम्न प्रश्न आठ वे—चारो बेव, यानो तैत्तिरीय संहिता तैत्तिरीय ब्राह्मण तैत्तिरीय आरम्यक उपनिषद् सभी बेवो की संहिताएँ, शतपथ ब्राह्मण आदि। उन्हें मास्त्री की भाषा से परिचय था जिसमें आर्या वर्त की मौखिक सीमाएँ भी गयी थी। इतिहास और पुराण का भी वर्णन आया है। उ- वेदानो की भी बर्षा पायी जाती है। बीबायन में निम्नलिखित धर्मशास्त्रकारों के नाम लिखे हैं—जीवबध्नि काश्य काश्य पौनम प्रभाषि मनु, मौनुग्य हाण्ड। बीबायनधर्मसूत्र में बहुत से धर्म-सम्बन्धी उद्धरण पाये जाते हैं इससे सिद्ध है कि उसके पूर्व बहुत से ग्रन्थ थे।

बीबायन कहाँ के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देना कठिन है। वर्तमान नाथ में बीबायनीय लोग अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाये जाते हैं। वेबा के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन बीबायनीय थे। किन्तु बीबायन में

१९ मनु विजासिनु स्वधर्मस्तेषु इति सूत्रमित्ये किमिति सूत्रद्वयारम्भः । सत्यम् जय ह्याचार्यो मत्तीय
धर्मशास्त्रादिप्रयो भवति ।

पक्षिणापव बाधो को मिथित चाडियो मे गिना है अतः वे बलिनी नहीं हो सकते क्योंकि वे अपने को नीच चाडि मे क्यो रखते ?

उपसम्भ बौधायनधर्मसूत्र गौतमधर्मसूत्र के बाद की कृति है क्योंकि इसने दो बार गौतम का नाम लिया है और कम-से-कम एक स्थान पर उनके धर्मसूत्र से उद्धरण किया है। गौतम ने केवल एक धर्मशास्त्राचार्य मनु का नाम लिया है किन्तु बौधायन ने बहुतों का। बौधायन का समय उपनिषदों के बहुत बाद का है। उपनिषदों से उद्धरण किये गये हैं हारीत भी उद्धृत हुए हैं। बृहस्पति ने कहा है कि आपस्तम्बधर्मसूत्र से बौधायनधर्मसूत्र एक या दो शताब्दी पुराना है। उनका तर्क यह है कि कल्प बौधायन तर्पण मे आपस्तम्ब एक हिरण्यकेशी से पहले ही सम्मान पाते हैं और यही बात बौधायनगृह्यसूत्र मे भी है। किन्तु यह तर्क ठीक जैभटा नहीं। यह बात ठीक है कि तीनों इन्द्र-यज्ञवेदी साक्षात्ता मे बौधायन सबसे प्राचीन हैं किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि वर्तमान बौधायनियों का धर्मसूत्र आपस्तम्बियों से प्राचीन है। कुमारिल ने बौधायन को आपस्तम्ब से बाद का माना है। तीनों शास्त्राचार्यों के संस्थापक बौधायन गृह्यसूत्र एक धर्मसूत्र मे उल्लिखित है। हो सकता है कि दोनों को आपस्तम्ब ने किसी ग्रन्थ का परिचय रखा हो और वह ग्रन्थ रखा हो आपस्तम्बधर्मसूत्र ही। बौधायन एक ज्ञाप्यसम्भ मे बहुत-से मूल समान हैं किन्तु तुलना करने पर पता चलता है कि आपस्तम्ब बौधायन से अपेक्षाकृत अधिक बृह या अगतिरूपणीय एक बट्टर है (अतः बौधायन बहुत बाद का है)। गौतम बौधायन तथा बधियठ ने कतिपय चीजें पुरो की जर्ची की हैं किन्तु आपस्तम्ब इस विषय मे मीग है। गौतम बौधायन (२२ १७ ६२) बधियठ और यहाँ तक कि विष्णु ने नियोग मे प्रथमन को मागा है किन्तु आपस्तम्ब मे इसकी उल्लेखना की है (२ ६ १३ १९)। गौतम एक बौधायन (१ ११ १) ने जाठ प्रकार के विवाह की जर्ची की है किन्तु आपस्तम्ब मे प्राजापत्य एक वीसाच (२ ५ ११ १७-२ एक २ ५ १२ १२) का छोड़ दिया है। इसी प्रकार बहुत-सी बातों मे आपस्तम्ब के नियम कटोर एक बट्टर हैं। किन्तु इन बातों के आधार पर काल-निर्णय करना संभव नहीं है क्योंकि प्राचीन काल के धर्मशास्त्रकारों मे बहुत मतभेद था। बट्टरता केवल बाद मे ही नहीं पायी गयी है पहले भी ऐसी बात थी। इसी प्रकार बाद वाले धर्मशास्त्रकारों ने बट्टरता नहीं भी प्रदर्शित की है यथा याज्ञवल्क्य ने नियोग-प्रथा को स्वीकार किया है (२ १३ १)। अतः बृहस्पति ने बचन को कि आपस्तम्ब बौधायन से बाद का है मानना मुक्तिसमय नहीं जैभटा। बौधायन गौतम से बाद का ग्रन्थ है इसमे संशय नहीं किन्तु आपस्तम्ब से प्राचीन है उंसा नहीं कहा जा सकता। आपस्तम्ब मे बौधायन की अपेक्षा भागा-सम्बन्धी बहुत अन्तर है पालिन के नियमों के विपरीत भी व्याकरण-सम्बन्ध है रचना-गल्प अथवा लावड है पुराने अर्थ मे शब्द प्रयोग हैं। अतः, सबर के बहुत पहले से बौधायनधर्मसूत्र प्रगायन-रूप माना जाता था। सबर की तिथि ५ ई है। बौधायन का काल ई पू २ ०-५ के बड़ी नीच मे माना जाना चाहिए। बौधायन तथा आपस्तम्ब मे बहुत-से मूल समान हैं दोनों मे वैदिक उद्धरण भी बहुत समान हैं किन्तु इससे दोनों मे किसी प्रकार का सम्बन्ध का एसा नहीं कहा जा सकता। 'नी' प्रकार बधियठधर्मसूत्र की बहुत-सी बातें बौधायन मे ज्यो-नी-र्या पायी जाती हैं। मनुस्मृति मे इन धर्मसूत्र की बातें पायी जाती हैं। इससे यह बात नहीं जा सकती है कि बौधायन बधियठ एक मनु मे किसी एक ही ग्रन्थ मे ये बातें सी हों या कालान्तर मे इन ग्रन्थों मे केवल धेनव रूप मे आ गयी ह। किन्तु शक्य संशय हुआ करता है और यहाँ जा बात या उद्धरण सम्बन्धित है के बहुत कल्पे लभ्ये हैं।

तर्पण का प्रारम्भ (५ २१) मे बौधायन मे कल्प की वर्ण उपाधियों की जर्ची की है यथा किन्तु विनायक स्कूल ब्रह्म इतिहास्य बहनुषुत् एतदल्प कम्बादर। किन्तु 'नगो' इगर्ची तिथि पर कोर् प्रस्ताव नहीं करता। तर्पण (० ५ ३) मे मनु एक त्रेतु के गाय ज्यो माना प्रथा के नाम आये है। किन्तु न बाहर। नाम भी

माये हैं (२ ५ २४)। बीषामन ने अग्निमेता तथा नाट्याचार्य के पेरो को उपपातक कहा है। बीषामनधर्मसूत्र के माप्यकार हैं मोक्षिन्यस्वामी जिनकी टीका विद्वता एव तथ्य से पूर्ण है।

७ आपस्तम्ब का धर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र के संस्करण कई बार निकले हैं मया हरदत्त की उम्बला नामक टीका के बहुलाय के साथ बृहन्नर ने इसे बम्बई संस्कृतमासा के अन्तर्गत सम्पादित किया है। हरदत्त की सम्पूर्ण टीका के साथ कृष्णकोलम् से यह छपा है जिसका भूमिकापट्टित अनुबाद बृहन्नर ने किया है।^१ इण्डियन मजुबैंड की तैत्तिरीय शाखा के आपस्तम्ब धर्मसूत्र में ३ प्रश्न हैं। आपस्तम्बीय यौग युद्ध एव धर्मसूत्र एव ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए वे यह कहना कठिन है। गृह्यसूत्र एव धर्मसूत्र सम्भवत एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए हैं। ऐसा रचना-सम्बन्धी समानता देखकर कहा जा सकता है। यह बात स्मृतिचण्डिका में भी आयी है (३ पृ ४५८)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र की विषय-सूची इस प्रकार है—(प्रश्न १) वेद एव धर्मग्रो व आचार-व्यवहार धर्म के उपादान हैं चारो वर्णों और उज्जवा प्राजपत्य आचार्य की परिनाया और उसकी महता बर्णों एव इच्छा के अनुसार उपनयन का समय उपनयन के उचित समय के अतिशयन से प्रायश्चित्त जिससे पिता पितामह एव प्रपितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता वह पठित हो जाता है किन्तु प्रायश्चित्त से वह पवित्र हो सकता है ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य उसका गुरु के साथ ४८ ३६ २५ या १२ वर्षों तक निवाम ब्रह्मचारी के आचरण के लिए नियम उसका वस्त्र मेलेसा एव परिधान भोजन के लिए भिक्षा-नियम ईक्षण साक्षात् कर्म को समर्पित करना ब्रह्मचारी के नियम उसके तप हैं बर्णों के अनुसार गुरु तथा अन्य सांगो को प्रणाम करने की विधियाँ विद्याध्यय गोपयान गुरु-वक्षिणा स्नातक के लिए नियम वेदाध्ययन के समय स्थान एव छुट्टियों व बारे में नियम छुट्टियों के नियम वेदाध्ययन में प्रयुक्त होते हैं न कि वैदिक क्रिया-संस्कारा व मात्रा व प्रयोग में भूता मनुष्यों देवताओं, पितरा अधियो उच्च जाति के लोगों के सम्मान के लिए बृष्ट पुरुषा माता-पिता भाइयो बहिनो तथा अन्य सांगो के लिए प्रति दिन के पाँच यज्ञ बर्णों के अनुसार एक-दूसरे के स्वाभ्यस्य व बारे में पूछने की विधियाँ यज्ञपर्याप्त पहुँचने के अवसर आचमन का काल एव ङग उचित एव निषिद्ध मोक्ष्य एव वेप पत्राणों के बारे में नियम विपत्ति-काल में ब्राह्मण की वैश्य-भूति कतिपय धनुषो के ऋय-विधय व नियम के बारे में नियम चारी ब्राह्मण या किसी की हत्या भ्रूष-हत्या व्यभिचार (मानस्यन स्वसुगमन आदि) मुगयान आदि सम्भार पाप (पतनीय) अन्य पाप उतने सम्भार नहीं हैं यद्यपि उनमें बर्णों अपवित्र हो ही जाना है आत्मा ब्रह्म नैतिक प्रश्न-सम्बन्धी अपराध (जिससे श्रेय साम वपट एव दोष उत्पन्न होने हैं) आदि आध्यात्मिक प्रश्नों का विवेचन के गुण जिनके द्वारा परम ध्येय की प्राप्ति होती है यथा श्राप-भोमादि म छत्राया मन्त्रादि, यान्ति की प्राप्ति क्षत्रिय वैश्य गृह एव नारी की हत्या का प्रतिहार ब्रह्महत्या आश्रयी नारी-हत्या मुद्र या धार्मिक की हत्या के लिए प्रायश्चित्त गुरु-शय्या को अपवित्र करने मुखपात होने की शोरी व लिए प्रायश्चित्त वनियम पत्निया याया वैशो को मारने पर, जिह मारी लही बेनी आश्रित उच्छर्मा वने पर गृह नारी व मात सम्भार करने पर, निषिद्ध भोजन एक वेप मेहन करने पर प्रायश्चित्त कायह घना तक इच्छु व लिए नियम चारी क्या है पतिन मुद्र एव जाना के साथ क्या व्यवहार जाना चाहिए गुरु-शय्या अपवित्र करने पर प्रायश्चित्त व निग वनियम धन पर

गारी से सम्बन्ध रखने पर पति तथा पर-पुरुष से सम्बन्ध रखने पर पत्नी के लिए प्रायश्चित्त भ्रूज (सूत्र प्रवचन-पाठी ब्राह्मण) को मारने पर प्रायश्चित्त अपने अन्धकार को छोड़कर ब्राह्मण अस्त्र-संस्त नहीं ग्रहण कर सकता अग्निघस्त (अपराधी) के लिए प्रायश्चित्त छोटे-छोटे पापों के लिए प्रायश्चित्त स्नातक (विद्यान्नातक ब्रह्मस्नातक तथा विद्याब्रह्मस्नातक) के बारे में कतिपय मत परिधान-ग्रहण मरुभूमि-त्याग साधनपूर्ण दातवीथ सुर्वोद्योगास्त न देखने नोपाधि नैतिक दोषों से दूर रहने के सम्बन्ध में व्रत (प्रश्न २—) पाणिग्रह के उपरान्त गृहस्थ के व्रत आरम्भ होते हैं भाजन-ग्रहण उपवास समय के विषय में गृहस्थाचरण के नियम सभी वर्गों वाले अपने कर्मों एवं कर्तव्य-धरम से अनुसार अपरिमित ज्ञानत्व या दुःख पाते हैं यथा एक ब्राह्मण थोड़ी एक ब्रह्महत्या के कारण पाषाण हो जाता है उसी प्रकार एक अपराधी क्षत्रिय (राज्य) पैस्सुस हा जाता है स्नानोपरांत तीनों उष्ण जलियों को वैश्वदेव करना चाहिए मायों की बेकरारी में सूत्र कोय तीन ऊँची जातियों का भोजन पका सकते हैं पश्चात् की क्षत्रिय पहले अतिथि को एक बच्ची बुढ़ो बीमारा गर्मिनी स्त्रियों को भोजन देना चाहिए, उसके उपरान्त गृहस्थ स्वयं सामे वैश्वदेव के अन्त में आनेवाले को भोजन अवश्य देना चाहिए अपठ ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्या एवं पुरा का अतिथि रूप में ग्रहण करने के नियम एक गृहस्थ को उत्तरीय ग्रहण करना चाहिए या उसका यज्ञोपवीत ही पर्याप्त है ब्राह्मण-आचार्य के अभाव में एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य आचार्य से अभ्यगत कर सकता है विवाहित पुरुष का पुत्र के अतिथि रूप में जाने पर कर्तव्य गृहस्थ का पढ़ाने एवं अपने भाषारों के सम्बन्ध में कर्तव्य अतिथि की जाति एवं धर्म के विषय में सर्वेह उत्तर होने पर क्या करना चाहिए अतिथि क्या है अतिथि सत्कार की प्रथमा अग्नि-प्रतिष्ठा करने पर तथा अतिथि के राजा के पास पहुँचने पर विधि क्रियको और कम मनुष्य देना चाहिए वेदांगों के नाम वैश्वदेव के उपरान्त भुक्तो एव पाषाणों तक सबको भोजन देना चाहिए सभी दात अन्न के साध देने चाहिए नीलर चाकरो दाता के बस पर ही बानादि नहीं करना चाहिए अपने को अपनी पत्नी या बच्ची को कष्ट हो जाय किन्तु नीलरा को नहीं ब्रह्मचारी गृहस्थ धामु आदि को क्लिप्ता भोजन करता चाहिए आचार्य विवाह यज्ञ माता-पिता के अरह-नोपप के लिए, अग्निहोत्र ऐसे अच्छे तप करे न हा आर्य हमने किए भीत मानने की व्यवस्था ब्राह्मणों एक अल्प जातियों के विशेष कर्म पुत्र के नियम राजा एवं पुत्रादि को नियुक्त करे जो कर्म शासन-व्याप्य दण्ड देने एवं व्रत करने में प्रवीण हा अपराधानुसार मृत्यु तथा अन्य दण्ड का विधान किन्तु ब्राह्मण में मारा जा सकता था न बालक किया जा सकता था और न दाम देनाया जा सकता था मार्ग-नियम धर्मरत जयया उठता हुआ उत्तम जाति की तथा अवर्धत जयया गिरता हुआ नीच जाति का प्राप्त होता है जय तक अच्छे हा और पत्नी धर्मराय में रह हो ब्रह्मचरि विवाह नहीं करना चाहिए विवाह-योग्य सखी के विषय में नियम क्या बहु सगोत्र एवं माता की सपिण्ड न हो स प्रसार के विवाह— ब्राह्म आर्य वैश्य गार्भर्न आसुर एव शयन छहों में विद्यको अपिच भात देना चाहिए विवाहोपरांत आचरण नियम अपना ही जाति की पत्नी में उत्पन्न पुत्र पिता की जाति के योग्य कर्तव्य कर सकते हैं और पिता की सम्पत्ति या मरत है बहु कदवा जो एव बार पढ़ने विवाहित हा पुत्रा हो अथवा जिनका विवाह विधि व अनुकूल न हुआ हा अथवा जो विवाहीय हा धर्मता के योग्य है क्या कदवा औरत है यधने का दात या जय नहीं हो सकता पिता के जीव की सम्पत्ति-विवाहक बराबर विवाहक तपुमर पादल एव पापिया का कमीयत में नियम पुत्राभाव में कमीयत विवट अतिथि का मिष्की है उमर बार आचार्य को और तपु मिय या पुत्री को और अन्न में राजा का प्राप्त होनी है उपर्य पुत्र का अतिथि भाग मिष्कत चाहिए एसा मन करे जो मान्य नहीं है पति-पत्नी में विवाहक नहीं कर विवट देना एव बना व व्यवहार प्रयास मान्य नहीं सम्पत्तिया सजातियों भाति भी मृत्यु पर अतीव उचित समय तथा स्थान में गुणाव को दात देना चाहिए धात धात का दात चारी आधम परिवाहक

अर्थात् सत्याधी के नियम अपत्यसेवी छात्र के कर्तव्य गुणिया की प्रथमा एवं वृत्तपारिवर्षों की भर्तना राजाओं के लिए विहित नियम राजा की राजधानी एवं राजप्रासाद की नीव समा की स्थिति ठसकरो (बादा) का विनाश ब्राह्मणा को भूमि एवं वन का वान जनता की रक्षा ऐसे व्यक्ति जिन्हें कर से छूटाच मिला है व्यक्तिचार के लिए मनुष्यवर्गों को बख्त मागी को अपमानित करने पर दण्ड इस विषय में आर्य एवं गुरु गायी शानो के अपमान में अन्तर अपशब्द एवं मर-वच के सिद्ध दण्ड कतिपय आचरण मंग के लिए दण्ड चरबाड़े एवं स्वामी के बीच समझा समझा करनेवाला प्रोत्साहक तथा बहु को इन कर्म का अनुमोदन करता है अपराधी है समझा कौन तय करता है सम्येह की स्थिति में निर्णय अनुमान द्वारा या विष्य छापी द्वारा हला है झूठी मबाही पर दण्ड अन्य धेप बर्गों का अभ्ययन (कुछ लोगो के मत से) दिव्या तथा सभी बातियों के सोमा से करना चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र के दो प्रस्तो म प्रत्येक प्यारह पन्नों में विभाजित है। योगा पटका में क्रमश ३२ और २९ अधिकाएँ हैं। आज कितने भी धर्मसूत्र विद्यमान हैं, उनमें आपस्तम्ब अपेक्षाकृत अधिक संक्षिप्त एवं सुसंरक्षित टीकी में है और इसकी भाषा अधिक प्राचीन (आर्य) एवं पाश्चिमी के निदमा से दूर है। यद्यपि यह धर्मसूत्र अधिकतर गद्य में है, किन्तु यत्नस्वत पद्य भी पाये जाते हैं। 'उदाहरण' या अभाष्यवाहक' शब्दा द्वारा आपस्तम्ब ने अल्प उदाहरणों से भी एकाक आदि ग्रहण कर लिये हैं। कुछ मित्राकर २ श्लोक हैं जिनमें क्रम से क्रम ७ शीघ्रायन में भी आये हैं।

आपस्तम्ब ने संहितामा के अतिरिक्त ब्राह्मणों में भी उद्धरण किये हैं (यथा १ १ १ १०-११ १ १ १ १ १ १ १ २६, १ २ ७ ७ १ २ ७ ११ १ ३ १ ८)। तीर्थीयारण्यक में भी उद्धरण किया गया है। छ वेदामा के नाम भी आये हैं—छन्द बन्ध व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा का शाप-भाय छन्दविधिनी की भी बर्ण हैं। सम्भवत शिक्षा का व्याकरण के साथ मिला दिया गया है। आपस्तम्ब में इन बर्णियों का नाम पित्तये है यथा एत बन्ध बन्ध कुम्भिष कुम्भ कौम्भ पुष्करमादि बार्हस्पति स्वेनेतनु एवं हारीत। कौम्भ बार्हस्पति तथा पुष्करमादि के नाम निरुक्त में भी आये हैं। पर्वार्याय स्वेनेतनु उपनिषद् (आन्दाव्योपनिषद्) नाम स्वेनेतनु नहीं है। शरीत की बर्ण शीघ्रायन एवं वा पट ने भी की है। यद्यपि आपस्तम्ब में शीघ्रायनसूत्र को उद्धृत नहीं किया है तथापि बहु अन्य उनकी भाँति के समग्र अन्वय वा। आपस्तम्ब ने भविष्यपुराण का मत भी बर्ण की है (मण्ड प्रथम के उपरान्त विषय-सूक्ति)। एक स्थान पर (२ ११ ० ११ १२) आपस्तम्ब में कहा है कि बहु ज्ञान का परम्परा में स्थिरा एवं गुरु म पाया जाता है बिदा की समग्र दूर की सीमा है यह अन्वयेद का पूरक है। सम्भवत आपस्तम्ब ने यहाँ पर अर्धमात्र की धोर मन्त्र किया है वा चरन्सूत्र' का अनुसार अन्वयेद का उद्धरण है। आपस्तम्ब में मनु की भाँति परम्परा का सम्पादन माना है। किन्तु यहाँ के मनु मनुस्मृति के प्रथम मनु न होकर मानवों में पूर्व कुत्रुरय मनु है। आपस्तम्ब में महाभाग का अनुगामनव का एक श्लोक (०-४९) उद्धृत किया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र का पूर्वमीमांसा में एक विद्वित सम्बन्ध है। मीमांसा के बहुत-से पारिभाषिक दण्ड एवं निदान इस धर्मसूत्र में पाये जाते हैं। दण्ड मट पना बचना है कि आपस्तम्ब को मातासामूत्र का पना वा या मीमांसामूत्र की निर्मा प्राचीन प्रति में इन सूत्र की उद्धृत करने म्या-नी-रवा थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र में पूर्वमीमांसा की उद्धृत वाक धन्य नहीं हो सकती क्योंकि उनही म्यास्या इत्यन्त में कर की है।

दण्ड प्राचीन दण्ड में आपस्तम्बधर्मसूत्र को प्रमाण बन में माना जाता रहा है। वैमिनिसूत्रा के भाष्य में दण्ड में आपस्तम्ब को उद्धृत किया है। मन्त्रशास्त्र में दण्ड कतिपय सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। धर्मसूत्र (४ २ १४) का भाष्य करने हुए धर्मशास्त्रियों में आपस्तम्ब (१ ७ २ ३) को उद्धृत किया है। धर्मशास्त्रियों

ने बुद्धवारम्भक के माध्य में भी ऐसा किया है। उन्होंने स्वयं आपस्तम्ब के दोनो पटकों की अध्यात्म-सम्बन्धी बातों की जासोचना की है। बिस्वम्भ में याज्ञवल्क्य की टीका में आपस्तम्ब को लगभग बीस बार उद्धृत किया है। मेधातिथि ने मनु की टीका में आपस्तम्ब की कई बार चर्चा की है। मिताक्षरा में कई एक उद्धरण हैं। अपरार्ण में लगभग २ सूत्र उद्धृत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरब के कास (कम-से-कम ५ ई सन्) से लेकर ११ ई० तक कतिपय ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब को प्रमाण माना है।

आपस्तम्ब के विवास-स्थान एक बीजल-इतिहास में विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है। आपस्तम्ब जर्म नाम नहीं है। यह वेद में नहीं मिलता। पानिनि (४ १ १ ४) के 'बिवाधि' मन्त्र में यह शब्द आता है। उन्होंने अपने को अरब अर्थात् बाद में आनेवाला कहा है। धर्म में उनका नाम अधिकतर बौधायन के उपरान्त एक सत्यावाह हिरण्यकेशी के पहले आता है। एक स्थान पर 'उरीष्मो' की एक विद्वान्मन श्याम-परम्परा की चर्चा है (२ ७ १७ १७)। क्या यह उनके विवासस्थान का सूचक है? हरदत्त के अनुसार आर्यभट्टी के उत्तरके रोष को 'उरीष्म' कहते हैं किन्तु महार्थक के अनुसार तर्मा ने दक्षिण-पूर्व आपस्तम्बीय लोग पाय जाते थे और यह दक्षिण-पूर्व स्थान आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी का मुह है। परन्तु ने आपस्तम्बियों को नूनिवात किया है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र का कास अनुमान में संहारे ही निश्चित किया जा सकता है। सम्भवतः यह धर्मसूत्र एव बौधायनधर्मसूत्र से बाद का है और ५ ई सन् के पूर्व यह प्रमाण रूप में ग्रहण कर लिया गया था। याज्ञवल्क्य एक शक्तिमन्त्रिण ने आपस्तम्ब को धर्मसाम्बन्धकार कहा है। टीपी और अपानिनीय प्रयोग होने के मते इस धर्मसूत्र का कास प्राचीन होगा चाहिए। इसमें बौद्धधर्म अथवा किसी भी विरोधी सम्प्रदाय की कोई चर्चा नहीं पानी जाती। स्वेतकेतु से आपस्तम्ब बहुत दूर नहीं निकलते। सम्भवतः जिन विनो वैमिनि ने अपनी शाखा ब्रह्मानी उन्नी विनो इनके धर्मसूत्र का प्रथमण हुआ। ठा मरि इनके कास को हम १ ०-१ ई पू। के मध्य में करी एसे ठो अलगठ न होमा।

आपस्तम्बधर्मसूत्र के व्याख्याकार है हरदत्त जिनकी व्याख्या का नाम है उज्ज्वला वृत्ति। इसका वर्णन हम ८१के प्रकरण में करेव। अपरार्ण हरदत्त स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में आपस्तम्ब के बहुत-से उद्धरण हैं।

८ हिरण्यकेशि धर्मसूत्र

हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र हिरण्यकेशि-जल्प का २६वाँ एव २७वाँ प्रश्न है। धर्मसूत्र का प्रकाशन पूना के बालन्दायम ने किया है। डा किन्ट (विनेता १८८९ ई) ने मद्रास के माध्य के आचार पर हिरण्यकेशि बुद्धसूत्र का सम्पादन किया है। हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र को एक स्वतन्त्र रचना कहना बँचता नहीं क्योंकि इसमें टीकड़ो सूत्र श्लो-ने-त्यो आपस्तम्ब-धर्मसूत्र से किने पाये हैं। अतः आपस्तम्बधर्मसूत्र का सबसे प्राचीन प्रमाण हिरण्यकेशिधर्मसूत्र है जिसने सबसे पहले उसके उद्धरण किये। हिरण्यकेशि का सम्बन्ध तैत्तिरीय शाखा के साय्विनेय नाम के चरक से है। इनकी शाखा आपस्तम्बीय शाखा क बाद की है। जोडू राजाओं के एक वातपत्र (४५४ ई) में हिरण्यकेशि-शाखा के ब्राह्मणों की चर्चा है। चरकसूत्र के माध्य में उद्धृत महार्थक ने अनुसार हिरण्यकेशि लोग सहा पर्यंत तथा परमुद्यम वेन (अर्थात् कोनच) ने निकट के समुद्रत से दक्षिण-पश्चिम विद्या में पाये जाते थे। बाद के रत्नागिरि जिले में बहुत-से ब्राह्मण अपने का हिरण्यकेशि कहते हैं।

महार्थक वैदिकों की व्याख्या जिसका नाम उज्ज्वला है हरदत्त की उज्ज्वला से एक प्रकार से मिलती है। किसी एक ने दुमरे से ज्या-ना-त्या से किया है इगने कोई सन्देह नहीं है। रमदा है, महादेव वैदिक से हरदत्त ने बहुत कुछ उधार से किया है क्योंकि महादेव न हरदत्त की अपेक्षा और भी बहुत कुछ है। हरदत्त से महादेव प्राचीन

उद्धरते हैं, क्योंकि ह्यरत ने अपनी ब्याख्या के प्रारम्भ में गणस की स्तुति के उपरान्त महादेव की स्तुति की है।
 हो सकता है कि महादेव या तो ह्यरत के आचार्य थे या उनके पिता थे या वे केवल महादेव (सकर) के रूप
 में ही माने गये हो। ह्यरत की उल्लेखना में स्मृतियों से उद्धरण कम आये हैं बल्कि गौतमधर्मसूत्र से अपेक्षा-
 हृत अधिक आये हैं।

९. बसिष्ठ-धर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है। जीवानन्द के सप्तह में केवल २ अध्याय तथा ३१वें अध्याय
 का कुछ अंश है। यही बात श्री एम. एन. इत (कम्पकता १, ८) के सप्तह में भी है। किन्तु आनन्दाश्रम स्मृति
 सप्तह (१९, ५६) तथा डा. फूहरर के सस्करण में ३ अध्याय हैं। डा. जोशी का कहना है कि कुछ हस्तलिखित
 प्रतियों में केवल ९ या १ अध्याय हैं। बिदुस्योदिनी नामक ब्याख्या के साथ बसिष्ठधर्मसूत्र का प्रकाशन कार्या से
 भी हुआ है।

कुमारिक के मतानुसार बसिष्ठधर्मसूत्र का अध्ययन बिद्येपत ऋग्वेद के विद्यार्थी किया करते थे किन्तु
 अन्य ऋषियों के लिए भी यह धर्मसूत्र प्रमाण था। इस धर्मसूत्र के पीछे एक गृह्यसूत्र नहीं प्राप्त होते। ऋग्वेद के
 केवल आश्वलायन श्रौत एव गृह्यसूत्र मिलते हैं। तो क्या बसिष्ठधर्मसूत्र उसके कल्प की पुति है? इस धर्मसूत्र में
 सभी वेदों से उद्धरण मिलते हैं और केवल 'बसिष्ठ' नाम की कोई भी विशिष्ट बात नहीं पायी जाती कि इसे हम
 ऋग्वेद से सम्बन्धित समझें।

इस धर्मसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है—(१) धर्म की परिभाषा आर्यावर्त की सीमाएँ, पापी कौन
 हैं नैतिक पाप एक ब्राह्मण किसी भी रीति उच्च जातियों की कन्या में विवाह कर सकता है छ प्रकार के विवाह
 राजा प्रजा के आचार को समर्थित करनेवाला है तथा जन-सम्पत्ति का पक्षपात कर के रूप में के सकता है (२)
 चारों धर्म आचार्य-महत्ता उपनयन के पूर्व धार्मिक नियम-सम्कारों के लिए कई प्रमाण नहीं है चारों जातियों के
 बिद्येपाधिकार एक वर्तव्य विपत्ति में ब्राह्मण भोग क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति कर सकते हैं ब्राह्मण कुछ विशिष्ट
 वस्तुओं का विषय नहीं कर सकते ब्याज केना निषिद्ध है ब्याज की दर (३) अपद्र ब्राह्मण की मर्त्या जन-
 सम्पत्ति की प्राप्ति पर नियम कौन-कौन आठतायी हैं आर्य-रक्षा में वे कब मारे जा सकते हैं पक्षिपात कोय कौन
 है, परिषद् का विधान आचमन शौच एव विभिन्न पदार्थों के पवित्रीकरण की विधियाँ (४) चारों वर्णों का
 निर्माण क्रम एव सस्कार-कर्म पर आचारित है सभी जातियों के साधारण वर्तव्य अतिथि-सस्कार, मधुपर्क
 क्रम-मरण पर अशौच (५) स्त्रियों की आभितता एवस्वका नारी के आचार-नियम (६) अत्युत्तम धर्म
 ही स्वयंभार है आचार्य प्रथमा मत्सूत्र-त्याग के नियम ब्राह्मण की नैतिक बिद्येपताएँ एव शूद्र की विलक्षण
 बिद्येपताएँ, गुण के घर में भोजन करने पर मर्त्या शौच्य एव अच्छे कुस के नियम (७) चारों जायम तथा
 विद्यार्थी-वर्तव्य (८) गृहस्व-वर्तव्य अतिथि-सस्कार (९) अरथ्य के साबुजा के वर्तव्य-नियम (१०)
 सत्यासियों के लिए नियम (११) विशिष्ट आहर पानेवाक छः प्रकार के व्यक्त—मन्न के पुरोहित कामार राजा
 मानुष एव पिप्लुक्त (चाचा) तथा स्नातक पहले किसको भोजन दिया जाय अतिथि आठ-नियम इनका नाक इनके
 लिए निमन्त्रित ब्राह्मण अन्विहोत्र उपनयन इनका उचित समय इण्ड मेनका आदि व नियम मित्रा मायने की
 बिधि उपनयनरहित स्त्री व स्त्रिय प्रायश्चित्त (१२) स्नातक व स्त्रिय आचार-नियम (१३) वैशाध्ययन
 प्रारम्भ करने के नियम वैशाध्ययन की श्रुतियाँ के नियम युध एव अग्यो व ऋषो पर विरल के नियम बिद्या जन,
 अवस्था नन्वन्व वेदों के अनुसार क्रमय आहर देने व नियम मार्ग के नियम (१४) अतिथि एव अतिथि भोजन

के नियम कुछ विधिष्ठ पक्षियों एवं पशुओं के मांस के बारे में नियम (१५) घोड़ लेने का नियम उनके लिए नियम जो बेबो की मर्त्या करते हैं या घूरो का मद्य कराने हैं, अन्य पापों के लिए नियम (१६) म्वाक-छासल के बारे में राजा नाबाकिनी का अविभाजक तीन प्रकार के प्रमाण यथा वायव-यत्र साक्षियां अधिकार, प्रतिपूक अधिकार एवं राजा के मत्तवाता साक्षियों की पात्रता कुछ मामलों में मिथ्याभारण का मार्जन (१७) बौरस पुत्र की प्रसवा श्रेयस पुत्र के विषय में विरोधी मत—यथा बहु अपने पिता का पुत्र है या अपनी माता के पूर्व पति का पुत्र है बाराहों प्रकार क पुत्र माइयां में धन-सम्पत्ति-विभाजन विभाजन-माय से हटाने के कारण नियोग के नियम युवती किन्तु अविवाहित कन्या क बारे में नियम बलीमत के बारे में नियम राजा अन्तिम उत्तराधिकारी है (१८) प्रतिभोग जातियां यथा चाष्वाक घूरा के लिए या उनके सामने वेदाध्ययन की मनाही है (१९) रक्षण करना एवं दण्ड देना राजा का कर्तव्य पुरोहित की महत्ता (२) जाने एवं जनवाने किन्ते हुए कर्तों के लिए प्रायश्चित्त (२१) शूद्र के व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त ब्राह्मण-स्त्री के साथ व्यभिचार करते तथा यो-हत्या क लिए प्रायश्चित्त (२२) बन्धित मोक्षण करने पर प्रायश्चित्त तथा इन पापों से मुक्त होने के लिए पश्चिन्मूत्र-मन्त्र या मन्त्र (२३) समोम एवं सुउपास करने पर ब्रह्मचारी के प्रायश्चित्त (२४) कुम्भ एवं जटिकुम्भ (२५) बुल बट एवं हृकके-मुसके पापों क लिए बट (२६) एवं (२७) प्राणायाम के युग पवित्रीकरण के लिए गायत्री क वैदिक सूक्त (२८) गार्गी-ब्राह्मण अथर्वण एवं दान-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रों की प्रसवा (२९) शान पुरस्कार ब्रह्मचर्य तप आदि (३) धर्म प्रसवा सत्य एवं ब्राह्मण।

अगर जितने धर्मसूत्रों का वर्णन हो चुका है उनसे बसिष्ठधर्मसूत्र बहुत कुछ भिन्ना है। विषय-सूची में कोई अन्तर नहीं है और न टीका में ही क्योंकि यह भी मद्य में है और बन्-तत्र इसमें भी पद्य भिन्ने है। इसकी टीका गौतमधर्मसूत्र से बहुत भिन्नी है और उस सूत्र से इसमें बहुत कुछ किम्मा गया है। बौधायनधर्मसूत्र का भी यह ज्ञानी है। बसिष्ठ अन्तर कहा जा चुका है इस धर्मसूत्र के अध्यायों के विषय में बसिष्ठ मतमेव है क सं केनर ३ अध्यायों में यह प्रकाशित है। इस बात से इस धर्मसूत्र की प्रमाणयुक्तता पर सन्देह किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी पद्य हैं जिनके कारण यह बहुत बाद का कहा जा सकता है। इसमें कुछ शेषक भी हैं किन्तु वे बहुत पहले जा चुके थे क्योंकि इसके बहुत-से उद्धरण प्राचीन टीकाओं में मिल जाते हैं यथा मिताक्षरा में।

बसिष्ठधर्मसूत्र में आग्नेय एक वैदिक संहिताओं से उद्धरण मिले पाये हैं। ब्राह्मणों में ऐतरेय एक सतपथ अधिनतर संवेदित हुए हैं। आग्नेयिक एक काठक ने नाम तक जाये हैं। आरण्याका उपनिषदों एवं वेदाओं के उद्धरण आये हैं। इतिहास एवं पुराण की भी खर्चा हुई है। इस धर्मसूत्र में व्याकरण मुहूर्त मन्त्रिवाणी पश्चित्त ज्योतिष गद्य-विद्या का वर्णन भी आया है। इस धर्मसूत्र में अन्य धर्मशास्त्रकारों ने प्रन्का एवं भक्षकों की ओर संवेत किया है। मनु से भी बहुत बातें ली गयी हैं या नहीं इस पर विवेचन मनुस्मृति वाले प्रकरण में होगा।

बृहस्पत ने मत्तानुसार बसिष्ठधर्मसूत्र ने माननेवालों की छाया के लोग धर्मशा के उत्तर में थे। किन्तु यह बात अनिश्चित है क्योंकि अभी यही नहीं तय हो सका है कि यह धर्मसूत्र किसी छाया के सम्बन्धित है।

मनु ने सबसे पहले इन धर्मसूत्र को धर्म-प्रमाण माना है। जब मनु ने इसे प्रमाण माना है तो वह कैसे कहा जा सकता है कि इस धर्मसूत्र ने मनुस्मृति से उद्धरण किया है? जो धरता है कि दोनों का कालांतर में संशोधन हुआ और इसकी बातें उसमें और उसकी बातें इसमें जमी आयीं हो। तत्पश्चात्त में कहा है कि इस धर्मसूत्र को आग्नेयी लोग पढ़ने थे। चित्रकल्प वैशाखि तथा अन्य व्याख्याकारों ने इसकी खर्चा की है और इसे उपयुक्त किया है। टीकरत्न के रागिण साम्प्रथ में इस धर्मसूत्र का उद्धरण है। इन साम्प्रथ का समय है आठवीं शताब्दी का अन्तिम अर्ध। ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में यह धर्मसूत्र उपस्थित था ही अन्य ग्रन्थकारों ने सानवी

पदाब्धी के उपरान्त भी इसकी ओर संकेत किया है। यह धर्मसूत्र गौतम आपस्तम्ब एवं शौचायन से बाद का है इसमें कोई संशय नहीं है। यदि इसे ईसापूर्व ३ २ के मध्य में रखा जाय तो अलग न होगा।

वासदेवव्यसमुक्ति की टीका में विष्णुधर्मसूत्र के मूल श्लोक हैं (याज्ञ १ १९)। मिताक्षरा (याज्ञ २ ९१) ने बृह-वसिष्ठ से अथर्व वेद की परिभाषा को उद्धृत किया है। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका ने बृह-वसिष्ठ का हुआका 'आश्विन' एवं 'याज्ञ' के विषय में दिया है। मट्टोबिदीशान ने अपने अनुबन्धितमन (पृ १२) की टीका में बृह-वसिष्ठ से उद्धरण किया है। इन बातों से पता चलता है कि बृह-वसिष्ठ नाम के काँ प्राचीन धर्मशास्त्रों में। मिताक्षरा ने एक बृह-वसिष्ठ की भी उर्ध्व की है। स्मृतिचन्द्रिका (३ पृ ३) ने व्याख्यानमिच्छा से उद्धरण किया है। शौचायनधर्मसूत्र के टीकाकार गान्धर्वस्वामी से पता चलता है (० ० ५) कि ब्रह्मिष्ठधर्मसूत्र क शौचायन धर्मशास्त्री से।

१ विष्णुधर्मसूत्र

इस धर्मसूत्र का प्रकाशन भारत में कई बार हुआ है। श्रीवास्तव द्वारा 'धर्मशास्त्रसंग्रह' में (१८७६ ई) बन्नाक एशियाटिक सोसायटी द्वारा (१८८१ ई) वैजयन्ती टीका के कुछ उद्धरणों का संग्रह (श्री शर्मा द्वारा सम्पादित) की एम एन बत द्वारा (१९९)। इस सूत्र में १ अध्याय है विष्णु सूत्र सम्बन्ध-सम्बन्ध नहीं है। प्रथम एक अध्याय को अध्याय पूर्वकता पद्यबद्ध है विष्णु अथ अध्याय या तो गद्य में या गद्य-पद्य मिश्रित रूप में है। वैजयन्ती टीका के अनुसार बत नामक यजुर्वेदीय छात्रों से इसका सम्बन्ध है। याज्ञवल्क्य उक्त 'विष्णुमन्त्रित' मन्त्रशास्त्रों में कहा है कि विष्णुधर्मसूत्र बतशास्त्रों के विद्यार्थियों के लिए है क्योंकि विष्णु उक्त शास्त्रों के मूलकार हैं। विद्यमान मनुस्मृति से इसका एक विचित्र सम्बन्ध है। अथर्वसूत्र के अनुसार बत एक आठवलीय यजुर्वेदीय बतशास्त्रों का १२ उपविभागा में बाँटा गया है।

विष्णुधर्मसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है—(१) धर्म द्वारा समुद्र में पृथिवी को उठाना अध्याय के दृष्टि इससे पता चलता है उसने उपरान्त पृथिवी को कौन संभालेगा तब विष्णु के पादों को आगे बढ़ाकर कहा कि जो धर्मशास्त्र धर्म का परिपालन करेगा उसे ही पृथिवी को धारण करने में उम्र पर पृथिवी ने परम शक्ति का उत्तर देकर कहा कि मैं प्रेरित किया (२) आराध्य एक उनके धर्म (३) राजधर्म (४) कार्यभार एवं अन्य छोटे बटवरे (५) कृषियुद्ध उपरान्तों के लिए दण्ड (६) मन्त्रधर्म (अथ वेदशास्त्रों) एवं उपाय-सन्ध्याका श्याम-वर्ण धर्म (७) तीन प्रकार के कल्पधर्म या के प्रथम (८) शाश्वत (९) विष्णु (परीक्षा) के बारे में सामान्य नियम (१०-१४) तुला धर्म जिस विषय पूज्य एक (कोश) नामक विष्णु (परीक्षा) (१५) ब्राह्मण प्रकार के पुत्र बलीयत का नियम पुत्र प्रथमा (१६) मिथिल विवाह से उत्पन्न पुत्र तथा मिथिल जातियों (१७) बटवारा समुक्त परिवार तथा पुत्रहीन की बलीयत के नियम पुत्रमिस्र स्त्रीधर्म (१८) विभिन्न जातियों वाली पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों से बटवारा (१९) सब को एक आना मृत्यु पर अर्थात् ब्राह्मण-प्रथमा (२०) आराध्य भूयो मन्त्रधर्म, बत महाधर्म की अथर्व मन्त्रधर्म के लिए अथर्व न राने का उपदेश (२१) विष्णु के बारे में शिवा-संस्कार सामिक याज्ञ सवित्रीकरण (२२) सवित्री के लिए अर्थात् की अथर्व विवाह के लिए नियम अथर्व पर अर्थात् अथर्व अथर्व एवं पत्नी के स्वयं से उत्पन्न अर्थात् न नियम (२३) अथर्व शरीर एवं अन्य पदार्थों का पवित्रीकरण (२४) विवाह विवाह प्रकार, अथर्वविवाह विवाह के लिए अथर्वधर्म (२५) स्त्री-धर्म (२६) विभिन्न जातियों की पत्नियों से प्रसूयता (२७) संस्कार, धर्मशास्त्र आदि (२८) ब्राह्मणों के नियम (२) आचार्य-स्मृति (३) वैशाख्य-वत-वत एवं कुटुंबी (३१) पिता मत्ता एवं आचार्य अथर्व

उप भद्रास्वर है (३०) सत्कार पानेवाले अन्य व्यक्ति (३१) पाप के तीन कारण—कामबिकार शौच एवं सोम (३४) अतिपातको के प्रकार (३५) पञ्च महापातक (३६) महापातको के समाप्त अन्य मयकर उप पातक (३७) कतिपय उपपातक (३८-४२) अन्य हलके-फूलेके पाप (४३) २१ प्रकार के नरक एवं नाति-नाति के पापियो के लिए नरक-कष्ट की बचधि (४४) कतिपय पापो के कारण-स्वरूप कतिपय हीन जन्म (४५) पापियो के लिए नाति-नाति की रोम-व्याधि तथा उनके लिए प्रतिकार-स्वरूप गौच व्यवस्था (४६-४८) कतिपय कृच्छ्र (इत) शास्त्रपन चान्द्रायण प्रसूतियावक (४९) बानुदेव-भक्त के कार्य तथा उसके लिए पुरस्कार (५) ब्राह्मण-हत्या एक अन्य बीबो की हत्या यथा मो-हत्या भावि के लिए प्रायश्चित्त (५१-५३) सुरापान बन्धित भोजन करने सोना तथा अन्य पदार्थों की चोरी व्यक्तिचार एवं अन्य प्रकार की मैपुन-क्रियाओं के लिए प्रायश्चित्त (५४) विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए प्रायश्चित्त (५५) गुप्त व्रत (५६) ब्रह्मचर्य (पाप-भोजन) के लिए पुन स्तोत्र (५७) किसकी सगति नहीं करनी चाहिए, श्राव्य परचात्ताप न करनेवाले पापी जान देने से दूर रहनेवाले (५८) छुड़ मिथित तथा अन्य प्रकार का गुप्त धन (५९) गृहस्व-धर्म पाक-यज्ञ प्रति दिन के पञ्चमहाव्रत अतिपि-संस्कार (६) गृहस्व के अनूदिन वाले आचार, मङ्गल चर्चन (६१-६२) इष्टमजन करने एवं भोजन के नियम (६३) गृहस्वजीवन-वृत्ति के शासन मार्गप्रदर्शन के नियम यात्रा के समय बुरे या भले शकुन मार्ग-निर्णय (६४) स्नान एवं वेदताओ तथा पितरो का तर्पण (६५-६७) बानुदेव-गुना पुष्प तथा पूजा की अन्य सामग्री वेदता को भोजन-दान पितरों को पिण्ड-दान अतिथि को भोजन-दान (६८) भोजन करने के डग एवं समय के बारे में नियम (६९-७) पत्नी-समोह एवं सांने के विषय में नियम (७१) स्नातक के आचार के लिए सामान्य नियम (७२) आरम-समय का मूस्य (७३-८९) भाङ्ग भाङ्ग-विधि अष्टका भाङ्ग, किल पितरो का भाङ्ग करना चाहिए भाङ्ग के काल सप्ताह-दिन में भाङ्ग-काल २७ तक्षत्र एवं तिथियाँ दाङ्ग-सामग्री भाङ्ग के लिए निर्मित न कि ये जानेवाले ब्राह्मण पक्षिपावन ब्राह्मण भाङ्ग के लिए अयोम्य स्वक तीर्थ या देस छोड़ना (८७-८८) मूत्रचर्म-दान या गो-दान (८९) नातिक-स्नान (९) नाति-नाति के बानो की स्तुति (९१-९३) कप टाकाट बालिका पुस बाँध भोजन-दान भावि जनकस्याण के कार्य प्रतिब्राह्मणों के अनुसार पात्रता-भिभता (९४-९५) दानप्रद के नियम (९६) सत्याश्रयो के लिए नियम अस्त्रि मासपेची रक्त-स्नामु भावि का ज्ञान ध्यान-मुद्रा की कतिपय विधियाँ (९८-९) पृथिवी एवं कश्मी द्वारा बानुदेव-स्तुति (१) इस धर्मसूत्र के अध्ययन का पुरस्कार।

यह धर्मसूत्र बहिष्कर्मसूत्र से कुछ भिन्नता है। इसमें छन्द (पद्य) पर्याप्त मात्रा में है। किन्तु एक बिलक्षण बात यह है कि यह परमदेव द्वारा प्रणीत माना गया है यह बात अन्य धर्मसूत्रों के साथ नहीं पायी जाती। इसकी टीका सरल है। यह व्याकरण-नियम-सम्मत है। बहुधा अध्याप्य में पद्य आ जाते हैं। कहीं-कहीं इन्द्रवज्रा नहीं उपजाति और नहीं लिख्यु छन्द है।

विष्णुधर्मसूत्र का नाम-निर्णय दुस्तर कार्य है। कुछ अध्याय मीतम एवं आपस्तम्ब ने धर्मसूत्रों की नाति प्राचीनता में सोचकर है। किन्तु अन्य स्वक इसे बहुत दूर के जाने-से नहीं सगते। इस धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति की १६ बानें बिसुद्ध एक-सी हैं। कुछ स्वको पर मनुस्मृति के पद्य मानो बध में रख बिये बने हैं। प्रस्त उठता है क्या मनुस्मृति ने विष्णुधर्मसूत्र से उधार किया है या विष्णुधर्मसूत्र ने मनुस्मृति से वा बोना में किसी अन्य स्वक से? यह एक महत्त्व-पूर्ण प्रश्न है। किन्तु कोई ऐसा बन्ध नहीं उपलब्ध है जिसमें दोनों में एक-सी पायी जानवाची जाते मिल जायें। कल्पना है विष्णुधर्मसूत्र ने मनुस्मृति से ही उद्धारण किया है। वा जानी ने मनुस्मृति द्वारा ब्राह्मण्य में विष्णुधर्मसूत्र से शरीराज-सम्बन्धी ज्ञान से किया है। किन्तु यह बान मात्र नहीं है। सचची क्योंकि चरक एवं मुपुत में यह ज्ञान

वर्तमान या और धर्मसूत्रकारों ने उसे उद्धृत कर लिया। सगता है विष्णुधर्मसूत्र याज्ञवल्क्यस्मृति के बाद की कृति है। यह धर्मसूत्र मगधवासी मनुस्मृति याज्ञवल्क्य तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों का श्रेणी है। पाँचवीं शताब्दी ईसवी-उपरान्त होनेवाले सबर, कुमारिल एव चक्रवर्त्य ने मनुस्मृति को उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्य का माध्य विष्णु-स्मृति में मही शताब्दी के प्रथमार्ध में किया। विषयक ने गौतम आपस्तम्ब बौधायन बसिष्ठ सब और हारीत से अनेक उद्धरण किये हैं किन्तु विष्णुधर्मसूत्र का एक भी उद्धरण उनकी टीका में उपलब्ध नहीं होता। मनु को व्याख्या (मनु ३ २४८ तथा ९ ७६) करते हुए मेघातिथि ने विष्णु का उद्धरण किया है। मिताक्षर ने विष्णु का ३ बार नाम किया है। अपराध तथा स्मृतिचक्रिका में बहुत बार उद्धरण किया है। स्मृतिचक्रिका में २२५ बार उद्धरण आये हैं।

विष्णुधर्मसूत्र में वैदिक साहित्यो तथा ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण आये हैं। इसने वेदान्तो व्याकरण इतिहास धर्मशास्त्र पुराण आदि के नाम किये हैं। इस धर्मसूत्र के प्रारम्भिक भागों का काष्ठ ईसापूर्व ३ १ के बीच कहा जा सकता है किन्तु यह केवल अनुमान-मात्र है। विष्णुधर्मसूत्र की टीका धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों के लेखक जय पण्डित ने की है। इन्होंने पाठ्यपत्रों में समभय १९२२ २३ ई में वैश्ववन्दी नामक टीका लिखी। कर्णाचिन् मार्गि नामक कोई अन्य टीकाकार ने जिनकी विष्णुधर्मसूत्र सम्बन्धी टीका की बातें धारवासीविद्यालय में कई बार उद्धृत की हैं।

११ हारीत का धर्मसूत्र

असक हमने उन धर्मसूत्रों का वर्णन किया है जो प्रकाशित हैं किन्तु अब उन धर्मसूत्रों का वर्णन करेंगे जो केवल कुछ उद्धरण रूप में हमारे समाक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम हारीतधर्मसूत्र को लेते हैं।

हारीत नामक एक धर्मसूत्रकार ने इसमें कोई संश्लेष नहीं है क्योंकि बौधायन आपस्तम्ब एव बसिष्ठ ने उन्हें कई बार प्रशंसित रूप उद्धृत किया है। आपस्तम्ब ने हारीत का उद्धरण बहुत बार दिया है अथ कहा जा सकता है कि दोनों एक ही वेद से सम्बन्धित थे। उन्नयातिक ने हारीत को गौतम तथा अन्य धर्मसूत्रकारों से साध गिया है। विषयक से लेकर अन्त तक के धर्मशास्त्रकारों द्वारा हारीत का नाम लिया जाता रहा है। सगता है यह धर्मशास्त्र पर्याप्त कम्बा बौधा रहा होगा।

हारीतधर्मसूत्र की भाषा एव विषय-भूषी देखकर कहा जा सकता है कि यह अन्य पर्याप्त प्राचीन है। अथ के साथ अनुष्टुप् एव विष्टुप् छन्द आते गये हैं। हारीत तथा मीमांसीय परिमिष्ट एव मानवशास्त्रकल्प में बहुत समानता है। इसमें पता चलता है कि हारीत कल्प मनुष्य के सूत्रकार थे। हारीतधर्मसूत्र में कश्मीरी शब्द "कच्छेत्" के जाने से हारीत को कश्मीरी भी कहा जा सकता है। हेमाद्रि (चतुर्वर्ग ३ १ पृ ५५९) ने अनुसार हारीत के एक श्राव्यकार भी थे।

७१ स्वर्गीय प नामक शास्त्री इस्लामपुरकर को नासिक में हारीतधर्मसूत्र की एक हस्तलिखित प्रति मिली है। देवयोगेश्वर डा पाण्डुरंग बाबलर कामे ने उसका उपयोग नहीं किया। यहाँ पर हारीतधर्मसूत्र के बारे में जो कुछ कहा गया है वह डॉ. बाली द्वारा उपस्थापित सामग्री पर आधारित है—क्यान्तरकार।

७२ हारीतधर्मसूत्र का सूत्र है—“पाल-शूपा-नाम्निता-पीतो-शिशु-सुभुक्त-वर्तक-भूतुष-वचन-पात्र-मसुर-वृत्तक-भानि क पात्रे न दद्यात् जिस पर हेमाद्रि का कथन है—“वचन आत्मविशेष-कश्मीरेषु प्रतिष्ठ इति हारीतस्मृतिभाष्यकारः।

तम भद्रास्पद हैं (३२) सत्कार पापेवाण
 कोम (३४) कतिपातको के प्रकार (३
 पाठक (३७) कतिपय उपपाठक (३८
 माँति के पापियो के लिए तरक-कष्ट की अ
 पापियो के लिए माँति-माँति की रोग-भ्या
 हृच्छ (बल) सान्तपन आन्ध्रायण प्रमूर्ति
 द्राह्मण-हृष्या एव अस्य जीवा की हृष्या
 करने सोना तथा अस्य पदासों की धार,
 विभिन्न प्रकार के अस्य कायों के लिए
 स्तोत्र (५७) किसकी सपत्ति नहीं *
 (५८) ब्रुद्ध मिथित तथा अस्य *
 वरिषि-सत्कार (६) गृहस्थ व
 के नियम (६३) गृहस्थजीवन-मूर्ति
 (६४) स्नान एव वेवताओ तत्पर
 वेवता की मोहन-भाग पितृणा की
 बारे में नियम (६९-७०) पत्नी ।
 निबन्ध (७२) ब्राह्म-सदम का मूर्ति
 चाहिए, भाद्र के कास सप्ताह-दिन *
 किये जानेवासे ब्राह्मण पक्षिपाकम
 मृगधर्म-दान या मो-दान (८९) व
 ताकार बाणिका पुरु वधि मोहन-द
 (९४-९५) बालप्रश्न के नियम (९९
 ज्ञान ध्यान-मुद्रा की कतिपय विविधा (१
 के अध्ययन का पुरस्कार ।

यह धर्मसूत्र कतिप्यधर्मसूत्र से
 विभक्तज बल यह है कि यह परमदेव द्वारा प्र
 दत्तकी दीली सरल है। यह व्याकरण-नियम *
 वही ऊनमाँति और वही विट्पु छन्द है।

विष्णुधर्मसूत्र का बाल-निर्णय बुद्ध
 प्राचीनता में छोटा है। किन्तु अस्य स्वतः इस
 बात किन्तु एक-ही है। कुछ स्वतः पर मनुस्मृति
 में विष्णुधर्मसूत्र से उधार लिया है या विष्णुधर्मसू
 पूर्ण प्रस्त है। किन्तु कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं ऊन
 लगता है किष्णुधर्मसूत्र में मनुस्मृति से ही उद्धरण
 परीराय-सम्बन्धी ज्ञान से लिया है। किन्तु यह ।

जीवानन्द के स्मृति-संग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय एवं एकस्मृति के ३३ तथा संज्ञितस्मृति के १३ एकत्र पाये जाते हैं। यही बात जानबूझकर (पूर्वा) के संग्रह में भी पायी जाती है। मिताक्षरा में इसका ५ स्लोक उद्धृत हुए हैं।

संज्ञित-धर्मसूत्र पर भाष्य बहुत पहले ही किया गया। कबीरचरित मोक्षानन्द के मन्त्री सद्यमीपर ने अपने कल्पतरु में इस धर्मसूत्र के भाष्य की चर्चा की है। सकृद्वार का काक है ११ ११६ ई। विद्यालक्षणा कर (१११४ ई) ने भी भाष्यकार का उद्धरण दिया है। यही बात विद्याचिन्तामणि (पृ ६७) में भी पायी जाती है।

शैली और विषय-सूची में एक-संज्ञित का धर्मसूत्र अन्य धर्मसूत्रों से मिलता-जुलता है। यौतम एवं आपस्तम्ब में बितने विषय आये हैं, अधिकतर वे सभी इस धर्मसूत्र में भी जा जाते हैं। बहुत स्थानों पर यह धर्मसूत्र यौतम एवं बौधायन के समीप आ जाता है। कुछ बातों में यौतम या आपस्तम्ब से शकसंज्ञित अधिक प्रगतिशील है। कहीं-कहीं विषय-विस्तार में यथा सम्पत्ति-विभाजन या बचीयत के विवरणों में यह धर्मसूत्र आपस्तम्ब एवं बौधायन से बहुत आगे बढ़ जाता है। एक ही श्रेणी कौटिल्य का भी स्मरण कठोरी है। भाषा व्याकरण-सम्मत है। एक में याज्ञवल्क्य का नाम मिला है। किन्तु यहाँ यह नाम स्मृतिकार का नहीं है। याज्ञवल्क्य ने स्वयं संज्ञित का नाम अपने पूर्व के धर्माचार्यों में पनाया है।

इस धर्मसूत्र के पद्यास में वेदों का साक्ष्य योग धर्मशास्त्र आदि की ओर संकेत है जैसा कि इसके उद्धरणों से विदित होता है। पुराणों में दण्डित मीमांसिक सृष्टि-सम्बन्धी बातें इस धर्मसूत्र में भी पायी जाती हैं। इसने अन्य आचार्यों की चर्चा की है और प्रजापति आदिरथ उसका प्राक्वैतन बुद्धगौतम के मतों का उल्लेख किया है। पद्यास में यम कात्यायन और स्वयं एक के नाम आये हैं।

उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि यह धर्मसूत्र यौतम एवं आपस्तम्ब के बाद की किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति से पहले की कृति है। इसके प्रथम वाक्य ई पू ३ से लेकर ई सं १ के बीच में अवश्य है।

१३ मानवधर्मसूत्र क्या इसका अस्तित्व था ?

कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूल मानवधर्मसूत्र था। इन विद्वानों में मैक्स मुलर, वेबर और बुहसर के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके कथनानुसार मनुस्मृति मानवधर्मसूत्र का संशोधित पद्यरूप एकत्र है। मैक्समुलर ने यहाँ तक कह दिया है कि "इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी सभ्य धर्मशास्त्र जो आज विद्यमान हैं प्राचीन बुद्धमनों वाले धर्मसूत्रों से जो स्वयं किसी-न-किसी वैदिक चरित्र में प्रारम्भिक रूप में सम्बन्धित थे संशोधित रूप हैं" (हिन्दी भाषा एप्लेण्ड संस्कृत लिटरेचर, पृ १३४-१३५)। मैक्समुलर का यह अनुमान भ्रामक है। बुहसर ने भी इससे थोड़ा ही अलग कहा है किन्तु वह भी ठीक नहीं जैसा। बुहसर के लक्ष्य हैं—(१) बसिष्ठधर्मसूत्र (४-५-८) में आया है—“मानव ने कहा है कि वेदों से पिता देव पारो एवं अतिथियों के सम्मान के लिए ही पशु का उपहार दिया जा सकता है। बुहसर का लक्ष्य है कि उपर्युक्त चार सूत्रों में जो कथ्य आया है वह पद्य में था। इससे उपरान्त मनुस्मृति में जो कथ्य आया है वह दो श्लोकों और एक पद्यास में आया है (मन्त्र में इति आया है)। बुहसर का कथन है कि विद्यमान मनुस्मृति पद्यरूप है इसमें शंका आ जाना इस बात का द्योतक है कि उसका मानवधर्मसूत्र से जन्म लिया है। (२) बसिष्ठधर्मसूत्र में और भी उद्धरण हैं किन्तु मनु का कहा गया है किन्तु वे मनुस्मृति में नहीं पाये जाते

अतः कोई अन्य दण्ड मनु के नाम से सम्बन्धित अवश्य रहा होगा और वह वा मानवधर्मसूत्र । (१) उसका वे अलौकिक के विषय में मनु का एक मत उद्धृत किया है जो यथे मे है। किन्तु यहाँ 'मनु' नहीं 'मुमुक्षु' है इतिहासिक प्रति में यह भ्रम स्वयं बृहन्नर न बाद को समझ लिया। (४) कामन्दकीय मीतिशास्त्र (२३) में कहा है कि 'मानव' के अनुसार राजा को तीन विद्याओं अर्थात् त्रयी (तीनों वेद) वाचा एव दम्पतीति का अध्ययन करना चाहिए। आन्वीक्षिकी त्रयी की ही एक शाखा है। किन्तु मनुस्मृति (७ ४३) के अनुसार विद्यार्थी चार हैं। यही बात सचिवा की सख्या के विषय में भी है। कामन्दक-उद्धृत मनु के अनुसार सख्या १२ है किन्तु मनुस्मृति के अनुसार सख्या केवल ७ या ८ है। अतः बृहन्नर के मतानुसार मानवधर्मसूत्र अवश्य रहा होगा। किन्तु यहाँ कहा जा सकता है कि वे तर्क युक्तिसंगत नहीं है। कामन्दक ने केवल कीटित्य के धर्मशास्त्र का अध्ययन मात्र किया है। विद्या तीन हैं या चार इसमें कोई मतभेद नहीं है क्योंकि "मानव" में भी तो आन्वीक्षिकी की चर्चा हो ही गयी है। मनुस्मृति का भी कई बार उल्लेख हुआ है अतः कुछ व्यतिरिक्त यह जाना स्वामानिक है।

वसिष्ठधर्मसूत्र में मनुस्मृति की बहुत सी बातें व्यो-की-स्यो पायी जाती हैं। किन्तु इसी आधार पर यह कहना कि जब वसिष्ठधर्मसूत्र में पामी जानेवाली मनु-सम्बन्धी सभी बातें मनुस्मृति में नहीं देखने को मिलती तो एक मानवधर्मसूत्र भी रहा होगा जिसमें अन्य बातें पायी जा सकती हैं युक्तिसंगत नहीं है। वसिष्ठधर्मसूत्र में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो अन्य धर्मसूत्रों में उल्लेख-स्वरूप हैं किन्तु आज सोचने पर वे बातें उन धर्मसूत्रों में नहीं मिलती तो क्या यह समझ लिया जाय कि उन धर्मसूत्रों के नामों से सम्बन्धित अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थें ?

इस मनुधर्म की तीन शाखाओं को जो आपस्तम्ब बौधायन एवं शिष्यकेषी के रूप में शक्ति प्राप्त में विरहित हुईं औरकर किसी अन्य वेद का कोई ऐसा चरण नहीं पाया जाता जो उसके सत्यापक द्वारा प्रवीण कोई धर्मसूत्र उपरिचय करे। ता फिर मानवधर्म के धर्मसूत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुमारिक ने जो मनुसंहिता साहित्य में बम्भीर विद्वान् ने इत्ययमनुधर्म के अनुयायियों द्वारा पड़े जते हुए किसी मानवधर्मसूत्र की चर्चा नहीं की है। उन्हींने इस विषय में बौधायन एवं आपस्तम्ब की चर्चा पर्याप्त रूप से की है। कुमारिक ने मनुस्मृति का गौतमधर्मसूत्र से नहीं बहुरूप देखा स्वान किया है। उन्हींने मानवधर्मसूत्र की नहीं भी कोई चर्चा नहीं की है। विद्वान् ने जो किसी-किसी न मत में धर्मशास्त्र के सुरेश्वर नामक शिष्य भी माने जते हैं कहा है कि मानवधर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। उपर्युक्त विवेचन में आधार पर कहा जा सकता है कि मानवधर्मसूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है और न मनुस्मृति उस नाम के धर्मसूत्र का कोई सशोभित स्वरूप है।

१८ कौटिल्य का अर्थशास्त्र

डा धामशास्त्री ने मनु ? में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का प्रकाशन एवं अनुवाद करने भारतीय शास्त्र जगत् में एक नवीन चेतना की उत्पत्ति की। पण्डित टी पणपति शास्त्री ने श्रीमन्स नामक अपनी टीका के साथ इस महान् ग्रन्थ का प्रकाशन किया है। डा जाकी एव डा रिक्टर (रिक्टर) ने महत्त्वपूर्ण सूत्रिका एवं भाष्यरचना की तथा इका के नाम इतना लम्बायन किया है। इन ग्रन्थ में डा धामशास्त्री ने १९१९ ई. वाले उत्तरार्ध का उपयोग किया गया है। इन ग्रन्थ का उत्तर जय बार-बार उठे हैं। इसने ऐतन् प्रकाशन-सत्यता वाक्य आदि विषयों पर बहुरूपी व्याख्याएँ वाचाएँ एवं समाधान उठाये गये हैं। विविध ऐतन् विख्या ने अनिश्चित इस

पुस्तक को लेकर अनेक ग्रन्थों पुस्तिकाओं का प्रणयन हो चुका है। कुछ के नाम अंग्रेजी में ये हैं—नरेन्द्रनाथ का की 'स्टडीज़ इन ऐम्प्लेट इन्डियन पार्लिटी' डा पी बनर्जी की 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐम्प्लेट इन्डिया' डा थोपाल की 'हिस्ट्री आफ हिन्दू पोलिटिकल प्योरीज' डा मजुमदार की 'कारपोरेट लाइफ इन ऐम्प्लेट इन्डिया' बिनयकुमार सरकार की 'पोलिटिकल इस्टीमियुस एण्ड प्योरीज आफ दि हिन्दूज' बामसबास की 'हिन्दू पार्लिटी' प्रो एस बी विरबनाथ की 'इण्टरनेशनल ला इन ऐम्प्लेट इन्डिया' आदि पुस्तकें। कौटिलीय अर्थशास्त्र सम्बन्धी सभी समस्याओं का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है।

अर्थशास्त्र पर उपस्थित प्राचीनतम ग्रन्थ कौटिलीय ही है। अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में आदर्श-सम्बन्धी विवेक है किन्तु शास्त्र में अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है क्योंकि अर्थशास्त्र में राजा के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की चर्चा होती ही है।^{३७} कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'धर्मस्वीय' एवं 'कष्टकरोवत' नामक दो प्रकार हैं अत इतना इस पुस्तक में विवेचन होना उचित ही है। 'धीनकहत' चरणम्बुह ने मतानुसार अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का उपशेक है। जैसा कि स्वयं कौटिल्य ने लिखा है 'इयं शास्त्रं का उच्यते है पृथिवी च काम-पालनं के साधना का उपाय करना।'^{३८} याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृतियों में भी अर्थ एवं अर्थशास्त्र की चर्चा हुई है।

बहुत प्राचीन काल से ही चाणक्य उर्क कौटिल्य या बिष्णुगुप्त अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने जाते रहे हैं। कामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र में कौटिल्य (बिष्णुगुप्त) के अर्थशास्त्र की चर्चा की है। कामन्दक ने बिष्णुगुप्त (कौटिल्य) को अपना गुरु माना है। उग्रशाय्यायिषा ने जो ३ ई के लगभग अथर्व सिन्धी बनी की नृपशास्त्र के प्रणेता चाणक्य को प्रकाम किया है। इन्हीं में अपने दण्डकुमारचरित में लिखा है कि मौर्यराज के लिए छ सहस्र रत्नाका में बिष्णुगुप्त ने पञ्चनीति को सजिष्ठ किया (दण्डकुमार ८)। काम ने अपनी काश्मिरी (पृ १ ९) में कौटिल्य के ग्रन्थ का अति मूयम कहा है। पञ्चतन्त्र के चाणक्य एवं बिष्णुगुप्त को एक ही माना है और चाणक्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता कहा है। कौटिल्य का नाम पुराणों में भी अधिकतर आया है। शमेन्द्र एक सोमवेद की इतिहास में पता चलता है कि गुणार्थ की बृहत्का में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुण्डकटिक (१ १९) ने भी चाणक्य की आर सनेत किया है। मुद्राराक्षस (१) ने कौटिल्य एवं चाणक्य को एक ही माना है और कहा है कि 'कौटिल्य' वरु 'कुटिल' (टडा) में निर्मित हुआ है। उपयुक्त बातों में म कुछ स्वयं अर्थशास्त्र में स्पष्टीकरण सनेत क रूप में प्राप्त होती है। प्रथम अधिकरण के प्रथम अध्याय क अन्त में कौटिल्य इस शास्त्र क प्रणेता कहे गये हैं द्वितीय अधिकरण के हमर अध्याय के अन्त में क राजाशा के लिए शासन-विधि के निर्माता कहे गये हैं। अन्तिम अन्त बनता है कि उनमें अन्तिम अन्त में अन्त में पृथिवी की रक्षा की इस ग्रन्थ का प्रथम किया। वही यह भी आया है कि अर्थशास्त्र के माध्य द्वारा की विभिन्न व्याख्याओं को लेकर बिष्णुगुप्त ने स्वयं ब्रह्म एवं माध्य का प्रथम किया।

प्राची कीप एवं बिलरुनिम्बु में कौटिलीय का मौर्यमन्त्री की इति नहीं माना है। यह कथन कि उस व्यक्ति के लिए, जो आदि से अन्त तक एक बृहत् साम्राज्य के निर्माण में लगा रहा इस बुद्धि का निराला सम्भव नहीं का बिष्णुगुप्त निराधार है। पूछा जा सकता है कि माध्य एक माध्य का बनें अपना समय मिला

३७. 'अर्थशास्त्रात्पर्यन्तमेव राजनीतिमन्तव्यशास्त्रमिदं विचलितम्' दितारारा (भाग २ २१)।

३८. तस्यै पृथिव्या कामपालनोपायं शास्त्रमर्थशास्त्रमिति। कौटिल्य १५ १। प्रथम वाक्य है—पृथिव्या नाम्ने शास्त्रे च शासनधर्मशास्त्रादि बुर्वाचार्य-प्रवचनानि प्रायान्तानि महत्पर्यन्तवर्षशास्त्रं इत्यम्।

कि वे विपत्तियो से बिकरे रहकर भी बृहद् ग्रन्थो का निर्माण कर सके ? अर्बन्दास्य म पाटलिपुत्र एव चम्पूगुप्त क साम्राज्य की अर्बा नहीं पायी जाती अत कुछ लोगों ने इसी आधार पर इसे मौर्यमन्त्री की कृति मही माना । किन्तु यह सिद्धता तर्क है । एक महान् केवलक अपनी कृति में जो साम्राज्य ङग से लिखी गयी हो व्यक्तिगत स्वानीय एव समकालीन बातों का हवाला दे यह कोई आश्चर्यक नहीं है । स्टाइन एव क्लियरगिस्स का यह तर्क कि मेगस्थनीज ने कौटिल्य की अर्बा नहीं की और न उसकी कर्ता में अर्बन्दास्य की बातों का मेक बैठता है बिल्कुल निराधार है । मेगस्थनीज की 'इण्डिका' केवल उद्धारको में प्राप्त है मेगस्थनीज को भारतीय भाषा का क्या ज्ञान था कि वह महामन्त्री की बातों को समझ पाता ? मेगस्थनीज की बहूत-सी बातें भ्रामक भी हैं । उसने तो लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे । क्या यह सत्य है ? यहाँ केवल इतना ही छेकेट पर्याप्त है । हिल्सेब्राष्ट ने कहा है कि अर्बन्दास्य एक शाखा की कृति है न कि किसी एक व्यक्ति की । इस तर्क का उत्तर जैकोबी ने भली मति से दिया है । अर्बन्दास्य एक शाखा का इत्य इच्छकिए कहा गया है कि इसमें अन्य आचार्यों के साथ स्वयं कौटिल्य के मत सममग ८ बार आये हैं । किन्तु इस प्रकार की प्रकृति की ओर मेधातिथि तथा विवरण्य ने बहुत पहलू ही छेकेट कर दिया है कि प्राचीन आचार्य अपने मत के प्रकाशनायक अपने नामों को अहकारवादिता से बचने के लिए बहुधा अन्य-युग्म में दे देते थे ।" उत्तम-युग्मक एकवचन में बहुत ही कम व्यवहार हुआ है । जैकोबी एव कीच का यह कहना कि मारड्याक ने (५ ६) कौटिल्य की आलोचना की है कृतिपूर्ण है । कौटिल्य पहले अपना मत देकर अपने पहले के आचार्यों का मत देते हैं । कीच का कथन है कि 'कौटिल्य' कुम्भि सं बना है अत कोई प्रबन्धकार स्वयं अपने मत का इस उपाधि से नहीं बोधित करेगा । वागमय ने कृतीति से मौर्यसाम्राज्य का निर्माण किया और तब एसे आठतामियों का नाम किया अत ही सकता है कि उन्हें आरम्भ में जो 'कुटिल' नाम दिया गया वह अन्त में उन्हें सत्कार्य करने के कारण मत्ता समने रखा हो । एक बात और, कौटिल्य में बहुत-से आचार्यों के उद्युत नाम भी विचित्र ही हैं यथा— पिपुलु वातव्याधि कौण्यवन्त ।

एक प्रश्न है—'कौटिल्य' नाम ठीक है या 'कौटस्य' ? कायम्बरी मुद्राराक्षस पत्रतन्त्र आदि में 'कौटिल्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है । कायम्बक क नीतिशास्त्र की एक टीका में कौटिल्य को कुटलभाष्य कहा गया है और 'कुटल' एक पौध का नाम कहा गया है । एक शिलालेख में 'कौटिल्य' शब्द आया है (शोसका के गले घर स्थान में प्राप्त १२३४ ३५ ई) । जो हो नाम का शकट अभी तय नहीं हो पाया है । इस शब्द में कौटिल्य शब्द का ही प्रयोग किया जायगा ।

अर्बन्दास्य में कुल १५ अध्याय १५ अध्याय १८ विषय एव ६ श्लोक (३२ अक्षरों की इका इयाँ) हैं । यह गद्य में है गद्दी-शैली कुछ श्लोक भी हैं । अत्येक अध्याय के अन्त में एक या कुछ अधिक श्लोक हैं । कुछ अध्यायों के बीच में भी श्लोक हैं । पद्य भाग को छोड़कर कुल ३४ श्लोक आये हैं । अन्य अनुष्टुप् कालि में अधिक हैं । इन्द्रजया या उपजाति भाषा में केवल ८ श्लोक हैं । अर्बन्दास्य से पूर्व के अर्बन्दास्य होने नहीं मिल सके हैं अत यह कहना कठिन है कि कितने श्लोक उच्चांग किये गये हैं और कितने इसके अपने हैं । शैली सरल एव सीधी है वेदव्यं या व्याकरण सूत्रों की मति सखिप्त नहीं है । नीतम हारीट धसकिलित

७९. 'प्रत्येक ग्रन्थकारः स्वस्त परतवेदेन बुधते मेधातिथि (पान्न १ २) । विश्वत्य में कहा है— किन्तु मगधतंत्र चरोजीहृत्पत्तना निर्दिश्यते स्वप्रसामिषेवात् ।

के बर्मेसूत्रों की भाषा से इसकी सीसी मिच्छी जुच्छी है किन्तु आपस्तम्ब की भाँति इसकी भाषा प्राचीन नहीं है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है यद्यपि दो-एक स्थान पर मिश्रता भी है।

पूरा ग्रन्थ एक व्यक्ति की हृति है अतः विषयों के अनुक्रम एक व्यवस्था में पर्याप्त पूर्वनिश्चयन प्रकृतता है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन पर इतना मूल्यवान् प्रकाश डालता है और इतने विषयों का प्रतिपादन इसमें हुआ है कि जोड़ में बहुत-कुछ कह देना सम्भव नहीं है। पत्रहो अधिकारणों की विषय-सूची इस प्रकार है—(१) राजानुशासन राजा द्वारा शास्त्राध्ययन ज्ञान्नीतिकी एवं राजनीति का स्थान मन्त्रिया एवं पुरोहित के गुण तथा उनके लिए प्रलोभन मुष्टाचर-सत्या समा-वैठक राजवृत्त राजकुमार-रक्षण अन्त-पुर के लिए व्यवस्था राजा की सुरक्षा (२) राज्य-विभाग के पर्यवेक्षण के विषय में ग्राम-निर्माण जरागाह बत कुप्यं सन्निघाता के वर्तव्यं हुणो मूमि ज्ञानो बतो मायो के करो क अधिकारी आय-व्ययनिरीक्षण का कार्यसम्यं प्रकृता के धन का गहन राजानुशासन राज्यकोष एवं ज्ञानो के लिए बहुमूल्य प्रस्तरो की परीक्षा सिक्को का मध्यस व्यबसाय बना अन्त-राज्यो ठीक-बटकारो बुयी कपडा हुमेने मद्यपाषा राजधानी एवं नगरों के अल्पस (३) न्याय-शासन विधि-नियम विवाह प्रकार, विवाहित जोड़े के वर्तव्य स्त्रीजन बाधो प्रकार के पुत्र व्यवहार की अल्प सभाएँ (४) बटन-निष्ठासन धिरपकारो एवं व्यापारियों की रक्षा राष्ट्रीय विपत्तियों, यथा अग्नि बाध आधि-व्याधि अकारु राक्षस व्याध सप्यं बाधि के लिए बचाएँ या उपचार, दुराचारियों को डबाना कीमार अपराध का पना चकाना सन्देश पर अप-राधियों को बन्दी बनाना आन्तरिक एवं बाह्य के कारण मृत्यु, शोषाङ्गीकार करारों के लिए बलि पीडा देना सभी प्रकार के राजनीय विमायो की रक्षा अग मय करने के स्थान पर जूरमाने बिना पीना जकबा पीडा के साथ मृत्यु-बन्ध रमयिया के साथ समायम विविध प्रकार के दोषों के लिए जर्बबन्ध (५) दरबारियों का आचार राजबोध के लिए दण्ड विधेयावसर (आकस्मिकता) पर राज्यकोष को सम्पूरित करना राजवर्ज्य धारियों के बेलन दरबारियों की पात्रताएँ, राज्यशान्ति की संस्थापना (६) मध्यसरचना सार्वभौम सत्ता के साथ तत्त्व राजा के धीक-गुण धान्ति तथा सम्पत्ति के लिए बटिन कार्य पश्चिम राजनीति तीन प्रकार की धक्ति (७) राज्यो के वृत्त (मध्यक) में ही नीति की छ बाधएँ प्रयुक्त होती हैं सन्धि विग्रह याग आसन सरण यहुना एवं धैर्मीमात्र नामक छ गुण सेना के कम होने एवं आक्रोस्तजन के कारण राज्यो का मिहान मित्र सेना या मूमि की प्राप्ति के लिए सन्धि पृष्ठभाग में धनु, परिसमाप्त धक्ति का पुनर्मर्दन तत्त्व राजा एवं राज-मध्यक (८) सार्वभौम सत्ता के तत्त्वों के व्यवहारों के विषय में राजा एवं राज्य के कष्ट (बाधा) मनुष्यो एवं सेना के कष्ट (९) आक्रमणकारी के कार्य आक्रमण का उचित समय सेना में रय क्यो की मरती प्रसाधन अन्त एवं बाह्य कष्ट (बाधा) अस्तोप विस्वासवहती धनु एवं उनके मित्र (१) युद्ध के बारे में सेना का पडाव डालना सेना का अधिमान समराज्य पचाति (वीर्य सेना) अथ सेना हृतिसेना बाधि के कार्य विविध तथा में युद्ध के लिए दुकडियों का सजाना (११) नदरपालिकाओं एवं व्यवसाय-विगमों के बारे में (१२) धक्तिधारी धनु क बारे में वृत्त भेजना बट प्रबन्ध योजना अस्त्र-शास्त्र सञ्चित मुष्टाचर अग्नि लिए एवं माण्डार तथा अन्न-कोठार का नाथ युक्तिमा से धनु को पकडना अन्तिम विजय (१३) कुप्यं को जीतना पूर्य उत्पन्न करना युक्ति ध (युद्धनीयक बाधि से) राजा को आहूट करना बारे में मुष्टाचर विविध राज्य में धान्ति-स्थापना (१४) गुल्द साधन धनु की हत्या के लिए उपाय अया तदक रूप-स्वरूप प्रकट करता औपनिर्वा एवं मन्त्र-प्रयोग तथा (१५) इस हृति का विभाजन एवं उसका निबर्धन।

व्यवहार-विषयक शासन के बर्नन में कौटिलीय के उल्लेख एक वाक्यवत्पथ में बहुत साम्य है। मनु एक वारद की बातें भी इस विषय में कौटिलीय से मिलती-जुलती-सी वृष्टिपोषक होती हैं, किन्तु उस सीमा तक नहीं जहाँ तक वाक्यवत्पथ से।" अब प्रश्न है कि किसने किससे उच्चार किया वाक्यवत्पथ में कौटिल्य से या कौटिल्य में वाक्यवत्पथ से? भाषा-सम्बन्धी समानता बहुत अधिक है। सम्भवतः वाक्यवत्पथ में ही अर्धशास्त्र से बहुत-सी बातें लेकर उन्हें पद्यबद्ध करके अपनी स्मृति में रक्त किया है। बात यह है कि वाक्यवत्पथ में कौटिल्य से अन्य भी बहुत-सी बातें ली जाती हैं। कौटिलीय अर्धशास्त्र मनुस्मृति से भी पुराना है। कौटिलीय में मानवों के मत की ओर पाँच बार संकेत आया है। अर्धशास्त्र में सिद्धा है कि मानवों के मतानुसार राजकुमार को तीन बिद्यार्थें पढ़नी चाहिए त्रयी वाताँ एवं दृष्टनीति ज्ञानीतिकी त्रयी का ही एक भाग है। राजमन्त्रियों की संख्या बाह्य है। मनुस्मृति (७-४३) में बिद्यार्थों को स्पष्ट रूप से चार माना है और राजमन्त्रियों की संख्या ७ या ८ नहीं है। बृहत्तर और अन्य विद्वानों ने इस मतमेव को धारण रखकर यही कहा है कि इस विषय में कौटिल्य ने मानवधर्मसूत्र की ओर संकेत किया है। किन्तु हमने पहले ही देखा कि मानवधर्मसूत्र वा ही नहीं। धर्मशास्त्र में मानवों के अतिरिक्त बृहस्पतियों एवं बीशानसों के नाम बाते हैं किन्तु आश्चर्य तो यह है कि कौटिल्य में गौतम आपस्तम्ब बीशानस वशिष्ठ हागीत की कही भी जर्ना नहीं की है। धर्मस्थीय प्रकरण में कौटिल्य में अपने छ पूर्व के आचार्यों की ओर संकेत अवश्य किया है। समानता के आचार पर यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने पूर्वाचार्यों की ओर संकेत करके धर्मसूत्रकारों को ही जर्ना की है।

धर्मस्थीय प्रकरण में जो कुछ आया है उससे प्रकट होता है कि गौतम आपस्तम्ब बीशानस के धर्म-सूत्रों से बहुत जगें की और अतिप्रवृत्तिधीन बाते अर्धशास्त्र में पायी जाती हैं किन्तु मनुस्मृति से कुछ और वाक्यवत्पथ से बहुत पहले ही इसका प्रथम हा जूना वा। कौटिलीय के निर्मात्र-कार के विषय में हम अल्प प्रमाणों पर ही अपने तर्कों को रक्त सकते हैं क्योंकि बाह्य प्रमाण हमें दूर तक नहीं ले जा पाते। निस्सन्देह यह वृत्ति २ ई के बाद की नहीं हो सकती क्योंकि कामन्वक तत्राग्यायिका तथा वाच ने इसकी प्रसंघा के गीत गावें हैं। इसे ई पू ३ के जाने भी हम नहीं ले जा सकते।

कौटिलीय में पाँच छात्राचार्यों के नाम बाते हैं—मानवा (५ बार) बार्हस्पत्या (९ बार) औशनसा (७ बार) पाण्डसरा (४ बार) जामीया (एक बार)। निम्नलिखित व्यक्तियों के भी नाम बाये हैं—कार्याबन (एक बार) किम्बस्क (एक बार) कौण्यवत्त (४ बार) शोटकमुक्त (एक बार) (वीर्य) वाप यण (एक बार) पराशर (२ बार) पिपुभ (१ बार) विभूतपुत्र (एक बार) बाहुबलिपुत्र (एक बार) भाच्छान (७ बार एक बार बलिबु भाच्छान नाम से) बातम्पाभि (५ बार) विशाकाश (९ बार)। स्वयं कौटिल्य का ८ बार नाम आया है। महाभारत में भी निम्नलिखित दृष्टनीतिकारों की जर्ना की है—बृहस्पति

८ (क) अभियुक्तो न प्रत्यभियुक्तो न जन्म्य कन्हुताहुतदार्षसमवायेभ्यः । न वाभियुक्तेऽभि-
योचोऽस्ति । की ३ १ ; अभियोममनिस्तीर्य नैव प्रत्यभियो येत् । कुर्वन्निप्रत्यभियोग च कन्हे ताहुतेषु च ॥ याज
१ ९ १ । (ख) प्रसिरोचकम्पाधिबुभित्तत्रयप्रतीकारे धर्मकार्यं च परपु । की ३ २ ; बुभित्से धर्मकार्यं च व्याधी
सम्प्रसिरोचके । नृहीत स्त्रीधर्मं कर्ता न सिध्वै बलुमूर्ध्ति ॥ याज २ १४७ । (ग) सोर्यर्षानामनेकजिन्वुकावां पिन्वुतो
दायविभान् । की ३ ५ अनेकपिन्वुकावा तु पिन्वुतो नापक्ष्यता । याज २ १२ ; आदि आदि (की ३ १६ एवं
याज २ १६९ ; की ३ १६ एवं याज २ १३७) ।

यन् भारत्याज विनाशाय मुक्त (वही जिन्हें हम उपाता कहते हैं) तथा इन्द्र (सम्भजन कौटिल्य का बादु बन्धिपुत्र)। शास्त्रायन के कामसूत्र में घोटकमुक्त एक पाठयन के नाम आये हैं। तदचन्द्रिकर के मतानुसार विद्युत भारत्याज कौशपकथ एव वातस्याभि जम एं तारर प्रोभावाय भीष्म एव उद्वभ है।

कौटिलीय में चार वेदा अर्धवेद क मन्त्रप्रयोग क वेदांग इतिहास पुराण धर्मशास्त्र एव अर्थशास्त्र की चर्चा की है। इनमें सारय याग एव सावायत की शाखात्रा की ओर भी ध्यान आया है। इनमें मीरुतिव वागीं उक (फलिग ग्योतिष जाननेवाला) बृहस्पति यह एव सुत्रग्रह की भी चर्चा की है। पातुगात्र का नाम भी आया है। उग्र समय ससृण ही राजसाया थी। शासनाभिकार म काश्य-गुणो की चर्चा भी की गयी है यथा मायुर्ष औशार्प स्पत्यव जो अन्नरारशास्त्र के प्रारम्भ की सूचक है। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि द्रुमगी पताग्री (१५ ई) म इन्द्रामन् के अविश्रुत म काश्य-गुणो की चर्चा है। कौटिल्य में प्रथम एक तात्र पर त्रिभि अनुगायता की कोई चर्चा नहीं की है। उनमें अर्धगात्र म वैदिकशास्त्राज्ञ (२ २७) की ओर भी ध्यान है।

त्रिन देवा एव लोका की चर्चा कौटिलीय में हुई है उतम कुछ उपाय के पास है। पीत के समय (कीयेव) एव नयात के सम्बन्ध की चर्चा हुई है। कीर के बचनानुसार पीत नाम पीत देव व 'मिन' वासक राज वग में बना है और इस वद का उपाकरण ई पू २७४ म हुआ आ कौटिलीय ई पू ३० म नहीं प्रतीत हो सकता। तन्तु 'पीत' शब्द की व्याख्या सरल नहीं है यह द्विती अर्थ प्राचीन शब्द म भी सम्बन्धित हो सकता है। हा सकता है कि जहाँ यह शब्द आया है वहाँ मूत्र ही अर्थ हो। कौटिलीय म मुस्लिम के 'सब' बन्धोत्र एव मुसल के आयुष्योकी (मुद्रोकी) एव वागींकीकी (इति-व्यागार-वीची) शक्तियों की शक्ति तथा सिद्धिदिन क्षिति मन्त्र मद्र कुट्ट तथा कुट्टमन्त्राता वा (या राजा पत्नी वा क व) वर्णन आया है (११ १)। इन गण म कुछ यथा सिद्धिदिन क्षिति (यासि म क्षिति) तथा मन्त्र ता बौद्ध शब्दा में मनी भाति बर्णन हैं। हम यह बतल सिक्ता है कि बन्धोत्र तन्तु आरट्ट तथा वनायु व घोट अयुगम एव वाहीरि नाम हीरीर एव हीनर के मध्यम धर्मी कहते हैं। कौटिलीय म मन्त्र आति वा भी वर्णन आया है त्रिम मन्त्राता की विधी हो सकती और उक्त शब्द तथा वा मन्त्रा है (३ १३)।

बौद्ध व शिवय म कोई विधिष्ट विवरण नहीं मिलता बस एव स्थान (३ २) पर एका आया है कि उम स्थिति का एक ही पण (एक प्रकार का विवरा) देना पड़ेगा जो अनेक वर म देवताया या तिनर्षों के सम्मान व समय त्रिती बौद्ध (शाक्य) आरीरक या गृह गायु का मोचन क विधि निर्दिष्ट करगा है। शब्द है कि कौटिलीय के प्रथम के समय बौद्धों का समाज म कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हो गया था। आरीरक शोम मन्त्राति गामात द्वारा स्थापित एव धार्मिक शाखा व अनुवादी व।

कौटिल्य का प्रथम मन्त्रातन मान था कि नहीं करता ब्रह्म है। अर्थशास्त्र म उपादूत यथाएव पुरोचन शब्द अन्न वाताही अगम्य अम्बरीय मुयात्र (बभ) की शक्तिगता गायार् महापारण म भी आयी है। वही-वही गायार् म के कुछ अन्तर भी है यथा उतमयत्र म शाय में आरर वाद्यया पर अत्यन्त शिया और मट है। यथा तन्तु महापारण म उतमयत्र की गायार् कुछ ओर ही है (१० १५)। त्रि प्रकार कुछ अन्य यथाः म भी अन्तर है। कौटिल्य का पुराण के शिवय म उपादारी थी।

८१ तथा कौटिल्य शोमवृत्ताव शोमवृत्तिवा व्याख्यान-। की ३ ११।

८२ शास्त्रादीश्वारीय बुधमन्त्रातिना देवनिपुत्रायुष्य शोमयण शब्दो इत्ये । की ३ २ ।

कौटिल्य को बड़ी-भूटियों का आश्चर्यजनक ज्ञान था। डा पाली के मत में इस विषय का कौटिल्य का ज्ञान सुभूत से कहीं अधिक विस्तृत था। चरक एक सुभूत के कालो के विषय में लिखित रूप से कुछ कहता कठिन है। कौटिल्य ने 'रसव' नामक विष की चर्चा की है। उन्होंने 'रस' के व्यापारियों के लिए निष्कासन का बन्धन बोधित किया है उन्होंने 'रस-विद्य' (पाठमिथित सोता) (२ १२) 'रसा काश्चमिका (स्वर्णयुक्त अक्षीय पराश) एव 'हिंसुकु' की चर्चा की है।

कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण बात है दुर्ग के बीच में देवताओं के मन्दिर की स्थापना की चर्चा यथा सिव वीरवरा अस्विनी लक्ष्मी एव मरिच (दुर्गा?) के मन्दिर। इनका ही नहीं उन्होंने शरोत्सा में अपराधित अप्रतिष्ठत अवन्त एव वीरयन्त की मूर्ति-स्थापना की चर्चा की है। उन्होंने ब्रह्मा इन्द्र यम एव सेनापति (स्कन्ध) को मुख्य द्वार के इष्टदेवताओं में विना है। पाणिनि (५ ३ ९९) के महाभाष्य से पता चलता है कि 'मीमां' ने ब्रह्मोम से मूर्तियाँ स्थापित की थीं' त्रिमये सिव स्कन्ध एव विशाख की पूजा हुआ करती थी।^१

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत प्राचीनता पायी जाती है। यह ई पू ३ की कृति है इसमें सन्देश नहीं करना चाहिए।

अब तक कौटिलीय की दो व्याख्याओं का पता चल चुका है। एक है मट्टस्वामी कृत प्रतिपद्यपिका और दूसरी है माधवयन्त्रा की मयचन्द्रिका। दोनों अपूर्ण रूप में ही प्राप्त हैं।

डा रामधारी ने अपने संस्करण में चाणक्यकृत ५७१ सूत्रों का संग्रह किया है। किन्तु इन सूत्रों का कौटिल्य से क्या सम्बन्ध है कहना बहुत कठिन है। भारत के विभिन्न भागों में चाणक्य की बहुत-सी तीर्थयात्रा प्रकाशित हुई हैं। निरसन्देश ने तीर्थयात्रा कौटिलीय अर्थशास्त्र के बहुत बाव की हैं और कहावतों के रूप में प्रचलित रही हैं। इसी प्रकार चाणक्य-राजनीतिशास्त्र नामक ग्रन्थ भी कौटिल्य का नहीं है। यह राजा भोज के काल में समुह्यित हुआ था। इसी प्रकार बुद्ध चाणक्य कर्णु चाणक्य की पुस्तकों के विषय में भी हमस सेना चाहिए। कौटिलीय अर्थशास्त्र से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

१५ वेदान्त-धर्मप्रश्न

परिचित टी गणपति धारणी ने सन् १९१३ में इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया (त्रिवेन्द्रम संस्कृतमाला में) और सन् १९२९ में डा एम्सल ने भी पाण्डित्य में इसका प्रकाशन किया।

महादेव ने सत्यायाह-वैदिकसूत्र पर लिखित अपनी वीरयन्त्री नामक व्याख्या में कृष्ण यजुर्वेद के छ भोतसूत्रों यथा वीरयान्त माध्याज मापस्तम्ब हिरण्यवेदी वाबुल एव वीरयान्त की चर्चा की है और वीरयान्तसमीतसूत्र में कुछ अर्थ नहीं बार उद्धृत किये हैं। गीतक के चरलभूषण ने वाबुल एव वीरयान्त के नाम नहीं आये हैं। प्राचीन पर्ययात्रा में वीरयान्त नामक सेतक की ओर संकेत मिलता है। गीतम में 'वीरयान्त' शब्द (धर्मसूत्र ३ ९) बानप्रस्थ के लिए आया है। वीरयान्त में भी वही सूत्र है और उसकी व्याख्या की गयी है कि वीरयान्त यह है जो वीरयान्त-शास्त्र में कथित नियमों के अनुसार चलता है (धर्म सूत्र १ १९)। वसिष्ठधर्मसूत्र में भी वही सूत्र है। मनुस्मृति (९ २१) में बानप्रस्थ को वीरयान्त के मतों का माननेवाला कहा है (वीरयान्तसमै त्वित)।

८३ 'अपन्य इत्युच्यते, तत्रैवं न लिप्यति; शिवः स्कन्ध विशाख इति। किं कारणम्? मीमांहरिणाचिनिरर्चाः प्रचलित्यन्तः। अथस्तानु न इत्यन्तः। आस्त्येता' सम्यति बुद्धार्थास्तानु अविच्यति। महाभाष्य (५ ३ ९९)।

वैज्ञानिकधर्मग्रन्थ में तीन प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक कई खण्डों में विभाजित हैं। कुछ मिथ्याकार ४१ खण्ड हैं। यह पुस्तक छोटी ही है। इसकी विषयसूची यों है—(१) चार वर्ष एव उनके विद्ययाधिकार, चार मास्य ब्रह्मचारी के वर्तव्य ब्रह्मचारियों के चार प्रकार, गृहस्थ के वर्तव्य गृहस्था के चार प्रकार वातावृत्ति (द्विपत्नीविका) साक्षीन यामावर एव चौराचारिक वन के यतिभोग वानप्रस्थ या ता सपत्नीक हैं या अपत्नीक सपत्नीक चार प्रकार के होते हैं, बौधुन्द्य, वैरिन्धन बालकन्य एव फेनप अपत्नीक वानप्रस्थ चार प्रकार के भिक्षुओं के बारे में यथा कुटीषक ब्रह्मचर हस एवं परमहस सवाम एव निष्काम कर्म प्रवृत्ति एवं निवृत्ति भागिया के तीन प्रकार एव उनके उपविभाग (२) वानप्रस्थ के अमण्य नामक क्रियासंस्कारों का विस्तार (खण्ड १४) वानप्रस्थ के वर्तव्य सन्यासियों के सम्प्रदाय में सम्मिश्रित होने का विवरण (खण्ड ६-८) सन्यास के लिए अवस्था (७ वर्ष के ऊपर या सप्तविंशति या पत्नी मर जाने पर) सन्यासियों के प्रति दिन के व्रत एव वर्तव्य आचमन एव संख्या के विषय में सम्बन्धियों पुरुष या नारी को अभिवादन अनप्याय स्नान एव ब्रह्ममन्त्र मोक्षन विधि व्रजित एव अव्रजित मोक्षन (३) गृहस्थ के आचार-नियम (खण्ड ११) मार्पनियम स्वर्ण या अन्य धातु सम्बन्धी वस्तुओं का पवित्रीकरण अन्य वस्तुओं का निर्मलीकरण वानप्रस्थ के विषय में भिक्षु सन्यासी की समाधि सन्यासी की मृत्यु पर नाट्यमण्डक विष्णु केशव आदि बारह नामों एव जल के साथ सन्यासियों द्वारा ठरुन अनुसोम एवं प्रतिबोम बीच वाली जातियों द्वारा लोग उनका उद्गम भीषिका का नाम एव साजन (खण्ड ११-१५)।

गौतम एवं बौधायन के धर्मसूत्रों की अपेक्षा वैज्ञानिकधर्मग्रन्थ टीकी एव विषय-वस्तु में बाह की दृष्टि लगता है। सम्भवतः यह प्राचीन बातों का संशोधन-मान है। इसमें धर्मसूत्रों एवं कुछ स्मृतियों की अपेक्षा अधिक निहित जातियों के नाम आये हैं। यह दृष्टि किसी वैष्णव द्वारा प्रणीत है। इसमें योग के अर्थात् (१ १ ९) आनुवंशिके अष्टय एव भूत-प्रेतों की पुस्तकों की चर्चा है (सूततन ३ १२ ७)। इसमें क्षत्रियों के लिए सन्यास व्रजित कहा गया है।

धर्म-सम्बन्धी अन्य सूत्रग्रन्थ

१६ अग्नि

कुछ ऐसे भी धर्मसूत्र हैं, जो या तो हस्तलिपियों में हैं या केवल धर्मशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकों में यतस्ततः विकसे पड़े हैं। इनमें सर्वप्रथम हम अग्नि को लेते हैं। मनुस्मृति में पता चलता है कि अग्नि एक प्राचीन धर्म शास्त्रकार थे। वेदक कालों के सबसे बड़े हस्त-लिपि हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिनमें आग्नेय धर्मशास्त्र ही अध्यायों में है। इन अध्यायों में वान जप तप का वर्णन है जिनमें पापों से छुटकारा मिलता है, कुछ अध्याय गद्य-पद्य दोनों में हैं। प्रथम तीन अध्याय पुरातन स्तोत्रकण्ड हैं, इनमें कुछ स्तोत्र मनुस्मृति में भी आते हैं। चौथा अध्याय एक लंबे धृत् से प्रारम्भ होता है, जो टीकी में आगे जानेवाले भाष्यों एव टीकाओं में मिलता है। पाँचवाँ अध्याय भी पद्य में है और इसमें कठिपत्र स्तोत्र कठिपत्र में भी पाये जाते हैं। छठा अध्याय वेद के श्रुतों एव पून स्तोत्रों का वर्णन करता है। यहाँ भी कठिपत्र में स्तोत्र हैं (२८ १०-११)। सातवाँ अध्याय मूल प्रायश्चित्तों की ओर मनेत करता है। इसमें सफा यज्ञों के बन्धों का वाहलीको लकी बनों एवं पारत (पारतिया या फारनवालो) के नाम आये हैं। अष्टमक में भी इन मूल का उद्धार किया है। आठवाँ एव आठवाँ अध्याय मत्त-नत्त-मिधित है। नवाँ पद्य में है और दस एव इसमें अया का वर्णन करता है।

हस्तलिखित प्रतियाँ में अग्नि-स्मृति या अग्नि-महिता नामक ग्रन्थ मिलता है। जीवानन्द ने यह म म भी

अग्नि-संहिता का प्रकाशना हुआ है जिसमें ४० श्लोक हैं। इसमें स्वयं अग्नि प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किये गये हैं। इसमें आपस्तम्ब यम श्यास शक्य स्याताप के नाम एवं उनकी कृत्तियों की चर्चा है। वेदात्त साध्य यम पुराण सायकत का भी वर्णन आया है। अग्नि में सप्त प्रकार के अन्वयों के नाम आये हैं यथा बोधी धर्मकार मत्, बुद्ध ईश्वर (मस्वाह) मध एव भिस्व। अग्नि में कहा है कि मेला विवाह-चतुस्रो वैदिक यज्ञो एव अन्य उत्सवो मे मस्युभयता का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि मधय मधुप एव अन्य तीन स्वागो के बाह्यन चाहे वे बृहस्पति के समान विद्वान् ही क्यों न हों श्राद्ध के समय नहीं आबुठ होते।

अग्नि में रायि-चक्र के मध्यम क्रम्या एक बृषिक के नाम आये हैं, अतः यह कृति ईसा के बाद प्रथम धरास्थी के पहले प्रणीत नहीं हुई होगी।

जीवात्म्य के सप्तह में एक कञ्चु-अग्नि (भाग १ पृ ११२) ११ जो ९ अध्यायो एवं १२ श्लोकों में है। इसमें मनु का नाम आया है। इसके बहुत-से अर्थ बहिष्कृतधर्मसूत्र में भी आये हैं। जीवात्म्य में एक बृहत्त-अध्याय (भाग १ पृ ४७-५७) भी है जिसमें १४ श्लोक एवं ५ अध्याय हैं। इसमें और कञ्चु-अग्नि-स्मृति में बृहत्त अग्निष्ठ सम्बन्ध है। महामाण्ड में भी एक अग्नि के मत का वर्णन आया है (अनुशासन १५, १)।

१७ उचना

कई सूत्रों से पता चलता है कि उचना ने राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। स्वयं लौटिस्व ने अपने धर्मशास्त्र में उचना का नाम सप्त बार लिखा है। उसमें शासन-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त अन्य बातें भी थीं। महामाण्ड में भी उचना की राजनीति की ओर संकेत है (शांतिपर्व ११९-७)। मुद्राणसप्त में भी औशनसी धर्मनीति का नाम आया है। याज्ञवल्क्य के व्याख्याकार विस्ववचन ने भी उचना की चर्चा की है। लमता है औशनसी राजनीति में श्लोक भी थे क्योंकि मनु के भाष्यकार मेधातिथि ने दो श्लोक उद्धृत किये हैं (७ १५ ८ ५)। ताप्य महाबाह्यन का कहना है कि काश्य उचना असुरों के पुरोहित थे (७ ५ २)।

देवन कामेज सप्तह में औशनस धर्मशास्त्र की दो अप्रकाशित प्रतियाँ हैं। दोनों कई अर्थों में अपूर्ण हैं। इस धर्मशास्त्र के विषयों में कोई तबीनता नहीं है। इसमें १४ विद्याओं के नाम आये हैं यथा ४ वेद ९ अंग मीमांसा व्याय धर्मशास्त्र एव पुराण। औशनस का अग्नि-सम्बन्धी धर्मन जीवात्म्य से बहुत मिलता है। यह कृति बह-बह बोनों में है। इसमें बाह्यन की धृष्ट पत्नी से उत्पन्न पुत्र 'पारस' कहा जाता है जिन्से कुछ धर्मशास्त्र बाटों में उच दिया कहा है। मनु और उचना व बहुत-से अर्थ एक ही हैं। औशनस-धर्मसूत्र के बृहत्त-से पद्याम मनु के पत्रकों में आते हैं। इन धर्मसूत्र में बहिष्कृत, हारीत शौनक एवं गौतम के मत भी उद्धृत हैं।

औशनसधर्मसूत्र के व्याख्याकार हरबल तथा स्मृतिचन्द्रिका ने उद्धरणों से पता चलता है कि उन्हें उचना की पुस्तक की जानकारी थी।

इन विवेचना से पता चलता है कि औशनस धर्मसूत्र गौतम बहिष्कृत एव मनु के बाद की कृति है। जीवात्म्य व गृह्य में एक अन्य औशनस धर्मशास्त्र आया है और यही बात जानक्यायम सप्तह में भी है। निशातरा में आया है कि जीविना के साधना की जानकारी के लिए उचना एवं मनु की कृतियों को पढ़ना चाहिए। इन व टीकारार बुद्ध ने भी (१ ४) औशनस एव की चर्चा की है। एक औशनस-स्मृति भी है जिसमें मनु मनु (मनुपुत्र तुर्नाय) प्रजापति व साध उचना का भी नाम आया है। इसमें पुराण मीमांसा वैशाम पाचरात्र वागान्ति एव वागुपत की चर्चा आयी है। जिन्से उचयुक्त कृतियों में राजनीति-विषयक बातें मिली आयी हैं। निशातरा (पाठ १ २९) एक अपराध में उचना के पद्यास एव गद्याम बोला ने उद्धृत आये हैं।

१८ बन्ध एवं वास्तव्य

। १। आपस्तम्बपरममूत्र में पता चलता है कि बन्ध एवं वास्तव्य धर्मशास्त्रशास्त्र। एक कुम्भित कुम्भ नील हारीत मुष्कमृदादि के भाग बन्ध एवं वास्तव्य का मत्त भी दीपित किया गया है। आङ्गिरस एक काष्ठ पराशरों करते हुए स्मृतिचन्द्रिकाशास्त्र में बन्ध के अर्थ को बर्णन कर उद्धृत किया है। इसी प्रकार मीत्रमधर्ममूत्र भी व्याख्या करते हुए हरदत्त में भी किया है। आचार्यमूल एवं ब्राह्मणमूल में भी कल्प का नाम आया है। ब्राह्मण्य बन्ध स्मृति भी मितादारा व्याख्या में किसी भ्राम या मगर में सत्यामी के उद्धृत क विषय में बन्ध का एक उदाहरण उद्धृत हुआ है (याज्ञ पर ३ ५८)।

१९. कर्मण्य एवं वास्तव्य

कौशायनपरममूत्र (१ ११ २) में बन्धन्य का मत्त उद्धृत है। विष्णु तर्जनी वनीर स्मृतिचन्द्रिका में वास्तव्य का उदाहरण दिया है (१ पु ८७)। महाभारत के अन्तर्ग में वास्तव्य की परिभाषा की पाषाण उद्धृत है (२९, ३५ ४)। बन्धन्य और वास्तव्य को स्वल्प धर्मशास्त्रशास्त्र है कि नहीं इसका उत्तर देना कठिन है। धर्मशास्त्र शास्त्रों का एक ही है। वास्तव्य के परममूत्र में सभी परम्परागत ज्ञान आया है यथा—प्रति दिन के कर्त्तव्य ब्राह्मण अगोच्य प्रायश्चित्त आदि। विष्णुयण तथा उत्तर आय के सभी शोभा में वास्तव्यपरममूत्र की प्रमाणरूप में उद्धृत किया है। विष्णुयण में वास्तव्य का गद्यम भी उद्धृत है (याज्ञ पर ३ ५६२)। मितादारा में भी गद्यम उद्धृत किया है (याज्ञवल्क्य पर, ३ २३)। विष्णु स्मृतिचन्द्रिका क उद्धरण पद्य में है। हरदत्त में पद्य का मूत्र उद्धृत किया है (२२ १८)। हारकला में अगोच्य पर बन्धन्य का मूत्र उद्धृत किया है। अणुराज में बन्धन्य एक ब्राह्मण इत्यादि का नाम से मूत्र उद्धृत किया है (वेणुयण ब्राह्म १ ६४ ३ २६५, १ २२२ २५, ३ २५१ २८८ ३९ २९२)। अरुण ब्राह्मण में मद्यह में का प्रतिष्ठा है त्रिभुज वास्तव्यस्मृति गद्य में है। इस स्मृति के माध्यायारों द्वारा उद्धृत कुछ अन्त पाव आत है। इस स्मृति में स्वयं वास्तव्य प्रमाण-स्वरूप उद्धृत है। ब्राह्मण्य में वास्तव्य का धर्मशास्त्र प्रयोजक नहीं माना है किन्तु पद्यगत में वास्तव्यपरम की चर्चा की है। स्मृति चन्द्रिका एवं अरुण्यविभाषा में १८ उपस्मृतियाँ की चर्चा की है, त्रिभुज वास्तव्य भी सम्मिलित है।

०. गार्थ

युद्ध ब्राह्मण्य में एक उदाहरण उद्धृत करते हुए विष्णुयण में (याज्ञ पर, १ ४-५) गार्थ का धर्म बताया है। उद्धृति गार्थ एक बुद्धगार्थ के लुकी की उद्धृत किया है। इसका स्पष्ट है कि गार्थपरममूत्र नामक एक एक था। मितादारा अणुराज एवं स्मृतिचन्द्रिका में आङ्गिरस ब्राह्मण पर प्रायश्चित्त-गम्भीर भाषा पर गार्थ के बर्णन एवं उदाहरण उद्धृत किया है। अणुराज में भी गार्थ का धर्मशास्त्रशास्त्र माना है। धर्म-विशेषक भाषा को अणुराज में उदाहरण में भी उद्धृत किया है। गार्थी स्मृति के अर्थानि-अर्थानि उद्धरण किये हैं। स्मृति चन्द्रिका में अर्थानिगार्थ एक बुद्धशास्त्र में उद्धरण किये गए हैं। निष्ठाचार्यशास्त्र में धर्म एवं गार्थ का अन्त-अन्त स्मृतिचार्य आपित किया है।

८४ श्रीगार्थ्येक या नारी ता न पत्नो विधीयते। ता न ईवे न ता विधे दानीं तां बधपरोऽवधीनु ॥

२१ अश्विन

मिताक्षरा अपराध तथा अन्य प्रमाण-ग्रन्थों में अश्विन के कतिपय श्लोक एवं सूत्र उद्धृत किये हैं। शोधन करने तथा उसके किन्हीं मन्त्रोच्चारण की विधियों के सिद्धांतों में अपराधों में अश्विन का प्रमाण दिया है (भा. १. १.२७)। बुता स्वपाक एवं शिताभूमि सुष्ट मुद्रापान आदि के स्वर्ण से उत्पन्न प्रायश्चित्त पर वर्ण करते हुए मिताक्षरा एवं अपराधों में अश्विन का उद्धरण दिया है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों का उद्धरण वन-वन दिया गया है।

२२ जातुकर्म्य

याज्ञवल्क्य की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने बृह-याज्ञवल्क्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसे जातुकर्म्य नामक एक 'वर्मशास्त्र' की वर्णना हुई है। यह नाम कई प्रकार से लिखा गया है यथा जातुकर्मि जातुकर्म्य या जातुकर्म। स्मृतिचक्रिका ने अगिरा को उद्धृत करते हुए जातुकर्म्य को उपस्मृतिकारों में लिखा है। विश्वरूप ने जातुकर्म्य के एक ब्रह्मण को कई बार उद्धृत किया है। जातुकर्म्य ने जाचार-माद-सम्बन्धी एक वर्मसूत्र लिखा था यह स्पष्ट है। जातुकर्म्य को मिताक्षरा हारत अपराधों तथा अन्य श्लोकों के रूप में उद्धृत किया है क्योंकि यह एक वर्मसूत्र विस्मृत या समाप्त हो चुका था। अपराधों द्वारा उद्धृत अर्थ में कन्या-राशि का नाम आया है इससे यह कहा जा सकता है कि जातुकर्म्य तीसरी या चौथी शताब्दी में रचा गया होगा।

२३ देवक

मिताक्षरा ने देवक के ब्रह्मण उद्धृत किये हैं जिनमें सूत्र की श्रुति का संयोजन एवं सामान्य नामक गृहस्थों का वर्णन है। अपराधों एवं स्मृतिचक्रिका में भी देवक के उद्धरण हैं। जाचार, व्यवहार, भा. प्राम-द्विचत आदि विषयों पर देवक के उद्धरण प्राप्त होते हैं। देवक की एक स्वतन्त्र कृति अवश्य थी। याज्ञवल्क्य के सप्रभ में ९ श्लोकों की एक देवकस्मृति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती। महाभारत में भी देवक का मत उल्लिखित है (समाप. ७२. ५) जिसे मनुष्यों की तीन ज्योतिषों यथा अत्य (सप्तान) वर्म एवं विद्या का उल्लेख है। सम्प्रति-विमानन बधीयत स्वीयन पर अपराधों एवं स्मृतिचक्रिका में उद्धृत अर्थ अर्थ-कोकनीय हैं। सम्भवतः बृहस्पति एवं कत्यायन के समय में देवक विद्यमान थे।

२४ पठीनसि

यद्यपि याज्ञवल्क्य में पठीनसि नामक वर्मसूत्रकार की शता नहीं है तथापि इसमें शक्य नहीं कि ये एक अति प्राचीन वर्मसूत्रकार हैं। योद्ध्या के प्रायश्चित्त का उल्लेख करते हुए विश्वरूप ने पठीनसि को उद्धृत किया है। डा. ज. ए. ए. डा. शैल्य के अनुसार पठीनसि अवर्षदेवी उद्धरते हैं। मिताक्षरा ने (याज्ञवल्क्य पर १. ५.३) पठीनसि के सूत्र का प्रमाण देते हुए लिखा है कि एक व्यक्ति ने मातुल से तीन एवं पितृकुल से पांच पौत्रियाँ छोड़कर विवाह करना चाहिए। स्मृतिचक्रिका हारत अपराधों में पठीनसि ने बहुत-से सूत्र उद्धृत किये हैं।

२५ भुष

याज्ञवल्क्य एवं पराध में इस सूत्रकार का नाम नहीं लिखा है। भुष ने उद्धरण बहुत ही कम किये

हैं। अपराहं (यात्र पर १ ४-५) कल्पतरु (बीरमित्रोप्य परिभाषा प्र ५ १५) हेमाद्रि एव बीमूतब्राह्म (बाह्यविवेक) ने बुध का उल्लेख किया है। डेकन काठेज सप्तह में बुध के बर्मेघासत्र की दो प्रतियाँ हैं। ये दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ यद्यत् मे ही हैं। यह बर्मेघासत्र बहुत ही सखेप में है। इसमें उपनयन विवाह बर्मेघासत्र से उपनयन तक के सस्कारों पचपत्रा यात्रा पाकपत्र इवियंत्र घोमयाण राजबर्मे आदि की चर्चा हुई है। यह प्राचीन ग्रन्थ नहीं है। समता है यह किसी एक बृहद् ग्रन्थ का सक्षिप्त स्वरूप है।

२६ बृहस्पति

कौटिल्य ने बृहस्पति को एक प्राचीन बर्मेघासत्रकार माना है और छ बार उनकी चर्चा की है। महाभारत (शांतिपर्व ५९ ८-८५) में आया है कि बृहस्पति न बर्मे अर्थ एव काम पर उचित ब्रह्मा के ग्रन्थ को अध्यायो में सक्षिप्त किया। वनपर्व (३२ ६१) में बृहस्पति-नीति का भी उल्लेख है। बृहस्पति द्वारा उल्परित श्लोकों एव यात्रामा को महाभारत ने कई बार कहा है। अनुशासनपर्व (३९ १०-११) में बृहस्पति एव जय सेनको के बर्मेघासत्र की चर्चा हुई है। कामसूत्र में भी आया है कि ब्रह्मा ने बर्मे अर्थ एव नाम पर एक ही ग्रहम् अध्यायो म एक महाग्रन्थ लिखा है और बृहस्पति ने उसी के एक अथ बर्मेघासत्र पर लिखा। अरथबाप में भी बृहस्पति के राजघासत्र का उल्लेख किया है। कामसूत्र एव पचतन्त्र में भी बृहस्पति का मत का प्रकाशन किया है (पचतन्त्र २ ४१)। महात्सितक में उक्त आया है कि बृहस्पति की नीति में देवा का कोई स्थान नहीं मिला है। सेनापति प्रणीहाट, बूत आदि की पात्रताओं के विषय में विरबन्ध ने एने घघासन रूप दिये हैं जो बृहस्पति के हैं ऐसा समता है। विरबन्ध एव हरत के उल्लेखों से पता चलता है कि बृहस्पति ने बर्मे एव ब्यवहार-सम्बन्धी विषय पर एक सूत्र-ग्रन्थ भी लिखा था। यह कहता कि एक बृहस्पति ने बर्मेघासत्र एव बर्मेघासत्र होना पर ग्रन्थ जिने संदेश्यारह है। यह कहता अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दो रचयिता थे। यात्रबन्ध ने बृहस्पति को 'बर्मेघासत्र' कहा है (१ ४५)। मिशास्रत तथा अन्य भाष्यों एव निबन्धा में बृहस्पति के व्यवहार-सम्बन्धी संगमय ७ श्लोक तथा आचार एव प्रायश्चित्त-सम्बन्धी कुछ ही श्लोक उद्धृत हैं किन्तु यह एक अल्प ग्रन्थ है जिसकी चर्चा आने होगी। 'बाहुस्त्य बर्मेघासत्र' बहुत बार को लिखा गया है।

२७ मन्त्राण्यंभारखात्र

मन्त्राण्यंभारखात्र के नाम ने एक बीमूत्र एव एक बृहसूत्र है। विरबन्ध-लिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि मन्त्राण्यंभारखात्र एव मन्त्राण्यंभारखात्र एव मन्त्राण्यंभारखात्र होना एक ही व्यक्ति है। मन्त्राण्यंभारखात्र ने विरबन्ध की भाँति मन्त्राण्यंभारखात्र में उद्धरण दिये हैं। स्मृतिचरित्रा एव हरत तथा अन्य ग्रन्थों में भी मन्त्राण्यंभारखात्र का उल्लेख है। कौटिल्य के बर्मेघासत्र म प्रकाश होता है कि मन्त्राण्यंभारखात्र ने एक प्राचीन सेन्यक थे। कौटिल्य ने मन्त्राण्यंभारखात्र को सात बार तथा बर्मेघासत्र को एक बार लिखा है। मन्त्राण्यंभारखात्र (शांति पर्व अध्याय १४) में मन्त्राण्यंभारखात्र एव सीवीर के राजा मन्त्राण्यंभारखात्र के बीच बार्ता की चर्चा है। इसी पर्व में भारखात्र को राजघासत्र के सेनका में मिला गया है। महात्सितक में भी मन्त्राण्यंभारखात्र के दो श्लोकों को उद्धृत किया है। इनमें स्पष्ट है कि मन्त्राण्यंभारखात्र का राजनीति-विद्वक ग्रन्थ एवही घासत्रा में अर्थात् विद्यमान था। परन्तु मन्त्राण्यंभारखात्र की चर्चा हुई है। व्यवहार के विषय में मन्त्राण्यंभारखात्र में मन्त्राण्यंभारखात्र की बार्ता उद्धृत की गयी है।

आरम्भ में स्मृति-ग्रन्थ कम ही थे। गौतम (११ १९) ने मनु को छोड़कर किसी अन्य स्मृतिकार का नाम नहीं लिया है। यद्यपि इन्होंने वर्मशास्त्रा का उल्लेख किया है। बौधायन ने अपने को छोड़कर छान यम याज्ञवल्क्य के नाम लिए हैं—औपजपति कास्य काप्यय गौतम प्रजापति मौद्गल्य एवं हारीत। बसिष्ठ ने केवल षोडश नाम गिनाये हैं—गौतम प्रजापति मनु यम एव हारीत। आपस्तम्ब ने दस नाम लिखे हैं जिनमें एक बुधिन पुत्ररसादि केवल व्यक्ति-नाम है। मनु ने अपने को छोड़कर छ नाम लिखे हैं—अत्रि उपस्य व पुत्र मृगु, बसिष्ठ वैश्वानर (या जितम) एव धीतक। याज्ञवल्क्य ने सबसे प्रथम एक स्थान पर २ धर्मशास्त्रा के नाम दिए हैं जिनमें वे स्वयं एव याग तथा छिगित वा पुष्य-पुष्य व्यक्ति के रूप में सम्मिलित हैं। याज्ञवल्क्य ने बौधायन का नाम छोड़ दिया है। पराशर ने अपने का छोड़कर १० नाम गिनाये हैं। बन्धु याज्ञवल्क्य एक पराशर की सूची में कुछ अलग है। पराशर ने बुध्न्याति यम एक ध्याम का छोड़ दिया है बन्धु काप्यय गार्ग्य एव प्रकृता के नाम सम्मिलित कर लिए हैं। कुमारिक के लग्नवार्तिक में १८ धर्मशास्त्रा के नाम आये हैं। बिल्हण ने बुध्न्याज्ञवल्क्य के एकोक को उद्धृत कर याज्ञवल्क्य की सूची में दस नाम जोड़ दिये हैं। अनुविभिनयन नामक ग्रन्थ में २८ धर्मशास्त्रा का नाम उल्लिखित है। इस सूची में याज्ञवल्क्य की सूची का नाम यथा वाप्यायन एव लिखित छूट गया है जिन्हु छ नाम यथा गार्ग्य नारद बौधायन अन्य विद्वानि यम (व्याप्यायन ?)। अत्रि ने अत्रि स्मृतिचन्द्रिका हेमाद्रि मरुत्कीरिणाम तथा अन्य ऋषा ने उद्धृत किया है उपस्मृतिया का नाम भी लिखा है। एक अन्य स्मृति का नाम है पद्मिगमन त्रिम निगाधरा अपराध तथा अन्य ग्रन्था ने उल्लिखित किया है। पैठीतमि ने ३६ स्मृतियों के नाम गिनाये हैं। अरगव व अनुगार बसिष्ठपुराण में ३६ स्मृतियों के नाम आये हैं। बुध्न्याज्ञवल्क्य में ५७ धर्मशास्त्रा के नाम आये हैं। श्रीरामचन्द्र ने उद्धृत प्रयाग-यात्रिणा ने १८ मुख्य स्मृतियों १८ उपस्मृतियों तथा २१ अन्य स्मृतिकारों के नाम लिखे हैं। यदि बात में आनवान निरुधा यथा निगधमिन्नु नौकर एव श्रीरामचन्द्र ने मयूर-शुद्धि का देखा जाय ता स्मृतियों की गणना लगभग १ हो जायगी।

बिल्हणर्षय स्मृतियाँ कई युवा की दृष्टियाँ हैं। कुछ ता प्रसंगता यह में कुछ मिथित अर्थों गद्य-गद्य में श्रीरामचन्द्र ने पद्य में हैं। कुछ अत्रि प्रार्थित हैं और ईसा ग व श्रीरामचन्द्र पुत्र प्रणीत हुए हैं यथा गौतम आपस्तम्ब बौधायन के धर्मग्रन्थ एव मनुस्मृति। कुछ का प्रथम ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ यथा याज्ञवल्क्य पराशर एव नारद। उपस्य स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य ८ ई ग १ १ के बीच की हैं। अरग

८६ १८ मुख्य स्मृतिकार हैं—मनु बुध्न्याति दश गौतम धन अत्रिना योगेश्वर प्रकृता शालास्य पराशर, लक्ष्मी उदता धन लिखित, अत्रि बिल्हण आपस्तम्ब हारीत। उपस्मृतियों के लेखक हैं—नारद पुत्रको गार्ग्य पुत्रस्य शौनक ऋषु। बौधायनो बानुवर्षो विद्वानिना विनायक ॥ आचार्यनीचिरेतरच स्वयो लीगालि चउपरी। ध्याम मनुगुवाचश्च शालगुर्जनचलका ॥ ध्याम काप्यायनदर्शक आनुष्य बरिभ्रमः। बोधायनस्य वापायो विद्वानिभ्रमर्षच अ। पैठीतमिर्षोदितरचैरव्ययस्मृतिविधायक ॥ अन्य २१ स्मृतिकार हैं—बसिष्ठो नारदश्चैव पुत्रस्य विनायक। बिल्हणो बार्हस्पतिरा सपत्नो गार्ग्यश्च वैश्वानरः ॥ जमदग्निर्षोदितः कुलस्य पुत्रः ऋषु। आश्वलाय गवे-श्च अरिचिर्षल एव अ ॥ वात्स्यैरवर्ष्यगुणा वैश्वानरस्यर्षच अ। इत्येते स्मृतिकार एव विद्वानि रीतिना ॥ श्रीरामचन्द्र परित्याग प्र १ १८।

बाळ-निर्णय सरल नहीं है। कुछ छो प्राचीन सूत्रों के छन्दों में संक्षेपत मान हैं यथा धत्त। कभी-कभी हो या तीन स्मृतियाँ एक ही नाम के साथ चम्पती हैं, यथा छातातप हारीत अत्रि। कुछ में छो पूर्णरूपेण साम्प्रदायिकता पायी जाती है यथा हारीतस्मृति ओ वैष्णव है। कुछ स्मृतियों के प्रणेता हैं प्रमुख स्मृतिकार-किन्तु कुछ बृहद् एक लघु भी उपाधियों के साथ यथा बृह-याज्ञवल्क्य बृह-गार्ग्य बृह-मनु, बृह-वसिष्ठ, बृहद् पराशर आदि।

यहाँ मनुस्मृति से आरम्भ करते हम प्रसिद्ध स्मृतियों की चर्चा करेंगे। ये सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। कुछ छो केवल व्याख्याओं में उल्लिखित हैं। धर्मज्ञानों का छोड़कर अधिक-से-अधिक एक दर्शन स्मृतियों के आधारकार हो चुके हैं। मनुस्मृति के बाव याज्ञवल्क्य की महिमा विशेष रूप से पायी जाती है।

३१ मनुस्मृति

मातृवर्ष में मनुस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण सन् १८१३ ई. में (कम्पकता में) हुआ। उसके उपरान्त इसके इतने संस्करण प्रकाशित हुए कि उनका नाम रोगा सम्भव नहीं है। इस ग्रंथ में निर्णयसागर के संस्करण एक कुम्भकमट्ट की टीका का प्रयोग हुआ है। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कई बार हो चुका है। डा. बृहस्पति का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने एक विद्वत्तापूर्ण मुद्रिका में कतिपय समस्याओं का उद्घाटन भी किया है।

श्रद्धेय में मनु को मानव-जाति का पिता कहा गया है (श्रु. १. ८. १६ १. ११४ २. २. ३३ १३)। एक वैदिक कवि ने स्तुति की है ताकि वह मनु के मार्ग से च्युत न हो जाय। "एक कवि ने कहा है कि मनु ने ही सर्वप्रथम मत्त किया (श्रु. १. १३. ७)। तीर्तरीय संहिता एक शास्त्र-महावाङ्मय में आया है जि मनु ने जो कुछ कहा है श्रद्धेय है ("यई कि च मनुवचतद् भेषजम्" टी. स. २. २. १. २ "मनुर्व यत्किञ्चान्तद् भेषज भेषजतायै — शास्त्र २३ १६ १७)। प्रथम में "मानस्यो हि प्रजा" कहा गया है। तीर्तरीय संहिता तथा ऐतरेय ब्राह्मण में मनु के विषय में एक गाथा है जिसमें उन्होंने अपनी सम्पत्ति को अपने पुत्रों में बाँटा है और अपने पुत्र नामाभेदिष्ठ को कुछ नहीं दिया है। धनपत्र ब्राह्मण में मनु और प्रथम की कहानी है। गिरकन में भी मनु स्वायम्भुव के मठ की चर्चा हुई है। अथ वास्तु के पूर्व पद्यबद्ध स्मृतियों की और मनु एक व्यवहार प्रणता थे। गौतम बधिष्ठ, आपस्तम्ब में मनु का उल्लेख किया है। महाभारत में मनु को कभी केवल मनु, कभी स्वायम्भुव मनु (शांति २१ १२) और कभी प्राचेतस मनु (शांति ५७ ४३) कहा गया है। शांतिपर्व (३३६ १८ ४६) में आया है कि जिस प्रकार भगवान् ब्रह्मा ने एक ही सृष्ट्य स्रष्टेको में धर्म पर किया जिस प्रकार मनु ने उन धर्मों को उद्घोषित किया और जिस प्रकार उषता तथा बृहस्पति ने मनु स्वायम्भुव के धर्मों के आधार पर शास्त्रों का प्रणयन किया। महाभारत में एक स्वात पर चित्रक कुछ विषय हैं और वहाँ मनु का नाम नहीं आया है। शांतिपर्व (५८ ८०-८५) में बताया है कि जिस प्रकार ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ एक नाम पर एक काल अध्याय सिद्धे और वह महाधर्म वास्तव में विद्यामाल इन्द्र वासुदेवक नृप स्पति एक वाच्य (उषता) द्वारा धर्म से १ ५ ३ एक १ अध्यायों में सक्षिप्त किया गया। नारद-स्मृति में आया है कि मनु ने १ इतानों १ ८ अध्यायों एक २४ प्रकरणों में एक धर्म शास्त्र सिद्धा और उसे नारद को पढ़ाया जिसने उक्त १२ अध्यायों में सक्षिप्त किया और मार्चधर्म को

पद्याया। मार्कण्डेय ने भी इसे ८, इसीको म ससिप्त कर मुमति धार्यक को दिया जिन्होंने स्वयं उसे ४ स्तोत्रा में ससिप्त किया। वर्तमान मनुस्मृति में आया है कि (१ ३२ ३३) ब्रह्मा से विराट् की उद्भवति हुई जिह्वात् मनु को उत्पन्न किया जिनसे मनु, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने मनु को शास्त्राभ्ययन कराया मनु ने इस ऋषिया (१ ५८) को बहु ज्ञान दिया कुछ बड़े ऋषि मनु के यहाँ गये और बर्षों एक मध्यम जातिया क बर्षों (कर्तव्या) का पढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना की और मनु ने कहा कि यह कार्य उनके शिष्य मनु करेंगे (१ ५९ ९)। मनुस्मृति में यह पढ़ाने की बात आरम्भ से अन्त तक है और स्वातन्त्र्य-स्वात पर ऋषि शोभ मनु के श्याप्यान को राजकर उनसे कठिन बातें समझ सेते हैं (५ १२ १२ १२)। मनु सर्वत्र विराजमान हैं उनका नाम 'मनुराह' (१ १५८, १ ७८ आदि) या 'मनुरात्रीत् या 'मनोरतुसासनम्' (८ १३९, २७, ९ २३० आदि) क रूप में वर्जनों द्वार ज्ञाया है। मन्विष्यपुराण ने अनुवाद, ऐसा कि हम हेमाद्रि संस्कारमयूक तथा अन्य ग्रन्था से पता चलता है स्वायम्भुव-शास्त्र के चार सत्वरण से जो मनु, नारद बृहस्पति एवं अगिरा द्वारा प्रणीत थे।" अति प्राचीन लेखक विरहवप ने मनु स्मृति के उद्धरण दिये हैं और जहाँ मनु स्वयम्बु कह गये हैं (मात्र पर भाग्य २ ७३ ७४ ८१ ८५, जहाँ मनु ८ १८ ७ ७१ १८ एवं १ ५९ नमस स्वयम्बु के नाम से उद्धृत हैं)। किन्तु विरहवप द्वारा उद्धृत मनु की बातें मनुस्मृति में नहीं पायी जाती। इसी प्रकार अपराकं द्वारा उद्धृत मनु की बातें भी मनुस्मृति में नहीं पायी जाती।

मनुस्मृति का प्रथमन जिसने किया यह कहना कठिन है। यह सत्य है कि मानव के आदि पूर्वज मनु ने इसका प्रथमन नहीं किया है। इसके प्रणता ने अपना नाम क्यों दिया गया यह कहना दुस्कर ही है। जो सचना है कि इस महान् ग्रन्थ को प्राचीनता एक प्रामाणिकता होने के लिए ही इसे मनुवृत्त कहा गया है। मन्मसूक्त के साथ ही बुद्धकर ने यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मानवचरन के धर्ममूक का सगो रिक्त रूप ही मनुस्मृति है। किन्तु सम्भवत मानवधर्ममूक नामक ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नहीं था (इलिए प्रकरण १३)। महाभारत में स्वायम्भुव मनु एक प्राचेतस मनु में अन्तर बताया है जिसमें प्रथम धर्मशास्त्रकार एक दूसरा अर्धशास्त्रकार कहे गये हैं। नहीं-नहीं कबल मनु राजधर्म या अर्धविद्या के प्रणता कहे गये हैं। हा सचना है आरम्भ में मनु के नाम से दो ग्रन्थ रहे हुये। जब कौटिल्य 'मानवों' की ओर संकेत करत है तो वहाँ सम्भवत के प्राचेतस मनु की बात उठाने हैं।

चाह जो हो यह कल्पना करना असंभव नहीं है कि मनुस्मृति के लेखक ने मनु के नाम वाले धर्मशास्त्र एक अर्धशास्त्र की बातों को के किया। यह बात सम्भवत कौटिल्य को ज्ञान नहीं थी क्योंकि सम्भवत तब तक यह सघापन सम्पादन नहीं हो सका था या हुआ भी रहा होगा तो कौटिल्य का इसकी सूचना नहीं थी। वर्तमान मनुस्मृति में उनके भेदक को स्वायम्भुव मनु कहा गया है जिसके अतिरिक्त छ अन्य मनुओं की कथा की गयी है जिसमें प्राचेतस की सचना नहीं हुई है।

वर्तमान मनुस्मृति में १२ अध्याय एक २९९४ पदोक्त हैं। मनुस्मृति मूल एक पाठप्रवाह हीनी में प्रणीत है। इसका व्याकरण अथियारा में पाणिनि-अध्याय है। इसका निदान्द मीठम शोषायन एक आरस्तम्भ के धर्ममूकः

८८ आर्षबोया शारदीया कर्तव्ययाद्रित्यपि। स्वार्थयुवस्य दासत्रय चतस्रः सतिता भग्न ॥

अनुसर्षं शातपथ पृ ५३८, संस्कारमयूक पृ २।

से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। इसके बहुत-से श्लोक वसिष्ठ एवं विष्णु के वर्मसूत्रों में भी पाये जाते हैं। भाषा एवं शिष्टाश्रमों में मनुस्मृति एवं कौटिलीय में बहुत-कुछ समानता है।^{८१}

मनुस्मृति की विषय-सूची यह है—(१) वर्णधर्म की शिक्षा के लिए ऋषिगण मनु के पास जाते हैं मनु बहुत कुछ शास्त्र मठ के अनुसार आत्मरूप से स्थित भगवान् से निस्स-सृष्टि का विवरण लेते हैं विष्णु की उत्पत्ति विष्णु से मनु, मनु से इस ऋषियों की सृष्टि हुई मति-माति के बीच यथा—मनुष्य पशु, पक्षी आदि की सृष्टि, ब्रह्मा ने वर्म-शिक्षा मनु को की मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया मनु ने भृगु को ऋषियों को वर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया स्वामनुक मनु से छ अन्य मनु उत्पन्न हुए निम्न से वर्ण-धर्म की शिक्षा देना शुरू एक उनके सम्प्रदाय-प्रकाश एक सहाय युग ब्रह्मा के एक दिन क बराबर है मन्तर, प्रथम का विस्तार चारों युगों में तमस परमावधि चारों युगों में विभिन्न वर्म एवं सभ्य चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य ब्राह्मणों एवं मनु के शास्त्र की स्तुति आचार परमोच्च वर्म है सम्पूर्ण शास्त्र की विषय सूची (२) वर्म-परिभाषा वर्म के उपादान हैं वेद स्मृति मन्त्र लोगो का आचार, आत्मसृष्टि इस शास्त्र के लिए विवका अधिकार है ब्रह्मावर्त ब्रह्मविषय मन्त्रसंज्ञा आदर्श की सीमाएँ सत्कार क्यों आवश्यक है ऐसे सत्कार, यथा—आत्मधर्म नामधेय ब्रह्मकर्म उपतमन वर्णों के उपतमन का उचित कास उचित मेलना पवित्र बनेऊ, शीत वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए वस्त्र मुपलब्धता ब्रह्मचारी के कर्तव्य एवं आचरण (३) ११ १८ एवं १ वर्णों का ब्रह्मधर्म समावर्तन विवाह विवाहव्याप्त्य कर्तव्य ब्राह्मण वर्णों की सङ्कल्पों से विवाह कर सक्ता है आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा क्रिद जाति के लिए कौन विवाह उपयुक्त है पति-भाली के कर्तव्य सारी-स्तुति पञ्चाङ्गिक गृहस्थ-जीवन की प्रथमा अतिथि-सत्कार मनुष्यकं याद आठ पर कौन निमन्त्रित नहीं होते (४) गृहस्थ की धीम-विधि एवं वृत्ति स्नातक-आचार-विधि जन्मप्राय-नियम व्रत एवं अव्रत धोष्य एवं वेद के लिए नियम (५) कौन-से मास एवं ठरकारियाँ खानी चाहिए जन्म-मरण पर अत्यधिक उपविष्ट एवं समाप्त की परिभाषा विभिन्न प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के स्वर्ण से पवित्री-करण पत्नी एवं विधवा के कर्तव्य (६) शान्तस्व होने का काल उसकी जीवनचर्या परिवारक एवं उसके कर्तव्य गृहस्थ-स्तुति (७) राजधर्म वस्त्र-स्तुति राजा के लिए चार विधाएँ काम से उत्पन्न राजा के इस अवयुक्त एवं शेष से उत्पन्न आठ अवयुक्त (दोष) मन्त्रि-परिषद की रचना ब्रह्म के गुण (पात्रता) दुर्ग एवं राजपात्री पुरय एवं विभिन्न विनायो के अल्पस्य युद्ध-नियम धाम शान्ति मेह एवं वस्त्र नामक चार धाम प्रामुख्यता से उभर जाते राज्याधिकारी कर-नियम ब्राह्म राजाओं के मन्त्रक की रचना छ गुण एवं युद्ध-स्थिति शत्रु पर आक्रमण आसन धारण सेवा एवं ईश विजयी के कर्तव्य (८) श्यामाशयन-सम्बन्धी राजा के कर्तव्य व्यवहारा के १८ नाम राजा एवं श्यामापीथ अन्य श्यामापीथ समा-रचना नावात्मिका विधवाओं वरु-हाय योग्य दोष आदि को दैवने के लिए राजा का वर्म चारी गये हुए धन का फटा कगाव में राजा का कर्तव्य दिये हुए ऋण को प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के धाम स्थितियाँ विनाश कारण अधिकारी मुकदमा हार जाता है साधिया की पात्रता साध्य के लिए अत्याय्य व्यक्ति धन्य भूठी गवाही के लिए वर्म-वस्त्र

८१ तुलना कौटिल्य—'अक्षयतावार्ध लक्षपरिपलक्षी रक्षितविधवावर्ती बुद्धय तीर्ष्व प्रतिपादितौ च।
कौटिल्य (१४) और 'अक्षयविष्णुर्दण्डेन लक्ष्य रक्षोद्वेषया। रक्षितं वक्ष्येत् बुध्या युतं पात्रेवु निरक्षरत् ॥ मनु
(७ १ १)।

धारीरिक दण्ड के रूप धारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छुटकारा ठीक एवं बटवारे स्मृततम मम्मम एव अधिकतम अर्ध-दण्ड व्याज-दर प्रतिज्ञाएँ प्रतिक्रम (विपक्षी के) अधिकार से प्रतिज्ञा सीमा नाबाधिय की भूमि-सम्पत्ति दान-संग्रह राजा की सम्पत्ति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता इन्दुपत् का नियम इन्धक पिता के कौन-से ऋण पुत्र नहीं देना सभी सेन-सेन को कपटाधार एव बन्धप्रयोग मष्ट कर देता है जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा विजय स्वत्व एव अधिकार सासा प्रत्यादान मजदूरी का न देना परम्परविरोध विजय विरोध स्वामी एव पौरसक के बीच का समझा गाँव के इर्दगिर्द के चरगाहा सीमा-सर्पय नाकिर्मा (अपराध) अपवाद एव विमान-बचन आक्रमण मर्दन एव कुबेष्टा पृष्ठभाग पर कौडा मारना चोरी साहस (यथा हुर्या इनीती आदि के कार्य) स्वरक्षा का अधिकार ब्राह्मण कब मारा जा सकता है अ्यभिचार एव बछा-त्वार, ब्राह्मण के लिए मृत्यु-दण्ड नहीं प्रत्युत वेद्य-निकाका माता-पिता पत्नी बन्धन कमी भी त्याग्य नहीं हैं बुनियाँ एव एकाधिकार दासा के सात प्रकार (९) पठि-पत्नी ने न्याय्य (अबह्वायानुकूल) कर्तव्य विधियों की मस्तता पाठिबठ की स्तुति बचना जिसको मिसना चाहिए, बन्धक को या जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न हुआ है नियोग का विवरण एव उसकी मर्लता प्रथम पत्नी को कब अतिभमण दिया जा सकता है विवाह की अवस्था बँटवारा इसकी अवधि श्येष्ठपुत्र का विशेष भाव पुत्रिका पुत्री का पुत्र मोद का पुत्र शूद्र पत्नी से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकार बाखू प्रकार भी पुत्रता पिण्ड किसको दिया जाता है सबसे निबट नामा सपिण्ड उत्तराधिकार पाता है अनुस्य दुर एव सिष्य उत्तराधिकारी के रूप में ब्राह्मण के पन को छोडकर अन्य किसी के पन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है स्त्रीबन के प्रकार स्त्रीबन का उत्तराधिकार कतीयत से हटाने के कारण किस सम्पत्ति का बँटवारा नहीं होता विद्या के काम पुनर्मिन्न माता एव पितामह उत्तराधिकारी के रूप में बँट ही जानेवाली सम्पत्ति जुआ एव पुरस्कार ये राजा द्वारा बन्द कर दिये जाने चाहिए पञ्चमहापाप उनके लिए प्रायश्चित्त जात एव अज्ञात (मुष्ट) चोर बन्दीगृह राज्य के सात अग बीस्य एव दृष्ट के कर्तव्य (१) वेकल ब्राह्मण ही पत्रा स्रता है मिथित जातियाँ श्लेष्ठ कम्बोज मवन पात्र सबसे लिए आचार-नियम चारा बनों के विरोधाधिकार एव कर्तव्य विपत्ति म ब्राह्मण की कृति के माधन ब्राह्मण कौन-से पदार्थ न विजय करे औषिवा प्राप्ति एव उसके सापन न सात उचिन दग (११) जान-स्तुति प्रायश्चित्त के बारे म विविध मठ बहुत-से देखे हुए प्रतिक्रम पूर्वक्रम के पाप के कारण रोग एव धारीर-बोध पञ्च नैतिक पाप एव उनके लिए प्रायश्चित्त उपपातन और उनके लिए प्रायश्चित्त मात्मगन पठन आश्रामगण जैसे प्रायश्चित्त पापनाशन पूत मष्ट (१२) कर्म पर विवेचन शेषत भूनात्मा जीव नरक-कष्ट मत्स एव तमम् नामक तीन पुत्र नि धमस की उत्पत्ति किससे हज़ी है जानन्द का सर्वोच्च पापन है आतम ब्रान प्रकृत एव निवृत्त कर्म फलप्राप्ति की इच्छा में रहित होकर जो कर्म किया जाय वही निवृत्त है वेद-स्तुति तर्ष का स्वान सिष्ट एव परिषद् मानवशास्त्र के अध्ययन का पुरस्कार।

मनु को अपने पुत्रों के साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने तीन वेदों के नाम लिखे हैं और अथर्ववेद को अथर्वविरली स्मृति (११ १३) कहा है। मनुस्मृति में आरभ्यर छ वेदों की पर्यायवाची भी बर्णना आयी है। मनु ने अग्नि उत्तमपुत्र (धीनम) ऋगु धीनम अग्निष्ट, वैश्वानर आदि पर्यायवाचकना का उल्लेख किया है। उन्होंने आश्राम इतिहास पुराण एव तिलो का उल्लेख किया है। मनु ने वैशाल की प्रति ब्रह्म का वर्णन किया है लेकिन यहाँ यह भी कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने उत्पत्तिपद् की ओर संकेत किया है। उन्होंने वेदब्राह्मण समुपन की बर्णना करने मानो यह दर्शाया है कि उन्हें विरोधी पुनरुत्था का ज्ञान था। हो सकता है कि एसा विचार उन्होंने बौद्धों जैनों आदि की ओर संकेत किया है। उन्होंने कर्म-विरासियों और उनको

ध्यावसायिक धर्मियों का उत्प्रेषण किया है। उन्होंने आसितकता एवं वेदों की निन्दा की और भी संशय किया है और बहुत प्रकार की बौद्धियों की चर्चा की है। उन्होंने किंचित् 'अपरे' 'अन्ये' कहकर अन्य श्रेणियों के मत का उच्चाटन किया है।

बुद्धर का बचन है कि पहले एक मानव-धर्मसूत्र का विषयका रूपान्तर मनुस्मृति में हुआ है। किन्तु, शास्त्र में यह एक कोरी कल्पना है क्योंकि मानवधर्मसूत्र का ही नहीं।

अब हम आन्तरिक एवं बाह्य साक्षियों के आधार पर मनुस्मृति के काल-निर्णय का प्रयत्न करते। प्रथमतः हम बाह्य साक्षियों से हैं। मनुस्मृति की सबसे प्राचीन टीका महाशक्ति की है जिसका काल ई. ९ ई. यात्रकल्पयस्मृति के व्याख्याकार विष्णुसूक्त में मनुस्मृति के जो अंगमय २ श्लोक उद्धृत किये हैं वे सब बाह्योपदेशों के हैं। दोनों व्याख्याकारों ने वर्तमान मनुस्मृति से ही उद्धरण किये हैं। वेदान्तसूत्र के माध्यम से सरावचार्म ने मनु को अधिकतर उद्धृत किया है। वेदान्तसूत्र के सेनक मनुस्मृति पर बहुत निर्भर रहते हैं ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। कुमारिल के ठाकुराधिक में मनुस्मृति को सभी स्मृतियों से और गौतमधर्मसूत्र से भी प्राचीन कहा है। मूष्णकटिक (९, ३९) ने पापी ब्राह्मण के दण्ड के विषय में मनु का हवाला दिया है और कहा है कि पापी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड न देकर वैद्य-निष्कासन-दण्ड देना चाहिए। बलभीराव भारद्वाज के एक अभिलेख से पता चलता है कि ई. ५७१ ई. में वर्तमान मनुस्मृति उपस्थित थी। वैमिनिसूत्र के माध्यम से रसामी ने भी जो ५ ई. के बाद के नहीं हो सकते प्रत्युत पहले के ही हो सकते हैं मनुस्मृति को उद्धृत किया है। अपराध एवं दण्डक में भविष्यपुराण द्वारा उद्धृत मनुस्मृति के दण्डों की चर्चा की है। बृहस्पति ने जिनका काल ई. ५ ई. मनुस्मृति की मूर्ध्नि-मूर्ति प्रशंसा की है। बृहस्पति ने जो कुछ उद्धृत किया है वह वर्तमान मनुस्मृति में पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका में उल्लिखित भिन्नराय ने मनु के धर्मशास्त्र की चर्चा की है। अस्त्रधेय की बच्चसूक्तोपनिषद् में मानवधर्म के कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में पाये जाते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं मिलते। रामायण में वर्तमान मनुस्मृति की बातें पायी जाती हैं।

उपरोक्त बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि द्वितीय शताब्दी के बाद के अधिकतर श्रेणियों ने मनुस्मृति को प्रामाणिक ग्रन्थ माना है।

क्या मनुस्मृति के कई संशोधन हुए हैं? सम्भव नहीं। शास्त्रस्मृति में जो यह जाया है कि मनु का शास्त्र शास्त्र मार्गश्रेय एवं सुमति मार्गश्रेय द्वारा लक्षित किया गया भ्रमक उक्ति है शास्त्र में ऐसा कहकर शास्त्र में अपनी महत्ता गायी है। अब हम कुछ आन्तरिक साक्षियों की ओर भी संकेत कर ले।

वर्तमान मनुस्मृति यात्रकल्पय से बहुत प्राचीन है क्योंकि मनुस्मृति में व्यास-विधि-शताब्दी वाले अपूर्ण हैं और यात्रकल्पयस्मृति इस बात में बहुत पूर्ण है। यात्रकल्पय की विधि कर्म-सं-कर्म टीसटी शताब्दी है। अतः मनु स्मृति को इससे बहुत पहले रचा जाना चाहिए। मनु में बचने कर्मोंको सके पर कहा एक भीतो के तम लिखे हैं अतएव वे ई. पू. तीसरी शताब्दी से बहुत पहले नहीं हो सकते। योग कर्मोंक एक नाम्दार लोया का वर्णन अगाध क परिचय प्रस्तार-अनुसाधन में आ चुका है। वर्तमान मनुस्मृति मटन एवं सिद्धान्तों में प्राचीन धर्मसूत्रा अर्थात् पौन्य बीषायक एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्र से बहुत आये हैं। अतः निस्सन्देह इसकी रचना धर्मसूत्रों के उपरान्त हुई है। अतः स्पष्ट है कि मनुस्मृति की रचना ई. पू. दूसरी शताब्दी तथा ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी के बीच कभी हुई होगी। संशोधित एवं परिष्कृत मनुस्मृति की रचना बच हुई इस प्रश्न का उत्तर अतस्मृति एक महाभाग के पारम्परिक सम्प्रदाय के ज्ञान वर निर्भर करता है। श्री श्री एवं

माण्डूकिय ने कहा है कि मनुस्मृति ने महाभारत का आकाश किया है। बृहस्पति ने बड़ी छानबीन व उपगन्त यह उद्घोषित किया कि महाभारत व आर्यभट्टों एवं वेदों के बीच की मनुस्मृति का ज्ञान या हीन यह मानवधर्मशास्त्र मात्र ही मनुस्मृति में पहले रूप में सम्मिलित रूपका है। बिल्कुल यही बृहस्पति ने महाभारत व माघ अथवा पदापात ही प्रकट किया है। ह्योच्यते न यह कथा है कि महाभारत व वेदों के अन्त्य में वर्तमान मनुस्मृति की अर्थात् है। मनुस्मृति में बहुत-से 'गतिहासिक' नाम आये हैं यथा—अगिरा जगत्पति के मनुष्य मुचाम वीजवन निमि पुषु मनु, बृहस्पति गाधिपुत्र बभिवृत् बल्य अक्षया धारुणी इत अनीमर्त कामदेव मण्डान विष्णुमित्र। इनमें बहुत-से नाम वैदिक परम्परा के भी हैं। मनुस्मृति में यह भी कहा है कि य नाम महाभारत व है। महाभारत में 'मनुस्मृति' 'मनुस्मृत्या' 'मनुस्मृत्या' जैसे शब्द आये हैं जिनमें कुछ उद्धरण मात्र ही मनुस्मृति में पाये जाते हैं। 'मनु' अतिरिक्त महाभारत व बहुत-से अन्य मनुस्मृति में मिलते हैं यद्यपि यहाँ यह भी कहा गया है कि वे मनु से मिले गये हैं। इसमें स्पष्ट है कि मनुस्मृति महाभारत में पुराता प्रकृत है। ई पू चौथी सताब्दी में स्वयम्भुव मनु द्वारा प्रणीत एक धर्मशास्त्र का जो सम्मेलन पद्य में था। इसी नाम में प्राचीन मनु द्वारा प्रणीत एक राजधर्म भी था। हो सकता है कि वा प्रकृत व स्थान पर एक बृहद् प्रकृत रहा हो जिसमें धर्म एवं राजनीति नाम पर विभेदन था। महाभारत में प्राचीन का एक अर्थ उद्धृत किया है जो आज ही मनुस्मृति में उपा-व्याख्या पाया जाता है (० ५६)। उपसृक्त होता तत्कारयित मनु की पुत्रको की आर या कथत एक पुत्रक की आर यात्वा पीतम बीपायन एक कौटिल्य सवेत करत है। महाभारत में अनेक पद्य के पद्यों में उपा ही कथा है। यह बहुत-से प्रकृत आज ही मनुस्मृति का आधार एक सूत्रक है। तब ई पू दूसरी सताब्दी एक ईसा के उपगन्त दूसरी सताब्दी व बीच सम्मेलन मनु न मनुस्मृति का समावेश किया। यह हीन प्राचीन प्रकृत व सधियन एक परिचित रूप में प्रकट हुईं। इसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनु के बहुत-से उद्धरण जो अन्य पुत्रक में मिलते हैं आज ही मनुस्मृति में क्या नहीं प्राप्त होते। बात यह हुई कि समावेश में बहुत-सी धर्मों का भी और बहुत-सी आ गयी। वर्तमान महाभारत वर्तमान मनुस्मृति व आज की रचना है। मनुस्मृति का यह अर्थ कि मनुष्य मायक ने मनु व अन्य का ८ प्रकार में सधियन किया कुछ सीमा तक ही ही है। आज ही मनुस्मृति में लगभग ३ प्रकार हैं। हो सकता है ८ प्रकार में मनु-मनु एवं मनु-मनु व अनेक का भी सम्मिलित कर दिया है। मनुस्मृति का प्रभाव भारत व बाहर भी गया। अन्त में एक अन्तिम में बहुत-से प्रकार मनु (२ १३६) में मिलते हैं। अन्त में जो सम्मेलन है वह मनु पर आधारित है। अन्तिम हीन का वानुव मनुस्मृति पर आधारित था।

मनु व बहुत-से टीकाकार ही गये हैं। मयादिनि नीबिन्द्यग्रज एक कुम्भक व विषय में हम कुछ विस्तार में १३६ ७९ के एक ८/के प्रकरण में पढ़ें। इन लोगों व अतिरिक्त व्याख्याकार हैं माण्डव्याय यावका मनु मन्दन एक रामचन्द्र। कुछ अन्य व्याख्याकार व अनेक हीनियों पूर्णरूप में सम्मिलित नहीं हैं अन्य हैं एक कर्मीर टीकाकार (नाम अज्ञात है) अथवा उदयन भागुनि आर्यदेव पर्यापर। मयादिनि ने अनेक पद्य के मायकारों की आर सवेत किया है।

आश्विन अथवा एक प्रायश्चित्त पर विवरण (यात्र कर १ ९०) विद्याया मनुष्यविक्रम परापरमाधीय तथा अन्य लेखकों व बृह-मनु न दर्शन उद्धरण मिले हैं। विद्याया (यात्र कर १ २) तथा अन्य हीनियों ने अथवा मनु के कुछ प्रकार उद्धृत किये हैं। बिल्कुल अतीतक बृह-मनु एक अथवा मनु व वाई अथवा अन्य अथवा नहीं हो सके हैं।

३२ दोनों महाकाव्य

दोनों महाकाव्यों विशेषतः महाभारत में बहुत-से ऐसे स्थल हैं जहाँ धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातें पायी जाती हैं। कामान्तर ने पन्नों में रामायण एवं महाभारत की गणना स्मृतियों में हुई है। बाकिपर्व में महाभारत धर्मशास्त्र कहा गया है (२८३)।

रामायण तो प्रमुखतः एक काव्य है किन्तु एक आवर्ष ग्रन्थ होने के कारण यह महाभारत के समान धर्म का उपादान माना जाता है। कामान्तर ने किन्तुओं में इन काव्यों की पर्याप्त चर्चा हुई है। जयोम्या काण्ड (सर्ग १) तथा अरण्यकाण्ड (३३) में राजनीति एवं शासन-सम्बन्धी विवेचन आया है। मास क प्रथम दिन म अनध्याय के विषय में स्मृतिचक्रिका ने रामायण के मुखरकाण्ड (५९-३१) से पर्याप्त प्रशंसा स्मोक उद्धृत किया है।^{१०} तर्पण एवं याद पर भी रामायण से उद्धरण सिद्धे मने हैं (जयोम्या १३ ३ १४ १५)। इसी प्रकार द्वारस्तोत्र एवं अथर्वान्न (मास पर ३८-१) में रामायण से उद्धरण सिद्धे हैं।

हम यहाँ रामायण एवं महाभारत के काल-निर्णय के पक्ष में नही पढ़ेंगे। महाभारत में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातें सखित रूप में पाई हैं—अभियेक (शांति ४) अराजक (शांति ९७) अहिंसा (शांति २६४ २६६) आधमधर्म (शांति ६१ २४३ २४६) आचार (अनुशासन १४ आत्मनेधिक ४५) आपठर्म (शान्ति १३१) उपवास (अनु १६१ ७) गोस्तुति (अनु ५१ एवं ७३) तीर्थ (वनपर्व ८२ अनु २५ २६ सत्य ३५-५४) ब्रह्मस्तुति (शांति १५ १२१ २४६ २९५) दान (वन १८६, शांति २३५, अनु ५७-९९) दायमाय (अनु ४५ एवं ४७) पुत्र (अनु ४८ ४९) प्रायश्चित्त (शांति ३४ ३५, १६५) द्वाह्यग-श्रुति (शांति ७१-७८) भस्मान्धय (शांति ३६, ७८) राजनीति (समा ५, वन १५ उद्योग ३३ ३४ शांति ५९ १३ एवं २९८, आपमवासिक ५-७) धर्मधर्म (शांति ६ तथा ७) धर्मधर्म शांति ६५, २९७ तथा अनु ४८ ४९) विवाह (अनु ४४ ४६) याद (स्त्री-पर्व २६ २७ अनु ८७-९५)। रामायण में निम्नलिखित सूची सखित रूप में ही दी जा रही है—अभियेक (अयोम्या काण्ड १५ मुद्र १२८) अराजक (अयो ९७) पतन (त्रिपिन्वा १७ ३६ ३७ १८ २२ २३) राजधर्म (दान ७ अयोम्या १ आरण्य ६ ११ १४ ९ २९, ३३ ४ १०-१४ ४१ १६ मुद्र १०-१८ तथा ६७) याद (अयोम्या ७७ १ ३ १११ १ ४ १२) सत्यप्रसादा (अयोम्या १९) स्त्रीधर्म (अयोम्या २४ २६ २७ २९, ३९ ११७-११८)।

३३ पुराण

पुराणों की साहित्य-रचना बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राह्मणों इतिहासों पुराणों एवं नारायणी साधारणों की चर्चा हुई है। छात्रोपनिषद् (७ १ २ एवं ४) में 'इतिहास-पुराण' की पहचान देर बना गया है। बृहदारण्यक (४ १ २) में भी 'इतिहास एवं पुराण' का उल्लेख हुआ है। गीतमधर्मपुत्र में भी नाम दिया है। जगता है आरण्यक में बबल तक ही पुराण का। मत्स्यपुराण में आरण्यक के एक ही पुराण की बात कही है (पुराणमहाधर्मोत्तर तथा ब्रह्मसंहिता-तत्त्व)। पण्डितों ने महाकाव्य में पुराण एवं धर्म के आया है। आरण्यकधर्मपुत्र क उद्धरण में आप जाना है कि पुराण पद्यक का। विद्यमान पुराण पुराणों

का प्रत्यक्ष तत्त्व ही स्मृतिपुस्तकें बनाया। प्रतिपत्वाट्टीसय विशेष तनुता मता ॥

११ ब्राह्मणोपनिषद्वात् पुराणानि ब्रह्मसंहिता नारायणी। तैत्तिरीय आरण्यक (११)।

पुराणा के समोचित रूप हैं और सम्भवतः सद्योपन-कार्य रीति की कारमिक पानाश्रितियों में हुआ था। महा-
भारत ने साम्प्रदायिक का उल्लेख किया है। बाण न भी उस पुराण का नाम किया है। कुमारिल भट्ट के
वाक्य में पुराणा का उल्लेख हुआ है और विष्णु एक माहवर्षय नामक पुराणों में उद्धरण किया गया है। हमने
स्पष्ट है कि यदि सभी नहीं तो कुछ पुराण ६ ई. के पूर्व प्रणीत हो चुके थे।

परम्परा के अनुसार प्रमुख पुराण १८ एवं उपपुराण १८ हैं। इनके नामों के विषय में बड़ा मतभेद
है। मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न १८ नाम हैं—ब्रह्म पद्य विष्णु वायु, भागवत भारतीय मार्कण्डेय
आग्नेय भविष्य ब्रह्मर्षिर्बत इति बराह्मण्य नामतः वसु मत्स्य गरुड एव ब्रह्माण्ड। विष्णुपुराण ने अपनी
सूची में वायु के स्थान पर रौद्र कहा है। पुराणा एवं उपपुराणा के विषय में अन्य आनकारियों के लिए
भागवतपुराण (१० १३ ४-८) अवलम्बनीय है।

आरम्भिक भाष्यकारों में अथर्वण्ड्य अथर्वण्ड्य एव हेमाद्रि ने पुराणा को धर्म के उपांगत के रूप में
ग्रहण कर उनसे उद्धरण किया है। कुमारिल ने मनु पर टीकाओं में मत्स्यपुराण में उद्धरण किया है।
मत्स्यपुराण में धर्मशास्त्र-अथर्वण्ड्य बहूत-नी बातें आयी हैं। विष्णुपुराण में (३ अध्याय ११६) कर्णधर्म
के कर्णधर्म नियन्त्रितिक धियायै, गृहम्भ-अथर्वण्ड्य, पञ्चमहायज्ञ आनकम एव अन्य मन्वार मनु पर अर्थात्
आह्वानि क विषय में पर्याप्त वर्णन है। इसी प्रकार सभी पुराणों में धर्मशास्त्र की कुछ-न-कुछ बातें पायी
जाती हैं। अग्निपुराण में कुछ सौकेतिक नारदस्मृति में श्वो-व-त्यो वायु आते हैं। गरुडपुराण में अथर्वण्ड्य ४
सौकेतिक बतर्हीन इति मत्स्यवल्क्य के प्रथम एवं तृतीय प्रकरणों में लिखे गए हैं।

पुराणा की निश्चित-मत्स्य महाराष्ट्रा की भाँति बलिष्ठ ही है। यहाँ हम उदाहरण विवरण नहीं करते।
पुराणा के मौखिक मूल के विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपस्थित किया जा सका है। महा-
पुराणा की मत्स्य एव उनके विचारों के विषय में बड़ा मतभेद है। विष्णुपुराण के टीकाकार विष्णुविन्द ने
उनके ८, ९, १, २२, ६ पञ्चोक्तों का मत्स्यपुराण की धर्म की है विष्णु
उल्लेख केवल ६ पञ्चोक्तों का मत्स्यपुराण की ही टीका की है। इसी प्रकार अन्य पुराणा के विचारों के
विषय में मतभेद रहा है और आज भी है। आज का भारतीय धर्म पूर्णतः पौराणिक है। पुराणों में धर्मशास्त्र
सम्बन्धी अतर्कित विषय एव आगे पायी जाती हैं। १८ महापुराणा के अतिरिक्त १८ उपपुराण भी हैं।
इनके अतिरिक्त गण्ड्य मीदयत देवी कल्पि आदि पुराण-शास्त्रों के अन्य ग्रन्थ हैं। पद्य पुराण में १८ पुराणा
को ३ विभागा में विभाजित किया है यथा—आग्नेय रात्रम एव नामस और विष्णु भारतीय भागवत
गरुड पद्य एव बराह्मण का साहित्य माना है। मत्स्यपुराण में भी इसी विभाजन का माना है। बहूत-व पुराण
कल्पमूर्ति याज्ञवल्क्यमूर्ति पराशरमूर्ति नारदमूर्ति व बहूत बाद प्रणीत हुए हैं।

पुराणा में धर्म-अथर्वण्ड्य निम्न ज्ञान का उल्लेख हुआ है—आचार आश्रित्य अर्थात् आध्यात्मिक
मत्स्यवल्क्य ब्राह्मण (धर्मधर्म के अन्तर्गत) वाद (प्रतिष्ठा एव उपाय के अन्तर्गत) इत्यादि शेष एव
प्रकार अतिरिक्त अतिरिक्त कर्मकारण नरक नीति पालन प्रतिष्ठा प्रायश्चित्त राजधर्म मन्वार, धानि
आह्वान धर्मधर्म धर्म निधि (ज्ञान के अन्तर्गत) उपाय (अथर्वण्ड्य के विषय) कर्मधर्म विद्या (मत्स्यवल्क्य
के अन्तर्गत) ज्ञान व्यवहार, सुधर्म (अतिरिक्त के अन्तर्गत)।

६ याज्ञवल्क्यमूर्ति

इस स्मृति का प्रमाण देना बाध हुआ है। न्त एव ६ विद्वत्शास्त्र] मत्स्यवल्क्य (आगे पायी
५ - ०

द्वारा सम्पादित) तथा त्रिवेन्द्रम् के संस्करण बाकी विश्वरूप की टीका का हवाला दिया गया है।

याज्ञवल्क्य वैदिक ऋषि-परम्परा में आते हैं। उनका नाम शुक्ल यजुर्वेद के उद्घोषक के रूप में आता है। महाभारत (शांतिपर्व ३१२) में ऐसा नामा है कि वैशम्पायन और उनके शिष्य याज्ञवल्क्य में सम्बन्ध-विच्छेद हुआ और सूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद शतपथ भाषिका एषोम्येय अथवा स्मृति-प्रकाश मिला। पृथ-शिष्य के सम्बन्ध-विच्छेद वाली घटना की चर्चा बिल्कुल एक भावगत पुराणों में भी हुई है किन्तु उसमें और महाभारत बाकी चर्चा में कुछ भेद है। शतपथ ब्राह्मण में अग्निहोत्र के सम्बन्ध में त्रिवेन्द्र राज जनक एवं याज्ञवल्क्य के परस्पर कथनोपकथन की ओर कई बार संकेत हुआ है। शतपथ में आया है कि याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की विधियाँ सूर्य से पहल करके उद्घोषित कीं। बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य एक बड़े दार्शनिक के रूप में अपनी दार्शनिक मन बासी पत्नी यैत्री से बड़ा एक अमरता के बारे में बातें करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं (२ ४ एव ५)। उसी में याज्ञवल्क्य जनक द्वारा प्रकृत एक सहस्र नामों की एक विद्वान् ब्राह्मण के रूप में रु आते हुए प्रकृत हैं (३ १ १२)। पाणिनिमूल के बार्हिक में कात्यायन ने याज्ञवल्क्य से ब्राह्मणों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्यस्मृति (३ ११) में आया है कि इसके लेखक चाहे जो भी रहे हों, वे आरभ्यक प्रणेता थे। यह भी आया है कि उन्हें सूर्य से प्रकाश मिला था और वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। इसके नेत्रक घटना ही कहा जा सकता है कि इन बातों से याज्ञवल्क्यस्मृति में लेखक ने स्मृति को महत्ता दी है कि वह एक प्राचीन ऋषि दार्शनिक एवं योमी द्वारा प्रणीत हुई थी। किन्तु आरभ्यक एवं स्मृति का लेखक एक ही नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की भाषा में बहुत अन्तर है। मिताक्षरा में ऐसा लिखा है कि याज्ञवल्क्य के किसी शिष्य ने धर्मशास्त्र को उद्घोषित करके कथनोपकथन के रूप में रखा है। सारे ही आरभ्यक (बृहदारण्यकोपनिषद्) एवं स्मृति का लेखक एक व्यक्ति नहीं किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि याज्ञवल्क्यस्मृति शुक्ल यजुर्वेद से बनिये रूप से सम्बन्धित है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में निर्णयदातृसंस्करण त्रिवेन्द्रम् संस्करण एवं आतन्त्रात्मम संस्करण (विश्वरूप की टीका वाले) के अनुसार क्रम से १ १ १ ३ एव १ ६ स्कोक हैं। विश्वरूप में मिताक्षरा में जानेबाके आचार-सम्बन्धी ५ स्कोक छोड़ दिये हैं इसी से यह मिश्रण है। मिताक्षरा और विश्वरूप की प्रतियों में स्कोकों एवं प्रकरणों में गठन में अन्तर है। अपराध की प्रति भी इसी प्रकार निम्न है।

अग्निपुराण से याज्ञवल्क्यस्मृति के विषय की तुलना की जा सकती है। दोनों में बृहदारण्य-सम्बन्धी बहुत-सी बातें समान हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकार विश्वरूप ८-८२५ ई में विद्यमान थे। मिताक्षरा में लेखक (याज्ञवल्क्यस्मृति के दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विश्वरूप से लगभग २५ वर्ष बाद हुए। गदकपुराण में भी अग्निपुराण की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की बहुत-सी बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण में ही नहीं भी यह नहीं कहा कि इतना बड़ा याज्ञवल्क्यस्मृति का है किन्तु गदकपुराण में अज्ज स्वीकार किया है याज्ञवल्क्येन यन् (य ?) पूर्वं धर्म (धर्म ?) प्रोक्त (त ?) रूप हरे। तन्ने कथय वैदियन् वाकतय्येन मावध ॥) अग्निपुराण एवं गदकपुराण में याज्ञवल्क्य से क्या-क्या लिया है उस पर स्थान-संकोच के कारण यहाँ कुछ नहीं कहा जायगा।

धर्मसिद्धि-धर्मग्रन्थ में धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया है और याज्ञवल्क्य ने स्वयं सलक्षित या धर्मशास्त्रकार के रूप में माना है। इसके यह स्पष्ट होता है कि धर्मसिद्धि में सामने कोई प्राचीन याज्ञवल्क्यपरामुनि थी। इस बात में अनिश्चित कोई अन्य मूल हमारे पास नहीं है कि हम कहे कि इन स्मृति का कोई प्राचीन संस्करण भी था। विश्वरूप एवं मिताक्षरा में सम्बरना की तुलना यदि अग्नि एवं गदकपुराणों

से भी जाय तो यह अस्मक उठना है कि याज्ञवल्क्यस्मृति म ८ ई से लेकर ११ ई तक कुछ सांख्यिक परिवर्तन ब्रह्मस्य हुए, किन्तु मुख्य स्मृति सन् ७ ई से जब तक स्पों-की-स्पों बनी बापी है।

याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति से अधिक सुवर्णित है। याज्ञवल्क्य ने सम्पूर्ण स्मृति को तीन भागों में विभाजित कर नियमों को उनके उचित स्थान पर रखा है स्वर्ण का पुनश्चित्त-बोध नहीं जाने दिया है। दोनों स्मृतियों के नियम अधिकतर एक ही हैं, किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति अपेक्षाकृत सफ़िद है। इसी से मनुस्मृति के २७ श्लोकों के स्थान पर याज्ञवल्क्यस्मृति में केवल लगभग एक हजार श्लोक हैं। मनु के दो श्लोक याज्ञवल्क्य के एक श्लोक के बराबर हैं। समता है जब याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति का प्रथमन कर रहे थे तो मनुस्मृति की प्रति उनके सामने थी क्योंकि दोनों स्मृतियाँ म नहीं-नहीं धर्म-साम्य भी पाया जाता है।

सम्पूर्ण याज्ञवल्क्यस्मृति अनुष्टुप् छन्द म किसी हुई है। यद्यपि इसके प्रकृता का उद्देश्य बातों को बहुत बोध में बहना वा तथापि नहीं भी बबोध्यता नहीं टपकती। यैसी सरक एव वाचाप्रवाह है। पाणिनि के नियमों का पालन मरसक हुआ है किन्तु नहीं-नहीं कपुडता का ही गयी है यथा पुष्य (१ २९३) एव 'दुष्य' (२-२९९)। किन्तु निरुद्ध एव अपठक में इन दोषों से अपनी टीकाओं को मुक्त कर रहा है। मिता धारा के अनुसार याज्ञवल्क्य ने अपने धर्म सामग्र्य एव अन्य श्रुतियों व प्रति सम्बोधित किये हैं। नहीं-नहीं श्रुति लोग बीच में लेसक को टोक देते हैं।

यह कहा जाता है कि श्रुति लोगों ने मिथिमा में आकर याज्ञवल्क्य से कर्णों जायमों तथा अन्य बातों के पमों की शिला देने के लिए प्रार्थना की। संशेष म इस स्मृति की विवरण-सूची निम्न है बाण्ड १ — चौबह विचारों धर्म के बीच विस्मयन धर्मोपादान परिपु-गठन यमोपादान से लेकर विवाह तक व सम्भार उपनयन इत्यादि समय एव अन्य बातें बहुरात्री के आर्थिक वर्तम्य पत्राय जाने योग्य स्थिति बहुरात्री ने लिए कर्तित पदार्थ एव कर्म विचारों-नाल विवाह विवाहयोग्य बन्या की पाषता सविष्ट सम्बन्ध की सीमा अन्तर्जातीय विवाह काठा प्रकार के विवाह और उनसे प्राप्त आध्यात्मिक काम विवाहानिवाहन अन्तर्पुत्र पत्नी के रहते विवाह के कारण पत्नी-वर्तम्य प्रमुक्त एव पीग आनिमां पुरुष-वर्तम्य तथा पवित्र गृहानि रक्षण पत्र महात्मिक पत्र अतिवि-अन्तार ममुपर्व अग्रगमन व बारक मार्ग-नियम चारा कर्णों के विधेयाधिकार एव वर्तम्य सबने लिए आचार व दत्त सिद्धान्त पुरुष-जीविता-भूति पूत वैदिक यत्र स्नातन-वर्तम्य अन्ध्याय भद्रयामक्य के नियम मात प्रयोग-नियम कनियम पदावों का पवित्रीकरण यथा—बानु एव लकरी के बरतन दान दान पाते के पात्र नील दान को ग्रहण करे दान-पुरस्कार मोदान अन्य बस्तु-दान शान सखम बडा दान धाड़ इसका उचित समय उचित स्थिति जो धाड़ के बुलाये पाये इसका लिए अयोग्य स्थिति निरन्तरिण शास्त्रों की कस्या धाड़-विधि धाड़ प्रकार, यथा पार्षथ वृद्धि एषोहित सवित्रीकरण धाड़ म नील-ना मात दिया जाय धाड़ करने का पुरस्कार विनायक एव मत्र घटा की शान्ति के लिए क्रिया-मन्तार रात्रधर्म रात्रा व पुत्र कर्त्री पुराहित रामानुमानन रवार्थ रात्रा-वर्तम्य म्याय मातन कर एव स्थय कनियम बायों का दिन-नियम मन्त्र-रचना चार मापन पद गण साम्य एव मानवीय उद्योग इत्यादि म पत्रागण-रहितना तील-बदलने की इत्यादि अर्थ-दण्ड की अनियाँ।

बाण्ड २— म्यायप्रबन (म्यायाण्य) के महस्य म्यायाण्य म्यबहाएव की परिभाषा कर्त विधि अति योग उत्तर उपादान तथा मूठ दल या माटी पर अविद्योय धर्ममात्र एव अर्थमात्र वा वरगर-विशेष उपनिषि लेखप्रधान मारितयो एव स्वन्ध व मापन स्वन्ध एव अविचार म्यायाण्य के प्रकार, बल उपादान धारता बरी अज्ञानम्यबहाएवता एव अति-रति व अन्य बावक कामानों की प्राप्ति कोय ऊच्य धाड़-दर

समुस्त परिवार के ऋण पुनः पिता के किस ऋण को न वे ऋण-निक्षेपण तीन प्रकार के बन्धक प्रतिज्ञा बना साक्षीयन उनकी पात्रता अपात्रता अपच-ग्रहण मिथ्यासाक्षी पर बन्धक केसप्रमाण तुला बल अग्नि विष एव पूत बल के विषय बँटवारा इसका समस्त विभाजन में स्त्रीभाव पिता-मृत्यु के बाद बँटवारा विभाजनयोग्य सम्पत्ति पितापुत्र का समुक्त स्वात्मिक बरहू प्रकार के पुत्र बूढ़ का अनौरस पुत्र पुत्रहीन पिता के लिए उत्तराधिकार पुनर्मिळन ध्यावर्तन स्त्रीयन पर पति का अधिकार सीमा-विबाह स्वामी गोरक्षक-विबाह स्वात्मिक के बिना विजय दान की प्रमादहीनता विक्रम-विद्योप भृत्यता-सम्बन्धी प्रतिज्ञा का मम होना बलप्रमाण द्राघ वास्य परम्परा-विराज मरहूरी न देना जुभा एव पुरस्कार-मुद्र अपसन्न मानहानि एव पिशुनबचन आशमक षोडशारि साहस वासा चोरी ध्यमिचार बन्ध होव स्वयं पुनरवकोकन। खण्ड ३—बलाना एव पात्रता मरे व्यक्तियों को बल-सर्वण उनके लिए जिनके लिए न रोना गमा और न बल-सर्वण किया गया कतिपय व्यक्तियों के लिए परिवेदन-अवधि दोस्तप्रकट करनेवाले के नियम बन्ध पर अगुडि जन्म-मरण पर उत्पन्न पवित्रीकरण के उदाहरण समय अग्नि क्रिया-संस्कार, पक आदि पवित्रीकरण के साधन विपत्ति में आचार एव औचिकता-भूति दानप्रत्य के नियम यति के नियम अस्त्रमा शरीर में किस प्रकार आवृत है भ्रूज (गर्मस्व सिधु) के कतिपय स्तर शरीर में अस्थि-संस्था यज्ञत् फीहा आदि शरीरगत बमनियों एव रक्त-स्रानुको की सत्या आत्म-विचार मोक्षमार्ग में सजीत प्रयोग अपवित्र वातावरण में पूत जाणा जैसे जन्म लेती है पापी किस प्रकार विभिन्न पशुओं एव पदार्थों की भोगि में उत्पन्न होते हैं सोभी किस प्रकार अमरता ग्रहण करता है उत्पन्न एव तम के कारण तीन प्रकार के कार्य बाल-ज्ञान के साधन दो मार्ग—एक मोक्ष की ओर और दूसरा स्वर्ग की ओर पापियों के भोग के लिए कतिपय भोग-व्याधि प्रायश्चित्त-प्रयोजन २१ प्रकार के नरको के नाम पञ्चमहापातक एव उनका समान अन्य कार्य उपपातक बहू-हत्या तथा मनुष्य-हत्या के लिए प्रायश्चित्त पुरापान मानवीय एव क्षतव्य पगो तथा विभिन्न प्रकार की पशु-हत्याओं के लिए प्रायश्चित्त समय स्वान अक्षत्सा एव समर्पता के अनुष्ठान अधिक वा कम शुद्धि नियम न माननेवाले पापियों का निष्कासन गुण शुद्धियाँ बस धम एव नियम शान्त-पन महापातक उपद्रव्य पराक चाण्डाल्यन एव अन्य परिशुद्धियाँ इस स्मृति के पाने से पुरस्कार।

बदा के अतिरिक्त छ वेदानो एव चौबह विद्याओं (चार वेद छ अम पुराण स्याव मीमांसा वर्म शास्त्र) की चर्चा मात्रबन्धव्यस्मृति में हुई है। अपने अन्य आरम्भिक एव मोक्षशास्त्र की चर्चा भी मात्रबन्धव्य में की है। बन्ध आरम्भिको एव उपनिषदों का भी उल्लेख हुआ है। पुराण भी बहुबचन में प्रयुक्त हुए हैं। इतिहास पुराण वाचावाक्य एव नारायणी मायाओं की भी चर्चा आयी है। आरम्भ में ही मात्रबन्धव्य में अपने को छोड़कर १९ बर्मशास्त्रकारों के नाम भिन्न हैं किन्तु स्मृति के भीतर अन्य में कहीं भी किसी का नाम नहीं आया है। उन्होंने आशीर्वादो (अध्यात्मशास्त्र) एव ब्रह्मगीति (१ ३११) के विषय में चर्चा की है। बर्म शास्त्र एव बर्मशास्त्र के विषय में उन्होंने प्रथम को माय्यता की है (२ २१)। उन्होंने सामान्य इहं छि स्मृतियों की चर्चा की है। पूजा एव भाष्यो की ओर भी धनेत किया है किन्तु कहीं किसी केकक का नाम नहीं आया है। उन्होंने सम्पन्न पतञ्जलि व माय्य की ओर धनेत किया है। 'एके' (१ १६) बह्वर बन्ध बर्मशास्त्रकारों की ओर धनेत अक्षय्य किया गया है।

मात्रबन्धव्य में किञ्चुधर्मपूत्र की बहुत-सी बातें मान ली हैं। इनकी स्मृति एव शौचनीम में पर्याप्त समानता दिखाई पड़ती है। मात्रबन्धव्यमणि के बहू-से श्लोक मनु के बचन के पैर में बैठ जाते हैं। किन्तु मात्रबन्धव्य मनु की बहू-से बान नहीं मानते और बर्म बला एव प्रमगा में वे मनु में बहू-से बहू-से विचारण

उहरते हैं। मित्र बालों में मित्रताएँ पायी जाती हैं—मनु ब्राह्मण को याज्ञवल्क्य से विवाह करने का आदेश कर देते हैं (३ १३) किन्तु याज्ञवल्क्य नहीं (१ ५९)। मनु ने नियोग का वर्णन करके उमकी मर्त्या का ही (९ ५९ ६८) किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा नहीं किया है (१ ६८ ६९)। मनु ने १८ ब्यवहारणों के नाम किये हैं किन्तु याज्ञवल्क्य ने एसा न करके केवल ब्यवहारण की परिभाषा की है और एक अन्य प्रकरण में ब्यवहार पर विशिष्ट स्मृति जोड़ किये हैं। मनु पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी का दायभाग पर ध्यान है किन्तु इस विषय में याज्ञवल्क्य विस्तृत स्पष्ट हैं उन्होंने विधवा को सर्वोपरि स्थान पर रखा है। मनु ने अप्त की मर्त्या की है किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य-नियन्त्रक में रखकर कर का एक उपादान बना डाला है (२ २ ०-२ ३)। इसी प्रकार कई बातों में याज्ञवल्क्य मनु से बहुत आगे हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति में मानवगुणसूत्र (२ १५) से विनायक-धाम्नि की बातें म नी हैं, किन्तु विनायक की अन्य उपाधियाँ या नाम नहीं किये हैं यथा—मित सन्मित मानवदङ्क एव कृप्याशङ्कानुवृत्त।

याज्ञवल्क्यस्मृति का दूसरा यजुर्वेद एवं उसके माहिस्य से घटा सम्बन्ध है। इस स्मृति में बहुत-से उद्धृत मन्त्र ऋग्वेद एवं ब्राह्मणेयी महिषा दोनों में पाये जाते हैं उनमें कुछ तो वैदिक ब्राह्मणेयी महिषा के हैं। स्मृति में कुछ अथ बृहदारण्यकोपनिषद् के वैदिक अन्वय मात्र हैं। पास्तुरगुणसूत्र में भी इस स्मृति का बहुत पैल है। कात्यायन के श्राद्धवन्ध से भी इस स्मृति की बातें कुछ मिलती हैं। गौटम्य के अर्थ पास्त में बहुत साम्य है।

याज्ञवल्क्य के काल-निश्चय में ९वीं शताब्दी के उपराल का साक्ष्य नहीं मिला है यद्यपि उस शताब्दी में इसने व्याख्याकार विस्तृत हुए थे। याज्ञवल्क्य विद्वत्त्व में कई शताब्दी पहले के थे। विद्वत्त्व के पूर्व भी याज्ञवल्क्य के कई शिष्याओं से एसा निश्चय की टीका में प्राप्त होता है। भीष्मराज ने अपन प्रायश्चित्त मयूष में कहा है कि पातराचार्य ने अपने ब्राह्मणों के माध्य में याज्ञवल्क्य (३ २०९) की बातें कही हैं। बहुत-से सूत्रों के आधार पर याज्ञवल्क्यस्मृति को हम ई पू ५वीं शताब्दी तथा ईसा के बाद तीसरी शताब्दी के बीच में कही रख सकते हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति का अनिश्चित याज्ञवल्क्य नाम काही तीन अन्य स्मृतियों हैं बृहयाज्ञवल्क्य याग याज्ञवल्क्य एवं बृह-याज्ञवल्क्य। यतीनी मुलनामक कृति में याज्ञवल्क्यस्मृति में बहुत प्राचीन है। विद्वत्त्व में बृह-याज्ञवल्क्य का उद्धृत किया है। मिताशरा एवं अणवर्ग में भी कई बार-में उद्धृत किया है। दायभाग के अनुसार जितेन्द्रिय ने बृहयाज्ञवल्क्य की खर्ष की है। मिताशरा में भी इसका उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य में लिखा है कि वे योगाचार्य का प्रणता थे। योग-याज्ञवल्क्य ८ ई में था। बाधम्यदि विषय में अपने योगसूत्रमाध्य में योग-याज्ञवल्क्य के एक आये श्लोक को लिया है। बाधम्यदि में अपना स्यासमुर्ष-निश्चय मनु ८५१ ६० ई में लिखा। अणवर्ग में भी योग-याज्ञवल्क्य के उद्धरण किये हैं। पराशरमाधवीय में भी इसकी खर्षा की है। मुन्धक में मनु की व्याख्या करते हुए (३ १) योग-याज्ञवल्क्य का उद्धरण दिया है। इतन बाद में मनु के योग-याज्ञवल्क्य की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिसमें १ अध्याय एवं ५९५ श्लोक हैं। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मा में योगाचार्य का अध्यायन किया और उस अपनी पत्नी शर्षा की मित्राया। लगभग पुत्रक में योग के ८ अयो उक्त विभागा एवं उपाधियों का वर्णन है। इसमें एक-दो श्लोकों का जोड़कर अन्य उल्लेख उद्धरण नहीं पाये जाते और वह भी शीघ्रावतपर्मसूत्र में पाया जाता है। दूसरा श्लोक भगवद्गीता में पाया जाता है। देवक बाद में एक अन्य प्रति है जिसका नाम है बृह-योग-याज्ञवल्क्य स्मृति में १० अध्यायों एवं ९३ श्लोकों में है। योग-याज्ञवल्क्य एवं बृह-याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र-कारकमी एक शरी हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति पर कई टीकाएँ हैं जिनमें विश्वकर्म्य विज्ञानेश्वर अपराध एव दुरुपाधि अधिक प्रसिद्ध हैं। इन टीकाकारों के विषय में हम प्रकरण ९ ७ ७९ एव ९५ में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में मिताक्षरा (विज्ञानेश्वरसंश्लिष्ट) पर आधारित व्यवहारों का अधिक प्रचलन है। इस कारण याज्ञवल्क्य को अधिक मौरव माना है।

३५ पराशर-स्मृति

इस स्मृति का प्रकाशन कई बार हुआ है किन्तु श्रीबालन्द तथा बम्बई संस्कृतशाळा के संस्करण जिनमें मायव की विस्तृत टीका है अधिक प्रसिद्ध हैं। पराशर-स्मृति एक प्राचीन स्मृति है क्योंकि याज्ञवल्क्य से पराशर को प्राचीन धर्मग्रन्थकारों में मिला है। किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि हमारी वर्तमान स्मृति प्राचीन है। सम्भवतः वर्तमान प्रति प्राचीन प्रति का संशोधन है। पद्मपुराण (अध्याय १ ७) में पराशर-स्मृति के ३९ श्लोकों को संक्षिप्त रूप में ले लिया है। इससे स्पष्ट है कि यह स्मृति पर्याप्त प्राचीन है। कौटिल्य ने पराशर या पराशरो के मतों की चर्चा ६ बार की है। पराशर ने राजनीति पर भी लिखा था इससे यह स्पष्ट हो जाता है।

वर्तमान पराशर-स्मृति में १२ अध्याय एव ५९२ श्लोक हैं। इसमें केवल आचार एव प्रामाणिकता पर चर्चाएँ हुई हैं। इसके टीकाकार मायव ने जो ही अपनी ओर से व्यवहार-सम्बन्धी विवेचन जोड़ दिया है।

पराशर नाम बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीयारण्यक एव बृहदारण्यक (ब्रह्म में) में क्रम से व्यास पाठार्थ्य एव पाठार्थ्य नाम आये हैं। निरुक्त 'पराशर' के मूल पर लिखा है। पाणिनि ने भी मिश्रसूत्र नामक ग्रन्थ को पाठार्थ्य माना है। स्मृति की मूलिका में आया है कि ऋषि जोनों ने व्यास के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे कस्मिन्पुत्र में मानवों के लिए आचार-सम्बन्धी धर्म की बातें उन्हे बतायें। व्यासजी उन्हे बहुरिकामय में शक्तिपुत्र अपने पिता पराशर के पास ले गये और पराशर ने उन्हे धर्मधर्म के विषय में बताया। पराशर-स्मृति में अग्य १९ स्मृतियों के नाम आये हैं। इस स्मृति की भिन्न-भिन्न विषय-सूची है—

(१) आरम्भिक श्लोक (मूलिका) पराशर ऋषियों को धर्म-ज्ञान देते हैं। मुपधर्म चारों मुना का विविध वृत्तिकोषों से अन्तर्मैत्र सम्भ्या स्नाग जप होम वैदिक अध्ययन देव-पूजा नामक छ आधुनिक वैश्वदेव एव अतिथि-सत्कार अतिथि-सत्कार-स्मृति शशिय वैश्व एव दृष्ट की जीविका-भूति के साधन (२) पृथ्वीधर्म इति पशुजो के प्रति अनजाने में ५ प्रकार के बात-धर्म (३) अग्न-मरण से उत्पन्न असुखि का पश्चिमीकरण (४) आरमहत्या बरिष्ठ मूल्य या रोगी पति को त्यागने पर स्त्री को शपथ कुण्ड भोक्त परिचित एव परिचित के लिए परिपाया एव नियम स्त्री का पुनर्विवाह पतिव्रता गर्तियों को पुनस्वार (५) साधारण बातों जैसे कुत्ता काटने पर शुद्धि उस ब्राह्मण के विषय में जिसने अभि-प्रतिष्ठ की हो, याथा में भर रहा हो या आरमहत्या कर रहा हो (६) कठिण पशुओं पक्षियों शूरो दित्यकारो स्थियों वैश्वो शशियों को मारने पर सुडीकरण पापी ब्राह्मण ब्राह्मण-स्मृति (७) बानु, बाण्ड आदि के बरतना या निर्मलीकरण मासिक धर्म में गापी के विषय में (८) कई प्रकार से अनजाने में गाय-वैश्व मारने पर सुडीकरण शुद्धि के लिए किसी परिपद् में आना परिपद्-मरण विज्ञान ब्राह्मण-स्मृति (९) गाय एव बैश्व को मारने के लिए छड़ी की उचित मुट्टाई भोगी छड़ी से थोट पड़वाने पर शुद्धि (१०) ब्रिज नारिको से लगान करने पर ब्राह्मण या अग्य जन या शुद्धि (११) चाण्डाल से छेकर लाने पर शुद्धि इससे छेकर गाय और चिगना न लाने इतक विषय में नियम पशु बिर आने पर रूप का पश्चिमीकरण (१२) दुस्वप्न

द्वेषने व्रत करने वाले व्रतवान आदि पर पवित्रीकरण पाँच स्थान रात्रि में एक स्थान किया जा सकता है।
 कौन-सी वस्तुएँ गृह में सँभर रखनी चाहिए या बिखार पड़नी चाहिए। गोचर में नामक भूमि की इबाई की परिमाणा ब्रह्मरहस्या सुखापान स्वयं चैर्य आदि मयातक पापा की परिमुक्ति।

परमार्थ में कुछ विश्वरूप ब्रह्म पायी जाती है यथा—वेदक बार प्रकार के पुत्र (कीरत क्षेत्रत वत् तथा वृद्धि) यद्यपि यह मही स्पष्ट हो पाता कि वे अन्यो को मही मानते। यही प्रथा की उल्लंघने स्मृति की है। परमार्थ ने अन्य धर्मशास्त्रकारों के मता की चर्चा की है। मनु का नाम कई बार आया है। श्रीमान् व्रतमूत्र की बहूत-सी बातें इस स्मृति में पायी जाती हैं। परमार्थ ने उपाया प्रजापति वेद वेदांग धर्मशास्त्र स्मृति आदि की स्थान-स्थान पर चर्चा की है।

विश्वरूप मितारण्य अपराध स्मृतिचक्रिका हेमाद्रि आदि में परमार्थ को अधिकतर उद्धृत किया है। इसमें स्पष्ट है कि ११वीं प्रताप्ती में यह स्मृति लिखी गयी थी। इसे मनु की वृत्ति का ज्ञान या अथ यह प्रथम मताम्बी तथा पाँचवीं प्रताप्ती के मध्य में कभी लिखी गयी होगी।

एक बृहत्परमार्थ-महिता भी है जिसमें बारह अध्याय एवं ३३ सर्गक हैं। कल्पना है यह बहूत बार की रचना है। यह परमार्थस्मृति का संगोपन है। इसमें विनायक-स्मृति पायी जाती है। इस महिता का मितारण्य विश्वरूप या अपराध में उद्धृत मही किया है। किन्तु अनुविद्वानों के भाव्य में मन्वीरिदीक्षित तथा दत्तकमीमाणा में लम्बपश्चिम में इसमें उद्धृत किया है। एक अन्य परमार्थ-नामी स्मृति है जिसका नाम है बृहत्परमार्थ जिसमें अपराध में उद्धृत किया है। किन्तु यह परमार्थस्मृति एक बृहत्परमार्थ से निम्न स्मृति है। एक ज्योति-परमार्थ भी है जिससे हेमाद्रि तथा मन्वीरिदीक्षित में उद्धृत किये हैं।

३६ नारद-स्मृति

नारदस्मृति में छोटे एवं बड़े दो सम्बन्ध हैं। हा जौनी में दोनों का सम्पादन किया है। इसमें भाव्य-कार है अमहाय जितने भाव्य को वेदावधट्ट से प्रथा लेकर कल्याणधट्ट में मयापित किया है।

याज्ञवल्क्य एवं परमार्थ में नारद को धर्मशास्त्रकारों में मही गिना है। किन्तु बृहत्परमार्थ के एक उद्धरण से विश्वरूप में लिखताया है कि नारद हम धर्मशास्त्रकारों में एक थे।

प्रजापति नारदीय में प्रारम्भ के ३ अध्याय म्याय-मन्वीरि विधि (ध्वजहार-मानुष) तथा म्याय-मन्वीरि मन्त्रा पर हैं। इसके उपरान्त निम्न बातें आती हैं—अपराध (अप की प्राप्ति) उपनिधि (जसा अक्ष देना बर्षक) सम्भूषणमुत्थान (महाकारिता) दत्ताप्रदानिक (दान एवं उभवा पुनर्दान) अमृत्यु-अनुधुया (कीर्तनी के डेके का ताडना) व्रतस्य-अनुधाधमे (व्रत का न देना) अमृत्यु-विश्वरूप (विना स्वामिन् व विषय) विश्वियामग्रदान (विश्वी के उपरान्त न छुड़ाना) कीर्तानुधाय (कीर्तनी का लक्षण) मयाय-म्या-कारणमे (नियम धरती आदि की परम्पराओं का विशेष) श्रीश्रावण्य (श्रीमा निर्वाह) स्वीयुसयाग (वैशालि-कल्पक) वायवाग (वायवाग एवं वहीपन) मातन (वन्दनीय न उन्माध अरवाग यथा जया डरनी बलाकार आदि) वायवाय्य (मानहानि एवं विपुनवचन) एवं वरुणाध्य (विश्व प्रकाश की चोरे) प्रदीर्गक (मुनवर्तन वीर)। अनुवचनिका में श्रीरी का विषय भी है यद्यपि मातन वादे प्रारम्भ में कुछ आ ही गया है।

उपनिधन अन्तर्ही प्रारम्भ में नारद में अनुस्मृति के द्वाँ के बहूत अधिक सीमा तक ज्यो-वा-न्या में किया है बड़ी-बड़ी नामों में कुछ अन्तर् आ गया है यथा उपनिधि (नारद) एवं निधन (मनु)। इसी प्रकार नामों के कुछ जेरो व जूने पर भी दत्ता स्मृतिपी में बहूत मात्र है।

प्रमाणित स्मृति में (अनुकमनिका को लेकर) १ २८ श्लोक हैं। नृपिण्ड निबन्धों में अगम्य ७ श्लोक आ गये हैं। 'अभ्युपेयासुमुपा' प्रकरण के २१वें श्लोक तक अछहाम का भाष्य मिलता है। विरहस्य मेधातिथि मिताम्रय में इस स्मृति के कई उद्धरण मिलने हैं। स्मृतिचन्विका हेमाचि पराधरमाधवीय तथा वाकांतर के निबन्धों में नारद के श्लोक उद्धृत मिलते हैं।

प्रारम्भिक गद्याय को छाडकर, जिये में नारद मार्कण्डेय सुमति भार्गव द्वाप मनु के मौलिक ग्रन्थ के सविष्टीकरण की बात है सम्पूर्ण नारदस्मृति अनुकम्प छन्द में है (केवल दूधरे अभ्यास के १८वें एव समा के अन्तिम छन्द का छोडकर)। इस स्मृति में नारद का या नाम आया है (आध्याय २५३)। आध्यायी धर्मशास्त्र एव अर्धशास्त्र की चर्चा आयी है। धर्मशास्त्र को अर्धशास्त्र से अधिक मान्यता दी गयी है। नारद ने सविष्ट धर्मसूत्र एव पुराण की भी चर्चा की है। मनु को तो कितनी ही बार उद्धृत किया गया है और स्वान-स्वान पर साम्य एव विरोध प्रकट किया गया है। कमी-कमी नारदस्मृति को मनु पर आधारित माना जाता है। नारद में महाभारत के कई श्लोक आये हैं। कौटिल्य और नारद में कुछ स्थानों पर साम्य पाया जाता है।

सम्बन्ध नारदस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति के बाद की रचना है। याज्ञवल्क्य में विषय के केवल पाँच प्रकार पाये जाते हैं किन्तु नारद में सात हैं। इसी प्रकार बहुत-सी मिश्रता की बातें हैं जो नारद को याज्ञवल्क्य के बाद का स्मृतिकार सिद्ध करने में सहायता करती हैं। हो सकता है कि दोनों कृतिमाँ समकालीन रही हो किन्तु नारदीय याज्ञवल्कीय से कुछ बाय की रचना प्रतीत होती है। नारदीय में राजनीति पर नेबल परोक्ष रूप से यज्ञ-तज्ञ चर्चा हुई है विधायत व्यवहार-सम्बन्धी बातों का ही विशेषण किया गया है। इससे ए बाय द्वाप उल्लिखित नारदीय चर्चा किसी दूधरे नारदीय ग्रन्थ के विषय में है क्योंकि बाय में राजनीति के सम्बन्ध में ही नारद की खोर उल्लेख किया है।

बीमूतबाइन के व्यवहारमालुक एव पराधर-माधवीय में एक ऐसा नारदीय श्लोक उद्धृत किया है जिसका अर्धभाग विनमोर्धवीय में मिलता है। अभाष्यबध नास्त्रिास के काकनिर्यय में अभी बहुत मतभेद है तथापि बीपी या पाँचवी सताम्बी का प्रथम-अर्ध सामान्यत विस्वास के योग्य है। यदि यह ठीक है तो नारद की तिथि पाँचवी सताम्बी के बहुत पहले उहरी है क्योंकि उपर्युक्त उद्धरण नारद से ही किया गया होना न कि नाटक से। नारद में 'बीनार' शब्द आया है जो या विन्दरतिज द्वाप दूधरी या तीसरी सताम्बी का माना जाता है। किन्तु या कीच के मतानुसार 'बीनार' शब्द और पुराना है क्योंकि रोमको ने ईसा-पूर्व २ ७ में 'बीनार' लिखना बतवाया था जिसे यको ने ईसा-पूर्व प्रथम सताम्बी में भारत में भी बलवाया। इससे सिद्ध किया जा सकता है कि नारद १ ई एव १ ई के बीच में हुए होने।

नारद कहां के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। कोई इन्हें नेपाली कहता है कोई मध्यप्रदेशी। किन्तु यह सब कल्पना-मात्र है। या मन्धारकर के मतानुसार नारद का एक नाम पिंसुन मी या जिसका उल्लेख कौटिल्य में किया है। या मन्धारकर ने 'पिंसुन' शब्द का जिसका अर्थ होता है 'पुण्ड्रकोर' या 'शयशा लगानेवाला' अर्थात् कि नारद के बारे में पुराणों में प्रसिद्ध है सहरा लेकर ऐसा मत बोधित किया है। मट्टोजि ने एव ज्योतिर्नारद, रघुनन्दन ने बृहन्नारद एव निर्भयसिन्धु तथा सत्कारकीर्तुस्य ने लघु-नारद की चर्चा की है। नारदस्मृति के भाष्यकार अछहाम के विषय में हम ५८वें प्रकरण में पढ़ेंगे।

३७ बृहस्पति

धर्मसूत्रकार बृहस्पति का बर्चन हमने प्रकरण २६ में पढ़ किया है। यहाँ हम बृहस्पति को स्मृति

अथवा धर्मशास्त्रकारिण के रूप में देखें। असाध्यवत् होने अभी बृहस्पतिस्मृति सम्पूर्ण रूप में नहीं मिळ सकी है। यह स्मृति एक अनोखी स्मृति है इसमें ब्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं परिभाषाएँ बड़े ही सुन्दर रूप से लिखी हुई हैं। डा. जॉर्जी ने ७११ श्लोक एतन् विवे हैं। मात्रकत्वय ने बृहस्पति को धर्मशास्त्रकारों में गिना है।

बृहस्पति ने वर्तमान मनुस्मृति की बहुत-सी बातों के भी हैं सगवा है मानों वे मनु के बार्तिककार हों। बहुत-से स्थानों पर बृहस्पति ने मनु के सिद्धांत बिबरण की व्याख्या कर दी है। अपराध विचारणलाकर, वीरमिथोवय तथा अन्य धर्मों के आचार पर हम बृहस्पति में वही ब्यवहार-सम्बन्धी सूची उपस्थित कर सकते हैं यथा ब्यवहारसिद्धांत के चार स्तर प्रमाण (तीन माननी एवं एक ईवी क्रिया) यथाह (१२ प्रकार क) सैधप्रमाण (दस प्रकार) मुक्ति (स्वत्व) दिव्य (९ प्रकार) १८ स्वत्व आधाशन निरूप अस्वामिनिधय समुय-समुत्पात वताप्रदातिन अम्पुतेवाद्युयुया वेतनस्यानपावम स्वामिपासविवाद सविद् यतिवम विनीयामम्प्रदान पारुम्य (२ प्रकार) शाइन (३ प्रकार) स्त्रीसङ्ग्रह स्त्रीपुण्यधर्म विभाग घृत् समाह्वय प्रवीचक (नृपायय ब्यवहार) या वे अपराध जिनके लिए स्वयं राजा अभियाय लगाये।

अस्यवत् बृहस्पति सर्वप्रथम धर्मशास्त्र अथवा धर्मकोषिण के बिल्हाने 'धर्म' एवं 'हिंसा' (सिद्धि एवं त्रिभिनस अथवा मास एवं पीडवादी) के ब्यवहार के अन्तर्भेद को प्रकट किया। उन्होंने १८ पद्यों (टाइटिस) को दो मानों में यथा—बन-सम्बन्धी १४ तथा हिंसा-सम्बन्धी ४ पद्यों में विभाजित किया। बृहस्पति ने मुक्तिहीन म्याम की मर्त्या की है। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रत्युत मुक्ति के अनुसार होना चाहिए नहीं ता अन्ध, अंध तथा साधु, असामु सिद्ध हो पायवा। उन्होंने ब्यवहार की सभी विधियों के विधिबद् ब्यवस्था की है और इस प्रकार वे आधुनिक न्याय प्रणाली के बहुत पास जा बाते हैं।

बहुत-सी बातों में नारद एक बृहस्पति में साम्य है। वहीं-वहीं अन्तर्भेद भी है। नारद मनु की बहुत-सी बातों से आगे है किन्तु बृहस्पति उनके अनुसार बन्देबासे हैं वेबल कुछ स्वभा पर कुछ विवेक दिखाई पड़ता है। बृहस्पति मनु एवं मात्रकत्वय के बाद वे स्मृतिकार हैं किन्तु उनके और नारद के सम्बन्ध को बताना कुछ कठिन है। उन्होंने 'नायक' सिक्के की खर्चा की है। उन्होंने दीनार की परिभाषा की है। दीनार को 'सुवर्ण' भी कहा गया है। एक दीनार १२ घातक में बटाबर होना है तथा एक घातक ८ अक्षिणाभा के बटाबर। एक अक्षिणा एक ताप्र-यम है जिसकी ठीक एक बर्ष के बटाबर है। यह बर्षन नारद में भी पाया जाता है। डा. जॉर्जी के अनुसार बृहस्पति कर्त्तृ या सप्तमी घाताधी में हुए क। किन्तु अन्य सूत्रों के आचार पर ये बहुत बार के स्मृतिकार टह्य हैं। विश्वरूप एक भवतिविधि के अनुसार नारद एक बृहस्पति के साथ कल्याण भी प्रामाणिक सैयक माने जाते हैं। यह प्रामाणिकता कई घाताखिया के उपरान्त ही प्राप्त हा घाती है। कल्याण तथा अपराध में भी बृहस्पति से उद्धरण किये हैं। अन्य सूत्रों के आचार पर बृहस्पति की २ एवं ४ ई क बीच में नहीं रखा जा सकता है। वे बर्षों के रहनेबास के इच्छने विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्मृतिचित्रका में बृहस्पति के मात्र-सम्बन्धी लगभग ४ उद्धरण पाये हैं। परासर-नाबवीय निर्णय सिद्ध तथा सस्वारकीन्तुम में बृहस्पति के अनेक श्लोक उद्धृत हैं। मिताक्षरा में भी बहुत स्थानों पर बृहस्पति के धर्मशास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में ब्यवहार एवं धर्म-सम्बन्धी दोनों प्रकार के उद्धरण हैं। असाध्यवत् बृहस्पति का सम्पूर्ण धर्म अभी नहीं प्राप्त हो सका है। मिताक्षरा में बृह-बृहस्पति के उद्धरण भी हैं। हेमाद्रि में ओषिर्बृहस्पति का भी नाम किया है। अपराध के बृह-बृहस्पति में कुछ उद्धरण किये हैं।

३८ कात्यायन

प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के क्षेत्र में नारद बृहस्पति एवं कात्यायन विरलमण्डल में आते हैं। कात्यायन की व्यवहार-सम्बन्धी दृष्टि जमी ब्रह्मव्यवह प्राम्त नहीं हो सकी है। विस्वरूप से केकर कीरमिबोधय तक के सेषको द्वारा उद्धृत विवरणों के आचार पर निम्न विवेचन उपस्थित किया जाता है—
सञ्जलिहित याज्ञवल्क्य एव पराशर ने कात्यायन को धर्मवचनानो मे गिता है। बौधायनधर्मसूत्र मे श्री एक कात्यायन प्रमाणरूप से उद्धृत है। शुक्ल ब्रह्मसूत्र का एक धीतसूत्र एवं श्राद्धकरण कात्यायन के नाम से ही प्रसिद्ध है।

व्यवहार-सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था एवं विवरण में कात्यायन ने सम्भवतः नारद एवं बृहस्पति को आदर्श माना है। सव्या धैकी एवं पबो मे कात्यायन नारद एवं बृहस्पति के बहुत निबट आ जाते हैं। कात्यायन ने स्त्री नन पर आ कुछ किडा है बहु उनको व्यवहार-सम्बन्धी कुसकता का परिचायक है। उद्धोने ही सर्वप्रथम ऋष्यभि अश्याबहुनिक प्रीतिवत शुक्ल आ बाबेब सीर दिक नामक स्त्र मत्र क कतिपय प्रक री की चर्चा की है। निबन्धो मे कात्यायन के उत्सम्बन्धी उद्धरण प्राप्त होते हैं। क्यमग इस निबन्धो में कात्यायन के व्यवहार-सम्बन्धी ९ श्लोक उद्धृत हुए हैं। केवल स्मृतिचन्द्रिका ने ६ श्लोकों का हवाला दिया है। कात्यायन ने मनु के मतो का उल्लेख किया है और ने उद्धृत मत वर्तमान मनुस्मृति में मिल जाते हैं। बृहस्पति ने लिखा है कि कात्यायन ने मनु का नाम केकर मनु के ही श्लोकों की व्याख्या कर दी है। किन्तु बहुत-से मनु-सम्बन्धी उद्धरण मनुस्मृति में नहीं पाये जाते। इतना ही नहीं कई स्वातों पर कात्यायन ने मनु का भी नाम किया है किन्तु ऐसे स्वातों के उद्धरण वर्तमान मनुस्मृति में नहीं मिलते। सन्तता है कात्यायन के समक मनुस्मृति का कोई बृहत् संस्करण था जो मनु द्वारा शोधित था।

निबन्धों में मनु, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन के श्लोक भी आये हैं यथा—स्त्रीधन के उ प्रकार के सम्बन्ध में जो श्लोक आया है वह धारभाय द्वारा मनु एवं कात्यायन का कहा गया है। 'वर्षा-नामानुलोम्भेन हास्य न प्रतिकामत की अर्वासी याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन दोनों में पामी जाती है। कीरमिबोधय ने बृहस्पति एवं कात्यायन के नाम एक श्लोक मड दिया है। व्यवहार चरित्र एवं राजसासन की परिभाषा कर देने में बृहस्पति एवं कात्यायन एक-दूसरे के समिकट आ जाते हैं। कात्यायन ने मनु (मानव) बृहस्पति एवं मनु के अतिरिक्त अन्य धर्मशास्त्रकारों के नाम लिखे हैं यथा—कौणिक भिक्षित आदि। कात्यायन ने स्वयं अपना नाम भी प्रमाण के रूप में लिखा है।

नारद एवं बृहस्पति के समान कात्यायन ने भी व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के विषय में अद्वितीय मत दिए हैं। कहीं-कहीं कात्यायन इन दोनों से भी आगे बड़ जाते हैं। कात्यायन ने व्यवहार-सम्बन्धी कुछ नव सजाएँ भी दी हैं यथा—'परचात्कार' 'ब्रह्मपत्र' आदि। परचात्कार बहु निर्भय है जो बाकी एवं प्रतिवाही के बीच धर्मार्थ विवाह के पक्षस्वरूप दिया जाता है। 'ब्रह्मपत्र' नामक निर्भय को कात्यायन ने दूसरा रूप दिया है। यह बहु निर्भय है जो प्रतिवाही की स्वीकारोक्ति या अन्य कारणों से अनियोग के सिद्ध होने के पक्षस्वरूप दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष का सम्बन्ध न करने हुकना विहित उपस्थित करता है त उसे न्यायालय द्वारा दिये गये निर्भय में उपराल् अधिक धकितघाती विहित देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कात्यायन का काल-निर्भय सरल नहीं है। वे मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद आते हैं इसमें शक्य है नहीं है। उनके पूर्व नारद एवं बृहस्पति या नुके प्रतीत होते हैं। अतः अविन-से-अविन वे ईसा बाद तीसरी या चौथी शताब्दी तक जा सकते हैं। विस्वरूप एवं मेधातिथि ने कात्यायन को नारद एवं बृहस्पति के समान ही

प्रमाणयुक्त माना है। यह महत्ता कात्यायन को कई शताब्दियों में ही प्राप्त हो सकी होगी। जब कम-से कम ब्रह्माचार छोटी शताब्दी तक आ सके। कात्यायन उन प्रकार चौकी तथा छोटी शताब्दी के मध्य में कमी हुए होंगे।

स्यबहारमयुग में एक बृहदारण्यक तथा चारभाग में बृहदारण्यक की चर्चा की है। मरम्भनीकाल में बृहदारण्यक से उद्धरण किया है। अनुसन्ध-विद्यार्थि में उपकार्यायन का भी नाम किया है। अपरार्क में एक श्लोक-कात्यायन का नाम किया है।

जीवानन्द के सग्रह में ३ प्रपाठका २९ श्लोक एवं ५ ० श्लोकों में एक कात्यायन ग्रन्थ है। यही ग्रन्थ मानव्यायन सग्रह में भी है। इसका अर्थ अनुसन्ध है कुछ इन्द्रज्या में भी है। इस ग्रन्थ को कात्यायन का कर्मप्रदीप कहा जाता है। इस कर्मप्रदीप की विषय-सूची इस प्रकार है—जन्मेक वैश्वं पश्चात् प्रायः एक तिष्ठता या एक म विभिन्न ज्ञान का एक प्रत्येक विद्या-सम्भार में मन्त्राणम् १४ भाग्य-सूत्रा कुम्भ श्राद्ध-विशेष्य पूतानि प्रतिष्ठा अर्चिया युक्त युक्त के विषय में विवरण प्राजायाम वेद-सम्भार दक्षताया एव पितरा का श्राद्ध इत्येव भावन एव स्नान-विषय सम्भ्या महाहोत्रिक यज्ञ श्राद्ध कौन कर सकता है मरण में अशौच-जात्र पत्नीजनस्य विविध प्रकार के श्राद्ध-कर्म।

कर्म-प्रदीप में बहुत-से श्लोकों के नाम आये हैं। मोक्षिक गौतम आदि के नाम मन्त्राख्यान आये हैं। माण्ड मार्गक (उपगता ?) शान्तिरथ शान्तिरथ्यायन की चर्चा हुई है। मनु याज्ञवल्क्य महाभारत के उद्धरण आये हैं।

उन कर्मप्रदीप (कात्यायनस्मृति) की तिथि क्या है? क्या यह प्रतिष्ठ कात्यायन का ही जिनका उक्त उद्धरण आया है? इति है? विनाशर अपरार्क तथा अन्य श्लोकों में इससे उद्धरण किया है इससे यह निश्चित है कि यह ग्रन्थ प्रामाणिक मान लिया गया था। यह ११वीं शताब्दी के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था इसमें संशय नहीं है। सम्भवतः कात्यायन द्वारा प्रणीत कोई बृहत् ग्रन्थ का जिनका उद्धरण अबका एक अर्थ कर्मप्रदीप है।

क्या स्यबहारवाचिह कात्यायन एवं कर्मप्रदीप व श्लोक एक ही हैं? इस प्रश्न का उत्तर मन्त्र नहीं है। विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क में इन दोनों में कोई विभेद नहीं माना है। किन्तु विरहन्त में कात्यायन मन्त्राण-भाष्यविषय-सम्बन्धी उद्धरण नहीं किये हैं। अतः होता है कि नहीं इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

३९ अक्षरान्

विरहन्त से लेकर आगे तक के सभी मन्त्रों द्वारा अक्षरान् से उद्धरण किये गये हैं। केवल स्यबहार विषयक श्लोक ही अपूर्वी रही हैं। याज्ञवल्क्य में अक्षरान् की पर्यायवाचकता माना है। विरहन्त में कहा है कि अक्षरान् के अक्षरानुसार परिष्कृत म १०१ श्राद्धक रण्ये है। इसी प्रकार अक्षरान् (अक्षरान्) की बहुत-सी शान्ति का श्राद्धा विरहन्त में किया है। अपरार्क मन्त्राणिक हस्त तथा अन्य ज्ञानका एक भाष्यकारों में परम-सम्बन्धी शान्ति का अक्षरान् की बहुत ही चर्चा की है। विरहन्त में मुमुक्षु में उद्धरण अक्षरान् के अक्षरान् उल्लेख किया है। उपस्मृतिया के नाम विज्ञान में स्मृतिचक्रिका में अक्षरान् का उद्धरण उद्धरण किये हैं।

जीवानन्द व सग्रह में जो अक्षरान्स्मृति है वह केवल ७२ श्लोकों का है। यह मन्त्राण सम्भवतः बृहत् का ससिद्ध रूप है। इसमें अन्त्येक में भाग्य एवं वेद्य ग्रहण करने की जो पीठने या कई प्रकार में शौच पद्धतियों आदि वेद्य अक्षरान् के प्रायश्चित्त का अर्थ है। अक्षरान् द्वारा शौच अक्षरान् करने की विधियाँ भी इसमें बर्णित हैं। इस स्मृति में स्वयं अक्षरान् (अक्षरान्) एवं अक्षरान् के नाम भी किये हैं। इसमें उक्त श्लोक मन्त्र-यज्ञ की श्रुतेशान्ति की शान्ति की कपी है।

मिताक्षरा एव वेदाचार्य की स्मृतिरत्नावलि में बृहस्पति का भी नाम आया है। मिताक्षरा में तो मध्यम-अगिरा का भी नाम दिया है।

४ अष्टम्यश्रुत

मिताक्षरा अपराध स्मृतिचक्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में अष्टम्यश्रुत की चर्चा आचार, अशौच याज्ञ एव प्रायश्चित्त के विषय में बहुत बार की है। अपराधों में अष्टम्यश्रुत का एक ऐसा श्लोक उद्धृत किया है जो मिताक्षरा द्वारा शक का बताया गया है। इस प्रकार कई एक यज्ञबन्धियों की हैं। अन्त्यायज्ञ अष्टम्यश्रुत की स्मृति मिल गई तभी है।

४१ काष्ठाजिनि

विद्येयत आश्र-सम्बन्धी बातों में मिताक्षरा अपराध स्मृतिचक्रिका तथा अन्य लोगों ने इस केन्द्रक का उल्लेख किया है। काष्ठाजिनि का एक श्लोक अपराधों में उद्धृत किया है जिसमें ब्रह्मा के सात पुत्रों के नाम हैं यथा सनत् सनत्सन् सनातन अपिम आसुरि, बौदु एव पम्बसिस्त। इसी प्रकार अपराधों के उद्धरण में बन्धा एव ब्रिचिन रासियो के नाम भी आये हैं।

४२ अशुविशतितम

इस इति की दो प्रतिमां देवन नाम्ना सप्तह में उपलब्ध हैं। इसमें ५२५ श्लोक हैं। इसने इस नाम का एक चारण है। इसमें २४ श्रुतियों की विलासा (श्लो) का सादृश्य पाया जाता है। यथा मनु यज्ञ बन्धु अत्रि विद्युत बसिष्ठ व्यास उदना आपस्तम्ब बरह हापीठ मुक् (बृहस्पति) — नारद पराशर, गार्ग्य पौत्रम यम बीषाम्यन बस शक अगिरा शातातप छाक्य (छास्मायन?) चर्षा। इसमें य विषय आये हैं—वर्णाधर्म के आचार शौच आचमन वस्त्रधारण स्नान प्राणायाम पायसीपाठ वेदाध्ययन विवाह अग्निहोत्र पञ्चमहाह्वित जीविना-भूति वानप्रस्थ सत्याशी धर्मियों एव अन्य दो प्राणियों के धर्म अथवा एव हकने पापा नं तिए प्रायश्चित्त धीविना के साधन आश्र पञ्च-भरण पर अशौच।

इम ग्रन्थ में उदना मनु पराशर अगिरा यम हापीठ ने मत उद्धृत हैं। इसमें यह आया है कि अशुचि आचार्य एव बृहदी की विलासो सोमा को भ्रम म आसती है। इस ग्रन्थ में उद्धरण मिताक्षरा अपराध तथा काष्ठाजिनि के पद्यों में मिलता है। विष्णु विद्वत्कृत्य एव मेपातिनि उनसे विषय में भीत है। ही सनता है कि उनका बालक तक यह ग्रन्थ महता न प्राप्त कर सारा हो। बन्धाय संपूत भासा म वा सस्वरण प्रकाशित है उनमें लक्ष्मीचर के पुत्र भट्टाजि की टीका है। यह टीका विद्वत्पूर्ण है और बृहत्-से वेदों का हवाला देती है। विनी-विनी श्रुतिनिमित्त प्रति म यह माध्य रामचन्द्र का कहा गया है।

४३ दश

याज्ञवल्क्य ने दश का उल्लेख किया है। विद्वत्कृत्य मिताक्षरा अपराधों में दश स उद्धरण किये हैं। दश में वे १० श्लोक ब्रह्मा उद्धृत किये जाते हैं— माताय वाचिन स्वगतमाधिर्वाचर मउदनु। अन्त्याजि न निशा मर्षक नाम्बज नति ॥ अन्त्याजि न देवाजि नच बग्नुनि परिन्दे ॥ या दशानि न मुशाम्ना प्रायश्चित्तार्थिनो नर ॥ व्यबहार नर निगने काने केवल इम इनार। का द्विमत दान म न विद आचरान भी परापी की चर्चा है ब्रह्मा उद्धृत करत ही है।

बीबालन्य के सप्तह म जो दधम्भृति है उमम ७ अघ्याय एव २२ स्मोः है। इनने मुख्य विषय म है—चार आयम बहुजातिया के दो प्रकार त्रिज के आङ्गिक बर्म बर्मों के विविध प्रकार ती बर्म नी बिबर्म नी पुष्ट बर्म नी बर्म जो कुलवर बिये जायें दान म न ही जानवाली बन्तुएँ शान भसी पत्नी की स्मृति दीव क दो प्रकार जन्म-मरण पर अदीव, योग एव उसके पङ्ग यथा प्राजायाम भ्यान प्रयाहार, भार्या ठकै एव समाधि सापुत्रा द्वारा त्यागनं माय्य आठ प्रकार के मीबुन भित्तु-बर्म हैं एव अत्रित।

यह स्मृति बरतुन बहुत प्राचीन है। बिद्वकप्य मिताश्ररा अगारार्क एव स्मृतिबन्धिका म आ अग उद्धत हैं के बिभी-न-बिची प्रबामिन सम्करण मे मिस ही जाते हैं।

४४ वितामह

बिद्वकप्य द्वारा उद्धत बुद्ध-यात्रवत्स्य क बलोच मे वितामह धर्मबन्ताका मे बहे मये है। यह स्मृति व्यवहार मे विधेय सम्बन्ध रखती है। बिद्वकप्य मिताश्ररा मे वितामहम्भृति म व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण किय है। इस स्मृति मे वेद वेदाय भीतामा स्मृतिना पुराज एव त्याय बर्मसाम्भो म गिने गये है। वितामह मे बृहस्पति के ममान भी दिव्या भी चर्चा की है बिन्नु यात्रवत्सय एव मारर म वेचक पाँच ही दिव्य दिय गये है। स्मृतिबन्धिका मे भी इसमे उद्धरण किय है। ध्यात की भाँति वितामह म बयपच च्चिनिपत्र गभिराव बिमुद्ध पत्र नामक लेखप्रमाणा की चर्चा की है। स्मृतिबन्धिका म वितामह म १८ प्रहृतिना यथा—धीरी चर्मकार आदि की मय्या उद्भूत है। इसमे व्यवहार क २२ पर पाये जाते हैं। वितामह क अनुसार ग्यायान्य मे बिद्विग गजक दाम्भ माध्ययाम नभामद सोना अग्नि एव जल नामक आठ बरण होत चाहिए। इसी प्रकार अय पदा की चर्चाएँ है।

वितामह बृहस्पति के बाद आत है क्वाचि उम्हान बृहस्पति क मत का ह्वात्मा दिया है यथा—एव ही काम समाज मगर, धेभी मार्भेना (कारकी) या मना के लोया का अयमी ही परम्पराका के अनुसार बिदार का नियन्त्रा करता चाहिए। वितामह की निधि ४ ० एव ३ ई क बीच मे बही परती चाहिए।

४५ पुस्तक

बुद्ध-यात्रवत्सय क अनुसार पुस्तक एव धर्मबन्ता है। बिद्वकप्य के शरीर-दीव क निरचिन मे उनका एक दशक उद्धत किया है। मिताश्ररा मे एक उद्धरण मे कहा है कि यात्र म काश्यप का मुनि का भाजन धारिय एक दीव्य को माय तथा गृह को मपु गाना चाहिए। मय्या यात्र अदीव यनि-धर्म प्रायश्चित के लक्ष्य मे आगारों मे पुस्तक्य मे बहुत उद्धरण किय है। आङ्गिक एव यात्र पर स्मृतिबन्धिका मे पुस्तक्य का उल्लेख किया है। शान्तलावर मे मुगचम-दान क बाद मे पुस्तक्य का उद्धरण किया है। पुस्तक्यम्भृति की निधि ४ एव ७ ई क मध्य म अन्वय होनी चाहिए।

४६ प्रथमा

परागत मे प्रथमा (प्रवेत्त) का नाम अर्धिया मे दिया है बिन्नु यात्रवत्सय म उनका नाम धर्मसाम्य बारा मे बही लिया है। आङ्गिक बर्मिया (आचार) यात्र अदीव प्रायश्चित के बिदर म बिजातान एव आगारों म प्रथमा बाराय के कई उद्धरण किय है। मिताश्ररा मे उद्धरण बने हुए कता है कि धर्मबर्धिया

चित्तवशात् विकल्पको क्षत्रियो एव वासो राजाजा राजकर्मचारिया को अक्षीष की अवधि नहीं माननी चाहिए। भवतिथि ने प्रथेता के प्रत्य को स्मृति कहा है और उसे मनु विष्णु आदि के समान प्रमाण माना है। मिताक्षरा हर्षत तथा अपराध ने बहुप्रथेता से अक्षीष प्रायश्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण किये हैं। इन लोपो न बहुप्रथेता की भी खर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका एव हर्षत ने प्रथेता को उद्धृत किया है।

४७ प्रजापति

शौभायनधर्मसूत्र ने प्रजापति को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है (२४ १५ एव २१ ७१)। बघिष्ठ ने प्राजापत्य स्मोक उद्धृत पाये जाते हैं (१ ४७ १४ १६-१ २४ २७ १ ३२)। उद्धृत श्लोकों में बहुउत्ते मनुस्मृति में भी पाये जाते हैं। जो सगता है सोनो धर्मसूत्रकारो न प्रजापति नाम से मनु की ओर ही उक्तेत किया हो।

आनन्द्यायन सग्रह में प्रजापति नामक एक स्मृति है जिसमें श्राद्ध पर १९८ श्लोक हैं। इसका उल्लेख अनुष्दु है किन्तु कहीं-कहीं इन्द्रवज्रा उपजाति बसन्ततिष्का और अथरा उल्लेख भी है। इसमें कल्पशास्त्र स्मृतिवो धर्मशास्त्र पुराणो की खर्चा हुई है। इसमें काल्याणिनि की भाँति कन्या एव वृषिकक नामक राक्षसों के नाम आये हैं।

मिताक्षरा ने अक्षीष एव प्रायश्चित्त के बारे में प्रजापति की खर्चा की है अपराध ने बस्तु-विक्रीकरण श्राद्ध विषय आदि के बारे में उद्धरण किये हैं। इन्होंने प्रजापति के एक गद्यांश द्वारा परित्राजको के चार प्रकार बताये हैं यथा कुटीक्षण बहुहरक ह्य परमह्य। स्मृतिचन्द्रिका पराधर-नामधीम ने प्रजापति के व्यवहार विषयक श्लोक उद्धृत किये हैं। प्रजापति ने मारक भी भाँति इत एव अकृत नामक दो प्रकार के गवाहों की खर्चा की है।

४८ मरीचि

आश्विन अक्षीष प्रायश्चित्त एव व्यवहार पर मिताक्षरा अपराध एव स्मृतिचन्द्रिका ने मरीचि के उद्धरण किये हैं। मरीचि ने मावक-भायो में सरिता-स्नान मना किया है क्योंकि उन चिन्तो नविर्वा रजस्वला रहनी है। यदि कोई कर्मकर्ता बहुउत्ते व्यापारियों के छामने राजकर्मचारियों की जानकाटी में विम-बोपहर नाई अस्थावर इष्य नय करता है तो वह बोप-मुक्त हो जाता है और अपने मन को प्राप्त कर लेता है (यदि इष्य चिन्तो हुमरे वा निवक्त आया है तो)। मरीचि ने कहा है कि आदि (बबन) बिन्धी विमाजय स्वावर सम्पत्ति-दान के विषय में जो कुछ लय पाये वह क्लिष्ट होता चाहिए। उन्होंने आदि (बबन) को भोम्य गोम्य प्रप्य एव आत्राधि नामक चार प्रकारों में बाँटा है।

४९ यम

वाल्म्यधर्मसूत्र ने यम को धर्मशास्त्रकार मानकर उसकी स्मृति में उद्धरण किया है (१८ १३ १५ एव १ ४८)। यहाँ न उद्धृत चार पद्यों में हीन मनु में मिल जात है। याज्ञवल्क्य ने यम को धर्मवक्ता कहा है। मनु के टीकाकार वाचस्पत्ययन एव अपराध ने यम के इस मत को कि कुछ पवित्रोंका नाम माना चाहिए उद्धृत किया है।

शौभायन सग्रह में एक धर्मस्मृति है जिसमें ७८ श्लोक हैं वा प्रायश्चित्त एव मुक्ति का विवेचन करते हैं। एत स्मृति के कुछ गद्यांश मनु में मिलने बुझे हैं। आनन्द्यायन सग्रह में एक धर्मस्मृति है जिसमें प्रायश्चित्त श्राद्ध एव पवित्रीकरण पर १९ श्लोक हैं।

यम की कई एक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। विद्वत्पुत्र विज्ञानेश्वर, अपराकं स्मृतिचन्द्रिका तथा बाह बासे अन्य ग्रन्थ यम के सममग ३ एलोको को उद्धृत करते हैं। इस स्मृति में यमसाम्ब के लगभग सभी विषय पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्याख्याकारों एवं निबन्धकारों के समस्त यम की वाच्य बृहत् पुस्तक थी। यमस्मृति के अतिरिक्त बृहत् यम की स्मृति का भी नाम आया है जिसके उद्धरण स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य निबन्धा में मिलते हैं। महाभारत (अनुशासन पर्व १५७२-७४) में यम की गाथाएँ मिलती हैं। यम ने मनुस्मृति से उद्धरण किये हैं; स्मृतिचन्द्रिका पराशर-मातृकीय एवं व्यवहारमयूक ने यम को उद्धृत किया है। यम ने तारियो के लिए सत्यास बर्णित किया है। मिताक्षरा हरदत्त अपराकं ने प्रायश्चित्त के बारे में बृहत्-यम का उल्लेख किया है। हरदत्त एवं अपराकं ने एक लघु यम एवं वेदाचार्य ने स्मृतिरत्नाकर में स्वल्प यम के नाम किये हैं। हाँ सक्ता है बोना नाम एक ग्रन्थ के दो बयोःक नामों का अर्थ एक ही है।

५ लौगासि

अथौष एवं प्रायश्चित्त पर मिताक्षरा ने लौगासि के उद्धरण किये हैं। सस्तारों वैदिकवेद चातुर्मास्य वस्तु-मुक्ति भाव अथौष एवं प्रायश्चित्त पर अपराकं ने इस स्मृतिकार के गणघाट एवं एकोक उद्धरण किये हैं। लौगासि को उद्धृत कर अपराकं ने प्रजापति का प्रमाण माना है। मिताक्षरा तथा अन्य व्यवहार-सम्बन्धी ग्रन्था ने लौगासि के नाम एवं शोम-सम्बन्धी एकोक का अर्थ उल्लिखित किया है।

५१ विद्वामित्र

विद्वत्पुत्र द्वारा उद्धृत बृह-मातृकस्य के एकोक में विद्वामित्र जर्मसात्त्वहार कह गये हैं। अपराकं स्मृतिचन्द्रिका जीमूतबाह्य का शालविवेक तथा अन्य ग्रन्थ विद्वामित्र के एकोको को उद्धृत करते हैं। विद्वामित्र का महापातक-विषयक मत बहुधा उद्धृत होते हैं।

५२ व्यास

जीवात्मक एवं ज्ञानरूपधर्म के सद्गुरु में व्यास के नाम की स्मृति मिलती है जो चार अध्यायों एवं २५ एकोका में है। व्यास ने शारदाश्री में अपनी स्मृति की घोषणा की। इसके विषय संक्षेप में यह है—बृहत्पुत्र के मुया का देश में इस स्मृति का जर्म प्रचलित है श्रुति स्मृति एवं पुराण जर्म प्रमाण हैं जर्मसत्वर सोमह सस्तार ब्रह्मचारी के जर्म्य ब्राह्मण धर्मिय एवं वैश्य कन्या में विवाह कर सकना है किन्तु गुरु से नहीं पत्नी-जर्म गुरुस्य के निर्य निमित्तक एवं काम्य काय गुरुभाषण एवं शान्ता की स्मृति।

विद्वत्पुत्र ने व्यास का कुछ एकोका की चर्चा की है। किन्तु ये एकोक महाभारत में पाये जाते हैं। मेधातिथि ने भी महाभारत के कुछ अध्यायों का उद्धरण कर उर्म्य व्यासहृत माना है। अपराकं स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों में लघुयम २ एकोक उद्धृत हैं जिनमें लगता है कि व्यास ने व्यवहार-विधि पर लिखा है और नारक कात्यायन एवं बृहस्पति से उनकी शान्ति बृह-पुत्र मिलनी है। व्यास के अनुसार उत्तर में चार प्रकार हैं यथा—मिथ्या सम्प्रतिपत्ति वारण एवं प्राद-व्याप। लेखप्रमाय के प्रकार तीन हैं यथा—स्वहृत् ज्ञानपर राजशासन। व्यास में दिव्य वेत्तक पाँच प्रकार के हैं। व्यास का अनुसार एक निष्प १५ मुक्तों का ब्रह्मचर एक एक मुक्तक ८ पल के ब्रह्मचर होता है। इन सब बातों से यह कहा जा सकता है कि व्यासस्मृति की रचना ईसा के बाद हुती एक पाँचवीं शताब्दी के बीच में कही हुई। किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है क्या स्मृति का

व्यास एव महाभारत के व्यास एक हैं या दो? हो सकता है कि दोनों एक ही हो। स्मृतिचन्द्रिका ने एक बच-व्यास का भी उल्लेख किया है। अपराधों के बृद्ध-व्यास के एक स्मोत्र में स्वीयत के एक प्रकार 'सौम्यायिक' की चर्चा की है। मिताक्षरा प्रायश्चित्तसामुच्च तथा अन्य ग्रन्थों में बृहद्-व्यास के उद्धरण पाये जाते हैं। ब्रह्मास्मिन् ने अपने दानसागर में महा-व्यास सधु-व्यास एव धान-व्यास के नाम सिये हैं। सम्भवतः धान-व्यास का तात्पर्य है महाभारत के धान-वर्म अथवा स।

५३ पटत्रिंशत्तम

यह ग्रन्थ अनुविद्यतिमत्त कं सप्तुः ही कोई स्मृतिग्रन्थ है। कल्पतरु, मिताक्षरा स्मृतिचन्द्रिका अपराध, हारवत तथा अन्य कतिपय स्मोत्रको ने इसका उल्लेख किया है। विवरण एव मेधातिथि न इसका उल्लेख नहीं किया है। यह इति ७-९ ई के मध्य की मानी जा सकती है। जितने भी उद्धरण मिलते हैं वे सभी बीच भाङ्ग प्रायश्चित्त भाषि से सम्बन्धित हैं। व्यवहार-सम्बन्धी कोई उल्लेख अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है। एक स्मोत्र में बौद्धों पाण्डुपत्नी जैमो नास्तिकों एव करिक के अनुयायियों के स्वर्ण को इषित ठहराना तथा है और उसके लिए स्नान की व्यवस्था है।

५४ सप्रह या स्मृति-सप्रह

वर्म-सम्बन्धी सभी विषयों के सिलसिले में पितासरा अपराध स्मृतिचन्द्रिका एव अन्य ग्रन्थों में सप्रह या स्मृति-सप्रह से उद्धरण किये हैं। हिन्दू-व्यवहार के लिए इस सप्रह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ बातें बीच ही जाती हैं—प्रायश्चित्तों में स्मृति-सप्रह ने अनिमित्त की आवश्यक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। छन्दप्रमाण से प्रकार के होने हैं—उपकीय एव धानवर्ग। जहाँ ५ पत्र से अधिक का सामान हो वहाँ षट् से अधिक तक का विषय स्वीकृत किया गया है किन्तु हरके विचारों के लिए कुछ बात की ही व्यवस्था कर दी गयी है। किन्तु नारद ने बड़े विचारों में तुषा से केन्द्र कोष तक के प्रायश्चित्त प्रकारों का उल्लेख किया है। सप्रहकार ने केवल सात विषयों की ओर संकेत किया है किन्तु बृहस्पति एव पितामह में भी तक की व्यवस्था कर दी है। माता एव पिता द्वारा प्रेषित कोष को सप्रहकार न धाम माना है। सप्रहकार के सतानुसार पुत्रहीन व्यक्ति की बहीयत क्रम से मो क जाती है—विधवा पुत्रिका तथा पितामह पिता अपने भाई, सौतेले भाई, किरातटि पितामहसतटि प्रपितामहसतटि अन्य सपिण्ड सद्गुण्य आचार्य दिव्य सह पञ्चान विद्यान् दाइयान्।

सप्रहकार ने मत बहुत जगहों में धारेश्वर से निकल आता है किन्तु मिताक्षरा जाति ने उन्हें नहीं माना है। व्यवहार के मामलों में सप्रहकार माङ्गलिक्य एव नारद से बहुत जागे हैं। विवरण एव मेधातिथि ने सप्रहकार में विषय में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि यह ग्रन्थ केवल मोक्षराज धारेश्वर के ही राज्य में अधिक प्रचलित रहा हो। इससे यह निश्चित होता है कि सप्रहकार की तिथि ८वीं एव १ वीं सताब्दी के बीच में नहीं है। माखि एव धारेश्वर मिताक्षरा के पूर्व हुए वे क्योंकि मिताक्षरा ने उनके नाम किये हैं।

५५ सबर्त

माङ्गलिक्य की सूची में सबर्त एक स्मृतिकार के रूप में आते हैं। विवरण मेधातिथि मिताक्षरा हारवत अपराध स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य स्मोत्रों में सबर्त के वर्म-सम्बन्धी विषयों से उद्धरण किये हैं। सम्मान-वर्णन

यति-धर्म तथा खोटी विविध व्यवहार, अन्य ममानक पापों के विषय में विद्वत्त्व में संघर्ष के मग्न वा उल्लेख किया है। इसी प्रकार अन्य भाष्यकारों ने भी व्याख्यान-सम्बन्धी उद्धरण दिए हैं। संघर्ष के व्यवहार सम्बन्धी कुछ विचार यहाँ दिये जा रहे हैं। संघर्ष के अनुसार सेतुप्रमाण के सामल मौखिक बातें कोई महत्त्व नहीं रखती; जब बराबरता में हा सामल सुदृढ़ हा तो त्रिभुजे व्यवहार में पर-द्वार या भूमि हो रही उपमा स्वामी माना जाता है और क्लिप्त प्रमाण परा रह जाता है (मुष्पमान गृह्येते विद्यमाने तु राजति। मुक्ति यस्य भवेत्तस्य न सेस्य तत्र कारणम् ॥ परा मा ३)। इसी प्रकार कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों की तथ्युक्त बर्णन हैं हैं जिनका विषय में स्वातन्त्र्य के कारण हम यहाँ और कुछ नहीं दे पा रहे हैं।

जीवानन्द एवं ज्ञानान्दाभम व सप्रहो में संघर्ष के नाम से २२७ एवं २३ स्मोक हैं। मात्र जो प्रकाशित संघर्षस्मृति मिलती है वह मौखिक स्मृति व एक बात का सक्षिप्त सार मात्र प्रतीत होती है। प्रकाशित स्मृति के बहुलाय अपराध में उद्धृत हैं। मिताक्षरा ने बृहस्पति का उल्लेख किया है। हरिताम के स्मृतिनाम में एक स्वयं संघर्ष की बर्णना है।

५६ हाटीत

हाटीत व व्यवहार-सम्बन्धी पद्यावतरणों की बर्णना अपक्षिप्त है। स्मृतिव्यतिरिक्त के उद्धरण में आया है—
“स्वयन्व्यवसायं प्राप्तिं पश्यन्त्य सर्वान् ॥ स्यादेतद्यत्र कियते व्यवहारो त उच्यते ॥ उच्यते इम प्रकार व्यवहार की परिभाषा की है। उनके मतानुसार वही व्यवहार ही ठीक है जो सर्वकार व सर्वकार के मिश्रण पर आधारित हो वा गणकार में केवल एक उच्च-प्रकार से दूर हा। कारण की भाँति हाटीत में भी व्यवहार के कारण स्वयं बताया है यथा—धर्म व्यवहार वृत्ति एक मुद्राया। क्लिप्त प्रमाण का उद्धरण वही मान्यता की है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्बन्धी बातों का विवरण है जिसे स्वान्त-सहायकता यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है। हाटीत बृहस्पति एवं वाय्यायन के समकालीन समझे हैं अर्थात् ४ तथा ७ ई के बीच में वही उनकी स्मृति प्रतीत हुई।

५७ भाष्य एवं निबन्ध

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य समय-समय हीन वाक्य में बोल्य जा सकता है। पहले वाक्य में धर्मशास्त्र एवं मनुस्मृति का बृहत्त्व माने हैं। यह वाक्य ईसा-पूर्व ६ में सत्रह ईसा व बाद प्रथम पताली के आरम्भ तक माना जाता है। दूसरे वाक्य में व्यवहार पद्यमय स्मृतियों का भी वही वाक्य प्रथम पताली में सत्रह ८ ई तक बसा जाता है। तीसरे वाक्य में भाष्यकार एवं निबन्धकार माने हैं। यह तीसरा वाक्य लगभग एक सत्रह वर्ष तक बसा जाता है लगभग सातवीं पताली में १८ ई तक यह वाक्य माना जाता है। तीसरे वाक्य व प्रथम भाग की प्रसिद्ध भाष्यकारों का स्वयं-वृत्त बहा वा सप्रता है। स्मृतियों पर भाष्य तीसरे वाक्य व अन्तिम अंश तक लिख जाते हैं। सत्रहवीं पताली में लगभग पश्चिम व विष्णुधर्मशूत्र पर वैदिकी नामक भाष्य लिखा। तिस्रु ब्राह्मणी पताली में एक साक्षात् प्रकृतिय यह उदाहरण है कि लिखना में भाष्य व लिखना स्मृतियों के सम-सम्बन्धी मिश्रण का एकरूप स्वरूप रूप में निबन्ध लिख दिया गया है स्मृति वृत्तिका अनुसन्धितामर्ति बर्णना का उदाहरण। इन निबन्धकारों के दूर अन्य ग्रन्थों में भी विशेषी वाक्य वाक्य दिए गए हैं। स्वयं विद्वत्त्व विज्ञानों आगमों आदि के लिखे वा भाष्य तिस्रु पताली इतिहास निबन्धों में लिखी माता में बसा गयी है। वाक्य में टीका (भाष्य) एवं निबन्ध में कोई विभाजन देना हीनता मान्य नहीं

है। पञ्चमस्कन्द के ईतनिर्णय में विज्ञानेश्वर को निबन्धकारा में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अतः इस ग्रन्थ में ग्राम्यो एव निबन्धो में कोई विधिष्ट अन्तर्भव नहीं रहा जायगा। अब हम उन प्रमुख भाष्यकारों (टीकाकारों) एवं निबन्धकारों के विषय में पढ़ेंगे जिन्हें महत्ता एवं मान्यता मिल चुकी है।

५८. असहाय

डॉ. जाखी द्वारा सम्पादित नारदस्मृति में नक्षायमट्ट द्वारा सद्योचित असहाय के भाष्य का एक अर्थ है। अम्मुपेत्यामुपूपा नामक प्रकरण का पाँचवें पद में २१३ श्लोक तक ही सद्योचित संस्करण प्राप्त हो सका है। नक्षायमट्ट में लिखा है कि असहाय की टीका कृषिको द्वारा भ्रष्ट हो गयी थी। व्यवहारमयूक के प्रथम अध्याय में यह बताया है कि नक्षायमट्ट में नक्षायमट्ट के प्रशा-उल्लाह से असहाय की टीका सद्योचित की। किन्तु सद्योचित महोदय ने सद्योचन-वार्म में बड़ी स्वतन्त्रता प्रदर्शित की। विश्वरूप ने अपनी याज्ञवल्क्य टीका में असहाय का नाम दिया है। हारभला में अनिरुद्ध ने जो अद्भुतसागर के लेखक बगदाज बल्लाभदेन (संभव ११९८ ई.) के पद में लिखा है कि असहाय ने महीमवर्मसूत्र पर भी एक भाष्य लिखा है। विश्वरूप ने भी यह बात कही है। सम्भवतः असहाय में मनुस्मृति पर भी कोई भाष्य लिखा था क्योंकि सरस्वतीविद्यालये के एक अक्षररत्न से पता चलता है कि मनु, याज्ञवल्क्य और उनके भाष्यकार असहाय मेधातिथि विज्ञानेश्वर एवं अणुराज तथा निबन्धो के लेखकों तथा चन्द्रिका तथा अर्थो में वर्म-विज्ञान को स्वीकार किया है। विद्यालयेनाकर भी असहाय को मनु का टीकाकार मानता है। इन बातों से स्पष्ट है कि असहाय ने महीमवर्मसूत्र मनुस्मृति तथा नारद पर टीकाएँ की।

विश्वरूप एवं मेधातिथि ने असहाय का उल्लेख किया है अतः असहाय कम-से-कम ७५ ई. तक विद्यमान हो गये हैं किन्तु इससे पूर्व के कब हुए कहना कठिन है। असहाय के जन्मस्थान के विषय में भी विद्वान् रूप से कुछ कहना कठिन है।

५९. मर्त्यज्ञ

य एक जनि प्राचीन भाष्यकार है। मेधातिथि ने इतना उल्लेख किया है (मनु ८.१)। विद्यालये महान ने अपनी आश्वलायनसूत्रव्यवहितार्थकारिका में मर्त्यज्ञ के मत उद्धृत किये हैं। एक मत यह है—जिसमें पेट याद कर डाला है वह यज्ञ करने का अधिकारी है भले ही उस पेट-मालो का अर्थ न ज्ञात हो। मर्त्यज्ञ ने वास्यायनधीनसूत्र पर भी एक टीका की थी ऐसा अन्त में भाष्य में प्रकृत है। इसी प्रकार पञ्चाक्षर, अन्तद्वय निमाचारप्रदीप में पता चलता है कि अमाशय की मति मर्त्यज्ञ भी गीतमवर्मसूत्र के टीकाकार थे। मेधातिथि में अमाशय का भी नाम दिया है किन्तु विश्वरूप का नहीं। अतः मर्त्यज्ञ ८ ई. के पूर्व हुए होंगे और सम्भवतः अमाशय के समकालीन होंगे।

६. विद्वरूप

विश्वरूप मन्वन्त माना में गणपति पाण्डे ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर विश्वरूप की आश्वलायन नामक टीका प्रकाशित की है। स्वयं विद्यालये व भूमिवा भाग में यह बताया है कि याज्ञवल्क्य के मित्रालो की व्याख्या विश्वरूप ने बड़ विचार में की है। विद्यालये के कथनानुसार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य के शर्मा का बड़े मनापाय व शान्द दिया है।

आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विवरण की टीका सचमुच बृहत् है किन्तु व्यवहार के सम्बन्ध में एसा बात नहीं है। विवरण की ऐसी सरल एवं सफितवाली है और सफरपाथ से बहुत-कुछ मिलनी-जुलती है। विवरण में वैदिक कर्मों चरका वाजसनेयियो काठको ऋग्वेदीय मन्त्रा ब्राह्मणो उपनिषदो को यथास्थान उद्धृत किया है। उन्होंने पारस्कर, भारद्वाज एवं आश्वलायन के बृहस्पतियों का पर्याप्त हवाला दिया है। उन्होंने अगिरा ऋषि भाषस्तम्ब उसना वात्यायन वात्स्य मार्ग बृहदारण्यक मीमंसा जानुश्रुत (त्रि) इत्ये नामक पण्डित, पारस्कर, पितृमह पुस्तक्य वैदिकवि बृहस्पति शौभयन भारद्वाज मृग मनु, बृहमनु, यम याज्ञवल्क्य बृह भागवतस्य बसिष्ठ, विष्णु, व्यास राज शास्त्रात्प शौक सवर्ष सुमन्तु, स्वयम् (मनु) एवं हारीत नामक स्मृतिकारों का उल्लेख किया है। बृहस्पति के अधिवाश उद्धरण गद्य में ही किये गये हैं केवल कुछ एक पद्य में हैं। कृपता है उनके सामने बृहस्पति के दो ग्रन्थ उपस्थित थे। विद्याकाश की भी चर्चा है जो राजनीतिक एक लेखक थे और जिनका नाम शौटिस्य में भी उद्धृत किया है। उसना एवं बृहस्पति की तो चर्चा है किन्तु आदर्श है, उन्होंने शौटिस्य का नाम नहीं किया। इसका उल्लेख सरसता से नहीं किया जा सकता किन्तु विवरण के समस्त शौटिस्य का अर्थशास्त्र उपरिष्ठत था जैसा कि विवरण की विषय-वस्तु की व्याख्या में पता चलता है यथा मन्त्रिकों की परीक्षा में अर्थ अर्थ नाम एक भय नामक उपाय का प्रयोग शौटिस्यीय है। कहीं कहीं शौटिस्यीय एवं विवरणपीय में पर्याप्त समता पायी जाती है।

विवरण में पूर्वमीमांसा के प्रति अपना विशिष्ट प्रेम प्रदर्शित किया है। जैमिनि का नाम तक भी मया है। किन्तु आदर्श तो यह है कि उन्होंने मीमांसा का श्लेष 'स्यात्' शब्द का प्रयोग किया है तथा मीमांसका को 'नैयायिक' या 'न्यायविद्' कहा है। कुमारिल के श्लोकवाचित्र से भी विवरण का भाष्य में उद्धरण किया गया है। याज्ञवल्क्य (१ ७) पर व्याख्या करते समय विवरण ने श्रुति स्मृति तथा शास्त्रम्बन्धी बातों के सम्बन्ध का ज्ञान समय ५ से अधिका श्लोक वाचिकाओं के रूप में उद्धृत किया है। कृपता है ये वाचिकाएँ स्वयं उनकी हैं। वाचिकाओं के लेखक के रूप में विवरण कुमारिल के समान प्रतीत होते हैं। सम्पूर्ण भाष्य में उन्होंने मीमांसा की बहालता एवं विवेचन के ढंगों में विवरण दिया है।

या तो विवरण पूर्वमीमांसा के समर्थक में लगते हैं किन्तु उनके शान्तिमय मन पण्डितों के मन में बहुत मिलते हैं। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान द्वारा होती है और यह ज्ञान अधिका के कारण है।

विवरण ने (याज्ञ ३ १ ३) एक शीतिवेदविद् नाम की चर्चा की है। अधिवाशकोम एवं नामगलमान्ना से बहुत-से उद्धरण किए हैं। साहित्यदर्पण में उल्लिखित मिताक्षर नाम्य का भी उल्लेख पाया जाता है। भाष्यकारों में विवरण ने अमाहाय की शीतमचर्मशुभ काही टीका की चर्चा की है (याज्ञ ३ २६३)। विवरण काही याज्ञवल्क्य स्मृति एवं मिताक्षर काही याज्ञवल्क्यस्मृति में कहीं-कहीं कुछ अन्तर भी पाया जाता है। 'अदर' 'अन्य' शब्दों से उन्होंने अपने पूर्व भाष्यकारों की ओर संकेत किया है।

मीमंसावाह्य के शयभाग एवं व्यवहारवस्तुषु म स्मृतिचरित्रका हारसता तथा वातामरत व अन्य शब्दों तथा सम्बन्धी ब्रह्मण में विवरण के मता की चर्चा हुई है। विवरण एक मिताक्षर के मता में समानता एवं विभिन्नता बताते हैं। विष्णु भय से हम भाष्य और वैदिक में सम्बन्ध होनेवाली बातों का हवाला नहीं दे रहे हैं।

विवरण में कुमारिल के श्लोकवाचित्र का उद्धरण दिया है और मिताक्षर ने उन्हें एक प्रामाणिक भाष्यकार माना है जिन उनका वय ७५ ई तथा १ ई के बीच में पड़ता है। क्या विवरण और मुखरर एक ही हैं? मुखरर के ज्ञान मीमंसाविद् वैदिकीयोरतिवद्भाष्यवाचित्र तथा अन्य शब्दों में किया है कि वे वाचिकाओं के शिष्य थे। वाचिकाओं की मानी हुई तिथि ३८८-८७ ई है। भाष्यकारों के अपने बतिय शब्दों में मुखरर के

एवों से उद्धारण केन्द्र विश्वरूप के उद्धारणों को दिया है। समोपशकरण्य में विश्वरूप शकर के भाष्य के दो भाविकों के लेखक कहे जाते हैं। शकर के चार शिष्य थे—सुरेस्वर पद्मपाद भोटक एव हस्तानकक। रामटीर्थ के मानसोत्सास में स्पष्ट शब्दों में आया है कि शकर के शिष्य सुरेस्वर का ब्रह्मण नाम विश्वरूप है। सप्तमूत्र-संग्रह पद्धति के अनुसार शकर के चार शिष्य हैं—स्वस्मानार्थ पद्मार्थ भोटक एव पृथ्वीधर। गुप्तरण काव्य में सुरेस्वर और विश्वरूप को एक माना है और उम्हें कुमारिक एव शकर का शिष्य भी बोलित किया है। अतः सुरेस्वर एव विश्वरूप को हम एक ही व्यक्ति मान सकते हैं। अतः विश्वरूप ८ ७-८२५ ई में वे यह विद्य हो जाता है।

कालान्तर में एक विश्वरूप-नियन्त्र भी प्रणीत हुआ किन्तु यह किसी ब्रह्मसे विश्वरूप का लिखा हुआ है। आगे के बहुत-से निबन्धकारों में विश्वरूप को प्रामाणिक रूप से बोलित एव उद्घृत किया है। यथा विविधनिर्णय-सर्वसमुच्चय (१४५ ई) के लेखक वाकनिर्णयसिद्धान्त व्याख्या (११५ ई) के लेखक निर्णयसिन्धु के लेखक आदि। अपने उदाहरण में रघुनन्दन ने विश्वरूप-समुच्चय की चर्चा की है। हो सकता है विश्वरूप ने कोई धर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध लिखा हो।

६१ भारुचि

मिताक्षरा (यात्र पर १ ८१ २ १२४) पराशर-भाष्यीय सरस्वतीविलास में भारुचि के मतों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा की तिथि है १ ५ ई अतः भारुचि इस कृति से प्राचीन है। अपने नेत्रार्थप्रह में रामानुजाचार्य ने अपने पहले के विधिपट्टाईत के छः भाषाओं के नाम किये हैं यथा—बोचयन टक इमिड गुरुवेन कर्षी एव भारुचि। यही बात मतीन्द्रमतवैदिका में भी पायी जाती है। भारुचि का रचना-काल नहीं सतायी जा प्रथमार्थ ही माना जाना चाहिए। १ ५ ई के पूर्व भारुचि एव धर्मशास्त्रकार एव व्यवहार-कोविद भी हुए हैं। हो सकता है कि धर्मशास्त्रकार भारुचि एव विधिपट्टाईत वार्त्तिक दोनों व्यक्ति एक ही रहे हों। यदि यह बात ठीक है तो भारुचि विश्वरूप के समकालीन उद्घरते हैं। बोना के मतों में साम्य भी है।

भारुचि के विषय में सरस्वतीविलास में आया है कि वे विष्णुधर्मसूत्र के भाष्यकार अथवा एक ऐसी पुस्तक के लेखक रहे हैं जिसमें विष्णुधर्मसूत्र के बहुत-से सूत्रों की व्याख्या हुई है। आपरतम्बगुरुसूत्र के भाष्य में गुरुधर्माचार्य ने भारुचि का मता की चर्चा की है। भारुचि एव मिताक्षरा के मतों में बहुत विभेद पाया जाता है यथा शक एव विभाग की व्याख्या में। भारुचि में नियोग को माना है किन्तु मिताक्षरा में विरोध किया है।

६२ श्रीकर

मिताक्षरा (यात्र पर २ ११५, २ ११९ आदि) हरिताप के स्मृतिमार, श्रीमूत्रबाह्य के शायमाय एव व्यवहारमयुक्त स्मृतिचन्द्रिका सरस्वतीविलास आदि में श्रीकर का उल्लेख किया है। शायमाय में श्रीकर के मता का उल्लेख किया है। श्रीकर सम्भवतः मिथिला के रहनेवाले थे।

श्रीकर ने निम्नी स्मृति पर भाष्य किया या कोई नियन्त्र यह कहना कठिन है। स्मृतिचन्द्रिका में कहा है कि श्रीकर ने स्मृतियों के निबन्धना का सम्पादन किया। मिताक्षरा शायमाय तथा अन्य ग्रन्थों में श्रीकर का याज्ञवल्क्यस्मृति सम्बन्धी अतः उल्लिखित है। अश्वमेध के राजनीति-उत्पत्त में श्रीकर की राजनीति-विषयक बातें उद्घृत हैं। हेयादि में भी इनके मता का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में श्रीकर की चर्चा की है अतः श्रीकर की तिथि १ ५ ई के पूर्व प्राणी चाहिए। अमराथ एव विश्वरूप में श्रीकर का नाम नहीं आता। अतः श्रीकर विररूप का समकालीन या कुछ इस उद्घ हो सकते हैं। अपार्त्त उद्घरी तिथि ८ तथा १ ५ ई के मध्य में प्राणी। श्रीमाय के निम्नी श्रीकर में वे विश्वरूपकार श्रीकर भिन्न व्यक्ति हैं।

६३ मेषानिधि

मेषानिधि है मनुस्मृति की बिलकुल एक विडम्बनापूर्ण व्याख्या के मेषान्धी लेखक। वे मनुस्मृति के सबसे प्राचीन माने जानेवाले भाष्यकार हैं। मेषानिधि के भाष्य की कई हस्तलिखित प्रतियाँ म पाप्य आनवाने अध्याया के अन्त में एक कोश के आगे हैं जिसका यह अर्थ टपकना है कि सहायण के पुत्र मदन नामक राजा ने किसी देव में मेषानिधि की प्रतिष्ठा मेंगाकर भाष्य का बीर्षोद्धार करवाया। कुम्भर के कथनानुसार मेषानिधि कश्मीरी या उत्तर भारत के राजशासक थे क्योंकि उनमें भाष्य में कश्मीर का बहुत बल है।

मेषानिधि ने निम्नलिखित स्मृतिधाराओं की किसी-न-किसी बहान बर्षा की है—गौतम बौधायन आपस्तम्ब शमिष्ठ शिल्पु, मत्स्य मनु, याज्ञवल्क्य भारद्वाज पराशर, बृहस्पति वात्स्यायन आदि। मेषानिधि में बृहस्पति का बर्षा एक राजनीति के रूपका में मिला है। उसका एक वाक्यमय दृष्टान्ति राजनीति एक राजशासन के संलक्ष्य में गिने गये हैं। कौटिल्य के ग्रन्थ में बहुत स्पष्टता पर उद्धरण किये गये हैं। कर्मशास्त्राभ्यासाय पुण्यभ्यसाद् देवराज-विभागा विधिपालप्रणीतार वाचमिधि- नामक पाँच मन्त्रादों के नाम जैम बौधिन्य में जाये हैं। वे ही मेषानिधि में। मेषानिधि ने अमहाय एक अन्य स्मृतिविद्वेषधारा के नाम लिये हैं। साम्यकारिका के एक उदाहरण का उद्धरण आया है। मेषानिधि ने पुराणा का उल्लेख किया है। उनमें कथनानुसार व्यास ही पुराणा के संलक्ष्य हैं और पुराणा में मृष्टि का विवरण पाया जाता है। उन्होंने वाक्यपदीय का एक उदाहरण उद्धरण किया है। मेषानिधि में (मनु पर २ ९) लिखा है कि पाषण्ड विद्वन्म (जैम) एक पाण्डुत भोग आयोग में समाज में बाहर था है।

मेषानिधि ने पूर्वमीमांसा का विषय अध्ययन किया था। उनके भाष्य में 'विधि' एक अर्थवाचक नामक शब्द बहूपा माने गये हैं। वैश्वानरुका का हवाला देकर मेषानिधि ने बहुत स्पष्टता पर मनु की व्याख्या की है। उन्होंने शास्त्र भाष्य में उद्धरण किये हैं। उनके भाष्य में क्रुमारिक का नाम और उनकी उपाधि भट्टारक का उल्लेख हुआ है (मनु पर १ १८)। मेषानिधि में कई स्थानों पर शक्यकार्य के शारीरकभाष्य के मत का उद्धरण किया है। शिल्पु उन्होंने मन्त्र की भाँति माध्य का मान्य केवल मान है एसा नहीं माना है प्रयुक्त उन्होंने ज्ञान एवं कर्म शान्त को आश्रयक समझा है। इसका कारण है मीमांसा का प्रभाव।

मेषानिधि के भाष्य-ग्रन्थ में प्रकट श्लोक है कि आज की ही मनुस्मृति इनके समय में थी थी। "मन्त्र विद्वन्म एक पुत्र मनुस्मृति भाष्यकार का उल्लेख किया है। "उनके भाष्य में मन्त्राङ्गक सूत्रनाम भी है। मिताक्षरा (प्राय १ पर १ ४) में अमहाय एक मेषानिधि (मनु पर १ १८) के मन्त्र की बर्षा करने हुए बता है कि भाष्या में ईद्वार के समय इन लोगों ने अविवाहित ब्रह्म के लिए बीर्षा भाग की व्यवस्था की है। मिताक्षरा में लिखा है कि ब्राह्मण के अतीथ की अविधिया के विषय में परेश्वर विद्वन्म एक मेषानिधि के श्लोकगुण के कथन का उद्धरण किया है। मेषानिधि के अनुसार शास्त्र में लिख गये वर्णश्रम में छुटकारा के अन्त का अर्थान नहीं कहते हैं प्रयुक्त अन्तकार छात्र दन का अर्थान कहते हैं। इनके अनुसार ब्राह्मण श्रमिक लक्ष्य का भी मन्त्र के मन्त्रा है।

मनुस्मृति की व्याख्या करने हुए स्वातन्त्र्यपाल पर मेषानिधि ने अनेकी दृष्टि स्मृतिविद्वेष में भी उद्धरण किये हैं। स्मृतिविद्वेष में अमममन पद्य ही था। पराशर-भाष्यश्रम में स्मृतिविद्वेष में बहुत उद्धरण किये हैं। शास्त्र में अन्त आद्य प्रकरण ग्रन्थ में मेषानिधि की बर्षा की है। विद्विद्विगय-मन्त्रमनुश्रम में मेषानिधि के अन्त-में उदाहरण उद्धरण है। विद्वन्म-मन्त्रश्रम की मन्त्रमन्त्रमन्त्र में भी मेषानिधि के उल्लेख हुआ है। इन शान्तों में शिल्पु है कि यथा त्वि मे कर्म पर अन्त-मी अन्त-मन्त्र शान्त में शिल्पु श्रम का जो पर्यन्त प्रभावित हो गया थी। हा मन्त्रा है पर पुनः कभी शान्त हो जाय और हमें विद्वान् भाष्यकार के कुछ अन्य विद्वान् मन्त्र शान्त हो जाय।

मेषानिधि में अमहाय एक क्रुमारिक के नाम लिये हैं और मन्त्रमन्त्र शक्य का मत भी उद्धरण किया है अन्त

उत्पत्ता समय ८२ ई के बाद ही कहा जा सकता है। मिताक्षरा ने उन्हें प्रामाणिक रूप में ग्रहण किया है अतः १५ ई के पूरव कभी हुए होंगे। मनु के मध्य व्याख्याकार मुस्कूतभट्ट ने मेघातिथि को मोक्षिन्दराज (१५-११ ई) के बहुत पूर्व माना है।

६४ धारेस्वर भोजदेव

मिताक्षरा (याम ५८, २ १३५ ९ २१७ ३ २४) ने धारेस्वर के मठा की खर्चा की है। इसने लिखा है कि ऋष्यभृष की बहुत-सी बातें धारेस्वर, विश्वरूप एव मेघातिथि को नहीं मान्य थी। हारकटा ने लिखा है कि जातुक ई ने बहुत-से मठ भोजदेव विश्वरूप भास्विन्दराज एव कामवेनु से बाध-भूझकर उद्भूत नहीं किये क्योंकि वे प्रामाणिक नहीं थे।

धारेस्वर धारा के भोजदेव ही हैं यह कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। वाममाय ने भोजदेव एव धारेस्वर दोनों नाम किये हैं। पृथक-पृथक रूप में उद्भूत दोनों के उद्धारण एक ही हैं। विवाहताय्यव ने जो कर्मकाण्ड की कृति है भोजदेव का वा मठ लिखा है यह मिताक्षरा द्वारा उल्लिखित धारेस्वर के उद्धारण के समान ही है। मिताक्षरा ने धारेस्वर को आचार्य की तथा स्मृतिचन्द्रिका ने सूरि की उपाधि दी है। विद्वानों के सम्मयबला राजा भोजदेव ने विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सी कृतियों की रचना की थी। साहित्य-शास्त्र पर धारस्वतीकथाधरण तथा शृगारप्रकाश नामक दो ग्रन्थ उन्हीं के हैं। राजमार्तण्ड के प्रारम्भिक श्लोक से पता चलता है कि भोजदेव ने पतञ्जलि के समान व्याकरण पर एक ग्रन्थ योनिसूत्र पर एक कृति तथा राजमवाक नामक चिकित्सा-ग्रन्थ लिखे। राजमुवाक नामक एक ज्योतिष-ग्रन्थ भी उन्हीं ने लिखा। उभका एक ग्रन्थ तत्त्वप्रधान चित्रम् से प्रकाशित हुआ है। इसमें सर्वेष्ट नहीं कि भोजदेव (धारेस्वर) ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक बृहद् ग्रन्थ लिखा था जिसकी ओर मिताक्षरा वाममाय हारकटा तथा मध्य ग्रन्थों ने संकेत किये हैं। श्रीमूतवाह्य ने अपने काक-विवेक में पहचाने के समय भोजन करने के विषय में भोजदेव व दो श्लोक उद्भूत किये हैं। किसी किसी ग्रन्थ में किसी भूपालपद्धति के बहुत उद्धारण आते हैं। सम्भव है यह भूपाल (राजा) धारेस्वर भोजदेव ही हैं। भोजदेव का एक ग्रन्थ है भुजबल नखय जो १८ अध्यायों में है। यह ग्रन्थ ज्योतिष एक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी आता सं सम्बन्धित है यथा स्त्रीजातक कर्षादिनय यत् विवाहमेकन-वयव पृहर्षमप्रवेश मजातिस्तान्ना द्वादशमासहृत्प।

भोजप्रबन्ध से पता चलता है कि राजा भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया। भोज के चाचा मुञ्ज शैलप द्वारा ९९४ ९९७ ई में मारे गये और मुञ्ज के उपरांत मिश्रपुराज गरी पर बैठा। भोजदेव के उत्तराधिकारी जयसिंह ने अविशेष की तिथि है १ ५५-५९ ई। अतः भोजदेव १ १ ५५ ई के मध्य में कभी हुए होंगे।

९५ देवस्वामी

स्मृतिचरित्रका का कहना है कि देवस्वामी ने धीवर। एक धाम्पु की आदि स्मृतियों पर एक निबन्ध (स्मृति-समुच्चय) लिखा है। विद्वान् ने पुत्र एव मीशुव भोज में उत्पन्न शासक में अपने आन्वसायनगुहामुत्र वाले भाग्य में यह लिखा है कि उन्हें देवस्वामी व भाग्य स बड़ी महामता मिली है। इसी प्रकार नरसिंह के पुत्र धार्म्य आराधन में अपने आन्वसायनधीनगुह के भाग्य में देवस्वामी के भाग्य का महारा लिखा है। कृष्णा है देवस्वामी के आन्वसायन के पीन एव गुह्य मुने के भाग्य व अतिरिक्त एक निबन्ध भी लिखा था जो प्रामाणिक माना जाता था। इनके निरन्तर में आचार व्यपहार अधीक आदि में सम्बन्धित खर्चि हुई है जैसा कि

जन्य सेनको के उद्धारणा से पता चलता है। जगुनिवसतिमन की टीका में भट्टोजिदीक्षित ने अतीव एव यावत् पर देवस्वामी को उद्धृत किया है। हेमाद्रि एवं मातङ्ग ने भी देवस्वामी का उल्लेख किया है। ब्यबहार एव अतीव पर स्मृतिचन्द्रिका में कई बार इस निबन्धकार के मत बिये हैं। मन्वपविद्ध की वैजयन्ती में भी देवस्वामी का उद्धरण आया है।

प्रपञ्चबहुदय में ऐसा आया है कि किसी देवस्वामी ने बीषायन एव उपवर्ष के भाष्या का बहुत बड़ा समसङ्ग पूर्वमीमांसा के बाट्टू अध्यायो पर एक संकर्षकाण्ड के चार अध्यायो पर सम्पिप्त टीकाएँ की। क्या यह देवस्वामी एवं धर्मशास्त्र के देवस्वामी एक ही हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका की चर्चा से यह स्पष्ट है कि देवस्वामी ११५ ई के बाद के नहीं हो सकते। गार्ग्य नारायण की तिथि लगभग ११ ई के है। अतः सम्भवतः देवस्वामी १ - १५ के बीच मर गये हूँ।

६६ त्रितेन्द्रिय

त्रितेन्द्रिय उन सेनको में हैं जो एक ही बार जदि प्रसिद्ध होकर छया के लिए बिलुप्त हो जाते हैं। जीमूतबाहू ने छन्दा से पता चलता है कि त्रितेन्द्रिय ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक महाग्रन्थ लिखा था। जीमूत बाहू ने अपने बालकिके में मासो विधियो आदि तथा उनमें होनेवाले धार्मिक कृत्यों के विषय में त्रितेन्द्रिय को भली भाँति उद्धृत किया है। ऐसा आया है कि त्रितेन्द्रिय ने मत्स्यपुराण में लेकर १५ मुहूर्तों की मजला की है। जीमूतबाहू के समय में भी त्रितेन्द्रिय का नाम ही प्रचलित है। जीमूतबाहू ने अपने 'ब्यबहारमसुक्त' नामक ग्रन्थ में त्रितेन्द्रिय का हवाला किया है। स्पष्ट है कि त्रितेन्द्रिय ने ब्यबहार-विधि पर भी प्रकाश डाला है। रघुनन्दन ने अपने वायव्य म इनकी चर्चा की है। त्रितेन्द्रिय लगता है बगामी स्वयं व और उनका नाम १ - १५ ई के आसपास माना जाता चाहिए।

६७ बालक

त्रितेन्द्रिय के समान बालक भी हमारे समय केवल नाम के रूप में ही आते हैं। इनका विषय में भी जीमूतबाहू ने बहुत चर्चा की है। बाय के विषय में बालक का ग्रन्थ में पर्याप्त चर्चा हुई थी जैसा कि जीमूत बाहू ने उद्धरणों एक आलोचनात्मक में पता चलता है। अबदेव का प्रायश्चित्त-निबन्ध में बाभोव नामक सेनका का नाम आया है। हो सकता है कि यह नाम बगामी त्रिभि के उच्चारण की गड़बड़ी में आ गया है। अन्य छन्दा में भी बालक का नाम आता है यथा रघुनन्दन के ब्यबहारनाटक शुकानिधि व दुर्गाशरदिवस में। इसमें स्पष्ट है कि बालक एक पूर्ण बगामी व द्विजाने ब्यबहार एव प्रायश्चित्त पर चर्चा की है और प्रायश्चित्त पन्थ लिखे हैं। उनका नाम ११ ई के लगभग माना जा सकता है।

६८ वाल्म्य

पुत्रहीन स्मृति के उत्तराधिकार के प्रश्न पर इन्द्राय के स्मृतिमान व बालक्य का मर्णा का उद्धरण हुआ है। विमल विध के विवाहकाल वाचस्पति व विवाहविध्यामणि के बालक्य के मत उद्धृत बिय गये हैं। पुत्रहीन स्मृति की कर्माणि पर उनका अधिवाचिण पुत्री का उमकी विवाहिन पुत्री व पत्ने अधिहार होता है ऐसा बालक्य में कहा है। यह बात उन्होंने पण्डित की सम्मति पर ही आधारेण कही है। बालक्य के अनुसार आचरण्य निबन्ध एव आनुबन्धु नाम के अनुाधिकार वाले हैं। आचरण्य के अपने कान्तायें व बालक्य की प्रकाश आता है। स्पष्ट है बालक्य ने ब्यबहार एव बाल सेना पर ग्रन्थ लिखे।

इतिहास एक विवाहचन्द्र में वर्णन होने के कारण बालक १२५ ई के पूर्व ही हुए होंगे। बर्ष एक प्रमुख प्रश्न उठ सकता है क्या बालक एक बालक एक ही है? सम्भवत दोनो एक ही है। विविता के लेखको ने यथा मिस्र मिथ बालकपति एवं इतिहास में बालक का ही वर्णन किया है बालक का मही। बालक का नाम देवस बवासी लेखको के ग्रन्थो में ही आता है। एक स्थान पर जीमूतबाहन ने बावक के बालकपत्र की लिस्ती उखायी है। इससे यह समझा जा सकता है कि दोनो एक ही है। बालक या बालक का समय ११ ई के लगभग माना जा सकता है।

६९ योम्लोक

जितेन्द्रिय एवं बालक की मूर्ति योम्लोक का नाम भी केवल जीमूतबाहन एवं रघुनन्दन की कृतिवा में ही पाया जाता है। जीमूतबाहन के कालविशेष में काल के विषय में वर्णन करनेवाले लेखकों में योम्लोक का नाम अन्त में ही लिखा गया है। जीमूतबाहन ने अपनी व्यवहारमातृका में योम्लोक को नव-तार्किक-मध्य बर्ष एक नये तार्किक क रूप में माना है और उनकी लिस्ती उखायी है। जीमूतबाहन के कालविशेष एवं व्यवहार मातृका में योम्लोक के मता का सर्वत्र उल्लेख हुआ है। जीमूतबाहन ने जम्हे बृहद्-योम्लोक एवं स्वल्प-योम्लोक नामक दो ग्रन्थो का रचयिता माना है। योम्लोक ने श्रीकर के मतो को माना है अतः उनका काल श्रीकर के बाद ही आयेगा। रघुनन्दन के व्यवहारतत्त्व में ऐसा आया है कि योम्लोक ने श्रीकर एवं बालक की मूर्ति २ बर्ष तक के स्थावर सम्पत्ति के अधिकार को वास्तविक अधिकार मान लिया है। रघुनन्दन ने लिखा है कि योम्लोक को वैश्वस्य सौध प्रमाण मानते थे। योम्लोक ने काल एवं व्यवहार पर इन्व किसे और सम्भवत काल पर उनके वा निबन्ध थे। योम्लोक का बाल १५ १ ५ ई के बीच में माना जा सकता है क्योंकि जीमूतबाहन के समय-समय एक ही बर्ष पहले हुए होंगे।

७० विज्ञानेश्वर

धर्मशास्त्र-साहित्य में विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा नामक ग्रन्थ एक अपूर्व स्थान रखता है। यह ग्रन्थ उनका ही प्रमाणवर्धी माना जाता रहा है जितना व्याकरण में पदञ्जलि का महामाध्य एक साहित्यशास्त्र में मन्मथ का वाच्यप्रकाश। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में अपने पूर्व क लगभग दो सहस्र बर्षों से कम आये हुए मता के अन्तर्गत का ग्रन्थ किया और एसा रूप लड़ा किया जिससे प्रकाश में अन्य मतो एवं सिद्धान्तों का विराट हुआ। आज क भारतीय व्यवहार (कानून) में मिताक्षरा का अत्यधिक हाथ रहा है। केवल बंगाल में ही-भाग की प्रचलना रही।

मिताक्षरा मातृकायस्मृति पर एक भाष्य है। अन्त-ही प्रतियो ने अध्यायो ने अन्त में ऋषु मिताक्षरा प्रतिपाद्यता या बचक मिताक्षरा नाम आया है। मिताक्षरा केवल मातृकायस्मृति का एक भाष्य मान ही नहीं है प्रयुक्त यह स्मृति-सम्बन्धी एक निबन्ध है। इसमें अन्त-ही स्मृतियों के उद्धरण हैं यह निबन्ध स्मृतियों के अन्त विगयो का पुनर्मीमाणा की पद्धति से व्याख्या डाल कर करता है और भाँति मूर्ति के विदयो को उनके स्वाना पर रखकर एक मूर्तिवत् व्यवस्था उपाय करता है। इसमें पहले के ६ स्मृतिकारों के सिद्धान्त निरूपण का भाष्य लिग है नाम मान है यथा—अन्याय विरचन मपानिधि भीतर भाषिक तथा मोक्षद्वै। स्मृतियों एक मूर्तिकारों के निम्न नाम अन्तर्गत-नीच १—अग्नि बृहद्भिन्न मध्यमभिन्न अथि आपत्कान् आचरमायत उनमपु-मता ऋष्यद्भिन्न अथवा कान् कान्मायन कान्मायिनि बृहद्भिन्न इत्येतेपायन कनु माय्य गुण्यमर्गिण्य माथि

पीठम चतुर्विधमित्तं च्यवत छागळ (छायलेय) जमवनि चानुनर्ण्य जाबास (जाबासि) जैमिनि दत्त
 शीर्षतमा वेवळ शीम्य कारर पराघर, पारस्कर, मितामह पुम्स्त्य पय्य पीठीमसि प्रवेठा बृहत्पेना
 बृहप्रवेठा प्रजापति बाण्डळ बृहस्पति बृहबृहस्पति श्रीवायन ब्रह्मगर्भ ब्राह्मवम माख्वाय भृगु मनु बृहमनु,
 बृहमनु, मदीचि मार्कण्डेय मम बृहधम याज्ञवल्क्य बृहद्वायवल्क्य बृहद्वायवल्क्य क्विचित् सौभाग्नि वसिष्ठ
 बृहद्वसिष्ठ बृहद्वसिष्ठ विष्णु, बृहद्विष्णु, बृहद्विष्णु, वैशाखपत्र वैद्यम्पायन व्याघ्र (व्याघ्रपाव) व्याघ्र बृहद्
 व्याघ्र पञ्च चक्रनिश्चित साधिव्यय घातस्तप बृहच्छातातप बृहच्छातातप पुनपुच्छ घौलक पद्मिधामत
 सक्तं बृहत्सक्तं मुमन्तु, ह्यरीठ बृहद्वारीठ बृहद्वारीण। मिताक्षरा म निम्न ग्रन्थो भी चर्चा है—नाटक बृह
 शारम्भकोपनिषद् गर्भोपनिषद् जाबासोपनिषद् निरुक्त मातृघातत्र के लेखक मरठ मोगसूत्र पाणिनि मुद्युत
 सन्धपुराण विष्णुपुराण जमर, पुत्र (प्रभाकर)। विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य के अन्त में अपने को विज्ञान-
 योगी कहा है और कालान्तर के लेखको ने भी उन्हे वैसा ही कहा है। वे माख्वाय गोत्र के पचनान मट्ट
 के सुपुत्र थे। वे स्वयं परमहंस उन्नत के शिष्य थे। जब उन्होंने मिताक्षरा का प्रथमन किया तब कस्यान
 मगरी म विज्ञानार्क या विज्ञानाधिक्येव घासम कर रहे थे।

मिताक्षरा के प्रगटा पूर्वमीमांसा-व्यक्ति के गूढ ज्ञान से क्याकि सम्पूर्ण पुस्तक म कही-न-कही पूर्व
 मीमांसा-न्याय का प्रयोग देखा जाता है। मिताक्षरा वैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, एक संक्षिप्त विव
 रण वाली रचना है। मिताक्षरा म विववरण मेधातिथि एव बारेश्वर के नाम आते हैं, अठ यह १५
 के बाद भी रचना है। वेदव्यमट्ट की स्मृतिचरित्रका का प्रथमन लगभग १२ ई के हुआ था। इतने
 मिताक्षरा-सिद्धांता की आलोचना की है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु म विज्ञानेश्वर का नाम आया है। लक्ष्मीधर
 १२वीं शताब्दी के दूसरे चरण म हुए थे। अब मिताक्षरा का प्रथमन ११२ ई के पूर्व हुआ था। अन्य सूत्रा
 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिताक्षरा का रचनाकाल १७०-११ ई के बीच में कही है।

मिताक्षरा के भी भाष्य हुए हैं, जिनमें विपेश्वर, लक्ष्मणशिरठ एव बाळम्भट्ट के नाम मति प्रसिद्ध हैं।
 यहाँ पर स्वातन्त्र्यकोष से विज्ञानेश्वर के सिद्धांतों की व्याख्या मही की जा सकती है। उन्होंने बाय का अप्रति
 बन्धु एव सप्रतिबन्धु नामक दो भागों में बाँटा है और बलपूर्वक कहा है कि पुत्र पीठ एव प्रपीठ बनीयन पर
 अधिकार अन्त से ही पाठे हैं। इस विषय में वे जीमूठबाहून के मतों के सर्वथा विरोध में हैं।

आश्विन में अपनी भुषी में अश्वीचरदशक नामक ग्रन्थ से विषय में परस्पर-विरोधी बातें कही हैं। अश्वीच
 दशक के लेखक हैं हरिहर और इस पर विज्ञानेश्वर भी एक टीका है। वेदत नाशज ने सपह म अश्वीचरदशक
 नामक एक हस्तलिखित प्रति है जिसम यह लिखा है कि विज्ञानेश्वरयोगी ने शाशुलविधीयित ल्कोक म अश्वीच
 पर एक रचना की जिसपर हरिहर ने एक टीका लिखी। अब यह सिद्ध हो चुका है कि हरिहर या तो
 विज्ञानेश्वर के शिष्य थे या उनके समकालीन थे। उनके किन्हीं ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर ने नहीं प्रत्युत उन्होंने
 स्वयं विज्ञानेश्वर के अश्वीचरदशक या दशस्कान्ठी नामक ग्रन्थ पर टीका लिखी। विष्णु-स्कोनी नामक ग्रन्थ के
 भाष्यकार विज्ञानेश्वर ही हैं, एसा कुछ लोग समझा करते थे किन्तु ऐसी बात नहीं मानी जानी।

मातृघातत्रिखिन व्यबहारउसिरोमनि नामक ग्रन्थ की एक हस्तलिखित मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है।
 मातृघातत्र न इसमें अपने को विज्ञानेश्वर का शिष्य घोषित किया है। यह ग्रन्थ 'बालभोजार्णम्' लिखा गया है।
 इसमें जलता के जलको के निपटारे क विषय में राजा के कर्तव्यों समक्ष समा प्राङ्गिवाक (व्यायापीठ)
 अधिविभाग और उसके शीघ्र आदेश (प्रतिवाद्यो के अन्तर निबन्धन) व्यबहार-सम्बन्धी १८ पत्रों की मित्रि क
 किष् जयय आचारान निसेन समुप-समुत्पान बलाप्रधानि अम्पुत्वाधुधुदा वेननस्यानताकर्म अस्त्वामिधिक्य

बिनीयासम्प्रदाय नीत्वामुद्राय समयस्नानपाकर्म सीमा-विवाह स्त्रीपुंसयोग दायविधाय आदि का वर्णन है। इस ग्रन्थ में मिताक्षरा की बात पायी जाती है, किन्तु नारायण ने अपने मूल से एक बात में विरोध प्रकट किया है। मिताक्षरा में विनायक के चार अवसर बताये गये हैं किन्तु नारायण ने बस दो अवसरों की चर्चा की है यथा (१) विवाह की दृष्टि तथा (२) पुत्र या पुत्रों की दृष्टि। सम्भूयसमुत्पन्न में उन्होंने कौटिल्य के वर्णशास्त्र से एक उद्धरण किया है जो आज के प्रकाशित कौटिल्य में पाया जाता है।

७१ कामधेनु

धर्मशास्त्र की विविध शाखाओं पर कामधेनु नामक एक प्राचीन निबन्ध का किन्तु जगन्नाथदास का एक इच्छी कोई प्रति नहीं मिल सकी है। छद्मीपर के कम्पतह में कामधेनु के मत की चर्चा है। हारलदा में भी जो १२वीं अध्यायी के तृतीय चरण में प्रकीर्ण हुई थी कामधेनु की कई बार चर्चा हुई है। दीनराजर्षि ने अपने स्मृत्युद्धार में चन्द्रस्वर ने अपने विवाहखरलाकर में श्राद्धक्रियाश्रीमती में लूकपाणि ने अपने धाडविनेक में दीवत्त ने अपने समयप्रदीप में कामधेनु के मतों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न यह है कि कामधेनु का सेवक कौन है। चण्डेस्वर के ब्यबहारखरलाकर में कामधेनु के सेवक गोपाल नामक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यह बात ठीक सही है। अपेक्ष में सम्भू नामक व्यक्ति को तथा वा दायसवाल ने सोच को कामधेनु का सेवक माना है किन्तु इस मान्यता के लिए कोई पुष्ट आधार नहीं है। मिताक्षरा एक मेधातिथि में इसकी चर्चा नहीं की है अथ इसकी तिथि १-२१ ई के मध्य में कमी होगी।

७२ हलामुष

छद्मीपर ने कम्पतह में ब्यबहार-कोविद हलामुष का कई बार उल्लेख किया है। चण्डेस्वर के विवाह खरलाकर एवं हरिनाथ के स्मृतिसार में हलामुष के निबन्ध के मतों की चर्चा हुई है। स्मृतिसार ने हलामुष के मतानुसार कहा है कि यदि अयुक्त पति की मृत्यु पर पत्नी नियोग से पुन उत्पन्न करने पर उत्पन्न न हो तो उसे उत्तराधिकार से वञ्चित कर देना चाहिए। यही चारेस्वर का भी मत था। विवाहविश्रामणि में भी हलामुष की चर्चा हुई है। रघुनन्दन ने अपने दायसवाल ब्यबहारखरलाकर एवं विष्णुखरलाकर में तथा श्रीरामिन्द्रोद्यम में भी हलामुष के मतों का उल्लेख किया है। इन चर्चाओं से स्पष्ट है कि हलामुष की कृति बड़ी मूल्यवान् थी। कम्पतह ने हलामुष को प्रमाण माना है अथ वे ११ ई के पूर्व ही हुए होंगे। मेधातिथि मिताक्षरा आदि ने हलामुष की चर्चा नहीं की है क्योंकि उन्होंने चारेस्वर, जितेन्द्रिय तथा अन्य विरोधी मतों के समान ही अपने मत रखे हैं। अथ वे १ ई के पहले नहीं जा सकते। हलामुष १-२१ ई के मध्य में कमी हुए होंगे।

कई एक हलामुषों की कृतियाँ प्रकाश में आयी हैं। यथा—अभिधानखरलाकरा कविचन्द्रस्य मृतसमीचीनी ब्राह्मणसर्वस्व तथा कात्यायन के श्राद्धसंस्कार का प्रकाश नामक ग्रन्थ। इनमें प्रथम तीन के हलामुष साहित्य-शास्त्री हैं जो धर्मशास्त्रप्रेमी हलामुष से बहुत पहले १९४-१९७ ई के लगभग हुए थे। चौथे ग्रन्थ के सेवक हलामुष धर्मशास्त्रकार हलामुष नहीं है। इसी प्रकार प्रकाश के सेवक भी तिथि के प्रश्न पर धर्म शास्त्रकार हलामुष नहीं हो सकते।

७३ मन्वेद भट्ट

रघुनन्दन के ब्यबहारखरलाकर एवं श्रीरामिन्द्रोद्यम से पता चलता है कि मन्वेद भट्ट ने ब्यबहार-विधि पर

व्यवहारप्रतिष्ठा नामक ग्रन्थ लिखा था। व्यवहारप्रतिष्ठा ने मन्वेद मट्ट के पूर्वक कारण बाड़े एक उत्तर का उदाहरण देकर उसका विवेचन उपस्थित किया है। उसी ग्रन्थ में यह भी आया है कि शीकर, बासक तथा अन्य लकड़ों के समान मन्वेद मट्ट ने भी विपरीत अभिकार के विषय में मत प्रकाशित किया है। मिस्र मिष के विवाहचक्र ने भी मन्वेद के विचारों की चर्चा की है। आठतामी क मारने के बारे में शुमन्तु के कथनों पर मन्वेद के मत की चर्चा बीरमिहोदय ने की है। सरस्वतीविद्यास एव नन्दपरिष्ठा के 'बैजयन्ती' नामक ग्रन्थों ने भी मन्वेद के मतों की चर्चा की है। इन सब चर्चाओं से प्रकट होता है कि मन्वेद मट्ट का व्यवहारप्रतिष्ठा न्याय-विधि पर एक मुख्यग्रन्थ अथवा समझा जाता रहा। अभाष्यबद्ध अमी ग्रन्थ की प्रति नहीं मिल सकती है। मन्वेद मट्ट ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं।

डेकन कालेज के सग्रह में मन्वेद की कई नानो वाली तथा चर्चानुष्ठानपद्धति या दक्षकर्मपद्धति या दक्षकर्मवीथक कृति की दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। एम एम चतुर्वर्ती क कथन से पता चलता है कि यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ में सामवेद पत्रवाले ब्राह्मण के इस प्रमुख क्रिया-संस्कारों का वर्णन है। प्रमुख विषय वे हैं—नवग्रह-होम मातृपूजा पाणिग्रहण तथा अन्य वैवाहिक कार्य विवाहोपरान्त चौथे दिन पर होम गर्भाधान पुष्यन धीमन्तोभवन सोप्यन्तीहोम (जब स्त्री बच्चा जन रही हो) पातकर्म निष्कर्मण्य नामकरण अन्नप्राशन नृशंकरण उपनयन समावर्तन शालाकर्म (सब गृह में प्रथम प्रवेश)।

मन्वेद की छठी कृति है प्रायश्चित्तनियमन जिसमें लेखक की उपाधि है बालकसमी भुजय। इसमें २५ स्मृतिकारों मत्स्य एव अविष्य पुराणों विश्वरूप शीकर एव बालोक (बासक ?) की चर्चा हुई है। वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में इस ग्रन्थ को प्रायश्चित्त के विषय में मनु के बाद सबसे अधिक मान दिया गया है। मन्वेद मट्ट की छठी कृति है तीर्थाटिपमवतिष्ठा जिसमें कुमारिल मट्ट के अनुसार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तों का वर्णन है। उड़ीसा के पुरी जिले के सुवन्श्वर क अण्णवासुदेव के मन्दिर के एक अभिलेख में मन्वेद के बारे में भरपूर चर्चा है। कीलहार्न क कथनानुसार अभिलेख १२वीं सताब्दी का है।

हेमाद्रि मिस्र मिष एव हरिलाष ने मन्वेद मट्ट से उद्धरण किया है जो मन्वेद मट्ट की तिथि लगभग ११ ई है। कुछ अन्य चर्मशास्त्र-लेखकों का नाम मन्वेद है। दानवमंत्रिया (१७वीं सताब्दी) के लेखक एव स्मृतिचन्द्रिका (१८वीं सताब्दी) के लेखक का नाम मन्वेद ही है। मन्वेद मट्ट की कृति कर्मानुष्ठान-पद्धति पर सद्यपरिष्ठाग्रहस्य नामक एक भाष्य भी है।

७४ प्रकाश

आरम्भिक विद्वान्कारों ने प्रकाश नामक एक ग्रन्थ की चर्चा की है। कात्यायन के एक श्लोक पर कस्पतर ने प्रकाश हकमुन्य एव कामधनु की व्याख्या का उल्लेख किया है। कमन्ते-कम बीस बार चण्डेश्वर ने अपने विवाहपरिष्ठाकर में प्रकाश के मतों की चर्चा की होगी। कमी-कमी प्रकाश पारिजात के साथ ही उल्लिखित होता है। इसी प्रकार कई एक ग्रन्थों में प्रकाश के मतों का हवाला दिया गया है। इस पुस्तक में व्यवहार, दान बाढ़ आदि पर प्रकरण के यह बहुत उद्धरणों से सिद्ध हो जाती है।

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रकाश एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था या एक भाष्य मात्र। कमी-कमी ऐसा समझता है कि यह वात्रवल्क्यस्मृति का मानो भाष्य है। विवाहचिन्तामणि में प्रकाश की व्याख्याओं की ओर संकेत हुआ है। बीरमिहोदय में प्रकाश की मनु-सम्बन्धी व्याख्याओं का उल्लेख पाया जाता है। कस्पतर में उल्लिखित होने के कारण प्रकाश की तिथि ११२५ ई के पूर्व ही मानी जायगी। प्रकाश में वैवाहिक का

सम्बन्ध है। प्रकाश का प्रथम-काल ? एक ११ ई के मध्य में कही रखा जा सकता है। हेमाद्रि ने महार्थ-प्रकाश नामक एक ग्रन्थ से उद्धरण किया है। धम्मवत् यह ग्रन्थ प्रकाश ही है।

७५ पारिजात

बहुत-से ग्रन्थों का 'पारिजात' उपनाम मिलता है यथा—विद्यापारिजात (१६२५ ई) मन्वपारिजात (११७५ ई) एक प्रयोगपारिजात (१४ ०-१५ ई)। किन्तु प्राचीन निबन्धकारों ने पारिजात नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की खोज की है। कम्पटन ने बहुत बार पारिजात के मतों का उल्लेख किया है। कम्पटन तथा विद्यापरल्लाकर ने पारिजात एक प्रकाश को अधिकतर उद्धृत किया है। विद्यापरल्लाकर ने तो कम्पटन पारिजात ह्युक्त्युक्त एक प्रकाश को महत्त्वपूर्ण पूर्वगामी कृतियाँ माना है। हरिनाथ के स्मृतिसार में भी पारिजात के उद्धरण आये हैं। पारिजात ने नियोग का समर्थन किया है। पारिजात ब्यवहार, शाप आदि विषयों पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का इयमे कोई संशेह नहीं रह गया है। यह ११२५ ई के पूर्व लिखा गया होगा क्योंकि कम्पटन ने इसका हवाला किया ही है। यह मिठाक्षर द्वारा उद्धृत नहीं है किन्तु ह्युक्त्युक्त मोजदेव आदि के समान विषयों के अधिकार को माननेवाला है अतः इसकी तिथि १ ११२५ के बीच में होनी चाहिए।

७६ गोविन्दराज

गोविन्दराज ने मनु-टीका नामक अपने मनुस्मृति-भाष्य (मनु ३ २४७-२४८) में लिखा है कि उन्होंने स्मृतिमञ्जरी नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक के कुछ अक्षरों का उल्लेख ही है। गोविन्दराज की जीवनी के विषय में भी उनकी कृतियों से प्रकाश मिलता है। मनुटीका एक स्मृतिमञ्जरी में संशुद्धि के विचारों रखनेवाले नारायण के पुत्र माधव का पुत्र कहा गया है। कुछ लोगों ने इसी से नारायण के राजा गोविन्दराज से उसकी तुलना की है किन्तु यह बात गलत है क्योंकि राजा काधिय से और गोविन्दराज के शाह्यन। गोविन्दराज ने पुराणों मूह्यमूह्यो योगमूह्य आदि की खोज की है। उन्होंने मातृग एधे म्केच्छ वेदों में खोज की मगाही की है। उन्होंने वैशातिथि की मति मोक्ष के लिए ज्ञान एक कर्म का सामञ्जस्य चाहा है। तुल्लुन ने वैशातिथि एक गोविन्दराज के भाष्यों से बहुत उद्धरण किये हैं। शायदमाग में गोविन्दराज की खोज है। गोविन्दराज की स्मृतिचक्रिका में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातें आ खयी हैं। तुल्लुन ने वैशातिथि को गोविन्दराज से बहुत प्राचीन कहा है। मिठाक्षर ने वैशातिथि एक मोजदेव का उल्लेख तो किया है किन्तु गोविन्दराज का नहीं। इससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोविन्दराज १ ५ ई के उपरान्त ही उत्पन्न हुए हयें। अतिरिक्त की हा कला (१११ ई) ने गोविन्दराज की खोज हुई है और वे विस्वरूप मोजदेव एक नामधनु की मति प्रामाणिक उद्धरण कये हैं। इससे स्पष्ट है कि गोविन्दराज ११२५ ई के बाद नहीं हो सकते। शायदमाग में गोविन्दराज के मत का कथन किया है। जीमूतबाह्य ने मोजराज एक विस्वरूप के शाप गोविन्दराज का भी हवाला दिया है। हेमाद्रि ने भी गोविन्दराज के मत का उद्धाटन किया है। अतः उपर्युक्त धर्मशास्त्र-कोशियों ने वाको को देखते हुए कहा जा सकता है कि गोविन्दराज १ ५०-१८ ई के मध्य में नहीं हुए हयेंगे। किन्तु यह अतः जीमूतबाह्य की १ ९०-११४ वाली तिथि पर ही आधारित है और अतीत जीमूतबाह्य की तिथि के विषय में कोई निश्चितता नहीं स्थापित हो सकी है।

७७ लक्ष्मीधर का कल्पतरु

कल्पतरु ने निषिद्धा बंधाल एक सामान्यतः सम्पूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था। यह एक बृहद् ग्रन्थ था किन्तु अभाव्यत्त अमी इसकी सम्पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी है। यह ग्रन्थ कई भाषाओं में विभाजित था। सम्पूर्ण ग्रन्थ को इत्यकल्पतरु या वेदक कल्पतरु या कल्पद्रुम या कल्पवृक्ष कहा जाता है। 'न्य ग्रन्थ में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है ऐसा समझा जाता है। लक्ष्मीधर राजा गोविन्दचन्द्र के शास्त्रविद्वान् मन्त्री थे। उनकी कूटनीतिक चालों से ही गोविन्दचन्द्र ने अपने सपुत्रों पर विजय प्राप्त की ऐसा कल्पतरु में बताया है। यद्यपि कल्पतरु मिताक्षरा से बहुत बड़ा है किन्तु विद्वत्ता सम्पन्न एक व्याख्या में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसमें आचार-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त व्यवहार-विषयक कई बाण्ड हैं। राजधर्म पर भी लक्ष्मीधर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है।

कल्पतरु में विषेपठ स्मृतिकारों महाकाव्यों एवं पुराणों के ही उद्धरण आये हैं। व्यवहार-बाण्ड में विभाषिणि अक्षमिहित के माध्य प्रकाश विशालेश्वर, हस्तायुष एवं कामधेनु नामक निबन्धों के उद्धरण भी हैं।

लक्ष्मीधर की विधि सरलता से सिद्ध की जा सकती है। उन्होंने विशालेश्वर का उद्धरण किया है अथ वे ११ के बाद ही आ सकते हैं। अनिरुद्ध की कर्मोपदेशिनी (११९६ ई. में लिखित) में कल्पतरु के उद्धरण आये हैं, अथ वे ११ ०-११५ के बीच ही में लम्बी हुए होंगे। लक्ष्मीधर यहूद्वार या छठीर राजा गोविन्दचन्द्र के मन्त्री थे इत रूप में वे १२वीं सताब्दी के ही ठहरे हैं।

शाक्यन्तर में कल्पतरु की बड़ी प्रसिद्धि हुई। बगाल के सभी प्रसिद्ध लेखक यथा अनिरुद्ध ब्रह्मास-संग मूलपाणि रघुनन्दन ने कल्पतरु की खर्चाएँ की हैं और इससे लेखक लक्ष्मीधर को आदर की वृत्ति में रखा है। निषिद्धा में वे बगाल से बड़ी अधिक प्रसिद्धि थे। अथर्वशर में अपने विशालेश्वर से कल्पतरु के उद्धरण एवं मातृभाषा को संकेतों द्वारा उद्धृत किया है। हरिदास ने अपने स्मृतिनार में और श्रीदत्त ने अपने आचार्य दर्शन में कल्पतरु को बहुत बार उद्धृत किया है। अक्षिप एवं पश्चिम भारत में भी लक्ष्मीधर का प्रभु प्रभाव था। हैमाद्रि एवं सरस्वती-निसाल में आदर के साथ कल्पतरु का उल्लेख किया है महीं तथा कि लक्ष्मीधर को उन्हीं मयवान् की उपाधि से डाली है। अब अन्य सक्षिप्त निबन्धों का प्रचयन हो गया सभी कल्पतरु अध्याय में छिप गया तथापि बलरामीमाया श्रीरमिन्द्रोदय तथा टीकराज ने कल्पतरु की खर्चा की है।

७८. जीमूतबाहू

जीमूतबाहू मूलपाणि एवं रघुनन्दन बगाल के धर्मशास्त्रकारों के विद्वेह हैं। जीमूतबाहू सर्वप्रथम हैं। इनके तीन ज्ञात ग्रन्थ प्रकाशित हैं यथा—कालविद्वेह व्यवहारमातृका एवं दायमाग। ये तीनों ग्रन्थ धर्मरत्न नाम वाले एक बृहद् ग्रन्थ के तीन अंग मात्र थे।

कालविद्वेह में ऋगुक्त, सामो धामिह क्रिया-नस्त्राओं के कालों मत्तमाग (अधिक मासों) और एक बाण्ड मासों में होनेवाले उल्लेख वैशम्पयन व उत्सर्वत एवं उपायम अद्यप्योद्यम किन्तु के मोनेबाव चार मासों कोमात्र, दुर्बोध्य यह अधिक वर्षों एवं उल्लेखों का कालों का विचार बनत है। जीमूतबाहू के काल विद्वेह में पूर्वमीमांसा में प्रथम उल्लेख हुए हैं। इस ग्रन्थ को कालमणि की यादृचिन्तामणि गोविन्दचन्द्र की यादृचिन्तामणी एवं कर्मचिन्तामणी ने तथा रघुनन्दन के लक्ष्मीधर ने व्याख्यान पर उद्धृत किया है।

व्यवहारमातृका में व्यवहार-विषयों का बण्ड है। इनमें १८ व्यवहारपदा प्राक्विकार (व्यापारिण) बाण्ड के उद्भव प्राक्विकार बोध्य व्याप्तियों विविध प्रकार के व्यापारों नामों के कर्मव्य व्यवहार व चार

स्तरा पूर्वपक्ष प्रतिभू पूर्वपक्ष-दोष उत्तर (प्रतिवाची वा उत्तर) चार प्रकारके उत्तर, उत्तर-दोष विना (सिद्ध करने का प्रमाण) भी एक मानकी (मानुषी) प्रमाण (यथा विषय अनुमान साक्षिदां लेखप्रमाण स्वत्व) एक साक्षियो क साम्य व्यक्तियो की चर्चा है। व्यवहारमातृका (म्यायमातृका या म्यामरत्नमासिका) में लगभग २ स्मृतिकारो क नाम आये हैं यथा उद्यता कात्यायन बहुलात्यायन कौटिल्य गौतम नारद पितामह प्रजापति बृहस्पति मनु, यम याज्ञवल्क्य छिन्नित बृहदसिद्ध, विष्णु व्यास सप्त बृहदाद्यतप सर्वा एक हारीत जिनमे कात्यायन बृहस्पति एक नारद के नाम बहुत बार आये हैं। इसमे निम्नलिखित निबन्धकारो क नाम आये हैं—जितेन्द्रिय बीक्षित बास (बासक) भोजवन मञ्जरीकार (गोविन्दराज) योम्भोज विस्वरूप भीकर (धीवर मिश्र)। श्रीमूतबाह्वन ने याम्भोज एक धीवर की आलोचना भी है और योम्भोज की स्वाम स्थान पर भर्त्सना भी की है। इन्होंने विस्वरूप तथा अन्य प्राचीन निबन्धकारो की प्रशंसा भी की है। रघुम्भन ने अपने व्यवहारतत्त्व एक शायनत्व में व्यवहारमातृका की चर्चा भी की है।

श्रीमूतबाह्वन का टीसरा ग्रन्थ शायभाय सर्वयेष्ट एक सर्वप्रसिद्ध है। हिन्दू कानूनो में विशेषतः रिक्त विभाजन स्वीयन पुनर्मिन्न आदि में शायभाय ने बहुत योग दिया है। बगलक तथा बहल बहल मितासरा का प्रमाण नहीं है, इन विषयो में शायभाय ही एक मात्र प्रमाण माना जाता रहा है। शायभाय के कई भाष्यकार हो गये हैं। शायभाय की विषय-वस्तु यो है—शाय की परिभाषा पूर्वजो की सम्पत्ति पर पिता का प्रमाण वा स्वत्व पिता एक पितामह की सम्पत्ति का विभाजन पिता की मृत्यु के उपरान्त भाइयो में बँटवारा स्वीकन की परिभाषा भंगीकरण एक निष्पेय असमर्थता के कारण बहीयत (शाय) एक बँटवारे से कौन कौय पुत्र किये जा सकते हैं निष्पेयण योग्य सम्पत्ति पुत्रहीन के उत्तराधिकार की विधि पुनर्मिन्न गुप्त धन प्राप्त होने पर रिक्ताधिकारियो में बँटवारा विभाजन प्रकाशन।

शायभाय और मितासरा के मध्य विशेष निम्न हैं। शायभाय में पुनो को जन्म से पैदा सम्पत्ति में अधिकार नहीं है पिता के स्वत्व के विनाश पर ही (अर्थात् पिता की मृत्यु पर, पठित हो जाने पर या श्यासी हो जाने पर ही) पुत्र शाय पर अधिकार पा सकते हैं या पिता की इच्छा पर उसमें और पुत्रो में विभाजन हो सकता है। पति क अधिकार पर विधवा का अधिकार हो जाता है मरने ही पति एक उसके माई का समुक्त बन हो। रिक्ताधिकार मृत व्यक्ति को पिच्छवान करने पर निर्भर करता है यह शगोत्रता पर, मितासरा के मदानुसार नहीं निर्भर करता।

शायभाय में स्मृतिकारो महाभारत एक मार्कण्डेयपुत्रन के अतिरिक्त निम्न लेखको के नाम आये हैं उद्ग्राहमस्स भोजिन्यराज (मनुटीका के लेखक) जितेन्द्रिय बीक्षित बासक भोजवेन या वारेस्वर, विस्वरूप एक धीवर।

श्रीमूतबाह्वन ने अपने बारे में म-मुच्छ-सा कहा है। उन्होंने अपने को परिमत्र कुक्ष में उत्पन्न माना है। उनका जन्म-स्थान सम्भवतः राजा था। श्रीमूतबाह्वन की विधि क विषय में भी लिखित रूप से कुछ कहता बलिग ही है। ११वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक कोचतापी होती रही है। श्रीमूतबाह्वन ने भारद्वाज भोज देव एक गोविन्दराज का उल्लेख किया है जत ने ११वीं शताब्दी में पूर्व नहीं रल पा सकते। इसी प्रकार उनमें उद्धरण शुक्रपाणि वाचस्पति मिश्र एक रघुनन्दन की इतिमो में पाये जाते हैं, जत ने १५वीं शती के मध्य भाग के बारे में नहीं पा सकते। नाकभिवेक की एक हस्तलिखित प्रति में बटनसिद्ध नामक व्यक्ति के पुत्र की कुछकी है जिस पर शन सवत् १४१७ (अर्थात् १४९५ ई.) अंकित है। जत श्रीमूतबाह्वन १४ ई के बारे में नहीं पा सकते क्योंकि उपर्युक्त हस्तलिखित प्रति में बहुत पहले ही तो श्रीमूतबाह्वन प्रसिद्ध हो चके होते।

वासुदेवक म कामधर्मा करते हुए जीमूतबाहू ने एक स्थान पर १ ९१ १ ९२ ई की गणना की है। सेक्टर को समीप क काक की चर्चा और गणना ही सुविधाजनक लगती है अतः जीमूतबाहू १ ० तथा ११३ के मध्य में हुए होंगे। किन्तु एक विरोध लड़ा गया जा सकता है। १२वीं शताब्दी से लेकर १२वीं तक किसी भी धर्मशास्त्रकार ने जीमूतबाहू का नाम नहीं किया है। हारलडा बुस्कूट के माध्यम आदि ने उनका नहीं भी चर्चा नहीं की है। विज्ञान ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीमूतबाहू ने मिताक्षरा की भावना की है। इसके यह कहा जा सकता है कि जीमूतबाहू ने मिताक्षरा क बाद तो आय किन्तु उनकी तिथि की मध्य नहीं क्या है यह कहना कठिन है।

७९. अण्डरार्क

अण्डरारिय ने साक्षरत्वस्मृति पर एक बहुत ही बिलुप्त टीका लिखी है जो अण्डरार्क-साक्षरत्व-मय शास्त्र-निबन्ध के नाम से विख्यात है। यह आत्मशास्त्र प्रश्न (पूना) से जो बिल्दा में प्रकाशित हुआ है। इस निबन्ध के अन्त में केवल विद्याधरदा के जीमूतबाहू बुक में उत्तर राजा घिसाहार, अण्डरारिय कहे गये हैं। यह कल्प कल्प मिताक्षरा की भाँति साक्षरत्वस्मृति की टीका है किन्तु है यह एक निबन्ध। यह मिताक्षरा से बहुत बड़ा है। अपने बुद्ध एव परमेश्वरों एक पद्यबद्ध स्मृतिना में बिना किसी रोक क सम्बन्ध उद्धारण किये हैं। मिताक्षरा में यह कई बातों में भिन्न है। जहाँ मिताक्षरा ने पुराणों से उद्धारण सेने में बड़ी सावधानी प्रर लिखी है इसमें कतिपय पुराणों से सम्बन्ध अतः उतार कि है यथा आदि आदि पूर्व कासिना देवी मन्वी नृसिंह पर बड़ा बड़ा मन्विप्यत् मन्विप्यत्, मत्स्य मार्कण्डेय लिग बराह कामन कामु निष्पत्त किष्किर्मात्त शिवर्मात्त एव स्वन्द नामक पुराणों में। इन सभी सम्पा म पुराण एवं उपपुराण दोनों सम्मिलित हैं। इसमें परमेश्वर (पीतम बलिष्) म भी प्रभूत सम्ब उद्धारण किये गये हैं। यह बात मिताक्षरा में नहीं पायी जाती। अण्डरार्क की टीका में अण्डरार्क म बीच पाण्डुत पाञ्चरात्र माध्य एक योग ने विज्ञानों के छोटे-छोटे निष्पत्त भी दिये हैं। यद्यपि अण्डरार्क ने पारिपरिक मीमांसा-शास्त्र की ओर मनेन किया है तथापि के अंत में पुत्रादी नहीं लगने। मिताक्षरा ने अपने पूर्व के निबन्धकारों यथा—असहाय किबन्ध भारवि श्रीर, मेघानिधि एव शारङ्गदेव के नाम दिये हैं किन्तु अण्डरार्क इस विषय में मौन है। अण्डरार्क ने ज्योतिषशास्त्र क कई लेखकों की इतिया का उल्लेख किया है यथा—गर्ग किमाधय एव मारुतलि। कुमारलि अट्ट का उद्धारण भी अण्डरार्क के निबन्ध में आया है। मिताक्षरा म पूर्वमीमांसा की प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं किन्तु अण्डरार्क ने एका बहुत कम किया है। विज्ञान स्वच्छता तर्क अभिव्यञ्जना आदि म मिताक्षरा अण्डरार्क में बहुत आय है इस विषय में इसकी कोई सुझना नहीं हो सकती।

जीमूतबाहू ने सम्बन्धित बहुत-से मतों की घोषणा अण्डरार्क में भी की थी। यों ही स्पष्ट को निष्पत्त आदि दैन में ही उनकी संपत्ति का कई अर्थकारी हो सकता है। शायद अन्य बातों में अण्डरार्क एक मिताक्षरा म बाधा विभर है अन्यथा होता एक-दूसरे म मता के प्रिय में बहल दिखते हैं। क्या अण्डरार्क का मिताक्षरा की उपरिपत्ति का ज्ञान था? इसका उत्तर मरल नहीं है। सम्भवतः मिताक्षरा का ज्ञान अण्डरार्क को था।

अण्डरार्क की तिथि का अनुमान निराय किया जा सकता है। स्मृतिचरित्रका ने कई बार अण्डरार्क क मतों को चर्चा एक उनकी मिताक्षरा क मता म तुलना की है। स्मृतिचरित्रका की तिथि जैसा कि हम बाद का देवेंगे लगभग १२ ई है यदि यह मान लिया जाय कि अण्डरार्क ने मिताक्षरा की चर्चा की है तो अण्डरार्क की तिथि ११ ०-१२ ई के बीच म होगी। यहाँ हमें अतिशय सावधानता देनी है। अण्डरार्क जीमूतबाहू-मय क

सिन्हाहार राजकुमार थे। सिन्हाहारो के अमिकेसो से पता चलता है कि उनकी तीन धाराएँ थीं जिनमें एक उत्तरी कोकन के बागा नामक स्थान में ब्रह्मरी बक्षिणी कोकन में तथा तीसरी कोसंबपुर में थी। ये तीनों धाराएँ अपने-थी भीमूतबाह्य बंध की ठंडापीठी हैं। अपराकं सम्भवत उत्तरी कोकन वाले शिन्हाहारो में अपराशिव देव नाम वाले राजा थे क्योंकि निबन्ध में आनेवाली सिन्हाहार नरेश एव भीमूतबाह्यात्म्यप्रसूत उपनिर्वा एव महामण्डकेशवर तथा नगरपुर परमेश्वर आदि नाम एक शिन्हाकेश में भी आये हैं जहाँ पर अपराशिव वा अपराशिवदेव जो मागार्जुन के पुत्र अनन्तदेव के पुत्र थे एक ब्राह्मण की धान बेटे हुए बसित हैं। और भी बहुत से अमिकेस हैं जिनमें अपराशिव का नाम आता है। अपराशिव की तिथि १११५ १११ ई के बीच में आती है। मूल के श्रीकण्ठचरित में आया है कि कोकन के राजा अपराशिव ने तेजकण्ठ को कश्मीर के राजा बन्सिह (११२९ ११५ ई) की विद्वत्परिपद् में बूट बनाकर भेजा था। आज भी कश्मीर में अपराकं की टीका चलती है। अपराकं की इति यह स्पष्ट करती है कि वे कश्मीर से परिचित थे। लगता है राजा ने बूट को अपने भाग्य के साथ ही कश्मीर भेजा था जहाँ के पश्चिम भाग में अपराकं को आकर की दृष्टि से देखते हैं। अपराकं ने अपनी टीका १२वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में बनस्य लिखी होगी। अपराकं ने भातमंत्र के म्याबसार पर भी एक टीका लिखी थी।

८ प्रदीप

धीवर की पुस्तक स्मृत्यर्षसार ने प्रायश्चित्त शब्दों में नामधेनु के उपरान्त प्रदीप की गणना की है। स्मृतिचन्द्रिका ने प्रदीप नामक ग्रन्थ का सम्भवत उत्संज्ञ किया है। सरस्वतीविद्यास ने स्पष्ट शब्दों में प्रदीप के मत का उल्लेख किया है। रामहृण्य (लगभग १९ ई) के जीवित्युक्तनिर्णय में प्रदीप का उद्धरण इस विषय में किया है कि क्या विमलन आई, अपने पिता या पूर्वपुरुषों के धार्मिक श्राद्ध पुण्य-पुण्य रूप से करें या साथ ही? धीरमिनोपय के अनुसार प्रदीप ने भवदेव की आलोचना की है।

प्रदीप म्यबहार श्राद्ध शुद्धि आदि पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। स्मृत्यर्षसार एव स्मृतिचन्द्रिका द्वारा बसित होने पर यह ग्रन्थ ११५ ई के बाद किसी भी दशा में नहीं जा सकता। इसने भवदेव की आलोचना की है अत इसकी तिथि ११ के पूर्व नहीं जा सकती।

८१ धीवर का स्मृत्यर्षसार

इस प्रसिद्ध ग्रन्थ का प्रकाशन सन् १९१२ में आनन्दाश्रम प्रेस ने किया। इस ग्रन्थ के विषय अन्य स्मृति ग्रन्थों से बहुत भिन्न-भिन्न हैं यथा—पूर्वपुरुषोपेक्षित एव कस्मिन्नुपबसित कर्म सत्कार-तन्त्रा उपनयन वा विस्तृत वर्धन बह्मचारी के कर्तव्य अनन्याय विद्या विद्या प्रकार, सपिण्डता के कारण निषेध गोत्र-मन्त्र विधेय आचमन धीव आश्लेष कर्म वन्तवाहन स्नान पंचमस आश्लेष घग्ना आश्लेष पूजा श्राद्ध का विस्तृत वर्धन श्राद्ध के लिए उचित काल पक्षार्थ तथा निमग्न-बोध्य ब्राह्मण श्राद्ध प्रकार, विविध तीर्थों पर विधेयन मन्त्रमास मन्त्राचार्य विविध पक्षात् एव अपने घरीर का निर्मलीकरण अग्न-मन्त्र पर अष्टुडि मन्त्र-पराण्ड क्रिया-सत्कार, घग्ना-नियम विविध पाप एव दोषों के लिए प्रायश्चित्त।

धीवर विष्णुमिश्र कोष के नागमर्ता विष्णुमर्त के पुत्र थे और स्वयं वैदिक शब्दों के बरतेवाले थे। धीवर ने अपने पूर्व के श्रीकण्ठ एव पादराचार्य के ग्रन्थों की चर्चा की है। उन्होंने नामधेनु, प्रदीप अग्नि वस्युष (वस्युष) वस्युषा घग्नु, इन्द्र वैशार, लोकेष्ट तथा अन्य मनुटीकाकारों के मतों की चर्चा चर्चा

की है। बीबायन एव गोविन्दराज के भी यथास्वात उल्लेख हुए हैं। अग्नि सम्भवतः हेमाद्रि विभावरत्नाकर तथा अन्य ग्रन्था में बन्धित स्मृतिमहार्जन ही है। बीबर दक्षिणी ब्राह्मण-से लगते हैं। बीबर ने मितासरा नामकनु कल्पतरु एव गोविन्दराज के नाम लिए हैं अतः इनकी तिथि ११५ ई के बाद ही होगी। स्मृति चन्द्रिका एव हेमाद्रि में उद्धरण आने के कारण ऐसा कगता है कि बीबर की इति ११५ १२ ई के मध्य में कभी रची गयी होगी।

८२ अनिरुद्ध

अनिरुद्ध बंगाल के एक प्राचीन एव प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार हैं। उनके दो ग्रन्थ हारकला एव पितृव्यिना अथवा बर्मोपदेशिनी पदानि अति प्रसिद्ध हैं। हारकला में आर्य-सम्बन्धी तथा अन्य बातों की मरूप बर्णना है। पितृव्यिना सामवेद के अनुयायियों के लिए लिखी गयी है। ये दोनों ग्रन्थ आचार-सम्बन्धी बातों पर ही प्रकाश डालते हैं।

अनिरुद्ध गया के तट पर बिहारपाटक नामक स्थान के निवासी थे। वे कुमारिक मठ के सिद्धान्तों के समर्थक थे। हारकला एव पितृव्यिना के अन्तिम पद्यों से पता चलता है कि वे बंगाल के एक साम्राज्यीय ब्राह्मण एवं बर्मास्थल थे। बस्साकमेन के दानसागर से पता चलता है कि अनिरुद्ध बंगाल के राजा के गुरु थे और उन्होंने उनकी इति की रचना दानसागर में उन्हें ग्रहणता ही की। यह रचना ११६९ ई में हुई। हमने स्पष्ट है कि अनिरुद्ध धनु ११६८ ई के आसपास अपनी प्रसिद्धि के उच्च चिह्न पर थे।

८३ बस्साकमेन

बंगाल के इस राजा में चार ग्रन्थों का सम्पादन किया है। वेदाचार्य क स्मृतिरत्नाकर में एक महान परिवार में बस्साकमेन का आचारसागर का वर्णन है। प्रतिष्ठासागर उनकी दूसरी इति है। तीसरी इति दानसागर है जिसमें १६ बड़े-बड़े राजा एव छोटे-छोटे राजा का वर्णन है। दानसागर में महाभाग एव पुत्रता के विषय में प्रभूत बर्णना की गयी है। दानसागर पूर्व होता इतिया के बाद ही रचना है। चण्डेस्वर के दाल रत्नाकर में एक निर्णयमित्यु से दानसागर का उल्लेख आया है। बस्साकमेन की चौथी इति है अर्जुनसागर, जिसका उल्लेख टोडरानन्दसहिता-शौच्य एव निर्णयमित्यु में हुआ है। यह इति अनूरी रच गयी थी और उनके पुत्र कदमभनेन ने उस पूरा किया।

बस्साकमेन ने अपना दानसागर साकध १ में आरम्भ कर साकध १ १ में पूरा किया अतः स्पष्ट है अतः साहित्यिक बाल १२वीं शताब्दी ई के तीसरे चरण में रचा जा सकता है। रघुनन्दन बचकता गुमार दानसागर अनिरुद्ध मठ द्वारा किया गया है। किन्तु एनी बात नहीं है क्योंकि दानसागर में स्वयं बस्साक मेन ने एसा किया है कि यह ग्रन्थ इन्होंने अपने बुद्ध (अनिरुद्ध) की देखरेख में लिखा है। बस्साकमेन की उपायियाँ हैं महापञ्चाधिसर एव निराधिसर।

८४ हरिहर

विभावरत्नाकर के उद्धरण से पता चलता है कि हरिहर ने व्यवहार पर किया है। हरिहर ने पाठ स्वरूपानुसूचण एव भाष्य किया है और अपने को अतिशोभी बना है। इस भाष्य की एक प्रति में वे विभावेस्वर के शिष्य बत गये हैं। इन्होंने बर्मोपस्थाय कल्पतरुकार, केशुदीक्षित एव विभावेस्वरनाथ का नाम लिखे हैं

अतः इनकी तिथि ११५ ई के बाद ही आती है। हेमाद्रि समयप्रदीप भीरत के आचार्यवर्ष एव हरिताम के स्मृतिशार में इनके मत उद्धृत हैं, अतः वे १२५ ई के पूर्व आते हैं। स्पष्टा है कि प्राक्विक्रम हरिहर एव माप्यकार हरिहर दोनों एक ही वे ऐसा कहा जा सकता है। बट्ट-से हरिहर हो गये हैं यथा बगाल के निबन्ध-लेखक रघुनन्दन के पिता हरिहर मट्टाचार्य ज्योतिष ग्रन्थ 'समयप्रदीप' के लेखक हरिहराचार्य आदि।

८५ देवण्य मट्ट की स्मृतिचन्द्रिका

यह धर्मशास्त्र पर अति प्रसिद्ध निबन्ध है। यह आकार में बहुत बड़ा ग्रन्थ है। निबन्धों में कस्मैतब की छोड़कर इसकी हस्तलिखित प्रति सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। इसमें सत्कार आह्निक व्यवहार, याज्ञ एव अधीश पर काण्ड है। हो सकता है कि देवण्य मट्ट ने प्रायश्चित्त पर भी लिखा हो। इनका नाम कई प्रकार से लिखा पाया जाता है यथा—देवण्य देवण्य देवण्य या देवण्य। वे केन्द्रवाचित्य मट्ट के पुत्र एव सोमयाजी भी कहे गये हैं।

स्मृतिचन्द्रिका में बहुत-से स्मृतिकारों का उल्लेख किया है और हमें कल्पप्राम स्मृतियों के पुनर्गठन एव उद्धार में इससे बहुत मूल्यवान् सहायता मिली है। इसने कात्यायन एव बृहस्पति से व्यवहार-सम्बन्धी कथन ९ श्लोक उद्धृत किये हैं। इसने निम्नलिखित ग्रन्थों माप्यकारों एव निबन्धकारों के नाम गिनाये हैं—अपराध चिक्राधी देवराट देवस्वामी आपस्तम्बकल्पमाभ्यार्षकार, धारस्वर, धर्मभाष्य मुर्तस्वामी प्रदीप मधनाथ आपस्तम्बधर्मसूत्रभाष्य धर्मदीप या प्रदीप भाष्यार्षसहस्रकार, मनुवृत्ति मेधातिथि मिताशरु वैजयन्ती (सम्बकोत्त) विश्वरत्न विषवाचर्यं शम्भु, श्रीकर, धिवस्वामी स्मृतिगास्कर, स्मृत्यर्षधार। स्मृतिचन्द्रिका में उपर्युक्त पण्यों तथा सेवका का लक्षण समर्जन या आभोचना हुई है। देवण्य मट्ट दक्षिणी लेखक थे और दक्षिण में उनकी स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार-सम्बन्धी एव श्वाभ-सम्बन्धी बातों में प्रामाणिक मानी जाती रही है। स्मृतिचन्द्रिका में जो विषय आये हैं वे पुरातन-काण्ड से लिये आये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषय हैं।

स्मृतिचन्द्रिका में विज्ञानेश्वर का नाम बड़े आदर से किया है। किन्तु कई श्लोकों पर इसने मिताशरु से विरोध प्रकट किया है। स्मृतिचन्द्रिका में मिताशरु अपराध एव स्मृत्यर्षधार का उल्लेख हुआ है अतः यह ११५ ई के अन्त में ही जा सकती है। हेमाद्रि ने स्मृतिचन्द्रिका के मतां का उल्लेख किया है अतः यह १२२५ ई के कम-से-कम एक शताब्दी पूर्व रची गयी होगी। सरस्वतीविभक्त शीरमिभोदय तथा अन्य निबन्धों में इसका उल्लेख किया है। कुछ अन्य लोगों ने भी 'स्मृतिचन्द्रिकाएँ' लिखी हैं यथा—सुभदेव मिथ की स्मृति चन्द्रिका आपदेव एव धामदेव मट्टाचार्य की स्मृतिचन्द्रिकाएँ।

८६ हरदत्त

टीकाकार के रूप में हरदत्त की बड़ी ख्याति रही है। इन्होंने कई व्याख्याएँ लिखी हैं, यथा—आपस्तम्ब गृह्यसूत्र पर अनाहुका नामक आपस्तम्बीय मन्त्रपत्र पर भाष्य आत्मभावगृह्यसूत्र पर अनाविकता नामक नीलमधर्मसूत्र पर मिताशरु नामक आपस्तम्बधर्मसूत्र पर उदयका नामक इनकी वे व्याख्याएँ आदि भाष्य मानी जाती हैं। हरदत्त ने धर्मसूत्रों के भाष्य में नवविध स्मृतियों से उद्धरण किये हैं किन्तु निबन्धकारों की चर्चा नहीं की है।

कई प्रमाणा से सिद्ध किया जा सकता है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होंने दक्षिणी प्रयोगों नदिया स्नानों आदि के नाम दिये हैं। शीरमिभोदय ने हरदत्त एव स्मृतिचन्द्रिकाकार (देवण्य मट्ट) को दक्षिणी निबन्धकार माना है। हरदत्त मिथ के उपासक थे।

हरदत्त का कास-निर्णय कठिन है। बीरमित्रोदय ने हरदत्त की गौतम बामी टीका मिताक्षरा से बहुत उद्धरण किये हैं। शारदायन मठ (जन्म १५१३ ई.) ने अपनी प्रयोगरत्न नामक पुस्तक में हरदत्त की मिताक्षरा एवं उज्ज्वला से नाम किये हैं। हरदत्त १३ ई. के बाद नहीं माने जा सकते। विज्ञानेश्वर के उपरान्त हरदत्त को छोड़कर किसी भी लेखक ने बिषया का इनके जहाँ स्थान नहीं दिया अतः हरदत्त ११ ई. के बहुत बाद नहीं जा सकते। उन्हें हम ११-१३ ई. के बीच में नहीं रख सकते हैं। बहुत-से अन्य ग्रन्थ हरदत्त द्वारा लिखे हुए कहे जाते हैं किन्तु अभी इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सका है।

८७ हेमाद्रि

दक्षिणी बर्मोसाखरारो में हेमाद्रि एक मासक के नाम अति प्रसिद्ध है। हेमाद्रि ने विद्यास ग्रन्थ का प्रणयन किया है। उनकी चतुर्वर्द्धचिन्तामणि प्राचीन यामिन कृत्या का विद्व-श्लेष ही है। घट दाल आद्य कास आदि हेमाद्रि के महत्प्रणय के प्रकरण हैं। हेमाद्रि न किम विषय को उभया है उसे पूर्ण करने एवं व्युत्पत्तमान बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। उन्होंने स्मृतियों पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण किये हैं। वे पूर्वमीमांसा के गम्भीर ज्ञाता थे और इसी से बिना पूर्वमीमांसा के कठिनपन प्यायो को जाने उनके याद-कास-विषयक विवेचनों का समझना कठिन है। हेमाद्रि ने अपरार्थ (बहुत अधिक) मापस्तम्बधर्मग्रन्थ वर्णोपाध्याय (अभिरुत्तर) गोविन्दराज गोविन्दोपाध्याय विद्यासम्पन्न देवबामाजी (अभिरुत्तर) निर्धन्वामुन श्यायमञ्जरी पण्डितपरितोष पुष्पीचन्द्रोदय बृहत्पत्रा बृहत्कालिक मन्वेद मन्मथिचष्ट मधुशर्मा मेधातिथि कामदेव विधि रत्न विद्वत्प्रकाश विरहत्प विद्यादर्श सप्तधर (बहुत अधिक) धम्म बृहत्पाठातपभाष्यकार, विरहदत्त भीमर सामदत्त स्मृतिचक्रिका (बहुत अधिक) स्मृतिप्रदीप स्मृतिमहाश्वरप्रकाश (बहुत अधिक) स्मृत्यर्थमाट हरिद्वर (बहुत अधिक) को उद्धृत किया है। किन्तु आश्चर्य है कि इन्होंने विद्यासम्पन्न की मिताक्षरा का नाम ही नहीं लिखा।

हेमाद्रि ने अपना परिचय दिया है। व बल्लभगोत्र के बामुदेव के पुत्र कामदेव के पुत्र थे। उन्होंने अपना मुद्रगान किया है और अपने का देवगिरि के यान्त्रराज महादेव का मन्त्री एवं राजकीय लेखप्रमाणा का अधिकारी लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि वे सम्भवतः १२१-१२७ ई. के लगभग हुए थे। हेमाद्रि महादेव के उत्त पश्चिमीय राजमन्त्र के भी मन्त्री थे ऐसा एक अभिलेख से पता चलता है।

हेमाद्रि ने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं यथा—गौतमप्रणयनग्रन्थ का भाष्य कारपायन व शिवमानुसूत आद्य ग्रन्थ मुम्बईय व्याकरण के प्रणयता बीरदेव के मुक्तावृत्त नामक ग्रन्थ पर वैशम्पदीयक नामक भाष्य। बामुदेव हेमाद्रि की छत्रशङ्का में ही प्रतिपत्ति हुए थे। बामुदेव के अष्टादशवर्ष पर भी हेमाद्रि ने बामुदेवरमायन नामक टीका लिखी। निस्सन्देह हेमाद्रि एक विद्वत्प्रतिभा बाल स्वल्पिन थे। हेमाद्रि एवं विद्विज घौरी कास मन्दिार के निर्माता के रूप में धारे मशाराट देण में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मोहि लिपि का भी आविष्कार किया था। सम्पूर्ण अधिक में उनकी इतनी सम्मानित थी बिद्यायन उनकी चतुर्वर्द्धचिन्तामणि व दाल एक इन नामक प्रकरण। मापक ने अपने कासनिर्णय में हेमाद्रि के इतना उद्धरण ही नहीं की है। इसी प्रकार बहुत-से लेखकों एवं राजाओं ने उनका इन दाल आद्य एक कास के ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

८८ कृतकृत मठ

मनु पर जिनके भाष्य हुए हैं उनके दुष्कृत की मन्वेदमुक्तावली नामक टीका सर्वश्रेष्ठ है। इनके

वर्ष प्रवासन भी हो चुके हैं। क्रुस्मूक का भाष्य सक्षिप्त स्पष्ट एव उद्देश्यपूर्ण है। इन्होंने सर्वत्र विस्तार से बचने का उपक्रम किया है, किन्तु इनमें मौलिकता की कमी पायी जाती है। इन्होंने मेघातिथि गोविन्दराज के भाष्या से बिना इतरग्रन्थ-प्रकाशन के उद्धरण से लिखे हैं। कहीं-कहीं इन भाष्यकारों की इन्होंने ऋतु आखी-जमाएँ भी की हैं। इन्होंने अपने भाष्य की मूरि-मूरि प्रशंसा की है। क्रुस्मूक ने निम्नलिखित लेखकों के नाम लिखे हैं—गोविन्दराज बरबीबर, भास्कर (वेदान्तसूत्र के भाष्यकार) भोजदेव मेघातिथि वामन (कापिला के लेखक) मट्टवादिन-इत् विरचरूप। इन्होंने अपने बारे में भी तनिक सिका दिया है। ये बगल के बारीश्रुत म मन्वन्तिवासी मट्टदिवाकर के पुत्र थे। इन्होंने पच्छिमी की सगति में कभी में अपना भाष्य लिखा।

क्रुस्मूक ने स्मृतिसागर नामक एक निबन्ध लिखा जिसके केवल अशीषसागर एव विवादासागर नामक प्रकरणों के अथ कभी एक प्राप्त हो सके हैं। आश्रसागर म पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। क्रुस्मूक ने लिखा है कि उन्होंने अपने पिता के आश्र से विवादासागर, अशीषसागर एव आश्रसागर लिखे। इनमें महा-मारुत ने प्रमत्त उद्धरण है। महापुरुषा उपपुरुषो धर्मसूत्रो एव अन्य स्मृतियों की चर्चा यथास्वान होती चली गयी है। भाजदेव हसामुष निजम नामवेत्, मेघातिथि छल्लर आदि के नाम भी आये हैं।

क्रुस्मूक की निधि का प्रल कठिन है। बृहत्तर एव चक्रवर्ती ने उन्हें १५वीं शताब्दी में रखा है। क्रुस्मूक ने भाजदेव गोविन्दराज बरबीबर एव हसामुष की चर्चा की है अतः वे ११५ ई के बाद ही हुए होंगे। रघुनन्दन ने अपने पापनरूप एव स्वयंहारतरुण म तथा धर्ममान ने अपने इच्छविकेक में उनसे मतों की चर्चा की है। अतः क्रुस्मूक १३ ई के पूर्व हुए होंगे। वे सम्भवतः ११५ ई-१३ ई के बीच कभी हुए होंगे।

८९. श्रीरत्न उपाध्याय

धर्मशास्त्र-साहित्य में विचिता ने बड़े-बड़े मूल्यान्त एव छारयुक्त ग्रन्थ जोड़े हैं। भाजदेव एव छेतर आधुनिक काल तक विचिता ने महत्त्वपूर्ण लेखन दिये हैं। मध्ययुगीन मूलिक निबन्धकारों में श्रीरत्न उपाध्याय अनि प्राचीन हैं। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं।

श्रीरत्न ने आचारार्थों में आश्रित धार्मिक इत्यादि का वर्णन है। यह ग्रन्थ यजुर्वेद की भाजदेवमी पागा बाला व सिद्ध है। इसमें आचमन इत्येवम प्रातःस्नान इत्यादि अथ ब्रह्मयज्ञ तर्पण इत्यादि वेद-पूजा ईश्वरकेक मतिथि भाजत आदि पर विवरण हुआ है। बहुर-ने अथा एव लगनों की चर्चा हुई है। इस ग्रन्थ पर रामोदर वैदिक द्वारा लिखित आचारार्थशांतिनामक टीका भी है। रामवेदिकों व सिद्ध उन्होंने छम्पाशास्त्रिक नामक आचार-मुद्रक लिखा है। 'म पुत्रक का उल्लेख उनकी समग्रप्रदीप एव विष्णुमक्ति नामक पुस्तकों में हुआ है। यजुर्वेद व अनुयायिका के लिए विष्णुमक्ति नामक आश्र-सम्बन्धी पुस्तक है। विष्णुमक्ति चर्च की टीका मतिथि वार्त्तियन्त नामक एक भूगण (भाजदेव) व इत्यादि पर आधारित है। रत्नर के आश्रविकेक में इस ग्रन्थ की चर्चा हुई है। रामवेदी विद्याधिया ने भी उन्होंने आश्रविकेक नामक ग्रन्थ लिखा। उनसे समयप्रदीप नामक ग्रन्थ में अना के समय का विवरण है।

श्रीरत्न ने कल्याण हरिहर एव हलायुष की इतिहास के नाम लिखे हैं अतः वे १२ ई के बाद ही हुए होंगे। चन्द्रदेव ने उनका ग्रन्थ लिखा है अतः वे १३वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध में पूर्व ही हुए होंगे।

चन्द्रदेव

विष्णु के समयप्रदीप निबन्धकारों में चन्द्रदेव बरबेष्ट हैं। उनका स्मृतिरत्नाकर या केवल रत्नाकर

एक विस्तृत निबन्ध है। इसमें इत्य दान व्यवहार, स्मृति पूजा विवाह एव गृहस्थ नामक ७ अध्याय हैं। तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (जातूतों) के लिए अष्टोत्तर का विवाहरत्नाकर एव वाचस्पति की विवाहविन्यामणि प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते रहें हैं। कुस्पररत्नाकर में २२ तरंग गृहस्थरत्नाकर में १८ तरंग दानरत्नाकर में २९ तरंग विवाहरत्नाकर में १ तरंग शुद्धिरत्नाकर में ३४ तरंग हैं।

स्मार्थ विधियों के अतिरिक्त अष्टोत्तर में कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं यथा—इत्यविन्यामणि जिसमें ज्योतिष सम्बन्धी बातों के आभार पर उत्सव-संस्कारों का वर्णन है। एक अन्य ग्रन्थ है राजनीतिरत्नाकर, जिसमें १६ तरंग हैं और राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन हुआ है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ हैं दानवाक्यावलि एव धामवाक्यावलि।

अष्टोत्तर में बहुत-से लेखकों एव इतियों के नाम लिखे हैं। उन्होंने अपने पूर्व के पाँच लेखकों के ग्रन्थों से अधिक सहायता ली है जिनके नाम हैं—नामचतु, बल्यतर, पारिजात प्रकाश एव हृत्मायुष। अन्य ग्रन्थों एव ग्रन्थकारों के भी नाम लिखे हैं यथा—नामचक्र कुस्मूकनट्ट पस्सव पस्सवनाट, श्रीकर आदि।

अष्टोत्तर राजमन्त्री में उन्होंने नैपाल की विजय की और अपने का सोने से ठीका था। इनका नाम श्रीरङ्गी सत्ताधी का प्रथम चरण है। अष्टोत्तर में वैशिक एव बगामी लेखकों पर बहुत प्रभाव डाला है। मिसल मिथ वर्धमान वाचस्पति मिथ एव रघुनन्दन ने इन्हें बहुत उद्धृत किया है। बीरमिनोदय ने रत्नाकर का पौरस्त्य निबन्ध (पूर्वी निबन्ध) कहा है।

९१ हरिनाथ

हरिनाथ वर्धमान-विषयक बहुत-सी बातों वाले स्मृतिधार नामक निबन्ध के लेखक हैं। इस निबन्ध का कोई अद्य जमी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक में वर्धमन्त्रीप कस्यतक कामचतु, कुमार, यज्ञेश्वर मिथ विज्ञानेश्वर, किलम्ब स्मृतिमञ्जूषा हरिहर आदि १७ वर्धमांश प्रमा पक अर्थात् प्रामाणिक इतियाँ एव लेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आभार, सत्कार एव व्यवहार आदि सभी विषयों पर लेखनी जमायी है।

स्मृतिधार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती केवल उक्तके अन्त में महामहोपाध्याय बड़े गम हैं। उन्होंने गौडों के त्रिया-सत्कारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि क्यता है वे वैशिक हैं। स्मृतिधार के विवाह (व्यवहार-यव) खण्ड की एक प्रति में सन् १९१४ (सन् १५५८ ई) आया है और उसी खण्ड की दूसरी प्रति में सिपिच में लक्ष्मण-यवत् १६१ (१४६९, १४७० ई) दिया है। गुरु-पाणि ने अपने बुगोश्वरविषयक एक मिथक मिथ में अपने विवाहयत्र में हरिनाथलिखित स्मृतिधार का मत दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिधार १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चुका था। अष्टोत्तर एव हरिनाथ ने एक दूसरे की कही भी जर्बा नहीं की है अतः लगता है दोनों समकालीन थे। हरिनाथ ने कस्यतक एव हरिहर का उल्लेख किया है अतः वे १२५ ई के उपरान्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ द्वारा उद्धृत मरोदर मिथ अष्टोत्तर का आधा है तो वे १३ ई के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ की वाचस्पति मिथ रघुनन्दन वर्धमान की कस्यतक तथा अन्य लेखकों ने उद्धृत किया है।

९२ माधवाचार्य

वर्धमांश पर लिखने वाले दक्षिणात्य लेखकों में माधवाचार्य सर्वप्रथम हैं। क्यानि में मारुटाचार्य के

उपराष्ट्र उन्हीं का स्थान है। उन्होंने अपने भाई सायब तथा जय सोगा को मस्तूठ-साहित्य में बहूत ग्रन्थों के प्रथमन न किए उद्भूत किया। वे क्या नहीं थे? प्रकाश विद्वान् दूरदर्शी राजनीतिक विनयनगर राज्य के आरम्भिक दिना के स्वयं बृहन्नस्था में एक पुरुष हुए सम्पासी और विपरात उत्तम कार्य में ससम्प माधवा-पार्यवी हमार किए एक विमलम उदाहरण हैं। उनकी अत्यन्त इतिहास में हम यहाँ को के नाम के पराशरमाधवीय एक काकनिर्णय।

पराशरमाधवीय का प्रकाशन कई बार हो चुका है। यह नवल पराशरसृष्टि पर एक भाष्य ही नहीं है प्रत्युत आचार-सम्बन्धी विषय भी है। दक्षिणावर्तीय भारत के म्पहारा में पराशरमाधवीय का प्रमुद महत्त्व है। इसकी धौली सरस एव मीठी है। इसमें पुराणा एव स्मृतिकारा के अतिरिक्त निम्नलिखित केवर्षी एव इतिया के नाम आये हैं—अपरार्थ वेवस्वामी पुराणसार, प्रपञ्चसार मेवातिवि विवरणकार (वेवात्तानुष पर) विमलपाचार्य धम्मू धिबस्वामी स्मृतिचन्द्रिका।

पराशरमाधवीय के उपराष्ट्र माधवाचार्य के काकनिर्णय लिखा। इसमें पाँच प्रकरण हैं—(१) उपात् वात (२) बरुद, (३) प्रतिपत्प्रकरण (४) द्वितीयादि-तिथि प्रकरण एव (५) प्रतीर्णक। प्रथम प्रकरण में काक और उसके स्वल्प के विषय में विवेचन है। दूसरे प्रकरण में बर्ष एव इसके चान्द्र सावन मा शीत, वा जयको ज्ञानुमा एव उनकी उष्या चाण्ड एव सीर मासो मरुमासो (अधिक मास) दोनो पसो आदि भागो का विवेचन है। तीसरे प्रकरण में तिथि-शब्द के अर्थ तिथि-अर्थिक एक पक्ष की १५ तिथियो शुद्ध एव विद्या नामक तिथियो के दो प्रकार तिथियो पर किया करने के नियमादि रात और दिन के १५ मुहूर्त्तों आदि की चर्चा है। चौथे प्रकरण में प्रतिपदा से अन्य तिथियो (दूसरी से १५वीं) तक के नियम-प्रयोग हैं (अर्थात् शीत-सा बत नक किया जाय पक्षा गौरीष्ठत तीसरी तिथि अग्न्याष्टमी आठवीं तिथि पर)। पाँचवे प्रकरण में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लक्षण-निर्णय के विषय में नियमों का प्रतिपादन यथा—योगो करणो तथा सञ्चान्ति ग्रहणो आदि के विषय में नियमादि बताये गये हैं।

काकनिर्णय में बहुत-से ऋषियों पुराणों एव न्यायि-शास्त्रों के नामों के अतिरिक्त काकावर्ष में मीन मुहूर्त्तविधानसार, बनेस्वरसिद्धान्त वासिष्ठ रामायण सिद्धान्तशिरोमणि एव हेमाद्रि नामक ग्रन्थों एव ग्रन्थकारों के नाम लिखे हैं।

माधवाचार्य के जीवन-कृत के विषय में हम उनकी कृतियों से बहुत-कुछ सामग्री प्राप्त होती है। वे मजुर्वेद के बोधायन चरण वाले मारुदाय मीन के ब्राह्मण थे। उनके माता एव पिता क्रम से श्रीमती एव मायन न। उनके दो प्रतिभादायी भाई भी थे जिनमें सायब तो अपने बह भाष्य के लिए खमर हो गये हैं। माधवाचार्य राजा बुकक (बुककण) के कुलमुर एव मन्त्री थे। वे बृहन्नस्था में विद्यारण्य नाम से सम्पासी हो गये थे। अमिलेको से पता चलता है कि वे ११७७ ई. में सम्पासी हुए थे। किञ्चित्तियों से पता चलता है कि इसकी मृत्यु ९ वर्ष की अवस्था में ११८९ ई. में हुई। बत माधवाचार्य के साहित्यिक कर्मों को ११३०-११८५ ई. के मध्य में रच सकते हैं।

१३ मदनपाळ एव विश्वेदेवर मट्ट

मदनपाळ के आशय में विश्वेदेवर मट्ट में मदनपाळिजात नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। मदनपाळ राजा मीन की मति एक विद्याभ्यासनी राजा थे। उनके राजत्वकाळ में मदनपाळिजात स्मृतिमहार्णव ('मदनमहार्णव') तिथि-निर्णयसार एव स्मृतिकीमूरी नामक चार ग्रन्थ लिखे गये। मदनपाळिजात के केवलक मदनपाळ नहीं थे बह इस

ग्रन्थ के कई स्वसो से प्रकट हो जाता है। इसके लेखक बिस्वेश्वरभट्ट से इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसमें ९ स्तवक (टहिनियाँ या अध्याय) हैं यथा ब्रह्मचर्यं गृहस्वधर्मं आर्थिकं इत्येव गर्माधान से लेकर भागे वं सत्कार, जन्म-मरण पर लघुशुद्धि इत्य-शुद्धि थायं वायभाग एव प्रायश्चित्त। वायभाग के अध्याय में यह ग्रन्थ मिताक्षरा से बहुत मिलता-जुलता है। इसकी शैली सरल एवं मधुर है। इसमें हेमाद्रि कल्पवृक्ष (कल्पतरु) जपराजकं स्मृतिचन्द्रिका मिताक्षरा आचारसंग्रह गान्धर्व गादिन्दोषत्र चिन्तामणि धर्मविभूति नारायण मण्डन मिथ मेधातिथि रत्नामणि सिद्धेश्वामी सुरेश्वर, स्मृतिमञ्जरी एव स्मृतिमहार्णव के नाम आये हैं। चिन्तामो नाम त है कि मदनपाक के आश्रय में विभिन्नविधसारा, स्मृतिकौमुदी स्मृतिमहार्णव नामक ग्रन्थों का प्रणयन बिस्वेश्वरभट्ट ने ही किया। बिस्वेश्वरभट्ट ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी 'मुबोधिनी' नामक एक अन्य ग्रन्थ लिखा। यह मुबोधिनी विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की टीका मात्र है।

बिस्वेश्वरभट्ट प्रसिद्ध वेद वं निवासी थे। मुबोधिनी के अन्त में उपरान्त सम्भवतः उत्तर भारत में चले आये। आधुनिक हिन्दू कानून की बजारसी धारणा के बिस्वेश्वरभट्ट एक शायी प्रामाणिक कल्प माने जाते हैं। दिल्ली के उत्तर यमुना के समीपवर्त वाष्प (कठ) के टाक राजवत्स में मदनपाक हुए वं। मदनपाक ने सम्भवतः स्वयं भी कुछ लिखा। उनका एक ग्रन्थ मृगसिद्धान्तबिबेक नाम में प्रसिद्ध है जिसमें वे महारज (शाघारज) के पुत्र कहे गये हैं। मदनपाक राजा मोक्ष की मूर्ति एक महान् साहित्यिक के इसमें कोई सन्देह नहीं है। उन्होंने मदनविनोद निम्बडु नामक एक ओपमि-ग्रन्थ भी लिखा है। यह एक विद्यास ग्रन्थ है। इसी प्रकार मदनपाक आनन्दसजीवन (मृत्यु संगीत राग-राशिनी आदि पर) नामक ग्रन्थ वं भी प्रणेता कहे जाते हैं। मदनपाक ने कुछ ग्रन्थों की प्रतिलिपि सन् १४०३ ई. में भी ली थी। मदनपारिजात में हेमाद्रि की चर्चा हुई है जन्म वं १३ ई. के उपरान्त ही हुए हाम। मदनपारिजात का उल्लेख रघुनन्दन की पुस्तक में हुआ है अतः मदनपाक १५ ई. में पूर्व ही हुए होंगे। स्पष्ट है मदनपाक और बिस्वेश्वरभट्ट १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में जन्मी हुए होंगे। सम्भवतः हम उन्हें १३६०-१३९० वं आश्रय में रत्न मन्ने हैं।

१४ मदनरत्न

मदनरत्न (मदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीप) एक बृहद् विनय्य है। इसमें ७ उद्योत (प्रकरण या भाग) हैं यथा—ममय (बाल) आचार व्यवहार प्रायश्चित्त वान् शुद्धि एव धान्ति। मदनरत्न की हस्तलिखित प्रतियों के विरहित होता है कि यह धर्मनिहि वं पुत्र मदनसिंह के आश्रय में प्रणीत हुआ वं। ममयोद्योत में दिल्ली वेद के महीपात्रवेद का नाम आया है और उन्ही के ब्रुक में उनमें छोटो पीठी में मदनसिंह हुए वं। मदनरत्न में ऐसा आया है कि मदनसिंह ने रत्नाकर पोरीनाथ बिस्वनाथ एव मयाधर को बुलाकर 'मम विद्वन्' के प्रणयन का मार उन पर लीन किया। एक प्रति में धान्त्युद्योत में इत्येव कल्पक का नाम बिस्वनाथ कहा गया है। वही नाम प्रायश्चित्तोद्योत में भी पायी जाती है।

मदनरत्न में मिताक्षरा कल्पतरु एक हेमाद्रि के नाम उल्लिखित है जन्मक यह १३ ई. के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। १६वीं एव १७वीं शताब्दी के नारायणभट्ट वसन्तारभट्ट नीमरुच्य एव सिरदिध के हलका उल्लेख किया है। अतः मदनरत्न की रचना सन् १३५-१५ ई. में की गई होगी।

१५ मूलपाणि

बगल के धर्मशास्त्रकारों में जीमूतबाह्य वं उपरान्त मूलपाणि का ही नाम लिया जाता है। मूलपाणि

की सर्वप्रथम इति सम्भवतः दीपवस्तिका भी जो याज्ञवल्क्य की एक टीका मात्र थी। यह एक छोटी पुस्तिक है इसमें द्वायमाय का अंग नेवस ५ पृष्ठों में मुद्रित हो जाता है। इस पुस्तिका में वरुण गोविन्दराज मिश्रा द्वारा मेधातिथि एवं विश्वरूप के मंत्र उल्लिखित मिलते हैं। भूस्वामि में कई ग्रन्थ लिखे हैं किन्तु ये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विभिन्न विषयों से ही सम्बन्धित हैं और एसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सत्र मासों को विभाजन स्मृतिविवेक नाम रखा है। विभिन्न ग्रन्थों में नाम इस प्रकार हैं—एवावर्गी-विवेक निधि-विवेक वृत्तक-विवेक बुगोत्सवप्रयोग-विवेक बुगोत्सव-विवेक शोभ्याशाविवेक प्रतिपद्याविवेक प्रायश्चित्तविवेक रासयानाविवेक वनवासविवेक शुद्धि-विवेक याज्ञ-विवेक महातिथिविवेक सम्बन्ध विवेक। भूस्वामि की याज्ञ-विवेक नामक पुस्तिका अति ही विख्यात है। बुगोत्सवविवेक सम्भवतः सबसे अन्त में प्रणीत हुआ है क्योंकि इसमें ५ अन्य विवेकों के भी नाम आ जाते हैं। बुगोत्सव-विवेक में आश्विन एवं चत्र मास में दुर्गा की पूजा का वर्णन है। दुर्गा की पूजा वसन्त ऋतु में भी होती थी इसीसे दुर्गा को बभी-बनी मानती भी कहा जाता है। याज्ञ-विवेक पर अनेक भाष्य हैं जिनमें श्रीनाथ आचार्य ब्रह्मामणि एवं नोकिन्वानन्ध ने भाष्य अति प्रसिद्ध हैं। अन्य विवेकों में भी भाष्य हैं। इन सभी विवेकों में प्राचीन आचार्यों एवं धर्मशास्त्रकारों के नाम आ जाते हैं।

भूस्वामि के सम्बन्धित इतिहास के विषय में कुछ नहीं विदित है। अपने ग्रन्थों में वे साहजिक्यात् महा-महोपाध्याय कहे गये हैं। अस्माकस्य के नाम से बगाम में साहजिक्यात् ब्राह्मण मिश्र धेनी के कहे जाते रहे हैं। ये लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण थे। भूस्वामि के नाम के विषय में विदित रूप से कुछ कहना कठिन है। इन्होंने चण्डेस्वर के रत्नाकर एवं द्वायमायमीय का उल्लेख किया है अतः य १३७५ ई के उपरान्त ही हुए होंगे। इनके नाम का उद्घोष खरहर गोविन्दानन्ध एवं बाबस्वति ने किया है, अतः य १४६ के पूर्व ही हुए होंगे। इससे स्पष्ट होता है कि भूस्वामि १३७५-१४६ के बीच में कभी थे।

१६ खरहर

खरहर वैदिक धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं। इनका शुद्धि-विवेक कई बार प्रकाशित हो चुका है। इसमें तीन परिच्छेद हैं, जिनमें धर्म अन्य विधाओं के उद्धारण भी उल्लिखित हैं। इसमें रत्नाकर, पारिवात मिताक्षरा एवं हारकला ने उल्लेख हुए हैं। इनके अतिरिक्त आचारारण्य शुद्धिप्रदीप शुद्धि विम्व श्रीवत्तोपाध्याय स्मृतिसार एवं हरिहर के नाम आते हैं। खरहर का याज्ञविकेयभारपरिच्छेदा में विम्वत है। बर्दकृत्य नामक एक अन्य ग्रन्थ भी उनकी का है। बाबस्वति ने उनकी कर्मा की है। गोविन्दानन्ध खरहर एवं कससाकर ने अपने ग्रन्थों में उनका यथावत् उल्लेख किया है। खरहर ने रत्नाकर, स्मृतिसार, भूस्वामि का उल्लेख किया है, अतः ये १४२५ ई के पश्चात् ही हुए होंगे। बाबस्वति आदि के ग्रन्थों में उनका उल्लेख हुआ है। ये १४२५-१४६ के मध्य में कभी विराजमान थे।

१७ मिसरू मिश्र

विशारदचक्र एवं न्याय-वैदिक मठ-सम्बन्धी पदार्थचक्रिका के लेखक के रूप में मिसरू मिश्र का नाम अति प्रसिद्ध है। विशारदचक्र में ऋषाचार्य स्वयं अस्वामिभिक्षु सम्भूमसमुत्पात (घाता) द्वायकिनाथ स्वीचन अभियोग खरहर, प्रमाण साक्षियों आदि पर ब्यवहार-पर हैं। चण्डेस्वर के रत्नाकर के मत बहूधा उल्लिखित हुए हैं। विशारदचक्र में अन्य स्मृतिकारों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त पारिवात प्रकाश बालक्य (बहुधा) यववेव स्मृतिसार के नाम भी आते हैं। मिसरू मिश्र ने मिथिला के कामेस्वर बस के वैश्वसिद्धेय के छोटे बड़े

कुमार चन्द्रसिंह की स्त्री राजकुमारी लक्ष्मिदेवी की आज्ञा से पुस्तकें लिखीं। हमने बहुत पहले ही देस सिमा है कि चण्डबर ने सन् १३१४ ई. में भवेष्ट के आश्रय में राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। लक्ष्मिदेवी इसी भवेष्ट के प्रपौत्र की पत्नी थी। चन्द्रसिंह लक्ष्मिदेवी के पति के रूप में १५वीं शताब्दी के मध्यभाग में हुए होंगे। अतः मिस्रमिथ का विवाचन १५वीं शताब्दी के मध्य में लिखा गया होगा। विवाचन विविधा में व्यवहार-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ रहा है इसमें कोई संशय नहीं है।

१८. वाचस्पति मिथ

मिथिषा के सर्वश्रेष्ठ निवन्दकार के वाचस्पति मिथ। व्यवहार (कानूनी) के संसार में इनकी विवाद चिन्तामणि बहुत ही प्रसिद्ध रही है। वाचस्पति मिथ एक प्रतिभाशाली सेप्टक के इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं। 'चिन्तामणि' की उपाधि बाबू इनके ११ ग्रन्थों का पता तक चका है। आचार्यचिन्तामणि में कामरतेयियों के आङ्गिक इत्यो का उल्लेख है। सुद्धिचिन्तामणि में आङ्गिकचिन्तामणि की खर्चा हुई है। इत्यचिन्तामणि में बर्ष भर के उत्सवों का वर्णन है। तीर्थचिन्तामणि में प्रथम पुरोहित (पुरी) गंगा गया एक वाचस्पति के तीर्थों का वर्णन है। वाचस्पति ने कर्मसूत्र, गणसूत्र मिथ अथर्वमिथानसूत्र स्मृतिमनुष्यम एक हेमाद्रि का यथास्थान उल्लेख किया है। ईतचिन्तामणि का नाम इत्यचिन्तामणि में आ जाता है। विवादचिन्तामणि में नीतिचिन्तामणि की खर्चा होती गयी है। व्यवहारचिन्तामणि में कानूनी रीतियाँ का विचार वर्णन है। इन ग्रन्थों में भाषा उत्तर, जिया निर्णय नामक भार प्रमुख विषय है। सुद्धिचिन्तामणि तथा मूलाचार्यचिन्तामणि का भी प्रकाशन हो चुका है। इनमें प्रसिद्ध सेप्टकों एक ग्रन्थों के अतिरिक्त ३४ अन्य नामों का यथास्थान उल्लेख हुआ है। स्पष्ट है, वाचस्पति बड़े प्रकाश विद्वान् थे। वाचस्पति मिथ में चिन्तामणियों के अतिरिक्त बहुत से 'निर्णय' का प्रथम जिया है यथा—तिथिनिर्णय ईतनिर्णय महादाननिर्णय सुद्धिनिर्णय आदि। इनका ही नहीं उल्लेख ७ महाभारत का यथा—इत्य आचार, विवाद, व्यवहार, वाच सुद्धि एक पितृमूल का प्रथम जिया है। वाचस्पति कर्मसूत्रकार के अतिरिक्त शार्ङ्गिक भी थे। उन्होंने दान-सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिखे थे।

अपने ग्रन्थों में वाचस्पति ने अपने को महामहोपाध्याय मिथ या सतिमथ लिखा है। वे महाप्रकाश एक हरितापयग के पारिषद (सकाहकार) थे। वाचस्पति ने उलाकर एक खपर का उल्लेख किया है अतः वे १४२५ ई. के उपरान्त हुए होंगे। गोविन्दानन्द एक रघुनन्दन में वाचस्पति की खर्चा की है अतः वे १४५ ई. के पूर्व हुए होंगे। अतः हम उन्हें १५वीं शताब्दी के मध्य में बड़ी उम्र समझें हैं।

१९. नृसिंहप्रसाद

नृसिंहप्रसाद तो कर्मसूत्र-सम्बन्धी एक विद्वान्-बोध ही है। यह १० भाग (विभाग) में विभाजित है यथा संस्कार आङ्गिक याज्ञ काल व्यवहार प्रामाणिक कर्मविचार इन दान प्राप्ति तीर्थ एवं प्रतिपद्यः। प्रत्येक विभाग के अन्त में नृसिंह (विष्णु के एक अवतार) की सम्बन्धता की गयी है सम्बन्ध 'मो मन्वरा नाम नृसिंहप्रसाद रचा गया है।

सम्बन्धकार में देवगिरि (जाबुनिर बीन्नाबाद) के राम राजा शिन्धी के राजा घामविन् तथा 'मो परधान् निजामगह' के नाम यथाश्रम से आये हैं। सेप्टक ने अपने को मासकर्मयोगीन्द्र (शुद्ध यजुष) के भाग इतः वाच वाच कर्मम का पुत्र बसपति (बन्धीम) एक मन्वरा (राजनीय एगन्वरा?) कहा है। क्या बसपति अपना बन्धीम उल्लेख नाम का? कुछ कहा नहीं जा सकता।

गृह्यसूत्रों से लेकर एव ग्रन्थों के नाम आय हैं। इसमें मातृकीय एव मदनपारिजात के अधिक उद्धरण मिलते हैं अतः यह महाग्रन्थ १४ ई के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। चार मट्ट के ईत-निर्णय एव नीलकण्ठ के मसूखों में यह ग्रन्थ प्रामाणिक माना गया है अतः यह १५७५ ई के पूर्व ही रचा गया होगा। विद्वानों के मत से यह १५१२ ई के बाद की रचना नहीं हो सकती। महमद निजामशाह (१४९०-१५८ ई) या उससे पुत्र बुर्रान निजामशाह (१५८१-१५९३ ई) के समय में और सम्भवतः प्रथम निजामशाह ने शासनकाल में ही रसपति (?) ने गृह्यप्रसाद की रचना की।

१ प्रतापराजदेव

उड़ीसा में बटख मगरी (कटक) के राजपति ब्रह्म के राजा प्रतापराजदेव ने सरस्वतीविकास नामक ग्रन्थ का सम्पादन किया। बतिका में सरस्वतीविकास का प्रमूठ महत्त्व है किन्तु इसका स्थान मिताक्षरा से नीचे है। इसमें मुख्य स्मृतियों एव स्मृतिचरों के अतिरिक्त समाज में अन्य प्रसिद्ध नाम आते हैं।

प्रतापराजदेव ने १४९७ ई से १५३९ ई तक राज्य किया अतः सरस्वतीविकास का प्रथम १६वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ होगा।

१ गोविन्दानन्द

गोविन्दानन्द ने कई ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें शालकीमूर्ती बुद्धिकीमूर्ती श्यामकीमूर्ती एव वर्षिक्या-कीमूर्ती अति प्रसिद्ध हैं। अन्तिम ग्रन्थ में विभिन्नमें बतों आदि के विनो वा विवेचन है। लगता है गोविन्दानन्द के सभी ग्रन्थ कल्याणकीमूर्ती नामक निबन्ध के कथिय प्रकरण माने हैं। गोविन्दानन्द ने श्रीनिवास की दृष्टिदीपिका एव मूलपानि की उत्पत्तिकाकीमूर्ती के माध्य भी लिखे हैं। इन्होंने बहुत-से लेखकों एव पुस्तकों के उद्धरण किये हैं, अतः इनका ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। ये राजपति मट्ट के पुत्र व और इनकी पत्नी की कविकरुपाचार्य। ये बवाल के निरनपुर बिके के बापी नामक स्थान के वैश्य-निवासी थे।

गोविन्दानन्द ने मदनपारिजात गंगाउलासिकि स्वरर एव वाचस्पति के नाम एव उद्धरण किये हैं अतः वे १५वीं शताब्दी के उपरान्त हुए होंगे। रघुनन्दन ने अपने मन्मसाधन एव आङ्गिकतत्व में उन्हें उल्लिखित किया है अतः वे १५९ ई के बाद नहीं जा सकते। उनकी बुद्धिकीमूर्ती से शकाल १४१४ से १४५७ तक के मन्मसाधो का वर्णन है अर्थात् उनमें १४९२ ई से १५३५ ई की वर्षा है। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने १५३५ ई के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ लिखा। गोविन्दानन्द की साहित्यिक कृतियों का समय १५ से १५४ ई तक माना जा सकता है।

१ रघुनन्दन

रघुनन्दन समाज के अन्तिम बड़े धर्मशास्त्रकार हैं। उन्होंने २८ उत्तरी भाषा स्मृतिरत्न नामक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बृहद् ग्रन्थ लिखा। उन्होंने अपने इस विश्वकोश-रूपी ग्रन्थ में समाज में लेखकों एव ग्रन्थों के नाम किये हैं। कात्यायन से स्मृति-सम्बन्धी अपनी विद्वता के कारण वे स्मार्तमट्टाचार्य के नाम से विख्यात हो गये। श्रीनिवास एव नीलकण्ठ ने उन्हें स्मार्त नाम से पुकारा है। रघुनन्दन ने विश्वकोश का संक्षिप्त विवरण देना नहीं सम्भव नहीं है। स्मृतिरत्न (२८ उत्तरी) के अतिरिक्त रघुनन्दन ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। वाचमान पर

उनका एक भाग्य है। तीर्थतत्त्व द्वायसयानातरत्त्व त्रिपुष्करधान्ति-तत्त्व गमाम्नादपद्धति रासयानापद्धति आदि उनके अन्य ग्रन्थ हैं। रघुनन्दन क प्रन्थ अधिकतर ब्रह्मण्ड म ही उपलब्ध होते हैं।

रघुनन्दन बन्धनटीय ब्राह्मण हरिहर मठान्तर्गत के सुपुत्र थे। ऐसी किंवदन्ती है कि रघुनन्दन एक वैष्णव सन्त शैतन्य महाप्रभु सेना बासुदेव चार्बमीम के शिष्य थे। बासुदेव चार्बमीम नम्पम्याय के प्रसिद्ध प्रवेता कहे जाते हैं। यदि यह बात सत्य है तो रघुनन्दन लगभग १४९ ई म उत्पन्न हुए होय क्योंकि शैतन्य महाप्रभु का जन्म १४८५-८६ ई मे हुआ था। वे सम्भवत १४९ १५७ के मध्य म उपस्थित थे एसा कहना सत्य से दूर नहीं है।

१०३ नारायण भट्ट

नारायण भट्ट बनारस (बायानसी) क प्रसिद्ध भट्ट कुल के सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं। नारायण भट्ट के पिता रामेश्वर भट्ट प्रतिष्ठान (पैठण) से बनारस आये थे। रामेश्वर भट्ट बड़े विद्वान् थे। उनकी विद्वता से आह्वित होकर बुर-बुर से शिष्यपण आया करत थे। नारायण भट्ट के पुत्र शंकर भट्ट ने अपने पिता का जीवन खरित लिखा है जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई मे हुआ था। नारायण भट्ट अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हो गये। बीरे-बीरे भट्ट-कुल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। नारायण भट्ट को प्रमत्तवृत्त की परबी मिस ययी थी। भट्ट कुल की परम्पराओं के कारण ही बनारस मे बसिनी ब्राह्मण इतने प्रतिष्ठित हो सके और उनका सोहा सगी मानने लये। नारायण भट्ट न धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमे अत्येष्टिपद्धति निस्वधीसेतु (प्रयाग छाडी तथा गया नामक तीर्थों के विषय मे) एक प्रयोगरत्न बहुत ही प्रसिद्ध है। अन्तिम पुस्तक मे धर्मशास्त्र से विवाह तक के सारे संस्कारों का वर्णन है। उन्होंने कई एक भाग्य भी लिखे हैं। नारायण भट्ट ने अपने पुत्रों एव पीतों द्वाय सारे भारतवर्ष के सेलको को प्रभावित किया। उनकी कृतिमा का नाम १५४ से १५७ तक माना जाता है।

१०४ टोडरानन्द

अक्षर महान् के विलमग्नी राजा टोडरानन्द ने मास एव धर्म क व्यवहार, ज्योतिष एव औपधि पर एक नूतन ग्रन्थ लिखा है। टोडरानन्द (टोडरानन्द) के विश्वकोश के कतिपय भाग यथा—भाषार, व्यवहार, शान आदि विवेक प्रायश्चित्त समय आदि शैक्ष्य ने नाम से विख्यात हैं। किसी एक शैक्ष्य का कुछ सक्षिप्त विवरण से बना अनुचित न होगा। व्यवहारशैक्ष्य शिव की सम्पर्कता से आत्मन होकर पारसीय सम्राट् (अब बर) ने विषय मे लक्ष्य करत और व्यवहार-विधि के विभिन्न बन्ध पर प्रकाश डालता है यथा—बलहा के प्रति राजा के कर्तव्य समा प्राश्रुतिवाक 'व्यवहार' राजा का कर्म १८ व्यवहारको की परिषदना व्यवहार के निम्न समय एव स्वान अविशोग (माया) उत्तर, प्रतिनिधि प्रत्याशक्ति आदि। प्रभुत्त स्मृतिशों के अनिश्चित बन्ध पर पारिजात भवदेव मित्राक्षर रत्नाकर, हरिहर एव ह्यामुष का उल्लेख टोडरानन्द ने किया है। ग्रन्थ के कतिपय प्रकरण 'हर्ष कहे गये हैं। विवाहशैक्ष्य मे २३ निबन्धकारों एव निबन्धों ने नाम आये हैं। श्राद्धशैक्ष्य मे श्राद्ध-सम्बन्धी बर्णन हैं। ज्योतिष शैक्ष्य म ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन है और एत। तदथा राशिपदों की व्याख्या है। ज्योतिषशैक्ष्य की रचना सन् १५७२ ई मे हुई थी। टोडरानन्द निस्सन्देह एक महान् विद्वान् ग्रन्थकार थे। वे एव कुशल सनापति मत्री एव राजनीतिज्ञ थे। वे जाति के लक्षी थे। उनका जन्म अथवा इलाक ने लहरपुर मे हुआ था और मृत्यु सन् १५८९ ई म लाहौर म हुई।

१०५ नन्दनपण्डित

नन्दनपण्डित धर्मशास्त्र पर विस्तारपूर्वक विद्यतेवापि, एक धुरन्वर लेखक थे। उन्होंने पराशरस्मृति पर विदग्धनोहरा नामक टीका लिखी है। उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि उन्होंने माधवाचार्य का धाराय किया है। उन्होंने विज्ञानोपकार की मिताशारा पर एक संक्षिप्त भाष्य लिखा जिसे प्रमिताशारा या प्रतीशाशारा कहा जाता है। उन्होंने अपनी मुद्रिचन्द्रिका एवं वैजयन्ती में धाडवस्वप्ता नामक इति की चर्चा की है। उन्होंने गोविन्दपण्डित की भाडवीपिका के अन्त का उल्लेख किया है। वे साधारण (सहारनपुर?) में सङ्गित कुल के परमानन्द के आश्रित थे। स्मृतियों पर उनका एक निबन्ध या स्मृतिचिन्तु जिस पर, सम्यक् है उन्होंने स्वयं उत्पन्नमुक्तावली नामक टीका लिखी।

नन्दनपण्डित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैजयन्ती या वेदाव-वैजयन्ती। यह विष्णुधर्मसूत्र पर एक भाष्य है। यह भाष्य उन्होंने अपने आश्रयदाता केवल नायक के आग्रह पर लिखा था इसी से इसे वेदाव-वैजयन्ती भी कहा जाता है। वैजयन्ती में उनके ६ प्रश्नों का उल्लेख हुआ है यथा—विदग्धनोहरा प्रमिताशारा धाडवस्वप्ता मुद्रिचन्द्रिका इतकमीमासा। आधुनिक हिन्दू जातुन की बनारसी छात्रा में वैजयन्ती का प्रमुख ह्राव रहा है।

नन्दनपण्डित ने यद्यपि मिताशारा का अनुसरण किया है किन्तु उन्होंने स्वान-स्वान पर इसके सैखर विज्ञानोपकार का सम्बन्ध भी किया है। नन्दनपण्डित की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है इतकमीमासा जिसमें गोड सेने पर पूर्ण विवेचन है। इस पुस्तक की चर्चा आधुनिक युग में पर्याप्त रूप से हुई है। अथर्वी प्रमुख के काम में प्रिबी कौसिक तक इसका हवाला दिया जाता रहा है। नन्दनपण्डित के जीवनचरित के विषय में हमें कुछ संकट मिलता है। नन्दनपण्डित ब्रह्मिणी से और उनके पूर्वपुरुष ब्रह्मिण सं ही बनारस आये थे। नन्दनपण्डित कबी-कमी बहुत-से आश्रयदाताओं के यहाँ आते-जाते रहते थे जैसा कि उनकी कतिपय इतियों के उल्लेख-स्वान से पता चलता है। उन्होंने साधारण (सहारनपुर?) के सङ्गित कुल के परमानन्द के आग्रह पर धाडवस्वप्ता का महत्प्रबुद्ध के हरिचरणार्थ ने आग्रह पर स्मृतिचिन्तु का एक मञ्जुष (मञ्जुष) के वेदाव नायक के आग्रह पर वैजयन्ती का प्रणयन किया। भी मण्डलिक ने मतानुसार उन्होंने १३ पुस्तकें लिखी हैं।

नन्दनपण्डित की वैजयन्ती सम्भवतः उनकी अन्तिम इति थी। इसकी रचना बनारस में सन् ११२३ ई में हुई। अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी इतियों का रचनाकार १५९५ ई से १६३ ई तक है।

१६ कमलाकर भट्ट

कमलाकर भट्ट भट्ट-कुल के प्रसिद्ध भट्टों में गिने जाते हैं। वे तारायण भट्ट के पुत्र रामहृष्य भट्ट के पुत्र थे। कमलाकर भट्ट बड़े ही उद्भूत विद्वान् थे। उन्होंने सभी शास्त्रों पर कुछ-से-कुछ अथर्व लिखा। वे उनके ग्याय व्याकरण मीमासा (कुमारिष्ठ एवं प्रमानर की दोनों शाखाओं में) वेदान्त छाहित्य-साम्ब धर्मशास्त्र एवं वैश्व यज्ञों के मर्मज्ञ थे। उनके विचारदायक में यह उल्लिखित है कि उन्होंने कुमारिक-कृत मीमासा (धर्मशास्त्र) के बाटिक पर निर्णयचिन्तु नामक एक भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य २ पुस्तकें लिखीं एंश भी विचारदायक में आया है। कबी-कमी उनके २२ प्रश्न भी उपलब्ध होते हैं। इनमें सभी पुस्तकों का सम्बन्ध है धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से यथा—निर्णयचिन्तु, धावकमलाकर, धान्तिराल पूर्वकमलाकर, प्रथकमलाकर, प्रायश्चित्तारण विचारदायक बहु बुधाधिक कोषप्रवरवर्षण कर्मविधाकरल धूरकमलाकर, सर्वतीर्थविधि। इनमें धूरकमलाकर, विचारदायक एवं निर्णयचिन्तु अति ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन इतियों का वर्णन करना यहाँ सम्भव

नहीं है। वेदक सूत्रकमलाकर (गुरु-कमलक या गुरुकमलकप्रदाम) पर कुछ प्रकाश टाटा जा रहा है। आत्म में ही एसा थाया है कि गुरु ब्रह्मयजन नहीं कर सकते। वे ब्राह्मता द्वारा स्मृतियां पुराणा आदि का बचक पाठ सुन सकते हैं। उनकी धार्मिक त्रियाएँ पौराणिक मात्रा द्वारा सम्पादित हुनी चाहिए। इनके अन्य विषय हैं—विष्णु-पूजा अन्य देवताओं की पूजा व्रत उपवास जनकल्याण के कामों (पुन) में गुरु दास के सहाई हैं गुरु मोद से सरता है, पूजा के लिए बिना वैदिक मन्त्रों के मन्त्रारो के विषय में विविध मत गर्भाधान पुसकम सीमन्त आनकरम नामकरम विष्णुनिष्क्रमण अन्नप्राशन कृष्णार्म कर्पवैभ विवाह नामक सम्कार, पंचमहायज्ञ (ब्रह्ममनेयी शाखा के अनुसार) धाड़ (बिना पचाय अन्न द्वारा) ब्रह्मताब्रह्म कर्म ब्रह्मविषय क्रिया-सम्कारों का विशेष आङ्गिक-द्वय जन्म-मरण पर अगुडि अत्युष्टि क्रिया पत्निया एक विषयामा के बर्तव्य वर्णसंकार, प्रतिशोभ सम्बन्ध में उत्पन्न भागों के विषय में विधि वामन्त्रों के विषय में।

कमलाकर मठ के धन्वा में निर्णयसिन्धु या निणयकमलाकर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह विद्वता परिश्रम एक मनोहरता का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्रामाणिक धन्व माना जाता रहा है। मीलकण्ड एक मित्रमित्र को छोड़ कर किसी अन्य धर्मगान्धकार में इतम धन्वो एक धन्वकारा का उल्लेख नहीं किया है। आरभ्य है कमलाकर मठ में इतने धन्व जैसे एकत्र किये और पने। उन्होंने कणमग १ स्मृतियां एक ३ से अधिक निबन्धकारों का उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धु तीन परिच्छेदों में विभक्त है। इनमें का विषय आवे हैं उगह सतिष्ठ रूप में यो जिन्ना का स्रजता है—विभिन्न धार्मिक कृत्या के उचित समयों के विषय में निर्दिष्ट मत देना ही प्रमुख विषय है सोर आदि मास चान्द्र महीना के चार प्रकार यथा—मौर चान्द्र आदि सप्तान्धि कृत्य एक बात मन्त्राम शयमाग विधियों के विषय में गुडा एक बिडा वत यास के विविध वद एक उत्पन्न गर्भाधान आदि विविध मन्त्रार उपिच्छ-मन्त्रान्ध मूनि-मनिष्ठा बोल जन्म-अथ आदि के लिए मुर्ग धाड़ अन्न पण्य पर अगुडि मूयूपगन्त द्वय मन्त्री-कृत्य मन्त्राम।

कमलाकर मठ का बालक भसी भक्ति ज्ञान किया जा सकता है। निर्णयसिन्धु की रचना १६१० ई. में हुई थी और यह है कि उनका आरम्भिक धन्वा में दिया जा सकता है। उन्होंने ब्रह्म-म धन्व दिवस १ अत १६१ म १६६ तक का समय उनका रचना-काल माना जा सकता है।

१ ७ मीलकण्ड मठ

मीलकण्ड कागमय मठ के पीछ एक दास मठ के पुत्र थे। दास मठ एक उद्भूत मीमांसक थे। उनका मीमांसक पर शास्त्रविधिना विनिर्मायनद्वयक मीमांसक शास्त्रकार नामक धन्व किम है। उनका हैतुनिाय धर्म प्रकाश या सर्वधर्मप्रकाश नामक धर्मशास्त्र-भाष्यकी धन्व भी लिखा है। मीलकण्ड के धन्वों और चन्द्रक के समय के मण्डे मादक श्वाक के समयकी कुम्हल सन्धार भगवन्तय के सम्मान में अण्डन्तभाष्य नामक धार्मिक धन्व लिखा जा १ धन्वना (प्रारम्भ) में है यथा—मन्त्रार आचार काक धाड़ मीनि स्वरहाण दास —मर्ग प्रीष्ठा प्रायश्चित्त शुद्धि एक धान्नि। मीलकण्ड में धन्वकारमन्त्र का एक मीनि मन्त्रान्ध भी स्वरहाणकक के नाम में प्रकाशित किया।

मीलकण्ड प्रसिद्ध मित्रपरागा में पिये जाते है। वे मीमांसक के रूप में वे अत धर्मशास्त्र में मीमांसक के निष्ठा के त्याग के वे हन ही समय उत्पन्न हन है। दास-दीर्ग धार्मिक विद्वता एक धन्व हन में वे धार्मिक दास के नाम धर्मशास्त्रकारों के सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि उनका विद्वान्तर हर्मा आदि की प्रकाश

की है किन्तु वे किसी वा सम्प्रानुकरण करते नहीं दिखाई पड़ते। पश्चिमी भारत के कानून में उनका व्यवहार मरूप प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है।

नीलकण्ठ शहर मट्ट के कनिष्ठ पुत्र के और शहर मट्ट ने अपने वृत्तनिर्णय में टोडरानन्द के मतों का उल्लेख किया है और हमें टोडरानन्द की तिथि ज्ञान है। उन्होंने सन् १५७०-१५८९ ई. में बीच अपनी इतिहास उल्लेख की अथ वृत्तनिर्णय १५९ ई. के पूर्व प्रणीत नहीं हो सकता। नीलकण्ठ शहर मट्ट के कनिष्ठ पुत्र होने के नाते कमलाकर मा. से पहले सिंगला नहीं आरम्भ कर सकते। कमलाकर ने अपना निर्णयसिन्धु सन् १६१२ ई. में लिखा। अतः नीलकण्ठ का लेखन-काल सन् १६१ ई. में उपरान्त ही आरम्भ हुआ होगा। व्यवहारतत्त्व की एक प्रतिमिति की तिथि १६४४ ई. है। इसके स्पष्ट है कि वह ग्रन्थ इस तिथि के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था। स्पष्ट कहा जा सकता है कि उद्यता रचना-काल १६१ एव १६४५ ई. के मध्य है।

१०८. मित्रमित्र का वीरमित्रोदय

मित्रमित्र का वीरमित्रोदय धर्मशास्त्र के लगभग सभी विषयों पर एक बृहद् निबन्ध है। सम्भव है कि वृत्तनिर्णयसिन्धु को छोड़कर धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कोई अन्य ग्रन्थ इतना मोटा नहीं है। वीरमित्रोदय में व्यवहार पर भी विवेचन है अथ यह धर्तुर्बर्गविन्तामि से उपयोक्तृता में बाजी मार के जाता है। यह कई प्रकाशों में विभाजित है। अक्षयप्रकाश में पुरव्या गारियो मानव तन के विभिन्न अंगों हाथियों अथवा सिंहसुतों तकबारी धनुषों के धूमरुजनों रगिया मन्थियों ज्योतिषियों वीथों इत्यादि की विशिष्टताओं धारणाम शिर्षकिय ग्रास के दानों बापि का विवेचन है। इतना केवल एक प्रकाश में पाया जाता है। इसी से हम वीरमित्रोदय के आकार एवं उपयोक्तृता का अनुमान लगा सकते हैं।

मित्रमित्र ने अपने सभी ग्रन्थों में सैकड़ों प्रत्यकारों एवं इन्धों के मतों का उल्लेख किया है। व्यवहार के प्रकरण में मित्रमित्र ने अपने पूर्व के लेखकों के मतों का उद्धाटन करते अपने मत प्रकटित किये हैं। मित्रमित्र बाह्यविचार में नीलकण्ठ से कई अंगों जागे बढ़ गये हैं। हिन्दू कानून की बनारसी शाखा में वीरमित्रोदय का प्रभू महत्त्व रहा है। मित्रमित्र ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक भाष्य भी लिखा है। इन्होंने अपना इतिहास भी किया है जो इनके वीरमित्रोदय का आरम्भ में उल्लिखित है। ये हस्तलिखित के पीछे एवं परशुराम पण्डित के पुत्र के। हस्तलिखित गोपाचक (स्वाभिमर) के निवासी थे। मित्रमित्र ने वीरमित्रोदय के आदेश से वीरमित्रोदय की रचना की थी। वीरमित्रोदय एक बहादुर राजपूत था। उन्होंने ओरछा एवं बलिया के प्रायद्वीपों का निर्माण कराया था। वीरमित्रोदय ने ओरछा में सन् १६५५ से १६२७ तक राज्य किया था अथ मित्रमित्र का रचनाकाल १७वीं शताब्दी का प्रथम अर्ध था।

१९ अनन्तदेव

अनन्तदेव ने स्मृतिकौस्तुभ नामक एक निबन्ध लिखा जिसमें संस्कार, आचार, राजधर्म इत्यादि उल्लेख तिथि एवं संवत्सर नामक सात प्रकरण हैं। संस्कार एवं राजधर्म वाले प्रकरण संस्कारकौस्तुभ एवं राजधर्मकौस्तुभ कहें जाते हैं। प्रत्येक प्रकरण कीवितियों या क्रियाओं में विभक्त है। संस्कारकौस्तुभ उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। इसका आधुनिक व्याख्यानमें ने पर्याप्त आधर रहा है। इसकी विषय-सूची उल्लिखित रूप से यो है—
सोम संस्कार गर्माधान (प्रथम) पाण्डित्य के प्रथम आचरण पर ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन एवं उसके उपरान्त धर्मशास्त्र इत्यं गर्माधान का उचित काल एवं तत्सम्बन्धी कतिपय इत्यं पुण्याहवाचन नाम्नीयाह, मनुका

पूजन नारायणशक्ति एक मामबलि पञ्चगव्य कुम्भ एव अन्य प्रायश्चित्त शान्दायणव्रत किंसे मोद भिया
 काम कीन मोद किया जा सकता है मोद-सम्बन्धी कृत्य वत्सक का गोत्र एव सपिण्ड वत्सक द्वारा परिवेदन
 (बिवाह) वत्सक का उत्तराधिकार पुत्रकाम्यि पुत्रजन अनबलोमन सीमन्तोन्नयन सन्तानात्मति पर इत्य
 जन्म पर अशुद्धि जन्म पर अशुभ कपो के शान्तार्थ इत्य नामकरण निष्कमण अन्नप्राशन कण्ठेहन
 बन्धनितोत्सव शीक उपनयन इसके लिए उचितकाळ उचित सामग्री गायत्री ब्रह्मचर्य-व्रत समावर्तन बिवाह
 इसके लिए सपिण्ड गोत्र एव प्रव्रत, बिवाह के लिए उचित काळ बिवाह प्रकरण वागुनिश्चय सीमन्तपूजन मधुपर्क
 नम्याबाल बिवाहहोम स ठपरी इत्यति-श्रवेषा पर होम।

संस्कारकौस्तुभ का एक अथ वत्सकबीचिदि कभी-कभी पुत्रक रूप से भी उल्लिखित मिलता है। सचमुच
 यह अथ महत्त्वपूर्ण है और इसका अध्ययन वत्सकमीमासा ब्यबहारमयूक तथा अन्य तत्सम्बन्धी ग्रन्थों के साथ
 होना चाहिए।

निर्णयसिन्धु एव नीलकण्ठ के मयूका से समान अनन्तदेव ने अपने संस्कारकौस्तुभ में उक्तो लक्षका एव ग्रन्था
 का उल्लेख किया है। उन्होंने विशेषतः मितालारा अथारार्क हेमाद्रि मासक मन्तरत्न मन्तराधिकार का सारा भिया है।

अनन्तदेव ने अपने आश्रयशाता से कम का वर्णन किया है। बाबबहादुर उनके आश्रयशाता से जीर उन्ही की
 प्रथा स उन्होंने यह निबन्ध लिखा। अनन्तदेव ने अपने बारे में लिखा है कि वे महाराष्ट्र सन्त एवनाम के पद्यक ब।
 अनन्तदेव सम्भवतः १७वीं शताब्दी से तृतीय चरण में हुए थे वैया कि उनसे आश्रयशाता बाबबहादुर तथा उनके
 पूर्वज एकनाथ की विधियों से प्रकट होता है।

११० नागोजिमटु

नागोजिमटु एक परम उद्भूत विद्वान् थे। वे सभी प्रकार की विद्याओं के आचार्य थे। यद्यपि उनका विधिष्ट
 भाग व्याकरण में था किन्तु उन्होंने साहित्य-शास्त्र धर्मशास्त्र योग तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकारपूर्वक सिखा
 है। उनके तीस ग्रन्थ अब तक प्राप्त हो सके हैं। आचार्यशुद्धेश्वर, अधीननिर्णय तिथीशुद्धेश्वर, तीर्थशुद्धेश्वर, प्रायश्चि
 त्तशुद्धेश्वर या प्रायश्चित्तसारसंग्रह श्राद्धशुद्धेश्वर, सपिण्डीमन्त्रटी एव सापिण्डीमन्त्रीयक या सापिण्डीनिर्णय उनके धर्म
 शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। हम यहाँ पर उनके अन्य ग्रन्थों के विषय में कुछ न कह सकेगे।

नागोजिमटु महाराष्ट्र ब्राह्मण थे उनकी उपाधि थी बाम (काळ)। वे प्रसिद्ध वैवाकरण मट्टोजिबीरिहित की
 परंपरा में हुए थे। उनके आश्रयशाता से इलाहाबाद के ऊपर श्रुवैरलवरी के विसेनहुक के राम नामक राजा। नागो-
 जिमटु मट्टोजिबीरिहित से पीढ़ से शिष्य थे और मट्टोजिबीरिहित १७वीं शताब्दी से प्रथमार्ध में हुए ब। नागोजिमटु ने
 कम-से-कम ५ वर्ष ध्यतीत किये होंगे अपने लेखन-कार्य में। अतः मट्टोजिबीरिहित से कमभग एक शताब्दी उपरान्त
 ही उनकी मृत्यु हुई होगी। अतः हम उन्हें १८वीं शताब्दी के आरम्भ में ही रल ही सकते हैं।

१११ बालकृष्ण या बालमट्टु

सदमीब्याबाल उर्फ बालमट्टु बिरातेन्दर की मितालरा पर एक भाष्य है। कहा जाता है कि यह सदमीरेवी
 नायक एक नाटी द्वारा प्रणीत है। यह एक बृहत् ग्रन्थ है किन्तु बहुत ही ऊबड़-भाबड़ ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
 बालमट्टु में अनेक ग्रन्थों एव ग्रन्थकारों के नाम आये हैं। कुछ नाम ये हैं—निर्णयसिन्धु, बीरमिन्द्रोदय नीलकण्
 थ मयूक सन्तानकौस्तुभ नीलकण्ठ क मतीत्र सिद्धेश्वरमट्टु मीमांसामुन पर भाट्टीपिपा के लेखक लक्षदेव यदा-
 मट्टु इत कामेश्वरमन्त्रीय आदि।

बालम्भट्टी के योग्य को बताना पक्षी जाना है। शीला चित्रा भवन्तिमुन्दरी की यचना बलिना-ग्रामिनियो मे होनी है। इसी प्रकार कहा जाता है कि सीलावनी नामक एन नारी ने पवित्र प्रान्त पर एन ग्रन्थ लिखा। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कृतियों के लिए रानिया एव राजकुमारियो से भी प्रस्ताव मिलनी रही हैं यथा मिसरु मिम का बिबाहचन्द्र सप्तमीदेवी का प्रणय-ग्रन्थ है बिद्यापति क द्वारा निबिन्दा की महादेवी धीरमनी ने वानवाचनार्थक का नष्ट कृतया भैरवनेत्र की रानी जया क आपह से वाचस्पति मिम ने ईतनिगम का प्रणयन किया। यह सन्तोष का विषय है कि एक नारी ने ही 'बालम्भट्टी' नामक एक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा है। बालम्भट्टी क भारम्भ म एषा बाबा है कि जदमी पायमुख्य की पत्नी मुद्रक गोत्र के तथा खेरवा उपाधि वाले महादेव की पुत्री की और उसका एक बृहत् नाम था उमा। आचार माय के जन्म म थाया है कि इसकी सतिना लरमी महादेव एव उमा की पुत्री है बचनाव पायमुख्ये की पत्नी है एव बालहृष्य की माता है। सप्तमी ने नारियो के स्वप्नो की भरपूर रखा करने का प्रयत्न किया है। किन्तु यह बात सही स्थाना पर नहीं पायी जल्दी और स्थान-स्थान पर नागोजिभट्ट के शिष्य बचनाव पायमुख्य ने ग्रन्थ मन्त्रुया तथा लेखक के मर एव पिता के पत्न्या की खर्चा पायी जानी है। इधरे यह सिद्ध हो सक्ता है कि बालम्भट्टी नामक ग्रन्थ या ता स्वय बचनाव का लिखा हुआ है और उन्हाने अपनी स्त्री का नाम दे दिया है मा यह उनक पुत्र बालहृष्य उक्त बालम्भट्ट द्वारा लिखा हुआ है और माता का नाम दे दिया गया है। बचनाव एव बालहृष्य दोनों प्रसिद्ध लेखक व इमम कोई सन्देह नहीं है। सम्भवत बालहृष्य ने बालम्भट्टी का प्रणयन किया है। ये दक्षिणी ब्राह्मण व। बालहृष्य पाश्चात्य विद्वान् बोकबुक के द्वारा म एक परिचित व। बालहृष्य को बालम्भट्ट भी कहा गया है। इनका काल १७३ एव १८२ ई के बीच म कहा जा सक्ता है।

११२ काशीनाथ उपाध्याय

काशीनाथ उपाध्याय ने धर्मसिन्धुसार या धर्मान्धिसार नामक एक बृहद् ग्रन्थ लिखा है। इन्हें बाबा पाध्ये भी कहा जाता है। इनका धर्मसिन्धुसार आधुनिक दक्षिण म परम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है विशेषत धार्मिक बातों म। उन्होने स्वय लिखा है कि उन्होने अपने पूर्ववर्ती लिखनो को पढ़कर धर्मसिन्धु मे बलिष्ठ विषयो के आधार पर बेचक सार-सार दिया है और मौलिक सन्तियो के बचनो को रचाय दिया है। उन्होने यह भी लिखा है कि उनका जन्म सीमासा एव बमदाना कं विद्वानो के लिए नहीं है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन परिच्छेदो म विभक्त है विमने तीसरा बृहत् है और दो भागो म विभाजित है।

काशीनाथ उन्मट विद्वान् थे। ये खोलपुर जिले के पडरपुर के विठोबा देवता के परम भक्त थे। उन्होने धर्मसिन्धुसार के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं यथा प्रायश्चित्तशेखर, विद्वठक-शुष्मन्तसारमाय्य आदि। काशीनाथ के विषय म बहूत सी बातें ज्ञात हैं। मण्टी कवि मोरो पत्त ने इनका जीवन चरित लिखा है। ये बृह्दे ब्राह्मण थे और रत्नागिरि जिले क गोलाखी ग्राम क निवासी थे। धर्मसिन्धुसार का प्रणयन १७९ ई म हुआ था। ये कवि मोरो पत्त के सख्दानी थे। उनकी पुत्री आरबी का विवाह मोरो पत्त के द्वितीय पुत्र से हुआ था। ये जन्म मे सप्तमही हो गये थे और सन् १८५९ ई मे स्वर्गवासी हुए।


११३ जगन्नाथ तर्कपञ्चानन

जब बदायुन मे अग्रजो का प्रमुख स्थापित हो गया तो हिन्दू कानून क विषय मे सुष्ठम लिखनो के सङ्ग्रह का प्रयत्न किया जाने लगा। बरेल ऐन्सिक् के काक मे १७७३ ई मे विवादात्मकसेतु प्रणीत हुआ। सन् १७८९ ई मे शर चिक्रियम ज्ञात की प्रेरणा से निबन्धी सर्वोप धर्म ने ठरको (भावा) मे विवाहसारात्मक नामक निबन्ध लिखा। किन्तु

इन प्रयत्नों में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न या विचारधारात्मक या जो हर तर्कवागीस के पुत्र जयभ्रातृ तर्कपरिचयन द्वारा प्रणीत हुआ। हर निष्क्रियता बोध ने ही इसके लिए आग्रह किया था। कोयलक ने इसका अनुवाद सन् १७ १ ई में तथा प्रकाशन सन् १७१७ ई में किया। यह निबन्ध द्वीपों में तथा प्रत्येक द्वीप रत्ना य बँटा हुआ है। जगन्नाथ तर्कपरिचयन की मृत्यु १११ वर्ष की आयु में सन् १८ १ ई में हुई। बंगाल में इनकी कृति बहुत प्रामाणिक रही है, किन्तु पश्चिमी भारत में यह कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी।

११४ निष्कर्ष

गठ पृष्ठों में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का बहुत ही संक्षेप में वर्णन उपस्थित किया गया है। वास्तव में धर्मशास्त्र पर इतने ग्रन्थ हैं कि उन्हें एक सूत्र में बाँटना बड़ा दुस्तर कार्य है। यह पृष्ठों में समग्र २५ वर्षों के धर्मशास्त्रकारों एवं उनके ग्रन्थों का जो सेला-ओखा बहुत बोझ में उपस्थित किया गया है उससे स्पष्ट है कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने हिन्दू समाज का धार्मिक नीतिक कानूनी आदि सभी मामलों में एक सूत्र में बाँध रक्खा आहा है। उन्होंने प्रत्येक जाति के सदस्यों एवं प्रत्येक व्यक्ति को कार्य समाज का अविच्छेद्य बन माना है कहीं भी व्यक्तिगत स्वत्वों का सम्पूर्ण समाज के ऊपर नहीं माना। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो कार्य जाति या कार्य समाज बाह्य आक्रमणों एवं विविध कारणों की मार एवं अपेक्षा से क्षिन्न-मिन्न हो गया होता। धर्मशास्त्रकारों ने कार्य सम्मता एवं सस्कृति को बाह्य धामना की बट्टर धार्मिकता के प्रभाव से अक्षुण्ण रखा। इसमें सन्देह नहीं कि कभी-कभी काकास्तर ने कुछ धर्मशास्त्रकारों न धार्मिक मामलों में तर्क से काम किया है और पृथक्करव बैभिल्य एवं पलापात का प्रदर्शन किया है किन्तु ऐसे लेखकों की कमी नहीं क्योंकि केंद्रीय सासक से उनका सीधा सम्पर्क कभी नहीं था अन्त्येक अनर्क हो गया होता क्योंकि राजाओं की छत्रच्छाया में उनकी बाधे मनमाने रूप में प्रतिफलित होती और पृथक्करववाद का विपक्षित विकराल रूप में उभर पड़ता। संयोग से ऐसा ही नहीं पाया क्योंकि बाह्यी सासका को भारतीय सस्कृति से कोई प्रम या भक्ति नहीं रही। इस छोटे बोध के अतिरिक्त धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के महार्णव में मोती ही मोती मरे पड़े हैं। भारतीय सस्कृति के स्वक्या को सूत्रों में विरोध करनेवाले धर्मशास्त्रकारों का कोटिश प्रमाण।



द्वितीय खण्ड

वर्ण, आश्रम, सस्कार, आह्निक
दान, प्रतिष्ठा, श्रौत, यज्ञादि

अध्याय १

धर्मशास्त्र के विविध विषय

जति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्र के अन्तर्गत बहुत-से विषयों की जर्ना होती रही है। गौतम जीवायन काय स्तम्भ एक बसिष्ठ के धर्मसूत्रों में मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का बहिष्कार या कम विवेचन होता रहा है—नतिपय वर्ण (वर्ग) आभय उनके विशेषाधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व गर्माधान से अत्येष्टि तक के सत्कार ब्रह्मचारी कर्तव्य (प्रथम आश्रम) अनध्याय (अवकाश के दिन जब वेदाध्ययन नहीं होता था) स्नातक (ब्रह्मचारी प्रथम आश्रम समाप्त हो जाता था) के कर्तव्य विवाह एवं उत्सम्बन्धी अन्य वर्णों गृहस्थ-कर्तव्य (द्वितीय आश्रम) शौच पुरुष महायज्ञ यान भद्रयामक्य श्रुति अक्षौच अत्येष्टि याज्ञ स्त्रीधर्म स्त्रीपुंसधर्म क्षत्रिया एक राजाओं के धर्म प्यब हार (मानून-विधि अपराध दण्ड साक्षा भेंटबाग धायमान मोद सेना युधा आदि) भार प्रमुख धर्म वर्षसकर तथा उनके ध्यवसाय आपधर्म प्रामिक्षर धर्मविपाक शान्ति वातप्रस्थ-कर्तव्य (तृतीय आश्रम) सत्यास (चतुर्थ आश्रम)। इन विषयों की जर्ना सभी धर्मसूत्रों में एक समान ही नहीं की है और न सबको एक सिक्किल में रखा है। किसी में कोई विषय मध्य में ही तो बही किसी में अन्त में है। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों में प्रती उल्लेखों एक प्रतिष्ठा (जन-वस्थापन के लिए मन्दिर, धर्मशाला पुष्करिणी आदि का निर्माण) तीर्थों काल आदि का सम्बन्ध वर्णन हुआ है। किन्तु धर्मसूत्रों एक स्मृतियों में इन पर बहुत ही हलका प्रकाश डाला है।

उपयुक्त विषयों पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि प्राचीन काल में धर्म-सम्बन्धी धारणा बड़ी व्यापक थी और वह मनुष्य के मनुष्य जीवन को स्पष्ट कपटी थी। धर्मशास्त्रकारों के मठानुसार 'धर्म' किसी सम्प्रदाय या मत का घोषक नहीं है प्रत्युत यह जीवन का एक ढंग या आचरण-संहिता है जो समाज के किसी अथ एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य के वर्णों एक हृदयों को व्यक्त्यापित करता है तथा उसमें क्रमव विकास झलता हुआ उमे मानवीय अस्तित्व के लक्ष्य तक पहुँचने के माध्य बनता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म को दो भागों में बाँटा गया यथा धर्म एक स्वार्थ। धर्म धर्म में उन कृत्या एक सत्कारों का समावेश का अिनता प्रमुख सम्बन्ध वैदिक संहिताओं एक शास्त्रों के था यथा तीन पूत अग्निदा की प्रतिष्ठा पूर्वमासी एक प्रतिपदा के यज्ञ साम हृत्य आदि। स्वार्थ धर्म में उन विषयों का समावेश का जो विवेचन स्मृतियों में बर्णित है तथा वर्णाश्रम में सम्बन्धित है। इस पन्थ में प्रयुक्त स्वार्थ धर्म का ही विवेचन उपस्थित किया जायगा। धर्म धर्म के विषय में अनुक्रमबिधता में संश्लेष वर्णन कर दिया जायगा।

१ दार्याणिश्रुतसम्बन्धिमन्या धीतय लसगम् । स्वार्थो वर्णाश्रमाचारो धर्मवच निवर्णवृत्तः ॥ मलयपुराण १४४।१-३१; वायुपुराण ५९।३१ ३२ एव ३९; 'अध्यायानादिपूर्वकोऽपीतप्रत्यक्षवेदमूलो धर्मो धर्मोऽयमादि' धर्मः । अनुश्रितवरोलान्नायामुक्तः धीवाचननार्थि स्वार्थः । परा का १। भाग १ पृ ६४।

कुछ धर्मों में 'धर्म' को बौद्ध (वैदिक) स्मार्त (स्मृतियों पर आधारित) एवं सिद्धाचार (सिष्ट या मठ के लोगों के आधार-व्यवहार) नामक भागों में बाँटा गया है।^१ एक अन्य विभाजन के अनुसार 'धर्म' के छै प्रकार हैं—वर्णधर्म (यथा शास्त्रान् को कभी मुरापाण नहीं करना चाहिए) आत्मधर्म (यथा बह्मशापी का मिसा मयना एवं इच्छा बह्म करना) वर्णाधर्मधर्म (यथा शास्त्रान् बह्मशापी को पक्षास नृस का इच्छा बह्म करना चाहिए) पुत्रधर्म (यथा राजा को प्रजा भी रखा करनी चाहिए) नैमित्तिक धर्म (यथा बन्धित कार्य करने पर प्रायश्चित्त करना) साधारण धर्म (जो सबके लिए समान हो यथा अहिंसा एवं अन्य सामुदायिकता)।^२ मेघातिथि ने साधारण धर्म को छोड़ दिया है और पाँच प्रकारों का ही उल्लेख किया है (मनु २।२५)। हेमाद्रि ने भविष्यपुराण से उद्धरण लेकर छै प्रकारों का वर्णन किया है। एक बात विचारणीय यह है कि सभी सूत्रियों में धर्म एवं आश्रम की बर्णा है और सभी स्मार्तों पर विशेषतः प्रमुख स्मृतियों में ऋषियों एवं मुनियों ने धर्मशास्त्रकारों से बर्णा एवं आश्रमों के विषयों में विवेचन करने की प्रार्थना की है।

सामान्य धर्म

धर्मशास्त्र के विषयों की बर्णा एवं विवेचन ने पूर्व मानव के सामान्य धर्म की व्याख्या अपेक्षित है। धर्मशास्त्रकारों ने आधार-शास्त्र के सिद्धान्तों का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन उपस्थित नहीं किया है और न उन्हींमें वर्तमान सौख्य या पूर्वता (परम विचार) की आश्रमों का सूक्ष्म एवं अवहित विवेचन ही उपस्थित किया है। किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि धर्मशास्त्रकारों ने आधार-शास्त्र के सिद्धान्तों को छोड़ दिया है अथवा उन पर कोई अंधा धिन्तन नहीं किया है। अति प्राचीन कास से सत्य को सर्वोपरि कहा गया है। ऋग्वेद (७।१५।१२) में आया है—सत्यं वचन एव असत्यं वचनं प्रतिव्योगिता चकृते। सोमं बोधो मं चो सत्यं है जो ऋजु (आर्जव) है उसी की रक्षा करता है और असत्य का हनन करता है। ऋग्वेद में ऋजु की जो मान्यता है वह बहुत ही उच्चत एवं उत्कृष्ट है और उसी में ब्रह्मण्डल के धर्मों के नियमों के सिद्धान्त हैं। अतएव शास्त्रान् में आता है—अथ मनुष्य सत्य के अतिरिक्त कुछ और न जाने। अतिरिक्तोपनिषद् में सम्यक्त्व नामक संस्कार के समय गुरु सिष्य से कहता है—सत्यं वर। धर्मं वर (१।११।११)। छान्दोग्योपनिषद् (३।१७) में ब्रह्मिणा पाँच प्रकार की नहीं गयी है तथा के पाँच गुण विशेषतः शान आर्जव अहिंसा सत्यवचन। बृहदारण्यकोपनिषद् में कहा है कि व्यावहारिक जीवन में सत्य एवं धर्म दोनों

२ वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगतोऽप्यः। सिद्धाचारो नरः प्रीतस्तत्रयो धर्मा ततस्तथा ॥
अनुशासनपत्र १४१।१५; धर्मधर्म २ ७।८३ 'वेदोक्तः—धर्मशास्त्रेषु चारणः। सिद्धाचारश्च सिद्धाचारं त्रिविधं धर्म-
लक्षणम् ॥ वैदिकं शास्त्रित्तत्त्वं ३५४।१५; और वैदिक, उपविष्टो धर्मः प्रतिवेदम्। स्मार्तों द्वितीयः। तृतीयः
सिद्धाचारः। बी च सू १।१।१५।

३ इह बन्धप्रकारो धर्म इति विचारयकारा. प्रयच्छयति। मेघातिथि—मनुस्मृति २।२५, अत्र च धर्मशास्त्र-
व्यवधिधर्मार्थधर्मविषयः तदथा—धर्मधर्म आश्रमधर्मो वर्णाधर्मधर्मो पुत्रधर्मो निमित्तधर्मः साधारणधर्मश्चेति। विता-
सारा याज्ञवल्क्यस्मृति २।११।

४ मुचिज्ञानं त्रिचिनुचं जनाय तच्छास्त्रं च यती पत्नुधर्मे। तपोर्वत्तत्तं यत्तद्वृत्तीयत्तद्विस्तोमोऽन्वित्त्वत्तं
स्तु ॥ अ ७।१५।१२।

५. तुलना कीजिए अतएव वा १।१।११ 'जयेष्यो वै पुत्रो यद्वर्तुं वर्तति' तथा १।१।१५
'म वै सायमेव वरेत्'।

समान हैं। इसी उपनिषद् में एक ऋति उदात्त स्तुति है—असत्य से सत्य की ओर, अपकार से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर के भ्रमों।" मूढब्रह्मोपनिषद् में कर्मस सत्य के विषय की प्रशंसा की गयी है। बृहदारण्यकोपनिषद् में सबके लिए धर्म (आरम-निग्रह) ब्रह्म एक दया नामक तीन प्रमान गुणों का वर्णन किया है (उत्समादेतत्तय धिसद्द दम दान दयामिति—मू उ ५।२।३)। ऋग्वेदोपनिषद् कहती है कि ब्रह्म का सकार सभी प्रकार के बुद्धियों में सं रहित है और केवल ब्रह्मी जिसने ब्रह्मचारी विद्याधियों के समान जीवन बिताया है उसमें प्रवेश पा सकता है। इस उपनिषद् ने (५।१) पाँच पापों की भरसना की है—सोने की चोटी मुरासान ब्रह्महत्या गुरु-शय्या को अपवित्र करना तथा इन सबके साथ सम्बन्ध। कठोपनिषद् में आत्म ज्ञान के लिए दुराचरन-त्याग मत दान्ति मनोमोम आशम्यक बढाये गये हैं। उद्योगपर्व में (४९।२) ब्राह्मण के लिए १२ ऋतों (आचरण-विधियों) का वर्णन है। इसमें (२२।२५) बाण्ड (आरम-सयमित) का उल्लेख हुआ है। शान्तिपर्व में (१६) धर्म की महिमा पायी गयी है। महाभारत में इसी पर्व में (१९२।७) सत्य के १३ स्वरूपों का वर्णन है और मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मिणा सविच्छा एव धान अन्धे पुण्या के सादकत-धम कहे गये हैं। मीलनधर्मसूत्र ने दया क्षान्ति अनमूया धीव अनामाव मङ्गल अनार्षस्य अमूहा नामक आठ आत्मगुणों वाले मनुष्या को ब्रह्मलोक के योग्य ठहराया है और कहा है कि ४ सम्कारों के करने पर भी यदि ये आठ गुण नहीं आये तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन्द्रजित्त भी इन गुणों का वर्णन किया है। अत्रि (३४।४१) अपरार्थ स्मृतिप्रदिका हेमाद्रि पराधरणाधमवीय आदि मणसा ही उल्लेख है। सत्य (५२।८१) बामु (५९।४ ४९) मार्कण्डेय (६१।९९) बिष्णु (३।८।३५ ७) आदि पुराणा में इसी प्रकार के गुणों को बोधे अन्तर से बताया है। बसिष्ठ (१।३) ने बुधक्यारी ईर्ष्या धमण्ड अहकार, अविश्वास कपट आरम प्रशंसा बुरा को पासी देना प्रबन्धना काम अपबोध भोग प्रतिस्पृष्टा छोड़ने को सभी आधमों का धर्म कहा है और (३।१२) आदेशित किया है कि 'सर्चाई का अभ्यास करो अधर्म का नहीं सत्य वालों असत्य नहीं माने देना पीछे नहीं उदात्त पर बुद्धि फेरो अनुदात्त पर नहीं। आपस्तम्ब ने गुणा एव अत्रगुणा की सूची की है (आपस्तम्ब ध सू १।८।२३।३९)। इन सब ऋतों से स्पष्ट होता है कि मीलन एव अन्य धर्मसाधनकारों के मगानुसार यज्ञ-धर्म तथा अन्य धीव एव दुष्टि सम्बन्धी धार्मिक जिया-सस्कार आत्मा के मीठिन गुणा की तुलना में कुछ नहीं हैं। हाँ एक बात है एक व्यक्ति सत्य क्यों बोले या हिंसा क्यों न करे? आदि प्रश्ना पर नहीं बिसूत विवेचन नहीं है। किन्तु इसमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन गुणों की ओर संकेत नहीं है। बरि हम ब्रह्मा का अत्रकाज न करे तो ही सिद्धान्त सरुक्त उठते हैं। ब्राह्मणधर्मों के अगणित नियमों के अन्तर में आन्तर पुरुष का मन्त करण पर बल दिया गया है। मनु (४।१९१) ने कहा है कि यही करो जो तुम्हारी अन्तःशरणा को धारिण ब। ऋग्वेदि गुण (४।२।३९) कहा है—'न माता-पिया न पत्नी न स्वके जस सत्तार (परलोच) में साधी होंये नेबक घराचार ही साथ देना। देवता एव आठर पुरुष पापमय कर्तव्य को देखते हैं (धर्मपर्व २ ७।५४ मनु ८।८५।

६. तस्मात्सत्यं धर्ममनुर्धर्मं ब्रह्मतीति धर्मं वा ब्रह्मत् सत्यं ब्रह्मतीत्येतदुभयेतत्तदुभयेतत्तदुभयं ब्रह्मति । बहू उ १।४।१४; तदेतानि अयेदसतो या सधुगमय तमनो या ष्योतिर्निमय मृत्योर्माभ्रुत्तं गमयेति । बहू उ १।३।२८।
 ७. धारिणो बुधविरताभ्रातृभक्तो नासमाहितः । नासन्तमानसो वापि प्रजानैर्नैतन्नाप्युपमू ॥ ऋ १।२।२३
- और वैश्वदेव, बहू १।३।१७। तथा मीमंशो उ ३।५। जिसमें ऊँचे एवं उदात्त धर्मों के विद्यार्थी द्वारा त्याग्य अत्रकार गुणों की सूची है।
८. अयोः सत्त्वैतदु कर्मणा मनसा गिरा । अनुग्रहवच धर्मं च कृता धर्मः सत्ततः ॥ शान्तिपर्व १६२।२३।

११९२ और देखिए आचरिषं ७४।२८२९ मनु ८।८९ अनुशासन २।७३-७४)। 'तत्त्वमसि' का दार्शनिक विचार प्रत्येक व्यक्ति में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति का चोतक है। इसी दार्शनिक विचारवादा को क्या अहिता आदि गुण प्राप्त करने का कारण बताया गया है। हम यही नैतिकता एवं तत्त्व-दर्शन (अभ्यास) को एक साथ चलाते हुए देखते हैं। अतः इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया सुकृत्य या दुष्कृत्य दूसरे को प्रभावित करता हुआ बतलाया गया है। दश ने (३।१२२) कहा है कि यदि कोई आत्मन् चाहता है तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि से देखना चाहिए, जिस दृष्टि से वह अपने को देखता है। मुक्त एवं मुक्त एक को तथा अस्यो को समान रूप से प्रभावित करते हैं। देवस्य ने कहा है कि अपने लिए जो प्रतिबन्ध हो उसे दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। अतः हम देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने नैतिकता के लिए (सद्गीतियों के लिए) प्रामाणिकता के रूप में मुक्ति (अर्थात् 'सर्वं समुद्रं ब्रह्म') एक अन्तःकरण के प्रकाश होने का ग्रहण किया है। अच्छे गुणों को प्राप्त करने के प्रथम कारण पर इस प्रकार प्रकाश पड़ जाता है। अब हम दूसरे कारण पर विचार करें। हम उदात्त मुक्त क्या प्राप्त करें। इस प्रश्न का उत्तर मानव-अस्तिव्य (पुरुषार्थ) के स्वयं के सिद्धान्त की व्याख्या में मिल जाता है। बहुत प्राचीन काल से चार पुरुषार्थ बड़े पड़े हैं—धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनमें जिनमें तो परम स्वस्थ है जिसकी प्राप्ति जिस किसी को ही हो पाती है। अधिकार के लिए यह केवल आर्थिक मात्र है। 'धर्म' सबसे निम्न श्रेणी का पुरुषार्थ है। इसे केवल धर्म ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ मानते हैं। महाभारत में आया है—एक समझदार व्यक्ति धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों का प्राप्त करता है किन्तु यदि धर्म ही प्राप्ति न हो सके तो वह धर्म एवं अर्थ प्राप्त करता है किन्तु यदि उसे केवल एक ही चुनना है तो वह धर्म का ही चुनाव करता है। धर्मशास्त्रकारों ने काम की सर्वथा मर्त्या नही की है। वे उसे मानव की न्यायिक प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं किन्तु उसे अन्य पुरुषार्थों से निम्नकोटि का पुरुषार्थ ठहराते हैं। नीतम ने (९।४६ ६७) धर्म को सर्वोप्युक्त स्थान दिया है। मात्रकल्प ने भी यही बात कही है (१।११५)। आप स्वयं ने कहा है कि धर्म के विरोध में न जानबूझकर सखी मुक्तों का मोक्ष करना चाहिए, इस प्रकार उद्योग होना सौक्य सिद्ध जाते हैं (२।८।२१२२३)। अथर्ववेदांग में इष्ट्य अपने को धर्मविरुद्ध काम के समान कहते हैं। कौटिल्य का कहना है कि धर्म एवं अर्थ के विरोध में काम की दृष्टि करनी चाहिए। बिना ज्ञान के जीवन नहीं बिताया चाहिए। किन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कौटिल्य ने धर्म ही प्रधानता दी है क्योंकि अर्थ से ही धर्म एवं काम की उत्पत्ति होती

९ धर्मशास्त्रा परस्परद्वय इष्ट्यं पुत्रविक्रयः। मुक्तुः कामि तुल्यानि यथास्मिन् तथा चरे ॥ दश ३।१२१।

१ श्रुत्या धर्मसर्वस्व श्रुत्या शेषावधर्मताम्। अज्ञानं प्रतिदूकानि परेषा न समाचरेत् ॥ देवस्य का इष्ट्य-रत्नाकर मे उद्धारण। तुल्यानी कीदृशं अत्यस्तम्बस्मृति १।१२१; 'अज्ञानवत्सर्वमृतानि यः पश्यति स वश्यति। अनु-शासनपर्व ११३।८९; न तत्परस्य सवप्यत् प्रतिदूकं यथास्मत्तः। एव संश्लेषतो धर्मं कामाद्यस्यः प्रकृतिः ॥ प्रत्या-ख्याने च बाले च मुक्त-नु के प्रियाप्रिये। अज्ञानीपथ्येन पुत्र-प्रमाणावधिगच्छति ॥ साहित्य २६।२ एव २५ परस्व-विहितं नेच्छेत्तस्मत्तः धर्मं पुत्र्यः। न तत्परस्य पुत्रात् अत्यप्रियमस्मत्तः। सर्वं प्रियाम्नुपगतं धर्मं प्राप्नुमन्नीविच ॥

११ त्रिधर्मपुत्रः प्राज्ञानाकारस्यो भद्रतपः। धर्माचारानुवर्ष्यन्ते त्रिधर्मस्तन्त्रये नरा ॥ पुत्रत्वविनिश्चिदान्तं धर्मं धीरोऽनुष्यन्ते। माण्यमोऽर्थं कर्त्तुं बालं कामयेशानुष्यन्ते ॥ कामार्थं लिप्यमानस्तु धर्ममेवावित्तुचरेत् ॥ नहि धर्म-वर्षत्यर्थं कामो वापि कदाचन। उद्यमं धर्ममेवाहुस्त्रिधर्मस्य विहायते ॥ उद्योगपर्व १२४।३४ ३८ देखिए, साहित्यपर्व, १५७।८९।

१२ मोक्षा च धर्माविच्छेदं भोगान्। एवमुनी लोकाभिजयति। अत्यस्तम्ब २।८।१९ १२२-२३।

है।^{११} मनुस्मृति (२।२२४) विष्णुधर्मसूत्र (७१।८४) एव भागवत (१।२।१) ने धर्म को ही प्रशानता दी है।^{१२} कामसूत्रकार बाल्मीक्य ने धर्म अर्थ एक काम की परिभाषा की है और काम में प्रथम एक द्वितीय को द्वितीय एक तृतीय से घट्ट कहा है बिल्कु राजा के लिए उज्जेलि अर्थ को सर्वघट्ट कहा है। धर्मशास्त्रकारों ने इन प्रकार आसप्त एव परम सख्या एक प्रणयाओं की ओर संकेत किया है और अन्त में परम लक्ष्यो एक प्रणयाओं को ही अष्टतम माना है। उनके अनुसार उच्चतर बीबल के लिए तन और मत दोनों का अनुशासित होना परम आवश्यक है अतः निम्नतर लक्ष्यो का उच्चतर मुक्तो एक मूल्यो के आश्रित हो जाना परम आवश्यक है। मनु न अस्तू के समान ही सभी क्रियाओं के पीछे कोई अनुमानित या पूर्वकल्पित शुभ या बन्धागप्रब तत्त्व मान लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव वासनाओं की ओर झुकता है अतः उन पर बन्ध बेधे के स्थान पर उनका निग्रह पर बन्ध बना चाहिए (५।५९)। उपनिषदों ने भी हित एव हिततम के अन्तर को स्वीकार किया है।^{१३}

विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मिताक्षरा (१।१) में लिखा है कि अहिंसा तथा अन्य गुण सबके लिए यहाँ तक कि चाण्डालो तक के लिए है। अतिथय शब्दा में इन गुणों की सूचियों में श्रेय पाया जाता है। शलस्मृति (१।५) में शान्ति सत्यवादिता आत्म-निग्रह (धम) एव बुद्धि नामक सामान्य गुण सबके लिए हैं। महाभारत के मत से निर्दरता सत्य एव अक्रोध तीन सर्वघट्ट गुण हैं।^{१४} बसिष्ठ के मत में सत्य अक्रोध दान अहिंसा प्रजनन जैसी सामान्य बातें सभी वर्णों के धर्म हैं (४।४ १।३)। गौतम ने बुद्धा को भी सत्य अक्रोध बुद्धि न लिए प्रोत्साहित किया है (१।५२)। मनु के अनुसार अहिंसा सत्य अस्तेय शौच इन्द्रिय-निग्रह सभी वर्णों के धर्म हैं। अशोक महान् न निम्नकिसित गुणों का उल्लेख अपने चिन्ताश्लेषा (स्तम्भ २ एव ७) में किया है—बया उदारता सत्य बुद्धि भद्रता शान्ति प्रसन्नता सामृता आत्मसयम। यह सूची पौतम की सूची से मिलनी-मुझी है। ब्राह्मण में केवल चाण्डाल तक के लिए याज्ञवल्क्य न ९ गुणों का वर्णन किया है (१।१२२)। शालिपत्र म य नी गुण हैं—अक्रोध सत्यवचन सविभाग धमा प्रजनन शौच अज्ञेह आर्जव भूयमरण। कामनपुराण में बस गुण हैं यथा अहिंसा सत्य अस्तय दान शान्ति धम धम सकार्यव्य शौच तप। हेमाद्रि ने सामान्य धर्मों की कर्षा की है। विष्णुधर्मसूत्र में १४ गुणों का वर्णन है।

१३ अर्थशास्त्र १।७ 'धर्मोर्वाचिरोजोम काम सेवेत। न मिश्रुक्तं स्यात्। ...अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः। धर्मपुत्री द्वि धर्मकामाविति।

१४ धर्मोर्वाचिरोजोम येयः कामाणी धर्म एव च। अर्थ एवेह वा ध्येयतिवचय इति तु स्थितिः॥ मनु २।२२४; परित्यजे र्बकामी धी स्याता धर्मविक्रितो। मनु ४।१७६ मिहाराए, विष्णुधर्मसूत्र ७१।८४ 'धर्मविक्रिती धार्षण्यो (परिहृते) अनुशासन ३।१८ १९—धर्मवर्चार्जव कामवच त्रितय जीविते कथम। एतत्प्रथमवाप्यमधर्मवर्चविक्रि-तम्॥ बिल्कुपुराण ३।२।१०—परित्यजेधर्मकामी धर्मपीडाकर्त्री भुव। धर्मवयमुद्योबर्भ लोकविक्रिप्यमेव च॥

१५ त्वमेव बुधीष्य य त्व मनुष्याय हिततम मयसे इति। बीषोतक वा उ ३।११।

१६ एतद्वि त्रितय घेट्ट सर्वभूतेषु भारत। निर्दरता महाराज लक्ष्यमक्रोध एव च॥ आशयवाचिधर्म २८।१९;

धीष्येव तु ब्रह्मण्ये पुष्यस्वीतम इतम्। न बुद्धिर्बैव बघाण्य सत्य च पर बवेत्॥ अनुशासनधर्म १२।११।

१७ अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः। एत सामासिक धर्मं चतुर्वर्ण्येऽप्यभिष्नुः॥ मनु १।६३।

वेचिष्ट, तमी आत्मनो के लिए १ गुण मनु ६।६२।

१८ लता सत्य धम शौच धामनिन्द्रियसयमः। अहिंसा गुरुशुभ्या तीर्षानुसरण बया। आर्जव लौमगुण्यत्वं ईशब्राह्मणपूजनम्। अनम्यमुया च तथा धर्मं सामान्य उच्यते॥ बिल्कु २।१६ १७।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रकारों ने नैतिक गुणों को बहुत महत्त्व दिया है और इनके पासम के लिए बस भी दिया है किन्तु धर्मशास्त्र में उनका सीमा सम्पर्क व्यावहारिक जीवन से था अतः उन्होंने सामान्य धर्म की अपेक्षा धर्माध्यमधर्म की विषय व्याख्या करना अधिक उचित समझा।

आर्यावर्त

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में वैदिक धर्म के अनुयायियों के देश या क्षेत्र आर्यावर्त के विषय में प्रभूत वर्णों होती रही है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य-संस्कृति का केन्द्र सप्तसिन्धु अर्थात् आज का उत्तर-पश्चिमी भारत एवं पंजाब का (सात नदियों का क्षेत्र सप्तसिन्धु)। क्रमा (काबुल नदी ऋ ५।५३।९ १।७६।६) संक्रुम (आज का कुर्म ऋ ५।५३।९ १।७५।६) सुभास्तु (आज का स्वात ऋ ८।१९।१७) सप्तसिन्धु (सात नदियों ऋ २।१२।२ ४।२८।१ ८।२४।२७ १।४३।३) यमुना (ऋ ५।५२।१७ १।७५।५) यषा (ऋ ६।४५।३१ १।७५।५) एवं सरयु (सम्भवतः आज के यमुना ऋ ४।३।१४ एवं ५।५३।९) तक ऋग्वेद में वर्णित है। पंजाब की नदियों में हैं—सिन्धु (ऋ २।१५।६ ५।५३।९ ४।३।१२ ८।२।२५) अश्विनी (ऋ ८।२।२५ १।७५।५) परुष्णी (ऋ ४।२२।२ ५।५२।९) विपास्य एवं झुलुहि (ऋ ३।३३।१-यही लोगो से घगम का उल्लेख है) वृषट्टी आपवा एवं सरस्वती (ऋ ३।२३।४ परम पवित्र) सोमती (ऋ ८।२४।३ १।७५।६) वितस्ता (ऋ १।७५।५)। आर्यों ने अमरा बक्षिन एवं पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया। काठक ने कुक्षु-पञ्चाङ्ग का उल्लेख किया है। ब्राह्मणों के युग में आर्य क्रिया-कलापों एवं संस्कृति का केन्द्र कुक्षु-पञ्चाङ्ग एवं कोसल-विदेह तक बढ़ गया। सतपथब्राह्मण के मत में कुक्षु-पञ्चाङ्गों की माया या बोधी सर्वोत्तम थी। 'कुक्षु-पञ्चाङ्ग के उद्धारक आश्विनी की बोधी की प्रसंघा की पत्नी है। विदेह मातङ्ग कोसल-विदेह के आये हिमालय से उतरी हुई सखानीरा नदी को पार करके उसके पूर्व में बसे जहाँ की भूमि उन दिनों बड़ी उर्वर थी। यहाँ तक कि बौद्ध पाठक कहानियों में इसे 'उद्विष्य ब्राह्मणों' का प्रयोग उनके अस्तिमान के सूचक के रूप में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं की बेधी कुक्षु-पञ्चाङ्ग में कही गयी है। (५।१।११)। ऋग्वेद में भी ऐसा आया है कि वह स्थान जहाँ से वृषट्टी आपवा एवं सरस्वती नदियाँ बहती हैं सर्वोत्तम स्थान है (३।२३।४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुक्षु-पञ्चाङ्ग जाड़े में पूर्व की ओर और गर्मी के अन्तिम मास में पश्चिम की ओर जाते हैं। उपनिषद्-काण्ड में भी कुक्षु-पञ्चाङ्ग प्रवेक की विधिष्ठ महत्ता थी। जब जनक (विदेहराज) ने मग्न किया तो कुक्षु-पञ्चाङ्ग के ब्राह्मण बहुत संख्या में उनके यहाँ पचारे (बृ ७।३।११)। अथर्ववेद पञ्चाङ्गों की संख्या में गये (बृ ७।३।११ ६।२।११ आन्वोम्य ५।३।११)। कौषीठकी ब्राह्मणोपनिषद् में आया है कि उषीनर, मत्स्य कुक्षु-पञ्चाङ्ग काशीविदेह बौद्धिक विद्या-कलाओं के केन्द्र हैं (४।११) इसी उपनिषद् में उत्तरी एवं बक्षिणी से पहाड़ों (सम्भवतः हिमालय एवं हिमालय) की ओर संकेत है (२।१३)। निरुक्त (२।२) में लिखा है कि कम्बोज देश आर्यों की सीमा के बाहर है अर्थात् यहाँ की माया आर्य-माया ही प्रतीत होती है। महामास्य के अनुसार सुराष्ट्र आर्यवेक नहीं था। आर्यावर्त की सीमा एवं स्थिति के विषय में धर्मसूत्रों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। विधिष्ठधर्मसूत्र के अनुसार आर्यावर्त मङ्ग-मिलन के पहले सरस्वती के पूर्व काठकजन के पश्चिम परिवर्तन एवं विष्णुधर्मसूत्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है (१।८।९, १२।१३)। इस धर्मसूत्र में जो और मत दिये हैं—'जग एवं यमुना के मध्य में आर्यावर्त है तथा 'जहाँ कृष्ण मृग विचरन करते हैं वही आर्यावर्त महत्ता विराजमान

है। आपस्तम्बधर्मसूत्र में भी यही बात है। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में यही बात कई बार बहुरूपी है। सञ्जलि के धर्मसूत्र में आया है—अथवा ब्रह्मवर्षस (पुनीत आम्पारिक महत्ता) सिन्धु-सीरीर के पूर्व आम्पिय नगर के पश्चिम हिमाक्ष्य के दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत क उत्तर आर्यावर्त में विद्यमान है। मनुस्मृति के अनुसार विन्ध्य के उत्तर एक हिमाक्ष्य के दक्षिण तथा पूर्व एक पश्चिम में समुद्र को स्पर्श करता हुआ प्रदेश आर्यावर्त है। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।२८) में गंगा एक यमुना के मध्य का बस आर्यावर्त कहा गया है। यह ब्रह्म मत् है। यही बात तीतिरीय रम्पक में भी है जहाँ कहा गया है कि यमा-यमुना प्रदेश के लोगों को विद्युत् बादर दिया जाता है (२।२)। 'आर्यावर्त' वह देश है जहाँ इत्य हरिण स्वाभाविक रूप से विचरण करते हैं—यह तीसरा मत् अविनाशधर्म स्मृतियों में पाया जाता है। विद्युत् एक बौधायन के धर्मसूत्रों में आम्पिकियों के निदान नामक ग्रन्थ की एक प्राचीन गाथा बनी गयी है जिसमें ऐसा आया है कि जिस देश के पश्चिम सिन्धु है पूर्व में उठता हुआ पर्वत है तथा जिस देश में कृष्ण मृग विचरण करता है उस देश में 'ब्रह्मवर्षस' अर्थात् आम्पारिक महत्ता पायी जाती है। इस प्राचीन गाथा के रहस्य को आम्पिक-स्मृति के माध्य में विस्तर के (यात्रा १।२) स्वतास्वत के एक गद्यांश के उद्घरण से स्पष्ट किया है कि 'यत्र एक बार कृष्णमृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा और धर्म ने उसका पीछा करना आरम्भ किया।

आर्यावर्त की उपर्युक्त सीमा के विषय में एक विष्णुधर्मसूत्र (८४।४) मनु (२।२३) मात्रवत्स्य (१।२) धर्म (४) मनु-हारीत वेदव्यास (१।१) बृहस्पति तथा अन्य स्मृतियों में समान मत् प्रकाशित किया है। मनु स्मृति (२।१७-२४) में ब्रह्मवर्षस को सरस्वती एक इन्द्रती नामक दो पूत नदियों के बीच में स्थित माना है और कहा है कि इस प्रदेश का परम्परागत आचार 'सदाचार' कहा जाता है। मनु ने कुशलेन मत्स्य परम्परा एक शूरसेन की ब्रह्मविषेस कहा है और इसे ब्रह्मवर्षस से जोडा कम पवित्र माना है। उनक मत् से हिमाक्ष्य एक विन्ध्य के मध्य में एक विनसत (सरस्वती) ने पूर्व एक प्रमात्र के पश्चिम का देश मध्यदेश है तथा आर्यावर्त वह देश है जो हिमाक्ष्य एक विन्ध्य के मध्य में है, जो पूर्व एक पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है तथा जहाँ इत्यमम स्वाभाविकतया विचरण करते हैं। उनके मत् से यह आर्यावर्त मत्स्य के योग्य माना जाता है। इन उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त अन्य देश म्सेच्छेस कहे जाते हैं। मनु ने तीन उष्ण देशों में मनुष्यों को ब्रह्मवर्षस ब्रह्मविषेस मध्यदेश आर्यावर्त आदि देशों में रहने को कहा है। उनके मत् से आपत्ताक में धृष्ट धर्म के लोग नहीं भी रह सकते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में विन्ध्य के दक्षिण की भूमि आर्यसंस्कृति से अधूरी थी। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।२९) का कहना है कि अन्ति अङ्ग मयत्र सुताप्ट, पश्चिमाप पचावृत् सिन्धु एक सीरीर देश के लोग धृष्ट आर्य नहीं हैं। इसका यह भी कहना है कि जो आर्यक वारस्कार, पुष्ट सीरीर, मयत्र वय वल्लिग एक प्राणु (?) जाता है उसे सर्वर्युत् नामक मत्स्य करना पड़ता है और कलिय जानेवाले को तो प्रायश्चित्त से किए वीरवानर अभि में हवन करना पड़ता है। मात्रवत्स्यस्मृति के माध्य मितास्त्र में वेदक का एक ऐसा उद्घरण आया है जिससे यह पता चलता है कि सिन्धु, सीरीर, सीराप्ट म्सेच्छेस अथ वय वल्लिग एक आन्ध्र देश में जानेवाले का उपनयन मत्स्य करना पड़ता था। जित्नु ज्यों-ज्यों आर्य-संस्कृति का प्रसार अनुभूति होता गया ऐसी वारणाएँ निर्मूल होने की और सम्पूर्ण देश छत्रके योग्य समझा जान गया। आर्य-संस्कृति के उत्तरोत्तर पूर्व एक दक्षिण की आर्य करने से एक बनार्यों द्वारा उत्तर-पश्चिमी सीमा एक पञ्जाब पर आक्रमण होने से पञ्जाब की नदियों वाला प्रदेश आर्यों के हाथ के लिए अयोग्य समझा जाने लगा। वर्षपूर्व में सिन्धु एक पञ्जाब की पाँच नदियों के देश में रहनेवाला जो अगुड एक धर्मवाहक कहा गया है (४३।५-८)।

ऐदिक धर्म जहाँ तक परिष्कार है उस भूमि को विरोध पुराणों में मत्स्यर्ष या मत्स्यर्ष कहा गया है। आर्यके के हाथीगुम्फ के अतिरिक्त में इस सभ्य को भरतवस कहा गया है। मार्ग्ययपुराण (५७।५९) के अनुसार

अध्याय २

क्षण

भारत की जाति-व्यवस्था के उद्भव एवं विविधताओं के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें अधिकतर जातियों एवं उपजातियों की विविधताओं तथा उनको अर्थात् धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं एवं व्यवहार प्रयोगों पर ही अधिक प्रकाश डालते हैं। जाति-उद्भव में प्रकृत न जाति-जाति के अनुमानों विचार-आधारों एवं मापदण्डों की सृष्टि कर डाली है। कतिपय ग्रन्थकारों ने या तो कुछ या बर्ग या व्यवसाय के आधार पर ही अपने दृष्टिकोण या मत निर्धारित किये हैं अतः इस प्रकार उनकी विचारधारों एकांगी हो गयी हैं। समाज-शास्त्र के विचारधारा के लिए भारतीय जाति-व्यवस्था के उद्भव एवं विकास का अध्ययन बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं मनोरञ्जक विषय है।

पारश्वाल्य सेनको ने कुछ ने ही जाति प्रथा के पुस्तक बंध दिए हैं और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी आकांक्षा एवं महत्ता की है। सिद्धनी को ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'विद्वान् आर्य इण्डिया' (द्वितीय संस्करण १९७७ पृ २९२-२९३) में जाति-व्यवस्था के मुक्त के वर्णन में अपनी कसम तोड़ दी है। इसी प्रकार एम्ब डबोम ने आर्य संसार १५ वर्ष पूर्व इसकी प्रसक्ति गायी थी। किन्तु मेन ने अपने ग्रन्थ 'ऐस्सेन्स ऑफ़' (नवीन संस्करण १९३३ पृ १७) में इसकी बयकारी एवं विनाशकारी परम्परा की ओर संकेत करते भरपूर महत्ता की है। धरिय ने 'हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स' नामक ग्रन्थ (विन्द ३ पृ २९३) में भारतीय जाति-व्यवस्था की उत्पत्ति करने में कोई भी बसर नहीं छोड़ी है। किन्तु मेरिडियन ने अपने 'यूरोप एण्ड एशिया' (१९११ बाले संस्करण पृ ७२) में स्तुति-गाय किया है। कुछ लोगों ने जाति-व्यवस्था को बर्तुं ब्राह्मणों द्वारा रचित आविष्कार माना है।

जर्म एक व्यवसाय पर आधारित जाति-व्यवस्था प्राचीन काल में फारस रोम एवं जापान में भी प्रचलित थी किन्तु यही परम्पराएँ भारत में नहीं और उत्तम व्यावहारिक रूप जिस प्रकार भारत में मिले वे अन्यत्र दुर्लभ के और यही कारण था कि अन्य देशों में यही जातिवादी एसी व्यवस्था कुछ-जिस न रही और समय के प्रवाह में पड़कर समाप्त हो गयी।

यदि हम भारतीय जाति-व्यवस्था की विविधताओं पर कुछ ग्रन्थकारों एवं कतिपय विचारकों के मतों का संकलन करें तो निम्न बात उभर आती है जिनका सम्बन्ध स्पष्टतः जाति-व्यवस्था के दृष्टों या विधेयताओं से है—
 (१) बयपरम्परा अपरिष्कृत एक जाति में विद्वान्तात् जर्म से ही स्वयं प्राप्त हो जाता है () जाति के भीतर ही विवाह करना एक एक ही गोन में या कुछ विविध सम्बन्धियों में विवाह न करना (३) भोजन-सम्बन्धी बजना (४) व्यवसाय (कुछ जातियाँ विविध व्यवसाय ही करती हैं) (५) जाति-भेदियों यथा कुछ ता उच्चतम और कुछ नीचतम। वेदान्त साहू ने एक और विधेयता बनायी है जाति-सभा (पञ्चायत) जिसके द्वारा दण्ड जाति की व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह बात सभी जातियों में नहीं पायी जाती यथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में धर्मशास्त्र प्रथा में भी इसकी नहीं पायी हुई है। आर्य एक जाति के अन्तर्गत ही विवाह सम्बन्ध है इसी से जर्म में जाति बाला

विद्यमान प्रचलित है। अन्य तीन उपर्युक्त विशिष्टताएँ भारत के प्रदेश-प्रदेश एवं युग-युग में अधिक-तम रूप में बढी-बढती एवं परिवर्तित होती रही हैं। हम इन पाँचों विशिष्टताओं पर वैदिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर एक बात विचारणीय यह है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन धर्मशास्त्रों में जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी जो बाराबाएँ रही हैं उनमें और आज की बारागामों में बहुत अन्तर है। आज तो जाति-व्यवस्था को हम केवल विवाह में और कमी-कमी साम-पान में देख लेते हैं। आज कोई भी जाति कोई भी व्यवसाय कर सकती है। इस नति से जाति-सम्बन्धी बन्धन इतने ढीले पड़ते जा रहे हैं कि बहुत सम्भव है कुछ दिनों में जाति-व्यवस्था केवल विवाह-व्यवहार तक ही सीमित होकर रह जाय। यह सब अत्याधुनिक नैतिक विचारों एवं समय की मान का ही प्रतिफल है।

ऋग्वेद में कई स्थानों पर (१।७३।७ २।१।५ ९।९७।१५ ९।१४।४ ९।११५।४ १।१२४।७) धर्म का अर्थ है 'रत्न' या 'प्रकाश'। वहीं-कहीं यथा २।१२२।४ एवं १।१७९।६ में धर्म का सम्बन्ध ऐसे बत-गाय से है जिनका धर्म कासा है या गोरों।^१ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१२।६) में बताया है कि ब्राह्मण वैनी धर्म है और पूरु अमुर्व धर्म है।^२ 'अमुर्व धर्म' का अर्थ है 'सूत्र जाति'। ऋग्वेद में आर्यों एवं दासों या दस्यु लोगों की अतिवृत्तों के विषय में बहुत-सी सामग्रियाँ मिलती हैं। इस विषय में बाघों को हटाने एवं आर्यों की सहायता करने पर इन एवं अन्य देवताओं की स्तुति गायी गयी है (ऋ १।५१।८ १।११३।३ १।११७।२१ २।१११।२४ १।८१९।३ १।२९।९ ५।७।३ ७।५।९ ९।८८।४ ९।१८।१९ ९।२५।२)। दस्यु एवं दास दोनों एक ही हैं (ऋ १।१२२।८)। दस्यु शब्द 'अव्रत' (देवताओं के नियम-व्यवहारों को न माननेवाले) 'अकृतु' (यज्ञ न करनेवाले) 'भृशबाध' (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो) एवं अपनास (भूमी या जपटी नाकवाले) वगैरे अर्थों में है। दासों एवं दस्युओं को कमी-कमी अमुर की उपाधि भी दी गयी है।

उपर्युक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में यज्ञ के दो परस्परविरुद्धी दल के धर्म एवं दस्यु (दास) जो एक दूसरे से धर्म एवं पूजा-पाठ बोली एवं स्वरूप में विभिन्न थे। अतः अति प्राचीन काल में धर्म शब्द केवल दास एवं आर्य से ही सम्बन्धित था। यद्यपि ब्राह्मण एवं अथर्व वेद ऋग्वेद में बहुधा प्रयुक्त हुए हैं किन्तु धर्म शब्द का उनमें कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ तक कि पुराणयुक्त (ऋ १।१९) में भी जहाँ ब्राह्मण यज्ञ एवं वैश्व एवं गृह का उल्लेख हुआ है वहाँ धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में पुराणयुक्त को छोड़कर जहाँ भी वैश्व एवं गृह यज्ञ नहीं जाये हैं यद्यपि अथर्ववेद में कई बार एवं तैत्तिरीय संहिता में बहुत बार आये हैं; बहुत लोगों का कहना है कि पुराणयुक्त ऋग्वेद में कालान्तर में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द कई बार आया है, किन्तु यह किसी जाति के धर्म में नहीं प्रयुक्त हुआ है। एतदर्थ ब्राह्मण में बताया है कि नाम ब्राह्मणों का भोजन है किन्तु एक क्षत्रिय को स्वयंभो वृत्त के तनुभ्रा अनुम्बर, अस्त्राल एवं पलाश के कर्मा को बटकर उनसे रस को पीना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है कि तब तब ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का स्पष्ट दल ही था किन्तु ये दल आनुवंशिक ब कि नहीं और उनमें भोजन तथा विवाह-सम्बन्धी व्यवस्था उत्पन्न हो गया था या नहीं इस विषय में निश्चय रूप से कुछ कहना कठिन ही है। धर्मशूत्रों के काल में भी भोजन एवं विवाह में सम्बन्धित नियमन उत्पन्न नष्ट नहीं य अतिवृत्त कि मध्ययुग एवं आधुनिक काल में

१ जो दाल धर्मपर गुहा वः। ऋ (१।१२।४)। कनी धर्माधुनिक-बुधोय। ऋ (१।१७९।६)। यहि का अर्थ है 'अमूर्ति (इष्ट) में दाल एवं को गुहा (अवधार) में रत्ना' और इतरे का अर्थ है 'कोपी अति (अपत्य) में दो धर्मों की सामना की।

२ ब्राह्मणयज्ञ गृहयज्ञ धर्मकर्तृ व्यावर्जते। ईष्यो वं धर्मो ब्राह्मण अमुर्व द्य। तं वा १।१२।६।

देवने को मिलना है। किन्तु उक्त विना क्रम से ब्राह्मण होना स्पष्ट हो गया था। 'ऋषेः' म 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ है 'प्रार्थना' या 'स्तुति'। अथर्ववेद (२।१५।४) म 'ब्रह्म' शब्द ब्राह्मण बर्ष के अर्थ में आया है। 'ब्रह्म' शब्द का अर्थ प्राणियों के लिए प्रयुक्त हो जाना स्वाभाविक ही है क्योंकि ब्राह्मण ही स्तुतियाँ एवं प्रार्थनाओं (ब्रह्म) के प्रणय होत थे। 'ऋषेः' म 'ब्रह्म' एक शब्द 'स्तुति' एवं 'दक्षिण' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कहीं-कहीं म शब्द क्रम म ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त हो गया है। यथा 'ब्रह्म' व 'ब्राह्मण' शब्द राजस्यः। (१) ब्राह्मण १।९।१४)। 'राजस्य' शब्द ब्रह्म पुण्ययुक्त में ही आया है। अथर्ववेद म यह क्षत्रिय के अर्थ म प्रयुक्त है (५।१७।१९)। क्षत्रिय वैदिक काल म क्रम में ही क्षत्रिय के ही नहीं इमका स्पष्ट उल्लेख देना सम्भव नहीं है। ऋग्वेद की एक कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि सम्भवतः ऋषिणीय नाम म क्षत्रियाँ एवं ब्राह्मणों म कर्म-सम्बन्धी बाँट कर लिये गयी थी। देवाधि एक दाम्पत्य काला ऋषिपत्न्य के पुत्र थे। दाम्पत्य छोटा भाई था किन्तु राजा बही हुआ क्योंकि देवाधि ने राजा होने म अनिच्छा प्रकट की। दाम्पत्य क पाशावरण के कारणकाल अकाल पदा और देवाधि ने यज्ञ करने कर्षा करायी। देवाधि दाम्पत्य का पुराहित था। इम कथा में यह स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति के दो पुत्रों में एक ध्यातव्यता का दूसरा ब्रह्मर्षिता का पालन कर सतता या अर्थात् का मान्यता में एक राजा हो सतता या और दूसरा पुरोहित। ऋग्वेद (९।११।१२।१३) म एक कवि कहता है—'मि स्तुतिकर्ता हूँ मेर विना वैद्य हूँ और मेरी याँ अक्षिया म आटा पीसनी है। इम लोग विविध क्रियाओं द्वारा यनायाजन करना चाहते हैं। एव स्थान पर (ऋ १।४४।५) कवि कहता है—'आ सोम पात करनबाउ इत्य कथा तुम मुने लोग का रक्षा बनाओगे या राजा? क्या तुम मुझ काम पीकर मस्त रहनेबाँरा ऋषि बनाओगे या अल्प धन सोय? स्पष्ट है एक ही व्यक्ति ऋषि मरपुरय या राजा हो सतता था।

यद्यपि 'वैश्य' शब्द ऋग्वेद के केवल पुण्ययुक्त म ही आया है किन्तु 'विश्व' शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। 'विश्व' का अर्थ है 'जल-धर्म'। कई स्थानों पर 'मानुषीविश्व' या 'मानुषीविश्व विश्व' या 'मानुषीविश्व विश्व' प्रयोग आया है। ऋग्वेद (३।३।१०) में आया है 'अत्र निर्वाणामग्नि मानुषीविश्व विश्वानामुत्पूर्वयावा अर्वात् आ इन्द्र तुम मानुषीय सुधा एवं ईवी सुधा का मेला हो। ऋग्वेद (८।१६३।३) म शब्द 'यन्मात्रकत्रस्यया विरोध' पीला अमृतान् म 'विश्व' मर्त्या अर्थ जानि का सातक है। ऋग्वेद क ५।१३०।१३१ में शब्द की उदाहरण है 'पाञ्चत्रय' (पाँच जनों का प्रति अनुक्रम) तथा ऋग्वेद के १६६।१० म अग्नि की उदाहरण है 'पाञ्चत्रय पुराहित'। कहीं-कहीं 'जल एवं विश्व' शब्दों में विरोध भी है यथा म इन्द्रनेत्र म विश्व म क्रमता म पुत्रीर्वात्र मग्ने पत्नी कृमि (ऋ २।१६३।१३)। किन्तु 'विश्व' पाञ्चत्रय भी कहा गया है इममें स्पष्ट है कि 'जल' एवं 'विश्व' में कोई भेद नहीं है। 'पाञ्च जना का उल्लेख ऋग्वेद' में कई बार हुआ है (ऋ १।१३।१। ३।५।३ ६।१११।४ ८।१३०।१३१ १।१५।१३३ १।१६५।५)। स्त्री प्रयोग 'वृष्टि' 'अग्नि' 'वर्षा' 'मामर' शब्द 'पाञ्च जना' के साथ प्रयुक्त हुए हैं उदाहरणार्थ पाञ्चत्रयान् वृष्टिन्

३ एवं भी अग्ने अग्निर्वात्रय पाञ्च जल वर्षा (औ अग्नि अरवी लो में हमारी स्तुति एवं पाञ्च को बढ़ाओ)। ऋ १।१४।१।५ विश्वानिजय रक्षति ब्रह्मर भगवत् (पृष्ठ विश्वानिजय का ब्रह्म अर्वात् स्तुति या आप्यायिष्य रक्षि भारत जनों की रक्षा कर)।

४ देवियाँ पाञ्च का निरक्षण (३।११)। इमके अन्वयत दाम्पत्य एक देवाधि की रक्षा काई थे।

५ 'वायव्य' लको विश्वपरदक्षिणी तथा। माताविजो अमृतयो अम या इव क्षत्रियः। यदा 'वाय' का अर्थ है स्तुति अर्थात् अर्पणों में ऋग्वेद (३।१३।११) में विश्वानिजय को वाय कहा है; आ तो वायो रक्षकता कर्षाणि। 'वायव्य' के लिए देवियाँ निरक्षण ६।१६।

(श्रु. १।५२।१६)। अतः 'विद्यु' शब्द ऋग्वेद की सभी स्तुतियों में 'वैद्य' का बोधक नहीं प्रत्युत 'जन' वा 'वर्ग जन' का बोधक है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।२६) के अनुसार 'विद्य' का अर्थ है 'राजिन्धी' (विद्य)।

मुनि-वर्गों के उपरान्त वे ग्रन्थों में 'दास' का अर्थ है 'पुत्रात्' (क्रीत मूल्य)। ऋग्वेद में जिन दास-बातियों का उल्लेख हुआ है वे आर्यों की बिरौतियों की वे कालान्तर में हूरा दी गयी और अन्त में आर्यों की सेवा करने लगीं। मनुस्मृति के मत में ब्राह्मण उदरति भगवान् ने ब्राह्मणों के दाम्य के लिए की।^१ ब्राह्मण-वर्णों में धूरो को बड़ी स्वातंत्र्य है जो स्तुतियों में है। इससे स्पष्ट है कि आर्यों द्वारा विहित दास या दस्यु क्रमसे धूरो में परिवर्त हो गये। आर्य में वे बैरी थे किन्तु धीरे-धीरे उनसे मित्र भाव स्थापित हो गया। ऋग्वेद में भी इस मित्र-भाव की झलक मिल जाती है यथा दास बन्धु एव तन्म स संगीतञ्ज ने एक ही पाप या अन्य दान लिये (८।४६।३२)। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१।१९।१२) के मत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण के परम पुरुष के मुक्त बाहुओं वालों एव पैरो से उत्पन्न हुए। इस कथन के आगे ही सूर्य एव चन्द्र परम पुरुष की जोड़ एव मत से उत्पन्न नष्ट गये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुषसूक्त के कवि की दृष्टि में समाज का चार भागों में विभाजन बहुत प्राचीन काल में हुआ था और यह उतना ही स्वाभाविक एव ईश्वरसम्मत था जितनी कि सूर्य एव चन्द्र की उत्पत्ति।

ऋग्वेद में आर्य भाग वाले धर्म वाले लोगों से पूरक नष्टे गये हैं। धर्मसूत्रों में धूरा को काले वर्ण का ब्रह्मण्य कहा है (आपस्तम्बधर्म १।१।२७।११ की धर्मसूत्र २।१।५)। जैसे पशुका में बोझ होता है वैसे मनुष्यों में ब्रह्मण्य है अतः ब्रह्मण्य का बोधक नहीं है (तैत्तिरीय संहिता—धूरो मनु-भानामस्य पशुना तन्मात्मी भूजकामिपापस्वरथ ब्रह्मण्य तन्मात्पूत्रा यज्ञजनककण्ठ—७।१।११६)। इससे स्पष्ट है वैदिक काल में ब्रह्मण्य का बोधक नहीं कर सकते थे वे केवल पापही ही होते थे। ब्रह्मण्य एक कर्मका विरता समझा है उसके समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए^२ ऐसा धर्मिबाधक है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता में आया है—'हमारे ब्राह्मणों में प्रकाश मरते हमारे मुखों (राजाओं) में प्रकाश मरते वैदिक एव धूरा में प्रकाश भर और अपने प्रकाश से मुझे भी प्रकाश मरते। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मण्य कोय का प्रथमतः दास जाति के थे उस समय तक समाज के एक अंग हो गये थे और परमात्मा से प्रकाश पाने में तीव्र उन्मत्त जातियाँ के समकक्ष ही थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि "उत्तरे ब्राह्मणों को गायत्री के साथ उत्पन्न किया आर्य का त्रिष्टुप् के साथ और वैश्य को जगती के साथ किन्तु धूरा को किसी भी छन्द के साथ नहीं उत्पन्न किया (ऐतरेय ब्राह्मण ५।१२)। ताण्ड्यमहाब्राह्मण (६।१।१११) में आया है—अतः एक ब्रह्मण्य भले ही उत्तरे पास बहुत-से पद ही पत्र कर्म के साथ गरी है वह वेद-हीन है जगते लिए (अथ्य तील वर्णों के समान) किसी वैश्या की रचना नहीं की गयी क्योंकि उसकी उत्पत्ति पैरा से हुई (यहाँ पुरुषसूक्त की आश सतत है यथा पद्व्या धूरो अजानन)। इससे यह कहा जा सकता है कि पशुका में बनी ब्रह्मण्य की डिजा की पद-धूरा किया करता था। धानपत्रब्राह्मण ब्रह्मण्य है, धूरा अथवा है ब्रह्मण्य है 'एक वैशिल्य व्यक्ति को धूरा में नहीं मापक करना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है—(धूरा) अथ्यस्य प्रथ्य कामापाय्य यथाकामकथ्य (३।५।३) अर्थात् धूरा धूमरो से अनुशासित होता है वह निर्मा की आजा पर उठता है उस कर्मों भी पीरा जा सकता है। इन सब उद्धरणों में स्पष्ट है कि यद्यपि धूरा लोग

६ धाड मु वारयेद् दाम्य क्रीतकधीतमेव वा। दाम्यायैव हि मुष्टीऽभो ब्राह्मणस्य स्वयंमुखा ॥ मनु ८।४६।३१।

७ दध मो पति ब्राह्मणेऽपि दध दाम्यु मरदृषि। दध विदयेऽपि धूरेऽपि मवि धेहि दधा दधम् ॥ तै. त. ५।७।६।३-४।

८. तरभाकपूत्र उत ब्रह्मण्युपधिमिदो विदेको नहि त काचन वैशताम्बमुयत तरभात्याराकनेत्य मातिवर्धते ततो हि मूयः। ताण्ड्य ६।१।१११।

आर्य-समाज के अन्तर्गत आये थे किन्तु उनका स्थान बहुत नीचा था। उनमें और आर्यों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच दी गयी थी। यह बात ब्राह्मण ग्रन्थाएँ एवं बर्षसूत्रों के बचनों से सिद्ध हो जाती है। गौतमधर्मसूत्र (१२।३) में उस सूत्र के लिए, जो आर्य शारी के साथ सम्मोग करता है कष्ट पण्ड की व्यवस्था है। अपने पूर्वमीमांसापूत्र (१।१। २५ ३८) में धर्मिणि बहुत विवेचन के उपरान्त सिद्ध करते हैं कि अग्निहोत्र एवं वैश्विक यज्ञ के लिए शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है। आश्वर्य एवं सन्तोष की बात यह है कि नम-न-नम एवं आचार्य बादरि ने शूद्रों को अधिकारों के लिए मत प्रकाशित किया कि वे भी वैश्विक यज्ञों के योग्य हैं (१।१।२०)। वेदान्तमूल (१।३।३४ ३८) में आया है कि शूद्रों को ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि कुछ शूद्र पूर्वजन्मों के कारण यथा विदुर, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्मृति-साहित्य में कुछ स्थानों पर आर्यों एवं शूद्र नागिया के विवाह के सम्बन्ध में छूट दी गयी है (इस बात पर आगे किसी अध्याय में चर्चा होगी)। शूद्रों के विषय में हम आगे भी कुछ विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में अतिरिक्त अन्य संहिताओं के बर्षन से स्पष्ट है कि ब्राह्मणों क्षत्रियों एवं वैश्यों के बर्षसूत्रों में विभाजन-रेखाएँ स्पष्ट हो गयी थी। ऋग्वेद (४।५। ८) में उल्लेख है कि वह राजा जो ब्राह्मणों को सर्व प्रथम आदर देता है अपने घर में सुख से रहता है। 'ब्राह्मण एते देवता ईं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं (तै स १।७।११)। "देवताओं के दो प्रकार हैं देवता तो देवता हैं ही और ब्राह्मण भी जो पवित्र ज्ञान का अर्जन करते हैं और जैसे पडाते हैं मानव देवता हैं" (सत ब्रा)। अथर्ववेद (५।१७।१९) में ब्राह्मणों की महत्ता पानी पयी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।३४) में आया है कि जब नरक से कहा गया कि राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण-पुत्र की बलि भी जायगी तो उन्होंने कहा 'हाँ ब्राह्मण तो क्षत्रिय से उत्तम समझा ही जाता है'। किन्तु पतञ्जल ब्राह्मण (५।१।१।१२) में आया है—'न वै ब्राह्मणा राज्यायाम्' अर्थात् ब्राह्मण राज्य के योग्य नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद् में आया है कि अश्वमेध के समय ब्राह्मण एवं राजस्य दोनों भीया ब्रह्मर्षि (जो ब्राह्मण नहीं) क्योंकि इन जो ब्राह्मण ने यहाँ आनन्द नहीं मिलता। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों के चार विधायक युग्म हैं—ब्राह्मण्य (ब्राह्मण रूप में पवित्र माना-पिता वाला गुण अर्थात् ब्राह्मण रूप में पवित्र पैनुजता) प्रतिरूपचर्या (पवित्राचरण) यद्य (महत्ता) एक श्लोकपठित (लोचों की पढ़ाना या पूर्ण बनाना)। जब छोड़ ब्राह्मण से पढ़ते हैं या उसके द्वारा पूर्ण होते हैं तो वे उन्हें चार विशेषाधिकार देते हैं अर्थात् (आदर) दान अग्येयता (कोई कष्ट नहीं देता) एवं अश्वमेध। शतपथ ब्राह्मण (५।७।१।९) में स्पष्ट रूप से आया है कि ब्राह्मण राजस्य वैश्य एवं शूद्र चार वर्ण हैं। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

अब हम संक्षेप में क्षत्रियों की स्थिति के विषय में भी जानाकारी कर लें। ऋग्वेद में कई स्थानों पर, यथा १।४२।१ एवं १।९७।६ में 'राजन्' का अर्थ है 'बना' या 'महान्' या 'प्रमुख'। वहीं-वहीं 'राजन्' का अर्थ है 'राज'। ऋग्वेद के बाह्य में राज्य वर्ण-सम्बन्धी वा यथा यदु लोच तुर्वन् लोच ब्रुवा लोच अनु लोच पुत्र लोच भ्रातृ लोच पत्न्यु लोच। क्षत्रिय ही राजा होता था। जब राजा को मुकुट पहना दिया जाता था (राज्याभिषेक होता था) तो यही बमला जाता था कि एक क्षत्रिय राजा क्षत्रिय ब्राह्मणों एवं वर्णों की रक्षा करनेवाला उत्पन्न किया गया है।

१. प्रजा वर्धमाना चतुरो वर्मान् ब्राह्मणमग्निव्यासयति ब्राह्मण्यं प्रतिरूपचर्यां यतो लोचर्षितन् लोच-। पथ्यमानाचतुर्निर्बर्ध्वाद्यन् मुनक्त्यर्षया च दानेन आग्येयतया चाश्वमेधतया च। शतपथ ११।५। १७।१।

१. क्षत्रियोऽग्नि विश्वस्य श्रुतस्याभितरिर्जनि विश्वानताजनि- ब्रह्मणो पोस्ताजनि वर्मस्य गीस्ताजनि।

ऐतरेय ब्राह्मण ३८ एवं ३९।३।

क्षत्रिय को कोई कार्य आरम्भ करने के पूर्व ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, ब्राह्मणों एक क्षत्रियों के सहयोग से यह सिद्धता है यदि यहाँ मृत्ति-ग्रन्थों से स्पष्ट हो जाती है (सूत या ४।१।४।६)। जमघ राजा के पुरोहित का स्वाम बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया। एक ब्राह्मण बिना राजा के रह सकता है किन्तु एक राजा बिना पुरोहित के नहीं रह सकता यहाँ तक कि देवताओं को भी पुरोहित की आवश्यकता होती है (तैत्तिरीय संहिता २।५।१।१)। स्वयं का पुत्र विस्वरूप देवताओं के पुरोहित थे (तै घ २।५।१।१)। अथर्वण अमरं असुरों के पुरोहित थे (काठक स ४।४)। एक राज्याजिते पुरोहित प्राप्त है, अन्य राज्यों से उत्तम है। एक राजा जो ब्राह्मणों के लिए क्षत्रियता नहीं है अर्थात् उनके सम्मुख विनम्र है अपने शत्रुओं से अधिक क्षत्रियताही होता है (यो वै राजा ब्राह्मणादवधीयानमिन्मेव्मा वै च बलीयान् मन्वति (सूतपत्र ब्राह्मण ५।४।४।१५)। किन्तु सूतपत्र ब्राह्मण में ही नहीं-कहीं क्षत्रियों को सबसे उत्तम कहा गया है। अथर्ववेद में ब्राह्मण सर्वोत्कृष्ट कहा गया है (५।१।८।४ एव १३ तथा ५।१९।३ एव ८)।

किन्तु कभी-कभी कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों का अनादर भी किया है। महाभारत एव पुराणों की गाथाएँ कुछ राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के प्रति अनादर भी प्रकट करती हैं। राजा कार्तवीर्य एक विरामाग्नि की गाथाएँ, जिन्होंने अथर्वण एव बसिष्ठ की मीर्यें छीन ली थी यह बताती हैं कि बहुत-से राजा अत्याचारी थे और उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति कोई आदर नहीं प्रकट किया (महाभारत—आन्तिपर्व ४९, आदिपर्व १७५)। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की पत्नियों भी राजाओं के हाथ में अरक्षित थी (अथर्वण ५।१७।१४)।

तैत्तिरीय संहिता में माया है—पशुओं की कामना करनेवाले वैश्य सचमुच यज्ञ करते हैं। जब देवता लोग परचिंत हो गये तो वे वैश्य की दशा का प्राप्त हो गये या असुरों के विरुद्ध बत गये।" मनुष्यों में वैश्य पशुओं में गार्धे अन्य स्त्रियों में उपभोग की वस्तुएँ हैं वे मोक्ष के आसार से उत्पन्न किये गये हैं अतः वे सस्या में अधिक हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि वैश्य ऋक-ग्रन्थों से उत्पन्न हुए हैं। इसके अनुसार क्षत्रियों का उत्पन्न वज्रुर्वेद से एव ब्राह्मणों का उत्पन्न सामवेद से हुआ है। इसी ब्राह्मण में यह भी लिखा है कि विष्णु ब्राह्मणों एक क्षत्रियों से पृथक् रहते हैं। शाण्ड्य ब्राह्मण में यह आया है कि वैश्य ब्राह्मणों एव क्षत्रियों से मिन्न भोगी के हैं (शाण्ड्यमहाब्राह्मण ६।१।१)। एतरेय ब्राह्मण (३।५।३) में अनुसार वैश्य अन्य भोगों का मोक्षन है और कर देनेवाला है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि वैश्य यज्ञ कर सकते थे पशु पालन करते थे बीना औषधी प्राणियों की अपेक्षा सस्या में अधिक थे उन्हें कर देना पड़ता था वे ब्राह्मणों एव क्षत्रियों से दूर रहते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे।

वर्ग-व्यवस्था ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रणयन के समय में इतनी सुदृढ़ हो गयी थी कि देवताओं में भी प्राति-विभाजन हो गया था। अग्नि एव वृक्षस्यति देवताओं में ब्राह्मण थे इन्द्र वरुण मम क्षत्रिय थे वसु, सूर विश्वे देव एव मरुत् विष्णु थे तथा पूषा शूद्र था। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण वसन्त ऋतु हैं क्षत्रिय शीघ्र ऋतु एव विष्णु वर्षा ऋतु है।

११ वसुनामः अथ वैश्यो यज्ञते। तै स २।५।१।१२; तै देवतः वराजिग्यता असुरार्था वैश्यमुपाह्व। तै स २।३।७।१।

१२ वैश्यो अनुप्यानां पात्रं पशूना तस्मात् अद्या अत्रचानावप्यनुप्यत तस्माद् भूयांसोऽप्येभ्यः। तै तै ७।१।१।१५।

१३ ऋग्यो बतन वैश्य वर्धनस्तु। वज्रुर्वेद क्षत्रियस्तानुर्वीजिन्। तामवेदो ब्राह्मणानां प्रमुक्ति। तै वा ३।१२।१५; तस्माद् ब्रह्मणश्च सत्राण्य विरोत्यनोऽथवयिषी। तै वा १।६।१५।

चार बर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय एवं शिल्प से सम्बन्धित बर्ण वे जो कालांतर में जाति-सूचक हो गये यथा बप्ता अपर्ति मारि (ऋ १ ११४२४) छप्टा अर्वात् बर्द्ध या रबनिमति (ऋ० ११६१४ ७) ३२२ १११२११ १ १११११५) स्वप्टा या बर्द्ध (ऽ १ २१८) मिपक अर्वात् बंध (११११२११ एव ३) कर्मार या कर्मार अपर्ति सोहार (१ ७२२२ एव ११११२२) चर्मन अर्वात् चर्मशोधनकार या चमार (ऋ ८१५२८) । अर्बर्बेद मे रबकार (११५१६) कर्मार (११५१६) एव सूत (११५१७) का उल्लेख हुआ है । तैत्तिरीय संहिता (४५१ ४२) मे कला (बैरव कुशले बाबा या हारणास) सघृहीता (कोपाध्यस) तथा (बर्द्ध, रबकार) कुशल (कुम्हार) कर्मार, पुम्बिबट (व्याज) निवार इयुक्त (बाधनिर्माता) बन्वहत् (धनुनिर्माता) मुममु (सिंकारी) एव इनि (सिंकारी कुत्ता को ले जानेवाले) के नाम आये हैं । ये नाम बाजसनेयी संहिता (१६१२६ २८ ३ १५ १३) तथा काठक संहिता (१७११४) मे आये हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३४११) मे आयोगू मागव (माट) सूत धूम्य (अग्नि नेता) रेम मीमक रबकार, तथा कौलाक कर्मार, मबिकार, बप (नाई, रोपनेवाला) इयुकार, धन्वकार, व्याकार (प्रत्यवा-निर्माता) रज्जुसर्व मुममु, इनि मुपकार, अयस्ताप (कोहा या ताँबा ठपानेवाला) कितव (जुआरी), विरसकार, कष्टकार के नामों का उल्लेख हुआ है । ये नाम संहिताओं एव ब्राह्मणों के प्रथम-काल मे सम्भवत जातिसूचक भी हैं । यद्यपि ये व्यवसाय एवं शिल्प के सूचक हैं किन्तु इनसे सम्बन्धित जातियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था । साम्प्रत्य ब्राह्मण मे किरातों का भी उल्लेख है । ये अर्थात् एक जातिवादी थे । पीम्कथ एव भाष्यास का उल्लेख बाजसनेयी संहिता (१ ११७) एव तैत्तिरीय ब्राह्मण (३४११४ एव ३४११७) मे हुआ है । आन्धोप्योपनिषद् मे चाप्याक निम्न श्रेणी मे रखा गया है (५२३४) ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण (१११४) मे उल्लेख है कि ब्राह्मण अग्नि एव वैश्व कर्म से बन्त ऋतु, प्रीत्य ऋतु एव शरद ऋतु मे यज्ञ करें, किन्तु रबकार बर्णों ऋतु मे ही यज्ञ करे । तो क्या रबकार हीन उच्च जातियों से भिन्न है ? वैमिनि ने अपने पूर्वमीमांसामुत्र (६११४४-५) मे रबकार को हीन जातियों से भिन्न माना है और उसे हीनव्यत जाति का कहा है । स्पष्ट है, रबकार भूज तो नहीं था किन्तु हीन उच्च जातियों से निम्न श्रेणी का व्यवसाय था । आज के बर्द्ध कहीं-कहीं उपजयम संस्कार कराने हैं और जनेऊ भी भारत करते हैं । निपादों के विषय मे स्वयं भीन एव मूल-ग्रन्थों मे मतभेद है । पूर्वमीमांसामुत्र मे आया है कि निपाद रज के क्लिय जैसा कि वेद मे आया है 'इष्टि' इ संज्ञता है । ऐतरेय ब्राह्मण मे निपादों को दुष्कर्मी कहा है (३७१७) । घाह्व यन ब्राह्मण मे एसा उल्लिखित है कि बिद्वन्विन् । यज्ञ करीबाना व्यक्ति निपादा की बस्ती मे रहकर उन्नत निम्नतम श्रेणी के भोजन को ग्रहण कर सकता है (२५११५) । सत्यापादक बस्य (३११) मे रबकार एव निपाद दोनों अग्निहोत्र एव र्ध-पूर्वभास नामक इत्या मे भोग्य मान गये हैं । ऐतरेय ब्राह्मण (३३१६) मे उल्लेख है कि जब बिद्वन्विन् मे अपने ५ पुत्रों को आज्ञा दी कि वे श्वरदेय को भी अपना माई माग और जब उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होंने उन सभी को अग्नि पुत्रु पाकर, पुत्तिष्ठ, मृतिष्ठ हो जाने का शाप दिया । वे जातियाँ बस्य भी । सम्भवत इसी विषयकी व आधार पर मनुस्मृति (१ १४३-४५) ने पीप्लुको ओङ्गे इविङो नाम्नीओ यनो सक्त, पारदों पङ्कषा भीनो किरातों दररा एव

१४ सातनुव्याजहारात्सात्कः प्रजा भतीष्येति । त एतेऽग्रतः पुत्रुणां यवरा पुत्तिष्ठा मृतिष्ठा इत्युदयया बह्यो यवमिमा इत्युता भूयिष्ठाः । ऐतरेय ब्राह्मण (३३१६) ।

१५ शानकेरु किम्यलोपादिमा अग्निपदततः । कुवत्तर्ध पता लोके ब्राह्मणारचनेन च ॥ पीप्लुकारचीपुत्र विना कम्भीडा यवनः सक्तः । पारवाः पङ्कषाभीना किराता यवराः सताः ॥ मुपबदूरपरजाता या लोके जालो बहिः । नैऋत्याचार्यार्थवाच सर्वे ते बस्यः स्मृतः ॥ मनु १ १४३-४५ ।

सचो को मूकत शत्रिय माना है और कहा है कि वे कालान्तर में वैदिक सरकारों के न करने से एव ब्राह्मणों के सम्मन्ध से हुए रहने पर शूद्रों की श्रेणी में जा गये। मनु ने यह भी कहा है कि चारों वर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियों हुए हैं, चाहे वे आर्यों या म्लेच्छों की भावा बोलती हों।

पुरुषसूक्त में ब्राह्मण राजस्य वैश्य एव शूद्र की जो वर्णा है तथा शतपथ ब्राह्मण में जिन चार वर्णों का उल्लेख है, वह केवल सिद्धान्त मान नहीं है, प्रत्युत वह एक व्यावहारिक परिधर्मा का उल्लेख है। स्मृतियों में इन चारों वर्णों को स्पष्ट-कथन मानकर उन्हें सामन्त एव निश्चित कहकर उनके विशेषाधिकारों एव कर्तव्यों की वर्णा कर जाती है। उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त हम निम्न सम्भावित स्थापनाएँ उपस्थित कर सकते हैं—

(१) आरम्भ में केवल दो वर्ण थे—(१) आर्य एव उनके वैरी (२) वसु या दास। यह अन्तर्मर्ग केवल एव एव सस्कृति को लेकर वा अर्थात् सम्पूर्ण समाज का दो भागों में विभाजन केवल वर्णों एव सांस्कृतिक था।
(२) संहिता-काल से शताब्दियों पूर्व वसु पराजित हो चुके थे और वे आर्यों के अधीन निम्न श्रेणी के मान किये गये थे।

(३) पराजित वसु ही कालान्तर में शूद्र उद्भूत गये।

(४) वसुओं के प्रति पुनरुत्थन की भावना एव उच्छ्रया के अहंकार के फलस्वरूप आर्यों में क्रमशः अपने शीघ्र ही विभाजन की रचनाएँ लीच की अर्थात् कुछ आर्य जातियाँ भी वसुओं की श्रेणी में जाती चली गयी।

(५) ब्राह्मण-साहित्य के काल तक ब्राह्मण (अध्ययनाभ्यास एव पीरोहित्-कार्य में समन्ध) शत्रिय (राजा सैनिक आदि) एव वैश्य (धित्कार एव सामान्य जन) विभिन्न वर्णों में बँट गये थे और उनही जाति वा निर्धारण जन्म से मान सिमा गया वा इतना ही नहीं ब्राह्मण शत्रिय से उच्छ्र मान किये गये थे।^{११}

(६) वैदिक काल के बहुत पूर्व आषडास एव पीण्डस निम्न जाति में उल्लिखित हो चुके थे।

(७) सम्यता एव सस्कृति में उच्छ्रान के फलस्वरूप कार्य-विभाजन की उत्पत्ति हुई और शतपथ काली एव शिलाशारो के उद्भव के कारण व्यवसायों पर आधारित बहुत-सी उपजातियाँ भी सृष्टि होती चली गयी।

(८) चार वर्णों के अतिरिक्त एवचार ने समान कुछ अन्य मध्यवर्ती जातियाँ भी बन गयी।

(९) कुछ अन्य जनार्थ जातियाँ भी थी जिनसे शत्रिय में यह चारणा बन गयी थी कि वे मूकत शत्रिय भी किन्तु अब पराजित हो चुकी थी।

वैदिक काल व अन्त होने से पूर्व निम्नलिखित जातियाँ वा उद्भव हो चुका था। ये जातियाँ विभिन्न व्यवसायों एव गिला में सम्मिश्रण थी। राज्यमयी शहिला सैत्तरीय संहिता सैत्तरीय ब्राह्मण काठक संहिता (१७।११) अथर्ववेद शास्त्र ब्राह्मण (१।४) एतएव ब्राह्मण छात्रोप्य एव बृहदारण्यकोपनिषद् के आधार पर ही निम्न सूची उपरिधर्ण की जा रही है। कुछ एव के नाम पहन भी उल्लिखित कर दिय गये हैं और कुछ एव का अर्थ अभी नहीं जान हो सता है और उनके आन प्ररतकाचन चिह्न लगा दिया गया है।

अजागल (बहरी पामनेगला)	अर्मज	नीमल (जायर?)
अध	आधाल	
अवमना	अमज (?)	मभिकार

१६. चार वर्णों का यह तिद्धान्त बौद्ध साहित्य में भी जाया जाता है। किन्तु वहाँ सूची में शत्रिय शोष ब्राह्मण से पहले रने गये हैं।

है, किन्तु ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष के चोरिकाविवाह (प्रच्छन्न सम्मिलन) से उत्पन्न पुत्र 'रथकार' कहलाता है। स्पष्ट है अनुलोम के अतिरिक्त प्रतिलोम विवाह भी विहित हो सकता था। उसका क अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय पुरुष का विधिवत् वरण कर सकती थी और स्यायानुकूल बानो के विवाह हो सकते थे। विधिवत् विवाह से उत्पन्न पुत्र एवं वारध पुत्र के अन्तर को सूतसंहिता (शिवमाहात्म्य अष्ट अध्याय १२।१२ ४८) ने स्पष्ट समासाया है। मिताक्षरा (भाष्य १।९) ने कुम्भ गोकक (मनु ३।१७४) नानीन सङ्घोष्ठ नामक वारध सन्तानों को सर्वर्ष अनुलोम एवं प्रतिलोम से पुत्रक माना है और उन्हें शूद्र कहा है किन्तु संज्ञक को एक पुत्रक अभी में रखा है (क्योंकि नियोग-प्रथा स्मृतियां एवं शिष्टाचारों द्वारा विहित मानी यमी है) और उस माता की जाति में गिना है। अपराध (याज्ञ १।२) में नानीन एवं सङ्घोष्ठ को भी ब्राह्मण (यदि जनक को ब्राह्मण सिद्ध किया जा सके तो) माना है किन्तु विरवन्प (याज्ञ २।१३२) में नानीन एवं शूद्रक को माता की जाति का माना है क्योंकि जनक का पता लगाना कठिन है। यही बात सङ्घोष्ठ के विषय में भी लागू है। इस प्रकार के तीन पुत्रों का उल्लेख हम आगे के बायभाम नामक प्रकरण में करेंगे।

वहाँ हम बहुत ही संक्षेप में 'बर्ष' एवं 'जाति' शब्द के अन्तर को समझेंगे। दोनों शब्दों का प्रयोग बहुधा समान बर्ष में होता रहा है। कभी-कभी दोनों के अर्थों में अन्तर भी पाया जाता रहा है। बर्ष की धारणा बरा सख्ति चरित (स्वभाव) एवं व्यवसाय पर मूल्य आधारित है। इसमें व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का समावेश होता है और वह स्वामाजिक बर्षों की व्यवस्था का धोतक है। स्मृतियों में भी बर्षों का वाचक है कर्तव्य पर, समाज या बर्ष के उच्च मानक पर बल देना। म कि जन्म से प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर बल देना। किन्तु इनके विपरीत जाति-व्यवस्था बन्धन एवं दानुबन्धिता पर बल देती है और बिना कर्तव्यों के अधिकारों पर बल दिये बल विशेषाधिकारों पर ही आधारित है। वैदिक साहित्य में 'जाति' के सामूहिक अर्थ का प्रयोग नहीं हुआ है। निरुक्त में 'जाति' शब्द जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (१२।१३)। पाणिनि ने भी इसके मूल रूप की व्याख्या है (जायन्ताष्ट सूत्रि ५।४।)। मनु (१।२७ ३१) ने 'बर्ष' शब्द को मिथित जातियों के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है और कही-कही (३।१५ ८।१७७ ९।८६ आदि) इसका प्रयोग 'जाति' अर्थ में भी किया है।

अनुलोम विवाहों से उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक स्थिति के विषय में स्मृतिकारों ने मत्ता में एक्य नहीं है। हमें तीन मत प्राप्त होते हैं—(१) यदि एक पुरुष अपने में विभिन्न पाल वाली जाति की स्त्री में विवाह करता है तो उसकी सन्तानों का बर्ष पिता का बर्ष माना जायगा (बी. घ. मू. १।८।६ एवं १।९।३ अनुशासनपर ८८।८ वारध शिष्टिय ३।७)। गौतम (४।१५) ने कहा है कि एक ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की संतान ब्राह्मण हमी किन्तु एसी बात क्षत्रिय एवं वीर्य स्त्री से उत्पन्न सन्तान के साथ तथा वीर्य की शूद्र स्त्री से उत्पन्न सन्तान के साथ नहीं पायी जाती। (२) दूसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तानों की सामाजिक स्थिति पिता से निर्भर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मनु १।१६)। (३) तीसरा मत सामान्य मत है अनुलोमास्तु मानुषवर्णा (किन्तु १६।२) अर्थात् अनुलोम सन्तानों के कर्तव्य एवं अधिकार उसकी माता से समान होने हैं। यही बात वाम एवं अपराध में भी कही है। मेनातिधि (मनु १।१६) ने कहा है कि पाण्डु, पूतराण्ड एवं विदुर धर्मक होने के साथ माता की जाति में थे। प्रतिलोम सन्तानों की जाति अन्तर कहा जा चुका है अपने पिता एवं माता की सामाजिक स्थिति से निम्न स्थिति वाली होती हैं।

जिन प्राचीन धर्मग्रन्थों में बहुत कम धर्मसंज्ञक जातियों का उल्लेख हुआ है। आर्यभट्टधर्मसूत्र में चारणाक वीर्यम एवं वीर्य के नाम आये हैं। गौतम में वीर्य अनुष्ठान जातियां तथा उ प्रतिलोम जातियों के नाम मिलते हैं। वीर्यायन गौतम की सूची में रथकार स्वभाव वीर्य कुम्भक के नाम आये देते हैं। बसिष्ठ ता बहुत कम नाम देते हैं। धर्मसूत्र मनु (१) एवं विष्णुधर्मसूत्र (१६) ने धर्मसंज्ञक जातियों के व्यवसायों की जर्षा की है। मनु में ९ अनुलोम

१ प्रतिशोम एव २ मिथित जातियों के साथ २३ ब्यवसायों की बर्षा की है। याज्ञवल्क्य ने चार बर्षों के बर्षारिख १३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। उद्योग ने ५ जातियों एव उनके विस्मान ब्यवसायों की बर्षा की है। तमी स्मृतियों की ठासिका देखने पर सम्यग ही जातियों के नाम प्रकट हो जाते हैं।

ॐ अनुलोमो मे केवल तीन के नाम मनु ने दिये हैं यथा अम्बष्ठ, निवार उग्र। प्रारम्भिक ॐ प्रतिशोम है—सुत ब्रह्मक पाषाण मागध अस्ता एव आयोवध। उपजातियों का उद्भव चारों बर्षों एव अनुलोम तथा प्रतिशोम के सम्मिलित से एक अनुलोम के पुत्र एव ब्रह्मर की नागी के सम्मिलन से प्रतिशोमो के पारस्परिक सम्मिलन से तथा अनुलोम के पुत्र या नारी एव प्रतिशोम के पुत्र या नागी के सम्मिलन से हुआ। याज्ञवल्क्य (१।१५) ने रचकार को माह्विय पुत्र्य एव करण स्त्री की सन्तान माना है। मनु (१।१५) ने कहा है कि बाबूत एव आमीर सन्तानें धर्म से बाह्य पुत्र्य एव उग्र कन्या एव बाह्य पुत्र्य एव अम्बष्ठ कन्या से उत्पन्न हुई हैं। (अर्थात् बाह्य एव अनुलोम जाति वाली कन्याओं की सन्तानें)। मनु (१।१९) ने स्वपाक को अस्ता पुत्र्य (प्रतिशोम) एव उग्र कन्या (अनुलोम) की सन्तति माना है। विष्वक्य (याज्ञ १।१५) ने ६ अनुलोम २४ मिथित ६ अनुलोमो एव ४ बर्षों से मिथित ६ प्रतिशोम एव २४ मिथित (६ प्रतिशोमो एव ४ बर्षों से मिथित) बर्षान् ६ जातियों तथा अक्षय उपजातियों की ओर संकेत किया है। विष्णुधर्मसूत्र (१६।७) ने अस्य जातियों (सकरसकराश्वाश्वेया) की ओर संकेत करके यह सिद्ध किया है कि बाबू से लगभग २ बर्ष पूर्व भारतीय समाज में अस्य जातियाँ एव उपजातियाँ थी। स्मृतिकारों ने इसी लिए, उनके मूल विकास क क्रिय में जानकारों प्राप्त करने का प्रयास ही छोड़ दिया। निबन्धकारों ने भी अस्य जातियों एव उपजातियों की ओर संकेत किया है। मेघातिथि (मनु १।१३१) ने लिखा है कि ६ मिथित जातियाँ हैं इनसे तथा चार बर्षों के पारस्परिक सम्मिलन से बहुभवी उपजातियाँ बनती जसी जसी हैं। मिताक्षरा ने (याज्ञ १।१५) जातियों की गणना करना ही छोड़ दिया है। माध्यमिक काल के धर्मशास्त्रकारों ने चारों बर्षों के बर्षों की बर्षा करके अन्य जातियों एव उपजातियों की उपेक्षा कर दी है।

जातियों एव उपजातियों के नामों की व्याख्या करना बहुत कठिन है। कहीं वे ब्यवसाय की सूचक हैं तो कहीं देस प्रवेश की। स्मृतियों के काल में जातियाँ विधेय विभिन्न ब्यवसायों की ही परिचायक थी।

'वर्षसकर' या केवल 'सकर' क्या है? मनु १।१२, २४ में 'वर्षसकर' बहुवचन में मिथित जातियों का सूचक है विष्णु स्मृत्य (१।४ एव ५।८९) 'सकर' शब्द 'बर्षों' के 'मिथन' के बर्ष में प्रयुक्त हुआ है। यौग्य (८।१) में भी 'सकर' शब्द का प्रयोग किया है। 'बोनों (बाह्य एव राजस्य) पर (मनुष्यों का) शीघ्र रक्षण बर्ष-निर्माण (वर्षमकरता) गुणों का (एकत्र) होना (अथवा वर्षपालन) निर्भर करता है।" नारद का कहना है कि प्रतिशोम जन्म में वर्षसकर होता है।" विष्णु बृहस्पति ने अनुलोम एव प्रतिशोम दोनों जातियों को वर्षमकर कहा है। श्रीधामधर्मसूत्र के अनुसार जो वर्षसकर हैं वे क्षात्र्य हैं।" मिताक्षरा (याज्ञ १।१९) में अनुलोम एव प्रतिशोम समाजों के लिए 'वर्षसकर' शब्द का प्रयोग किया है। मेघातिथि (मनु ५।८८) के मतानुसार 'सकरजात' शब्द 'आयोवध' की भाँति प्रतिशोमों का द्योतक है। उनका कहना है कि यद्यपि अनुलोमों ने

१७ अनुतिरिक्तजनसंकरो वर्णः। गौतमधर्मसूत्र ८।३।

१८ प्रतिशोम्येव यज्ञस्य स श्रेयो वर्षसकरः। नारद (श्रीभूत १।२); बाह्यजवर्षसूत्रा वर्षसकराणां-
द्वयो द्विजः। प्रतिशोमानुलोमवध से आत्मा (श्रेया?) वर्षसकरः। बृहस्पति (द्वयवत्स्यत)।

१९. वर्षसकरादुत्पन्नाः श्रत्यापानुर्मनीषिणः। श्री य सु १।१।१६।

भी वर्णसंकरता पायी जाती है किन्तु वे अपनी माता की जाति व विशेषाधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं मनु (१ १२५) अनुसोमा के लिए 'संकरणयोनि' राज्य का प्रयोग नहीं करते। यम ने कहा है कि मर्यादा के लोप होने से अर्थात् विवाह-सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। यदि वर्णों का उचित क्रम माना जाय (अनुसोम अर्थात् ऊँचे वर्ण के पुरुष नीचे वर्ण की नारी से विवाह करें) तो सत्तार्थ वर्णत्व प्राप्त करती हैं किन्तु यदि प्रतिष्ठाम क्रम माना जाय तो यह पातक है।^१ मनु (१ १२४) ने कहा है—“जब किसी वर्ण के सदस्य दूसरे वर्ण की नारियों से सम्भोग करते हैं, ऐसी नारियों से विवाह करते हैं जिनसे नहीं करना चाहिए (यथा सगोत्र कन्या से) तथा अपने वर्णों के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तब वर्णसंकर भी उत्पन्न होती है। अनुष्ठासनपत्र (४८।१) में उल्लेख है कि ब्रह्म नाम वर्ण व अग्निश्चय एव वर्णों के अग्रज से वर्णसंकर भी उत्पन्न होती है। भगवद्गीता (१।४१-४३) नामक दार्शनिक ग्रन्थ में भी आया है—“जब नारियाँ धूमिभारिणी हो जाती हैं, वर्णसंकरता उपजती है।”

वर्णसंकरता को रोकने के लिए स्मृतिकारों ने राजाओं को उन्मोहित किया है कि वे उन लोगों को जो वर्णों के लिए बने हुए निश्चित नियमों का उल्लंघन करें, दण्डित करें। यौतम (११।१९-१९) ने लिखा है कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार राजा को वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करनी चाहिए और जब वे (वर्णाश्रम) अपने कर्तव्यों से अभ्युत्थित हो जायें तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाय। बसिष्ठ (१९।७-८) में भी ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार विष्णुवर्मयुग (३।३) याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३११) मार्कण्डेयपुराण (२७) मत्स्यपुराण (२।५।१३) में भी कहा गया है। इसी सिद्ध ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास राजा वासिष्ठीपुत्र सिरी पुरुमायी (वासिष्ठीपुत्र की पुरुमायी) को चारों वर्णों को वर्णसंकर होने से बचाने के फलस्वरूप प्रथम मित्री (एपीप्रीफिया इम्पेरिका क्रिस्व ८, पृ. १०-११—विनिश्चितभानुबन्ध उद्धरण)। मुमिठिर ने भी (अनपर्व १८।११-११) वर्णसंकर जाति की बड़े संख्या में भरसंता की है। स्वामी ब्रह्मराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (१।३।३३) में लिखा है कि उनके काल में वर्ण एवं आश्रम अव्यवस्थित हो गये थे और अपने ब्रह्म के अनुसार नहीं चल पा रहे थे किन्तु ऐसी बात पूर्व युगों में नहीं थी क्योंकि ऐसा होने पर वर्णसंकरों के विधान आदि निरर्थक ही सिद्ध हुए होते।^१

यौतम (४।१८-१९) मनु (१ १२४-१२५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९) आत्युत्कर्ष एवं अत्यपकर्ष नामक एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इन लोगों के कहने की व्याख्याओं में विभिन्नता पायी जाती है किन्तु सामान्य वर्ण एक ही है। यौतम (४।१८) ने लिखा है कि आचार्यों ने अनुसूत अनुसोम लोग जब इस प्रकार विवाह करते हैं कि प्रत्येक स्तर में जब बर जाति में सुसहित से उन्नततर या निम्नतर होता है तो वे सत्तरी या पाँचवी पीढ़ी में ऊपर उठते हैं (आत्युत्कर्ष) या नीचे जाते हैं (आत्यपकर्ष)। इतरत ने इसे इस प्रकार समझाया है—जब एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय नारी से विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पन्न होती है वह सत्तरी बहूलाती है। यदि यह सत्तरी कन्या किसी ब्राह्मण द्वारा विवाहित हो जाय और यह क्रम सात पीढ़ियों तक चलता जाय और सत्तरी कन्या किसी ब्राह्मण से विवाह कर ले तो उस सम्बन्ध से जो भी मनुष्य उत्पन्न होवे वह ब्राह्मण वर्ण धारण करता है। (यद्यपि पूर्व पीढ़ियों

१ अर्थात् शास्त्रों के नियमों के अभाव में वर्णसंकरता। आनुसोम्येन वर्णस्य प्रतिशोभ्येन वसतकम् ॥ इत्यपकर्षस्तत्र ही एतद्विहित प्रति (स्यबहुर, प्रतीर्षक) में उद्धृत यम का श्लोक।

२ इत्युत्कर्षस्य च कालांतरोत्प्रेक्ष्य अव्यवस्थितप्रायान्पूर्ववर्णान् प्रतिजानीत। इत्यस्य व्यवस्थाविधायि शास्त्र प्रवर्षक स्मृतम्। ब्राह्मणभाष्य वेदान्तसूत्र १।३।३३।

३ वर्णान्तरवचनमुत्कर्षविधायिन्या सप्तमे ब्रह्मणे आचार्या। मुद्राधरारजशाता च। यौतम ४।१८-१९।

में केवल पिता ही ब्राह्मण के सभी मलाए ब्राह्मण मही भी के सवर्ण भी)। यह आत्युत्कर्ष (जाति में उत्तरण या उत्थान) कहलाता है। जब कोई ब्राह्मण किसी नारी से विवाह करता है और उसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो वह सवर्ण कह जायेगा। यदि वह सवर्ण पुत्र किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है और उसे पुत्र उत्पन्न होता है और यह पुत्र पौत्र पीडिया तक जाता है तो जब पौत्रपौत्री पीडि का पुत्र क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है तब उसका पुत्र क्षत्रिय वर्ण का कहलायेगा (यद्यपि पूर्व पीडिया में पिता क्षत्रिय में ऊँची जाति का था और माता केवल क्षत्रिय जाति की थी)। इसे आत्युत्कर्ष (जाति की स्थिति में अपकर्ष या पतन) कहा जाता है। यही नियम क्षत्रिय का वैश्य नारी से तथा वैश्य का शूद्र नारी से विवाह करने पर लागू होता है। यही नियम अनुसोमों के साथ भी चलाता है।

मनु के मतानुसार (१।१४) जब कोई ब्राह्मण किसी शूद्र नारी से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न कन्या 'पारसव' कहलाती है और यदि यह पारसव लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुत्र इस सम्मिलन से उत्पन्न सबकी किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस प्रकार की सातवीं पीढ़ी ब्राह्मण होगी अर्थात् आत्युत्कर्ष होगा। ठीक इसके प्रतिकूल यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र से विवाह करता है और पुत्र उत्पन्न होता है तो वह पुत्र 'पारसव' कहलायेगा और जब वह पारसव पुत्र किसी शूद्र से विवाहित होता है और उसका पुत्र पुत्र वैसा करता है तो इस प्रकार सातवीं पीढ़ी में पुत्र वंश शूद्र हो जाता है। इसे आत्युत्कर्ष कहा जाता है।

गौतम और मनु के मतों में कई भेद स्पष्ट हो जाते हैं—(१) मनु ने आत्युत्कर्ष एवं आत्युत्कर्ष दोनों के लिए सात पीढ़ियाँ आवश्यक समझी हैं किन्तु गौतम ने (हरण के अनुसार) क्रम से सात एवं पाँच पीढ़ियाँ बतायी हैं। (२) गौतम के अनुसार प्रथम से आठवीं अनुसोम ही आत्युत्कर्ष प्राप्त करता है, किन्तु मनु के अनुसार सातवीं पीढ़ी ही एकाग्र कर पाती है। (३) जब आरम्भिक माता-पिता अनुसोम होते हैं तो आत्युत्कर्ष कैसे होता है इसके विषय में मनु मौन हैं। मनु के भाष्यकारों ने जाति के उत्कर्ष एवं अपकर्ष के विषय में अनेकियाँ कग कर दी हैं। मेधातिथि के अनुसार पाँचवीं पीढ़ी में आत्युत्कर्ष सम्भव है। इसी प्रकार आत्युत्कर्ष के लिए पाँच पीढ़ियाँ ही पर्याप्त हैं।

याज्ञवल्क्य (१।१९)^१ ने आत्युत्कर्ष एवं आत्युत्कर्ष के दो प्रकार बताये हैं, जिनमें एक तो विवाह (मनु एवं गौतम के समान) से उत्पन्न होता है और दूसरा ब्यवसाय से। यह जानना चाहिए कि सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी में आत्युत्कर्ष होता है यदि ब्यवसाय (जाति या वर्ण की वृत्ति या पेशा) में विपरिणता पायी जाती है तो उसमें भी वर्ण के समान ही सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी में आत्युत्कर्ष पामा जाता है। मेधातिथि ने इसे इस प्रकार समझाया है—यदि कोई ब्राह्मण शूद्र से विवाह करे और उससे कन्या उत्पन्न हो तो वह कन्या 'मिन्वावी' कही जायेगी यदि यह मिन्वावी एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुत्री उत्पन्न करती है और वह पुत्री एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और वह पुत्र का पीढ़ी तक जाता है तो छठी का कन्या सातवीं पीढ़ी में आकर ब्राह्मण हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य नारी से विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पन्न होगी वह अम्बष्ठा कहलायेगी और यदि वह अम्बष्ठा कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस क्रम से अन्ततः छठी पीढ़ी में जो उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण कहलायेगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय नारी से विवाह करे और पुत्री उत्पन्न हो तो वह मुर्खावस्थित कहलायेगी (याज्ञवल्क्य १।१) और यदि वह मुर्खावस्थित कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो पाँचवीं पीढ़ी में इसी क्रम से जो उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण होगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय किसी शूद्र से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न कन्या उग्र कहलायेगी और यदि वह क्षत्रिय से विवाह करे तो आत्युत्कर्ष छठी पीढ़ी में ही जायेगा।

यदि कोई क्षत्रिय वैश्य मारी से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न कन्या माहिष्ठ्या बहुलायेयी मीर जात्युत्कर्ष पाँचवी पीढ़ी में होगी। यदि कोई वैश्य भूख से विवाह करे तो उससे उत्पन्न कन्या करनी बहुलायेयी मीर यदि वह वैश्य से विवाह करे तो पाँचवी पीढ़ी में जात्युत्कर्ष हो जायगा। बार्धों बर्णों के लिए कुछ-न-कुछ विभिन्न कृतियाँ या व्यवसाय निर्धारित हैं। आपत्काल में एक वर्ण अपने से निचट गीचे के वर्ण का व्यवसाय कर सकता है किन्तु अपने से ऊँचे वर्ण का व्यवसाय नहीं है। किन्तु आपत्ति के हट जाने पर पुन अपनी कृति में लौट आना चाहिए।^{१४} इस विषय में हम बसिष्ठ (२।१३-२३) विष्णुधर्मसूत्र (२।१५) याज्ञवल्क्य (१।१८-१२) गौतम (१।१-७) आदि को देख सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण दूध की कृति अपनाये और उससे उत्पन्न लड़का भी वैसा ही करे तो इस क्रम से आगे बढ़कर सातवी पीढ़ी की छत्तारों गूढ़ हो जायेंगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य या क्षत्रिय की कृति अपनाये तो इस क्रम से आगे बढ़कर नम से पाँचवी या छठी पीढ़ी में उसकी छत्तारों क्रम से वैश्य या क्षत्रिय हो जायेंगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय वैश्य या दूध की कृति अपनाये तो पाँचवी या छठी पीढ़ी में उसकी छत्तारों क्रम से वैश्य या दूध हो जायेंगी। इसी प्रकार एक वैश्य की दूध कृति उसकी पाँचवी पीढ़ी में उसके कुल को दूध बना देगी।

बौधायनधर्मसूत्र (१।८।१३-१४) में जात्युत्कर्ष का एक सूत्र ही उदाहरण मिलता है—यदि कोई निषाद (एक ब्राह्मण का उसकी दूध मारी से उत्पन्न पुत्र) किसी निषादी से विवाह करता है और यह नम करता रहता है तो पाँचवी पीढ़ी दूध की कृति स्थिति से छूटकारा पा लेती है और छत्तारों का उपनयन संस्कार हा सकता है अर्थात् उनके लिए वैदिक दत्त देने का सकते हैं।

उपर्युक्त विधानों से जगत् पर आचारित जाति-व्यवस्था की दृष्टाएँ पर्याप्त मात्रा में विचित्र हो जाती हैं। एक सन्नेह उत्पन्न हो सकता है क्या जात्युत्कर्ष एवं जात्यनर्क्य की विधियाँ (विद्येय कृति या व्यवसाय-सम्बन्धी) कभी वास्तविक जीवन में कार्यान्वित हुईं? पाँच या सात पीढ़ियाँ तक का क्या क्रम स्मरण करना हीसी-उठ्ठा नहीं है। इसमें अनिश्चित इस विषय में स्वयं स्मृतिकारों में मतभेद नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे विधान वेदक आदर्श रूप में ही पड़े रह गये होंगे। मनु एक याज्ञवल्क्य के कथनानुसार हमें साहित्य धर्मशास्त्रा अभिलेखों या शिष्याश्रमा में कोई भी उदाहरण नहीं प्राप्त होता। शिलालेखों में कहीं-कहीं अन्तर्जातीय विवाह की कथाएँ पायी गयी हैं। काश्यप कल आरम्भ में ब्राह्मणदूध का किन्तु कासास्तर में क्षत्रिय हा गया। कृति-परिवर्तन के कारण ही ऐसा सम्भव हा मजा और आरम्भ के मयूर धर्मों का कुछ कालान्तर में बर्मा (क्षत्रियों की उपाधि) की उपाधि लागू करने लया। महाभारत में हम कुछ राजाओं की ब्राह्मण होने देखते हैं यथा राजा भीमहृष्य ब्राह्मण हो गये (अनुसामन्यवर्ष १) आश्विपथ सिन्धुद्वीप वैशाखि एव विरवामित्त मरुत्कवी व पवित्र ठट पर ब्राह्मण हुए (दास्यवर्ष ३। १३६ ३७)। पुराणों में विस्वामित्र मायावाता सृष्टि विधि ब्रह्मपत्र पुत्रदुल्ल आश्विपथ अजमीड आदि ब्राह्मण पर प्राप्त करते देखे गये हैं।

धर्मशास्त्र-साहित्य एवं उल्लेख लेला न विहित होता है कि व्यवसाय-सम्बन्धी जातियों व्यवस्थित एक कबी की। इस सम्बन्ध में धेनी, बुध गण ज्ञात एवं लघु धर्मों की जानकारी आवश्यक है। बौधायन के मतानुसार ये सभी गूढ़ या वर्ण कह जाते हैं।^{१५} वैदिक साहित्य में भी ये शब्द आये हैं किन्तु वहाँ इनका सामान्य अर्थ 'दल' या

१४ अग्नीवल्क स्वधर्मदानस्तोत्र यशोवर्ती कृतिप्रतिष्ठेत्। न तु कदाचिद्व्यापयतीम्। बसिष्ठ २।१२ २३।

१५. गणः जात्युत्कर्षात् सातारण्येन धेनवस्तथा। समूहत्वात्तदं वैशाख्ये वर्णव्यवस्थे दृश्यते। स्मृतिविरचिते (व्याख्या) में उद्धृत बौधायन-वचन।

या धर्म ही है।" पाणिनीयो ने पूष षष् संघ (५।२।५२) व्रत (५।२।२१) की व्युत्पत्ति आदि की है। पाणिनि के काक तक इन शब्दां क विविध अर्थ व्यक्त हो गये थे। महामाष्य (पाणिनि पर ५।२।२१) ने व्रत को उन श्लोको का एक माना है, जो विविध जाति के ये और उनके कोई विविध स्थिर व्यवसाय नहीं थे केवल अपने शरीर के बल (पारिभ्रमिक) से ही अपनी जीविका भ्रमते थे। काशिका ने पूष को विविध जातियों के उन लोगों का एक माना है जो कोई स्थिर व्यवसाय नहीं करते थे वे केवल वनलोभुप एव कामी थे। शौट्टिय (७।१) ने एक स्थान पर शैतिको एव शमिको ने जन्तर बताया है और दूसरे स्थान पर यह कहा है कि कन्वोज एव सुयाप्ट के शमिको की शैतिको अमुषनीवी एव वार्ता (कृषि) जीवी हैं। बटिप्टवर्मसूत्र (१६।१५) ने शैवी एव विष्णुधर्मसूत्र (५।१६७) ने षष् का प्रयोग समष्टि समाज के अर्थ में किया है। मनु (८।२।१९) ने षष् का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। विविध भाष्यकारों ने विविध ढंग से इन शब्दां की व्याख्या उपस्थित की है। कात्यायन के अनुसार षैषम एक ही नगर के नागरिकों का एक समुदाय है व्रत विविध वस्त्रधारी शैतिको की एक श्रुती है, पूष व्यापारियों का एक समुदाय है षष् बाह्यता का एक दस है संघ बीडा एव जैतो का एक समाज है तथा कुम्भ चाष्ठाको एव षष्पत्तो का एक समूह है। याज्ञवल्क्य (१।३६१) ने ऐश कुलो जातियों शैषियो एव षष्ो का बण्डित करने को कहा है जो अपने आचार-व्यवहार से प्युट होते हैं। मिताक्षरा ने शैवी को पाल के पत्तो के व्यापारियों का समुदाय कहा है और षष् को हेमानुक्त (बोरे का व्यापार करनेवाला) कहा है। याज्ञवल्क्य (२।१९२) एव भारव (समयस्थानपाकर्म २) ने शैवी नैगम पूष व्रत षष् के नाम भिन्ने हैं और उनके परम्परा से पहले आय हुए व्यवसायों की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (२।३) ने दृष्ट है कि पूषो एव शमिको वा शगडो के अन्वेषण करने का पूर्ण अधिकार है और इस विषय में पूष को शैवी से उच्च स्थान प्राप्त है। मिताक्षरा ने इस कथन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि पूष एक स्थान की विभिन्न जातियों एव विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों का एक समुदाय है और शैवी विविध जातियों के श्लोको का समुदाय है जैसे हेमाचुको ताम्बुकिना कुशिको (जुलाहो) एव धर्मकारो की शैषिया। आहमान विषहराज के प्रस्तरलेख में द्वैडाशिको को प्रत्येक बोरे के एक इन्धन देने का वृत्तान्त मिलता है (एपिपैकिना इन्धिका जिम्ब २ पृ १२४)। मासिक अग्निमेसस १५ (एपि इन्धिका जिम्ब ८, पृ ८८) में लिखा है कि आभीर राजा ईश्वरलेख के शासन-काल में १ नापविष कुम्हारो के समुदाय (शैवी) में ५ नापविष शैषियो की शैषी में २ नापविष पानी देनेवाला की शैषी (उष्क-वल्क-शैषी) में स्थिर सम्पत्ति के ढंग में जमा किया गये जिससे कि उनके व्याज से रोगी मित्तुको की दवा की जा सके। मासिक ने ९वें एव १२वें शिलालेखों में जुलाहो की शैषी का भी उल्लेख है। द्विपिक के शासन-काल में मन्वुरा के ब्राह्मी शिलालेख में जाटा बनानेवालो (समिठकर) की शैषी की शर्त है। जुदार बौद्ध बुद्ध के शालालेख में बाँस का काम करने वाला तथा नासहराज (ताम्र एव नासा बनानेवालो) की शैषियां में वन जमा करने की शर्त हुई है। स्वम्बपुत्र के इन्दौर ताम्रपत्र में शैषियो की एक शैषी का उल्लेख है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि ईसा के आसपास की दशाधिकियों में कुछ जातियों यथा लक्षद्विहापो शैषियां तमाशिकियो जुलाहो आदि ने समुदाय इस प्रकार संगठित एव व्यवस्थित कि लोग जन्म निश्चयोच सहस्रो रुपये इन विचार से जमा करते थे कि उनसे व्याज षष् में दान के लिए षष् मिलता रहेगा।

२६. एता इव शैषियो यत्तले पराशिविपुष्यवज्जमरावा। अ १। १६३।१ ; पूषो वं षष्ः। तदेवं स्वैत वृणोत लक्ष्यपति। शैषी बाह्यम् १६।७ तस्माद्दुह वं ब्रह्मचारितय चरन्त न प्रत्यावस्यीतापि हैतयेष्वेव षष् व्रतः स्यादिति हि बाह्यम्। भाष्य परं नृ १।१।३।२६।

अब हम लगभग ईसापूर्व ५ वे १ ई तक की उन सभी जातियाँ की सूची उपस्थित करेंगे जो स्मृतियों तथा अन्य वर्णशास्त्र-ग्रन्थों में बर्णित हैं। इस सूची में मुख्यतः मनु, याज्ञवल्क्य, वैशम्पयन स्मार्त-सूत्र (१ १११ १५) उगता मृतमहिता (विश्वामहाराज्य-सूत्र अध्याय १२) आदि की की हुई बातें ही उत्पन्न हैं। निम्नलिखित जातियों में बहुत-सी अब भी ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं।

अश्व—मत्स्येय ब्राह्मण (३१ १६) के अनुसार विश्वामित्र के अथर्व ५ पुत्रों को जब वे मृत-शय को अपना माई मानने पर तैयार नहीं हुए चाप बिधा कि वे अश्व पुत्रों का घर, पुत्रिन्द मूनिव हूँ जायें। य जातियाँ समाज में निम्न स्थान प्पायी थी और इनमें बहुधा दम्प ही पाय जात थे। मनु (१ १३६) के अनुसार अश्व जाति वैदिक िता एक वार्षिकर माता में उत्पन्न एक उपजाति थी और याँव व बाह्य रहती जगती पशुजा को भाग्यकर अपनी जीवित्ता बर्णायी थी। अशोक के विनाशकेय (प्रमाण-अनुशासन १३) में अश्व नाम पुत्रिन्धा में सम्भविता उल्लिखित है। उदाग पर्व (१६ ११ ३) में अश्व (सम्भवन अन्वयण के निवासी) द्विविधा एक वाञ्छया व माय बर्णित हैं। देवनाम्बेव व मातृश्या-यव व मव अन्वय एक वाञ्छया निम्नतम जातियाँ में गिन पय हैं (परिप्रेषिया द्विविधा त्रिम्ब १७ ५ ३२१)। उहाँमा में एक परिप्रेषित जाति है आदि-अश्व (देविण दक्ष्युम्ब काण्ड आर्दर आब १० ३६)।

अन्वय—दक्षिणधर्मसूत्र (१६ १३) मनु (४ १७ ८१८) याज्ञ (१ ११४८ १९७) अत्रि (२५१) त्रिपिन (९०) आश्वत्थ (३ ११) न इस शब्द का आश्वत्थ लम्बी निम्नतम जातियाँ का नाम उल्लिखित किया है। इस शब्द में हम पुत्र अष्टुन वाञ्छया में पड़ेंगे। इसी शब्द में 'आश्व' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (मातृश्या धर्मसूत्र ६ १ ३ १९ १८ मातृ श्या वाञ्छ १५५ विश्वधर्मसूत्र १६ १४४)।

अश्वत्थ—आश्वत्थ आदि निम्नतम जातियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। मनु (८ १७७) में ये दो शब्द के लिए भी प्रयुक्त किया है। स्मृतियों में इसका कई प्रकार पाय जाते हैं। अत्रि (१) में ७ अश्वत्था व नाम लिख है तथा राजा (पार्य) अश्वत्थर मठ (मातृश्या जाति लिखित में यह शोभति व नाम में विद्यमान है) बुद्ध (श्रीग का नाम वरतवासा) बंभर्ष (मण्डली मारतवाजा) मेव लिख। याज्ञवल्क्य (३ १०६५) की व्याख्या में गिता श्या व अश्वत्था की का श्रितियाँ बर्णायी हैं। पहली शशी में उरगी माता जातियाँ हैं जो दूसरी शशी की जातियाँ में निम्न हैं। दूसरी शशी में ये जातियाँ हैं—आश्वत्थ वरवव (दुल का माय गानवादा) अश्व मृत अश्वत्थ आश्वत्थ एक श्रायोवव। मत्स्यवर्णितवाय के अनुसार गितामा में राजा की माता जातियाँ एक अश्व प्रज्जि जातियाँ का बर्णन किया है। क्या प्रज्जि जातियाँ शशी माया का ही 'आश्व' की मता ही गयी है? काण्ड्यमर्गादि (१ १७ १३) में अश्वत्थर मठ निम्न राजा पुत्रर मठ विगट में आश्वत्थ श्या वरवव बर्णित नाम १० अश्वत्था व नाम काय है। बहम्याल स्मृति में माय का नाम गानवादी सभी जातियों अश्वत्थ गरी लयी है।

अश्वत्थवासी या अश्वत्थवासी — मनु (६ १७) व अश्वत्था एक अश्वत्थवासीया का अश्वत्थ-अश्वत्थ गिता है और (१ १३) अश्वत्थवासी का आश्वत्थ पुत्र एक गिता शशी की ललाय बना है। भाष्यी में अश्वत्थ और अश्वत्थ व निवासी का एक है। विश्व धर्मशास्त्रधर्मसूत्र में अश्वत्थवासी एक पुत्र एक शेष शशी की ललाय बना गया है (१८ १३)। इस नाम में अश्वत्थ अत्रि है (याज्ञवल्क्यधर्मसूत्र (११ ११) अनुशासनपर्व (१ ७) एक ललाय (१ ६१ ३) में इसकी बर्णना है। आश्व (अशासन १८) में इस शशी के अश्वत्थ उगताया है। अश्वत्थ शशी के कुछ शय तथा अश्वत्थ अश्वत्थ में आश्व व शय का स्मृतियों का अश्वत्थवासी माना है।

अश्वत्थिन्ध—इसका शब्द में अश्वत्थ सुपरिवर्तका के अश्वत्थ ललाय।
 अश्वत्थ— ये अश्वत्थका भा बरा जाता है। ये शब्द काण्ड्य (३ १७) में बर्णित है तथा काण्ड्यके अश्वत्थ शेष एक शिया पा। परिप्रेषित (८ १३ ३) में अश्वत्थ को उल्लिखित बर्णायी है। पराशर में (परिप्रेषित ६ ११ १७) वर

अम्बळ्य (राजा ?) शब्द को अम्बळ (एक देश) से मिश्र किया है। अम्बळों की जाति किसी देश से सम्बन्धित है कि नहीं यह एक प्रश्न है। कर्मपर्व (१।११) में एक अम्बळ राजा का वर्णन है। बौधायनधर्मसूत्र (१।१।१) मनु (१।१८) याज्ञवल्क्य (१।१९) उषाणा (३९) शारद (स्वीतुम ५।१७) में अम्बळ ब्राह्मण एवं वैश्य जाती की अनुलोम सन्तान कहा गया है। गौतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने अम्बळ को क्षत्रिय एवं वैश्य जाती की सन्तान कहा है। मनु (१।१७) ने अम्बळों के लिए ददा-दारु का व्यवसाय बताया है तथा उभय (३।३२) ने उन्हें कृषक वा आप्येयनर्त्तक वा ध्वजविभाषक वा धम्मवीची (बीर-पाद करनेवाला) कहा है।^{१८} हरदत्त ने आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१९।१४) की व्याख्या करते हुए अम्बळ और धम्मवृत् को समानार्थक माना है। बगास के बीच मनु के अम्बळ ही हैं।^{१९}

अमस्कार—(सोडार) वैदिक साहित्य में 'अमस्ताय' (अपसु को गर्म करनेवाला) शब्द मिलता है। ज्ञाने के कर्मकार एवं कर्मार शब्द भी देखिए। प्लञ्जक (पानिनि के २।४।१ पर) ने अमस्कार को उषा के साथ पूर कहा है।

अमरीच—अपराध द्वारा जन्तुत देवस्य के कथन से पता चलता है कि यह एक विवाहित स्त्री तथा उसी जाति के किसी पुरुष के मुक्त प्रेम की सन्तान तथा भूइ है। भूइ-वामसाकर ने भी यही बात पामी जती है।

अभिर—मृतसहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य स्त्री के मुक्त प्रेम का प्रतिफल है।

आपीर—मृतसहिता के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं दौष्यटी की सन्तान है।

आपीर—मनु (१।१५) के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं अम्बळ कन्या की सन्तान है। महाभारत (मौसलवर्ष ७।४९।९९ एवं ८।१९।१७) में आया है कि आपीर दस्यु एवं श्लेष्म है जिन्होंने पञ्चव ने युद्ध के उपरान्त जर्जित पर आक्रमण किया और कृष्ण नारियो को उठा के गये। समापर्व (५।१।१२) में आपीर पारसो के साथ बन्धित है। आश्वमेधिक (२९।१५।१९) का कथन है कि आपीर, इन्द्रिष्ठ आदि ब्राह्मणों से सम्बन्ध न रहने पर भूइ हो गये। महाभाष्य में वे भूइ से पुत्रक माने गये हैं। कामसूत्र (५।५।१३) ने कोट्टराज नामक आपीर राजा का उल्लेख किया है। अपने काम्यार्थ (१।३९) में शष्ठी ने अपभ्रंस का आपीर की भाषा कहा है। अमरकोश में आपीर गाव चरानेवाले कहे गये हैं और महाभूइ की आपीर पत्नी को आपीरी कहा गया है। कात्यायन से आपीर हिन्दू समाज में ले लिये गये जैसा कि कुछ शिक्षासेतो से पता चलता है। अत्रमुति नामक एक आपीर सेनापति ने सन् १८१-८२ ई में सप्तमण के पुत्र खसिह के शासन-काल में एक रूप बनवाया (एपिपैफिना इन्डिका त्रिस्व १९ पृ २३५)। नासिक की युद्ध के १५वें उत्कीर्ण अभिलेख से पता चलता है कि ईश्वरसेन नामक एक आपीर राजा था जो आपीर शिवराज एवं माठरी (माठर मोन वाली) का पुत्र था। आज कल आपीर को अहीर कहा जाता है।^{२०}

अमोगव—वैदिक साहित्य में आमोवु शब्द आया है (वैतरीय ब्राह्मण ३।४।१)। गौतम (४।१५) विजुधर्मसूत्र (१।१।४) मनु (१।१२) कौटिल्य (३।७) अनुशासनपर्व (४८।१२) तथा याज्ञवल्क्य (१।१४) के अनुसार

१७. इन्ध्यावीचो जनेस्तस्य सर्वेवाग्नेयर्त्तकः। ध्वजविभाषका वापि अम्बळा ध्वजवीचिन (अम्ब-वीचिनः ?) ॥ उज्ज्वला ३।३२।

१८. देखिए Risley's People of India, p. 114

१९. देखिए J B B R. A S Vol 21 pp 430-433 Enthoven's Tribes and castes of Bombay Vol. 1 p. 17 ff

यह सूत्र पुरुष तथा वैश्य मारी से उत्पन्न प्रतिशोभ सन्तान है किन्तु भीमायनधर्मसूत्र (११९१७) उगना (१२) वैशाख (१ ११५) क अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय मारी से उत्पन्न प्रतिशोभ सन्तान है। मनु (१ १५८) के अनुसार आयायक की कृति लक्ष्मी काटना है तथा उगना के अनुसार यह जुलाहा है या छात्र-आत्म्यकार है या बान उत्पन्न करनेवाला है या बपड़े का व्यापारी है। विष्णुधर्मसूत्र (१६१८) एक क्षत्रियपुराण (११५११५) क अनुसार यह क्षत्रिय-कृति करता है। महाद्विषय (२६१६८ १९) से पता चलता है कि यह पत्थरों ईटा का काम करता है धर्म बनाता है तथा बीबारा पर चूना लगाता है। यह दक्षिण में आजकल पाषण्ड बहुमाना है।

आचल्य—यह भूर्जकष्ठ (मनु १०१२१) के समान है।

आदिबध—वैशाख (१ १२२) क अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य मारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है और पोषा का व्यापार करता है।

आहिण्डक—मनु (१ १२७) के अनुसार यह निषाद पुरुष एवं वैश्य मारी की सन्तान है अर्थात् दोहो प्रतिशोभ जाति का है। मन (१ १३६) में इस ही धर्मकार का कार्य करने के कारण कारावर कहा है। कुम्भूज न उगना के मत का उल्लेख करते हुए इस बन्दीगृह में धाक मका से बन्दियों की रक्षा करनेवाला कहा है।

उग्र—इसकी कर्षा वैदिक साहित्य में ही है (छान्दाय्य ५।२।५। बृहदारण्यकोपनिषद् ३।८।२ तथा ५।३।२२)। भीमायनधर्मसूत्र (११९५) मनु (१ १९) कौटिल्य (३।७) याज्ञवल्क्य (१।१९०) अनुशासनधर्म (५८।७) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं गृह मारी में उत्पन्न अनुकाम सन्तान है। किन्तु उगना (५१) में इसे ब्राह्मण पुरुष एवं गृह मारी की सन्तान कहा है। गौतम (५।१५५) की व्याख्या करते हुए हार्यत में उग्र को वैश्य एवं गृह मारी की सन्तान कहा है। मनु (१ १५) क अनुसार उग्र बिम्बा में रहनेवाले जीवा को मारकर खानेवाला मनुष्य है किन्तु उगना (५१) के अनुसार य राजदण्ड का डोल है जन्मार्थ का कार्य करने है। महाद्विषय एक मूलधर्मकार में 'उग्र' का 'उग्रमूत्र' कहा गया है। आतिथिकेक में यह 'उग्रु' भी कहा गया है।

उद्बन्धक—उगना (१५) के अनुसार यह एक मुनिव एवं क्षत्रिय मारी की सन्तान है कदा क्वचन करने की कृति करता है और अल्प्य है। वैशाख (१ १२५) के अनुसार यह एक राजक एवं क्षत्रिय मारी की सन्तान है।

उपव्य—आचलयायनधर्मसूत्र (२।१) के अनुसार यह उग्रानि नहीं है किन्तु अयायय नामक वैदिक विद्या का करता है। इसके भाष्य में लिखा है कि यह बड़ की कृति करनेवाला वैश्य है।

ओर—मनु (१ १६३ ६४) का दण्ड। आ आधुनिक उद्योग का करण है।

बहवार—यह उगना (६५) एवं वैशाख (१ १२३) क अनुसार वैश्य पुरुष एवं गृह मारी के आग्नि विद्या (गुप्त सम्बन्ध) में उत्पन्न सन्तान है।

बलक—यह गोमय (१।१०) एवं याज्ञवल्क्य (१। ७) क अनुसार वैश्य पति एवं गृह पत्नी का अनुकाम पुत्र है। मन (१ १) में लिखा है कि एक क्षत्रिय शाय (जिसका उत्पत्तन लम्बा नहीं हुआ है) का उमी उग्र की मारी में उग्र सम्बन्ध होता है जो उसकी सन्तान का सम्बन्ध मन्त्र नि कर्षि (निष्कर्ष ?) कट करण गया इति कर्ते है।

बर्जक—(१ १६३) क अनुसार पुत्रकट की वैश्य मारी में पुत्रसु मात्रक एवं करण सन्तान थी। अत्रययोग की व्याख्या करते समय धर्मशास्त्री ने कहा है कि कर्षण कायन्वा एवं अल्प्यो के लभार्थ राजकर्मकारिया के एक दल का परिचायक है। महाद्विषय (१।६ ५१) के अनुसार कर्षण शाय का वैशाखिक क सन्तान है जो आयायक एवं राजाका का स्मृतिमान करता है और काम-आत्म्यो विज्ञान का अल्प्यन करता है।

बर्जकार—विष्णुधर्मसूत्र (५१।१६) में यह उक्ति बलि है। मन्त्रकण यह बर्जक की है। किन्तु इस में उगना की कृष्ण-कृष्ण लिखा है।

कर्मर—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में भी यह मन्त्र आया है। पाणिनि ने 'कुजासि वष (४।३।११८) में इस जाति का उल्लेख किया है। मनु (४।२।१५) में भी यह नाम आया है। बगलक में कर्पार (साह्वार) जातिपरिमित जाति है।

कास्यकार—यह जाति (मण्ठी में बाज का नासार एव उत्तरी मारुत का बसेरा) तुम्बदिव्य ने सिद्धसिंह में विष्णुधर्मसूत्र (१।४) द्वारा एव नास्य (शुभायान २७४) द्वारा वर्णित है।

काकबन्ध—जोड़ो जो बास जानेवाली जाति (उपता ५)।

काम्बोज—बह्मिण मनु (१।४३।४४)। काम्बोज देश यास्य (निरुक्त २।२) एव पाणिनि (४।१।१०५) को ज्ञात है। उद्योगपर्व (१६।१।३) द्रोगपर्व (१२१।११) में क्षत्री के साथ काम्बोजों का वर्णन किया है। देखिए पृथक मी।

कामस्य—शास्त्रिक एव आधुनिक कास में कामस्या के उद्भव एव उनकी सामाजिक स्थिति के विषय में बड़े बड़े उग्र वाद-विवाद हुए हैं और भारतीय स्यामात्मों के निर्माणों द्वारा भी बट्टाए प्रदर्शित हुई हैं। कलकत्ता हार्डवेयर में (मोलानाज बनाम सम्राट के मुकद्दमें में) बगलक के कामस्यों को घृष्ट सिद्ध किया और यहाँ तक सिद्ध दिया कि वे राम स्त्री से भी विवाह कर सकते हैं। किन्तु त्रिबी जीसिक ने (असितमोहन बनाम गिरोरमोहन के मुकद्दमें में) इस बात को निरस्त कर दिया। दूसरी ओर इस्माइलवाद एव पटना के हार्डवेयरों ने जम से तुम्बदिव्य बनाम विहारी झाक एव ईश्वरीप्रसाद बनाम राय हरिप्रसाद के मुकद्दमों में कामस्यों को ठीक बताया। यौतम आपस्तम्ब वीथायव बसिष्ठ के धर्मसूत्रों एव मनुस्मृति में कामस्य' शब्द नहीं आता। विष्णुधर्मसूत्र (७।१३) ने एक राजसासिक को कामस्य द्वारा लिखित कहा है।^१ इससे इतना ही स्पष्ट होता है कि कामस्य राज्यकर्मचारी वा। याज्ञवल्क्य (१।३।२२) ने राजा को उद्योगित किया है कि वह प्रजा को चाटो (घुट्ट खोज) जोरो बुद्धिचित्तों आततायियों आदि से विशेषतः कामस्यों से बचाये। मितासारा ने लिखा है कि कामस्य जोय हिमाज किताब करनेवाले (पणक) लिपिक राजाजी के स्नेहपान एव बड़े मूर्त होते हैं। उपता (१५) में कामस्यों को एक जाति माना है और इसके नाम की एक लिखित स्मृति लि उपस्थित की है यथा काक (कीजा) के का घम के य' एव स्वपति के 'स्व' शब्दों से कामस्य बना है 'काक' घम एव 'स्वपति' शब्द कम से काकब (सोम) कूरता एव कट के परिचायक है।^२ वेदव्यासस्मृति (१।१।११) में कामस्य वैचारे नाइयो कम्हारों आदि सूत्रों के साथ परिगणित हुए हैं। सुमन्तु ने केसक (कजम्ब) का योजन लेभिमी आदि के समान माना है और ब्राह्मणों ने किए अयोय सम्पत्ता है। बृहस्पति ने (स्मृतिचन्द्रिका के अथवाहार में उद्धृत) पणक एव केसक जो जो व्यक्तियों ने रूप में माना है और उन्हें द्विज कहा है। भिन्नक' नामक शास्त्रि का खोतक है कि नहीं यह नहीं प्रकट हुआ पाठा। मुच्छकटिक (नवीं अंक) में देखी एव कामस्य स्वाभाविक से समन्वित रहे गये हैं। जगता है, बृहस्पति वा 'भेजक' शब्द कामस्य का ही खोतक है। ईसा की आरम्भिक सताशियों में कामस्य शब्द राज्यकर्मचारी अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा है। किन्तु देश के कुछ भागों में जैसा कि उपता एव वेदव्यास के कथन से व्यक्त है कामस्यों की एक विशिष्ट जाति भी थी।

कारावर—मनु (१।३।१) के अनुसार यह जाति गिपाय एव वैदेही नारी से उत्पन्न हुई है और इसकी वृत्ति है धर्मकारों का व्यवसाय। पूरुषमहाकर के अनुसार कारावर 'कहार' या 'मोई' कहा जाता है जो मदास पकड़ता है और दूसरों के भिय लज (जाता वा छतरी) केकर बसता है।

१ राजाधिकारों लेभिमुक्तकामस्यहृत तथव्यतकरलिखित राजसासिकम्। विष्णुधर्मसूत्र ७।१३।

२ काककसिद्ध यमान् श्रीर् स्वपतेरथ कजम्बम्। आद्यकाराणि तगृह्यकामस्य इति निर्दिशेत् ॥ उपता १५।

काश्य—मनु (१ १२३) क अनुसार इसकी उत्पत्ति प्रायः वैश्य एवं उसी के समान मारी के सम्मिश्रण से होती है। इस जाति को गुणधामार्थ विद्वन्मन मैत्र एवं सान्त्वय भी कहते हैं।

किरात—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१२ अर्धबेद १ १४।१४) म भी यह नाम आया है। वेदव्यास (१।१०-११) ने इसे मूत्र की एक उपजाऊ माना है। मनु (१ १४३-४४) ने अनुसार यह मूत्र की स्थिति म काबा हुआ अर्थात् है। यही बात अनुशासनपर्व (३५।१७-१८) में मकसा इतिहो काटो पीण्डो यत्रो जाति के बारे म बही गयी है। कर्मपर्व (७३।२) में किरात आत्म्य सक्ति के द्योतक माने गये हैं। आश्वमेधिका (७३।२५) में बर्णन है कि अर्जुन को अरुणमेधीय पोत्र के साथ अछते समय किरातो यत्रो एव स्लेजो ने भेंट दी थी। अमरकोश में किरात घबर एवं पुस्तिक स्लेष्ठ जाति की उपजाधार्य बही गयी हैं।

कुम्हट—श्रीधामनवर्मसूत्र के (१।८।८ एवं १।८।१२) अनुसार यह कम से प्रतिक्रम जाति एवं मूत्र तथा निवार स्त्री की सन्तान कही गयी है। यही बात मनु (१ १२८) म भी है। कौटिल्य (३।७) में यह उन्नतपुत्र्य एवं निवार की सन्तान है। मूत्रकमसावर में उन्नत आहितपुत्राव के अनुसार कुम्हट उन्नत तथा अल्प अल्प गन्ध बनाता है और राजा के लिए सुवों की सहाई का प्रबन्ध करता है।

कुम्ह—मनु (३।१७४) के अनुसार बर्णित ब्राह्मण की पत्नी तथा किसी अन्य ब्राह्मण क सुप्त प्रेम में उत्पन्न सन्तान है।

कुम्ह—यह सुप्तसहिता के अनुसार मातृव एक मूत्र मारी की सन्तान है।

कुम्भकार—यापिनि के कुम्भासादि मग (४।३।११८) में यह शब्द आया है। उद्यता (३२ ३३) के अनुसार यह ब्राह्मण एवं वैश्य मारी के सुप्त प्रेम का प्रतिक्रम है। वैश्याम (१ १२२) उद्यता की बात मानते हैं और कहते हैं कि ऐसी सन्तान कुम्भकार या माभि के ऊपर ठक काम बनानेवासी मारि जाति होगी है। वेदव्यास (१।११ ११) वैश्व सादि के कुम्भकार को मूत्र माना है। मध्यबेद म यह जाति परिगणित जाति है।

कुम्भार—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।११) में यह बर्णित है। यापिनि (४।३।११८) ने 'कुम्भारम्' (कुम्भार द्वारा निर्मित) की स्मृत्यति समझायी है। आश्वमेधिका (४।३।१८) म एवा आया है कि एक मृग अग्निहोत्री के सभी मिट्टी के बरतन उमरो पुत्र द्वारा सँजोये जाने चाहिए। कुम्भार के दो नाम अर्थात् कुम्भकार एवं कुम्भार का प्रसिद्ध हुए, यह अभी तक अज्ञान है।

पुस्तिक—अपराहं ने राजा द्वारा बर्णित इस जाति का नाम दिया है और इस वैश्वक माना है।

पुसीसत्र—श्रीधामन के अनुसार यह अल्पवृत् एवं वैदेश्य मारी की सन्तान है। अमरकोश म इस जाति (माट) का मया है। कौटिल्य (३।७) में इसे वैदेश्य पुत्र्य एवं अल्पवृत् मारी की सन्तान कहा है (श्रीधामन का मर्यादा विरोधी भाव)। कौटिल्य में अल्पवृत् पुत्र्य एवं वैदेश्य मारी की सन्तान का बंध कहा है।

वृत्—दीनम (४।१५) ने अनुसार वैश्य एवं ब्राह्मण मारी की सन्तान वृत् है किन्तु मातृवत्त्व (१। ३) मया अन्य कावा क मन में इन जाति को वैदेश्य कहा जाता है।

वैश्व—आत्माव की एक पाणी म वैश्व नामक एक परिगणित जाति है। म विषय में ऊपर अल्पवृत् के बारे में जो लिखा है उसे भी पढ़िए। मेपातिपि (मनु १ १८) में इसे विभिन्न (मकर) जाति कहा है। मनु (१ १४४)

३१ अग्निहोत्रात्वाद्योपवसात्तद्वैश्वकमनुकुम्हटवैदेश्यकशानाः । निपादानु लुनीयायो कुम्भकः । विषयैरे कुम्हटः । की क नु १।८।८ ७।११ १२ शशास्त्रिकां कुम्हटः । की क नु १।१२।१५।

ने कर्षण को निवार एक आयोजन की सन्तान माना है। इसे ही मनु ने मार्गव एवं वाय (वाय ?) भी कहा है। कर्षण सोय मीका-भूति करते हैं। चक्रवर्त्य (वेदान्तसूत्र २।३।४३) ने वाय एक कर्षण को समान माना है। वायको से कर्षण को केवत (केवट) कहा गया है।

कोटिक—वेदव्यास ने इसे अल्पयज्ञो से गिना है। मध्यप्रदेश में कोसि एक उत्तर प्रदेश में कोस परिवर्णित जाति है।

कता—वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है। बीषामन (१।१।७) क्रीट्यिष (३।७) मनु (१।१२।१३ १६) याज्ञवल्क्य (१।१५) एवं नारद (स्त्रीपुत्र ११२) में इसे ब्रह्म पिता एवं सत्रिय माता की प्रतिशोभ कता कहा गया है। मनु (१।१५९।५) इसके लिए उग्र एवं पुष्कस की भूति की व्यवस्था करते हैं। बधिष्ठवर्मसूत्र (१८।२) में यह वैश्व कहा गया है। अमरकोश में कता के तीन अर्थ दिये हैं—रजकार, द्वारपाल तथा इस नाम की जाति। छात्रोप्योमनियत् (५।१।५।७।८) में इसे द्वारपाल कहा गया है। छात्रादिसिष्य (२६।१६३-१६६) में कता को निवार कहा गया है जो बालो से मृग पकड़ता है जगल में जयली पशुको को मारता है तथा रात्रि में लोपो को जताने के लिए बन्दी बनाता है।

कानक—वैशामन (१।१२५) के अनुसार यह आयोजन पुत्र्य एवं सत्रिय स्त्री की सन्तान है और खोरकर अपनी जीविका बनाता है।

कस या कस—मनु (१।१२२) के अनुसार इसका ब्रह्मण नाम है करण। किन्तु मनु (१।१५२-१५५) ने कस को सत्रिय जाति का माना है जो काकात्तर में सस्कारो एवं ब्राह्मणों के सम्पर्क के अभाव के कारण ब्रह्म की धेरी में आ गये। वैशिए समापर्व (५२।३) एवं उद्योगपर्व (१९।११।३)।

कुहक—सूतसंहिता के अनुसार यह स्वयं एवं ब्राह्मण स्त्री की सन्तान है।

कुष—(या कुष) उरता (२८।२९) के अनुसार यह एक सत्रिय पुत्र्य एवं स्त्री के पुत्र प्रेम का प्रतिफल है।

कुष—यह आज की मरका जाति (गर्बकी) एक ब्रह्म उपजाति है। कामसूत्र (१।५।१७) में कोषाक जाति का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य (२।४८) ने कहा है कि कोष-पत्नियों का ऋण उनके पतियों द्वारा दिया जाता चाहिए, क्योंकि उनका पेशा एक कमाई शन स्थितो परही (जनकी पत्नियों परही) निर्भर करती है।

कुषक—ब्राह्मण पुत्र्य एवं विधवा ब्राह्मणी के भोरिक-विवाह (पुत्र प्रेम) की सन्तान कुषक है। वैशिए मनु (३।१७५) कनु-साताप (१।५) सूतसंहिता (शिव १२।१२)।

कुषी—यह ब्रह्म पुत्र्य एवं वैश्य स्त्री की सन्तान (उद्यता २२।२३) है और ठेक कुषी वा गमक का व्यवसाय करती है। सम्भक्त यह तैलिक (तेली) जाति है। द्वारिच एवं ब्रह्मपुराण के अनुसार यह ठेक वा व्यवसाय करनेवाली जाति है। वैशामन (१।१२३) के अनुसार यह जाति एक वैश्य पुत्र्य एवं ब्राह्मणी के पुत्र प्रेम का प्रतिफल है और गमक एवं ठेक का व्यवसाय करती है।

कुषकार—यह अल्पयज्ञ है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८) आपस्तम्बधर्मसूत्र (९।३२) पराशर (६।४४) में इसका उल्लेख है। उरता में इसे ब्रह्म एवं सत्रिय नन्या (५) की तथा वैदेहक एवं ब्राह्मण कन्या (२१) की सन्तान माना है। ब्रह्मण कता वैशामन (१।१५) में भी पायी जाती है। मनु (५।२।१८) में इसे धर्मिकर्तों माना है। नतिपय स्मृत्यनुसार यह सात अल्पयज्ञों में एक है। सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री से आयोजन की सन्तान है। पत्रिचामी श्रावण में इसे चाम्भार एवं अन्य श्रावणों में अमार कहा जाता है। यही जाति मोषी भी नहीं जाती है।

कुषिक—अमर के अनुसार यह बन्दी बनायेवाला व्यक्ति है। शीरस्तामी में इसे रावा ने भागमन पर पन्दी बनायेवाला और वैताकिक के लक्ष्य कहा है। अपपर्व में घब (कच) और सुमनु वा

उल्लेख कर जासिक और तीक्ष्ण को पुष्क-पुष्क उपजाति माना है। वैशानम (१ ११५) ने इसे पूर पुष्प एवं वैश्य जाती के प्रथम का प्रतिफल माना है और कहा है कि इसकी वृत्ति ममक लेख एवं क्षमी बेषता है।

शाब्दात्म—वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है (तीर्तीयय ब्राह्मण ३।१।१५ ३।१।१७) छान्दोग्योपनिषद् ५।१ १७) गौतम (४।१५ १६) बसिष्ठधर्मसूत्र (१८।१) बौधायनधर्मसूत्र (१।७) मनु (१ ११२) याज्ञवल्क्य (१।१३) एवं अश्वलासनपर्य (४८।११) के अनुसार यह गृह्य द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिक्रम सन्तान है। मनु ने (१ ११२) इसे निम्नतम मनुष्य माना है और याज्ञवल्क्य (१।१३) ने सर्ववर्गबहिष्कृत घोषित किया है। यह कुतो एव कौबो की घोषी से उल्ला गया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।१।५ गौतम १।५।२५, याज्ञवल्क्य १ १०३)।^{११} शाब्दात्म तीन प्रकार के होते हैं (वेदव्यासस्मृति १।९।१) —(१) गृह्य एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान (२) विषवा-सन्तान एव (३) समोत्र विवाह से उत्पन्न सन्तान। यम के अनुसार निम्न प्रकार प्रख्यात हैं—(१) सम्प्राप्ती होने के अनन्तर पुत्र गृह्य होने पर यदि पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र शाब्दात्म होता है (२) सगोत्र बन्धा में उत्पन्न सन्तान एव (३) गृह्य एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान। अश्वसहिता (५९) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (१ १५।१-५९) में बताया है कि शाब्दात्म एक शयवा को पाँच के बाहर रहता चाहिए, उनके बरतन बर्ण में तपाते पर भी प्रयाग में नहीं जाने चाहिए, उनकी सम्पत्ति कुतो एवं गच्छे हैं गर्भों के कण्डे ही उनके परिधान हैं उन्हें टूटे-फटे बरतन में ही भोजन करना चाहिए, उनके आभूषण लोहे से होने चाहिए, उन्हें लगातार घूमते रहना चाहिए, यदि वे नगर या ग्राम के भीतर नहीं आ सकते उन्हें बिना सम्बन्धियों वाले गर्भों को बोना चाहिए, वे राजा में अस्कार का काम करते हैं वे किसी पानेवाले व्यक्ति या के परिधान गहने एवं वीषा न सकते हैं। उषाना (९।१) विष्णुधर्मसूत्र (१६।११ १५) शान्तिपर्य (१४।१।२ ३०) में कुछ इसी प्रकार का बर्णन है। पाहियान (४ ५-४११ ई) में भी शाब्दात्मों के विषय में लिखा है कि जब वे नगर या बाजार में घूमने के वा सखी के किसी दुबड़े (इसे) से स्वर उत्पन्न करते जलते से त्रिषेध कि लामो को उनके प्रवेश की भूचना मित्र जाय और स्वर्ण न हो सके।

शौल—मनु (१ १४३-४५) के अनुसार यह घाटों की स्थिति में उत्पन्न हुआ जाति है। मत्स्यपर्य (५।१।२३) वनपत्र (१७।१।२) एवं उद्योगपर्य (१९।१५) में भी इसका उल्लेख हुआ है।

शुक्रशु—मनु (१ १४८) के अनुसार येद अग्नि शुक्र एव मनु की वृत्ति है जपली पशुजा को मारता। शुक्रन न शुक्रशु को ब्राह्मण एवं वैदेहक जाती की मन्तान बना है।

शुशु—वैशानम (१ ११३) के अनुसार यह वैश्य एव गृह्य जाती की सन्तान है और इसका व्यवसाय है पान पीनी खादि का अय-विषय।

शैलनिर्देवक (या शैलन निर्देवक)—यह घोषी है (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।१५, मनु (७।२।१५)। विष्णु ने अरुण में उरुक का उल्लेख किया है। हारीण ने लिखा है कि उरुक कण्डा रण्डे (एरेर) का नाम करता है और निर्देवक करता पाने का कार्य करता है।

जातीयबीबी—एर बीर्ज में समान आत्म द्वारा पशुओं को पचाने का व्यवसाय करता है। हारीण ने इसने विषय में लिखा है।

११ अर्थात् शनिवर्षात्तथास्यसूत्ररनुवर्णः। इवा च नित्यं विवर्यते इयु बहने वर्णः सवः॥ शैलन (परापरवाचसीय में उद्बुध)।

सस्त्र—मनु (१ १२२) के अनुसार यह करण एव खड्ग का दूधरा नाम है।

डोम्ब (डोम)—धीरस्वामी एव अमर के अनुसार यह स्वयम्प ही है। पराशर ने स्वयम्प डोम्ब एव चाप्यत्र को एक ही श्रेणी में डाला है। बगल बिहार, उत्तर प्रदेश में यह डोम कहा जाता है।

तला या तलक (बड़ई)—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४१) में यह नाम आया है। यह वर्णिक ही है जैसा कि कायस्थों के वर्णन में हमने देखा किया है। मनु (४।२१) विष्णुधर्मसूत्र (५।१।८) महामाय (पाणिनि पर २।४।१) में इसकी चर्चा आती है। महामाय में इसे धूर माना है और अयस्कारो (ओहार) की श्रेणी में रखा है। उचना (४३) में इसे ब्राह्मण एव सुषक (प्रतिशोम) की संज्ञान माला है।

तनुवाय (बुलडा)—इसे कुबिन् (आज का उँठवा बिहार में) भी कहा जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१३) धस आदि में इसका उल्लेख किया है। महामाय (पाणिनि पर २।४।१) में इसे धूर कहा है।

ताम्बूकिक—यह आज का लोसी (बिहार एव उत्तर प्रदेश में) है। कामसूत्र (१।५।३७) में भी इसको चर्चा की है।

ताम्रोपवीची—उतला (१४) के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री एव आयोग्य की संज्ञान है। वैदिकत (१ ११५) में इसे ताम्र कहा है।

तुलसामु (बर्डी)—मनु (४।२।४) में इसकी चर्चा की है। अपराजक हाथ उद्भूत ब्रह्मपुराण में इसे सूषि (सीचिक) कहा गया है।

तैक्किक (तेसी)—विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१५) धस एव सुमन्तु में इसका उल्लेख है।

वरब—मनु (१ १४४) एव उद्योगवर्ष (४।१५) में इसका नाम किया है।

वाय (मधुवा)—वैदिकतसूत्र के अनुसार (२।३।४३) एक उपनिषद् में इसकी चर्चा है। वेद-व्यास (१।१२-१३) में इस अल्पको में मिला है। मनु (१ १३४) में मार्गक वास (वासा?) एव कौर्त को समान माना है।

विवाकीर्ण—मागधमहा सूत्र (२।१।४।११) में यह नाम आया है। अमर ने चाप्याक एव नापिक की विवाकीर्ण कहा है।

वीष्मन्त—पीठम (४।१४) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एव धूर गारी से उत्पन्न अनुलोम जाति है। सुतसंहिता में वीष्मन्त नाम आया है।

वृषिक—मनु (१ १२२) के अनुसार यह करण ही है। मनु (१ १४३-४४) के अनुसार यह धूर की वृषिक में आया हुआ एक क्षत्रिय है।

विन्धन—मनु (१ ११५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष और आयोग्य गारी की संज्ञान है। यह जाति चमरे का व्यवसाय करती थी (मनु १ १४९)। जातिविकेक में इसे मोचीकार कहा गया है।

वीवर—यह कौर्त एव वास के समुच्च है। पीठम (४।१७) के अनुसार यह वीस्य पुरुष एव क्षत्रिय गारी से उत्पन्न प्रतिशोम संज्ञान है। मध्यप्रदेश के मन्डार जिले में यह वीवर कहा जाता है। यह मन्डवी पुरुषों का कार्य करता है।

व्यवी (अराव देवदेवाला)—अपराजक हाथ उद्भूत सुमन्तु एव हापीत में इसका उल्लेख किया है। ब्रह्म-पुराण में इसे सीचिक ही माना है।

वड—यह छोट अल्पको में परिचित जाति है। बगल बिहार, उत्तर प्रदेश एव पंजाब में यह बहुत जाति है। हापीत में नट एव वीष्म में अन्तर बताया है। अपराजक के अनुसार वीष्म अजितन-वीची जाति है। वरधि यह नट जाति से मिस है। नट जाति अपने श्रेणी में किए प्रसिद्ध है। यह रसिकों एव धारु के श्रेणी में किए धारे भारत में प्रसिद्ध है।

मर्तक—उद्यना (१९) के अनुसार यह एक वैश्य नाटी एक रजक की संज्ञा है। बृहस्पति ने मृत एक पर्वतों को बलम-अद्यना रूप से उल्लिखित किया है। ब्राह्मणों के लिए उतका अन्न अमाग्य था। बलि (७।२) ने भी दोनों की पूजक-पूजक बर्षा की है।

माप्ति (मार्ति)—पूजाकर्ष संस्कार में शास्त्रायनगृह्यसूत्र (१।२५) ने इसका नाम किया है। उद्यना (३२ ३४) एक वैश्वानर (१।१२) ने इसे ब्राह्मण पुंस्य एक वैश्य नाटी के पुत्र प्रेम का प्रतिफल माना है। उद्यना ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह नामि से ऊपर के बाक बनाता है अथ यह माप्ति है।^१ वैश्वानर (१।१५) ने लिखा है कि यह अम्बष्ठ पुंस्य एक क्षत्रिय नाटी की संज्ञा है और नामि से नीचे के बाक बनाता है। इसी प्रकार कई एक भारभारों उल्लिखित मिलती हैं।

किष्किनि—मनु (१।१२२) के अनुसार यह करण एक सद्य का दूसरा नाम है। सम्भवत यह किष्किनि या किष्किनि का अपभ्रंस है।

निपाद—वैदिक साहित्य में भी यह शब्द आया है (तैत्तिरीय संहिता ४।५।४।७)। निरुक्त (३।८) ने ऋग्वेद (१।५३।४) के पञ्चमनामम होत्र अणुष्वयुं की व्याख्या करते हुए कहा है कि औपमन्यव के अनुसार पाँच (जनों) सोमों में चारों बर्षों के छान पाँचवीं जाति निपाद भी सम्मिलित है। इसमें स्पष्ट है कि औपमन्यव ने निपादा को पूत्रों के अतिरिक्त एक पूजक जाति में परिगणित किया है। बीषायन (१।९।३) बसिष्ठ (१।८।८) मनु (१।८) अनुशासनपर्व (४।८।५) याज्ञवल्क्य (१।९।१) के अनुसार निपाद ब्राह्मण पुंस्य एक गृह स्त्री से उत्पन्न अनुकीम संज्ञात है। इसका दूसरा नाम है पारश्वन। कतिपय बर्षशास्त्रकारों ने निपादों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न बात लिखी हैं। रामायण में निपादों के राजा गृह में गता पार करने में राम की सहायता की थी।

पङ्कज—मनु (१।४३-४४) ने इसे पूत्रों की स्मृति में आना हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत में पङ्कजों पार्यों एक अन्य अन्तर्ग लोगो का उल्लेख किया है (समापर्व ३।२।१६ १७) उद्योगपर्व (४।१५) भीष्मपर्व (२।१३)।

पात्सुतोपाक—मनु (१।१७) के अनुसार यह एक चाण्डाल पुंस्य एक वैश्वेदक नाटी की संज्ञा है और बाँटा का व्यवसाय करता है। यह बुध ही है।

पारद—जैसा कि पङ्कजों की बर्षा करते हुए लिखा गया है यह महाभारत में अनायों एक स्मेज्जों में परिगणित हुआ है (समापर्व ३।२।१६, १।१।२२ ५२।३ शौर्षपर्व ९३।४२ एवं १२।१।१३)। बेरिए, यवन भी।

पारश्वन—आदिपर्व (१।९।२५) में विदुर को पारश्वन कहा गया है और उसका विवाह पारश्वन राजा देवक की पुत्री से हुआ था।

पिगाक—सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण पुंस्य एक आयोष्य नाटी की संज्ञा है।

पुष्पु या पौष्पुक—महाभारत में यह अनायों में परिगणित है (शौर्ष ९३।४४ अ स्मृतिसिद्ध २।९।१५ १६)।

पुलिन्द—वैदिक साहित्य में इसकी बर्षा हुई है (एतरेय ब्राह्मण ३।३।९) यह विगता या घबरा की जाति पर्वतीय जाति थी। बनपर्व (१४।१२५) में पुलिन्दों विगता एक वयनों को हिमालयवासी कहा गया है। उद्यना (१५) ने पुलिन्द की वैश्य पुंस्य एक क्षत्रिय नाटी की अवैष्य संज्ञात कहा है और पशुना का पालनवाला एक अगनी पशुओं को मारकर जानेवाला कहा है। यह बात वैश्वानर (१।१४) में भी है।

पुस्वत (या पीस्वस)—यह पुस्वत भी लिखा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।३।२२) पर शबराचार्यों ने

पुस्तक एक पौन्य को एक समान कहा है। यह निपाद पुस्तक एक सूत्र मारी की सन्तान है (बीभान १।५।५ मनु १।१८)। सूत्रसंहिता एक बीजान्त से यह धारा बताने और वेचनेवाला कहा गया है।^{११} अग्निपुत्र ने पुस्तक को विकारी कहा गया है। किन्तु धर्मशास्त्रकारों ने पुस्तकों की उत्पत्ति के विषय में बड़ा मतभेद है।

पुष्कर—यह एक अन्त्य है (शिवस्मृतिसुक्ति १।१२)।

पुष्य—मनु (१।१२१) के अनुसार यह आबन्ध का दूसरा नाम है।

पौष्पक (या पौष्य)—वेदिए, पुष्पु।

पौन्य—वेदिए, उमर पुस्तक।

बन्धी—वेदिए, नीचे बन्धी।

बर्बर—मेघादिनि (मनु १।१४) ने बर्बरों को 'सकीर्मोनि' कहा है। महाभारत में बर्बरों को एक, धर्म, धर्म पक्षक आदि बतार्य जातियों ने गिना गया है (समा ३।२।१६ १७ ५।१।२३ वन २५।१।२८ शौच १।२।१३ मनुशासन २।५।१७ शांति ६।५।१३)।

बाह्य—वेदिए, उमर अन्त्य।

बुद्ध (बौद्ध का काम करनेवाला)—यह सात अन्त्यों में एक है। यह 'बुद्ध' भी लिखा जाता है। उग्रोत्तम यह बहुत पाठि है।

भद्र—शिवस्मृतिसुक्ति (१।१२) के अनुसार यह अन्त्य है। वेदिए, नीचे उभावधारी।

भिल्ल—यह अन्त्य है (अगिण अग्नि १।१९ मनु ३।३)।

भिवक—उत्तना (२६) के अनुसार यह ब्राह्मण पुस्तक एक क्षत्रिय कथा के मूल प्रेम का प्रतिफल है और कामुर्ध को बाट धामों में पढ़कर अपना व्योतिष फलित-व्याप्ति गणित के द्वारा (२७) अपनी भीषिका बसाता है। अपराध के अनुसार यह भीर-काह एक रोषियों की सेवा कर अपनी भीषिका बसाता है।

भुव—यह एक वैश्य पुस्तक एक क्षत्रिय मारी की सन्तान है (इत्यमर-मत्तव में उद्धृत मनु के अनुसार)।

भुवककठ—मनु (१।१२१) के अनुसार यह एक क्षत्रिय ब्राह्मण एक ब्राह्मणी की सन्तान है। कई प्रवेसों में यह आबन्ध या बाटवान एक पुष्य या पौष नाम से विख्यात है।

भुवककठ (अम्बकठ)—गौतम में उल्लिखित कई भाषाओं (५।१७) के अनुसार यह वैश्य पुस्तक एक ब्राह्मण मारी की सन्तान है।

भोज—सूत्रसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय स्त्री एक वैश्य पुस्तक की सन्तान है।

भुवु—मनु (१।१८) के अनुसार यह जगती पशुओं की मारकर अपनी भीषिका बसाता है। कुल्लू ने मनु के इस क्लोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह ब्राह्मण एक बन्धी मारी की सन्तान है। किन्तु बीजान्त (१।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुस्तक एक वैश्य मारी की वैश सन्तान है और लज्जे का व्यवसाय न करने सेट्टी (व्यापारी) का काम करता है।

भविभार—उत्तना (३९४) के अनुसार यह क्षत्रिय पुस्तक एक वैश्य मारी के मूल प्रेम का प्रतिफल है और मोदिदा सौमियों एक सखों का व्यवसाय करता है। सूत्रसंहिता ने अनुसार यह वैश्य पुस्तक एक वैश्य मारी के मूल प्रेम का प्रतिफल है।

मत्स्यब्रह्मक (वायुमा)—उपाता (४४) के अनुसार यह तटाक (बडई) एवं क्षत्रिय गारी की सन्तान है।

मत्स्य—मनु (१ १२२) में इसे शस्त का पर्यायवाची माना है।

मालय—यह वैश्य पुत्र्य एवं क्षत्रिय गारी की प्रतिक्रम सन्तान है (गीतम ४१५, अनुशासन ४८१२ वीटिय ३१० मनु १ १११ १७ याज्ञवल्क्य १।१९३)। किन्तु कुछ जागो में इसे वैश्य पुत्र्य एवं ब्राह्मणी की सन्तान माना है (गीतम ४११९ उभया ७ वैशामस १ ११३ में बर्षित आशायों का मत)। शौषायन (१।९।३) में इन मूत्र पुत्र्य एवं क्षत्रिय गारी की सन्तान माना है। मनु (१ १४७) में इसे स्वस-मार्ग वा व्यापारी अनुशासन पर्व (१।१४८) में स्तुति करनेवाला या बन्दी माना है। सहायिकण्ड (२६।९ १२) में भी इसे अन्नारयुक्त छत्र करनेवाला बन्दी (बन्दिन्) माना है। वैशामस (१ ११३) में इसे मूत्र कहा है। उपाता (७-८) में इसे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय का स्तुतिवर्ग माना है। पाणिनि (४।१।७) में इसे मगध देश का बन्दी कहा है किन्तु आदि के अर्थ में नहीं।

माचबिक—मूत्रसंहिता के अनुसार यह मूत्र पुत्र्य एवं मूत्र गारी के गुण प्रेम का प्रतिफल है।

मर्षय—चाण्डाल के समान। वाइश्वरी और अमरकोश में मलय एक चाण्डाल एक-दूसरे के पर्यायवाची बड़े रूप हैं। मम (१२) में भी इसे चाण्डाल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। बर्षई एक उड़ीसा में मम से माय एक मम नामक अष्टम आतियाँ पायी जाती हैं।

मार्षक—यह बर्षट (नेबट) के समान ही है। वेदिय मनु १ १३४।

माताकार या मात्सिक (माली)—माताकार बेदव्यागम्भुति (१।१०-११) में आया है। यह आज भी माली कावि का घोलक है।

मार्षिय—गीतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१।१२) में उल्लिखित आशायों के अनुसार यह क्षत्रिय पुत्र्य एवं वैश्य गारी के अनुक्रम विवाह से उत्पन्न सन्तान है। सहायिकण्ड (२६।४५ ४६) के अनुसार यह उपनयन मन्त्र वा अर्पिगारी है और इसमें व्यवसाय है पण्डित ज्योतिष भविष्यवाणी करना एवं ज्ञानम बनाना। जूनसंहिता में इसे अम्बट्ट ही कहा है।

मूर्षवितिक—गीतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१।१) में उल्लिखित आशायों के अनुसार यह ब्राह्मण पुत्र्य एवं क्षत्रिय गारी से उत्पन्न अनुक्रम आदि है। वैशामस (१ ११२) में ब्राह्मण पुत्र्य एवं क्षत्रिय गारी की वैश्य सन्तान को मर्षवितिक अनुक्रम माना है और इनके गुण प्रेम में उत्पन्न अर्थात् अर्षक सन्तान को अर्षवितिक माना है। परितयव्याजिपक हा आप ठा बर राया हो मरता है नहीं तो आपुर्षक जून प्रत-विद्या ज्योतिष मन्त्र आदि न करनी बीहिका बनता है।

मूर्षक—पाणिनि के महाभाष्य (२।१।१) में यह मूत्र कहा गया है जिसका मूत्र वर्णन अग्नि में भी पवित्र गरी किया जा सकता। यह चाण्डालों के विष आदि का माना गया है।

मेरु—यह माय अल्पयज्ञ से एक है (देविया ऊपर अल्पयज्ञ)। अग्नि (१) में लिखा है—एकवर्षमहायज्ञ मरु मूत्र एक व। १ वर्षमर्षवितिकय मन्त्रेण चाण्डयज्ञा स्वयम्। (देविया पत्र ३३) गरी-गरी किं के स्थान पर मन्त्र एक प्रयुक्त हो गया है। मे- का नाम माण्ड (वाकाशय ११) में भी आया है। अनुशासन (२०।२०) में मेरा पुत्र्यता एक अन्नारयविविधा व नाम लिखे है। टीकाकार जीवकण्ड में मेरो को जून वानुओं व माय अल्पक कहा है।

१३ वैशाली पुत्र्यमाना व तर्षवाग्नेयवितिकम् (—आन्नावनाविनाम् ?) अनुशासन ३२ १२३; अन्नां पौर्षवितिकीनां मालवतन्त्री: मेरुः। मालवकण्ड।

मनु (१ १३६) ने वैश्व को वैदेहक पुष्य एव त्रिपाद नारी की सन्तान कहा है। मनु (१ १४८) ने इसके अन्वयानुसारेण एक मद्गु का अन्वयानुसारेण ब्रह्मशास्त्र का अन्वयानुसारेण ब्रह्मशास्त्र की मारणा कहा है।

मैत्र—मनु (१ १२३) ने इसे काश्यप ही कहा है।

मैत्रेयक—मनु (१ १२३) के अनुसार यह वैदेहक पुष्य एव आयोगव नारी की सन्तान है। इसकी जीविका है राजाजी एव बडे सोमा (बनिको) की स्तुति करना एव प्रात कास्यपटी बनाना। आतिथिवेक ने इसे बालकभा कहा है।

मैत्रेयक—स्तुतसंहिता ने अनुसार यह ब्राह्मण नारी एव वैश्य पुष्य के गुप्त प्रेम की सन्तान है।

यजुष—मैत्रेय (४ १७) ने उल्लिखित आचार्यों के मत से यह ब्रह्म पुष्य एव अश्विनी नारी से उत्पन्न प्रतियोग वाति है। मनु (१ १४३ ४४) ने यजुषों को ब्रह्मों की स्थिति में पतिव्रत अश्विनी माना है। महाभारत में यजुष शेष शक्यो तथा अन्य मतार्थों के साथ ब्रह्मिण्ड है (महाभारत ३२/२९ ३७ ब्रह्मण्य २५ ४१२८ उद्योगपर्यं १९/२१ भीष्मपर्यं २ ११३ द्रोणपर्यं १३/२४ एव १२/१३३ कर्मपर्यं ७३/२९ शान्तिपर्यं ६५/२६ स्त्रीपर्यं २२/११)। ज्ञात होता है कि सिल्लु एव सोमरी के राजा ब्रह्मण्य के अन्त पुर में काम्बोज एव यजुष शिखा थी। पाणिनि (४/१/५) महाभारत (२/४११) अशोक प्रस्तावितकेन (५ एव १३) विष्णुपुराण (४/३/२१) में यजुषों की उपाधि हुई है।

ब्रह्मण्य (सायण)—मनु (४/२/२५) के अनुसार यह वैश्य एव मायव से सिद्ध वाति है। सब (१७ ३६) एव विष्णुवर्त्मसूत्र (५/१/१४) ने भी इसकी उपाधि की है। ब्रह्मपुराण के अनुसार यह नट है जो रथमण पर कार्य करता है यजुष एव मुलाहवियों के परिवर्तन आदि का अन्वयानुसारेण करता है। मैत्री नामक उपनिषद् में नट एव नर के साथ राजावतारी का उल्लेख है।^५

रजक (वीची)—बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एव बनारस (वीचा) में वीची एक बहुत वाति है। कुछ आचार्यों के अनुसार यह सात अल्पवयों में जाता है। वैश्वानर (१ १२५) के अनुसार यह पुष्कल (वा वैदेहक) एव ब्राह्मण स्त्री की सन्तान है। किन्तु उद्यमा (१८) ने इसे पुष्कल पुष्य एव वैश्य कन्या की सन्तान माना है। महाभाष्य (२/४/१) ने इसे ब्रह्म कहा है।

रजक (रज्याज)—मनु (४/२/२६) ने इसका उल्लेख किया है। उद्यमा (१९) ने इसे ब्रह्म पुष्य एव अश्विनी नारी के गुप्त प्रेम की सन्तान माना है।

रजकार—वैदिक ग्राह्यत्व में भी इसकी उपाधि जाती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३/४/१)। नीचायनमुद्रसूत्र (२/ ५/६) एव मारुतानुद्रसूत्र (१) के अनुसार इसका उपनयन वर्षों बाद में होता था। नीचायनमुद्रसूत्र (१/१/६) ने इसे वैश्य पुष्य एव ब्रह्म नारी के वैश्व विवाह का प्रतिफल माना है। बर्मसायणकारों ने इसकी उत्पत्ति के विषय में मतभेद प्रकट किया है। इसका अन्वयानुसारेण रज-निर्माण है।

राजक—वशिष्ठवर्त्मसूत्र (१/८/६) ने इसे वैश्य पुष्य एव ब्राह्मण नारी की प्रतिशोम सन्तान कहा है। इती की गीतमन्वसूत्र (४/१/५) एव नीचायनमुद्रसूत्र के अनुसार नम से इन्द्र एव वैदेहक कहा जाता है।

सुष्कल—मृग का शिकार करनेवाला। इसको स्याम भी कहते हैं।

सेवक—यदि यह वाति है तो इसे कान्तत्व ही धरजना चाहिए। वैदिक काश्यप वाति का विवरण।

१८ ये वात्ये ह वाद्यमन्वसूत्रमन्वसूत्रप्रवृत्तिरपास्तारिषो राव्यकर्मणि शक्तिराव्यम----- टी: सङ्ग न समेतम्।
वैची उच्य ७/८।

कोहवार (कोहवार)—देखिए पीछे कर्मर । तारर (पञ्चायत २८८) ने इसकी जर्ना की है, यथा 'बारीक कोहवारो य कुसलनचामिनकर्मणि । उत्तर प्रदेश एव बिहार मे इसे काहार कहा जाता है ।

बन्दी (बन्धना करनेवाला, भाव 'बन्दी' भी कहा जाता है)—हारीत ने इस वैश्य पुत्र एव क्षत्रिय नारी की प्रतिक्रम सन्तान कहा है । ब्रह्मपुराण ने इसे सोया की स्तुति या धन्वना करनेवाला माना है ।

बराह—व्यास (१।१२-१३) ने इसे अल्पजो मे परिगणित किया है ।

बराह (बाँस का काम करनेवाला)—इसे वृह भी शिखा जाता है । महाभाष्य (४।१।१७) न 'बराह' से बना हुआ का उदाहरण दिया है । 'वैश्वदेव्य संहिता (४।५।१) म 'बिबलकारी' (बाँस पीरनेवाला) एव कामधेयी संहिता (३।१८) म 'बिबलकारी' शब्दो का प्रयोग हुआ है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलो म बाँस के काम करनेवालो को बरकार भी कहा जाता है ।

बाहवान—मनु (१।१२१) ने इसे माबन्ध माना है । देखिए ऊपर आबन्ध ।

बिबलना—मनु (१।१२३) ने अनुसार यह वारण का ही धातव है ।

बैध (बैध)—मनु (१।१२९) एव बौधायन (१।१।१३) क अनुसार यह वैदेहक पुत्र एव अम्व्य नारी की सन्तान है । कौटिल्य (३।७) न बैध को अम्व्य पुर एव वैदेहक नारी की सन्तान माना है । मनु (१।१४९) न इसे बाना बनानेवाला कहा है । कुत्सक (मनु ४।२।१५) ने इसे बृह की मूर्ति बाँध का काम करनेवाला माना है ।

बभ्रुव—उषना (४) म इस सूत एव ब्राह्मणी की प्रतिक्रम सन्तान कहा है । वैश्वानर (१।१५) न इसे मङ्गु एव ब्राह्मणी की प्रतिक्रम सन्तान कहा है । यह आदि बौधा एव मुरली बनाने का कार्य करती है । सूतसंहिता ने इसे नार्द (मापित) एव ब्राह्मणी की सन्तान कहा है ।

बैश्व—सूतसंहिता ने इस धृष्ट पुत्र एव क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है ।

वैदेहक—बौधायन (१।१।८) कौटिल्य (३।७) मनु (१।१२१-१३-१७) बिल्पु (१।५।६) तारर (स्त्री-पुत्र १११) याज्ञ (१।१३) अनुशासन पर्व (४।८।१) ने अनुसार यह वैश्य पुत्र एव ब्राह्मण नारी की प्रतिक्रम सन्तान है । किन्तु यौतम (४।१५) ने अनुसार यह बृह पुर एव क्षत्रिय नारी की सन्तान है । वैश्वानर (१।१-१४) एव कुछ आचार्यों के मत (यौतम ४।१७ एव उषना २) स यह बृह पुत्र एव वैश्य नारी की सन्तान है । मनु (१।१७०) एव अग्निपुराण (१५।१।१४) के अनुसार इसका व्यवसाय है अश्व पुर की स्त्रियो की रखा करना । किन्तु उषना (२०-२१) एव वैश्वानर (१।१५) ने इसे बन्दी भेड़ याप भेड़ चरणेवाला तथा रूप रही मन्थन की वैश्वेनेवाला कहा है । सूतसंहिता ने वैदेह एव पुन्धन को समान माना है ।

व्यास (शिखारी या श्लेष्मिया)—मुमनु, हारीत याज्ञ (२।४८) आपस्तम्ब आदि ने इसका उल्लेख किया है ।

बन्ध—आपस्तम्बधर्मयुत (१।१।१२२-१।२।१) तथा अश्व सूतो ने बन्ध को एसी जाति बाधा कहा है, जिधके पूर्वजो का उपमन नहीं हुआ हो । किन्तु बौधायन (१।१।१५) ने बन्ध को कर्मसकर कहा क्या है ।

बाह—मनु (१।१।४-४८) ने शब्दो को यज्ञो क साथ कणित किया है और उरु शूद्रा की श्रेणी के पठित क्षत्रिय माना है । इस विषय मे यज्ञ न बर्नन भी पढ़िए । महाभारत म भी इनका बर्णन है (महा ३।२।१६-१७ उद्योग ४।१५, १९।२१-१९।१३ यौतम २।१३ द्रोण १२।१।३) । पाणिनि (४।१।१७-१) न 'बन्धोवादि बन्' मे बाह का उल्लेख किया है ।

बाहर—मिस्स के समान जयभी आदिवासी । महाभारत मे इनका बर्णन है (अनुशासनपर्व ३५।१७) शान्तिपर्व (९।१३) ।

धातक—सूतसंहिता ने इसे मागध ही माना है । दण्डि, ऊपर ।

पूर्विक—उमना (४०) ने इसे ब्राह्मण पुराण एक सूत्र मारी की अर्द्ध सन्तान कहा है और बर्षिण्ड सेनी के मूनी देनेवाला घोषित किया है। बीखानठ (१ १२२) एक मूठमहिवा न इसे शक्तिपुस्त्य एक सूत्र मारी के बुध के प्रतिक्रम माना है।

दीव—मनु (१ १२१) न अनुसार यह आन्त्य ही है।

दीव—विष्णुधर्मसूत्र (५१११३) मनु (४१०१४) शरीर आवि ने इसे रणावधारी से मित एक इन्द्रा न दे इन मनु न विष्णु जीविका यात्रनेवाला कहा है। व्यास्तम्ब (११३८) ने इस रजक एक व्याप की घोषी मना है। यही बात यात्रवन्ध (२१८८) म भी पायी जाती है।

दीर्घिक (मुरा वैद्यकशास्त्र)—विष्णु (५१११५) मनु (४१२१६) यात्र (२१४८) एक इन्द्रा ने इसका उल्लेख किया है।

इक्षवक या इक्षवाक—व्यास (११२२ १३) न इसे अल्पबो म परिगणित किया है। पामिनि (१११११८) के बुधनादि म यह आया है। यह उग्र पुराण एक दाता उग्रजाति की मारी की सन्तान है (बीजम्ब ११५ १० शौण्डिय ३१३)। मनु न इगेदाता पुराण एक उग्र मारी से उत्पन्न माना है। उग्रना (१११) ने इसे वात्र पुराण एक बीव्य मारी की सन्तान कहा है। मनु (१ १११-५६) ने अनुसार चारडाक एक स्वयं एक ही पत्र माय बरत है (बीजम्ब चारडाक)। य काय वृत्त का नाम पाते हैं और कुत्ते ही इनका पन है (उग्रना १३)। ये मगरी की मगरी बरत है और धमपात म गने है (मनु १ १५५)। य मनेचारा से रहित मुरा के मने है उग्रना का नाम बरत है भाति-आति। मगबर्गीता (२११८) म य मोग कुत्ते की धर्मी न रत से है। मार्वरव्युत्पन्न म ये चारडाक भी बर गये है अर्थात् इनम और चारडाका म बोर्द अन्तर रही है। यह बिबेक से ये बर्षिण्ड न मग्न एक मग न गमान मान गये है।

साल्वन—मनु (१ १२३) न इस शक्ति ही माना है।

मुपचाचार्य—मनु (१ १ ३) न इस शक्ति ही माना है।

मुषर्ष—उमना (४) न अनुसार यह ब्राह्मण पुराण एक शक्ति मारी के अर्द्ध विवाह ही सन्तान है। अक्षयका दां विष्णु म र्त है मारी है और मुषर्ष का मयम हाता चाहिए। उसे अक्षय के अक्षय मने-मग्नर बरता चाहिए मारा की आका म पाठ शरीर या रक्त की मकारी बरनी चाहिए। यह मने-मग्न र्त का नाम बर मना है।

मुषर्षकार या मोषर्ष या मोषर (मोषर)—अक्षयनेवी महिता (३ १०) एक शक्ति मने (३११११८) म विष्णुकार का उग्रना हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (१ १४) एक मारद (चारडाक १३) के अनुसार मारद शीव मारक विष्णु म मारक बरता या। मुषर्ष पात्र आदि म इस मने-मग्नर एक विष्णु के धर्मी से लिया है। मनु (१ २) ने इस कुत्ता म दण्ड कहा है (मार्वरव्युत्पन्न)। मग्नपात से ये आया है विष्णुधर्मसूत्र की चारडाक म अक्षय कुत्ता मगा ने शक्ति की मारद। एक मग्नना का बरत एक चारडाक बर लिया है।

मुषर्ष—मनु शीव पुराण एक मारी की अनुसार म

सूचिक या शौचिक या सूचि—जो सूई से कार्य करता है, वर्जित नहीं। यह वैदेहक पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की प्रतिशोभ सम्मान है (बैशाख १ ११५ एवं उग्रना २०) और सूई का अर्धत्वं सीने-पिराने का काम करता है। कमरकोश के अनुधार शौचिक भी सुप्रथम ही है (देखिए ऊपर) और बह्मपुराण में सूचि भी सुप्रथम कहा गया है।

सूत—वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में भी यह नाम आया है। यह क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिशोभ सम्मान है (गीतग ४।१५, बौधायन १।१।९, बभ्रुव १।८।६, कौटिल्य ३।७, मनु १।११, नारद स्त्रीसूत्र ११, विष्णु १६।६, याज्ञ १।१३, एवं सूतसंहिता)। स्तुतिमान करने वाले सूत से यह मिल है ऐसा कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है। सूत का व्यवसाय है रथ हाँकना अर्थात् घोड़ा चोतना शोभना आदि (मनु १।४०)। बैशाख (१ ११३) के अनुसार इसका कार्य है राजा को उससे वर्तमान की याद दिलाता एवं उसके लिए भोजन बनाना। कर्षण (३०।४८) के अनुसार यह ब्राह्मण-अधिया का परिचारक है। वायुपुराण (विंश १।१।३३, ३४, विंश २।१।१३९) ने इसे राजाओं एवं पतिव्रता की वधा बड़ी परम्पराओं की सुरक्षा करनेवाला कहा है। जिनसे यह वेदाध्ययन नहीं कर सकता एवं अपनी जीविका के लिए राजाओं पर आश्रित रहता है और रथों चोरो एवं हाथियों की रक्षायी करता है। यह जीविका के लिए वधा देने का कार्य भी कर सकता है। बैशाख (१ ११३) एवं सूतसंहिता में स्पष्ट शब्दा में आया है कि सूत एक रथकार में अन्तर है जिनसे सूत तो वैदिक विवाह की मन्त्राण है जिनसे रथकार क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण नारी के गुण प्रथम की सम्मान है।

सूचिक या शौचिक (जसाई)—यह आयोग्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सम्मान है (उग्रना १८)। शरीर में इसे रजक एवं चर्मकार की यन्त्री में रखा है। बह्मपुराण में इस 'पशुमारक' कहा है। जानिकिक के अनुसार यह 'साठिक' है।

सैरिग्रह—मनु (१ १३०) के अनुसार यह वसु पुरुष एवं आयोग्य नारी की सम्मान है पुरुषों एवं नारियों के नाम विद्या में अपनी जीविका चलाना है। यह काम (उच्छिष्ट मात्रक करनेवाला) नहीं है ही शरीर बचाने का कार्य करता है। पाणिनि (४।३।११८) ने अपने 'बुद्धाकारिण' में इस पर्यायित किया है। महाभारत में सैरिग्रही के रूप में द्रौपदी ने बिगट-नारी की में सेवार्थ की है वधा को संभारना लेपन करना माता बनाना (विद्यार्थ ९।१८ १९)। इसी प्रकार दमयन्ती अश्वत्थाम की माता की सैरिग्रही बनी थी (वनपर्व १५।६८, ७)। आदिपर्व के अनुसार सैरिग्रह मृगों को मारकर राजाओं के अन्न-पुरों एवं छत्राग पायी हुई मांगिया की रक्षायी करने वाली जीविका चलाना है (सूक्तमन्त्रान् म उग्रना)।

सत्वाक—यह चण्डाल (या चाण्डाल) पुरुष एवं पुरुषम नारी की सम्मान है (मनु १ १३८)। यह राजा में दण्डन लाया को पानी देने समय जलवार का कार्य करता है।

सौषधक—देखिए कामसूत्र (३।५।३०)। इसे रथकार भी कहा जाता है। उग्रना जानि-सूची में व्यक्त होता है कि स्मृतिया में बर्जित क्षत्रिय जातियाँ वधा अस्पृश्य मायप मन्त्र एवं वैदेहक प्रयोगों में सम्मिलित हैं (अस्पृश्य मरण विदेश आदि) तथा कुछ जातियाँ आश्रीत विद्या एवं गण काम्य विहित जातियाँ एवं आश्रित हैं। मनु (१ १४३ ८५) एवं महाभारत (अनुशासनपर्व ३३।०१ २३ २५।१०-१८) ने राजा वधना कम्बुका इन्द्रिया दण्डा दण्डन विद्याओं आदि को मुख्य क्षत्रिय माना है किन्तु वे ब्राह्मणों के सम्पर्क में हुए ही जाते हैं चर्मकार एका की स्थिति में परिवर्तित हो सके हैं। यही बात विष्णुपुराण (४।५।८०-८८) में भी पायी जाती है। अथर्वनाम बुद्धवार चर्मकार तथा सैरिग्रह रथ रथकार के आदि

कतिपय व्यवसायों पर आधारित हैं। अति प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग कई प्रकार के व्यवसाय करते पाये जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की सूची जो अपने स्वामाविक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करते थे बहुत सम्बन्धी है (मनु १।१५१)। इस विषय में पण्डितपावन-सम्बन्धी विवेचन भी आये किया जायगा।

अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों में कुछ लोग ऐसे पाये जाते रहे हैं जो अल्पयनाभ्यापन से दूर कोई अन्य व्यवसाय करते थे किन्तु वे ब्राह्मण बने जाते रहे हैं। महाभाष्य में तब वेदाभ्ययन एक अन्य नामक टील वारणों का उल्लेख है जो किसी भी ब्राह्मण के लिए आजस्यक व्यवहारे गये हैं। महाभारत में यह कई बार आया है कि ब्राह्मण जन्म से ही पूर्य है किन्तु कई स्थलों पर जन्म पर आधारित जाति की भर्त्सना भी की गयी है। उद्योगपर्यं (४३।२ एव ४९) शान्तिपर्यं (१८।८।१ १८।९।४ एव ८) वनपर्यं (२।१।१४।१५ ३।१।१ ८।१।१) याज्ञवल्क्य (१।२) बृह गीतम आदि में नैतिकता चरित्र आदि दिग्गुणों वाले व्यक्तियों की ही प्रशंसा की गयी है। कर्म से ही कोई उच्च होता है न कि जन्म से। गीतम में आत्मा के बाढ़ गुणों को परम गौरव दिया है (यथा सर्वभूतेषु शान्तिरनन्यथा लोचमनायातो मदकमनर्त्स्यमस्युहेति) तथापि जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था सभी युगों में बसती बनी रही और कतिपय जातियों ने जाति एव चरित्र से जाति को ही मझता ही।

मध्य काल के जातिविकेक एव मूढ़-जन्मसाधन (१७वीं सताब्दी) नामक ग्रन्थों में कुछ और जातियों का वर्णन है जिनमें कुछ निम्न हैं—

आधातिक या आन्ध्रतिक—बैबेहक पुरप एव मूढ़ मारी की मन्थान पका हुआ मोहन बेकनेनाका। इसे टान्यबन्धु भी कहा जाता है।

आधर्त्तिक—मूत्रवर्ण पुर्य एव ब्राह्मण मारी से उत्पन्न।

४ तप मुत्तं च योनिश्च एतद् ब्राह्मणवारेणम् । तप मुत्ताभ्यां यो हीतो जातिव्यग्रह एव सः ॥ परमिनि के २।२।६ वर महाभाष्य । महाभारत के अनुशासनपर्यं (१२।१।१७) में भी ऐसा ही आया है—तप—ब्राह्मणवारेणम् । विमिर्मुने-समुचिनो ततो प्रवति वै द्विजः ॥ महाभाष्य में एक अन्य वर्ण भी है—भीनि धस्याव्यवस्तानि विद्या योनिश्च वर्णं च । एतच्छिर्दं विद्यानौहि ब्राह्मणाजयस्य तत्रवचम् ॥ (जिस्व २, पृ २२)

४१ अन्वर्त्तव नराभारो ब्राह्मणो नाम जायते । नमस्य सर्वभूताभारतिभिः प्रमुतायमुक् ॥ अनुशासनपर्यं ३५।११; वैश्विण्वे १४३।१६ ।

४२ गार्थं वमस्तपो वानकहिता परमंनित्यना । सावर्त्तानि मदा पुंता न जातिर्न कुलं नृप ॥ वनपर्यं १८।१ । ४२ ४३ ।

४३ तप्यं वानकघोटे आनुास्यं वरा पुना । तपश्च वृत्तये यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ मूढे अंतःकूवेस्तत्र च द्विजि तत्रच न विद्यते । न वै मूढो न वै मूढो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ शान्तिपर्यं १८।९।४ एव ८; और वैश्विण्वे वनपर्यं १८ । २१ । न विद्येयोर्दति वर्त्तानां सर्वं वपयतिश्च जगत् । ब्रह्मणा पुत्रमुत्तं हि वर्मविर्बर्त्तनां स्तम् ॥ शान्ति १८८, १ । तत्रान्तरविषय या मरुता अन्वितेनैव वै द्विजम् । य एव न याप्रापति स ज्यो ब्राह्मणस्तत्त्वया ॥ उद्योगपर्यं ४३।४९, मनु मूढो वसे तन्वे पर्यं च तनोर्त्तनः । स ब्राह्मणमह तन्वे कुतोऽ हि अवेद द्विजः ॥ वनपर्यं २।१।१४।१५, न जातिं कुण्ठने राजम् नृपः वस्याववराणः । अन्वितेनैव कुलव त वेवा ब्राह्मण विदुः ॥ बृहगीतम ।

४४ वैश्विण्वे, वरान्तरव्यापरीय; आनिनीतयोर्त्तये अन्वित्यर्त्त एव प्राच्ययेनापारैव । शीर्षं नृ पवर्त्तनवचम् ।

आहितुविद्वक—निपाद एवं वैद्वक नारी से उत्पन्न। इसे गारुडी भी (मराठी में) कहते हैं।
 औरप्र—मराठी में इसे भगर कहते हैं। यह भेड बनरी बरपा है। उत्तर प्रदेश बिहार में इसे गड़िया कहा जाता है।

कटवानक—आकर्तक पुरप एवं ब्राह्मण नारी की संतान।

कुम्भक—यह नापित (नारी) के समान है।

कुम्भिक—कुम्भकार एवं कुम्भुट नारी से उत्पन्न। सूत्रमकार के अनुसार यह आज का पाली है।

पोलिक—व्याध पुरप एवं मादवी नारी की संतान।

कुर्मर—आयोपक एवं विम्बन नारी की संतान। इस अब डोहोर या डोर कहते हैं।

पीटिक—ब्राह्मण एवं निपाद नारी से उत्पन्न। आज इसे बहार या पालनी डोनेवास या मोई कहा जाता है।

पक—बाधाल एवं अल्प नारी की संतान। यह आज का 'रुडी' है।

कम्बुल—नैप एवं आपित रुडी की संतान। इसे आज मारेजरी (जो मिट्टी या राग में सोने के कण बटार कर सोनार के पास स जाता है) कहते हैं।

अस्माकुर—अ्युत धन सम्पत्ती एवं पूड केसा की संतान। आनिबिबेक में इसे गुरक कहा गया है।

मय्यु—वैष्म एवं क्षत्रिय नारी की संतान। इसे ठाकडिया (बोर पकडनवाला) भी कहते हैं।

रोमिक—मास एवं आकर्तक नारी की संतान। आज इसे सोनार (नमर बनानेवाला) कहा जाता है।

घालाक्य वा घालक्य—माळकार और वायम्प नारी की संतान। आज इसे मनिवार कहते हैं।

मुट-मात्रक—माधुकि वा गा-बकाकर पीविका चलाने हैं।

सिम्बोलक वा स्पन्नासिक—गूर एवं मायक नारी की संतान। इसे रवारी अर्थात् रपनेवाला कहा जाता है।

आधुनिक काल में प्रमुख वर्षों में बहुत-सी उपजातियाँ हैं, जो प्रदेश व्यवसाय आर्थिक सम्प्रदाय तथा अन्य कारणों से एक-दूसरे से भिन्न हैं, उदाहरणार्थ ब्राह्मण प्रथमतः १ अधियों में विभाजित हैं जिनमें ५ गौड हैं और ५ इबिड हैं।^१ य दस ब्राह्मण पुत्र कल्पिय श्रेणिया उपजातिया एवं वर्षों में विभाजित हैं। इबिड ब्राह्मणों में महाराष्ट्र ब्राह्मण चितपावन (या काकणम्ब) बहुते वेदम्ब वैवरक आ द कई उपजातिया में विभाजित हैं। कहा जाता है कि गुजरात में ब्राह्मणों की ८४ उपजातियाँ हैं। पुन एक ही उपजाति में कई विभाजन पाए जाते हैं। पत्राक सारस्वतो में लगभग ४७ उपजातियाँ हैं। इसी प्रकार काश्यपुम्बों में भी ११७ श्रेणियाँ हैं। अति प्राचीन काल में भी उत्तर के ब्राह्मणों में मय आदि श्रेणों के ब्राह्मणों का ठेकी दृष्टि में मरी नेता था। मत्स्यपुराण (१६।१६) में आया है कि वैसे ब्राह्मण जो म्बन्ध वेसा में अर्थात् निराहु बरंर औडु (उडीना) आध्र (तेलपाना) टकर प्रबिड एवं काकण में रहते हैं उन्हें आड के समय निमन्त्रित नहीं करना चाहिए।^२

शशिया में भी कल्पिय उपजातियाँ पायी जाती हैं यथा मूर्यकणी चन्द्रवती तथा अजिपुम काल। पर मारा में ३५, मुहिमाना में २४ अहमानो में २६ साउनिया में १६ शावार् हैं; इसी प्रकार अन्य वर्षों में भी बहुत-सी शावार् एवं उपशावार् हैं।

१५. शशिशाश्वत तैलकूटः वर्जादा मय्यवेप्रगा। मुत्रराश्वत पम्बने कर्पते शशिका द्विजाः॥ सारस्वता मय्यरुवा उल्लता वैबिकाश्व ये। यौडाश्व पम्बका श्व दन विजाः प्रकीर्तिता॥ साह्याडिमाण्ड (साक्यपुराण)

१६. वृत्तान्ताप्रतिहासत्र-म्बेच्छशैतियातिनः। विगाडुववरोडुआप्रान् टकरप्रबिडकोडुवात॥ मत्स्य-पुराण १६।१६।

अध्याय ३

वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार

धर्मशास्त्र-साहित्य में वर्णों के कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विविध वर्णन मिलता है। वेदाध्ययन करना यज्ञ करना एवं शान देना ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माने पड़े हैं। वेदाभ्यापन यज्ञ करना शान देना ब्राह्मणों के विशेषाधिकार हैं। मुख्य करना एवं प्रबन्धन की रक्षा करना क्षत्रियों के तथा कृषि पशु-पालन व्यापार आदि वैश्यों के विशेषाधिकार हैं। प्रथम तीन कर्तव्य अर्थात् अध्ययन करना यज्ञ करना शान देना शिव मान के धर्म (कर्तव्य या कर्म) हैं किन्तु वेदाभ्यापन केवल ब्राह्मण की ही वृत्ति (बीबिका) मानी गयी है।

वेदाध्ययन—आर्यभट्ट वैदिक कालों में भी ब्राह्मण एवं विद्या में अनेक उल्लेख वा। ब्रह्मविद्या में ब्राह्मणों में विविध वृत्ति प्राप्त की थी। कुछ राजाओं ने भी इस विद्या में इतनी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण लोग उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। अतएव ब्राह्मण एवं उपनिषदों में कुछ ब्रह्मविद् क्षत्रियों के नाम बताए हैं जिनके यहाँ ब्राह्मण लोग सिष्य रूप में उपस्थित होते थे यथा मातृवत्स्य ने राजा जनक से (एतएव ब्राह्मण १।२।१।५) आकाशिक गार्ग्य ने काशिराज अजातशत्रु से (बृहदारण्यक २।१ एवं कौषीठकी उपनिषद् ५) स्वेतकेतु आश्रम में प्रब्राह्मण वैश्वकि से (छान्दोग्योपनिषद् ५।३) एवं ब्राह्मणों ने केकयराज अस्वपति से (छा ५।२) ज्ञान प्राप्त किया। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ क्षत्रियों ने ब्रह्मविद्या में इतनी विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण लोग भी उनके यहाँ पहुँचते थे। इससे यह बर्ण नहीं निकालना चाहिए कि क्षत्रिय लोग ब्रह्मविद्या के प्रतिष्ठापक थे वैसे कि प्रसिद्ध विद्वान् एवं भारतीयता-रत्नविद् श्री ह्यूसेन महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हास सिस्टम डेस वेदान्त" (सन् १८८३ पृष्ठ १८-१९) में लिखा था। यह धारणा अब निर्मूल सिद्ध की जा चुकी है। उपनिषदों के वर्णन का बीजारोपण श्रद्धेय न मग्नो अचर्चयेव एवं कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों में ही हुआ था। उपनिषदों में ऐसे ब्राह्मणों की बहुलता है जिनको स्वतन्त्र रूप से ब्रह्मविद्या के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। एसा कहने में किए कोई कारण नहीं है कि जिन कठिपय क्षत्रियों के नाम ब्रह्मविद् के रूप में हमारे सामने आते हैं वेबल के ही ब्रह्मविद् थे ब्राह्मण नहीं। प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी किसी वैश्य के विषय में वेदाध्ययन का उल्लेख नहीं मिलता यद्यपि उनके लिए भी वेदाध्ययन करना आवश्यक था।

निम्न (२।४) में विद्यामुक्त नामक चार मन्त्र हैं, जिनमें प्रथम के अनुसार विद्या ब्राह्मणों के पास

१ विद्यातीनामम्ययमिष्या शानम्। ब्राह्मणस्यानिका प्रबन्धनयाजगप्रतिग्रहा। पूर्वं निबन्धस्तु। रामो-
विकं रत्न सर्वभूताणाम्। वैश्यास्यानिक कृषिविधियाशुपास्यकुसीदम्। गीता १।१३।७-५; और वैदिय आ-
स्तम्ब २।५, १।५-८; शौचाकल १।१।२-५; बसिष्ठ २।१३।१९ वनु १।८८।९ १।७५-७६; मातृवत्स्य
१।१।८-१।१९; विश्व २।१०-१।५; अथि १।३।५; मार्कण्डेयपुराण २।८।१-८।

वैदिक काल में भी थी। ऋग्वेद (१.१९.८१७) में आया है कि देवाधि घन्तु का पुरोहित या निरस्त (२११) से पता चलता है कि देवाधि एक घन्तु मार्य मार्य के और कुछ की संज्ञान थे। निरस्त के अनुसार वैदिक काल में धर्मिय पुरोहित हो सकता था। बहुत-से आधुनिक केन्द्रों की यह प्रामाणिक धारणा है कि ब्राह्मण पुरोहित-जाति या पुरोहित हैं। वैदिक काल में सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और न आज ही सब ब्राह्मण मन्त्रिण एक तीर्थस्थानों के पुरोहित या पुजारी हैं। कुछ ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित हो सके और बहुतों ने क्षिया-सत्कारों के लिए ऋत्विक् होना स्वीकार कर लिया। मन्त्रियों के पुजारियों की परम्परा परशाकस्मीन है और आधुनिक काल की मूर्ति प्राचीन काल में भी पुरोहिती-कर्म निम्न कोटि का धर्म समझा जाता था। मनु (३.१.१५२) ने लिखा है कि देवसक ब्राह्मण (जो मन्त्र में पूजा करके दक्षिणा लेता है) तीन वर्ष में उपवास माह एक देव-पूजन में समय निमग्न पाने का अधिकारी नहीं रह पाता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के कई साधन थे जिनमें अब तक वेदाभ्यास एवं पुरोहिती नामक साधनों पर प्रकाश डाला जा चुका। ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन या किसी योग्य या किसी प्रकार के कर्म या श्रम से रहित व्यक्ति से दान ग्रहण करना। यम के अनुसार तीन बर्षों के बीच व्यक्तिगत से प्रतिग्रह लेना (दान-ग्रहण) पुरोहिती या भिक्षा लेकर दान प्राप्त करने से नहीं बचना है।^१ विष्णु मनु (१.१२.१११) के अनुसार अयोग्य व्यक्ति या शूद्र से प्रतिग्रह लेना भिक्षा-धर्म या पुरोहिती से निम्नतर है। दान लेने या देने के लिए बड़-बड़े नियमों का विधान है। इस पर हम पुन विचार करेंगे। बृहदारण्यकोपनिषद् (४.१.१७ एवं ५.१.५५) से पता चलता है कि इस प्रकार के नियम पर्याप्त रूप से विद्यमान थे।

ब्राह्मण-वृत्ति—यह भी बात यह थी कि ब्राह्मणों के जीवन का आरंभ ही का निर्भरता साधु जीवन, उच्च विचार, धन-अन्वेषण से सक्रिय रूप में दूर रहना तथा सत्कृति-सम्बन्धी रक्षण एवं विकास करना। मनु (५.१.३) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए यह एक सामान्य नियम था कि वे इतना ही धन प्राप्त करें जिससे वे अपना तथा अपने बुद्धिमान का मरण-पोषण कर सकें बिना किसी को कष्ट दिये अपने धर्मिक कर्तव्य कर सकें। मनु (५.१०-८) ने पुन कहा है कि एक ब्राह्मण उतना ही धन धन करने जितना कि एक कुसूत या एक कुम्भी में भर सके। कुम्भीधान्य का आरंभ बहुत प्राचीन है परन्तु जिनके महाभाष्य में भी इसकी चर्चा है (पार्ष्णि १.१.७)। याज्ञवल्क्य (१.१.२८) एवं मनु (१.१.१२) में ब्राह्मणों के लिए यह भी व्यवस्था की है यदि वे

१. प्रतिग्रहाभ्यासप्राप्तता प्रतिग्रह स्पष्टतमं ब्रह्मि। प्रतिग्रहाभ्युप्यति जप्यहोमेर्वाय तु पार्ष्णिं कुतिलं वैश। ॥

७. आय्यवारी मे 'कुसूत' और 'कुम्भी' की ध्याय्या विभिन्न रूप से की है। कुसूत (मनु ५.१० पर) के मतानुसार यह ब्राह्मण जिसने पाल तीन बर्षों के लिए धन है 'कुसूतपाय्य' कहलाता है और 'कुम्भीपाय्य' वह है जिसके पास सात भर के लिए पर्याप्त धन है। मेघातिथि का कहना है कि केवल धन पर ही बलावत नहीं है; जिसके पास धन था पर तीन बर्षों के लिए है वह 'कुसूतपाय्य' है। गोविन्दराज के अनुसार 'कुसूतपाय्य' एवं 'कुम्भीपाय्य' के ब्राह्मण हैं जिसके पास धन से १२ और ६ दिनों के लिए धन है। जिनाशरा की गोविन्दराज की ध्याय्या साम्य है (याज्ञवल्क्य १.१.२८ पर)।

८. कुम्भीपाय्यः धर्मिय उच्यते। धर्म कुम्भीपाय्ये धर्म्यं स कुम्भीपाय्यः। धर्म पुन कुम्भीपाय्ये च नास्ती कुम्भीपाय्यः।

अपनी जीविता न ब्रह्मा सर्वे तो फलस बट जाने पर सेठ म जो धान्य की बालियाँ गिर पड़ी हो उन्हें बुनकर खाये। दान देने से यह बन्धक काय बन्धा है। इसे ही मनु ने 'श्रुत' की सम्रा की है (४।५)। मनु (४।१२) १५, १७) मात्रवस्त्रय (१।२२९) व्यास महाभारत (अनुभागनवमं ६।१।१९) आदि म ब्राह्मणों क मादे जीवन पर बल दिया गया और उम्हें धन-समृद्ध से सदा दूर रहन को उद्दिष्ट किया गया है।

गीतम (१।६६) मात्रवस्त्रय (१।१) विष्णुधर्मसूत्र (६।१।१) एव कठु-व्यास (२।८) ने अनुसार ब्राह्मण को अपने योगक्षेम (जीविता एव रक्षण) के लिए राजा या धनी जन क पास जाना चाहिए। मनु (४।३३) मात्रवस्त्रय (१।२२) एव बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।२) व अनुसार बुधापीडित होने पर ब्राह्मण को राजा अपने सिप्य या सुपात्र के यहाँ श्रद्धायता ने किए जाना चाहिए। किन्तु बर्षाधिक राजा या धनी से दान ग्रहण करना मना है। यदि उपर्युक्त तीन प्रकार के (राजा सिप्य या ब्रह्मभूत सुपात्र धनी) दाता न मिलें ता अन्य योग्य विजातिया के पास जाना चाहिए (गीतम १।७।१२) ; यदि यह भी सम्भव न हो तो ब्राह्मण किसी से भी यहाँ तक कि मूढ से भी (मनु १।१२१) दान ले सकता है। किन्तु मूढ से दान लकर यज्ञ या बलिदान नहीं करना चाहिए नहीं तो ब्रह्मे के अस्म म पापबाल होना पड़ेगा (मनु १।१।२४ एव ४२, मात्र १।१।२७)। इस विषय म मनु (४।२५१) बसिष्ठ (१।४।१३) विष्णु (५।७।१३) मात्र (१।२।१६) गीतम (१।८।२४-२५) आपस्तम्ब (१।२।७।२-२१) आदि बर्षों का देवता चाहिए। स्मृतिया ने अनुसार पयामा का यह कर्तव्य था कि वे शोधिया (वेदज्ञानी ब्राह्मणों) या वरिष्ठ ब्राह्मणों की जीविता का प्रबन्ध करें (गीतम १।९।१ मनु ७।१।३४ मात्र ३।४४ अति ४४)। यह आदर्श पालित भी होता था। बार्से अविसेय म १३ एव नासिक बुधा अविसेय न १२ से पता चलता है कि उद्यवर्तन (वृष्यवर्तन) ने एक सप्त मासे एक १६ घाम प्रमास (एक तीर-स्नान) पर ब्राह्मणों को दिय उत्तम बहुता ने विवाह कराय और प्रति बप एक साल ब्राह्मणों को भोजन करामा। बहुत-से दानपत्रा म प्रबट होता है कि राजाका न पत्रमहायत्रा अन्ति होन वैश्वदेव बलि एव ब-के लिए दान आदि देकर अति प्राचीन परम्पराका का पालन किया था। प्रतिग्रह बर्षान् दान देने का आदर्श यह था कि ब्राह्मण भरसक इगने दूर रहे ता आयुतम है। दान देना बर्षी भी उत्तम नहीं समता गया है (मनु १।२।१३ ४।१।८६ ४।१।८८-१९१ मात्र १।२ २ २ बसिष्ठ ६।३२ अनुभागनवम)। जिन प्रकार अविज्ञान ब्राह्मण का दान मना मना था उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को दान देना भी बर्षिन का (दानपत्र ब्राह्मण ४।३।७।१५ आपस्तम्ब २।१।१५।९१ बसिष्ठ ३।८ एव ६।३ मनु ३।१।२८, १।३२ एव ४।३१ मात्र १।२ १ दत्त ३।२६ एव ३१)। स्मृतिया म स्पष्ट आया है कि जिनन वेद का अध्ययन न किया हा या कपटी हो कारकी हो उन दान देना व्यर्थ है बल्कि उमे दान देन म करन चिकना है (मनु ४।१।९२ १ ४ अति १५० दत्त ३।२९)। मनु (१।१।३) ने बर्षक प्रकार के निर्यन स्नानका को भोजन शुम्भ आदि देन म प्राबन्धिका की है। यदि बार्से बिना मयि दान दे तो उमे ग्रहण कर लेने की व्यवस्था स्मृतियों म पायी जाती है यहाँ तक कि बूरे नाम करने के अपराधियों मे भी बिना मांगा दान ग्रहण करना चाहिए। किन्तु इस विषय म दुर्गचारिणी मित्रया मनुष्य पुण्या एव पतिन लागू (महापातक करनवाली) म दान मना बर्षिन माना गया है (मात्र १।२।५ मनु ४।२।४८ २४१ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।१९।११ १६ विष्णुधर्मसूत्र ५।७।११)। बर्षन-म मनुष्या म दान देना मना किया गया है (मनु ४। ६ २०६ बसिष्ठ १।४।११)।

अविबट रहनवाक विज्ञान परोमी ब्राह्मण का ही दान देन की व्यवस्था की गयी है किन्तु यदि पाम म ब्राह्मण हो और वे अतिभिल एव मूर्ख हा ता दूर न साम्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए (बसिष्ठ ३। १ मनु ८।३।९२ व्यास ४।३।५ ३८ बृहस्पति ६ सप-नामानव ७६ ७१ भाविल स्मृति २।६६ ८)। दत्तम

के अनुसार पानता पर ध्यान देना परमावश्यक है। जो ब्राह्मण अपने माता-पिता गुरु के प्रति सत्य हो वा दंडि हो, जो सत्करन हो और हो इन्द्रिय-निग्रही उसी को पान देना चाहिए (बसिष्ठ १।२९, मातृ १।२)। पान देने वाले और न देने वाले ब्राह्मणों के विषय में स्मृतियां में पर्याप्त चर्चा है। छान्तिपूर्व (१९९) में ब्राह्मणों को ३१ मत्तों में बाँटा गया है—(१) प्रवृत्त जो पान के लिए सभी प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और (२) निवृत्त वर्ग जो प्रतिग्रह (दान देने से) से दूर रहते हैं।

मिस्सनेह प्रतिग्रह ब्राह्मणों का ही विद्यपाधिकार का किन्तु दान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी को भी दिया जा सकता था। इस विषय में मातृ १।६ पठनीय है। गौतम (५।१८) मनु (७।८५) ध्यस (४।४२) दत्त (१।२२८) में कहा है कि भ्रम से ही ब्राह्मण को योगिन (या साधार्थ) को जिसने सभी वेदों पर अधिकार प्राप्त कर लिया हो उसका जो दान दिया जाता है वह महाब्राह्मण को दान देने से वा सहस्र मा अनन्त गुना पुण्य होता है उससे द्युना फल देता है। गौतम (५।१९२) एक बीशायन (२।३।१४) में ऐसी व्यवस्था की है कि जब कोई ब्राह्मण शान्ति या वेदपारंग गुरु को दक्षिणा देने के लिए, विवाह के लिए, औपनि के लिए, अध्ययन एक मत्तों के लिए दान मन्त्रि तो ब्रह्म करने में उपरान्त शान्ति को अपने मन की समर्पण के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। मनु (१।११३) में भी इस विषय में पर्याप्त चर्चा की है।

भारत में दान एक प्रतिग्रह-सम्बन्धी मुख्य आदर्श उपस्थित किये गये थे किन्तु कालान्तर में ब्राह्मणों की सप्या-बुद्धि जन-सम्प्रा-बुद्धि क्षामास्य पुरोहिती कार्य में बट जाने आदि के कारण नियमों में परिवर्तन पायी जान स्त्री और चित्तित अथवा अशिक्षित सभी प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिया जाने लगा और वे दान देने भी लगे। इसके लिए सन्धुपुत्रा नृ-गौतमस्मृति आदि में व्यवस्था की गयी है कि जिस प्रकार भूमि सभी रूप में पवित्र है और देवता है इसी प्रकार ब्राह्मण है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है सिद्ध-कार्य से बहुत बड़े पान की उपलब्धि हो सकती थी। दान की भाँति प्राचीन काल में राजकीय पाठशाळाएँ नहीं थी जहाँ पर वेदान्त-सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त होती। उस समय कौपीयण्ड का भी विधान नहीं था कि जिससे अध्यापक-नाथ पाठ्यक्रम की पूर्णता में प्रकाशन से पान किया जा सके। ब्राह्मणों का कोई सच भी नहीं था जैसा कि एगिप्टन चर्च में पाया जाता है जहाँ जार्ज बिन्स विद्यय एक अन्य पवित्र पुरणों का क्रम पाया जाता है। प्राचीन भारत में इच्छत-पत्र (विद्य) की ही व्यवस्था नहीं थी कि जिससे बहुत-स धनिकों को सम्पत्ति प्राप्त होती। पुरोहिती ने कार्य से कुछ विद्यय मिलने की मुझादा नहीं थी। श्राद्ध के समय अथिच ब्राह्मणों को निमन्त्रित करने का विधान नहीं था (मनु ३।१२५ १२६ गौतम १।५।८ याज्ञ १।२२८)। न तो सभी ब्राह्मण उतनी बद्धि स्मृति एक ही बंते थे कि श्राद्ध कर्त्तों का वेदाध्ययन करते और विद्वता प्राप्त करते। अध्यापन पुरोहिती (मन्त्रमानी या पत्रमानी) तथा प्रतिग्रह नाथक

९ सत्रिभुजसाहस्रात्मन्यानि कृतान्यसहस्रात्मन्यधोविद्यवेदपारोभ्यः। गौ ५।१८; समसहस्रात्वे दानं त्रिभुज ब्राह्मणभुजे। प्राथमे इतसाहस्रमनन्तं वेदपारो॥ मनु ७।८५; ध्यस ४।४२।

१ कुर्वता वा सुवृत्ता वा प्राहृता वा मुनस्तृताः। ब्राह्मणा नाथकनान्या भक्तकृता इवात्मनः॥ वागाः कुरवा वागनाथक दंडिता व्यापितास्तथा। नाथकान्या त्रिंश प्रतीमं बया द्वि ते त्रिंशः॥ बुद्ध गौतम इति ए वनचर्च २ १८८-८९ कुर्वता वा सुवृत्ता वा प्राहृताः सरहृतास्तथा। म्य॥ ॥ यथा इमान्ते हीतीना वाचरो ईव कुर्वन्ति। एव विद्वान्विद्वान्ता ब्राह्मणो ईवन् मरु॥ और इति ए, अनुशासनचर्च १५२।१ एवं २३।

वृत्तियाँ सभी ब्राह्मणों की शक्ति के भीतर नहीं थी बल्कि अन्य ब्राह्मण इन तीन वृत्तियों (जीविबाबो) के अति रिक्त कर्म शासन भी अपनाते थे। बर्षाकालों में इसके लिए व्यवस्था की है। गीतम (१।६ एवं ७) ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण सोग शिक्षण (अभ्यासन) पीठोहृत्य एवं प्रतिग्रह या दान से अपनी जीविबा न बना सके तो वे क्षत्रिया की वृत्ति (पूज एवं रक्षण कार्य) कर सकते हैं। यदि वह भी सम्भव न हो तो वे वैश्य-वृत्ति भी कर सकते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय लोग वैश्य-वृत्ति कर सकते हैं (गीतम १।२१)। बौधायन (२।२।७७-७८ एवं ८) एवं बसिष्ठ (२।२२) मनु (१।८१-८२) याज्ञ (१।३५) शारद (शुक्रादान ५६) विष्णु (५।४।२८) घलमिणित् आदि ने भी यही बात कुछ उल्ट-पूर के साथ कही है।^१ किन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण-वृत्ति वैश्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-वृत्ति एवं शूद्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-वृत्ति नहीं कर सकते थे (बसिष्ठ २।२३ मनु १।१५)। आपत्काल हट जाने पर उपयुक्त प्रायश्चित्त करके अपनी विनिष्ट वृत्ति की ओर लौट जाना चाहिए। ऐसी स्मृति-व्यवस्था है। इतना ही नहीं अन्य जाति की वृत्ति करने से भी जन भी प्राप्ति होती थी उसे भी त्याग देना पड़ता था (मनु १।१।१९२ १९३ विष्णु ५।४।७-३८ याज्ञ १।३५ शारद-शुक्रादान ५९।१)। निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण की वृत्ति नहीं कर सकते थे अन्यथा करने पर राजा उनकी सम्पत्ति जब्त कर सकता था (मनु १।१५६)। रामायण में बलिष्ठ शम्भूक की कहानी इसी प्रकार की है (७।३-७५)। भ्रमवृत्ति के उत्तररामचरित में भी यही मनोभाव झलकता है। यदि कोई शूद्र जब तप होम करे या स्यासी हो अथवा वैदिक मन्त्र पढ़े तो उसे राजा द्वारा प्राणवध किया जाता था और उसे वैदिक पाप का भागी समझा जाता था।^२ मनु (१।१८) का कहना है कि यदि वैश्य अपनी वृत्ति से अपना पालन न कर सके तो वह शूद्र-वृत्ति कर सकता है अर्थात् द्विजातियाँ भी सेवा कर सकता है। गीतम (७।२२ २४) ने अनुसार आपत्काल में ब्राह्मण अपने कर्मों के अतिरिक्त शूद्र-वृत्ति कर सकता है किन्तु वह शूद्रों के साथ भोजन नहीं कर सकता न चौड़ा बरतन कर सकता और न बजिन भोजन-सामग्री (कहमुन प्याज आदि) का प्रयोग कर सकता है (यही बात वैदिक मनु ५।४ एवं ६ शारद शुक्रादान ५७)।

शूद्रों की स्थिति—प्राचीन आचार्यों के अनुसार शूद्रों का विनिष्ट कर्त्तव्य या द्विजातियों की सेवा करना एक उनके मन्त्र-पाठन पालन।^३ उन्हें क्षत्रियों की जपेला ब्राह्मणों की सेवा करने में अधिक सुग प्राप्त हो सकता था इसी प्रकार वैश्यों की जोरता क्षत्रियों की सेवा अधिक भोग्यत्वा मित्र होती थी। गीतम (१।१०-११) मनु (१।१२४ १२५) तथा अन्य आचार्यों ने अनुसार शूद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े मय पुराने कर्म छाता कर्णों बराबरों आदि प्रयोग में लाता था और स्वामी द्वारा त्यक्त उच्छिष्ट भोजन करता था। बुढ़ापे में उनका पालन पोरत उनका स्वामी ही करता था (गीतम १।६३)। विष्णु ब्राह्मण में शूद्र-स्थिति में कुछ सुधार हुआ। यदि

११ आपत्काले मातापितृमृतो बहुमृत्युस्थानस्तरका वृत्तिरिति कस्य । तस्यावस्तरका वृत्तिः कान्धोऽपि-निवेद्यः । एषमप्यजीवन्वर्षानुपयवीदेत् । शतृत्निलितः ।

१२ कस्यो राता न र्बं शूद्रो अयुहोमपररथ यः । ततो रापुदस्य हस्तानी यथा बह्यैरथ र्बं यतम् ॥ अरततपन्वीर्षं पात्रा प्रहरया कण्ठनायनम् ॥ देवतारायन र्बं शूद्रोऽप्यननाति यद् ॥ अति १।१।३६ १३७; वनपर्व १५ १३६ ।

१३ शूद्राया श्राव्येनरेकां कर्त्तव्याम् । पूर्वतिथन् पूर्वस्मिन्वर्षं निधेयत्तं भूयः । आपत्काले १।१।१०-८; वरि कर्त्तव्यं शोतरीकाम् । तेभ्यो वृत्तिं लिप्सेत् । तत्र पूष बरिचरेत् । गीतम (१।१७-५९); प्रजापतिर्हि कर्त्तव्यं शान् एषवन्वयम् । साम्पत्तर्वं ६ १२८; वैदिक, बसिष्ठ २।२; मनु १।१२१ १२३ याज्ञ १।३३; बौधायन १।१ १५; वनपर्व १५ १३६ ।

वह उच्च वर्गों की सेवा से अपनी या अपने कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पाता या तो बड़ईपिटी विचकारी पञ्चीकारी रग-साजी आदि से निर्वाह कर लेता था। यहाँ तक कि मारव (अध्याय ५८) के अनुसार माण्डवत में गृह भोग इतियो एव वैश्यों का कार्य कर सकते थे। इस विषय में याज्ञवल्क्य भी उसी प्रकार उचरते हैं (याज्ञ १।१२)। महाभारत भी इस विषय में मौन नहीं है उसने भी व्यवस्था की है।^१ कृष्णास्वलायन (२२।५) हागै (७।१८ एव १९२) ने इति-वर्म की व्यवस्था की है। कालिकापुराण न गृहों को गधु, चर्म काक्षा (छाह) बाटव एव माघ का छोड़कर सब कुछ ऋय-विनय करने की आज्ञा की है। गृहत्परावर ने खासत एव मास बेचना मना किया है। वेदस में लिखा है कि गृह विजातियो की सेवा करे तथा कृपि पशुपालन मार्ग-बहुन ऋय-विषय (पशु-व्यवहार या रोबगाटी या सामान का ऋय-विषय) विचकारी नृत्य संगीत वेणु, बीजा डोडक मृग आदि माघयज मारव का कार्य करे।^२ धौतम (१।१४-६५) मनु (१।१२९) तथा अन्य आचार्यों ने गृहों को वनसंघय से मना किया है, क्योंकि उससे ब्राह्मण आदि को कष्ट हो सकता था।

गृह कतिपय भागो एव उपविभागो में विभाजित थे किन्तु उनके दो प्रमुख विभाग थे अनिरवसित भू (यथा बडई, कोहार आदि) तथा निरवसित भू (यथा बाण्डाल आदि)। इस विषय में देखिए महाभाष्य पाणिनि २।५।१ जिम्ब १। एक अन्य विभाजन न अनुसार गृहों के अन्य दो प्रकार हैं—भोग्यास (जिनके हाथ बनाया हुआ भोजन ब्राह्मण कर सक) एव अनीक्ष्यास। प्रथम प्रकार न अपने हाथ अपने पशुपालक (पोरुकिमा मा चरवाडा) मार्ग, कुटुम्ब-मिन तथा जेती-चारी में छात्रीधार (याज्ञ १।१६६) है। मिताक्षरा ने कुम्हार को भी इस सूची में रख दिया है। अन्य प्रकार के गृहों से ब्राह्मण भोजन नहीं ग्रहण कर सकता था। एक तीसरा गृह-विभाजन है सक्क (अच्छे आचरण वाले गृह) एव असक्क। प्रथम प्रकार में वे गृह करते थे जो सब व्यवसाय करते न विजातियो की सेवा करते थे और माघ एव मास का परित्याग कर चुके थे।^३

सेनाजियो के रूप में ब्रह्मच-बहुत प्राचीन काल से कुछ ब्राह्मणों को मुझ म रत देखा गया है। पाणिनि (५।२।७१) ने 'ब्राह्मणक' शब्द की व्याख्या में लिखा है कि यह उस वेद्य के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ ब्राह्मण आमुष अर्थात् वस्त्र-वासन की वृत्ति करते हैं। कौटिल्य (९।२) में ब्राह्मणों की सेना का वर्णन किया है किन्तु यह भी कहा है कि शत्रु ब्राह्मणों के पीछे पर विरकर उम्ह अपनी ओर मिला सकता है। आपस्तम्ब (१।१।१९-७) धौतम (७।५) वीरयान (२।२।८) बसिष्ठ (१।२४) एव मनु (८।१४८ १५९) के कथन स्मरणीय हैं।^४

१४ मिम्याजीर्ष वृत्ति चैव गृहाणां व्यवहारप्रभुः। वायुपुराण ८।१७१; गृहस्य द्विजमुपूवा सर्वद्विजानि वाप्यथ। सतुस्तुति १।५ मनु १।१९१।

१५ वापिप्य पाशुपास्य च तथा शिल्पोपजीवनम्। गृहस्यापि विधीयन्ते यथा वृत्तिर्न वाप्यते॥ धातिसर्ष २९५।४; गृहस्य द्विजमुपूवा सर्वद्विजानि वाप्यथ। विषय. सर्वव्याला गृहकर्म उदाहृतम्॥ उद्यमा तथा वैशिष्ट्य लम्बावकायान २२।५।

१६ गृहवर्गो विजातिमुपूवा वयवन्नत कलत्रादिपौष्य कपजपशुपालनमारोहृहृण-वप्यव्यवहार-विचरकर्म-नृत्य-गीत-वैशु-बीजाभारजमुवद्भारवारीनि। वैशुक (मिताक्षरा याज्ञ १।१२)।

१७ न गुरा लभयेद्यस्तु अत्यन्ते गृहेषु च। न विधीयति च तथा लक्कूरो हि त उच्यन्ते॥ भविष्यपुराण (ब्राह्मणिकाग, अध्याय ४४।१२)।

१८ परीक्षाधर्मि ब्राह्मण जामुर्ष नावरीन। आपस्तम्ब (१।१।२९।७); प्राक्तन्ये ब्राह्मणोऽपि प्रार-

वापसत्व में कहा है कि परीक्षा के लिए भी ब्राह्मण को आयुष मही ग्रहण करना चाहिए। आपत्काल में अग्निवृत्ति करना अनुचित नहीं है (गीतम)। बीबामन ने कहा है कि भोजो एव ब्राह्मणो नौ रखा करने एव बर्ष-सकलता रोकने कं सिए ब्राह्मण एव वैश्य भी आयुष ग्रहण कर सकते हैं। वर्नाभयपर्व पर जब आततायिया का आक्रमण हो पृथक्काल में मदकबी होने पर तथा आपत्काल में गाम्यो गारियो ब्राह्मणा की रखा के लिए ब्राह्मणा को अस्त्र-शस्त्र ग्रहण करना चाहिए (मनु ८।३४८ ३४९)। महाभारत में द्रोणाचार्य अश्वत्थामा (द्रोण के पुत्र) इषाभार्य (अश्वत्थामा कं मामा) नामक योद्धा ब्राह्मण थे। दस्युपर्व (१५।४२) के अनुसार राजा की आज्ञा से ब्राह्मण का युद्ध करना चाहिए। जब समाज के विवाह टूट जायें हस्त्यु, शोर, डाक आदि बह जायें तो सभी वर्गों को आयुष ग्रहण करना चाहिए (शान्तिपर्व ७८।१८)।

अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मण सेनापतियों एव राजकुलस्थापकों के रूप में पाये गये हैं। सेनापति पुष्यमित्र शूष ब्राह्मण ही था जिसने अन्तिम मौर्यराज बृहद्रथ से राज्य छीन लिया था (ईसा पूर्व १८४ ई)। शुंगों के उपरान्त पाण्ड्यामनो ने राज्य किया जिसका सन्धापक था बामुदेव नामक ब्राह्मण जो अन्तिम शुंगराज का मजी था (ईसा पूर्व ७२ ई)। कदम्बा का सन्धापक मयूरधर्मा ब्राह्मण ही था (काकुत्स्थवर्मा का तालमुषक नामक स्तम्भामिठेल)। मरहटो के देवरा ब्राह्मण ही थे। मराठा-इतिहास में बहुत-से ब्राह्मण सेनापति एव सेनानी हुए हैं।

बघपि ब्राह्मण आपत्काल में वैश्य-वृत्ति कर सकता था किन्तु इषि आग्निव्य पशुपालक श्याम पर बन देने आदि के सम्बन्ध में कई एक नियन्त्रण थे। मीतम (१।५६) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुटुम्ब के रक्षण के लिए इषि अग्नि-विषय शूद्र-सेन-वेन करने की सूट दी है किन्तु एक नियन्त्रण पर कि वह ऐसा स्वयं न करे ब्रह्मरो द्वारा सम्प्राप्त करये। अष्टिठमर्मपूत्र (२।४) में आया है कि ब्राह्मण एव अग्निव्य अधिक श्याम पर बन का सेन-वेन न करे क्योंकि श्याम पर बन देना ब्रह्म-हत्या कं समुप है। मनु (१।११७) ने भी ब्राह्मणों एव श्रमियों को कुटीर (श्याम पर बन देने के व्यवसाय) से दूर रहने को कहा है किन्तु जो लोग निहृष्ट कार्य करते हैं, उनसे बोधा श्याम लेने के लिए उन्हें सूट दे दी है। नारद (आचारान १११) ने ब्राह्मणों के लिए कुटीर सर्वथा श्याम माना है वहाँ तक कि बड़ी-से-बड़ी विपत्ति के समय में भी। आपस्तम्ब (१।१।२७।१) ने कुटीर में प्रयुक्त ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है।^{१०}

ब्राह्मणों के ऊपर जो उपर्युक्त नियन्त्रण लगे थे उनका तात्पर्य था उन्हें शरल जीवन की ओर के जाना जिससे वे अपने प्राचीन साहित्य एव सङ्कषि का मुचाव रूप से अभ्ययन रखन एव परिष्कृत कर सकें। इतना ही नहीं उन्हें स्वार्थ-वृद्धि, अकरण व्यवहार एव अनुपल बन-सचय की प्रवृत्तियों से दूर भी ठी रहना था।

नारदीयः। मीतम (७।२६) अथाप्युवाहुरन्ति। वषार्ये ब्रह्मचार्ये वा वषलिं वापि संकरे। गृह्णीयता विप्रवितां धनं वर्मव्येकेषाम्॥ बी (१।२।८) ; अश्वत्थामे वर्मसमर्षे ब्रह्मणवैश्यो शस्त्रप्रवादीवशताम्। अष्टिठ (१।२४)।

१९. राजो नियोयाद् योद्धव्यं ब्राह्मणेन विशेषतः। कर्त्ता अश्वत्थमैव ह्येष अर्धविशो विदुः॥ दस्युपर्व ६५।४।

२०. इषिवाचिभ्यो वाग्मव्यहृते। कुटीरं च। पी १।५।६ ब्राह्मणराजस्यो वार्धुवी न दद्याताम्। अथाप्युवाहुरन्ति। तस्यै वाग्मव्यहृते ब्रह्मार्थं यः प्रयच्छति। तं वै वार्धुविको नाम ब्रह्मवादिनु महिः। ब्रह्महर्त्ता च वृद्धिं च तुष्ण्या समस्तोत्सृज्य। अतिठ्ठ् भूषणो कोद्व्यां वार्धुविं समनस्यते॥ अष्टिठ २।४। वैश्विपौषायन-०

११।१३-१४। आपस्तम्बपि द्वि च्याताम् ब्राह्मणस्य न वार्धुवम्। नारद (आचारान ५।१११)। अगार्यो धनये विषद् वर्य वृद्धिं वषायकः। अश्वत्थम इव बन्दिता तुषेभ्यस्तौत पृच्छतम्॥ आपस्तम्ब (१।१।२७।१)।

विनिमय के विषय में उपर्युक्त नियमों के समान नियम बनाये गये हैं। बर्जित वस्तुओं का विनिमय भी यथासम्भव बर्जित माना गया है^{१४} किन्तु कुछ विशिष्ट क्लेश भी हैं, यथा भोजन का भोजन से दासों का दासों से, सुगन्धित वस्तुओं का सुगन्धित वस्तुओं से एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आप १७१२ १४ १५)। इसी प्रकार कुछ उल्ट-फेर एवं नयी वस्तुओं को सम्मिश्रित करके अन्य आचार्यों ने भी नियम दिये हैं, यथा नीलम (७।१६ २१) मनु (१ १५४) विशिष्ट (२।३७-३९)।

मायकाश के जीविका-साधन के लिए मनु (१ १११६) ने एक उपक्रम बतलाये हैं—विद्या बहारें एव सिद्ध पारिधमिक पर कार्यं गौरी पशु-मांसन वस्तु-विषय इयि सन्ताप मिशा एव कुशीव (व्याज पर बन देना)।^{१५} इनमें सत का बर्जन याज्ञवल्क्य ने भी किया है किन्तु उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी सम्मिश्रित कर दिये हैं यथा बाबी हीनता पर्वत (पहाड़ों की बासों एवं स्त्रियों को बचाना) जल से मरा देश वृक्ष झाड़-सलाख एव (राजा से मिशा माँगना)।^{१६} अथर्ववेद के गृह्यसूत्राचार्य ने उपर्युक्त कामन्वय के अनुसार बनावृष्टि-काश में भी प्रकार के जीविका-साधन हैं 'गाबी उत्कारिवो वा सत शीर्षे मच्छमी पचडना आस्यन्दन (बोहे भी धम स अपनी बीबिता चकलता) वन जस से मरा देश वृक्ष एव झाड़-सलाख पर्वत तथा राजा। नारद (श्रुत्यादान ५ १५५) के अनुसार तीन प्रकार के जीविका-साधन सभी के लिए समान थे—(१) पैतृक धन (२) मित्रता या स्नेह का धन तथा (३) (विवाह के समय) जो स्त्री के साथ मिल। नारद के अनुसार तीनों वर्णों में प्रत्येक के लिए तीन विशिष्ट जीविका-साधन थे। ब्राह्मणों के लिए—(१) धान-ग्रहण (२) पुरोहिती का शुल्क एव (३) शिक्षण-शुल्क क्षत्रियों के लिए (१) यज्ञ की शून (२) कर एव (३) व्याय-कार्य से उत्पन्न इच्छ-धन तथा वैश्यों के लिए (१) इयि (२) पशु-मांसन एव (३) व्यापार। नारद (श्रुत्यादान ४४ ४०) ने धन को शुल्क (स्नेह विभूय) सबस (इच्छ-स्नेह मिश्रित) एव इच्छ में और इनमें प्रत्येक को छल-छात मामो में बाँटा है। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ५८) ने भी इसी तरह तीन प्रकार बताये हैं। इसके अनुसार (१) पैतृक धन स्नाह-दान एव पत्नी के साथ भावा हुआ धन स्नेह (विभूय) है (२) अपने वर्ण से निम्न वर्ण के व्यवसाय से उत्पन्न धन जिस से या बर्जित वस्तुओं के विपन्न से उत्पन्न धन या उपकार करन से उत्पन्न धन सबस है तथा (३) निम्नतर वर्णों के व्यवसाय से उत्पन्न धन बुद्धा शोरी विद्या या जल से उत्पन्न धन इच्छ धन है। श्रीधायन (३।१।५ ९) ने १ प्रकार की वृत्तिवाँ कतायी है और उन्हें ३।२ में समझाया है। मनु (४।४ ९) ने ५ प्रकार बर्जित किये हैं—(१) ज्ञत (अर्थात् वेत में दिरे हुए वृक्ष पर जीवित रहना) (२) अमृत (जो बिना गरि मिल) (३) मृत (मिशा से प्राप्त) (४) अमृत (इयि) एव (५) सत्यामृत (वस्तु-विषय)। मनु ने इच्छवृत्ति (गौरी जो कुते (स्त्रा) के जीवन के समान है) का विरोध किया है। मनु (४।९) ने यह भी सिद्धा है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-साधन हैं (यथा अध्यायन याजन प्रतिग्रह इयि पशु-पास्यन एव व्यापार) कुछ के केवल तीन हैं (यथा प्रथम तीन) कुछ के केवल दो (यथा याजन एव अध्यायन) और कुछ का केवल एक अर्थात् अध्यायन।

२८. अविहितवैतेवा मिषो विनिमयः। अनेन चास्य ननुध्याया च पशुध्या रसाला च रतीर्यन्तानां च पशु-विद्याया च विद्यानाम्। अथ १७।२ १४ १५।

२९. विद्या सिद्ध वृत्ति सेवा गौरव्य विपनि-इयि। वृत्तिर्यन्तं कुशीव च दस जीवमन्तेतवः॥ मनु १ १११६।

३ इयि सिद्ध वृत्तिविद्या कुशीव अर्थात् विपनि। सेवान्ध नृपो नैस्यमापती जीवमानि तु॥ अथ ३।२२।

३१ इच्छ द्याकनी पावो आत्मनसायन कलम्। अनूप पर्वतो राजा कुशिलो नवकुस्य॥ मनु २ ५

४४९ ने कामन्वय।

ब्राह्मणों के प्रकार—ब्राह्मणों को वृत्तियों के अनुसार कई प्रकारों में बाँटा गया है। अग्नि (३७३ ३८१) ने ब्राह्मणों के इस प्रकार बताये हैं—(१) वैश्व-ब्राह्मण (जो प्रति दिन स्नान सम्पन्ना अप होम देव-युक्त अतिवि-सत्कार एवं वैश्वदेव करता है) (२) मुनि-ब्राह्मण (जो वन में रहता है, वन्द्य भूख एवं फल पर जीता है और प्रति दिन याज्ञ करता है) (३) द्विज-ब्राह्मण (जो ब्रह्मन्त पठता है सभी प्रकार के ब्रह्मरोगी एवं आसक्तियों को त्याग चुका है और साख्य एवं योग के विषय में निमग्न है) (४) क्षत्र-ब्राह्मण (जो युद्ध करता है) (५) वैश्य ब्राह्मण (जो कृषि पशु-पालन एवं व्यापार करे) (६) शूद्र-ब्राह्मण (जो काल मन्त्र कुसुम्भ के समान रंग वृक्ष भी मनु, मास बेचता हो) (७) निपाद्य-ब्राह्मण (जो जोर एवं शक्ति हो चुपचाप करन वाला मछली एक मास खाने वाला हो) (८) पशु-ब्राह्मण (जो ब्रह्म के विषय में कुछ भी न जान और केवल यज्ञोपवीत बचना जन्म कारण करने का अधिकार करे) (९) श्लेष-ब्राह्मण (जो बिना किसी अनुशय के कुत्ता टाकानो एवं बाटिकाओ पर भबरांम खड़ा करे या उल्टे गट्ट करे) तथा (१) शम्भु-ब्राह्मण (जो मूर्ख है निश्चित क्रिया-सत्कारों से शून्य एवं सभी प्रकार के बर्माचारों से अज्ञान एवं दूर है। अग्नि ने परिहासपूर्ण रूप से यह भी कहा है कि जबकिहीन लोग शास्त्र (व्याकरण प्यात्र आदि) पढ़ते हैं धाम्नीहीन साग पुराणों का अभ्ययन करते हैं पुराणहीन लोग कृपण होते हैं जो इनसे भी गये बीते हैं, मागवत (शिव विष्णु के पुत्रापी या भक्त) होते हैं। अचरार्क ने वेदस को उद्घुष्ट करते हुए ब्राह्मणों को आठ प्रकारों में बाँटा है—(१) आति-ब्राह्मण (जो वेदक ब्राह्मण-कुस में उत्पन्न हुआ हो जिसने वेद का कोई भी अक्षर न पढ़ा हो और न ब्राह्मणोक्ति कोई कर्मव्य करता हो) (२) ब्राह्मण (जिसने वेद का कोई अक्षर पढ़ लिया हो) (३) श्रोत्रिय (जिसने छ अक्षरों के साथ किसी एक वैदिक शास्त्र का अभ्ययन किया हो और ब्राह्मणों के छ कर्मव्य करता हो) (४) अनुचान (जिसने वेद एक बरागो का कर्म आठ हो जो पवित्र हृदय का हो और अग्निहोत्र करता हो) (५) भूज (जो अनुचान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हो और यज्ञ के उपरान्त जो बने उसे अक्षरित प्रसाह खाता हो) (६) श्रयिकस्य (जिसने सभी लौकिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गये हो और जिसका मन सम्यक् में स्थित हो) (७) श्रयि (जो अविवाहित हो पवित्र जीवन वाला हो सत्यवादी हो और ब्रह्मण या साथ देने योग्य हो) (८) मुनि (जिसके लिए भिष्टी या सोमा बराबर मूस्य रखते हो जो निवृत्त हो आसक्ति या अनुराग से बहिष्कृत हो आदि)। शाठान्त में ब्राह्मणों (निश्चित ब्राह्मणों) के छ प्रकार बताये हैं। अनुशयान्त पर्व (३३।११) ने भी कई प्रकार बताये हैं।

३२ वेदविहीनान् च वदन्ति शास्त्र आसत्रेण हीनाद्य पुराणवादाः। पुराणहीना इत्येवो भवन्ति श्रय्यास्ततो भावयन्ता सर्वन्ति ॥ अग्नि ३८४।

३३ वैश्व के श्लोक दानरत्नाकर में भी उद्धृत मिलते हैं। वैश्वान्तगुह्य (१।१) ने इन आठ प्रकारों का अस्तित्व विवेचन किया है—“सास्तृतायां ब्राह्मण्यां ब्राह्मणान्ब्रह्मन्मात्राः पुत्रमात्र (पुत्र मात्र १)। उपनीतः साविध्य-ध्यायन्तु ब्राह्मणः। वेदमधीत्य शापीरीरा पाषाणहवात्सकृताः पात्रयक्षीरपि दधन् श्रोत्रियः। स्वाभ्यायपर आहितान्-मिर्द्धीर्वाक्षीरप्यनुचानः। लौक्यक्षीरपि ब्रह्मः। सत्कारिरीरैरुपेती नियमयमाभ्यामुक्त्विष्णुः। साङ्गचतुर्ब्रह्मणोयोगावृषिः। मातायनपरायणो निर्द्धीर्वा मुनिरिति। सत्कारविशेषस्तुर्वावृषिर्वापरो बरीयामिति विज्ञायते।”

३४ ब्रह्मण्युक्तं च त्रयोक्ता श्रयि घातस्तपोऽन्नचैतुः। अतो राजायस्ततोऽपि द्वितीयः जयविक्रमी ॥ तृतीयो बहुपात्राः स्यात् चतुर्थो ग्रामयाजकः। पञ्चमस्तु कृतस्तेषां ग्रामस्य नवरस्य च। अनापता तु षः पूर्वा सादित्यां शैव परिव्रजन्तुः। नौपासीत द्विक सध्या स षट्कोऽन्नयाजकः स्मृतः ॥ ऐतरेय ब्राह्मण (३।५) के भाष्य में सायन ने कुछ अन्तर्-केर के साथ इसे उद्धृत किया है, यथा “चतुर्बोऽतीत्याजकः। पंचमो ग्रामयाजो च षट्को ब्रह्मण्यः स्मृतः ॥

ब्राह्मण और क्षत्रि—नया ब्राह्मण क्षत्रि कर सकते थे ? वर्मशास्त्र-साहित्य में इस सम्बन्ध में मतेन मड़ी है। वैदिक साहित्य में पूरी झूट है। वहाँ एक स्वान" पर आया है जुमा मत सेको क्षत्रि में लगी मेरे बचनो पर धन देकर धन का आनन्द सेो क्षत्रि में गर्म्ये हें तुम्हारी स्त्री है आदि (जुआबी का पीठ)। भूमि हक-शाखा पुंनि-वर्षक के विषय में पर्याप्त सकेत है (श्रु १।११ १।११ तीतिरीय संहिता २।५।५, वाजसनेयी संहिता १।२।७ श्रु १।११ १५, १।१७।१२ १ १११।७।७)। श्रीवाहनवर्मभूत का कहना है कि वेदाध्ययन से क्षत्रि का नाश तथा क्षत्रि-प्रेम से वेदाध्ययन का नाश होता है। जो लोगो के लिए समर्थ हो बोना करे, जो लोगो न कर सकें उन्हें क्षत्रि त्वाव देनी चाहिए। श्रीवाहन ने पुन कहा है—ब्राह्मण को प्राण बाल के मोहन के पूर्व क्षत्रि-कार्य करना चाहिए, उस ऐसे बीको को बिनकी माक न छिड़ी हो जिनके अशुकोप न निकाल सिधे पये हो जोतना या बार-बार उधकना चाहिए और तीबी वर्मभेदिका से उन्हें लोबना न चाहिए।" यही बात बसिष्ठवर्मभूत ने भी कुछ अन्तर (भेद) से पामी जाती है (२।३२-३४)। वाजसनेयी संहिता भी यही कहती है (१।२।७।१)। मनु (१।१८१-८४) ने लिखा है कि बरि ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपनी औबिका के प्रसन्न को लेकर वैश्य-भूति करनी ही पड़े तो उन्हें क्षत्रि ठो नही करनी चाहिए, क्योंकि इससे बीको को पीडा होती है और यह बूझो (मजबूर, वैश वादि) पर आचारित है। मनु ने क्षत्रि को 'प्रभूत' (जीव-हानि में अधिक प्रसिद्ध) कहा है (मनु ४।५)। परासर ने ब्राह्मणो के लिए क्षत्रि-कर्म बन्धित मही माना है किन्तु उन्होने बहुत-से नियन्त्रण लया बिये हैं (२।२-४ ७ १४)। 'इस नियम में अपराध बूझ-हारीत आदि के बचन भी स्मरणीय हैं। बूझ हारीत (७।१७९ एम १८२) ने क्षत्रिकर्म सबके (उब बर्षों के) लिए उचित माना है।" उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि क्षत्रि के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न पुनो में विभिन्न रहे हैं।

विश्व एवं विभिन्नय—हमने ऊपर देख लिया है कि आपस्तम्ब ने ब्राह्मण जातिय कर सकता है। किन्तु बस्तु-विश्वय के सम्बन्ध में बहुत-धारे नियन्त्रण थे। पीठम (७।१८ १४) ने मुगन्धित बस्तुएँ (कन्धन आदि) इन प्रकार (तेक भी आदि) पका मोहन ठिक पटसन (सन या पटसन से निर्मित बस्तुएँ, दबा बोरा आदि) लौम (सन क बने हुए बस्तु) मुगचर्म रँपा एव स्वच्छ किया हुआ बस्तु इन एव इसल निर्मित बस्तुएँ (भी मरसन रही आदि) कन्धमूस पुष्य फस बड़ी-बूटी (ओपनि के रूप में) मधु, मास बास बरु बिपैसी ओपनिबा (अष्टीम विष)

२१ अर्धर्ना बीक्याः क्षत्रिमित्कृत्स्नव बितो रमस्व ब्रह्म मय्यमान । तत्र गन्ध-क्षित्तव तत्र बाया तन्ने विश्वेय सधिताप्यमर्कः ॥ श्रुवेव १।३४।१३३।

२२ वेव-क्षत्रिबितासाप क्षत्रिर्वेदविनासिनी । अक्षित्तनानुनय कुर्मादिद्यक्तस्तु क्षत्रि त्पवेत् ॥ बी १।५।१ १। प्राक प्रहतरशाकात्कर्णो स्पत् ॥ अस्पृतनासिकाभ्या लमुष्काभ्याकनुबभारया मुहुर्महुरम्पुष्कन्धयम् ॥ बी २।२।८५-८६।

२३ पशुकर्मनित्तो विप्र क्षत्रिकर्मनि कारयेत् । हकमच्छनक बन्धे बहूपथ मध्यमं स्फुलम् । अतुर्गर्भ मुबैलगा क्षिणव बुचपातिनाम् ॥ परासर २।२; ब्रह्महृत्स्तु क्षत्रि कृत्वा मधुसोपनबानुयत् ॥ राज्ञे बत्वा तु बह्वर्ण देवता वैकविशकम् । विप्राणा विशक भाव क्षत्रिकर्ता न किप्यते ॥ परासर २।२-१३३। अपराध ने इस अक्षित्त लोके को बूझनति का कहा है। "अप्यागव बर्म्युक्तम्" अत्रि (२२२-२२३) आपस्तम्ब (१।२५-२६) हारीत में भी पाया जाता है।

२४ क्षत्रित्तु सर्ववर्णाता सापान्यो वर्म उच्यते । क्षत्रिर्भूति पासुपत्यं सर्वेवा विधिष्यते । बूझहारीत ७।१७९, १८२।

पशु (मारे जानेवाले) मनुष्य (राज) बौध (बन्ध्या या बहिष्ता) गाँवें बछरा-बछिया (बल-बन्धा) लड जाने वाली गायें खादि बस्तुएँ बचने को मना किया है। उन्होने (७।१५) यह भी लिखा है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मणों के लिए मूँमि चावल जो बकरियाँ एक मोड़ पोड़े बैठ हास म ध्यायी हुईं मावे एवं गाँबी म जोने जानवाले बैठ आदि बचना मना किया है। बाबिग्य म रत धरियि क लिए इन बस्तुमा क विक्रय क सिण कई नियन्त्रण नहीं था। आप स्वम् (१।७।२ १२ १३) म भी ऐसी ही सूची दी है किन्तु उन्होने कुछ बस्तुमा पर रोक भी लगा दी है यथा पिपबनवासी बस्तुएँ (६६५ वीस साह) बामक नास (तने) खमीर उठी (फनिल) हुई बस्तुएँ (किण्य धाराज या मुरा आदि) बच्छ कम करने के कारण उपाधि प्रदसा-यत्र आदि क मिलन की सामा। उन्होने जमी म तिल एव चावल बेचने पर बहुत कडा नियन्त्रण रखा है।^१ बौधायन (२।१।७७-७८) ने भी तिल एव चावल बेचन क लिए बर्जा की है और कहा है कि जा ऐसा करता है वह अपन पितर एव अपन प्राजा को बेचना है। मम्मथन यह बात इसमिए उठायी गयी कि थाड एव ठपंज म तिल का प्रयाप होता है। बमिष्ठ-धर्मसूत्र (२।२४ २९) म भी एसी ही सूची है किन्तु अन्य बस्तुएँ भी जाड की गयी है यथा अलर नमन रमम सोहा टीन चीना गमी प्रकार के बन्ध पशु एव घुर बाले तथा बयास बाल पशुओ मरिन घमी पासनु पशु पयी एव दौन बाड पशु। मनु (१।१२) क अनुसार ब्राह्मण मास साह नमन बेचन म उत्सण पापी हो जाता है और टीन दिनों तक दूध बचन से घूर हो जाता है। तिल के विषय म बौधायन (२।१।७६) मनु (१।१९) बमिष्ठ (२।३) म एव ही बात लिखी है—यदि कोई तिल को गाने गहाने म (उमके लेस को) प्रयाप करने वा बात देने के अनिश्चित दिनी अन्य नाम म साता है ता वह इमि (बीडा) हो जाता है और अपन पितरों के माय कुल की बिष्ण म डर जाता है।^२ किन्तु बमिष्ठ (२।३१) मनु (१।१९) ने इति-धर्म से उत्पन्न तिल को बचने क सिण कहा है हाँ मनु न बैचन पामिष कायोंके लिए ही विक्रय की व्यवस्था की है। यात्र (३।३९) नाग (कथागत ६६) ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। यात्र (३।३६ ३८) एक नाग (कथागत ६१ ६३) ने भी बजित बस्तुओ की सूचियाँ उपस्थित की है। मनु ने उपयुक्त सूची से मोम कुदा नील का जोडा है यात्रकण्व ने साम पर बकरी के डन से बन हुए बन्धन चमरी हिरन के बाल घमी (विध्याज) का जोड दिया है। इसी प्रकार घन-निगिन उद्योगधर्म (३८।५) पामिषपत्र (७८।४ ६) हाटीन न बजित बस्तुओ को लम्बी-सम्बी सूचियाँ दी हैं। इसी प्रकार यात्र (३।४) मनु (१।१।६२) किन्तु (३।७।१४) यात्र (३।२।४ २६५) हाटीन लघु घानागत आदि ने बजित बस्तुओ के बचने पर प्रायश्चित्त क सिण भी व्यवस्था दी है।

२५ आदि व्यवहारेण पश्याजामपश्यानि म्युदस्यन्। मनुष्यान् रसागरागान् यधानसं कर्म सर्वा बदां इश्यौ-
रने तोष्यन्ति विप्यलीकरीते धार्यं मासनापुत्र मुहतायां च। तिलकण्डकारवेच पाप्यस्य विनोपत्र न विधीयीयन्।
यात्र १।७।२ १११ १११।

२६. बौधनाम्यञ्जनाहाजार धरम्यकुप्ने तिलैः। इमिभूतः इवविष्णोर्वा पितृभिः सह मरजति॥ मनु १।१९।
मृनिचरिष्ठा ये उद्भूत यत्र वा तिलोः (१।१८)।

२७. न विधीयीयादधिकेयादि। तिलनेतद्विधीयतवचतासावधामागृताप्रञ्जीपुष्यहृम्यपचकवप्रगम्यरत्नं
इत्यादिनामोहोहनीभीविषयान्ततः वमिषाहाह्याः। धानतिलिन (अपरारं द्वारा उद्भूत पु १११३ एव रमिषि
चरिष्ठा १।१८)। अधिक्यं लवणं पत्रवमरं इति और अशु तीर्थ धनं च। तिला धानकचमृतादि तात्र रत्न बाक-
अपेक्षा मुहताच॥ उद्योगधर्म ३८।५।

त्रिनिमय के विषय में उपर्युक्त नियमों के समान नियम बनाये गये हैं। वज्रित वस्तुओं का त्रिनिमय भी ब्यासम्भक्त वज्रित माना गया है^{१८} किन्तु कुछ विशिष्ट छूटें भी हैं, यथा भोजन का भोजन से दासों का दासों से, पुण्यवित्त वस्तुओं का मुग्न्यवित्त वस्तुओं से एक प्रकार का ज्ञान बूझने प्रकार के ज्ञान से (भाष १७७२ १४ १५)। इसी प्रकार कुछ उत्सव-केर एव गनी वस्तुओं को सम्मिश्रित करके अन्य जाचार्यों ने भी नियम दिये हैं, यथा गौतम (७।११-२१) मनु (१।१४) विशिष्ट (२।१७-१९)।

भाष्यकारों ने जीविका-साधन के लिए मनु (१।११६) ने इस उपक्रम बतलाये हैं—विद्या कर्त्तारं एवं विस्य पारिधमिक पर कार्यं नौचरी पशु-यास्य वस्तु-विषयं कृषिं यन्तोप मिसा एव कुसीर (भ्याज पर बन बेना)।^{१९} इनमें सात का वर्णन याज्ञवल्क्य ने भी किया है किन्तु उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी सम्मिश्रित कर दिये हैं, यथा गाड़ी हौकना पर्वत (पहाड़ों की भासां एव ककडियों को बेचना) जल से भरत वेस वृष झाड़-सकाड़ राजा (राजा से मित्रा माँगना)।^{२०} चण्डेश्वर के गृह्यश्रुतिकाण्ड में उपबृत्त छागसेय के अनुधार जनाबुष्टि-काल में भी प्रकार के जीविका-साधन हैं।^{२१} यामी ठरकारियों का श्रेत यौर्ण, मछली पकड़ना आस्त्यन (बोरे भी धम से अपनी जीविका चलाना) बन जल से भरत वृष एव झाड़-सकाड़ पर्वत तथा राजा। नारद (श्रुतशास्त्र ५।५५) के मनुधार तीन प्रकार के जीविका-साधन सभी के लिए समान थे—(१) वैदिक बन (२) मित्रता या स्नेह का दान तथा (३) (विवाह के समय) जो स्त्री के साथ मिले। नारद के अनुधार तीनों वर्णों में प्रत्येक के लिए तीन विशिष्ट जीविका-साधन थे। ब्राह्मणों के लिए—(१) दान-ग्रहण (२) पुरोहिती का धुक एव (३) शिक्षक-मुक्त श्रमियों के लिए (१) मुष्ट की मट (२) कर एव (३) म्याय-कार्य से उत्पन्न बण्ड-जन तथा वीस्यों के लिए (१) कृषि (२) पशु-यास्यन एव (३) व्यापार। नारद (श्रुतशास्त्र ४४-४७) ने बन का धुकन (श्रेत विद्युत्) शबक (कृष्ण-श्रेत मिश्रित) एव कृष्ण से और इनमें प्रत्येक को छत-छाट मापों में बाँटा है। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ५८) में भी इसी तरह तीन प्रकार बताये हैं। इसके अनुधार (१) वैदिक बन स्नेह-दान एव पत्नी के साथ जाया हुआ बन श्रेत (विद्युत्) है (२) अपने वर्ण से निम्न वर्ण के व्यवसाय से उत्पन्न धन वृक्ष से या वज्रित वस्तुओं के विक्रय से उत्पन्न धन या उपकार करने से उत्पन्न धन शकल है तथा (३) निम्नतर वर्णों के व्यवसाय से उत्पन्न धन पूजा जोटी विद्या या कर्म से उत्पन्न धन कृष्ण धन है। जीव्यायन (१।१५६) ने १ प्रकार की बुतियाँ बतायी हैं और उन्हें ३।२ में समझाया है। मनु (४।४६) में ५ प्रकार वज्रित किये हैं—(१) श्लत (अर्थात् श्रेत में गिरे हुए जल पर जीवित रहना) (२) जम्बूत (जो बिना मरि मिले) (३) मृत (मिसा से प्राप्त) (४) प्रमृत (कृषि) एव (५) सरत्यागत (वस्तु-विषय)। मनु ने इहबुति (नीचरी जो कुत्त (बना) के जीवित के समान है) का विरोध किया है। मनु (४।९) ने यह भी लिखा है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-साधन ७ हैं (यथा अध्यायन याजन प्रतिग्रह कृषि पशु-पासन एव व्यापार) कुछ के ८ वस्तु तीन हैं (यथा प्रथम तीन) कुछ ८ वस्तु दो (यथा याजन एव अध्यायन) और कुछ का केवल एक अर्थात् अध्यायन।

२८. वज्रितवर्षेतीषा मियो विनिषय। अनेन चास्त्य मनुष्याणा व धनुष्यै रक्षणा व रत्नैर्भवाता व धर्म-विद्या व विद्यानाम्। भाष १७७२ १४-१५।

२९. विद्या क्षिप्र मुनिः सेवा नीरक्ष्य विभिः कृषि-। बुतिर्नैभ्य कुसीर व इव जीवितहेतवः ॥ मनु १।११६।

३ कृषि- क्षिप्र बुतिर्विद्या कुसीर शकलं विदिः। सेवानुपं नुपो नैसमापसी जीवितानि तु ॥ भाष १४१६।

३१ धनक क्षाकिकी गावो चास्त्यस्त्वर्णनं वनम्। अमृत पर्वतो राजा बुतिको नव बुतयः ॥ मनु ४।९।

४४९ के छागसेय।

ब्राह्मणों के प्रकार—ब्राह्मणों को कृतिया के अनुसार कई प्रकार में बाँटा गया है। अग्नि (३७३-३८३) में ब्राह्मणों के दस प्रकार बताये हैं—(१) वैश्व-ब्राह्मण (जो प्रति दिन स्नान सन्ध्या जप होम वैश्व-युजन अतिथि-मन्त्राएँ एवं वैश्ववेद करता है) (२) मुनि-ब्राह्मण (जो वन में रहता है, वन्द मूषक एवं फल पर जीता है और प्रति दिन याज्ञ करता है) (३) द्विज-ब्राह्मण (जो वदान्त पढ़ता है सभी प्रकार के ब्रतों पर एवं आमन्त्रिया को त्याग चुका है और साम्य एवं योग व विषय में निमग्न है) (४) शत्रु-ब्राह्मण (जो मुद्र करता है) (५) वैदय ब्राह्मण (जो इति पदु-यारुण एवं व्यतार कर) (६) सुह-ब्राह्मण (जो साल नमक कुमुन्धक ममान रण ब्रूष भी मधु मास बेचता है) (७) निषाद-ब्राह्मण (जो चार एवं डाकू हा चुबसी करने वाला मछरी एवं मान मान वाला हो) (८) पशु-ब्राह्मण (जो बड़ा व विषय में कुछ भी न जान और केवल यमोपवीत अथवा जलक धारण करने का अधिकार कर) (९) श्लेष-ब्राह्मण (जो जिना किसी अनुपाय के हुआ ठामला एवं बाटिवाला पर अकराच पडा करे या उन्हे मष्ट करे) तथा (१) वाचशालब्राह्मण (जो मूर्ख है निरिष्ट क्रिया-मन्त्रांतरा में मून्ध एवं सभी प्रकार व बर्माचारों में अज्ञात एवं मूर्ख है। अग्नि न परिहासपूर्वक में यह भी बड़ा है कि बर्हिहीन लोग साम्य (व्याकरण म्याय आदि) पठत हैं शास्त्रीय लोग पुराणा का अध्ययन करते हैं पुरुषार्थीन लोग कृपण हत हैं जो इतम भी पये बीने हैं भागवत (विश्व विष्णु के पुत्रारी या भक्त) होत हैं। अकार्य न दबक को उद्बुध करत हुए ब्राह्मणों का आठ प्रकारों में बाँटा है—(१) आति-ब्राह्मण (जो वचन ब्राह्मण-मुक्त में उत्पन्न हुआ है जिनमें वेद का कोई भी असा न पडा हो और न ब्राह्मणादिन कोई बर्तव्य करता हो) (२) ब्राह्मण (जिनमें वेद का कोई जप पठ किया जा) (३) श्रोत्रिय (जिनमें छ अना व माष किसी एक वैदिक पात्रा का अध्ययन किया हो और ब्राह्मणों व छ वन्य करता हो) (४) अनुचाल (जिनमें वेद एवं वदणा का सर्व ज्ञान हो जो पवित्र हृदय का हो और अतिहोत्र करता हो) (५) श्रूण (जो अनुचाल होने व अनिगिण यज्ञ करता हो और यज्ञ के उपरान्त जो वच उम अर्पित प्रकार लाता हो) (६) अविचर्य (जिन सभी लौकिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त हो पये हो और जिनका मन मयम के भीतर ही) (७) अवि (जो अविवाहित हो पवित्र जीवन का हो मर्यादारी हो और बर्हान या पाप देने पाय्य हो) (८) मुनि (जिनमें जिन मिट्टी या मोना बरकर मूष्य रखने हो जो निवृत्त हो आमन्त्रि या अनुपाय में विहित हो आदि)। यानातन व ब्राह्मणों (निन्दित ब्राह्मणों) के छ प्रकार बताये हैं। अनुपायन एवं (३३११) में भी कई प्रकार बताये हैं।

३२ वेदविहीनपठ पठति शास्त्र शास्त्रेण हीनाय च पुराणपाठः। नृरायहीनः इति सो भवति अष्टास्तनो आययता भवति ॥ अग्नि ३८४।

३३ वैश्व के इलोच बालरत्नाकर में भी उद्धृत मिलते हैं। वैश्वानतमुष्ट (३११) में इन आठ प्रकारों का समिष्ट विवेचन किया है—“सहृताया ब्राह्मण्यं ब्राह्मणाज्जलमात्रं पुत्रमात्रं (पुत्रः मात्र ?)। उपनीतः सावित्र्य प्ययनाद् ब्राह्मणः। वैश्ववीथ्यं प्राचीरैरा वासिष्ठान्नात्सुहृता वाचयत्रैरथि यज्ञन् श्रोत्रियः। स्वाम्यापपर आहितान् शिर्षिर्विर्षीरव्यनुचालः। सोमयत्रीरथि श्रक्तः। तस्वारीरैर्नैवनेनी नियमयाम्यायुर्विचर्यः। साङ्गचनुषदतपावीगावृत्तिः। मारायचकरायणो निर्द्वन्द्वो मुनिरिति। तस्वारीरविरोपायुर्वानुर्वाप्यरो वरीयाविति विज्ञायनः।

३४ अष्टाष्टमाय च श्रु श्रोत्रा अष्टिः पातानपेऽजवीन्। आटो रात्राययनेषां द्वितीयः कयविकची ॥ मुनीयो ब्रह्माम्यं स्वान् अनुषो पातयात्रः। बर्हचक्रान् अनुचालेयां ब्राह्मण्यं नगरय च। अयागानो मु यः पुर्वा लविर्ष्यां शंभ वरिचक्रान्। सोपानी द्विज तप्यां न चट्यो ब्राह्मणः स्वन् ॥ ऐन्दव ब्राह्मण (३१५) के पाठ्य के मायन में कुछ उद्धृत कर के साथ इन्हे उद्धृत किया है यथा “अनुषोऽप्यौतयात्रः। वचनो पातयात्री च चट्यो ब्रह्मण्यः स्वन् ॥

ब्राह्मण तथा विष्णुकोटि के व्यवसाय—स्मृतियों के अनुसार कुछ कर्मों के करने और न करने से ब्राह्मण पुरुष के सदुप गिने जाते हैं (बीषायनपर्मसूत्र २।४।२ बसिष्ठवर्मसूत्र ३।१-२ मनु २।११८ ८।१ २ १ १२२ पराशर ८।१४ आदि)। जो ब्राह्मण प्राण एक मर्यादा तक की संख्याएँ नहीं करता उसे राजा द्वारा धृष्टोपि कार्य दिया जाता चाहिए। जो ब्राह्मण शोचिव (बैरवारी) नहीं है जो वेणुध्यायन नहीं करते और जो अनिष्टोप नहीं करते वे गृह्य हैं (बसिष्ठ ३।१-२)।

ब्राह्मण तथा मित्रा—यहाँ बहूत ही श्रेणियों में ब्राह्मण एक मित्रा के विषय में भी कुछ छिछ देना अनिष्ट है। यथास्थान इस विषय में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। स्मृतियों में केवल ब्राह्मणारियों यष्टियों के लिए मित्रा की व्यवस्था की है। बहुत ही सीमित दशाओं में अन्य लोगों को भी मित्रा माँगने का अधिकार था। महाभारत में केन्य के राजा न बह बर्ष के साथ उद्योग किया है कि उनके राज्य में ब्राह्मणारियों को छोड़कर कोई अन्य मित्रा नहीं माँगा (शांतिपर्व ७७।२२)। पञ्च महायज्ञों को करते समय प्रति दिन भोजन-दान करने की व्यवस्था भी (इस विषय में हम पुनः 'वैरवदेव' के प्रकरण में लिखेंगे)। आपस्तम्ब के अनुसार मित्रा केवल निम्नलिखित वर्गों के लिए ही माँगी जा सकती है—(१) आचार्य के लिए, (२) अपने (प्रथम) विवाह के लिए, (३) यज्ञ के लिए, (४) अपने माता-पिता के उत्सव के लिए, (५) योव्य पुरय के गर्तव्यों के विनाश को दूर करने के लिए। एते व्यवहारों पर लोगों का यथावधि वेना चाहिए, और जो केवल अपने मुख के लिए मित्रा माँगे उसे नहीं देना चाहिए। मुख से ठहरता हुआ व्यक्ति कुछ माँग सकता है मया जेली हुई या अतमोती हुई मूँमि गाय भेड़ या भेड़ी और बल में सोता बल वा पका हुआ भोजन किन्तु स्नातक को भूख से बेहाल नहीं होना चाहिए, एसा विधान है (बसिष्ठ १२।२३ मनु १।११४ बिल्वु ३।७९-८)। अध्ययन-समाप्ति के पश्चात् मित्रादान करना अनुचित माना गया है (बीषायन १।१५)। तीन दिनों तक कुमुक्षित रहने पर अनूय्य अपने स नीची जाति वाले के अधिकार सेत कर या नहीं से एक दिन के लिए अन्न मित्रा रहे (या भुजकर) से सकता है, किन्तु पुच्छे पर उसे

३५ तस्य प्रसक्तः तथा संख्यां ये क्रिया नो ध्यासते। काम तान् वामिको राजा शूद्रवर्जसु योजयेत् ॥ श्री २।४।२ ।

३६. अधोत्रिया अननुवाक्या अनगण्यो शूद्रसवर्माणो भवन्ति। पालर्षं चान् इकोक्रमुवाहुरन्ति। योजनीयं द्वित्रो वैरवस्यत्र दुरते व्यसम्। स बीषभेव शूद्रत्वनासु मच्छति ताण्यः ॥ बसिष्ठ ३।१-२; यह श्लोक सप्तमसंस्कृत २२।२३ में भी है वैश्वदेव बसिष्ठ ५।१ श्री तथा सप्तमसंस्कृत २२।२१-२२ पापकीरहितो विप्रः शूद्रावप्यनुचिन्ति ॥ पराशर ८।१४; उसके जगते है—शु सीतोपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो चिन्तितेन्द्रियः। अन्निकाम्यत्परिचयः सन्धोपलम्ब-विक्रान्तः। वेद बीषानधीयानः सर्वेते बुबुका स्मृतः ॥ अधीतव्योऽप्येकवेदो यदि सर्वं न दास्यते। पराशर १२।१२ ३३। अनम्यासाक्य वेदानाचारारण्य च वर्जनम् ॥ अन्नस्यावन्नभोवाक्य मृत्युक्रियाञ्चिन्मयासति ॥ मनु ५।४।

३७. निजन्वे निमित्तमाचार्यो विवाहो यत्रो मन्त्रापिबोर्मुवैर्द्वैतश्च नियमविशेषः। तत्र पुत्रान् समीयं यथासक्ति देवम्। इन्द्रियशीर्षस्य तु भित्तपमनिमित्तम्। तस्मात् तदादियेत। अथस्तम्ब २।५।१ १४; मित्राहृत्, मनु ४।१५ १ ११-२; यज्ञ १।११९ बीतम ५।१९-२ शांतिपर्व १६५।१ २; ह्युतार्थो यस्मत्प्राण्य सर्ववैरवस्यत्र यः। आचार्यपितृकार्यार्थं स्वाध्यायार्थं यथापि च ॥ एते च तावन्तो बुद्ध्या ब्राह्मणा वर्जितस्तम् ॥ अत्रिपत्तौ लिखा है—आचार्यस्य वशिष्ठस्य दुर्युधस्तत्रभ्युत्तस्य च। अन्धान् प्रतिपन्नस्य मित्राचार्या विधीयते ॥ अङ्गिरा (शुद्धे स्वरत्नाकर, पृ ५५)।

मता देना चाहिए (मनु ११।१६ १७ गौतम १८।२८। याज्ञ ३।४२)। स्मृतियों में स्वर्ग में मिला माँगना बर्तन माना गया है। इस विषय में वाचस्पतिव्यसिष्ठ० (३।४) पराशर (१।६) अथवाक्रीय हैं।

ब्राह्मणों की महत्ता—वैदिक काल में भी ब्राह्मण ब्रह्मात्मरूप मान जाते थे और कबल जन्म से ही वे अन्य बर्षों से बहुत ऊँचे थे (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।३ शालिषर्ष ३४३।१३-१४ मनु ६।११७ भिषगि ३१ बसिष्ठ ३।२-५)। धर्मशास्त्रों में भी वैदिक काल में ही यही महत्ता अथवासम्भव स्वीकृत की गयी है। स्मृतियों एवं पुराण ब्राह्मणों की महत्ता एवं स्तुति-गाथा में भरे पड़े हैं। सबका जेना-जोना देना यहाँ सम्भव नहीं है। कुछ बातगियों में हैं—देवता तो पराश्रदेवता हैं किन्तु ब्राह्मण प्रत्यक्षदेवता हैं यह विच ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया है ब्राह्मणों की ज्ञान में ही देवता स्वर्ग में स्थित हैं, ब्राह्मणों द्वारा कहे गये सब कहे गयी हुये। मनु (१।१) में ब्राह्मणों का बर्तन उच्च माना है। मनु में इस विषय में बर्तनवाचिकियों की भी है (९।३। ३२१)। जन्म में ही ब्राह्मण मान-सम्मान का योग्य हैं (११।८४)। पराशर में कहा है (६।५२ ५३) कि ज्ञान में तबों में यज्ञबर्षों में जो भी होय हा व सभी ब्राह्मणों की स्वीकृति में मल हो जाते हैं ब्राह्मण जा कुछ बोलते हैं वह देवता द्वारा वाक्ता जाता है ब्राह्मण सर्वदेवता हैं उक्त सब कथना गयी हुये। महाभारत में बहुधा ब्राह्मणों का मुचमान किया है। आदित्य (२८।१४) का अनुसार ब्राह्मण जब कुछ कर दिया जाता है तो वह अग्नि मय विष एवं मद्य हा जाता है ब्राह्मण मनी जीवा का गुरु है। बर्ष (३ ३।१६) का कहना है कि ब्राह्मण अति उच्च तेज एवं अति उच्च तप हैं ब्राह्मणों का प्रजापत करने के कारण ही सूर्य स्वर्ग में विराजमान है। अनुपासनाबर्ष (३३ १७) एवं गान्धिवर्ष (५६ २०) में भी ब्राह्मणों की महत्ता का बर्तन है।

एसी बात नहीं है कि ब्राह्मणों ने ज्ञान-बुद्धिजन बर्तनी महत्ता बर्तने का लिए तथा अन्य बर्षों से महत्तर होने के लिए धर्मशास्त्रों एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में अपनी स्तुतियों का बर्तनी हैं क्योंकि जब तक उन्हें अन्य बर्षों द्वारा

३८ विष्णुनाभो वा निमित्तात्तरं भूयन् । न ह्यत्रो नाप्राप्तव्यवहारान् । अपर्याप्ततनियानान् । अनुदि श्यात्रं मिथेन । परवर्षं मिथेन तमेवार्धं भूर्यान् । देवमृषिबर्षयो मिथेवन् । यो वास्यः साधुनमस्तस्मै वृषान् । षट्क निमित्त (गुरुतप-स्तोत्र, पृ ४५७) अथवा ह्यनधीयाना यत्र भक्तवरा द्विजः । तं धामं वन्द्येवैवा वाचरत्नप्रदो हि सा ॥ बसिष्ठ ३।४ एवं पराशर १।६ ।

३९ देवः परीक्षदेवा प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणः । ब्राह्मणर्षीणा वायन्ते । ब्राह्मणानां प्रनावेन विवि निवृत्ति देवता । ब्राह्मणार्थकित्त वायव न भिष्या जायते बर्षकित् ॥ विष्णुबर्षमनु १९। २०-२२ । मिलाश्रु, तैत्तिरीय संहिता १।७।३।१ तैत्तिरीय आरण्यक २।१५। १।५।५।६ तादृश्यमहाब्राह्मण ३।१।६। उतरराज-वर्तित ५।

४ वसिष्ठः तपसिष्ठः वसिष्ठः यज्ञबर्षः । सर्वं बर्षति निमित्तं ब्राह्मणरत्नवर्षितम् ॥ ब्राह्मणा यानि पापान्ये प्राप्यते तानि देवता । सर्वदेवमता विद्या न तदुच्यतेमन्यथा ॥ पराशर ६।५२-५३ । तापान्त में कुछ अन्तर के साथ ये ही श्लाक हैं (१।१०-११) ।

४१ अग्निर्बर्षो विष तात्र विदो भवति बौधिनः । गुरुहि तत्रभूतानां ब्राह्मणः बर्षबौधिनः ॥ आदित्यवर्ष ३८।३ ४ देविय आदित्य ८।१।२३ एवं २५ एवं मन्वन्तुराज ३।२८ एवं २५।

४२ ब्राह्मणो हि बर्षतेजो ब्राह्मणो हि बर्षतरः । ब्राह्मणानां तमन्वर्षाः भूयो विवि विराजन्ते ॥ बर्षवर्ष ३। १। १६ । मिलाश्रु तादृश्यब्राह्मण ३।३।१५ ओर देविय, आश्वे ३।१५।२ ७ आश्वे ४।५। १०-११ ।

सम्मान न प्राप्त होता और वह अठारहवियों तक असुख्य न बसा जाता जब तक उन्हें इतनी महत्ता नहीं प्राप्त हो सकती थी। ब्राह्मणों को वैदिक ब्रह्म नहीं प्राप्त था कि वे जो चाहते करते या करवाते। यह तो उनकी जीवन-वर्षा थी जो उन्हें इतनी महत्ता प्रदान कर सकी। ब्राह्मण ही आर्य-साहित्य के विद्यार्थी समूह को करने वाले एक असुख्य रहने वाले थे। युवो से जो संस्कृति प्रवाहित होती रही उसके सरसक ब्राह्मण ही तो थे। यह मानी हुई बात है कि सभी ब्राह्मण एक-से नहीं थे किन्तु बहुत-से ऐसे थे जिन पर आर्य-जाति की सम्पूर्ण संस्कृति का भार रखा जा सका और उन्होंने उसका विकास सरसक एक वर्धन करने में अपनी ओर से कुछ भी उठा न रखा। इसी से आर्य जाति ब्राह्मणों के समझ सदैव गठ रही है।

ब्राह्मणों के प्रमुख विशेषाधिकारों के सिद्धांत-कार्य करना पीरोहित्य तथा धार्मिक कर्तव्य के रूप में बतलाना करना। अब हम बहुत संक्षेप में उनके अन्य विशेषाधिकारों का वर्णन करेंगे।

(१) ब्राह्मण सबका गुरु माना जाता था और यह यज्ञ-यज्ञ उभे जन्म से ही प्राप्त था (आपस्तम्ब १।१।१५)। अतिष्ठधर्मसूत्र ने भी ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना है और अश्वमेध १।१२ को अपने पक्ष में उद्धृत किया है। मनु (१।११ एव १५ १।१३ १।१३) ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं महत्ता का वर्णन कई स्थानों पर किया है। आपस्तम्ब (१।४।१६।१२३) मनु (२।१।३५) एव बिल्कु (३।२।१७) ने लिखा है कि १ वर्ष की अवस्था वाला ब्राह्मण १ वर्ष वाले शत्रिय से अधिक सम्मान पाता है।

(२) ब्राह्मणों का एक अधिकार पाठ्य वर्षों के कर्तव्यों का निर्धारण करना उनके सम्पूर्ण जीवन की ओर संकेत करना एवं उनके नीतिक-साधनों को बताना। राजा ब्राह्मणों द्वारा बताये हुए विधान के अनुसार शासन करता था (अतिष्ठ १।३९।४१ मनु ७।१७ १।१२)। महाराज काठिनसंहिता (१।१६) वैदिकीय ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण (३७।५) में भी पायी जाती है। मूलान के दार्शनिक ज्योती ने शार्ङ्गिकों को ही जो सर्वोच्च-सम्मान ने राजनीतिको एवं विद्या-निर्माताओं में मिला है। ज्योती के अनुसार सर्वोच्च सोयी द्वारा निर्मित शासन (अतिष्ठोक्तौ) ही एक आदर्श शासन-व्यवस्था कही जा सकती है।

(३) वैदिक (१।१।१) ने लिखा है कि "राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मण-वर्जम्" अर्थात् राजा ब्राह्मणों को छोड़कर सबका शासक है। किन्तु मित्ताकर ने (याज्ञवल्क्य के २।६ की व्याख्या में) कहा है कि ऐसी उक्ति केवल ब्राह्मण की महत्ता बताने वाली है क्योंकि अनुचित कारण मिस जाने पर राजा ब्राह्मणों को भी दक्षित कर सकता है। वैदिक के उपर्युक्त बचन की ध्वनि उनके पूर्व के आचार्यों के कथन में भी पायी जाती है, यथा याज्ञवल्क्येय संहिता (१।४) एव अथर्व वेद (५।४।२।३ एव ५।३।१६।) सोमयाग केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे अथर्व वेदोपा

४३ आचार्यो वर्णा ब्राह्मणसभियवैद्यगुहाः। तेषां पूर्वं-पूर्वी जन्मत श्रेयात्। आप १।१।१५। अतिष्ठ-विदित्य चातुर्वर्ण्यं सत्कारविशेषात्। ब्राह्मणोऽस्य मुञ्जमासीद्ब्राह्म राजस्य ह्यत इत्यपि निगमो भवति। अतिष्ठ ४।१-२। अतीना ब्राह्मणः श्रेष्ठः। मीमंसा १।२।१५।

४४ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणः श्रेष्ठतया भवति। मित्ताकरौ स्वतः विद्वि तयोस्तु ब्राह्मण-मित्ताः। आप १।१-१।२।३।

४५ ब्राह्मणो वै प्रज्जलामुपश्रयः। तं वा २।२।१ एव काठिनसंहिता १।१६। तद्यत्तं ब्राह्मणं सर्वं वामेति तत्रात् तमुत्तं तद्विरववहृतिमन्वीरो वाप्ये। ऐ वा ३७।५।

४६ राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवजम्। गौ १।१।१ न च राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जमिति वैदिकवचनान् ब्राह्मणो बन्धु इति मत्तम्। तस्य मत्तार्थत्वम्। मित्ताकर, याज्ञ २।६ वर।

कं कठिरिक्त किन्ती बन्धु बन्धु का प्रयोग करते थे (ऐस बा ३५।४)।^{१०} किन्तु महाभारत में बहुत-से राजा 'सोमय' रहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सोम-सम्बन्धी ब्राह्मणोपपत्ता सर्वमान्य नहीं थी।

(४) गौतम (८।१२-१३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को ६ प्रकार के दण्ड से मुक्त रखे—(१) उन्हें पीटा न जाय (२) उन्हें हककमी-बेबी न स्मायी जाय (३) उन्हें बन्-बन्ध न दिया जाय (४) उन्हें धाम या देश से निकाला न जाय (५) उनकी भर्त्सना न की जाय एवं (६) उन्हें त्यागा न जाय।^{११} इन छ प्रकार के कृतकारों का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण अन्नम्य अन्नम्य अन्नम्य अन्नम्य अपरिबाध एवं अपरिहार्य भाषा जाता था। किन्तु ये छठे केवल विद्वान् ब्राह्मणों से ही विशेष सम्बन्ध रखती थी (मिताक्षरा याज्ञ २।४)। हरदत्त ने तो यहाँ तक किन्तु दिया है कि केवल वे ही विद्वान् ब्राह्मण कृतकार पा सकते थे जो जनजात में कोई अपराध करते थे। शरीर-दण्ड के विषय में गौतम (१२।४३) मनु (११।९९१) बौधायन (१।१ १८ १९) ने बर्णित की हैं। गौतम के मतानुसार शरीर-दण्ड नहीं देना चाहिए। बौधायन ने प्रथमतः ब्राह्मण को अदृष्टनीय माना है, किन्तु अतीविक्रता (बड़ाहत्या) अपिचार या अगम्यममन अर्थात् मातृगमन स्वधुममन दुहितृयममन आदि सुतापात पुत्रार्थ की 'कोरी' के अपराधी ब्राह्मणों के ललाट पर जस्ते हुए सौहे के चिह्न से दण्ड देने तथा देश-निष्ठासन की व्यवस्था की है। ललाट पर विभिन्न अपराधों के लिए कील-लेक चिह्नित किये जायें इस विषय में कई मत हैं (मनु १।२३७ मत्स्यपुराण २२७।१९३-१९४ विष्णु ५।४-७)। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण को किसी भी दशा में मान-दण्ड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी शारीर सम्पत्ति छीनकर उसे देश-निष्ठासा दे देना चाहिए (८।३७९ ३८)। 'कोरी' के मामले में मातृबन्धन (२।२७) मारण (शाह १) दण्ड के अनुसार ललाटाङ्गन एवं देश-निष्ठासन नामक दण्ड उचित माने गये हैं। ब्राह्मण पर बन्-बन्ध की व्यवस्था भी पायी जाती है (मनु ८।१२३)। सूती पनाही देने ललाटकार एवं अपिचार के लिए बन्-बन्ध उचित माना गया है (मनु ८।३७८)। शिर मुंडाकर, ललाट पर बन् लगाकर तथा गण्डे पर बन्धकर बन्ती में चारों ओर बुझाकर निकाल बाहर करना अनादर का सबसे बड़ा कर्म माना गया है।^{१२} कौटिल्य (४।८) ने मनु के समान शरीर-दण्ड को अस्वीकार कर ललाटाङ्गन देश निष्ठासन तथा जालों में कार्य करने की व्यवस्था की है। यदि ब्राह्मण राजब्रह्म, राजा के अन्तपुर में प्रवेश राजा के धनुषों को उभाड़ने का अपराध करे तो उस पानी में डबा देना चाहिए, एसा कौटिल्य ने लिखा है। यदि ब्राह्मण

४७ सोमोप्यनाकं ब्राह्मणानां राजा। सतपथ ५।४।२।३ तस्माद् ब्राह्मणोप्यथा सोमराजा हि भवति। सतपथ ९।४।३।१६।

४८ मनु यद्भि परिहार्यो रत्ताप्यव्याचक्रियदवाहयपरचक्रहिकार्यश्चापरिवाताश्चापरिहार्यद्वेति (गौतम ८।१२ १३) तत्रापि स एष बहुभुवो भवति विनीत इति (गौतम ८।४ ११) प्रतिपादितबहुभुवविषयं न ब्राह्मणयात्रविषयम्। मिता याज्ञ २।४ न शारीरौ ब्राह्मणदण्डः। गौतम १५।४३; अथप्यो वै ब्राह्मणः सर्वा-पराधेषु। ब्राह्मणस्य ब्रह्महत्यामुचस्यममनपुत्रवर्त्सेयमुस्तापलेषु कुतिल्यत्रयमुतापमपुत्राभ्यास्तापयोपत्ता ललाटेऽङ्कु-यित्वा विषयाभिर्बन्धनम्। श्री १।१ १८ १९; मुष्ककृतिक भाष्य (९) का यह श्लोक "जयं हि पातकी विद्यो न कथ्यो अनुदृष्टव्यम्। राज्यवस्वस्तु निर्वास्यो विनभेरश्वी सह॥ मनु (८।२८) की ही छाया है।

४९. ब्राह्मणस्य पुत्र 'न शारीरौ ब्राह्मण दण्ड' इति निषेधाद्वचनाने शारीरमुच्यते कर्त्तव्यम्। ब्राह्मणस्य बन्धो मौष्ण्य पुराभिर्बन्धनाङ्कने। ललाटे चानिभास्ताङ्क. प्रयाप्यं गरीभन तु॥ इति मनुस्मृत्यम्। मिताक्षरा याज्ञ २।३ २; मारण (शाह १) में भी यही दण्ड कुछ उल्ट-उल्ट के पात्र बनी गयी है।

भूजहत्या करे खोटी करे, ब्राह्मण-नारी को पाप से मारे या निशेप नारी को मार डाले तो उसे प्राण-दण्ड मिला चाहिए (वात्स्यायन याज्ञ २।२८१ की व्याख्या म विश्वकर्म द्वारा उद्धृत)।^{१०} राजाको ने ब्राह्मणों को प्राणदण्ड दिये हैं और हम मृच्छकटिक में इसका उदाहरण भी मिलता है जहाँ (९) राजा पाकक ने ब्राह्मण वासुदेव को प्राणदण्ड दिया है।

(५) अग्निषाया स्मृतिया के अनुसार याचिय (वैद्यमानी ब्राह्मण) करो स मुक्त वाः तानप ब्राह्मण के कुछ मन्त्रों के ध्वनि निकलती है वि उन बिना भी ब्राह्मण वरमुक्त थे (शां १३।६।२।१८)। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१ १२६।११) बसिष्ठधर्मसूत्र (१९।२३) मनु (७।१।३३) में भी पायी जाती है।^१ कौटिल्य (२।१) ने ब्राह्मणों के अतिरिक्त आचार्य पुरोहित श्रोत्रिय को ब्राह्मण्य देने को कहा है और कहा है कि वह भूमि उपजाऊ होनी चाहिए और उस पर किसी प्रकार का वन-दण्ड अपना कर नहीं लगता चाहिए।^{१०} ब्राह्मण करमुक्त क्यों रखा जाता था? इसका उत्तर बसिष्ठधर्मसूत्र में मिलता है ब्राह्मण वेदाध्ययन करता है, वह धार्मिक धीन प्राप्त करता है जिसे राजा भी पा लेता है ब्राह्मण विपत्तियां से रक्षा करता है आदि। राजा द्वारा रक्षित श्रोत्रिय जब धार्मिक रूप प्राप्त करता है तो राजा का जीवन सम्पत्ति एक राज्य बढता है (मनु ७।१।३६ ८।३ ५)। यही बात वात्स्यायन में भी कही है उपस्वी लोग अपने लय का छटा माय राजा को देने हैं और यह एक अज्ञय भोग है। आपस्तम्ब (२।१ १२६।११ १७) बसिष्ठ (१९।२३) मनु (८।३।२५) बृहदारण्यक (अध्याय ३) आदि ने ब्राह्मणों के साथ कुछ अन्य जागों को भी अजर (वरमुक्त) माना है। इस ब्राह्मण जो खेती करते थे उन्हें कर देना पड़ता था। ब्राह्मणों पर कर के विषय में पान्तिपथ (७।९।१९) में मनोरथक विद्वान् किया गया है। शास्त्रज्ञ एक सबको एक धृति से देखने वाले ब्राह्मण को ब्राह्मण्य कहा जाता है। श्रमेण यजुर्बेन एव सामवेद के ज्ञान और अपने कर्तव्यों पर अडिग रहने वाले ब्राह्मण को वैशाम्य बहने हैं (स्मार्क २-१)। धार्मिक राजा को चाहिए कि वह अश्रोत्रिय तथा जो यज्ञ न करे उसे कर से मुक्त न करे। कुछ ब्राह्मण शत्रुसम एव वैशाम्य होते हैं।^{१०}

५ तथा च कश्यपायनः। धर्मस्य पालने स्तेनो ब्राह्मण्यं शत्रुपालने। अनुष्ठां योक्तिं ह्यवा हुतात्मो ब्राह्मणोऽपि हि ॥ वात्स्यायन विश्वकर्म द्वारा याज्ञ २।२८१ में उद्धृत।

५१ अजातो बलिबालम्। सम्यं प्रति राष्ट्रस्य परम्यन्मृगैरेव ब्राह्मणस्य च बलिस्तत्। शतपथ १३।६।२।१८। अकर श्रोत्रिय। आपस्तम्ब (२।१ १२६।११); राजा तु धर्मगानुशासतुं बध्दं वनस्य हुरेतुं। अन्यत्र ब्राह्मणत्। बसिष्ठ १।४२ ४३ ब्राह्मणैरेव्यं करवाण न कुयति। तै हि राजो धर्मकरवाः। विष्णु ३।२६ २७।

५२ श्रमिन्वाचार्यं-पुरोहितश्रोत्रियेभ्यो ब्राह्मणैरेवात्यहम्बकराभ्यानिष्कयहायकानि प्रयच्छेत्। कौटिल्य २।१।

५३ ब्रह्मापूर्तस्य तु बध्दमद्य मरुतीति ह। ब्राह्मणो वेदनाथं करोति ब्राह्मण्यं मायद उद्धरति तस्माद् ब्राह्मणो-नाथः। सोमोऽज्य राजा भवतीति ह। प्रेत्य चाम्पुबन्धकमिति ह विज्ञायते। बसिष्ठ १।४४-४६ मिलाए, शतपथ ब्राह्मण के ये शब्द—सोमोऽज्यराज ब्राह्मणनाथ राजा। शतपथ ५।४।२।३ एवं तस्माद् ब्राह्मणोऽनाथः सोमराजा हि भवति। शतपथ ९।४।३।१६।

५४ यदुत्तिष्ठति धर्मो नृपाणां क्षयि तत्कलम्। तप-बहुनायमसक्यं वसत्यारण्यका हि न ॥ ब्राह्मण्य २।१३।

५५ विद्याभक्तनतस्याजाः सर्वेषं समवशिताः। एते ब्राह्मणस्य राज्यं ब्राह्मणः परिकीर्तितः ॥ श्रम्यन् साम-स्यसाः स्वैवु कर्मस्ववशिताः। एते वैशाम्यः सर्वे एव सर्वे जगताद्विशासन्यः। तान् सर्वान् धार्मिको राजा

(६) पाये गये वन क विषय मे अन्य बनों की बनेसा ब्राह्मणो को अधिक सूट वी गयी थी। यदि कोई विद्यात् ब्राह्मण गुप्त वन पता या तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य बनों के लोगों द्वारा पाये गये गुप्त वन को राजा हृदय छेदा वा किन्तु यदि प्रायिकर्ता सचार्ई के साथ राजा को पता बता देता था तो उसे छठा माम मिस जाता था। यदि राजा को स्वय गुप्त वन प्राप्त होता था तो वह आधा ब्राह्मणों मे बाँट देता था (गीतम १।१३४-४५ बसिष्ठ १।१३-१४ मनु ८।३७-३८ याज्ञवल्क्य २।३४-३५ विष्णु १।५६-६४ एम मारक मस्वामिबिषय ७-८)।

(७) यदि कोई ब्राह्मण बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका वन भोजिया या ब्राह्मणों मे बाँट दिया जाता था (गीतम २८।३९-४ बसिष्ठ १७।८४-८७ बौधायन १।५।११८-१२२ मनु ९।१८८-१८९ विष्णु १७।१३-१४ एम)।

(८) अथर्वशास्त्र मार्ग मे पहले जाने मे ब्राह्मणों का राजा से भी अधिक प्रमुखता प्राप्त थी। गीतम (१।२१-२२) क अनुसार मार्गावरोध के समय सबसे पहले गाड़ी को एक जमना बूड़े रोगी गायी स्नातक राजा को जाने का अवसर देना चाहिए किन्तु राजा को चाहिए कि वह पहले भोजिया को जाने दे। अन्य जागो के मत भी अथर्वशास्त्रीय है, यथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।५९) वनपर्व १३३।१ अनुस्रावणपर्व (१।४।२५-२६) बौधायन २।३।५७ एक मित्ताद्यत् द्वारा मात्र १।११७ मे उद्धृत^{१५} बसिष्ठ (१।१।५८-६) ने लिखा है कि पुत्र के यहाँ से सद्य आया हुआ स्नातक राजा से पहले मार्ग पाता है किन्तु बुद्धिमान को सबसे पहले मार्ग मिलता है। मनु (२।१२८-१३९) ने भी अपनी सूची दी है और स्नातक को राजा क ऊपर स्थान दिया है। यही बात याज्ञवल्क्य मे भी है (१।११७)। इस विषय के सिधे बेगिए, मार्कण्डेयपुराण (३।४।३९-४१) सद्य विष्णु (५।११) आदि।

(९) अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणो का शरीर परम पवित्र माना जाता रहा है और ब्रह्महत्या अपमृत्यम अपराध क रूप मे स्वीकृत थी। वैदिकीय संहिता (५।३।१२।१२) मे आया है कि अथर्ववेद्य यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण-हत्या से भी छूटकारा पा जाता है। इस संहिता न एक स्थान (२।५।१।१) पर लिखा है कि इन्द्र न बिचक्षण की हत्या करके ब्रह्महा की यर्हित उपधि कारण की। सतपथ ब्राह्मण (१३।३।१।१) ने भी ब्रह्महत्या का अपम्य अपराध माना है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१।१९) ने ब्रह्महत्या को पाँच महापातक मे पिनो है। गीतम (२।१।१) ने ब्रह्महत्या करनेवाले को पतितो मे सबसे बडा माना है बसिष्ठ (१।२) ने तो इस भ्रूयहत्या कहा है, मनु

बलिं विदियं च कारयेत् ॥ एतेभ्यो बलिमाहवाहीनकोभो महीपतिः ॥ अन्ते ब्रह्महतेभ्यश्च वैचक्येभ्य एव च ॥
आन्तिपर्व ७६।२३-५०९।

५६- अथर्वशास्त्रीयानुब्राह्मणसूत्रानुसारात्तन्म्यः पशो वानम् । एता तु भोजियाय । पीतम ६।२१-२२
राजः पन्था ब्राह्मणनासमेत्य समेत्य तु ब्रह्मणस्यैव पन्थाः । पालस्य भारानिनिहितस्यस्तुस्य रित्रया इति तर्बैरतिभ्यः ।
वर्षज्यापत्ता वेत्तरीवर्षः । अदिद्यपतितमसोभ्यलानामात्मस्वरयधनार्थेन सर्वैरेव वातम्यः । आपस्तम्ब २।५।१।१-
५९ आन्वस्य पन्था बभिरस्य पन्था रित्रय पन्था भारवाहस्य पन्थाः । राजः पन्था ब्राह्मणेनासमेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव
पन्थाः ॥ वनपर्व १३३।१ । पन्था वेद्यो ब्राह्मणाय गोम्यो राजम्य एव च । बृहस्पि नारतप्राय गमिष्ये बुर्बन्तय च ॥
अनुशासनपर्व १।४।२५-२६ इति मित्ताद्यत्, बौधायन २।३।५७ से एक-उद्धृत मित्ताद्यत् द्वारा मात्र १।११७ की
ध्यास्या मे ।

(११।५४) विष्णु (३५।१) याज्ञवल्क्य (३-२२७) ने भी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है (भूत-वेद के एक अक्ष का पाठक या गर्भ वसिष्ठ व सू गी व सू)। मनु ने (८।३८१) ब्रह्महत्या को गर्हिततम पाप माना है।

क्या आततायी हिंसक या भयानक अपराधी ब्राह्मण का प्राण-हृत्न किया जा सकता है? इस विषय में स्मृतिकारों एवं निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा है।^१ मनु (५।१६२) ने एक सामान्य नियम बना रखा है कि अपने (वेद पढ़ानेवाले) गुरु व्याख्यता (वेदार्थ बतानेवाले) माता-पिता अन्य अज्ञातपद सोमा ब्राह्मणों नामों तथा तप में लगे हुए लोगों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पुनः लिखा है कि ब्राह्मण की हत्या करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है (मनु ११।८९)। किन्तु स्वयं मनु (८।३५०-३५१-विष्णु ५।१८९-१९ -मत्स्यपुराण २२७।११५-११७-शुद्ध-श्रुति ९।३४९-३५) ने पुनः कहा है कि आततायी को अथर्व मार जाना चाहिए, मरने ही वह गुरु ही क्यों न हो बन्धा या बूढ़ा या विद्वान् ब्राह्मण ही क्यों न हो। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१५।१८) व ६ प्रकार के आततायियों के नाम आये हैं—(१) वर जसा देनेवाला (२) विप देनेवाला (३) शस्त्र प्रहार करनेवाला (४) कुटेरा (५) भूमि छीननेवाला एवं (६) दूसरे की स्त्री छीननेवाला। इस विषय में बौधायन धर्मसूत्र (१।११-१२४) एवं शान्तिपर्व (१५।५५) के अन्त भी स्मरणीय हैं। शान्तिपर्व (३४।१७ एवं १९) में लिखा है कि यदि कोई शस्त्रधारी ब्राह्मण किसी को मारने के लिए रण में जाता है तो जिस पर बात किया जाता है वह व्यक्ति उस ब्राह्मण की हत्या कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण देवन्ती ही क्यों न हो। उद्योगपर्व (१७८।५१-५२) शान्तिपर्व (२२।५६) भी इस विषय में अनन्वयेण स्मरणीय हैं। विष्णुधर्मसूत्र (५।१९१-१२) मत्स्यपुराण (२२७।११७-११९) में आततायियों के ७ प्रकार बतलाये हैं। मुमन्तु (मिताक्षरा द्वारा पाठ २।२१ की व्याख्या में उद्धृत) में लिखा है कि दाय एवं ब्राह्मण को छोड़कर सभी प्रकार के आततायियों को मार जानने में कोई पाप नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आततायी ब्राह्मण को मारने से पाप कटता है। कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका एवं अन्य निबन्धों में उद्धृत) मनु एवं बृहस्पति में भी आततायी ब्राह्मण को अथर्व माना है।^२ इस विषय में टीककारों एवं निबन्धकारों के विपक्ष में बहुत अन्तर पड़ गया है। याज्ञवल्क्य (३।२२२) की व्याख्या में विश्वरूप ने लिखा है कि वह व्यक्ति ब्राह्मण-हत्या का अपराधी है जो सभाम में लड़ते हुए ब्राह्मण या आततायी ब्राह्मण को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के ब्राह्मण को मारता है, या जो स्वयं अपने (ज्ञान के) किन्तु किसी ब्राह्मण को मारता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (उसे नष्ट करके) मरवाता है। विश्वरूप ने आगे यह भी लिखा है कि वन के बीच से जो किसी ब्राह्मण को मारता है उसको पाप नहीं लगता बल्कि उसको पाप कटता है, जो मरवाता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार कि यज्ञ करनेवाले को फल मिलता है व कि यज्ञ करनेवाले ऋत्विक् को। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (२।११) की व्याख्या में मनु (८।३५-३५१) का हवाला देते हुए लिखा है कि यदि आत्म-रक्षा के लिए कोई

५७. देखिए, याज्ञवल्क्य ३।२२२ वर विश्वरूप याज्ञवल्क्य २।११ मिताक्षरा अपरार्थ (पृ १ ४२-४४) एवं स्मृतिचन्द्रिका (अथर्वशास्त्र, पृ ३१३-३५)।

५८. आततायिधर्मे बौधायन्येण बौधायन्यात्। मुमन्तु (पाठ २।२१ में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत); अत-तायिनि चौरकृष्टे तत्र स्वाभ्यायव्यवस्था। अथर्वशास्त्रे तु नैव स्वातन्त्र्ये हीने बन्धो मनु॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका, अथर्वशास्त्र, पृ ३१५); अततायिनिमुक्तं ब्रह्मस्वाभावस्यमुक्तम्। यो न ह्यभ्यायव्यवस्थां चौराभ्यायव्यवस्थां जनेत्॥ मूलस्थिति (स्मृतिचन्द्रिका, अथर्वशास्त्र, पृ ३१५)।

किसी आततायी शाह्याग को रोक रहा है और असाधवानी या भुक्ति से उसे मार डालता है तो वह राजा द्वारा दण्डित नहीं हो सकता बल्कि उसे एक हस्त्या प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। स्पष्ट है मिठासरा के कथनानुसार आततायी शाह्याग को भी मारना मना था। मेधातिथि (मनु ८।१५ ३५१) की भी यही धम्मति है। कुल्सक (मनु ८। ३५) ने लिखा है कि यदि भागकर भी अपने प्राण न बचाये जा सकें तो आत्ममत्कारी युध या शाह्याग या किसी भी अन्य आततायी का मारा जा सकता है। अपराक (यात्र ३।२२७) ने लिखा है कि आततायी शाह्याग को यदि किसी अन्य प्रकार से रोकना असम्भव है तो उसे मार डालने की व्यवस्था शास्त्रों में है, किन्तु यदि उस बो-एक कण्ठ मारकर रोका जा सके तब उसका प्राण हर केना बड़ाहत्या है। स्मृतिचन्द्रिका में भी कुछ ऐसी ही उक्ति है। व्यवहारमयूक ने अधियुग का संहारा लेकर किसी भी प्रकार के (यहाँ तक कि आततायी) शाह्याग की हत्या का विरोध किया है।

(१) किसी शाह्याग का तर्जना देना (इपटना) या मारने की धमकी देना या पीट देना या घरीर से थोट द्वारा रक्त निष्कास देना भी बहुत प्राचीन काल से मत्सर्नीय माना जाता रहा है (तैत्तिरीय संहिता १।१ ११-२)। गौतम (२२।२ २२) में भी इसी प्रकार का आदेश पाया जाता है।

(११) कुछ अपराधों में अन्य बर्षों की अपेक्षा शाह्याग को कम दण्ड मिलता था यथा यौतम (२।१६ १) ने लिखा है—यदि किसी क्षत्रिय ने शाह्याग की मत्सर्ना की तो बण्ड एक सौ कार्पायन का होता है, यदि वैश्य ऐसा करे तो १५ कार्पायन का किन्तु यदि शाह्याग किसी क्षत्रिय या वैश्य के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दण्ड क्रमशः केवल ५ तथा २५ कार्पायन का होता है, किन्तु यदि वह किसी वृद्ध के साथ ऐसा करे तो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। इस विषय में मनु (८।२६७-२६८) मारक (वाक्याख्य १५ १६) एवं याज्ञवल्क्य (२।२ ६२ ७) क विचार एक-दूसरे से मिलते हैं किन्तु मनु ने वृद्ध की मत्सर्ना करनेवाले शाह्याग पर १२ कार्पायन का दण्ड की व्यवस्था की है। कुछ अपराधों में शाह्यागों का अतिरिक्त दण्ड दिया जाता था बन्ना बोरी के मामले में वृद्ध पर ८ कार्पायन का वैश्य पर १६, क्षत्रिय पर ३२ और शाह्याग पर १४ १ या १२८ कार्पायन का दण्ड लगता था (गौतम २१।१२ १४ मनु ८।२६७-३३८)।

(१२) यौतम (१३।४) के मतानुसार किसी बड़ाशाह्याग द्वारा कोई शाह्याग धारण के लिए नहीं बुलाया जा सकता। यदि वह लेखपत्र में लिखित रूप से साक्षी ठहराया गया हो तो राजा उसे बुला सकता है। मारक (अष्टाशत १५८) के अनुसार तब में भीम धात्रिय कोय बृहे कोय तपस्वी कोय साध्य क लिए नहीं बुलाये जा सकते। किन्तु गौतम ने अनुसार शाह्याग द्वारा धोत्रिय बुलाया जा सकता है। मनु (८।६५) एवं विष्णुधर्मसूत्र (८।२) में भी धोत्रिय को साध्य देने से मना किया है।

(१३) केवल कुछ ही शाह्याग धारण तथा देण्ड-क्रिया-संस्कार के समय भोजन के लिए बुलाये जा सकते थे (यौतम १५।५ एवं ९ आपस्तम्ब २।७।७।४ मनु १।२।४ एवं १२८ यात्र १।२।७ २१९ २२१)।

(१४) कुछ यज्ञ केवल शाह्याग ही कर सकते थे यथा सोत्रामनी एवं सत्र। किन्तु धर्मिणि (१।६।२४ २६) के अनुसार जूय, धुनक एवं बलिष्ठ योन क शाह्याग सत्र भी नहीं कर सकते थे। राजसूय यज्ञ केवल धर्मिय ही कर सकते थे।

(१५) शाह्यागों के लिए मृत्यु पर धोत्र करण (मृत्यु) की अवधियाँ अपवादित नम थीं। यौतम (१४ १ ४) के अनुसार शाह्यागों क्षत्रियों वैश्या एवं वृद्धा न लिए धोत्राधिकार नम थे १ ११ १२ तथा ३ दिना की थीं। यही बात बलिष्ठ (४।२७-३) विष्णु (१२।१ ४) मनु (५।८३) याज्ञवल्क्य (१।२२) में भी पानी पायी है। वाक्याख्य में तब न लिए धोत्राधिकार १ दिनों की हो पनी।

उपयुक्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारों की भी चर्चा हुई है। यथा राजा सर्वप्रथम ब्राह्मण को अपना मुख दिखसता और उसे प्रणाम करता था (भारत प्रकीर्णक ३५ ३९) ९ या ७ व्यक्तिओं के साथ मिल जाने पर ब्राह्मण को ही सर्वप्रथम मार्ग पाने का अधिकार था। मित्रा के लिए ब्राह्मण को सबके घर में पहुँचाने की छूट थी। ईशान पुत्र जब आदि ब्राह्मण बिना पूछे रहन कर सकता था। बूढ़ों की स्त्रियों से बात करने का उसे अधिकार प्राप्त था। बिना लेना बिये ब्राह्मण नदी के आर-पार नाव पर आ-आ सकता था। व्यापार के सिलसिले में उसे 'अनर' (निःशुल्क) नौका-प्रयोग की छूट थी। ब्राह्मण यात्रा करते समय बक जाने पर यदि पाद में कुछ ग हो तो बिना पूछे वो इसे या वो कन्ध आदि ला सकता था।

ब्राह्मणों के लिए कुछ बन्धन भी थे जिनकी चर्चा पहले हो चुकी है।

भूदों की अयोम्यताएँ—(१) भूद का बेवाम्ययन करने का आदेश नहीं था। इस बात पर बहुत-से स्मृतिकारों एवं निबन्धों में वैदिक कथन उद्धृत किये हैं। एक स्मृतिवाक्य है— (विजाता मे) मायथी (छन्द) से ब्राह्मण को निर्मित किया। शिष्ट्यु (छन्द) से राजस्य (शाश्वत) को जपती (छन्द) से वैश्य को किन्तु उसने भूद को जितनी भी छन्द से निर्मित नहीं किया। अतः भूद (उपनयन) सम्कार के लिए अयोम्य है।^१ उपनयन के उपरान्त बेवाम्ययन होता है और वेद वेदस तीन वर्णों के उपनयन की चर्चा करता है।^२ भूदों के लिए बेवाम्ययन तो मना ही था उनके समीप बेवाम्ययन करना भी मना था।^३ किन्तु अति प्राचीन काल में बेवाम्ययन पर सम्मनता इतना बड़ा नियन्त्रण नहीं था। छान्दोग्योपनिषद् (४।१२) में एक कथा आयी है जिसमें बालपुत्रि पौत्रजन एवं रैवक का वर्णन है और रैवक ने बालपुत्रि को भूद कहा है। एक उद्ये सर्वो विद्या का ज्ञान दिया है। किन्तु भूदों के विराय में बहुत-सी बातें कही जाती रहीं हैं। गीतम (१२८) में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि भूद बाल-बुसुनर स्मरण करने के लिए वेद-पाठ मुने तो उसके ऊर्ध्वगुरो को सीसा और काज से भर देना चाहिए, यदि उद्येन वेद पर अधिकार कर लिया है तो उसके सरीर को छेद देना चाहिए।^४

यद्यपि भूदों को बेवाम्ययन करना मना था किन्तु वे इतिहास (महाभारत आदि) एवं पुराण मुन उद्ये थे। महाभारत (शान्तिपर्व ३२८।४९) में लिखा है कि चारों वर्ण किसी ब्राह्मण पाठक से महाभारत मुन सजते हैं।^५

५९. पायज्या ब्राह्मणमसूक्त शिष्ट्या राजस्य जपस्या वेद्यं न केनचिच्छब्दता भूदमित्यसक्तार्थो विद्यते। वसिष्ठ ३।३। अथर्वक द्वारा उद्धृत पृ. २३; अथर्वक में यम को भी इस प्रकार उद्धृत किया है "न केनचित्सात्मनुच्छब्दता त प्रजापति।

१. वसन्ते ब्राह्मणमुपनयित् प्रीत्ये राजस्य शरदि वैश्वमिति। अंमिति मे भी यही आचार लिया है। (१।११-३३)। अथर्व में भी यही माना है। देखिए, आपस्तम्ब (१।१।१।६)।

२. अथापि यमशित्वा इत्येकमुदाहरन्ति। इमंशानमेतद्व्यस्य पे भूदः पावचारिणः। तन्नाच्छुद्रसमीपे तु नाप्येतस्य बदाचनम्। वसिष्ठ १८।१३। देखिए यो १९।१८-१९; मत्स्य व भूम १।३।९।९ (इमंशानच्छुद्र वसिष्ठ)। यात १।१४८ आदिपर्व १४।२।

३. अब हास्य वेदमुपनुच्छत्तत्तनुमुद्रम्या धीमपुत्रमुदाहरन्ते शिष्ट्याच्छेदो धारणे शरीरमन्। गीतम १२।४ देखिए मृच्छकटिक १।२१ 'वेदान्तिं प्राहृतस्य बरसि न च ते शिष्ट्या निपतिता।

४. पाववेदगुरो वर्णान्तर्या ब्राह्मणमयत। शान्तिपर्व ३२८।४९ और देखिए, आदिपर्व ३२।२९ एवं ९५।८७।

नमस्कार (पृ. ३ ३१ जिसमें बराह वामन एवं मयिष्यपुराण के वाक्य उद्धृत हैं) देखा जा सकता है, यहाँ पाचरात्र मठ से विष्णुमठ एवं सिद्ध सूर्य अक्षिण तथा विनायक के मध्य बड़े जाने का विधान है। बराहपुराण में शूद्र को भागवत (विष्णु मन्त्र) के रूप में दीक्षित होने का वर्णन है।

(३) सस्कारों के विषय में स्मृतिकारों में मतभेद नहीं है; मनु (१ १२३) ने अनुसार यदि शूद्र प्याज या मूत्रसुप्त नामे तो कोई पाप नहीं है वह सस्कारों को पाप्य नहीं है उसे न तो धर्म-याज्ञिक का कोई अधिकार है और न पासने का कोई अधिकार ही है। मनु (४८) के कुछ कथन मसिष्ट (१८ १४) विष्णु (७१४८-५२) से निकले-जुम्ते हैं। कपुविष्णु का कहना है कि शूद्र सर्वसस्कारों से वंचित जाति है। मिताक्षरा (यात्र ३१६२) के अनुसार शूद्र व्रत कर सकते हैं किन्तु बिना होम एवं वैदिक मन्त्र के। किन्तु अपराध उषी स्तोत्र की व्याख्या में बिल्कुल उल्टी बात बहते हैं। शूद्रनमस्कार (पृ. ३८) के अनुसार शूद्र व्रत उपवास महावात एवं प्राशिक्षित कर सकते हैं किन्तु बिना होम एवं यज क। मनु (१ १२७) के अनुसार शूद्र भोग बिना मन्त्रोच्चारण के त्रिवाणियों द्वारा किये जातवाह सभी धार्मिक कृत्य कर सकते हैं। अथ एव धर्म ने अनुसार बिना मन्त्रोच्चारण के शूद्रों के लिए सस्कार किये जा सकते हैं। व्यास (११७) ने शूद्रों के लिए त्रिवा मन्त्रोच्चारण के व्रत (वर्मावात पुत्रवत सीमन्तोभयन प्रातर्कर्म सामकारण विष्णुमठ अथवाधन शौच कर्मवेध एवं विवाह) सस्कारों के विषय में विधान किया है। यही बात कुछ कम सस्कारों के लिए पीठम (१ १५१) में भी कही है।

(४) कुछ अपराधों में शूद्रों को अधिक बड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई शूद्र उष्ण बर्णों की किसी गारी के साथ सम्भिचार करता था तो उसका क्लिय नाट किया जाता और उसकी सारी सम्पत्ति छीन भी जाती थी (पीठम १२२)। यदि कोई शूद्र किसी बरोहर रूप में रक्षी रक्षी के साथ सम्भिचार करता था तो उसे प्राण-दण्ड दिया जाता था। मसिष्ट (२१११) एवं मनु (८१३६६) ने कहा है कि यदि शूद्र किसी ब्राह्मण गारी के साथ उसके मठ के अनुसार या विरुद्ध सम्भोग करे तो उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ नमस्कार करे तो उस पर एक सड़क कार्यालय का दण्ड और जब केवल सम्भिचार करे तो ५ का दण्ड लगता था (मनु ८१३७८)। यदि कोई ब्राह्मण किसी बरचित शत्रिय वैश्य या शूद्र गारी से सम्भोग करे तो उस पर ५ का दण्ड लगता था (८१३८५)। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की भर्तृणा या गाधी-पत्नीन करने पर शूद्र को शारीरिक दण्ड दिया जाता था या उसकी जीम काट भी जाती थी (मनु ८१३७) किन्तु इसी अपराध पर शत्रिय या वैश्य को १ या १५ का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शूद्र को तुर्कन कहे तो उस पर केवल १२ कार्यालय का या कुछ नहीं दण्ड लगता था (मनु ८१२६८)। चोरी के मामले में शूद्र पर कुछ कम दण्ड था।

(५) मृत्यु या जन्म होने पर शूद्र को एक धूनी का सूतक लगता था। ब्राह्मणों को इस विषय में केवल १ दिनों का सूतक लगता था।

(६) शूद्र न तो न्यायाधीश हो सकता था और न धर्म का उच्चायक ही कर सकता था (मनु ८१९ एवं २ यात्र १३ एवं कात्यायन)।

(७) ब्राह्मण किसी शूद्र से दान नहीं ग्रहण कर सकता था। यह हो भी सकता था तो अत्यन्त कम नियमनों के अन्तर्गत।

(८) ब्राह्मण जमी शूद्र के यहाँ भोजन कर सकता था जो उसका पशुपाल हलवाहा या वधानुक्रम से मित्र हो या अपना भाई या भाइ हो (पीठम १६९ मनु ४२५३ विष्णु ५७११९ यात्र ११९९ पराधर ११९९)। आपस्तम्ब (१५११९१२२) के अनुसार अपवित्र शूद्र द्वारा किया गया भोजन ब्राह्मण के लिए वंचित है किन्तु उन्होंने शूद्रों को दीन उष्ण बर्णों के संस्कार में भोजन बनाने के लिए आज्ञा दी है, किन्तु इस विषय में उनके

मालूम वेच खादि स्वच्छ होने चाहिए। घृह द्वारा उपस्थापित भोजन करने या न करने के नियम में मनु के बचन (४।२।११ एवं २२३) अवलोकनीय हैं। बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) में वृषभ (घृह) क भोजन को ब्राह्मण क लिए बर्जित माना है। परे हुए भोजन के नियम में ब्रह्म नियम और कठे होत बले गये। शतस्मृति (१।३।४) में वृद्धों के भोजन पर पस्ते हुए ब्राह्मण को पस्तिद्वयक कहा है। पद्यधर (१।१।१३) में आर्यय दिया है कि ब्राह्मण किसी घृह से भी तेक भूष घृह या इतसे बनी हुँ बस्तुएँ ग्रहण कर सकता है, किन्तु उन्हें वह भरी के चिनारे ही घाय घृह के पर म नहीं। परापरमाचर्यीय न इसकी ब्याख्या में लिखा है कि एसा तमी सम्मन है जब कि ब्राह्मण यात्रा म हो और बचकर पूर हो गया हो या किसी अन्य उष्ण बर्ष से कुछ प्राप्त न हा सके (२।१)। हरदत्त (गीतम १।६।६) एवं अपराध (या न १।१६८) में भी निपति-नाक में घृह प्रवत भोजन को बर्जित नहीं माना है।

(१) बरी घृह को पहले ब्राह्मण के घर में रखोइया हो सकता था और ब्राह्मण उनका पकाया हुआ भोजन कर सकता था ब्रह्म अक्षत होता चला गया। अनुशासनपर्व म आया है कि घृह ब्राह्मण की सेवा प्रकटी हुई मनि के समान दूर से करे, किन्तु धर्मिय एक वैश्य स्पर्ध करके सेवा कर सकते हैं।^{१४} घृह का स्पर्ध हो जाने पर स्नान आचमन प्राणायाम तप खादि से ही घृह हुआ जा सकता था (अपराध पृ १।१९६)। गुह्यसूत्रो म आया है कि मनुष्य के भेने समय वरिष्ठिय के वीर को (मने ही वह स्नानक ब्राह्मण ही क्यों न हो) घृह पुष्य या मारी को सकती है (हिरण्यकेशिगुह्य १।१२।१८-२)। कगवा है घृहसूत्रों के नाम म बर्णन बहुत कठे नहीं थे। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।९ १) म भी यही बात पायी जाती है।

(१) घृह चारो भागमो में ब्रह्म गृहस्वामम ही ग्रहण कर सकता है, खादि उनमें किण वेनाध्ययन बर्जित है (अनुशासनपर्व १।६।११)। शान्तिपर्व (६।३।१२ १४) म आया है कि त्रिष घृह में (उष्ण बर्षों की) सेवा की है त्रिमने अपना धर्म निबाहा है त्रिष मन्थान उत्पन्न हुई है, त्रिषवा जीवन अल्प रू गया है या जो ब्रह्मसे स्तर में बर्जान् ९ बर्ष म ऊपर अवस्था न हो गया है वह भीने आधम को छोडकर सभी भागमो का पत्र प्राप्त कर सकता है।^{१५} मेधातिथि न मनु (६।१७) की ब्याख्या म इन शब्दों की बिबेचना की है और कहा है कि घृह ब्राह्मण की सेवा कर एक गृहस्वामम में रूत हुए मन्थानागत कर मीध को छोडकर सभी कुछ प्राप्त कर सकता है।

(११) घृह-जीवन घृह समझा जाता था। याज्ञवल्क्य (३।२।६) एवं मनु (१।१।६६) ने सभी घृह वैश्य एवं धर्मिय को मार डालना उपपाक माना है किन्तु इस लिए या प्रायश्चित्त एवं दान की ब्यबस्था बतायी गयी है उसने स्पष्ट है कि घृह-जीवन नमब्य-भा था। धर्मिय को मारने पर प्रायश्चित्त का छ बर्ष का ब्रह्मचर्य १ गाया एक एक बीर का दान। वैश्य को मारने पर गत बर्ष का ब्रह्मचर्य १ गाया एक एक बीर का दान या किन्तु घृह का मारने पर प्रायश्चित्त या ब्रह्म पर बर्ष का ब्रह्मचर्य एवं १० गाया तथा एक बीर का दान। बही बात गीतम (२।२।१४ १६) मनु (१।१।२६ ११) एवं याज्ञवल्क्य (३।२।६ २७) म भी पायी

६७. दुराचघृहभोपचर्यो ब्राह्मणोर्निनिरिष ष्वत्सम्। तस्युप वरिचर्यस्तु वैदेन कश्चिदेव च॥ अनुशासनपर्व ५।१।१३।

६८. घृहसूत्रो हृतचायव हृतमन्त्रावधर्मकः। अभ्यनुज्ञानराजस्य शरयव जगतीपने॥ अत्यान्तरगतस्यापि शमयमगतस्य च। आध्या ब्रिट्टिना लव बर्जयिष्वा निराधियम्॥ शान्तिपर्व ६।३।१२ १४ लव आध्यास्तु न कनभ्याः कि तर्हि सुधययापयोत्पादेन च तर्वाधमकर्म लभते द्विजनीन् सुधययाभो गार्हस्थ्येन तर्वाधमकर्म लभते वरिश्वाजव कर्म लोव बर्जयिष्वा। मेधातिथि (मनु ६।१७)।

बाटी है। आपस्तम्ब (१।१।२५।१४ एव १।१।२६।१) ने तो यही ठक कहा है कि दूध को मार डालने पर इतना ही पातक लगता है जितना कि एक बीजा छट (मिर्चिपट) मोर, बजबाङ्ग मराल (राजहंस) भास देवक मकुळ (नेवला) मधमूयक (छम्बुवृ) कुता भादि को मार डालने से होता है (मनु ११।१३१)।

यदि दूधों की बहुत-सी अयोप्यठाएँ भी तो उन्हें बहुत-सी मुनिभाएँ भी की जयी थी। कोई भी दूध ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के कुछ अन्नसाधो को छोड़कर कोई भी अन्नसाध कर सकता था। किन्तु कुछ दूध तो राजा भी हुए हैं और कौटिल्य (१।२) ने दूधों की सेना के बारे में लिखा है। दूध प्रति दिन की अनगिनत किंमो से स्वतन्त्र था। यह विवाह को छोड़कर अन्य सत्कारों के सप्त से दूर था। यह कुछ भी ला-नी सकता था। उसके लिए कोई एव प्रवर का सप्त नहीं था और न उसे शास्त्र के विराज में जाने पर कोई अप या उप करना पड़ता था।

अध्याय ४

अस्पृश्यता

भारतीय जाति-व्यवस्था पर लिखनेवाले लेखकों का भारतीय समाजविषयक अस्पृश्यता नामक व्यवस्था के व्यवसाय से महान् आश्चर्य होता है। किन्तु उक्त यह समझना चाहिए कि यह बात कबल भारत में ही नहीं पायी गयी है, प्रत्युत हमका परिचय अन्य महाद्वीपा विषयक अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। आज भी अमेरिकी मीडिया जाति भारतीय अस्पृश्य जाति से भी कई मुनी ब्रह्मण्य अयोध्यावा एव नियंत्रणा से घिरी हुई है।

स्मृतियाँ से बणिन अस्पृश्यता के नाम आरम्भिक वैदिक साहित्य में भी आये हैं। ऋग्वेद (८।५।३८) में बर्मन् (माल या नाम घोषण वाले) एव वाजमेयी महिला में आश्रित एव पीम्बस नाम आये हैं। बप या बप्ता (गार्ड) धर्म अस्पृश्य के आश्रित हैं। इसी प्रकार वाजमेयी महिला एव तीर्त्तरीय ब्राह्मण के विरुद्ध वार या विद्वलवार (स्मृतियों से बणिन बुरा) मन्त्र आया है। वाजमेयी महिला का आसुर्यशुक्ली (पोनिन) स्मृतियों के रक्षक धर्म का ही घोषण है। किन्तु इन वैदिक धर्म एव नामों में कहीं भी यह सर्वत्र नहीं मिलता कि अस्पृश्य जातियों के घोषण हैं। कबल उनका मर ही कहा जा सकता है कि पीम्बस का सम्बन्ध ब्रह्मण्य (वाजमेयी महिला ३।१०) में एव आश्रित का वापु (पुराण) में का और पीम्बस इस रूप में उभरे थे कि उनसे पुत्र उत्पन्न हानों की तथा आश्रित वापु (सम्बन्ध समान के शुभ वंश) में उभरे थे। आश्रितानिपद् (५।१।१०) में आश्रित की वर्णों है और वह ही उक्त वर्णों की अर्थात् सामाजिक स्थिति में अति निम्न या एसा मान होता है। सम्बन्ध आश्रित आश्रित के कारण से शुरू जाति की निम्नतम जातियों में परिचयित का। यह कुछ एव मूल्य व मनुष्य कहा गया है। शतपथब्राह्मण (१२।४।१।४) में यज्ञ के सम्बन्ध में तीन पद्म अर्थात् शुभ मूल्य एव भद्र अर्थात् माने गये हैं। यहाँ पर उही मूल्य की बात कही है जो यज्ञ के मूल अर्थात् धर्म हैं अर्थात् मनु (१।२०) एव याज्ञवल्क्य (१।२५९) की स्मृतियों में हम इस बात का पता चलता है कि याज्ञवल्क्य मूल्य का नाम विरार काय बड़े काय में मान है। अतः उतनिपद् बाल आश्रित की हम अस्पृश्य नहीं मान सकते। कुछ कट्टर हिन्दू वैदिक काल में भी आश्रित की अस्पृश्य ठहराने हैं और बृहदारण्यकोपनिषद् (१।१) की गाथा का हवाला देते हैं। किन्तु हम गाथा से यह नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि आश्रित अस्पृश्य का। स्पष्टता की धर्म के विराम अतः नहीं के अर्थात् अर्थ जाति की भूमि में बाहर नहीं है।

अब हम मुझ एव स्मृतियों की साक्षियों का अवलोकन करें। आरम्भिक स्मृतियों का कहना है कि वर्णों केवल वार हैं वीच नहीं (मनु १।४ अनुशासनार्थ ४०।१८)। अतः अब आज कुछ साय जा पक्षों अर्थात् निराश्रित, आश्रित एव पीम्बसों की बात करने हैं या वह स्मृतिमन्त्र नहीं है। पार्थिव (२।४।१) एव पञ्चमूर्ति के

ज्ञात होता है कि वे चाण्डालों एक मृत्यो को सूत्र में गिनते थे। मनु (१ १४१) ने बोधया भी है कि सभी प्रति-
शोम सतान सूत्र हैं (देखिए शाश्वतपर्व २९७।२८ भी)। क्रमशः सूत्रों एवं चाण्डाल जाति जातियों में अन्तर पड़ता
गया।

असूक्ष्मता संबंध क्रम से ही गही उत्पन्न होती इतने उत्पन्न के कई झेल हैं। यथकर पावा बर्षा
शुष्कता से लोग जातिनिष्ठापित एवं असूक्ष्म हो जा सकते हैं। मनु (१।२।३५ २३९) ने जिज्ञा है कि ब्रह्महत्या
करनेवासे ब्राह्मण के मोने भी चापि करनेवासे या मुद्रापान करनेवासे कोयो को जाति से बाहर कर देना चाहिए,
न तो को उतने घाप जाये न उन्हे स्वर्ग करे, न उनकी पुरोहिता करे और न उनके साथ कोई विवाह-सम्बन्ध स्थापित
करे, वे लोग वैदिक धर्म से विहीन होकर सवरा म विचरन करें। असूक्ष्मता उत्पन्न होने का बूझन झेल है धर्म
सम्बन्धी पूजा एवं विद्वप बीसा कि अथर्वक (पृ १२३) एवं स्मृतिबन्धिका (पृ ११८) ने पद्मिधामन एवं
ब्रह्माण्डपुराण से उद्धारण लेकर कहा है—“बीडो पापुपना बीनो कोकायनो जापिको (साप्ती) धर्मभ्युन बाह्यभो,
वीका एवं नास्तिको को छूने पर बहन के साथ पानी म स्नान कर सेना चाहिए। ऐसा ही अथर्वक ने भी कहा है।
असूक्ष्मता उत्पन्न होने का तीव्रता कारण है कुछ मोरो का जो धामारणत असूक्ष्म गही हो सवते वे कुछ विदेय
व्यवसायो का पाकम करना यथा देवछन (जो धन के लिए तीन वर्ष तक मूर्ति पूजा करता है) धाम के पुरोहित
सोमभटा विप्रयवर्ता को स्वर्ग करन से बहन-परिधान सहित स्नान करना पडता था। औषा कारण है कुछ परिष्क-
तियो म पड जाता यथा राजस्वमा स्त्री के स्वर्ग पुरोत्पन्न होने न कम दिन की अवधि में स्वर्ग मूलक म स्वर्ग
सकस्वर्ग जाति में बन्न सहित स्नान करना पडता था (मनु ५।८५)। असूक्ष्मता का पाँचवाँ कारण है म्नेच्छ या
कुछ विधिगत देशा का निवासी होना। इसके अतिरिक्त स्मृतिया ने अनुयाय कुछ ऐसे स्थान या गाँवा व्यवसाय बज्जे
से असूक्ष्म माने जाते थे यथा नैबर् (मच्छत्रा) मृगमु (मृग मारनेवाला) व्याज (घिकारी) सौनिक (कसारी)
घातुनिक (पसी पकड़ने वाला या बहूस्मिया) धात्री जिन्हें छून पर स्नान करने ही भोजन निया जा सक्ता था।

असूक्ष्मता-सम्बन्धी जो विधान बने थे न किसी जाति-सम्बन्धी विद्वप के प्रतिफल गही वे प्रत्युत उनके
पीछ मनोवैज्ञानिक या धार्मिक कारणों एवं स्वस्थता-सम्बन्धी विचार के जो मोक्ष के लिए परम आवश्यक माने
गये वे क्योंकि अन्तिम धूमकारे (मोक्ष) के लिए शरीर एवं मन से पवित्र एवं स्वच्छ होना अनिवार्य था। आप-
स्तम्ब (१।५।१५।११) अष्टिष्ठ (२।३।३३) विष्णु (२।३।६९) एवं बृहदारण्य (१।१।९९ १ २) ने कुत्ते के स्वर्ग

२ वर्तमान्यतत्—बीडान् जामुपतार्षव लोकायतिरनास्तिकान्। विकर्मस्वान् द्विजान् स्युद्ध्वा सर्वेभो
अतमाविभेत् ॥ अथर्वकं पृ १२३ स्मृतिभ १ पृ ११८; मिता (याज्ञ ३।३) ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धृत
विद्या है देखिए बृहदारण्य १।३।५९, ३।६३ ३।६४; शान्तिपर्व ७६।६ अथु वायना देवतका नासत्रा पापदायकः।
एने ब्रह्मण्डपुराणका महत्प्रविचयसम्भवा ॥ अथशान्तिपर्वसमीक्यमिस्त्वपारतिवाविरन्। महत्प्रतिविचयसर्वं स्युद्ध्वा
स्नायवात्सर्वैकचन् ॥ बृहदारण्यकल्प (अथर्वकं द्वारा उद्धृत पृ १२३)।

३ व्यवधान —इवान् इवपात्र प्रेतपूज वैश्वभ्योपजीविन धामयाजकं लोकविचरिषं पूर्णं चिति चितिराज्यं
घातस्युः। राजस्वका महत्प्रतिविचय दाव स्युद्ध्वा सर्वैकमग्नेो बयाहृतीसीर्षान्निभुपस्त्रुय गापम्यव्ययत्तं अथैः कृन् प्राय
पुन स्नात्वा विरावाभेत्। मिनात्तर, याज्ञ एवं ३।३ अथर्वकं पृ १२३।

४ सर्वान्मृगान्पुष्यायनीनिघातुनिजालपि। राजन च तवा स्युद्ध्वा स्नात्वापातमाचरेत् ॥ सर्वान् (अथ-
र्वकं पृ ११९६)।

तथा कुछ ब्रह्मस्युषियों या औपवीर्यों के स्पर्श पर स्नान की व्यवस्था बतायी है। आपस्तम्ब (२।४।९।५) ने लिखा है कि वैश्वदेव के उपरान्त प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह चाण्डालों, कुत्तों एवं कौबों को भोजन दे। यह बात आज भी वैश्वदेव की समाप्ति के उपरान्त पायी जाती है। प्राचीन हिन्दू लोग अस्वच्छता से भयानुभूत रूखा करते थे अतः कुछ व्यवधायों को यथा साह्य देने अर्थात् भोजन समझान-रक्षा आदि को बुरे एवं अस्वच्छ व्यवधायों में गिनते थे। इस प्रकार का व्यवहार बुरा नहीं माना जा सकता। अस्युष्यता के भीतर जो मान्यता एक भारता पायी जाती है वह मात्र धार्मिक एक श्रिया-संस्कार-सम्बन्धी है। हिन्दू के घर में मासिक धर्म के समय माता बेटी बहिन स्त्री पठे हुए आदि सभी अस्युष्य मानी जाती हैं। मृतक के समय अपना परम प्रिय मित्र भी अस्युष्य माना जाता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र को भी शिक्षा यज्ञोपवीत न किया गया हो भोजन करने के समय स्पर्श नहीं करता। प्राचीन काल में बहुत-से व्यवधाय ब्रह्मस्युष्यमिद के अतः जगत् यह विचार ही बर करता चला गया कि वे लोग जो ऐसी जाति के होते हैं जो नया व्यवधाय जाती है जन्म से ही अस्युष्य है। आज तो स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि बाह्य कुछ जातियों के लोग नया व्यवधाय करें या न करें जन्म से ही अस्युष्य माने जाते हैं। आश्चर्य है कि किन्तु पहले यह बात नहीं थी। आदि काल में व्यवधाय से काय अस्युष्य या अस्युष्य माने जाते थे। यह बात कुछ सीमा तक मध्य काल में भी पायी जाती थी क्योंकि स्मृतिशास्त्र में इस विषय में उल्लेख नहीं पाया जाता। प्राचीन धर्मग्रन्थों में वैश्वदेव चाण्डाल को ही अस्युष्य माना है। गौतम (४।१५ एवं २३) ने लिखा है कि चाण्डाल ब्राह्मणों से मूत्र खा। जलपत्र सन्तान है अतः वह प्रतिक्रामा में अत्यन्त पवित्र प्रतिक्रामा है। आपस्तम्ब (२।१।२।८ ९) ने लिखा है कि चाण्डालस्पर्श पर तबस्व स्नान करना चाहिए। चाण्डाल-समापण पर ब्राह्मण से बात कर लेनी चाहिए, चाण्डाल-वर्षण पर सूर्य या अन्न या तारा को देव लेना चाहिए। मनु (१।३६ एवं ५१) ने वैश्वदेव अथवा वैश्व चाण्डाल एक इक्षवक को पौध के बाहर तथा अन्त्या बसायी जो समाधान में रहने को कहा है। इससे स्पष्ट है कि अन्य हीन जातियों पौध में रह सकती थीं। अपराध द्वारा अनुभूत हास्य का बचन या है—यदि किसी हिजाति का कोई अंग (सिर को छोड़कर) एगरेज मीची गिरारी मछुआ पोषी बनाई, न अमिनेता जाति के किसी व्यक्ति से ही बरबार (मुद्राजीवी) जस्ताक धार्मिक बीजा या बुत्ता से पूजा जाय तो उम्र उम्र अंग को बोरक एक अलाचमन करने पवित्र बन लेता चाहिए। मनु (१।१३) की व्याख्या में वैश्वदेव का स्पष्ट कहना है कि प्रतिक्रामा में वैश्वदेव चाण्डाल ही अस्युष्य है अन्य प्रतिक्रामों यथा मृत माणव आयोग्य वैदह्य एवं धना के स्पर्श से स्नान करना आवश्यक नहीं। यही बात बुद्धक में भी पायी जाती है। मनु (५।८५) एवं अथर्व (१५२) में विवाहीति (चाण्डाल) उरुवया (रजस्वला) पवित्र (पाप कर्म पर या निष्कारित हो गया ही या बुद्धाति में आ गया हो) मृतिवा (पुत्रोत्पत्ति करने पर मारी) एवं और एवं को पूजा करने को छत्र पर स्नान की व्यवस्था की है। अतः मनु वं मनु से वैश्वदेव चाण्डाल ही अस्युष्य है। किन्तु कालान्तर में अस्युष्यता ने कुछ अन्य जातियों को भी स्पर्श कर लिया। कुछ बट्टर स्मृतिशास्त्रों में तो यहाँ तक कि स्नान दिया कि मूत्र के स्पर्श से हिजा को स्नान कर लेना चाहिए।

‘अस्युष्य’ शब्द का प्रयोग विश्वधर्मसूत्र (१।४) एक वाक्यायन में किया है। चाण्डाला, श्लेष्मणो पारसीरा को अस्युष्यो की श्रेणी में रखा गया है यह बात उपायकन विवचन से स्पष्ट हो गयी होगी। अथि (२६७-२९) ने लिखा है कि यदि हिजा चाण्डाल पवित्र स्तब्ध मुद्रावा रजस्वला को स्पर्श कर स तो (उसे बिना स्नान किये) भोजन

५. यथा चाण्डालोपहर्येने संभ्रायायां इति च औपस्यत्र प्रायश्चित्तम्। अथनष्टनक्षत्रानुसर्षणेने संभ्रायायां ब्राह्मणसमापण इति ज्योतिषं इति। आपस्तम्ब २।१।२।८-९।

अध्याय ५

शासप्रथा

पुराकालीन सभी देशों और तथाकथित उन्नत एवं सभ्य राष्ट्रों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में शासप्रथा या शासमात्र एक स्थायी प्रथा के रूप में प्रचलित था। बेबीलोन मिस्र यूनान रोम तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में शासत्व पाया जाता था। इंग्लैण्ड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में शासों के व्यापार में बमामुपिन्नता का बहस्य उदाहरण उपस्थित कर दिया। इतिहास समाज-शास्त्र आचार-शास्त्र मानव-शास्त्र आदि सामाजिक विषयों के विद्वानों से यह बात छिपी नहीं है कि अपने को अति सभ्य कहनेवाले ईसाई देश इंग्लैण्ड एवं अमेरिका में शासों के व्यापार द्वारा मानवता का हानन युगो तक किया। वे बड़ी गृहघटा के साथ अफ्रीका के मूल निवासियों को जहाजों में भर भरकर यव-जल के गुने और खानों एवं बेतों में काम करने के लिए उनका क्रय-विक्रय किया। अविनाश के बलमार्ग में ही मर जाते थे और जो बचते उनको पशुओं के समान रखा जाता था। आधुनिक युग में शासता का यह उदाहरण सभ्य मानवता का बरक है। आश्चर्य तो यह है कि शासत्व की इस प्रथा को मसीह के धर्मसिद्धांतों ने राजकीय मुहूर से बांधी और परम आश्चर्य यह है कि इपाचु एवं कथल मान्यरिक्त ईसाई धर्म के बहुत से ठेकेदारों ने जिनम औद्योगिक एवं प्रोटेस्टेंट शोर्ता सम्मिलित थे इस प्रथा को मान्यता दी।^१ ब्रिटिश राज्य में सन् १८३३ में तथा ब्रिटिश भारत में सन् १८५३ में शासप्रथा के विरुद्ध नियम स्वीकृत हुए।

हमने बहुत पहले ही देखा किया है कि ऋग्वेद का 'शास' शब्द आर्यों के सन्तानों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह सम्भव है कि जब शास लोग पराजित होकर बन्धी हो दम तो वे गुलाम के रूप में परिणत हो गये। ऋग्वेद के कई मन्त्रों में शासत्व की शल्लक मिलती है "तु ने मूष एक ही पत्नी एक ही ऊन वाली भवो और एक ही शासों की संतें

१ "प्राककालीन लोगों द्वारा शासत्व (गुलामी की प्रथा) जीवन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तत्व माना जाता था और तब इसमें कोई नैतिक समस्या नहीं उत्पत्ती हुई थी। बेबीलोन लोग की तुमर संस्कृति में शासता एक स्वीकृत सत्त्वा जानी जाती थी, अर्थात् कि ईसा-पूर्व चौथी सताब्दी के तुमर-विद्याल से पता चलता है। देखिए, इन्साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइन्स माल १४ पृ ७४ (Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. XIV p. 74)

२ "This system of slavery which at least in the British Colonies and slave states surpassed in cruelty the slavery of any pagan country ancient and modern, was not only recognised by Christian Governments, but was supported by the large bulk of the clergy Catholic and Protestant alike." Vide "Origin and Development of the moral ideas Vol. I p. 711 (1912) by Wetsermarck.

की" (श्रु. ८।५।१।३)। इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।^१ वैदिकीय संहिता (२।२।१।३ ७।५।१।१) एक उपनिषदी में भी दासियों की बर्णा है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।९।८) में आया है कि एक राजा ने राम्यामिषक करनेवाले पुत्रीहित को १ • दासियाँ एव १ हाथी दिये। कठोपनिषद् (१।१।२५) में भी दासियों की बर्णा है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२३) में आया है कि अन्क ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविद्या सीख लेने के पश्चात् उनसे कहा कि "मैं विदेहों के साथ अपने को आप के लिए दास होने के हेतु दान-स्वयम् दे रहा हूँ। छात्रो म्योपनिषद् में आया है—“इयं सप्तार मे क्रोय यामी एव बोर्षो हाथियो एव सोने पत्तियो एव दासियो भेर्षो एव जरो को महिमा कहते हैं (७।२।४२)। इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद् के ५।१।३।२ तथा बृहदारण्यकोपनिषद् के १।२।७ में भी दासियों की बर्णा है। इन बर्णानों से पता चलता है कि वैदिक काल में पुरुष एव नारियो का दान हुआ करता था और नेटस्वल्प दिये गये सोय दास माने जाते थे।

यद्यपि मनु (१।९१ एव ८।४।१२ एव ४।१४) ने आरेखित किया है कि धूर्तो का मुख्य कर्तव्य है उष्ण बर्षों की सेवा करना किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि बृह दास हैं। जैमिनि (१।७।१) ने धूर्त के दान की आज्ञा नहीं दी है।

पृश्नसूत्री में माननीय अतिथियों के चरण धोने के लिए दासों के प्रयोग की बर्णा हुई है किन्तु स्वामी को दाना के साथ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।११) में आया है कि मजानक अतिथि के आ जाने पर अपने को स्त्री या पुत्र को मूला रखा जा सकता है किन्तु उस दास को नहीं जो सेवा करता है। महाभारत में दासा एव दासियों के दान की प्रमूढ बर्णा हुई है (समापर्व ५२।४५ अनपर्व २३।१।४३ एव विराटपर्व १।८।२।१ में ८८ स्नातको में प्रत्येक स्नातक के लिए ३ दासियों के दान की बर्णा है)। वैश्व ने अग्नि को एक सहस्र सुन्दर दासियाँ दी (अनपर्व १८५।३४ शोचपर्व ५०।५।९)। मनु (८।२।९९ ३) ने घाटीरिक्त स्वयं की व्यवस्था में दास एव पुत्र को एक ही मन्त्री में रखा है।

मैत्रेयनीज ने दासत्व के विषय में कोई बर्णा नहीं की है। वह अपन देव यूनान के दासों से यही भाँति परिचित था अतः यदि भारत में उन दिनों अपनाई ईसायुग यौपी राजाध्वी में दासों की बहुलता होती तो वह भारतीय दासों की बर्णा अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रखते (वेजिए मैकडिडिस पृ. ७१ एव स्ट्रुबो १५।१।५४)। किन्तु उन दिना दास थे इसमें कोई सन्देह नहीं है। अथर्व न अपने नव दित्तामिन्वेक के प्रजापत म दासा एव नीकतो की स्पष्ट बर्णा की है। नौमिस् ने अर्धदास्य (३।१।३) में दाना की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के

१ इन में परमाना धृतमूर्धावतीनाम्। धृत वार्ता अति अजः॥ श्रु. ८।५।१।३; धो मे हिरभ्यत्सुतो वरा रामो अग्रतः। अथरपरा इर्ष्वदस्य इत्यवर्षमन्ता अग्निने अनाः॥ श्रु. ८।५।३।८ अर्वाग्ने पीरुतुतस्य पन्थाघर्त अथरस्युर्बभूनाम्। श्रु. ८।१९।३।६।

४ उरुधुम्नामपिनिचाय दास्यो मार्वालीयं परितुभ्यन्ति पयो निज्जतोर्दिर्बं अमु पायन्वो अमु च देवानां वरुव ममाद्यम्। तं स ७।५।१।१; आत्यनो वा एव माराजान्जोति यो उमयादततिगृह्णात्यपर्वं वा पुरर्षं वा वीरचानर्तं हावागचार्त्तं निर्बेदुत्रवावराप्रतिपुष्टः। तं स ३।५।६।३; तोर्ह भगवते विदेहान् ब्रह्मिन् वा चार्पि लह इत्यपय। बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।२।३; गो-अथर्विह्म अहिदेत्याचलने हस्तिहिरण्यं दासवर्षं क्षेत्राध्यापतभारीति। छान्दोग्यो-पनिषद् ७।२।४।२।

गृही करना चाहिए, यदि भोजन करते समय स्पर्श ही जाय तो भाजन करना बन्द कर देना चाहिए और भोजन को फेंककर स्नान कर लेना चाहिए। बाध करने के विषय में विष्णुधर्मसूत्र (२२ एवं ७३) को देखिए। मात्राजन अल्पजो मे स्नेहो भोज्यो बाध का काम करने वाला (घरवारा) मन्माहा नगं का कुछ प्राप्ता मे अत्युत्स गृही माना जाता। यही बाध मेवातिथि एवं नुस्त्रुव के समय म भी पायी जाती थी।

विशेष की भावना एवं साक्षात्पवित्र पवित्रता की पारम्भा मे अल्पजो एवं कुछ हीन जातियों को अत्युत्स बना वाला। प्राचीन स्मृतियों से यह नहीं स्पष्ट हा पाता कि चाण्डालों की छाया अपवित्र मानी जाती रही है। मनु और विष्णुधर्मसूत्र (२३।५२) मे लिखा है कि मसिपाया हीन की बूँडा (मनुष्य की) छाया पाय अथ सूर्यनिरव बृक्ष पृथिवी हवा एव जग्नि को पवित्र मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१९३) एवं मार्कण्डेयपुराण (३।५।२१) मे भी यही बात पायी जाती है। मनु (४।११) मे लिखा है कि किसी देवता अथ मनु राजा स्नातक अपने अम्बापक भूमी माय बडाभ्यामी की छाया को जान-बूझकर पार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चाण्डाल की छाया की कोई बर्ण नहीं हुई है। मनु एवं याज्ञवल्क्य मे यह नहीं लिखा है कि चाण्डाल की छाया अपवित्र है। अथर्वक मे एक श्लोक उद्घुप्त किया है जिसका अर्थ यह है कि चाण्डाल या पतिव की छाया अपवित्र नहीं है। जागे चलकर जमघट कुछ स्मृतियों मे चाण्डाल की छाया को अपवित्र मान लिया और ब्राह्मण को छाया-स्पर्श से स्नान करना आवश्यक माना गया। मित्राशय (याज्ञवल्क्य ३।३) मे व्याघ्रपाद का श्लोक उद्घुप्त किया है जिसका अर्थ है कि यदि चाण्डाल या पतिव पाव की पूँज के बराबर की डूबी पर जा जायें तो हुमे स्नान करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात बृहस्पति मे भी बही है।

याज्ञवल्क्य (१।१९५) मे लिखा है कि यदि छत्र पर चाण्डाल चले तो वह चत्र तथा सूर्य की किरणो एव हवा से पवित्र हो जाती है। उन्होने (१।१९७) पुन लिखा है कि यदि जनमार्ग या जग्ने मजान पर चाण्डाल कुते एव कौए जा जायें तो जड़की मिट्टी एव जल हवा के स्पर्श से पवित्र हो जायेंगे। इस प्रकार के विदमो से स्पष्ट है कि स्मृतियों के जनमार्ग-सम्बन्धी प्रतिबन्ध तर्कमुक्त ही हैं, मलाबार मे ब्राह्मण तथा दक्षिण भारत के कुछ स्वानो की भाँति मे कठोर नहीं है। मलाबार म जग्ने बर्णो एव अत्युत्सो मे पुनक-पुपक मार्ग रहे हैं।

स्मृतिकारो मे कुछ जातियों की अत्युत्सता के विषय मे सामान्य नियमो मे अपवाद भी बताये हैं। अत्रि (२।४९) मे लिखा है कि मन्विट, देवयात्रा बिबाह मत्र एव सभी उत्सवो मे किसी अत्युत्स का स्पर्श अत्युत्सता का शोचक नहीं हो सकता। यही बात घाटाप बृहस्पति भाषि मे भी बही है। स्मृत्यन्तार मे उन स्वानो के नाम निम्नो

१ चाण्डाल परित स्नेहो मद्यमाद्य रजस्वलाम् । द्विजाः स्युष्ट्वा न मुञ्चन्ति मुञ्चन्तो यदि संसृजेत् ॥ अथ वरं न मुञ्चन्ति स्वपत्न्या स्नानमाचरेत् ॥ अत्रि २।७-३।९९ (आनन्दाश्रम संस्करण) ।

७. यस्तु क्षत्या स्वपत्न्यस्य बह्मणो ह्यविरोहति । तत्र स्नान प्रकुर्वति बृत् प्रात्य विष्णुपति ॥ अत्रि २।८-२।८९, अङ्गिरा पात्र ३।३ मे मिताक्षरा द्वारा उद्धृत अथर्वकं बृष्ट ९२३; अथर्वकं (पृ ११९५) मे ऐता श्लोक श्रावण का कथा है। औशनसस्मृति मे भी यही बात कही है। युग व क्षियुम चैव त्रियुव व चतुर्मुक्म् । अथर्वकस्मि-कोट्यव्यतितामानवः क्मन् ॥ बृहस्पति (पात्र ३।३) वर मिताक्षरा की व्याख्या मे उद्धृत; स्मृतिकालितोत्सव-स्वपत्न्यस्य चतुर्मुक्म् । मन्वात्म परिशुद्धैरेकक्षिचिचतुर्मुक्म् ॥ व्यास (स्मृतिबन्धिका, भाग १ पृष्ठ १७ मे उद्धृत) ।

८. देवयात्राविशुद्धे च्मप्रकरनेषु च । उत्सवेषु च तर्षेषु स्युष्टस्युष्टिर्न लिखते ॥ अत्रि २।४९। प्राप्ते पु वर संसृष्टिर्वात्रस्या कलहाविषु । प्रातस्तनूचने चैव स्युष्टिर्बोवो न लिखते ॥ श्रावण (स्मृतिबन्धिका, भाग १ पृ ११९ मे उद्धृत)

हैं वहाँ सूबाकृत का कोई भेद नहीं माना जाता—सधाम में हाट (बाजार) के मार्ग में वार्षिक पुकुर्रों मन्दिरों उत्सवों यज्ञों पूत स्वको आपत्तियों में ग्राम या देश पर आक्रमण होने पर, बड़े बलासय के किलारे, महान् पुकुर्रों की उपस्थिति में अचानक अग्नि लगा जाने पर या महान् विपत्ति पड़ने पर स्वर्गास्पृश्य पर ध्यान नहीं दिया जाता।^१ स्मृत्सर्ग धार ने अस्पृश्यों द्वारा मन्दिर प्रवेश की बात भी लिखी है, यह आश्चर्य का विषय है।

विष्णुधर्मसूत्र (५।१४) के अनुसार तीन उष्ण वनों का स्पर्श करने पर अस्पृश्य को पीटे जाने का इष्ट सिद्धता था। किन्तु याज्ञवल्क्य (२।२३४) ने आश्वलायन द्वारा ऐसा किये जाने पर केवल १ पल के इष्ट की व्यवस्था की है। अस्पृश्यों के कूबों या बरतनों में पानी पीने पर, उनका दिया हुआ पकान-पकाया या बिना पकाया हुआ भोजन ग्रहण करने पर, उनके साथ रहने पर या अछूत मारी के साथ सम्मोच करने पर एष्टि और प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है जिसे हम प्रायश्चित्त के प्रकरण में पढ़ेंगे।

समाकथित अछूत लोग पूजा कर सकते थे। जब यह कहा जाता है कि प्रतिक्रम लोग धर्महीन हैं (याज्ञ १।९१ पीठम ४।१) तो इसका तात्पर्य यह है कि वे उपनयन आदि वैदिक रिवाज-रस्कार नहीं कर सकते वास्तव में वे देवताओं की पूजा कर सकते थे। निर्बन्धसिन्धु द्वारा उद्धृत देवीपुराण के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि अन्त्यज लोग मीरज का मन्दिर बना सकते थे। भागवत पुराण (१।७) में बताया है कि अन्त्याजसायी लोग हरि के नाम या स्तुतियों को सुनकर, उनके नाम को बुझकर, उनका ध्यान कर पवित्र हो सकते हैं किन्तु जो उनकी मूर्तियों को देख या स्पर्श करे वे अपेक्षाकृत अशुभ पवित्र हो सकते हैं। पश्चिम भारत में आसवार वैष्णव सन्तो में तिष्याथ आस्वार अछूत जाति का था मरम्मास्वार तो बेस्वाक था। मिताक्षरा (याज्ञ ३।१६२) ने लिखा है कि प्रतिक्रम जातियों (जिनमें आश्वलायन भी सम्मिलित है) व्रत कर सकती हैं।

स्वतंत्र भारत में अन्य सामाजिक प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के साथ अस्पृश्यता के प्रश्न का भी समाधान होता जा रहा है। महारत्ना गान्धी के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजनों को राजनीतिक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं। आज उन्हें बहुत बड़ा भा दिया जाने लगा है। राजकीय कानूनों के बल पर हरिजन लोग मन्दिर प्रवेश भी कर रहे हैं। भाषा की जाती है कि कुछ वर्षों में अस्पृश्यता नामक कसक भारत के माने से मिट जायगा।

१. संघर्षे ह्युमार्गे च यात्रादेवभूतेषु च। उत्सवकस्तुतीर्षेषु विष्णवे धामवेशयो ॥ यज्ञाजलसमीपेषु महाजन-
बरेषु च। अग्न्युत्पत्ते महत्पत्सु स्पृष्टास्तुष्टिर्न दुष्प्रति ॥ प्रायश्चारीन्निव्यं स्पृष्टमस्पृष्टि त्वितरेन्द्रियम्। तपोश्च
निवयं प्रष्टुः स्पृष्टास्तुष्ट्यनिबालतः ॥ स्मृत्यर्षतार, पृ ७९।

१ अतः स्त्रीभूयः प्रतिक्रमजानां च वैर्वाजिवन् इताविचार इति सिद्धम्। परन्तु भीतमचनं प्रतिक्रमो
धर्महीना इति, तदुपनयनादिविधिव्यधर्मनिप्रापम्। निताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।२६२)।

अध्याय ५

बासप्रथा

पुराकालीन सभी देशों और तथाकथित उन्नत एवं सभ्य राष्ट्रों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में बासप्रथा या दासभाव एक स्वामी प्रथा के रूप में प्रचलित था। बेबीलोन मिस्र यूनान रोम तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में बासत्व पाया जाता था। इसी प्रकार संपूर्ण राज्य अमेरिका में बासों के व्यापार में अमानुषिकता का लक्षण उदाहरण उपस्थित कर दिया। इतिहास समाज-शास्त्र आचार-शास्त्र मानव-शास्त्र आदि सामाजिक विषयों के विद्वानों से यह बात छिपी नहीं है कि अपने को अति सभ्य कहनेवाले ईसाई देश इसी प्रकार अमेरिका में बासों के व्यापार द्वारा मानवता का हानि मूगो तक किया। वे बड़ी गृहयुद्ध के साथ अफ्रीका के मूल निवासियों को जहाजों में भर भरकर यत्र-तत्र ले गये और जिनसे वे काम करने के लिए उनका लय-विषय किया। अफिराहा से जलमार्ग में ही मर जाते थे और जो बचते उनको पशुओं के समान रखा जाता था। आधुनिक युग में बासता का यह उदाहरण सभ्य मानवता का कण्ठक है। आश्चर्य तो यह है कि बासत्व की इस प्रथा को मरीहू के कमबिकम्बी राष्ट्रों में राजकीय मुहर से बाली और परम आश्चर्य यह है कि कृपात्मक एवं बहुराज्य भावप्रिय ईसाई धर्म के बहुत से ठेकेदारों ने जिनमें कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों सम्मिलित थे इस प्रथा को मान्यता दी।^१ ब्रिटिश राज्य में सन् १८३३ में तथा ब्रिटिश भारत में सन् १८५३ में बासप्रथा के विषय नियम स्वीकृत हुए।

हमने बहुत पहले ही देल किया है कि ज़म्बेर का 'दास' सभ्य जातियों के राष्ट्रों के लिए प्रकृत हुआ है। यह सम्भव है कि जब बास शोष पराजित होकर बन्धी हो गये तो वे मुक्तता के रूप में परिणत हो गये। ज़म्बेर के कई मन्त्रों में बासत्व की शक्ति मिलती है "तु मे मुक्त एक ही गयो एक ही उन बाली भेड़ों और एक ही बासों की भेंटें

१ "प्रागकालीन लोगों द्वारा बासत्व (गुलामी की प्रथा) जीवन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तत्व माना जाता था और तब इसमें कोई नैतिक समस्या नहीं उत्पन्न हुई थी। बेबीलोन शोष की लुमेर संस्कृति में बासता एक स्वीकृत तत्व माना जाता था और कि ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी के लुमेर-विद्यालय से पता चलता है। देखिए, इनवाइन्से-पीरिया काच सोशल साइंसेज भाग १४ पृ ७४ (Encyclopaedia of Social Sciences Vol. XIV p. 74)

२ "This system of slavery which at least in the British Colonies and slave states surpassed in cruelty the slavery of any pagan country ancient and modern, was not only recognised by Christian Governments but was supported by the large bulk of the clergy Catholic and Protestant alike." Vide 'Origin and Development of the moral ideas Vol. I p. 711 (1912) by Wetternmarck.

दी" (श्रु ८।५।१३)। इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।^१ वैदिकीय संहिता (२।२।१।३ ७।५।१।१) एवं उपनिषदों में भी वासियों की चर्चा है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१।८) में आया है कि एक राजा ने राम्यामिवेन करानेवाके पुरोहित को १ वासियाँ एवं १० हाथी दिये। ऋग्वेदोपनिषद् (१।१।२५) में भी वासियों की चर्चा है। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२३) में आया है कि जनक ने पाण्डवस्य से बह्मविद्या सीख लेने के पश्चात् उनसे कहा कि "मी ब्रह्मेहो के छात्र अपने को आप के लिए बाध होने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा हूँ। छात्रो-प्योपनिषद् में आया है— "इस सप्तर में ऋग पायो एवं ऋषीं हाथियों एवं सोम पत्नियों एवं वासियों बेटों एवं बरों को महिमा कहते हैं (७।२।४।२)। इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद् के ५।१३।२ तथा बृहदारण्यकोपनिषद् के १।२।७ में भी वासियों की चर्चा है। इन चर्चाओं से पता चलता है कि वैदिक काल में पुरुष एवं नारियों का दान हुआ करता था और भेटस्वरूप दिये गये लोग दान माने जाते थे।

अथपि मनु (१।९१ एवं ८।५।१३ एवं ५।१५) में आदिष्ट किया है कि दूरीय का मुख्य कर्तव्य है उच्च वर्णों की सेवा करना किन्तु इसके यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि मूत्र दास हैं। धर्मिनि (१।७।६) में दूत्र के दान की आज्ञा नहीं की है।

दूत्रमूत्रों में माननीय अतिथियों के चरण धोने के लिए दासों के प्रयोग की चर्चा हुई है किन्तु स्वामी को दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।११) में आया है कि अनाथ अतिथि के आ जाने पर अपने को स्त्री या पुत्र को नूता रखा जा सकता है किन्तु उस दास को नहीं जो सेवा करता है। महाभारत में दासा एवं वासियों के दान की प्रभूत चर्चा हुई है (समापर्व ५२।४५ अथर्व २३३।४३ एवं विराटपर्व १।८।२।३ में ८८ स्नातकों में प्रत्येक स्नातक के लिए ३ वासियों के दान की चर्चा है)। वैश्व में अग्नि को एक सहस्र मुन्दर वासियों की (अथर्व १८५।३५ श्रौतपर्व ५७।५।९)। मनु (८।२।९९ ३) में शारीरिक दण्ड की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही श्रेणी में रखा है।

मैयस्वमीजने दासत्व के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। वह अपने देश यूनान के दासों से सभी भाँति परिचित था अतः यदि भारत में उन दिना अर्थात् ईसापूर्व चौथी शताब्दी में दार्यों की बहुलता होनी तो वह भारतीय दामा की चर्चा अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रहते (इण्डिया मैग्जिस्ट्रल पृ ७१ एवं स्टूडेंट्स १५।१।५५)। किन्तु उन दिना दाम से हमने कोई सम्बन्ध नहीं है। अथर्व में अपने नव जित्वामितेय के प्रजापत में दामा एवं नीराय की स्पष्ट चर्चा की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३।१३) में दासा की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के

१ इति में परधानां इतिमूर्च्छातीनाम्। एतं दार्तां अति अजः ॥ श्रु ८।५।१३; यो मे हिरण्यतन्मुरो वयं एवो अजहत। अचक्षरा इक्ष्वाक्य इत्यार्षर्षेयान् अग्निने अजः ॥ श्रु ८।५।१८; अशान्ते पीरुतुत्यः पञ्चाप्यर्णं अतदस्युर्बभूवाम् ॥ श्रु ८।१९।३६।

४ उदबुध्मानपिनिचाय दासो मार्जनीय परिमृत्वन्ति परो निजनीरिर्बं अपु पायन्तो अपु वं देवानां वरज पभापम् ॥ तं तं ७।५।१।१; आरवन्तो वा एव आशान्ताप्योति यो उजयादततिगुह्वात्पर्वं वा नुर्यं वा वीचानर्तं इाणवापार्णं निर्वेनुवायवत्प्रतिपूह् ॥ तं तं ३।१।६।३; तोह भगवते विवेहात् इदामि वा चापि लह् दासपय। बृहदारण्यकोपनिषद् ५।४।२३; यो-अरविह्म अहिमेयाचकने हस्तिहिरण्यं दानवार्थं क्षेत्रावापयनानीति। छात्रोप्यो-पनिषद् ७।३।४।२।

विषय में वर्णन है। कौटिल्य ने कई प्रकार के दासों का वर्णन किया है यथा—स्वबाहुत (युद्ध में बन्धी) आत्म-विषयी (अपने को बेचनेवाला) उदरदास (या धर्मदास जो दास द्वारा दासी से उत्पन्न हो) आह्वितिक (अपने के कारण बना हुआ) बध्नाप्रामित (राजबन्ध के कारण)। मनु ने सात प्रकार के दासों का वर्णन किया है यथा—(१) युद्धबन्धी (२) मोक्ष के लिए बना हुआ (३) दासीपुत्र (४) सरीया हुआ (५) माता या पिता द्वारा बना हुआ (६) बर्षीयत में प्राप्त (७) राजदण्ड भुगतान के लिए बना हुआ (मनु ८।४।१५)।

नारद (अभ्युपेत्याद्युभया) एव कात्यायन ने दासत्व के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। नारद ने सुयुक्त (जा दूसरे की सेवा करता है) को पाँच वर्णों में बाँटा है—(१) वैदिक क्षत्र (२) बन्धेवासी (नव सिद्धवा) (३) अविधर्महृत् (गेट या काम करनेवालों को बेचनेवाला) (४) मृतक (मौकुर, बैठन पर काम करनेवाला) एव (५) दास। इनमें प्रथम चार को कर्मकर कहा जाता था और वे सभी पवित्र कामों को करने के लिए बुझाये जाते थे। किन्तु दासा को धर्मी प्रकार के कार्य करने पड़ते थे यथा घर बुझाला एव गन्धो मार्ग मोचर-स्वर्णों का स्वच्छ करना मुत्तागो को मूजसाना या स्वर्ण करना मङ्गमूत्र फेंकना आदि (स्मृक् १।७)। नारद ने दासों के १५ प्रकार बताये हैं यथा (१) घर में उत्पन्न (२) सरीया हुआ (३) दास या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त (४) बर्षीयत में प्राप्त (५) अकास में रहित (६) किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिभूत (७) बध्ना प्रणय से युक्त (८) युद्धबन्धी (९) बाजी में विहित (१) में आप का हूँ नहकर दासत्व ग्रहण करनेवाला (११) सत्यास से अशुत (१२) जो अपने से कुछ दिनों के लिए दास बने (१३) मोक्ष के लिए बना हुआ (१४) दासी के प्रेम से आकृष्ट दास (बध्नाहुत) एव (१५) अपने को बेच बेधेवाला।

नारद (स्थान ३) एव याज्ञवल्क्य (२।१८२) ने दासों के विषय में एक विधान यह बनाया है कि यदि वे अपने स्वामी को किसी आसन प्राणलेवा कर्त्तव्य से बचा सँ तो वे छूट सकते हैं और (नारद ने जोड़ दिया है) पुत्र की भाँति बर्षीयत में भाग पा सकते हैं। सत्यासपतिष्ठ व्यक्ति राजा का दास होता है (वाङ् २।१८१)। याज्ञवल्क्य (२।१८३) तथा नारद (३९) ने मन से बर्णों के अनुसार ही दास बन सकते हैं, यथा आह्वान के अतिरिक्त तीनों वर्ण आह्वान के वैश्य या क्षत्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं किन्तु क्षत्रिय किसी वैश्य या क्षत्र का या वैश्य क्षत्र का दास नहीं हो सकता। कात्यायन ने अनुसार आह्वान किसी आह्वान का भी दास नहीं हो सकता किन्तु यदि वह होना ही चाहें तो किसी अतिरिक्त एव वैदिक आह्वान का ही और वह भी केवल पवित्र कार्य करने के लिए हो सकता है। कात्यायन ने यह भी लिखा है (७२१) कि सत्यास-अशुत आह्वान को राज्य से निष्कात बाहर करना चाहिए, किन्तु सत्यास अशुत क्षत्रिय एव वैश्य व्यक्ति राजा का दास होता है। इस (७।३३) में तो यह भी लिखा है कि सत्यास-अशुत आह्वान के मस्तर पर नुस्ते के पैर का चिह्न अङ्कित कर देना चाहिए।

कौटिल्य (३।१३) एव कात्यायन (७२३) ने अनुसूतयि स्वामी दासी से पैशुन करे और अन्तानोत्पत्ति हो पाय तो दासी एव पुत्र को दामरत से छुटकारा मिस जाता है।

व्यवहारसूत्र (पृ ११४) में बताया है कि यदि पौर किये गये व्यक्तियों के बूझारत एव उत्पन्न सत्कार

५. स्नेहदानावरोधे प्रजा विधेनुवाप्यनु वा। न स्वेदायंस्य दासभावः। कौटिल्य ३।१३।

६. स्वतन्त्रदायामनो दानाद् दासत्वं दासवद् भुङ्क्ते। त्रिपु बर्णेषु चित्तय दास्य विप्रय न स्वकिन् ॥ वर्णानामानु लोभ्येन दास्य न प्रतिनोक्तः। अरण्य (पृ ७८६) द्वारा उद्धृत कात्यायन नितान्तर नारद (अभ्यु ३९)।

गोद सेनेबासे के गात्र क अनुसार हुए हों तो वे गोद सेनेबासे के पुत्र होते हैं, अन्यथा ऐसे भोग गोद सेनेबासे के दास होते हैं।

नारद (श्रुतार्थान १२) एक नारदायन ने घोषित किया है कि किसी वैदिक छात्र शिक्षार्थी दास स्त्री नौकर या कर्मकर (मजदूर) द्वारा अपने कुटुम्ब के मरुत-योपचार किये गया धन गृहस्वामी को देना चाहिए, भले ही यह धन उसकी अनुपस्थिति में ही क्यों न किया गया हो।

मनु (८।७) एक उद्योग ने अथ्य यथाहो के अभाव में नाकारिण बूढ़े आरमी स्त्री छात्र सगे सम्बन्धी दास एक नौकर को भी यथाह माना है।

अध्याय ६

संस्कार

'संस्कार' शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता किन्तु 'सम्' के साथ 'कृ' वातु तथा 'उत्सृज्य' शब्द बहुधा मिल जाते हैं। ऋग्वेद (५।७।१२) में 'संसृजत' शब्द बर्म (बरतन) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा "वेनो भस्विनी पवित्रं हुए बरतनं नो हानि मही पशुं चाते। ऋग्वेद (१।२।८४) में 'संसृजत' तथा (८।१९।९) 'रवाय संसृजत' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सतपथ-ब्राह्मण में (१।१।४।१) आया है—'य इव देवेभ्यो हवि संसृज्य साय संसृज्य संसृजिते-वैतथाह। पुन वही (१।२।१।२२) आया है—'उस्माद्गु एवी पुमास संसृजेति उच्छ्रुतमग्नेति' अर्थात् 'अत एवी किसी संसृज्य (मुगठित) घर में बड़े पुंस्य के पास पहुँचती है' (वैदिक इसी प्रकार के प्रयोग में ब्राह्मणों की संज्ञा ४।३४)। छान्दोग्योपनिषद् में आया है—'उस्माद्ये एव यजस्तस्य मनश्च वाक् च वृत्तिनी। तपोरम्यतए मनसा संसृजेति ब्रह्मा वाचा हीता (४।१६।१२) अर्थात् 'उस यज्ञ की दो विधियाँ हैं मन से या वाणी से ब्रह्मा उतन से एक को अपने मन से बनाता या बमकाता है। वैदिक के सूत्रों में संस्कार शब्द अनेक बार आया है (१।१।३ ३।२।१५ ३।८।१ १।२।९ ४२ ४४ ९।३।२५ ९।४।३३ ९।५।५ एव ५४ १ १। एव ११ आदि) और सभी स्वधों पर यह मंत्र में पवित्र या निर्मल कार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा ज्योतिष्योम यज्ञ में सिर के केश मुँदान वीत स्वच्छ करन नाचन काटने के अर्थ में (३।८।३) या प्रोलाप (बल छिन्नकने) के अर्थ में (९।३।२५) आदि। वैदिक के १।१।३५ में 'संस्कार' शब्द उचनयन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ३।१।३ की व्याख्या में सबर ने 'संस्कार' शब्द का अर्थ बताया है कि "संस्कारो नाम स भवति यस्मिन्प्राते पशार्थो भवति योम्य कस्यचिदर्थस्य" अर्थात् संस्कार वह है जिसके होने से कोई पशार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तन्वार्थिक के अनुसार "योग्यता चारवाता क्रिया संस्कार इत्युच्यन्ते अर्थात् संस्कार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है पाप-मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा मनीष बुधों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से मनीष बुधों की प्राप्ति तथा तप से पापों या दोषों का मार्जन होता है। वीरमिहोदय ने संस्कार की परिभाषा यों की है—यह एक विशुद्ध योग्यता है जो सास्त्रनिहित क्रियाओं के करने से उत्पन्न होती है। यह योग्यता दो प्रकार की है—(१) जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं (यथा उपनयन संस्कार से वेदाध्ययन आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है तथा (२) दोष (यथा ज्ञातकर्म संस्कार से बीर्य एव गर्माशय का दोष मोचन होता है) से मुक्त हो जाता है। संस्कार शब्द बृहदारण्यको में नहीं मिलता (वैतानस में मिलता है) किन्तु यह वर्मसूत्रों में आया है (वैदिक रीतमधर्मसूत्र ८।८ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।१।९ एव बृहस्पत्यधर्मसूत्र ४।१)।

संस्कारों के विवेचन में हम निम्न बातों पर विचार करेंगे—संस्कारों का उद्देश्य संस्कारों की कोटिवाँ संस्कारों की संख्या प्रत्येक संस्कार की विधि तथा वे व्यक्ति जो उन्हें कर सकते हैं एवं वे व्यक्ति जिनके लिए वे क्रिये जाते हैं।

संस्कारों का उद्देश्य—मनु (१।१७-२८) के अनुसार विवाहियों में माता-पिता के बीर्य एव गर्माशय के बीर्य को पत्राधान-समय के होम तथा जातकर्म (अग्नि के समय के संस्कार) से नौक (मुखर्त संस्कार) से तथा मूत्र

की संरक्षा पहुँचने (उपनयन) से दूर किया जाता है। वेदाध्ययन वल होम वैदिक वल पूजा सन्वातोत्पत्ति पञ्चमहायज्ञो तथा वैदिक यज्ञो से मानवशरीर बहुत प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। यज्ञवत्स्य (१।१३) का मत है कि संस्कार करने से बीज-वर्म से उत्पन्न दोष मिट जाते हैं। निबन्धकारों तथा व्याख्याकारों ने मनु एव यज्ञवत्स्य की इन बातों को कई प्रकार से कहा है। संस्काररत्न के उद्धृत श्लोक^१ के अनुसार जब कोई व्यक्ति गर्माधान की विधि के अनुसार समोग करता है तो वह अपनी पत्नी में वेदाध्ययन के योग्य भूमि स्थापित करता है पुत्रवत संस्कार द्वारा वह पर्म को पुत्र्य या नर बनाता है। सीमन्तोत्पन्न संस्कार द्वारा माता-पिता से उत्पन्न दोष दूर करता है, बीज रक्त एव भूम से उत्पन्न दोष जाठवर्म नामकरण अन्नप्राशन ब्रूडाकरण एव समावर्तन से दूर होते हैं। इन आठ प्रकार के संस्कारों से अर्वादि गर्माधान पुत्रवत सीमन्तोत्पन्न जाठवर्म नामकरण अन्नप्राशन ब्रूडाकरण एव समावर्तन से वित्रता भी उत्पत्ति होती है।

यदि हम संस्कारों की सख्या पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उनके उद्देश्य अनेक थे। उपनयन जैसे संस्कारों का सम्बन्ध या साम्प्रदायिक एव सामूहिक उद्देश्यों से उनसे गुणसम्पन्न व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित होना या वेदाध्ययन का मार्ग खुलना या तथा अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती थी। उनका मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी था संस्कार करनेवाला व्यक्ति एक नई जीवन का आरम्भ करता था जिसके लिए वह नियमों के पालन के लिए प्रतिभन्त होता था। नामकरण अन्नप्राशन एव निष्क्रमण ऐसे संस्कारों का नेत्रण कौटुम्बिक महत्त्व था उनसे अनेक व्यापार, स्नेह एव उत्सवों की प्रभावता मात्र झलकती है। गर्माधान पुत्रवत सीमन्तोत्पन्न ऐसे संस्कारों का महत्त्व खूबसूरतक एव प्रतीकात्मक था। विवाह-संस्कार का महत्त्व था दो व्यक्तियों को आत्मनिष्ठ आत्म-त्याग एव परस्पर सहयोग की भूमि पर काकर समान हो चलेते जाने देना।

संस्कारों की कोटियाँ—शरीर के अनुसार संस्कारों की दो कोटियाँ हैं (१) बाह्य एव (२) वैश्व। गर्माधान ऐसे संस्कारों को नेत्रण स्मृतियों में वर्णित है बाह्य कहे जाते हैं। इनको सम्पादित करनेवाले कोन श्रुतियों के समरक्षक या जाते हैं। पात्रयज्ञ (पका हुआ मोहन की आहुतियाँ) यज्ञ (होमाहुतियाँ) एव सोमयज्ञ आदि वैश्व संस्कार कहे जाते हैं। श्रोतमूत्रों में अन्तिम दो का वर्णन पाया जाता है और उनका वर्णन हम महा नहीं करते।

संस्कारों की सख्या—संस्कारों की सख्या के विषय में स्मृतिकारों में मतभेद रहा है। गौतम (८।१४ २८) ने ४ संस्कारों एव आत्मा के आठ शील-मुष्ठा का वर्णन किया है। ४ संस्कार य हैं—गर्माधान पुत्रवत सीमन्तोत्पन्न जाठवर्म नामकरण अन्नप्राशन बीज उपनयन (कुल ८) वेद के ४ वल स्नान (या समावर्तन) विवाह पञ्च महायज्ञ (वेद पितृ मनुष्य भूत एव ब्रह्म के लिए) ७ पात्रयज्ञ (अष्टका पार्ष्ण-स्वाशीपाक भांड धावनी आग्रहायणी वैश्वी आस्पृशी) ७ द्विर्व्यज्न जितमे होम होता है किन्तु सोम नहीं (अन्नप्राशन अग्निहोत्र धर्मपूर्वमात्र आग्रहय आनु यस्वि निष्कपयुक्त्व एव शीतपानी) ७ सामयज्ञ (अग्निष्टोम मर्याग्निष्टोम जस्य योदधी वाजपेय अग्निराव थापोर्षाम)। अन्न एव मिठासारा (२।४) की सुशोचिनी गौतम की सख्या को मानते हैं। ईतानस ने १८ शरीर संस्कारों के नाम गिनाये हैं (जिनमें उत्पन्न प्रभावामयन्न पिण्डवर्धन भी सम्मिलित है किन्तु नहीं भी संस्कारों की कोटि में नहीं गिना गया है) तथा २२ यज्ञों का वर्णन किया है (पञ्च आग्नि यज्ञ आत पात्रयज्ञ सात द्विर्व्यज्न एव सात

१ गर्माधानबहुनेतो ब्रह्मगर्भं सव्यसि। पुत्रवतापुत्रीकरोति अन्नस्वापनामन्नापिनृन् पाप्मानमपोहति तैत्तिरीयस्तगर्भोपयस्त पञ्चगुणो अन्नवर्मणा प्रथममपोहति नामकरणेन त्रितीयं प्राग्गनेन तृतीयं अन्नकरणेन चतुर्थं स्नापनेन पञ्चममेवंरथाग्निः संस्कारवर्धोपमानम् कुनो नवतीति। संस्काररत्न (पृ. ८५७)।

अध्याय ६

संस्कार

'संस्कार' शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता किन्तु 'सम्' के साथ 'कृ' धातु तथा 'संस्कृत' शब्द बहुधा मिल जाते हैं। ऋग्वेद (५।७।१२) में 'संस्कृत' शब्द बर्म (बरतन) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा "दोनों अग्निनी पवित्र हुए बरतन को हाति नहीं पहुँचाते। ऋग्वेद (१।२।८।४) में 'संस्कृतम्' तथा (८।१।१।९) 'रत्नम् संस्कृत' शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सतपथ-ब्राह्मण में (१।१।४।१) आया है—'स इव वेवेभ्यो हवि संस्कृतं सानु संस्कृतं संस्तुमिते-वैतराह। पुन वही (१।२।१।२२) आया है—'तस्मानु स्त्री पुमास संस्कृते तिष्ठन्तमभ्येति' अर्थात् 'जब स्त्री किसी संस्कृत (सुगठित) घर में सड़े हुए के पास पहुँचती है' (केलिए इसी प्रकार के प्रयोग में बाबसनेनी संहिता ४।१४)। छान्दोग्योपनिषद् में आया है—'तस्माद्येष एव यज्ञस्तस्य मनस्य वाक् च वचिनी। तयोरेव्यवरा मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा ह्येता' (४।१।१।२) अर्थात् 'उस यज्ञ की वी विचियाँ हैं मन से या वाची से ब्रह्मा उनमें से एक को अपने मन से बनाता या चमकाता है। वैमिनि के सूत्रों में संस्कार शब्द अनेक बार आया है (१।१।१ १।२।१५ १।८।१ १।२।१५ ४२ ४४ ९।१।२५ ९।४।३३ ९।५।५ एव ५४ १।१।१ एव ११ आदि) और सभी स्थलों पर यह शब्द पवित्र या निर्मल कार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा 'स्योतिषोम यज्ञ में घिर के केश मुँहाने दौट स्पर्श करते, मासुन काटने के अर्थ में (१।८।३) या प्रोक्षण (जल छिड़कने) के अर्थ में (९।१।२५) आदि। वैमिनि के १।१।१५ में 'संस्कार' शब्द उपनयन के लिए प्रयुक्त हुआ है। १।१।३ की व्याख्या में शबर ने 'संस्कार' शब्द का अर्थ बताया है कि "संस्कारो नाम स मवति यस्मिन्जाते पदार्थो भवति सोम्य कस्यचित्पदस्य" अर्थात् संस्कार यह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। उद्योगात्मिक के अनुसार "योग्यता चारबाता किता संस्कार इत्युच्यन्ते अर्थात् संस्कार वे नियारें तथा चीठियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है पाप-नाशन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से नवीन गुणों की प्राप्ति तथा तप से पापों या दोषों का मार्जन होता है। नीरुमिभोच्य में संस्कार की परिभाषा यों की है—यह एक विभक्त्य योग्यता है जो धारमबहिष्ठ किमात्रों के करने से उत्पन्न होती है। यह योग्यता दो प्रकार की है—(१) विठों द्वारा व्यक्ति अन्य किमात्रों (यथा उपनयन संस्कार से वेदाम्ययन आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है तथा (२) वीय (यथा ज्ञातव्य संस्कार से वीर्य एव गर्भाशय का वीय मोचन होता है) से मुक्त हो जाता है। संस्कार शब्द गृह्यसूत्रों में नहीं मिलता (वैमानस में मिलता है) किन्तु यह अर्थसूत्रों में आया है (केलिए वीनमवर्मसूत्र ८।८ आपस्तम्बवर्मसूत्र १।१।१।९ एव बसिष्ठवर्मसूत्र ४।१)।

संस्कारों के विवेचन में हम निम्न बातों पर विचार करेंगे—संस्कारों का उद्देश्य संस्कारों की कोटियाँ संस्कारों की संख्या प्रत्येक संस्कार की विधि तथा वे व्यक्ति को उन्हे कर सकते हैं एव वे व्यक्ति जितने किए हैं मिले जाते हैं।

संस्कारों का उद्देश्य—यन् (१।२।७-२८) ने अनुष्ठान विधानों में ज्ञात-विज्ञा कि वीर्य एव गर्भाशय में वीर्य को नर्थापान-शुद्धय में होम तथा जातवर्म (अग्नि के समय में संस्कार) से वीज (सुगठित संस्कार) से तथा मूत्र

पारम्पर्यगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र में सिप्रमुचन तथा हिरण्यवेदिगृह्यसूत्र में सिप्रप्रतवन कहा गया है। सुप्र मृदि (सत्कारप्रवाह में उद्धृत १ ११०) में भी इसकी खर्चा है।

आतनम—इसकी खर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है।

उत्पान—शैबक ईतानस (३११८) एवं घात्वायनगृह्यसूत्र (१२५) में इसकी खर्चा की है।

नामकरण—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

निष्क्रमण या उपनिष्क्रमण या आशिर्यदर्शन या निर्धयन—याज्ञवल्क्य (११११) पारम्पर्यगृह्यसूत्र

(१११०) तथा मनु (२१३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण निष्क्रमण तथा निष्क्रमण कहा है। विष्णु शौचिक

सूत्र (५८१८) शौचायनगृह्यसूत्र (२१२) मानवगृह्यसूत्र (१११११) ने क्रम से इसे निर्धयन उपनिष्क्रमण एवं

आशिर्यदर्शन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२०११) एवं घात् (२१५) में भी इसे आशिर्यदर्शन कहा है। गौतम आश

स्तायनगृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते।

बर्षवेच—सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। ध्यायस्मृति (१११९) शौचायनगृह्यसूत्र

(११२११) एवं वात्वायन-सूत्र में इसकी खर्चा की है।

अप्रप्रदान—प्राय सभी स्मृतियों में इसका उल्लेख किया है।

वर्षवर्षन या ज्येषुति—भोमिष्ठ घात्वायन पारम्पर्य एवं शौचायन में इसका नाम दिया है।

शौच या शूद्रासन या शूद्रासन—सभी स्मृतियों में वर्णित है।

विद्यारम्भ—किरी भी स्मृति में वर्णित नहीं है। बर्षक अरण्यक एवं स्मृतिवर्षिका द्वारा उद्धृत मार्षध्वय पुराण में उल्लिखित है।

अपनयन—सभी स्मृतियों में वर्णित है। ध्याय (१११४) में इसका प्रस्तावेय नाम दिया है।

वत (वार)—अपिदानतः सभी गृह्यसूत्रों में वर्णित है।

वेनास्त या गौदान—अभिवादन सभी वर्णगात्र-वर्णों में उल्लिखित है।

समावर्तन या स्नान—इत होना के विषय में कई मत हैं। मनु (३१४) में छात्र-जीवन-उत्पन्न के स्नान को समावर्तन के विषय आता है। गौतम आशान्तायनगृह्यसूत्र (५१२२ १३) हिरण्यवेदिगृह्यसूत्र (१११११) याज्ञवल्क्य

(११५१) पारम्पर्यगृह्यसूत्र (२१६ ७) में स्नान शब्द को होलौ अर्थात् छात्र-जीवन व उपरान्त स्नान तथा सुप्त-गृह्य में शौच के श्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। विष्णु आशान्तायनगृह्यसूत्र (३१८१) शौचायनगृह्यसूत्र (२११११)

घात्वायनगृह्यसूत्र (३११) एवं आशान्तायनगृह्यसूत्र (११०३) १५ एवं ११) में समावर्तन शब्द का प्रयोग किया है।

विवाह—सभी में स्नान अर्थ में वर्णित है।

महायज्ञ—प्रति दिन के पाँच यज्ञों का नाम गौतम अविरा तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं।

उत्सव (वेदाध्ययन का किरी-किरी अनु म त्याग)—शौचायन (१११) एवं अविरा में इस मन्त्रार्थ अर्थ में उल्लिखित किया है।

उत्सव (वात्वायन का शौचिक आशान्तायन)—शौचायन (१११) एवं अविरा में वर्णित है।

उत्सव (मनु) (२१३९) एवं याज्ञवल्क्य (१११) में इसकी खर्चा की है।

उत्सव (विष्णु) (२०११) में आया है कि आशान्तायन में लेखक शूद्रावर्षक तथा व मन्त्रार्थों के इत्यु द्वितीयानि व पुत्रान् आशान्तायनगृह्यसूत्र (१११११) में बिना श्रिया अर्थों के श्रिया अर्थों (आशान्तायनगृह्यसूत्र १११११-१११११) एवं याज्ञवल्क्य (११११)। विष्णु तीन उच्छ्र अर्थों के श्रिया-वर्षक के विवाह में है (मनु २१६७ एवं याज्ञवल्क्य ११११)।

धोमयज्ञ यहाँ पंच आहुतिक यज्ञो को पूज ही माना गया है। अठ कुक्ष मिलाकर २२ यज्ञ हुए। गृह्यसूत्रों धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में अधिकारा इतनी सम्भी सख्या नहीं मिलती। अगिरा में (संस्कारमयुक्त एवं संस्कार-प्रमाण तथा अन्य निबन्धों में उद्धृत) २५ संस्कार गिनाये हैं। इतम गौतम के धर्मशास्त्र से केनर पंच आहुतिक यज्ञो (विष्णु अगिरा में आये अक्षर एक ही संस्कार गिना है) तक तथा नामकरण ने उपरान्त निष्पन्न होना गया है। इनसे अगिरा अगिरा में विष्णुबलि आषयण अष्टका आशनी आश्वयुजी मार्यशीर्षी (आहवायणी के समान) पार्श्व उत्सर्प एवं उपाकर्म को अष संस्कारों में गिना है। श्यास (११४ १५) में १६ संस्कार गिनाये हैं। मनु, याज्ञवल्क्य विष्णुधर्मसूत्र में कोई संख्या नहीं की है। प्रसूत निवेक (धर्मशास्त्र) से अमघान (अन्येष्टि) तक के संस्कारों की ओर संकेत किया है। गौतम एवं कई गृह्यसूत्रों में अन्येष्टि का विना ही नहीं है। निबन्धों में अविनाश ने सोहृद् प्रमथ संस्कारों की संख्या की है यथा—धर्मशास्त्र पुष्यन सीमन्तोपयन विष्णुबलि आश्वयुजी नामकरण निष्पन्न अमघान शोक, उपनयन वैश्वत चतुष्टय समावर्तन एवं विवाह। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत जस्तुधर्म्य में ये १६ संस्कार बर्णित हैं—धर्मशास्त्र पुष्यन सीमन्त आश्वयुजी नामकरण अमघान शोक मीच्छी (उपनयन) अठ (४) गौतम उपावर्तन विवाह एवं अन्येष्टि। श्यास की ही हुई तास्मिना से इसे कुछ अन्तर है।

गृह्यसूत्रों में संस्कारों का वर्णन दो अनुक्रमों में हुआ है। अविनाश विवाह से आरम्भ कर समावर्तन तक चले जाते हैं। हिरण्यकेशिपुष्य भारद्वाजसूत्र एवं मानव गृह्यसूत्र उपनयन से आरम्भ करते हैं। कुछ संस्कार, यथा कर्मविष एवं विद्यारम्भ गृह्यसूत्रों में नहीं बर्णित है। ये कुछ कालांतर वाली स्मृतिवा एवं पुराणों में ही उल्लिखित हुए हैं। अब हम तीसरे संस्कारों का अति उल्लिखित विवरण उपस्थित करेंगे।

श्वेतु-सयमन—वैशानस (१११) ने इस धर्मशास्त्र से पुष्य संस्कार माना है। यह इसे निवेक भी कहा है (६१२) और इसका वर्णन ११२ में करता है। धर्मशास्त्र का वर्णन १११ में हुआ है। वैशानस ने संस्कारों का वर्णन निवेक से आरम्भ किया है।

धर्मशास्त्र (निवेक) चतुर्थीकर्म या होम—मनु (२।१९ एवं २६) याज्ञवल्क्य (१।१०-११) विष्णुधर्मसूत्र (२।३ एवं २७।१) ने निवेक को धर्मशास्त्र के समान माना है। शांखायनगृह्यसूत्र (१।१८ १९) पारस्करगृह्यसूत्र (१।११) तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।१०-११) के मत में चतुर्थी कर्म या चतुर्थी-होम की विवा वैसी ही होती है जो अन्य धर्मशास्त्र में पायी जाती है तथा धर्मशास्त्र के लिए पुष्य वर्णन नहीं पाया जाता। किन्तु शौकान्त-गृह्यसूत्र (४।६।१) काठकगृह्यसूत्र (३।१८) गौतम (१।१४) एवं याज्ञवल्क्य (१।११) में धर्मशास्त्र अथवा प्रयोग पाया जाता है। वैशानस (१।११) ने अनुधार धर्मशास्त्र की संस्कार विधा निवेक वा श्वेतु-सयमन (नाविक प्रवाह के उपरान्त विवाहित वाली के संशोष) के उपरान्त की जाती है और धर्मशास्त्र की बृह करती है।

पुष्यन—यह सभी गृह्यसूत्रों में पाया जाता है। गौतम एवं याज्ञवल्क्य (१।११) में भी।

वर्नरक्षण—शांखायनगृह्यसूत्र (१।११) में इसकी चर्चा हुई है। यह वर्नरक्षण के समान है जो आश्वयुजी-सूत्र (१।११।१) के अनुधार उपनिषद में बर्णित है और आश्वयुजी-सूत्र (१।११।५-७) में विषया स्वयं वर्णन किया है।

सीमन्तोपयन—यह संस्कार सभी धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य (१।११) ने केनर सीमन्त अथवा का व्यवहार किया है।

विष्णुबलि—इसकी चर्चा शौकान्तगृह्यसूत्र (१।१ १।१ १७ तथा १।११।२) वैशानस (१।११) एवं अगिरा में की है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारों ने इसकी चर्चा नहीं की है।

सोम्यन्ती-कर्म वा होम—आहिर एवं योमिक द्वारा यह उल्लिखित है। इसे काठकगृह्यसूत्र में सोम्यन्ती-कर्म

आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र में सिद्धमुचन तथा हिरण्यवेदिसुहृद्गृह्यसूत्र में सिद्धप्रसवकन कहा गया है। नृप स्मृति (संस्कारप्रकाश में उद्धृत १ १३९) में भी इसकी खर्चा है।

आतर्कर्म—इसकी खर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है।

उत्थान—केवल ब्रह्मणस (१।१८) एवं आश्वलायनगृह्यसूत्र (१२५) में इसकी खर्चा की है।

मानकरण—सभी स्मृतियों में बर्णित है।

निष्क्रमण या उपनिष्क्रमण या आश्रित्यवर्जन या निर्धयन—याज्ञवल्क्य (१।११) पारस्करगृह्यसूत्र (१।१७) तथा मनु (२।३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण निष्क्रमिका तथा निष्क्रमण कहा है। किन्तु वैदिक सूत्र (५।८।१८) बौधायनगृह्यसूत्र (२।२) मानवगृह्यसूत्र (१।१९।१) ने क्रम से इसे निर्धयन उपनिष्क्रमण एवं आश्रित्यवर्जन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२७।१) एवं छल (२।५) ने भी इन आश्रित्यवर्जन कहा है। पौनम आपस्तम्बगृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं करते।

कर्मबिध—सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्मृति (१।१९) बौधायनगृह्यसूत्र (१।१।२।१) एवं नात्साम्यन-सूत्र में इसकी खर्चा की है।

अन्नप्रदान—प्राय सभी स्मृतियों में इसका उल्लेख किया है।

वर्षवर्जन या अन्नपूर्ति—गौतम आश्वलायन पारस्कर एवं बौधायन में इसका नाम किया है।

शौच या नृहृत्कर्म या नृहृत्करण—सभी स्मृतियों में बर्णित है।

विद्यारम्भ—जिसी भी स्मृति में बर्णित नहीं है, केवल अपराकं एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत मार्कण्डेय पुराण में उल्लिखित है।

उपनयन—सभी स्मृतियों में बर्णित है। व्यास (१।१४) में इसका उदात्त नाम दिया है।

अन्न (आर)—वैदिकशास्त्रों में सभी गृह्यसूत्रों में बर्णित है।

केसालत या गोशाल—वैदिकशास्त्र सभी धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है।

समाकर्तन या स्नान—इस बोधा के विषय में कई मत हैं। मनु (३।८) में छात्र-जीवर्तनपरण के स्नान को समाकर्तन से भिन्न माना है। पौनम आपस्तम्बगृह्यसूत्र (५।१२२ १३) हिरण्यवेदिसुहृद्गृह्यसूत्र (१।९।१) याज्ञवल्क्य (१।५१) पारस्करगृह्यसूत्र (२।६-७) में स्नान शब्द को बोधी अर्थात् छात्र-जीवन के उपरान्त स्नान तथा पुत्र-नृहृत् से छीटने की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। किन्तु आप्तकानयनगृह्यसूत्र (३।८१) बौधायनगृह्यसूत्र (२।९।१) आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।७।१५ एवं ३१) में समाकर्तन शब्द का प्रयोग किया है।

विवाह—सभी में संस्कार रूप में बर्णित है।

महायज्ञ—प्रति दिन के पाँच यज्ञों के नाम पौनम अग्निषु तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं।

उत्सर्ग (वेदाभ्ययन का विधी-विधी ऋतु में त्याग)—ब्रह्मणस (१।१) एवं अग्निषु में इसे संस्कार रूप में उल्लिखित किया है।

उपाकर्म (वेदाभ्ययन का वापिक आरम्भ)—ब्रह्मणस (१।१) एवं अग्निषु में बर्णित है।

मन्थेष्टि—मनु (२।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१) में इसकी खर्चा की है।

शास्त्रों में ऐसा आया है कि आतर्कर्म से लेकर नृहृत्कर्म तक के संस्कारों में इत्ये द्विजातियों के पुत्र्य धर्म में वैदिक मन्थों के साथ किन्तु शरीर-धर्म में बिना वैदिक मन्थों के किंच धर्म (आप्तकानयनगृह्यसूत्र १।१५-१२ १।१६।६, १।१७।१८ मनु २।१६ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)। किन्तु तीन ऋषियों के शास्त्र-धर्म के विवाह में वैदिक मन्थों का प्रयोग होता है (मनु २।१७ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)।

सोमयज्ञ नहीं पत्र आह्निक यज्ञों को एक ही माना गया है। अतः कुछ भिन्नकर २२ यज्ञ हुए। गृह्यसूत्रों, वर्मसूत्रा एव स्मृतियों में अधिकारा इतनी सम्प्री सख्या नहीं मिलती। अग्नि ने (संस्कारमयूख एव संस्कार-प्रकाश तथा अन्य निबन्धों में उद्धृत) २५ संस्कार गिनाये हैं। इनमें गौतम के गर्माधान से लेकर पाँच आह्निक यज्ञा (विश्व अग्नि त आगे चलकर एक ही संस्कार गिना है) तक तथा नामकरण के उपरान्त निष्क्रमण जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त अग्नि ने विष्णुबलि आग्रयण अष्टका आबनी आश्वयुजी मार्गशीर्षी (आग्रहायणी के समान) पार्वण उत्सव एव उपाकर्म को शेष संस्कारों में गिना है। व्यास (११२४ १५) ने १९ संस्कार गिनाये हैं। मनु, याज्ञवल्क्य विष्णुवर्म सूत्र में कोई संख्या नहीं दी है। प्रत्युत त्रियेक (वर्माधान) से अक्षयान (अश्विदि) तक के संस्कारों की ओर संकेत किया है। गौतम एव कई गृह्यसूत्रों में अन्वष्टि को गिना ही नहीं है। निबन्धों में अधिकारा में सोलह प्रमुख संस्कारों की संख्या दी है, मन्वा—वर्माधान पुसवन सीमन्तोभयत विष्णुबलि चातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन शौक, उपनयन वेदव्रत-वसुष्टय समावर्तन एव विवाह। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत आतुकर्म में ये १९ संस्कार बंभित हैं—वर्माधान पुसवन सीमन्त चातकर्म नामकरण अन्नप्राशन शौक मीक्री (उपनयन) अत (४) गोपाल समावर्तन विवाह एव अश्विदि। व्यास की भी हुई ताकिता से इसमें कुछ अन्तर है।

गृह्यसूत्रों में संस्कारों का वर्णन दो अनुक्रमों में हुआ है। अधिकारा विवाह से आरम्भ कर समावर्तन तक चले आते हैं। हिरण्यकेशिगृह्य आरक्षागृह्य एव मानव गृह्यसूत्र उपनयन से आरम्भ करते हैं। कुछ संस्कार, तथा कर्त्तव्य एव विचारम गृह्यसूत्रों में नहीं बंभित है। ये कुछ कक्षान्तर वाली स्मृतियों एव पुराणों में ही उल्लिखित हुए हैं। अब हम नीचे संस्कारों का अति संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे।

श्वेतु-समन—वैशालस (१११) ने इस गर्माधान से पूवक संस्कार माना है। यह इसे त्रियेक नी श्वेता है (११२) और इसका वर्णन ११९ में करता है। वर्माधान का वर्णन १११ में हुआ है। वैशालस ने उत्सवों का वर्णन त्रियेक से आरम्भ किया है।

वर्माधान (त्रियेक) चतुर्विंशत्त वा होम—मनु (२११६ एव २९) याज्ञवल्क्य (११०-११) विष्णुवर्मसूत्र (२१३ एव २७११) ने त्रियेक को वर्माधान के समान माना है। शाकामयगृह्यसूत्र (१११८ १९) पास्तकपुरा सूत्र (११११) तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८११ ११) के मत में चतुर्विंशत्त वा चतुर्विंशोम की क्रिया वैश्वी ही होती है जो अग्नय वर्माधान में पायी जाती है तथा वर्माधान के लिए पूवक वर्धन नहीं पाया जाता। किन्तु शौपायन-गृह्यसूत्र (४१६११) काठकगृह्यसूत्र (३ १८) शैब्य (८११४) एव याज्ञवल्क्य (११११) में वर्माधान अन्न का प्रयोग पाया जाता है। वैशालस (१११) के अनुसार वर्माधान की संस्कार त्रियेक वा श्वेतु-समन (मासिक प्रवाह के उपरान्त विवाहित जोड़ी के समीप) के उपरान्त की जाती है और वर्माधान की दृष्ट करणी है।

पुसवन—यह सभी गृह्यसूत्रों में पाया जाता है। गौतम एव याज्ञवल्क्य (११११) में भी।

वर्गरेखक—शाकामयगृह्यसूत्र (११२१) में इसकी चर्चा हुई है। यह अन्नसोमन क समान है जो आस कायनगृह्यसूत्र (१११३११) के अनुसार उपनियम में बंभित है और आसकायनगृह्यसूत्र (१११३५-७) में त्रियेक समय वर्धन किया है।

सीमन्तोभयन—यह संस्कार सभी वर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य (११११) ने केवल सीमन्त अन्न का व्यवहार किया है।

विष्णुबलि—इसकी चर्चा शौपायनगृह्यसूत्र (१११ ११३ १७ तथा १११११२) वैशालस (११११) एवं अग्नि में की है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारों ने इसकी चर्चा नहीं की है।

सोष्यन्ती-कर्त्तव्य वा होम—आधिर एव योमिस द्वारा यह उल्लिखित है। इसे काठकगृह्यसूत्र में सोष्यन्ती-समन

आपस्तम्बगृह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्यसूत्र में मित्रसूत्र तथा हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र में मित्रप्रसवन कहा गया है। बुध स्मृति (संस्कारप्रकाश में उद्धृत १ ११९) में भी इसकी चर्चा है।

आत्मकर्म—इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है।

उत्थान—वेदक बीजानस (३।१८) एवं साजायनगृह्यसूत्र (१२५) में इसकी चर्चा की है।

नामकरण—सभी स्मृतियों में बर्णित है।

निष्कमन या उपनिष्कमन या आशित्यवर्धन या निर्णयन—याज्ञवल्क्य (१।११) पारस्करपृथ्व्यसूत्र (१।१७) तथा मनु (२।३४) ने इसे क्रम से निष्कमन निष्कमनिका तथा निष्कमन कहा है। किन्तु बौध्दिकसूत्र (५।८।१८) बौधायनगृह्यसूत्र (२।२) मानवपृथ्व्यसूत्र (१।१९।१) ने क्रम से इसे निर्णयन उपनिष्कमन एवं आशित्यवर्धन कहा है। जिन्वुर्मसूत्र (२७।१) एवं शक (२।५) ने भी इसे आशित्यवर्धन कहा है। गौतम आपस्तम्बपृथ्व्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते।

कर्मवेध—सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं जाता। श्यासस्मृति (१।१९) बौधायनपृथ्व्यसूत्र (१।१२।१) एवं कात्यायनसूत्र में इसकी चर्चा की है।

अन्नप्रदान—प्राय सभी स्मृतियों में इसका उल्लेख किया है।

वर्धवर्धन या मन्त्रपुष्टि—भौतिक आकाशयन पारस्कर एवं बौधायन में इसका नाम किया है।

बीज या बृहत्कर्म या बृहत्करण—सभी स्मृतियों में बर्णित है।

विद्यारम्भ—किन्हीं भी स्मृति में बर्णित नहीं है। वेदक अथर्ववेद एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत मार्कण्डेय पुराण में उल्लिखित है।

उपनयन—सभी स्मृतियों में बर्णित है। श्यास (१।१४) ने इसका उदात्त नाम दिया है।

व्रत (चार)—बधिकाराधना सभी गृह्यसूत्रों में बर्णित है।

केशात्त या लोहान—अग्निनाशत सभी वर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है।

समावर्तन या स्नान—इन दोनों के विषय में कई मत हैं। मनु (३।४) ने ज्ञान-बीजवैपरान्त के स्नान को समावर्तन से भिन्न माना है। गौतम आपस्तम्बगृह्यसूत्र (५।१२।१३) हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (१।९।१) याज्ञवल्क्य (१।५।१) पारस्करपृथ्व्यसूत्र (२।६-७) ने स्नान शब्द को दोनों अर्थात् ज्ञान-बीजन के उपरान्त स्नान तथा मुक्त-मूह से सीटने की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। किन्तु मात्स्यवायनपृथ्व्यसूत्र (१।८।१) बौधायनगृह्यसूत्र (२।९।१) आकाशयनपृथ्व्यसूत्र (३।१) एवं आपस्तम्बर्मसूत्र (१।२।७।१५ एवं ३।१) ने समावर्तन शब्द का प्रयोग किया है।

विबद्ध—सभी में संस्कार क्रम में बर्णित है।

महायज्ञ—प्रति दिन के पाँच यज्ञों के नाम गौतम अगिण तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं।

उत्सर्ग (वैशाख्यन का किटी-किटी ऋतु में त्याग)—बीजानस (१।१) एवं अगिण ने इत संस्कार क्रम में उल्लिखित किया है।

उपाकर्म (वैशाख्यन का वापिक आरम्भ)—बीजानस (१।१) एवं अगिण में बर्णित है।

मन्त्रेष्टि—मनु (२।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१) ने इसकी चर्चा की है।

शान्थों में एका आया है कि जातकर्म से केवल बृहत्कर्म तक ने संस्कारों के इष्ट द्विजातियों के पुरप कर्म में वैदिक मन्त्रों के साथ किन्तु गार्गी-वर्म में बिना वैदिक मन्त्रों के क्रिय कार्य (आकाशयनपृथ्व्यसूत्र १।१५-१२, १।१६।१ १।७।१८ मनु २।६९ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)। किन्तु गौतम उद्धृत वर्णों ने गार्गी-वर्म के विवाह में वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता है (मनु २।६७ एवं याज्ञवल्क्य १।१३)।

संस्कार एवं धर्म—द्विजातिर्या म गर्भाधान से लेकर उपनयन तक के संस्कार अनिर्धार माने गये हैं तथा एतान् एव विवाह नामक संस्कार अनिर्धार नहीं हैं क्योंकि एक व्यक्ति सत्र-जीवन के उपरान्त सम्पत्ती भी हो सकता है (जाकारीपनिषद्)। संस्कारप्रकाश ने महीन बच्चों के लिए संस्कारों की आवश्यकता नहीं मानी है।

यथा धृष्ट ने किए कोई संस्कार हैं? अज्ञान में कहा है कि सूत्र लोग बिना वैदिक मन्त्रों के गर्भाधान पुष्यन सीमन्तोपनयन जातकर्म नामकरण निष्पन्नम अन्नप्राशन चौल कर्षेण एव विवाह नामक संस्कार कर सकते हैं। किन्तु वैजयापगुह्यसूत्र में गर्भाधान (निषेक) से लेकर चौल तक के सात संस्कार धृष्टों के लिए मान्य हैं। अथर्वक (भाग १।११ १२ पर) के अनुसार गर्भाधान से चौल तक के आठ संस्कार सभी वर्णों के लिए (सूत्रों के लिए भी) मान्य हैं। किन्तु मन्वन्तरण स्मृत्याद्यम तथा निर्णयसिन्धु में उद्धृत इष्टिर भाष्य के मत से सूत्र लोग केवल छ संस्कार, यथा—जातकर्म नामकरण निष्पन्नम अन्नप्राशन पुष्य एव विवाह तथा पञ्चाङ्गिक (प्रति दिन के पाँच) महायज्ञ कर सकते हैं। रघुमन्थन के सूत्ररस्यतरंग में लिखा है कि सूत्रों के लिए पुराणों के मन्त्र ब्राह्मण द्वारा सम्पादित हो सकते हैं सूत्र केवल 'नम' कह सकता है। निर्णयसिन्धु ने भी यही बात कही है। ब्रह्मपुराण के अनुसार सूत्रों के लिए केवल विवाह का संस्कार मान्य है। निर्णयसिन्धु ने मठ-नैमित्त्य भी वर्णित करते हुए लिखा है कि उपरान्त मठ-सूत्रों के लिए तथा अनुष्ठान मठ-अष्ट-सूत्रों के लिए है। उल्लेख यह भी कहा है कि विभिन्न देशों में विभिन्न नियम हैं।

संस्कार-विधि—आधुनिक समय में गर्भाधान उपनयन एव विवाह नामक संस्कारों को छोड़कर अन्य संस्कार बहुरा नहीं किये जा रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि ब्राह्मण लोग भी इनके छोड़ने जा रहे हैं। अब कहीं-कहीं गर्भाधान भी त्याग-सा जा चुका है। नामकरण एव अन्नप्राशन संस्कार मनाये जाते हैं, किन्तु बिना मन्त्रोच्चारण तथा पुरोहित के बुलाये। अधिकतर चौल उपनयन के दिन तथा समावर्तन उपनयन के कुछ दिनों के उपरान्त किये जाते हैं। क्याच ऐसे प्राणियों में जातकर्म तथा अन्नप्राशन एक ही दिन सम्पादित होते हैं। स्पृश-संस्कार का कहना है कि उपनयन को छोड़कर यदि अन्य संस्कार निश्चित समय पर न किये जायें तो ब्याहृतिद्वारा के उपरान्त ही वे सम्पादित हो सकते हैं। यदि किसी आपत्ति के कारण कोई संस्कार न सम्पादित हो सका हो तो पादच्छेद नामक प्रायश्चित्त करना आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार समय पर चौल न करने पर धर्म-कृच्छ्र करना पड़ता है। यदि बिना आपत्ति के बान-मुहुर संस्कार न किए जायें तो ब्रूता प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इस विषय में निर्णयसिन्धु ने चौलक के स्थाक उद्धृत किये हैं। निर्णयसिन्धु ने कई मतों का उद्धरण किया है। एक के अनुसार प्रायश्चित्त के उपरान्त छोड़े हुए संस्कार पुनः नहीं किये जाने चाहिए, दूसरे मत के अनुसार सभी छोड़े हुए संस्कार एक बार ही कर लिये जा सकते हैं और तीसरे मत से छोड़ा हुआ चौलकर्म उपनयन के साथ सम्पादित हो सकता है। निर्णयसिन्धु (द्वितीय परिच्छेद पूर्वार्ध) में उपर्युक्त प्रायश्चित्तों के स्वाम पर अनेकाङ्क संस्र प्रायश्चित्त बताये हैं यथा एक प्राजापत्य तीन पादच्छेदों के बराबर है प्राजापत्य के स्वाम पर

२ नू. पुष्य, एव (या पुष्य) नामक रहस्यमय शब्दों के उच्चारण के साथ विमोहीत मन्त्रों की अहुति देना ब्याहृति-होम कर्तव्यता है।

३ अब संस्कारलोपे औलक्य—आरभ्याधानमाचौलक्यलोपेति तु कर्मभाम्। ब्याहृत्यानि तु लक्ष्यं ब्रूता कर्म यथाकाम् ॥ एतौलक्यलोपे तु पादच्छेद समाचरेत्। पुष्यायामकृच्छ्रं स्वस्वापरि त्वेवनीरितम्। अनापि नु सर्वत्र द्विगुण द्विगुण चरेत् ॥ निर्णयसिन्धु, ३ पूर्वार्ध; स्पृशितम् (वर्णनधर्म पृ. १९)।

एक मास का दान तथा गाय के ब्रह्माभ में एक सोने का निष्क (३२ मुञ्जा) पूरा या आधा या चौथाई भाग दिया जा सकता है। बरिष्ठ व्यक्ति चौबीस के निष्क का १ भाग या उसी मुख्य का अन्त में सकता है। उनमें इन सरक पहिचारा (प्रत्याम्नायो) के कारण लोग ने उपनयन एवं विवाह को छोड़कर अन्य संस्कार करना छोड़ दिया। आधुनिक काल में संस्कारों के न करने से प्रायश्चित्त का स्वरूप बौद्ध तक के लिए प्रति संस्कार चार आना रह गया है तथा आठ आना बौद्ध के लिए रह गया है।

अब हम संक्षेप में संस्कारों का विवेचन उपस्थित करेंगे। संस्कारों के विषय में मुद्गसूत्रा भ्रमयूतो मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में सामर्थ्या मरी पड़ी है किन्तु रघुनन्दन के संस्कारतत्त्व पीठकच्छ के संस्कारमञ्जूष मित्र मिश्र के संस्कार-प्रकाश वतन्तवेद के संस्कार-नौस्तुभ तथा गोपीनाथ के संस्काररत्न नामा नामक निबन्धों में भी प्रचुर सामग्री मरी पड़ी है। उपनयन एवं विवाह के विषय में विवेचन कुछ विस्तार के साथ होगा।

गर्भाधान

अथर्ववेद का ५।२५वाँ नाड गर्भाधान के क्रिय-संस्कार से सम्बन्धित ज्ञात होता है। अथर्ववेद के इस अष्ट कं तीसरे एवं चौथे अंश से जो बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।२१) में उद्धृत है गर्भाधान के इत्य पर प्रकाश मिलता है। आश्वलायनमुद्गसूत्र (१।११।१) में स्पष्ट वर्णन है कि उपनिषद् में गर्भसमय (गर्भ धारण करना) पृष्ठवत (पुरुष बच्चा प्राप्त करता) एवं अनवलोमन (भ्रूज को आपत्तियों से बचाना) के विषय में इत्य बतित है। सम्भवत यह संवेत बृहदारण्यकोपनिषद् की ओर ही है।

चतुर्थी-कर्म का इत्य आश्वलायनमुद्गसूत्र (१।१८।१९) में इस प्रकार बतित है—विवाह के तीन रात उपरान्त चौथी रात को पति जनि में पके हुए मोहन की आठ आहुतियाँ जनि चामु, सूर्य (तीना के लिए एक ही मात्र) अर्घमा चरम पूजा (तीनों के लिए एक ही मात्र) प्रजापति (ऋषेय १।१२।१।१ का मन्त्र) एवं (जनि) स्विप्नहृन् को रेशा है। इसके उपरान्त वह 'अभ्यर्चना' की चड को कटकर उसके जस को पत्नी की माक में छिडकता है (ऋषेय १।१८।२।२२ मन्त्रों के साथ प्रत्येक मन्त्र के उपरान्त 'स्वाहा' कहकर)। तब वह पत्नी को झूटा है। सभय करते समय 'तू नन्धर्ब विस्वाभु का मूक हो' कहता है। पुन वह 'स्वास में बा' (पत्नी का नाम लेकर) बीस आम्ना हूँ' कहता है एवं यह मी रि 'जिद प्रकार पुमिमी में जनि है- जादि उसी प्रकार एक तर भ्रूज गर्भाधय में प्रवेध करे, उसी प्रकार जैसे तरकस में बाण धुमटा है यह इस मास के उपरान्त एक पुरप उत्पन्न हो। पारस्कर-गृह्यसूत्र (१।११) में भी यही विधि है।

४ वैश्विण्य, मघनपरिजित (पु ७५२ बृहद्प्रत्याम्नाय); संस्कारनौस्तुभ (पृष्ठ १४१ १४२ अन्य प्रत्याम्नायो के लिए)। आश्वकस उपनयन के समय हेर में संस्कार-सम्पादन के लिए निम्न संकल्प है—अमुकशर्मकः मम पुत्रस्य गर्भाधानपुत्रवतसौमत्सोऽभयन-अस्तकर्मनामकरणाप्रत्याम्नौमत्साला तस्कारत्वात् वस्तस्तिपतिवजित (या लोपवजित) प्रत्यभायपरिहारात् प्रतिस्तस्कार पावहृष्म्यापवप्रयश्चित्त ब्रूयाया अर्बहृष्मत्सर्ब प्रतिहृष्म्य योऽप्यरजत-निष्कपावपावप्रत्याम्नायद्वाहाहाधरिष्ये।

५ मन्त्र —"आ ते योनिं वर्ब एतु बुमात् वाच इवेतुभिम्। आ बीरोमेज जायता पुत्रस्ते वरमत्स्य ॥" अथर्व-वेद ३।२३।२। यह हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (१।१।२५।१) में भी है।

बापस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१०-११) तथा योनिष्ठ (२।५) में भी ससेप में यही विधि दी है किन्तु उनका अर्थ मन्त्र-पाठ वाला है। आधुनिक लोग वादार्थ्य प्रकट कर सकते हैं कि समोग के समय भी मन्त्रोच्चारण होता था। किन्तु उन्हें जानना चाहिए कि प्राचीन समय में प्रत्येक इत्येक धार्मिक समझा जाता था। बापेर (हिरण्यकेशिपुगृह्यसूत्र १।७।२५।३) के अनुसार पीतल में प्रत्येक समोग के समय मन्त्रों का उच्चारण होता था। किन्तु वापरायण के अनुसार यह केवल प्रथम समोग तथा प्रत्येक मासिक प्रवाह के उपरान्त हीना चाहिए। वैश्वानर (३।९) में इस कृत्य को ऋतु-संगमन कहा है (बापस्तम्बगृह्यसूत्र एवं हिरण्यकेशिपुगृह्य)।

स्मृतियों एवं निबन्धों में कुछ विस्तारों का संक्षेप में वर्णन अपेक्षित है। मनु (३।४५) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) के अनुसार गर्मचारण का स्वामासिक समय है मासिक प्रवाह की अभिव्यक्ति के उपरान्त सोम्वर (१।७९) के अनुसार गर्मचारण का स्वामासिक समय है मासिक प्रवाह की चौथी रात से सोम्वर की रात तक सुगता बाजी (सयता बाजी) 'उत्तं तर बन्धे (सड़के) के लिए उपयुक्त है। यही बात हारौत में भी कही है। इन दोनों के मत से चौथी रात गर्मचारण के लिए उपयुक्त है। मनु (३।४७) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) ने प्रथम बार उत्तं छोड़ दी है। कात्यायन पराशर (७।१७) तथा अन्य लोगों के मत से रजस्वला चौथे दिन स्नान करके निकल होती है। लघु-आश्वलायन (३।१) के अनुसार चौथे दिन के उपरान्त रक्त के प्रथम प्रकटीकरण पर गर्मचारण सत्कार करना चाहिए। स्मृतिचक्रिका का निर्देश है कि प्रवाह की पूर्ण समाप्ति पर चौथा दिन उपयुक्त है। मनु (६।१२८) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) के अनुसार गर्मचारण के लिए पहले दिन एक पूर्ण चन्द्र वाले दिनों तथा ८वें एक १४वें दिनों को छोड़ देना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।८) में ज्योतिष-सम्बन्धी विस्तार भी दिया है यथा मूल एक मघा नक्षत्रों को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार निबन्धों में बहुत-से यहीनो विधियाँ सत्याहो नक्षत्रों बरह-बर्हों आदि को वसुम माना है और उनके लिए धानि की व्यवस्था की है। बापस्तम्बगृह्यसूत्र मनु (३।४८) याज्ञवल्क्य (१।७९) एवं वैश्वानर (३।९) में लिखा है कि सड़के की उत्पत्ति के लिए मासिक चर्म के चौथे दिन के उपरान्त छम दिनों में तथा सड़की के लिए चिपम दिनों में समोच करना चाहिए। माच्छात्रगृह्यसूत्र (१।९) में बताया है कि रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नानोपरान्त चैत वस्त्र धारण करे, आभूषण पहन तथा शोष्य आहारों से बर्हें करे। वैश्वानर (३।९) में लिखा है कि वह धमराज लेप करे, किसी नारी या बूढ़ से बर्हें न करे, पति को छोड़कर किसी अन्य को न देखे क्योंकि स्नानोपरान्त वह जिने देखेगी उसी के धमराज उसकी घन्टाण होगी। यही बात छप-स्मिथित में भी पायी जाती है— "रजस्वला नारिणां उग बधधि म त्रिन्दे हेयसी है उन्ही के गुम उतनी सन्तानो म आ जाते हैं।

यथा गर्मचारण धर्म (भूजस्वित बध्ध) का सत्कार है या स्त्री का? याज्ञवल्क्य (१।११) की व्याख्या में निबन्ध में लिखा है कि सीमन्तोपनयन सत्कार को छोड़कर सभी सत्कार बार-बार सम्पादित होने हैं, क्योंकि वे धर्म के सत्कार हैं किन्तु सीमन्तोपनयन केवल एक बार सम्पादित होता है क्योंकि यह स्त्री से सम्बन्धित है। यही बात लघु-आश्वलायन (४।१७) में भी पायी जाती है। किन्तु मनु (२।१९) की व्याख्या में मन्त्रानुक्ति में लिखा है कि विवाहोपरान्त कुछ लोगों के मन से प्रथम समोग में समय ही गर्मचारण सत्कार किया जाता था। किन्तु अन्य काया के मत में अब तक गर्म धारण में हो जाय तक उन प्रत्येक रक्तप्रवाह के उपरान्त किया जाता था। कात्यायन बाधे धमराज एक प्रस्था का कहना है (यथा मिताशरा यात्र १।११ स्मृति-चक्रिका एवं सत्कारधर्म) कि गर्मचारण पुनश्चन एक सीमन्तोपनयन स्त्री के सत्कार हैं और केवल एक बार सम्पादित होने चाहिए। हारौत में भी कही गया है। अणुधर्म में कहा है कि सीमन्तोपनयन एक ही बार होता है, किन्तु पुनश्चन प्रत्येक गर्मचारण पर किया जाता है। यही बात मत्तारामयुग सत्कारप्रथा एवं पराशर

गृह्यसूत्र (१।१५) में भी पायी जाती है। स्मृतिचित्रिका में जिन्मु का हवासा हैकर लिखा है कि प्रत्येक वर्मा-मान के उपरान्त सीमन्ताभ्रमण भी कुहराया जाता चाहिए।

कुत्सक (मनु २।७७) स्मृतिचित्रिका (१ पृ १४) एक अन्य ग्रन्थों के अनुसार वर्माभान संस्कार होम में तय में नहीं सम्पादित होता। धर्मसिन्धु का कहना है कि जब मासिक धर्म के प्रथम प्रकटीकरण पर वर्माभान हो जाता है तो संस्कार का सम्पादन ब्रह्म अग्नि में होना चाहिए, जिन्मु दूसर या बालान्तर वाले मासिक धर्म पर जब संयोग होता है तो हाम नहीं होता। सत्नारसीमुन (पृ ५९) ने होम की व्यवस्था दी है और उनके हुए भोजन की माहृति प्रजापति तथा ब्राह्म्य की सात माहृतियाँ अग्नि को देने को कहा है और तीन माहृतियाँ "विद्युर्दोमिम" (ऋग्वेद १।१८४।१३) के साथ तीन माहृतियाँ "नेत्रमेप" (आपस्तम्ब-मंत्रपाठ १।१२।७-९) के साथ तथा एक "प्रनापतेन" (ऋग्वेद १।१२।११) के साथ ही जानी चाहिए।

पति को अनुपस्थिति में वर्माभान को छोड़कर सभी संस्कार किसी सम्मन्धी द्वारा किये जा सकते हैं (सत्नारप्रकाश पृ १६५)।

संस्कार एवं होम

बहुत-सी धार्मिक विधियाँ एवं इत्यो में होम आवश्यक माना गया है अतः गृह्यसूत्रों में होम का एक मनुना किया है। हम यहाँ पर आवश्यकतानुसार (१।३१) से एक उद्धरण उपस्थित करते हैं। कई गृह्यसूत्रों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में कुछ मतभेद भी हैं।

(१) जहाँ मंत्र करना हो वहाँ एक बाल की सम्बन्धी चौबारी भूमि को कुछ ऊँचा उठाकर (गिट्टी या बाल से) गोबर से भीप देना चाहिए (इसे स्वग्धिक कहते हैं)। इसके उपरान्त यज्ञ करनेवाले को स्वग्धिक पर (ऊँ) रेखाएँ खींच देनी चाहिए, जिनमें एक पश्चिम और हा (स्वग्धिक के उस भाग से जहाँ अग्नि रखी जाती है) किन्तु उत्तर की ओर बूनी हुई होनी चाहिए, दो पूर्व की ओर किन्तु पहली रेखा के दोनों ओर पर ब्रह्मा-ब्रह्मा तीन (बोनो के) मध्य में। इसके उपरान्त पूत स्वग्धिक पर ब्रह्म छिन्नकना चाहिए, उस पर अग्नि रखनी चाहिए, हा या तीन समिबाएँ अग्नि पर रख देनी चाहिए। इसके उपरान्त पत्सिमूहन (अग्नि के अनुधिक साह १।३) करना चाहिए तब परिस्तरण करना चाहिए अर्थात् अनुधिक कुंड बिसा देने चाहिए (पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर में)। इस प्रकार सभी इत्य यथा परिष्मूहन परिस्तरण आदि उत्तर में ही समाप्त होने चाहिए। तब यज्ञ करनेवाले को अग्नि के अनुधिक बोझ ब्रह्म छिन्नकना चाहिए। (२) तब दो कुंसों से ब्राह्म्य (पूत) को पवित्र किया जाता है। (३) बिना गोक टूटे दो बुध (जिनमें कोई और नवीन छाया न निकली हो) और जो अँपूठ से लेकर चौथी अँपूठी तक में बिसे की नाप के हों) और बूले हाव से ब्राह्म्य को पवित्र करना चाहिए पहले पश्चिम तब पूर्व में और बहना चाहिए—“सविता की प्रेरणा से मैं इस बिना बल वाले पवित्र से तुम्हें पवित्र करता हूँ वसु की निरलो से तुम्हें पवित्र करता हूँ। एव बार इस मन्त्र को जोर से और दो बार तीन तय से कहना चाहिए। (४) बुध के परिस्तरण का अग्नि के अनुधिक रखना (ब्राह्म्य-होम यह होम जिसमें अग्नि को ब्रह्म ब्राह्म्य की माहृति दी जाती है) में ही सकता है और नहीं भी हो सकता है। (५) उसी प्रकार पात्रयज्ञों में दो ब्राह्म्य-अथ दिय या नहीं दिये जा सकते हैं। (६) सभी पात्रयज्ञों में ब्रह्मा पुरोहित रखना भी वैकल्पिक है किन्तु ब्रह्मन्तरि एव धूम्रवद ब्रह्म में ब्रह्मा पुरोहित आवश्यक है। (७) तब यज्ञ करनेवाला कहता है—‘इस देवता का स्वाहा’। (८) जब किसी विधिष्ट देवता की ओर निर्देश न हो तो अग्नि इन्द्र प्रजापति विरभे-वेव (सभी ब्रह्म) एव ब्रह्मा ह्यम वोप्य मान किये जाने हैं। अन्त में अग्नि स्वप्यष्टवृत् को माहृति दी जाती है।

शाखायन-गृह्यसूत्र (११७) में होम-विधि (११७।६-७) कुछ अधिक विस्तृत एक महत्त्वपूर्ण बातों के साथ पायी जाती है। यत्र करनेवाला बेदी के मध्य में एक रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर खींचता है। केवल तीन रेखाएँ ऊपर खींची जाती हैं जिनमें एक इसक दक्षिण एक मध्य में तथा तीसरी उत्तर में (अर्थात् केवल ४ रेखाएँ, वास्तव्यन की भाँति ६ रेखाएँ नहीं)। शाखायन (११९।६-७) के अनुसार बड़ा पुरोहित का आसन स्वर्धिस के दक्षिण में होता है और उन्हे फुले से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य बन्धन भी हैं। पारम्परिकगृह्यसूत्र (१११) एक सादिरगृह्यसूत्र (११२) में बहुत ही छोटेप में होम का नमूना दिया हुआ है। योमिक (१११।९ ११ ११५।११-२ ११७।९ ११।८।२१) एक हिरण्यवेदिगृह्यसूत्र (१११।९ १ ३।७) में होम-विधि बड़े विस्तार में बर्णित है। वास्तव्यनगृह्यसूत्र में सभी प्रकार के होमों में पायी जानेवाली विधि का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है।

प्रमुख चार ऋत्विगों में केवल बड़ा को उन्ही यज्ञों में महत्ता दी गयी है जो गृह्याग्नि में सम्पादित होते हैं और जिन्हें पाषण्ड कहा जाता है और जहाँ होता ही यजनान होता है। होम की अन्य बातों का अनुक्रम वा है— उपलपन (गोबर से मीपना) बाम् या मिट्टी से स्वर्धिस को चौकारना एक समिधा से स्वर्धिस पर रेखाएँ दीक्ष्वा समिधा का रेखाओं पर पूर्व ओर मोड़ करके रखना स्वर्धिस के उत्तर और पूर्व में पायी छिन्नना स्वर्धिस के बाहर रेखा खींचनेवाली समिधा को उत्तर-पूर्व में कोण में रखना होना द्वारा आचमन करना होता के सामने स्वर्धिस पर अग्नि (पर्यन्त से उत्पन्न कर, या किसी द्राघिय से मर्मकर या किसी से भी मर्मकर) रखना को या तीन समिधायें अग्नि पर रखना इम्य (१५ समिधायें) एक कुसा का एक गुच्छ तैयार रखना। इसके उपरान्त परिष्कृत (उत्तर-पूर्व ओर से उत्पन्न हाथ द्वारा अग्नि के चतुर्दिक पाठना तब परिष्करण (बेदी के चतुर्दिक प्रथम पूर्व फिर दक्षिण तब पश्चिम और तब उत्तर की ओर से हुआ कैमाना) तब तीन पर्युष्यन् (अग्नि के चतुर्दिक कम छिन्नना प्रत्येक बार पृथक्-पृथक् जल ग्रहण करके) तब अथ प्रथम (अग्नि के उत्तर काय या मिट्टी के बरतन में जल में जाता) तब बाम्योत्पन्न (को कुसा की नील से एक बार मन्त्र से और दो बार मीन रूप से आत्म को पवित्र करता) तब आत्म्य के दो आपार (लगातार बार मिट्टना) तथा दो आहुति। इसके उपरान्त मूत्रा में निरिष्य ह्य में प्रथम हवन किया जाता है और अन्त में अग्नि स्विष्टकृत को अन्तिम आहुति दी जाती है। अग्नि के आरम्भ कर एक स्वाहा में अन्त कर मन्त्र दुहराकर आहुतियाँ दी जाती हैं और कहा जाता है कि "यह इस या उस देवता के लिए है मेरे लिए नहीं।

आचमनायनगृह्यसूत्र (१।६) में कहा है कि औच उपनयन मोरान एक विवाह में ऋत्वेर (१।६।१।०-१२) के तीन मन्त्रों के साथ आत्म्य की चार आहुतियाँ दी जाती हैं यथा—हे अग्नि तू औचन को पवित्र बनाता है आदि। मन्त्र के स्थान पर ब्याहृतिया या दोनों अर्पण वैदिक मन्त्रा एक ब्याहृतियों (मू स्वाहा भुव स्वाहा एवं स्वाहा भुव इ व स्वाहा) का व्यवहार किया जा सकता है अर्थात् ८ आहुतियाँ दी जाती हैं।

आधुनिक काम में स्पष्टिक पर शानी छिन्नने व उपरान्त उस पर अग्नि रखी जाती है और सतराती के अनुसार अग्नि व विभिन्न नाम मान जाते हैं यथा उपनयन एक विवाह में उस क्रम में समुत्पन्न एक योजन कहा जाता है। तब ईपन पर पवित्र ५० छिन्नकर उने अग्नि पर रखा जाता है और उस पजाला में परिवर्तित करने प्रार्थना की जाती है यथा अन्त वैवाहिक पाण्डित्यशोध मध्यम मम सम्पुनो करवी मम। इने उपनयन वचिन्मपुन एवं अन्य इतर वचिन् चियाये चलनी है।

जिन प्रकार अधिराज गृह्य-नृत्या में होम आचरणक माना जाता है उगी प्रकार प्राय सभी इपों में कुछ बाने एवं की जाती जाती है। आचमन शायाम देग-बाल की ओर लेंगे एवं सकल्प करम बाये जो है। इने उपरान्त मध्य बाल व पदमाग्न-धन्या व अनुमार पधार्ति-नृत्यन पुष्पाट्वाचन मन्त्रा पूजन एवं कान्दीपय

होता है। कुछ सोपा के मत में सबसे एक ही संस्कार होता है किन्तु कुछ सोपो के मत में प्रत्येक पुण्याहवाचन मात्रापूजन एक मान्दीभाङ्ग के लिए पृथक्-पृथक् संस्कार होते हैं। सभी प्रकार के इत्यो में होता या नहीं सबप्रथम स्नान करता है। पित्ता बध्निता है। जोड़ से स्नान को गोबर में छिपका कर उस पर रगीत पदार्थों से रेखाएँ बनाता है, जहाँ पानी में भरे वा मगक-नक्षत्र रख दिये जाते हैं जिन पर कवचन रखा रहता है। बाबद्वयक बलपूर्व स्नान के उत्तर में रक्त ही जाती है। हा सक्की के पीठ पश्चिम दिशा में रख दिये जाते हैं, जिनमें एक पर चर्वा पूर्वाभिमुख बैठता है और दूसरे पर बाहिनी ओर उसकी पत्नी बैठती है किन्तु यदि पुत्र के लिए इत्य किया जा रहा हो तो पति पत्नी भी बाहिनी ओर बैठता है। पत्नी से दक्षिण ओर दूर हटकर ब्राह्मण लोग उत्तराभिमुख बैठते हैं तथा चर्वा वाचन करता है। बाधिका भाङ्ग भाषि को छोड़कर सभी संस्कार एक इत्य किसी पूर्व निश्चित तिथि का ही किये जाते हैं।

गणपति-पूजन

इस पूजन में इस्तिमुक्त हैबता गोपेस की उपस्थिति का आवाहन एक मुट्टी वाचन के साथ पात के एक पत्त पर का गोबर के एक छोटे पिण्ड पर किया जाता है। ऋग्वेद में गणपति मन्त्र का प्रयोग ब्रह्मणस्पति (मार्कण्डेय के स्वामी या पवित्र स्तवन के देवता) की एक उपाधि के रूप में आया है। ऋग्वेद (२।२१।१) का मन्त्र 'गणात्ता त्वा गणपति हवामहे' का गोपेस के आवाहन के लिए प्रयुक्त होता है, ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है। ऋग्वेद (१।११२।९) में इन्द्र को गणपति के रूप में सम्बोधित किया गया है। ऐतरेय संहिता (४।१।२।२) एक वाजसनेयी संहिता में पशु (विशेषतः अश्व) ऋ के वागपत्य करते पशु हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (४।४) में स्पष्ट आया है कि 'गणात्ता त्वा' नामक मन्त्र ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है। वाजसनेयी संहिता (१।४।२५) में बहुवचन (गणपतिम्यश्च को नाम) तथा एकवचन (गणपतय स्वाहा) दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है। मध्य नाम में गोपेस का जो विलक्षण रूप (इस्तिमुक्त निजसी हुई ठोस या कम्बोदर, गूहा बाहन) वर्णित है वह वैदिक साहित्य में नहीं पाया जाया। वाजसनेयी संहिता (१।५७) में गूहे (गुपण) को ब्रह्म का पशु, अर्थात् "ब्रह्म को दिया जानेवाला पशु" कहा गया है। गूहा एक धर्मगुरुओं में ब्राह्मिक इत्यो के समय गोपेसपूजन की ओर की गई संकेत नहीं मिलता। स्पष्ट है, गणपति-पूजा नामान्तर का इत्य है श्रीगणेशधर्मपूज (२।५।८।९) में वेदवर्षक में विष्णु विनायक और, स्कूळ बरह इस्तिमुक्त ब्रह्मपुण्ड्र एवमन्त्र एव सम्बोदर का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु यह अग ओपेस-या समता है। ये विभिन्न उपाधियाँ विनायक की हैं। (श्रीगणेश-पूजाधेयपूज (१।१।१५)। मातृगणेश (२।४) में विनायक चार माने बदे हैं—घासकटकट कृष्णाश्च राजपुत्र उस्मिन् एव हैबवचन। ये कुछ आरामाएँ (प्रेतारामाएँ) हैं और जब के लोगों को पक्क मैती हैं, उन्हें बु स्वप्न जाते हैं और बड़े भयकर बघोभन रूप्य दृष्टिगोचर होते हैं। यथा मुनिवृत्त-धार स्मृति कम्पी अटा बाले स्मृति पीठ बस्त्र बाले स्मृति अट मयहे धूकर, चाण्डाल। उनके प्रभाव से योग्य राजकुमार राज्य नहीं पाते क्षुभ कष्टगो बाधी मुन्दरियाँ पति नहीं पाती विवाहित नारियों को सन्तानें नहीं होती गुणधीला नारियाँ की सन्तानें शीघ्रबाधस्वा में ही मर जाती हैं इनको की इयि मष्ट हो जाती है काकि-काकि। अथ मातृगणेश में विनायक की बाबा से मुक्ति पाने के लिए पूजन की क्रियाओं का वचन किया है। वैश्वानरपुण्ड्र (अपराधं याङ् १।२७५) में मित्र उस्मिन् घासकटकट एव कृष्णाश्च राजपुत्र नामक चार विनायकों का वर्णन किया है और ऊपर वर्णित उनकी बाबा की चर्वा की है। इन दोनों वर्णनों से विनायक-सम्प्रदाय के विनाय की प्रथमानुष्ठा का परिचय मिलता है। आरम्भ के विनायक कुटारामाको के रूप में वर्णित है जो भयकरता एक शक्ति शक्ति का अवरोध करा करते हैं। समता है इच्छ (विनायक) सम्प्रदाय में ब्रह्म के मयकर स्वरूपा एक आदिवासी जातियों के ब्राह्मिक इत्यो का समावेश हो गया है।

याज्ञवल्क्यस्मृति में विनायक-सम्प्रदाय के कालांतरिय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है (१।२७१-२७४)। विनायक को (याज्ञ १।२७१) यज्ञो के स्वामी के रूप में ब्रह्मा एव चंद्र द्वारा नियुक्त वर्धिया गया है। वह न केवल ब्रह्मण उत्पन्न करनेवाला प्रसूत मनुष्यो के किष्वाघस्कारो में सफलता देनेवाला कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने मत्तवपुत्र के उल्लिखित विनायक की वाचा का भी वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य (१।२८५) के अनुसार विनायक के चार नाम हैं—मित सम्मित भास्करकट एव कप्पाच्छराजपुत्र और उसकी माता का नाम है अम्बिका। विश्वस्य एव अपरकं म तो विनायक के चार ही नाम बताये हैं किन्तु मिशाच्छरा म भास्करकट एव कप्पाच्छराजपुत्र को दो-दो भागों में तोड़कर छ नाम गिनाये हैं यथा—मित सम्मित षाड कटकट कप्पाच्छ एव राजपुत्र। अमरकोश की व्यासा के शीघ्रस्वामी ने स्पष्ट रूप से 'हेरम्ब' शब्द को देख कहा है। मन यह कहा जा सकता है कि गणेश वैदिक देवों की पत्नि में किसी देवोद्भव जाति से जाये और चंद्र (सिंह) के साथ जुड़ बने। याज्ञवल्क्य ने विनायक की प्रसिद्ध उपाधियों की चर्चा नहीं की है यथा—एकदन्त हेरम्ब महात्मन ऊम्बोदर जादि। वांछायतनपुत्रोत्पद्युष (१।१) ने विनायक की आराधना के लिए चिह्न इव जयनाया है और उसे मूलनाथ हस्तिमुख त्रिभुवनेश्वर कहा है एव 'अपु' तथा 'मोदक' की आहूतियों की चर्चा की है। स्पष्ट है याज्ञवल्क्य की अपेक्षा वांछायतन मध्य काल के वर्णदास्यनवागों के अधिक समीप सपठे हैं। कश्च महाभारत के आदिपर्व में व्यास के क्रिपिक के रूप में बरते हैं किन्तु यह बात महाभारत के कुछ संस्करणों में नहीं पायी जाती। वनपर्व (६५।२३) एव अनुशासनपर्व (१५।१५) में बलिज विनायक मानवगुह्य क विनायक के समान ही हैं।

मोनिष्ठस्मृति (१।१३) के अनुसार सभी इन्द्रो के आरम्भ में गन्धाचील के साथ 'मातृका' की पूजा होनी चाहिए। ईसा की पाँचवीं एव छठी शताब्दिवा के उपरान्त ही। मन्वा एव उनकी पूजा से सम्बन्धित सारी प्रसिद्ध विधिपर्याएँ स्पष्ट हो सकी थी। महाभक्ति वाकिदास ने कश्च की चर्चा नहीं की है। वाचासप्तपती में कणेश का उल्लेख है (ग।३२ एव ५।३)। अपने हर्षचरित में बाण ने (४ उच्छ्वास प्र २) गणाधिप की लक्ष्मी सुँड की चर्चा की है और भैरवाचार्य (श्रृंखरित ३) ने उल्लेख में विनायक को वाचाजा एव विद्या से सम्बन्धित माना है तथा उनके शरीर में हाथी का घिर माना है। वायनपुराण (अध्याय ५४) में विनायक के जन्म के विषय में एक विचित्र गाथा का वर्णन पाया जाता है।

महावीरचरित (२।३८) में हेरम्ब की सुँड का उल्लेख है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६।५२-५५) में विनायक की मूर्ति के निर्माण की विधि बताया है। अपरकं में मत्स्यपुराण (२८।१७) को उद्धृत कर महाभूषण नामक महात्मन की चर्चा में विनायक को मूषक (बूँह) की सहायता करते प्रवर्णित किया है। भाद्रपद क्युर्मी की यथा-पूजा के विषय में कृष्णक्याचर में भक्तिप्युगाण से उद्धरण दिया है। इस विषय में अग्निपुराण में ७१६ एवं ३१३६ अध्यायों में वैशना आशय्यक है। धाम्तरवर्मा (मालवा राजाजी) ने निगानपुर कं अग्निनेत्र में कल्पति का नाम आता है।

यक्षपनिगुञ्ज म च्छेदेर (२।२३।१) को 'गण ना तथा कल्पतिम्' नामक स्मृति की जाती है तथा 'मोम् महायक्षपणय तथा नम निर्विघ्न बूँह' नामक श्लोका में प्रकाश दिया जाता है।

पुष्पाहवाचन

यद्यपि मत्स्यपुराणका वैश कर्णाय निदर्शो म पुष्पाहवाचन का बृहत् वर्णन पाया जाता है किन्तु अति प्राचीन काल में यह बहुर ही सीधा-आधा श्रुत्य था। आप्तमन्वयपर्वम् (१।४।१।३।८) में आया है कि लक्ष्मी गुण श्रुत्या के (यथा विद्या) मन्वी वाचय मोम् में आरम्भ हुनि है मोम् पुष्पाहम् 'अग्नि एव 'अग्निम्' का उच्चारण किया जाता है। विद्या-मन्वाय या श्रुत्य वर्णनाका स्थिति उत्तरार्धक आशय का गण्य गुण एव ताम्बू (पान) में लक्ष्मी

नित करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि "वमुक्तं मानसं मम करिष्यमाणविवाहाभ्याय नमन स्वस्ति भवत्यो बुभन्तु अपरिद् आप इस इत्य के दिन को पुनः शोधित करे, जिसे अमुक नाम थाका मैं करने जा रहा हूँ और ठक बाह्यक उत्तर देते हैं—'बाम् स्वस्ति' अर्थात् बाम् पुनः हो। 'स्वस्ति' 'पुष्याहम्' एक 'शुद्धिम्' टीना क साथ यही लिया जाती है और टीन-टीन बार बुद्धरायी जाती है।

मातृका-पूजन

मुनो म 'मातृका' (माता देवियों) की चर्चा नहीं पायी जाती। किन्तु कतिपय छात्रों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मातृकापूजन होता था। मूकभट्टिक नाटक में बारबत अपने मित्र मैत्रय से मातृका के लिए बलि की चर्चा करता है। गानिका-स्मृति (१।१।१२) ने १४ मातृकाओं का नाम बताया है यथा—गौरी पद्मा शशी मेधा सावित्री विजया कया देवसेना स्वया स्वाहा वृति पुष्टि तुष्टि तथा अयनी देवी (अनीष्ट देवता)। मार्कण्डेय (८।१।१-२ एव ३३) में मत्स्यनाम के नाम से साठ माताओं (मातृकाओं) का नाम आये हैं। मत्स्यपुराण (१७।१।९-३२) में एक ही से अधिक माता-देवियों के नाम आये हैं यथा मातृदेवरी शङ्खी नौमारी चामुण्डा आदि। ब्रह्मसंहिता की बृहत्संहिता (५।८।१९) में मातृ-देवियों की मूर्तियाँ की ओर शक्त है। कादम्बरी के संस्कृत भाष्य में भी माता-देवियों की चर्चा करते हुए उनके दूटे 'दूटे मन्दिरा वा उत्सव किया है। इतरगलाकर ने साठ माताओं की मूर्तियों की चर्चा की है तथा देवीपुराण में मातृका-पूजन की चर्चा करते हुए उनके प्रिय पुत्रों के नाम बताये हैं। स्वस्त्युक्त के बिहार-स्वित्त प्रस्त-स्तम्भ के अभिलेख में मातृका-पूजन का उल्लेख है। चामुण्डा राजा साठ माताओं के प्रियमन्त्र कह गये हैं। कवच राजा भी कतिनेय स्वामी एव मातृगण के पुजारी बने गये हैं। विश्वनाम का मन्त्री मयूरदास ने माताओं के लिए मन्दिर बनवाये थे (सन् ४२३-२४)।^१

मातृका-पूजन की परिपाटी कब से प्रारम्भ हुई? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। किन्तु मुहम्मदनाम में यह बर्णित नहीं है। सर जॉन मार्शल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थों में जो मोहनजोदड़ों के विषय में लिखे गये हैं (विश्व १ पृ ७ एव ४९-५२ एव विश्व १२ ५४ एव ५५) माता-देवियों की आहुति की वार शक्त किया है। उनका कहना है कि आर्यों ने काष्ठांतर में मातृका-पूजन की परिपाटी मोहनजोदड़ के निवासियों से सीखी और तिब की पत्नी दुर्गा का पूजन इस प्रकार वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो सका। श्रुतेश (१।१ २।४) में सोम बनाने के धर्म में माता-मन्त्रों का उल्लेख है (सम्भवतः यहाँ ये साठ माताएँ साठ माताएँ (छन्द आदि) या साठ देवियाँ हैं)।

नाना-याद

इस पर हम याद का प्रकरण में लिखें।

पुसवन

इस संस्कार का यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसका करने से पुत्रापति होती है (पुमान् प्रसूयत यत

१. उपर्युक्त अभिलेखों के लिए देखिए कम से (१) मुक्त इतिहास पृ ४७, ४९, (२) इतिहास ऐन्टीक्येरी, विश्व ६, पृ ७१ एव परिधिवा इतिहास, विश्व ९, पृ १ (१ ४ ई) (३) इतिहास ऐन्टीक्येरी, विश्व ९ पृ २५ एव (४) मुक्त इतिहास, पृ ७४।

तरनुसबनमीरितम्—सस्कारप्रकाश)। 'पुसबन मध्य अथर्ववेद (२।११।१) में आया है जिसका शाब्दिक अर्थ है "लड़के को आम देना। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।११।२-७) ने इस सस्कार का वर्णन यों किया है—वर्न के ठीकसे महीने तिव्य (अर्थात् पुत्र) मक्षन के दिन स्त्री को यत् पुनर्बंसु नक्षत्र में उपवास कर लेने क उपरात्त अपनेसे ही रय के बछड़े बानी गाय के बही में दो कण सिम्बिक (सेम) एक औ का एक कण देना चाहिए (एक पुन्सु बही में दो सेम एक एक औ तीन बार देने चाहिए)। यह पूछने पर कि तुम क्या पी रही हो "तुम क्या पी रही हो, स्त्री बोळगी—'पुसबन' (पुत्र की उत्पत्ति) 'पुसबन'। इस प्रकार पति बही दो सेम एक एक औ के बाने के साथ तीन बार चियाएँ करता है।

पुसबन के वर्णन में कुछ धर्मशास्त्रकारों में मतभेद भी है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र एक माछार गृह्यसूत्र के मत में पुसबन का सस्कार सीमन्तोपवन क उपरात्त होता है। आपस्तम्ब तो इसे गर्भ के स्पष्ट ही बाने पर ही करने को कहता है। पारस्कर एक वैश्वानर आतुर्कर्म बौधिक आदिर आदि में समय आदि पर स्पष्ट नहीं है। माञ्जवल्क्य (१।११) पारस्कर (१।१४) विष्णुधर्मसूत्र बृहस्पति आदि ने कहा है कि जब भूत हिम्ने-दुग्ने लगे तब यह किया अपनी चाहिए। कुछ लोगों में कुछ मसनों को पुरण मक्षन माना है यथा स्मृतिचरित्रा द्वारा उद्धृत एक स्तोत्र में हस्त मूक भजन पुनर्बंसु, मृगणिरा एक पुत्र्य पुरण मक्षन कहे हैं। सस्कारमयूक्त में लिखा है कि भारतीय क अनुसार दौहिणी पुत्रभात्रपया एक उत्तराभात्रपया भी पुरण मक्षन है। बसिष्ठ के अनुसार स्वामि अनुपया एक अविबनी भी पुरण मक्षन है। इस प्रकार कई मत हैं, जिनके विस्तार में पढ़ना यहाँ अपेक्षित नहीं है। काठ्य गृह्यसूत्र (२।२।२) में गर्भाधान के चौबन तथा मानवगृह्यसूत्र में अष्टमं मास के उपरात्त पुसबन करने का विरघ किया है। बहुत-से गृह्यसूत्रों में स्यषोष की जोषो (नय पत्नी) को कटकर स्त्री के बाने नबुने में निबोडने को बत है। सूत्रकारों ने इस विषय में जो मनोव्यारण बताने हैं उनमें भी विभेद है। अत मन्त्रों का विवेचन यहाँ बोलिन नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट ही सचता है कि पुसबन सस्कार में धार्मिक (हीम तथा पुत्र प्राप्ति प्राचीन बाल स ही मान्य है) प्रतीकात्मक (सेम एक औ के साथ बही का पीना) एक औपनि-सम्बन्धी (स्त्री की मात' में कोई पदार्थ डालना) तत्त्व पाये जाते हैं। पारस्कर ने (१।१४) पत्नी की गोव में बछुए के दित्त (मांसु) को रखने का निर्देश किया है ममक्ष में नहीं आता।

सस्काररत्नमाला जैसे शास्त्रकार बाने पन्नों में पुसबन के लिए होम की भी व्यवस्था की है और कहा है कि पति के अभाव में देवर भी इस इत्य को कर सकता है किन्तु तब यह पुद्गामि (भोजनगृह की अग्नि) में ही किया जाता है। यही बाल सीमन्तोपवन क विषय में भी कामू है।

अनस्योमेन मा गर्भस्थां

यह इत्य स्मृत्यका पुनरन का एक जाग है। आमबन्धनगृह्यसूत्र न (उपनिषद् में बर्जिन) इन बला का पुनर-पुनर माना है। वैश्वानरगृह्यसूत्र ने कहा है—'पुनरन एक अनबनामन की आय होने हुए अन्त के पीरटवें दिन शुभ बर्जियों में जब अन्त किसी पुरण मक्षन के मात हा करता चाहिए। "ममें स्पष्ट है कि दोनों का मताना एक ही दिन होता था। इन दादा मन्त्रों का तात्पर्य यह है कि इनने करने में गर्भपात नहीं होता। आपस्तम्ब गृह्यसूत्र (१।११।५, ७) न इनका वर्णन या किया है—'तत्र अत् किसी पीर पर की छाया में पत्नी के बर्जिमें नबुने में किसी न मूर्ति हुई उठी का रस दाद। कुछ आशानों के मत में प्रजापत्य एक जीकपुत्र नामक अन्त का उपचारन

भी होना चाहिए। एक पक्षे हुए अन्न की आहुति प्रजापति को देकर उसे अपनी स्त्री के हृदय के पास का स्वप्न कृता चाहिए और प्रजापति से प्रार्थना करनी चाहिए— अहो! आपके हृदय में क्या छिपा है मैं उसे समझता हूँ मेरे पुत्र को चोट न पहुँचे ।

उपर्युक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि दुर्वा रस का स्त्री की नाक में डालना उसके हृदय का स्वप्न करना एक देवताओं को भ्रूण की रक्षा के लिए प्रयत्न करना मानि कर्म इस संस्कार के विशिष्ट लक्षण है।

शीमन्तोन्नयन के अनुसार इस संस्कार को अन्नबलीमन कहा जाता है जिसके अनुसार भ्रूण विविध रहता है और मरता नहीं। स्तूत्यर्चन के अनुसार यह चौथे मास में किया जाता है। ऋगु-आश्विनमास (४१२२) के अनुसार अन्नबलीमन एक सीमन्तोन्नयन गर्भाधान के चौथे छठे या आठवें मास में मनाया जाता है।

आश्विनमासगृह्यसूत्र (१२११२३) में यर्मरक्षण इत्ये के विषय में लिखा है—चौथे मास में यर्मरक्षण इत्ये किया जाता है। पक्षे हुए अन्न की छ आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं और “ब्रह्मनाभि नामक मन्त्र (अथ १।१६२) का “स्वाहा” के साथ उच्चारित किया जाता है और स्त्री के वया पर निर्मलीकृत वृत छिड़का जाता या चुपका जाता है।

आश्विनमासगृह्यसूत्र के अनुसार यह इत्ये प्रत्येक गर्भाधान में उपरान्त किया जाता चाहिए। किन्तु बहुत-से पकारों में इसे पुसवन की मति एक ही बार करने को कहा है।

सीमन्तोन्नयन

इस संस्कार का वर्णन आश्विनमास (११४१९) घातामन (१२२) हिरण्यकेशीय (२११) बीचायन (१११) धारुख (१२१) गोमिल (२१७१२२) पादिर (२१२२४-२८) पारस्कर (११६५) काठक (३११५) एक वैश्वानर (११२) नामक गृह्यसूत्रों में पाया जाता है। सीमन्तोन्नयन वृत्त का अर्थ है (स्त्री के) बच्चे को ऊपर विभाजित करना। यज्ञबल्य (११११) एक व्यास (१११८) ने इस संस्कार को केवल ‘सीमन्त’ की उखाड़ी है गोमिल (२१७११) मानवगृह्यसूत्र (११२१२) एक काठकगृह्यसूत्र (३१११) ने इसे ‘सीमन्तकरण’ कहा है किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र एक भारुखगृह्यसूत्र (१२१) ने इसे पुसवन के पहले ही उल्लिखित किया है। आश्विनमास में इसका वर्णन को किया है—गर्भाधान के चौथे मास में सीमन्तोन्नयन (इत्ये) करना चाहिए। शय होने हुए चन्द्र के चौदहवें दिन एक चन्द्र किसी पुष्य नक्षत्र के साथ हो (या नारायण के अनुसार कम-से-कम त्रिष नक्षत्र का नाम पुष्कल में हो) इसे करना चाहिए। एक अग्नि स्थापना की जाती है (अर्धान् काश्यामाओं की मात्रा दिया एक होम किया जाता है)। फिर अग्नि के पश्चिम बैक (भुय) का अर्ध रस दिया जाता है जिसकी गरम पूर्व और और बाक ऊपर रखते हैं तथा आज्य (निर्मलीकृत वृत) की आठ आहुतियाँ दी जाती हैं। संस्कारकर्ता की स्त्री अर्ध पर बैठकर पति का हाथ पकड़ लेती है और मन्त्रोच्चारण किया जाता है यथा—अन्नबलि (७१७१२१)

७. नारायण ने व्याख्या की है कि बच्ची “दुर्वा” ही है जो बहुत पुराने काल से प्रचीय में लाम्बी बलती रही है। इस बच्ची का रस नाक में मौल चय से या मन्त्रोच्चारण के साथ डाला जा सकता है। दोनों मन्त्र ये हैं—आ से गर्भी योनिमेतु पुमान् वाय इत्येयुविम् । आ बीरो वायता पुत्रस्ते वामास्य ॥ अग्निरेतु प्रबभौ देवताता सोऽय्ये प्रजा मुम्बभु भृगुपुत्रात् ॥ तदर्थ राजा बभूवोऽनुमन्वतां धनेर्ध स्त्री वीरमद्य न रोवन् ॥ इत्ये प्रथम अन्नबलि (३२३२२) का और दूसरा आपस्तम्बीयमन्त्रकाठ (१११७) का है।

न ही मन्व ऋग्वेद (२।३२।४-५) के दो तथा 'विजमेय' नामक तीन मन्व (ऋग्वेद १।१८४ क परशात् नाम एक विक्रमूक्त एव आपस्तम्बीय मन्वपाठ १।१२।७-९)। एष संस्कारकर्ता स्त्री क (मस्तक के ऊपर के) बासा को बन्धे पत्तो की सम सख्या से तथा साही (सम्बन्धी) से तीन बिल्लवाके कान् तथा कुस के तीन पुष्पा के साथ ऊपर करता है और बार बार 'मूद, मुब स्व ओम्' का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त वह दो बीजाभाषको दो घोम राबा की प्रससा से गाने का आदेश देता है। बीजाभाषक यह गाथा गाता है—'हमारे एका घोम मातृक भाति को आशीर्वाचवें। इष (मयी) का पहिया (राज्य) स्थिर है जहाँ से रहते हैं। वाय उन्हे उरवी पति एव पुत्र वाली बूढ़ी ब्राह्मण स्त्रियाँ जो कष्टी हैं करते दीविए। इस कृत्य के बारे में आपस्तम्बीय मन्वपाठ में जो १३ मात्र आते हैं वे सभी ऋग्वेद अथर्ववेद एव तीतिरीय संहिता में पाये जाते हैं।

इस संस्कार में सर्वप्रथम मात्रो के साथ होम होता है। किन्तु इस संस्कार का केवल सामाजिक एव दौरेमिक महत्त्व है क्योंकि यह केवल ममिणी को प्रसन्न रखने के लिए है। बृहस्पृषो में इसके विस्तार में सम्बन्ध में महीन नहीं है। दो-एक मात्र इस प्रकार है—काठक ने तीसरे, मानव ने तीसरे, छठे या आठवें आस्वलायन ने बीजे आपस्तम्ब एव हिरण्यकेशी ने क्रम से चौथे एव छठे तथा पारस्कर याज्ञवल्क्य (१।११) विष्णुधर्मसूत्र (२।७।३) और शक ने छठे आठवें मास को इसके लिए माना है। स्मृतिचमिका में उक्त सप्त मात्र के अनुसार सीमन्तोन्नयन संस्कार भ्रूय के हिस्से-बल्ले से लेकर अन्त होने तक किया जा सकता है। आस्वलायन धायायन एव हिरण्यकेशी बृहस्पृषो के अनुसार अन्न का किसी पुरय मध्य में साथ बुझा होना परम आवश्यक है। हिरण्यकेशी ने कहा है कि संस्कार मोल स्थल में होना चाहिए। आस्वलायन ने गर्भवती स्त्री को बैल के बर्म (घास) पर बीठामा है किन्तु पारस्कर में मुसायम कुर्सी या आसन की व्यवस्था की है। कितनी आहुतियाँ दी जायें इस विषय में भी मतभेद नहीं है। गोमिष खादिर, माण्डाज पारस्कर एव शालायन ने पने आबल और उस पर पृथ या तिल रखने की व्यवस्था की है और ममिणी को उठ देखने को कहा है। ममिणी से पूछा जाता है कि क्या वेस रही हो? वह बहती है कि मैं सत्यान वेस रही हूँ। अविवाहा में सभी बृहस्पृषो में यह कहा है कि स्त्री के वेसा को ऊपर उठाते समय पति बन्धे पत्तो न पुष्पे (गोमिष पारस्कर, शालायन में इव उद्गुम्बर पस मता है) का साही के तीन धारी (रस) वाले बट्टे का तथा तीन कुघो का प्रयोग करता है। इस प्रकार के विस्तार में बहुत-सी विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, कोई किसी बल का नाम बताता है कोई तीन बार तो कोई छ बार वेस उठाने को कहता है कोई माका पहचाने को कहता है तो कोई आभूषण की चर्चा करता है।

मानवगृह्यसूत्र (१।१२।२) में सीमन्तोन्नयन की चर्चा विवाह-संस्कार में भी की है। समु-आस्वलायन (७।८।१५) में आस्वलायनबृहस्पृषो का बंधा सुन्दर उद्योग किया है।

आपस्तम्ब बीजायन माण्डाज एव पारस्कर ने स्पष्ट किया है कि यह बन्धक एक बार प्रथम वर्षायन में समय मनाया जाना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र में अनुमान यह संस्कार स्त्री का है किन्तु अन्य लोगों में इस भ्रम का माना है और इस प्रति वर्तमान में लिए आवश्यक बतलाया है। बालालार में यह संस्कार समाप्तप्राय ही बंधा क्यात्रि मनु में 'मन्वा नाम तत्र नहीं किया है। याज्ञवल्क्य ने नाम में सिमा है।

विष्णुधर्मि

बलिष्ठ ने अनुमान यह कृत्य गर्भाधान के आठवें मास में किया जाना चाहिए। यह उनी मात्र में अत्र मूत्र पक्ष में बरत के साथ धरबक गतिनी या पुत्र्य मध्य में और निधियाँ हैं। दूसरी मासकी या १२वीं तर किया जाता चाहिए। भ्रम की बाधार्थ का दूर करने तथा मलानालालि में रक्षा के लिए यह कृत्य किया जाता है। इसे प्रवेक

बर्माबान में किया जाता था। एक दिन पूर्व मात्सीभाष्ट की व्यवस्था की गयी है। इसके उपरान्त अग्नि-होम माध्य भाग तक किया जाता है। अग्नि में दक्षिण कमल या स्वस्तिक के चिह्न के आकार का एक अन्य स्वस्तिक बनाया जाता है जिस पर बिष्णु को फंके हुए बावक की (बृह के साथ) ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। कुछ लोग बिष्णु को न देकर अग्नि को ही आहुति देते हैं। इसमें मन्त्रों का उच्चारण होता है (ऋग्वेद १।२२।१६-२१ १।१५४-१६ १।६९।१-८ ७।१ ४।११ १।१९।११९ १।१८।१।१)। अग्नि के उत्तर पूर्व में एक बर्माभार स्वक पर दोहर करके उठे स्वेत मिट्टी से ६४ बसों में बाँटकर, फंके हुए बावक की ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। उपर्युक्त मन्त्रों का ही उच्चारण होता है। ९४ आहुतियों के ऊपर एक आहुति बिष्णु के लिए रखी है और "नमो नारायणाय वा उच्चारण किया जाता है। पति तथा पत्नी पुरुष-पुष्पक उड़ी बावक के दो पिण्ड खाते हैं। इसने उपरान्त अग्नि विष्णुहृद् की बलि दी जाती है। ब्राह्मणों को मोजन एवं दक्षिणा दी जाती है। शैलानस (१।१३) में बिष्णुबलि का एक मित्र रूप उपस्थित किया है। सर्वप्रथम अग्नि तथा अन्य देवताओं प्रणिधि-पात्र के उत्तर बुलाये जाने हैं और अन्त में पुत्र्य चार बार 'भोम् मुं वोम् मुं ब म् स्व भोम् मुंमं स्व के साथ बुलाया जाता है। तब अग्नि के पूर्व में सम्कारकर्ता कुशों पर नेत्रब नारायण मावक योचिन्व बिष्णु, मधुसूदन विविधम वामन शीघर, हृषीकेश पद्मनाभ दामोदर के नाम से बिष्णु का आह्वान करता है। इसके उपरान्त बिष्णु को मन्त्रों के साथ स्नान कराया जाता है (मन्त्र ये हैं 'आप — तैत्तिरीय संहिता ४।१।५।११ ऋग्वेद १।१९।१ १ "हिरण्यवर्णा — तैत्तिरीय संहिता ५।६।१ तथा वह अघ्याय जिसका आरम्भ 'पथमान से होता है। बिष्णु की पूजा बारहों नामों द्वारा अत्यन्त पुष्प आदि से की जाती है तब बृह की अतो देवा" (ऋग्वेद १।२२।१६ २१) "विष्णोर्मुकुम्" (ऋग्वेद १।१५४-१-७) "उदस्य प्रियम्" (तैत्तिरीय संहिता २।४।६ ऋग्वेद १।१५४।५) "प्रथविष्णु" (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।४।३ ऋग्वेद १।१५४।२) पतो मात्रया (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३) विष्वक्त्रये विर्वेवा (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३) नामक मन्त्रों के साथ १२ आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके उपरान्त संस्कारकर्ता हृद में पकामे हुए बावक की बलि की जिस पर आभ्य रखा रहता है दोपना करता है और १२ नामों को बृहदांठा हुआ १२ मन्त्रों के साथ (ऋग्वेद १।२२।१६-२१ एवं ऋग्वेद १।१५४।१६) बलि देता है। इसके उपरान्त वह चारों वेदों से मात्र सेकर देवताओं की स्तुति करके शुरुवात है और बारहों नामों से नम शब्द के साथ प्रणाम करता है। अन्त में बावकों का जो भाग छेप रहता है उसे स्त्री का लेती है।

सोप्यन्तीबर्म

इस संस्कार की चर्चा आपस्तम्बबृहसूत्र (१।४।११ १५) हिरण्यवेदिगृहसूत्र (२।२।८, २।३।१) भार दामबृहसूत्र (१।२२) मोषिकगृहसूत्र (२।७।११ १४) साधिरगृहसूत्र (२।२।२९ ३) पारम्परगृहसूत्र (१।१६) कालगृहसूत्र (३।३।१ ३) में हुई है अत यह मति प्राचीन संस्कार है। इस संस्कार का अर्थ है "एक ऐसी नारी के लिए संस्कार जो अपनी बच्चा जननेवासी हो अर्थात् बच्चा जननेवासी नारी के लिए संस्कार या इत्य। ऋग्वेद (५।७।८।७-९) में इसने प्रारम्भिकतम संकेत पाये जाते हैं— "जिन प्रकार बामु शील की सब और से हिला देता है उसी प्रकार बसों महीने में भ्रूज हिले और बाहर चला जाये। जिस प्रकार बामु, वन एवं समुद्र गति में हैं, उसी प्रकार हे भ्रूज तुम दसों मास में हो बाहर चले आओ। पुत्र माँ के अन्त में दस मास सोने न उपरान्त बाहर आओ जीवितारवस्था में चले आओ मुरसित चले आओ माँ की जीविन रहे। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।२।३) में भी इस संस्कार की चर्चा की है आस्तम्बगृहसूत्र में भी संक्षेप दिया है। विष्णु के विषय में बृहसूत्रा

में कुछ अन्तर पाया जाता है। इस सम्कार के विषय में जितने भी गृह्यसूत्रों के नाम ऊपर दिये गये हैं, उन सभी में कुछ-न-कुछ अन्तर पाया जाता है।

जातकर्म

यह इत्य अल्पत प्राचीन है। तैत्तिरीयसंहिता (२।२।५।३४) में हम पढ़ते हैं—'अथ किसी को पुत्र उत्पन्न हो तो उसे १२ विभिन्न पात्रों में पानी हुई रोटी की बकि वैश्वानर को देनी चाहिए । वह पुत्र जिसने लिए यह 'इष्टि' की जाती है पश्चिम गौरवपूर्ण बनवान् से सम्पूर्ण और एक पशुवाका होता है। इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग के क अग्न पर वैश्वानरेष्टि इत्य क्रिया जाता था। वैमिनि (४।१।३८) ने इसकी व्याख्या की है और कहा है कि यह इष्टि पुत्र के लिए है न कि पिता के लिए। अथर्व ने अपने माध्य में कहा है कि जातकर्म के उपरान्त यह इष्टि करनी चाहिए (पुत्र की उत्पत्ति के तुरन्त पश्चात् ही नहीं) अग्न के इस दिनों के उपरान्त पूर्वमासी या अमावस्या दिवस को इसे करना चाहिए। शतपथब्राह्मण में पालकश्रेयस (सद्य जात बच्चे की भाँति से निकला हुआ स्नान-मूषाम जो गर्माशय ध सगा रहता है) के पूर्व के एक इत्य का वर्णन किया है। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।२) में भी इस इत्य की ओर संकेत है यथा 'अथ पुत्र की उत्पत्ति होती है तब उसे सर्वप्रथम विमलीकृत मन्त्रन पढ़ना चाहिए, तब माँ के स्तन का स्पर्श करना चाहिए। इस उपनिषद् के अन्त में (१।५।२४-२८) जातकर्म का एक विस्तारपूर्ण वर्णन है—'पुत्रोत्पत्ति क उपरान्त अग्नि प्रण्वष्टि की जाती है। शतपथ बच्चे को किसी की गोद में रखकर, दही को भी से मिलाकर एक उसे वास्यपात्र में रखकर इन मन्त्रों को पढ़ा जाता है—“मै एव सहस्र सप्तानो नो समृद्धि क साध पाक सर्व सत्तान-गन्-भृद्धि में कोई अवरोध न उपस्थित हो स्वाहा मै आपनो अपने प्राण से उड़ा हूँ स्वाहा जो कुछ मैंने इस कर्म में अधिष्ठ किया हो या नम किया हो उसे अग्नि देवता जिन्हें स्विष्टकृत् कहा जाता है शरण्य एक अच्छा किया हुआ बनाएँ तथा हमारे द्वारा सभी प्रकार सम्पादित समस्त। इससे परचम अपने मुक्त नो बच्चे के दाये बाँध की ओर मुखावर यह 'वाक' शब्द तीन बार उच्चारित करता है। तब दही कृत एक मधु मिलाकर सोने के चम्मच में बच्चे को पिनाता है और इन मात्रा को कहता है—“मै तुम म भू रगता हूँ, भूय रगता हूँ स्व रगता हूँ और तुममें भूमुब स्व सभी को एक साथ रखता हूँ। तब वह तबजात छिमु को “पुं भव हूँ” एसा कहकर नाम देता है। यही उसका पुत्र नाम हो जाता है। तब वह छिमु को उतनी माँ को देता है और उसे अश्वेत के मन्त्र (१।११।४५) के साथ माँ का स्तन देता है। इससे उपरान्त यह बच्चे की माँ को मन्त्रा न माथ सम्बोधित करता है।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बृहदारण्यकोपनिषद् में जातकर्म मन्त्रार के निम्नलिखित भाग हैं। (१) दही गध भुन का मन्त्रा के साथ हीम (२) बच्चे के दाहिने बाँध में 'वाक' शब्द को तीन बार करना (३) मुदात्त चम्मच का पालना से बच्चे को दही मधु एक भुन पढ़ाना (४) बच्चे को एक मुक्त नाम देना (नाम करण) (५) बच्चे को माँ के स्तन पर रगता (६) माता को मन्त्रा द्वारा सम्बोधित करना। शतपथब्राह्मण में एक और बात जोड़ दी है यथा—'गोत्र वास्यपात्रा द्वारा पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर तथा ऊपर की दिशाओं से बच्चे के ऊपर सोम केता। यह कार्य केवल पिता ही कर सकता है।

जातकर्म का विस्तार न विषय में गृह्यसूत्रों में बहुत विभिन्नार्थ पायी जाती हैं। कुछ गृह्यसूत्रों में उपर्युक्त भागों बाना की ओर कुछ में बी-गक कर्म की बर्णन हुई है। विभिन्न शाखाओं के अनुसार वैदिक मन्त्रों में भी और पाया जाता है।

अग्न के उपरान्त ही क मन्त्रार ज्ञाना चाहिए। किन्तु इतना करने के दग में समीप नहीं है। यात्राशास्त्र

गृह्यसूत्र (१।१५।२) के अनुसार यह इत्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (माँ एवं दाई को छोड़कर) स्वर्ग होत क पूर्व किया जाना चाहिए। पारस्करगृह्यसूत्र (१।१९) के अनुसार नाक काटने से पूर्व यह संस्कार ही जाना चाहिए। यही बात पोमिक (२।७।१७) एवं शारि (२।२।३२) में भी पायी जाती है।

मांसकाम्य एवं शास्त्रायतन में जन्म के समय मुक्त मांस देने की कथा है किन्तु अलग से नामकरण संस्कार की कथा नहीं की है। शास्त्रायतनगृह्यसूत्र (१।२४।६) में जन्म के दसवें दिन व्यावहारिक नाम देने की कथा है। अब हम नीचे इस संस्कार के विभिन्न भागों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

(१) होम—जन्म के समय इसका वर्णन बृहदारण्यक में मानव एवं वातगृह्यसूत्र में पाया जाता है। आप्तकाम्यगृह्यसूत्र के परिशिष्ट (१।२६) में आया है कि जन्म तथा अन्य वेदताओं के लिए होम करना चाहिए। होम के उपरान्त ही बच्चे को मधु एवं घृत देना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को आहुति देनी चाहिए। गोमिक एवं शारि में इसे सोप्यन्तीकर्म में अर्पित जन्म के पूर्व करने की कथा है। शौचायनगृह्यसूत्र (२।१।१३) में इसे सम्पूर्ण इत्य के उपरान्त करने की कथा गयी है। मांसकाम्य शास्त्रायतन आदि में इसे छोड़ दिया है। पारस्करगृह्य (१।१९) हिरण्यकशिपुसूत्र माखाजगृह्य (१।२९) ने लिखा है कि औपासन (गृह्य) अग्नि को हुतावर सूचितानि स्थापित करनी चाहिए। सूतिकानि को उत्तपनीय भी कहा गया है। यह अग्नि 'सीरी (बहुत) नवजान मधु के साथ उसकी माँ रखी है) के द्वार पर रखी जाती है। बैज्ञानस (३।१५) ने इस अग्नि को वातकामि एवं उत्तपनीय कहा है। इन बातों के अनुसार जन्म के समय इस अग्नि में स्नेह रस की छरछों तथा चाबक डालन चाहिए और यह इत्य जन्म के उपरान्त दस दिनों तक प्रत्येक प्रातः एवं सन्ध्या में मन्त्रों के साथ किया जाना चाहिए।

(२) मेधाजनन—इसके दो अर्थ हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् में यह शब्द नहीं मिलता। मांसकाम्य एवं शास्त्रायतन (१।२४।९) में विष्णु के बाहिन कान में मन्त्रोच्चारण की मेधाजनन कहा गया है। किन्तु बैज्ञानस हिरण्यकेशी पोमिस में मेधाजनन को बाहिन कान में कुछ कहने के स्नान पर बच्चे को बही भूत आदि बिलाना कहा गया है। क्या बिलामा जाय या क्या न बिलामा जाय इस विषय में भी मतभेद नहीं है। कात्यायन ने मन्त्रों के मन्त्रोच्चारण में मधु एवं घृत का दिया जाना वातकर्म संस्कार का एक प्रमुख अंग माना है।

(३) आयुष्य—कुछ सूत्रों में वातकर्म के मिलविध में आयुष्य नामक इत्य का भी उल्लेख किया है। यह है बच्चे की नाभि पर मन्त्रोच्चारण करना या कम्बी आयुष्य के लिए बाहिन कान या नाभि पर कुछ कहना। मांसकाम्य में बही एक भूत बिलाने समय इसी बात की ओर संकेत किया है। माखाज मानवगृह्य वातक आदि में भी यही बात कही है।

(४) असाजिनर्शन (बच्चे के कन्धे या दोनों कन्धों को छूना)—आपस्तम्ब ने लिखा है कि पिता 'वायस्र' मनुवाक के साथ बच्चे को छूना है। पारस्कर, माखाज आदि में बच्चे को दो बार छूने की कथा है, एक बार वायस्र मनुवाक (वाक १।२।१८-२९ टीति ४।२।२) के साथ तथा दूसरी बार 'पन्धर (बैसा बुद्ध) हो दुम्हाडी (बैसा पर-वातक) हो' के साथ। कुछ सूत्रों में यह क्रिया छोड़ दी गयी है।

(५) मात्रमिमन्त्रण (माता को सम्बोधित करना)—पिता द्वारा माना वैदिक मन्त्रों से सम्बोधित होनी है। बहुत-से सूत्रों में इसकी कथा नहीं हुई है। हिरण्यकशिपुसूत्र में एक दूसरा मन्त्र रखा गया है।

(६) पञ्च-बाह्यजन्म—वातपय में आया है कि पाँच बाह्यज या केवल पिता पिण्डु में ऊपर मौम लेना है। पारस्कर में भी यही बात है (पाँच बाह्यज पूर्व से जन्मा प्रायः जन्म अथवा उत्पन्न एवं समान की बुद्धि एवं)। शास्त्रायतन में केवल पिता को ही तीन बार बच्चे के ऊपर मौम लेने की कथा है। यह तीन कथ्या तीन वेदों की ओर संकेत करती है। बहुत-से सूत्रों में इसका उल्लेख ही नहीं किया है।

(७) स्नान-प्रतिपाद या स्नानप्रदान—यस्य हाथ बन्ना वा स्नानान्तरं गन्धे की क्रिया की जाती है। पूर्य वास्व्यानादिषु पारस्कर आश्वलायनी मत्स्योपासनादि आश्वलायन आश्वलायन आदि में इसकी चर्चा की है। बही एव स्नान कृत्वा और बही दाता कृत्वा मन्त्रोच्चारण की व्यवस्था की गयी है।

(८) वैशाखिजन्म (वैशाखिमास)—जहाँ विष्णु उत्पन्न हुआ है उम स्थान का एसा तथा पुत्रियों का सम्पादन करना होता है। पारस्कर आश्वलायन एव श्रित्यनेमि में यह वर्णित है।

(९) नामकरण (बच्चे का नाम देना)—जन्म के दिन ही बुधवारवास्व्यानादिषु आश्वलायन आश्वलायन आश्वलायन आदि तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों ने नाम रखने की बात बतलाई है। आश्वलायन (१।१५।४ एव १) में दो नामों की बात बही है जिनमें एक को ममी साग जान मारने है विलु दूधर का उपनयन तथा वैश्व माता-पिता ही जान सकते हैं। सर्वसाधारण की जानकारी बाद नाम के लिए विष्णुवार के साथ नियमादि बनाय गये हैं। आश्वलायन में मुक्त नाम के लिए बिलार स विधात बताया है और साधारण नाम के लिए जन्म के उपरान्त बसों दिन ही उपयुक्त माता है। आपस्तम्बसूत्रसूत्र (१।५।२ ३ एव ८) में जन्म के समय नाम के अनुसार मुक्त नाम रखने की तथा दसवें दिन वास्तुविज नाम रखने की व्यवस्था की है। शौमिन एव गार्दिर में शोष्यन्तीर्षमे में नाम रखने की बात है और बहा है कि यह नाम मुक्त है।

(१) भूत-श्रेणी की भवना—आश्वलायन एव आश्वलायन इन विषय में मौन हैं। बट्ट-से सूत्रों में इस विषय में सम्बन्ध बर्णित है और ऐश्वलायन मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था की है। आपस्तम्ब में मरुतो के बीच एक बात की सूची को आश्वलायन में आप जनि म तीन बार बोलने की बहा है। कुछ जस्तुरों के साथ बही बात आश्वलायन पारस्कर आदि में भी है।

इसी विषय में कुछ गीण बातों की चर्चा भी हो जाती चाहिए। शौचवायन आपस्तम्ब श्रित्यनेमि एव वैश्वानर ने स्पष्ट लिखा है कि शिशु को स्नान करा देना चाहिए। श्रित्यनेमिसूत्रसूत्र एव वैश्वानर में परशु (कठला) सोना तथा प्रस्तर रखने की व्यवस्था है जो वास्ति ने प्रतीक है इसी प्रकार पारस्कर आपस्तम्ब श्रित्यनेमि भारत आश्वलायन एव वैश्वानर में बसपूर्व पात्र की बचना और बस के सिर की ओर रखने की बहा गया है। इन सूत्रों में वैश्वानर को बहाकर किसी में भी शोषित-सम्बन्धी बातें नहीं उल्लिखित हैं। वैश्वानर (३।१४) में लिखा है कि जब बच्चे को ताक बिलारि पत्र प्राय प्रह-नदाओं की स्वति की जाँच कर लेनी चाहिए और भविष्यवाणी के अनुसार ही बाने बल्लभ उसका पालन-पोषण करना चाहिए, जिससे कि वह सम्भावित सुम पुत्रों का निराल कर सके। आपस्तम्ब एव शौचवायन के अनुसार यह, बही एक पूर्य क शेषाश को अपवित्र स्थानों में नहीं फेंका चाहिए उन्हें गीसाला में रख देना चाहिए। यह हृदय कमजोर अप्रकल्पित होता चला गया। सम्भवतः नववत्त शिशु के साथ इतना सम्बन्ध-बौद्धा संस्कार सुविधाजनक नहीं जैसा क्योंकि हम आज ये बातें कमजोर श्रेणी में ही लिखती हैं।

स्मृतिचन्द्रिका में हारीत सप्त वैमिनि का उद्धरण देते हुए कहा है कि भास कटने के पूर्व अर्थात् नहीं माला जाता। तब तक संस्कार किया जा सकता है तब सोना परिधान जान आदि का बात दिया जा सकता है। कुछ सूत्रों के अनुसार पिता की बल्लभर्ष करने के पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका में प्रवेष्टा व्यास तथा अन्य लोगों का मत प्रकट करते हुए लिखा है कि आतर्कर्म में मानवीभावात् भी कर लेना चाहिए। बर्मसिन्धु के अनुसार इसमें स्वस्तिवाचन पुष्पाहुवाचन एव मसुवापूजन किया जाना आवश्यक है।

मध्यकाल के निम्नलिखितों ने कुलपस के चौदहवें दिन बसावस्था मूल आश्वलायन एव श्रित्यनेमि तसो तथा अन्य शोषित सम्बन्धी क्रूर समीचीन तथा स्मृतिवाचन वैभूति सम्बन्धि में श्रित्यनेमि एव श्रित्यनेमि प्रमाणों को बुर करने

के लिए धान्ति-हृत्यो का विस्तार क साव बर्नन किया है। इन वागों पर यहाँ प्रकाश नहीं बना जायगा। कुछ वागों पर हम धान्ति एव मुहूर्त के प्रकरणों में पढ़ लेंगे।

आनुगिक काल में पाँचवें या छठे दिन कुछ हृत्य बिये जाते हैं, जिसके विषय में सूत्रों में कोई बर्णन नहीं हुई है। सम्भवतः ये हृत्य पौराणिक हैं, क्योंकि निर्धर्मसिन्धु, सरस्वतमयूक तथा अन्य ग्रन्थों में एतद्विषयक श्लोक मार्कण्डेय पुराण व्यास एव नारद क ही पाये जाते हैं। पाँचवें या छठे दिन (छठी के दिन) पिता या अन्य सम्बन्धी लोग रात्रि के प्रथम पहर में स्नान करते हैं तब गणप तथा अन्य अगमना नामक गौत्र देवताओं का मुट्ठी भर चाबको से आह्वान करत है इसी प्रकार पत्नीश्री एव भयवती (दुर्गा) का भी आह्वान किया जाता है और सोकह उपचारों के साथ उनकी पूजा की जाती है। तब एक या कई ब्राह्मणों को ताम्बूल एव बलिगा दी जाती है और घर तथा कुटुम्ब के लोग रात्रि भर गाना गा-गाकर आगते हैं (भूत-प्रेतों को भयाने के लिए)। मार्कण्डेयपुराण में आया है कि कुछ मनुष्यों को अस्त्र-दस्त्र से सज्जित होकर रात्रि भर रक्षा करनी चाहिए। कालान्तर में बुरे लक्ष्णों के प्रभावों की मर्यादा इतनी बढ़ा दी गयी कि कनिष्य जन्मों में कुछ भिक्षुओं को त्याग देने तथा जाठ बर्ण तक मुक्त न देखने तक की व्यवस्था की गयी। इस विषय में नित्याचार-सङ्घटि (पृ. २४४-२५५) पठनीय है।

उत्पान (बन्धे का छया से उठना) — वैश्वानर (३।१८) के अनुसार १ वें या १२वें दिन पिता के प बलबाला है, स्नान कराता है वृक्ष स्वच्छ कराता है तथा किसी अन्य गोत्रवाले स्पर्शित द्वारा जातकान्ति में पुत्रिणी के लिए पत्र कराता है। इसके उपरान्त मीमांसन (मुद्गालिनि) को मैगाता है धाना को आहुति देता है बरक को पाँच आहुति देता है और ब्राह्मणों को खिलाता है। शाखायनमूह्यमून (१।२५) में इस विषय में बड़ा विस्तार किया है जिसका उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है। इस प्रकार भूकतामि हट जाने पर औपासन (गृह की मणि) की स्थापना होती है और बन्धे की माँ बन्धे के विस्तार से उठने पर अन्य पवित्र कामों के योग्य सज्जनी जाने लगती है।

नामकरण

जैसा कि उपमूक्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है वह सम्भार धिगु के नाम रखने से सम्बन्धित है। इस विषय में विस्तार के साथ निम्न ग्रन्थ पठनीय है—आपस्तम्बमूह्यमून (१।५।८-११) आश्वलायनमूह्यमून (१।१५।-४१) शौचायनमूह्यमून (२।१।२३-३१) भारद्वाजमूह्यमून (१।२१) गोमिस्रमूह्यमून (२।८।८-१८) शिरष्य नेमिमूह्यमून (२।४।६-१५) काठकमूह्यमून (४।१० एव ३६।३-४) कौमिकमून (५।८।१३-१७) मानवमूह्यमून (१।१८।१) शाखायनमूह्यमून (१।२।८।६) वैश्वानर (३।१) एव बाराहमूह्यमून (२)।

नाम रखने की तिथि के विषय में बड़ा मनमैत्र रखा है। प्राचीन साहित्य सूत्रों एव स्मृतियों में अनेक विधियाँ दी बर्णन हैं। कुछ मत निम्न हैं—

(क) गोमिस्र एव आश्विन के अनामभार सोप्यन्तीवर्म में भी नाम रखा जा सकता है।

(ख) बृहदारण्यकोपनिषद् आश्वलायन शाखायन काठक साधि के मत से अथवा के दिन ही नाम रखने की व्यवस्था है। धनपत्रशास्त्र में भी ऐसा ही कहा है पतञ्जलि के महामाध्य में भी ऐसी ही बर्णन है— 'लोक शास्त्रमानादिनीतौ पुत्रस्य नामस्य सकृन्ते-वदादौ नाम कुर्वन्ति दक्षवर्गो यत्रहत् इति। तयोपवशागम्ये-र्न जानन्ती यमस्य मन्त्रिनि।

८ तत्प्राप्तुनस्य जातस्य नाम दूर्वात्प्राप्तमन्त्रैर्नाम्य तत्पहस्यपि द्वितीयवर्षे तुनीयम्। इतपत्र ३।१।३।९।

(ग) आपस्तम्ब बौधायन भारद्वाज एव पारस्कर ने नामकरण के लिए दसवाँ दिन माना है।

(घ) याज्ञवल्क्य (११२) ने अगम के ११वें दिन नामकरण की व्यवस्था की है।

(ङ) बौधायनपृष्टमून (२।१२२) में १ वीं या १२वाँ दिन तथा हिरण्यकशिपुह्यमून में १२वाँ दिन माना गया है। वैश्वानर के अनुसार माना १ वें या १२वें दिन सृष्टिकागुरु छोड़ती है और नामकरण की चर्चा करती है। मनु (२।१) के मत से १ वीं या १२वाँ दिन या कोई शुभ तिथि (सूर्योदय नक्षत्र के साथ) ठीक मानी जाती चाहिए।

(च) गोत्रिस (२।८८) एव गार्हिर के अनुसार दस रातों की रातों या एक वर्ष के उपरान्त नामकरण किसी भी दिन सम्पादित हो सकता है। सनु-आश्वलायन (५।१) ने ११वाँ १२वाँ या १६वाँ दिन मन्व्य कहा है। अपराज के मुद्गपरिधिष्ट के अनुसार हमकी रात्रि सौबी रात्रि या सात भर के उपरान्त ही नाम का बाध ठीक माना है। अश्विनपुराण ने १ वीं या १२वीं या १८वीं या १ मास के उपरान्त ही तिथि की व्यवस्था की है। बाण ने काशम्वरी में लिखा है कि तादापीड ने अपने पुत्र चन्द्रापीड का नाम दसवें दिन रखा (पूर्वभाग अनुच्छेद ६८)।

टीकाकारों को इन विभिन्न मतों से कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। विद्वच्छरण (मनु २।१) ने १ वीं रात्रि के उपरान्त तथा शुक्ल के ११वें दिन (विद्वच्छरण के समान ही) नामकरण की तिथि मानी। वैशाखि ने १ वें एव १२वें दिन के पूर्व नामकरण की तिथि मानी मानी। अपराज के मतानुसार है कि जोद अपने-अपने पृष्टमून के अनुसार तिथि का निश्चय करें। आयुनिश काक में नामकरण अगम के १२वें दिन बिना किसी वैदिक मन्त्रोच्चारण के मना किया जाता है। स्त्रियाँ एतज होती हैं और पुरुषों में परामर्श कर नाम घोषित कर देती हैं और बच्चों का नाम पर डाल देती हैं। कहीं-कहीं भय भी यह सरकार विधिगत किया जाता है किन्तु भय इसका प्रचलन एत प्रकार में उठ गया है।

ऋग्वेद में एव बीघे नाम की चर्चा हुई है (८।८।१९) जो एक यज्ञ-धर्म के उपरान्त रखा जाता है। सायण के मतानुसार चार नाम हैं मासात्रनाम (जिस नक्षत्र में बच्चा उत्पन्न हुआ है उस पर) मूल नाम सर्वज्ञानात्मक को मातृ नाम तथा कोई यज्ञधर्म सम्पन्न करने पर रखा गया नाम यथा मोमयात्री अर्थात् सोमनाथ करने के उत्पन्न नाम। ऋग्वेद के मन्त्र १।५४।८ में पार नामों की ओर संकेत है एव १।७५।२ में तीगर नाम की चर्चा हुई है। ऋग्वेद (१८।७।११ १।५५।१०) में मूल नाम की ओर स्पष्ट निर्देश है। शतपथशास्त्र (१।१।२।२८) में भी पिता द्वारा रण गव सीमने नाम का उल्लेख हुआ है। शतपथशास्त्र (२।१।२।११) में आया है—“अनुवश्यत्वात् नूनं नाम है और पश्यन्ती नक्षत्रा का स्वामी दृश्य है भय में बाल्य में अर्जुन्य है किन्तु बाल्यवत्ता का न पश्यन्तु” बने जाते हैं। मूल या मूल नाम रिस प्रकार रखा जाता या पर वैदिक साहित्य में स्पष्ट नहीं हो पाया।

मौल नामों के उल्लेख वैदिक साहित्य में इस प्रकार हैं यथा ब्रह्मण्यु (अज्ञा नाम) पीपुण्य (पुत्र नाम का पुत्र) गीर्गिण (गिर्गिर्गि का नाम)। ब नाम ऋग्वेद (५।१।३।८) में मित जान है। ऐतरेयशास्त्र (३।३।५) में मूलनाम का अर्थात् (अर्थात् का पुत्र) एव अर्थिण्य (नाम नाम) कहा गया है। राजा हस्तिना की बनी (एतरेयशास्त्र ३।३।५) वैश्व (वैश्व का पुत्र) एव एतरेय (एतरेय का नाम) कहा गया है। शतपथशास्त्र (१।३।१।६।१) में एतरेय वैश्व (एतरेय का पुत्र) गीर्गि (नाम नाम) जनमेजय का पुराणि कहा गया है। एतरेय-गार्गीण्य (३।१।एव ३) में एतरेय अर्थात् (अर्थात् का पुत्र) का मौल्य (नाम नाम) कहा गया है। बर्गाणिन्तु में बर्गाणा कायवत्ता का पुत्र है और मौल्य (मौल नाम) नाम में सम्बोधित है।

ऋग्वेद वैदिक साहित्य में बर्गाण ६।१ नाम में सम्बोधित है। बुध ता अत्र एत नाम के नाम में विज्ञान के एक वैदिक नाम (ऋ ८।६) शिखण्ड्यु अर्थिण्य (ऋ १।१६।५) बर्गाणा अर्थात् (मौल

११६) बर्गाणि नाम (शतपथशास्त्र ३।३।५) अथवा भाग्य (एतरेयशास्त्र ३।३।५) बुध वर्गा

अपने नाम तथा अपने वेद्य के नाम से उल्लिखित हैं यथा कर्णु बंध (ऋ ८।५।१७) मीम बंधमं (ऐत १५।८) कुर्मुत पात्र्यास (एत १९।२३) जनक बंधेह भवतस्यनु कास्य (बृहदारण्यकोपनिषद् २।१।१)। कही-कही माता के नाम से भी नामकरण हो गया है। शीर्षतमा मामतेय (ऋ १।१५।८।९) कुस आर्जुनेय (अर्जुनी का पुत्र ऋ ५।२।१।१ ७।१९।२ ८।१।१।१) क्लीषानु औषिज (उमिक नामक स्त्री का पुत्र ऋ १।१।८।१ बाबसनेयी संहिता ३।२।८) प्रह्लाव कामाथ (क्यायू का पुत्र तैत्ति १।५।१) महिषास ऐतरेय (इतरा का पुत्र छात्रो-म्येभनिषद् ३।१।१।७)। बृहदारण्यकोपनिषद् क अन्त में ८ ऋषियां क नामों में माताओं के नाम का सम्बन्ध है। माता के नाम या माता के पिता के गोत्र के नाम के साथ नाम रखने की परिपानी कासात्तर में भी पसन्ती रही। ऋष्येय एव अन्य वैदिक ग्रन्थों में बहुधा नामों क साथ पिता के नामों का सम्बन्ध पाया जाता है यथा—अम्बरीष ऋष्यास्य सहशेव एव मुदास्य को बापागिर (बापागिर क पुत्र ऋ १।१ १७) रामा मुदास को पैबबन कहा गया है (पित्रबन का पुत्र ऋ ७।१।८।२२) देवापि को आष्टिवेण कहा गया है (ऋष्यिषेय का पुत्र ऋ १।१९।८। ५ ६) इसी प्रकार बेहिए सभ्यु बार्हुंस्तरय (तैत्तिरीयसंहिता २।९।१) मृगु बारदि (ऐतरेय ब्राह्मण १।३।१ एव तैत्तिरीयसंहिता ३।१) मरुत बीष्यन्ति (सप्तपञ्चाङ्गण १।३।५।४।११ ऐतरेय ब्राह्मण ३।९।९) नामानेदिष्ट मानव (ऐतरेय ब्राह्मण २।२।९)।

नामों के नियम में प्रमुख नियमों का निर्धारण गृह्यसूत्रों द्वारा ही हुआ है (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१।५।४ १)। छासायनगृह्यसूत्र में जो नियम हैं वे आश्वलायनगृह्यसूत्र से भिन्न हैं। हम नीचे कठिपम नियमों का उद्घाटन करते हैं—

(१) सभी गृह्यसूत्रों में सर्वप्रथम नियम यह है कि पुरुष का नाम दो या चार अक्षरों का या छम यस्या बाला होता चाहिए। वैदिक साहित्य में ये नाम हैं—बक षित कुस्य मृगु या तसवस्यु, पुस्तुत्स मेभ्यातिभि बह्वचस आदि। किन्तु तीन अक्षरों के नामों का यथा कथय व्यवन मरुत आदि एक पाँच अक्षरों के नामों यथा नामा नेदिष्ट, हिरण्यस्तुप आदि का अभाव नहीं पाया जाता। वैश्वानरगृह्यसूत्र में एक दो तीन चार या चिटी भी सख्या क नामों का समर्पण पाया गया है। छासायन ने ७ अक्षरों एव बीषायन में (२।१।२५) ६ या ८ अक्षरोंवाले नामा का भी समर्पण किया है।

(२) सभी गृह्यसूत्रों में यह नियम पाया जाता है कि नाम का आरम्भ उच्चारण करने वीष्य तथा वीष के अर्धस्वर बाला अवश्य हो। महाभाष्य में याज्ञिकों के प्राचीन उद्धारण से भी यही बल शक्यती है।

(३) कुछ सूत्रों में ऐसा आया है कि नाम क अन्त में बिसर्ग हो किन्तु उसक पूर्व लम्बा स्वर अवश्य होता चाहिए (भाप साख्वाक हिरण्य पास्कर आदि)। आश्वलायन ने बिसर्ग का अन्त में होता स्वीकार किया है। वैश्वानस एव योजिक ने बिसर्ग या लम्बे स्वर क साथ अन्त होता स्वीकार किया है। सम्भवतः ये नियम सुशास शीर्षतमा पुपुधवा आदि ऋष्येयीय नामों के साधारण पर बने हैं।

(४) आपस्तम्ब ने लिखा है कि नाम के दो भाग होने चाहिए, जिनमें पहला धन्ना हो और दूसरा भिन्नात्मक ही यथा बह्वचन देवचन यजवत आदि।

९. नाम चतस्री बधु बीषयवचत्तरत्तसम्बन्धिनियन्त्यानात् इत्यक्षरम्। अगुत्तर वा। इत्यक्षर प्रतिष्ठानात् इत्यक्षरत्तस्य नाम। पुष्पानि ल्थेच पुंसाम्। अयुजानि स्त्रीयाम्। अभिवाचनीयं च सतीक्षेत तस्यत्प्राप्तिरौ विद्यास्तानोपनयनम्। आस्य गृ १।१।५।४-१।

(५) कुछ गृह्यसूत्रों ने यथा पारस्कर, गोमिष्ठ, शास्त्रायन, बौधायन, ब्राह्मण आदि ने किया है कि नाम 'हु' से बनना चाहिए, न कि उद्धृत से।

(६) आपस्तम्ब एवं हिरण्यकेशि का कहना है कि नाम में 'सु' उपसर्ग होना चाहिए, यथा—सुवज सुवर्धन सुवृषा।

(७) बौधायन के अनुसार नाम किसी ऋषि देवता या पूर्वपुरुष से निःसृत होना चाहिए। मानवगृह्यसूत्र में देवता का नाम ब्रजित माना है किन्तु देवता के नाम से निमित्त बाधित नारद आदि नामों को स्वीकार किया है। विष्णु विष्व मावि नाम भी प्रचलित रहे हैं। मिताक्षरा (यात्र १।१२) में शक का उद्धरण है जिससे पता चलता है कि नाम का सम्बन्ध कुछ देवता से होना चाहिए। माधुनिक काल में बहुधा सोमो के नाम देवताओं दूरवीरो या देवताओं के ब्रह्मचारी से सम्बन्धित पाये जाते हैं। किन्तु वैदिककाल में मनुष्यों के नाम देवताओं के नामों से सम्बन्धित नहीं पाये जाते। सो-एक अपवाद भी है यथा भुवु म (तैत्तिरीयोपनिषद् ३।१) अपने पिता ब्रह्म से विद्याभ्यस्य किया या सीपयिजि मार्य का नाम ह्युम से सम्बन्धित है। देवताओं से निःसृत नाम ब्रह्मत्व पाये जाते हैं यथा इन्द्रो (इन्द्र + उवा रक्षित) इन्द्रधनुम आदि। महामाय्य में उल्लिखित नाम यथा देववत यज्जदत दामुवत विष्णुमिद, बृहस्पतिवतक (बृहस्पतिक) प्रजापतिवतक (प्रजापतिक) मानुवतक (मानुक) मानवगृह्यसूत्र के नियम का प्रतिपादन करते हैं।

(८) बौधायन पारस्कर, गोमिष्ठ एवं महामाय्य द्वारा उद्धृत नामों के नियम के अनुसार बच्चे का नाम पिता के किसी पूर्वज का ही होना चाहिए। किन्तु पिता का नाम पुत्र का नाम नहीं होना चाहिए (मानव-गृह्यसूत्र १।१८)।

(९) पारस्कर एवं मानव को छोड़कर सभी गृह्यसूत्र यह स्वीकार करते हैं कि गृह्य नाम सोमसौमिक में (माभिष एवं दाधिर क मत से) जग्म क समय (आस्वकल्पन एवं काठक क मत से) तथा नामकरण के समय १ वें या १२वें दिन (आपस्तम्ब बौधायन एवं भास्करान के मत से) रखा जाना चाहिए। हिरण्यकेशि एवं वैजानस ने मतानुसार गृह्य (गुण) नाम जग्म के समय के मसक से सम्बन्धित होना चाहिए। आस्वकल्पनगृह्यसूत्र क अनुसार गुण नाम अग्निवादीय (जो उपनयन तक ब्रह्म मसक-पिता को ज्ञात रहता है जिसे मसकपूर्वक प्रणाम करते समय बच्चा स्वयं प्रणाम न करना है) कहा जाता है किन्तु ऐसा क्यों इस पर प्रणाम मारी गिरता। गोमिष्ठ आदि ब्राह्मण एवं मानव ने अग्निवादीय नाम की चर्चा की है। गोमिष्ठ के मत से मसक नाम उरकलन क समय आचार्य द्वारा दिया जाना चाहिए और जग्म के समय के मसक या उस मसक क देवता से सम्बन्धित होना चाहिए। कुछ लोगों क मत से जैसा कि गोमिष्ठ ने किया है अग्निवादीय नाम बच्चे के जोन से सम्बन्धित होना चाहिए यथा गार्य माधिरस्य गौतम आदि। वैदिक यज्ञों में नामक नाम की महत्ता थी।

१ मसकदेवता होता एतान्मिर्त्यमर्षिः। यजमानस्य मसकवैर्षा मसकवर्त्तु स्मृतम्॥ वैशाखज्योतिष

(ऋ) श्लोक २८। वैदिक साहित्य एवं वैशाखज्योतिष में मसकवैर्षी मथना कृतिका से अपज्वरणी तक होती है, न कि अग्निवनी से देवती तक, जैसा कि आप्तमिन एवं माधुनिक काल में पाया जाता है। मसक और मसकदेवता ये हैं—(अथर्व-वेद १९।७।२५, तैत्तिरीय संहिता ४।४।१ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१ तथा ३।१।१ में प्राचीनतम तात्पर्य निम्नती है) कृतिका—अग्नि रोहिणौ—प्रजापति मृगशिर्य या मृगशिर (इन्द्रक, तैत्तिरीय संहिता में)—मोक्ष आर्ष (तै त में बाहु)—यद् पुनर्वसु—अर्धति त्रिप्य (पुण्य अथर्ववेद में)—वृहस्पति आयया (तै स में आग्नेया)—तर्ष

वैदिक मातृत्व्य म मीरदा नाम मिसन है किन्तु उक्तम वर्ण मी मीर इय म मलत्रा म सम्बन्धित मही देवता ।
 धनपत्राशयण (६।२।१।३७) म आपादि मौष्मात्म्य (अपाद एव मुष्मात्मता वा पुत्र) नाम अया है । यहाँ सम्भवत
 अपाद मध्य अपादा म सम्बन्धित है । अगता है धाराप-नाम म माधतनाम गुह्यनाम थ । वाक्पान्तर म माधतनाम
 गुह्य म रक्ष मक्ष श्रीर इयकहा म आन मय । 'मा की कर्' मनाश्रिया पत्रु म माधतनाम प्रचलित हा कुत थ । पाणिनि
 (ओ० पू० क पदवात् मही आ मरत) ने 'म विषय म कर्' नियम बताया है (४। १२४ ७ एव ७।३।१८) ।
 उक्तल यद्विष्टर वाम्पुनी अनुगता स्वाति निष्य पुमर्षमु, ह्यन् अयादा एव बहुला (इतिरा) म अम
 मामा की चर्चा की है यथा धाविष्टर पाप्मुन जाति । यद्वामन् क जुतागड अभिरुप (१५ ई) म पल्पगुण
 मीर्य क माद वा नाम पुष्यगुण है । एतत् है म पु० श्रीरौ मताश्री म मलत्राधय नाम रम जात थ । महाभाष्य
 म मी निष्य पुनरमु चित्ता रक्षती राशिर्वा नामक नाम है । महाभाष्य म धुप-अय के सम्भाषण
 पुष्यमित्र वा मी नाम क्रिया यथा है । बौद्ध नाम भी माधतनाम रगत थ यथा मामाकि-
 पत्त निष्म (मही गात्रनाम एव माधतनाम दाता प्रयुक्त हुए है) पश्चात्तत्र पाट्टपरा (प्राट्टपरा) जया पमुन
 स्वानिगुत्त पुमर्षवित (मौषी अभिरुप) । अग चलय मी माधतनाम पाय जात है । कभी-कभी मध्यवदता म
 सम्बन्धित नाम मी रम जात थे यथा जाम्य (इतिवा मलत्र म जय क वाग्म इतिरा क इना है अन्वि)
 मीत्र (अनुगता मलत्र म उगत होत क वाग्म) । अत्रकड मीर इय म इवताया एव उवताया क नाम रम जात
 है यथा राम नृमिन्नेव विरमयत्र पार्वी मीता आदि ।

मध्यवाम के मयमात्र-अथा एव उगति-अथवा म मलत्रा म सम्बन्धित कुले प्रकार क नाम भी जात है ।
 २७ मलत्रा म म प्रथम चार पादा म विभाजित कर दिया जाता है और प्रथम पाद क क्रिया एक विधिगत उत्तर क
 दिया गया है (यथा पू० के वा एव आ अन्विनी क क्रिया है) । 'म पादा म जय मिन पर नाम मही उत्तरा म भाग्य
 होते है यथा—बृहामि चरीण वायदा तथा मरमण । य नाम गुह्य नाम है और जात्र भी उपनयन त समय ब्रह्मपार
 क जात मे था मन्म्या-पुत्रा म उष्मरित हात है ।

आनुजित वाक क मन्त्राप्रवाम एम इत्या म चार प्रकार के नाम बलिात है यथा—इवतानाम मामनाम
 माधत्र नाम एव इयकहासिक नाम । पत्रु नाम म एतत् है कि यत्र नामासी उम देवता वा मरत है । निष्यमिन्त्र
 म माय-मात्र-गी १० नामा के निष एव उत्तरा वा उद्वरण दिया है त्रिमम अम क महील वा प्रमुयता की गयी है ।
 महीला वा भाग्यम मागर्गाय वा पैत्र म हाता है । बगर्गमिन्त्र की बृहमिन्त्रा म विष्णु क वाग्म नाम वाग्म

यथा—पितर, अम्पुनी (पुर्वा)—अयमा, अम्पुनी (उत्तरा)—अय ह्यन्-गविता, चित्रा-रवष्टा, निष्यदा (स्वानि
 अक्षरदेह मे)—वायु विद्याने-इन्द्राश्री, अनुगता (अनुगता)—निष इवेष्टा (शेहिर्वा म म मे)—इन्द्र मूल
 (विष्णुनी म म मे)—पितर (निष्कृति, वाक्पान्ते शास्त्रापर गुह्यगुह्य मे एव प्रजापति) अयादा (पुर्वा)—आग
 अयादा (उत्तरा)—विश्वेदेव शीला (अक्षरदेह मे यक्षन्) —विष्णु यद्विष्टा (वनिष्ठा)—अनु धाममिन्त्र—वत्त
 (म म मे इन्द्र) प्रोत्परा (पुर्वा भाग्यपरा)—मरुत्परा, प्राट्टपरा (उत्तरा भाग्यपरा)—अहिर्बल्य, देवती—पुगा,
 मरुत्पुत्र (अविनी)—अविनी अयवत्तो (अरवी अक्षरदेह मे)—अय ।

११ स्वानिपदे—इत्याजनाऽप्यनरकवी ईदुलोऽत्र जनाईन । जेग्रेओ धरगुगो वागुदेवमत्वा इति ॥
 योगीन्द्र बृहदरीचारी वाकनामात्मनश्चमन् ॥ अत्र मार्गनीवीरि-चैत्रादिर्वा चम इति मरुतगदे । निष्यमिन्त्र परिच्छेद
 ३ पुर्वाथ ।

महीनो से सम्बन्धित हैं यथा ब्रह्मण मारायण मायव गोविन्द विष्णु, मयुसुदन त्रिविक्रम वामन श्रीपर, हृषीकेश, पद्मनाभ दामोदर।

सम्बन्धियों के नाम के विषय में भी विविध नियम बने हैं। बृहत्-ने गृह्यसूत्रा में ऐसा आया है कि कश्चिन्ना के नाम में सम मात्रा के अक्षर होने चाहिए, किन्तु मानवगृह्यसूत्र (१।१८) में स्पष्ट सिद्धा है कि उनके नामों में तीन अक्षर होने चाहिए। पारस्कर एक ब्राह्मण ने किया है कि सम्बन्धियों के नाम के अन्त में 'वा' की मात्रा होनी चाहिए। गोमिह एक मानव के मत से अन्त 'वा' में होना चाहिए (सत्यवा बभूवा यशोवा नर्मवा)। ध्व-स्मिदिष्ट एक वैजवाय के अनुसार अन्त 'ई' में होना चाहिए। किन्तु रौपयण में सिद्धा है कि अन्त अन्ते स्वर के साथ होना चाहिए। मनु (२।३३) के मत से अन्त अन्ते स्वर (पु) में होना चाहिए। इसी प्रकार कई विभिन्न मत मिलते हैं। आचक्षुष सम्बन्धियों के नाम लणियों पर लिखते हैं यथा—सिन्धु, प्राङ्गुवी यमुना ताप्ती नर्मवा पाप्ता इत्यादि आदि आदि।

मनु में गृह्यसूत्रा के अठिक नियमों का परिचय कर दिया है। उन्होंने नामकरण के दो सरल नियम दिये हैं (१) सभी वर्णों के नाम ध्रुमसूत्रक सन्निधोपपन्न शान्तिशायक होने चाहिए (२।३१ ३२) (२) ब्राह्मणों एक अन्य वर्णों के नाम के साथ एक उपपन्न होना चाहिए, जिससे धर्म (प्रसन्नता) रक्षा पुष्टि एवं प्रिय का संकेत मिले। पारस्कर को छोड़कर किसी अन्य गृह्यसूत्र में ब्राह्मणों या अन्य लोगों के नामों के आगे धर्म आदि का जोड़ा बना नहीं किया गया है। महाभाष्य में इन्द्रवर्मा इन्द्रपालित आदि नाम मिलते हैं, जिनमें प्रथम राजस्य अर्थात् धर्म का तथा दूसरा वैश्य का है। यम के अनुसार ब्राह्मणों की नामोपधि धर्मा या वैश्व धर्मिय की धर्मा या वाट वैश्य की मूति या बत तथा वृद्ध की वास है। किन्तु इस नियम का पालन सबों पास नहीं गया। तात्त्विक अग्निमेष में ब्रह्मन्-अथ वा सत्यापक ब्राह्मण का और उचवा नाम का मयूरधर्मा किन्तु उसके पश्चात् ने धर्मियों की प्रति धर्मा नामोपधि धारण की थी।

यहाँ पर मातृ बोधनाम के सम्बन्ध में भी कुछ लिखना आवश्यक है। वैदिक साहित्य का हवाला पड़े ही दिया जा चुका है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।५।१) का कहना है कि नर या कन्या के पुत्राभ में पिता एवं माता के वध की परीक्षा कर लेनी चाहिए। आश्वलायनश्रौतसूत्र में आया है कि ब्रह्मण्य में जन्मसमकाल के समय ब्राह्मण के माता तथा पिता दोनों उस पीढ़ियों तक विद्या पवित्रता आदि गुणों में पूर्ण होने चाहिए। धात्रवल्क्य (१।५) ने लिखा है कि कन्या के पुत्राभ में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसका वध ध्यायित हो और उस पीढ़ियों तक विद्या एवं धर्म के लिए प्रसिद्ध हो। अतः माता या माता के पिता के नाम से सम्बन्धित नाम का अर्थ यह है कि वह अन्ते वध का सूचक है। तात्त्विक अग्निमेष (न २) में सिरि (धी) पुत्रुगामी को वासिष्ठिजुत कहा गया है। इसी प्रकार आभीर राजा ईश्वरसेन माडरीपुत्र कहा गया है। एक सिधिल अग्निमेष में "नर्मवी के पुत्र" की और संकेत किया गया है। इन नामों से तात्पर्य है माता के प्रसिद्ध कुछ की ओर संकेत करना। तात्त्विक के अन्त में अपने मातृगोत्र का भी नाम लेते हैं, यथा भवमूति (७ ०-७५ ई) ने अपने को वामप्य एक

१२ महात्मनामा नवीनामा बुजनामाप्य महिष्ठाः। अथ नृ ३।१३; अर्ध ब्राह्मणस्य धर्म धर्मियस्य कुटुम्बे वैश्यस्य। पारस्कर १ १७। औषधायनगृह्यसूत्र (१।१११) में आया है—“अथाप्युवाचुरन्ति—समन्त ब्राह्मणस्य धर्मात् धर्मियस्य पुत्रात्त वैश्यस्य, कृत्यधर्मात्तं धूरस्य वासात्तमेव वा। यम—सर्वी वैश्यस्य धर्मियस्य धर्मात्त वा धूमन्। धूमिर्दत्तस्य वैश्यस्य दत्त धूरस्य धारयेत् ॥

अपनी माता को जानुवर्षी कहा है। महाभाष्य की कारिका में हम पाते हैं कि वैयाकरण पाणिनि दासी ने पुत्र थे।

आश्वलायनगृह्यसूत्र ने नामकरण का वर्णन नहीं किया है। बहुत-से गृह्यसूत्रों में ऐसा लिखा है कि मृगिवाग्नि को हटाकर औपासन (गृह्य) अग्नि में नामकरण के लिए होम करना चाहिए। भारद्वाज ने क्या अम्पादान एव राजसूय मन्वा के ब्रह्मणे तथा पुत्र की मांठ जाहुनियां मन्वा के साथ दिये जाने की बात बतलाई है। यही बात हिरण्यकशिपुगृह्यसूत्र में भी है (२।६।१४)। इस गृह्यसूत्र में दो नामों की वर्षा की है अर्थात् एक गृह्यनाम तथा दूसरा साधारण नाम। इसमें १२ आहुतियों की वर्षा की है जिनमें ४ मानुषनामा का ४ अनुमति का २ दासा का एव २ सिनीवासी को भी जाती है। कुछ मतों से एक ठेरही आहुति है ब्रह्म को।

वाल्मीकि के बर्नमान्वादायों ने बहुत विस्तार से साथ यह संस्कार-क्रिया करने की लिखा है। मोद में ब्रह्म का स्वर माता पति के बाहिले बँधी है। कुछ लोगों के मत से माता ही गृह्य नाम देती है और पति की मूर्ती को बसि के बरतन में छिन्नकर साने की सेसरी से "भीमवेदाय नमः" लिखती है और तब ब्रह्म के चार नाम लिखती है यथा ब्रह्मदेवतानाम (जैस योमस्वरीमक) मासनाम ध्यावहारिक नाम तथा मासक नाम।

कुछ सूत्रों में नामकरण के उपरान्त कुछ अन्य विस्तार भी पाये जाते हैं। माता से लीटने पर पिता पुत्र के गिर को हाथ से छुकर कहता है— 'अपायवात्' और उसे तीन बार मूँबना है। पुत्री के लिए यह नहीं होता यथा माया मूँबना या मन्वाञ्जारात् ब्रह्मस गद्य में ही कुछ कहना होता है। इनमें स्पष्ट है कि पुत्री की अयोधा पुत्र को अर्पित महत्त्व दिया जाता था यद्यपि पुत्री का विस्तारु निरावृत्त नहीं समझा गया है।

कर्णवेद्य

आधुनिक काल में जन्म के बादहमें दिन यह किया जाता है। औपायनगृह्यसूत्र (१।१२) में कर्णवेद्य ७वें या ८वें मास में करने को कहा गया है किन्तु बृहस्पति के अनुसार यह जन्म के १ व १२वें या १९वें दिन या ७वें या १ वें मास में करना चाहिए। स्मृतिचरित्रिका में बहुत ही संशय में लिखा गया है। ब्रह्मचर के उपरान्त ब्राह्मणों को जोडन कराया जाता है। आधुनिक काल में यह कार्य संसार करना है। ब्रह्म के कान के सटवन हुए मास में पनसतार में छर कर उस गोसाकार बाँध दिया जाता है। लड़की के कर्णवेद्य में पहले बायाँ कान देया जाता है। निरक (२।४) से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी यह संस्कार किया जाता था। कहाँ आया है— जो (पुत्र) कान को लय से माप छरता है बिना पीडा दिये जो अमृत डालता है वर करने माना एव पिता के समान है।

नित्यमण

यह एक छान्द कृत्य है। पाण्डित्यगृह्यसूत्र (१।१७) में बहुत ही संक्षेप में इसका बान आया है। गात्रिन (२।८।१७) गात्रिन (२।३।१५) औपायन (१।१२) मानव (१।१९।१९) वाजप (१।७।१८) में बान

११ में अनुभवर्वाचिनेन कर्णवित्तु-एवमप्युत्तमप्रयत्नः। त कथ्येन विनर मानर च तन्मै न इन्द्रावन्तरव मरु ॥ नित्यन (१।४)। यह इतोक्त बलिष्ठ (१।१) एव विष्णुयमंभूत (३।४७) में भी आया है। वैश्वि-पान्तिपर्व (१।८।१२-२३) एव अनु (२।१४४)।

मिस्ता है। बहुतां के मत से यह जन्म के चौथे मास में किया जाता है। अपर्युक्त के कथनानुसार एक पुत्र के जन्म से यह जन्म के १२वें दिन या चौथे मास में किया जाता है। इसमें पिता सूर्य की पूजा करता है। पारस्करब्राह्मण के अनुसार पिता पुत्र को सूर्य की ओर बिछाता है और मन्त्रोच्चारण करता है। बौधायन में बाठ बह्वृत्तियो बाल्य होम भी वर्णित है। घोमिक में चन्द्रशर्वाण की भी बात उठायी है। यम में लिखा है कि सूर्य एवं चन्द्र का वर्णन यम से तीसरे एवं चौथे मास में होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने भी अपने मत प्रकाशित किये हैं, किन्तु उत्सव यहाँ स्वानामास के कारण नहीं हो रहा है।

जन्मप्राधान

इस विषय में देखिए आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।११।१९) शास्त्रायनगृह्यसूत्र (१२७) आपस्तम्बगृह्यसूत्र (११।१२) पारस्करगृह्यसूत्र (१।१९) द्विष्यकेमिगृह्यसूत्र (२।५।१३) काठिनगृह्यसूत्र (३९।१।२) भाष्यान्-गृह्यसूत्र (१२७) मानवगृह्यसूत्र (१२।१६) तथा वैशानस (२३२)। गोमिक एवं चादिर में इस उत्सव को छोड़ दिया है। बहुतांसी स्मृतियों में इससे लिए छटा महीना उपयुक्त माना है। मानव में पाँचवाँ या छठे छटा में १२वाँ या छठा मास उपयुक्त समझा है। काठिन में छठा मास या जब प्रथम रात निकले तब इससे लिए छठे समय माना है। शास्त्रायन एवं पारस्कर में विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। शास्त्रायन में लिखा है कि पिता को बकरे, तीतर या मछली का मास या मात बनाकर वहाँ बृत तथा मधु में मिलाकर महाभ्याहृतियों (दूध, तब) के साथ बच्चे को खिलाता चाहिए। उपर्युक्त चारों ब्यजन क्रम से पुष्टता पून प्रकाश तीक्ष्णता या वन-पात्र के प्रतीक माने जाते हैं। इसके उपरान्त पिता जन्म में आहुतियाँ बालता है और ऋग्वेद के चार मन्त्र (५।१।४-५) पढ़ता है। अश्वेय भोजन को माला का सेटी है। आश्वलायन में भी ये ही बातें हैं, केवल मछली का वर्णन नहीं है। इसी प्रकार अन्य गृह्यसूत्रों में भी कुछ मतभेद के साथ विस्तार पाया जाता है। कुछ जेसकों में बच्चे को त्रिमासे के साथ होम आहुत-भोजन एवं आशीर्वाचन की भी चर्चाएँ की हैं। सत्कारप्रकाश एवं सत्काररत्न-माला में इस सत्कार का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। एक मनोरत्न बाठ की चर्चा अपर्युक्त में मार्ग्येय-पुत्रास के उद्धरण में की है। उत्सव के दिन पूजित देवताओं के समक्ष सभी प्रकार की कमानों एवं पित्रों से सम्बन्धित यन्त्रादि रख दिये जाते हैं और बच्चे को स्वतन्त्र रूप से उन पर छोड़ दिया जाता है। बच्चा जिस वस्तु को सर्वप्रथम पकड़ लेता है उस वही मित्र या वैश्व में पारपत होने के लिए पहले से ही समझ लिया जाता है।

वर्षवर्षन या अर्घ्यपूर्ति

कुछ मुत्रा में प्रत्येक मास में पित्रों के अर्घ्यपरिषद पर कुछ द्रव्य करने की कहा गया है। ऐसा वर्ष भर ता तथा उत्सव उपरान्त दीपन भर वर्ष में एक बार अर्घ्यपरिषद मनाने की कहा गया है। बौधायनगृह्यसूत्र (१।७) में लिखा है—आनुष्यवा के त्रिण (बीचन भर) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक छठे मास प्रत्येक चौब मास प्रत्येक ऋतु या प्रत्येक मास

१४ कुमारस्य ज्ञानि ज्ञानि संवत्सरे साध्वन्तरिषु वा पर्यन्तु अवीर्यो टावापुत्रिष्वी विचत्तवेदास यजेत्।
दीपनविष्वका निधि वसत्रं वा यजेत्। गोमिकगृह्यसूत्र २।८।१९-२ । आषाढ़, कार्तिक एवं चरमगुल की अनागतपार्यों को सांस्कृतिकवर्ष कहा जाता है। देखिए शास्त्रायनगृह्यसूत्र (१।१५।१०-११)।

अग्नि के नक्षत्रविन म मात की आहुति देनी चाहिए।^{१५} काठकगृह्यसूत्र (३६।१२ पृ १४) में नामकरण के उपरान्त बर्ष भर प्रति मास होम करने की व्यवस्था की है। यह होम वैसा ही किया जाता है वैसा कि नामकरण या अक्षतर्ष के समय किया जाता है। बर्ष के अन्त में बकरे तथा भेड़ का मांस अग्नि एवं अन्नमन्त्रि को दिया जाता है तथा ब्राह्मणों को बृत्त मिसाकर भोजन दिया जाता है। वैश्वानस (३।२०-२१) में विस्तार से सात बर्षबर्षम का बर्षन किया है। उन्होंने इसे प्रति बर्ष करने को कहा है और लिखा है कि अग्नि-मन्त्र के देवता ही प्रमुख देवता माने जाते हैं और उनके उपरान्त अन्य नक्षत्रों की पूजा भी जाती है। आहुति (मु. स्वाहा) के साथ आहुति की जाती है और एक माता भी पूजा होती है। इस गृह्यसूत्र में उपनयन तक के सभी उत्सवों के इत्यादि का बर्षन किया है और उपरान्त वैदाभ्ययम भी समाप्त पट, विवाह के उपरान्त विवाह-विन पर तथा अग्निष्टोम षष्ठ इत्यादि के स्मृतिदिन में जो कुछ किया जाना चाहिए, सब की पूर्णा की है। जब व्यक्ति ८ बर्ष एवं ८ मास का हो जाता है तो वह 'ब्रह्मसरीर' रहता है क्योंकि तब तब वह १ पूर्ण चक्र वेद्युक्त रहता है। इसके लिए बहुत-से कुरूपों का बर्षन है जिन्हें इस स्थानामात्र के कारण उन्मिषित करने में असमर्थ है। विवाहबर्ष-दिन के लिए वैश्वानस न लिखा है कि ऐसे समय स्त्रियाँ परपरागत जो शिल्पाचार कहे कही करनी चाहिए।^{१६} अपराकं ने मार्षण्डेय की उद्धृत कर लिखा है कि प्रति बर्ष अग्नि के दिन महोत्सव करना चाहिए, जिसमें अपने गुरुजना अग्नि देवों प्रजापति पितरों अपने अग्नि-मन्त्र एवं ब्राह्मणों का संस्कार करना चाहिए। इत्यरत्नाकर एक नित्याचारपद्धति में भी अपराकं की बात कही है और इतना और जोड़ दिया है कि उस दिन मार्षण्डेय (अमर देवता) एक अन्य मात शिरजीविया की पूजा करनी चाहिए।^{१७} नित्याचार पद्धति में राजा के लिए अग्निदेव-विषय मनाने को लिखा है। निर्घयसिन्धु तथा सत्कारप्रकाश में इस उत्सव को अष्ट पूर्ति कहा है। सत्कारप्रकाश में इसे 'आपूर्वर्षयित' कहा है। आनुविध वाक में कही-कही स्त्रियाँ अपन बच्चा का अग्नि-विषय मनाती है और घर के प्रमुख दाम्ने या मकदान मयनवासी मवानी स बच्चे को सटा देती है।

चौस पूजाक्रम या पूजाकरण

सभी ब्रह्मसंस्कारों में इस संस्कार का वर्णन किया है। 'पूजा का तात्पर्य है वासु-गुच्छ या मुष्णित तिर पर रखा जाता है इस 'मिना' की कहते हैं। अथ पूजाक्रमं या पूजाकरणं बहु इत्य है जिसमें अग्नि के उपरान्त पहली बार तिर पर एक वासु-गुच्छ (मिना) रखा जाता है। पूजा' से ही शौक बना है क्योंकि उच्चारण में 'ड' का 'स' हो जाना सहज है।

बहुत-से ब्रह्मसंस्कारों में यह संस्कार के उपरान्त तीसरे बर्ष शौक कर देना चाहिए। शौचायन (२।४)

१५ आहुतागुह्यतिरभ्युप्यवच। सवत्तरे पदमु पदमु भातेयु चतुर्षु चतुर्वु अताकृती मासि भासि वा कुमारस्य अन्नमन्त्रो ज्येष्ठ। शौचायनपुष्टसूत्र ३।७।१२।

१६ बर्षं विवाहो भवति यातिके वायिने वाङ्गि तस्मिन् यतित्रय आहु-परपर्यायं शिल्पाचारं तत्तत्क-करोति। वैश्वानस ३।२१। आपस्तम्बबर्षसूत्र (२।१।१।७) में भी विवाह-विन के इत्यादि का बर्षन किया है यथा—पञ्चमयोः प्रिय स्यात्तैतस्मिन्नग्निं भुञ्जीयाताम्।

१७ नित्याचारपद्धति में आया है—'अदत्तायाः अतिध्यामी हुनूराच विनीयत्। इत् परपुराणच सतीति शिरजीविनः॥ सतीताम् वा स्वदेप्रिय मार्षण्डेयमवाप्येत्। कोवेष्टयात् सत् सवर्ष्यापिबर्षात्॥' तिषय-सिन्धु में इत्यचिन्तामणि से मार्षण्डेय के शिष्य ने बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं।

पारस्कर (२।१) मनु (२।३५) वैश्वानस (३।२३) ने लिखा है कि इस पहले या तीसरे वर्ष कर देना चाहिए। आश्वलायन एव वाराह ने अनुसार इस तीसरे वर्ष या ऋतुम्ब की परम्परा के अनुसार जब हाँ कर डालना चाहिए। पारस्कर ने भी ऋतु-परम्परा की बात उल्लेख की है। याज्ञवल्क्य ने भी किसी निश्चित समय की बात न कहकर ऋतु-परम्परा को ही मान्यता दी है। यम (अपराक द्वारा उद्धृत) ने दूसरे या तीसरे वर्ष की व्यवस्था की है किन्तु अस्मिन्-लिखित न तीसरा या चौथा वर्ष ठीक माना है। सस्वात्प्रभास में उद्धृत पद्मगुरुद्विष्य एव नारायण (आश्वलायन-मुद्गसूत्र १।१७।१ के टीकाकार) ने इसे उपनयन के समय करने को कहा है। तीन वर्ष वाले मत के लिए निम्न वर्ष-शास्त्रकार उल्लेख्य हैं— आश्वलायन (१।१७।१ १८) आपस्तम्ब (१।१।३ ११) मौनिक (२।१।१ २९) हिरण्यकेशि (२।१।१ १५) वाङ्म (४) साबिर (२।३।१९ ३३) पारस्कर (१।२) शास्त्रायन (१।२८) बीशायन (२।४) मानव (१।२१) एव वैश्वानस (३।२३)।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह संस्कार वैदिक काल में होता था कि नहीं। भारद्वाजमुद्गसूत्र (१।२८) एव मनु (२।३५) ने एक वैदिक मन्त्र (ऋ ४।७।१७ वा तैत्तिरीय संहिता ४।१।७।५) उद्धृत करते कहा है कि इसमें श्रीकर्म की ओर स्पष्ट संकेत है।^{१८}

इस कृत्य में प्रमुख कार्य है बच्चे के सिर के केश काटना। इसके साथ हीम ब्राह्मण-शौचन वाशीर्षन ग्रहण यज्ञिनायन आदि कृत्य किये जाते हैं। कटे केश गुप्त रूप से इस प्रकार हटा दिये जाते हैं कि कोई जन्मे पा नहीं सकता।

इस संस्कार के लिए घृण मुहूर्त निकाला जाता है। इसका व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन आश्वलायन मौनिक वाराह एव पारस्कर (२।१) में पाया जाता है। निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। (१) बलि के उत्तर बार बरतनो में अन्नम-अन्नम चावल की उरद एव तिल रखे जाते हैं (आश्व १।१७।२)। मौनिक (२।१।१-७) के मत में ये बरतन केवल पूर्व दिशा में रखे जाते हैं। मौनिक एव शास्त्रायन के मतानुसार अन्न में म अन्न-सहित नारई को भी रक्षित जाते हैं। (२) बलि के पश्चिम माथा बच्चे को गोघ में केकर बैठती है। दो बरतन बिनम से एक में बैल का गोबर तथा दूसरे में शमी की पत्तियाँ भरती रहती हैं पश्चिम में रख दिये जाते हैं। (३) माथा के बाहिने पिठा कुछ क २१ गुण्डों के साथ जिन्हे ब्रह्मा पुरोहित भी पकड़े रख सकता है बैठता है।^{१९} (४) घर्म या शीतल अन्न। (५) घृण या उदुम्बर लकड़ी का बना घृण। (६) एक वर्षण। मौनिक एव साबिर ने अन्न से नारई, घर्म अन्न बरतन घृण एव कुछ आदि बलि के बलिण तथा बैल का गोबर एव तिसमिधित चावल बलि में उत्तर रखे जाने चाहिए। आश्वलायन पारस्कर काण्ड एव मानव के मत से घृण नारई का होना चाहिए।

वधियय सूत्रो ने इस संस्कार के विभिन्न कृत्यों में विभिन्न मन्त्रों के उच्चारण की बातें की हैं जिन्हे हम स्वर्ण-मात्र से यहाँ उद्धृत करने में असमर्थ हैं। आरम्भ में पिठा ही शीतलम करणा वा बसोकि कुछ सूत्रो ने यथा बीशायन एव शास्त्रायन ने इस उल्लेख में नारई का नाम नहीं किया है। किन्तु आने चलकर नारई भी सम्मिलित कर लिखा गया

१८ अथास्य तावत्तरिकस्य चौर कुर्मन्ति बचचि बचोपन्न वा। विजाप्यो च। अन्न यत्था सपतति कुनारा विप्रिष्ठा इव। इति ऋद्धिष्ठा इवेति। भारद्वाज १।२८।

१९ बार बार बाहिने और तीन बार घर्मों तिर-आस्य ने केच काटे जाते हैं और प्रति बार तीन कुण्डों की अन्न-व्यवस्था पड़ती है अन्न २१ कुण्डों की लक्ष्या दी गयी है।

और पिता केवल होम एवं मन्त्रोच्चारण करने सदा और नाई शीरवर्म।" शीरवर्म मन्त्रा के साथ किया जाता है।

कुछ सूत्रों के अनुसार बट हुए कंस विस क मोक्षर म रणकर गौघाला म गाइ दिने जाते है या टालाव मा बही भाव-साध अक्ष मे फेक दिने या उडुम्बर पेड नी बड मे गाइ दिने जाते है, बर्म मे (बीयापन भाखात्र गोमिन्न) या जन्म मे (गोमिन्न) रण दिने जाते है। मातृवभूहमूत्र मे सिन्धा है वि बन् हुए वेम जिमी मित्र द्वारा एकत्र कर लिमे जाते है।

सिर क किस माग मे और दिग्मे वेध छाड दिने जान चाहिए ? इस विषय म मनवेध है। बीयापनगृह्य सूत्र के अनुसार सिर पर तीन या पाँच वेध-मुच्छ छोडे जा सकते है जैसा कि कुम्भ-परम्परा के अनुसार होता है। किन्तु कुछ ऋषियो ने अनुसार पिता द्वारा आवृण प्रवर्ग की सख्या के अनुसार ही वेध छोड जाने चाहिए। मापवसायन एवं पास्कुर के अनुसार वेध कुलधर्म के अनुसार रहे जाने चाहिए। आप्तम्बगु के अनुसार सिन्धा बन्धा प्रवर-सत्या या कुसधर्म के अनुसार होगी चाहिए। वाटक्यू कहता है कि द्वादिष्ट बोध बास निर भी चाहिए ओर, भुमु-नास पूरे सिर मे अत्रि गोन तथा कास्प्य गोन बाधे बोता ओर आविरस बास पाँच तथा बगस्य विष्णामिन्न आदि गोन बाके बिना किसी स्पष्ट सत्या के गिला रण लेते है कयाकि यह शुभ और कुलधर्मनिवृत्त है।"

आत्रवस हिन्दुजा का एक कदाग है सिन्धा। किन्तु कुछ रिवा ये शीबीन तबीजत वाले हिन्दू दिन्धा रखने मे सजते है। वेकठ ऋषि ने सिन्धा है कि बिना यज्ञोपवीत एवं सिन्धा के नाई भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए। बिना इन दानो क दिन्धा हुआ धार्मिक कृत्य म किया हुआ समाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्रुमावस मूर्खतावस या अवीधता के कारण सिन्धा कटा लेता है तो उमका पापमोचन उपद्रुच्छ प्राप्तचित से ही सम्भव है।"

आत्रवसायनपुष्ट (१।१७।१८) के मत से छत्रवियो का भी चूनाकरण होना चाहिए, किन्तु वैदिक मन्त्रा का उच्चारण नहीं होता चाहिए। मनु (२।६६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१३) म आत्रवर्म ले चौथ तत्र के सभी सन्धारो को छत्रवियो क लिए उचित माना है किन्तु इनम वैदिक मन्त्रो का उच्चारण मना किया है। मित्र मिथ म किया है कि छत्रवियो का शीन जी हुँला चाहिए। कुलधर्म के अनुसार पूरा सिर मुग्ध हुँला चाहिए या दिन्धा रखनी चाहिए

१ शेष चान्द्राभा वारमिता विरागि स एव वपतर्तेति सिद्ध भवति। इवामी तु तावृणागिताया अभावात्-
ल्लोकविद्विष्यत्वाच्च समस्तं चन्द्राभां वृत्ता नापितेने वपते कारयन्ति सिध्दा ॥ संस्काररत्नमाला-पु ९ १।

२१ अर्धतलेकमिन्नमिन्नगिण पञ्चगिणो वा यवैर्धयां कुलधर्मं स्पत्। पवति गिणा निरवपतीत्येदे। बी
गु २।४। बट्ट ते बीमो के ऋषि या प्रवर बहुवा तीन होते है, किन्तु कुछ गौत्रो के एव दो या पाँच प्रवर होते हैं। किन्तु चार ही सत्या नहीं चायी जाती। विवाह के प्रकरण ये हन प्रवरो के बारे मे पुनः पढ़िये।

२२ अक्षिपतः कपुत्रा वतिपदानाम्। अयपतीर्षिवाध्यापामाम्। मुष्टा भुषकः। पञ्चकडा अगिरसः। वात्रि
(रात्रि ?) मेरे। अयत्तार्थं गिजिनोऽथे यवाकुलधर्मं वा। वाटक्यूष्ट (४।१८-८)। अचरार्थं एव स्मृतिचन्द्रिका
मे श्री इने उद्धृत किया है।

२३ शबीपवीतित्त आव्य सदा बद्धमिनेक च। विगिनो ध्युपवीतव यत्परोति म तन्वृत्तम् ॥ गिनां छिप्यन्ति
वे मोहाद् देवावतलनोऽपि वा। तत्तद्गृह्येव शुप्यन्ति त्रयो वर्णा द्विजालयः ॥ हारीन।

या बेश काटे ही नहीं जायें।" कुछ जाणियों में आज भी बच्चों के कस एक झार बना विय जाते हैं, क्योंकि बर्ष वाले बाक अर्पित मान जाते हैं।

विद्यारम्भ

तीसरे बर्ष (बीस सस्कार के समय) से आठवें बर्ष (बाह्याभा के उपनयन सस्कार के समय) तक बच्चों की शिक्षा के विषय में गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र सर्वथा मौन है। कीटिस्य के अर्थशास्त्र में इस ओर एक हल्का प्रसंग मिल जाता है। ऐसा ज्ञाया है कि चौक के उपरान्त राजकुमार को लिखना एवं अकमणित सीखना पढ़ना वा और उपनयन के उपरान्त उद्ये बंध आत्मीयिकी (तत्त्वज्ञान) नाट्य (कृपि एवं धन-विज्ञान) एवं दण्डनीति (शासन-कला) १६ बर्ष तक पढ़ना पढ़ना वा और तमी मोरान के उपरान्त उसका विवाह होता वा।" काकिलाल ने रघुवन्द (३।२८) में लिखा है कि अब न पहले अक्षर सीखे और तब बहु संस्कृत-साहित्य के सिन्धु में उतरा। बाप में सम्मन्य अर्थशास्त्र की बात ही बुझायी है। बाप की कायम्बरी में राजकुमार चन्द्रापीड ने विद्यामन्थिर में छ बर्ष की अवस्था में प्रवेश किया और वहाँ १६ बर्ष की अवस्था तक रह कर सभी प्रकार की कलाओं एवं विज्ञानों का अध्ययन किया। उत्तररामचरित (अंक २) में ज्ञाया है कि कुछ एवं सब में चौक के उपरान्त एवं उपनयन के पूर्व वेद में अतिरिक्त अन्य विद्यारं भी थीं।

संग्रहा है इसा की आरम्भिक सताशिवियों से विद्यारम्भ नामक सस्कार सम्पारित किया जाने लगा वा। अर्पण एवं स्मृतिचन्द्रिका में मार्कण्डेयपुराण के एसाक उद्धृत करके विद्यारम्भ वा बर्षान किया है।" बच्चों के चौथे बर्ष काठिक शुक्लपक्ष के बारहवें दिन से आषाढ शुक्लपक्ष के ११वें दिन तक किसी दिन तिन्यु प्रथम छठी १५वीं तथा रिक्ता तिथियों (चौथी नवीं एवं नौदहवीं) को तथा रविवार एवं मंगलवार को छोड़कर, विद्यारम्भ सस्कार करना चाहिए। हरि (विष्णु) लक्ष्मी सरस्वती मूककारा मुसविद्या की पूजा करके अग्नि में वृत्त की मन्त्र-तिर्यां देनी चाहिए। इसके उपरान्त बक्षिमा बादि स बाह्याभों का सत्कार करना चाहिए। अम्पायन को पूर्व दिशा में तथा बच्चों को पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए। इसके उपरान्त गृह पढाना आरम्भ करता है और बच्चा बाह्यो

२४ कुमारौर्ध्वैऽपि पढाङ्कुसुधर्ममित्यनुवर्तते। तत्राथ सर्वमुप्यन शिक्षाचारणम् अनुप्यनमेव वेति सित्यसि।
सत्कारप्रकाश पृ ३१७। एतच्च स्वीयामयि। 'तत्रौगुह्यौ तु शिक्षां क्लिप्त्वा चोबाद् बैराग्यसोऽपि वा। प्राजापत्य प्रकृषीताम्' इति प्रायश्चित्तनिबिधनसूत्रम्। एतपरिग्रहपूर्वकम्। अथ वेदाभेदाद् व्यथत्वा इच्छय्या। स्वीयां केसवारणमेव शिक्षाचारणम्। एतच्चात्मनश्चमेव स्वीया कर्मम्। होमोपि न। सत्काररत्नमाला पृ ९४।

२५ वृत्तचौलकानि विपि सक्षयानि चोपयुञ्जते। वृत्तोपनयनस्त्रयीयात्मीसिद्धीं च सिध्येत्यो वापानप्यजेत्यो दण्डनीतिं वल्लुप्रबल्लुस्यम्। ब्रह्मचर्यं चलोद्गाहयति। अतो घोषान् दारकर्म च। अर्थशास्त्र (११५)।

२६ प्रातोऽथ पञ्चमे वर्षे अग्रयुगे जगन्ति। पृथ्ठीं प्रतिपद्य चैव बर्षमित्वा तथाप्यमीम्॥ रिक्तां पञ्चरतीं चैव सौरजीमवित तथा। एव मुनिविद्यते काले विद्यारम्भे तु दारयेत्॥ पूजयित्वा हरिं लक्ष्मीं देवीं चैव सरस्वतीम्॥ स्वविद्याभुषणकाराश्च स्वां विद्यां च विदोपत्॥ एतेषामेव वैजना नाम्ना तु कुतुयत्त्वं भूतम्। वसिष्ठाभिर्दिनेऽप्राणां वतस्य ज्ञानं पूजयत्॥ प्राद्रुम्लो गुदरासीनो वाचशातामुज शिशुम्॥ अम्पायते प्रथमं द्विजप्रसीनिं मुमुक्षितम्॥ तत्र प्रमुत्पन्नायापयत्कर्मणीयान् चिचक्षेत्॥ अवरार्त् (पृ ३०-३१)। सत्कार प्रकाश में उद्धृत विष्णुसर्वातर में ज्ञाया है—
"आषाढ शुक्लद्वादश्यां शयनं कुर्वते हृदि। निद्रां त्यजति वासिष्ठा तपोः सपुत्रमेव हृदि॥

का आशीर्वाद ग्रहण करता है। अंतर्ध्याय के दिनों में घिसाव नहीं किया जाता। अंतर्ध्याय के विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

संस्कारप्रकाश एवं संस्काररत्नमाला में ज्योतिष-सम्बन्धी कम्बी चर्चाएँ हैं। विस्वामित्र देवक तथा अन्य ऋषियों की बातें उद्धृत करके संस्कारप्रकाश में लिखा है कि विद्यारम्भ पाँचवें वर्ष तथा कम-से-कम उपनयन के पूर्व आवश्यक कर वासना चाहिए। इयत्त नृसिंह को उद्धृत करके कहा है कि सरस्वती तथा गणपति की पूजा के उपरान्त गुरु की पूजा करनी चाहिए। आधुनिक कास में लिखना सीखना किसी शुभ मुहूर्त में आरम्भ कर दिया जाता है, यह शुभ मुहूर्त बहुधा आश्विन मास के शुक्लपक्ष की विजयादशमी तिथि को पड़ता है। सरस्वती एवं गणपति के पूजन के उपरान्त गुरु का सम्मान किया जाता है और बच्चा 'मोम् नम सिद्धम्' गुरुग्रहण करता है और पट्टी पर लिखता है। इसके उपरान्त उसे अ आ इत्यादि अक्षर सिनाये जाते हैं। संस्काररत्नमाला में इस संस्कार का 'अक्षरम्बीनार' नाम दिया है जो उपयुक्त ही है। पारियात में उद्धृत बातों के अनुसार संस्काररत्नमाला ने होम तथा सरस्वती हरि कम्बी विघ्नेश (गणपति) मूलनारी एवं स्वविद्या के पूजन की चर्चा की है।

अध्याय ७

उपनयन

'उपनयन का अर्थ है 'पास या समिष्ट से जाना। किन्तु किसके पास से जाना? सम्भवतः आरम्भ में इसका तात्पर्य था आचार्य के पास (विलास ने लिष्ट) से जाना। हा सचता है इसका तात्पर्य रहा हो तबलिष को विद्यार्थीपन की अवस्था तक पहुँचा देना। कुछ गृह्यसूत्रों से ऐसा आभास मिल जाता है यथा हिरण्यकेशी (१।५।२) के अनुसार तब गुरु ब्रह्मे से यह बहलवाता है 'मि ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे इसके पास से बलिष्ट। छविता देवता द्वारा प्रेरित मुझे ब्रह्मचारी होने बीजिए।" मानव एव वाटन ने 'उपनयन' के स्थान पर 'उपामन' शब्द का प्रयोग किया है। शाठक के टीकाकार भावित्यवर्षान न कहा है कि उपनयन उपनयन गौन्वीकन्वत बटुनरन बटवन्व समानार्थक हैं।

इस संस्कार के उद्गम एव विकास के विषय में कुछ चर्चा हो जाना आवश्यक है। क्योंकि यह संस्कार लव संस्कारों में अति महत्त्वपूर्ण माना गया है। उपनयन संस्कार का मूक भारतीय एव ईरानी है क्योंकि प्राचीन जोर्न-स्ट्रिपन (पारसी) शास्त्रों के अनुसार पूठ मेखला एव अथोवसन (कमीठ) का सम्बन्ध आधुनिक पारसियों से भी है। किन्तु इस विषय में हम प्रवेण नहीं कर रहे। हम अपने को भारतीय साहित्य तक ही सीमित रखेंगे। शब्दे (१।१।९।५) में 'ब्रह्मचारी' शब्द आया है। 'उपनयन' शब्द दो प्रकार से समझाया जा सकता है—'१) (ब्रह्मे को)

१ अनेनमभिध्याहारयति। ब्रह्मचर्यनायामुप भा नयन्व ब्रह्मचारी भवति। वैश्वेन सवित्रा प्रसूतः। हिरण्यकेशि (१।५।२) ब्रह्मचर्यमापायति। नयन्वयति ब्रह्मचर्यसागीति च। पार २।२; और वैश्वेन जोनिज (२।१।२१) "ब्रह्मचर्यमायाम्" एव "ब्रह्मचर्यसाति" अतएव (१।१।५।५।२) में भी आये हैं; और वैश्वेन आप्तस्वामीय नमनरव (२।१।२६) "ब्रह्मचर्यं प्रसूतः। यत्नयन्व (१।१।४) की आख्या से विश्वक्य ने लिखा है— "विश्वक्यनायार्थ-समीय नमनमुपनयनं तद्वैधीयतायामित्युक्तं उन्वोपुरीयात्। तदर्थं वा कर्म।" हिरण्यकेशि (१।१।२) वर महद्वत को भी वैश्वेन।

२ ब्रह्मचारी वरति वैश्वेन विवाः स वेवाता नयत्येकमवम्। तेल वाचामन्वविन्व वृहस्पतिः सोमेन गीता मुह्यु न वेवाः ॥ शब्दे १।१।५, अथर्ववेद ५।१७।५। सोम की ओर संकेत से शब्दे १।८५।४५ का 'सोमो बहव् पन्वचर्य' स्मरण हो जाता है। किसी मानवीय वर से परिचय होने के पूर्व अत्येक कुमारी सोम नन्वर्न एव अग्नि के रत्न के भीतर कर्मिन्व जाती पयो है।

३ तत्रोपनयनशब्द कर्मनाममेवम्। तन्व पीनिकमुर्भिव्वावत्। योवन्व भावव्युत्परा करन्वुत्परा वेत्याह भावविः। स यवा उप समीये आचार्यीहीना ब्रह्मोर्गमर्न प्रावन्वमुपनयनम्। समीये आचार्यीहीना नीन्ते अनुर्गेन तनुपनयनमिति च। तत्र च नयन्वुत्तिरेव साचीयसीति गम्यते। श्रीतार्थविहितधवात्। सत्कार्यकार, पृ १३४।

आचार्य के समिकृत ले जाता (२) वह सस्कार या हृत्य जिसके द्वारा बच्चा आचार्य के पास ल जाया जाता है। पहला अर्ध आरम्भिक है, किन्तु कालान्तर में जब विस्तारपूर्वक यह हृत्य किया जाय स्या तो दूसरा अर्ध भी प्रयुक्त हो गया। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१९) में दूसरा अर्ध सिद्ध है। उक्त अनुष्ठान उपनयन एक सम्कार है जो उसके सिद्ध किया जाता है जो विद्या सीखना चाहता है 'यह एक ऐसा सम्कार है जो विद्या सीखन बाल को गाम्भी मन्त्र निष्कार किया जाता है।' स्पष्ट है उपनयन प्रमुखतया गाम्भ्यपवेश (पवित्र गाम्भी मन्त्र का उपवेश) है। इस विषय में वैमिनि (६।१।३५) भी स्पष्ट है।

ऋग्वेद (३।८।४) में पना बरुटा है कि गृह्यसूत्रों में अग्नि उपनयन सम्कार के कुछ लक्षण उक्त समय भी विहित हैं। वहाँ एक मुख्य क समाग यूप (वस्ति-सम्भ) की प्रवृत्ता भी गयी है "यहाँ मुख्य भा र्हा है वह मन्त्री मन्त्रि सन्निवृत्त है (मुख्य मेवला द्वारा तथा यूप रमना द्वारा) यह जब उत्पन्न हुआ महुता प्राप्त करता है। ह प्पुर ऋषियो आज अपने हृदयो में देवा क प्रति पढा रखते हैं और स्वस्व विचार बाल हैं, इस ऊपर उद्वेग है। यहाँ उदयन्ति" में बही भाग्य है जो उपनयन में है। बहूत-से गृह्यसूत्रों में इस मन्त्र को उद्धृत किया है यथा— आप्त कायन (१।२।१८) पायकर (२।२)। तैत्तिरीय संहिता (३।१।१५) में तीन ऋषियों के वर्णन में ब्रह्मचारी एवं ब्रह्म चर्य धर्म दिये हैं— "प्रत्येक ब्राह्मण जब अग्न भेदा है तो तीन वर्गों के व्यक्तिगत का अर्थ होता है। ब्रह्मचर्य में ऋषियों के प्रति (ऋणी होता है) मन्त्र में देवों के प्रति तथा सन्तति में पितरों के प्रति विगको पुत्र होता है जो पत्र करता है और जो ब्रह्मचारी रूप में गुरु के पास रहता है वह अनुष्ठी हो जाता है।"

उपनयन एक ब्रह्मचर्य के लक्षणों पर प्रकाश हम देता एक ब्राह्मण-साहित्य में उपलब्ध हो जाता है। अक्षर वेद (१।१।७।१२६) का एक पूरा सूत्र ब्रह्मचारी (वैदिक छात्र) एक ब्रह्मचर्य में विषय में अग्निघोषोपनिषद् प्रथमा है।

४ सस्कारस्य तदर्थत्वाद् विद्यायां पुण्यमुक्तिः। वैमिनि ६।१।३५; विद्यायातेर्वीया मुक्तिः (वत्सो ब्राह्मणमुप नयीत)। उपनयनस्य सस्कारस्य तदर्थत्वाद्। विद्यार्थमुपाभ्यासस्य समीपमानीपते नारुध्यार्त्थं नापि नष्ट कुडप वा कर्तुम्। इत्यादिभिः सत्या विद्याया पुण्यमुक्तिः। कथमवगम्यते। आचार्यकरणेतेतदवगम्यते। कुत। आत्मनेपरब्रजनम्। घबर।

५ युवा सुवाता परिवीत आगान् सज श्येग्नभक्ति जायमानः। तं पीरातः नचय उदयन्ति स्वाभ्यो ममता ईवपत्तः॥ ऋग्वेद, ३।८।४। आप्तकायनगृह्य (१।१।१८) के अनुसार बच्चे को बलहृत किया जाता है और तपे वस्त्र दिये जाते हैं 'अलहृत दूसरे अहूतेन वाससा लवीत जावि एवं वैदिए १।२।१८—'युवा सुवाता परिवीत आगारित्यर्चनैर्न प्रवर्धितमावर्त्तयेत्।

६ आयमानो ह वै ब्राह्मचरिर्नित्वाज्ञां जायते ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यो ध्यान वैवेक्यः प्रजया पितृभ्य एव वा अनुष्ठी यः कुम्भी यन्वा ब्रह्मचारिवासी। तं संहिता ६।३।१५।

७ ब्रह्मचारीष्णचरति रोवसी जने तस्मिन्नेवा समततो अचरति। स वाकार बुधिवी विव च स आचार्यं तपता विपति॥ अक्षरवेद १।१।७।१। गोपब्रह्मण (२।१) में यह श्लोक व्याख्यायित है। आचार्य उपनयनानो ब्रह्मचारिर्च हुपुते गर्भमन्त्र। अक्षरवेद १।१।७।१। यही भावना आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१९।८) में भी पायी जाती है यथा— स हि विद्यस्तस अयति। तच्छ्रेष्ठं जन्म। शरीरैव मासापिन्दी जन्मयतः। सतपत्रब्राह्मण (१।१।५।७।१२) से मिलता-हू—आचार्यो धर्मोचरति हस्तमावाप वस्त्रिभम्। कुतूपस्या स जायते ताविभ्या सह ब्राह्मणः॥ ब्रह्मचर्येति सविद्या सविदा नार्यं वत्सलो वीक्षितो वीर्यमयः। अक्षरवेद १।१।७।६।

तीतिरीय ब्राह्मण (३।१।११) में भारद्वाज के विषय में एक गाथा है जिसमें कहा गया है कि भारद्वाज अपनी मातृ कुलीन मांगो (७५ वर्षों) तक ब्रह्मचारी रहे। उनसे इन्द्र ने कहा था कि उन्होंने इतने वर्षों तक वेदा के बहुत ही कम मस (३ पर्वतों की जेरी में से ३ मुद्विषी) सीखे हैं क्योंकि वेद तो असीम हैं। मनु न पुत्र नामानेष्टि की गाथा से पता चलता है कि वे अपना गुरु के यहाँ ब्रह्मचारी रूप से रहते थे सनी उन्हें पिता की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं मिला (ऐतरेय ब्राह्मण २२।९ एव तीतिरीय ब्राह्मण ३।१।१।१५)। गृह्यसूत्रों में बर्णित ब्रह्मचर्य-जीवन के विषय में कठपत्र ब्राह्मण (१।१।५४) में भी बहुत-कुछ प्राप्त होता है, जो बहुत ही संक्षेप में था है—बन्धन बहता है—मैं ब्रह्मचर्य के लिए आया हूँ और मुझे ब्रह्मचारी हो जाने बीजिए। तब गुरु पूछता है—“तुम्हारा नाम क्या है? तब गुरु (मातापति) उसे पास में ले लेता है (उपनयति)। तब गुरु बन्धने का हाथ पकड़ लेता है और कहता है— तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो अग्नि तुम्हारे गुरु हैं मैं तुम्हारा गुरु हूँ” (यहाँ पर गुरु बन्धने का नाम लेकर सम्बोधित करता है)। तब वह बन्धने को मुँहों को वे देता है अर्थात् भौतिक तत्त्वों में नियोजित कर देता है। गुरु सिखा देता है “जब किसी काम करो (गुरु के घर में) अग्नि में समिधा डालो (दिल में) न छोड़ो। वह सावित्री मन्त्र ब्रह्मचर्य है। पहले बन्धने के अनेक एक वर्ष उपरान्त सावित्री का पाठ होता था तब ६ मासों २४ दिनो १२ दिनो ३ दिनो के उपरान्त। किमु ब्राह्मण बन्धने के लिए उपनयन के दिन ही पाठ किया जाता था पहले प्रत्येक पाठ अलग-अलग फिर जाधा और तब गुरु का पूरा ब्रह्मचर्यमा जाता था। ब्रह्मचारी हो जाने पर मनु साक्षात् बर्णित हो जाता था (कठपत्रब्राह्मण १।१।५।५।१७)।

कठपत्रब्राह्मण (५।१।५।१७) एव तीतिरीयोपनिषद् (१।११) में “अन्तेषासी” (जो गुरु के पास रहता है) शब्द आया है। कठपत्रब्राह्मण (१।१।३।३।२) का कथन है “जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता है वह अपने समय की प्रजापति ग्रहण करता है।” गोपब्राह्मण (२।३) बौधायनधर्मसूत्र (१।२।५३) आदि में भी ब्रह्मचर्य-जीवन की ओर संकेत मिलता है।

पारिवर्तित जनमेजय हृद्यो (आह्वनीय एव बर्जित नामक मन्त्रियों) से पूछते हैं—पवित्र क्या है? तो वे दोनों उत्तर देते हैं—ब्रह्मचर्य (पवित्र) है (गोपब २।५)। गोपब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी वेदों के पूर्व पारिवर्तित के लिए ४८ वर्ष का छात्र-जीवन आवश्यक है। अतः प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्ष की अवधि निश्चित-सी थी। ब्रह्मचारी की मिश्रा-भूति उसके सरल जीवन आदि पर गोपब्राह्मण प्रमत्त प्रकाश डालता है (गोपब्राह्मण २।७)।

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि आरम्भिक काल में उपनयन अपेक्षाकृत पर्याप्त सरल था। माता पिता की समिधा काष्ठ के साथ (हाथ में भिड़े हुए) गुरु के पास जाता था और उनसे अपनी समिकाका प्रकट कर ब्रह्मचारी रूप में उनके छात्र ही रहने देने की प्रार्थना करता था। गृह्यसूत्रों में बर्णित विस्तृत क्रिया-संस्कार पहले नहीं प्रचलित थे। कठोपनिषद् (१।१।१५) मुण्डकोपनिषद् (२।१।७) आत्मोपनिषद् (१।१।१) एव अन्य उपनिषदों में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आत्मोपनिषद् एवं मुण्डकोपनिषद् सबसे प्राचीन उपनिषद् हैं। ये दोनों मूल्यवान् वृत्तान्त उपनिषत् करती हैं। उपनिषदों के काल में भी कुछ कृत्य अवश्य प्रचलित थे जैसा कि आत्मोपनिषद् (५।१।१।७) से ज्ञात होता है। जब प्राचीनकाल बौधायन्य एव अन्य चार विद्यापीठों अपने हाथों में समिधा लेकर अस्वपति वैश्व के पास

८ दीर्घतस्र वा एव उपेति यो ब्रह्मचर्यमुपैति। कठपत्र १।१।३।२। बौधायनधर्मसूत्र (१।२।५९) में भी यह उद्धृत है। “अपोऽप्याह” शब्द का उल्लेख करने के पूर्व एव अन्त में “अमृतोपस्तरचरन्ति स्वाहा” एवं “अमृतोपस्तरचरन्ति स्वाहा” नामक शब्दों के साथ अन्तर्गत की ओर संकेत है। देखिए तत्कारतस्र पृ ८९३। ये दोनों मन्त्र आत्मोपनिषद् (२।१।३-४) में आये हैं।

पहुँचे ठो वे (अस्वपति) उससे बिना उपनयन की क्रियाएँ निय ही वातें करने लग। जब सन्ध्याकाल जावास न अपने गोन का सन्ध्या परिचय वे किया तो पीतम ह्वारिखुमत ने कहा—“हे प्यारे बन्धु जाजा समिया से जाभा मैं तुम्हें दीगित करेगा। तुम सत्य से हटे नहीं” (छान्दोग्य ४।४।५)।^१ अति प्राचीन काल में सम्भवत पिता ही अपने पुत्र को पडाता था। किन्तु तैत्तिरीयसंहिता एव ब्राह्मणों के कालो से पता चलता है कि छान साभारजत युव के पास जाते थे और उससे यहाँ रहते थे। उदासन आरणि न जो स्वय ब्रह्मचारी एव पहुँचे हुए दार्शनिक थे अपने पुत्र बनेतनेतु को ब्रह्मचारी रूप से वेदाभ्ययन के लिए गुरु क पास जान को प्रेरित किया।^{११} छान्दोग्योपनिषद् में ब्रह्मचर्याधम का भी बर्णन हुआ है जहाँ पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दिन तक गरवेह म रखकर शरीर को सुकाठा रखा है (छा २।२३।१) यहाँ पर तैत्तिर्य ब्रह्मचारी की ओर संकेत है। इस उपनिषद् में गोन-नाम (४।४।४) मिसा-भूति (४।३।५) अग्नि-रक्षा (४।१।१-२) पशु-यासन (४।४।५) का भी बर्णन है। उपनयन करने की अवस्था पर औपनिषदिक प्रकाश नहीं प्राप्त होता यद्यपि हम यह ज्ञात है कि श्वेतकेतु ने जब ब्रह्मचर्य धारण किया तो उनकी अवस्था १२ वर्ष की थी। सापा रयत विद्यार्थी-जीवन १२ वर्ष का था (छान्दोग्य २।२३।१ ४।१।१ तथा ३।१।२) यद्यपि इन्द्र के ब्रह्मचर्य की अवधि ११ वर्ष की थी (छान्दोग्य ८।२।३)। एक स्नात पर छान्दोग्योपनिषद् (२।२३।१) में जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्य की बर्णा की है।

जब हम मूर्खों एव स्मृतियों में बर्णित उपनयनसंस्कार का बर्णन करेंगे। इस विषय में एक ज्ञान स्मरणीय है कि इस संस्कार से सम्बन्धित सभी वातें सभी स्मृतिका में नहीं पायी जाती और न उनमें विविध विषयों का एक अनुक्रम में बर्णन ही पाया जाता है। इतना ही नहीं वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में सभी गून एकमत नहीं हैं। अब हम जम से उपनयन संस्कार के विविध रूपा पर प्रकाश डालेंगे।

उपनयन के लिए उचित अवस्था एव काल

वाक्वत्पावनगृह्यसूत्र (१।१९।१ ६) के मत से ब्राह्मचर्युमार का उपनयन गर्भाधान या जन्म से केनर आठवें वर्ष में धर्मिय का ११वें वर्ष में एक वैश्य का १२व वर्ष में हुाना चाहिए यही नहीं जम म १९वें २२वें एव २४वें वर्ष तक भी उपनयन का समय बना रहता है। आपस्तम्ब (१।१२) शात्यायन (२।१) बौधायन (२।५।२) भाष्याय

९. तै ह समित्याधयः पुत्रहित्ते प्रतिबन्धमिरे ताह्मनुपनीयेर्बतबुवाच। छान्दोग्य ५।२।७ समिध सोम्याहुरोप त्यानेये न सत्यादवा इति। छान्दोग्य ४।४।५ उर्पस्यह भवन्तमिति वावा ह स्वय पूर्व उपयन्ति त होपायनक्रीत्योवात्। बृहदारण्यकोपनिषद् ६।२।७।

१ वैदिए बृह उ ३।२।१ “अनुमिष्टो न्वसि पित्रेत्वीमिति होवाच। घालवत्पय (१।१५) की टीका में विवरण में लिखा है—गुरुग्रहण तु मुख्य पितृवपनेतृत्वमिति। तथा च भुक्तिः। तस्मात्पुत्रननुमिष्ट कोषयनमुक्तिः। आचार्योपनयन तु ब्राह्मणस्यानुकल्पः।

११ श्वेतकेतुहृदिचय आत तु ह पितृवाच इवेननेमी वत ब्रह्मचर्यं त ह ब्राह्मणव उपेय्य अनुविशतिर्धन-सर्वश्वेदानवीत्य अहामना अनुचानभानी स्तस्य एवाय त ह पितावाच इवेननेमी उत तमावैराजप्राक्यः वेनायुर्न धुर्न भवति। छान्दोग्य ३।१।१ २।

१२ अष्टमे वय ब्राह्मचर्युपनयेन्। गर्भाष्टमे वा। एवावने क्षत्रियम्। द्वारो वैश्यम्। आ वोडाद् ब्रह्मणसया नमिन् वाक्। आ द्वारिवात्क्षत्रियस्य। आ अनुविशतिर्द्वार्यस्य। आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१९।१ ६।

(१११) एव योमिक (२११) गृह्यसूत्र तथा मातृवन्वय (१११४) आपस्तम्बवर्मसूत्र (११११११९) स्पष्ट करते हैं कि बर्षों की गणना वर्माधान से होनी चाहिए। यही बात महान्याय्य म भी है। पारस्करगृह्यसूत्र (२१२) के मत से उपनयन वर्माधान या जन्म से आठवें बर्ष में होना चाहिए, किन्तु इस विषय में बृहस्पति या पाकल भी बतलाते हैं। मातृवन्वय (१११४) ने भी बृहस्पति की बात बतलाई है। शांखायनगृह्यसूत्र (२११११) ने वर्माधान से ८वाँ या १वाँ बर्ष मानन (११२२११) न ७वाँ या ९वाँ बर्ष काटक (४१११३) ने तीनों बर्षों के लिए कम से ७वाँ ९वाँ एवं ११वाँ बर्ष स्वीकृत किया है। बृहत् स्मृतियां ने कम अवस्था म भी उपनयन होता स्वीकार किया है मया गीतम (११८) ने ५वाँ बर्ष या ९वाँ बर्ष तथा मनु (२१३७) म ५वाँ (ब्राह्मण के लिए) ९ठा (अग्नि के लिए) एवं ८वाँ (वैश्व के लिए) स्वीकृत किया है किन्तु यह कूट वेदक क्रम से आभ्यारिमिक ऐतिक एवं पन-सग्रह की महत्ता के लिए ही हो गयी है। आभ्यारिमिक मन्वी आयु एवं ब्रह्म की अभिकार्या वास ब्राह्मण पिता के लिए पुत्र का उपनयन वर्माधान से ५वें ८वें एवं ९वें बर्ष में भी किया जा सकता है (वैश्वानर २१३)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१११११२१) एवं वीगात्म गृह्यसूत्र (२१५) ने आभ्यारिमिक महत्ता मन्वी आयु दीप्ति पर्याप्त भोजन पारिचर्यक वस्त्र एवं पशु के लिए ब्रह्म से ७वाँ ८वाँ ९वाँ १०वाँ ११वाँ एवं १२वाँ बर्ष स्वीकृत किया है।

मत्त ब्रह्म से ८वाँ ११वाँ एवं १२वाँ बर्ष कम से ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए प्रमुख समय माना जाता रहा है। ५वें बर्ष से ११वें बर्ष तक ब्राह्मणों के लिए पीण ९वें बर्ष से १९वें बर्ष तक क्षत्रियों के लिए पीण माना जाता रहा है। ब्राह्मणों के लिए १२वें से १९वें तक गीतम काक तथा १९वें के उपरान्त पीतम काक माना गया है (वेदिक सम्प्रदायकास पृ ३४२)।

आपस्तम्बगृह्य एवं आपस्तम्बधर्म (११११११९) हिरण्यवेधियगृह्य (१११) एवं वैश्वानर के मत से तीनों बर्षों के लिए कम से धूम मुहूर्त पड़ते हैं बसंत पीण्य एवं शरत् के दिन। मार्याज (१११) के अनुसार बसंत ब्राह्मण के लिए, ग्रीष्म या हेमन्त क्षत्रिय के लिए, शरत् वैश्य के लिए, बर्षा बहई के लिए या शिविर समी के लिए मान्य है। मार्याज ने बही यह भी कहा है कि उपनयन मास के शुक्लपक्ष में किसी धूम तलाक में भरसक पुस्य तलाक में करना चाहिए।

शांखायन के वर्मशास्त्रकारों ने उपनयन के लिए मासा विधियों एवं बिनो के विषय में व्योतिप-सम्बन्धी विधान बड़े विस्तार के साथ विधे हैं विन पर लिखना यहाँ उचित एवं आवश्यक नहीं जान पड़ता। किन्तु बोडा-बुट्ट लिख देना आवश्यक है क्योंकि भावक ने ही विधान मान्य हैं। बृहस्पति ने लिखा है कि मास से सेकर ७ मास उपनयन के लिए उपयुक्त हैं, किन्तु अन्य लोगों ने मास से सेकर पाँच मास ही उपयुक्त ठहराये हैं। प्रथम पीषी सतठी काटनी नहीं देखनी पीषहमी पूर्वमाठी एवं ममावस की तिथियाँ बहुधा छोड़ दी जाती हैं। जब शुक्ल सूर्य के बहूत पास हो और देखा न जा सके जब सूर्य उदिस के प्रथम भाग में हो अग्न्याय के बिनो में तथा गच्छहू में उपनयन नहीं करना चाहिए। बृहस्पति शुक्ल मगक एवं बुध कम से अश्लेष एवं मृगशिरा के देवता माने जाते हैं। अतः इन वैश्व के अग्न्याय-कर्तव्यों का उनके देवों के सत्ताही में ही उपनयन होता चाहिए। सत्ताह में बुध बृहस्पति एवं बुध सर्वोत्तम दिन हैं, उदितार मध्यम तथा सोमवार बहूत कम योग्य है। किन्तु मगक एवं उदितार निविद्य माने जाते हैं (सामवेद के उदितार एवं क्षत्रियों के लिए मगक मान्य है)। मगको में हस्त विधा स्वाति दुष्य बनिप्य अस्मिन्नी मुपसिरा पुनर्वसु

१३ मध्ये अग्नेःप्रसवे शुके निरसे चैव भास्करे। कर्तव्यमीपनयन मन्वाध्याये पक्षपट्टे ॥ त्रयोदशीपुत्र्य तु सप्तम्याक्षत्रिय तथा। अतुष्यंकारात्री प्रोक्ता अष्टादशे पक्षपट्टे ॥ स्मृतिचन्द्रिका, विस्व १ पृ २७।

यवन एक रेवती ज्येष्ठे गिने जाते हैं। विविष्ट वेद शास्त्रा के लिए मन्त्र-सम्बन्धी अन्य नियमों की पूर्ति यहाँ नहीं की जा रही है। एक नियम यह है कि मन्त्री कृत्तिका मन्त्रा विद्याका ज्येष्ठे भरतारका को छोड़कर मन्त्री अन्य मन्त्र सबके लिए लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण की कुम्भी के लिए पत्र एक बृहस्पति ज्योतिष-रूप से कल्पितानी हस्त चाहिए। बृहस्पति का सम्बन्ध जान एक मुख से है अत उपनयन के लिए उसकी परम महत्ता गायी गयी है। यदि बृहस्पति एक पुरुष न दिखे, तब तो उपनयन नहीं किया जा सकता। अन्य ज्योतिष-सम्बन्धी नियमों का उद्घाटन यहाँ स्थानांशक के कारण नहीं किया जायगा।

वस्त्र

ब्रह्मचारी का वस्त्र धारण करता का जिनम पर अर्धमास के लिए (बामम्) और दूसरा ऊपरी भाग के लिए (उत्तरीय)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३९ १ १।१।३।१२) के अनुसार ब्राह्मण धनिय एक वैश्व ब्रह्मचारी के लिए वस्त्र त्रय से पट्टा के मूल का घन के मूल का एक मूलधर्म का होता था। कुछ पण्योत्तराण के मत से अर्धमास का वस्त्र बर्ष के मूल का (ब्राह्मणों के लिए काल रज धनियो के लिए मजीठ रज एक वैश्या के लिए हल्दी रज) होता चाहिए। वस्त्र के विषय में बहुत मतभेद है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।७-८) के सभी वर्णों के लिए मन्त्र का धर्म (उत्तरीय के लिए) या सम्बन्ध विवरण रूप से स्वीकार कर लिया है।

अर्धमास या ऊपरी भाग के परिधान के विषय में ब्राह्मण-धर्मो में भी मन्त्र विम्वता है (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।९)। जो वैश्व ज्ञान ब्रह्मना चाह उनका अर्धमास एक उत्तरीय मुण्डधर्म के जो वैश्व धर्म चाह उनका लिए बर्ष का वस्त्र और जो दोनो चाह ब्रह्मना प्रचार के वस्त्रा का उपयोग करे।^{१४}

रूप

बर्ष किस वृक्ष का बनाया जाय इस विषय में भी बहुत मतभेद रहा है। आश्वलायनबृह (१।१९।१३ एक १।२।१) के मत से ब्राह्मण धनिय एक वैश्व के लिए त्रय से पत्राम उदुम्बर एक विश्व का वृक्ष होना चाहिए, या कोई भी वृक्ष जिनम से जिनो पत्र का वृक्ष बना सकता है। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।१।२५ १९) के अनुसार ब्राह्मण धनिय एक वैश्व के लिए त्रय से पत्राम स्प्राण की घाया (त्रिसुता निवसा भाग बर्ष का ऊपरी भाग माना जाय) एक वरु या उदुम्बर का वृक्ष होना चाहिए। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३८) में भी पायी जाती है। इनो प्रकार बहुत से मत हैं जिनका उद्घाटन अनावश्यक है (वर्णिय गीतम १।२१ बौधायनधर्मसूत्र २।५।१७ गीतम १।२ २३ पाण्ड्यगृह्यसूत्र २।५ काठकगृह्यसूत्र ४।१।२२ मनु १।४५ आदि)।

१४ आतः। धात्रीसौभाग्यनि। कावर्ष्यं चैके बरत्रमुपविप्रति। पात्रिज्येष्ठं राजभ्यस्य। हाटिं वैश्वस्य। आय च १।१।२।३९ ४१ १।१।३।१२ मुचलमहत्त बालो ब्राह्मणस्य पात्रिज्येष्ठं क्षत्रियस्य। हाटिं वैश्वस्य वा वैश्वस्य। सर्वेषां वा तात्त्विकमस्तम्। बलिष्ठ १।१।४४ ९७। देविण्य पाण्ड्यर (२।५) —एषवमजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य वैश्व राजभ्यस्यैव गध्य वा वैश्वस्य सर्वेषां वा गध्यमसति प्रयात्तत्तम्।

१५ ब्रह्मबुद्धिमिच्छप्रजिनायेव वसति क्षत्रबुद्धिमिच्छन्नायेवोपयुद्धिमिच्छन्नुपवसति हि ब्राह्मणम्। जनिं श्वेतीतर धारयेत्। आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।९ १। मिलाइए भारद्वाजगृह्यसूत्र (१।१)—वदत्रिन धारयेव ब्राह्मणवैश्वहाता। धारयेत्क्षत्र बर्षयिदुपय धर्मनुवयोर्ब्रह्मणा इति विश्वासे; मिलाइए गोपब्राह्मण (२।४)—न तात्त्विक वसति मस्तात्त्विक वसते क्षत्रं वसति न ब्रह्म तस्मात्तात्त्विकं न वसति ब्रह्म वर्धतां वा क्षत्रमिति।

पूर्वराज में गढ़ाये व सिंग अध्याय में समुद्रा की नियंत्रण में रखने का लिए, राजि में जान पर मुद्रा के लिए एक तरी में प्रकाश करने समय परप्रदर्शन में सिंग वृद्ध की आरम्भना पड़ी थी।

बचक के वर्ष में अनुयाय वृद्ध की सम्बन्ध में अन्तर का। आरम्भनायनसूत्रसूत्र (११११११) पीन (११२५) बसिष्पमसूत्र (१११५५ ५७) पाठनायनसूत्रसूत्र (२१५) मनु (२१६६) के मना में ब्राह्मण धर्मि एव वीर का वृद्ध बचक से लिए ता मन्त्रन ता एक मात्र ता सम्बन्धाहाता ब्राह्मण। पाठनायनसूत्रसूत्र (२११२१-२३) में इन अनुयायन की उल्लेख किया है। अर्थात् दुसरा अनुयाय ब्राह्मण का वृद्ध मन्त्रन छात्र एक वीर्य का मन्त्रन बना होता ब्राह्मण। पीन (११२६) का कहना है कि वृद्ध पुत्रा हुआ नहीं। हाता ब्राह्मण। उसकी छात्र लगी नहीं ब्राह्मण आदी भाष टाठ हाता ब्राह्मण। बिल्कु मनु (२१६७) में अनुयाय वृद्ध मीषा सुन्त्र एक अन्विगर्त में गतिन होता ब्राह्मण। पाठनायनसूत्रसूत्र (२११३१-३२) में अनुयाय ब्राह्मणारी की ब्राह्मण कि वह किसी की मन्त्रे एक वृद्ध के बीच से निरन्तर न के यदि वृद्ध भेगना एक अन्विगर्त टूट जायें ता उन प्रायश्चित्त करना ब्राह्मण (बीना ही जैसा कि बिबाह के समय का यात्रा के रथ का तानने पर किया जाता है) ब्राह्मण्य का अन्त में यज्ञाधीन वृद्ध भेगना एक मन्त्रन की जब के पास देना ब्राह्मण। ऐसा करने समय बरक का मन्त्र (अन्वृद्ध ११२६६) का पाठ करना ब्राह्मण या वेचन 'ओम्' का उच्चारण करना ब्राह्मण।" मनु (२१६४) एक बिल्कुमसूत्र (२७३२) में भी यही बात कही है।

मंगला

पीन (१११५) आरम्भनायनसूत्र (१११ १११) बीषायनसूत्र (२१५१११) मनु (२१४२) काय सुत्र (४११२२) भाषाया (११२) तथा अन्य कोषों में मनु में ब्राह्मण धर्मि एव वीर्य बन्धने का लिए बचक में मुम्ब, मर्बा (जिससे प्रत्यक्ष बनती है) एक पदुआ की भेगना (करपनी) होती ब्राह्मण। मनु (२१४२ ४३) में पाठनायनसूत्र एक आरम्भनायनसूत्र (१११२१५ ३७) का भी धर्मि ही नियम कहे है बिल्कु बिनास से कहा है कि धर्मि के लिए मुम्ब काहू में टकड़े से बूँदी हुई ही सजती है तथा बीर्या में लिए मनु का बाबा या पुत्रों की रस्मी या सामल की काय का बाबा हो सजता है। बीषायनसूत्र (२१५१११) में मुम्ब की भेगना सजने लिए मान्य कही है। भेगना मन्त्रिनी बर्तें होती ब्राह्मण यह प्रकटा की सम्बन्ध पर निर्भर है।

उपनयन-विधि

आरम्भनायनसूत्रसूत्र में उपनयन संस्कार का लक्षित बिबरण दिया हुआ है जो पठनीय है। स्वाताभाष में कारण यह वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। उपनयन-विधि का विस्तार आरम्भनायनसूत्रसूत्र हिरेण्यकेशि-सूत्रसूत्र एक गामिन्सूत्रसूत्र में पाया जाता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं जिससे मन्त्रन एव मन्त्रांतर पर कुछ

१६. ब्रह्माग्निनीषीतानि मैत्रका चैव वारयेत्। आरम्भनायन ११२९; ताव वृद्धस्य कार्यमन्त्रमन्त्रं अवादिभिरारण्य तमोषगाह्णनपु प्रवेक्षतमित्यादि। अथारण्यं।

१७. उपनीत व वृद्धे ब्रह्माग्नि। तद्यप्येत्। यज्ञोपवीतवृद्ध व मेघनामजिन तथा। अनुयायन्यु कते पुत्रों वारण्यवर्त रतेन। आरम्भनायनसूत्र २१३ ३१ 'रत' मन्त्र वर्ष है 'ओम्'।

१८. क्या वारण्यस्य मीन्वी भाषीमिभिता। आधीयुक् संध्यस्य। तंरी ताभनी वेत्येके। आरम्भनायनसूत्र १११२। ३४ ३७। मीमिक (२११ ११) की टीका में सामल को सन (सन) कहा गया है।

प्रभास पत्र आया। आत्मसायन एव आपस्तम्ब तथा कुछ अन्य सूत्रकारों ने बनेऊ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है किन्तु हिरण्यकर्मि (१।२।६) माण्डूक्य (१।३) एव मानव (१।२।२।२) ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना बतलाया है। बीषायन (२।५।७) का कहना है कि यज्ञोपवीत पाने के उपरान्त ही बच्चा "यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रकल्पतेर्यत्सहस्र पुरस्तात्। आयुष्यमप्य प्रतिमुञ्च्य धूम्र यज्ञोपवीत बसस्यु तेज ॥ नामक इति प्रसिद्ध मन्त्र का उच्चारण करता है। बीषानस स्मार्त (२।५) का कहना है कि आचार्य बच्चे को उत्तरीय देता है और "पटीर मास का उच्चारण करता है पवित्र जनेऊ को 'यज्ञोपवीतम्' मन्त्र के साथ तथा इष्ट मूयजर्म को 'मित्रस्य चक्षुः बहवः' देता है। कर्क एव पारस्कर के टीकाकार हरिहर के अनुसार भक्तला ब्रौह्मि केने के उपरान्त बच्चे को आचार्य यज्ञोपवीत देता है। यही बात सस्वारत्तव (पृष्ठ ९३४) में भी पायी जाती है। सस्वारत्तमाका ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत पहनने को कहा है। यज्ञोपवीत के उद्गम एव विवाह के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इस अवसर पर क्षमसास्त्रकारों ने शौक-कर्म कर भक्त को कहा है। आग्निव नाम में शौककर्म स्वयं आचार्य करता था। निम्नलिखित विधियाँ भी ध्यात देन योग्य हैं—

(क) आपस्तम्बबृहस्पृज (१।१९) मानव (१।२।३।१२) बीषायन (२।५।१) त्वाष्टि (२।४) एव माण्डूक्य (१।८) ने बच्चे को होम के उपरान्त अग्नि के उत्तर बाह्निपैर से प्रस्तर पर बैठने को कहा है। प्रस्तर पर पैर रखना बृह निरुचय का श्लोक है।

(ख) मानव (१।२।३।३) एव त्वाष्टि (४।१।१) ने होम के उपरान्त "दक्षिणाङ्गा अकारिणम्" (श्रु. ४।३।१।६) तैत्तिरीयसंहिता (१।५।४।१।१) मन्त्र को बहुराते हुए दक्षिण तीनों बाज लाने को कहा है।

(ग) पारस्करबृहस्पृज (२।२) माण्डूक्य (१।७) आपस्तम्ब (२।१।४) आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ (२।३।२७-३) बीषायन (२।५।२५) माण्डूक्य का उद्बुध कर) मानव (१।२।३।४-५) एव त्वाष्टि (२।४।१२) के मत से बच्चे से आचार्य उसका नाम पूछता है और यह बताना है। आचार्य उससे यह भी पूछता है "तुम विमने ब्रह्मचारी हो ?

सभी स्मृतियों में यह बात पायी जाती है कि उपनयन सीमा बच्चों में होता था। उपनयन विधि के विषय में बहल से भेद-विभेद है जिनकी चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है। वास्तव में बच्चे का न मात्रा को आठ आठपर विस्तार बढ़ा दिया है।

यज्ञोपवीत

प्राचीन काल से अब तक यज्ञोपवीत का क्या इतिहास रहा है, इस पर जोशा-जा लिग देना परम आवश्यक है। प्राचीनतम मनेष तैत्तिरीय संहिता (२।५।२।१) में मिलता है—“निषीत दग्ध मनुष्या प्राचीनाणीत पिणरी एव उपवीत देवताओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है यह जो उपवीत हम से अर्पण कायें बने से लटवाना है अतः यह देवताओं के लिए सर्वत्र करता है।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।८) में आया है—“प्राचीनाणीत इमं म हीवर बहु दक्षिण को और आहुति देता है क्योंकि पिणरी के लिए इष्ट्य दक्षिण को और ही विद्ये जाने है। इनके विपरीत उपवीत इमं से उत्तर को आर आहुति देनी चाहिए देवता एव पिणर इमी प्रकार पुजित होते हैं। निषीत प्राचीनाणीत एव उपवीत दग्ध

योगिकमुद्रामुत्र (१२१२ ४) में समझाये गये हैं यथा बाहिने हाप नो उठाकर सिर नो (उपवीत न) बीच में बाह्यर बहु सूत्र नो बायें कपे पर इस प्रकार सटकता है कि बहु बाहिनी और सटकता है। इस प्रकार बहु म्बोपवीती हो जाता है। बाये हाप नो निनाम्बर (उपवीत न) बीच म मिर नो बाह्यर बहु सूत्र नो बाहिने कपे पर इस प्रकार रकता है कि बहु बायी और सटकता है। इस प्रकार बहु प्राचीनावीती हो जाता है। अब पित्तप नो गिरकरन रिवा जाता है। तमी प्राचीनावीती हुवा जाता है। यही बाल ग्यारि (१११८ ९) मनु (२१६३) बीषामन-मुद्रानि-नापा-मूत्र (२१२७ एव १) तथा बीजानस (११५) में भी पायी जाती है। बीषायनमुद्रामुत्र (२१२३) का बहुरूप है—“अब यह बन्धो पर रखा जाता है ठी पोनी कपे एव छाटी (हृदय के नीचे किन्तु मांसि के ऊपर) तब रखने हुए पोनी हाथो के अगूठो से पकडा जाता है। इसे ही निवीत कहा जाता है। अर्धपि-दर्पण म समोग म बन्धो के सहाय के समय (किन्तु होम करते समय नहीं) मरुमूत्र त्याग करते समय सब डोने समय यानी बन्धन मनुष्यो के लिए जिये जाने वाले कर्मों में निवीत का प्रयोग होता है। मरुत से सटकने वाले को ही निवीत कहते हैं। निवीत प्राचीन-वीत एव उपवीत के विषय म शतपथब्राह्मण (२१४२१) भी अबलोकनीय है। यह बात जानने योग्य है कि उस समय इस रूप से शरीर को परिष्कार से डका जाता था यज्ञोपवीत या निवीत या प्राचीनावीत को (सूत्र के रूप में) परतो के रूप का कोई सनेत नहीं प्राप्त होता। इससे प्रकट हुला है कि पुराय भोग देवो की पूजा में परिष्कार धारण करते व न कि सूत्रो से बना हुआ कोई अनेक भाषि पहनते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१ १५) म आया है कि अब वाक (शानी) की देवी देवभाग वीतम के समस्त उपस्थित हुईं तो उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया और “नमा नमः सन्न के माव देवी के समस्त गिर पडे अर्धत् शुक्रकर या वम्बवत् गिरकर प्रजाम किया।”

तैत्तिरीय आरण्यक (२।१) से पता चलता है कि प्राचीन काल में उपवीत के लिए बाँधे हरिण का चर्म या बस्त्र उपयोग में लाया जाता था। ऐसा आया है—“जो यज्ञोपवीत धारण करने मरु करता है उसका यज्ञ ईशता है जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता उसका यज्ञ ऐसा नहीं होता यज्ञोपवीत धारण करने ब्राह्मण जो कुछ पछटा है वह सब है। अतः अभ्ययन यज्ञ या आचार्य-कर्म करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। मूयचर्म या बस्त्र बाहिनी और धारण कर बाहिना हाप उठाकर तथा बाबा गिरकर ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। अब यह वन उभट किया जाता है तो इसे प्राचीनावीत कहते हैं और सवीत स्थिति मनुष्यो के लिए ही होती है। स्पष्ट है कि यहाँ उपवीत ने लिए कोई सूत्र नहीं है। प्रस्तुत मूयचर्म या बस्त्र है। पराशरनाथनीय (भाग १ पृ. १७३) ने उपर्युक्त बन्धन का एक धारण उद्धृत करते हुए लिखा है कि तैत्तिरीयआरण्यक के अनुसार मूयचर्म या बर्ई क बस्त्र में से कोई एक धारण करने पर कोई उपवीती बन सकता है। कुछ सूत्रकारो एव टीकाकारो से सकेत मिळता है कि उपवीत म बस्त्र का प्रयोग होता था। भाष्यस्तम्भचर्मसूत्र (२।२।४।२२ २३) का कहना है कि गृह्यसूत्र को उत्तरीय धारण करना चाहिए, किन्तु बस्त्र के बजाय वे सूत्र भी उपयोग में लाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मौखिक रूप में उपवीत का तात्पर्य वा उत्तरीय बस्त्र न कि केवल सूत्रो की होती। एक स्थान पर (२।८।१९।१२) इसी सूत्र में यह भी लिखा है— (जो मात्र का भोजन लाये) उसे बायें कपे पर उत्तरीय बाह्यर उसे बाहिनी और सटककर लाया चाहिए। हरवत ने इसकी व्याख्या दो प्रकारो से की है—(१) आठ-भोजन करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए अर्धत् उसे उत्तरीय बायें कपे पर तथा बाहिने हाप के नीचे सटकवा हुमा रखना चाहिए। इसका एक तात्पर्य यह हुमा कि ब्राह्मण को आन्तरिक

१ एतन्वदि ह्यपीतमः यज्ञोपवीतं हुत्वा यच्चो निष्पत्त नमो नम इति। तै. का ३।१. १५। साम्य का कहना है— स्वकीयेन बस्त्रेण यज्ञोपवीतं हुत्वा।

होते हैं जो मन्त्री मंत्रि बटे हुए एक मन्त्री हुए रहते हैं।^{१०} देवत में * तन्त्रुजो (धानो) क ९ देवताओं के नाम दिये हैं वना भावार अग्नि ताम सोम पितर, प्रजापति वामु सूर्य एक सर्वदेव।^१ यज्ञोपवीत बन्धन नामि तत्र उसके जाने नहीं और न छाती के ऊपर तक होना चाहिए।^{११} मनु (२।४४) एक विष्णुधर्मसूत्र (२७।१९) के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय एक वैश्य कश्चित् यज्ञोपवीत क्रम से रई, धाम (धन) एक ऊन का होना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (१।५।५) एक गोविन्दसूत्रसूत्र (१।२।१) के अनुसार यज्ञोपवीत रई या कुछ का होना चाहिए किन्तु देवत के अनुसार सभी द्विजातियों का यज्ञोपवीत बपास (रई) धुमा (अम्ली या तीसी) याम की पूँछ के बाल पटसन बूझ की छात्र या बुझ का होना चाहिए। इनमें से जो भी सुविधा से प्राप्त हो सके उसका यज्ञोपवीत बन सकता है।^{१२}

यज्ञोपवीत की सख्या में परिवर्तित के अनुसार परिवर्तन पाया जाता था। ब्रह्मचारी देवत एक यज्ञोपवीत धारण करता था और सत्यासी यदि वह पहले ती देवत एक ही धारण कर सकता था। स्नातक (जो ब्रह्मचर्य के उपरान्त मुझे से अपने माता-पिता के घर चला जाता था) एक मूहसक यो यज्ञोपवीत तथा जो शीर्ष जीवन चाहे यो वे अर्धिय यज्ञोपवीत पहन करता था।^{१३} बिच प्रकार से आज हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं वीसा प्राचीन नाम में नियम था या नहीं स्पष्ट रूप से वह नहीं सकते किन्तु ईसा के बहुत पहले यह ब्राह्मणों के लिए अपरिहार्य नियम था किने कोई इत्य करते समय यज्ञोपवीत धारण करे, अपनी लिखा चीज रने क्योकि बिना इनके किया हुआ कर्म मान्य नहीं हो सकता। बनिष्ठ (८।९) एक बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१) क अनुसार पुरय जो सदा यज्ञोपवीत धारण करता चाहिए। उद्योगपर्व (महाभारत) का ४ २५ भी पठनीय है।^{१४} यदि कोई ब्राह्मण बिना यज्ञोपवीत धारण किये मोक्ष कर के

२४ वीसा सुत्रं वा त्रिचिबुद्धयज्ञोपवीतम् । आ नामे । श्री क १।५।५; जवन देवतेन यज्ञोपवीतं पुर्वत युमेन नवतन्त्रुकम्—इति । स्मृतिचन्द्रिका भाग १ पृ ३१ ।

२५ अत्र प्रतिननु देवताभिर्बनाह देवत । अर्काः प्रथमतस्तु द्वितीयोऽग्निस्तत्रवच । तृतीयो नागर्देवताश्चतुर्थो सोमदेवता । पञ्चमः पितृदेवताः षष्ठः प्रजापतिः । सप्तमो वायुदेवताः सूर्यदेवताः एव च ॥ नवमः सर्वदेवता इत्येते नव तन्त्रव ॥ स्मृतिच भाग १ पृ ३१ ।

२६ कस्त्यायनस्तु परिनामात्तरमाह । पूष्टर्षे च नाम्याच वृतं पश्चिम्बे कठिम् । तद्वर्षमुपवीतं स्यात्प्रतिनम् न चोच्चिपूतम् । देवतः । स्तनापूर्वमथो नामेने कर्तव्यं बर्चधत । स्मृतिचन्द्रिका वही पृ ३१ ।

२७ कस्त्यायनीमयीवातप्रवन्वतुचोद्भवम् । सदा सम्भवतः बार्धमुपवीतं द्विजातिभिः ॥ पराशरभाष्ये (१।२) एव वृद्ध हारिण (७।४७-४८) से यही बात पायी जाती है।

२८ स्नातकानां तु नियं स्याद्वतर्षातस्तपोत्तरम् । यज्ञोपवीते द्वेवदि- सीवकाश्च वयमङ्कः ॥ बनिष्ठ १।२।४ विष्णुधर्मसूत्र ७।१।३ १५ से भी यही बात है। मिताशरा ने याज्ञवल्क्य (१ १३३) की व्याख्या में बनिष्ठ की उद्धृत किया है। मिताशर ए मनु ४ ३६ पूर्वकमुपवीतं तु यनीनां ब्रह्मचारिणाम् । गृहिणां च वनस्तनामुपवीतान् एव स्मृत् ॥ सोत्तरीयं च यदिति विष्णुपाठप्रनम्नम् । वृद्ध हारिण ८।४४ ४५ । देविए देवत (स्मृतिच भाग १ पृ ३२) श्रीचि चन्वारि बन्धाट्ट वृत्ति स्पर्धमानि वा । सर्वेषां सुविधिपर्यायमुपवीतं द्विजातिभिः ॥ तावत्तरमसूत्रं उद्धृत कायच ।

२९ नियोदरो नियवर्द्धीयरोनी नियवराध्यायी वनिताप्रवर्द्धी । च्चती च नवतन्त्रु विधिबन्ध जुष्टम ब्राह्मण- इष्यचने ब्रह्मणोवन् ॥ बनिष्ठ (८।९) श्रीच वनधर्मसूत्र (२।२।१) उद्योगपर्व ४ १२५ (तत्रवर्षाणि पृ ८९६ में प्रथम बार उद्धृत है) ।

करके मनु (२।१६) ने यह निष्कर्ष निकाला है 'ये इत्येव नारियो के लिए भी अयो-के-रयो किये जाते थे किन्तु विना मन्त्रों के परन्तु केवल विवाह के सम्कार में स्त्रियों के लिए वैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था। इससे स्पष्ट है कि मनु का काल में स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था किन्तु प्राचीन काल में यह होता था यह स्पष्ट हो जाता है। बादबट्ट की काव्यश्री में महाश्वेता (शो छप कर रही थी) के बारे में ऐसा आया है कि उसका शरीर ब्रह्मसूत्र पहनने के कारण पवित्र हो गया था (ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतकाम्याम्)। यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ है यज्ञोपवीत। संस्कार प्रकाश में ऐसा आया है कि परमात्मा यज्ञ कहलाता है और यज्ञोपवीत नाम इसलिए पड़ा कि यह परमात्मा का है (यह उनके लिए लिखे गये यज्ञ में प्रयुक्त होता है)।'

हीना बर्णों के लोगों के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था थी किन्तु बर्णियां एवं वैश्यों में इसके प्रयोग को सर्वथा छोड़ दिया या सदा पहनना न बाधा अथ बहुत पहले से ब्राह्मण के लिए ही यज्ञोपवीत की विशिष्ट सम्पत्ति थी। वाक्यशास्त्र ने रघुबध (११।१५) में कुण्डिन परगुराम के बर्णन में लिखा है कि उपवीत तो पितृ परम्परा से उन्हें मिला है किन्तु बधुप धारण करना माता के बध से (अधिक माता अथिय बध की थी)।' इस उक्ति से स्पष्ट है कि बर्ण काग उपवीत सदा नहीं पहनते थे और उपवीत ब्राह्मणों के लिए एक विशिष्ट सम्पत्ति हो गया था। वैशीसहार (१) में कर्ष के इस कथन पर कि वह अश्वत्थामा के पीर को उछाने ब्राह्मण होने के माते नहीं काटेगा अश्वत्थामा ने कहा (भो मैं अपना उपवीत छोड़ता हूँ) मैं अपनी जाति छोड़ता हूँ।' इससे स्पष्ट होता है कि वैशीसहार (कर्म-उ-कर्म १ ई) के समय में यज्ञोपवीत ब्राह्मणजाति का एक विशिष्ट सम्पत्ति हो गया था।

संस्काररत्नमाला में उद्धृत शौभाष्यसूत्र के अनुसार किसी ब्राह्मण या उसकी कुमारी कन्या द्वारा कटा हुआ मूत कन्या जाता है तब मू के साथ किसी व्यक्ति द्वारा उसे ९९ अंगुल माप लिया जाता है इसी प्रकार पुन दो बार 'मूत्र एव 'मूत्र के साथ ९९ अंगुल मापा जाता है। तब इस प्रकार मापा हुआ मूत पक्कास की पत्ती पर रखा जाता है और तीन मन्त्रों 'आपो हि ष्ठा' (ऋग्वेद १।११।१) चार मन्त्रों 'हिरण्यवर्षा' (तैत्तिरीयसंहिता ५।१।१ एवं अथर्ववेद १।३।१।५) एवं 'पबमान सुबर्जन' (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।८) से प्रारम्भ होने वाले अनुवाक तथा बान्नी के साथ उस पर जल छिड़का जाता है। इसके उपरान्त बर्षे हाथ में मूत लेकर दोनों हाथों से तीन बार पानी से रूप में ठोक दिया जाता है तब वह 'मूर्तिग ब' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।१२) के तीन मन्त्रों के साथ तिहुट मोड़ा जाता है। इसके उपरान्त मूर्ध्ब स्वस्वच्छमस च (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।१२) के पठन के साथ गींठी बांधी जाती है। ती तन्तुओं के साथ नी देवताओं का आवाहन किया जाता है तब 'देवस्य त्वा' नामक मन्त्र के साथ उपवीत उड़ा लिया जाता है। फिर 'उद्यम तमसस्परि' (ऋग्वेद १।५।११) के साथ उसे सूर्य को बिछाया जाता है। इसके उपरान्त यज्ञोपवीत परम पवित्र के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसने उपरान्त गावधी का जप करके बाधन किया जाता है।

आधुनिक काल में पुराना हो जाने पर या अगुच्छ हुआ जान बट या टूट जाने पर जब मनीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है तो सम्पित इत्येव इस प्रकार का होता है। यज्ञोपवीत पर तीन 'आपो हि ष्ठा' (ऋग्वेद १।११।१) मन्त्रों के साथ जल छिड़का जाता है। इसमें उपरान्त बस बार बाधनी (प्रति बार व्याहृतियों अर्थात् मीमं धूर्त्त

११ यज्ञार्थं बरमात्मा अ उच्यते वैश्वेद ह्येति । उपवीत ततोऽप्येव तस्याद्यज्ञोपवीतवन् ॥ सं प्र ५ ५१९।

१७ विधयमधुपवीतकाले मातृक च अनुवर्जित इत्यु । रघुबध (११।१५) ।

१८ आत्मा देवधर्मोऽनिय सा जाति धरित्यस्ता । वैशीसहार, ३।

स्व के साथ) कुहरामी जाती है और तब यज्ञोपवीत परम पवित्र के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है।

बीषायनगृह्यसंप्रदाय (२।८।१-१२) में क्षत्रियों बैस्या अम्बष्ठा एव करना (बैश्य एक सूत्र गारी से उत्पन्न) के उपनयन-संस्कार के कुछ अन्तरों पर प्रकाश डाला है किन्तु उनके विस्तार में जाना यहाँ आवश्यक नहीं है।

अथ बहुरे गूंग आदि का उपनयन

क्या अन्धे बहुरे, मूंगे मूक लोगो का उपनयन होता था? वैमिनि (१।१।४१-४२) के अनुसार अगहीनो को अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, किन्तु यह अपायमता दोष में अच्छा ही करने पर ही लागू होती है। आप स्तम्भधर्मसूत्र (२।१।१४-१६) गौतम (२।८।४१-४२) बसिष् (१।७।२२-५४) मनू (१।२.१) याज्ञवल्क्य (२।१४-१६) विष्णुधर्मसूत्र (१।५।१२) व अनुसार जो जपुसक पतित ब्रह्म से अन्धा या बहिर ही सूसा-सम्बन्ध हो को असाध्य रोगों से पीडित हो उसे विनाशक क समय सम्पत्ति नहीं मिल सकती है। उसका भरण-पोषण का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु ऐसे लोगो विवाह कर सकते थे। बिना उपनयन के विवाह कैसे हो सकता है? अतः स्पष्ट है अन्धो बहुरो गूंगा आदि का उपनयन होता रहा होगा। बीषायनगृह्यसंप्रदाय (२।९) में इन लोगो में कुछ के लिए अर्पण बहुरों मूंगों एव मूयों के लिए उपनयन की एक विधि पठति निकाली है। इन लोगो के विषय में समिधा वेना प्रस्तर पर धसना बस्त्रधारण मैलसा-अधन मृगधर्म एव बृहद इना भीत स्व से होता है और बालक अपना नाम नहीं भेदा केवल आचार्य ही पने मोजन एव घृत की आहुति देता है और सब मन्त्र मन ही मन पढ़ता है। सूत्र का कहना है कि यही विधि जपुसक अन्धे पादक तथा मूर्च्छा मिर्री कृष्ण (बहेत वा कृष्ण) आदि रोगों से पीडित व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है।^१ निर्णयसिन्धु में प्रयोगपरिचयान में लिखित ब्रह्मपुराण व बचन को उद्धृत कर उपर्युक्त बात ही लिखी है। सत्स्वार्थज्ञान (पृ. १९९-४१) एक गोपीनाथ की सत्स्वार्थरत्नमाला (पृ. २७१-७४) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (२।१७४) आश्वलायनधर्मसूत्र (२।१।११।१) मनु (१.१५) याज्ञवल्क्य (१।९. एव ९२) ने स्पष्ट शब्दों में बृहद एव गोसक सन्ताना व सिप भी उपर्युक्त व्यवस्था मानी है। बृहद बहू सन्तान है जो पति व रहते किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होती है तथा मासक पति की मृत्यु व उपरान्त किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होता है। मनु ने कुछों एक दोस्रो को याज्ञ के समय निमंत्रित करना मना किया है (१।१५९)।

बर्षसकृदा के उपनयन व प्रदत्त के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनु (१.१४१) व ९ अनुसोमा को द्विगो की त्रियाजो के योग्य माना है। मिताश्रया (याज्ञवल्क्य १।९२ एव ९५) का कहना है कि भाता की जाति के अनुसार ही अनुसोमों के हृद्य सम्पारित होने चाहिए और ६ अनुसोमा से उत्पन्न वर्णसंकरा की सन्तानों भी उपनयन के योग्य ठहरती हैं। बीषायनगृह्यसंप्रदाय (२।८) में क्षत्रियों बैस्या एक बलसकृदा यथा स्पर्शात् अम्बष्ठा आदि के लिए उपनयन-नियम दिये हैं। मनु (४।४१) के अनुसार सभी प्रतिशोम सूत्र हैं यहाँ तब कि ब्राह्मण पुरुष एक सूत्र गारी की सन्तान यद्यपि अनुसोम है किन्तु प्रतिशोम के समान ही है। सूत्र केवल एव जाति है द्विजाति नहीं (श्रीधर १.१५१) प्रतिशोमो (वाङ्) का भी उपनयन नहीं किया जाता।

१९. बृहदब्रह्मसमीक्षाव्याख्यानविद्याविभोन्वसहीनायबहिराधिवागामयाध्यवस्त्वारिबिबिन्नु तिदीर्घोतिवचरैतेन प्यारयता इत्येव। बीषायनगृह्यसंप्रदाय २।९।१४।

उपनयन-संस्कार की महत्ता इतनी बढ गयी कि कुछ प्राचीन ग्रन्थों में अथर्वण ब्राह्मण के उपनयन की चर्चा बर बनी है (बौधायनगृह्यसूत्र २।१)। आज तक यह उपनयन बहुत कम देसों में जाता है। अथर्वण के पश्चिम होम किया जाता है। पुष्यन से आने के संस्कार किये जाते हैं (अनुवृत्ति के माध्यम पर ही) किन्तु ब्याहृतियों में छान ही ऋग्वेद (१।८।११) के 'वत्स्यते' के साथ ब्रह्म का स्पर्श होता है। ब्रह्म और पूजन में बीच में एक बस्त्र-अथर्वण आता है। तब बाँट घुम स्नोक (मन्त्रपाठक) बड़े जाते हैं। तब बस्त्र हटा दिया जाता है और शुभसूक्त (ऋग्वेद १।७२।१९) नामक स्तुतियाँ मन्त्र होता है। इसके उपरान्त बस्त्र-अथर्वण यज्ञोपवीत देसना इत्य एव मृगधर्म ग्रन्थों के साथ दिये जाते हैं और ब्रह्म को स्पर्श करके गायत्री मन्त्र पढ़ा जाता है।

सावित्री-उपवेश

शतपथब्राह्मण (१।१।५।७।१७) से पता चलता है कि उपनयन के एक वर्ष छ मास २५ १२ मा ३ दिन के उपरान्त गुरु (आचार्य) द्वारा पश्चिम गायत्री मन्त्र का उपवेश ब्रह्मचारी के लिए किया जाता था किन्तु ब्राह्मण ब्रह्मचारियों के लिए तो गायत्री उपवेश शुरुत कर दिया जाता था। यह नियम इसलिए था कि कुछ पत्र क्लिप्त होने के उपरान्त ही छ मास से उच्चारण सम्भव था। शाक्यायनगृह्यसूत्र (२।५) मानवगृह्यसूत्र (१।२।२।१५) ब्राह्मण-गृह्यसूत्र (१।९) पारस्करगृह्यसूत्र (२।१) में भी यही नियम पाया जाता है। किन्तु सामान्य नियम तो यह था कि उपनयन के दिन ही गायत्री का उपवेश होता रहा है। अधिकांश धर्मों के मतानुसार आचार्य बलि के उत्तर पूर्वाभिमुख होता है और ब्रह्मचारी पश्चिम-मुख बैठकर आचार्य से पश्चिम सावित्री मन्त्र सुनाने को कहता है। तब आचार्य पहले एक पाद ठक दो पाद और फिर पूर्ण मन्त्र सिखाता है। बौधायनगृह्यसूत्र (२।५।३४ ३७) के अनुसार ब्रह्मचारी बलि में पसाश की या किसी अन्य यज्ञोपवीत ब्रह्म को धार सकृद्विदां भी मं हुबोकर बाँधता है और अग्नि वायु, आश्विन एव प्रथ के स्वामी के लिए मन्त्रोच्चारण करता है और आहुति देते समय स्वाहा कहता है। सूत्रों एवं टीकाओं में धर्मों के उपवेश के विषय में बहुत-से अतिरिक्त नियम हैं किन्तु ये अतिरिक्त नियम एवं अन्तर ब्याहृतियों (मूर्ध्नि स्व) के स्वाम को लेकर उत्पन्न हो गये हैं। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।२) पर सुबर्ण से दो उपाहरण यहाँ टिप्पणी में दिये जाते हैं।^{११}

४ सू मुब एव एव नामक रहस्यारमक प्रथम कर्त्तव्यी महाव्याहृतियां कर्त्तव्ये हैं (बौधायनगृह्यसूत्र २।१।४; मनु २।८।१)। इन्हे केवल ब्याहृतियों ही कहा जाता है। वे लिए तैत्तिरीयोपनिषद् १।५।१ ब्रह्मि ब्रह्म को भी ब्याहृति कहा गया है। ब्याहृतियों की संख्या सामान्यतः ७ है; सू मुब एव महा जन तत्र एवं तत्पत् (बौधायन २।५।९, वेदान्त ७।९)। गीतम (१।५।२ एवं २।५।८) में केवल ५ नाम दिये हैं यथा—सू मुब एव पुष्य एव कल्प। ब्याहृतिसाम में भी पंच ही नाम आये हैं किन्तु यहाँ पुष्य सबसे अन्त में आया है।

४१ ब्याहृतोचिह्नता पादाविव्यक्तेषु वा तन्वर्षयोवसता इत्यस्त्वाम्। आय गृह्य २।२ जित पर पुष्य का कहना है—'ओ नुस्तस्त्वितुर्वरेभ्यम्। ओं मुब भयो वैषत्य भीमहि। ओ मुब भियो यो न प्रबोदयात्। ओं नस्तस्त्वितुर्वरेभ्य जगो वैषत्य भीमहि। ओ मुब भियो यो न प्रबोदयात्। ओ मुब तस्त्वितुर्वरेभ्य भयो वैषत्य भीमहि भियो यो न प्रबोदयात्।—यह पहली विधि है। दूसरी विधि है ब्याहृतियों को अन्त में रख देना यथा—'ओ तस्त्वितुर्वरेभ्य सू। ओं भयो वैषत्य भीमहि मुब'। ओ भियो यो न प्रबोदयात् मुब'। ओ तस्त्वितुर्वरेभ्य भीमहि सू। ओं भियो यो न प्रबोदयात् मुब'। ओ तस्त्वितुर्वरेभ्य याम् मुब'। तिलाहट, ब्राह्मणगृह्य १।९; बौधायनगृह्य २।५।४। ५व अधिचर 'मुब' कहा गया है। ओमिति ब्रह्म। ओमितीव सर्वम्। ओमिति ब्राह्मणः प्रबोदयात् ब्रह्मोपायनातीति।

ओम्' मन्त्र प्राचीनकाल में ही परम पवित्र माना जाता रहा है और परमात्मा का प्रतीक है। तृतीय ब्राह्मण (२।११) में आचार की स्तुति पायी जाती है और वहाँ ऋषभ का मन्त्र (१।१६।१०) उद्धृत किया गया है यथा—
 ऋचा अक्षरे परमे जादि । यही अक्षर' का जर्ष आचार' किया गया है। तीर्त्तरीयाणियद् (१।८) के अनुसार ओम्' मन्त्र 'ब्रह्म' है ओम्' यह मन्त्र (सम्पूर्ण विद्य) है। ब्राह्मण जब वेदाध्ययन के पूर्व 'ओम्' मन्त्र का उच्चारण करता है तो उसका पीछे यही मानना रहनी है कि वह ब्रह्म का मन्त्रिकट पत्रक स्रोत। ओम्' का प्रथम कहा गया है। आप्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१३।६) के अनुसार "आचार स्वर्ग का द्वार है मन्त्र जिसे वेदाध्ययन करना ही उस प्रथम 'ओम्' कहना चाहिए। मन्त्र (२।३४) का कहना है कि प्रति दिन वेदाध्ययन का आरम्भ एक अक्षर में प्रथम दृष्टान्तों चाहिए, 'ओम्' के तीन अक्षर अर्थात् 'अ' 'उ' एव 'म्' तथा तीन व्याहृतियों प्रजापति द्वारा तीनों ब्रह्म का सम्पूर्ण में पीछ भी ययी है। मन्त्रानि (मनु २।३४) के अनुसार विद्यार्थी का वेदाध्ययन के आरम्भ में तथा गुरुत्व का ब्रह्म मन्त्र में ओम्' का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, किन्तु अप म यह आवश्यक नहीं है। मार्कण्डेयपुराण (४०) वायु-पुराण (२०) बृजहारीतस्मृति (६।५९.६२) तथा कल्पिय अन्य स्मृतियों में 'ओम्' मन्त्र के तीनों अक्षरों को सम्पूर्ण का साथ विष्णु, सरसी एव जीव के तथा तीनों ब्रह्म एव तीनों लोको का समानुत्पन्न माना गया है। कल्पनिघण्टु (१।२। १५ १७) में ओम्' को तीनों ब्रह्मों का अक्षर (परिणाम) ब्रह्मज्ञान का उद्भव एव इत्यथा प्रतीक माना गया है।

गायत्री का पून मन्त्र ऋषभ की ऋचा है (१।१२।१) और यह मन्त्र वेदा में भी उपमन्त्र है। यह मन्त्रिका (सूर्य) को सम्बोधित किया गया है किन्तु इस सगी प्रकार के जीवों एव पदार्थों के उद्गम एव प्रगम भी स्तुति के रूप में ही प्रकृत किया जा सकता है। इसका धार्मिक अर्थ है—'इमं विष्य मन्त्रिका मे आहूयात्री की (बुद्धि या मनीषा) को उत्तमिन् करने देवीव्यमान सेव का ध्यान करते हैं। बृज गुरुसूत्रा के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी प्रकार का विद्यार्थियों के लिए एव ही प्रकार का मन्त्र प्रवर्तित है किन्तु कुछ अन्य गुरुसूत्रा का अनुसार ब्राह्मणों के लिए सावित्री मन्त्र गायत्री (प्रत्येक पार आठ अक्षर) छत्र म तथा शनिता एव वैश्या के लिए त्रिष्टुप् (प्रत्येक पार म ११ अक्षर) का अक्षरी (प्रत्येक पार म १२ अक्षर) नामक छन्दा में हला चाहिए। यहाँ पर भी कुछ अन्तर रखा गया है। वायु गुरुसूत्र (४१।२) के टीकाकारों के अनुसार अदध्वेभि मन्त्रिका' (आठ ४।१) एव 'त्रिष्टुप् स्तुति' (आठ १६।८) नामक मन्त्र त्रम से शत्रिय एव वैश्य का लिए कहा गया है। शाखायनगुरुसूत्र (२।५।४ ६) का टीकाकार के अनुसार 'आ हृष्यत रजसा' नामक मन्त्र त्रिष्टुप् में शत्रिय के लिए तथा 'हिरण्यनागि मन्त्रिका' (आ १।३।५ ९) या 'हृष्य गुरुषु' (आ ४।४ १५) नामक मन्त्र अक्षरी में वैश्य का लिए कहा गया है। बाराहगुरुसूत्र (५) के अनुसार 'देवी याति मन्त्रिका एव मुञ्जने मन्त्र (आ ५।८।१।१) त्रम में त्रिष्टुप् एव अक्षरी छन्दा है और के त्रम में शत्रिय एव वैश्य का लिए कहा गया है। इसी प्रकार कई एक अन्तर पाये जाते हैं (तीर्त्तरीयमन्त्रिका १।३।३।१ वायु १।३।१४ आदि)। सावित्री मन्त्र ब्राह्मण क्षत्रिय एव वैश्य के लिए त्रम में गायत्री त्रिष्टुप् एव अक्षरी में ही पर एव

ब्रह्मोपाप्नोति। तं उ १।८ योयसूत्र (१।२७) के लिखा है 'तस्य वाचक-प्रथम'। आचार स्वर्गद्वारं तन्वाद् ब्रह्माप्नो व्यनाम एतद्वि प्रतिपद्येत्। आप्तम्बधर्मसूत्र १।४।१३।६। मनु (२।३४) की व्याख्या में वैद्यार्थि के लिखा है—
 सर्वेवाहृष्यकथयनविधियाराधर्षो यथा स्यात्। अतो होममन्त्रजराजराजानुबन्धनयाप्यारोनापारम मन्त्रि प्रकरोत्यत्रापि उदाहरणार्थ वैदिकवाचकव्यापारः। मानुषयोपनियद् (१०) एव गौडपाद की बार्त्तिकाओं (१।२४ ०) के आचार बरकृत कहा गया है।

अति प्राचीन विधि रही है।¹ पारस्करवृहस्पृण (२।३) के मत से सभी धर्म गायत्री या सावित्री मन्त्र को ही स गायत्री निष्पन्न या जगती मन्त्र से पढ़ सकते हैं। गायत्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६२।१) बसो प्रसिद्ध हो गया यह महत्त्व कठिन है। बहुत सम्भव है इस मन्त्र से बुद्धि (धी) की विमृता से बिस्व के उत्पन्न की ओर जो खेप मिलता है तथा इससे जो महती सरलता पायी जाती है, इसी से इसे अति प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी। गोपब्रह्मण्य (१।३२-३३) ने गायत्री मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की है। तैत्तिरीयारण्यक (२।११) में आया है कि "मू मुख स्व तापक रज्जुस्यम घण्ट बाभी के मध्य (घार) है, तथा गायत्री से सविता का धर्म है यह जो भी या महता को उत्पन्न करता है।" अथर्ववेद (१।७।१।१) ने इसे 'वेदमाता' कहा है और स्तुति में कहा है—“यह स्तुति करते वैसे जो कन्वी मनु यज्ञ सम्पन्न पशु आदि वे। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।१६) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१) मनु (२।७७-८३) विष्णुधर्मसूत्र (५५।१।१७) श्वस्मृति (१२) धर्म (२।१६-२२३) बृहत्संहिता (५) तथा अन्य इत्यादि में गायत्री की प्रशंसा महता गयी है। पराशर (५।१) ने इसे वेदमाता कहा है। गायत्री ने अप से सृष्टि प्राप्त होती है (श्वस्मृति १।२।२ मनु २।१४ वीधायनधर्मसूत्र २।४।७-९, अतिथ्यधर्मसूत्र २।१।१५)।

ब्रह्मचारिधर्म

ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम बने हैं जिन्हें हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं— प्रथम प्रथम प्रकार के नियम हैं जिन्हें ब्रह्मचारी अस्पृशक तक ही मानते हैं और दूसरे प्रकार के नियम जो छात्र-जीवन तक माने जाते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।२।१७) के अनुसार ब्रह्मचारी को उपनयन के उपरान्त तीन रातों या चार रातों का एक वर्ष तक धार, कर्म नही खाना चाहिए और पृथ्वी पर ध्यान करना चाहिए। यही बात वीधायन सू (२।५।५५) में भी पायी जाती है (यहाँ तीन दिनों तक प्रज्वलित अग्नि रखने का भी विधान है)। इस विषय में भारद्वाज्य (१।१०) पारस्कर्य (२।५) आश्विन्य (२।४।३३) हिरण्यकेशिण्य (१।८।२) मनु (२।१८ एव १७६) आदि स्वयं अथर्ववेद भी हैं जहाँ पर कुछ विभिन्नताओं के साथ ब्रह्मचारियों के नियम बताये गये हैं। मनु (२।१८ एव १७६) के अनुसार अग्नि में समिधा डालना शिक्षा माँगना मु-अभय युव के लिए काम करना प्रति दिन स्नान करना देवों का प्रियता पितरों का तर्पण करना आदि ब्रह्मचारियों का धर्म है। ये कार्य अस्पृशकानों माने गये हैं।

पूर्व छात्र जीवन के नियम हम सतपथब्राह्मण (१।१।५।४।१७) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।२।२) पर स्वरण्य (२।३) आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१४) वाठनसूत्र (४।१।१७) आदि में पा सकते हैं। ये धर्म हैं—आश्विन युवधुभूषण आश्विन्य (मौन) समिधासन। सुषो एव स्मृतिवो म इन नियमों के पालन की विधियाँ भी पायी जाती हैं (गीतम २।१४ व पाशावन्य २।६।८ शौभिक ३।१।२७ आश्विन २।५।१७-१९ हिरण्य ८।१-७ आपस्तम्बधर्म १।१।३।१।१ एव २।७।३ वीधायनधर्म १।२।७ मनु २।४९-२४९ आपस्तम्ब १।१।६ ३२ आदि)। अग्नि-विधियाँ (अग्नि-होम) शिक्षा संन्योपासन वेदाध्ययन का समय एव विधि कुछ रातों इव पर्वों एव भीनों का वर्जन मुत्सुभूषण (मुत्स तथा मुत्सुक एव अन्य गुरुजनों की सेवा) एव अन्य ब्रह्मचारि-जनों के विषय में ही नियम एव विधियाँ बतायी गयी हैं। कुछ अन्य बातों पर विचार करने के उपरान्त इनका वर्णन हम कुछ विस्तार का माह करने।

^१ गायत्री ब्राह्मणमनुसृत निष्पन्ना राजस्य जगदया धर्म म वेदविष्णुधर्मता शुद्धित्यसंस्कारो विज्ञानो। अतिथ्य ४।३।

उपनयन के चौथे दिन एक इत्य किया जाता था जिसका नाम था मन्वाजन (बुद्धि की उत्पत्ति) जिसके द्वारा यह समझा जाता था कि ब्रह्मचारी की बुद्धि वेदाध्ययन के योग्य हो गयी है (आश्वलायनगृह्य १।२२। १८-१९) याज्ञवल्क्यगृह्य (१।१) मन्वगृह्य (१।२।१७) वाट्यगृह्य (४।१।१८) एक सम्भारप्रनाय (पृ ४४४-४९) में भी यह इत्य पाया जाता है। इस इत्य के विस्तार में जाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है।

उपनयन के समय प्रवृत्त अग्नि को समिधा कहकर तीन दिनों तक रक्षना पड़ता था। इसके उपरान्त साधारण अग्नि में समिधा डाली जाती थी। प्रति दिन प्रातः एक साथ समिधा डाली जाती थी। इस विषय में शीषा यनगृह्य (२।५।५५-५७) आपस्तम्बगृह्य (२।२२) आश्वलायनगृह्य (१।२।१०-१७ एवं ४) याज्ञवल्क्य गृह्य (२।१) मनु (२।१८६) याज्ञवल्क्य (१।२५) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।४।१७) आदि अचलनीय हैं। विषय विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

समिधा के विषय में भी जोड़ी जानकारी आवश्यक है। समिधा पकाय की या जिली अथवा यज्ञभूत की होनी चाहिए। इन बृशो के नाम दिये गये हैं—यज्ञाय अदत्त्य स्यशोष पञ्च वैश्वत उदुम्बर, विन्न चन्न सरस पात्र देवदाह एक क्षरिह। बामुपुराण में सर्वप्रथम स्थान पमाय को दिया है उसने उपरान्त कम छ क्षरिह शनी रोहितक अदत्त्य बर्क या बैतस को स्थान दिया है। त्रिशाङ्गमण्डन (२।८२-८४) ने इस विषय में कई नियम दिये हैं। इसके अनुसार समिधा के लिए पमान एक क्षरिह के बृक्ष सर्वश्रेष्ठ हैं और कोबिलार, बिभीषण कपिल बरम राजभृश राजकुम नीप लिम्ब बरम्ब लिम्ब स्केप्लाण या सास्मिकि जनी भी प्रयोग में जाने योग्य नहीं हैं। अँगूठे से मोटी समिधा नहीं होनी चाहिए। इसे छीसना नहीं चाहिए। इसमें कोई भीका छपा हुआ नहीं होना चाहिए और न यह धुनी हुई होनी चाहिए। इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। यह एक प्रादेग (अँगूठे से छत्तर तर्जनी तक) से न बड़ी और न छोटी होनी चाहिए। इसमें पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए और पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए।

मिथा

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।७-८) ने मिथा के विषय में लिखते समय कहा है कि ब्रह्मचारी का ऐसा पुण्य था सभी ने मिथा माँगनी चाहिए जो न न रहे और माँगने समय ब्रह्मचारी को बहना चाहिए महोदय भावना होना। अन्य धर्मशास्त्रकारों ने विष्णु विवरण उपस्थित किया है। हिरण्यरिगिगृह्यसूत्र ने लिखा है— आचार्य सर्वप्रथम वस्त्र देना है उसने उपरान्त मिथा-यात्र देकर कहना है जोशो बाहर और मिथा माँग लामो। पहले वह माता न तब अन्य वपानु घरों से मिथा माँगना है। वह मिथा माँगकर मुख को बाहर देना है, कहना है 'यह मिथा है। गुरु पहन करता है यह अच्छी मिथा है। शौभावनगृह्यसूत्र (२।५।४७-५१) ने भी नियम दिये हैं यथा—आचार्य

४३ पत्ताप्रातःकालस्यशोषफलसर्वैश्वनोदुम्बर । आश्वतोथुम्बरी विष्णुचक्रम्बन-मरुत्पत्ता ॥ घातारक्ष देव सादारण साक्षरिहर्षेति पतिता ॥ ब्रह्मपुराण (दृष्टवत्साधर पृ ६१ में उद्धृत)।

४४ अचार्ये अक्षरिह पत्र प्रयच्छप्राह ॥ आतरमेवापे मिलरवेति । स आतरमेवापे भिसते । अक्षरिह मिथा दिर्गति ब्रह्मशो विज्ञान । मिथा अक्षरिह वैरीनि राजव्य । वैरि मिथा अक्षरीति वैरि । तत्पत्ताहृत्वायायाय प्राह भैतमिदमिति । तन्मुभैतमितीतर प्रतिगृह गति । (श्री मू २।५।४७-५१)।

ब्रह्मचारी इन सबको के साथ मिथा माँगता है 'भवति मिथा बेहि' (अरे मुझे भोजन दीजिए) नित्य ब्रह्मचर्य एव वस्य ब्रह्मचारी को कम से मिथा भवति बेहि' एव 'बेहि मिथा भवति' कहना चाहिए। यही बात श्रीपादधर्मसूत्र (१।२।१७) मनु (२।४९) याज्ञवल्क्य (१।३) तथा अग्न्य ऋषी ने भी कही है (देखिए शास्त्रायन पृ. २।६।१५-८) गोमिल्लु २।१।४२-४४ आश्विन्यु २।४।२८-३१)। मनु (२।५) के अनुसार सर्वप्रथम माता से तब बलि से या मीसी से माँगना चाहिए। ब्रह्मचारी को मिथा देने में कोई आनाजानी नहीं कर सकता वा क्योंकि ऐसा करने पर क्रिये गये सत्कर्मों से उत्पन्न सुख यथापि से उत्पन्न पुण्य सन्तान पशु आध्यात्मिक यश आदि का नाश हो जाता है। यदि नहीं अन्यत्र मिथा न मिले तो ब्रह्मचारी को अपने घर से अपने गुरुजनो (मामा आदि) से सम्बन्धियों से और अन्त में अपने पुत्र से मिथा माँगनी चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।३।२५) के अनुसार ब्रह्मचारी अपनाओ (चाखाक आदि) एव अमिधस्तो (अन्य) को छोड़कर किसी से भी भोजन माँग सकता है। यही बात नीतम (२।४१) में भी है। इस विषय में मनु (२।१८६ एव १८५) याज्ञवल्क्य (१।२९) भीसनस आदि के मत अनसोक्तनीय हैं। धूम्रो से भोजन माँगना सर्वत्र बहिष्कृत माना गया है। पराधरमाधवीय (१।२) ने लिखा है कि आपस्तम्ब ने भी शूद्र के यहाँ का पना भोजन मिथा रूप में नहीं केना चाहिए।

मनु (२।१८९) श्रीपादधर्मसूत्र (१।५।५९) एव याज्ञवल्क्य (१।१८७) ने मिथा से प्राप्त भोजन को शुद्ध माना है। मिथा से प्राप्त भोजन पर रखनेवाले ब्रह्मचारी को उपवास का फल पानेवाला कहा गया है (मनु २।१८८ एव बृहस्पतस्य पृ. १३)। ब्रह्मचारी को बोझ-बोझ करके कई गृहो से भोजन माँगना चाहिए। केवल वैश्वदेव या पितरों के आहुत-काक में ही किसी एक व्यक्ति के यहाँ भरपेट भोजन ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८ १८९, एव याज्ञ १।३२)।

नीतम (५।१९) ने लिखा है कि प्रति दिन वैश्वदेव के अन्न एव मृतो की बलि के उपरान्त गृहस्थ को 'स्वस्ति' शब्द एव अन्न के साथ मिथा लेनी चाहिए। मनु (३।९४) एव याज्ञवल्क्य (१।१८) ने कहा है कि ब्रह्मचरियों को मिथा (भोजन) आबर एव स्वागत के साथ लेनी चाहिए। मिथाकार में एक कीर (बाघ) की मिथा की बस्त चखायी है (याज्ञ १।१८)। एक कीर (बाघ) मयूर (मोर) के अण्डे के बराबर होता है। एक पुष्कर चार प्रास के बराबर, हस्त चार पुष्कर के बराबर तथा अन्न तीन हस्त के बराबर होता है।^१

प्राचीन काल में प्रति दिन अग्नि में समिधा डालना (होम) तथा मिथा माँगना इतना आवश्यक माना जाता था कि यदि कोई ब्रह्मचारी अगाधार साठ दिनों तक बिना कारण (बीमारी आदि) के यह सब नहीं करता वा तो उसे बड़ी प्रायश्चित्त करना पड़ता वा जो ब्रह्मचारी रूप में सम्भोग करने पर किमा जाता वा। इस विषय में देखिए श्रीपादधर्मसूत्र (१।२।५४) मनु (२।१८७) एव विष्णुधर्मसूत्र (२।८।५२)।

मिथा केवल अपने लिए नहीं माँगी जाती थी। ब्रह्मचारी मिथा खाकर गृह को निवेदन करता वा और गृह के आदेश में अनुसार ही उसे ग्रहण करता वा। गुरु की अनुपस्थिति में वह गुरुपत्नी वा सुद-पुत्र को निवेदन करता वा। यदि ऐसा कोई व मिथ तो वह आनी ब्राह्मणे से खाकर बैसा ही कहता वा और उनके आदेशानुसार जाता वा (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।३।३१ ३५, मनु २।५१)। ब्रह्मचारी जूटा नहीं छोड़ता वा और पात्र की ओर एव

^१ मिथा च प्राप्तमिथा। प्राप्तश्च धमूरत्स्यपरिमाण। प्राप्तमात्रा भवेद् मिथा पुष्कर तत्तनुर्मुच्यते। हस्तानु तेषचतुर्नि स्वावध त्त् त्रिगुण भवेत् ॥ इति शास्त्रास्तपस्वरचनात्। मिथाकारा (याज्ञवल्क्य १।१८)।

देता था। बच्चा हुआ कुछ मास नष्ट किया जाता था या बड़ा किया जाता था या युवक कुछ नीकर का द दिया जाता था।

ब्रह्मचारी समिदा करने एक मिस्रा मींगने के अतिरिक्त धुर क लिए पाना म जठ भरता था पुण्य एवम करता था योवन मिट्टी कुछ खादि बुनता था (मनु २।१८२)।

सध्या

उपनयन के दिन कोई प्रातः सध्या नहीं की जाती। अमिति क अनुसार गायत्री मन्त्र बतलान क पूर्व कर्त्त सध्या नहीं होती। अठ उपनयन के दिन रोपहर स सध्या का आरम्भ होता है। इस कार्य को सामान्यतः 'सन्ध्या-पासना' या 'सन्ध्यावन्दन' या बचक सध्या कहा जाता है। उपनयन के दिन कश्चक गायत्री मन्त्र से ही सध्या की जाती है। 'सन्ध्या' शब्द कश्चक रात एव दिन क सन्धिकाल का बोधक मात्र नहीं है, प्रत्युत यह प्रार्थना या स्तुति का भी बोध प्राप्त या साय की जाती है, योवन है। यह कभी-कभी दिन म तीन बार कर्त्तान् प्रातः रोपहर एव मास होती थी। अत्रि न सिखा है—'आयज्जानी दिन को सध्या तीन बार करनी चाहिए। इन तीन मध्याओं को क्रम से गायत्री (प्रातःकालीन) सावित्री (मध्याह्निकालीन) एव सरस्वती (सायकालीन) कहा जाता है एसा योग्यात्र बन्धय का मत है। सामान्यतः सध्या दो बार ही (प्रातः एव साय) की जाती है (आयज्जानमनुसूत्र ३।७ आय-स्तम्बधर्म १।१११ १८, गीतम २।१७ मनु २।१ १ याज्ञवल्क्य १।२४ २५ आदि)।

सत्री के मत से प्रातः सूर्योदय के पूर्व से ही प्रातःसध्या आरम्भ हा जाती चाहिए और जब तक सूर्य का बिम्ब शील न पड़े तक कश्चकी रहनी चाहिए और मायकाळ सूर्य के डूब जाने तथा तारो के निकल जाने तक सध्या होती चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ सध्या करने का समय कहा गया है किन्तु गौक काळ माना गया है सूर्योदय एव सूर्यास्त के उपरान्त तीन घटिकारें। एक मूर्धन (योग्यात्रबन्धय के अनुसार वा घटिकात्रा कर्त्तान् वा घटिको) तक सध्या की अवधि होती चाहिए। किन्तु मनु (४।१३ ९४) क मत से अमिती देर तक चाहें हम सध्या कर सकने हैं क्वाकि मन्त्री सध्या करने से ही प्राचीन ऋषिया को शीर्ष आयु, बुद्धि यस कीति एव आध्यात्मिक पबिन प्राप्त हो गयी थी।

अभिवाद्य शम्भुचारो क अनुसार गायत्री का अप तथा अन्य पूठ मन्त्र सध्या म प्रमुख हैं तथा मार्जन खादि योवन है, किन्तु मनु (२।१ १) की व्याख्या म मघातिवि न अप को गौक तथा मन्त्र एव वासन को प्रमुख स्थान दिया है। सध्या करनी चाहिए' क तात्पर्य है आरित्य नामक दधता का वा सूर्य-मन्त्रक का योवन है ध्यान करना तथा इस सध्या का भी ध्यान करना कि बड़ी बुद्धि या मंत्र उनके अन्त म भी अवस्थित है। गौक क बाहर सध्या के लिए उचित स्थान माना गया है (आयस्तम्बधर्म १।११३ १८, गीतम २।१६ मालवगुह्य १।२।२)। इस विषय म एकात्म स्थान (शाक्यायनगुह्य २।१।१) नहीं का तः या कोई पबिन स्थान (श्रीवायनगुह्य २।४।१) ही विविष्ट रूप से चुना गया है। किन्तु अमिहोत्रिया क लिए ऐसा कोई विवात नहीं है क्वाकि उन्हू वै दध क्रियाएँ एव होम करना होगा ही और बहू भी सूर्योदय के समय अतः क अपन कर म ही सध्या कर सकतें हैं। अपराकं हात उन्नत बन्धि क कवन म पना कथना है कि कर की अनेका यीष्टाका या नहीं के तः या बिष्णु-मन्दिर या गिवाक्य के पास सध्या करना अत्र क दम गुना लाभ गुना या अमम्य गुना (अमन्त्र गुना) कच्छा है। प्रातःकालीन सध्या लड हौषर तथा मायकालीन वैश्वर करनी चाहिए (आयस्तम्बधर्म ३।७।६ शाक्यायनगु २। १। १ एव ३ मनु २।१)। प्रातःकालीन सध्या पूर्व दिशा मे तथा मायकालीन उत्तर-पश्चिम दिशा म करनी चाहिए। सध्या करनेवाके को स्थान करना चाहिए, पबिन स्थान पर हुआ-आगत पर बैठना चाहिए यमोवीन बाण करना चाहिए एव मीन रहना चाहिए (सध्या करते समय बाणधीन नहीं करनी चाहिए)।

ब्रह्मचारी इन चण्डो के साथ भिक्षा माँगता है 'मवति भिक्षा बेहि' (मझे मुझे भोजन दीजिए) किन्तु क्षत्रिय वंश के ब्रह्मचारी को कम से 'भिक्षा मवति बेहि' एवं 'बेहि भिक्षा मवति' कहना चाहिए। यही बात बौध्दाचार्यवर्मण (११२।१७) मनु (२।४९) याज्ञवल्क्य (१।३) तथा अन्य लोगों ने भी कही है (इसलिए शास्त्रायन मू २।१।५-६ गोमिलगु २।१।४२-४४ आदिरगु २।४।२८ ३१)। मनु (२।५) के अनुसार सर्वप्रथम माता से एवं बहिन से या मीठी से भोजन चाहिए। ब्रह्मचारी को भिक्षा देने में कोई आनाकानी नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा करने पर जिये गये सत्त्वार्थों से उत्पन्न गुण यज्ञादि से उत्पन्न पुण्य सन्तान पशु आभ्यात्मिक कर्मों आदि का नाश ही जाता है। यदि कहीं अल्प भिक्षा न मिले तो ब्रह्मचारी को अपने घर से अपने पुत्रों (माया आदि) से सम्बन्धियों से और अन्त में अपने गुरु से भिक्षा माँगनी चाहिए।

भास्वत्त्वधर्मसूत्र (१।१।३।२५) के अनुसार ब्रह्मचारी उपवासों (आषाढ आदि) एवं ब्रह्मिष्ठों (अन्तर्यामियों) को छोड़कर किसी से भी भोजन माँग सकता है। यही बात गौतम (२।४१) ने भी है। इस विषय में मनु (२।१८३ एवं १८५) याज्ञवल्क्य (१।२९) औशनस आदि के मत अवलोकनीय हैं। घृहो से भोजन भिक्षा सर्वत्र ब्रह्मिष्ठ माना गया है। पराशरस्मार्थीय (१।२) ने लिखा है कि आपत्काल में भी भूख के यहाँ का पना भोजन भिक्षा रूप में नहीं लेना चाहिए।

मनु (२।१८९) बौधायनधर्मसूत्र (१।५।५९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८७) ने भिक्षा से प्राप्त भोजन को शुद्ध माना है। भिक्षा से प्राप्त भोजन पर रखनेवाले ब्रह्मचारी को उपवास का फल प्राप्त होता कहा गया है (मनु २।१८८ एवं बृहस्पत्यस्मृत पृ १३)। ब्रह्मचारी को बोझ-बोझा करके कई घृहो से भोजन माँगना चाहिए। केवल वेदपूजन या पितृता के श्राद्ध-काल में ही किसी एक व्यक्ति के यहाँ भरणे भोजन ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८ १८९, एवं याज्ञ १।३२)।

गौतम (५।११) ने लिखा है कि प्रति दिन वैश्वदेव के यज्ञ एवं सूतो की ब्रह्मिष्ठ के उपरान्त बृहस्पति को 'स्वस्ति' पाठ्य एवं पाठ के साथ भिक्षा देनी चाहिए। मनु (१।९४) एवं याज्ञवल्क्य (१।१८) ने कहा है कि ब्रह्मिष्ठ वर ब्रह्मचारियों को भिक्षा (भोजन) आदि एवं स्वाभ्युष के साथ देनी चाहिए। मिताश्राव ने एक और (श्राव) को भिक्षा की बात बतलाई है (याज्ञ १।१८)। एक और (श्राव) मयूर (मीर) के अण्डे का बराबर होता है। एक पुत्रन बार पात्र का बराबर इन्त बार पुत्रन के बराबर तथा अष्ट तीन हस्त के बराबर होता है।^१

प्राचीन काल में प्रति दिन अन्न में समिधा डालना (क्षेम) तथा भिक्षा माँगना इनका आवश्यक भाग था कि यदि कोई ब्रह्मचारी लगातार सन्न दिनों तक भिक्षा नारण (बीमारी आदि) के वह पत्र नहीं करता था तो उस ब्रह्मिष्ठ प्रायश्चित्त करना पड़ता था जो ब्रह्मचारी रूप में सम्भोग करने पर किया जाता था। इन विषय में इतिहास बौध्दाचार्यवर्मण (१।२।५४) मनु (२।१८७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२।८।५२।)

भिक्षा केवल अपने भिष्ट नहीं माँगी जाती थी। ब्रह्मचारी भिक्षा क्षत्रिय भूख को निवेदन करता था और क्षत्रिय वंश के अनुयायी उस ग्रहण करता था। गुरु को अनुपस्थिति में वह भूखली या भूख-भूख को निवेदन करता था। यदि गुरु का न मिले तो वह माता आश्रयों में जाकर भिक्षा ही माँगता था और उसके आदिगानुसार माता का (अन्तर्याम्यधर्मसूत्र १।१।३।३५, मनु २।५१)। ब्रह्मचारी जूटा नहीं छोड़ता था और पात्र को घात न

१. इतिहास धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र अनुवादपरिभाषा: धर्मशास्त्र भवेत् भिक्षा पुत्रनं तत्रचतुर्धनुः। इत्यगु मीचतुर्धनुः इत्यारं तन् विगुर्धनुः भवेत् ॥ इति धर्मशास्त्रपरिभाषायां। भिक्षाक्षत्रिय (याज्ञवल्क्य १।१८)।

देता था। बच्चा हुआ कुछ भोजन मात्र दिया जाता था या बहू दिया जाता था या गुरु के चूड़ मीकर को दे दिया जाता था।

बहुनाचरी समिधा स्नान एवं मित्रा मीयने के अतिरिक्त पुर के लिए पाना में बरस भरता था पुष्प एकत्र करता था गीबर, मिट्टी कुम आदि जुगुता था (मनु २।१८२)।

सध्या

उपनयन के दिन कोई प्रातः सध्या नहीं की जाती। नैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतलाने के पूर्व कोई सध्या नहीं होती। अतः उपनयन के दिन सोपहर से सध्या का आरम्भ होता है। इस कार्य को सामान्यतः 'सन्ध्योपासना' या सध्याबन्धन या बेबल सध्या कहा जाता है। उपनयन के दिन केवल गायत्री मन्त्र से ही सध्या की जाती है। 'सध्या' शब्द केवल रात एवं दिन के सम्बन्ध का द्योतक मात्र नहीं है प्रत्युत यह प्रार्थना या स्तुति का भी जो प्रातः का साय की जाती है द्योतक है। यह कमी-कमी दिन में तीन बार अर्थात् प्रातः सोपहर एक साय होती थी। अत्रि ने लिखा है—'आत्मज्ञानी द्विज को सध्या तीन बार करनी चाहिए। इन तीन सध्याओं को क्रम से गायत्री (प्रातःकालीन) सावित्री (मध्याह्नकालीन) एवं सरस्वती (सायकालीन) कहा जाता है एषा योगयाज-बन्धन का मत है। सामान्यतः सध्या दो बार ही (प्रातः एक साय) की जाती है (आश्वलायनबृहसूत्र ३।७ आपस्तम्बधर्म १।१।१। ८, शौतम २।१७ मनु २।१ १ याज्ञवल्क्य १।४ २५ आदि)।

समी के मत से प्रातः सूर्योदय के पूर्व से ही प्रातः सध्या आरम्भ ही जानी चाहिए और जब तक सूर्य का बिम्ब शीतल न पड़े तक एक बल्की खड़ी चाहिए और सायकाल सूय के बूझ जाने तथा सारी के निवृत्त जाने तक सध्या होनी चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ सध्या करने का समय कहा गया है किन्तु गीष काक माना गया है सूर्योदय एक सूर्यास्त के उपरान्त तीन बटिकारों। एक मुहूर्त (योगयाजबन्धन के अनुसार दो बटिकाओं अर्थात् दो बटियों) तक सध्या की अवधि होनी चाहिए। किन्तु मनु (४।९३ ९४) के मत से त्रिपती केर तक जाइ हम सध्या कर सक्ते हैं क्योंकि कभी सध्या करने से ही प्राचीन ऋषियों को शीर्ष आयु बुद्धि मधः कीर्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सची थी।

अधिकार्य सध्याचारों के अनुसार गायत्री का अप तथा अन्य पूठ मात्र सध्या में प्रयुक्त हैं तथा मार्जन आदि शीघ्र है, किन्तु मनु (२।१ १) की व्याख्या में भवतिभि ने अप को गीष तथा मन्त्र एक आसन को प्रयुक्त स्थान दिया है। "सध्या करनी चाहिए" से तात्पर्य है आरिख नामक देवता का जो सूर्य-व्यवहारी का द्योतक है ध्यान करना तथा इस तप्य का भी ध्यान करना कि वही बुद्धि या ठेक उसके अन्त में भी अवस्थित है। शीघ्र के बाहर सध्या के लिए अर्पित स्थान बनाया गया है (आपस्तम्बधर्म १।१।१। ८, शौतम २।१६, मानवबृह १।२।२)। इस विषय में एकान्त स्थान (आश्वलायनबृह २।९।१) नहीं था तथा कोई पवित्र स्थान (श्रीशायनबृह २।४।१) ही निर्दिष्ट रूप से चुना गया है। किन्तु अग्निहोत्रियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है क्योंकि उन्हें वे एक बियाएँ एक होम करना होता है और वह भी सूर्योदय के समय अतः वे अपने घर में ही सध्या कर सक्ते हैं। अथर्वण द्वारा उक्त बनिष्ठ कथन से पता चलता है कि घर की अथवा गीशाका या नहीं के तट या किन्तु-अग्नि वा शिवालय के पास सध्या करना कम से कम गुना काक गुता या अमस्य गुता (अनन्त गुता) अच्छा है। प्रातः कालीन सध्या करने होकर तथा सायकालीन बँटकर करनी चाहिए (आश्वलायनबृह ३।७।६ आश्वलायन २। ११ एक ३ मनु २।१ २)। प्रातःकालीन सध्या पूर्व किया म तथा सायकालीन उत्तर-पश्चिम दिशा में करनी चाहिए। सध्या करनेवाक का स्थान करना चाहिए, पवित्र स्थान पर बुधा-आसन पर बैठना चाहिए यज्ञोपवीत बाण्ड करना चाहिए एक मीन खतना चाहिए (सध्या करते समय शान्ति नहीं करनी चाहिए)।

सम्बन्धोपासन की प्रमुख विधायें ये हैं—आचमन प्राजापाम मार्जन (मन्त्रों द्वारा अपने ऊपर तीन बार फली सिद्धकृता) अथमर्षण अर्घ्य (सूर्य को बरक देना) गायत्री षप एव उपस्वान (प्रातः काष्ठ सूर्य की एव सायंकाष्ठ सामान्तर ब्रह्म की प्रार्थना मन्त्रों के साथ करना)।

तैत्तिरीय आरण्यक (२।२) में सर्वप्रथम सम्बन्ध का वर्णन पाया गया है जहाँ अर्घ्य एव गायत्री षप ही प्रधान क्रियाएँ देखने में आती हैं। काष्ठान्तर में बहुत-सी बातें जुड़ती जिनकी जिनका विस्तार यहाँ अनात्मस्थ है। इन यहाँ उन बातों पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेये। आचमन के विषय में विस्तृत नियम गीतम १।३।५।४ आस्तम्ब-धर्म (१।५।१५।२ ११ एव १९) मनु (२।५।८ ६२) याज्ञवल्क्य (१।१८ २१) में पाये जाते हैं। तैत्तिरीय ब्रह्मण्य (१।५।१) एव आस्तम्बधर्म (१।५।१५।५) के अनुसार पृथिवी के मूढ़ों के जल से आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा में (कड़े या झुककर नहीं) करना चाहिए। इसके लिए पवित्र स्वाम होना चाहिए। बरक गर्म या फेंकित नहीं होना चाहिए। अन्न को अमरों से तीन बार स्पर्श करना चाहिए (सुबकना चाहिए)। गीते बाह्ये हाथ से आँसू काम नाक उर एव सिर झूना चाहिए। आचमन का जल ब्राह्मणों के लिए हूयन तक क्षत्रियों के लिए कण्ड तक एव वैश्यों के लिए तासु तक होना चाहिए। दिनयाँ एव सूड उठना ही जल मुझक लगे है जो उनके ठाक ठक वा सके। मनु (२।१८) एव याज्ञवल्क्य (१।१८) के अनुसार जल ब्राह्मणों (मैठों की बह) से सुबकना चाहिए।^{११} आचमन की क्रिया सामान्यतः सत्री धार्मिक क्रियाओं में देखी जाती है। मोक्षन करने के पूर्व एव परजाप भी आचमन किया जाता है। आजकल आचमन विष्णु के तीन नामों (केशव नारायण एव माधव) के साथ किया जाता है (भोम् केशवाय नम आदि)। कहीं-कहीं विष्णु के २४ नाम लिये जाते हैं, ज्य बक्षिण में।^{१२}

प्राजापाम को योजयून (२।४९) में ब्राह्मण एव प्रस्थास का गति-विष्ण्व्य कहा गया है।^{१३} गीतम (१।५) के अनुसार प्राजापाम तीन हैं जिनमें प्रत्येक १५ मात्राओं तक बसता है। वीजापयनधर्म (५।१।३) बसिष्ठधर्म २।५।१३ लक्ष्मणुति (७।१४) एव याज्ञवल्क्य (१।२३) के अनुसार प्राजापाम के समय पायत्री वा सिर 'भोम्' के साथ समन्वित तीनो ब्राह्मणियाँ एव गायत्री का मन्त्र मन-ही-मन पुहराये जाते हैं। योज-याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्रह्मण्य में से सारो ब्राह्मणियाँ (जिनमें प्रत्येक के पहले 'भोम्' अवश्य जुड़ा रहता चाहिए) तक गायत्री मन्त्र और ब्रह्मण्य

४६ कनिष्ठिका (काली) तर्बनी एवं अँगुठे की जड़ों को एवं हाथ की अँगुलियों के पोरों की कम से प्राजाप्य (या काव) पिय्य ब्राह्मण एवं बंभ तीर्थ कहा जाता है (द्वैविद्य याज्ञ १।१९, विष्णुधर्म ६।२।१४ बसिष्ठधर्म ३।६४ ६८ वीजापयनधर्म १।५।१४ १८)। इस विषय में प्रण्यकारों में कुछ मतान्तर भी हैं यथा—बसिष्ठ के अनुसार पिय्य तर्बनी एवं अँगुठे के बीच में है एवं मानुव तीर्थ अँगुलियों के पोरों पर है। अन्य लोगों के मत से चार अँगुलियों की जड़ें अर्ब तीर्थ कहवाती हैं (वीजापयनधर्म १।५।१८)। वीजापयनयुक्त १।५ एव पारस्करयुक्त बरिष्मिन्ध में पाँच तीर्थों के नाम लिये हैं (वीचर्वा है आग्नेय अर्बत्त हुवेती)। आग्नेय की अर्ब लीनों में तीम्प भी कहा है।

४७ अग्निपुराण (अध्याय ४८) में विष्णु के २४ नाम आये हैं—केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णु मधुसूदन विशिष्णव वामन वीरव, हृषीकेश अधनाभ दामोदर, सत्कर्षव वानुदेव प्रसुम्न अविष्य पुष्योत्तम अवीतक नारसिंह अम्बुत, अनार्यन उपेय्य हरि, पीडुप्य।

४८ तस्मिन्मति (आसनत्रये तति) ब्राह्मणप्रस्थासयोर्भस्मिन्विष्णवे प्राजापाम । योगसूत्र (२।४९) ।

मायत्री का चिह्न कुहरना चाहिए।" प्राणायाम के तीन अंग हैं—पूरक (बाहरी वायु नीतर लाना) कुम्भक (सिन्धे हुए स्वास को रोके रखना अर्थात् न तो स्वास छोड़ना न प्रहरण करना) एव रेचक (फेफड़ों से वायु बाहर निकालना)। मनु ने प्राणायाम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है (१।७०-७१)।

मार्जन में तात्र उपन्यसनाद्य या मिष्टी कं बरतन मे रके हुए जल को कुश से छिड़का जाता है। मार्जन करते समय 'आम्' व्याहृतियाँ गायत्री एवं 'आपो हि ष्टा (ऋ १।११९.३) नामक तीन मन्त्र पुनरावृत्त किये हैं। वीषायनयनम् (२।४१२) में अन्य वैदिक मन्त्र भी जोड़ दिये हैं किन्तु मानवमूत्रमूत्र (१।१२४) याम्यत्वम् (१।२२) आदि में मार्जन के लिए कबक उपर्युक्त आपो हि ष्टा नामक तीन मन्त्रों के लिए ही व्यवस्था की है।"

अधमर्षक (पाप को मराना) में भी में नाल की मूर्ति बाह्ये हाथ का रूप बनाकर, उसमें जल लेकर, नाक के पास रखकर उस पर स्वास लेकर (इस भावना से कि अपना पाप भग्न जाय) ऋत च (ऋ १।१९९।१३) नामक तीन मन्त्रों के साथ पृथिवी पर बायी ओर जल फेंक दिया जाता है।

अर्घ (सम्मान के साथ मूर्त को बर्कार्षक) में होना जुड़े हुए हाथों में जल लेकर, मायत्री मन्त्र कहते हुए मूर्त की ओर उन्मुख होकर तीन बार जल मिराना होता है। यदि सबक पर हो या वायुगृह में हो अर्थात् यदि जल सुभग्न न हो तो ब्रह्म से ही अर्घ्य देना चाहिए।

गायत्री कं रूप के विषय में छात्रिणी उपवेद नामक प्रकरण उद्धरण है। गायत्री के रूप के विषय में बिल्कुल विवरण पाया जाता है। इस पर अपराकं (पृ ४९४८) स्मृतिचन्द्रिका (पृ १४३ १५२) चण्डेकर के गृह्यखलान्तरे (पृ २४१ २५) एवं आङ्गिकप्रकाश (पृ ३११ ३१६) द्वारा प्रस्तुत विस्तार वहाँ नहीं दिया जा रहा है। आङ्गिक कं प्रकरण में कुछ बातें बलरामी जर्मनी।

उपस्थान म वीषायन मे मतानुसार उद्यमम् (ऋषेय १।५।१) उद्युपम् (ऋ १।५।१) विजम् (ऋ १।१२५।१) 'उत्पद्य (ऋ ७।६६।१६) 'य उद्यदात् (ऋ आरण्यक ४।८२।५) न माय मूर्त की प्रार्थना करनी चाहिए। मनु (२।१३) के मत से जो व्यक्ति प्राण एव छात्र सम्प्रापयाना नहीं करता उस द्विजा की घेपी से अक्षय कर देना चाहिए। गौमिसंस्मृति (२।१) न अनुसार ब्राह्मण्य तीन सम्प्राप्तों में पाया जाता है और जो सम्प्रापयान नहीं करता वह ब्राह्मण नहीं है। वीषायन-अर्घमूत्र (२।४१२) का कहना है कि राजा का

४९. भुङ्क्ते स्वर्गद्वर्जस्तप सत्य तर्जं च । प्रत्येकारत्तमावुपगततात्सतस्विनुर्जप ॥ ओपायोऽप्योतिरित्येष चिह्नः परब्रह्मयोऽद्यैत् । विरावर्तनयोपात् प्राणायामस्तु प्रथित ॥ योषवाऽक्षयत्वम् (स्मृतिचन्द्रिका, पृ १४१ भाग १ में उद्धृत) ।

५. सुरमिमत्या अतिगायित्रीवर्जोमिहिरव्यवर्षानि पाषाणानीमिर्वाहृतिनिरत्येव पश्चिरेत्यात्मान प्रोषय प्रपन्नो भवति । वी य (२।४१२) । सुरमिमानी ऋषेय का इतिहास्यो आदि (४।३९।६) मन्त्र है अग्निव्य है ऋ १।१९।३ वादनी है इन में अक्षय (ऋ १।२५।१९) तथा घामि (ऋ १।२४।११) अक्ष ते (ऋ १।२४।१४) एव अक्षयैर् (ऋ ७।८९।५) । पाषाणी स्वादिष्टया मरिष्टया (ऋ ९।१।१) है किन्तु कुछ लोगों के मत से ऋ ९।६७।२१ २७ वाले मन्त्र हैं । शिरसो पाञ्चन पुष्यस्तुभ्रं सोषकविभुनि । प्रथवा भुङ्क्ते स्वर्ग लाघिनी च तृतीयया । अक्षयत्तम्यव्यवर्षक चानुर्ध इति मार्जमम् ॥ योऽजितस्मृति (२।४।५) ; अक्षयत्तम्युक् ऋषेय (१।१९।३) में है । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।९।७) में "आपो हि ष्टा भयोनुव इत्यर्धमिर्जपते । आपो ये तर्जं वैकतः" वाया जाता है ।

बाहिए कि वह सन्ध्या म करनेवाले ब्राह्मणों से घृत्र का काम ले। सन्ध्या के घृत्रा के विषय में बहिए स्तु (२।१२) शीघ्रायनधर्म (२।१।२५-२८) याज्ञिकस्य (३।१३)। जब शक्ति सूतक में पडा हो वर में सन्ध्याके लिए के कारण अटीक हो तो उसे जप तथा उपस्थान को छोड़कर केवल अर्ध तक सन्ध्या करनी बाहिए।

आधुनिक काल में पुराणों एवं तन्त्रों से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-विधियों को बहुत विस्तार दे दिया गया है। सत्काररत्नमाला के अनुसार ग्यास अर्धदिक इत्य है। ग्यासो एव मुद्राओ (हाथों अंगुलियों आदि के आसन-आहृति) के लिए स्मृतिमुक्ताफल (आहृति पृ ३२८-३३३) स्मृतिचन्द्रिका (भाग १ पृ १४६-१४८) अमोरी मीम है।^१

ग्यास का एक विशिष्ट अर्थ होता है। यह वह ग्यास है जिसके द्वारा देवता या पवित्र बस्तु का आह्वान किया जाता है जिससे वे शरीर के कुछ भागों में अवस्थित होकर उन्हें पवित्र बना दें और पूजा तथा ग्यास के लिए उन शरीर भागों को योग्य बना दें। पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १.१९) के १६ मन्त्रों का आह्वान बायें एवं बाहिने हाथों में बायें एवं बाहिने पाँवों में बायें एवं बाहिने कुन्तों में बायें एवं बाहिने जपों में नामि इत्य एव कथं म बायी एवं बाहिनी मुद्राओं में मुँह, आँसों एवं शिर में अवस्थित होने के लिए किया जाता है। विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न बातें पायी जाती हैं, जिनका विवरण उपस्थित करना यहाँ सम्भव नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका (पृ १४६-१४८) में मुद्राओं (हस्ताहृतियों) के विषय में एक कम्पा उद्धरण दिया है। पूजा-प्रकार (पृ १२३) में उद्धृत ग्रन्थ में आया है कि पूजा जप ग्यास नाम्य (विष्टी कामना सन्धि बदे इत्य) आदि नामों में मुद्राएँ बनायी जाती हैं और इस प्रकार देवता पूजक के समिपट आया जाता है। मुद्राओं के नामों एवं सत्कारों में यत्नेय है। स्मृतिचन्द्रिका एवं वैद्यनाथ लिखित स्मृतिमुक्ताफल (आहृति पृ ३३१-३३२) में इन मुद्राओं की वर्णना हुई है—सम्पूर्ण सम्पुट विरत विस्तृत विमुक्त विमुक्त अचोमुप ग्यापनाञ्जलिना यमपात्र प्रथि सम्पुत्रो-गुण विरक्त्य मुष्टिक मीम धर्म बराह सिद्धान्त महाकाल मुद्गर एव पत्तक। नित्याचारपद्धति (पृ ५३३) में अनुसार 'मुद्रा' पञ्च 'मुद्र' (प्रसन्नता) एवं 'रा' (देना) से बना है। मुद्रा देवता को प्रसन्न रखती है और अनुा में (कुत्र आत्माओं से) मुद्र करता है। इन ग्रन्थ तथा पूजाप्रकार में पूजन-सम्बन्धी मुद्राओं के नाम मिलते हैं। यथा—आवाहनी स्वागती सन्निपातनी सरौपिनी प्रसादमुद्रा अवगुण्ड-मुद्रा सम्पूर्ण प्रार्थन शाल जक वरा, वध (पद्य) मुगल गद्दय धनुष बाण शाराज कुम्भ विष्ण (विष्ण-वर के लिए) सौर, पुस्तक सभनी सत्यवित्त (अग्नि के लिए) दुर्गा नमस्तरा अञ्जलि सहर आदि (कुल ३९ मुद्राएँ हैं)। नित्याचारपद्धति (पृ ५३६) में अनुसार पद्य जक, पद्या पद्य मुगल गद्दय शीकण्य एव शीकण्य मयवान् विष्णु की आठ मुद्राएँ हैं। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत महासंहिता में मत में मुद्राएँ भी-आठ में नहीं करनी बाहिए क्योंकि उच्च देवता मुद्रित हो जाते हैं और मुद्राएँ विरत हो जाती हैं। धारवाणिक (२३।१-९) में लिखा है कि मुद्राओं में देवता प्रसन्न होते हैं। इनमें मत में मुद्राएँ हैं—आवाहनी स्वागती सन्निपातनी सरौपिनी सम्पूर्ण गदक अवगुण्ड येन महामुद्रा। वर्णना मुद्रि

^१ १. लक्ष्मीधरों का स्मृतियों एवं धार्मिक जीवन पर गया प्रभाव पड़ा है। इस विषय में कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें एवं लेख अवलोकनीय हैं यथा—The Introduction to Siddhanamali, Vol. 2 (Gaikwad's Oriental Series) Indian Historical Quarterly (Vol. VI P 114 Vol IX, P 67B Vol X pp 48-49) Sylvan L. Introduction to 'Sanskrit Texts from Bah' Modern Review for August 1931 pp 150-156

के आचारविनियम (१८११ १०८) में शैली व विधि ८ मूत्रार्थ बनायी है और उसकी परिभाषा भी दी है।

मूत्रार्थों का प्रसार कुछ-कुछ एक गया। द्विपदविद्या के आदि हीन में उनका प्रचार देयन में आता है। ऋग्विद्य में आदि के शौदा एक हीन पुत्रार्थियों द्वारा व्यवहृत मूत्रार्थों पर एक बहुत ही मदारकर पुत्रार्थों के लिए दी जाती है व विधी है विनियम ६ विन भी है।

ब्रह्मसूत्र

प्राचीन भारत की सिद्धांत-विधि पाठ्य-क्रम आदि पर विचार में विचार पर एक बहुत पुस्तक बन गयी। इस पर ही केवल कुछ प्रमुख बातों पर ही प्रमाण इतक सन्धि है।

प्राचीन भारतीय सिद्धांत-विधि का प्रधान आधार का निश्चय त्रिसु कर्त मूत्रार्थों सिद्धी है तथा आचार्य गुरु उपाध्याय। अन्वयान अथवा निश्चय शैलीय ही होता था। अथर्व (१११ ३१५) में आया है कि यजुर्वेदका गुरु की शक्ति उर्ध्व प्रचार कृतगता है त्रिसु प्रचार एक मंदक मन्त्र का गुरु में कृत मन्त्र की शक्ति परकता है। इस विषय में विनियम अथर्ववेद ११।१।१ गीतक आश्रय ११ अथर्ववेद ११।१।३ आश्रय-अथर्व ११।१।१६-१७ मन्त्रक आश्रय ११।५।६१२ अथर्ववेद ११।१।६ एक मन्त्रक आश्रय ११।५।६१ १३। आश्रय में गुरु विद्या में ही कुछ निष्ठा पाव गता है शैली कि इस बुद्धिगम्यार्थविनियम (५। ११) व ध्वनितु आश्रय की भाषा में आता शंका है। आश्रय की मन्त्र कुछ मात्र का (बुद्धिगम्यार्थविनियम ६। ११ एक ८)। किन्तु प्राचीन भारत में अथर्व की आचार्य के पाठ भेदा शंका का और यह एक परिष्कार-शैली ही गयी थी। अन्वयार्थविनियम (६।१) में आया है कि ध्वनितु आश्रय की उपर विद्या में गुरु व पाठ १० कर्त मन्त्र गता था। उर्ध्व उर्ध्वविनियम (३।१०) में यह भी आया है कि विद्या को मनुषिया अथर्व उर्ध्व गुरु या धीमन् विद्य का ब्रह्मार्थी आश्रय। गुरु की विधि का कर्त मन्त्रा की गयी थी। मातृ का मातृ अन्वयान शैलीय का और विनियम गुरु व पाठ ही गता था अथर्व गुरु का पर स्वभाव उर्ध्व एक मन्त्र ही गया था। मन्त्रकान्ता शंका अथर्व गुरु में कता है— आश्रय ही अथर्व मन्त्र मन्त्रा में मन्त्र मन्त्रा है कि गुरु में मन्त्र विद्या कता मात्र मन्त्रा हीता है” (अन्वयार्थविनियम ६। १३)। अथर्वविनियम (६। ३) में गुरु का उर्ध्व के पर पर गता है और मन्त्र अथर्ववेद माना है। आश्रय-अथर्वमन्त्र (११।६।१३) में लिखा है—“विद्य का आश्रय कि का गुरु का मन्त्रा की शक्ति मान। अथर्व की कता मन्त्रा कर्त मन्त्रा शक्ति है गुरु की मन्त्रा एक अथर्व शक्ति (आश्रय १३ आश्रय ११।१३)। अथर्व विनियम का किन्तु उर्ध्व अथर्व हीता था। आचार्य में निश्चय अथर्वका कर्त गता था। किन्तु अथर्वका मन्त्रा एक शक्ति के अथर्व मन्त्रा मन्त्रा एक मन्त्रा मन्त्रा ही गया। मन्त्र

५० Mrs Ty a d Klein *Mudras (the hand poses) practiced by Buddhists and Saiva priests in Bal* (1924), New York.

५१ इस विषय में किन्तु मन्त्र अथर्वकीय है—(१) Rev. F. P. J. J. y's *Ancient Indian Education* (1918) Dr. A. S. Altekar' *Education in Ancient India* (1934) S. F. D. n. P. *Annual forms of the ancient Hindus* (1930) and Dr. S. D. Sarkar's *Education in Ancient India* (1928) The last work is based entirely on the Atharveda and the Rāmāyana.

चाहिए कि वह सन्ध्या म करनेवासे बाह्यमा से घृत्र का नाम ले। सन्ध्या के गुणा के विषय में देखिए मनु (२।१२) औपमन्यधर्म (२।४।२५-२८) याज्ञवल्क्य (३।३७)। जब व्यक्ति सूक्त में पढा हो घर में घन्तानेहरीय के कारण अदीन हो तो उसे जप तथा उपस्थान को छोड़कर केवल अर्घ तक सन्ध्या करनी चाहिए।

भाषुनिज काष्ठ म पुराणो एव तन्त्रो से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-क्रिया को बहुत विस्तार दे दिया गया है। संस्काररत्नमाला के अनुसार प्यास अर्धैकिक इत्ये है। प्यासो एव मुद्राओ (हाथो अँगुलियो मादि के अस्तन-आङ्गुलियो) के लिए स्मृतिमुक्तावक (आह्निक पृ ३२८-३३३) स्मृतिचन्द्रिका (भाग १ पृ १४६-१४८) अवलोकनीय है।

प्यास का एक विशिष्ट अर्थ होता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा वेदता या पवित्र वादो का आह्वान किया जाता है, जिससे वे घटीर के कुछ मानो में अवस्थित होकर उन्हें पवित्र बना दें और पूजा तथा ध्यान के लिए उन घटीर मानो को योग्य बना दें। पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १।१९) के १६ मन्त्रों का आह्वान भाग्ये एव बाहिने हाओ में बाये एव बाहिने पाँशो में बाये एव बाहिने घुटनो में बाये एव बाहिने जयो में भाभि इत्ये एव बन्ध में बायी एव बाहिनी मुद्राओ में मुँह, बाँसो एव सिर में अवस्थित होने के लिए किया जाता है। विभिन्न घन्त्रो में विभिन्न बाये पत्नी बायी है, बिनका विवरण उपस्थित करता यहाँ सम्भव नहीं है।

स्मृतिचन्द्रिका (पृ १४६-१४८) में मुद्राओ (हस्ताङ्गुलियो) के विषय में एक लम्बा उद्धरण दिया है। पूजा-प्रकाश (पृ १२३) में उद्धृत सग्रह में बताया है कि पूजा जप ध्यान काम्य (किसी कामना से किये गये इत्ये) मादि कामो में मुद्राएँ बनायी जाती हैं और इस प्रकार वेदता पूजक के समिकट लामा जाता है। मुद्राओ के नामो एव संख्याओ में मतभेद है। स्मृतिचन्द्रिका एव वैजनाथ लिखित स्मृतिमुक्तावक (आह्निक पृ ३३१-३३२) में इन मुद्राओ की वर्णना हुई है—सम्मुख सम्पुट बितठ विस्तृत विमुक्त त्रिमुक्त ज्योमुक्त व्यापकाङ्गुलिक यमपाथ इवित सम्पुको म्युक्त विकम्ब मुष्टिक मीन कूर्म बराह विहागान्त महाशयत मुद्गर एव पल्लव। तित्पाचारपत्रति (पृ ५३३) के अनुसार 'मुद्रा' शब्द 'मुद्' (प्रसन्नता) एव 'रा' (वेदा) से बना है। मुद्रा वेदता को प्रसन्न रखती है और अमुत्त से (कुट्ट आत्मानो से) मुक्त करती है। इस ग्रन्थ तथा पूजाप्रकाश में पूजन-सम्बन्धी मुद्राओ के नाम मिलते हैं। वना—जाबाहनी स्वापनी सनिबापनी सरोबिनी प्रसाधमुद्रा अवमुच्छन-मुद्रा सम्मुख प्रारंभ शाल चक्र, परा बन्ध (पद्य) मुसक लङ्ग भनुब शान नाराय कुम्भ बिन्दु (बिन्दोवर के लिए) सौर, पुस्तक धरनी उत्तबिज्ञ (शक्ति के लिए) दुर्गा नमस्कार, अम्बुकि सहर मादि (कुल ३२ मुद्राएँ हैं)। तित्पाचारपत्रति (पृ ५३३) के अनुसार शक चक्र, गदा पद्य मुसक लङ्ग शीबल एव कौस्तुभ भगवान् बिन्दु की जाठ मुद्राएँ हैं। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत महासंहिता के मत से मुद्राएँ नीच-मात्र में लड़ी करनी चाहिए, क्योंकि उद्ये वेदता कुपित हो जाते हैं और मुद्राएँ विफल हो जाती हैं। धारवातिक (२३।१९) ने लिखा है कि मुद्राओ से वेदता प्रसन्न होते हैं। इसके मत से मुद्राएँ वे हैं—जाबाहनी स्वापनी सनिबापनी सरोबिनी सम्मुख एकल अवमुच्छन वेनु, महामुद्रा। वर्णमान दूरि

५१ लम्बिक्रियाओ का स्मृतियो एव भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है इस विषय में कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें एवं लेख अवलोकनीय हैं, यथा—The Introduction to Sādhnamā, Vol 2 (Gaikwad's Oriental Series) Indian Historical Quarterly (Vol VI P 114 V I IX, P 678, Vol X, pp 486-492) Sylvan Levi's Introduction to 'Sanskrit Texts from Bali' Modern Review for August 1934 pp 150-156

ने आचारविनकर (१४११ १२ ई.) ने जैनो के लिए ४२ मुद्राएँ बनायी हैं और उनकी परिभाषा भी दी है।

मद्रासो का प्रभाव दूर-दूर तक गया। हिल्नेशिपा के बालि द्वीप में उनका प्रचार देखने में आता है। इस विषय में बालि के बीडा एव दीब पुजारियो द्वारा ब्यबहृत मुद्रामा पर एक बहुत ही मनोरन्जक पुस्तक कुमारी वीरा दी कर्नील ने लिखी है, जिसमें ६ चित्र भी हैं।

वेदाध्ययन

प्राचीन भारत की शिक्षा-यज्ञति पाठ्य-क्रम बाह्य पर विस्तार से मिलने पर एक बृहत् पुस्तक बन बायी। हम यहाँ केवल कुछ प्रमुख बातों पर ही प्रकाश डाल सकेगे।

प्राचीन भारतीय शिक्षा-यज्ञति का प्रधान आधार या शिक्षक, जिस कई सत्राएँ मिली हैं यथा आचार्य गुरु उपाध्याय। अध्यापन अथवा शिक्षक मूर्खिक ही होता था। ऋग्वेद (७।१ ३।५) में आया है कि पन्नेवाला गुरु की बाते उड़ी प्रकार पुहुतना है जिस प्रकार एक मेडक हस्ता करने में दूसरे मेडक की बानी पकड़ता है। इस विषय में वेदिए अपर्ववेद ११।७।१, योषप ब्राह्मण २।१ अथर्ववेद ११।७।३ आपस्तम्बधर्म १।१।१।१९ १८, पतपत्र ब्राह्मण १।१।७।१२, अथर्ववेद ११।७।६ एक घटपत्र ब्राह्मण १।१।५।७।१ १७। आरम्भ में गुरु पिता से ही कुछ शिक्षा पाते रहता है जैसा कि हमें बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।१) के श्वेतशेनु आरण्य की गाथा से ज्ञात होता है। आरण्य की एक कुछ ज्ञात या (बृहदारण्यकोपनिषद् ६।२।१ एव ४)। जिनु प्राचीन काल में बच्चा को आचार्य के पास भेजा जाना था और वह एक परिपटी-सी ही गयी थी। छान्दोग्योपनिषद् (६।१) में आया है कि श्वेतशेनु आरण्य की अपने पिता में गुरु के पास १२ वर्षों तक रखा था। उसी उपनिषद् (३।२।५) में यह भी आया है कि पिता को मनुषिष्या अपने श्रेष्ठ पुत्र या श्रेष्ठ शिष्य को बतानी चाहिए। गुरु की स्थिति को बड़ी महत्ता दी गयी थी। सारा का सारा अध्यापन मूर्खिक या और विद्यार्थी गुरु के पास ही रहता था अथ गुरु का घर स्वभावतः उच्च एव महान् हो गया था। उत्पन्नम आवाल अपने गुरु से कहता है—“आपने ही समान अथ गुरुजना से मैंने मुना है कि गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान महान् होता है (छान्दोग्योपनिषद् ७।९।३)। श्वेताश्विनरोपनिषद् (६।२।३) में गुरु को ईश्वर के घर पर रखा है और परम भद्रास्वर माना है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।६।११) में लिखा है— शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को नमस्कृत की मति माने। एकसव्य की कथा से दो बालें स्पष्ट होती हैं गुरु की महत्ता एव अनिष्ट भक्ति (भारिषर्ष १।३२ श्रोगपर्व १८।१।७)। एकसव्य निवार या क्रिन्नु उसे अनुचर होता था। श्रोगाचार्य ने सिलाना मन्वीहार कर दिया था। जिनु एकनिष्ठ साधना एव भक्ति ने परमस्वल्प एकसव्य महान् एव यज्ञस्वी अनुचर हो गया। महा

१२ Miss Tyra de Kleen Mudras (the hand poses) practised by Buddhists and Sarva preats in Ball (1924), New York.

१३ इस विषय में निम्न पुस्तक अवलोकनीय हैं—(१) Rev F. E. Keay's Ancient Indian Education (1918), Dr A. S. Altekar's Education in Ancient India (1934) S. K. Das on Educational system of the ancient Hindus (1930) and Dr S. D. Sarkar Educational Ideas and Institutions in ancient India (1928) The last work is based entirely on the Athara eda and the Rāmāyana.

मातृ (अनुशासनपर्व ३६।१५) में आया है कि नर पर बेह पड़नेवाला पुत्रास्पद है। रीत्य मन्वन्तीत से बोध्पतर इसी निर हो सका कि उसने गुद से विद्या पायी थी। मनु एव अन्य स्मृतिपों में आचार्य की महत्ता के विषय में कुछ मतभेद हैं। मनु (२।१४६—विष्णुधर्मसूत्र ३।१४४) के अनुसार जनक और गुद दोनों पिता हैं। विन्तु वह जनक (आचार्य) को पूत बेह का ज्ञान देता है उस जनक (पिता) से महत्तर है जो केवल धारीरिक जन देता है, क्योंकि ब्राह्मणिक विद्य में जो अन्य होता है वह ब्राह्मण के लिए इहलोक तथा परलोक दोनों में अशुभ्य एव वक्ष्य होता है। विन्तु एव स्वयं पर मनु (२।१४५) में आचार्य को उपाध्याय से बस मुना पिता को आचार्य से ही मुना तथा माता को पिता से ऊँच पुनी उत्तम माना है। नौतम (२।५६) ने आचार्य को सभी गुणों में श्रेष्ठ माना है। विन्तु अन्य लोगों ने माता को ही सर्वश्रेष्ठ स्वान दिया है। याज्ञवल्क्य (१।३५) ने माता को आचार्य से श्रेष्ठ माना है। नौतम (१।१०-११) बध्पठ-धर्मसूत्र (३।२१) मनु (२।१४) एव याज्ञवल्क्य (१।३४) ने लिखा है कि जो ब्रह्मचारी का उपनयन करता है और उसे सम्पूर्ण बेह पढाता है वही आचार्य है। निलत (१।४) ने लिखा है कि आचार्य विद्यार्थी को सम्बन्ध आचार तकसे जो प्रेरित करता है वा उससे मुक्त एकत्र करता है, या सब्दों के अर्थ एवन् करता है वा बुद्धि का विवर्धन करता है। मापस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।१४) कहता है—“विद्यार्थी आचार्य से अपने नर्तव्य (आचार) एकत्र करता है, इसी लिए वह आचार्य कहलाता है। मनु (२।१९) का कहना है कि आचार्य उपनयन करने के उपरान्त विद्य को धीन (धार्-रिक बुद्धता) आचार (प्रति बिन के जीवन में आचार के नियम) अग्नि में समिधा बालने एव सन्ध्या-पूजा के नियम सिखाता है। यही याज्ञवल्क्य (१।१५) का भी कहना है। यद्यपि आचार्य गुद एव उपाध्याय सब उपाध्यायिक रूप में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु प्राचीन कालों में उनमें अन्तर देखा है। मनु (२।१४१ एव १४२) के अनुसार जो व्यक्ति किसी विद्यार्थी को बेह का कोई एक अंग वा बेहाम का कोई अक्ष पढाता है और अपनी जीविका इस प्रकार चलाता है वह उपाध्याय है और गुद वह है जो सब्दों का संस्कार करता है और पाठन-नियम करता है। अन्तिम परिभाषा से गुद ही पिता ही ठहरता है। बध्पठधर्मसूत्र (३।२२-२३) विष्णुधर्मसूत्र (२।९२) एव याज्ञवल्क्य (१।३५) ने मनु के समान ही उपाध्याय की परिभाषा की है। याज्ञवल्क्य (१।३४) के अनुसार गुद वही है जो संस्कार करता है और बेह पढाता है। स्पष्ट है, आरम्भ में पिता ही अपने पुत्र को बेह पढाता था। वास्तव में 'गुद' शब्द पुत्र्य या स्त्री के प्रति मन्दा प्रकृत करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त होता था। विष्णुधर्मसूत्र (३।२।१२) के अनुसार पिता मन्दा एव आचार्य हीन गुद है और मनु (२।२२७-२३०) में इन दोनों के लिए स्तुति-वाक किये हैं। वेदक के अनुसार पिता मन्दा आचार्य श्रेष्ठ प्राता पति (स्त्री के लिए) की मुझों में गणना होती है। मनु (२।१४९) ने अनुसार जो बोधा वा अधिक ज्ञान देता है वह गुद है।”

५४ प्राचीन काल से ही वेदाल कः माने जाते हैं, यथा—सिंहा, कन्य व्याकरण निष्कल कण्य (कण्योविचिंति) ज्योतिष। मुषककोपनिषद् (१।१।५) में इनके नाम दिये हैं, आचरतम्बधर्मसूत्र (२।३।८।१-११) में लिखा है—“बन्धो वेद। कण्य कन्तो व्याकरणं ज्योतिष निष्कल सिंहा कण्योविचिंतिरिति। सिंहा में स्वर ध्वनि आदि का विशेष रहता है कन्य में वैदिक एव परेकू यज्ञों की विधि-क्रिया का वर्णन होता है, व्याकरण ही व्याकरण ही है निष्कल में शब्दों की ध्युत्पत्ति पायी जाती है। कण्य में पद्य की मात्रा आदि का विशेषण होता है तथा ज्योतिष में खगोल विद्या का वर्णन पाया जाता है।

५५ अथ पुष्यवसतिपुरी अत्रिति। पिता माताचार्यश्च। विष्णुधर्मसूत्र ३।२।१२। मनु (२।२९५-२९२) के अर्थ में ही हैं जैसे मत्स्यपुराण (२।१।२-२०) के। मनु के २३-२३१ एव २३४ धर्मशास्त्रपर्व के १-८।७, ७ एव १२

उपनयन करनेवाले एक वेदाभ्यासन करनेवाले आचार्य की मुख-बिशिष्टता के बार में बहुत कुछ कहा गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।११) में आया है कि आ भविशान् से उपनयन कराता है वह अन्नकार स अन्नकार म ही जाता है और भविशान् आचार्य मी अन्नकार म ही प्रवच करता है। उसी धर्मसूत्र (१।१।१।२-२३) में पुन किया है कि अक्षरम्परा से विद्यासम्पन्न एव गम्भीर स्यक्ति स ही उपनयन मस्कार एव वेदाभ्यासन कराता चाहिए और जब तक वह धर्ममार्ग से अ्युत नहीं होना तब तक उससे पणं जाया चाहिए। आचार्य को ब्राह्मण बंध म एकनिष्ठ धर्मज्ञ कुवीन दुषि आशिय हीता चाहिए, अयनी घाळा म प्रवीन एव अग्रमादी हीता चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२। १६) एव शीषायनगृह्य (१।७।३) में उसी को योषिय कहा है जिसने वेद की एक घाळा पण ली हा (बेसिए बायपुराण भाग १ ५९।२९)।^१ आपत्काक म अक्षि एव ब्राह्मण न मिसे तब अशिय या सैपन का आचार्य बनता चाहिए, विन्दु विद्यार्थी ऐसे गुरु के अरथ नहीं पस्कार सकता और न उसकी बेह मस मकता है (बेसिए भाप क पु २।२।६।२५ २८ गौतम ७।१३ की म पु १।२।४०-४२ एव मनु २।२४१)। मनु (२।२३८) ने गुमा विद्या (प्रयस कामकाठी मान) के लिए ब्राह्मण को गुरु से मी सीजन के लिए छूट दी है। यही बात घाण्डिव्य (१५५।३१) में भी है। मितासप (याग १।११८) ने कहा है कि ब्राह्मण हाथ प्ररिज किये जात पर ही अशिय या सैप्य को गिष्य-कार्य करना चाहिए, अपने मत स मही। अशिय शिक्षण-कार्य स अयनी औषिका नहीं करना सकता।^२

शिक्षण-कार्य मौनिक वा। सर्वप्रथम प्रथम स्याहृतिमा एव गायत्री ही पनायी जानी बी। इसके उपरान्त अक्षर को वेद के अन्त्य माय पनाये जात थे। प्राचीन भारतीय वेदाभ्यासन की प्रक्रापी पर मशिल विवचन यहाँ जाबध्यत प्रनीत होता है। शाखायनगृह्यसूत्र (४।८) ने वर्णन किया है—'गुरु प्रथ मा उचर-मुन बैठता है, गिष्य उमज सहिन उतापयिमुन बैठता है यदि को स अशिय गिष्य हा तो स्वाभ क अनुसार बैठा जाहू बी मजन है। गिष्य को उच्चारण पर नहीं बैठता चाहिए और न गुरु के शाब उसी आमन पर बैठता चाहिए उने अयन पैर नहीं पैनात चाहिए, अपने बाहु स जुना को पक-कन मी नहीं बैठता चाहिए। किसी वस्तु का महारा मी नहीं मेना चाहिए उस अपने पीबा को गोदी म नहीं रपता चाहिए और न उन्ह कुसारी की अंजि पकना चाहिए। अब गिष्य 'उच्चारण औषिण महोदय' कहता है तब आचार्य उससे 'ओम् कङ्कनाता है और गिष्य का ओम्' कहता चाहिए। इसके उपरान्त गिष्य कगानार पडना आरम्भ कर देता है। पडने क उपरान्त गिष्य को गुरु ने पीब पूने चाहिए कि और कहता चाहिए, 'महादय अब हमने ममाण कर लिया' यह कहकर बना जाता चाहिए विन्दु

है मनु २।२३ २३३ एव २३४ विष्णुधर्मसूत्र के ३१।७, ९ एव १० लक्षण हैं। गुरुआचार्य सर्वेया पूर्या पम्ब विरोधन। यो भावयति या सुते पैत विद्योपदिश्यते ॥ क्येष्ठो अस्ता क धर्मा क पम्बनेने गुरुक स्मृता। तैपामाद्यात्रय पट्टास्तेया मत्ता सुपुत्रिता ॥ देवक (स्मृतिचण्डिका भाग १ पु ३५ में उद्धृत); अथर्व(२।३।२८ २९) में पीब मुखों के नाम हैं जो कुछ मिस्र हैं यथा—पिता जाता अजि आत्मा एव गुरुः

५६ ययव वेदानामेरीर्वा शास्त्रामधीन्य धोरिपयो भवति। भाप क पु २।३।६।४ उर्वा शास्त्रामधीन्य धोरिपः। बी मुद्र १।७।३ बडा ह्यनोत्तपादेव आत्मकली इहश्चका। तम्पान्वेत्ता अत्रस्तानाचार्यान् प्रवक्षते ॥ बायपुराण भाप १ ५९।२९।

५७ अक्षरवान गुना विद्या हीमाश्चि मयापुषान्। मुखस्यपि चायेप्याहारहीनाकिवारपन् ॥ घाण्डिवर् १५।५।३१। अथापन् मु अशियवीरयोर्ब्राह्मणप्ररिपोर्बन्नि न श्येक्यया। मिता (याग १।११८) तदभ्यासनयाव कनुम्बमब्राह्मणस्याम्यनुजातानि न तु कृतिश्चरवि। अचरार्त् ५ १६ ।

बुद्ध लोगो के मत से मृत को जागो अब हम समाप्त करे बहना चाहिए। मनु (२।७०-७४) गौतम (१।१२५-६८) एव गणपद ब्राह्मण (१।३१) को भी इस विषय में देख लेना चाहिए। बौद्ध-बहुत मन्तर के साथ बातें एक-सी ही हैं।

द्विजातियों का प्रथम कर्तव्य वेदाध्ययन था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१ ११) के काल में भी वैदिक साहित्य बहुत बढ़ा था वैसे कि इन्द्र एक मातृकाज की कहानी से ज्ञात होता है। मातृकाज ७५ वर्ष की अवस्था तक बढ़ावारी था (पढ़ता रहा) तब भी इन्द्र ने कहा कि इतना पढ़ लेने पर नी अर्थात् वेद का बहुत बड़ा भाग तुमने (तीन वर्षों की तीन मुदृत्तियाँ मात्र) पढ़ा है। मनु (२।१९५) में एक आदर्श उपस्थित किया है कि प्रत्येक द्विजाति को उपनिषदों से साथ सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। शतपथब्राह्मण (१।१।५।७) की वेदाध्ययन-स्तुति (स्वाध्याय) एव आदेश (स्वाध्यायोऽभ्येत्य अर्थात् वेद अवरय पढ़ना चाहिए) हम अधिकतर देखते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।७।१२।१ एवं ३) में तैत्तिरीयारण्यक (२।१।७।३) एवं शतपथब्राह्मण (१।१।५।१।८) को उद्धृत किया है।^{१७} महाभारत (भाग १ पृ १) में एक वैदिक उद्धरण दिया है— 'ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के धर्म एक वेदांगों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए। महाभारत (शान्तिपर्व २३.९।१३) का कहना है कि वेद पढ़ लेने से ब्राह्मण अपना गर्व न कर लेता है। याज्ञवल्क्य (१।४) का कहना है कि वेद द्विजातियों को सर्वोच्च कल्याण देता है जिसके परस्मै रूप में पढ़ तब एक उत्कार को भली-भाँति समझ सकते हैं और कर सकते हैं। महाभाष्य (भाग १ पृ ९) में भारोक्षों के परम्परागत विस्तार क्रम पाये जाते हैं यथा मनुवेद में १ १ शाखाएँ हैं, सामवेद में १ शाखा में २ शाखा में २१ एवं ऋग्वेद में ९। जीवन छोटा होता है अथ गौतम (२।५१) बसिष्ठधर्म (७।३) मनु (३।२) याज्ञवल्क्य (१।५२) एवं अन्य लोगों ने केवल एक वेद के अध्ययन का ही आदेश दिया है। अपना वेद पढ़ लेने के उपरान्त अन्य शाखाएँ एव वेद पढ़े जा सकते हैं। अधिकतर स्तुतियों में यही आदेशित किया है कि अपने पूर्वजों की शाखा के वेद का अध्ययन एवं उसी के अनुसार धार्मिक इत्य भी करने चाहिए। जो अपनी श्रावणपरम्परा शाखा का वेद नहीं पढ़कर अन्य शाखा पढ़ता है उसे "शास्तरण्ड" कहा जाता है। शास्तरण्ड की धार्मिक क्रियाएँ बिकल होती हैं। किन्तु अपनी शाखा में न पायी जाने वाली क्रिया अन्य शाखा से मानी जा सकती है। अग्निहोत्र का उदाहरण यहाँ पर्याप्त है क्योंकि वह सभी शाखाओं में नही पाया जाता किन्तु इसे करते सभी हैं।

सुब्रह्मों का निवास प्रायः एक ही स्थान पर होता था। किन्तु प्राचीन भारत में भी वे एक वेदा से दूसरे वेद में जाने हुए पाये गये हैं। जौपीतजीब्राह्मणोपनिषद् (४।१) में हम विख्यात शास्त्राणि धर्म्य को उद्गीतर मत्स्य दुष्पपत्र एव वादि-विद्वह में प्रथम करते हुए पाते हैं। कृदारण्योपनिषद् (३।३।१) में मुख्य मातृकाजिन याज्ञवल्क्य से कहे हैं कि वे तथा अन्य लोग अध्ययन के लिए मद्र वेद में घूमते रहे। शिष्यपत्र बहुतवा एक ही गुण है यहाँ रहते थे किन्तु वे जिस प्रकार पानी डाल नी ओर अवश्य बह जाता है उसी प्रकार विख्यात गुणों ने यही ही प्रकार चले भी जाते थे।^{१८} एवं विद्यार्थी जो हम आचार्य से उम आचार्य तक भागा करते थे उन्हें 'तीर्थयात्र' कहा गया है (महाभाष्य भाग १ पृ १ १ पाणिनि २।१।४१)।

५८ तब स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्। अर्थात् याज्ञवल्क्यब्राह्मणम्। ब्राह्मणको हु का एव पत्रवाचकम्। अन्य च सूत्र १।७।१२।१ एवं ३; जितान्दु मनु (२।१।५९) वेदाध्यायत्वा हि विप्रस्य तत्रः परमिहोच्यते। इति (२।३।३) में भी यही बात कही है 'अधीयत इत्यध्यायः वेदः। एषः स्वाध्यायः स्वाध्यायः एव परंपरागतः शास्त्रेत्वं। सारवाह प्रकृतः पृ ५ ४।

५९. ब्राह्मण प्रवृत्ति पत्ति पत्रा जाता अर्थात्। एवं भी ब्राह्मणों के शतपथ्य लक्ष्मि ॥ तत्तिलीउत्तत्रियत् १।७।३ यहाँ अर्थात् का शास्त्र्य है लक्ष्मि (७)।

त्रिम प्रकार वेदाध्ययन ब्राह्मण का एक कतव्य का उची प्रकार पढ़ाना भी एक कतव्य था। अध्यापन-कार्य के लिए प्रार्थना क्रिये जाने पर जो मुकुर जाटा या बहु विपुल माता जाता था। जब सत्यकाम आवास न अपने शिष्य उपवासस को लगातार १२ बप एक सेवा करने पर भी नहीं पढ़ाया तो उनकी स्त्री ने उनकी भर्त्सना की (छान्दोग्य ४।१।१२)। प्रश्नोपनिषद् (६।१) ने लिखा है कि जो गुरु अपना ज्ञान नहीं बँटता वह गुरु जाता है। इस विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१४।२३ एव १।२।८।२५ २८) में विस्तार के साथ लिखा है। ऋषिपर्व (५।१२१) में भी शिष्य की घेनी पुत्र के उपरान्त मानी गयी है। यदि आचार्य सास भर ठहर जाने के उपरान्त भी शिष्य को नहीं पढ़ाता तो उस शिष्य के सार पाप भुगतन पड़ते थे। ऐसे आचार्य त्पाम्य माने गये हैं।

शिष्यों के गुणों के विषय में स्मृतियों में नियमा का विधान किया है। निरुक्त (२।४) द्वारा उद्भूत विद्याभूक्त म बताया है कि जो शिष्य विद्या को भूषा की दृष्टि से बेसे कुटिल एक असयमी हो ऐस शिष्य को विद्या ज्ञान नहीं देना चाहिए किन्तु जो पवित्र ध्यानमग्न ब्रह्मिन् ब्रह्मचारी गुरु के प्रति श्रद्धा हो तथा जो अपनी विद्या की रक्षा धन-कोप की भाँति करे उस शिक्षा देनी चाहिए। मनु (२।१९ एव १।१२) ने अनुसार १ प्रकार के व्यक्ति शिक्षक प्राप्त करने योग्य है—गुरु-गुरु गुरुमयी शिष्य जो ब्रह्म में ज्ञान के मन् धर्मज्ञानी या जो मन-बेह से पवित्र हो श्रद्धावादी जो अध्ययन करने एक धारणा करने म समर्प हो जो शिक्षण के लिए मन दे सके जो स्वयस्मिन् मन का हो और जो निरन्त सम्बन्धी हो। याज्ञवल्क्य (१।२८) ने उपभुक्ता के साथ कुछ और गुण भी बताए हैं यथा इतन्न गुरुः शूषा न करत वाता वा गुड न प्रति असत्य न होतेशाका स्वस्व तथा स्वर्ष का शिक्षित्वपण न करने वाला। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१२।२।१९) के अनुसार ब्रह्मचारी को मरा अपने गुरु पर आश्रित एक उनके नियन्त्रण में भीतर रहना चाहिए, उस गुरु का छोड़ बिना अन्य के पान नहीं रहना चाहिए। यही बात नारद ने भी कही है। बहुत प्राचीन काल से ही यह बात प्रचलित ही रही है कि विद्यार्थी गुरु के पशुमा को चरण (छान्दोग्य ४।४।५) मिछा मयि और गुरु को उनकी जानकारी कप दे (बही ४।३।५) गुरु की पवित्र अग्नि की रक्षा करे तथा गुरु-धर्म के सम्पादन में उपरान्त जो समय मिले उस वेदाध्ययन में लगाने (छान्दोग्य ८।१५।११)।

उपर्युक्त बातों के अनिश्चित कुछ अन्य बातें हैं जिन्हें मसल में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गौतम (२।१४।१४।१८।१.२२.२४.२५) का कहना है कि विद्यार्थी का असत्य मापण नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए तथा मनु-सबल माम इव (गध) पुष्प-सबल दिन-समन संस-सर्जल अन्न पान माता उपानह (अना आदि) पहनना छाता लगाना प्रेम-स्वधारण त्रैय कालक माह वर्ष विवाह वाद्यपन्न-वादन पण अल म आनन्ददायक स्नान बही सावधानी म दौन स्वच्छ कर्मा मन की उत्कामसूर्य चिन्ति माध पान दूधको की भर्त्सना मयावह स्वात जारी का बूना या मुवा लागिया को छूना बुका लूड पुरप की सेवा (नीच कार्य करना) पशु-जनन अर्थात् जानकीत आमच-नेबल आदि म दूर रहना चाहिए। मनु (२।१९८ एव १८०-१८१) का कहना है

१. अधुवनायातुब्रह्मन्ताय न मा ब्रूवा बीर्षनी यथा त्यात्। धनेवविद्याः शुचिप्रमत्तं वैवाचिन ब्रह्मचर्यो-पपन्नम्। धत्ते न ब्रह्मन्तमन्वनाह तस्मै वा ब्रह्मा मिषियाय ब्रह्मन् ॥ निरुक्त २।४ (= बतिल २।८।१ = विल्लुबप ० २।१।१)। मनु (२।११४ ११५) भी इसके बहुत समान हैं।

२. न ब्रह्मचारिणो विद्याचारय परीपवासीरिति। आचार्याचीन-स्वादेव्यत्र वतनीयेम्य। शिष्यवारी नुरीर प्रतिनोपघमावा। आय च १।१।२।१७ एव १९-२ 'अस्वतन्त्र-स्मृण शिष्य आचार्य तु स्वतन्त्रता। नारद (शुक्ल-बान ३४)।

कि उसे छाट या चौकी पर नहीं सोना चाहिए एक पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, स्वप्नबोध हो जाने पर उसे स्नान करना चाहिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा पुनर्माम् (वैत्तिरीय ब्राह्मण १।३) मन्त्र का तीन बार उच्चारण करना चाहिए। ऐसी बातें आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।२१ ३ १।१।३।११ २४) में भी पानी जाती हैं। आपस्तम्ब धर्म (१।१।२।२८ ३) का कहना है कि विद्यार्थी को साधारणतया गर्म जल से अंग नहीं धोने चाहिए, यदि जल गन्दे एक अपवित्र हो तो उर्ध्व गुह से छिपाकर गर्म जल से धो लेना चाहिए, विद्यार्थी को क्रीडापूर्वक स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि पानी में डबड़े के समान बसिहीन स्नान करना चाहिए। आपस्तम्ब (१।१।२।२९) ने समोम से दूर रहने को तो कहा ही है यह भी कहा है कि स्नानो से ठमी बात करे जब कि अत्यावश्यक हो। विद्यार्थी को हेतना नहीं चाहिए, यदि वह अपने को रोक न सके तो उसे मुख को हाथों से बन्द करके हँसना चाहिए।

गीतम एक बौधायनधर्मसूत्र (१।२।३४ एव ३७) का कहना है कि सिष्य को गुह कंसाज जाना चाहिए, उसे स्नान करने में सहायता देनी चाहिए, उसके शरीर को रबाना चाहिए और उसका उच्छिष्ट खाना चाहिए, उसे गुह को प्रथम करनेवाले कार्य करने चाहिए, गुह के बुझाने पर पबना चाहिए, उसे बपडे से दूकडे से अपना कण्ड नहीं इकलना चाहिए, अपने पीरो को बोर से सेकर गुह के समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पाँव नहीं फैलाने चाहिए, बोर से बजा नहीं म्बठ करना चाहिए, बोर से हँसना अंसाई लेना अँसुकी चटकाना नहीं चाहिए, बुझाने पर गुप्त जाना चाहिए, बडे ही बहुत दूर बैठना हो गुह से नीचे के मासम पर बैठना चाहिए, गुह के सो जाने के उपरान्त सोना एक उलके अपने के पडे भगना चाहिए (गीतम २।२०-२१ ३ ३२)। मनु (२।१९४ १९८) एक आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।२९ एव १।२।६।१ १२) में भी ऐसे ही नियम हैं। शिष्य को अपने गुह की जाल-डाल भापी एक क्रियाओं की मही नकल नहीं करनी चाहिए, अर्थात् मज्जा नहीं उबाना चाहिए (मनु २।१९९)। मनु (२।२ २ १) में वह भी लिखा है कि शिष्य को अपने मुक के विरोध में बडे पाठ हुए शब्द नहीं सुनने चाहिए, यदि वह स्वयं उलकी शिकायत करता है तो जाने के बन्ध में बरहा या बुता होगा। शिष्यधर्मसूत्र (२।८।२९) में भी यही बात कही है।

विद्यार्थियों के शिर के बालों के शिष्य में कई नियम बताये गये हैं। ऋषभ (५।७५।१७ या १ ५ ५।५।५।५) में कई शिकारों बाले बन्धों के बारे में लिखा है। गीतम (१।२६) एव मनु (२।२।१९) के अनुसार बड़पाटी का शिर मुडा रहना चाहिए, या जटाबड रहना चाहिए या शिखा बिना पूरा बुटा रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२।३१ ३२) बसिष्धर्मसूत्र (७।११) एव शिष्यधर्मसूत्र (२।८।४१) में कुछ विमिश्रता के साथ ऐसी ही बातें पानी जाती हैं। जनमार्ग पर बन्धे समय शिखा मही लोचनी चाहिए (हारीत उपपठक द्वारा उद्धृत पृ २२५)।

शिखा की मट्ट या बाधार्थ की उपाधि लगाये शिष्य अपने गुह का नाम उलकी अनुपस्थिति में भी नहीं ले सकता था। गीतम ने आदेशानुसार शिष्य अपने गुह मुक-पत्नी मुलुपुत्र या उस व्यक्ति का नाम जिसने धीत बज करवा हो, नहीं ले सकता (२।२४ एव २८)। आपस्तम्बधर्म (१।२।८।१५) का कहना है कि भर लीट जाने पर भी स्नान को गुह का बजा अँसुकी से नहीं पूना चाहिए बार-बार जान में कुछ नहीं बहना चाहिए, सम्मूल नहीं हँसना चाहिए, और स पुनारना नाम लेना या आदेश देना नहीं चाहिए। और भी देखिए मनु (२।१२८) एव गीतम (१।१९)। मनुविश्वामित्र (भाष १ पृ ४५) एक ह्यबल ने (गीतम २।२९) एक स्मृति का उद्धरण देते हुए लिखा है कि अपने

६२ देखिए, याज्ञवल्क्य (१।३३) जिसमें उपवृत्त बहुत-सी बातें आ जाती हैं। याज्ञवल्क्य ने गुह को छोड़कर किसी अन्य का उच्छिष्ट भोजन खाना मना किया है। मनु (२।१७०-१७९) ने गीतम के समाज ही नियम दिये हैं। श्रीगणेशभक्ति में खानने योग्य बातों को एक बहुत समीचीनता पानी जाती है।

गुरु गुरुपुत्र गुरुपत्नी वीक्षित अन्य गुरु पिता माता चाचा मामा हितेच्छु विद्वान् स्वपुर पति मौनी के नाम नहीं देने चाहिए।^१ महाभारत (शांतिपर्व १९३।२५) क अनुसार किसी को अपने गुरुजन का नाम नहीं देना चाहिए या उन्हें 'तुम' शब्द से नहीं पुकारना चाहिए, अपने समकामीनो या छात्रों के नाम जिसे जा सकते हैं। एक स्माक से यह भी पता चलता है कि अपना नाम अपने गुरु का नाम दुष्ट प्रहृतिवाले व्यक्ति का नाम अपनी पत्नी का नाम अपना अपने श्वेत् पुत्र का नाम भी नहीं देना चाहिए।^२

उपसंग्रहण में अपना नाम एक योज 'मैं प्रणाम करता हूँ' कहकर बोला जाता है। उस समय अपने काना को सूकर प्रणम्य क पैरों को छू लिया जाता है एक सिर को झुका लिया जाता है। किन्तु अभिवादन म हाथों से पैरा का पकड़ना या झूना नहीं होता। अभिवादन के पूर्व प्रत्युत्थान होता है।

किसी के स्वागत में अपने आसन को छोड़कर उठने को प्रत्युत्थान कहा जाता है। किसी को प्रणाम करना अभिवादन कहा जाता है। उपसंग्रहण में हाथों से पैरों को पकड़ लिया जाता है। प्रत्यभिवाह म प्रणाम का उत्तर दिया जाता है। नमस्कार में नम के साथ सिर झुकाना होता है। इन सबके विषय में बड़े विस्तार के साथ नियम बताये गये हैं। इन विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१९ २०) मनु (२।७१-७२) गौतम (१।५२-५४) बिल्वुधर्म-सूत्र (२।८।१५) शौभामनधर्मसूत्र (१।२।२४ २८) गौतम (६।१ ३) आदि देखने चाहिए, जिनमें पर्याप्त मन-मत्तान्तर मिलते हैं। किसी के मत में जब गुरु मिलें तब पैर पकड़ लने चाहिए, किसी मन से केवल प्राण एक साम एसा करना चाहिए। गुरुजना माना-पिता तथा अन्य यज्ञास्पदा के विषय में भी ऐसे ही विभिन्न मत हैं जिन्हें यहाँ उद्धृत करना आवश्यक नहीं है।

अभिवादन तीन प्रकार का होता है नित्य (प्रति दिन के लिए आवश्यक) नैमित्तिक (विभिन्न अवसर पर ही करने योग्य) एक काम्य (किसी विशिष्ट काम या अभिवासा से प्रेरित होकर किया जानेवाला)। नित्य के विषय में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१२ १३) में यो लिखा है—“प्रति दिन विद्यार्थी को उजि के अग्निम प्रहृण म उठना चाहिए और गुरु के अभिवादन लठे होकर यह कहना चाहिए कि 'यह मैं प्रणाम करता हूँ' उस अन्य मुद्रता एक विद्वान् छात्रों को प्राप्त भोजन के पूर्व प्रणाम करना चाहिए” (वेदिए याज्ञवल्क्य १।२६)। नैमित्तिक अभिवादन कभी-कभी होता है यथा किसी यात्रा के उपरान्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।२।५।१८)। लम्बी मानु की यात्रा में कन्याम के लिए कोई भी मुद्रता को प्रणाम कर सकता है (आप व १।२।५।१५ एक शौभामन १।२।२६)। मनु (२।१२-१२१) में लिखा है कि जो श्वेत् एव यज्ञास्पदा को प्रणाम करता है वह दीर्घ आयु प्राप्त पदा एक शक्ति प्राप्त

१३ आचार्य अथ तत्पुत्र तद्पत्नी वीक्षित पुत्रम् । पितर वा पिनुम्य च मातुल मातर तथा ॥ हिर्मपिर्ष च विद्वान् स्वपुर पतिमेव च । न कृपाभाजनो विद्वान्मातुरथ भविती तथा ॥ स्मृतिविक्रिच (आप १ पृ ४५) एक हृदय (गीतम १।२९)।

१४ त्वकार नमयेय च श्वेत्पदा वरिवर्जयेत् । अवरथा तमानामामयेया न दुप्यति ॥ शांतिपर्व १९।२५ वेदिए बिल्वुधर्मसूत्र (३।२।८) भी अतपनाम सुदोर्ताम यप्राम हृपनाय च । श्वेत्पामो न मुहनीयाश्वेत्पारपरकत्रयो ॥ किन्तु अभिवादन में अपना नाम देना चाहिए । सुदोर्ग्येत्परकत्रय आतुर्ग्येत्पय आत्मन । आयुष्यामो न मुहनीयाप्राप्त-सिहृपनाय च ॥ भारव (अवनचारिजान द्वारा उद्धृत पृ ११९)।

१५ इतिव शांतिव्योचन प्रत्यायं ब्राह्मणोऽभिवाद्यपीतोऽतम राज्ञ्यो मध्यसम बीयो दीर्घं तत प्राप्नोति । आप व १।२।५।१६ १७ वेदिए तत्कारप्रथा पृ ४५४।

करता है । इस विषय में हम आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।११) बौधायनधर्मसूत्र (१।२।१८) मनु (१।१३) एवं ब्रह्मिष्ठधर्मसूत्र (१।३।४१) को ध्यान रखते हैं। अभिवादन का विषय में कुछ मतभेद भी हैं, जिन्हें देना ही आवश्यक नहीं है।

अभिवादन-विधि या रीति—ब्राह्मण का अपना वाहिना बाहु बान क सीध में पीछाकर शक्ति को छोटी ठाक रीत को बमर तक तथा गुरु का पैर तक पीछाकर अभिवादन करना चाहिए और बौद्ध हाथ जुड़ जाने चाहिए (आप ब १।२।५।१६ १७)।

यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम या अभिवादन का उत्तर न दे सके तो उस गुरु के समान समझना चाहिए, पिछले को चाहिए कि वह उस प्रणाम न करे। ब्राह्मणों के लिए यह नियम था कि वे क्षत्रियों को अभिवादन न करें। मने ही वे मंग विद्यान् एव श्यास्त्यद्वा केवल स्वर्णित का उच्चारण पर्याप्त है। बराबर-जाति ब्राह्मण ही अभिवादन होता है। ऐसा न करने पर अपर्णा यदि ब्राह्मण शक्ति या वैश्य या गुरु को अभिवादन करें तो उन्हें प्रायश्चित्त करना पड़ता था (जम से १ २ या ३ दिन का उपवास)। पृथा पहले सिर बाधे (पगड़ी आदि से) बोधो हल पड़े रहने पर, सिर पर समिधा रखे रहने पर हाथ में पुष्प-गन्ध या मातङ्ग लिये रहने पर अभिवादन नहीं करना चाहिए, और न पिण्डों का श्राद्ध करने समय अग्नि या देवता की पुजा करते समय तथा जब स्वयं गुरु ऐसे कार्य में बधे हो अभिवादन नहीं करना चाहिए। बहुत समिष्ट लक्ष्य होकर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए (बौधायन ब १।२।३१ ३२)। जब व्यक्ति अपवित्र हो या अभिवादन पानेवाला अपवित्र में हो तो भी अभिवादन निषिद्ध है। विध्व आपस्तम्बधर्म (१।४।१।४।१४ १७ एव २३) मनु (२।१३५) विष्णुधर्मसूत्र (३।२।१७) आदि स्वक अवसोनगीय हैं। स्मृत्यन्तारा (पृ ७) में लिखा है कि बर्मविरोधी पापी नास्तिव जुबारी भोऽ, वृत्तान एव शरणी को अभिवादन नहीं करना चाहिए (देखिए मनु ४।३ एव याज्ञवल्क्य १।१३)।

कुछ लोगों का सम्मान केवल आसन से उठ जाने में ही जाता है और अभिवादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लम्बी बर्षों में उससे अधिक बर्षों के गुरु का सम्मान उच्च बर्षों के छोटी अवस्था वाले लोगों द्वारा होता चाहिए, किन्तु अभिवादन नहीं होता चाहिए। लम्बी अवस्था वाले गुरुओं द्वारा उच्च बर्षों के लोगों (आमों) का सम्मान आसन से उठकर होना चाहिए। ब्राह्मण यदि बेबर न हो तो उसे आसन प्रदान करना चाहिए, किन्तु उठना नहीं चाहिए, किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति लम्बी अवस्था का हो तो उसका अभिवादन करना चाहिए (आप ब २।२।४।१६ १८ एव मनु २।१३४)। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं।

विभिन्न टीकाकारों ने प्रत्यभिवादन के विषय में बहुत-सी कठिन व्याख्याएँ उपस्थित कर दी हैं। प्रयाग वाले पर गुरु या कोई व्यक्ति को प्रत्युत्तर देना है या जो बाधोर्ध्वन कहुता है उसे ही प्रत्यभिवादन कहा जाता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।५।१८) में कहा है— 'प्रथम तीन बर्षों के अभिवादन के प्रत्युत्तर में अभिवादनकर्ता के नाम का अक्षर अक्षर तीन भाषा तक (प्लुत) बड़ा किया जाता है। इसके निम्न ब्रह्मिष्ठ (१।३।४९) का नियम है। मनु (२।१२५) के अनुसार ब्राह्मण को इस प्रकार प्रत्यभिवादन देना चाहिए— 'हे मम आप दीर्घजीवी हो' और नाम का अक्षर स्वर्णित कर देना चाहिए किन्तु यदि नाम का अक्षर अक्षर व्यजन हो तो उसके पूर्व का स्वर्णित कर देना चाहिए। यही वाग पाणिनि (८।२।८३) में भी पायी जाती है। महाभाष्य ने इसकी टिप्पणी की है और दो बातोंको ध्यान रखना है कि यह नियम स्त्रियों के प्रति लागू नहीं है और शक्ति एव वैश्य के लिए विकल्प से लागू हो सकता है। आपस्तम्ब

धर्मग्रन्थ प्राचीन विवाहकरणों के नियमों को मान्यता देता है। मनु (२।१२५) ने भी ऐसा ही कहा है किन्तु उनके लिए जकार' घण्ट सब स्वरो के बरके आ जाता है। उच्च वर्ग के लोग नीचे वर्ग न भोगा को अभिवादन नहीं करते जब उनके विषय में प्रत्यभिवाह का प्रश्न ही नहीं उठता।

आपस्तम्बधर्मग्रन्थ (१।२।७।२७) के अनुसार शिष्य अपने गुरु की पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करता वैसा शिष्य के साथ करता है किन्तु न तो उससे पाँच भूएया और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। मीनम (२।३१ ३२) ने भी यही बात कही है और जोडा है कि शिष्य गुरु-पत्नी को नहाने-धोने में न तो सहमता करेगा न उससे पाँच पत्रयेया और न उन्हें बचाएगा। यही बात मनु (२।२११) बौधायनधर्म (१।२।३७) विष्णुधर्म (३।२।६) में भी पानी जाती है। मनु (२।२१२) एक विष्णुधर्मग्रन्थ (३।२।१३) के अनुसार २ वर्षीय शिष्य को अपने आचार्य की नखसुवनी पत्नी से पैर नहीं पकड़ने चाहिए, प्रत्युत पृथिवी पर गिरकर प्रणाम करता चाहिए (अभिवादन अनुक्रममहि मो)।

गुरुपत्नी से अनिश्चित अन्य स्त्रियों के विषय में निम्न नियम थे। विवाहित स्त्रियाँ को उनके पतिवा की अवस्था के अनुसार अभिवादन करना चाहिए (आप घ १।४।१४।१८ एक वसिष्ठधर्म १३।४२)। विष्णुधर्म (३।२।२) ने भी यही बात कही है किन्तु यहाँ पर अभिवादन केवल अपनी जाति की स्त्रियों तक ही सीमित है। गौतम (१।७-८) एक मनु (२।१३१ १३२) के नियम भी अवलोकनीय हैं।

आपस्तम्बधर्मग्रन्थ (१।२।७।३) वसिष्ठधर्म (१।४।५४) विष्णुधर्म (२।८।३१) एक मनु (२।७ ७) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र के साथ वही व्यवहार करता जो गुरु के साथ किया जाता है किन्तु गुरुपुत्र के पैर न पकड़ना और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। मनु (२।२ ८) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र को सम्मान तो देना किन्तु उससे गहने-धोने एक पैर धोने में कोई सहायता न देना और न उसका उच्छिष्ट खाएगा।

आपस्तम्बधर्मग्रन्थ (१।२।७।२८ एक १।४।१३।१२) के अनुसार प्राचीन काल में समाधिष्ठ (गिव्याम्पाष) की परिप्राणी थी और गुरु न कहने पर जो अन्य व्यक्ति सम्पादन-नाय करता था उसको गुरु के समान ही सम्मान मिलता था।

गुरु एक सम्बन्धियों के अनिश्चित अन्य भोगों में मिलन पर क्या व्यवहार करना चाहिए, हमने विषय में आपस्तम्ब (१।४।१४।२९ २९) एक मनु (२।१२७) का कहना है कि किसी ब्राह्मण में भेट होने पर 'गुणक' घण्ट घ स्वाम्य के विषय में पूछना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन से अनामय वैश्य स क्षम' एक पात्र से आरोग्य' घण्ट वा व्यवहार करता चाहिए। जो बड़ा हो उस प्रणाम मिलना चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था का हो उसका 'गुणक' मात्र

देवदत्तोऽहो जी. से पाया जाता है) तो प्रत्यभिवाह होया—“आयुष्मान्नि वेदवत्ता ३ (यहाँ ३ से तात्पर्य है किन अर्थात् तीन मात्र। तक)। यदि नाम ध्यञ्जनान्त हो तो प्रत्यभिवाह होया—“आयुष्मान्मत्र सोमधर्मा ३ न्। यदि स्त्री अग्नि वाहन करे यथा “अग्निवादेये पार्यहो जी. तत्र अत्यभिवाह होया “आयुष्मती मत्र पार्य” (अर्थात् यहाँ प्युन नहीं है)। यदि इन्द्रधर्मा नामक क्षत्रिय अग्निवाहन करे तो प्रत्यभिवाह होया। आयुष्मानेर्षीन्द्रधर्मा ३ न्” या “आयुष्मानेर्षीन्द्रधर्मन्।” यदि वैश्य इन्द्रपाश्वि अग्निवाहन करे तो प्रत्यभिवाह होया “आयुष्मानेर्षीन्द्रपाश्विना ३ या पौत्रपाश्विना। यदि दूध उपजक अग्निवाहन करे तो अत्यभिवाह होया “आयुष्मानेर्षि मुपजक” (अर्थात् यहाँ प्युन नहीं है)।

१७. तथा समाधिष्ठे सम्पादनयति। आप घ १।२।७।२८ समाधिष्ठे सम्पादनयन् पात्रवध्ययनमुपनगृहीष्यान् शिष्यमर्हन्मतिर्येक। आपस्तम्बधर्मग्रन्थ १।४।१३।१२-१३।

पूछना चाहिए। गौतम (५।३७-३८) ने भी इसी प्रकार नियम दिये हैं। मनु^{१८} (२।१२९) ने कहा है कि पर-नारी लक्ष्य को अपनी सम्बन्धी न हो उस नारी को 'सबती' कहना चाहिए। इस विषय में और देखिए आप व (१।४।१।१।७) एक विष्णुधर्म (३२।७)। बराबर अबन्धा वाणी को बहिन एक छोटी को बटी समझना चाहिए।

उद्वाहृत्य के अनुसार थी शब्द देवता गृह, गुरुस्नान संज्ञ (तीर्थस्थान) अभिदेवता सिद्ध योनी उद्वाहिका नारी आदि के नाम के साथ प्रयुक्त होना चाहिए। रघुनन्दन ने लिखा है कि जो भोग भीविष्ट हो उन्हीं के नाम के पूर्व 'धी' शब्द कमना चाहिए। इसी प्रकार द्विजातियों की स्त्रियों के नाम के पूर्व 'देवी' तथा पूज्य तारिकों के नाम के पूर्व 'दासी' लगाना चाहिए।

सम्मान के भावी कौन-कौन हैं? इस विषय में बोधा-अहुत मतभेद है। सम्मान करने के कक्षक हैं बन्धितार करना मिलने के लिए उठ पड़ना आये-आगे चलने देना भाषा बंधा शब्दन लगाना आदि। मनु (२।११९) एक विष्णु धर्म (३२।१६) के अनुसार वन सम्बन्ध अबन्धा धार्मिक इत्येव एक पवित्र ज्ञान वाले को सम्मान मिळना चाहिए, जिनमें वन से श्रेष्ठ सम्बन्ध सम्बन्ध से अबन्धा अबन्धा से धार्मिक इत्येव धार्मिक इत्येव से ज्ञान है। गौतम (१।१८ २) ने कुछ अन्तर दर्शाया है। उनमें अनुसार वन सम्बन्ध वेदा (वृत्ति) धर्म विद्या एक आयु को सम्मान दिखना चाहिए। इनमें कमस आये जानेवाले को अपेक्षाकृत अच्छा माना गया है। विष्णु वेद विद्या को सर्वोपरि कहा गया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।५६-५७) ने अनुसार विद्या वन अबन्धा सम्बन्ध एक धार्मिक इत्येव धर्म सम्मान है। जिनमें प्रत्येक पहले नाम श्रेष्ठतर है अर्थात् विद्या सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञसम्बन्ध ने वन से विद्या कर्म अबन्धा सम्बन्ध एक वन को मान्यता दी है। उन्होंने वन को अन्तिम मान्यता दी है (१।११६)। विष्णुधर्म (याज्ञ १।१५) ने अनुसार गुरु (माता-पिता) आचार्य उपाम्याय एक ऋषिभक्त को बहि सम्मान न दिया जाय तो पाप लगता है। विष्णु बहि विद्या वन आदि को सम्मान नहीं दिया जाय तो पाप ही नहीं लगेगा। मनु (२।११७) ने ९ वर्ष के शूद्र को एक विद्वान् ब्राह्मण ने धमस बन्धा माना है। और देखिए मनु (२।१५१ १५३) वीरायन धर्म (१।४।७) गौतम (१।२) एक उच्छ्रममहाब्राह्मण (१।३।२४)। मनु (२।१५५) ने लिखा है कि पवित्र ज्ञान से ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है। पराक्रम से शत्रिय की वन-वन से वैश्य की एक अबन्धा से शूद्र की श्रेष्ठता है। गौतम (३।२) ने अनुसार विद्या बुद्धि पौरुष अभिजन (उच्च कुल) एक धर्माधिपय (उच्च धर्म) नाम को सम्मान दिखना चाहिए।

अभिवादन एक नमस्कार में क्या अन्तर है? अभिवादन में न केवल झुंनना होता है प्रत्युत "अभिवादन आदि" कहना होता है। विष्णु नमस्कार में छिद्र झुंनकर हाथ जोड़ केना मात्र होता है। नमस्कार देवताओं ब्राह्मण, गण्यमानिया आदि के लिए किया जाता है। विष्णु के अनुसार ब्राह्मण को समा यज्ञ राजगृह में अभिवादन न करने नमस्कार मान करना चाहिए। नमस्कार में हाथों की आङ्गुलियाँ निम्न रूप से होती हैं—पिंडान् को नमस्कार करने में बहरी के नाम की भाँति हाथ जोड़ने चाहिए। यमियाँ को नमस्कार करते समय सम्युक्त पाणि से। एक हाथ से मूर्त को तथा छात्र की नमस्कार नहीं करना चाहिए। देवात्म्य देवमूर्ति ब्रह्म जीमका गात्र भी मनु पवित्र तद (द्वितीये

६८ हरदत्त के अनुसार चारों बर्षों के लिए ऐसे स्थाव्य-सम्बन्धी प्रश्न होने चाहिए—अभि दुर्गात् नमन अय्यनामय भजन अय्यनव्ययमुज्ज्वीति अय्यरोपी भवान्। 'दुर्गात् नमनाभयारोप्याभयमुपयत्न। अय्यं शूद्राय। यो नम (५।३७-३८) इन पर हरदत्त का कहना है कि 'अभि दुर्गात् नमनायुर्ज्वरिति ब्राह्मण प्रथम्य अय्यनामयपु अय्यनव्य इति शत्रिभ' अय्यरोपी भवानिति ब्रह्म अय्यरोपीयोऽस्तीति शूद्र ।

बाप मां देना का बबूतरा बना हो) बीरठा विद्वान् गुरु विद्वान् एव धार्मिक ब्राह्मण पवित्र स्वयं की मिट्टी की प्रवृत्ति (बापों से पालित) करनी चाहिए।^{११}

अपने माता-पिता का भाव पवित्र अग्नि पर रामा (यदि रामा ने बालबाले के बारे में पहले कभी कुछ न सुना हो तो) का पास लाम्बी हाथ नहीं जाना चाहिए (जाय ३ १।२।८।१०)।

मात्र में अपने धर्म विम प्रकार किसको आगे जान देना चाहिए, इन विषय में ब्राह्मणा के विशेषाधिकार के बर्णन में हमने पहले ही पत्र किया है।

प्राचीन भारतीय सिध्दान्त-गठित की एक विशेषता थी बिना पुस्तकों की सहायता के विद्या-ज्ञान (विशेषण वैदिक) प्रदान करना। वेद का व्याख्यान-स्यो आश की पीठिया तक स जात के लिए बड़े मुम्बर एव व्यवस्थित नियम बना दिए गये थे। पर कम जग तथा अन्य रूपों में वेद का अध्ययनाभ्यास होता था। खण्डा की भाषा इस विषय में प्रसिद्ध है। उसने "इन्द्रमनुष्यत्व" के उच्चारण में सङ्घटी कर की और इन्द्र के विरोध में अग्नि प्रकल्पित करने की आज्ञा उसे कुछ जाने में योग्य से दिया।^{१२} पुष्पक से पदनेवाक की निरूप्य पाठन कहा गया है (पाणिनीय गिरा ३२)। यह का पाठ व्यवस्थित ढंग से नीतिक ही था।

क्या प्राचीन भारत में लिखि-कला का ज्ञान था? क्या पाणिनि का समय में साहित्यिक नामा में लिपि का प्रचलन होता था? क्या ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है या किसी अन्य देश में यही लाम्बी गयी है? सैकड़ों मुम्बर न अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिन्दी का एम्प्लर मसूदा लिटरेचर" (पृ ५ ७) में किया है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग के लिए किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। यह मन मनुष्य आश्चर्यजनक एक अननक (अननित्युक्त) है। यह मन अन्य में अज्ञान ही गया। इसके उपरान्त मुम्बर ने अमोक्ष-लिपि एक समष्टि लिपि के कुछ अक्षरों में साम्य देखकर यह उद्घोष किया कि ब्राह्मी लिपि लगभग ८ ई पू समष्टि लिपि के आधार पर ली। बुद्धक महोदय के मतिपक में यह बात न मना मती कि यही बात ब्राह्मी के पत में भी ली जा सकती थी अर्थात् ब्राह्मी लिपि को मेष लिट्ट स्त्रोया ने अपनाया। इनका अतिरिक्त यह भी था कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एक समष्टि बोना लिपियाँ किसी अन्य अति प्राचीन लिपि पर आधारित ही सकती हैं। किन्तु इन प्रकार के निदानों अब प्राचीन पत्र गये बयादि माहें

११. वैशम्पैय शंभरतर्क लक्ष्मण चतुर्विधम् । विद्यापितं पूर्वं देव बुध्नु बुध्नात्प्रवृत्तितम् ॥ मार्कण्डेयपुराण (३।५।११ ८२) ; शुक्ति देवमनसबाहू देवं गीठं चतुर्विधम् । ब्राह्मण धार्मिक शंभु नित्य बुध्नात्प्रवृत्तितम् ॥ शांतिपर्व १९।१।८; वैश्विण्ड ब्रह्मपुराण (१।१।४) कामरुपुराण (१।५।२२) गीतम (१।१६६) मनु (४।३९) याज्ञ (१।१३३) । शांतिपर्व के १६।१।३७ से भी बड़ी इतनी है।

१२. मन्त्रो हीम स्वस्तो अग्नी का विष्यात्प्रपुत्रो न तमर्षबाहू । स बाण्यती धर्ममार्तं हिनितं धनेद्रमनु स्वस्तीऽमरापाम् ॥ पाणिनीयसिद्धा ५२ गीती धीयती धिष्टकम्पी तथा लिपिनपाठक । अर्षमोऽप्रपुत्रकश्च यदेने पाठनकम् ॥ पाणिनीयसिद्धा ३२ । गाथा का बर्णन तैत्तिरीय संहिता (२।४।१२।१) एवं जल्पक ब्राह्मण (१।६।३।८) से हुआ है। खण्डा "इन्द्रमनु" (विजय अर्ष होता है इन्द्र का नामक) याज्ञ का उच्चारण तन्पुत्र्य समाप्त में करना चाहता था (द्वितीये समाप्त के अन्तिम अक्षर में उदात्त स्वर लगाना चाहिए) किन्तु उतने बटुवीहि समाप्त के रूप में ही (इन्द्र होगा धानु जितना) उच्चारण कर दिया (यही समाप्त के प्रथम अक्षर में उदात्त स्वर जा गया) और एक उदात्त हुआ अर्थात् "इन्द्र के धानु" के स्थान पर इन्द्र ही को प्रदानता जित मती और खण्डा की आज्ञा मती पूर्ण ही ली। वैश्विण्ड, पाणिनि ६।१।२२३ एव ६।२।१।

जोबो एव हरप्पा (सिन्धु घाटी) की सिपि मछि प्राचीन ठहरा बी गयी और यह सिद्ध हो गया कि भारत मे कब्रन ५ ०-१ वर्ष पूर्व किसी परिष्कृत सिपि का व्यवहार होता था।

शिक्षा देने का मौखिक ढंग सर्वोच्च एव सबसे सस्ता था। प्राचीन काल मे लिखने की सामग्री सरलता से ली मिरा सकती थी और जो प्राप्य भी वह बहुमूल्य थी अतः मौखिक ढंग की ही विधेय महत्ता थी गयी। आज भी सरल विद्यालयों में मही ढंग अपनाया जाता है। आधुनिक काल मे जब कि लिखने एव मुद्रण की घाटी सुविधाएँ प्राप्त हैं, एकदो ऐसे ब्राह्मण मिलेये जिन्हें न केवल सम्पूर्ण ऋग्वेद (लगभग १ ५८ मात्र) कच्छस्य है प्रसूत ऋग्वेद के एव ऐतरेय ब्राह्मण आरभ्यक एव छ वेदांग (जिनमे पाणिनि के ४ सूत्र एव यास्क का विद्याक निम्नत भी सम्बन्धित है) समी कच्छस्य हैं। इन ब्राह्मणों मे कुछ तो ऐसे विभ्राट बन मिलेये जिन्हें इतना बड़ा साहित्य कच्छ तो है किन्तु मे इसके एक सब्ब का जर्न भी मही कह सकते।"

परशुरामायणीय (भाग १ पृ १५४) में उक्तुत नारद के अनुसार 'जो व्यक्ति पुस्तक के आचार पर ही अध्ययन करता है गुण से लही वह सभा मे घोसा मही पाता।" नृक्षपीठम मे उनकी आर्चना की है जो वेद वेदों है जो वेद की मर्तना करते है तथा उस लिखते है। याज्ञवल्क्य (१।२।१७-१८) पर लिखते समय अपठकं (पृ ११ १४) मे अनुविषसतिमत्त को उक्तुत करते हुए वेद वेदांग स्मृतियो इतिहास पुराण पञ्चरात्र पाषा नीतिशास्त्र विषय करनेवालो के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधिकतो की व्यवस्था की है। पुस्तक-मयों के विरुद्ध वही तक कहा गया है कि ज्ञानप्राप्ति के मार्ग मे यह छ अनरोको में एक अचरोक है।"

गुण सस्कृत प्राकृत या वेदभाषा के द्वारा लिखियो को समझाया करता था (सकृत्तै प्राइतैर्वायैर्म विद्यपनु क्मत् ॥ वेदभाषाबुपायैश्च बोधयेत् पृथ स्मृत् ॥ नीरमिबोधय द्वारा उक्त विष्णुधर्म मे)।

ब्रह्मचर्य की अवधि

उपनिषदों के कुछ अंशों से पता चलता है कि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थि-जीवन) की अवधि १२ वर्ष की थी (छान्दोग्य ४।१ ११)। स्मैतनेतु आरभ्ये १२ वर्ष की अवस्था मे ब्रह्मचारी हुए और २४ वर्ष की अवस्था मे सभी वेदों के पठित हो गये (छान्दोग्य १।१।२)। छान्दोग्य (४।१ ११) से यह भी प्रकट होता है कि १२ वर्षों के उपरान्त बहुधा निज भोग गुण से यहाँ से चले जाते थे। किन्तु ब्रह्मचर्य कम्भी अवधि का भी हो सकता था। छान्दोग्य (८।१।११) मे लिखा है कि ह्यत्र प्रजापति न यहाँ १ १ वर्ष तक (३२ वर्ष की-तीन अवधियाँ+५ वर्ष) विद्यार्थी रूप मे रहे। भद्राश्र मे ७५ वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१ १११)। गौतम ब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी वेदों के अध्ययन की अवधि ४८ वर्ष थी। गौतम ब्राह्मण मे इस जीवन को कुछ बृह एव धर्म सुभो मे उक्त किया है-

७१ ऋग्वेद का पर-पाठ आरभ्य की इति है तथा वह पाठ पीठ्येय (मातृक द्वारा प्रकीर्त) है। निम्नत (१।२८) मे पर-भाष के विभाजन की आलोचना की है। निरुक्त्य (याज्ञ ३।२।४२) मे कहा है कि पर एव वन मे प्रकीर्त मातृक है।

७२ पुस्तकप्रत्ययापीठ मापीत गुहनतियो। आजते न सभाजप्ये आरभ्ये इव तित्रया ॥ नारद (वराहप्र भाषणीय, भाग १ पृ १५४)।

७३ पूर्ण पुस्तकमुपुया माठवातविन्देक च। तित्रवराग्री च निद्रा च विद्याविष्णुवराजि च ॥ समुद्रवित्रया (भाग १ पृ ५१) द्वारा उक्तुत नारद।

यथा पारस्करसूत्रमून (२।५) का कहना है कि ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए और प्रत्येक वेद के अभ्ययन में १२ वर्ष लगाने चाहिए (१२ × ४ = ४८ वर्ष)। इस विषय में बौधायनगृह्यमून (१।२।१-५) भी अवलोकनीय है। जैमिनि (१।१।३।) पर शबर ने उन स्मृतियों की खिस्ती उठायी है जिन्होंने ४८ वर्ष की अवधि के लिए ब्रह्म चर्या है। किन्तु कुमारीक मठ ने शबर की भर्त्सना की है कि स्मृतियों ने जो कुछ कहा है वह स्मृतिविरुद्ध नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के उपरान्त सत्यापी होता चाहते हैं वे ४८ वर्ष तक पढ़ सकते हैं इतना ही नहीं बहुत-से लोग भीषण भय विद्यार्थी रहना चाहते हैं।”

जमघ वैदिक साहित्य विद्यालय हुआ चला गया और ऋषियों ने उमरी सुरदा के लिए तीनों वर्षों के लिए यह एक कर्मस्थ-सा बना दिया कि वे इस पून साहित्य के सरक्षण एवं पाठन में लगे रहें। अतः बहुत-से विद्वान् रत्ने गये तथा ४८ वर्षों तक सभी वेदा का अभ्ययन तीन वेदों का ३६ वर्षों तक यदि व्यक्ति बहुत तीव्र बुद्धि का हो तो वह तीनों वेदों को १८ वा १ वर्षों में ही समाप्त कर सकता है, या वह इतना समय अवश्य लगाने कि एक वेद का या कुछ उमठे अधिक का ज्ञान प्राप्त कर सके बलिय मनु (३।१२) एक याज्ञवल्क्य (१।३६ एवं ५२)। करने लिए १२ वर्षों तक वैशाम्पयन सम्मन नहीं था अतः भारद्वाजगृह्यमून (१।९) ने विश्वसे शिक्षा है कि वैशाम्पयन गोवात इत्ये तद (१६वें वर्ष में गोवात होता था इस विषय में हम आगे पढ़ेंगे) होता चाहिए। आप्तकाम्यनृह्यमून (१।२।३।४) के मठ से १२ वर्षों तक या जब तक सम्मन हो वैशाम्पयन करना चाहिए। हरदत्त ने भाष्यनम्बकर्म (१।१।२।१६) की व्याख्या करते समय आप्तकाम्यकर्म (१।१।२।१२ १६ एवं १।१।३।१) तथा मनु (३।१) के निषेध को उपस्थित करते हुए कहा है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को कम-से-कम तीन वर्ष प्रत्येक वेद के पढ़ने में लगाने चाहिए।

तीनों उक्त वर्षों के लिए वैशाम्पयन तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्म्य था ही साथ-ही-साथ वैदिक यज्ञों के लिए भी वैशाम्पयन आवश्यक ठहराया गया था। जैमिनि ने अनुगार नहीं व्यक्ति वैदिक यज्ञ के योग्य है जो मन्त्र-मन्त्रगयी अथ वा जाता हो।

अभ्ययन के विषय

वेद अभ्ययन में तात्पर्य है मन्त्रों तथा विधि-शास्त्रों या शास्त्र-भाष्य का अभ्ययन। वेदों का ज्ञान एवं अपोषय माना गया था। सभी कर्मशास्त्रकारों ने वेद को ज्ञानार्थ एवं शास्त्र माना है। बदाम्पमून (१।३।०८ २९) के अनुसार वेद शास्त्र हैं और मन्त्र ब्रह्मचर्य (ब्रह्म मन्त्र) वेद में ही प्रमूत हैं (वेदिय मनु १।२१ दालिपर्व २३३।२४ आदि)। बृहदारण्यकसंहिता (४।५।११) के अनुसार वेद परमात्मा के स्वास हैं। इसी उपनिषद् (१।२।५) में आया है कि प्रजापति ने ऋषेय यजुष्य सायवेद यज्ञे जाति का निर्माण किया है। वैशाम्पयनोपनिषद्

७४ उपनयन अधिकतर गर्माज्ञान से केवल ८ वर्ष की अवस्था में होता था। यदि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी जीवन) ४८ वर्षों तक चलेगा तो उस समय व्यक्ति की अवस्था ५६ (४८ + ८) वर्ष की होगी। वैदिक गृह्यस्य लोग ही यौन ज्ञान होकर कर सकते थे। यदि कोई ५६ वर्ष उपरान्त विवाह करे, तो उसके बाल सखेव होने रहेंगे और वह इस प्रकार स्मृति-नियम को मानता हुआ वैदिक आदेश के विरोध में चला जायगा। स्मृति एवं धर्म के विरोध में स्मृति अस्वीकृत होती है यह जैमिनि (१।३।३) का कहना है। इस पर शबर का प्रायः है—अप्याचार्यविरुद्धाभि वेदब्रह्मचर्यवर्षं आतपुत्र इत्यनेनोपनिषाद्यथैव इत्यनेन विद्वद्भ्यः। अनुसूक्त प्रकटाद्यथैववाप्याचार्यविरुद्धाभि वेदब्रह्मचर्यवर्षं इत्यनेन स्मृतिरित्यथैवत्ये। जमिनि (१।३।४ वृ १८६) पर शबर। वैदिक शास्त्रार्थिक वृ १९० १ ३।

(१११८) क अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। इस विषय में शान्तिपर्व (२३३२४) सबसे अधिकनीय है। वेद के अनावरण एवं अपौरुषेयत्व को कई रूप से समझाया जाता है यथा—महामात्र (परिनि ६३११) ने लिखा है कि यद्यपि वेद का मर्म सास्वत है किन्तु सन्धो का प्रबन्ध अधास्वत है और इसी लिए वेद की विभिन्न शाखाएँ पायी जाती हैं, यथा काठक कात्यायक मौनक वैष्णकादय आदि।

प्राचीन काल से ही अध्ययन का साहित्य बहुत विद्यास रखा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१११ १२१) में कहा है कि वेद अमृत हैं। स्वयं ऋग्वेद (१ ७११११) में ऐसा संकेत है कि चार प्रकार के प्रमुख पुरोहित थे यथा—होत, अध्वर्यु उद्गाता एवं ब्रह्मा। उसमें (१ ७१११०) यह भी जाया है कि जो लोग छात्र पढ़ते हैं उनमें बड़ा वैयम बना जाता है और सहपाठी अपने मित्र को सभा में पीठता देकर प्रसन्न होते हैं। छतपत्र ब्राह्मण (१११५१७४८) ने स्वाध्याय के अन्तर्गत ऋषियों यजुषो सामो अथवागिरयो (अथर्ववेद) इतिहास-पुराण पाषाणो को गिना है। पोषण ब्राह्मण (२११) ने लिखा है कि इस प्रकार ये सभी वेद कल्प रहस्य ब्राह्मणो उपनिषदो इतिहस्य, अथाख्यायन पुराण अनुशासन वाकोवाचय आदि के छात्र उत्पन्न किये गये। उपनिषदों में ऐसा अधिकतर ज्ञान है कि ब्रह्मज्ञान की लोभ में जाने के पूर्व लोग बहुत-कुछ पढ़कर जाते थे। छान्दोग्योपनिषद् (७११२) में गार्ग्य एकमुनि से कहते हैं कि उन्होंने (गार्ग्य ने) चारों वेदों पाँचों वेद के रूप में इतिहास-पुराण वेदों के बर (व्याकरण) नियम (भाष्य पर प्रबन्ध) राशि (सकृत्पाठ) ईव (समाप-विद्या) निधि (गुण सन्निज जोरने की विद्या) वाकोवाचय (वचनोपचयन या हेतुविद्या) एकात्मन (राजनीति) वेदविद्या (निष्पन्न) ब्रह्मविद्या (अर्थ एवं अर्थ-विद्या) मृतविद्या (मृत-मृत को बुर करने की विद्या) क्षत्रविद्या (अनुर्वेद) नभस्त्रविद्या सर्पविद्या देवजलविद्या (गण गान अन्वयन आदि) सीख ली थी। यह सूची छाण्डोग्य (७११४ एवं ७१७१) में पुन भी गयी है। इसी से समान सूची बृहदारण्यकोपनिषद् (२१७१ १११५) में भी पायी जाती है। गौतम (११११९) ने प्रजा को सेवकत्वे से किए वेद धर्मशास्त्रों ज्यों उपवेदों एवं पुराणों पर आभित रहने के लिए राजा को आवेष्टित किया है। अस्तसंन-धर्म (२१३१८१०-११) विष्णुधर्म (३ १३४ ३८) ऋषिष्ठ (३११९ एवं २३ १३४-४) ने वैशाखी की वर्षा की है। पाणिनि को वेद एवं ब्राह्मणों का ज्ञान तो था ही उन्हें प्राचीन ऋषयूनों विष्णुसूक्तो एवं नटसूक्तो तथा अन्य कौनिक ग्रन्थों की जानकारी थी (४१३१८७-८८, १ ५, ११ १११ एवं ११६)। पठ्यन्वकि (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) को छन्दस्य साहित्य की विद्यासता का ज्ञान था (भाग १ पृ ९)। याज्ञवल्क्य (११३) में १४ विद्याओं के नाम बाने हैं। इसी प्रकार मत्स्य (५३१५ ६) बामुपुराण (भाग ११६११७८) बृह-गीतम (पृ ६३२) आदि में भी १४ विद्याओं की बर्णना है यथा—४ वेद ६ वैश्वान पुराण न्याय मीमांसा एवं धर्मशास्त्र। बामुपुराण (भाग १ ६१७९) बर पुराण (२२३१२१) एवं विष्णुपुराण में ४ विद्याएँ और जोबनर १८ विद्याओं की बर्णना की गयी है यथा अनुर्वेद वदु-वद गान्धर्ववेद एवं धर्मशास्त्र नामक ४ उपवेद। कुमारिष्ठ ने तन्त्रवातिक में कहा है कि विद्या-स्वाम जो बर्णों की जानकारी के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं १४ या १८ हैं।

अनि प्राचीन काल में ही धर्मशास्त्र पर विद्यास साहित्य था। महाकाव्यों काव्या नाटक कल्पित तथा पकित प्याणिय भीषण तथा अन्य कल्पनात्मक कालाओं पर विद्यास साहित्य का प्रथम होना यथा त्रिमर्षे पकृतवद वेदाध्ययन में कुछ डिमाई डिमाई पढ़ने लगी और लोभ वेद की अज्ञेया मनेयो एवं बुद्धि की सन्तौष देनेवाह साहित्य की भार अधिष्ठ करने लगे। स्तुतिया में सम्बन्ध इसी कारण से द्विजाणियों का प्रथम कर्तव्य वेद पढ़ना बताया और बार बार इस पर बल दिया है। अर्धवेद ग्रन्थों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों की मर्लता मैत्री-उपनिषद् (७११) में पायी जाती है। एनी ही बात मनु (२११६८) में भी पायी जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद् (११९) में स्वाध्याय (वेदाध्ययन) एवं प्रवचन (निदान वचन या प्रतिक्रिय वचन) का तप कहा है और इन दोनों का अन्व गत्य तप इम तप अर्निर्भ

अग्निहोत्र एवं सन्तान के साथ जोड़कर इतनी महत्ता को और भी बरक दे लिया है और कहा है कि बार पमे जाने पर भी विधार्थी को वेदाध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए।

वेदाध्ययन का तात्पर्य केवल मन्त्रों को कञ्चक कर लेना नहीं प्रत्युत अर्थ भी समझना है (देखिए शकृगायत्री वेदान्तसूत्र १।३।३ एवं याज्ञवल्क्य १।३ पर मिठासप्तमी व्याख्या)। निरुक्त (१।१८) में लिखा है कि बिना अर्थ जाने वेदाध्ययन करनेवाला व्यक्ति वेद एवं ऋषि के समान है और केवल भार बहन करनेवाला है, किन्तु जो अर्थ जानता है उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, ज्ञान से उसके पाप हिंस जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दस (२।३४) में अनुसार वेदाध्ययन में पाँच बातें पायी जाती हैं—वेद को कञ्चक करना उसके अर्थ पर विचार करना बार-बार पुष्टाकर सदा नवीन बनाये रखना अप करना (मन ही मन प्रार्थना के रूप में पुष्टाराना) एवं दूसरे को पढ़ाना। इस विषय में देखिए मनु (१।२।१ २) सवर्ग (पृ ६) विद्वत्कथ (याज्ञ १।५१) अपराकं (पृ ७४) एवं भयातिथि (मनु ३।१९)।

उपर्युक्त आशेषों के रहते हुए भी अधिकारम को बंद कर बिना समझे पढ़ते रहे हैं। महाभारत (उद्योगपर्व १३।१।६ एवं शान्तिपर्व १।१) में बिना अर्थ के पढ़ने वाले व्याधिय की मर्त्यता की है। श्रीरे-श्रीरे एक विचित्र घाबना कर करते लयी वेद को केवल बार कर लेने से पाप से मुक्ति हो जाती है। काबन्धर में यह साबना इतनी प्रबल हो उठी कि आज के बहुत-से ब्राह्मण यह कहते सुने जाते हैं कि वेद का अर्थ जानना अनम्भव है और उस ज्ञान का प्रयत्न करना व्यर्थ है। वेदाध्ययन के महत्त्व की जानकारी के लिए देखिए बसिष्ठधर्म (२७।१) मनु (१।१।२४५, २४८ २९) याज्ञवल्क्य (३।३ ७-११) विष्णुधर्मसूत्र (५६।१ २७ २७।४ २८।१-१५) आदि।

वेद को कञ्चक करने के उपरान्त उसे सदा स्मृति-वत्क में रखना परमावश्यक था। वेद को भूलना मघ पीने आदि पापों के समान है यह ब्रह्महत्या के समान भी कहा गया है (मनु १।१।५६ एवं याज्ञवल्क्य ३।२२८)।

मनु (४।१।६३) ने नास्तिक्य एवं वेद-भर्त्सना के विरोध में बहुत-कुछ कहा है और एक स्थान (१।१।५६) पर वेद-नीत्या को महापाप बताया है। याज्ञवल्क्य (३।२८८) ने वेद-नीत्या को ब्रह्महत्या के समान घमभीर कहा है। मीमम (२।१।१) ने नास्तिक को पतित माना है। इस विषय में देखिए विष्णुधर्मसूत्र (३।७।४) मनु (२।१।१) बसिष्ठधर्म (१।२।४१) मनुस्मृतनपर्व (३।७।११)।

७५ ऋग्वेद में ऐसा श्लोक मिलता है (१।८।१।१) कि कुछ लोग इन्द्र की देवता नहीं मानते वे (मित्र वेदमम मत)। इसमें जो 'अवत अवत अमवत' (ऋ १।५।१।८, १।७।५।३ ७।६।३) कहा गया है। बटोपनिषद् (१।२) में मन्त्रवेत्ता बहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी वे जो कहा करते हैं कि करने के उपरान्त आत्मा भी मरत हो जाता है। मम (२।६) का कहना है कि जो परलोक में नहीं चिन्ता करता वह उसके जपुत में बार-बार चँतता है। पानिनि ने 'नास्तिक' शब्द की व्युत्पत्ति बनायी है 'अस्ति नास्ति चिद्व मति (४।४।६) जितका तात्पर्य है 'परलोक नहीं है ऐसी जितकी मति है' (नास्ति परलोक इति मतिर्यस्य)। प्रजाकर की बृहती (पुर्वदीर्घात्वा युक्त की व्याख्या) में बृहस्पति की अनन्त-वार सोनायत या नीतिचकार का प्रबन्धक माना है और उसकी टीका ऋग्विजयका में एक श्लोक उद्धृत किया है—
"अग्निहोत्र त्रयो वेदास्तित्रयश्च भरतमुच्छ्रितम् । बुद्धिपीड्यहीनात्मीविति बहस्पति ॥ तर्षदानीतंयह (बार्थिक-वर्जित) में भी यह श्लोक उद्धृत है। मेघातिथि (मनु ४।१।६३) का कहना है—"वेदप्रमाणज्ञानमपर्याना विष्यत्वाध्ययनायो नास्तिप्रयम् । शप्येन प्रतिपाद्यन निष्ठा पुनरुक्तो वेदोऽप्योप्यध्याहोनात्र तत्पमस्तीति ।" मनु (३।१।५) की व्याख्या में स्मृतिचर्चिका का कहना है—"नास्ति कालाकारे कश्च अर्थ नास्ति वेदोऽप्यधिकतो नास्तिप्रः ।" मनु (१।२।३५) में

वेदशास्त्र के सिद्ध पक्षों से ही कोई शुद्ध नहीं निर्धारित था। प्राचीन सिद्धान्त-व्यवृत्ति की विवेचनाओं में वह एक विशिष्ट विधेयता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (५।१२) में यह आया है कि जब ब्रह्म ने वायव्यरूप को एक व्यक्त पाय एक हाथी एक एक बैल (शकर के मतानुसार हाथी क समान बैल) देना चाहा तो वायव्यरूप ने कहा—“मेरे लिए का मत था कि बिना पूर्ण पक्षों के सिद्ध से कोई पुरस्कार नहीं देना चाहिए। गौतम (२।५४-५५) ने लिखा है कि विद्या के अन्त में सिद्ध को गुह से बल सेन या जो कुछ वह से सके सेन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जब पुरु ब्रह्मर्षि करवे या बिना कुछ सिद्धे जाने को कह वे सब सिद्ध को स्तान करना चाहिए (अर्थात् बर कौटना चाहिए)। वास्तव्यवर्णनम् (१।२।७।१९ २३) में लिखा है कि अपनी योग्यता के अनुसार सिद्ध को विद्या के अन्त में बुराहिना देनी चाहिए यदि गुह शरी में हो तो उग्र या धूर् से भी शिक्षा माँग कर उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा करके सिद्ध को बमरु नहीं करना चाहिए, और न इसका स्मरण रखना चाहिए। वास्तव में विद्या के अन्त में ब्रह्म देना गुह को प्रसन्न मान करना या क्योंकि जो कुछ ब्रह्म सिद्ध ग्रहण करता था उसका प्रतिहार नहीं हो सकता था। मनु (२।२४५ २४६) ने लिखा है कि सिद्ध ‘स्तान’ के पूर्व कुछ नहीं भी हो सकता है बर कौटो समय वह गुह को कुछ न दे सकता है। मूमि सोना गाय बल्य जूते ऊठा आसन बल्य घाम-रुद्धी बस्त्र का अन्न-अन्न या एक साथ ही रान किया जा सकता है। सांख्योपनिषद् (३।२।६) में ब्रह्मविद्या की स्तुति करते हुए इसे सम्पूर्ण युगिणी एक इसके न सं उक्त माना है। स्मृतियों में आया है कि यदि बुर एक अक्षर भी पढा दे तो इस शब्द से उन्नत होता व्यसम्भ है (युगिणी में कुछ है ही नहीं जिसे देकर सिद्ध उन्नत हो सके)। महाभारत (भास्वमेधिक ५६।२।१) ने लिखा है कि सिद्ध के कामों एक व्यवहार से प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक मुक्त-ब्रह्मिणा है। (ब्रह्मिणा परितोयो वै मुक्ता सम्भिरभ्यते।) इस विषय में और संक्षिप्त वाक्यरूप (१।५१) कात्यायन (अपराध ५ ७६)। पाश्चिमेरी के पास बभ्रु नामक स्वामि में प्राप्त मूलन्यायमार्क क फलक-पत्रों से पता चलता है कि विद्या की उत्पत्ति के लिए विद्यास्तान का बान दिया गया था। बभ्रुवचन सोमेस्वर प्रथम के समय में (शक सन् १८१ में) सन्यासियों के प्राप्तापन में प्राप्तापको (प्रोफेसर्स) को ३ मत्तर मूमि तथा मत् म सिद्धों को पढ़ाने के लिए ८ मत्तर मूमि देने की व्यवस्था की गयी थी। (परिचयिता

पाण्ड्यको (नास्तिकों) के देन-निकासे की व्यवस्था की है। विष्णुपुराण (३।१।१७-२८) में मायासोह के उपदेय के बारे में लिखा है—“यात्रेनेर्देवत्वानवाप्येन्नोन्नतम्। क्षमायि यदि केकाठं तत्र पत्रमुत्पद्युः ॥ निहतस्य प्रदीपे स्वर्गप्राप्तियधीष्यते। स्वविता धनमायेन कि नु तस्मान्न हन्यते ॥ नारद (ब्रह्मवार्ता १८) ने नास्तिक को साधन रूप से साक्षी के अयोग्य माना है। तर्कदर्शनसंग्रह में चार्वाक के मतों का साक्षात् उपस्थित किया है तथा सम्प्रथम ५२८ ई में प्रणीत हरिभद्र ने पद्मवर्णनसमुच्चय में लोकायत के मतों का निष्कर्ष उपस्थित किया है। महाभाष्य (भाष ३ ५ ३२५ २६) में भी लोकायत की ओर संकेत किया है। ‘यावज्जीव मुक्त जीवेद् ब्रह्म कृत्वा पुनं विवेत्। बस्तीमृतस्य देहान पुनरायनं कुत ॥ बाला प्रसिद्ध इमोक्त तर्कदर्शनसंग्रह के ‘चार्वाकदर्शन’ नामक अंश के अन्त भाग में विद्ये तवे निर्वर्ष में लिखा है। पद्मवर्णनसमुच्चय (८) में लोकायत मत को सलिय रूप में यों रखा है—“लोकायता ब्रह्मदेवं नाति जीवो न निर्बुनि। पर्यायमी न विद्येते न कस्य पुण्यापयो ॥” निर्बुति का अर्थ है मीस। भारतीय नीतिशास्त्र (लोकायत मतान्तरवाद या चार्वाकवाद) का एक व्यापक अथवा विस्तारपूर्वक इतिहास बहुत ही मनोरंजक रूप में हो सकता है किन्तु अभी यह इतिहास विषय में लिखा नहीं।

७६ विद्यासे पुरुषपत निरागम्य। कृत्वानुत्तमस्य वा रमानम्। श्री (२।५४-५५); विद्यासे पुरुषवर्षे निरागम्य कृत्वानुत्तमस्य वा रमानम्। भास्वलायनमुद्रामुच (३।१।४)।

द्विष्टया माग १५, ५ ८३)। १८१८ ई. क कुछ ही पक्ष देखा प्रति वर्ष विद्वान् ब्राह्मण को दक्षिणा रूप में जा धन देने के बहू समयमें ४ मास के बराबर रहा करता था। मात्र भी बीचबीच पलाश्वी में बहन-ने एम ब्राह्मण गुरु हैं जा कए एक मात्र क प्राध्यापन में कुछ भी नहीं सन और न सन की आवा ही रखत है।

मनु (२।१८१) धनस्मृति (३।२) एव विष्णुधर्मसूत्र (०।१२) के अनुसार जीविकार्थ बन् या वेदाय पठान मात्रा गुरु उपाध्याय कह्यता है। याज्ञवल्क्य (३।२५) विष्णुधर्मसूत्र (३।०।२) तथा अन्य साग न बन् के लिए पठान एव वेतनसोयी गुरु स पठन का उपाध्याय म गिला है। मूलराध्यायक एव उनक विषय भाद्र म बुद्धाय जान योग्य नहीं माने जाने क (मनु ३।१५६० अनुभासतपर्व २।३।१७ एव याज्ञवल्क्य १।०।२३)। विष्णु मेवाविधि (मनु २।११२ एव ३।१४५) मिताभय (याज्ञ २।२।३५) स्मृतिचन्द्रिका आदि न लिखा है कि कबल दिव्य म कुछ सं सने पर ही कोई गुरु मृतकप्राध्यायक नहीं कहा जाता प्रत्युत निश्चित तल सन पर ही पठाने की व्यवस्था करने मात्रा गुरु सम्पत्ता का पात्र होता है। विन्तु कापालाक म जीविका क छिप निश्चित धन सने की व्यवस्था की गयी थी (मनु १।१।५ एव याज्ञ ३।४२)। महाभारत (आश्विपर्व १३।३।२ ३) म काया है कि भीष्म न पाण्डवा एव कौरवा की शिला क लिए श्रेण की बन् एव मुख्यतः आश्विन-गृह दिया विन्तु कोई निश्चित बन् नहीं।

गीतम (१।१९।२) विष्णुधर्मसूत्र (३।७९-८) मनु (७।८२-८५) एव याज्ञवल्क्य (१।३।१५, ३३३) क अनुसार विद्वान् सोया एव विद्याविधियों की जीविका का प्रबन्ध करता राजा का कर्मण का राज्य म कान् ब्राह्मण भूय म न मरे, यह वेतना राज्यकम का। यदि गुरु विद्या के ज्ञान म दिव्य के अधिक बन् मीष का दिव्य विद्वान्त राजा क पास पहुँच सकता था। रघुवरा (५) म बाल्मिकि म यमिया है कि किम प्रकार बरतन्तु न गीतम स (१४ विद्याश्री क अनुसार) १४ कण्ड की भारी बलिना मीषी जिसके लिए कौम्य राजा रघु क पास पहुँचा का और इस पल में कुछ भी अधिक सन को बहू मद्रक नहीं हुआ। कमी-कमी गुरु का गुरु-पत्नी (जैसा कि कुछ आध्यायिकाओं म पता चलता है) भारी बलिना मीषी रनी गयी है यका पुण्यली द्वारा उत्सव म गयी क कबलन का मीषा जाना (आश्विपर्व अध्याय ३ एव आश्वमघिक पर्व ५९)।

दारीर-वृद्ध के विषय म प्राचीन मिश्रा-व्याख्यान म क्या व्यवस्था की थी? गीतम (२।४८-५) में लिखा है कि साधारणतः बिना मार-पीट दिव्यी की व्यवस्था करना चाहिए, विन्तु यदि घम्भा का प्रमास न पड तो पदमी रम्पी या कौम की पट्टी (कीरी हर् पन की टुकड़ी) म माग्ना चाहिए, विन्तु यदि अध्यायक किसी अन्य प्रकार (शक इत्यादि) म मारे तो उम मात्रा द्वारा दग्नि किया जाना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२।८। ९ ३) म लिखा है कि मरते द्वारा सम्पत्ता करनी चाहिए और अपराध की गुफा के अनुसार जिम्मे वृद्ध में न कोई या कर् दिया जा मरत है बसकाला मोक्षन न देना दीनक जल म स्थान कठना सामन न मान बना। महाभाष्य (भाग १ ५ ८१) में अनुसारत का उदास और उदास को अनुदास कहन पर उपाध्याय द्वारा करण (सम्भवन पीठ पर) मरत की और भोज किया है। मनु (८।०९९ १) विष्णुधर्मसूत्र (७।१।८१-८२) नारद (अध्यायानुपूर्वा १३ १४) में गीतम का अनुसरण किया है विन्तु इनका और जाद दिया है कि पीठ पर ही मरत जा सकता है मिर का छापी पर कनी नहीं। नियम-विच्छेद जाने पर मारक का नहीं वृद्ध मिग्ना चाहिए जो किसी बार का मिसना है (मनु ८।३)। मनु (२।१।९९) में कहा है कि अरिच-अम्कनी मर्यादा म करने की मिश्रा रने मलय मनु र गन्ता का प्रयास करना चाहिए।

अधियो, वैश्वे में एव शूरी की निजा क विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है। गीतम (१।१।३) में अनुसार राजा की सीना बरा आन्वीक्षिणी (अध्याय या तब माग्ण) का परिचय होता चाहिए उमे अपने वर्णव्यश्यास में रनी पर्यमाग्ना केर के महाया प्रथा उररना एव पुण्यता का अधय ग्रहण करना चाहिए (गीतम १।१।१)। मनु

(७।४३) एव राजवत्स्य (१।१११) के अनुसार राजा को तीन बेरों आन्वीजिकी बध्नीति एव वार्ता (वर्मशास्त्र) का पबिष्ठ होना चाहिए। सम्भवत इय प्रकार के निर्येस आवर्ष मास मे व्यावहारिक रूप मे इनका पालन बहुत ही कम होता रहा होगा। महाभारत की कहानियों से यही प्रकट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम मृत्यु मे विद्याध्यय के लिए जाते थे उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए शिक्षका की नियुक्तियाँ हुआ करती थी (श्रीम को भीष्म ने नियुक्त किया था)। राजकुमार लोग रीतिक बध्ना सबस्य प्राप्त करते थे। राजा कोम वार्तिक मामलों को पुरोहितों पर ही अर्पित करते थे और उन्हीं के परामर्श पर कार्य करते थे। यौतम (११।१२१) एव आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।५।१।१५) के अनुसार पुरोहित को विद्वान् अच्छे कुल का मधुर वापी बोलने वाला सुस्वर वाक्कृति वाला मध्यम वयस्का का एव उच्च चरित्र का होना चाहिए और उस वर्म एव अर्थ का पूर्ण पबिष्ठ होना चाहिए। आस्वजायनब्रह्मसूत्र (३।११) के पता चलता है कि पुरोहित राजा को युद्ध के लिए समझ करता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र मे मनु एव याज्ञवल्क्य के समान ही राजकुमारों के लिए चार विद्याओं (उपयुक्त) की चर्चा की है। उनका कहना है कि तीन वर्म के उपरान्त राजकुमार को बध्तर एव गणित का ज्ञान कपना चाहिए और जब उपनयन हो जाय तब उस चार विद्वान् १५ वर्ष की अवस्था तक पढनी चाहिए। इसके उपरान्त विद्याइ करना चाहिए (१।५) बित्त के पूर्वार्ध मे उसे हकीमी चीजे रख की सवारी एव अस्त्र-धस्त्र चलाना सीखना चाहिए किन्तु उत्तरार्ध मे पुराणो गाथाओ वर्मशास्त्र एव अर्थशास्त्र (राजनीति) का अध्ययन करना चाहिए। ह्यचीमुष्ठा के अतिरिक्त से पता चलता है कि कारावेत्त ने उत्तरार्धकारी के रूप मे क्य (विष्का) यजना (बित्त एव राज्यकोष का हिषाव-विताव) सेवक (राजकीय पत्रसम्बहार) एव म्यबहार (बन्तु एव म्यायघासन) का अध्ययन १५ वर्ष से २४ वर्ष की अवस्था तक किया। कारम्बरी मे ज्ञाना है कि राजकुमार चत्वारिंशत् युव के यहाँ पढने नहीं गया प्रत्युत उसके लिए राजधानी के बाहर पाठशाला निर्मित की गयी और वहाँ उसने ७ वर्ष से १५ वर्ष तक विद्याध्ययन किया।

वर्मशास्त्र-सम्बन्धी वन्धो मे सामान्य क्षत्रियो के नियम मे कोई पुनर् उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु इन बहुत-से दायि विद्वान् एव युद्ध के रूप मे मिलते हैं। स्वयं कुमारिक भट्ट ने सिद्धा है कि अध्यापन-कार्य केवल ब्राह्मणो ने ही करनी थी वा प्रत्युत बहुत-से क्षत्रियो एव वैश्यो ने अपने वास्तविक प्राति-मुक्तो को छोडकर मुक्त-पत्र ब्रह्म किया है (उत्प-वातिव पृ १८)।

वैश्यो की शिक्षा के नियम मे तो और भी बहुत कम निर्येस प्राप्त होते हैं। मनु (१।११) ने सिद्धा है कि तीनों वर्णों को वेदाध्ययन करना चाहिए व्यापार पशु-प्राकृत इति वैश्यो की जीवनिका के साधन हैं वैश्यो को पशु-पालन वनी भी नहीं छोडना चाहिए, उन्हें रत्नो मृगो मोक्षिनी बान्जुओ बरसो बन्धो तमन बीज-रोपण मिट्टी के बुक-रोपे, व्यापार मे भाग-हानि मृत्यो क बिलन वा मान-जम वनी प्रकार के असर, बध-विषय की सामयिया के स्वाव का ज्ञान होना चाहिए।

वाजवत्स्य (२।१८४) एव शारव (अभ्युपेतबायुसूत्रा १५०) से मनेत्र मिलता है कि सब्जे आभूषण विपबि, नाथ काठ आदि विलोयों को सीपने के लिए विल-गुण के यहाँ अन्धेवामी रूप मे रहते थे। विष्मविष्ठा के विष्म को निरिष्म तमय तत्र विष्म-मुद्र के यहाँ रहना पटना था यदि वह समय से पहस वीप से, तब भी उसे रहना ही पटना था। विष्म-मुद्र की उमने गाने-गीत की व्यवस्था करनी पडती थी और उसकी बर्माई पर उनी का बधिवार होना था। यदि विष्म जाय जाय तो विष्म-गुण राजवत्स्य का महारा मेनर जये बन्धित करत लकता था और बलपूर्वक अन्धे वर्म निरिष्म तमय तत्र रहने वा बाध्य कर ताता था।

वर्मशास्त्रा मे मूत्र-निष्का के नियम मे कोई निबन्ध नहीं है। मूत्र प्रथमा अपनी विपनि मे डार उठे और वाजवत्स्य के उक्त विष्म एव इति मे मत्स्य रहने की आज्ञा मिल ही गयी। सम्भवत उनने सिर्फ भी बीजे ही नियम वा बध को

वैश्य जाति के शिल्पविद्या-विद्यो के सिद्ध बने थे (याज्ञ १।१२ धातिसर्व २९५।४ कथ्मास्वकायन २२।५)।
 सूत्र जाति के विवेचन में हमने इस विषय में देखा किया है। सूत्र लोग महाभारत एवं पुराणों का कहा जाना सुन
 सकते थे।

यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं वर्तमान काल की अपेक्षा प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा-सम्बन्धी
 व्यवस्था कहीं उच्चतर थी। बहुतेरी नारियों में वैदिक ऋचाएँ रची हैं यथा—अभि-शुल की विरचनार्थ में ऋषभ
 का ५।२८ बाळा मया रचा है उसी शुल की अपासा में ऋग्वेद का ८।९१ बाळा मया रचा है तथा बोपा काशीवती का
 नाम से ऋग्वेद का १।३९ बाळा मया कहा जाता है। प्रसिद्ध भारतीय शार्पिक याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ भी जिनमें
 मीनेयी सत्य ज्ञान की खोज में रहा करती थी और उसने अपने पति से ऐसा ही ज्ञान माँगा जो उस ज्वर कर सक (बृह
 शारण्यकोपनिषद् २।५।१)। बृहदारण्यकोपनिषद् (३।६।८) के अनुसार विदेहराज जनक की राज-सभा में कई एक
 उत्तर प्रत्युत्तरकर्ता थे जिनमें मार्गी वाचकनी की नाम बड़ी श्रद्धा से लिखा जाता है। मार्गी वाचकनी ने याज्ञवल्क्य से
 बात कट्टे कर बिते थे। उसने प्रदत्तो की बीछार से याज्ञवल्क्य की बुद्धि बकरा उठती थी। हारीत ने स्त्रियों के लिए
 उपमयन एवं वंदाध्ययन की व्यवस्था की थी। आस्वकायनगृह्यसूत्र (३।४) में जहाँ कनिष्य ऋषिया ने तपण की
 व्यवस्था की गयी है वही मार्गी वाचकनी बहवा प्रातिवैपी एवं सुलमा मीषयी नामक तीन नारी-शिक्षिकाओं के नाम
 भी आते हैं। नारी-शिक्षिकाओं की परम्परा अक्षय रही होगी क्योंकि पाणिनि (४।१।५९ एवं ३।२१) की वाचिन्त्रा
 वृत्ति ने 'वाचायाँ' एवं 'उपास्यायाँ' नामक शब्दों के साधनार्थं व्युत्पत्ति की है। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (भाष २
 पृ २५ पाणिनि के ४।१।१४ के वाचिक ३ पर) में बताया है कि यों एक बँस ब्राह्मण नारी 'वापिचसा' (जो आपिचलि
 का व्याकरण पढ़ती है) एवं और 'वासहस्ता' (जो वासहस्त का मीमांसा ग्रन्थ पढ़ती है) कही जाती है। उन्होंने
 श्रीवमेधा उपाधि की व्युत्पत्ति की है जिसका तात्पर्य है "श्रीवमेध्या नामक स्त्री-शिक्षिका के शिष्य। योगिसुब्रह्म
 सूत्र (२।१।१९-२) एवं काठकगृह्यसूत्र (२५ २३) से पता चलता है कि बुद्धिमें पढ़ी-लिखी हुंती थी क्योंकि उन्हें
 मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता था। स्पष्ट है कि सूत्रकाल में स्त्रियाँ वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करती थी। वात्सयान
 ने कामसूत्र (१।२।३) में आया है कि रुद्रिया को अपने पिता के घर में कामसूत्र एवं इमनं अथ सहायक भय (मया
 ६४ बसाएँ—मात नाथ चित्रकारी आदि) सीखन चाहिए तथा विवाहोपरान्त पनि की आज्ञा से इन्हें करना चाहिए।
 ६४ बसाओ में प्रहेलिकार्य, पुस्तकवाचन, काव्यममस्या-पूरण पिण्ड एवं अन्नकार का ज्ञान आदि भी सम्मिलित थे।
 महाकाव्यों एवं नाटकों में नारियाँ प्रेम-यत्र लिखती लिखाई पढ़ती हैं। माल्नीमात्रक में आया है कि मातृक एवं तापिचर
 ने पिता कामन्दकी के साथ एक ही घृष्ट कं चरना में अध्ययन करते थे। राजघण्टर आदि के काव्य-मण्डो से विरहित होना
 है कि विरह्या मीमा आदि ऐसी प्रसिद्ध कवयित्रियाँ थी जिनकी कविताएँ मणुहीत होती थी।

जिन्को काकात्तर में नारियों को बहना अयोग्यि को प्राण होती गयी। कर्मसूत्रों एवं मनु में वेदाध्ययन के मामल
 में उच्च बरा की नारियों को भी सूत्र की शक्ति में रखा गया है। वे आश्रित मार्गी जानी थी (पौलस १।८।१ कनिष्क
 ६।१ श्रीवाचकर्म २।२।४५ मनु ९।३ आदि)। हम पहले ही देख चुके हैं कि विवाह की छोड़कर स्त्रियों के अन्य
 गयी अस्वारी में वेद-मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना था। जैमिनि (६।१।१७-२१) ने वैदिक बसों में पति-गन्ती को
 साथ ही रखा है जिन्को अयोग्यारण पनि ही करना है। जैमिनि ने दोनों को बराबर नहीं माना है। यत्र ने अपनी
 व्याख्या में स्पष्ट किया है कि पनि विद्वान् होता है और पत्नी विद्वान्नी। मेवादिनि में मनु (२।४९) की व्याख्या में
 एक मन्त्रोत्तरक प्रत्य उद्यमा है कि ब्रह्मचारी काव मिदा मांयने मयप शिष्या में "मरदि मिदा देहि" बाबा सरहृष्ट सूत्र
 क्या बोलने है जय कि वे यह भाषा नहीं जानती?

वैदिक काल में भी स्त्रियों के प्रति एक दुराग्रह था और उन पर प्रत्यक्ष एवं अत्यग्रह इय के व्याख्यात्मक टीने

इसके बाते थे। ऋग्वेद (८।२३।१७) का कहना है— 'यहाँ तक कि इन्द्र ने कहा है स्त्रियो का मन उबम मे पड़े रखा जा सकता उनको वृद्धि (या ध्वजित) भी थोड़ी है। पुन ऋग्वेद (१०।१५।१५) में कहा है— स्त्रियो की मिनता मे सत्यता नहीं है, उनके हृदय मेधिया के हृदय है। अतएव ब्राह्मण (१४।१।१।१) में कहा है कि मनु विद्या पढते समय 'स्त्री धूरे कुत्ते एक कामे पत्नी की भोर म देखो क्योंकि ये सभी असत्य हैं। इसी प्रकार मनु (२।२।१२ २१४) एक अनुशासनपत्र (१९।११ १४ ३८, ३९) में स्त्रियो की कटु भर्त्सना की गयी है। मनु एव वर्तमान काल में उपर्युक्त बातों मपबिन्ता एव शास्त्र-विवाह के कारण ही नारी-शिक्षा अबोधित की गयी है।

नारी-शिक्षा जब इतनी कम थी या नहीं के बराबर थी तो सङ्घिक्षा की बात ही नहीं उठ सकती है। मनु प्राचीन काल में 'सङ्घिक्षा' के विषय में कुछ बूझसे बिच मिल सकते हैं। सत्य है जब वे पढती थीं तो पुरयो के साथ ही पढती रही होगी। सबभूति-जैमे कथियो में ऐसे समाज के बारे में पर्याप्त निर्देश किया है। मात्सीमाधव ने नारी शिक्षा कामन्दकी पुरुष शिष्य मूरिबसु एक बेबरट (जो कालान्तर में मन्त्री के पद पर भी आसीन हुए थे) के साथ ही युव के चरणो में पढती थी।

आचार्य का यह जहाँ विद्यार्थी पढा करते थे आचार्यकुल कहलाता था (वेदिए छम्बोपनिषद् २।२।२।४ ४।५।१ ४।५।१ ८।१५।१)। जो कुछ बहुद-स शिष्यो का अधिष्ठता था उसे कुलपति कहा जाता था (बन्धु को सङ्घ-शिक्ष में ऐसा ही कहा गया है)।

बहुद-से शिक्षार्थियो एव छात्रपत्रो से पढा चलता है कि प्राचीन भारत में राजा एव बनिफ लोग अनुबल दिया करते थे जिनके बल पर पाठशाळाएँ, महाविद्यालय एव विश्वविद्यालय चला करते थे। इनका पूरा बर्नन करना हम प्रबन्ध की परिधि के बाहर है। लक्ष्मिना बलमी बनारस लालन्दा विश्वमशिक्षा मारि प्रसिद्ध विद्वविद्यालय के। अधिकांश विश्वविद्यालय अनुबल पर ही चलते थे। बागुर के विद्यास्थान (एक कामेज) के निवासियो की विद्योत्थि के लिए पल्लवराज नृपतुपवर्मा (बागुर ताञ्जपुर एपीपीकिया इन्डिया १८ पृ ५) ने विद्याभोग रूप में तीन चौबे का बाल किया था। राजसेवर ने काव्यमीमासा (अध्याय १) में राजाका जो कथियो एव शिक्षा कुओगे की तथा नृपते को कहा है उनको पढीया एव उनसे पुरस्कार की व्यवस्था की बल बसायी है विसा कि कामुबेव छात्रवृष्टि बुरा साहसाव आदि राजा दिया करते थे। राजसेवर ने काव्यमीमासा में यह भी लिखा है कि उच्चमिनी में बलिदान मन्त्र मारवि एव इन्द्रिबन्धु की तथा पाण्डिपुत्र में पाण्डिनि ब्यादि बरहवि पल्लवबलि बर्न उाचर्ण एव शिक्षा की पढीयाएँ की गयी थी।

धर्मशास्त्रो में उल्लिखित शिक्षण-पद्धति की विशेषताएँ निम्न रूप में रखी जा सकती हैं—(१) आचार्य को उच्च एव सम्माननीय पद प्राण्य था (२) गुरु-शिष्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध का एक शिष्यो पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था (३) शिष्य गुरु के बल के सस्य में रूप में रज्जवा था (४) शिक्षण मौखिक था एक पुस्तका की सहायता सर्वथा नहीं की जाती थी (५) अनुशासन बढीर या मधवा एव इच्छा का मयम बिना जाता था (६) शिष्या मन्त्री की कर्तवि कोई निश्चित गुनर नहीं लिखा जाता था।

भारतीय शिक्षण-पद्धति की अन्य विशेषताएँ भी थी मया—यह शिक्षार्थियो को मारितिया शिक्षा देनी थी, विमलन वैदिक माहिय बर्नन ब्यारतक तथा इनकी अन्य मशायर भाग्याएँ ही पढी-गडायी जाती थी। नरीन माहिव निर्वाच पर उनका बल नहीं दिया जाता था जितना कि प्राचीन मारिय में सस्य पर।

इन पद्धति के प्रबुध दोष निम्न रूप में बर्नन ही सस्य हैं—(१) यह अध्यापित मारितिया थी (२) इनसे अध्यापित मूर्ति-ब्यापाम कराया जाता था (३) ब्यावसायिक शिक्षा मया प्रतिदिन काम आनानन निग आदि थी

पढ़ाई पर बहुत कम बल दिया जाता था (४) अनुधासन कठोर एवं नीरस था। बहुत-से दोष प्राति-श्रवणस्वा से कारण थे क्योंकि जाति-विभाजन का फलस्वरूप विविध जातियों को विविध काम करने पड़ते थे।

चार वेदव्रत

गौतम (८।१५) द्वारा ब्रजित सप्तार-मन्वा म चार वेद व्रत नामक सप्तार भी हैं। बहुत-सी स्मृतियों में छोड़कर सप्तारो में इनकी भी यज्ञता की है। गृह्यसूत्रों में इनके नाम एवं विधियों के विषय में बहुत विमिश्रता पायी जाती है। पारस्करगृह्यसूत्र में इनकी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ हम संक्षेप में इन चार वेदव्रतों का वर्णन उपस्थित करेंगे। शास्त्रायनस्मृति (पथ में) के अनुसार चार वेद-व्रत ये हैं—(१) महात्मान्नी व्रत (२) महाव्रत (ऐतरेयारण्यक १ एवं ५) (३) उपनिषद्-व्रत एवं (४) गोदान। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२।२) के अनुसार व्रतों में शौच कम से परिधान तक के सभी कृत्य जो उपनयन के समय किये जाते हैं प्रत्येक व्रत के समय सुदृश्य जाते हैं। शास्त्रायन गृह्यसूत्र (२।११-१२) के अनुसार पवित्र गायत्री से शीलित होने के उपरान्त चार व्रत किये जाते हैं, यथा शुक्ल्य (जो वेद के प्रथम मास के अभ्ययन के पूर्व किया जाता है) शाश्वत, वासिक एवं औपनिषद (अन्तिम तीन ऐतरेयारण्यक के विभिन्न भागों के अभ्ययन के पूर्व सम्पादित होते हैं)। इनमें शुक्ल्य व्रत तीन या १२ दिन या १ वर्ष तक चलाया जा सकता था तथा अन्य तीन कम से वर्ष-वर्ष मर किये जाते थे (शास्त्रायन्य २।११ १०-१२)। अन्तिम तीन व्रतों के आरम्भ में ब्रह्म-जन्म उपनयन किया जाता था तथा इसके उपरान्त उद्दीक्षिका नामक कृत्य किया जाता था। उद्दीक्षिका से तात्पर्य है आरम्भिक व्रतों को छोड़ देना। आरण्यक का अभ्ययन गौत्र के बाहर बन में किया जाता था। मनु (२।१७४) के अनुसार इन चारों व्रतों में प्रत्येक व्रत के आरम्भ में ब्रह्मचारी को गौत्री मृगधर्म यज्ञोपवीत एवं मेकला धारण करनी पड़ती थी। गौत्रिसंग्रहसूत्र (३।१।२६-३१) को सामवेद से सम्बन्धित है योदानिक, वासिक, आश्विक, औपनिषद व्येष्टनामिक नामक व्रतों का वर्णन करता है जिनमें प्रत्येक एक वर्ष तक चलाता है। गोदान व्रत का सम्बन्ध योदान सप्तार (त्रिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे) से है। इस कृत्य में सिद्ध, पात्री-मूर्धे मुद्रा की जाती है मुठ, शोच सम्भोग यन्त्र नाच मान वाजस मयु मास आदि का परित्याग किया जाता है और शौच में जूटा नहीं पहना जाता है। गौत्रिक के अनुसार योदान-धारण भोजन भी निषेध रहता प्रतिदिन स्नान समिधा देना गुद-चरन-बन्धन (प्राण बाण) आदि सभी व्रतों में किये जाते हैं। गोदानिक व्रत से सामवेद के पूर्वार्धिक (अग्नि इन्द्र एवं गोम पशुमान के लिए किये गये मन्त्रों के संग्रह) का आरम्भ किया जाता था। वासिक से आरण्यक (पुषिय जवा को छोड़कर) का आरम्भ होता था। इसी प्रकार आश्विक से शुक्ल्य का औपनिषद से उपनिषद्-ब्राह्मण एवं व्येष्ट-नामिक से आश्व-दोह का आरम्भ किया जाता था। आदि के विस्तार में पढ़ना यहाँ आवश्यक नहीं है।

शौचायनगृह्य (३।२।४) के अनुसार कुछ ब्राह्मण भागों (इत्य यजुर्वेदीय) के अभ्ययन के पूर्व एक वर्ष तक शुक्ल्य औपनिषद योदान एवं सम्मिलित नामक व्रत किये जाते थे जिनका वर्णन यहाँ जनाश्रयण है। सप्तारकीलुम में महात्मान्नी व्रत महाव्रत उपनिषद्-व्रत एवं योदान व्रत का विस्तार के मास वर्णन किया है। जमदा ग्न व्रत का नामास्त्रेण होना बन्ध ही यथा और मध्य ब्राह्म के वेदको में इनके विषय में लिखना छोड़ दिया।

यदि कोई विद्यार्थी विविध व्रतों को नहीं करता था तो उसे प्राजापत्य नामक व्रत ३ या ६ या १२ बार करने प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि ब्रह्मचारी अपने प्रतिदिन के ब्रह्मचार में गड़बड़ी करना था तथा शीघ्र आश्रम मन्वा प्रार्थना हम प्रयास विद्या मदिधा एव न हूर रहता बन्ध-धारण कर्माणी यज्ञोपवीत मण्डल बन्ध एक मयु धर्म धारण करना दिन में न माना एव न पारण करना जूना न पहनाया थावा न धारण करना आमाश्रुर्धे स्नान में हूर रहता चान्त का प्रयोग न करना वाजस न लगाना जूना न हूर रहना, नाच नगीन आदि न हूर रहना आग्निना में

बानें न करना आदि नियमों के पास न कोई बिबाह करता था तो उसे तीन कुण्डों का प्रायश्चित्त आहूतियों के साथ तथा प्रत्येक के साथ अन्न-अन्न होम करना पड़ता था। अन्य बह अपराधों के लिए अन्य प्रकार के कृति प्रायश्चित्त आदि का विधान था। ब्रह्मचारी के लिए छम्भोग सबसे बड़ा गणित अपराध था। ऐसे अपराधों को अचरीयों का जाता था (तैत्तिरीय आरण्यक २।१८)। अन्य अपराधों के लिए देखिए बीषायनवर्म (४।२।१०-१३) वैदि (३।८।२२) आपस्तम्बवर्म (१।१।२७।८) बसिष्ठवर्मसूत्र (२।३।१३) मनु (२।१८७ १ १।१८ १२१) मातृवत्स (३।२८) विष्णुवर्म (२८४० ५)। यहाँ इनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है।

नैष्ठिक ब्रह्मचारी

ब्रह्मचारी दो प्रकार के कह गये हैं उपतुर्बाण (जा गुह को कुछ प्रतिदान रखा था देखिए मनु, २।२५) एव नैष्ठिक (जा मृत्यु-पर्यन्त वैश ही रहता था)। 'नैष्ठिक' का अर्थ है अन्न या मृत्यु। मिताक्षरा (याज्ञ १।४९) ने नैष्ठिक को इस प्रकार कहा है— आत्मानं निष्ठां चत्काशिकाक न्यतीति नैष्ठिकः। ये दो नाम हारीतवर्मसूत्र राज (१।७) एव कुछ अन्य स्मृतियों में आये हैं। 'नैष्ठिक' याज्ञ विष्णुवर्मसूत्र (२।८।४९) याज्ञवल्क्य (१।४९) व्यास (१।४१) में भी आया है। जीवन भर ब्रह्मचारी रह जाने की मानना अति प्राचीन है। छात्रोप्योपनिषद् (२।२।११) में आया है कि धर्म की तीसरी शाखा है उस विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) की स्थिति को अपने गुह के कुछ भाग मृत्यु पर्यन्त रह जाता है। इस विषय में देखिए नीतम (३।४-८) आपस्तम्बवर्म (१।१।४।२९) हारीतवर्मसूत्र बसिष्ठवर्म (७।४।९) मनु (२।२४३ २४४ २४७-२४९) एव याज्ञवल्क्य (१।४९-५)। गुह के भर जाने पर गुह-पत्नी एव नुसुत्र (अग्नि के वेदों को योग्य ही तो) के साथ रह जाता चाहिए, या गुह ह्राय जन्मायी हुई अग्नि की पूजा करते रहना चाहिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी परमात्मन् प्राप्त करता है और पुत्र जन्म नहीं करता। वह जीवन भर समिधा ब्रह्मचर्यन विद्या भूमिपत्न्य एव आरभ-संयम में सगा रहता है।

कुम्भ नामक अग्न्याग्नी स्त्रीवत् एव अग्नि रोगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, ऐसा विष्णु (अपराध ह्राय उद्धृत पृ ७२) एव स्मृतिचन्द्रिका (भाग १ पृष्ठ ६३ मरुह का उद्धरण) में लिखा है। उन्हें वैदिक विवाहों को करने एव वैशुक सम्पत्ति प्राप्त का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। विष्णु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य एव कुछ अगो से शून्य लोग विवाह नहीं कर सकते थे। यदि सम्पत्तिशाली हो तो वे विवाह कर सकते हैं ऐसा देखने में आता है यथा—पुत्रराज।

यदि आन्ड नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने प्रान एव बत स श्रुत हो जाय तो उसका लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है एसा अग्नि (८।१८) का वचन है। कुछ लोग नहीं बात मन्वसमी के लिए कहते हैं। सत्याग्रहाय (पृ ५५४) ने मन स बत श्रुत नैष्ठिक ब्रह्मचारी को बत श्रुत उपतुर्बाण ब्रह्मचारी स हुआ प्रायश्चित्त करना चाहिए।

पतितमावित्रीक

त्रिमता उपनयन मन्त्रार न हुआ हो अर्थात् जिन्हे गायत्री का उपदेश न कराया गया हो और इस प्रकार जो पाती है तथा कार्य समाप्त हो ब्रह्मिष्ठ है उन्हे पतित-मावित्रीक की उपधि दी गयी है। मृह्य एव धर्मसूत्रों में अनुशासक ब्राह्मण क्षत्रिय एव वैश्य के लिए जम से १६५ २२६ तथा २४५५ वर्ष तक उपनयन-मन्त्रार की अवधि रहती है किन्तु मन गौमात्रा के उपरान्त उपनयन न करने पर वे मावित्री उपरध के अर्थात् ही जान हैं (मानु पृ १।१९।५-७ की मृ ३।१।३।५ ६ आन धर्म १।१।१।२ बसिष्ठ १।१।७-७५ मनु २।१८ ३९ एव याज्ञवल्क्य (१।७-१८)। एन ही लोग को पतितमावित्रीक या मावित्री-पतित या ब्राह्म कथा जाता है (मनु २।३ एव याज्ञ १।८)। एन

कोप वेदाध्ययन नहीं कर सकते उनके यज्ञो म जाता एव उनके सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना (विवाह आदि) मना है। आपस्तम्बधर्म (१।१।१।२४ २७) में इसके लिए प्रायश्चित्त लिखा है। इस धर्ममूत्र के मत से अबधि भीत जाने पर उपनयन करके प्रतिदिन तीन बार बर्ष भर स्नान करत हुए वर का अध्ययन किया जा सकता है। यह सखल प्रायश्चित्त है। किन्तु अन्य धर्मशास्त्रकारों ने कठोर प्रायश्चित्त भी बताया है। बसिष्ठधर्म (१।१।७६-७९) एवं वैशानस (स्मर्त २।३) के अनुसार पठितसाधिवीक की उदात्क व्रत करना चाहिए, या अन्नमेघ यज्ञ करलेबासे के साथ स्नान करना चाहिए या घाल्यस्तोम यज्ञ करना चाहिए। उदात्क व्रत म दो मास तक बी बी कृष्णी पर, एक मास तक ब्रूच पर, आने मास तक आमिसा (उबसते ब्रूच म बड़ी डाठन पर बने हुए परार्ध) पर, आठ दिन बृत् पर, छ दिन तक बिना मनि निष्ठा पर, तीन दिन पाती पर तथा एक दिन बिना अन्न-जल के रहना चाहिए। उदात्क ने इस व्रत का आरम्भ किया था अतः इसे यह मास मिस गया है। मनु (१।१।१९१) विष्णुधर्म (५।४।२६) ने पठितसाधिवीक के लिए ह्युकं प्राजापत्य प्रायश्चित्त तथा याज्ञवल्क्य (१।२।८) शौषा वृ (१।१।१।७) श्यास (१।२।१) एवं अन्य श्रोत्रो ने घाल्यस्तोम का विधान किया है।

आपस्तम्बधर्ममूत्र (१।१।१।२८ १।१।२।१४) का कहना है कि यदि तीन पीडिया तक उपनयन न किया गया हो तो ऐम अश्रित ब्रह्म (पवित्र स्मृतिया) के हत्यारे बड़े जाते हैं। इनके साथ सामाजिक सम्बन्ध भोजन विवाह आदि नहीं करना चाहिए। किन्तु यदि वे चाहे तो उनका प्रायश्चित्त हा सकता है। प्रायश्चित्त क विषय म बड़ा विचार है जिसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

क्षत्रिय एवं कलियुग

क्या कलियुग में क्षत्रिय एवं वैश्य पाये जाते हैं? इस विषय म मध्य काल के केवलों ने बड़ा विचार किया है। विष्णुपुराण (४।२।३।४ ५) भागवतपुराण (१।२।१।६ ९) मत्स्यपुराण (२७।२।१८ १९) आदि म लिखा है कि महापतन्त्र धर्मियों का नाश कर देंगे और शूद्रा का राज्य आरम्भ हो जायगा। विष्णुपुराण (४।२।४।४) में लिखा है कि पुरुष के बलात् वैश्यापि इच्छाशु के बलात् मनु कलापधाम म रहते हैं उन्हें भौगिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे कलियुग में उपरान्त इतमय (मत्स्ययुग) म आरम्भ म क्षत्रिय जानि का उद्भव करेगे। कुछ क्षत्रिय आज भी पृथिवी म बीज की प्रति हैं। यही बात वामु (भाग १ ३।२।३९ ४) मत्स्य (२७।३।५६-५८) आदि में भी पायी जाती है। इन शब्दों के आधार पर मध्य काल क कुछ केवलों ने लिखा है कि उनके समय में क्षत्रिय नहीं थे। रघुनन्दन के शुद्धिमन्त्र ने विष्णु पुराण (४।२।३।४) एवं मनु (१ ४।४) को उद्धृत करते यह शोषणा की है कि क्षत्रिय का केवल महातन्त्री तक ही पाये गये उनके समय में तपानयिन क्षत्रिय लोग गूरे हैं तथा वैश्या की भी यही बया है। शूद्र-जन्मावर के अनुसार बार बर्षों म केवल ब्राह्मण एवं पांडु ही कलियुग म रहे जायेंगे। किन्तु यह मन छत्री केवला को मान्य नहीं है, क्योंकि कलियुग के सभी चारों बर्षों में वर्णव्या की ताकिता स्मृतिया में पायी जाती है। पराधररस्युनि ने सभी बर्षों की बर्णों नहीं हैं। इसी प्रकार अश्विनाय म सभी निरुज्यकारा (वलाप करनेवाले तथा टीकाकार) में बर्षों में अश्विनारो एवं वर्णों की बर्णों की है। मिताक्षर ने जो मबने लक्ष्या निबन्धन बड़ा बना है वहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उनके समय

७३. प्राजापत्य के लिए वैश्विपु मनु (१।१।२।११) एवं याज्ञवल्क्य (३।३।२) । यह १२ दिनों तक चलता है त्रिन में तीन दिनों तक केवल ब्रह्म-काल भोजन होता है तीन दिनों केवल लक्ष्या काल, तीन दिनों तक बिना मनि निष्ठा पर भोजन होता है तथा अन्तिम तीन दिनों तक विष्णुल उपवास रहता है।

में क्षत्रिय नहीं थे। बहुत-से राजाओं ने अपने को सूर्य एव पन्न बुद्ध का वंशज कहा है। उज्जयिनी एव मध्यप्रदेश में राजपूत अपने को माव् पर्वत के जनिबुद्ध से उत्पन्न मानते हैं यथा—बीहान परमार (पमारि) सोलंकी (शाल्म) एव पड़ियार (प्रतिहार) नामक चार बुद्ध के लोग। इस विषय की हम आगे नहीं बजाना चाहते क्योंकि मत्-मन्तर के विवेचन से अभी तक इस विषय में संशय का उद्घाटन नहीं हो सका है।

वैदिक काल में भी अनाथ आश्रमों थी यथा किरात आश्रम पुलिन मूर्तिव। इन्हें ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१) ने दस्यु कहा है। वैदिक काल में प्रयुक्त 'स्त्रेच्छ' शब्द महत्त्वपूर्ण है। पातप ब्राह्मण (३।२।१।२३ २४) का कहना है कि असुर लोग इसी लिए द्वार पये कि वे बुद्धिपूर्वक एव बोधपूर्वक भाषा बोलते थे अतः ब्राह्मण को ऐसी बोधपूर्वक भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए और न इस प्रकार स्त्रेच्छ एव असुर होना चाहिए। यैतम (१।१७) का कहना है कि लोगो को स्त्रेच्छ से नहीं बोलना चाहिए और न अपवित्र अर्थात् अपवित्र से ही बोलना चाहिए। हरदत्त क अनुसार स्त्रेच्छ शेष सभा में या बैठते ही अन्य देशों के अविभागी हैं यहाँ अर्थात् अथवा की व्यवस्था नहीं है। यही बात विष्णुधर्म (१।४।१५) में भी पायी जाती है। स्त्रेच्छ देश में आश्रम में भी मना है (विष्णुधर्म ८।४।२ एव १।४।३)। मनु (२।२३) के अनुसार स्त्रेच्छ देश आश्रमों से बाहर है आश्रमों पर से योग्य देश है और यहाँ वाले हिन्द स्वामिनि बचने पामे जाते हैं। याज्ञवल्क्य (१।१५) की व्याख्या में विषयवचन न भी स्त्रेच्छ भाषा की मर्तना की है। बही बाल बलिष्ठधर्म (१।४।१) में भी पायी जाती है। मनु (१।४।३ ४४) को ज्ञात या कि पुष्पक यवन एक स्त्रेच्छ भाषा बोलते थे और आर्य भाषा भी जानते थे (स्त्रेच्छजात्रार्थार्थकाच सर्वे ते स्वयं स्मृता)। पातप (१।३६) में योग्य ज्ञान वाले को स्त्रेच्छ कहा गया है। वैमिनि ने पिक (कोपिन्) नेम (आया) सत (काठ का बरतन) तामरत (सम वचक) शब्दों के विषय में प्रश्न किया है कि क्या ये शब्द व्याकरण निरस्त एव निषेध द्वारा समझाये जा सकते हैं या इन्हें कैदा ही समझा जाय जिस अर्थ में स्त्रेच्छ लोग अपनी बोली में प्रयुक्त करते हैं? उन्होंने स्वयं अन्त में निषेध निबाना है कि उनका बही अर्थ है जो स्त्रेच्छों द्वारा समझा जाता है (शबर, वैमिनि १।३।१ पर)। पानिनि न 'यवनतो शब्द की व्युत्पत्ति की है और पतञ्जलि ने यवन द्वारा साधित एक 'माध्यमिका' के अक्षरों की भी खोज की है। कुछ ऐतिहासिकों ने इस यवन को मेलाहर माना है। शंखर ने सिद्धांत में 'यौन' उदाहरण के रूप में यौन का प्राकृतपठि यवनराज गुणास्फ, प्राकृत अभिलेखों का यवन' हाथीगुप्ता का 'यवन' महाभारत का 'यवन' आदि शब्द यह कहते हैं कि यवन का भारत में सम्बन्ध था और न अभागीय थे। शोषधर्म (१।१।४५ ४६) में आया है कि सात्यकि ने विरट यवन कम्बोज घन यवन विरट एव बर्बर छाप सार रहे थे। शोषधर्म (१।१।४७-४८) के हैं दस्यु तथा लम्बी-लम्बी दाढ़ियाँ बाध रहे गये हैं। अश्वर के अन्त पुर में कम्बोज एव यवन लिखी थी। और भी वैदिक पान्तिधर्म (१।५।१७-२८) अथि (७।२) एव बुद्ध-याज्ञवल्क्य (अपराध) द्वारा उद्धृत पृ १२३।

व्रातयस्तोम

ताण्ड्य-महाश्राद्ध (या पर्ववस) में चार व्रतयन्त्राया की पर्व की है (१७।१ ४) या एवाद् (एक दिन का ३ यज्ञ) व्रत जाते हैं। ताण्ड्य (१७।१।१) में पाया गया है कि चक्र देव स्वर्गलोक चले गये तो उनका कुछ अधिपति जो ब्राह्मण जीवन व्यतीत करते थे यही रह गया। देवताओं की हत्या में उनसे आश्रित लोग ने मरणा में पाण्ड्यलोक

(१६ स्तोत्र) एक अनुष्ठुप् ऋच प्राप्त किये और तब स्वग गव। चारों वायव्योर्मो में पौष्पास्ताम प्रमुक्त होता है। प्रथम वायव्यस्तोम सभी प्रकार के ब्राह्म्य क सिद्ध है द्वितीय उमने किए जा समिधान्त (बुध या महापायी) है और वायव्य जीवन स्थानीत करते हैं तृतीय उमक सिद्ध जो अथव्या म छोटे एक वायव्य जीवन म संकल्प है तथा चौथा उमने सिद्ध जो बूढ़े हैं किन्तु वायव्य जीवन स्थानीत करते हैं। जो वायव्य जीवन स्थानीत करते हैं क बुद्ध प्रकृति क एक हीम ईर्षा है वे न तो ब्रह्मचर्य का पासन करते हैं और न वृषि या व्यापार करते हैं। ऐस सोग कबल पाठमन्त्रात द्वारा ही उच्छ स्थान पा सकते हैं (ताण्ड्य० १७।१।२)।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि वायव्य सोम म ता उपनयन करते क न बदाध्ययन करते वे और न वैश्या की नीति जीवन-यापन करते क। ब्राह्म्य सोगो की अथ्य विद्ययात्राया क चार म इलिए ताण्ड्य-महाभाष्य (१७।१।९)। वे कार्य समाज के बाहर वे किन्तु वायव्यस्तोम द्वारा परिपुत्र होकर अर्थ-श्रेणी म जा सकते क। ब्राह्म्य षष्ठ्य का मूल अर्थ तिरात्मना बुझर है। अथर्ववेद का १५वाँ लख्ड ब्राह्म्य की महिमा (स्मृति) गाता है और उस विचारा या परमात्मा के समकक्ष म करता है। सम्भवत यह षष्ठ्य 'व्रत' (ब्रह्म) से लिया गया है और इसका सम्भवत यह अर्थ है—'बहु जो किसी ब्रह्म का है या किसी एक म विचरण करता है। इस षष्ठ्य को 'व्रत' से भी सिद्ध किया जा सकता है। 'व्रत' षष्ठ्य ऋग्वेद (१।१६३।८ ३।२९।६।५।५।१।१) में मिलता है। वायव्यस्तोम (२२।५।१२८) एक आपस्तम्ब योनि (२२।५।४ १४) में भी वायव्यस्तोम की चर्चा की है। वायव्यस्तोम के अनुसार वायव्यस्तोम करने से ब्राह्म्य सोम कार्य समाज म सम्मिस्मित होने योग्य हो जात है।

वायव्यता-मुद्रिमग्रह (पृ २३) म आया है कि बारह पीढ़िया क उपरान्त भी वायव्य लाग पवित्र किये जा सकते हैं।

जाति-पुन प्रवेश या मुद्रि

हिन्दू धर्म म धर्म-परिवर्तन या अन्य धर्म-ग्रहण की बात नहीं बुद्ध-वैनी पायी गयी है। विद्वान्मन यह सम्भव भी नहीं था। बाह्यी लाग (अनार्य) वर्णधर्म धर्म म नहीं लिया जा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई महान् अपराध करे और स्मृतियों द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्त न करे तो वह अपनी जाति म श्युन समझा जाता क और हिन्दू-धर्म से बहिष्कृत हो जाता क। गौतम (२।१५) के अनुसार मयातक अपराध करन पर यदि प्रायश्चित्त का रूप मर जाता ही हो तो मरकर ही वह अपराधी मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण-धर्म्या मुरापाल एक व्यवहार (मानुषमन जाति) नामक अपराध का ब्रह्म मयु-बन्ध ही क। किन्तु मनु (१।१।७२ ९२ १ ८) ने इन तीन अपराध क सिद्ध अवेष्टाहण एकत्र एक ही व्यवस्था की है। मनु (१।१।८९ १८७) यातकस्वय (३।२।९५) अमिष्ठ (१।५।२) गौतम (२) १०-१४) आदि में लिखा है कि यदि पारी वास्तविकित्त प्रायश्चित्त कर ले ती उम नियमानुसक अपने धर्म जाति या धर्म में सम्मिलित कर लेता चाहिए (पतिनामा तु कतिवचनाया प्रत्युद्धार)। यदि पारी प्रायश्चित्त नहीं करना चाहता क तो 'चन्द्रकोट' नामक एक विशिष्ट हृदय किया जाता क जिसम बायीं हाथ दक्षिणामिमुत हो एक चक्र के चक्र की दिशाया जाता क तथा सविष्ट (अपने सम्बन्धी) लोक द्वारा एत दिन एक रात गुप्त क मनाया जाता क। इस प्रकार वह पारी मुक्त समझ लिया जाता क और उमके उपरान्त उमक पूरे माहकच-मन्त्रक म विच्छेद हो जाता क अर्थात् वह पारी ब्रह्मन् अमुद्ध' मर बलिदान समन लिया जाता क (इलिए मनु १।१।८९ १८५ यात्र ३।७ ४ गौतम २।१०-७)। इस प्रकार हठी या त्रिती व्यक्ति हिन्दू-समाज म बहिष्कृत हो जाता क।

प्राचीन स्मृतिया म इनकी चर्चा नहीं देगन म आती कि बाह्यी समाज या धर्म का व्यक्ति हिन्दू समाज या धर्म म किस प्रकार सम्मिलित हो सकता क। प्राचीन स्मृतिया म इनर जाति या धर्म क सोग का हिन्दू बनाम क विषय म

हमें कोई विधान नहीं मिलता। हिन्दू धर्म अति उदार एवं सहिष्णु रहा है। इसमें शक्तिपूर्ण एवं निरन्तरपूर्ण इन दो बुझना-मिलना होता रहा है। यदि कोई स्वर जाति का विरोधी भारत में रहकर अपने बाह्य व्यवहार द्वारा भारतीय समाज के नियमों को मानता जाता या तो कालान्तर में उसके बंधन बंधा ही करने पर क्रमशः हिन्दू समाज में बलवन्त हो जाते थे। यह किया एवं पति समग्र २ वर्षों तक चकती रही है। ऐसी बातों की प्रारम्भिक गाथाएँ यशानन्द में भी मिल जाती हैं। इन्द्र ने सम्राट् मान्यता से सभी यज्ञों को बाह्यगात्र के प्रभाव में लाने को कहा है (सर्विर्वा अध्याय ६५)। वैसनगर के स्तम्भामिस्रेल से पता चलता है कि योन (यैवन) हेल्मियोडोर (हेल्मियोडोर) का विव (विवाँ) का पुत्र या मानवत (वासुदेव का भक्त) या (के आर ए एस १९ ९ पृ १ ५३ एवं १ ८७ ए ए के भी भी आर ए एस माग २३ पृ १ ४)। मासिक कर्मों एवं अन्य स्वानों की पुष्पों के निर्माता कर्म के (एचि इन्डि माग ७ पृ ५३-५४ ५५) वहीं माग ८ पृ ९) वहीं भाग १८, पृ ३२५)। बहुत-से अभिलेखों से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने हूण कुमारियों से विवाह किये तथा—गृहिक बंध के अन्तर्गत ने हूण कुमारी हृदय बेनी (इण्डियन एण्टिक्विटी भाग ३९, पृ १९१) से। कलचरि बंध का राजा बस कर्म देव कर्मदेव एवं हूणकुमारी बसकबेनी की सन्तान था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कालान्तर में यहाँ विदेशियों की 'कण्ठ' होती चली गयी। अन्तर्गत सोम क्रमशः आर्य हींठे चले गये।

स्मृतियों में बसपूर्वक अन्य धर्म में से लिये गये हिन्दुओं के स्वजाति में पुनः प्रवेश की समस्या पर विचार किया है। सिन्ध की विद्या से मुसलमानों ने आठवीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करके बहुत-से हिन्दुओं को बसपूर्वक मुसलमान बना लिया। देवक तथा अन्य स्मृतिकारों ने इन लोगों को पुनः हिन्दू समाज में से लेने की बात बतानी। चिन्मुत्तीर पर बैठे हुए देवक से श्रुति श्लोक पूछते हैं—'उम बाह्यभाषा एवं अन्य लोगों की जिम्मे स्तेच्छो (मुसलमानों) ने बसबन्ध अपने धर्म में लीच किया है, हम किस प्रकार शूद्र करें एवं जाति में पुनः आर्य? देवक ने विधान बताया। आन्तर्गत एवं पराक बंध से बाह्य एवं पराक एवं पाककृष्ण से श्रुति पराक के आये से वैश्य एवं पाँच दिना के पराक से

८ प्राचीन भारत में राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता अपने हीप की रही है। पातञ्जल के राजा महीपाल प्रथम ने भयवान् बुद्ध के सम्मान में वाजसनेयीशाखा के एक ब्राह्मण को एक ग्राम दान में दिया था (एचिण्डिका इण्डिका, भाग १४ पृ ३२४)। परमसीगत (बुद्ध भयवान् के भक्त) श्रुतिकर्म देव ने २ ब्राह्मणों को भी ग्राम दान में दिया (विपुल अरवान एचिण्डिका इण्डिका भाग १५, पृ १)। और वैशिए एचि इण्डि भाग १५, पृ ९९३। प्रसिद्ध सभाएँ एवं जितका पिता सूर्य का भक्त और जो स्वयं श्रिच का भक्त था अपने परमसीगत भाई राजबन्धन के प्रति शहीद भारत प्रकट करता है (वैशिए मधुवन ताजवध अभिलेख इचि इण्डि भाग १ पृ ६७ एवं वहीं भाग ७, पृ १५९)। उचबदात में ब्राह्मणों एवं बौद्धों के लोगों को दान दिये थे (मासिक अभिलेख न १ एवं १२, एचि इ भाग ८ पृ ७८ एवं पृ ८२)। बलबीराम मुहतेन ने जो महेन्द्र (श्रिचवन्त) था, एक निम्न-श्रेणी की चार ग्राम दान में दिये थे। गुप्त संकत् १५९ (४७८-७९ ई) के पहाड़पुर बंध से पता चलता है कि एक बिहार के बर्हनों की पुत्रा के प्रबन्ध के लिए एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी ने नवर-निगम में तीन शीमार दाना दिये थे (एचि इण्डि भाग १ पृ ५९)। राष्ट्रकूट इण्डि इतीय (९ २-३ ई) के समय में मुल्लुच अभिलेख से पता चलता है कि धम्मल कुल के एक ब्राह्मण ने जिन के एक बन्धन के लिए एक शेत दान में दिया था (एचि इण्डि भाग १३ पृ १९)। तत् ११९८ ई में विजयनगर के राजा ने बर्हनों एवं धीरवन्तों के शायदे को तप किया था (वैशिए अश्वर एचि एवं धम्म इण्डिकाभाषा पृ ११३ एवं २ ७)।

पुत्र पवित्र हो सकता है। वैश्व क १७ स २२ तक स्नानक व मन्त्रक क है "अथ सोम श्लेषेण चाग्नात्ता एव इत्युत्रो (बाहुया) इत्यत्र ब्रह्मण्येन दाम बना किये जायें और उनसे गन्धे काम कराये जायें यथा गो-हत्या तथा अन्य पशु-हत्या श्लेषेण इत्यत्र छोड़े हुए जूठे को स्वच्छ करना उनका जूट्र लाना गरहा ॐ एव प्रायश्चित्त का मास लाना श्लेषेण की स्त्रिया स सम्मोम करना मा उन स्त्रिया क साथ नोजन करना आदि तब एक मास तत्र इम इमा म रहनेवासे द्विजाति के लिए प्रायश्चित्त केवल प्राजापत्य है, वैश्व अग्नि म हवन करनवासा के लिए (यदि क एक मास या कुछ कम तक इम प्रकार रहें तो) चात्रायण या पराक एक वर्ष रहू जानवान के लिए चात्रायण एव पराक यासा एक मास तक रह जानेवासे पुत्र के लिए कृच्छ्रायत एक वर्ष तक रहू जानवान पुत्र क लिए यावक-याग (का विधान है)। यदि उपयुक्त स्थितियों म श्लेषेण के साथ एक वर्ष का काम हो जाय ता विज्ञान शास्त्र ही निर्णय के समत है। याग वर्ष तक उसी प्रकार रहू जाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है।^{११} प्रायश्चित्तविषय (पृ १५१) क अनुसार चार वर्ष बीज बान पर मृत्यु ही पवित्र कर सकती है। वैश्व क गीत इरोक (५३-५५) अथकालगीय है जा व्यक्ति श्लेषेण इत्यत्र पाँच स या साठ वर्षों तक पक्का रहू गया हो या बस से बायूह वर्ष तक उनके साथ रहू गया हो वह को प्राजापत्यो इत्यत्र पुत्र दिया जा सकता है। इसके आगे कोई प्रायश्चित्त नहीं है। य प्रायश्चित्त कबल श्लेषेण के साथ रहने क करन ही किये जाते हैं। जो पाँच से बीस वर्ष तक साथ रहू गया हो उन का चात्रायण से गृह्णित मिल सकती है। य तीन श्लोक अत्र क १७ म २२ वासे इरोक म मेल नहीं जाते। चिन्नु पापका को अनुमान स मोक्ष मेला होगा कि कूमरी बाण उन सोर्षों के लिए कही गयी है जो वैश्व श्लेषेण के साथ रहने क चिन्नु क्विन स्पष्टकार, आचार-विचार लान-याग म श्लेषेण से बढग रहन क। इम विषय म वैश्व पञ्चदमी (वृत्तिवीप २३) —"अथ प्रकार श्लेषेण इत्यत्र पक्का बना शास्त्रण प्रायश्चित्त करन क उपरान्त श्लेषेण नहीं रहू जाता उसी प्रकार बुद्धियुक्त आत्मा भीतिक पदार्थों एव धारी द्वारा अविद्य नहीं हुला।" इम प्रश्न हुला है कि शास्त्रार्थ क उपरान्त कति यज्ञिया काम आचार्य विद्याध्य की वृत्ति म श्लेषेण इत्यत्र बन्नी किया मया शास्त्रण अगनी पूव स्थिति से लाया जा सकता है।

विद्याधी तथा वेदवाधी के काम म बहुत-म हिन्दू जा बलपूर्वक मुमसमान बनाये गये क प्रायश्चित्त करनर पुन शिखू आनि म के किये गए। चिन्नु एसा बहुत कम होला रहा है।

मायुनिष काक म हिन्दुओं म गृह्णित एक पतिनपराधनन के आन्दोलन क और 'आर्ययमात्र' का म विषय म पर्याप्त गणना भी मिली चिन्नु अधिकांश कट्टर हिन्दू इम आन्दोलन क पक्ष म नहीं रह। इनर समीचनम्बिया म म बहुत बाड़े ही हिन्दू सम म बँडित हा मक। इम प्रकार की दीला के लिए आर्ययोम तथा अन्य धियायें आर्यधन

८१ बलाहृसीहृता ये क श्लेषेणवागडात्परिस्सुनि । अमूर्तं कारिताः कर्म गवाहिराचिहितम् ॥ उच्चिष्टव्यत्राजं च य तथा तस्यैव मोक्षम् ॥ अरोष्टुबिबुधराजाभामिपस्य क जलजम् ॥ तन्मयीषो क तथा लय तामि-क त्परीक्षतम् ॥ मामोक्त्विने द्विजाती तु प्राजापत्य विर्साधनम् ॥ चात्रायण त्वाहितान्ते करतस्त्वचरा भवेत् ॥ चात्रायण पराकं क चरीतवात्परौपिन ॥ तत्परसरोपिनः इदो कामार्थं पाचर विवेत् ॥ जलवाधौपिनः तत्र कृच्छ्रायतं शुप्यति ॥ कृष्णं संवत्सरात्पत्न्य प्रायश्चित्त द्विजोत्तमं ॥ तत्पारस्यैवमुमिष्व तद्वाचनमिषाचमि ॥ वैश्व १७-२२ ॥ यातबन्धय (३।२५) की ध्याएया में किताररा मे तथा अवरार्क मे इम स इमोर्षों को उक्कून किया है और कहा है कि ये आपसम्भ के हैं। अनुपाति के प्रायश्चित्तविषय म ये श्लोक वैश्व के कहे गए हैं।

८२ पृथिगं शास्त्रो श्लेषेण प्रायश्चित्तं करन्तुत । श्लेषेणैः सवीयेने नव तवावाम धरीरर्कं ॥ कबदती (वृत्तिवीप २३५) ।

है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि देवकस्मृति तथा निबन्धकारों ने उन लोको की परिस्थिति की बात बका ही है, जो नवी हिन्दू ने किन्तु दुर्नायिक कथक में पत्रकर स्लेखों के बगुन में अपना प्रिय धर्म जो बैठे थे।

पुन उपनयन

कुछ बसावों में पुन उपनयन की व्यवस्था की गयी है यथा जब कोई अपने कुल के वेद (जैसे ऋग्वेद) का अध्ययन कर लेता है और दूसरे वेद (जैसे यजुर्वेद) का अध्ययन करना चाहता है तो उसे पुन उपनयन करना पड़ेगा। आनन्द-यनगुह्य (१।२२।२२-२६) के अनुसार पुन उपनयन में शौचकर्म एवं मेधाजनन नहीं भी किये जा सकते परितन (देवताओं को समर्पण) एक समय की कोई निश्चित विधि नहीं है। कभी भी पुन उपनयन किया जा सकता है। वागीश्वर स्वान पर केवल 'तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धियो नमो' (ऋग्वेद ५।८२।१) कहा जाता चाहिए। इस विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं जिन्हें स्वानामात्र से नहीं नहीं किया जा रहा है। पुन उपनयन क कई प्रकार है। एक प्रकार का वर्णन ऊपर हो चुका है। दूसरा प्रकार यह है जो कुछ कारणों से आवश्यक मान लिया जाता है यथा पहले उपनयन में भ्रम से विधि विद्विग्न हो गयी उस दिन अनध्याय या तथा मूल से कुछ बातें छूट गयीं। ऐसी स्थिति में दूसरी बार उपनयन कर देना आवश्यक माना गया है। तीसरा उपनयन यह है जो किसी भयानक पाप या भुक्ति को दूर करने या प्रायश्चित्त के लिए किया जाता है। गीतम (२।१।२-५) में तत्पश्चात् एव पुन उपनयन की व्यवस्था ऐसे लोको के लिए की है जो सुरापान क बनपटी हैं, जिन्होंने भुक्ति से मानव-मूल मूल शौर्य खोनी पशुओं जैसे पशुओं घाम के लोको तथा ग्राम-सूकरो का मांस खन कर लिया हो (वेदिए कसिष्ठ २।३।६ बौधायनधर्म २।१।२५ एव २९ मनु ५।१९ विष्णुधर्म २।२।८९ बरि)। कहीं-कहीं विवेक-यमन पर भी पुन उपनयन की व्यवस्था पानी जाती है (बी नु परिभाषा सूत्र १।१२।५९)। वैतान्तक स्मृति (१।१९ १) में तथा पीठीयसि में भी पुन उपनयन की व्यवस्था है। यदि कोई प्रीक (बड़ी अवस्था का व्यक्ति) मंत्र बरही अँटनी या मारी का रूप पी के तो उस पुन उपनयन करना पड़ता है। कभी-कभी इतने साध प्राज्ञान्तक प्रायश्चित्त भी करना पड़ता है।

अनध्याय (वेदाध्ययन की बन्दी या छुट्टी)

नई परिस्थितियों में वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२।१५) में अध्ययनकर्ता एवं स्वान की अपविष्टता को अनध्याय का कारण बताया गया है। अथर्वब्राह्मण (१।१।५।१९) में बहुत-सी उन स्थितियों का वर्णन किया है जिनमें अनध्याय होता है किन्तु उन्हें हुए पाठों का दुहराया जाता होता रहता है। अन्धक विजयी की जमन में घर्जन एवं बन्धपाठ के समय भी ब्रह्मयज्ञ होता रहना चाहिए, जिससे कि "बपदकार" व्यर्थ न जायें। आनन्दक धर्मसूत्र (१।१।१२।३) में अथर्वब्राह्मण के उद्धरण द्वारा बताया है कि वेदाध्ययन को ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है जब वेद-धर्जन होता है जिसकी जमपती है बन्धपाठ होता है, जब अन्धक-सुराण चलता है तो वे सब उसने बपदकार बने जाते हैं। ऐतरेयारण्यक (५।१।३) के अनुसार जब बर्षा ऋतु क न रहने पर बर्षा हो तो तीन रात्रियां तक वेदाध्ययन बन्द कर देना चाहिए।

८३ 'बपद' या 'बपद' शब्द का उच्चारण देवता के लिए आहुति देने समय किया जाता है। धन-धर्मन एवं विदुन् ब्रह्मयज्ञ के बपदकार बने जाते हैं। जिस प्रकार 'बपद' शब्द में उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है उसी प्रकार धन-धर्मन के साथ ब्रह्मयज्ञ के रूप में विजयी-विजयी वैदिक धर्म का बाठ करते रहना चाहिए।

अनध्याय की वर्षा गृह्य एव धर्मग्रन्थो तथा स्मृतियों में पर्याप्त रूप से हुई है। आपस्तम्बधर्म (१।३।१।५ से १।३।१।१ तक) शौतम (१।१।५।५९) शाक्ययनगृह्य (४।७) मनु (४।१२ २-१२८) एव याज्ञवल्क्य (१।२४४ १५१) में अनध्याय का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। स्मृतिव्रतिका स्मृत्यर्थसार, सत्कारवीर्यसुम सत्कार-रत्नमाला तथा अन्य निबन्धों में भी अनध्याय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।

तिथियों में पहली माघकी चौदहवीं पक्षहवीं (पीर्षमासी एव अमावास्या) नामक तिथियों में दिन भर वेदाध्ययन बन्द रखा जाता था (देखिए मनु ४।११३-११४ यात्र १।१४६ हाटीय)। प्रतिपदा को स्पष्ट रूप से मनु एव याज्ञवल्क्य ने अनध्याय का दिन नहीं कहा है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में अमावास्या एव चतुर्थी को अनध्याय का दिन कहा है। रामायण (मुन्यरकाण्ड ५९।३२) में प्रतिपदा को अनध्याय का दिन में दिना है। शौतम ने वेदक आपाठ वार्तिक एव फास्तुन की पीर्षमासियों में ही अनध्याय की बात कही अन्य पीर्षमासियों में पठन को कहा है। शौभायन धर्मसूत्र (१।११।४२ ४३) में आया है कि अष्टमी तिथि में अध्ययन करने से गुरु, चतुर्थी से दिव्य एव पक्षहवीं में विद्या का नाश होता है। ऐसी ही बात मनु (४।११४) में भी पायी जाती है। अपराध में नृसिंहपुराण के उद्धरण से बताया है कि महालक्ष्मी (शुक्ल पक्ष के आश्विन की लक्ष्मी) भरणी (भाद्रपद की पीर्षमासी का उपरान्त जब चन्द्र मरपी मदात्र में रहता है) असत्यतृतीया (वेदाङ्ग के शुक्लपक्ष की तृतीया) एव रवस्तमी (माघ के शुक्लपक्ष की सप्तमी) में वेदाध्ययन नहीं होता। इसी प्रकार मुगादि एव मन्वन्तरदि तिथियों में भी अनध्याय होता है। विष्णुपुराण (३।१४।१३) में अनुवार वैशाख शुक्ल तृतीया वार्तिक शुक्ल लक्ष्मी भाद्रपद इच्छ त्रयोदशी एव माघपूर्णिमा (ये कम से कम ज्ञान ज्ञेता आपर एव कतिनामक चार युगों के आरम्भ की सूचिका तिथियाँ हैं) नामक तिथियाँ मुगादि तिथियाँ बन्धी जाती हैं। आश्विन शुक्ल लक्ष्मी वार्तिक शुक्ल द्वादशी वैश्रमास की तृतीया भाद्रपद की तृतीया फास्तुन की अमावास्या पीप शुक्ल की एकादशी आपाठ की दशमी माघ की सप्तमी भाद्रपद इच्छ की अष्टमी आपाठ की पूर्णिमा वार्तिक फास्तुन वैश्र एव ज्येष्ठ की शुक्ल पक्षकी नामक चौदह तिथियाँ मन्वादि तिथियाँ बन्धी जाती हैं (सम्पूर्णपुराण १।७।६८)। ज्येष्ठ शुक्ल २, आश्विन शुक्ल १ माघ शुक्ल ४ एव १२ की तिथियों को सोमपाठ तिथियाँ कहते हैं और इन दिना अनध्याय माना जाता है।

याज्ञवल्क्य (१।१४८ १५१) में ३७ शास्त्रात्मिक अनध्यायों की वर्षा की है। ये अनध्याय पाठ समय के लिए माने जाते हैं, यथा कृता भूजने या सिवार, पशु एव उरुस के बोलन रहने पर, साम-याग में समय शौमुदी-वादन या मार्ग नाद पर किसी अपवित्र वस्तु का सङ्घट्ट होने पर, दास धृष्ट अन्वय (अधून) का पति (महापातकी) जन-मर्जन विजयी की लगातार चमक होने पर, मोहनोरान्ण मीसे शाका के कारण जल में अर्घरुदि म अन्वय-नूरात में कृति वर्षण में विद्याओं के अचालन उद्घोष हो जाने पर, शोता मन्व्यात्रा में (प्रात एव माय की सवियों में) कुहरे में मय जल्पम हो जाने पर (बाह या शोर जान पर) बीड़ने समय दुर्मन्त्रि उत्पन्न हो जाने पर किसी भद्र जनिदि का आगमन पर, पशु, मूँट, रव हाथी चाडा नाक पेड़ पर बैठ जाने पर या रेपिन्नाम (निर्जन स्थान में) अनध्याय होता है।

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों में भी अनध्याय सम्बन्धी विस्तार पाया जाता है। कभी-कभी यह पौड समय का लिए और कभी-कभी पूरे दिन या पूर्ण रात के लिए होता है। ग्रहण उल्पापात भूकम्प आदि प्रकृति-विपर्ययो में भी अनध्याय की बात कही गयी है। श्राद्ध में शोकत्र कर्म करने के उपरान्त श्राद्ध-दान के लगे पर गुरु एव दिव्य के बीच पशु मेषक नेवका बुता मर्ग विस्ती या बुडा का जाने पर वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाना है। मनु (४।११) में मनु शार एवादि श्राद्ध का निमग्नण स्वीकार कर कर्म पर राजा की मृत्यु पर या ग्रहण पर (जब सूर्य-चन्द्र का दूध जाने पर भी ग्रहण कया रहे) तीन दिनों का अनध्याय होता है। इसी प्रकार अनध्याय के सम्बन्ध में बहुत लम्बा-बीडा विस्तार पाया जाता है।

कुछ अनध्याय-कालों को आकाशिक' कहा जाता है। आकाशिक अनध्याय ६ षटिकात्रा का वर्षानु पूरे २४ बटे का होता है (वेदिए, आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।११।२५ २६ मनु ४।१ ३-१ ५ गौतम ४।११८ ब्राह्मि)। बिनासी की जमक बन्धपाठ बर्षा आदि साध हो तो तीन बिनो तक अनध्याय होता है (आपस्तम्बधर्म १।३।११।२३)। वेदों के उत्सर्जन उपकरण पर, गुरुजनों की (बभ्रुर आदि ऐसे लोगों की) मृत्यु पर अष्टका (एक प्राण के होम) पर तथा भाई भतीचों आदि की मृत्यु पर तीन बिनो का अनध्याय होता है। इसी प्रकार हारीत के भी बन्ध है बिनमे मोडा अन्तर पाया जाता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१।४) ने माता-पिता एक आचार्य की मृत्यु पर १२ बिनो की व्यवस्था की है। किन्तु शौचायन ने पिता की मृत्यु पर तीन बिनो के अनध्याय की बात कही है।

स्मृतिचन्द्रिका ने कुछ ऐसे अवसरों की भी जर्ना की है जब कि एक मास छः मास या साठ मर तक अनध्याय बसता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१।१) ने उपानर्न के उपरास्त (जब कि बहु भाग्य की पूर्णिमा के दिन किया जाए) एक मास तक रात्रि के प्रथम प्रहर में वेदाध्ययन करने को मना किया है।

इसेपूमातक शास्त्रिक मनुक कौबिहार एक कपिलक नामक पेड़ों के नीचे पढ़ना मना है (अपराणु १९२)। उपर्युक्त विवेचन से अनध्याय पर प्रकाश तो पड़ता है किन्तु वेदाध्ययन पर प्रकाश छगता है यह भी स्पष्ट हो जाता है। अतः अनध्याय-सम्बन्धी कुछ नियम भी हैं जिन्हें हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं।

अनध्याय बाहिक (बैहिक शब्दा का उच्चारण) एक मास (मन मे वेद का समझना) हो सकता है। यह काली बात है जिसे हमें स्मरण रखना चाहिए। विधिष्ट कालों में बाहिक एक मास अनध्याय की व्यवस्था की गयी है (शौच-वनधर्मसूत्र १।१।४०-४१ गौतम १।१।४६ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।१।२)।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।३७) के अनुसार अनध्याय के नियम बैहिक मन्त्रों से ही सम्बन्धित हैं। वैमिनि (१।२।३।१८ १९) तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।४।१।२।९) में भी यही बात कुछ अन्तरों के साथ पायी जाती है। इनके अनुसार यह एक अन्य धार्मिक कृत्यों में अनध्याय के नियम लागू नहीं होते। हमने पहले ही देखा कि अनध्याय के नियम प्रह्वयज्ञ (पहले पर ह्यु वैहिक मन्त्रों का उद्गमना या पाठ) के लिए लागू नहीं होते (तैत्तिरीय आरण्यक २।१५)। मनु (२।१ ५) के अनुसार अनध्याय का व्याकरण निरक्त नामक अर्थों से कोई सम्बन्ध नहीं है। होम पर नाम्य श्रियाओं में पाठयण (पके ह्यु वैहिक मन्त्रों के पुन पाठ) से अनध्याय कोई सम्बन्ध नहीं रखता। बालक के प्रथम वेदाध्ययन (बैहिक मन्त्रों के अध्ययन) एक वेदाध्यायन से ही अनध्याय के नियम सम्बन्ध रखता है। स्मृति-सार (पृ १) के अनुसार बिनती स्मृति कुर्वत होगी है या जिन्हें बहुत बडा वैहिक साहित्य स्मरण करना होता है उन्हें प्रथमा अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा तथा अमावस को छोड़ कर अन्य अनध्याय के बिनो में वेदान्तों म्याय मीमांसा एक धर्मशास्त्री का अध्ययन करते रहना चाहिए। वर्मपुराण (१।४।८२-८३ उत्तरार्ध) में अनुसार वेदान्त, इतिहास पुराणा धर्मशास्त्रा एक अन्य शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोई अनध्याय नहीं होता किन्तु पूर्व के दिन इनका भी अध्ययन मना हो जाता है। स्पष्ट है पूर्वों के दिन वेदाध्ययन तथा अन्य प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन अन्य ही आया करना था। इन प्रकार के अनध्याय नियम नाम के तथा अन्य वैमिनिक्त अनध्याय के नाम में पुरारे अलग हैं। आकाश की वैहिका तथा मन्त्रन पाठनाश्राका व पवित्रता द्वारा निय अनध्याय माने जाते हैं विशेषतः अमावस्या-पूर्णिमा अनध्याय की मूषक है।

अनध्याय व कुछ अवसर विविध एक अनाध्याय-मे रता है किन्तु कुछ के कारण तो धर्मशास्त्र एक बरते जाने पीष्य मिश्रणा पर आधारित है। वैहिक अध्ययन स्मृति पर निर्भर है। वैहिक मन्त्रों की स्मरण करना मनोवाता है ही सम्बन्ध है। अतः यह वा जवक वर दागत अवसरा में वेदाध्ययन व अनध्याय की जर्ना की गयी है। किन्तु स्मृति

पत्रक म रत्ने हुए ज्ञान क बुद्धान्त म तथा ह्यम आदि म उनक प्रयोग म उतत मनायाग की आवश्यकता नहीं पड़ती अत एम आवश्यक पर अनभ्यास का आवश्यक नहीं समझा गया।

एसा विस्वाम किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अनभ्यास क रिला म वैशाध्यम करता था ता उसकी आयु छोटी हो जाती थी उसकी मन्ताना पदुमा बुद्धि एव ज्ञान की हानि हावी थी।

केद्वान्त या गौणान्त

इस सन्धार म सिर क तथा शरीर के अन्य भाग (बाँल दाँती) क बंध बनाय जाते हैं। पारश्वरयूय यात्र बन्धन (१।३६) एव मनु (२।६५) म वेदान्त शब्द का तथा आस्वहायनयूय पात्वायनयूय गोमिष एव अन्य गृह्य-यूयाने गोदान शब्द का प्रयोग किया है। अतपत्राशास्त्र (३।१।२।४) म बीसा के विषय म अर्था होने समय बात के अन्तर सिर क एक भाग के बंध बनाने को 'गोदान' कहा गया है। अत्रिशास्त्र स्मृतिवादी म म सन्धार को मत्कर्त्तव्य म बनाने को कहा है। पात्वायनयूयमूत्र (१।२।८।२) क अनुसार इस १६वें वा १८वें वर्ष में करना चाहिए। मनु (२।६५) के अनुसार यह ब्राह्मणों सहित एव वैद्यों क सिध्द म से १६ व २२वें वा २४वें वर्ष में सम्पादित होना चाहिए। कमु आरवसायनस्मृति (१।४।१) के अनुसार गोदान १६वें वर्ष म होना चाहिए और ब्रह्म भी विवाह के समय। सम्भवत यह अन्तिम मय भवन्ति के मय म भी का अर्थ कि उन्होंने मीना क मुख स यह कहकराया कि राम तथा उनक तीन भाग्यो का गोदान-सन्धार विवाह के कुछ ही देर पूर्व किया गया था (उत्तररामचरित अ. १)। यर एव विहित बात है कि गौणान्तमूत्र (५।४।१५) में गोदान को कृत्वात्म क पूर्व तथा टीकाकार केचन के अर्थ क एक वा दो वय उपरान्त करने को कहा है।

कथ से १६वाँ वर्ष या नौवाँ भी वर्ष मना जाना चाहिए? इस विषय में मतभेद है। बीजायनधर्मयूय (१।२।७) में यथांमान से ही मनाया गया है। इसी नियम के अनुसार मियायन (यात्र १।३६) तथा ब्रह्मयूय (मनु २।६५) में ब्राह्मण क सिध्द यथांमान म १६वाँ वर्ष तथा अग्रार्कन जयम म १६वाँ वर्ष मना है। विद्वत्कय (यात्र १।३६) म सिद्धा है कि ब्रह्मचर्य को अवधि चाहे जितनी हो (१२ २४ ३६ ४८ आदि) कमाल १६वें वय हो जाना चाहिए यदि उपनयन १६ वर्ष क उपरान्त ही तो कमाल सन्धार किया ही नहीं जायगा। आरवसायनयूयमूत्र (१। २।३) के टीकाकार काययथ के अनुसार उपनयन क उपरान्त १६वें वर्ष म तथा अन्य शास्त्री क अनुसार जयम स १६वें वर्ष म गोदान सम्पन्न होना चाहिए।

गोदान तथा वेदान्त की बिधि कुछ अन्तर क मात्र बुजावरण के समान ही है। इस विस्तार में नहीं पड़ेंगे। कर्त्तव्या के गोदान म यौन वय में ही किया ही जाती है अर्था मन्त्रोच्चारण नहीं होता। इस सन्धार में मुद को भी का दान किया जाता है। सम्भवत इसी म गोदान शब्द प्रचलित है। यह सन्धार कामात्म्य म समान ही तथा कथा कि मय्य कान के विरुध्य तथा सन्धारप्रवाम निर्गमयित्नु इसकी अर्था नहीं करते। आयन्ययूय (१।६।१५) शिष्यवर्गियूय (६।१६) आश्वलायनयूय (१।१) बीजायनयूय (३।२।५५) क अनुसार कपाल या गादान के विवाहमालिन् सयूय मिर का मुचन होता है किन्तु यौन में एसी बात नहीं है।

स्नान या समावहन

वैशाध्यम के उपरान्त स्नान-बन्ध तथा गुरुगृह में लौटने समय क सन्धार की स्नान या समावहन कहा जाता है। कुछ मुचकार यथा यौनम (८।१६) आश्वलायन (१।२।१) शिष्यवर्गिय (१२) तथा यात्रकय (१।५२) के 'स्नान' शब्द तथा आरवसायनयूय (३।८।१) बीजायनयूय (२।६।१) आश्वलायनयूय (१।२।३।१५) एव

३१) भास्करगुप्त (२११८) ने 'समावर्तन' शब्द का प्रयोग किया है। चादिरगुप्त (२१११ तथा १११२) एव गोमिह (१११७) ने 'आवर्तन' (वर्तन स्नान) शब्द का प्रयोग किया है। मनु (११४) ने 'स्नान' तथा 'उत्सर्ग' शब्दों का प्रयोग किया है— 'स्निग्ध मुख से आहातित होने पर स्नान करके वर सौट सकता है और अपने गृहमुख में नियमों के अनुसार किसी कन्या से विवाह कर सकता है। अपराध ने स्नान एव समावर्तन में अन्तर बताया है— स्नान से तात्पर्य है विद्यार्थी-जीवन की परिश्रमाप्ति अथ जो व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रहता था वह वह सरकार नहीं भी कर सकता। समावर्तन का धार्मिक अर्थ है 'गुरुगृह से अपने गृह को सौट जाना। यदि कोई राज्य अपने पिता से ही पढ़ता है तो धार्मिक अर्थ से उसका समावर्तन नहीं हो सकता। मेवातिभि (मनु ११४ पर) ने लिखा है कि समावर्तन विवाह का कोई आवश्यक अंग नहीं है अथ जो पितृगृह से ही वेदाध्ययन करता है वह बिना समावर्तन के ही विवाह के बन्धन में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोगों के कथनानुसार समावर्तन विवाह का अंग है और अंग संस्कारमय स्नान की प्रथा पायी जाती है।

भास्करगुप्त (१२११) 'वेदाध्ययन स्नास्यन्' (वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-क्रिया में प्रविष्ट होते उत्तर) नामक शब्दों के साथ इस संस्कार का वर्णन करता है। पतञ्जलि के महाभाष्य (बिम्ब १ पु ३८४) में बताया है कि अग्नि वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-कर्म करके मुख से आजा सेनर शोभे के लिए साठ प्रयोग में ला सकता है।

वैदिक साहित्य में शोभो शब्दों का प्रयोग हुआ है। छात्रोऽग्नेयनियम् (४१ ११) में हम पढ़ते हैं कि उपकोष्ठ कामलायन शयनाय आवास के सिध्य होकर गुरु के गृह अग्नि की सेवा १२ वर्षों तक करते रहे। गुरु ने अन्न शिबो को दो विरा कर दिया किन्तु उपकोष्ठ कामलायन को गौक किया। इससे स्पष्ट है कि उपनियम् को 'समावर्तन' एव का ज्ञान था। सतपथब्राह्मण (११।१।३।७) का कहना है कि स्नान-कर्म के उपरान्त शिक्षा नहीं मानी गई। इसी ब्राह्मण (१२।१।१।१) ने स्नानक एव ब्रह्मचारी के अन्तर को समझाया है। स्नानक के विषय में और वैदिक भाष्यकारों ने वेदाध्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिए स्नान-क्रिया का वर्णन किया है। अध्ययन के उपरान्त गुरु को निमन्त्रित कर उनसे बलिदान मीयन की प्रार्थना की जाती है और पुत्रव्यापार आदेश मिल जाने पर स्नान किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि वेदाध्ययन तथा अन्न पास्तो के अध्ययन के उपरान्त स्नान की परिपाटी सम्पन्न की जाती है तथा बिना अध्ययन समाप्त किये शिष्य को अपने गृह सौट जाने की आज्ञा मिल सकती है। इस विषय में देखिए पारस्करगुप्त मूल (२।१)। स्नान किये हुए व्यक्ति को स्नातक कहा जाता है। पारस्करगुप्त (२।५) गोमिह (१।५।२।२३) शौचायनगुप्त परिभाषा सूत्र (१।१५) हाटीत आदि ने स्नातकों को तीन श्रेणियों में बाँटा है यथा (१) शिष्य-स्नातक (या वेदस्नातक) (२) व्रतस्नातक तथा (३) विद्याव्रतस्नातक (या वेदव्रतस्नातक)। विद्यते वेदाध्ययन समाप्त कर लिया हो किन्तु व्रत न किये हों वह विद्यास्नातक कहलाता है। विद्यते व्रत कर लिये हो किन्तु वेदाध्ययन समाप्त न किया हो वह व्रत-स्नातक कहा जाता है किन्तु विद्यते व्रत एव वेद शोभो की परिश्रमाप्ति कर ली हो वह विद्याव्रतस्नातक कहा जाता है। इस विषय में हमें याज्ञवल्क्य (१।५१) में भी संकेत मिलता है। स्नातक के श्रावण के विषय में मेवातिभि (मनु ४।३१) गोमिह (१।५।२।३) भास्करगुप्तमूल (१।१।१।१२-५) वा अश्वलायन दिया जा सकता है।

स्नान तथा विवाह कर लेने के बीच सम्यो अवधि पायी जा सकती है। इस अवधि में व्यक्ति स्नान करता जाता है। किन्तु विद्याहीनता व्यक्ति पृथक् कहलाता है (शौचायनगुप्तमूल १।१।५।१)। शिष्योऽग्नेयनियम् (१। १२३) शौचायनगुप्तपरिभाषा (१।१५) पारस्करगुप्तमूल (२।१) एव गोमिह-गुप्तमूल (१।८-५) में समावर्तन की विधि विष्णु में बर्णित है। हम यहाँ मंत्रों के आरम्भायनगुप्त (१।८) एव

स्नान तथा विवाह कर लेने के बीच सम्यो अवधि पायी जा सकती है। इस अवधि में व्यक्ति स्नान करता जाता है। किन्तु विद्याहीनता व्यक्ति पृथक् कहलाता है (शौचायनगुप्तमूल १।१।५।१)।

शिष्योऽग्नेयनियम् (१। १२३) शौचायनगुप्तपरिभाषा (१।१५) पारस्करगुप्तमूल (२।१) एव गोमिह-गुप्तमूल (१।८-५) में समावर्तन की विधि विष्णु में बर्णित है। हम यहाँ मंत्रों के आरम्भायनगुप्त (१।८) एव

९) हाग बलिब विधि की कक्षा करे। गुणज्ञ न सौटत समय बहुरात्री को ११ बसुएँ जुग गगनी चाहिए, यथा—
 मने म कृष्णम नं सि ए ए रत्न जाना नं सि ए वा कुचक एक जोग परिमाण एक छाता एक जाडा जुग। एक माता
 (काटी) एक माता मरीर पर सगने के सि ए कूर्म (पाउडर) उबटन जवन परही। य मारी बसुएँ कु ए ए अत
 सि ए (बहुरात्री नं सि ए) एव नं जाती हैं। यदि दौना क सि ए य बसुएँ एक न नो जा सन ता कबल गुड नं
 सि ए इलाहा सग्रह कर सेना चाहिए। उम किनी मन्नाम्य पद (यथा पलास) की उलग-गुर्बी दिवा न ईषन (समिया)
 प्राण करना चाहिए। यदि व्यक्ति याजन बन बीमब का प्रेमी ही तो उम मुण् ईषन नहीं होता चाहिए, किन्तु यदि व्यक्ति
 आध्यात्मिक बीमब का अनुरागी ही तो उम मुण् ईषन रक्ता चाहिए। किन्तु दौना गुना न प्रेमी का कुछ भाग मुण्
 तथा कुछ भाग मगुण् रक्ता चाहिए। ईषन का कुछ ऊँचाई पर रत्नकर, बाइया को याजन एव एक गाम का दान
 करक व्यक्ति को पर्याप्त सम्पत्ति की पूरी विधि सम्पादन करनी चाहिए। कुछ नरम जल म स्नान करक तथा गर्मका
 मशीन को परिधान धारण करक मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। (श्रवण १।१५२।१)। शीता म जवन समाना चाहिए,
 जानी मे कुचक पहन चाहिए, हाका म उबटन लपाना चाहिए। बाइया का सर्वप्रथम मुय तब अन्य कर्मा मे उबटन
 लगाना चाहिए, शक्ति को अपने दोना हाथो म उबटन समाना चाहिए, बीरक का अपने पेट पर, मारी को अपने कंठि भाग
 पर तथा वीरकर पीबिषा ककान हाक को अपनी जाँघो म उबटन समाना चाहिए। तब माता (सू) धारण
 करनी चाहिए। इम उपरान्त जुग पहनना चाहिए। तब नम म छाता बाँध का दडा (गन्ना या काटी) गने म
 रत्न मिर पर परही बाणध करके लडे ही अग्नि म मदिवा हाउनी चाहिए और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। (श्रवण
 १।१२८।१)।

शौचमगुण्ड परिभाषा (१।१४।१) न अनुभार इनस्नानक नं सि ए समावर्तन-क्रिया बिना वैदिक मन्त्रा क
 नो जाती है। अन्य गुण्डमूका म भी यही विधि गानी जानी है किन्तु मन्त्रा न जल्पर है। हम यहाँ पर बिरोपी एव अन्तो
 का विवेचन उपस्थित नहीं करते।

समावर्तन सस्कार करन की निधि के विषय मे भी प्रसून मतभेद रखा है। मध्यकारिक एव आधुनिक मन्त्रा
 न निधि-मन्त्रोपी बहुत लम्बा विचरन उपस्थित कर रक्ता है। इन विषय म इति ए सस्कारधराम (पृ ५७६-५७८)।

स्नानका के सि ए स्मृतिया एव निरन्धा म बहुत-से नियम पाव जान हैं (स्नानधर्म)। इनम कुछ तो स्या-
 त्या गृहस्था नं सि ए भी हैं। हम तब विस्तार नं नहीं पढ़ेंगे। कुछ धर्म ये हैं—उजि मे स्नान न करना तथा स्नान न
 करना तथा न मीना तथा मारी को न करना कर्पा न न शौन्ना पेड पर न चढ़ना कूर्पे न न उलगना भय म न निहना
 बाहि (आध्यात्मगुण्ड ३। १६-७)। बहुत-से इन भी हैं यथा अन्ध्याय के निबम मममुक्-रयाग अरामासय
 मशीन आचमन महापत्र उपाकम एव उरर्मा क नियमा का पारन बाहि। पबित्रता नं सि ए प्रति दिन स्नान चन्द
 मेव शैय-शायक आयम-अयम उधारना बाहि म मर्क एव प्रवीण हता चाहिए। इमी प्रकार आचरक-मन्त्रोपी अन्ध
 नियम हैं, जिनका विस्तार स्नान-मशीन म छोड जा रखा है।

मनु (१।१२ ३) मे आचरक-नियम के विधान म जान पर एन दिन क उपवास का प्रायश्चित्त अनुनाया है।
 इरदल मे शीम (७२) की टीका म बताया है कि य नियम कबल ब्राह्मण एव क्षत्रिय स्नानको के रिठ है।

आधुनिक काल म समावर्तन की क्रिया उपरान्त के पीछे समय के उपरान्त या कभी-कभी बीजे-मुरे या उनी
 दिन कर ही जाती है। आचरक अधिवाग ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करके अन्धक समावर्तन की क्रिया केचन
 दिनाकनी रू गयी है।

अध्याय ८

आधम

एतत् पूजने मे हमने ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी कतिपय प्रश्नों पर विचार किया है। धर्मगुरुओं एक स्मृतिशास्त्र के अनुसार ब्रह्मचर्य चार व्यायामों में सर्वप्रथम स्थान रखता है अथ अन्य छत्वार अर्थात् विवाह छत्वार के विवेचन में पूर्व आधम-सम्बन्धी विचारों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालना परमावश्यक है।

अत्यन्त प्राचीन धर्मग्रन्थों के समय में भी चारों व्यायामों की चर्चा हुई है यद्यपि नामों एक अनुक्रम में बोधा हेतु फेर-बदल पाया जाता है। अष्टासम्बन्धसूत्र (२।१।२।१।१) के अनुसार आधम चार है पार्श्वस्थ गुप्तेह (आधम-गुरु) में रहता मुनि ऋषि में रहता तथा वातप्रस्थ (वन में रहता)। गार्हस्थ्य को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण सम्भवतः इसकी प्रसूत महत्ता है। गीतम (३।२) ने भी चार व्यायामों के नाम दिये हैं यथा ब्रह्मचारी गृहस्थ मिश्र एव वैश्वानर। वातप्रस्थ को यहाँ वैश्वानर क्या कहा गया है इसका उत्तर आने दिया जायगा। वसिष्ठधर्मसूत्र (७।१-२) के चार व्यायम गिनाये हैं—ब्रह्मचारी गृहस्थ वातप्रस्थ एव परिव्राजक। इसी धर्मसूत्र में अथर्व (१।१।२४) यति एव वा प्रयोक्तव्ये ऋषीन् व्यायम के व्यक्ति की ओर संकेत किया है। शौचायनधर्मसूत्र (२।१।१०) ने भी वसिष्ठ की शैली चार नाम दिये हैं किन्तु उसमें एक अनोख-अन्य सूचना यह भी गयी है कि प्रजापति के पुत्र असुर कपिल ने देवताओं की सन्तुष्टा से ही यह विभाजन उत्पन्न किया जिसमें सप्तसवार व्यक्ति को विस्वाह मही करना चाहिये। मनु (१।८७) ने चार व्यायमों के नाम दिये हैं और अन्तिम को उन्होंने यति तथा 'सम्पात' कहा है (१।१९९)। स्पष्ट है, ऋषी व्यायमों को नहीं नामों से चिह्नित किया गया है बल्कि परिव्राज्य या परिव्राजक (जो एक स्थान पर नहीं ठहरता स्थान-स्थान में भ्रम करता है) किन्तु (जो मिसा मीनकर या भेडा है) मुनि (जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करता है) यति (जो अपनी इच्छिका को समर्पित करता है)। ये चार ऋषी व्यायम के व्यक्तियों की विशेषताओं के सूचक हैं।

आधमों के विषय में मनु का विद्वान्त निम्न प्रकार का है—साधन-जीवन एक ही वर्ग का होता है (एतान् पुरय)। सभी एसी आधु नहीं पते किन्तु यह वह सीमा है जहाँ तक जीने की कोई भी मासा कर सकता है। इन आधु को हम 'चार भागों' में बाँटते हैं। कोई भी वह नहीं कह सकता कि वह ही वर्ग का है जिसेवा ही अथ उपर्युक्त चार भागों में प्रत्येक की सीमा को २५ वर्ष तक रक्ता या बतलाना तर्कसंगत नहीं है। अत आधम की सम्बाई वन वा शक्ति सम्भव है। मनु (५।१) के अनुसार मनुष्य में जीवन का प्रथम मास ब्रह्मचर्य है जिसमें व्यक्ति गुरुदेह में रहकर विद्या-ध्यान करता है। दूसरे मास में वह विवाह करके गृहस्थ ही जाता है और श्रमणोत्पत्ति से पूर्वको में श्रम से तथा यत्न आदि करने के बाद में श्रम से मुक्ति पाना है (मनु ५।१।९९)। यह व्यक्ति अपने लिए पर उनके नाम रेंगता है तथा धर्म पर कुरिया देवता है एक वह वातप्रस्थ (मनु १।१-२) हो जाता है। इन प्रकार वन में जीवन का तृतीयाय विचारत सप्त मास को सत्याग्नी के रूप में व्यतीत करता है। ऐसे ही निम्न अन्य स्मृतियों में भी है।

आधमों का श्रम शक्तिशाली या ब्राह्मण-श्रम में नहीं मिलता। किन्तु इनमें यह मिश्र नहीं किया जा सकता कि वृत्ता में पाव जानेवाले जीवन माय वैदिक काल में अज्ञान का। हमने पहले ही देन किया है कि 'ब्रह्मचारी एव ऋषी एव अर्चयेद' में पाया जाता है और ब्रह्मचर्य की चर्चा तीव्ररीपणलिना पतञ्जलसूत्र तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में हुई

है। स्पष्ट है अति प्राचीन काल में भी ब्रह्मचर्य नामक जीवन साग प्रचलित था। यही बात 'बृहस्प' के विषय में भी काय होती है (ऋग्वेद २।१२२ १।८५।३३)। अग्नि को 'हमारे गृह का गृहपति' कहा गया है। इसी बानप्रस्थ के विषय में कोई भी स्पष्ट संकेत वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। कुछ लोग तात्पर्य महाब्राह्मण (१।४।४।७) के 'बैतानस' शब्द को "बानप्रस्थ" का समानार्थक मानते हैं जैसी कि सूत्रों में ऐसी बात है भी। यदि यह अनुमान ठीक है तो तीसरे आमम बानप्रस्थ की ओर भी वैदिक काल में परोक्ष रूप से संकेत मिल जाता है। सूत्रों एक स्मृतियों में बर्णित चतुर्षु आमम में 'यति' की बर्णा प्राचीन वैदिक साहित्य में अनुपलब्ध है। ऋग्वेद (८।१।१९) में 'यति' शब्द कई बार आया है किन्तु अर्थ सन्वेहास्य है। टीपिकीय संहिता (१।२।७।५) ब्राह्मण संहिता (८।५) ऐतरेय ब्राह्मण (३।५।२) तैत्तिरीयकी उपनिषद् (३।१) अथर्ववेद (२।५।३) तात्पर्य महाब्राह्मण (८।१।४) में जो 'यति' शब्द आया है सम्भवतः वह किसी आदि-विशेष का सूचक है और है अर्थात् तथा इन्द्र-विरोधी। यदि 'यति' एक 'यानु' शब्दों में कोई अर्थ साम्य है तो सम्भवतः 'यति' जाह्नवर का सूचक हो सकता है।

ऋग्वेद (१।१२२।२) में 'मुनि' का बर्णन हुआ है जो मन्त्रे परिपालन पारक विद्ये हृष्ट कहा गया है। ऋग्वेद (८।१७।१४) में इन्द्र मुनियों का शत्रु कहा गया है। एक स्थान पर मुनि देवों का मित्र कहा गया है (ऋग्वेद १।१३।४)। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के काल में भी दरिद्र-सा जीवन बिनाम बाले ध्याम में मन्त्र शरीर को सुपा देनेवाले लोग थे जिन्हें मुनि कहा जाता था। सम्भवतः ऐसे ही व्यक्ति अनाथों में यति कहे जाते थे। किन्तु 'मुनि' एक 'यति' शब्द में आमम-सम्बन्धी कोई पन्थ नहीं प्राप्त होती। सम्भवतः आमम-सम्बन्धी संकेत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण (३।१।११) में मिलता है मन्त्र से क्या काम मूषकर्म से दात्री एक तप से क्या काम? हे ब्राह्मण पुत्र की इच्छा करो वह निश्च है जिनकी यही प्रससा होगी। इन स्तोत्र में प्रयुक्त 'यति' शब्द से जिसका अर्थ 'मूषकर्म' है ब्रह्मचर्य 'समभूति' से बानप्रस्थ (गौतम ३।३३ एक मनु ६।६ के अनुसार बानप्रस्थ को दात्री बाल मातृत्वं रत्नं चाहिए) की ओर संकेत है। अतः 'मन्त्र' एक तप को गृहस्थ एक मन्वासी का सूचक मानना चाहिए। छान्दोग्योपनिषद् (२।२।३।१) में स्पष्ट संकेत है कि धर्म की तीन धाम्नाएँ हैं जिनमें प्रथम मन्त्र अथवा तप एक धाम में पाया जाता है (अर्थात् गृहस्थाश्रम) दूसरा तप (अर्थात् बानप्रस्थ) में और तीसरा ब्रह्मचारी में। 'तप' ही बानप्रस्थ एक परिश्रमक शान्ति का लक्षण है। अतः उपर्युक्त भाव्य में तीन आयतनों अर्थात् ब्रह्मचर्य गृहस्थ एक बानप्रस्थ की बर्णा है। सम्भवतः छान्दोग्योपनिषद् के बाल एक बानप्रस्थ एक सत्याम में कोई अन्तर नहीं था। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।५।२) में आया है कि याज्ञक्यस्य न अग्नी स्त्री मैत्री मे क्वा कि अथ न गृहस्थ से प्रकृत्या शरण्ये कर्ते वा रहे हैं। मूषकर्मोपनिषद् (१।२।११) में ब्रह्मज्ञानिया के लिए भिन्नात्म की बान चमसी गयी है। इस उपनिषद् (१।२।६) में सत्यास का नाम लिया है। जाजालोपनिषद् (४) में आया है कि जनक न मासकर्म्य में सत्यास की शान्त्या करने को कर्ता।

- १ मुनयो बानप्रस्थानां पिपाङ्गा वसते मन्त्राः। ऋग्वेद १।१२२।२।
- २ किं नू मन्त्रं किमग्निं किन्तु इयमग्निं किं तपः। पुत्रं ब्रह्मण्यं इच्छन्तं स चं लोकीं वशावशः॥ यतो 'मन्त्र' से सम्भवतः 'सन्तोष' की ओर संकेत है। 'तप' से बानप्रस्थ का तात्पर्य निजात्मा का शक्तता है (गौतम ३।२५, वैश्वानरो बने मूलकसानी तप-वीर्य) या इससे सत्यासी का संकेत समझा जा सकता है (मनु ६।७५ के अनुसार सत्यासी की कट्टि सत्यास करनी बर्तनी है)।
- ३ अथो बन्धनानां यतोऽभ्ययनं शान्तिं प्रकथयन्त एव द्वितीयो ब्रह्मचार्यावायुत्तवान्। तृतीयोऽयननान्-रथाननाचार्यायुमेऽन्तरावपन्सर्वे एते पुष्यकोरा भवन्ति ब्रह्मर्षीः। अतः २।२।११।

इसी उपनिषद् में चारों आश्रमों की व्याख्या भी पायी जाती है। इतना स्पष्ट है कि आरम्भिक उपनिषदों ने ब्रह्म के नाम-से-नाम तीन आश्रम मसी मीति विहित थे और आत्मोपनिषद् को चारों आश्रम अपने विहित नामों से ज्ञत थे। स्वतास्वगरोपनिषद् (६।२१) में आश्रमधर्म का प्रयोग हुआ है। वही इस प्रकार का उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मणी स्वतास्वगरोपनिषद् ने उन लोगों को जो आश्रम-नियमों के अन्तर्गत चुके थे ज्ञान दिया (अर्थात् ब्रह्मज्ञान का उद्घोष किया)।

विद्वानों के मत से पाणिनि का काल ई. पू. ३ के पूर्व ही माना जाता है। पाणिनि को पाराशर्य एव कर्मवृत्त निम्बु-सूत्रों का पता था और उन्होंने 'मन्वन्ती का वर्ष 'परिचायक' सगया है (पाणिनि ६।१।१५५)। इसे स्पष्ट है कि पाणिनि से कई शताब्दियों पूर्व निम्बुओं का आश्रम स्थापित था। पाणि-साहित्य के परिशीलन से का पता है कि बौद्धधर्म ने पम्बज्या (प्रज्या) की विधि ब्राह्मणधर्म से ही ग्रहण की थी।

मानव-जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य माने गये हैं—धर्म अर्थ काम एव मोक्ष। सर्वोत्तम लक्ष्य है मोक्ष, जिस कई नामों से पुकारा जाता है यथा मुक्ति अमृतत्व निःशेष कैवल्य (साक्ष्यो द्वारा) या अपूर्व (श्वामुन १।१२)। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्बन्ध एव वैराग्य (बृहदारण्यकोपनिषद् ५।१ या मुण्डकोपनिषद् १।२।१२) प्राप्त करना चाहिए। भारतीय ऋषियों ने अपने दिव्य दर्शन एव प्रकाश के अनुसार आश्रमों के सिद्धान्त एव व्यवहार के विषय में अपने मत बिये हैं। ब्रह्मचर्य में व्यक्ति को अनुशासन एव सकल्प के अनुसार खड़ा पड़ा वा उसे अतीव काल के साहित्यिक साधन का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था उसे आज्ञाकारिता आदर, सारे जीवन एव उच्च विचार के उच्चतम सीखने पड़ते थे। ब्रह्मचर्य में उपरान्त व्यक्ति विवाह करता वा गृहस्थ होता वा ससार के मानव का स्वाद भोग वा जीवन का उपयोग करता वा सन्तानोत्पत्ति करता वा अपनी सन्तानों मित्रों सम्बन्धियों, पड़ोसियों के प्रति अपने कर्तव्य करता वा उपयोगी परिश्रमी एव योग्य नागरिक होता वा तथा एक भूक का उत्पादन होता वा ऐसा कहा गया है कि ५ वर्ष के लगभग की अवस्था हो जाने पर वह ससार के भुक्त एव वासनाओं की भूक से उन्नत होता वा तथा बत की राह से भोग वा ब्रह्मि ब्रह्म-निष्ठा ही तपस्वी एव निरपराध जीवन बिताता था। इसके उपरान्त सत्यास का आश्रम जाता था। वह इसी जीवन में अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है, वा इसी प्रकार के कई जीवनो तक वह चकता चायगा जब तक कि उसे मुक्ति न प्राप्त हो जाय।

वर्ष का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के क्रिय वा किन्तु आश्रम का सिद्धान्त व्यक्ति के लिए वा। कार्य समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों कार्य-कलाओं स्वतन्त्र उत्तरदायित्वों एव कर्तव्यों की ओर संकेत करना वर्ष-सिद्धान्त का कार्य था। किन्तु आश्रम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है उस अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है तथा अन्तिम सध्य की प्राप्ति में उसे क्या-क्या उपचार्य करनी है। निःशुद्ध, आश्रम-सिद्धान्त एक उत्कृष्ट धारणा थी। मने ही यह मसी मीति कार्यान्वित न की वा सकी किन्तु इसके उद्देश्य बने ही महान् एव विशिष्ट थे।

चारों आश्रमों के सम्बन्ध में तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है—समुच्चय विकल्प एव बाध। प्रथम पक्ष बाधे कहते हैं कि प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होता है अर्थात् धर्मप्रथम ब्रह्मचर्य तब गृहस्थ और गृहस्थ के उपरान्त व्रतप्रथम और अन्त में सत्यास ऐसा नहीं है कि कोई एक वा अधिक आश्रम को छोड़कर किसी लक्ष्य को अन्त के वा सत्यासी हो जाने पर पुनः गृहस्थ हो जाय (ब्रह्म १।८ ९, वेदान्तसूत्र ३।४।५)। इस पक्ष के अनुसार कोई

५ ब्रह्मचर्य परित्याग्य वही सवेव वही भूषा क्ली लक्ष्मी भूषा प्रवृत्ते। यदि वेतरवा ब्रह्मचर्यविव प्रवृत्ते पृहाहा। परवृत्ते विरलेतरवृत्ते प्रवृत्ते। आत्मादीय ५। वैश्वि बीषायनधर्मसूत्र २।१ १२ एवं १८।

ब्रह्मचर्य के उपरान्त तुल्य सन्यास नहीं ग्रहण कर सकता। मनु (४।१।११ ३३-३७ ८७-८८) इसके प्रथम समर्पक हैं। इस पक्ष बाध विवाह एक समोग को अपभिन एक तप कं लिए बुरा नहीं मानते प्रत्युत विवाह एक सम्भाग को तप भीवन छ उच्च मानते हैं। अर्धघास्त्रकारों में अविवाध गृहस्थाधम को बहुत गौरव देते हैं और बानप्रस्थ एक सन्यास का विशेष महत्त्व नहीं देते कुछ ने तो बानप्रस्थ एक सन्यास को अस्मिन्म के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। दूसरे पक्ष बाध ब्रह्मचर्य के उपरान्त विकल्प की बात करते हैं, अर्थात् अध्वयन के उपरान्त या गृहस्थाधम के उपरान्त परिव्राजक हुआ जा सकता है। प्रथम पक्ष (समुच्चय) के स्थान पर यह विकल्प पक्ष आवाक्योपनिषद् द्वारा रखा गया है (केलिए अन्य सक्त वसिष्ठ ७।३ लघु विष्णु २।१ याज्ञवल्क्य ३।५६)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२१।७-८ एक २। १२।७-८) ने भी इस पक्ष का समर्थन किया है। बाध नामक तीसरे पक्ष का समर्थन प्राचीन धर्मसूत्रकारों ने किया है यथा गौतम एक बीषायन। इस मत से केवल एक ही आधम वास्तविक माना जाता है और वह है गृहस्थाधम (ब्रह्मचर्य केवल तैयारी मात्र है) अन्य आधम इससे अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण हैं (गौतम ३।१ एक ३५)। मनु (६।८ * ३।७७-८) अग्निष्यम सूत्र (८।१४ १७) वरा (२।५७-६) विष्णुधर्मसूत्र (५९।२९) आदि गृहस्थाधम को सर्वोच्च मानते हैं। याज्ञवल्क्य (३।२६) को टीका मिताक्षर त इन तीनों सिद्धान्तों का विवेचन किया है और कहा है कि प्रत्येक मत को वैदिक समर्थन प्राप्त है तथा इनमें से कोई भी मत व्यवहार में कामा जा सकता है।

आधम' शब्द धर्म' से बना है (आधाम्यन्ति अस्मिन् इति आधम) अर्थात् एक ऐमा जीवन-न्तर जिसमें व्यक्ति पूरा धर्म करता है।

विवाह

विवाह-संस्कार को सर्वोत्कृष्ट महत्ता प्रदान की गयी है। विवाह-सम्बन्धी बहुत-से सम्बन्ध विवाह-संस्कार के तत्त्वा की ओर संकेत करते हैं यथा उद्वाह (बन्धा को उसके पिता-गृह से उच्यता के साथ ले जाना) विवाह (सिद्धि दान से कन्या को ले जाना या अपनी स्त्री बनाने को ले जाना) परिणय वा परिचयन (अग्नि की प्रशिक्षा करना) उपयम (सतिव्रत के जाना और अपना बना लेना) एव पानिग्रहण (बन्धा का हाथ पकड़ना)। यद्यपि ये सब विवाह-संस्कार का वैचक एक-एक तत्त्व बताते हैं किन्तु सास्त्रों ने इन सबका प्रयोग किया है और विवाह-संस्कार के उत्पन्न के कतिपय कर्मों को इनमें समेट लिया है। तैत्तिरीय संहिता (७।२।८७) एव ऐतरेय ब्राह्मण (२।७।५) में विवाह नाम उल्लिखित है। तार्क्य महाभाष्य (७।१।११) में आया है— 'स्वर्ग एव पूषिषी म पहले एवता की विष्णु के पूषण-युवन हो गये तब उन्होंने कहा— आजो हम लोग विवाह कर लें हम लोगो में सहयोग उत्पन्न हो जाय।'

यथा विवाह-संस्कार की स्थापना के पूर्व भारतवर्ष में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में असयम या अविकल्पा की वैदिक प्रणो में इस विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। महाभारत (आदिपर्व १२२।४७) में पाण्डु ने कुन्ती से कहा है कि प्राचीन काल में विवाह समय में बाहरी भी जिस प्रकार बाहरी मिथुन जीवन व्यतीत करती थी एक पुरुष को छोड़ कर अन्य को ग्रहण करती थी। यह स्थिति पाण्डु ने काल में उत्तर कुट क्षेत्र में विद्यमान थी। उदाहरण के पुत्र स्वर्गोत्पत्ति के सर्वप्रथम इस प्रकार के असममित जीवन के विरोध में स्वर उठा दिया और नियम बनाया कि यदि स्त्री पुरुष के प्रति मा पुरुष स्त्री के प्रति असत्य होगा तो वह समय-र अपराध या पाप का अपराधी होगा। इस विषय में उवाच (१।१।३७-३८) भी देखा जा सकता है। महाभारत वाली कथा नेचक सम्पत्त-प्रयुक्त है। कुछ दिन पहले उवाच दास्त्रिमा ने स्त्री-पुरुष के प्रारम्भिक असमयपूर्व यौनिक जीवन की कल्पना कर ली थी किन्तु अब यह बातचीत जगदी माय्य नहीं है।

ऋग्वेद के मतानुसार विवाह का उद्देश्य था सुहृत्त्व होकर दोनों के लिए यज्ञ करना तथा सन्तानोत्पत्ति करना (ऋग्वेद १।८।५।३३ ५।३।२ ५।२।८।३ ३।५।३।४)। परब्राह्मणिक शास्त्रिय में भी यही बोध पायी जाती है। स्त्री को 'आया' कहा गया है क्योंकि पति ने पत्नी के गर्भ में पुत्र के समान ही अणु लिया (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।१)। पातपञ्चब्राह्मण (५।२।१।११) का कहना है कि पत्नी पति की आधी (अर्धगिनी) है अतः जब तक स्थूल विवाह नहीं करता जब तक सन्तानोत्पत्ति नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं है। जब आपस्तम्बपर्यन्त (२।५।१।१।२) प्रथम

१ इसी में लोकी सहायता ती विपत्ताभङ्गतां विवाह विषयायहै एह तावत्स्थिति। ताण्ड्य ७।१।११।

२ वेदिय भीमती एम लौक इत दुस्तक Marriage past and present P 10

३ अर्धो ह वा एव आत्मनो पञ्चजाया तसमात्तापञ्चजायां न विभक्ते नैव तावत्पञ्चजायते अतर्धो हि तावद् अर्धिन।

अथ यदिव आयां विभक्तेषु प्रजायते तर्हि हि तर्धो अर्धिन। शतपथ ब्राह्मण ५।२।१।११ । और वेदिय ताण्ड्य ब्राह्मण

पत्नी के गर्भवती होने के कारण वृद्धी पत्नी ब्रह्म करने तथा धार्मिक कृत्य करने को मना किया है, ता इसका तात्पर्य यह है कि विवाह के नो प्रमुख उद्देश्य हैं—(१) पत्नी पति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनानी है तथा (२) वह पुत्र या पुत्रों को माला होती है और पुत्र ही नरक से रक्षा करता है। मनु (१२२८) के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति धार्मिक कृत्य सेवा सर्वोत्तम ध्यान (परमानन्द) अपने तथा अपने पूर्वजा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति निर्भर रहती है। अतः स्पष्ट है कि धर्मसम्पत्ति प्रजा (तथा इसमें फलस्वरूप नरक में गिरने से रक्षा) एवं रति (धार्मिक तथा अन्य स्वाभाविक ध्यानवास्यति) में तीन स्मृतियों एवं निबन्धा ने विवाह-सम्बन्धी प्रमुख उद्देश्य माने हैं। यही बात याज्ञवल्क्य (१७८) में भी देखने को मिलती है। वैमिनि (१।१।१७) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।११-१७) में पत्नी के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

अच्छे घर के सम्पन्न क्या हैं? घर का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए? आपस्तम्बवृद्धसूत्र (१।५।२) का कहना है कि बुद्धिमत् घर को ही सम्भारना करना चाहिए। आपस्तम्बवृद्धसूत्र (३।२) के अनुसार अच्छे घर के सस्य हैं अम्बा कुल सन् चरित सुमगुण ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य। अन्य बातों के लिए देखिए शीषायनधर्मसूत्र (४।१।१२) यम (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ ७८)। धातुस्तक ता (४) में भी घर के गुणों की आर सवेत किया गया है। यम ने घर के लिए सात गुण गिनाये हैं यथा कुल शील सन् (परीर) यम विद्या जल एवं सनायता (सम्बन्धी एवं मित्र सयोग का आत्मन्यन)। बृहस्पराधर ने आठ लक्षण दिये हैं—जाति विद्या युवावस्था बल स्वास्थ्य अन्य कोषों का आत्मन्यन अमिकाया (अभित्) एवं धन। आपस्तम्बवृद्धसूत्र (१।५।१) में कुल को सर्वोपरि स्थापित किया है। ऐसा ही मनु (४।२।४४ एवं ३।६।७) में भी कहा है। मनु ने इस प्रकार के कुला से सम्बन्ध आने को मना किया है, यथा जहाँ सम्भार न किया जाते हों जहाँ पुत्रोत्पत्ति न होनी हो जहाँ वैवाह्यपन न होता हो जिसके सदस्या के शरीर पर क्या अधिक मात्रा में हो जिसमें शोग बवातीर या लयराग या अजीर्ण या मिर्षी या पक्षित या शूल बुष्ट सं पीडित हो। और भी देखिए मनु (२।२।३८, २।१२ १५) हर्षचरित (४) याज्ञवल्क्य (१।५।४-५५)। कात्यायन ने घर के दोष इस प्रकार बताये हैं यथा पागमल पाप (अपराध) कुष्ठता लपुनकता स्वागोभता अधापन बहिष्ठापन अपस्मार (मिर्षी)। कात्यायन ने अम्बा के लिए भी ये ही बातें कही हैं। कात्यायन की तासिका घर एवं अम्बा बना पला

८।७।२।३। “अर्थो वा एव आत्मनो यत्पत्नी” तैत्तिरीय-संहिता में आया है (१।१।८।५)। तस्मान् पुरो वो आया त्विवा हृत्स्तरमिवात्मान भवते। ऐतरेय ब्राह्मण १।२।५ न गृह बृहन्निरयाहुर्वृद्धिनी मृहमुष्यते। धातिसर्व १४४।६ अर्थ भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सता। भार्या मूल त्रिवन्स्य भार्या मूल तरिष्यत ॥ आश्विनर्व ७४।४ आत्मानो स्मृतिस्तत्र च लोकाचारे च सुरिभिः। शरीरार्थं स्मृता भार्या पुण्यापुण्यकले तमा ॥ बृहस्पति (अपराध द्वारा अज्ञत पृ ७४)।

४ बुद्धिमते कन्या प्रयच्छेत्। आश्व म १।५।२ अद्यात् सुबन्ते कन्या मन्त्रिकं ब्रह्मचारिणे। शी च ४।१।२ कन्युर्धत्तलक्षमसपत्र धुनवानरीय इति वरसपत्न्युः। माय पृ (१।३।२) सुबन्ते कन्यका प्रतिपाद नीयेत्यय तावत्प्रथम-सकल्पः। धातुस्तक (४) कुल च शील च कर्पुर्व्यय च विद्या च वित्तं च सनायता च। एतामुक्तात् सत्य शरीरस्य देया कन्या कुर्वं शीयमचित्तानीयम् ॥ यम (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ ७८)।

५ उन्मत्त पतिग बुद्धी तथा बन्धः स्वर्गोन्नतः। अन्तु-वीर्यविहीनश्च तथापरमारुद्रियः। वरदोया स्मृतः। ह्यने कन्यादोषाश्च कौतिलः। स्मृतिचन्द्रिका १ पृ ५९ उन्मत्त पतिगः कन्यीको कुर्वन्परस्वयवतवात्स्यः ॥ कन्यादोषी च यी बुबन्धिः शीयमको वरे ॥ आश्व (श्रीपुस्तयोग ३७)।

के लिए समान है। महाभारत में बराबर वन बराबर विद्या पर विशेष धन दिया गया है (आदिपर्व १११। उपोपपर्व १३।१२७)।

यद्यपि मनु एव मात्रवस्त्र्य ने मनुष्यको को विवाह के लिए अग्र्यां ठहराया है किन्तु ऐसे कोय कभी-कभी विवाह कर लेते थे। मनु मात्रवस्त्र्य एव अग्र्य ऋषी ने इनके विवाह को न्यायानुक्रम माना है और इनके (निर्वाण उ उत्पन्न) पुत्रो को औरस पुत्रो के समान ही वन-सम्पत्ति का अधिकारी माना है। देखिए मनु (१।२ ३) एव ब्राह्मण (२।१४१ १४२)।

कन्या के चुनाव के विषय में भी बहुत-सी बात कही गयी है किन्तु उपर्युक्त बातों और इन बातों से बहुत समझ पानी जाती है। यथा कुरु रोय आदि विषयो मे (देखिए बसिष्ठ १।३८ विष्णुधर्मसूत्र २।११ कामधूम १।१२) सतपथब्राह्मण (१।२।५।१६) ने बड़े एक चौड़े निरुम्बो एव कटियो वाली कन्याओं को बाह्यष्ट करने वाली कहा है। आस्तक्यायनगृह्यसूत्र (१।५।३) ने ऐसी कन्या के साथ विवाह करने को कहा है जो बुद्धिमती हो सुन्दर हो सम्पत्ति हो शुभ लक्षणो वाली हो और हो स्वस्व। शास्त्रायनगृह्यसूत्र (१।५।६) मनु (१।४) एव ब्राह्मण (१।५२) ने कहा है कि क या को शुभ लक्षणो वाली होता चाहिए और उनके अनुसार शुभ लक्षण दो प्रकार के हैं यथा बाह्य (धार्मिक सहाय) एव आन्तरिक। मनु (३।८ एव १) एव विष्णुधर्मसूत्र (२।१।२-१६) ने अनुसार पित्रक वाली अतिरिक्त बयो वाली (यथा छ अनुक्तियो वाली) दूटे-मूटे अगो वाली बापूती पीसी बाँसो वाली कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए निर्वाण अगो वाली हस या नव की भाँति चलने वाली से जिसके सरीर के (सिर या मन अयो पर) बाह्य छोटे हो जिसके हाँव छोटे-छोटे हो जिसका सरीर कोमल हो उससे विवाह करना चाहिए। विष्णुपुराण (३।१ १८-२२) का कहना है कि कन्या के अघर या चिबुक पर बाह्य नही होने चाहिए, उसका स्वर नैर भी नहीं कर्त्तव्य नही होता चाहिए, उसके बुँगो एव पाँवो पर बाह्य नही होने चाहिए हँसने पर उसके बाला न बहने नही पडने चाहिए, उसका नव न तो बहुत छोटा और न बहुत लम्बा होना चाहिए। मनु (१।९) एव ब्राह्मण गृह्यसूत्र (६।१३) क कहना है कि विवाहित होनेवाली कन्या का नाम जान्न नक्षत्र बाला यथा—रेवती बार्वा आदि, बुँगो या नवियो बाला नही होना चाहिए उसका म्लेच्छ नाम पर्वत पशु सर्प दासी आदि का नाम नही होना चाहिए। भाष्यस्तम्बगृह्यसूत्र (१।१४) एव कामसूत्र (१।१।१६) के मत से उस कन्या से जिसके नाम के अन्तमें र या ल हो यथा—गौरी नमला आदि विवाह नहीं करना चाहिए। इस विषय में देखिए मारक (स्त्रीपुंसोप १६) भाष्यस्तम्बगृह्यसूत्र (१।१।१२) एव मार्कण्डेयपुराण (३।४।७६-७७)।

माछात्रगृह्यसूत्र (१।११) ने अनुसार कन्या से विवाह करते समय चार बातें देखनी चाहिए, यथा वन सौन्दर्य बुद्धि एव बुल। यदि चारो पुन न मिलें तो वन की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, और उसके उपरान्त सौन्दर्य की भी किन्तु बुद्धि एव बुल में जिसको महत्ता दो जाय इस विषय में मतभेद है। किसी ने बुद्धि को और किसी ने बुल को महत्तर माना है। मानवगृह्यसूत्र (१।७।६-७) ने पाँचवाँ विवाह-कारण भी माना है अर्थात् विद्या और इसे सौन्दर्य के उपरान्त तथा प्रजा के पूर्व स्थान दिया है।

कन्या के चुनाव में आरबकाल्यगृह्यसूत्र (१।५।३) गोभिलगृह्यसूत्र (२।१।४ ९) लीलावतिगृह्यसूत्र (१।५)

९ तत्साध्यामभिरभोपेता सातापितृमती विवर्षतिप्रभृतिभ्युत्पन्नवयत इत्याध्याचारे वनवति वनवति कुने तवन्विप्रिये तवन्विभिराहुसे प्रभृता प्रभृत्पमतापिभृत्ता अथशीलकतपतपत्रभायभ्युत्ताविवाविमष्टवत्ततजत्रकेमा-
तितस्तनीवरोमिप्रहृतिघटीरौ तवाचिष एव भुतवाजा धीकमेन्। कामसूत्र ३।१।२।

४-७) वायुहृद्यमूत्र (१) मातृकावृक्षमूत्र (११११) मानवमूत्र (११७१) आदि न लम्बी बीड़ी बन्धनात्मक बातें ही हैं जिन्हें स्थाणुमात्र से नहीं गिना जा रहा है।

गीतम (४११) बसिष्ठ (८११) मानवगु (११७१) याज्ञवल्क्य (११५२) एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि बन्धा कर से अन्नस्था में छोटी (यथोपनी) होती चाहिए। काममूत्र (१११२) तो उस काम-म-वम तीन वर्ष छोटी मानत को तैयार है। विवाह के समय अन्नस्था क्या है इस पर हम जैसे लिखेंगे।

गीतम (४११) बसिष्ठ (८११) याज्ञवल्क्य (११५२) मनु (११४ एवं १२) तथा अन्य शास्त्रों में अन्न मानि तथा गमान आदि बाकी नहीं विवाह करता चाहिए। विवाह-विवाह तथा अन्न-वर्णीय विवाह नहीं उन आदि मन्त्र या इस पर बाग विचार किया जायगा।

मानवमूत्र (११७१) मनु (११११) एवं याज्ञवल्क्य (११५१) ने लिखा है कि बन्धा भ्रातृहीन नहीं होती चाहिए। इस मत के पीछे एक कम्बा निहाय पाया जाता है, मद्यि यह आवश्यकता आज किसी रूप में साम्य नहीं है। अन्ध (११२४७) में बताया है— जिस प्रकार एक भ्रातृहीन स्त्री अपने पुत्र-मन्त्रों (पिता के ब्रह्म) के पक्ष में मीठ जाती है उसी प्रकार उपा अन्न मोन्दर्य की अभिव्यक्ति करती है। अन्न-वैद्य (११२७१) में हम पहले हैं—

भ्रातृहीन स्त्रियों के समान उन्हें यौववहीन हस्त-वैद्य रहना चाहिए। निष्कन्ध (११७५) में बोला वैदिक उचितियों की व्याख्या की है। प्राचीन काल में पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्र मानता था और उमर विवाह के समय कर में यह तय कर देता था कि उमर उत्तर पुत्र उमर (कड़वी के पिता का) हो जायगा और अपने माता का पुत्र के समान ही विष्णुमान देगा। इसका प्रतिफल यह होता था कि इन प्रकार की कड़वी का पुत्र अपने पिता को विष्णुमान नहीं करता था और न अपने पिता के ब्रह्म को चलाय जाता था। इसी में भ्रातृहीन कड़वी को दुःखित बनाना उमे हुमे रूप में पनि न किए प्राप्त करना होता था। एसी भ्रातृहीन कड़वियों के अपने पिता के घर में ही बूढ़ी हो जान की बात कपेट में बनी है (अ. २१७७)। बसिष्ठधर्ममूत्र (१७११) में कम्ब का ११२७७ का उद्धृत किया है। भ्रातृहीन पुत्री को पुत्रिका कहा गया है क्योंकि उसका पिता उमर जानकर पनि में यह तय कर लेता है कि उमर उत्तर पुत्र उमर (पिता का) विष्णुमान देवेगा या हो जायगा। इसी गमन (११११) में भ्रातृहीन कड़वी में विवाह करने का मना किया है क्योंकि उमर साथ यह भय रहता था कि उत्तर पुत्र में हाक था भेदा पड़गा। मध्य काल में यह प्रतिपत्त उठना गया और आज तो बात ही दूसरी है। वर्तमान काल में भ्रातृहीन बन्धा करवाने रूप में मानी जाती नहीं है। विवाह उन उमरका पिता बहुत ही बनी हो। परबन्धा-वैद्य साहित्य में ऐसा पाया जाने लगा कि बिना विवाह के बन्धा लम्बी नहीं जा सकती (महाभारत अथर्ववेद अध्याय ५२)।

विवाह के नियम में अन्य प्रतिपत्त भी हैं। एसा नियम था कि अपनी ही जाति की कड़वी में विवाह ही करना था। इस प्रकार के विवाह का अर्थ ही 'दण्डी' कहा जाता है। किन्तु एक ही विवाह जाति के और बन्धु एक जाते हैं जिनमें कुछ दत्त के मांग कुछ दत्त में विवाह-मन्त्र नहीं स्थापित कर लगे। इन प्रथा को अर्थ ही में 'दण्डी' कहा जाता है। हिरण्यकेशिपुमूत्र (१११२) नासिक (११७६) एवं आश्वलायनधर्ममूत्र (२५११११) में कहा है कि अपने ही जाति में बन्धा नहीं बनी जानी चाहिए। किन्तु ममान प्रकर के नियम में वे तीन हैं। गीतम (६२)

७ अथर्ववेद पुत्र एदि प्रतीची मन्त्र-वैद्य लगे पतनाम्। आयेक कथ उगनी मुबाना उपा हृषक निरिचीने अन्ध ॥ अ. ११२४७७। मन्त्र-वैद्य (पु. ७५७) में इन वैदिक मंत्र को इन कर धारण की निररन-व्याख्या की तथा बसिष्ठ को उद्धृत किया है।

वसिष्ठधर्मसूत्र (८।१) मालवयुद्धसूत्र (१।७।८) बाराहसूत्र (१) छल्लधर्मसूत्र ने समान प्रकार वाली कथा से विवाह अनुचित ठहराया है। कुछ गुह्यसूत्र यथा भास्वसायन पारस्कर गांध एव प्रवर की धर्मता के विषय में एक एक नहीं कहते। यह एक विचित्र बात है। किन्तु विष्णुधर्मसूत्र (२।४।९) बैसानस (३।२) याज्ञवल्क्य (१।५।३) गार (स्त्रीपुत्र ७) व्यास (२।२) तथा अन्य लोगों ने समान योज एक समान प्रकार बाल लोगों में विवाह-मन्त्र्य मना कर दिया है। गोमिष्ठ (३।४।५) मनु (३।५) बैसानस (३।२) एव आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।१६) के मत से कथा सपिण्ड नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उस घर की माता का सम्बन्धी नहीं होता चाहिए, किन्तु वैशम्प (४।२) वसिष्ठ (८।२) विष्णुधर्मसूत्र (२।४।१) बाराह गु (०) छल्लधर्म याज्ञवल्क्य (१।५।३) तथा अन्य लोग इत पीरियों के उपरान्त पिठा की ओर तथा पीरियों के उपरान्त माता की ओर सपिण्ड में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखे। व्यास-स्मृति में न केवल सगोत्र विवाह मना किया है वरन् उस कथा से भी बिछकी माता तथा घर के लोग व समाजता हो विवाह करना मना किया है।

सगोत्र सप्रवर या सपिण्ड विवाह पर जो प्रतिबन्ध कनाये यद्यपि उसके कारण से। पूर्वजमाता वा एक निश्र है कि यदि कोई दूष्ट या जानने योग्य कारण हो और यदि उसका उत्सर्जन कर दिया जाय तो प्रमुक्त कर्म की परिशक्ति नहीं हो पाती किन्तु यदि कोई अदृष्ट कारण हो और उसका उत्सर्जन ही जाय तो प्रमुक्त कर्म की वैधता की शक्ति हो जा सकती है। रोमी या अथिन या कम अयो वाली कथा से विवाह न करने में नियम का कारण दूष्ट है और ऐसा विवाह दूष्ट और आक्षेपना का विषय बन जाता है। यदि ऐसी कथा से कोई विवाह करे तो वह विवाह पूर्व रूप से वैध माना जाता है। किन्तु सगोत्र एक सप्रवर कथा के साथ विवाह न करने का कारण अदृष्ट है और यदि ऐसा मन्त्र्य हो जाय तो यह विवाह विवाह नहीं कहा जा सकता। अतः यदि कोई किसी सगोत्र सप्रवर या सपिण्ड कथा से विवाह करे तो वह कथा नियमपूर्वक उत्सवी पत्नी नहीं हो सकती। सगोत्र सप्रवर एक सपिण्ड पर विस्तार का जो सिद्धांत आया।

अन पुरुष एक स्त्री की विवाह-अवस्था पर विवेचन उपस्थित किया जायगा। इस विषय में इतना जान देना आवश्यक है कि ममी नामों में मिस-मिस प्राणों एक मिस-मिस जातियों में विवाह-अवस्था पुनः-पुनः मानी जाती रही है। पुरुष के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं रखी थी। पुरुष यदि चाहे तो जीवन भर अविवाहित रह जागा या किन्तु मध्य एक कर्ममान काल में रुद्धिकया के लिए विवाह अनिवार्य रूप से मान्य रहा है। वैशम्पयन के उपरान्त पुरुष विवाह कर सकता था यद्यपि वैशम्पयन की परिणामाप्ति की अवधियों में विमिश्रताएँ रखी हैं कथा—१९, २५, ३१, ४८ या उत्तम वर्ण मितने एर बेद या उत्तम वर्ण अथय किन्ना जा सके। प्राचीन काल में बहुधा १२ वर्ष तक अन्त्यर्ष करता था और ब्राह्मणों का उपनयन-संस्कार ८वें वर्ष में होता था अतः ब्राह्मणों में २ वर्ष की अवस्था विवाह के लिए एक सामान्य अवस्था मानी जाती चाहिए। मनु (१।१९४) के मत से ३ वर्ष की पुत्र्य १२ वर्ष की सत्री में या २४ वर्ष की पुत्र्य ८ वर्ष की सत्री में विवाह कर सकता है। इसी के अन्तर्गत पर विष्णुपुराण में कथा एक घर की रिशाह-अवस्थाका वा अनुमान १।३, १।४ है। अथिन के मत से कथा घर में २, ३, ५ या अथिन वर्ण छाटी हो सकती

८. आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।१६) पर हारबल ने धर्म को इस प्रकार उद्धृत किया है—बाराणसीके साम्राज्यजनानामैवास्तम्बधर्मशास्त्रं यथास्मात्किन्तुः । 'आर्येय' 'आर्य' एव 'प्रवर' का अर्थ एक ही है। उक्त कथा के साथ विवाह-अवस्था के विषय में अनु योज है।

९. कौरवयुक्त आर्यानुदरेण किन्तुः स्वयम्। विष्णुपुराण ३।१, ३।१६; शर्कोपिनो गोपयणत् द्वीपा कथा

है। महाभारत (आश्वमेधिकपर्व ५१।२२-२३) में एक स्थान पर यह आया है कि बर की अवस्था १६ वर्ष की होनी चाहिए, और गौतम अपनी कन्या का विवाह उतक से करने को तैयार है यदि उतक की अवस्था १६ वर्ष की हो। समान-पर्व (६४।१४) एक ब्रह्मपर्व (५।१५) में एक ऐसी लड़की की उमर भी गयी है जो ६ वर्ष के पुत्र से विवाह नहीं करना चाहती। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों ६ वर्ष के पुत्र से कन्या का विवाह सम्भव था। महाभारत (अनुशासन पर्व ४४।१४) में बर एक कन्या की विवाह-अवस्थाएँ उमर से ३ तथा १ या २१ तथा ७ हैं किन्तु उद्गाहणत्व (पु १२३) एक शौनपदार्षनिर्बन्धन (पु ७६६) में महाभारत का उद्धृत कर लिखा है कि ३ वर्ष का पुत्र १६ वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है (किन्तु यहाँ 'दोषावयान्' के स्थान में बध-वयान्' होना चाहिए, 'दोषावयान्' मुख्य अशुद्धि है)।

ऋग्वेद में विवाहावस्था के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता किन्तु कन्याएँ अपेक्षाकृत बड़ी अवस्था प्राप्त होने पर ही विवाहित होती थी। ऋग्वेद (१।२७।१२) में आया है कि जब कन्या सुभ्रत है और कामूपित है तो वह स्वयं पुरुषों को सुभ्रत में से अपना मित्र चुन लेती है। इससे स्पष्ट है कि लड़कियाँ अपनी प्रीति होने पर विवाह करती थी जब कि वे स्वयं अपना पति चुन सकें। विवाह-मन्त्रा (ऋग्वेद १।८५।२६-२७ ४६) से पता चलता है कि विवाहित लड़कियाँ बन्धी-यलियाँ नहीं थी प्रत्युत प्रीति थी। एक ओर यह भी पता चलता है कि तामत्या (बदिकनी) ने उस विभक्त को एक स्त्री की जो अमी अर्मय (कम अवस्था का) था। किन्तु यहाँ पर विभक्त को अन्य राजाओं की अपेक्षा कम अवस्था का कहा गया है। ऋग्वेद की दो ऋषाभा (१।१२६।६-७) में पता चलता है कि लड़कियाँ युवा होने से पूर्व विवाहित होती थी। ऋग्वेद (१।५।१।३) में एक स्थान पर ऐसा आया है कि इन्द्र ने बृहते कसीषान् को बृषया नामक स्त्री की जो अर्मा (बन्धी) थी। किन्तु अर्मा पञ्च कवल 'मरुते' के विरोध में प्रयुक्त हुआ है। 'मरुते' सभ्र का अर्थ है बड़ा जो कसीषान् के सिद्ध प्रयुक्त हुआ है और किसी निश्चित अवस्था का धोकर नहीं है। यहाँ कवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में कन्याएँ किसी भी अवस्था में (युवा होने से पूर्व या उपरान्त) विवाहित हो सकती थी और कुछ जीवन भर अविवाहित रह सकती थी। अन्य मन्त्रों पर ब्राह्मणग्रन्थ विवाह-अवस्था पर कोई प्रभाव डालने दृष्टिमोचर नहीं होने। छात्रोपनिषद् में कहा है कि उपरान्त आत्रायण मुद वैश्व में अपनी पत्नी के साथ रहते थे जो 'माटिकी' (पञ्चरात्रों में अनुसार कनिकशिश कन्या) है।

मूह्यमूत्रा एक बर्ममूत्रा के अनुपीकन से पता चलता है कि लड़कियाँ युवावस्था के बिलकुल पाम पहुँच जाने या उससे प्रारम्भ होने के उपरान्त ही विवाहित हो जाती थी। हिरण्यकशि (१।१९।२) ब्रह्मिक (१।४।६) मानव (१।३।८) बैयानव (१।१२) ने अन्य लक्षणों के साथ बुनी जाने वाली कन्या का एक लक्षण 'नमिका' कहा है। टीकाकारों ने 'नमिका' की कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। मानव के हिरण्यकेशी की व्याख्या में 'नमिका' की ऐसी व्याख्या कहा है जिसका मारिष्य पर्व निकलुस सप्रिण्ट है अर्थात् जो तमोय क योग्य हो। मानवमूह्यमूत्र के टीकाकार मन्त्रावक के मत से 'नमिका' वह कन्या है जिसमें अमी अकाली की भावना का भी अनुमति नहीं की है। उम्हेंनि एक अर्थ यह बताया है— नमिका वह है जो बिना परिधान के भी सुभ्रत रंग। मूह्यमूत्र ने इसे अनुवा कन्या का बोधक माना है। नमिकावर्ममूत्र (१।३।७) के मत में नमिका अनुवा का धोकर है।

स्वदेहत । स्ववर्षाद् द्विविषयवर्षादिभूता कन्या तमुद्रेत् ॥ अद्विषा (स्मृतिमुक्तावक में उद्धृत वर्षावयवपर्व, पु १२५)।

१ ताभ्यामनुवातो वाप्यनुपपच्छेन् सप्तता नमिका ब्रह्मकारिणीननोत्राम् । हिरण्य १।१९।२।

अज्ञित गुणा (पुष्य) का अर्ध भाग दे देवी ।^१ इस विषय में बेकिए बैसावतस्मार्तसूत्र (५१९) ।^२ चाहे जो भी शाल हो कम अथवा तक ही विवाह कर देने की प्रथा प्रथम ५वीं एव छठी शताब्दियों तक बहुत बढ गयी थी। लौकिक-पुस्त (१९१२) में बताया है कि कन्या का ब्रह्मचर्य १० वं या १२वें वर्ष तक रहता है। बैसावत (१९१२) के मत में ब्राह्मण की मन्त्रिका या गौरी से विवाह करना चाहिए। उनके मत से मन्त्रिका ८ वर्ष के अन्तर या १ वर्ष के नीचे होती है और गौरी १ तथा १२ वर्ष के बीच में जब तक कि वह राजस्वका नहीं होती है। अपराधों द्वारा उत्पन्न (पृ. ८) मन्त्रिक्यपुराण से पता चलता है कि मन्त्रिका वरु वर्ष की होती है। पराशर, याज्ञवल्क्य एव सर्वांत इसके बारे में बते करते हैं। पराशर (७१६९) के मत से ८ वर्ष की छठकी गौरी ९ वर्ष की रोहिणी इस वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर एक स्वका कही जाती है। यदि कोई १२ वर्ष के उपरान्त अपनी कन्या में क्याहे तो उसका पूर्वज प्रति मास उर कन्या या ऋतु-अवाह पीते है। माता-पिता तथा ज्येष्ठ भाई राजस्वका कन्या को देसन से नरक के मानी होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण उस कन्या से विवाह करे तो उससे सम्भावण नहीं करना चाहिए, उसके साथ पक्षित में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और वह भूपत्नी का पति हो जाता है।^३ इस विषय में और बेकिए दाम्यपुराण (८१४४) सर्वांत (१९१९) बृहत् सम (११९९ २२) अगिरा (१२९ १२८) आदि। इसी प्रकार कुछ विभेदों के साथ अब धर्मशास्त्रशास्त्र के मत हैं। मरीचि के मतानुसार ५ वर्ष की कन्या का विवाह सर्वभेद्य है। यहाँ तक कि मनु (१।८८) ने योष्य वर नियमाने पर शीघ्र ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१०-११) के अनुसार राम एव सीता की अथवा विवाह के समय कम से १३ एव १६ वर्ष की थी। किन्तु यह श्लोक स्पष्ट श्लेषक है क्योंकि वाल्मीकि (७७।१९ १७) में ऐसा बताया है कि सीता तथा उनका अन्य सहित विवाहोपरान्त ही अपने पतियों के साथ समोप-वर्त्म में परिष्कृत हो गयी। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय छ वर्षिया मही हो सकती।

इस विषय में कि ब्राह्मण कन्याओं का विवाह ८ और १ वर्ष के बीच ही जाना चाहिए, जो नियम बने थे वही एक शताब्दी शताब्दियों से केवल आधुनिक काल तक विद्यमान रहे हैं। किन्तु आज बहुत-से कारणों से अनेक सामाजिक आर्थिक आदि कारण मुख्य हैं विवाह योष्य अथवा बहुत बढ गयी है यहाँ तक कि आज कम बहिन आदि कुलकों के कारण ब्राह्मणों की कन्याएँ १६ या कभी-कभी २ वर्ष के उपरान्त विवाहित हो पाती हैं। अब कुछ कन्याएँ तो अल्प-युवाभ्यापन में ही रहने के कारण देर में विवाह करने लगी हैं। अब तो कानून भी कम गम्य हैं, जिससे बचपन में विवाह अद्वैतानिक मान लिये गये हैं। मनु १९३८ के कानून के अनुसार १४ वर्ष के पहले कन्या-विवाह अपराध माना जाने लगा है।

विवाह-अथवा-अन्यथा नियम केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते थे। सस्वत छात्रित्य के बनि एव शास्त्रशास्त्र

१३ अथवा कन्याया कुतो लोकास्तवानये । अथवा ५२।१२।

१४ तर्षेण कन्यां च भूतां प्राप्तावीचना मुस्येन पुता प्राप्तावृहतां बहेत् । बैसावतस्मार्तसूत्र ५१९।

१५ दशाधिक ब्रह्मचर्यं पुत्रादीनां द्वादशाधिक वा । लौकिकपुस्त १९१२। ब्रह्मणो ब्राह्मणी मन्त्रिणी शीरी का कन्यां वरयेत् । अथवा १३। दशमाप्रश्निका । राजस्यप्रान्ते दशवर्षीया द्वादशाव गौरीवियामर्शिता । बैसावत १९१२। लक्ष्मणस्य न ब्रह्मणो द्वादशीवति पांशुनि । पाचव् शीर्यं न जानाति तावत् अति मन्त्रिका । अथवा १३।

जाना वीच विना वीच श्येच्छी जाता तर्षेण च । अथवा नरकं याति वृद्धा कन्या राजस्वकाम् ॥ शाली समश्रीतस्य ब्रह्मचर्यनोदितः । अतः प्राप्यो ह्यप्राप्तनेव स विभो भूपत्नीविति ॥ पराशर ७१६९।

ने अपनी कथाओं की नायिकाओं को पर्याप्त प्रीति रूप में चित्रित किया है। मन्वृत्ति के मात्रक मातृगीमासक की नायिका मातृगी प्रथम वृष्टि मन्वार के आकर्षण म पर जानेवासी कथा थी। वैमानस (१।१२) ने ब्राह्मणों के लिए मन्वृत्ति एक बीटी कथा की बात तो कही है किन्तु उन्होंने क्षत्रिया एव वैश्या के लिए यह नियम नहीं बनाया। ह्यपरिणत के अनुसार राज्यभी विवाह के समय पर्याप्त सुबगी थी। सस्वारप्रकाश म स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रिया तथा अन्य जोगी की कथा के लिए सुबगी हो जाने पर विवाह करना अमान्य नहीं है।

प्राचीन काल म अनुलोम विवाह विहित माने जाते थे किन्तु प्रतिशोम-विवाह की मर्त्यता की जाती थी। इन्हीं दो प्रकार के विवाहा स विभिन्न उपजातियों की उद्भावना हुई है।

कुछ विद्वान् विद्वाना (उदाहरणार्थ श्री सेमार्ट अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डिया' म) का कथन है कि आज के रूप म ऋषेय एव वैदिक संहिताओं म जाति का स्वल्प नहीं प्राप्त होता। किन्तु हमत बहुत पहले ही देव सिन्हा है कि संहिता-काल म जागो वर्ण स्वीकृत रूप म विद्यमान थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्छ्रिता एव हीनता कोपित हो जाया करती थी। किन्तु उन दिना अपनी जाति स बाहर विवाह करना अपरम; मान्य करना उनना अमान्य नहीं था जितना कि मध्य काल म पाया जाने लगा। वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण य हैं—घणपदब्राह्मण (४।१।५) के अनुसार जीर्ण एवं क्षत्रिय ऋषि ऋषय का विवाह मुख्या स हुआ था। ऋषय भार्गव (भृगु के वधक) या आगिरस य और मुख्या मन के वधक राजा वर्जित की पुत्री थी। घणपदब्राह्मण (११।२।१।८) म वाजसनेयी संहिता (२६।३) की उद्धृत कर लिखा है— मत् बहु (राजा) वैश्य भारी स उत्पन्न पुत्र का राज्यामिषेक नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि राजा वैश्य भारी से विवाह कर सकता था। ऋषय के ५।११।१७-१७ मत्र यह बताते हैं कि ब्राह्मण ऋषि द्यावास्व का विवाह राजा म्यवीनि दाम्ये की पुत्री स हुआ था।

अब हम धर्मसूत्रा एव गृह्यसूत्रा का अनुवीक्षण करें। कुछ गृह्यसूत्र (यथा आश्वलायन आश्वलाय) की अनु की जाति के नियम में कुछ कहते ही नहीं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१३।१ एव ३) में अपन ही वर्ण की कथा म विवाह करन को सिखा है। इस धर्मसूत्र म असर्वर्ण विवाह की मर्त्यता की है। मानव-गृह्य (१।७।८) एव गीतम (४।१) म सर्वर्ण विवाह की ही कथा की है। किन्तु गीतम का असर्वर्ण विवाह विहित के क्वाकि ऐम विवाहा से उत्पन्न उपजातिया की कथा उग्होंने की है। गृह्यपरि ब्राह्मण का श्राद्ध म बुलाने को उन्होंने मना किया है। मनु (३।१२२) सब एक मात्रक में अपन ही वर्ण म विवाह करने को सर्वोत्तम मानता है। इस पूर्व कथा (सर्वोत्तम विधि) कहा गया है। कुछ कथा म अनुपत्त्य (बस सुन्तर विधि) विवाह की भी कथा की है यथा ब्राह्मण किसी भी जाति की कथा से लविन अपनी वैश्य या वृद्ध जाति की कथा से वैश्य अपनी या वृद्ध जाति की कथा से तथा वृद्ध अपनी जाति की कथा स विवाह कर सकता है। इस विषय म बौधायनधर्मसूत्र (१।८।२) एवं मनु (३।११३) विष्णुधर्मसूत्र (२।४।१८) की सम्मति है। पारम्परगृह्यसूत्र (१।४) तथा बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२५) म लिखा है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार द्विजा का वृद्ध भारी से विवाह करना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रा के उच्छ्रारण के। बसिष्ठ में मर्त्यता की है क्वाकि इसम का उच्छ्रारण हो जाता है और मनुष्यगण स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। विष्णुधर्मसूत्र मनुस्मृति आदि ने द्विजातिया को वृद्ध म विवाह-अन्वय्य करन की या मार्यता की है वह उतरी नहीं है उग्होंने ता कथन मान्य कथा की प्रकल्पित व्यवस्था की और संदिग्ध किया है क्वाकि उग्होंने कश्च धर्मो म ब्राह्मण एव वृद्ध कथा म विवाह की मर्त्यता की है। विष्णुधर्मसूत्र (२।६।५) में लिखा है कि ऐम विवाह म धार्मिक गुण नहीं प्राप्त होते हा वामुक्तता की तुष्टि अर्थात् हो मानी है। पारम्पर्य (१।५७) में ब्राह्मण या क्षत्रिय का अपने या अपन स लीच के वर्ण में विवाह-अन्वय्य करन को कहा है, किन्तु यह बात जागरार धर्मो में लिखी गयी है कि द्विजातिया को वृद्ध कथा म विवाह रनी न करना चाहिए। किन्तु अपने समय की प्रकल्पित प्रथा का मार्यता म दना की कल्पित ही मा अत दानां (मनु २।१५२ १५३ एव पारम्पर्य १२५) म धर्मान किया है कि

एक अन्य महत्त्वपूर्ण संकेत यह है कि अधिकांश गृह्यसूत्रों के मत से विवाहित व्यक्ति को विवाह के उपरान्त यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम तीन रातों तक समोग से वृत्त रहना चाहिए। पास्तकगृह्य (१।८) के मत से विवाहित जोड़े को तीन रातों तक क्षार एक कर्म नहीं खाना चाहिए, पृथ्वी पर ध्यान करना चाहिए, वर्ष भर १२ रातों तक ६ रातों तक या कम-से-कम ३ रातों तक समोग नहीं करना चाहिए (देखिए भास्वसायन १।८।१ आपस्तम्ब ८।८ ९, शाखायन १।१७।५, मानव १।१४।१४ काठक ३।१ आश्विन्य १।४।१ आदि)। उपर्युक्त विवेक से स्पष्ट है कि गृह्यसूत्र-काल में कन्या का विवाह युवती होने पर किया जाता था नहीं तो समोग किस प्रकार सम्भव हो सकता था वैसे कि कम-से-कम ३ रातों के प्रतिबन्ध से प्रकट हो जाता है। कर्मभग १२वीं शताब्दी के धर्मशास्त्रकार हरदत्त ने भी स्वीकार किया है कि उनके समय में विवाह के उपरान्त समोग आरम्भ हो जाता था अर्थात् उन दिनों कन्या के विवाह की अवस्था कम-से-कम १४ वर्ष की।

विक्रान्त गृह्यसूत्रों में एक क्रिया का वर्णन है, जिसे अनुष्ठीकर्म कहते हैं। यह क्रिया विवाह के चार दिनों के उपरान्त सम्पादित होती है (देखिए मौनिक २।५, शाखायन १।१८ १९ आश्विन्य १।४।१२ १६, पास्तक १।१६ आपस्तम्ब ८।१ ११ हिरण्यवेदि १।२३-२४ आदि)। इसे हमने बहुत पहले उल्लिखित किया है और यह पर्याप्तार्थक गार्ग्यायन का श्लोक है। विवाह के चार दिनों के उपरान्त के समोग से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों युवती कन्या का विवाह सम्पादित होता था।

कुछ गृह्यसूत्रों में ऐसा वर्णन आया है कि यदि विवाह की क्रियाओं के बीच में कनी मासिक धर्म प्रकट हो जाए तो प्रायश्चित्त करना चाहिए (देखिए बौधायन ४।१।१ कौटिल्यसूत्र ७।१।१६ वैजानस ९।१३ आदि)। इनमें भी प्रकट होता है कि विवाह के समय छत्रियाँ बजान ही चुकी रहती थी।

गीतम (१।८।२-२३) के अनुसार युवा होने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर पाप लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि परिवारन चारण करने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। विवाह के योग्य सब्धी यदि पिता द्वारा न विवाहित की जा सके तो वह तीन मास की अवधि पार करके अपने मत के अनुसार बचकर हीन पति का बरत कर सकती है और अपने पिता द्वारा दिये गये आभूषण लौटा सकती है। उपर्युक्त बचन से विदित होता है कि गीतम में पूर्व (अपमत्त ईसापूर्व ९) में कुछ लोग के जो छोटी अवस्था में कन्याओं का विवाह कर देते थे। गीतम में इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है और युवा होने के पूर्व कन्या के विवाह की बात कथायी है एक यहाँ तक कहा है कि युवती हो जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह करने में अक्षम हो तो स्वयं कन्या अपना विवाह रच सकती है। युवा होने के उपरान्त विवाह होने पर पति या पत्नी पर कोई पाप नहीं लगता। ईसा माना या पिता को कन्या के युवती होने के पूर्व विवाह न कर देने पर पाप लगता है। मनु (९।८९ ९) में लिखा है कि एक युवती मन्त्र ही जीवन भर अपने पिता के घर में अधिवाहित रह जाय किन्तु पिता की चाहिए कि वह उसे का युष्निहीन व्यक्ति में विवाहित न करे। कन्या युवती हो जाने के उपरान्त तीन वर्ष बाद जीवन् (इस बीच में वह अपने पिता या माता पर विवाह के लिए मरणात् कन्या) अपने मुला के अनुकरण कर वा बरत कर राती है। यही

‘मन्त्रिवाक्यप्रार्थनाम् । तस्माद्दत्तविराजपत्न्याः । मन्त्रिणा मैतुनाहोष्यं मनुवत् । कन्युत्नी कन्यावापुत्र संकृताभुवपपठेत् । यदीवती मन्त्रिणां पठ्याम् । मानव (१।७।८) । मन्त्रिणां तु बरेतक्यां पावस कनी कौटु । मनुवती त्वमन्त्रिणा तां प्रपठेत्तु मन्त्रिणाम् ॥ अत्राप्या रजतीं पीरी प्राप्ते रजसि रोहिणी । मन्त्रिक्रिया मनेवत्या युवतीना क मन्त्रिणा ॥ गृह्यतपह ।

बात अनुष्ठापनपत्र (४४।१६) बीषायनपत्रमसूत्र (४।१।१४) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।७-६८) में भी पायी जाती है। किन्तु अन्तिम दोनो धर्मसूत्रों (वसिष्ठ १।७।७-७१ एवं बीषायन ४।१।१४) में यह भी कहा है कि अविवाहित कन्या रहने पर पिता या अभिभावक कन्या के प्रत्येक मासिक धर्म पर धर्म विराग के पाप का भागी होता है। वही नियम याज्ञवल्क्य (१।६४) एवं नारद (स्त्रीपुत्र २६ २७) में भी पाया जाता है। इन्हीं कारण काष्ठान्तर में एक नियम-मा बन गया कि कन्या का विवाह धीमा हो जाना चाहिए, भस्मे ही कर मुक्तहीन ही क्यों न हो (मनु १।८९ का विरोध में भी)। इस विषय में वसिष्ठ बीषायनधर्मसूत्र (४।१।१२ एवं १३)।

उपर्युक्त विवक्षना से स्पष्ट है कि समयग ई पू ६ से ईसा की कारम्मिनर घण्टाब्दी तक मुबती हाने ने कुछ मास इधर या उधर विवाह कर देना किमी गटबडी का मुखर नही पा। किन्तु २ ई के समयग (यह वही काल है जब कि याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रथमन हुआ था) मुबती होम के पूर्व विवाह कर देना आवश्यक-सा हो गया था। ऐसा क्यों हुआ इस पर प्रकाश नहीं मिलता। सम्भवत यह निम्नलिखित कारणों से हुआ। इन गणतन्त्रिका में बौद्ध धर्म का पर्याप्त विस्तार हो चुका था और साधु-आधुनिका अपनो भिक्षु-भिक्षुनिका की सम्भावना की स्थापना ने लिए धार्मिक अनुमति-नी मिल चुकी थी। भिक्षुनिका के नैतिक जीवन में पर्याप्त डीकापन आ गया था। दूसरा प्रमुख कारण यह था कि अविवाहय में कन्याओं का पठन-पाठन बहुत कम हो गया था यद्यपि कुछ कन्याएँ अब भी (अर्थात् पाणिनि एवं पतञ्जलि के कालों में) विद्याध्ययन करती थी। ऐसी स्थिति में अविवाहित कन्याओं का अकारण निरर्थक रूप में रहना देना भी समाज को मान्य नहीं था। ऋग्वेद (१।८।५।४ ४१) के समय से ही एक रहस्यात्मक विरहान कला आ रहा था कि सोम गन्धर्व एवं अग्नि कन्याओं के बीच अभिभावक हैं और गृह्यसंहिता (गौतमिसृ ३।४।६ की व्याख्या में उल्लेख) का कहना था कि कन्या का उपसोम सर्वप्रथम सोम करता है, उन उमने कुछ विधित्त हा जाग ही तत्र उमका उपसोम गन्धर्व करता है और जब वह ऋतुमती हो जाती है ता अग्नि उमका उपसोम करता है। इन कारणों में समाज में एक धारणा घर करत लग गयी कि कन्या के अय में किती प्रकार के परिवर्तन होम के पूर्व ही उमका विवाह कर देना धैयस्कर है। सवर्ग (६४ एवं ६७) में भी यही अभिव्यक्ति की है। एक विशिष्ट कारण यह था कि अय कन्याओं ने लिए विवाह ही उपनयन-संस्कार माना जाते सगा था क्योंकि उपनयन के लिए जाग अय की अवस्था निर्धारित की अय वही अवस्था कन्या ने विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाने लगी। यह भी एक विरहान-सा हो गया कि अविवाहित रूप से मर जाने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। महाभारत के शम्पयर्षे (५२।१२) में एक कन्या के विषय में एक कारण कहा सो है—भुक्ति गर्ग की कन्या में कठिन तपस्याएँ की और इस प्रकार बुढ़ापे का प्राप्त हो गयी लक्ष्मि कारण ने यह कहा कि वह अविवाहित रूप से स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकती। उम लारी न याज्ञवल्क्य के गृह्यसूत्रात् अद्यपि स गृह्य ने एक दिन पूर्व विवाह कर देने की प्रायना इस धर्म पर की कि वह उमे अपनी तपस्वर्ग में

११ ब्रह्माद् मुचकते कन्या लगित्वा ब्रह्मचारिणीम् । अवि वा मुचहीनाय नोपदग्ध्यत्प्रव्रतवताम् ॥ अविद्यमान सतुरो मुचहीनमपि धयेन् । बीषायनधर्मसूत्र ४।१।१२ एवं १५ ।

१२ सोमवासे तु सत्राप्ते सोमो बृहन्नयैव कथ्यताम् । रत्रो वृद्ध्या तु गन्धर्वां भुक्ती वृद्ध्या तु पावरा ॥ तस्माद् विवाह्येयैकन्या यावत्सर्गुनी नवेन् । विवाहो वृष्टवर्षाया कन्यायास्तु श्राव्यते ॥ सवर्ग एवोके ६४ एवं ६७ (स्मृतिव्यक्तिता द्वारा उद्धृत भाग १ पृ ७९, तथा कण्ठेवरहृत गृह्यसंस्कार, पृ ४६) । स्त्रीसामुनयनसंस्कारान्पयो विवाह इति तदुचितान्वरथाया विवाहस्योक्तिव्यवत् । संस्कारहीनसुभ पृ ६९९; विवाहो आपनयन स्त्रीणामाह विनाहत् । तस्माद् वर्षाव्यक्त धेठो जन्मतो वाटवधत् । धम (स्मृतिव्युत्पादन—वर्तमानधम पृ १३६) ।

अन्वित मुनो (पुष्य) का अर्ध भाग दे देगी।" इस विषय में बेलिए वीदानसमार्तसूत्र (५।९)।" बाहे जो नी नाल हो कम अवस्था तक ही विवाह कर देने की प्रथा प्रथम ५वीं एवं छठी शताब्दियों तक बहुत बढ गयी थी। लौपति-गृह्य (१९।२) में आया है कि नन्या का बहुवर्ष १ से या १२वें वर्ष तक रहता है। वीदानस (९।२२) के मत से ब्राह्मण को नमिका या गौरी से विवाह करना चाहिए। उनके मत से नमिका ८ वर्ष के ऊपर या १ वर्ष के नीचे होती है और गौरी १ तथा १२ वर्ष के बीच में जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है। अपराधक द्वारा उद्कृत (पृ. ८९) भविष्यपुराण से पता चलता है कि नमिका दस वर्ष की होती है। परासर, याज्ञवल्क्य एवं सर्त इसके आगे भी बने बने हैं। परासर (७।६.९) के मत से ८ वर्ष की लड़की गौरी ९ वर्ष की रोहिणी दस वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर रजस्वला कही जाती है। यदि कोई १२ वर्ष के उपराल अपनी नन्या न ब्याहे तो उसके पूर्वज प्रति मास उस कन्या का श्राद्ध प्रवाह पीते हैं। माता-पिता तथा ज्येष्ठ भाई रजस्वला कन्या को देखने से मरक के नामी होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण उस नन्या से विवाह करे तो उससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उससे साथ पलित में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए और वह नृपत्नी का पति डा. बाटा है।" इस विषय में और बेलिए वायुपुराण (८।१।४४) सर्त (१५.१९) बृहस्पति (३।१९.२२) अगिरा (१२.९.१२८) आदि। इसी प्रकार कुछ विद्वानों के साथ अन्य धर्मशास्त्रकारों के मत हैं। मरीचि के मतानुसार ५ वर्ष की कन्या का विवाह सर्वभेद्य है। यहाँ तक कि मन (९।८८) ने दोग्य वर मिल जाने पर ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१. ११) में अनुसार राम एवं सीता को अवस्थाएँ विवाह के समय कम से १३ एवं १ वर्ष की थी। किन्तु वह श्लोक स्पष्ट शेषक है क्योंकि बाह्यकाण्ड (७।३।१. १७) में ऐसा आया है कि सीता तथा जगती अन्य बहिनें विवाहोपरान्त ही अपने पतिव्रतों के साथ समोत्तम-धर्म में परिचित हो गयीं। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय ७ वर्षीया नहीं हो सकती।

इस विषय में कि ब्राह्मण कन्याओं का विवाह ८ और १ वर्ष के बीच हो जाना चाहिए, या नियम बने थे छठी एवं सातवीं शताब्दियों से लेकर आधुनिक काल तक विद्यमान रहे हैं। किन्तु आज बहुत-से कारणों से जिनमें सामाजिक आर्थिक आदि कारण मुख्य हैं विवाह मध्य अवस्था बहुत बढ गयी है यहाँ तक कि आज कम बहने आदि कुप्रथाओं के कारण ब्राह्मणों की कन्याएँ १६ या कभी-कभी २ वर्ष के उपरान्त विवाहित हो पाती हैं। अब कुछ कन्याएँ तो बन्धनशासन में लीन रहने के कारण घर में विवाह करने छगी हैं। अब तो कानून भी बन गये हैं, जिन्होंने बचपन के विवाह अवैधानिक मान लिये गये हैं। सन् १९५८ के कानून के अनुसार १४ वर्ष के पहले कन्या-विवाह अपराध माना जाने लगा है।

विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते थे। संस्कृत साहित्य के कवि एवं शास्त्रकारों

१३ अरुणस्तोत्राया कन्यायाः मुनी लोकास्तबालवै । अथर्ववेद ५.२।१९।

१४ तर्बेव कन्या च पुता प्राप्तायीवर्ता पुन्यैव पुता प्राप्तागृहवता ब्रेव् । वैदानसमार्तसूत्र ५।९।

१५ ब्रह्मवातिक बहुवर्षे मुनारीवा द्वारधमालिकं वा । लौपतिगृह्य १९।२। ब्रह्मणो ब्रह्मणीं बलिनां

पीटी वा कन्या वरयेत् । अथर्ववेदा ब्रह्मालजिका । रजस्वप्रत्ये वसकन्यावा द्वारधारा पीटीवाममलि । वैदानस

९।२२। सप्यकारोपि । याचकैव न पृथुपाति याचकैवति पामुनि । याचव् बीच न जानति तावद् भवति नमिका ॥

स्मृतिचन्द्रिका, पृ. ८ ।

माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तर्बेव च । अयस्ते मरक दान्ति बुद्ध्या कन्या रजस्वलाम् ॥ यस्ता तपुहेच्छन्तं ब्राह्मणोऽज्ञानमोहित । असजाप्यो ह्यपाम्भतेय त विप्रो नृपत्नीपतिः ॥ परासर ७।८.९।

ने अपनी कृपाश्री की मायिकाजा को पर्याप्त प्रीति रूप में विहित किया है। मन्वुति के नाटक मास्तीमात्र की मायिका मास्ती प्रथम वृष्टि में प्यास के आकर्षण में पड़ जानेवासी बन्या थी। बैलानस (११२२) ने ब्राह्मण के लिए मनिजा एक गौरी बन्या की बात तो कही है किन्तु उन्होंने क्षत्रियो एव वैश्यो के लिए यह नियम नहीं बनाया। हर्षचरित क अनुसार राज्यभी विवाह क समय पर्याप्त युवती थी। संस्कारप्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रिया तथा अन्य लोको को बन्या के लिए युवती ही जाने पर विवाह करना अमत्स्य नहीं है।

प्राचीन काल में मनुस्मोम विवाह विहित मान जाते थे किन्तु प्रतिशोम-विवाह की मर्त्तता की जाती थी। इन्ही दो प्रकार के विवाहो से विभिन्न उपजातियो को उत्पन्नता हुई है।

कुछ विशिष्ट विद्वानो (उदाहरणार्थ श्री सेनाटो अपनी पुस्तक 'नास्ट इन इण्डिया' में) का कथन है कि आज के रूप में अश्वर एव वैदिक संहिताओ में जाति का स्वल्प नहीं प्राप्त होता। किन्तु इनमें बहुत पहले ही वेद लिया है कि संहिता-काल में पारा वर्ण स्वीकृत रूप में विद्यमान थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एव हीनता कोपित हो जाया करती थी। किन्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहर विवाह करना अथवा मीजन करना उतना अमत्स्य नहीं था जितना कि मध्य काल में पाया जाने लगा। वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण य हैं—रातपयबाह्य (४।१।५) के अनुसार वीर्य एव शिबिस ऋषि अथवा का विवाह मुक्या से हुआ था। अथवा मार्ग्य (भृगु के वध) का विवरण में और मुक्या मनु के वधाव राजा धर्म्य की पुत्री थी। रातपयबाह्य (१३।२।१।८) में वाजसनेयी संहिता (२६।३) को उद्धृत कर लिखा है— अठ बहु (राजा) वैश्य मारी से उत्पन्न पुत्र का राज्यामियेक नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि राजा वैश्य मारी से विवाह कर सकता था। अश्वेद क ५।६।१।१७-१९ मन्त्र यत्र बताते हैं कि ब्राह्मण ऋषि स्वाहादव का विवाह राजा स्वरीति धर्म्य की पुत्री से हुआ था।

अब हम धर्मसूत्रो एव गृह्यसूत्रो का अनुशीलन करें। कुछ गृह्यसूत्र (पया बादबकालन आपस्तम्ब) तो वधु की जाति के विषय में कुछ कहते ही नहीं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१।१।१ एव ३) में अपने ही वर्ण की बन्या से विवाह करने को लिखा है। इस धर्मसूत्र ने असर्जन विवाह की मर्त्तता की है। मानव-गृह्य (१।३।८) एव मीनम (४।१) में मन्वर्ण विवाह की ही बर्ण की है। किन्तु गौतम को असर्जन विवाह विहित थे क्योंकि एम विवाहो से उत्पन्न उपजातियां की बर्ण उ होने की है। शूद्रादि ब्राह्मण को पाण्ड में कुमार का उन्होंने मना लिया है। मनु (३।१२) एव एव मार्ग्य में अपने ही वर्ण में विवाह करने को सर्वोत्तम माना है। इसे पूर्व कल्प (सर्वोत्तम विधि) कहा गया है। कुछ लोको में अनुकल्प (कम सुन्दर विधि) विवाह की भी बर्ण की है यथा ब्राह्मण किसी भी जाति की बन्या में क्षत्रिय अपनी वैश्य या शूद्र जाति की बन्या से वैश्य अपनी या शूद्र जाति की बन्या से तथा शूद्र अपनी जाति की बन्या से विवाह कर सकता है। इस विषय में शीवायनधर्मसूत्र (१।८।२) एव मनु (३।१३) विष्णुधर्मसूत्र (२।४।१४) की सम्मति है। पात्स्यगृह्यसूत्र (१।४) तथा बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२५) में लिखा है कि कुछ आचार्यों का कथनानुसार द्विजो का शूद्र लोको से विवाह करना चाहिए किन्तु द्विजा मर्त्तों के उच्चारण का। बलिष्ठ में मर्त्तता की है क्योंकि इनमें का मर्यादा का ज्ञान है और मनुष्यगत स्वर्ण की प्राप्ति नहीं होती। विष्णुधर्मसूत्र मनुस्मृति आदि में द्विजातियो को शूद्र से विवाह-मन्वर्ण करने की जो मार्यता की है वह उतनी नहीं है उन्होंने तो ब्रह्म अथवा काल की प्रकल्पित व्यवस्था की ओर संकेत किया है क्योंकि उन्होंने बने दासो में ब्राह्मण एव शूद्र बन्या में विवाह की मर्त्तता की है। विश्वधर्मसूत्र (२।६।५९) में लिखा है कि एम विवाह में क्षत्रिय पुत्र नहीं प्राप्त होते हैं कामुजता की वृष्टि अथवा हो सकती है। वाजसनेय (१।५७) में ब्राह्मण या क्षत्रिय का अपने या अपने से नीचे के वर्ण से विवाह-मन्वर्ण करन का कहा है किन्तु यह बात योग्यदास का म लिगी पयी है कि द्विजातियां को शूद्र बन्या से विवाह करनी न करना चाहिए। किन्तु अथवा समय की प्रकल्पित प्रथा की मार्यता न बना भी बलिष्ठ की या जन बना (मनु ९।१५२-१५३ एव वाजसनेय २।१५) में पोषित किया है कि

परि किसी ब्राह्मण को चारो बगों वाली पत्नियां से पुत्र हो तो ब्राह्मणी-पुत्र को १ में ४ भाग मिलते हैं, अश्वी-पुत्र को १ वैश्या-पुत्र को २ तथा वृद्धा-पुत्र को १ मिलता है। याज्ञवल्क्य (१।११.१२) में भी ब्राह्मण एवं वृद्धा के विवाह को माय्यता ही है और कहा है कि उग्री सन्तान को पारस्य कहा जाता है। यही माय्यता मनु (२।४४) में भी दी है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन स्मृतिकारों में ब्राह्मण का क्षत्रिय या वैश्य कन्या से विवाह-सम्बन्ध बिना किसी सन्तान अथवा अनुरोध के मान लिया है। किन्तु ब्राह्मण एवं वृद्ध कन्या के विवाह-सम्बन्ध के विषय में कोई मूल्य नहीं है। ऐसे विवाह हुआ करते थे किन्तु उनकी मर्यादा होती थी। ११वीं एवं १२वीं शताब्दी तक अनुश्रुत विवाह होते रहे किन्तु कालांतर में इनका प्रचलन कम होता हुआ सब के लिए सुप्त हो गया और आज ऐसे विवाह अर्थात् माने जाते हैं। अभिलेखों में अन्तर्जातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। बाकायक राजा कोय ब्राह्मण थे (उत्तम गान वा विष्णुवृद्ध)। प्रभावतीगुप्ता के अभिलेख से पता चलता है कि वह सुप्त चन्द्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी (पंचवीं शताब्दी के प्रथम चरण में) और उसका विवाह बाकायक बुद्ध के राजा चरसेन द्वितीय से सम्पन्न हुआ था। ठाकुरगुप्त स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि कन्य-बुद्ध का सत्त्वापक ममूरधर्मा था जो स्पष्टतया ब्राह्मण था। उसके बहनों के नाम में अन्त में 'वर्मा' आता है जो मनु (२।३२) के अनुसार क्षत्रियों की उपाधि है। ममूरधर्मा के उपलब्ध चौबी पीठी में कुरुक्षेत्रवर्मा ने अपनी कन्याएँ गुप्तों एवं अन्य राजाओं को दीं। यशोधर्मा एवं विष्णुवर्धन के बटोरक-अभिलेख से पता चलता है कि बाकायक राजा देवसेन के मन्त्री हस्तिमोक्ष के बहिन सोम नामक ब्राह्मण ने ब्राह्मण एवं क्षत्रिय युद्ध में उत्तम कन्याओं से विवाह किया था। लोकायक नामक सरकार के तिपेरा लाभपत्र से पता चलता है कि उसके पूर्वज भोजान मोक्ष के थे उसके नामा लेखक पारस्य (ब्राह्मण पुरुष एवं वृद्ध मारी से उत्पन्न) थे और केशव के पिता और द्विजयत्तम (श्रेष्ठ ब्राह्मण) थे। विजयनगर के राजा बुक्क प्रथम (१२६८-१२९८ ई.) की पुत्री विष्णा देवी का विवाह आर्य प्राल के प्रालपति ब्रह्म या बोमल्ल बोदेय नामक ब्राह्मण से हुआ था। प्रसिद्ध राजा कोय हरि चन्द्र नामक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मारी से उत्पन्न व्यक्ति के बहिन थे। गृहिक बहिन का सत्त्वापक ब्राह्मण मुहुरत वा विघ्ने बहिन सर्वपट्ट में राष्ट्रवृट राजकुमारी से विवाह किया।

सम्बन्ध-साहित्य में भी अत्यन्त विवाह के उदाहरण मिलते हैं। नासिबास हूट मालविकामित्रि नामक नाटक से पता चलता है कि सेनापति पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मामबिका से विवाह किया। ब्राह्मणवत्ता में उत्पन्न पुष्यमित्र ने धूम बहा के राज्य की स्थापना की थी। हर्षचरित में स्वयं बाल ने लिखा है कि उत्तरी भ्रमर-नामा के मित्रों एवं साथियों में उसने दो पारस्य भाई भी थे जिनके नाम थे चन्द्रसेन एवं मानुषेय (ये दोनों बाल के पिता की मूर्त पत्नी से उत्पन्न हुए थे। कर्तव्य के राजा महेशपाल के पुत्र राजसेनर ने अपनी कर्पूरवती (१।११) में लिखा है कि उनकी पुत्रहीनमय्यत पत्नी अशक्तिमुन्वती बाहुमारा (आनुजिक ब्राह्मण वा क्षत्रिय) नामक क्षत्रिय युद्ध में उत्पन्न हुई थी।

स्मृतियों एवं नियन्त्रणों में भी अत्यन्त विवाह सम्बन्ध कर दिया। उसने विषय में हम कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। याज्ञवल्क्य के टीकाकार विरवरूप (११वीं शताब्दी) ने उल्लेख किया है कि उत्तरे समय में ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सपना था (याज्ञवल्क्य ३।२८३)। मनु के टीकाकार मेधातिथि ने भी निर्दिष्ट किया है कि उत्तरे समय में (लगभग ९ ई.) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय तथा वैश्य कन्याओं से कभी कभी हो सपना था, किन्तु मनु कन्या से नहीं (मनु ३।१४)। किन्तु विद्वानों के काल तक यह कुछ बर्जित हो चुका था। आर्यजुष्य या ब्रह्मपुराण का हवाला देकर बटुन-से माय्यराक्षि नियम्य एक वेदना यथा स्मृतिचरित्रा हेमाद्रि आदि कर्तव्य के बर्जित था। ये अन्तर्जातीय विवाह भी सम्मिलित करने थे।

आत्मन्यस्मृति का कर्ता है कि दूसरी शक्ति की कन्या से विवाह करन पर महापातर सपना है और १४

हृच्छा का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मार्कण्डेयपुराण (११३:१४ ३६) न रात्रा नामान्त्री कृत्वा नही है, जिससे एक वैश्य कन्या से रात्रस-विवाह किया या और वह पाप का भाग्य हुआ था।

अब हम सपिण्ड विवाह का विवेचन उपस्थित करेंगे। सपिण्डता का तीन भाग में विभियत महत्त्व है यथा विवाह, वसीयत एवं असीध (कर्म या मरुत पर अपवित्रता)। सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्गों में (शूद्र में भी) बन्धित है। सपिण्ड कर्त्तव्य के नियम में दो सम्प्रदाय हैं एक मिताश्रय का और दूसरा जीमूतबाहन (दाम्पत्य के सेवक) का। दोनों के मध्य से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता किन्तु 'सपिण्ड' शब्द के अर्थ में दोनों का दो विचार है। याज्ञवल्क्य (१:५२-५३) की व्याख्या में विज्ञानेश्वर 'असपिण्ड' उस नारी को कहते हैं जो सपिण्ड नहीं है और 'सपिण्ड' का शास्त्रमै है कि उस व्यक्ति का वही पिण्ड (शरीर या शरीर का प्रवयव) है। दो व्यक्तियों का सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पर्य यह है कि बालों में समान शरीर के अवयव हैं। इस प्रकार पुत्र का पिता से सपिण्डन सम्बन्ध है क्योंकि पिता का शरीर के कर्त (शरीर) पुत्र में आता है। इसी प्रकार पितामह और पौत्र में सपिण्ड-सम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का मत्ता से सपिण्ड-सम्बन्ध है। अथ नाना एक माता (पुत्री के पुत्र) में सपिण्ड सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार मीथी एक माता से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। चाचा एक पुत्री (पिता की बहिन) से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्नी का पति से सपिण्ड-सम्बन्ध है क्योंकि वह पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण करती है। इसी प्रकार आइयो की स्त्रियों में सपिण्डता पायी जाती है क्योंकि वे सपिण्ड सतत उत्पन्न करती हैं और उनका पति एक ही पिता के पुत्र हैं। इसी प्रकार जहाँ भी कहीं सपिण्ड शब्द आता है उसे एक ही पिण्ड के सतत प्रवाह को वीथे रूप (पिता-पुत्र रूप) में या दूरी के रूप में (यथा पितामह पौत्र रूप में) समझना चाहिए। इन प्रकार सपिण्डता की व्याख्या की जाय तो अन्ततोपस्था इस अन्तर्दि विश्व में सब कोई एक ही सम्बन्ध बाध मिश्र किये जा सकते हैं। इसी लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्धारण कर दिया पौत्रवी पीढ़ी में माता के कुल में तथा सातवी पीढ़ी में पिता के कुल में सपिण्डता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए। अथ पिता से ६ पीढ़ियाँ ऊपर और पुत्र से ६ पीढ़ियाँ नीचे (स्वयं व्यक्ति सातवी पीढ़ी में गिना जायगा) के अन्तर्ग सपिण्ड कह जायेंगे। किसी भी व्यक्ति में ६ पीढ़ियाँ ऊपर या नीचे तथा उसको लेकर सात पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं। अर्थात् कोई पूर्वज तथा उसने नीचे की ६ पीढ़ियाँ मिलाकर सात पीढ़ियों का जोड़क हुए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर ६ पीढ़ियाँ मिलाकर सात पीढ़ियाँ के जोड़क हुए। इसी प्रकार किसी लड़की के नियम में पौत्रवी पीढ़ी ऊपर (माता के कुल में) तथा सातवी पीढ़ी (पिता के कुल में) नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार गिनते का क्रम चला करता है।

उपर्युक्त व्याख्या मिताश्रय की है जिससे अनुयाय सपिण्ड्य पर आश्रित प्रतिबन्धों के नियम धरे हैं। यदि किसी पूर्वज के ब्राह्मण कन्या तथा श्रिय कन्या से विवाह किया तो उनका क्रम में विवाह तीसरी पीढ़ी (मातृवी या पौत्रवी में नहीं) का उपरास हो सकता है।

उपर्युक्त विवेचन में यह नहीं समझा जाता चाहिए कि विज्ञानेश्वर की मिताश्रय के नियम साधनीय माने जाने रहे। मिताश्रय के कथना में तथा अन्य स्मृतियों का कथना में विरोध पाया जाता है। इनके अतिरिक्त सम्पूर्ण वैश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज एवं परंपराएँ मौजि-मौजि की जातिनो एवं उपजातिनो में चलनी आ रही हैं अथ किसी प्रकार के नियमों का साधनीय माना अस्मभवना ही रहा है। वे-गण उदाहरण पर्यन्त होते। स्वयं मिताश्रय ने लिखा है कि अमिच्छासंभूत (८:२) के अनुसार एक व्यक्ति माता के कुल में पौत्रों तथा पिता के कुल में मातृ कुल में विवाह कर सकता है किन्तु याज्ञवल्क्य (जैसा कि मिताश्रय ने लिखा है) का अनुसार माता में ६वीं पीढ़ी तथा पिता में सातवी पीढ़ी में कन्या से विवाह किया जाता है। वैदिक के अनुसार माता में तीसरी पीढ़ी की तथा पिता में पौत्रवी पीढ़ी की कन्या से विवाह किया जा सकता है।

क्या कोई अपने मामा या चाचा की लड़की से विधवाय प्रथम से विवाह कर सकता है? इस बात पर प्राचीन काल में ही गहरा मतभेद रहा है। आपरतम्बधर्मसूत्र (१।७।२।१८) ने अपन मल्ला-पिता एव सत्याना के समानोत्तर सम्बन्धिया (महाश्राद्ध एव बहिन) से सम्भोग करने को पातनीय किया (महापाता) न किया है। इस नियम से अनु-गार अपने मामा एक फूली की लड़की से विवाह करना पाप है। श्रीधामधर्मसूत्र (१।१००२६) ने अनुसार बहिन में पौष प्रसार की विवशना दीविया पायी जाती है—बिना उपनयन रिमे हुए लोगों के साथ बैठकर खाना अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना उचित्य भाजन करना मामा तथा फूली की लड़की से विवाह करना। इसमें स्पष्ट है कि श्रीधाम-धर्म के बहुत पक्ष से बहिन से (सम्बन्ध कर्मका के दक्षिण मात से) मामा तथा बूजा (पिता की बहिन) की लड़की से विवाह होता था जिसे बट्टर धर्मसूत्रकार यथा गौतम एव श्रीधामन निम्न मानते थे। मनु (१।१।१७२-१७३) ने मानुस्मृत्या मौसी की बह्या या पिता की बहिन की बह्या (पितृव्यमभिरुहा) से शमीय-सम्बन्ध पर आश्रायक का न प्रायश्चित्त की बात कही है क्योंकि ये बह्याएँ उपिण्ड नहीं जाती हैं। इस विवाह करने पर मरण की प्राप्ति होती है। इतना ही आपरतम्बधर्मसूत्र (२।५।१।१६) की व्याख्या करते हुए शाततप का एक श्लोक उद्धृत किया है और कहा है कि यदि कोई मानुस्मृत्या से विवाह कर ले या उपिण्ड गौत्र या माता के गौत्र (गाना न गौत्र) या उपरतप का न बना से विवाह कर ले तो उसे आश्रायक दत्त करना चाहिए। याजबल्हय (३।२५४) की व्याख्या में बिसहय ने मनु (१।१।१७२) तथा चर्चों को उद्धृत कर मानुस्मृत्या से सम्भोग कर लेने पर परान प्रायश्चित्त की व्याख्या की है। मनु (२।१८) की व्याख्या में महातिथि ने कुछ प्रवेदा में इस प्रथा की चर्चा की है। मध्य काल के कुछ लेखकों ने मानुस्मृत्या से विवाह-सम्बन्ध की धर्मता की और कुछ ने इस तरीकार किया है। अथर्व (पृ ८२-८४) में मर्त्या की है और यही बात निर्बन्धित्यु में भी पायी जाती है (पृ २८६)। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (भाग १ पृ ७-७४) परापर मायनीय (१।२ पृ ६३-६८) आदि में मानुस्मृत्या से विवाह-सम्बन्ध वैध माना है। वे यह मानते हैं कि मनु, धारण्य मुमन्तु आदि ने ही मर्त्या की वृत्ति से किया है तथाकि वे कहते हैं कि वेद के कुछ भागों में कुछ स्मृतियाँ तथा कुछ मिथो ने इस मायता की है अत एव विवाह-सम्बन्ध सदाचार से अन्तर्गत आते हैं। वे इस विषय में सतपथब्राह्मण (१।८।३।६) को उद्धृत करते हैं। विद्वत्स्य (मातृवन्ध १।५३) ने भी इस वैदिक अर्थ को उद्धृत किया है किन्तु वे यह नहीं कहते कि इससे मानुस्मृत्या से विवाह-सम्बन्ध वैध सिद्ध किया जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका परापरमायनीय तथा मन्व पत्नी में निम्न गुण को उद्धृत किया है किगना तालर्ष्य यह है— भावो हे इत्थं अन्ते मागो से हमारे बन्ध में आज्ञा और आज्ञा बस का। मुन्हाट पुत्रारिमा ने पूत से क्या मात तुम्हें उगी प्रकार दिया है जैसे कि मानुस्मृत्या एक पत्नी की बह्या विवाह में शोभा के भाग्य में पड़ती है। विद्वत्स्य (मातृवन्ध १।५३) ने इसी व्याख्या का बहो से भी है। अथर्व (याजबल्हय १।५३) ने भी इस उद्धरण के उलटपटा की व्याख्या करते हुए से करने मानुस्मृत्या से विवाह को अमान्य ठहराया है। श्रीधामधर्म स्मृतिमुक्ताकण्ड का कहना है— 'अन्तर्धो यः सिष्णं शोणं वेदवत्सी होणे' और मानुस्मृत्या-परिणय को मान्यता देने हैं इतिहास में सिष्ण शोण गणाल पूर्वज से पत्नी की पत्नी से विवाह-सम्बन्ध वैध मानते हैं। बहिन में (यथायथा प्राप्त आदि में) कुछ आदिमाँ मानुस्मृत्या से विवाह करना बहुत अच्छा समझी है। कुछ ब्राह्मण जातिवाँ यथा वर्तमान एव बहिन के वैदिक ब्राह्मण आज भी इस नियम को मानते हैं। उत्तरात्पीन्धु (पृ ६१६-६२) एव धर्मसिन्धु मानुस्मृत्या-परिणयन को वैध मानते हैं।

स्त्री के साथ से विषय में स्मृतिवा एव विद्वत्स्य ने बहुत विवेकन किया गया है। आठवसायल्लुम्बसूत्र (१।८।१२) की व्याख्या में कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के उपरान्त पति एक पत्नी कोना एव गौत्र में ही जान है (कपुलरीय)। धर्म (८६) निगिल (२५) का बचन है कि विवाह के उपरान्त पत्नी रात्रि को पत्नी पति के साथ एव और एव गौत्र वाली ही जाती है उगता निष्क एक अर्धीय एक हो जाता है। मितासरा (याजबल्हय १।२५४)

ने ही मतो की खर्चा करने अतिथि निर्णय यही जिनासा है कि विवाह क उपरान्त भी स्त्री पिच्छवान क लिए अपने पिता के मोन वाली बनी रहती है किन्तु यह बात समी सम्भव है जब कि वह पुत्रिका (पिता माई वाली) हो और मातुल विवाह पीति से विवाहित हुई हो किन्तु यदि वह ब्राह्म या किसी अन्य स्त्रीजन विवाह प्रकार म विवाहित हुई हो ता विरह्य के अपने पिता के मोन स अपनी माँ के पिच्छ किया जा सकता है (केविल उपरार्क पृ ४१२ ५४२ स्मृति चरित्रा भाग १ पृ ६९)।

सीधरी सतायी के मागार्जुनकोण्डा क कुछ अभियेका से पता चलता है कि काश्यप अथवा एक अन्य पण करनेवाले सिरी छात्रमूल के पुन रामा सिरी विरपुरिमदन ने अपनी पूछी (पिता की बहिन) की सङ्गी स विवाह किया था। कुछ ऐतका म मातुलकन्या के विवाह को उचिन किन्तु पूछी की कन्या स अनुचित ठहराया है (निर्णय किन्तु १ पृ २८६ पूर्वाच)। इसी प्रकार स्मृतिचरित्रा (भाग १ पृ ३१) एक पदान्ताशकीय (११० पृ ६५) ने लिखा है कि यद्यपि मौसी या मौनी की कन्या स विवाह-सम्बन्ध बैमा ही मान्य हला चाणिए पीसा कि मातुलकन्या से किन्तु शिष्ट छोर इन बुरा मानत हैं जत यह बनाय है। एता प्रन्ध याज्ञवल्क्य (११५६) पर विरवान करते हैं। एतिय म कुछ लोग जिनम ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं (यथा—कर्मिक एक मैसूर के वेदाश्च लोग) ऐसे हैं जो अपनी बहिन की कन्या स विवाह कर लेते हैं। कलम जाति क सोय अपनी बहिन की कन्या म विवाह कर सकते हैं।

उपर्युक्त विवेचना स स्पष्ट हला है कि विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धों एक नियम क नियम म बडा मतभेद रहा है। इन विविध मतभेदा को देखकर सत्कारकोन्तुम (पृ ६२) एक धर्ममिन्तु (पृ २०४) के बचन बहिन तकपुन एक व्यावहारिक बौध है। इनका कहना है कि कस्मिणुग म भी जिनके कुला म या जिन प्रण्डा म मातुलकन्या-विवाह युवा स प्रचलित रहा है उन्हें उन लोग द्वारा (जो लोग मातुल-कन्या-विवाह के विरोधी हैं) खाड म बुझाया जाता चाणिए और उनकी कन्याओं के अपने कुल म विवाह करन म नहीं हितकना चाणिए।

विमाता के कुल की कन्याओं स सपिण्णा किम रूप म होनी है? इस प्रन्ध पर उडाहलक (पृ ११८) निर्णयमिन्तु (पृ २८९) स्मृतिचरित्रा (पृ ६९६ ६९९) सत्कारकोन्तुम (पृ ६२१ ६३) एक धर्ममिन्तु (पृ २१) ने विचार किया है। वे अपनी मुमन्तु का उद्घरण रत हैं—'पिता की ममी पत्नियों माँ हैं, इन आरिमा के माई मामा हैं उनकी बहिन अपनी वास्तविक माँ की बहिन (मौसियों) के समान हैं इनकी कन्याएं अपनी बहिन हैं इनकी धरानें अपनी ममी बहिन की धराना के सदृश हैं अथवा (इनके विवाह करन स) तकर की गुजाइश है।' इस नियम म दो मत हैं। प्रथम मत यह है जिस बहिन म काम मानते हैं—'जाई व्यक्ति अपनी विमाता क माँ या बहिन की कन्या या उन कन्या की कन्या स विवाह नहीं कर सकता। किन्तु दूसरे मत स माणिक्य के अनिरेण के नियम का प्रतिरोध हो जाता है।

कुछ कलकाम म बिरट्ट सम्बन्ध क आजार पर कुछ कन्याओं के विवाह करने पर रोक लगा दी है यद्यपि इन कान्ताओ म माणिक्य-सम्बन्ध का प्रन्ध ही नहीं उठता। निगपमिन्तु (पृ २३९) म उद्घरण पूछा-परिमण्ड क अनु मार उमी कन्या स विवाह करना चाणिए जिनक माच बिरट्ट सम्बन्ध नहीं जैसे अपनी पत्नी की बहिन की कन्या या अपने भाजा की पत्नी की बहिन के विवाह बिरट्ट सम्बन्ध है। नापुनिक काल म गम विवाह होन रा है। नेन्तु एत लमिय विमा के ब्राह्मण एक पंडा म अपनी पत्नी की बहिन की कन्या स विवाह बैच माना जाता है।

१६. विपुलक्य सर्वा मालरस्तद्भ्रातरो मातुलास्तद्भगिन्यो मातुलकन्यास्तद्गृहितरथक अगिग्यस्तदप-जाति मायिनेयादि। अन्यथा सत्कारकारियः स्यु। सुबन्तु।

यौत्र विधेयं तु ए पुत्र के सापिण्ड्य-सम्बन्ध का विवाह अनीक एवं मातृ के विषय में बहुत से पत्र बन्ना सम्भार कौस्तुभ (पृ १८२-१८६) निर्णयसिद्धि (पृ २९०-२९१) व्यवहारमयुग सम्भारप्रमाण (पृ १८८-१४) एवं मत्स्वाररत्नमासा—विष्णार का मास कहते हैं। अनीक एवं मातृ का सापिण्ड्य का बारे में काये लिखा गया। दत्तसपिण्डता के विवाह के विषय में कई एक बिदोयी मत हैं। सम्भारप्रमाण (पृ ९०) के अनुसार यौत्र विधेय पुत्र का वास्तविक पिता का साथ सापिण्ड्य साथ पीड़िया छत्र रहता है और यौत्र लेनेवाला पिता का साथ तीन पीड़ियो तक। मत्स्वाररत्नमासा के अनुसार यदि दत्तक पुत्र का उपनयन वास्तविक पिता के यहाँ हो गया हो तो उसका सापिण्ड्य वास्तविक पिता का कुल में माल पीड़िया तक रहेगा किन्तु यदि दत्तक पुत्र का माते सम्भार प्राप्त किन्तु कुल में हुए है तो उसका सापिण्ड्य पाक-पितृकुल में साथ पीड़िया तक रहेगा किन्तु यदि बचन उपनयन ही पाक-पितृकुल में हुआ है तो सापिण्ड्य केवल पाँच पीड़िया तक रहेगा। निर्णयसिद्धि के अनुसार बाना कुलो में साथ पीड़िया तक सापिण्ड्य पाया जायगा। इसी प्रकार बहुत-से मतों में हैं जिनमें पक्षों में स्वल्पाभास का कारण नहीं पड़ा जा रहा है।

वधिव्रत में मास्यदिनी प्राणा का वेगस्व बाह्यज मोग उस कथा में विवाह नहीं करते जिसके पिता का गोत्र कन्धे (होतब्राह्म पति) का माना का गोत्र के समान हो। मनु (३।५) ने लिखा है— बहु कथा यो वर की माता स सपिण्ड सम्बन्ध न रत्नेनापी है और न वर के पिता की गोत्रो है विवाहित की जा सती है (किन्तु यह विवाह द्विजा में ही मास्य है)। मनु के इन श्लोकों की व्याख्या में कुम्भक मदनपारिजात बीपरलिखा उदाहरण नामक टीकाकारों के मत माने जा सकते हैं। इन लोगों के मत से माना के गोत्र वाली कथा में विवाह बर्जित है। देवादिनि ने (मनु ३।२) तो माना का गोत्र वाली कथा से विवाह करने पर बान्नायक वन का प्रायश्चित्त बताया है और कथा को छोड़ देने को कहा है। इस विषय में इन्द्रजित ने भी यही बात कही है। भाष्यस्तम्भमयमून (२।५।१।१।१९) की टीका में पाठांतर को उद्धृत करते हुए इन्द्रजित ने अपनी बात कही है। और वैदिए कुम्भक स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ ९९) इन्द्रजित (भाष्यस्तम्भमयमून २।५।१।१।१९) गृह्यसूत्रकार (पृ १) उदाहरण (पृ १७) तथा अन्य विद्वान् विद्वान् व्यास का यह मत उद्धृत किया गया है कि कृत् संय माता के गोत्र की कथा से विवाह करना बन्ना नहीं समझते किन्तु यदि कथा का गोत्र अज्ञात हो तो विवाह किया जा सकता है विवाह हो जाने पर स्त्री अपना मौखिक गोत्र त्याग कर पति के गोत्र की ही जाती है। अतः उपर्युक्त माता के गोत्र का तात्पर्य है माता का मौखिक गोत्र बर्जित माता का गोत्र।

वायमास एवं रत्नन्दन का मत जिस बगाली सम्प्रदाय बड़ी महत्ता देता है, मरिचक की व्याख्या में सिद्धांत का संकेत नहीं जाना। इस मत में पिण्ड का अर्थ है बहु मातृ का पिण्ड या गोत्रकं यो पितरः की मातृ के समान किया जाता है। किन्तु, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं मिताकारों के अनुसार पिण्ड का अर्थ है मरीचक वा मरीचक के अन्वय। सपिण्ड का अर्थ है बहु जो बूझने से साजन-बाहुति देने के कारण सम्बन्धित हो। वायमास का शेष्य ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन बलीयान को ध्यान में रखकर किया है और मरिचक के अन्वय में सापिण्ड्य-सम्बन्ध को मित रूप से समझने को कहा है। वायमास का प्रथम बौद्धवाहन में यह सापिण्ड्य-सम्बन्ध वाला सिद्धांत विवाह के विषय में नहीं रखा है। उनका सिद्धांत है कि बलीयान के बारे में मुख्य बात बचवा कारण है बहु उपकारकत्व (आध्यात्मिक कारण) जो पिण्ड देने पर मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। बौद्धवाहन ने इस विषय में अपना मत या अपनी व्याख्या मनु (१२ ६) पर आधारित प्राणी है। अपने सापिण्ड्य सिद्धांत के सिद्ध का जो बचवा में विश्वास करते हैं यथा बौद्धवाहन-धर्ममून (१।५।१।१।११२) एवं मनु (१२ ६ १८७)। बौद्धवाहन के अनुसार "प्रतिष्ठातृ पितामह, पिता स्वयं अपने मरिचक मरिचक पत्नी के पुत्र पीन प्रपीन के सभी अधिमाजित वाय के भागी होते हैं और सपिण्ड्य देने जाते हैं। किन्तु अधिमाजित वाय के भागी को लक्ष्य नहीं है। इस प्रकार सन्नात रहने पर भी उन्हें पत्र प्राप्त हो सता है।

सपिण्डों के अभाव में मनुष्यों को बन मिलता है। मनु (१२८१-१२८७) के अनुसार "तीन का तर्पण अथवा दत्ता आदि तीन को पिण्ड मिलता है चौथा तर्पण एक पिण्ड देनेवाला होता है पाँचवाँ कोई नहीं है। मरणवाले के सपिण्डों में जो सर्वसन्निकट होता है उसी को बन मिल जाता है। जीमूतवाहन ने मनु के उपर्युक्त बचन की व्याख्या यों की है— "बीबित व्यक्ति अपने तीन पुरप-पितरा को पिण्ड देता है किन्तु जब वह स्वयं मर जाता है उसका पुत्र सपिण्डीकरण पाइ करता है" इस प्रकार वह अपने पितरा के साथ एक हो जाता है और अपने पितामह तथा पिता के साथ तीन पिण्डों का अधिकारी होता है और उसका पुत्र इस प्रकार अपने प्रपितामह, पितामह तथा पिता को पिण्डदान देता है। अतः वह अपने चार पिण्डों का है, और वे जो उसे पिण्ड देते हैं अतिभक्त-शायद सपिण्ड" बने जाते हैं। जीमूतवाहन के विरोध में कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम वे बीभाषण के वाक्य के आधार पर पिण्डों के तर्पण को दाय के साथ जोड़ते हैं जिसके लिए कोई पुत्र प्रमाण नहीं है। बीभाषण में कथक सपिण्ड की अपेक्षा उन लोगों की चर्चा की है जो वेदक अतिभक्त कृष्ण में रहते हैं और जिनका बन अभी विभाषित नहीं हुआ है। दूसरे, स्वयं जीमूतवाहन अपने तर्पण पर पूरा भरोसा नहीं रखते बुद्धिगोचर होते हैं।

दायनमसंग्रह के लेखक एक दायभाग के टीकाकार धीहण्य स्मृतिरत्न तथा अन्य ग्रन्थों के लेखक रघुनन्दन तथा अन्य लेखक दायभाग के नियमों के विस्तार से समझाते हैं। रघुनन्दन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ उद्गाहणरत्न में मत्स्यपुराण का उद्धरण किया है— "पूर्वजों में चौथा एवं अन्य (उसके ऊपर को) लेख (पके) वाक्य के पिण्ड-निर्माण के समय पिण्ड बनाने वाले के हाथ में बने हुए मया के मामी हाते हैं पिता एक अन्य दाय (अर्थात् उनमें ऊपर दो) पिण्ड के भागी होता है जो पिण्ड करता है वह सत्तर्पण होता है। सपिण्ड्य सान पीण्डियों तक जाता है। विवाह के लिए सपिण्ड की कोई परिभाषा रघुनन्दन द्वारा नहीं की गयी है किन्तु कई ग्रन्थों में पामी जानबाली पिता से मातृकी पीड़ी तथा माता से पौत्रकी पीड़ी" की चर्चा में पाय जानेवाले मतभेद पर विचारण उन्होंने अथक किया है। उन्होंने पितृव्यभूषण एक मानुष्यभूषण का उल्लेख किया है। उनमें अनुसार पितामह की बहिन के लड़के पितामही की बहिन के लड़के और अपने पिता के मामा के लड़के पितृव्य्य बने जाते हैं तथा चिन्नी की माता के पिता (माना) के भाई के लड़के माता की माता (मानी) की बहिन के लड़के माता के मामा के पुत्र मानुष्य्य बने जाते हैं। विवाह के लिए हम इन पर विचार करना पड़ता है और प्रतिबन्ध स्वीकार करना पड़ता है।

दायभाग सपिण्ड विवाह के लिए किसी वैदिक बचन का उद्धरण नहीं देता। किन्तु मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१२) तीन वैदिक बचनों पर आश्रित है जिनमें चर्चा उपर यथास्थान हो चुकी है।

सन्निकट सपिण्डों का विवाह क्या बहिन माना जाता है? इस विषय में मानव-शास्त्रियों ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कस्टमार्च (हिन्दी भाषा ह्यमन मीरेड शिब २ पृ. ७१-८१) एक निबन्ध (भरद जाड बहिनग इन इण्डिया के आर ए एच १९७५ ६११-६४) ने कहा है कि सौम्य सन्निकट काल में विवाह करने की धर्म-शास्त्रों में मान्यता थी। भारत में सपिण्ड-विवाह पर प्रतिबन्ध सम्भवतः दो कारणों से था—(१) यदि सन्निकट सम्बन्धी दायन में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करना उचित होय कई मूल रूप में उनकी मन्दाता में बह जायय तथा (२) यदि सन्निकट का लाली में विवाह-सम्बन्ध स्थापित होने तो मूल प्रेम की परम्परा में गूँझ—अर्थात् और समाज में अस्वीकृति का कारण बह जायय और उन कथाओं का सिद्ध हो एक ही। पर म कई सन्निकट एक दूसरे के सम्बन्धियों के साथ रहनी है का पाना बहिन हो जायय।

१७ 'सपिण्डीकरण' में चार पिण्डें बनाये जाते हैं एक कुतर्पण के लिए और तीन उससे तीन पिण्डों के लिए। वे चारों पिण्ड पुत्र एक बना दिये जाते हैं जिससे यदि कोई मृत हो तो वह अन्य पिण्डों के साथ पितृव्य के विधान करे।

पराशरमाधवीय (१ भाग २ पृ ५९) में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म बही कन्या जो बर की सपिण्य नहीं है विवाह करने योग्य है। अब हम 'सपिण्य' शब्द की दो व्याख्याओं के विषय में वैदिक साहित्य का हवाला देते। मिताक्षरा ने सपिण्य को 'घरीर या घरीरसम्बन्ध' से तथा दायमाय ने 'बाबल के पिण्य' से संबोधित कर रखा है।

'पिण्य' शब्द ऋग्वेद (१।१६२।१९) एवं तैत्तिरीय संहिता (७।१।९।३) में आया है, और मयता है उसका अर्थ है अग्नि में जाहुति रूप में दिये हुए मयिष पशु के शरीर का एक भाग। यहाँ 'पिण्य' शब्द का अर्थ बाबल का बोक (पिण्य) नहीं है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (२।३।८।२) एवं शतपथब्राह्मण (२।७।२।२४) में 'पिण्य' शब्द का अर्थ है बाबल का पिण्य (बोक) जो पितरो को दिया जाता है। निम्न (३।४ एव ५) में पिण्यवाताय (बाबल का पिण्य देने के लिए) शब्द को बार प्रयुक्त किया है। किन्तु 'सपिण्य' शब्द वैदिक साहित्य में जिस अर्थ का बोक वा हमें इस पर कोई प्रकाश नहीं मिलता। धर्मसूत्रों में 'सपिण्य' शब्द बहुत ही आया है और वे पिण्य-दान करने एवं दाय के में बहुत सम्बन्ध व्यक्त करते हैं (वेदिए गीतम १।७।१।२।८।२१ आपस्तम्ब २।१।४।२ बसिष् ७।१९।८ चिन्नु १।५।४)।

हमने बहुत पहल देखा लिया है कि कुछ ऋषि समीप कन्या और कुछ सत्रवर कन्या से विवाह करने का वना करते हैं। बहुत-से ऋषियों ने विनय चिन्नु, नारद आदि मुख्य हैं सगोत्र एवं सत्रवर कन्या से विवाह अमाय्य ऋष्या है (चिन्नुधर्मसूत्र २।४।९ याज्ञवल्क्य १।५३ नारद-स्त्रीपुत्र ७)। अतः गोत्र एवं सत्रवर के विषय में कुछ बातें ज्ञान आवश्यक है।

ऋग्वेद (१।५।१।३ २।२।७।१ ३।१९।५ ४।४।३।७ ९।८।९।२९ १।४।८।२ १।१२।१८) में योत्र का अर्थ है 'गोसामा' या गोमा का सुत्र। स्वामाधिक रूप्य में 'योत्र' अथवा एक बाल बाबल या बृक्ष (बाबल रक्षत) या पानी देनेवाले बाबल को दिया रखने का वाक्य पर्यंत-सिद्धर कहा गया है। और वेदिए ऋग्वेद २।२।३।१ (यहाँ बृहस्पति का एक 'योत्रमिदं' कहा गया है) १।१२।३।७ (तैत्तिरीय संहिता ७।१।७।१ अथर्ववेद ५।२।८, शतसत्री संहिता १।७।३।९) १।१।७।२, १।१२।३।६। यहाँ 'योत्र' का अर्थ 'युग्' भी है। कहीं-कहीं योत्र का अर्थ है 'समुद्र' (ऋग्वेद २।२।३।२८ १।१९।५)। 'समुद्र' से 'मनुष्यों का बल' अर्थ निकालना सरल है। एक स्थान पर 'एक ही पूर्वज के बसज' के अर्थ में भी 'योत्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद (५।२।१।३) में विस्वयोष्य (सभी पुत्रों से सम्बन्धित) शब्द आया है। यहाँ 'योत्र' शब्द का मुख्य अर्थ है 'भावस में सम्बन्धित मनुष्यों का एक एक'। 'योत्र' (४।२) में एक मन्त्र आया है जिसमें गोत्र का निश्चयात्मक अर्थ है मनुष्यों का एक एक।

तैत्तिरीय संहिता के बहुत-से बाल व्यक्त करते हैं कि बड़े-बड़े ऋषियों के बसज उन ऋषियों के नाम से पुत्र होते थे। तैत्तिरीय संहिता (१।८।१।८) में आया है कि 'होता भार्गव (भृगु का बसज) है। टीकाकार ने व्याख्या की है कि यह केवल राजसूय में होता है। यह सम्भव है कि उन बिनो बंधातुक्तम बुद एवं सिष्य तथा पिता एवं पुत्र से माना जाता था। प्राचीन काल में व्यवसाय बहुत कम थे अतः यह सम्भव है कि उन बिनो पुत्र अपने पिता से ही व्यवसाय सीखता था। तैत्तिरीय संहिता (७।१।९।१) में आया है—'अतः एक साध ही ब्रिचि (या बृचे) का कामचलिय नहीं मिल पाते। इससे पता चलता है कि उन पिता कामचलिय बहुत प्राचीन ऋषि बड़े होते थे और उन से उनमें बहुत-से बसज हो चुके थे वे सभी कामचलिय (या चिय) कह पाते थे और उनमें से बसज भी सत्रवर ब्रिचि या बृचे नहीं पाते थे।

ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रसिद्ध ऋषियों के बसज बृहस्पति में नहीं गये हैं—'बसिष्ठो मे अपत पिता की मति करने स्वर उच्च दिये' (ऋग्वेद १।१६।१।४)। ऋग्वेद (१।१५।५) में मरुदाज आगिरस कह गये हैं। आबलमान योत्रयुत्र ने अनुत्तर मरुदाज बृह गोत्र है जो अग्नि-यजमान की योत्री में जाता है। ब्राह्मण-साहित्य में कई एक ऐसे वंश

हैं जिनसे पता चलता है कि पुरोहिता के कुला के कई दस व जो अपन सस्यपका (वास्तविक या कास्यतिक) के नाम से विधात के और अपन म पूजा-अर्चा की विधियों में मिला था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४) में आया है कि पून वैदिक मन्त्रियों का आधान (प्रतिष्ठापन) भृगुजा या अमिरसे क सिम् 'भृगुजा (अगिरमाम्) एवा देवाना प्रतपत प्रतना एवामि नामक मन्त्र से होता चाहिए, जिन्हु अन्य ब्राह्मणा के लिए 'आदिरयामा एवा देवाना प्रतपत' के माध। तैत्तिरीय संहिता (२।२।३) में 'आमिरसी प्रजा' (अमिरा एव के साथ) का प्रयोग हुआ है। शाण्ड्याब्राह्मण (१।८।२।१२) का मत है कि उद्गुम्बर का चमस सयोन ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कौपीनिक ब्राह्मण (२।५।१५) में आया है कि बिद्वजित यज (जिसमें अपना सर्वस्व दान कर लिया जाता है) करन क उपरान्त व्यक्ति का अपने गोन क ब्राह्मण के यहाँ बर्ष भर रहना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण (३।७) में एक गाथा है या ऐतस एव उनने पुन अन्वयि के बारे में है। वहाँ ऐसा लिखा है कि ऐतसायन अन्वयि सोम अर्चा में सरम बड़े पालनी हैं। कौपीनिक ब्राह्मण में भी यही गाथा आयी है और लिखा गया है कि ऐतसायन भोग मूत्रा में निहट्ट हो गये क्योंकि उनक पिता ने ऐसा शाप दिया था। बौधायनश्रीलमून के अनुसार एतसायन भोग भृगुनक्षत्री उपपाया क। बिद्वामिन द्वारा पुन रूप में स्वीकृत कर सिम् ज्ञान पर गुन क्षय देकरत कहसाय और एतरेय ब्राह्मण (३।३।५) का कहना है कि कायिक्य एव वाअन देवगल म सम्बन्धित थे। बौधायनश्रीलमून के अनुसार देवरत एव कभू बिद्वामिन गोत्र की उपपायाएँ थ। गुन क्षय करम म आमिरम के (ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।५)। इससे स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण क काल में गात्र-सम्बन्ध जन्म से था न कि माचार्य से सिम् द्वारा सम्बन्धित। उपनिषदों में अपि भोग ब्रह्मज्ञान की ब्याख्या करते समय अपने गिय्या को उनर योन-नाम से पुकारते थ यथा भरद्वाज आर्य आदरकसायन भार्यक एव कात्यायन योजो स (प्रश्न १।१) यवाअपथ एव गीतम (छान्दाय्य ५।१।४।१) गीतम एव भरद्वाज बिद्वामिन एव अययनि बमिष् एव कस्यप (बृहदारण्य कोसलिय २।२।४)। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणा एव प्राचीन उपनिषदों क नामों में उपपायाया क माध योजो की व्यवस्था प्रचलित थी। जिन्हु यहाँ बातों का उल्लेख यथा या गिशा के सम्बन्ध में हुआ है। जिन्हु बिवाह के सम्बन्ध में गोत्र या सयोन का बरत लही मिलता है। आट्यायन श्रीलमून (८।२।८ एव १) की ब्याख्या से पता चलता है कि उसक पूर्व से ही सगात्र बिवाह बजिन मान लिया गया था। बहूत-म गृह्यसूत्रों एव धर्मसूत्रा म सगात्र बिवाह बजिन माना गया है। इससे यह लही माना जाना चाहिए कि सगात्र बिवाह का निषेध मूल-काल में ही हुआ प्रत्युत जैसा कि हमन उर्युक्त बिबेचन म देख लिया है बहूत पहल से कम-न-कम ब्राह्मण-काल म उम पर मुबिचारता आरम्भ हा बयी थी।

गोत्र की बहूत महत्ता है। प्राचीन भाषों म इसकी ब्यावहारिक महत्ता थी। उसकी बृह विमिष् बातें हम नीचे दे रहे हैं—

- (१) समोत्र कथाया म बिवाह निषिद्ध माना जाता था।
- (२) दाय के विषय म मरनेवाक मनुष्य का यम मन्त्रिक सयोन को मिसना था (दीपय २।८।१९)।
- (३) माइ म सयोन ब्राह्मण का वहाँ तर सम्भव हो लही निमन्त्रित करता चाहिए (आपानम्बन्धनमसूत्र २।७।१७।४ गीतम १।२)।
- (४) पार्षण स्यामीपाह एव अन्य पाकयजा म जहाँ अय्य जोप हवि का मध्य भाग या पूर्वाय भाग काटन थ वहाँ आमदस्य (या पञ्चवाकती है) मध्य पूर्वाय एव पश्चार्थ भाग काटत थ (आदरकसायनगृह्यसूत्र १।१।१८।१)।
- (५) द्रव क लयण म उसक कात्र एव नाम का पुनगाया जाता था (आदरकसायनगृह्यसूत्र ६।६।१)।
- (६) नील सम्बन्ध में बागा का गण्टा (बागी) अपन गात्र एव कुसाचार के अनुगार छोडा जाता था (शांतिगृह्य १।३।३)।

(७) आपुनित्वा नाम म भी गण्ड्या-वस्त्रम च गमय अपन मीच प्रवर वेरगाया एव मुत्र च ताम ज्नि वाठ है।

श्रीग यज्ञा च विषय में कुछ उदाहरण अस्मात्नीय है। जमिनि का कहना है कि सप्त (सप्तम ऋषियों की १२ रिता या कुछ अधिक दिन। ता चर्चनी है) तत्स ब्राह्मण ही च मरत है किन्तु उभये मी मृषुः, गीतका एव बसिष्ठा को मना है (१।१।१०४-१०९)। अर्थात् चप्रवरक बसिष्ठ, वैश्य (वैश्य ?) गीतका चत्र चरमप एव सप्तमि गात्र च मीय मारामग का द्वितीय प्रयाज के रूप में प्रथम करत थ किन्तु अन्य काग अनुपपान् को (वेदिए, वैमिनि १।१।१ पर पात्र)।

प्रवर की धारणा प्राचीन काल में ही मोक्ष च माच जुटी हुई है। दोना पर प्रथम माच ही पन्ना चाहिए। 'प्रवर' का प्राचिन अर्थ है 'ब्रह्म चरम या ब्राह्म ब्राह्म चरमे वाय्य (प्राचीनीय)। अर्थात् की प्राचीन इतिहास की गती थी कि वह यज्ञ चरमवासे की आहुतियाँ देना ता एव जाय। इन प्राचीन के माच उक्त ऋषिवा (धूर च पूर्वा) के माच सिधे जाने च थो प्राचीन काल म अर्थात् वा आहुतवा चरते च। इसी से प्रवर एव का मरत ही यज्ञ चरतेवाक के एव या अर्थात् यज्ञ पूर्वाज या ऋषिया मे। प्रवर का समानार्थक शब्द है आप्ये वा आप्ये (धर्मशास्त्र १।१२)। मुह एव धर्मसूत्रा के अनुसार हमारे कतिपय बनेक उत्पन्ना एव आचारा में प्रवर का प्रयाज हागा है। कुछ उदाहरण निम्न है—

(१) विवाह म सप्रवर चर्या म विवाह निषिद्ध है।

(२) उपनयन-मस्वार में मैत्रया में एव तीन वा पाँच बठि हुली है वा कि बन्धे च प्रवर वाले ऋषिवा की मर्या को धरतक है (सायनायनसुश्रुत २।२)।

(३) श्रीम धर्म में बन्धे के सिध पर निठन नाम-गुण्ड (कोटी) च वह बन्धे के मुत्र के प्रवर के ऋषि की सव्या पर निर्भर चरता है (आपस्तम्बगृह्यसूत्र १।१९)।

मोन एव प्रवर पर सूत्रो पुराणो एव निरन्था म मरतमेवा एव मरा मरता सम्भ-श्रीवा साहित्य है कि उभ एव ब्यवस्था म मरता बट्ट कठिन कार्य है। प्रवरमन्त्ररी के मन्त्रके में भी ऐसा ही कहा है।

परके हुये यह समझना है कि सूना एव निरन्था म मोक्ष का क्या अर्थ है और वह प्रवर से किम प्रकार सम्बन्धित है। गात्र एव प्रवर के विषय म हम निम्नलिखित श्रुत सूत्रो म वर्णय सामग्री मिलती है—आश्वलायन (उत्तरपट्ट ९, अक्ष १-१५) आपस्तम्ब (२४वाँ प्रश्न) एव श्रीधायन (अष्ट वा प्रवराध्याय)। प्रवरमन्त्ररी के चरनानुसार श्रीधायन का प्रवराध्याय सर्वोत्कृष्ट है।

श्रीधायनश्रुतसूत्र म अनुसार विस्वामिनि यमचरणि मरुत्वाय नीतम अर्थात् बसिष्ठ एव चरमप सप्त ऋषि है और उपस्तथ आठवें ऋषि है। इन्हीं आठों को सप्तान मोक्ष है। यही श्रुतसूत्र यह भी कहता है कि या ती उहमे मरतो अर्चुणो की सख्या में मोक्ष है किन्तु प्रवर नेचक ६९ है।

पुराणो में मन्त्र्य (१ ५।२ २) वायु (८८ एव ९) स्कन्ध (१।२) मामक पुराण मोक्षो एव प्रवरो के बारे म उल्लेख चरत है। महाभारत में अनुष्टासतपर्व (४।४९-५९) में विस्वामिनि मोक्ष को उपमावाको का बर्नन किया है। निबन्धो में स्मृचर्चसार (पृ १४ १७) सन्ध्याप्रकाश (पृ ५९१ ६८) सन्ध्याकोलुष (पृ ६३७-६ २) निर्णयनिष्पु, धर्मसिन्धु, बालमन्टी में बडे विस्तार से मोक्षो एव प्रवरो पर लिखा है। प्रवरमन्त्ररी के विषय निम्नलिखित ग्रन्थ भी है।

मोन च विषय में सामान्य चारणा यही है कि इससे किसी एक पूर्वाज से चली आती हुई पवित्र ज्ञात होती है, जिससे सभी लोग आ जाते हैं। जब कोई अपना धर्मचरि-पुत्र कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह धर्मचरि ऋषि

का समझ है। बहुत प्राचीन काल में माना जाये पुरुष सम्पादन ८ रह हैं। यह बात पाणिनि की भी जान थी। पत्न्येति का कहना है— ८ ऋषिया न विवाह नहीं किया अगम्य को सत्त्व भात विवाहित ऋषिया त ही। यदा परम्यदा बन्धी। इन बातों का अर्थ यह होता है और इनका अतिरिक्त गोत्रावयव है। किसी एक विभिन्न पुरुष मृतक का बन्ध एक गोत्र का अन्तर्गत आ जाता है। गोत्र भी ब्राह्मण जानि एक का ही भोजि बनादि है एसा अन्धानि का कहना है। एक प्रकार का लौकिक गोत्र भी होता है। यदि कोई व्यक्ति बिना घन दक्षिण तथा न परसम्बन्ध मध्यमी हो सक्ता है तो सम्भव है कि उनका बन्ध अपने का उगी क नाम में स्थापित करना चाहे। एसी स्थिति में इसे लौकिक गोत्र कहत है।

प्रत्येक गोत्र का माप १ २ ३ या ५ (किन्तु ४ नहीं) और न ५ से अधिक) ऋषि हल है या उन गोत्र के प्रवर कहलाते हैं। गोत्रा का रत्ना (मन्त्र) में दक्षिण किया गया है। आरकसायनश्रीमन्त्र में अनुवार बलिष्ठ पात्र की चार उपभागों हैं यथा—उपमन्यु, परागार, कुण्डिन एक बलिष्ठ त्रिभुज प्रत्येक की बहुत-सी शाखाएँ हैं और प्रत्येक गोत्र कहलाती हैं। अतः व्यवस्था परम्परा में सब पक्षा में और तत्र पृथक्-पृथक् घोषा में होती है। मनु एक आदि-गम आज भी गण हैं। बीजायन का अनुवार प्रमुख आठ गोत्र कई पक्षा में विभाजित हुए। उपमन्यु का प्रवर है बलिष्ठ, मण्डु, अत्रप्रमद परागार गोत्र का प्रवर है बलिष्ठ, घातय परागार कुण्डिन का प्रवर है बलिष्ठ, मन्त्रावयव शौचिन्य एक बलिष्ठ का प्रवर है वेदक बलिष्ठ। अतः कुछ शाखा का मत में प्रवर का मत है ऋषिगण का एक गोत्र के सम्पादन को अन्य गोत्र-सम्पादकों से पृथक् करत है।

यद्यपि 'प्रवर' शब्द ऋग्वेद में नहीं आता किन्तु 'मन्त्रा मन्त्राचार्यं यत्' 'आप्ये' प्रयुक्त हुआ है अतः प्रवर प्रणामी का आचार्य ऋग्वेदीय है यह स्पष्ट हो जाता है। अर्चवद (1 ७ 1५१) में आया है—“उमत्तम घन एव जमन्नि मरीचे आप्ये प्राण्य कर्ते। कमी-कमी अलि का आह्वान विना प्रवर या आप्ये घन का प्रयोग निय किया जाता है। ऋग्वेद (८ 1१ २ 1४) में आया है— मैं अलि को जीव भूगु अन्तधान की भोजि बनाता हूँ। अर्चवद की बात यों यह है कि ये लौका प्रवर ऋषिया की शयी में गले आते हैं (बीजायन ३)। अर्चवद (१ ४ ५ 1३) में आया है— हे जागवेश (अग्नि) प्रकृष्ट पर भी ध्यान की जैसा कि त्रियमय अग्नि विष्णु एक अगिदा पर रहते हैं। इन्हीं प्रकार अर्चवद (७ १ ८ 1२१) में परागार चतुर्णा एक बलिष्ठ का नाम आया है। इस मन्त्र में त्रिभु परागार का नाम आया है यह परागारानीत कथाओं में दक्षिण का पुत्र एक बलिष्ठ का पीठ कहा गया है। परागार गोत्र का प्रवर है परागार दक्षिण एक बलिष्ठ (आरकसायन एक बीजायन का मत में)। जनवेद में (१ १ १ १ १ १ ५ १ १ १ १ १ २ ५ २ ५ ३ ३३ ३५ १ । ४ ० एक १ ० १ ६ 1 १ १ १ ३) आप्ये का उक्त है ऋषिया का बन्ध या क या ऋषिया में सम्बन्धित है। अतिरिक्त संहिता में आप्ये एक प्रवर भूषा में प्रयुक्त अर्थ में ही लिखित है (२ 1 ५ 1 ८ 1 ७)। भूगु का प्रवर है “भाषक-व्यवह त्र्यन्-बान्दीर्ष आरम्य। कोपीतिक (३) एक अन्तरे ब्राह्मण (३ ४ 1 ७) में प्रवर का विधान में स्पष्ट मत प्राण्य होने हैं। आरकसायनश्रीमन्त्र (उत्पत्तय ६ १ २ ५ 1 ६-५) एक बीजायनश्रीमन्त्र (प्रवरप्रव ५ ८) के मत में दक्षिण एक वेदका के प्रवर उक्त पुराहित का प्रवर होते हैं या मन्त्र-ग-श्रीमन्त्र या बन्ध मनुबन्ध”। मन्त्रावयव (१ 1 ५ 1 २ 1 ६) का कहना है कि मन्त्री पृथक् त्रिभुजा आह्वान किया जाता है पिता एक पुत्र की भोजि सम्बन्धित या बन्धित नियत है। उनके पीठ काई देवी अनुबन्ध नहीं पाया जाता।

महाभाग के अनुवार लौकिक मात्र बन्ध ६ य—अग्नि बन्ध बलिष्ठ एक भूगु (पान्तिन २ ७ १ ३-१ ८)। सम्बन्ध यह बन्ध की बोली कहलाता मात्र है। बीजायन के मूक मात्र ८ मात्र हैं किन्तु उनमें अतः म भूगु एक अगिदा (द्विभु घन एक उपमाय बहूत है) ८ पक्षा में नहीं आते। स्पष्ट है बीजायन को भी आरकसायन भात गोत्रा का नाम ब्राह्मण-वेद है। लौकिक एक मण्डुका आत् में दा शौचित्य मात्र है किन्तु वे एक मात्र ही आदिगण मन में गग निरत है।

अतः बौधायन की धृषी भी अति प्रामाणिक नहीं ठहरती। वाक्यमटी न १८ मुख्य योज (बौधायन वाक्य ८+१) जिनमें कुछ कथामों का राजाओं के नाम हैं) बताया है। बौधायन ने सबसे योज बताया है और उनका प्रकराभ्यास ५ गोना एक प्रकार ऋषियों के नाम हैं। प्रकरमन्त्री ने अनुमार ३ करोड़ योज है इनमें समय ५ योज बताए हैं। अतः ऐसा कि स्मृत्यर्थकार का कथन है, किन्वा ने असम्बन्धी योजों की खर्चा की है और उन्हें ४२ प्रकारों में बाँट दिया है।

भृगुयज एक बगिरायज का अति विस्तार है। भृगुया कबो प्रकार है जामयज्य एक अजामयज्य। जामयज्य भृगुओं को पुत्र दो भागों में बाँटा गया है यथा—बल एव विद (या विद) और अजामयज्य भृगुओं को पाँच भागों में बाँटा गया है यथा—आष्टियेज यास्व मिन्यु, बैय एव धुनव। इन पाँचों को वेदस भृगु भी कहा जाता है। इन उपविभागों के अन्तर्गत बहुत-से गोत्र हैं जिनकी संख्या एक नामों के विषय में सूत्रकारों ने मर्याद नहीं है। जामयज्य-बल्यो के प्रकर में पाँच (बौधायन) या तीन (वाक्यायन) ऋषि हैं जिनमें एक आष्टियेजो के प्रकर में पाँच ऋषि हैं। ये तीन (बल्य विद आष्टियेज) पञ्चाशती (बौधायन) कहे जाते हैं और इनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता। पाँच अजामयज्य भृगुओं में बहुत-से उपविभाग हैं आपस्तम्ब ने उनकी छ उपपञ्चाशैं किन्तु बाल्मीकि ने १२ बताया हैं।

अगिरायज के तीन विभाग हैं यथा—नीलम भरखाज एव वेदकागिरस जिनमें पीतमों में छ उपविभाग, मरुखाजों में चार (रीशायज वर्ग कपिष् एव वेदक भरखाज) एव वेदक-आगिरसों में छ उपविभाग हैं और इनमें प्रत्येक बहुत-से भागों में बाँटा हुआ है। यह सब विभाजन बौधायन के अनुसार है।

अग्नि (मूक आठ योजों में एक) चार भागों में बाँटा है (मुख्य अग्नि बान्धुमूक पविष्ठिर एव मुह्य)। विश्वामित्र दस भागों में बाँटा है जिनमें प्रत्येक ७२ उपपञ्चाशत्तों में विभाजित है। कश्यप के उपविभाग हैं—कश्यप मिथुन रेव एव शशिस। बसिष्ठ के भी चार उपविभाग हैं (एक प्रकर वाले बसिष्ठ बुधिस उपमन्त्र एव पट्टर) जिनमें प्रत्येक के १५ प्रकार हैं। अगस्त्य के तीन उपविभाग हैं (अगस्त्य सोमवाह यज्ञवाह) जिनमें प्रथम २ उपविभागों में बाँटा है।

अब यह कहा जाता है कि सघोन एव सप्रवर विवाह बन्धित हैं तो उपर्युक्त सभी पुत्रक रूप से बाधा रूप में बा उपस्थित होते हैं। अतः एक ऋषि जो सप्रवर नहीं है किन्तु सघोन होने के होते तथा सघोन नहीं है किन्तु सप्रवर होने के होते विवाह के योग्य नहीं मानी जा सकती। उदाहरणार्थ यास्को बान्धुमों पीतों मूकों के योज विहित हैं किन्तु इनमें विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योंकि इनका प्रकर है 'सार्ग्य-नीतह्य-साधेत्स। इसी प्रकार सङ्घिषा, पृथिसाघो सङ्घिषो धम्ममो एव धयथा के योज विहित हैं किन्तु उनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता क्योंकि उनका प्रकर धमात है यथा—आगिरस गीरीपीठ साहस्य (आत्मकायनपीतपूज के मत्त से)। यदि दो योजों के प्रकरों में एक भी समान ऋषि हो गया तो दोनों गोन सप्रवर कहे जायेंगे। किन्तु इस प्रकार की सप्रवरता न्यून एव बगिरायज में नहीं होती।

यद्यपि यज्ञिकाघ गोत्रों के तीन प्रकार ऋषि हैं, किन्तु कुछ प्रकार एक ऋषि वाले या दो ऋषि वाले या पाँच ऋषि वाले होते हैं। मिथुनमों में आत्मकायन के मत में एक ऋषि प्रकर है यथा—अथ वाद्यपथ बसिष्ठो (बुधिसो) पराघो एव उपमन्त्रमों को छोड़कर) में एक प्रकार ऋषि बसिष्ठ है धूनको में एक प्रकार ऋषि बृहस्पति या धौलक वा नार्वर्मन है, अपस्तम्बों में एक प्रकार ऋषि आपस्तम्ब है। इसी प्रकार अन्य योजों के प्रकर हैं। स्वाम-सकोच का कारण हम विस्तार छोड़ें या रहे हैं।

कुछ ऐसे मूक हैं जो द्विगोत्र कहे जाते हैं। इनमें सिध आत्मकायन में द्विप्रवाचला सम्बन्ध प्रयुक्त विवाह है।

व सुम्न तीन हैं, यथा दौग-दीविति, मरुति एव भीमाग्नि । मरुताश्च गोत्र वी उपमात्वा शुग द्वारा विदवामिन वी उपमात्वा के दीविति वी पत्नी स एक पुत्र उत्पन्न हुआ (नियोग प्रथा शाब्द) बहु पुत्र दौग-दीविति कहलाया । अतः दौग-दीविति नाम मरुताश्च एव विदवामिन नामा म विवाह मही कर सतत । इनका प्रवर है आभिरम-बार्हस्पत्य भारद्वाज वात्स्यायनीस । एक प्रवर म चार ऋषि और पाँच से अधिक मही हो सकते । अन्य त्रिगोत्र के विषय म सस्कारवैश्वानुस (पृ १८२ १८६) नियमिन्सु (पृ १) आदि देख जा सकते हैं । इसका पुत्र के विषय म दौग-दीविति वी मति होता हुआ के मोक्ष एक प्रवर गिन जाते हैं और इस प्रकार बोना हुआ म विवाह-मन्त्र म अग्नि है । इस विषय म हम मनु (१।१४२) को भी पढ़ सकते हैं ।

राजाशा एक क्षत्रिया के मोक्ष एक प्रवरों के विषय म भी कुछ ज्ञान सना परमावश्यक है । एतरेयशास्त्रण (३।५।५) के अनुसार क्षत्रिया क प्रवर उनके पुरोहितों के प्रवर होते हैं । इसम सवता है कि ऐतरेय क काल तक बहुत-म क्षत्रिय अपने मोक्ष एक प्रवरों के नाम भूल गये थे । धीनपूर्वा न सिन्धा है कि क्षत्रिय एक राजा लोग अपने पुरोहिता का प्रवर काम मे ला सकते हैं और यह है "मातृव-ऐक-मीनरत्नम । मेधातिथि (मनु ३।५) ने सिन्धा है कि सोना एक प्रवरा वी बाँटें मुख्य ब्राह्मणों स सम्बन्धित हैं क्षत्रिया एक वैश्या स नहीं । यही बात मिताक्षरा म भी पायी जाती है, उसका तथा अन्य निबन्धकारों के अनुसार क्षत्रियों एक वैश्या क विवाह म उनका पुरोहिता क यात्रा एक प्रवरा वी करना होती है क्वाकि उनका लिए विधिगत मोच एक प्रवर हैं ही नहीं । यह सिद्धान्त जनिदेग (आरोपण) का सूत्र है क्वाकि हमें प्राचीन साहित्य एक अभिरुता म यह ज्ञान प्राप्त है कि राजाओं के मोक्ष होने से । महाभारत म बताया है कि जब युधिष्ठिर ब्राह्मण के रूप म राजा विराट के यहाँ मग ता उनम सोच पूछा गया और उन्होंने बताया कि क वैश्या प्रथम मोच के हैं (विश्वामर्ष ७।८ १२) । यह गोत्र बाल्मिक मे पाण्डवों का गोत्र था । पाण्डवा का प्रवर साङ्गि था । बाभी के पत्सवों का गोत्र का भारद्वाज । बाल्मिकी का गोत्र मानव था । अथर्वत्रय का गोत्र बन्ध तथा प्रवर मातृव अथर्वन-जलवाज-वीर्य-आमरुन्स था । इसी प्रकार अलग अभिसेन प्राप्त ज्ञान है अलग राजाओं क मोक्ष एक प्रवर के नाम प्राप्त होते हैं । कोई भी विश्वानु सूत्र एक निबन्धों म पिय गय जाता एक प्रवरा वी सूची वी अभिरुता म प्राप्त सूची स तुलना कर सकता है और यह अध्ययन महीतर एक मनोरञ्जक होने के साथ-साथ एतिहासिक एक सामूहिक महत्त्व तक सकता है । हेनिए एगिप्टिया इण्डिया क्रिस् १ पृ ५, क्रिस् ६ पृ ३३० क्रिस् १६ पृ २०४ क्रिस् १९ पृ ११५ ११७ २४८ २५ क्रिस् १४ पृ २ २, क्रिस् १३ पृ २० क्रिस् ८ पृ १६ ३१० क्रिस् ९, पृ १ ३ क्रिस् १२ पृ १६३ १६० मुज इम्पिप्यान्स म ५५, एगिप्टिया इण्डिया क्रिस् १ पृ १ स्पूडर वी सूची म १५८ ।

मात्स्यन्व धीनयून क अनुसार वैश्या का कथम एक प्रवर का नाम 'म' किन्तु वीशयव क अनुसार तीन प्रवर हैं यथा मात्स्यन्व-बाल्मिक-आश्विनिक । वैश्य संघ अपने पुरोहिता के प्रवर भी प्रयोग म ला सतत हैं । मन्वारप्रकाश (पृ ६५) क मत से मात्स्यन्व वैश्या का मात्र है ।

मात्स्यन्व क मत म यदि अपना वीर्य एक प्रवर स्मरण म हो ता जाचार्य (वैश्यायुध) क मात्र एक प्रवर काम से लाये जा सतत हैं । किन्तु इस विषय म स्मरणीय यह है कि एमा व्यक्ति कथक अपने आचार्य वी सूची म विवाह नहीं कर सकता किन्तु आचार्य क मात्र एक प्रवर काम अन्य व्यक्ति वी कस्याभा से विवाह कर सकता है । मन्वारवैश्वानुस एक मन्वार प्रकाश (पृ ६५) क मत म यदि अपना मात्र न जान हा ता अपने का वाच्य-मात्र कहा जा सकता है । किन्तु यह तभी दिया जायता जब कि गुरु (आचार्य) का मात्र भी न जान हा । स्मृतिचन्द्रिका (पाण्डप्रकरण पृ ४८१) का कथन है कि यदि ज्ञान का मात्र न जान हा ता विद्वदान कथम समय-मात्र को वाच्य मात्र का बना जा सकता है ।

गोन से कुछ का परिचय भी कालान्तर में दिया जाने लगा ऐसी बात अभिप्रेतो में प्राप्त होती है। अन्त में कुछ के राजा कृष्णवर्मा के शासनकाल में एक वेद (वेदटी) अपने को तुष्टियस्स गात्र एव प्रवर का कहता है। उपरोक्तों के रेखी राजा (पूज) अस्त्य वेमा अपने को पोम्बोमा गोन का कहते हैं (बहिण एविपिन्धिया इण्डिया तित्त् १३, पृ २३७)।

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि मूनकारो ने प्रवरों के ऋषियों के नामों में बड़े-बड़े मठभेद सारे कर दिये हैं। हम एक उदाहरण में यथा 'घाण्डिस्य गोत्र'। आत्मलायन न हो ऋषि-वस दिये है 'घाण्डिस्य—असित—ईवत्' या नास्यप—असित—ईवत्" किन्तु आपस्तम्ब के अनुसार प्रवर में केवल दो ऋषि हैं, यथा 'ईवत्—असित' किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से तीन ऋषि हैं यथा नास्यप—ईवत्—असित" किन्तु बौधायन ने चार वक्त्र प्रस्तुत किये हैं यथा कास्यप—अवत्कार—ईवत् इति' 'कास्यप—अवत्कार—असित इति' 'घाण्डिस्य—असित—ईवत् इति' 'नास्यप—अवत्कार—घाण्डिस्य इति'। इन विभिन्न मतों के लिए हम क्या उत्तर दे सकते हैं? बौधायन (प्रवरारम्भाय ४४) का कथन है कि लौकिक (लौकिक) लोग वित्त में रुचि हैं, किन्तु राजा में कास्यप और उनके प्रवर में भी यह शिवा सम्भव है। स्तुत्यर्षदार के अनुसार इसका कारण है प्रजन विषय वित्त में रुचि का भी विधि के अनुस्यू क्रिया की जाती है और राजा में कास्यपों की विधि के अनुसार।

गोत्रों में कुछ नाम माध्यामी में विद्युत राजाओं एव क्षत्रियों के हैं यथा वीरहृष्य एव वैश्य तथा प्रवरो में कुछ ब्रह्मनात्मक राजाओं के यथा मान्दाता अम्बरीय युवनास्य विबोधास। वीरहृष्य का नाम तो मृगु से सम्बन्धित अन्ते (६।१५।२ ३) में भी मिलता है।

हारीत का प्रवर या तो 'आयिरस-अम्बरीय-वीरनास' है या 'मान्दाता-अम्बरीय-वीरनास' है। अन्त में कास्यपिक राजा भी पामे जाते हैं। मृगुओं में एक उपसाक्षा वैश्य है जो पुत्र पाणों एव बाण्डसो में विनाशित है। पुत्र की कृपा जिन्होंने पृथ्वी को बुद्धा प्रसिद्ध है (श्रौत-यजुं १९) के अचिरात्त कहे गये हैं (अनुशातनपर्य १९१। ५५)। वायुपुराण में कई स्थानों में ऐसा आया है कि कुछ ऋषियों ने ब्राह्मणों के प्रवर अपना किये ऐसा कपी हुआ इत्या उत्तर आज सरस नहीं है। हम कल्पनात्मक ढंग से यह कहते हैं कि पुराणों में प्राचीन परम्परण सगृहीत हैं, जिनके अनुसार प्राचीन काल में बनों में कोई विधिष्ठ रेखा-विभाजन नहीं था और प्राचीन राजा भी वैदिक विद्या में पारण्य होते थे अपने घर में भी अग्नि प्रव्यक्ति रखते थे वे कालान्तर में ऋषिबद् हो गये और उनके नामों के साथ अग्नि का आह्वान किया जाने लगा तथा ब्राह्मण लोग भी इन्हें देवताओं के यजन में प्रार्थना के साथ बुकाने लगे।

गोन एक प्रवर में जो सम्भव है, उसके विषय में जो कहा जा सकता है—गोत्र प्राचीनतम पूर्वज है वा किसी व्यक्ति के प्राचीनतम पूर्वजों में एक है, जिसके नाम से मुनो से कुछ विख्यात रहा है किन्तु प्रवर उस ऋषि वा उन ऋषियों से बनता है जो अति प्राचीनतम रहे हैं, अल्पत बरतनी रहे हैं और जो पोग ऋषि के पूर्वज या कुछ बन्धुओं में बल्यत्त प्रत्यात ऋषि रहे हैं।

हमने इस विषय में कि सगोन एव सप्रवर विवाह विवाह नहीं गिना जाता और ऐसी विवाहित बन्धा पत्नी नहीं हो सकती। इस प्रकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था? बौधायन (प्रवरारम्भाय ५४) के मत से सगोन बन्धा से समीप करने पर बान्धायन ब्रत किया जाता चाहिए और उसके उपरान्त उस भारी को माता या बहिन के समान रक्षना चाहिए। यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाय तो पाप नहीं लगता और उसको कस्यप पोग दे देना चाहिए। इस विषय में बेलिण अरण्यक (पृ ८)। यदि बाल-भूसाकर सगोन या सप्रवर से कोई विवाह कर के तो यह पातिभ्युत हो जाता है और उससे उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण कहलाता है (आपस्तम्ब संस्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत पृ ९८)। उपर्युक्त बौधायन-नियम जिनके अनुसार बन्धा कस्यप पोग का कहलाएना केवल जनमाने में सगोन बन्धा से विवाह कर के

के विषय में है। सत्कारप्रकाश द्वारा उद्बुत कार्यालय के मत से यदि सवात्र कन्या से विवाह हो जाय तो वह कन्या पुनः किसी अन्य से विवाहित की जा सकती है। किन्तु सत्कारप्रकाश कार्यालय के इस मत को आधुनिक काल में वैय नहीं मानता और बेकारी कन्या जिसका कोई शोच नहीं है, उसके मत से जीवनभर कुमारी रूप में न ता विवाहित और न विधवा समझी जायगी।

सगोत्र-सम्बन्ध एक ओर विवाह के लिए सपिण्ड-सम्बन्ध से विस्तृततर है ता दूसरी ओर सखीभंठर है। एक व्यक्ति सखी कन्या से विवाह नहीं कर सकता चाहे वह कितनी ही बुरी की सगोत्र बनी न हो। उसी प्रकार एक ब्रह्म पुत्र सखी की (अपने जनक के कुल की) कन्या से भी कारणों से विवाह नहीं कर सकता (१) गोद से लिये जाने पर पिता के घर में बसीमत्त पिण्डदान आदि पर अतिकार नहीं रख सकता किन्तु पिता के कुल से अन्य सम्बन्ध ज्यो-के-स्था रहते हैं, (२) मनु (३।५) के कथनानुसार कन्या सगोन (बन के पिता के गोन की) नहीं हली चाहिए, मत यौन से लिये जाने पर भी आत्मिक पिता का मोन देखा जाता है। सपिण्ड-विवाह में प्रतिबन्ध केवल सप्त या पंच पीडिया तक माना जाता है किन्तु सगोन पर प्रतिबन्ध अनगिनत पीडियो तक रखा जाता है। सपिण्ड एक ही योत्र (सखी) का या विभिन्न योत्र का समूह है कुछ सीमा तक सपिण्ड में सगोन एक विभिन्न योत्र का होते हैं। मित्र योत्र वाले कन्य कहलाते हैं (मिताभरत) के सभी सखी या सखात्रि हैं और वाय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

विवाह सम्बन्धी अन्य प्रतिषेध भी हैं। स्तुतिमुक्ताफल ने हार्लैंड को उद्बुत करने बताया है कि अपनी कन्या देकर बुरे की कन्या अपन पुत्र के लिए देना एक ही व्यक्ति को दो कन्या देना (उसी समय) और अपनी दो कन्याएँ दो आश्रयों को एक साथ ही देना बर्जित है। किन्तु आज ये नियम केवल नियम मात्र रह गये हैं। आधुनिक भारत में मूल पत्नी की बहिन से विवाह करना बर्जित नहीं माना जाता।

कन्या का विवाह कौन ठम करता है और कौन उसका दान करता है? विष्णुधर्मसूत्र में मूल संक्रम से पिता पितामह माई कुटुम्बी माता मागी कन्या को विवाह में दे सकते हैं (२।४।३८-३९)। याज्ञक्य (१।१३-१४) में योधा अष्टक किया है। उम्हले माता को छोड़ दिया है और कहा है कि जब अग्निमाषक पापल हो या किसी शोच से परा मृत हो तो कन्या को स्वयंवर करना चाहिए अर्थात् अपने से अपना पति चुनना चाहिए। शारद ने मित्त प्रचार का अनुक्रम रखा है। पिता माई (पिता की राय से) पितामह, मामा सप्तुष्य बाल्यक माता (यदि तन-मन से स्वयं हो) धर बुर के सम्बन्धी इमने उपरान्त राजाज्ञा से स्वयंवर (स्त्रीपुत्र २०-२३)। कन्यादान करना केवल अविचार मात्र नहीं या प्रयुक्त एक उत्तरदायित्व का (आश्रय १।१४) यदि समय में कन्यादान न किया जा मन तो भ्रूणहत्या का पाप लगता है। स्वयंवर का प्रचलन रामायण एवं महाभारत से सात होता है किन्तु वह केवल राजकीय कुला तक ही सीमित था। मनु (१९.०-११) के मत से विवाह योग्य हो जाने के तीन वर्ष बाद ओहवर स्वयंवर करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२।४।४) में अनुमार युवावस्था प्राप्त कर लेने पर तीन बार भासिष वर्म हो केन के उपरान्त कन्या को अपना विवाह कर धन का पूर्ण उपकार है।

स्तुतिया में पुरय में विवाह के विषय में व्यवस्था बनवाने की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कम अवस्था काक लड़के के विवाह का प्रसन्न ही नहीं था।

कन्यादान के निकटिक में माता को उतना उच्च स्थान नहीं प्राप्त है क्योंकि वह स्वयं भाषिणावस्था में रहती थी और उस पर कार्य किसी पुत्र्य सम्बन्धी में लगता लगता था। आधुनिक भारत में माता कन्या के लिए बर चुनने की अधिकारिणी है किन्तु कन्यादान किसी पुत्र्य द्वारा ही किया जा सकता है। वर्मनिष्ठ के मत में यदि कन्या स्वयंवर कर या माता कन्यादान कर ता कन्या या माता का नष्टी मात्र एक मुख्य सम्बन्ध बनता चाहिए किन्तु अन्य पुत्र्य किसी आश्रय द्वारा किया जाता चाहिए। बाल्यक में मुख्य दान विवाहमें है यदि विवाह नगरीनी के द्वारा सम्पादित हो चुना

हो तो उसे अमात्य नहीं ठहराया जा सकता मछे ही पिता के रहते उसका सम्पादन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुआ हो। किन्तु विवाह के पूर्व अविकारी व्यक्तियों के रहते किसी अन्य व्यक्ति को कन्यादान करने से रोका जा सकता है।

विवाह में कन्या त्रय के विषय में भी कुछ क्लिप्त देना आवश्यक है। मैत्रायणी संहिता (१।१. १११) में बतल है कि बहु आस्तन में पापी है जो पति द्वारा कीत हो जाने पर अन्य पुत्रों के साथ भूमती है। धर्मिणि (१।१।१५) के मत से १ गाँवें एक रथ लेकर कन्या का विवाह करना कन्या का त्रय नहीं कहा जा सकता यह तो बेवक भेज-मात्र है। धर्मिणि के कथन से व्यक्त होता है कि यदि मैत्रायणी संहिता के समय कन्या-त्रय की प्रथा थी तो बहु वर्तना कर्मण्य थी। स्पष्ट है सूत्रकारों के काष्ठ में कन्या-त्रय की भर्त्सना पूर्वकल्प से होती थी। इस विषय में आपस्तम्बकर्मसूत्र (२। १।११। ११) का कथन अचसोक्तमीय है—'बन्धु को भेज में बचवा त्रय में नहीं दिया जा सकता विवाह में वर द्वारा आह्वानित को भेज कन्या के पिता को ही जाती है (यथा अत १ गाँव एक एक रथ कन्या के पिता को देने वाले चाहिए, और बहु भेट विवाहित जोड़े की है) बहु कन्या के पिता की एक अभिजाया मात्र है उसकी कन्या को तथा उसके बन्धु को एक अच्छी आपिन स्थिति प्राप्त हो आम यह रीति इसकी शोचक है म कि कन्या के स्व या विक्रम की सूचक है। 'विक्रय' शब्द का प्रयोग केवल आकस्मिक है क्योंकि पति-वर्तनी का सम्बन्ध विषय से नहीं उत्पन्न होता प्रत्युत वर्म से।

श्रुवेद (१।१. १।२) मैत्रायणी संहिता (१।१. १।१) निरुक्त (१।१. १।४) श्रुवेद (१।१।१।१) ऐतरेय ब्राह्मण (१।१) वैश्वदेवीय संहिता (५।२।१।१३) वैश्वदेवीय ब्राह्मण (१।१।१।१) आदि के बल्लोक्तन से विदित होता है कि प्राचीन काष्ठ में विवाह के लिए सबन्धियों का त्रय-विक्रय होता था। यह प्रथा अन्य देशों में भी थी। किन्तु यह चारणा कर्मण्य सम्पाद हो गयी और चर-यज्ञ से कुछ लेना पापमय सम्पत्ता जाने लगी। मैत्रायणकर्मसूत्र (१।१।१।१-२१) में वे उच्छ्वरण दिये हैं 'आ स्त्री मन लेकर सारी जाती है बहु वंश पत्नी नहीं है बहु पति के साथ वंश-पुत्र, मात आदि में भाग नहीं ले सकती कर्मण्य श्रुति में उसे शायी कहा है। जो स्त्री में बस हो अपनी कन्याओं का विवाह पुत्र लेकर करते हैं वे पापी हैं अपने आत्मा को बचने वाले हैं महान् पातक करते वाले हैं और नरक में जाते हैं आदि। मैत्रायण में पुत्र किन्ता है—'जो अपनी कन्या को बेचता है अपना पुत्र्य बेचता है। मनु (१।५।१. ५४-५५) में किता है—'पिता जो अपनी कन्या को बस पर कुछ भी द्रव्य नहीं करता चाहिए, यदि वह कुछ करता है तो कन्या को बचन वाला कहा जायगा यदि कन्या के सम्बन्धी स्त्रोत्र चर-यज्ञ द्वारा दिय गये पदार्थ कन्या को देते हैं तो यह कन्या-विक्रय नहीं कहा जायगा। इस प्रकार का मत सेमा (अर्थात् चर-यज्ञ से केवल कन्या को देना) कन्या को आदर रहा है। पिताओं साहसा पतिमा एक बहनों-यो को चाहिए कि वे अपने कन्याण क लिए सबन्धियों को आमोपन आदि देकर उन्हें सम्मानित करें। देविण मनु (१।१८)। मनु (१।१११) एक याज्ञवल्क्य (१।२।११) में कन्या-विक्रय को उपास्य कहा है। महाभारत (अनुशासनपर्व ११।१।१११ एक १४।१) में कन्याविक्रय की भर्त्सना की है। अनुशासनपर्व (५। १८१) में आया है (यम की गाथाओं क विषय में) कि जो आत्त पुत्र को बचता है या जीविता के लिए कन्या विक्रय करता है वह धर्मानर नरक अर्थात् कामसूत्र में विगता है। अपरिचित व्यक्ति को भी नहीं बेचना चाहिए, जाने कन्या को या बान ही निगावी है। (अनुशासनपर्व ५।१।२३)। अनुशासनपर्व (५।५।२) एक मनु (१।५।३) में आर्य विवाह की सम्पत्ता की है वरानि उमस वर के पिता से युग्म पत्र लजे की बान है। केवल या धर्माशात्र में लेना विगता है कि महान् पुत्र आद्य दानगाचार्य में १४ आचारा में कन्याविक्रय प्रतिबन्ध स्त्री-मतिव्यक्त आदि की भी गता है (देविण दण्डियन एण्डिपरी क्रिण ४ व ३५५ ३५६ और क्रिण ३८ एक आपस्तम्ब (पद्य) १२५)। अरति क्रिण में पत्नी माग के पदार्थ अर्थात् (१४-५ ई) में पत्ता धर्मता है कि कर्त्तव्य तमिस लेकपु एक सात्र (वर्तिण मुजरा) के ब्राह्मण प्रतिनिधित्व न एक सम्पत्ति पर हत्याशात्र त्रिय कि वे कन्या के विवाह में चर-यज्ञ में मत्ता आदि नहीं

क्यों यदि कोई ऐसा करेगा तो वह राजा द्वारा बहिष्कृत होगा और ब्राह्मणजाति से ध्युत हा जायगा। लगभग १८ ई. म. पेशवा ने ऐसी आज्ञा निकाली कि यदि कोई कन्या-विषय करेगा तो उसे तथा देनेवाले एक अनुयायी का मन-बन्ध बना पड़ेगा। आधुनिक काल में कुछ बातियाँ एक कुछ सूत्रों में कुछ मन मने की जो प्रथा है वह बचक विवाह-व्ययमार बहुत ब. छिए लकवा कन्या को दे देने के लिए है।

कन्या पर पिता का क्या अधिकार है? विवाह में कन्या विजय का प्रत्येक प्रत्येक सं सम्बन्धित-सा है। शूद्र (१।११५।१९) में शूद्रात्म की गाथा प्रसिद्ध है शूद्रात्म क पिता ने उसकी अर्धे निजात की क्याकि उनम (शूद्रात्म ने) एक ही में एक मेडिया को दे दी थी। लगता है यहाँ कोई तपक है क्याकि एनी बात अस्वामाधिक-सी कपती है। धृतद्वेष (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) की भाष्यायिका से पता चलता है कि पिता अपन पुत्र को बच ऐसा बहुत कम होता है। बसिष्ठबर्मसूत्र (१७। ०-३१) के अनुसार धृतद्वेष का कृष्ण पुत्र-कर्म का उदाहरण है (पुत्र १२ प्रकार के होते हैं)। इसी सूत्र (१७।३९ ३७) में यह भी लिखा है कि 'अपविद्ध' पुत्र बहुत पुत्र है जो अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिया जाता है और बुरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यही बात मनु (१।१७१) में भी पायी जाती है। बसिष्ठबर्मसूत्र (१५।१ ३) के कथनानुसार कन्या पर माता-पिता का सम्पूर्ण अधिकार है वे उन्हें दे सकते हैं बच सकते हैं या छोड़ सकते हैं क्योंकि उन्हीं के शूद्र-दानित से कन्या की उत्पत्ति होती है। किन्तु यदि एक ही पुत्र है तो वह न बेचा जा सकता है और न करीजा जा सकता है। मनु (८।४१६) एक महाभारत (उद्योगपर्व ३३।६४) में अनुमार एनी पुत्र एक दास बनशील होते हैं। क्याकि वे जो जमाने हैं वह जमाना है जिनके वे होते हैं। मनु (५।१५२) के मत से "कन्या के पिता की ओर से) जो मेरा मिच्छती है वह पति के स्वामित्व की चेतक हंती है। लगभग कुछ विचारक क उत्पन्न हो जाने से पिता क कठोर स्वामित्व का बरक कम होता चला गया मया—पुत्र स्वयं पिता क रूप में बार-बार उत्पन्न होता है क्याकि पुत्र श्राद्ध के समय पिता तथा पूर्वजों की पिण्डदान केर आध्यात्मिक काम करता है। इस प्रकार पिता का पुत्र पर जो आध्यात्मिक स्वामित्व या बह अधिक पड़ गया। कौटिल्य (३।१३) ने लिखा है कि अपन कन्या को बचकर या कन्या रखकर स्लेच्छ लोग पाप क मागी नहीं होते किन्तु आर्य काम की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। इस विषय में और देखिए याज्ञवल्क्य (२।१७५) नाग (व्याजपयानिक ४) कात्यायन (स्मृतिपरिभाषा द्वारा उद्भूत पृ १३०) याज्ञवल्क्य (२।११८ ११९) मनु (८।३८९) याज्ञवल्क्य (२।२३४) बिल्नुवर्मसूत्र (५। ११३ ११४) कौटिल्य (३।२) मनु (८।२९९ ३)।

क्या पत्नी एक कन्या पर स्वामित्व होता है? जैमिनि (६।७।१ २) में विष्णुविष्णु यज्ञ के बारे में लिखत समय कहा है कि इस में अपने माता-पिता एक अन्य सम्बन्धिया को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ १।२।१७५) के अनुसार यद्यपि पत्नी या कन्या सेट रूप में किसी को नहीं दिय जा सकते तथापि उन पर स्वामित्व एता है। यही बात बौद्धमिशोत्र (पृ ५६७) में भी पायी जाती है।

बाह्यत्वा के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है। विष्णुवत्त समाजशास्त्री ब्रह्मरामार्थ के अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'आरिजित एक इकरुपमेक आर्य मारिक आरिजिया' (विष्णु १ १ ६) में प्राचीन एक आधुनिक बार के अन्त्य एक सम्य देगा में बाह्यत्वा के विषय पर प्रकाश डाला है। चीन देश क श्यांग प्रान्त में शक्तिमानी एक स्वयं कन्या की प्राप्ति के लिए एक राजपूता में कुछ-सम्मान एक विवाह में पत-व्यय राजन के लिए बाध्य-हत्याएँ होती थी। वेण्टरमार्थ का यह कथन कि वैदिक काल में बाह्य-हत्याएँ हानी की प्रामक है। शूद्र (१०९।१) का बारे में सर्वत्र उल्लेख बाह्यत्वा की ओर नहीं है बल्कि यह ही कुमारी के भूत-व्यय की ओर संकेत है क्योंकि एनी लगान पुत्र प्रेम की सूचक है और अस्वामाधिक मानी जाती गयी है। कुछ यूरोपियन विद्वान् जिनमें ड्रिम्मर एक ब्रह्मराम मुख्य हैं नीतिगीय महिला (५।१ १३) का उल्लेख करते हैं जिनमें आया है—“ब बचकप (अनिम यजिय

स्नान) का नाम आर्ति है वे बालिका अक्षय रखते हैं वे बायु के लिए बरतन से जान हैं मठ उत्पन्न होते पर कन्या को भ्रमण रखते हैं और आत्मन्य के साथ पुत्र को प्रदत्त करते हैं। किन्तु यहाँ तीनों नेकन इतना ही संकेत है कि पुत्री की ब्रह्म पुत्र की आशमयन अधिष्ठ होती है, अर्थात् पुत्री के अन्त की अपेक्षा पुत्र के आशमन पर अधिष्ठ हर्ष प्रकट किया जाता है। यह बात एतदेव ब्राह्मण (३३।१) में बयिन भावना का एक रूप मात्र है "पत्नी वास्तव में मित्र है पुत्री क्लेश (हावना भयमान) है पुत्र सर्वोत्तम स्वर्ग में प्रकाश है।"^{१०} इस विषय में वेदिक आदिपर्व (१५९।११)। आशमनम्भुम्भु (१५।१३) ने किया है कि यात्रा से सौजन्य पर पिता को पुत्री से भी बुधाल कथन कहना चाहिए, हाँ अन्तर यह है कि पुत्र से मिलने समय पुत्र का माया भूमना चाहिए और बाहिन मात्र में कुछ मन्त्र पढ़ने चाहिए। मनु (१२२) के मंत्र में राजा का चाहिए कि वह उग व्यक्ति को मृत्यु-वृद्ध के जो सभी कथन या ब्राह्मण को मार बाधता है। मनु (४।११) एक अनुशासनवर्क (४५।११) का मंत्र से "जिन प्रकार पुत्र आत्मा है उन्ही प्रकार पुत्री है, पिता की मृत्यु पर पुत्री के छोड़े हुए अथ व्यक्ति उद्योग बन बैठे के मरता है। यही बात मात्र (शामाग ५) एक बृहस्पति में भी पत्नी आर्ति है। कन्या का जन्म पर पिता का प्रसन्न नहीं होता उतका कारण है पुत्री के अधिक्य के विषय में किन्ता आदि मंत्रिणि हाग अपनी पुत्री को पुत्र के समान प्यार नहीं करना। समाज में सर्वत्र स्त्रियों में उच्च नैतिकता की अपेक्षा की है और पुरुषों का अन्तर्गत अर्थात् कर्मों की अपेक्षाहत धारणा की दृष्टि में होगा है (शामाग उतरराज १।१-११)। आर्तिन माश्रिय में सभी स्नानों में स्त्रिया को अर्घना की दृष्टि से नहीं होगा है। पत्नी पति की अर्घाभिनी नहीं करती है। श्रौत (३।२।३।८) में पत्नी की आशमन का पर कहा है (आवेण्यम्)। यही बात रूपे रूप में छापीयोतिवर्ग में पत्नी आर्ति है स्वयं म स्त्री-दान्य मुख है पामित इत्ये की मरणा का चोत्र है। मनु (३।५९-६०-मनुशासन ४।१।५) में यदा अन्वय स्त्रिया की कटोरा कथन को है किन्तु एक स्नान पर किया है—“जहाँ मारी की पूजा होती है वहाँ दरवा रहना प्यार करने है जहाँ उनका सम्मान नहीं होता वहाँ पामित इत्ये का सोच हीं बला है। बुधारियों का पुत्र एक मुख बना गया है। श्पुष्या में माया है कि राज राजा राजपानी से निरालने मती बुधारियों मुख पान में उनका अभिजनन करनी भी (श्पुष्या ११)। गीतरागिणा में बुधारी को आर्त मुख पदायों में बिना है। श्रौत (८।१.०) में आता है कि दृष्ट-यात्रा के पूर्व अर्घ्य में मुख कस्तुरी में अर्घ्य बुधारी का भी सर्वा किया का। गार्धिशमूर्ति (१२६३) के अनुसार प्रायः राज उद्ये ही गीभाष्यकी मारी का र्घन कटिाराया को मदान बना जाता है। कामनुराग (१५।३५-३६) में अनुसार पर छीयन समय अन्व पदायों का मात्र ब्राह्मण बुधारिया का र्घन भी मुख है।

अथ इस विधा के मुख काजा का कौन करे। श्रौत (१।१५।१३) में विवाह-मूल में वे मात्र आर्त है—
 यथाजा पर गात्र गत्र की आर्ति है और कन्या (विवाहिन) होने पर पिता के पर में पशुविना में ही आर्ति करती है।
 श्रावण में मद्र गत्र की करी और विवाह में निर कर का की मय। मया मात्र के उपरान्त ही कस्तुरी मुख का बना है। आशमनम्भुम्भु (३।१) में भी उपरका कथन की ध्यति किन्ती है—“मयाजा के गात्रे स्त्रीराज की आर्ति है और पार्विता में (विवाहिन) कन्या (कर्त में पर को) में आर्ति करती है। उपरका श्रौतमूल में कन्या का गात्र बना भी जाता है। आशमनम्भुम्भु (३।१) में उपरका मूर्त का उपगमन में मुख का में किनी

१० मया है कन्या इत्ये कि दृष्टिना यदायै पुत्र करके ध्यायम्। एतदेव ब्राह्मण (३।३।१)। कन्या पुत्र कन्या आर्ति इत्ये मनु दृष्टिना किन्तु। आदिपर्व १५।११। विवाहण मनु (४।१८८-१८९)—आर्ति पुत्र पदाय मय। कन्या की आशमनम्भुम्भु दृष्टिना इत्ये वरम् ॥

बान्धु नमन में शौच उपनयन गोदान एवं विवाह सम्पादित होने हैं किन्तु कितने ही विद्वानों के मत से विवाह कभी भी किये जा सकते हैं (कबल उत्तरायण भावि में ही नहीं)। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२।१२१) में अनुसार गिरिधर व या माम अर्वात् मास एक फाल्गुन छाश्चर तथा धीम्य क दो मास (श्वेत्-त्रायण) छाश्चर सभी ऋतु विवाह व योग्य हैं इसी प्रकार सभी शुभ नमन भी इसके लिए उपयुक्त है। इसी सूत्र (३।३) में पुन तिष्ठया अर्वात् स्वानि तस्य नो उत्तम माना है (वेदिए तीर्त्तरीय ब्राह्मण १।५।२, एवं शौभयनपूज्यसूत्र १।१।१८१)। आपस्तम्बगृह्यसूत्र ने विवाह क लिए रोहिणी मृगशीर्ष उत्तरा फाल्गुनी स्वाति को अच्छे तथ्य में मिला है, किन्तु पुनर्वसु, तिष्य (पुष्य) हस्त धनस एवं रेवती को अन्य जन्मों में लिए सम माना है। अन्य मत देनिए मानवगृह्यसूत्र (१।७।५) ब्राह्मणसूत्र (१।५।११) बाराहसूत्र (१)। रामायण (बालकाण्ड ७२।१३ एवं ७१।२४) एवं महाभारत (भाविर्ष ८।१६) ने मन्वेष्ट के तस्य को विवाह क लिए ठीक माना है। शौचिकसूत्र (७।५।२-४) में आपुनिक बाल के समान ही कहा है कि बालिक पूजिमा के उपरांत स वैवाह्य पूजिमा तक विवाह करना चाहिए, या कभी भी किन्तु शैव क मासे माग को छोड़ देना चाहिए।

मध्य बाल क निबन्धों में फलित ज्योतिष में आचार पर बहुत सम्बा-बौद्धा आस्मान प्रबट किया है जिसका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है। दो-एक उदाहरण यहाँ से दिये जात हैं। उदाहरण (पृ २४) ने राजमर्लण्ड एवं मुज बलभीम को उद्धृत करके बताया है कि शैव एवं पीप को छोड़कर सभी मास शुभ हैं। उनसे यह भी लिखा है कि उचित ब्रह्मन्दा से अधिक ब्रह्मन्दा पार कर सेन पर किसी शुभ मुहूर्त को बाट नहीं जोहनी चाहिए, वेचक इस वर्ण को बन्पा के लिए ही शुभ मुहूर्तों को खोज करनी चाहिए। उत्काररत्नमाला (पृ ४६) का कहना है कि सूत्रों स्मृतियों में शुभ मुहूर्तों के विषय में बहुत मतभेद है अत अपन वेद के आचार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। श्वेत् माग में श्वेत् पुन का श्वेत् बन्पा से विवाह नहीं करना चाहिए और श्वेत् पुत्र एवं पुत्री का विवाह उनसे अग्न के मास दिन या तथ्यन में भी नहीं करना चाहिए। सप्ताह में बुध सोमवार, मूक एवं बुध्मनि उत्तम दिन हैं किन्तु मन्तपारिजात क अनुसार राति में विवाह करने से सभी दिन अच्छे हैं। सडकिया में विवाह में चन्द्र का शक्तिशाली स्थान में रहना आवश्यक है। कडका और सडकौ के जन्म क समय क तथ्यन एवं राति में ज्योतिष-जन्मश्री गणना आठ प्रकार में की गयी है जिस कट कहा जाना है और से कट है—वर्ष अथ्य तथ्यन योनि षड् (दो राक्षसों पर राज्य करने वाले षड्) गण राति एवं माडी। इनमें से प्रत्येक बाद बाला जपन से पूर्व से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। गण एवं माडी को विशेष महत्ता है अत यहाँ पर उनका सतिष्ठ विवरण उपस्थित किया जाता है। २७ मन्त्रों को ३ बला में विभाजित किया गया है और प्रत्येक दस वेदगण मनुष्यगण एवं राक्षसगण के साथ जया हुआ है। वैदिए नीचे—

वैश्या	मनुष्यगण	रामसतपथ
अश्विनी	मरगी	हृत्तिवा
मृगशिरा	रोहिणी	भा-डेपा
पुनर्वसु	आर्द्रा	मपा
पुष्य	पूर्वा फाल्गुनी	चित्रा
हस्त	उत्तरा फाल्गुनी	विद्यागा
स्वानि	पूर्वाशाश	श्वेत्
अनुराधा	उत्तराशाश	मूल
धनस	पूर्वाभाद्रपद	पनिन्दा
रेवती	उत्तराभाद्रपद	गणशाशवा

यदि वर एक कन्या एक ही दल के नवग्रहों में उत्पन्न हुए हों उन्हें सर्वोत्तम माना जाता है। किन्तु यदि जन्मे अन्य के नक्षत्र विभिन्न बंधों में पड़ते हैं तो निम्न नियमों का पालन किया जाता है—यदि उनके नक्षत्र देववध एवं मनुष्य वध में पड़ते हैं तो इसे मध्यम माना जाता है। यदि वर का नक्षत्र देववध या राक्षसवध में पड़े तो कन्या का मनुष्यवध में माना जाता है किन्तु यदि कन्या का नक्षत्र राक्षसवध में पड़े और वर का मनुष्यवध में तो मूल्य ही जाती है। इसी प्रकार यदि वर एक कन्या के नक्षत्र क्रम से देव एवं राक्षस यन्त्रों में पड़े तो दोनों में श्रेष्ठता होगी।

माही के लिए नवग्रहों को भाग्य माही मध्य माही एक अन्य माही में इस प्रकार विभाजित किया गया है—

अश्विमाही	मध्यमाही	अश्विमाही
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका
आर्द्रा	मृगशिरा	रोहिणी
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
उत्तरा	पूर्वा	मघा
हस्त	चिन्ता	स्वाति
ज्येष्ठा	अनुराधा	विशाखा
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा
शुक्राष्टमि	अनिष्टा	श्रवण
पूर्वाभाद्रपदा	उत्तराभाद्रपदा	रेवती

यदि वर एक कन्या का नक्षत्र एक ही माही में पड़े तो मूल्य होती है अतः विवाह नहीं करना चाहिए। इसविषय में जन्म-नक्षत्र विभिन्न माहियों में होने चाहिए।

कुछ ज्ञेयकों के अनुसार विवाह टक ही जाने पर यदि कोई सम्बन्धी मर जाय तो विवाह नहीं करना चाहिए। किन्तु पीतक में इस विषय में कुछ शक है। उक्त मत से किसी भी सम्बन्धी के मरने से विवाह बन्धित नहीं माना जाता। देवस पिता मरता पितामह नाना आधा भाई, अविवाहित बहिन के मरने से ही विवाह को प्रतिषेध माना जा सकता है।

यदि मानवीषाड करने से पूर्व कन्या की माँ या वर की माँ जन्तुमती हो जाय तो विवाह टक जाता है और पीतक दिन सम्पादित हो सकता है।

विवाह-सकार—गृह्यसूत्रों धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के नाम से ही विवाह काट प्रकार के कहे गये हैं। यथा ब्राह्मण-प्राजापत्य आर्य वैश्वानर आमुद राक्षस एवं पैशाच (वे आत्मसायनगृह्यसूत्र १।६ गीतम ४।६ १। बौद्ध-धर्मसूत्र १।११ मनु ३।२१ आश्विन ७।१८ ९ विष्णुधर्मसूत्र २।४।१८ १९, याज्ञवल्क्य १।५८ नारद-स्त्रीधर्म १८ १९ श्रीटिप्पण ३।१ ५९वाँ प्रकरण आदिपर्व १ २।१२ १५)। इनमें से कुछ ग्रन्थों में प्रथम बार प्रकार विभिन्न रूप से कहे गये हैं यथा ब्राह्मण वैश्वानर प्राजापत्य एवं आर्य (आद्य) ब्राह्मण वैश्वानर आर्य एवं प्राजापत्य (विष्णु)। आत्मसायन में पैशाच को शस्त्रम के पहले रखा है। मानवगृह्यसूत्र में देवस ब्राह्मण एवं अश्विनी (अर्धगु आमुद) के ही नाम दिये हैं। मध्यम-उत्तरे समय में दोनों प्रकार बहुत प्रचलित थे। आत्मसायनधर्मसूत्र (२।५।११। १७-२ २।५।२।११-२) में देवस छ प्रकार बताये हैं और प्राजापत्य एवं पैशाच को छोड़ दिया है। अनिष्टधर्मसूत्र में ब्राह्मण वैश्वानर आर्य नाम धारण एवं मनुष्य (अश्विनी को वध न राक्षस एवं आमुद के सूचक हैं) नाम दिये हैं (१।२८-२९)। विभिन्न कथाओं द्वारा दिये गये प्रकारों की अर्धविभिन्नता स्पष्ट करना शक्य नहीं है। हम यहाँ मनु द्वारा दिये गये कथा का धर्म

उपस्थित करेंगे (मनु ३।२७-३४)। जिस विवाह में बहुमुख्य अलङ्कारों एवं परिधानों से सुसज्जित स्त्रियों से मंडित कन्या वेद-मण्डित एवं सुचरित व्यक्ति को निमंत्रित कर (पिता द्वारा) दी जाती है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जब पिता अलङ्कृत एवं सुसज्जित कन्या किसी पुरोहित को (जो यज्ञ करता-करता है) यज्ञ करते समय वं तो उस विवाह को ब्रह्म कहा जाता है।^१ यदि एक बोधा पशु (एक गाय एक बैल) या दो बोधा पशु लेकर (केवल नियम के पालन हेतु न कि कन्या के विक्रम के रूप में) कन्या ही आज तो इसे आर्य विवाह कहते हैं। जब पिता वर और कन्या को "तुम दोनों माय-ही-साथ धार्मिक इत्यं करना" यह कहकर तथा वर को मनुष्य भाँति से सम्मानित कर कन्यादान करता है तो उसे प्राजापत्य कहा जाता है। याज्ञवल्क्य इसे 'काम' की श्रेणी देते हैं क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'क' का तात्पर्य है 'प्राजापति'। जब वर अपनी शक्ति के अनुकूल कन्यापस बाँधे तथा कन्या को पग दे देता है, तब इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार पिता द्वारा ब्रह्म कन्या के विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। वर एवं कन्या की परस्पर सम्मति से जो प्रेम की भावना के उद्रेक का प्रतिफल हो तथा सम्मोय जिसका उद्देश्य हो उस विवाह को मान्वाय विवाह कहा जाता है। सम्मन्वियों को मारकर, ब्याप्त कर, वर द्वारा तोड़-फोड़कर जब रीति-बिस्मरती हुई कन्या को बलवश हीन लिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त कन्या के सम्मन्वय को दास्य विवाह कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चुपके से किसी सोयी हुई, उन्मत्त या अज्ञ कन्या से सम्मोय करता है तो इसे निहृत् एवं महापातकी कार्य कहा जाता है और इसे पेशाच विवाह कहते हैं।

प्रथम चार प्रकारों में पिता द्वारा या किसी अन्य अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता है। यहाँ 'दान' शब्द का प्रयोग शीघ्र अर्थ में लिया गया है जिसका तात्पर्य है पिता के अभिभावकमय उत्तरदायित्व का भार तथा कन्या के नियन्त्रण का भार पति को दे दिया गया है। ब्राह्मणों में सभी प्रकार का दान ब्रह्म के साथ किया जाता है (मनु ३।३५ एवं गीतम ५।१६-१७)। उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहों में अलङ्कारों एवं परिधानों से सुसज्जित कन्या का दान किया जाता है। प्रथम प्रकार के विवाह को सम्मन्वय 'ब्राह्मण' इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण का धर्म है पवित्र वैद या धर्म जिते परमपूज्य कहा जाता है (स्मृतिमुक्तावली भाग १ पृ. १४)। 'आय' प्रकार में वर से एक बोधा पशु लिया जाता है अतः यह ब्राह्मण संवर्द्धित है। वैद विवाह केवल ब्राह्मणों में ही पाया जाता था क्योंकि पीठो-हिय का कार्य ब्राह्मण ही करता था। इसका नाम वैद इसलिए है कि यज्ञ में वरा की पूजा होती है। यह विवाह ब्राह्मण संवर्द्धित इसलिए है कि पिता कन्यादान कर अपने मन में इस काम की भावना रखता है कि उसका यज्ञ अभी मूर्ति सम्पादित हो क्योंकि कन्या पारुष्य प्रसन्न हो पुरोहित बड़े मन से यज्ञ में लगा रहेगा। विवाह के सभी प्रकारों में कन्या एवं वर को सभी धार्मिक इत्यं प्राप्त-लाय करने पड़ते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।१०।११-१८)। पत्नी-पति में कन्या पुपकत्व नहीं पाया जाता पश्चिप्रहण के उपरान्त वं मार धार्मिक इत्यं माय ही सम्पादित करते हैं। प्राजापत्य विवाह में पत्नी के जीने-जी पति को गृहस्थ रखने सम्पत्ती में कन्या द्वारा विवाह न करन आदि का बंधन देना पन्ता था। प्राजापत्य विवाह इसी सं ब्राह्मण संवर्द्धित कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म नहीं रहती है किन्तु ब्राह्मण में स्वयं वर प्रतिबन्धन देना है कि धर्म अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषार्थों में वह सर्वत्र अपनी पत्नी के साथ रहेगा।

१९ बीषायनधर्मसूत्र (१।११।५) 'दक्षिणाया नीपमात्सावस्तर्वेति अस्मिन्ने स दक्षः। बीषायन के मत से कन्या यज्ञ की दक्षिणा का एक भाग हो जाती है। किन्तु वेदों एवं धीत पुत्रों में कन्या (कुलहित) को कन्या दक्षिणा नहीं कहा गया है। मेधातिथि (मनु ३।२८) कन्या को दत्त करने के दण्ड का भाग मानने का उपाय नहीं है। यही विचारण का भी कहता है किन्तु अथर्वक (पृ. ८९) के मत से कन्या दण्ड के रूप में ही जानी है।

आसुर विवाह में बान तथा बान के मूल्य का सीमा रहता है अतः यह स्वीकृत नहीं माना जाता। आपं एवं बानुर में अन्तर यह है कि प्रथम में एक जोड़ा पशु देन की एक व्यावहारिक सीमा मान बंध ही मयी है किन्तु धितीय में बान देने की कोई सीमा नहीं है। गामर्ष में पिता द्वारा बान की कोई बात नहीं है प्रत्युत उस नास तक के सिद्ध बन्धा पिता को उसका अधिकार से बन्धित कर देती है। माघीन कास में ऋषियो द्वारा विवाह एक संस्कार माना जाता था इसके मुख्य उद्देश्य में वार्षिक इत्यादि द्वारा सवृणा की प्राप्ति एवं सन्तानोत्पत्ति। गामर्ष विवाह में केवल काम पिताता की धारणा की बात प्रमुख है अतः यह प्रथम पार प्रकारों से तुलना में निहृष्ट है और अस्वीकृत माना जाता है। इनका नाम गामर्ष इसलिए है कि गामर्ष कामासुर कहे गये हैं बीसा कि तैत्तिरीय संहिता (१।१।१।५—स्त्रीनामा में गमर्षा) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (५।१) का कथन है। हाँ इस प्रकार के विवाह में कन्या की सम्पत्ति के ही मयी रहती है। रासम एवं पैशाच में कन्यादान की बात उल्टी ही नहीं बीना में कन्यादान के विरोध की बात उठ सकती है। बलवत्त कन्या को उद्य के जाना (मसे ही पिता डरकर सुटेरे से युद्ध न करे) रासम विवाह के मूल में पाया जाता है। रासम को बने हुए एवं धर्मिन्सामी कार्यों के लिए प्रसिद्ध माने गये हैं अतः इस प्रकार के विवाह को यह सजा मिली है। पिशाच घोर रूप छिपकर ही दुष्कर्म्म करते हैं अतः उस कार्य के सवृषा कार्य को पैशाच विवाह ही सजा दी गयी है।

जब ऋषियो ने रासम एवं पैशाच की विवाह-प्रकारों में बिना तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उनमें पकड़ी हुई या सुन-छिपकर प्रप्य की गयी कन्या के विवाह को वैधता दी है। उनके कथन से इतना ही प्रकट होता है कि वे बीना अपहरण में ही प्रकार हैं न कि वास्तविक विवाह के प्रकार। ऋषियो में पैशाच की बहुत मर्त्तना की है। बान-स्नम्न एवं बन्धिष्ठ में पैशाच एवं प्राजापय के नाम नहीं दिये हैं इससे प्रकट होता है कि उनके कास में इन प्रकारों का अन्त ही चुका था। परबालागीन सेतको में केवल काम पिताता के लिए सभी प्रकार के प्रचलित एवं अप्रचलित विवाहों के नाम दे दिये हैं। बन्धिष्ठ (१७।७३) में मृत से अपहृत कन्या यदि मर्या से अधिमिक हीरक विवाहित न जा सकती है तो उसका पुनर्विवाह किया जा सकता है। स्मृतियों में कन्या के अधिम्य एवं कन्याय के सिद्ध अपहरणर्त्ता एवं बलात्कार करनेवाले को हीम एवं सत्पत्नी करने को कहा गया है जिससे कन्या को विवाहित होने की वैधता प्राप्त हो जाय। यदि अपहृतपत्नी एक बलात्कारकर्त्ता ऐसा करने पर उदार न हो तो कन्या किसी दूसरे को भी जा सकती थी और अपहृतपत्नी तथा बलात्कारकर्त्ता को भीषण दण्ड भुगतना पड़ता था (मनु ८।३६९ एवं ब्राह्मण्य १।२८७-२८८)। मनु (८।३६९) में अनुसार यदि कोई बन्धिष्ठ अपनी जाति की किसी कन्या से उगरी सम्पत्ति से प्रयोज्य को या उस पिता का (यदि पिता चाहता) पुत्र देना पड़ना या और मघानिधि का कथन है कि यदि पिता पन नहीं चाहा था प्रमी को चाहित कि वह राजा को घन-रुद्ध है कन्या उस दे बी जा सकती है किन्तु यदि उगता (कन्या का) पार न रह पडा हो तो वह दूसरे में विवाहित ही सकती है किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उद्य प्रह्व कन्या स्वीकार न करे तो उनके माय बन्धप्रयोज्य करने उनमें स्वीकृत नपाया जाय। एसा ही (बुध अन्वय में साध) मारव (स्त्रीपुत्र दंडो ७२) में भी कहा है। मारव का कथन है कि यदि कन्या की सम्पत्ति से सर्वाय किया गया है तो वह कोई अग्राय मरी है किन्तु उन (आमुत्र एवं परिपात आदि से) अन्वय एवं ममानुन करने विवाह अवश्य करना चाहिए।

स्मृतिर्त्तना तथा अन्य दिग्गता में देवक एवं गृह्यनिर्दिष्ट की उद्भूत करने पर लिगा है कि दोबरे बानुर, रासम एवं पैशाच में हाव एवं कन्याई आरपय है। महाभारत (भास्तिर्त्त १९९।७) में स्पष्ट कहा है कि तस्वत के कन्या भी धार्मिक रूप दिया जाता चाहिए। बालिकाय (स्वयं ७) में बर्णन किया है कि इन्द्रुमी के तस्वत के उगपन मनुर्त्त हाव अधिम दर्त्त हाव धार्मिक आदि आदि रूप दिये गये। मनुब्रह्म आन्वयता में ही आ ब्रह्मण का बर्णन किया है और पुत्र हाव एवं कन्याई की बरतना नहीं है अतः मनु स्पष्ट है कि मयी रिता पाया में हाव एवं कन्याई न रूप मारवता बान जाते हैं।

स्मृतियों में बिबिध बर्णों के लिए इन आठ प्रकारों की उपयुक्तता का विषय में कतिपय मत प्रकाशित किये हैं। सभी ने प्रथम चार वर्णों ब्राह्मण वैश्या आद्य एव प्रजापत्य का स्वीकृत किया है (प्रमत्त एव धर्म्य)। देखिए इस विषय में गौतम (४।१२) आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।३) मनु (३।२४) नारद (स्त्रीपुत्र ४४) आदि। सभी ने ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ तथा क्रम से बाद बाकू को उत्तमतर बताया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।५।१२।२ वीषायनधर्मसूत्र १।११।१)। सभी ने वैशाख को निहृष्टतम कहा है। एक मत से प्रथम चार ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त हैं (वीषायनधर्मसूत्र १।११।१ एव मनु ३।२४)। दूसरे मत से प्रथम छ (आठ में राक्षस एव वैशाख का छोड़कर) ब्राह्मणों के लिए, अन्तिम चार जातियों के लिए, गान्धर्व आसुर एव वैशाख वैश्यों एव घृष्टों के लिए हैं (मनु ३।२३)। तीसरे मत से प्रजापत्य गान्धर्व एव आसुर सभी बर्णों के लिए हैं तथा वैशाख एव आसुर किसी बर्ण के लिए नहीं हैं किन्तु मनु (३।२४) ने जाने पक्कर आसुर को वैश्या एव घृष्टा के लिए मान्य ठहराया है। मनु ने एक मत प्रकाशित किया है कि गान्धर्व एव राक्षस जातियों के लिए उपयुक्त (धर्म्य) हैं दोनों का नियम (यथा—जहाँ कन्या का घर प्रेम करने किन्तु उसे माता पिता या अभिभावक न चाहें) तथा अक्षरोंप उपस्थित करें और प्रेमी सड़ाई सक्कर उठे न जाय) भी अविवाह के लिए टीका है। (मनु ३।२६ एव वीषायनधर्मसूत्र १।११।१३)। वीषायनधर्मसूत्र (१।११।१४ १६) ने वैश्या एव घृष्टा के लिए आसुर एव वैशाख की व्यवस्था की है और बहुत ही मनोहर कारण दिया है 'क्योंकि वैश्य एव घृष्ट अपनी स्त्रियाँ को नियन्त्रण में नहीं रख पाते और स्वयं बेटी-बारी एव सेवा के कार्य में सम रहते हैं। नारद (स्त्रीपुत्र ४) के कथन के अनुसार गान्धर्व सभी बर्णों में पाया जाता है। कामसूत्र (३।५।२८) आरम्भ में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ मानता है किन्तु अन्त में उसने अपन विषय के प्रति सत्य होते हुए गान्धर्व को ही सर्वश्रेष्ठ माना है (३।५।२९)।

राजद्रुमा में गान्धर्व बहुत प्रचलित रहा है। कालिदास ने राजद्रुमा (३) में इसका बहुत व्यवहार का उल्लेख किया है। महाभारत (आदिपर्व २।९।२२) में इन्द्र अर्जुन से कहते हैं जब अर्जुन सुमन्ना के प्रेम में पड़ चुके थे— 'घूर और जातियों के लिए अपनी प्रेमिकाओं को उठ के जाना व्यवस्था के भीतर है।' असौम्यर्ष के सम्बन्धनों (यथात्म ७९३) में ऐसा आया है कि इन्द्रराज ने आसुम्यराज की कन्या से लडा में राक्षस रीति से बिबाह किया (एगिर्विधिया इतिहास विस्तर १८ पृ. २३५) पूष्यीराज चौहान ने अक्षय की कन्या सयोगिता को राक्षस ङग से ही प्राप्त किया था जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। किन्तु इस विषय में यह बात विचारणीय है कि बर्णों के राजा अक्षय की कन्या की सम्मति ही अथ यह बिबाह गान्धर्व एव राक्षस प्रकारों का नियम बना जायगा (मनु ३।२६)।

जैसा कि वीरभद्रराज टीका से ज्ञात होता है स्वयंवर की अवधारणा में व्याख्यात्मक रूप में गान्धर्व के समान ही माना है (याज्ञवल्क्य १।६१ की टीका में)। स्वयंवर के कई प्रकार थे। सबसे सरल प्रकार यह है जिसमें युवा कन्या प्राण के भेदे पर कन्या हीन बर्ण (वर्णधर्मसूत्र १।७।७-६८ मनु १।९ वीषायनधर्मसूत्र ४।१।१३ के अनुसार) या ३ मास (वीरम १८।१ ९, विष्णुधर्मसूत्र २।५।४-४१ के अनुसार) जलकर स्वयंवर का करण कर सकती है। याज्ञवल्क्य (१।६४) के मत से निगृहीत तथा अभिभावकहीन कन्या स्वयं माया कर का करण कर सकती है। स्वयंवर करने पर लड़की का अपने सारे गृह उदारकर माता-पिता या भाई का दान करने के और उपज पति का भाई पुत्र नहीं देना पड़ता था क्योंकि समय से बिबाह न करने पर माता-पिता या भाई अपन अधिराज में बचिन्त हा जान

२ गान्धर्व बिबाहेन बहूया राजविश्वयजाः। धूमने परिपीतास्ताः पितृभिराभिमन्विताः ॥
पाण्डुस्त ३।

प्रसाह्य हृत्य चापि कत्रियाथा प्रसास्यते। बिबाहेषु शरणाभिमिध बमविशो विदुः ॥ आदिपर्व २।९।२२।

के (मैत्रम १८११ एक मनु १।१२)। इस प्रकार का शरक स्वयंवर सभी जातियों की कश्चियों के लिए सम्भव था। धारिणी ने इसी प्रकार का स्वयंवर किया था। किन्तु महाकाव्यों में कथित स्वयंवर वड़े विद्याल वैमान पर होने के और वे केवल राजकुलों के लिए सम्भव थे। आदिपर्व में आया है कि क्षत्रिय लोग स्वयंवर करते थे किन्तु कन्याओं के सम्बन्धियों को हराकर उनका अपहरण करके विवाह करता बहुत अच्छा समझते थे। भीष्म ने काशिराम की तीन कन्याओं का अपहरण करके दो (अम्बिका एवं अम्बाभिन्ना) का विवाह अपने रथ (आश्रित) विधिवत् करने से कर दिया (आदिपर्व १ २।१६)। सीता एवं द्रौपदी का स्वयंवर उनकी इच्छाओं पर नहीं निर्भर था प्रत्युत बंजरी को स्वयं की गयी बिन्दुओं पूर्वनिर्धारित दशाता प्रवृत्ति थी। वसवन्ती के विषय में उसका स्वयंवर उसके मन का था यद्यपि उसने बड़े विद्याल रूप में सज्जित एवं एकत्र राजवनों के बीच में नर को ही चुना। कालिदास ने भी दम्पती के स्वयंवर का बड़ा सुन्दर दृश्य लखा किया है। अपने विक्रमादित्यचरित (सर्ग ९) में विस्तृत में कच्छाट (आधुनिक करण) के सिन्धुद्वारा राजा की लड़की चन्द्रसेना (चन्द्रसेनी) के ऐतिहासिक स्वयंवर का विवरण किया है जिसमें उसने कन्या के चाकुर्यराज विक्रमाक या माहवमस्स को चुना था (प्लाह्वी सताब्दी का उत्तरार्ध)। आदिपर्व (१८११) के मत से ऐसे स्वयंवर ब्राह्मणों के लिए अनुपयुक्त थे। काश्यायी (पूर्व भाग उपलब्ध अध) में पहलेसा कही है कि स्वयंवर सभी धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।४) में एक सामान्य बन्धन लिखा है कि बीसा विवाह होता उसी प्रकार पति-पत्नी की मरणांत होनी अवशिष्ट यदि विवाह अत्युत्तम दण का (यथा ब्राह्म) होगा तो सन्तान भी सम्पत्ति होती यदि विवाह निम्नित दण से होगा तो सन्तान भी निम्नित चरित की होगी। इसी स्वर में मनु (३।३९४२) में कहा है कि विवाह ब्राह्म तथा अन्य तीन प्रकार के हुए हैं तो उनसे उत्पन्न बच्चे आध्यात्मिक श्रेष्ठता के होने और सुख, पुत्री की, यशस्वी एवं दीर्घायु। किन्तु अन्तिम चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तानें बूढ़, सूठी भेदोही एवं बर्मेदोही होती। सूत्रों एवं स्मृतियों में अच्छे विवाहों से उत्पन्न बच्चों से पीढ़ियों को पवित्र बनते देखा है। आश्वलायनपुरुषसूत्र (१।५) के मत से ब्राह्म दैव प्राजापत्य एवं भार्य विवाहों से उत्पन्न बच्चे माता एवं पिता के कुलों की क्रम से १२१ ८ एवं ७ पीढ़ियों तक वे पूर्वजों एवं बंसजों में पवित्रता का श्रेष्ठ हैं। मनु (३।३७-३८) एवं याज्ञवल्क्य (१।५८९) में यही बात दूसरे रूप में उल्लिखित की है जिसे स्वाभाविक से यहाँ मही दिया जा रहा है। यही बात दैविक (१।२४-२७) में भी पायी जाती है। विरहरूप एवं मेधातिथि में अपनी टीकाओं में उपर्युक्त बातें ज्योती-स्यो मही मान ली हैं। वे बन्धक ब्राह्म प्रकार को उच्च दृष्टि से देखते हैं।

विवाहों में प्रकारों के मूल के विषय में हमें वैदिक साहित्य की छान-बीन करनी होती। ऋग्वेद (१।७५) में ब्राह्म विवाह की ओर संकेत है (कन्यादान आदि की ओर)। आसुर प्रकार (यत्न वेदर) का संकेत ऋग्वेद (१।१२) एवं तिरुक्ता (९।) में मिलता है। ऋग्वेद (१।२७।१२ एवं १।१११।५) में नापर्व या स्वयंवर प्रकार की ओर भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद (५।११) के मित्रसिधे में बृहद्देवता (५।५) में कन्यादान की गाथा में कथित विवाह दैव प्रकार के बात पास पहुँच जाता है। ऐसा आया है कि आर्येय वर्धनाना में राजा रववीनि ने दण में दण करने समय अपने पुत्र तयाचार्य के लिए राजा की कन्या का हाथ माँगा था।

आश्वलायन ब्राह्म एवं आसुर विवाह प्रचलित हैं। ब्राह्म में कन्यादान होता है किन्तु आसुर में लड़की के पिता या भ्रमिदायकों का उनके साथ के लिए शुल्क देना पड़ता है। आश्वलायन विवाह आश्वलायन एक प्रकार से समाजशास्त्र है यद्यपि कभी-कभी कुछ मुद्दय बचड़ती में आ जाया करते हैं। कुछ लोगों के विचार से मदी रोसली में पते बसुवत एक अच्युतचित्त आर्य विवाह की भाग उद्गमण हा रहे हैं। यदि कोई विधवा स्वयं विवाह करे तो वह नापर्व के रूप में दण दिया जा सकता है, यद्यपि दण विषय में कन्यादान नहीं होता।

बिबाह के धार्मिक इत्य—बिबाह-सम्बन्धी इत्यादी के बिबचन क पूर्व हम आम्बे (१ १८५) के बर्णन की खाख्या क रानी हायी क्याकि आम्बेद का यह अर्थ बिबाह क लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। आम्बेद का यह मुक्त सविज्ञा की पुत्री सूर्या तथा सोम के बिबाह क विषय म है। इस बिबाह क बिभिन्न सदान ये हैं—दला अदिवनी सोम के लिए सूर्या सौवन मये क (८९) सविज्ञा कइवी देने का समय हो मये () क का सम्मान किया गया उस भेरे की गयी मये महत् की गयी (या बी गयी) सोम न सूर्या का पाणिपट्टक किया और यह मन्त्र कहा— मैं तुम्हारा हाथ प्रेम (सम्पत्ति) क लिए ग्रहण करता हूँ जिससे कि तुम मरे साथ कृष्णकम्पा को प्राप्त होओ। प्रग अवेगा गविता तथा बिज्ञा पूजा देवों के सुन्द्रे मुझ जिम जि तुम मुक्तिनी बना (मुक्तिनी का कार्य करण क छिप) कन्या अपन पिता का देवा एक अग्नि क समय दात है (५१४ ४९) कन्या अपन पिता के अपिचार एक निवन्धन म इत्यत्र अपने पति म मिस जाती है (५१२४) कन्या (कन्यु) का इस प्रकार खामीर्षचन निये जात है—“तुम यही मान रहा तुम पुत्र न जान पाओ तुम बीर्ष जीवम बानी हो अपने क म पुत्रा एक पौत्रा क साथ लक्ष्मी प्रमद रणो इ इन्द्र इन साम्य पुत्र एक सम्पत्ति हो इस वस पुत्र हो और इसक पति को स्मारणो पुण्य (धर का सदम्प) बनाओ तुम अपन पदभुग मान देकर एक ननद पर रानी बना (४२ ४५ ४६)। यह बात भी बिबाहकीय है कि सूर्या क भाष रैष्या भी उमकी अनुवेसी होकर गयी जिससे कि पति के कर प्रथम बार जात पर सूर्या की बहन मार न पड। आपुनिक बाल म कन्यु क साथ कान-कौरे मारी 'पाचराकिन्' क रूप म जाती है।

बिबाह-सम्बन्धी इत्या के विषय म बहुत प्राचीन बाल म ही अत्यधिक मन्-सनाप्तर रह है। स्वयं आद्वैतकायत गुह्यमून (११०१ २) का कहना है— 'बिभिन्न दशा एक प्रामो म बिभिन्न भाषाण है उन्ही का अनुसंग्य रगना आशिण उनम जो मत्र स्थानी म प य जात है हम उन्ही का बचन करिये। आद्वैतकायतगुह्यमून (२११५) क मन् म स्या का विदयो एक अन्य सागा स बिबाह-विधि जाननी आशिण (अर्थात् परम्परा से यो विधि धरती आयी है)। टीतानार मुवर्षताचार्य का कहना है कि ब्रुड इत्य यथा प्र-यूजन अनुसरोण प्रतिमर (बगल) का बीचना मन् स्वाना म पाया जाता है क्याकि उक्त साथ बीचि मन्त्र क जान है किन्तु मागबसि यसरसि एक इन्द्राभी की पूजा बिना बद-सन्ध क होनी है। इसी प्रकार काचकगुह्य म भी बचन है। आद्वैतकायतगुह्यमून म बिबाह-विधि का म बचन है और यह मुह्य मूत्र अम्पल प्राचीन भी है अत हम नीच इसी का बचन बाने उपस्थित करिये। कही-कही हम अन्य मूत्रराग के भी बचन देंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आम्बेद क बाल म अत तक बहुत-सी बातें ज्या की त्या कही आयी हैं।

आद्वैतकायतगुह्यमून (११०१ ११८) म कहा गया है— अग्नि के पदिचम कइवी (आग पामन बारी) तथा उत्तर-पूर्व पानी का पडा रखकर कर का काम करना आशिण (सुख म) उर तर कन्या उम (कर के दाहिने हाथ का) पडके रहनी है। अपना मुल पदिचम करक मत्र होकर अत कि कन्या पूर्व मूत्र निय बीटी रहनी है उम कन्या के अंगुठ का पडकर यह मन्त्र पडना आशिण— मैं तुम्हारा हाथ गुण के लिए पडना रहू हूँ (आम्बेद १ १८५ १६) ऐसा कह करक पुत्रा की उत्पत्ति के लिए कहाया यदि क पुत्रियाँ चाह ता अन्य अंगुठियाँ भी पडरया यदि क पुत्र पुत्रियाँ (दोना प्रकार की मन्त्रान) चाहती क हाथ क बाउ बाने माग की बाउ म अंगुठ पडरया। कन्या के साथ कर बनि एक कन्या की दाहिनी आग म नील बार प्ररक्षिणा करगा और कइया— मैं अम (सह) हूँ तुम सा (स्त्री) तुम सा हो और मैं अम हूँ मैं स्वर्ग हूँ तुम पृथिवी हा मैं साम हूँ तुम आद हो। हम दोनी बिबाह करिये। इस मन्त्रान उत्तर करे। एक-दुसरे का प्यारे कमरुके एक-दुसरे की आग मुक हुए हम बीच की बचन करिये। अत क उमे अग्नि की प्ररक्षिणा करगया है तब प्रमन्त्र पर वर मन्त्राणा है और कइया है— इस पर कडा इसी क ममान अचर होओ मन्त्रा पर बिचय प्राप्त कगे उक्त बुचन हा। पडर कन्या की अर्चिक मे पूत छादकर उमका कान् वा जा कान् भाई क स्थान म हा दा बाग भुवा हुआ मन्त्र (प्राजा या पाल का सावा) छाटना है जिसका साथ कमरुकि हो (अर्थात् पदि कर का यह

घोस हो) उमठं लिए तीन बार यह किया जाता है। तब वह हवि के घषाघ पर या जो कृत् यथा है उन पर बृण छात्रा है। तब बर निम्न मन्त्रोच्चारण करता है— अयंमा देवता मे सिंग लडकियो मे यत् किया वह देवता (अयंमा) इत् यथा को (पिता से) मुक्त करें, किन्तु इस स्थान से (पति से) नहीं स्वाहा। बरब देवता के लिए लडकियो में यत् किया वह देवता भी पूया देवता के लिए लडकिया मे यत् किया अग्नि के लिए भी वह पूया । इनके साथ कन्मा अपने हाथो को लावकर लाबा भी हवि दे (मानो दोगा हाथ घुप है)। बिना अग्नि की प्ररक्षिमा किंमे कन्मा लाबा भी बीबी बार मीत रूप से हवि देती है। यह कार्य वह गूप को अपनी और करने करती है। कुछ लोग गूप मे घ लाबा को बिराते समय अग्नि की प्ररक्षिमा भी करते हैं जिससे कि अस्तिम दो हवि लगानार न पड़ जायें। तब बर कन्मा के निर के दो बाल-गुच्छ डीमे बरठा है और बाहिने को डीला करते समय बरठा है— 'मै तुम्हें बरय मे कन्मा से कृत्कारा लेता हूँ' (ऋग्वेद १ १८५।२४)। तब वह उसे उत्तर-पूर्व दिशा मे घाट पत्र इन शब्दों के साथ ले जाता है— 'तुम एक न्न इव (रस) के लिए, दूसरा पत्र धक्ति के लिए, तीसरा पत्र के लिए, चौथा आद्यम के लिए, पाँचवाँ सन्तान के लिए इत् ऋगुमा के लिए एको और मेरी मित्र बनो अत सातवाँ पत्र एको तुम मेरी मित्र बनो हम बहुत-से पुत्र पत्ने और मे दीर्घि हो। बर और कन्मा के निर को घाप मिमाकर आचार्य कन्मा से उन पर बल सिद्धता है। उस रात्रि मे कन्मा एटी बडी झाड़णी के बर मे निवास करती है जिसके पति एक पुत्र जीवित रहने हैं। जब वह द्रुव तारा देल के नीचे अरन्वती तारा एक सप्तपिमच्छक देल से तो उसे अपना मीत लौटना चाहिए और बहना चाहिए— निरा पति नीच नीर में सन्तान प्राप्त करें। यदि बिबाहित जोड़े को सुदूर क्षम मे जाना हो तो पत्नी को रज मे इस मन्त्र के साथ बैठकर— 'पूया तुम्हें यहाँ से हवा पनकर से लसे' (ऋग्वेद १ १८५।२९) यह उसे तब मे बैठते तब स्त्रोकार्क पत्रे प्ररुप को डोली (बह गयी अरमन्वती) बहती है उँवार ही जाधो' (ऋग्वेद १ १५३।८)। यदि वह रौपी है तो उसे यह कहना चाहिए कि 'मे जीनेवासे के लिए रोते हूँ' (ऋग्वेद १ १४ ११)। माप मे बिबाह की अग्नि जाने-जाये के बारी जाती है। रमणीक स्वाता पेको नीराहो पर पति यह कहता है— 'रासे मे डाकू न मिसे' (ऋग्वेद १ १८५।१२)। मार्ग मे बस्तिर्वा पवने पर देवने बासे को देखकर मन्त्रोच्चारण करे— 'यह लभविबाहिता बभू भाय का रही है' (ऋग्वेद १ १८५।१३)। यह उस गृह मे प्रवेश कराते समय यह बहे— 'बहुँ सन्तानो के साथ तुम्हारा कुछ बने' (ऋग्वेद १ १८५।१७)। बिबाह की अग्नि मे लकडियाँ छोडकर और उसके परिचम बैस की बाल विछकर, उस मङ्गुतिर्वा देनी चाहिए तब तक उसकी बभ पार्व मे बैठकर पति को पत्रे रहती है और प्रत्येक आहुति के साथ एक मन्त्र कहा जाता है और इस प्रकार बार मन्त्रो का उच्चारण होता है— 'प्रजापति हम सन्तान दे' (ऋग्वेद १ १८५।१४-१५)। तब वह रही जाता है और कहता है— 'समस्त देवता हमारे हृदयो को जोड दे' (ऋग्वेद १ १८५।१७)। देव रही वह पत्नी को ब देता है। उसके उपरगन्त ब वीमो क्षार, अथय लही जायेगे इहाचर्य से रहने नहने लही बारण करके पुषिनी पर सोभेगे (बूटार्ड पर लही)। यह किया ३ रातो १२ रातो या कुछ लोयो मे मठ से घाल भर एक चलेगी तब उन्हें एक अग्नि उत्पन्न होगी। जब ये सब कृत्य समाप्त हो जायें तो बर को चाहिए कि यह बभू के बल निती ऐसे झाड़ान को दे दे, जो सूर्य स्तुति जालता है (ऋग्वेद १ १८५)। तब वह झाड़ानो को भोजन करावे इसने उपरगन्त वह झाड़ानो घ घूम स्वस्तिवाचन उच्चारण मुन।

उपर्युक्त बर्णित बिबाह-संस्कार मे तीन माग है। कुछ कृत्य आरम्भिक कहे जा सकते हैं, उनके उपरगन्त कुछ ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम संस्कार का सार-तत्त्व कह सकते हैं यथा पाणिग्रह्य होम अग्नि-प्ररक्षिमा एवं सप्तपत्री तथा कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उक्त मुख्य कृत्यो के प्रतिफल मान हैं यथा द्रुव तारा अरन्वती बाधि का बर्धन। मुख्य कृत्य लही सुस्कारो द्वारा बर्णित हैं किन्तु आरम्भिक तथा अन्त वालो के विस्तार मे पर्याप्त मंत्र हैं। यहाँ तक कि मुख्य कृत्यो के अनुक्रमी के विषय मे भी कुछ ग्रन्थ मर्याद नहीं रखते मर्णित कही एक इरज आरम्भ मे है तो कही लही तीसरे वा चौथे

क्रम में आया है उदाहरणार्थ आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।७।७) ने अग्नि-प्रवक्षिणा का बगन सप्तपदी के पूर्व किया है किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र में सप्तपदी (४।१६) को अग्निप्रवक्षिणा के पूर्व बलिष्ठ किया है। गोमिसगृह्यसूत्र (२।२।१६) आदिरगृह्यसूत्र (१।३।३१) एवं बौधायनगृह्यसूत्र (१।४।१) ने पाणिग्रहण को सप्तपदी के उपरान्त करने को कहा है, किन्तु अन्य सूत्रों ने पहले। आश्वलायन में बहुत-सी बातें छोड़ दी गयी हैं, यथा—मधुपर्क (जो आपस्तम्ब ३।८, बौधायन १।२।१ एवं मानव १।९ में उल्लिखित है) एवं कन्यादान (जो पारस्करगृह्यसूत्र १।४ एवं मानव १।८ १।९ में बलिष्ठ है)। आश्वलायन का मन्थव्य वा उन्ही इत्यो का वर्णन जो सभी सूत्रों में पाये जाते हैं।

विवाह-उत्कार में निम्नलिखित बातें प्रचलित हैं। बितने सूत्र मिल सके हैं उन्ही के आधार पर निम्न सूची दी जा रही है। जो बहुत महत्वपूर्ण बात हैं उनके साथ कुछ टिप्पणियाँ भी जोड़ी जा रही हैं।^१

बन्धुवर-गृह परीक्षा (बर एवं बन्धु के पूर्वों की परीक्षा)—इस पर हमने बहुत पहले ही विचार कर लिया है। बर-मेक्षण (कन्या के लिए बल्लवील करने के लिए लोगों को भेजना)—प्राचीन काल में कन्या के पास व्यक्ति मंगे जाते थे (श्रुत १।८५।८९)। सूत्रों के काल में भी यही बात थी (शाखायन १।६।१४ बौधा १।१।१४ १५ आपस्तम्ब २।१६, ४।१२ एवं ७)। मध्य काल के दानियों में भी ऐसी प्रथा थी। हर्षचरित में वर्णन है कि मीसवी राजकुमार प्रह्वर्मा ने हर्षवर्धन की बहिन राज्यपी के साथ विवाह के हेतु ब्रत भेजे थे। किन्तु आधुनिक काल में ब्राह्मणों तथा बहुत-सी अन्य जातियों में सङ्घी का पिता बर-दूँढता है यद्यपि सूत्रों में प्राचीन परम्परा में भी बलिष्ठ देखी जाती है।

बाल्यायन या बालनिषद्य (विवाह तय करना)—इसका उल्लेख शाखायनगृह्यसूत्र (१।६।५ ६) में पाया जाता है। मध्य काल की संस्काररत्नमाला में भी इसका वर्णन विस्तार के साथ किया है।

मण्डप-करण (विवाह कर के लिए पण्डाल बनाना)—पारस्करगृ (१।४) के मत में विवाह भीम उपनयन केबान्त एवं सीमन्त बर के बाहर मण्डप में करने चाहिए। बेलिए संस्कारप्रकाश पृ० ८१७-८१८।

नाभीभाङ्ग एवं पुष्याहवाहन—इसका वर्णन बौधायनगृ १।१।२४ में पाया जाता है। अधिकार सूत्र इस विषय में मौन है।

बन्धुगृहागमन—बर का बरात के रूप में बन्धु के घर जाना (शाखायनगृ १।१।२१)।

मधुपर्क (बधु के घर में बर का स्वागत)—आपस्तम्बगृ (३।८) बौधायन (१।२।१) मानवगृ (१।९) एवं वाङ्म पृ (२।४।११) में इसका वर्णन किया है। इस पर आगे के अध्याय में लिखा भी जायगा। शाखायन ने दो प्रकार के मधुपर्कों का (एक विवाह के पूर्व तथा दूसरा उसके उपरान्त) व्यक्त कि बर बर लौट जाता है) वर्णन किया है। वाङ्मय के टीकाकार आदित्यवर्धन के मत में यह सभी देशों में विवाह के पूर्व किया जाता है। किन्तु कुछ लोगों ने इसे विवाह के उपरान्त देने को कहा है।

स्नायन परिष्कार एवं समग्रहण (बधु को स्नान कराना, तथा बरत देना, उदकी बलि में बाराग या कुशा की रस्ती बाँधना)—इस विषय में देविए आपस्तम्ब (४।८, वाङ्म २।५।४) पारस्कर (१।४) में नेबल दो आभूषण पहनने को कहा है मौनिक (२।१।१७-१८) में स्नान करने एवं बरत बाँधना करने को कहा है। मानव (१।१।१४ ६) में परिष्कार एवं समग्रहण का उल्लेख किया है। गोमिस (२।१।१) में कन्या के गिर पर मुरा (साराब) छिद्रण को कहा है जिन टीकाकार ने जक ही माना है।

२१ कालिदास ने रघुवारा (७) में विवाह-सम्बन्धी मुख्य बातें दी हैं यथा—मधुपर्क होय अग्नि-प्रवक्षिणा पाणिग्रहण साजाहोम एवं आर्वाङ्गतापेयक।

समन्वयन (बर एवं बधू को उन्नत या सुगन्ध लगाना) — देविण शास्त्रायन (११२१५) गोमिन्न (२१२१६) पारस्कर (११८)। सभी सूत्रों में श्रद्धेय (१ १८५।४३) ने मन्त्र-पाठ की बर्षा है।

प्रतिस्तरबन्ध (बधू के हाथ में कंगन बाँधना) — देविण शास्त्रायन (११२१६-८) श्रीविश्व सूत्र (३५८) बधूबर-निष्कमन (घर से अन्न वक्र से बर एवं बधू का मण्डप में आना) — देविण पारस्कर (११८)। परस्पर समीक्षण (एक-दूसरे की ओर देखना) — देविण पारस्कर (११८) आस्तसम्ब (४४) शौचाल (११२४ २५)। पारस्कर (११४) के अनुसार बर श्रद्धेय (१ १८५।४४ ८ ४१ एव १३) की श्रद्धार्थ पढ़ना है। आपस्तम्ब (४४) एक शौचायन के मन से श्रद्धेय का १ १८५।४४ मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए। आश्वलायनगृह्यपरिषिष्ट (११२९) का कहना है कि गर्वप्रयोग बर एवं बधू के बीच में एक वस्त्र-गण्ड रखा जाता चाहिए और ज्योतिष-पठना के अनुसार हटा लिया जाना चाहिए, तब बर एवं बधू एक-दूसरे को दण्डते हैं। यह दण्ड मात्र की व्यवहार से कमा जाता है। जब बीच में दण्ड रखा रहता है उस समय बाह्यज साध मंगलायन का पाठ करते हैं।

कन्यादान (बर को कन्या देना) — देविण पारस्कर (११४) मानव (११८।१९) वायु ११। आश्वलायनगृह्य परिषिष्ट का बर्षात्र आज भी प्या-वा-त्या चन्ना मा रहा है। श्वत्वारक्षीमुन (पृ ३०९) ने कन्यादान के बाधन को छ प्रकार से कहने की विधि लिखी है। इसी दृश्य में पिता बर से कहता है कि वह धर्म एवं एक नाम से कन्या के प्रति झूठा न हो और बर उत्तर देता है कि मैं ऐसा ही करूँगा (मासिचरामि)। यह दण्ड मात्र की होता है।

अग्निस्वापन एवं होम (अग्नि की स्थापना करना एवं अग्नि में आत्म्य की आहुतियाँ डालना) — यज्ञोपवीत आहुतियों की संख्या एवं मन्त्रा के उच्चारण में मर्यादा नहीं है। देविण आश्वलायन १।३।१ एव १।४।३-३ अस्तसम्ब ५।१ (१९ आहुतियाँ एवं १९ मन्त्र) गोमिन्न २।१।२४ २६, मानव १।८ माण्डूक्य १।१३ आदि।

पाणिग्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना)।

काजहोम (कन्या द्वारा अग्नि में बाण के लक्ष्ये (बीलों) की आहुति देना) — देविण आश्वलायन (१।३।३-१३) पारस्कर (१।६) आपस्तम्ब (५।३-५) शाक्ययन (१।११।१५ १३) गोमिन्न (२।२।५) मानव (१।१।१।१) शौचायन (१।४।२५) आदि। आश्वलायन के अनुसार कन्या ३ आहुतियाँ बर द्वारा रूप फले समय अग्नि में डालती है और शौची आहुति मीन रूप से ही देती है। कुछ पन्थों में केवल तीन ही आहुतियों की बान भलायी है।

अग्निपरिचयन — बर बायें बड़कर एक बधू को लेकर अग्नि एवं कलश की प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा करते समय वह 'अग्नोऽहमग्निम्' आदि (मालावन १।१।३।४ हिरण्यकेशि १।२ १८१ आदि) का उच्चारण करता है। अक्षमारोहण (बधू को पाँच पर चढ़ाना) — काज-होम अग्निपरिचयन एवं अक्षमारोहण एक-के-बाद-दुसरे तीन बार किये जाते हैं।

सप्तपत्नी (बर एवं बधू का सात-सात सात वय चलना) — यह अग्नि की उत्तर ओर किया जाता है। पाँच की सात पश्चिमी दक्षिण बर बधू को प्रत्येक पर चलाता है। पश्चिम दिशा से पहले बाहिने पैर से चलना आरम्भ होता है।

सूर्याभिषेक (बर-बधू के सिर पर, कुछ जीवों के मत से केवल बधू के सिर पर ही दूध छिड़कना) — देविण आश्वलायन (१।३।२) पारस्कर (१।८) गोमिन्न (२।२।१५ १६) आदि।

सूर्योदीक्षण (बधू को सूर्य की ओर देखने की कहुना) — पारस्कर (१।८) ने इसकी बर्षा की है और 'उप-बधू' आदि (श्रद्धेय ३।६६।१६, वाजसनेयी संहिता ३।६।२४) मन्त्र के उच्चारण की बात नहीं है।

हृदयस्पर्श (मन्त्र के साथ बधू के हृदय का स्पर्श)—देखिए पारस्कर (११८) माखान (१११७) बीबायन (११४१)।

प्रेषकानुमानन (मन्त्र विवाहित दम्पति की ओर संकेत करके बर्तनों को सम्बोधित करना)—देखिए मानव (११२११) पारस्कर (११८)। बोलो न श्रुत्येव ने मन्त्र (१८५।३३) के उच्चारण की बात कही है।
 बभिवारान (अर्थात् को भेंट)—देखिए पारस्कर (११८) शाखायन (११४।१३ १७)। बोलो मे प्राणियों के लिए एक माय राजाओ एवं बड़े लोगों के विवाह में एक ग्राम वैश्य के विवाह में एक घोडा आदि देना कहा है।
 गोमिह (२।३।३३) एवं बीबायन (१।४।३८) ने नेत्रक एक माय देने की बात कही है।

गृहप्रवेश (घर के घर में प्रवेश)।

गृहप्रवेशनीय होम (घर के गृह में प्रवेश करते समय होम)—देखिए शाखायन (१११।१२ १२) गोमिह (२।३।१२) एवं आपस्तम्ब (६।६ १)।

द्रुवाकम्पती-वर्शन (विवाह के दिन बधू को द्रुम एवं अकम्पती तारे की ओर बैलने की कहना)—भास्वलायन (१।७।७।२२) ने सप्तपि-मण्डल को भी जोड़ दिया है। मानव (१११।१९) ने द्रुम अकम्पती एवं सप्तपि-मण्डल के घाब-घाय जीवन्ती को भी जोड़ दिया है। माखान (१११९) ने द्रुम अकम्पती एवं बन्धु मसाओ के नाम किये हैं। इसी प्रकार कई मत हैं। आपस्तम्ब (६।१२) ने नेत्रक द्रुम एवं अकम्पती की चर्चा की है। पारस्कर (११८) ने केवल द्रुम की बात उठायी है। शाखायन (१११।७।२) द्विरप्यकेति (११२।११) ने बर-बधू की रात्रि भर मीन रखने को सिखा है किन्तु भास्वलायन ने मत संकषर बधू मीन रखती है। गोमिह (२।३।८ १२) ने द्रुवाकम्पती वर्शन की बात गृहप्रवेश के पूर्व कही है।

आग्नेय स्वाशौपाक (अग्नि को पचवास की आहुति देना)—देखिए आपस्तम्ब (७।१५) गोमिह (२।३।१९ २१) माखान (१११८)।

त्रिरात्रत (विवाह के उपरान्त तीन रात्रियों तक कुछ नियम पालन)—देखिए भास्वलायन त्रिमना वर्शन घमी पुत्रो मे पाया जाता है। आपस्तम्ब (८।८ १) एवं बीबायन (१।५।१९ १७) के अनुसार मन्त्र-विवाहित दम्पति पुष्पी पर एक ही छम्पा पर तीन रात्रिया तक सोयें किन्तु अपने बीच में उजुम्बर की लकड़ी रखें जिस पर मन्त्र का सेप हुआ रहेगा बरन या घृत बँबा रह्येगा। बीबी रात्रि को बह लकड़ी श्रुवेदीय (१।८५।२१ २२) मन्त्र के साथ बल में पेंक ही जायगी।

बधुवीकर्म (विवाह के उपरान्त बीबी रात्रि का इत्य)—इस संस्कार का वर्शन बहुत पहले हो चुका है। मध्य काल के निबन्धों में कुछ अन्य इत्य भी बर्णित हैं जो आधुनिक काल में किये जाते हैं। इनमें से कुछ का वर्शन हम रेंते हैं। इन इत्या में अनुष्ठान में सर्व्वय नहीं है।

सीमास्त-पूजन (बधू के घाम बर बर एवं उनके दल (बरात) के पहुँचने पर उनके सम्मान)—आधुनिक काल में बाबान के पूर्व यह किया जाता है। देखिए मन्वारत्नीस्तुम पृ ७९८ एवं वर्मसिन्धु ३ पृ २६१।

हर-वीरी-पूजा (घिब एवं वीरी की पूजा)—देखिए मन्वारत्नीस्तुम (पृ ७९९) शम्काररत्नमाला (पृ ५३४ एवं ५४४) वर्मसिन्धु (पृ २९१)। गीरी और हर की मूर्तियाँ मोने या चरिरी की हों या उनके चित्र बीबार पर रेंते रहें या बरन या प्रस्तर पर चित्र र्णित दिय गये हों। इनकी पूजा कन्यादान के पूर्व किन्तु पुष्याह्वाचन के उपरान्त होनी चाहिए। देखिए लघु भास्वलायन (१।५।३५)।

इन्धायी-पूजा (हर की रात्री की पूजा)—देखिए मन्वारत्नीस्तुम (पृ ७९९) शम्काररत्नमाला (पृ ५४५)। यह प्राचीन इत्य रहा होगा क्वाकि बालिदान में रघुबध (७।३) ने नमन इत्य और र्णने किया है (स्वयंवर

म बापा देनेवाला का जमाना या क्वालि नहीं पची की उपस्थिति थी)। हो सगना है स्वयंवर की प्रथा भारत में होने से पूर्व बाची की पूजा होनी रही हो।

लैस-हृच्छारोपण (बच्चे के शरीर पर तेल एवं हस्वी के तेल के उपरान्त बच्चे हुए माप से बर के शरीर का लेना) —वेदिए सस्कारलौस्तुम (पृ ७५७) एवं धर्मसिन्धु (३ पृ २५७)।

आर्वांसतारोपण (बर एवं बच्चे द्वारा भीगे हुए अन्नता को एक-दुसरे पर छिड़कना) —एक बाची मरीची धानु ने बरछन में बोझा बूझ छोडकर उस पर बोझा भी छिड़क दिया जाता है तब उसम बिना टूटे हुए चावल छोडे बने हैं। बर ब्रूम एवं भी बच्चे ने हाथों से दो बार सगाना है और तीन बार मीये चावल इस प्रकार डासता है नि उनको बरछि मर जाती है और फिर दो बार बूत छिड़कता है। कोई अन्य व्यक्ति यही हुय्य बर ने हाथ म बरछा है और बच्चा का निता सोनो ने हाथ में स्वस्तिम टुकड़े रख देता है। इसी प्रकार इस निदा का बहुत विस्तार है। स्थानाभाव के कारण वेनाय छोड दिया जाता है (देखिए कालिकास का रघुबध (७) जो आर्वांसतारोपण को विवाह के अंतिम हुय्य ने रूप में उल्लिखित करता है)।

मंगलपुत्र-अन्धान (बच्चे के गर्भ में स्वस्तिम एवं अन्य प्रकार के दाने डोरे में लगाकर बांधना) — यह आधुनिक काल में एक आमूयय हो गया है जिसे पति ने जीते रहने तक धारण किया जाता है। मूत्रधार इस विषय में सर्वथा मीन है। सौमनस्सुति मन्वु बास्वसायन-स्मृति (१५।३३) आदि ने इसका वर्णन किया है।

उत्तरीय-श्रान्त-अन्धान (बर एवं बच्चे के बरछ के कोने में हस्वी एवं पाण बांधकर दोनों कोनों को एक में बांधना) —वेदिए सस्कारलौस्तुम पृ ७९९ एवं सस्कारप्रकाश पृ ८२९।

ऐरिबीधान (एक बच्चे को या दोरे में बांधते हुए बीपक के साथ प्रति-प्रति की भेटें लबाकर बर की जता को देना जिससे कि बहु तथा अन्य लम्बकी बच्चे को स्नेह से रजें) —वेदिए सस्कारलौस्तुम (पृ ८११) धर्मसिन्धु (पृ २९७)। बध (बाँध) का बना हुआ बीरा (बन्धी बंधिया) इस बात का सातक है कि कुछ (बध) बहुत दिनों तक बधा जाय। यह ठक किया जाता है जब बच्चे अपने पति के बर जाने लगती है।

वेनकील्यत्यन एवं मध्वपीडासन (बुझाये गये देवी-देवताओं से छुड़ी लेना तथा मध्वय को हवाला) — वेदिए सस्कारलौस्तुम (पृ ५३२-३३३) एवं सस्कारललाका (पृ ५५५-५५६)।

दो महत्त्वपूर्ण प्रस्न हैं—(१) विवाह कब सम्पादित एवं अल्पयाकरबीम माना जाता है? एवं (२) यदि भोक्ष से तथा बलबधा विवाह कर किया जाय तो क्या किया जा सकता है?

मनु (८।११८) और-अबररस्ती या बलबध किये गये कानों को किया हुआ नहीं मानते। विन्नु इस सिद्धान्त को विवाह के विषय में मान केना कजिन है। इमने ऊनर बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।७३) एवं शौभामनधर्मसूत्र के बधन पर लिखे हैं कि यदि कन्या अपहृत हो जाय और उसका विवाह हो जाय किन्तु वैदिक मन्त्रों का उपचारण न हुआ रह तो कन्या किसी दूसरे से विवाहित हो सकती है। विश्वकर्म (पृ ७४) एवं मण्डक (पृ ७९) के अनुसार यह कार्य कन्या द्वारा प्रायश्चित्त किये जाने पर ही हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि विवाहकृत्य (बधा घण्टपदी) सम्पादित हो गये हो तो प्राचीन धर्मशास्त्रकार भी उस विवाह को अल्पया नहीं सिद्ध कर सकते थे वरके ही कन्या कोने से मा बलबध छीन भी गयी हो। विन्नु आधुनिक कानून कुछ और है। यदि विवाह भोक्ष से मा और-अबररस्ती में बर दिया जाता हो तो उसे कन्यहरी वाग अल्पया सिद्ध किया जा सकता है। तब ही विवाह के सभी धार्मिक हुय्य क्यो न सम्पादित बर भिये गये हो।

बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।७७) का कथन है कि जब कन्या प्रतिभूत हो बकी हो और बध से बधन पक्का कर दिया गया हो किन्तु यदि बर की मृत्यु ही जाय और वैदिक मन्त्र न पडे गये हो तो कन्या जब भी निता की ही नहीं बाची। यही

बात काल्यायन म भी पायी जाती है। 'यदि कन्या के चुनाब के उपरान्त बर मर जाय या उसके विषय म कुछ भी ज्ञान न हो सके तो तीन महीनों क उपरान्त कन्या का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लड़की के लिए सूक्त देकर तथा उसके लिए स्त्री-जन देकर कही बाहर चला जाय तो वह लड़की साम मर तक ज्विबाहित रहकर किसी अन्य को विवाह मे बी जा सकती है। मनु (८।२२७) ने सिखा है—“बैदिकम च विवाह तथा पत्नीत्व के सूक्त होने हैं किन्तु विज्ञ मोग अन्तिम स्वरूप सप्तपदी के उपरान्त ही मानते हैं।” यही बात अपराज ने याज्ञ बल्क्य (१।६५) की टीका म लिखी है (पृ ९४)। और देखिए उद्गाहृतस्व (पृ १२९)। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि सप्तपदी के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं समझा जा सकता। सप्तपदी के पूर्व ही यदि बर की मृत्यु हो जाय तो मनु कुमारी यह जाती है, विधवा नहीं होती और उसका विवाह पुन हो सकता है। विवाह के सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य हैं होम एव सप्तपदी। यही बान महाभाष्य (श्रौतपर्व ५५।१५ १६) म भी है, यही सप्तपदी को ही अन्तिम महत्ता प्राप्त है। पत्नीत्व का पद सप्तपदी के उपरान्त ही प्राप्त होता है। कामभूष (३।५।१३) क अनुसार अग्नि की सार्थी के उप रान्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा सकता। धृष्टो के विषय मे बैदिक मन्त्र नहीं पडे जाने मत वही परम्पराएं एव रीतियां मान्य होती हैं। गृह्यसूत्रलाकार जैसे निबन्धों के मत से धृष्टो के विषय मे कन्या द्वारा बर क परिधान का स्वर्ण ही विवाह के सम्पादन का द्योतक है।

मनु (१४७) के मत से वाम-विभाजन एक बार ही होता है कुमारी एक ही बार विवाहित होती है। हमसे स्पष्ट है कि सप्तपदी के उपरान्त कन्या किसी अन्य म विवाहित नहीं की जा सकती। किन्तु एक बार के विषय म प्रति धुन होत पर यदि कोई दूसरा अच्छा बर मिल जाय तो पिता अपना कबन ठोड मकता है और अपनी कन्या किसी अन्य से विवाहित कर सकता है (मनु १।७१ एव ८।९८)। याज्ञबल्क्य (१।६५) कहते हैं—“कन्या एव ही बार बी जाती है यदि कोई व्यक्ति एक स्वाम पर प्रतिभूत होने पर कही और विवाह कर देता है तो उसे बार का बन्ध दिया जायगा। किन्तु यदि उसे कही पहले से 'अच्छा बर' मिल जाता है तो वह पहले बर को त्याग सकता है। महाभाष्य (अनुपासन पर्व ४४।३५) के अनुसार पाविष्यह्न तक कन्या को बार्ड भी मांग सकता है। यही बान मार म भी पायी जाती है। इसी प्रकार बर क पक्ष म भी बातें कही गयी हैं। यदि प्रतिभूत हो जाने पर बर को पना चकता है कि उसकी धारी पत्नी रोमी है, उसका सतीत्व तप्त हो चुका है या वह कई बार शोण स लाया को बी जा चुकी है तो वह उससे विवाह नहीं भी कर सकता है (मनु ९।७२)। यदि कोई अभिभावक कन्या के शोण को डिगानर उसका विवाह कर देता है और विवाहापरान्त मर लूस जाता है तो उसे याज्ञबल्क्य (१।६९) के अनुसार बहूण अधिच तथा मारर (स्त्रीयुग ३३) के मत मे बहूत कम बन्ध दिया जाता है। अपराज (पृ ९५) क अनुसार बनाया गया शोण पूज होता चाहिए न कि लसिन एव जाल सिमा जाने बाढा। यदि कोई बर शोणहीन लड़की का परिचारा करता है तो उस कनोरानिचर्ठाण बन्ध मिलना चाहिए यदि वह उसे मूड-मूड बोनी ठहराता है तो उस पर एक ही पक्ष का बन्ध लगता चाहिए (याज्ञवल्क्य १।६९ एव मारर स्त्रीयुग ३४)। मारर के अनुसार जो व्यक्ति बापहीन लड़की को छोडता है उस दण्डित होता चाहिए और उसी क साथ विवाहित भी रहना चाहिए।

गृह स्मृतियां एव निबन्ध विवाह-कृत्य क समय स्मृमणी लड़की के विषय मे अपनी विभिन्न धारणाओं उप निबन्ध करते हैं। अग्नि (नाय १ पृ ११) के अनुसार कन्या का हृदिष्णी मन्त्र (श्वेत्य १ १८।१ म ८।७२।१) के साथ स्नान कराकर तथा दूसरा बन्ध पहना और धून की आहुति बरक श्वेद के ५।८।१।१ मन्त्र के साथ कृत्य समाप्त कर देन चाहिए। किन्तु स्मृयसंगार (पृ १७) म कुमारी विधि दी है। तीन दिन के उपरान्त चौथे दिन बर पर मनु का स्नान कराकर उसी ध्वनि म होम बना देना चाहिए।

अध्याय १०

मधुपर्क तथा अन्य आचार

मधुपर्क

विही विधिष्ट अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान में जो मधु आदि का प्रदान होता है उसे मधुपर्क मंत्रि कहते हैं। इसका धार्मिक अर्थ है—'मह इत्येव त्रिसते मधु का (किसी व्यक्ति के हाथ पर) विरामा या मोषण होता है। यह शब्द वैमिनीय उपनिषद्-ब्राह्मण (१८।४) में प्रयुक्त हुआ है। मधुपर्क का प्रयोग निरक्त (१।१६) में भी किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।४) में समस्त मधुपर्क की ओर ही उल्लेख है यद्यपि इसमें 'मधुपर्क' शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है तथापि इस प्रकार के सम्मान से मधुपर्क कर्म का संकेत मिल ही जाता है।^१ गृह्य-सूत्रों में इसका विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। जगदी बृहत्-सी बार्हो धर्मान्त है अन्तर केवल मन्त्रों के प्रदीप में है यद्यपि बृहत्-से मन्त्र भी उच्चारण्यो हैं। आप्तब्रह्मण्यसूत्र (१।२४।१८) के अनुसार यज्ञ करानेवाले ऋत्विज धर्म में जाये हुए स्नातक एवं राजा की आचार्य स्वयं, चाचा एवं मामा के आगमन पर इन्हें मधुपर्क दिया जाता है। मातृ (१।१।१) आदि (४।४।१) मातृकल्प (१।१।१) के अनुसार छ प्रकार के व्यक्ति अर्थात् (मधुपर्क के भागी) होत हैं यथा ऋत्विज आचार्य वर राजा स्नातक तथा वह जो अपने को बृहत् प्यारा हो। बीबायन (१।२।१५) में इस सूची में अतिथि को भी जोड़ दिया है। वेदिए गीतम (५।२५) आप्तब्रह्मण्य (१।१।१९-२) आप्तब्रह्मण्यसूत्र (१।१।८।५) बीन-यज्ञसूत्र (१।१।६६ ६४) मनु (१।१।१९) धर्मान्त (३।१।२३ २४) गोमिल्ल (४।१।२३ २४)। यदि अतिथि एक बार मधुपर्क पाने के उपरान्त वर्ष के भीतर ही पुनः जन्म जाये तो दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ब्रह्मण्य में विवाह या यज्ञ हो रहा हो तो उन व्यक्तियों को पुनः (साक मर के भीतर भी) मधुपर्क देना चाहिए। वेदिए गीतम (५।२६ २७) आप्तब्रह्मण्यसूत्र (१।१।८।६) मातृकल्प (१।१।१) आदि (४।४।२६) गोमिल्ल (४।१।२६)। ऋत्विज को प्रत्येक यज्ञ में सम्मानित करना चाहिए (यज्ञकल्प १।१।१)। जब यज्ञ में राजा एवं स्नातक जायें तभी उनका मधुपर्क से सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मण्य (मातृकल्प १।१।९) के अनुसार केवल राजा को ही मधुपर्क देना चाहिए, किसी अन्य धर्मिय को नहीं। मेवालिजि (मनु ३।१।१९) के अनुसार धृष्ट को छोड़कर सभी जाति के

१ तं होवाच कि विद्वांसो ब्रह्मण्यानामर्ज्य मधुपर्कं विवर्तन्ति। वैमिनीय उपनिषद्-ब्राह्मण (१९।४); जगदी मधुपर्कं प्रष्टु। निबन्धन (१।१६)।

२ तदर्थंवाचो अनुप्यराज आगतेत्यस्मिन्वाहति उत्तार्य वा वेदुतं वा शक्यते। एतरेय ब्राह्मण (१।४)। मेवालिजि के मनु (३।१।१९) को तथा हरबल के गीतम (१७।३) की टीका में इसे उद्धृत किया है।

३ ऋत्विजो मृत्या मधुपर्कमाहरेत्। एतत्तथाप्योपविचताय। राजे च। आचार्यंअनुप्यमागुणात्। च। आप्तब्रह्मण्यसूत्र १।२४।१४। वर जब मधु के घर जाता है तो उसे भी मधुपर्क दिया जाता है क्योंकि वह भी तामस्य स्नातक ही होता है। आचार्य वह है जो उपनयन करता है और वेद करता है।

गमा को मधुपर्क देना चाहिए। गृह्यसंहितादिष्ट के अनुसार मधुपर्क का इत्य पानशाल की धागा व अनुसार दिया जाना चाहिए न कि देनबाण की धागा के अनुसार।

मधुपर्क की बिनि आत्मन्मायनगृह्यसूत्र (११२७५-२९) में निम्न प्रकार से बर्णित है—“बह मनु को दही में मित्रता है। यदि मधु न हो तो घृत से नाम मिया जाता है। बिष्टर (२५ बुधा का आसन-विषय) पैर पींटे व सिंग बल अर्ध-बल (गन्ध पुष्प आदि से सुगन्धित अन्न) आचमन-बल मनु मियक (मधुपर्क) एक गाय—“मम म प्रयेक व उच्चारण (अग्निपि या सम्मानार्थे व्यक्ति के आ जाने पर) तीन बार किया जाता है। सम्मानार्थे व्यक्ति का उत्तर की ओर मुड़े हुए बुधा से बन बिष्टर पर बैठना चाहिए और यह कहना चाहिए—“मै अपन मन्मन्त्रिया म उमी प्रकार सर्वोच्च हूँ जैसा कि प्रजापति को म सूर्य और मैं माँ उम मनी का आ मुमम विद्वेष गगत हूँ कुचक रहा हूँ” या उसे बिष्टर पर बैठने के उपरान्त इस मन्त्र का उच्चारण बार-बार करना चाहिए। तब उम अपना पैर आनिध्वर्या में धुवबाना चाहिए, मन्त्रम पत्रक प्राज्ञक का धार्य पैर तथा उमम अन्व का धार्य पैर धाया जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह अपन मुड़े हुए हाथों में अर्ध-बल छटा है और तब आचमन व न आचमन करता है और कहता है—“तू अमून का बिठौना या प्रथम स्तर हूँ। अब मधुपर्क काया आप तो बह उम दान और इन मन्त्र का पाठ कर— मैं तुम्हें मित्र (दबता) की जाया से देव रहा हूँ। तब वह मधुपर्क निम्न मूत्र के साथ घटक करता है— मरिचा की प्रेरका में अरिबनी के बाहुओं एक पूषा से हाथी से “से घटक कर रहा हूँ” (आचमनयी मरिचा ११२४)। वह मधुपर्क को तीन ऋचाओं (११९ १६-८) व माघ (उम्हें पत्रकर) देना है। वह उम बायें हाथ में सटा है, बायीं ओर में दाहिनी बार अंगुष्ठा एक अनामिका मगुली से तीन बार छिटाता है अंगुष्ठिका का पूर्व की ओर पीला है और पटना है—“तुम्हें वधु माग मायनी छन्द व माघ लामें” “तुम्हें छर बिष्टर छन्द व माघ लामें” “तुम्हें आदित्य मन्त्र अमनी छन्द से साथ लामें” “तुम्हें विष्व-दशमन्त्र अनुष्णु छन्द व माघ लामें” तुम्हें भूत (बीच) माग लामे। प्रत्येक बार बह बीच में मधुपर्क उच्छ्वस करता है और प्रति बार लयी दिया म करता है मया वधुमा से किए पूर्व में दहा से किए दक्षिण की ओर आदित्य का सिंग पश्चिम की ओर तथा बिस्वदेवी के सिंग उत्तर की ओर। वह उम माग ममम पशुमी बार “तुम बिदाय से हुए हो। भूगरी बार मैं बिगाय का रूप पा म” तथा लीमरी बार “मुमम पाया बिदाय का रूप रह” कहता है। उम पूरा मधुपर्क मही ता जाना चाहिए और न मन्त्राय मर पाता चाहिए। उम धायाम बिन्दी ब्राह्मण का उत्तर दिया म दे देना चाहिए, यदि कोई ब्राह्मण न हो तो धायाम व न म छोट दना चाहिए, या पूरा ता जाना चाहिए। इस उपरान्त वह आचमन-अन्न से आचमन करता है और यह पटना है— तुम अमून से अतिवात (इकतन) हूँ” (आचमन्मयीय मन्त्रपाठ २११। ८ एवं आचमन्मयीयसूत्र १३।१३)। वह भूगरी बार है मय्य। वस। माय्य। माय्य मूत्रम वम दमे पटना है। आचमन के उपरान्त उम गाय देन की धायया की जाती है। मोग पाय मष्ट हा गया है एना कत्रक वर कटना है द्या की माता वधुमा की पुत्री (ऋ ८।१ १।२५) म जाने दा मधुपर्क बिना माय रा ही हो।

बुधगृह्यसूत्रा (धया मानक) में मधुपर्क की विवाह-इत्य का एक अग माता है, बिन्धुबुउ न (यथा आचमनयन में) दम स्वन्त्र मय म पिता है। त्रिग्व्यवहितगृह्यसूत्र (११२-१३) में दम ममावर्तन का अग माता है। मधुपर्क में

४ ऋग्वेद की तीनों ऋचाएँ (११९ १६-८) ‘मधु’ शब्द से आरम्भ होती हैं “मधु धाता ऋचायने मधु सारति निग्व्य” (१) “मधु मधनमधुनोपतो” (७) “मधुमाप्रो वनस्वति” (८) और मधुपर्क व किए बड़ी लम्बीबीच भी है। ये ऋचाएँ आचमनयी मरिचा (१३।२७-२९) में भी पायी जाती हैं और मधुपर्क की बड़ी जाती हैं। इनका प्रयोग पात्सवगृह्यसूत्र (१।३) एवं मानकगृह्यसूत्र (१।१।२४) में हुआ है।

बाले जानेबासे पदाओं के विषय में बहुत मतभेद है। आश्वलायन एवं आपस्तम्ब (१३१) ने अनुसार मनु एवं दही या पुन एवं दही का मिश्रण ही मनुपर्क है। पाण्डुराट् आदि ने मनु दही एवं मूत्र—तीनों के मिश्रण ही वर्षा की है। कुछ ने इन तीनों में साथ मुना यव (अन्न) अन्न एवं बिना मुना दुग्धा यव अन्न भी आज किया है। कुछ ने दही, मूत्र, मूत्र जल एवं अन्न को मनुपर्क के लिए उल्लिखित किया है (हिरण्यवशि १।१२।१०-१२)। कौस्तुभ (१२) में ९ प्रकार के मिश्रण की वर्णा की है—आहा (मनु एवं दही) ऐन्द्र (पायस का) सौम्य (दही एवं मूत्र) शौच (पु एवं मट्ठा) सारस्वत (पूष एवं मूत्र) मीसक (आश्व एवं मूत्र इनका प्रयोग वेदक सीत्रामयी एवं राजसूय यज्ञों में होता है) वाचन (जल एवं मूत्र) श्रावण (तिस का ठेस एवं मूत्र) पारिव्राजक (तिस-ठेस एवं दही)। दुग्ध सूत्रों में अनुसार इसमें यथासमय सेहून् बननी हिरन आदि के मांस का भी विधान है। जब मान जाना अन्न की समझा जाने लया तो उसके स्थान पर पायस की वर्णा होन लयी। आदिपर्क (९।१३-१४) में ज्ञाया है कि अनेक ने व्यास को मनुपर्क रिया का और व्यास ने उसमें से मांस का त्याग कर दिया था। आधुनिक काल में विवाह को इंग्लिश कियी अन्य अक्षर पर मनुपर्क नहीं दिया जाता अथ इसकी परिपाटी टूट-सी गयी है।

कुम्भ-विवाह

जब हम विवाह-सम्बन्धी कुछ अन्य कृत्या का वर्णन उपस्थित करेंगे। वैश्व्य को हटाने के लिए कुम्भ निष्पा नामक कृत्य किया जाता था। इसका विचार वर्णन हमें सकारप्रकाश (पृ ८१८) निर्णयसिन्धु (पृ ३१) सकारकौस्तुभ (पृ ७४६) सकाररत्नमामा (पृ ५२८) आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। विवाह में एक दिन पूर्व पुष्प आदि से एक गडा सजाया जाता था जिसमें सिन्धु की एक स्वर्णिम मूर्ति रखी रहती थी। कन्या चारों ओर से दूर्धों से बर ही जाती थी और बर को सम्नी आयु देने के लिए करण एवं सिन्धु की पूजा की जाती थी। इसमें उपरान्त कुम्भ को पानी में फोड़ दिया जाता था और उसका जल पाँच टहुनिया से कन्या पर छिड़क दिया जाता था और अक्षय (अ५५) का पाठ किया जाता था अथ में बहामोज किया जाता था।

अश्वत्थ-विवाह

सकारप्रकाश (पृ ८१८-८१९) में कुम्भ-विवाह के समान अश्वत्थ-विवाह का वर्णन सीवाम (वेद) के लिए वर्णित वैश्व्य में हो उसके लिए किया है। यहाँ कुम्भ के स्थान पर अश्वत्थ की पूजा होती है और स्वर्णिम सिन्धु मूर्ति पूजा में उपरान्त किसी बाह्याय को दे दी जाती है।

अर्क-विवाह

यदि एक-एक वर्णों को पत्तियों की मूल्या हो जाय तो तीर्थरी पत्नी से विवाह करने के पूर्व अर्क को अर्क-विवाह नामक कृत्य करना पड़ता था। इसका वर्णन सकारप्रकाश (पृ ८७५-८८) सकारकौस्तुभ (पृ ८१५) निर्णयसिन्धु (पृ ३२८) आदि में पाया जाता है। बीषावनपुस्तक श्लेष सूत्र (५) में भी इसका वर्णन पाया जाता है।

परिवदन

परिवहन के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। सिन्धु वह कृत्य आधुनिक काल में अस्ति-सा ही है। जब कोई अर्कित अथवा अश्वत्थ आता के रहते अथवा जब कोई अर्कित नहीं रहित है रहते उसकी छोटी बहिन से विवाह करता तो इसे परिवहन कहा जाता था और इसकी ओर गण में अर्चना की जाती थी। अर्कित

एने सम्बन्ध से बड़े भाई अथवा बड़ी बहिन के अधिकारों को भंगकरना हो जाती थी तथा पाप समता था। पीतम (१५।१८) एक आपस्तम्बधर्मग्रन्थ (२।५।१२२) क अनुसार यदि छोटा भाई बड़े भाई क पूर्व विवाह कर क तथा बड़ा भाई छोटा भाई क उपरान्त विवाह कर ता दोनों पाप से मानी हुऐ हैं और उन्हु घाठ म नही बुलाया जाता चाहिए। आपस्तम्ब का वागे कहता हैकि जा बड़ी बहिन से रहते छोटी बहिन स तथा जा छोटी बहिन का विवाह हो जाने से उपरान्त बड़ी बहिन से विवाह करना है बहु पापी है। इसी प्रकार जो अपने छोटे भाई द्वारा पवित्र अग्नि स्थापित किये जाने तथा सोमयज्ञ करने क उपरान्त बैसा करता है, बहु भी पापी है। बनिष्ठधर्मग्रन्थ (१।१८) विष्णुधर्मग्रन्थ (३।७।१५-१७) आदि म भी यही बात कही है। बनिष्ठधर्मग्रन्थ (२।७-१) म छोटी बहिन क पनि तथा बड़ी बहिन के पनि को २ दिनों के हृच्छ कामक प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है और दोनों का एक-दूसरे की पत्नी की उदमा-उदमी (कच्छ दिलावट मात्र) करने की आज्ञा दी है और एक-दूसरे की आज्ञा लेकर पुन विवाह करने की व्यवस्था की है (देखिए इस विषय में श्रीभाषणधर्मग्रन्थ २।१।५)। छोटे भाई को जो बड़े से पहले विवाहित हो जाता है परिवेत्ता या परिविवाह (मनु ३।१७१ आपस्तम्बधर्मग्रन्थ २।५।१२।२१) या परिविष्णुक (याज्ञ बन्ध १।२२३) कहा जाता है तथा बड़े भाई को जो अपने छोटे भाई से उपरान्त विवाहित होता है परिविन्ति या परिविन्त या परिविन्त (मनु ३।१७१) कहा जाता है। छोटी बहिन को जो अपनी बड़ी बहिन से पूर्व विवाहित हो जाती है, अपे-विधियु (पीतम १५।१५, बनिष्ठ १।१८) या परिवेदिनी कहा जाता है। बड़ी बहिन को जो छोटी बहिन के विवाह से उपरान्त विवाहित होती है विधियु कहा जाता है। उपर्युक्त अग्नि से क पत्निया को व्रम म अपेविधियुपति एक विधियुपति कहते हैं। पिता अथवा ब्रमिमावक को जो परिवेत्ता को उपर्युक्त बन्धनों का विवाह रवाने है परिविवादी या परिविवाता कहा जाता है। छोटे भाई को जो अपने बड़े भाई के पूर्व पूत अग्नि जलाना है, परी-बला तथा इस प्रकार के बड़े भाई को पर्यहित कहा जाता है। पीतम (१५।१८) मनु (३।१७२) श्रीशायनधर्मग्रन्थ (२।१।३) एक विष्णुधर्मग्रन्थ (५।५।१९) क अनुसार परिवेत्ता परिविन्त एक बहु लक्ष्मी जिसस छोटा भाई बड़े भाई से पूर्व विवाह करता है विवाह करत बनेबाना (पिता या ब्रमिमावक) एक पुरोहित—ये पाँच नरक म गिरते हैं। विष्णु क मत स इन्हु छुटकारे के लिए धान्नापय ज्ञन करना चाहिए। मात्रकस्य (३।२९५) की टीका मितायग म भी यही बात उल्लिखित है। इस विषय में अन्य मतों क लिए देखिए मनु (३।१७१) पर मेवातिभि कीटीका अरण्य पृ ४४६ त्रिकाण्डमण्डन (१।७६-७७) स्मृत्यर्थनार (पृ १३)। विष्णुधर्मग्रन्थ (३।७।१५-१७) में परिवेदन की पक्षता उपरान्तको में की है। अन्य मतों के लिए और देखिए पीतम (१८।१८-१९) एक अरण्य (पृ ४४५)। कुछ ब्रह्मामा में तथा बड़े भाई क उम्माणी पापी बोई होने तथा मनुष्य का यत्ना म पवित्र होन पर बाट पंजना वर्ण है (मथानिधि-मनु ३।१७१ अथि १ ५ १ १ यामिन्मनुनि १।७२ ७६ त्रिकाण्डमण्डन १।६८७ स्मृत्यर्थनार पृ १३ एक मन्वायज्ञधर्मग्रन्थ पृ ७१०-७६९)।

परिवेदन क विषय में व्रम बहिन माहित्य म भी गजेन मिमता है (देखिए वैदिकीय महिला ३।२।९, ३।४।४)। वैदिकीय संहिता म प्रयुक्त उपाधियों की मूर्धास्मृतिन मूर्धास्मृतिन्युक्त कुनली स्वाकबन्ध अपेविधियु परिविन्त कीर्ण कहा है। यही व्रम बनिष्ठधर्मग्रन्थ (१।१८) में भी पाया जाता है। वैदिकीय संहिता (३।४।८) म पुत्रागम के विषय म वर्धा करत समय परिविन्त का ब्रमाग्य (निर्घन्ति) परिविन्तवान को आर्ति (ब्रह्म या ब्रह्मा) तथा विधियुपति को आर्ति के हवाक किया गया है।

विशिष्ट कुल के जिनमें ब्याहो का विवाह करना भयस्कर माना जाता था वह इनसे फलस्वरूप एक-एक कुलमें व्यक्ति की अवधि पतिव्रता की जिनमें कुछ ठो अपने पति का वर्धन भी नहीं कर पाती थी।

स्त्रियों के प्रति यह सामाजिक दुर्न्यायबहार क्यों? इसके कई कारण थे—(१) पुत्रों की अत्यधिक मांगारिण महत्ता (२) बाल-विवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की अविद्या (४) मित्रों की अवधि मानने की प्रथा का क्रमशः विकास एवं (५) उन्हें शूद्रा के समान मानना तथा (६) स्त्रियों की पुत्रों पर पूर्ण आभितत।

यद्यपि अनेकपत्नीकता सिद्धांत रूप से विद्यमान थी किन्तु व्यवहार में बहुधा श्रेय प्रथम पत्नी की उपस्थिति में दूसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं सताब्दी के प्रथम चरण में स्टील ने अपनी पुस्तक सा एण्ड क्लेम काव लिन् कास्ट्स में यही बात सिद्ध की है। आधुनिक काल में हिन्दू समाज में नये कानून के अनुसार एक-पत्नीकता को बौर प्राप्त हो गया है।

अनेकमर्तृकता

तैत्तिरीय संहिता (१।१।४।३ १।५।१।४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) के मत से स्पष्ट सिद्ध है कि उनके प्रथम-काको एवं उनके पुत्र अनेकमर्तृकता का कही नाम भी नहीं था। 'एक यूप में बहु बों मच्छाएँ बाँधता है, एही प्रकार एक पुत्र को पत्नियों प्राप्त करता है बहु बों यूपों के अनुचित एक ही मेजला नहीं बाँधता इसी प्रकार एक पत्नी को पति नहीं प्राप्त करती' (तै स १।१।४।३)। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में लिखा है—'अत एक पुत्र की कई पत्नियाँ हैं किन्तु एक पत्नी के एक ही साथ कई पति नहीं हैं। इमें कोई भी ऐसी वैदिक उक्ति नहीं मिलती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन जिनो अनेक मर्तृकता पायी जाती थी। संहत-साहित्य में सर्वप्रथिम उदाहरण है श्रौतवी का जो पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। महाभारत में स्पष्ट सिद्ध है कि जब अश्वत्थोको को यह बात बत हुई कि युधिष्ठिर ने श्रौतवी को सभी पाण्डवों की पत्नी मान लिया है तो वे सभी अफिक्त हो उठे थे। बृहस्पति (आदिर्त्त २९।५।२७ २) ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया किन्तु युधिष्ठिर टस-से-मस नहीं हुए और कहा—'देवा वर्त्तं पृथे भी होता था और हम पाण्डवों में यह तय है कि हम में जो भी कुछ प्राप्त करेगा वह सबको बराबर भाग में मिलेगा। इस विषय में युधिष्ठिर ने केवल जो उदाहरण दिये (१) अटिका गीतमी क्षत्रियों की पत्नी थी तथा (२) तमी वन प्राणतस माई बार्गी के पति थे। वे गाभाएँ कोई ऐतिहासिकता नहीं रखती। तन्मार्तिक में कुमारिल तद् में श्रौतवी के सम्बन्ध में तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई श्रौतवियों भी जो एक-दूसरी से विच्छी-

५ धैकसिम्पुवे द्वे रघने परिव्ययति तस्मादेको द्वे जाये विभ्यते धर्मिका रघना इयोर्मुपयोः परिव्ययति तस्मादेक इो पती विभ्यते। तै तं १।१।४।३ और वैकिए तै स १।५।१।४ तस्मादेको बहुवीर्थाया विभ्यते; तस्मादेक्य बहुयो जाया अवति नैकस्ये बहुवाः सतुवतया। ऐ वा १२।११।

६ एकस्य बहुषी विद्विता महिष्य कुलम्बन। नैकस्या बहुवाः पुत्रा भुयन्ते पतयः क्वचित् ॥ शौकदेवविच्छ त्वा भावर्त्तं वर्त्तवित् ॥ कर्त्तुमर्त्तति कौत्सेय सत्यात्ते बुद्धिरिच्छी ॥ आदिर्त्त १९।५।२७-२९। तत्रात्तर्त्त (१८।१५) में कर्त्तं में श्रौतवी को बन्धकी (विद्या) माना है, क्योंकि उते कई पुत्र पति के रूप में प्राप्त थे। आदिर्त्त (१९।५) में युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है—'दूस्त्रो वर्त्तौ महाराज नास्य विधो वर्त्तं अतिम् ॥ पूर्वोपायानुपूर्व्यं वत्ता वर्त्तानुपायम् ॥

मुम्बई की और महाराष्ट्र ने उन्हें आम्बकारिक रूप से एक ही द्रीपरी के रूप में रख दिया है। वास्तव में पाँच द्रीपवर्मा की जिनमें प्रत्येक प्रत्येक पाष्यन से विवाहित हुई थी।

वर्षदान-ग्रन्थों में अनेक-मनुष्यता सबकी व्यावहारिकता की ओर कुछ संकेत मिल जाते हैं। आपस्तम्बकमसून (२।१ १२७।२४) का कथन है— (नियम द्वारा पुत्र के लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं प्रयुक्त अपने लोगों को ही देना चाहिए क्योंकि कन्या का वान मात्रियों के सारे बुद्धिमानों को न कि केवल एक मर्दा को किया जाता है। पुराणों के ज्ञान की दुर्बलता के कारण (नियम) बजिन है। बृहस्पति का कथन है— 'बृहस्पति म एक अत्यन्त बृहस्पति बाट यह है कि जो मर्दा की मृत्यु के उपरान्त उनकी विधवा से विवाह कर लेते हैं यह भी बृहस्पति है कि एक कन्या पूरे बुद्धिमानों को दे दी जाती है। इसी प्रकार फारस बालों (पारसीकों) में सोम माता से भी विवाह कर लेते हैं।'^{१५} डा आनी का यह कथन कि बसिन में अनेक-मनुष्यता पायी जाती थी सर्वथा निराधार है। डा आनी ने बृहस्पति के कथन को कई भागों में करके व्याख्या नहीं की है। वास्तव में बसिन में "मानुषकन्या" से ही विवाह की चर्चा मात्र सिद्ध होती है और अन्य बात अन्य देवों की है। प्रो कीप ने डा आनी की ही प्रामाणिक व्याख्या मान ली है।

अनन्यमनुष्यता के दो स्वरूप हैं— (१) आनुपसीय (जब कोई स्त्री किसी को या अधिक व्यक्तिगत स सम्बन्ध छोड़ती है, जो एक-दूसरे में सम्बन्धित नहीं हो और कुछ का नम स्त्री से ही बनता हो) तथा (२) आनुपसीय (जिसे एक मर्दा कई माइया की पत्नी हो जाती है)। प्रथम प्रकार की प्रथा मलाबार तट के नायग-कुम्भों में पायी जाती थी किन्तु अब वहाँ ऐसी बात नहीं है। किन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अब भी कुमायूँ गङ्गाबाल में तथा हिमाचल के पर्वतों में आठाम तक पायी जाती रही है। परिश्रम भगवानलाल इन्द्रजी (इण्डियन एजिटिवरी डिस्ट्रिक्ट ८ पृ ८८) का कहना है कि टोम एक मनुष्य के बीच बसिनी कुमायूँ आदि की ओर कई वर्गों के लोग अनेक-मनुष्यता के अनुयायी हैं और उससे उत्पन्न पुत्र को अर्जित व्येष्ट मर्दा से उत्पन्न पुत्र मानते हैं। महामाण्ड के टीकाकार नीलकण्ठ ने अपने समय की नीच जातियों में अनेक मनुष्यता के प्रचलन की बात लिखी है (आदिपर्व १ ४।२५ पर नीलकण्ठ)।

पति एवं पत्नी के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य

मनु (१।१ १ २) ने पति-पत्नी के कर्तव्यों की चर्चा संक्षेप में की है— उन्हें (धर्म मर्द एवं काम के विषय में) एक-दूसरे के प्रति मत्त्व रहना चाहिए और मन्त्र यही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी भी अलग न हो सकें । नीचे हम उनके मन्त्रों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा क्रमानुसार करेंगे।

पति का प्रथम कर्तव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है धर्म से धार्मिक कृत्यों में सम्मिलित होने देना तथा होना। यह बात धर्म प्राचीन काम से पत्नी जानती रही है। ऋग्वेद (१।३२।५) में आया है— अपनी पत्निया के साथ उन्होंने पूजा के योग्य धर्म की पूजा की। एक अन्य स्वान (ऋ ५।३।२) पर आया है— यदि तुम पति एवं पत्नी की एक

७ अथवा बहुप एक ता सद्मरुचया द्वीपत एतत्सैनोपचरिता इति व्यवहारार्थापरया मन्वते ॥ तन्त्रवार्तिक, पृ १११।

८ विवद्वः प्रतिवृत्तले दानिमात्येयु सप्रति । स्वभावुत्सुनोऽहो मनुष्यव्यवृत्तिनः ॥ अर्जुन-भ्रातृमार्पा-पहल आतिवृत्तिम् । कुले कन्याप्रदान च हेतुवर्गयेव वृत्तते ॥ तथा आनुविवाहोपि वारणीकेषु वृत्तये । बृहस्पति (स्मृतिवार्तिक १ पृ १ स्मृतिमुक्तावत्, कर्त्तव्य पृ ११) ।

अध्याय ११

अनेकपत्नीकता, अनेकभतृकता तथा विवाह को अधिकार एव कर्त्तव्य

अनकपत्नीकता

यद्यपि वैदिक साहित्य में अन्वयाह्न से पता चलता है कि उन दिनों एक-पत्नीकता का ही नियम एव बलवान् था किन्तु अनेक-पत्नीकता में कतिपय उदाहरण मिल ही जाते हैं।^१ ऋग्वेद (१।१४५) एव अथर्ववेद (३।१८) में पत्नी द्वारा सौत के प्रति पति प्रेम भटाने के लिए मन्त्र पढ़ा गया है। यही मन्त्र यजुर्वेद-की-रूपो आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१९) एव आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।६।८) में है जिसमें पति को अपनी ओर करने तथा सौत से विवाह करा देने की बर्त्ता है। ऋग्वेद (१।१५९) के अन्वयण से पता चलता है कि इन्द्र की कई पत्नियाँ भी क्योचि उरुची रानी सची के बन्धी बहुत-सी सौतों को हरा बिना वा या मार डाला वा तथा इन्द्र एक अन्य पुरुषों पर एकाभिपत्य स्थापित कर लिया था। इस मन्त्र को आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१९) में तथा आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१।९) में उही बर्त्ता के लिए उद्धृत किया गया है। ऋग्वेद (१।१५४) में उल्लेख है कि अत्रि कुर्षे में पितृ जात्र पर कुर्षे की बीमारों को उसी प्रकार कष्टान्न पाता है, जिस प्रकार कई पत्नियों कष्ट देती हैं (पत्नियों के लिए या अन्न मिले सटकर सचीव उच्छ्रिता उत्सन्न कर्त्ती है)। इस विषय में अन्य सन्देश हैं तैत्तिरीय संहिता (१।६।४।३) ऐतरेय ब्राह्मण (१।२।११) तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४) सतपथ ब्राह्मण (१।३।४।१) चाबसनेयी संहिता (२।३।२४ २६ २८) तैत्तिरीय संहिता (१।८।९) ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।१) में। तैत्तिरीय संहिता (१।६।४।३) में एक बहुत मनोरञ्जक उदाहरण है—“एक मन्त्ररूप पर बहु दो मेकनार्दे (कर्मनियों) बाँधता है अत एव पुरुष को पत्नियों प्रहण करता है बहु को यूपो (बूँटा या स्तम्भ) पर एक मेकन नहीं बाँधता अत एक पत्नी को दो पति नहीं प्राप्त होते। इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण (१।२।११) में भीयित हुआ है अत एक पुरुष को कई स्त्रियों है किन्तु एक पत्नी एक साच कई पति नहीं प्राप्त कर सकती। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४) में अश्वमेध की बर्त्ता में ऐसा आया है—“पत्नियों (बोडे की) उन्नयन कदाठी है पत्नियों सचमुच सम्पत्ति के समान है। सतपथ ब्राह्मण (१।३।४।१९) में आया है—“चार पत्नियों सेवा में रूची है—मक्षिवी (अभिविक्त रानी) बाबल (बहोवी पत्नी) बरिचुकता (त्यागी हुई) एव पत्ताकनी (निम्न जाति की)। तैत्तिरीय संहिता में भी बरिचुकता एव महिची की बर्त्ता की है (१।८।९)। चाबसनेयी संहिता (२।३।२४ २६, २८) में कुछ मन्त्र ऐसे हैं

१ देखिए ऋग्वेद (१।८५।२६ एव ४६) तथा—युवा त्वेतो नययु हस्तपुष्ट्याकिन्ना तथा प्रवहता एवे। पुष्ट्याप्युच नृहपत्नी यवासी बन्धिनी त्वं विवचमा यवासि। उच्छ्राजी अविदेवुषु। इप्पनी एव्य ऋग्वेद में कई स्थलों पर आया है और एकपत्नीकता की ओर संकेत करता है, तथा—ऋग्वेद ५।३।२, ८।३।१५ एव १।६।८।२।

२ तं वा सपत्यमित्त, सपत्नीरिच पर्यका। ऋग्वेद १।१५।८; वैश्वि ऋग्वेद १।११६।१ (माक्षित्ति-मन्त्रमुत्त कनीनाम्) यहाँ लिखा है कि अश्विनो में अश्विन को कई कुमारियों का पति बना बिना है।

जिन्हें ब्रह्मा उद्घाता होता ते तम सं महिषी कावता एक परिव्रुक्ता क सम्बोधन क लिए प्रयुक्त किया है। हरिष्यत्र की एक भी पत्नियाँ थी (ऐतरेय ब्राह्मण ३२।१)। अन्वयपत्नीकता कबल राजाका एवं तथा कविन मद्र पुराण तक ही सीमित नहीं थी प्रसिद्ध बार्मानिक मात्रकल्पय की दो पत्निया म कात्यायनी मौलिक मुन की इच्छा रखेबासी तथा मैत्रेयी ब्रह्मज्ञान एक अमरता की इच्छुष थी (बृहदारण्यकोपनिषद् ३।५।१२ एक २।३।१)।

मूत्रकाल म कुछ ऋषियों ने ब्राह्मणों की बान कही है। चापलम्बमर्मयुत (२।५।११।१२-१३) क अनुसार बर्म एक मन्त्रि से युक्त एक ही पत्नी सम्पन्न है किन्तु बर्म एक मलान म एक क अमाश म उमकी पुत्रि क लिए एउ अन्य पत्नी भी की जा सकती है। एक अन्य स्थान पर इस मूत्र (१।१। १२।८।१९) ने लिखा है कि यदि कोई अपनी निर्वोप पत्नी का त्याग करता है तो उस मप की त्याग (विगता बास बासा भाग अरर १।) भीष्मक छ महीना तक मात करो म मित्रा मौषमी चाहिए। यही बातें मारव मे भी कुछ हेर-फेर क साथ कही हैं— यदि पत्नी अनुकूल मयुरभायी गद, साष्ठी एक प्रजाकठी (पुत्रवासी) हो जीर उसे उमका पति त्याग दे तो राजा एम कुछ पति का इच्छित कर ठीक कर दे (भारव, स्त्रीपुय ९५)। कौटिल्य (३।२) न भी लिखा है कि पति को प्रथम मलानोत्पत्ति के उपरान्त यदि मन्तान न हो तो ८ बर्ष तक ओहकर ही पुनर्विवाह करना चाहिए। यदि मूत्र कल्पे ही उत्पन्न हा ता १ बर्ष बादकर तथा यदि पुत्रियाँ ही उत्पन्न हो तो १२ बर्ष ओहकर पुनर्विवाह करना चाहिए। किन्तु यदि पति इन नियम का उन्मथन करता है तो उस पत्नी को स्त्रीजन तथा भरण-भारण के लिए धन देना चाहिए और राजा की २४ एक का धन-दण्ड देना चाहिए। यह तो कौटिल्य का आरग बाध्य मान है क्योंकि उन्हीं पुन लिखा है— एक व्यक्ति क पत्निया म विवाह कर मरता है किन्तु उस पत्नी को जिस स्त्रीजन वा कोई धन विवाह क समय न मिला हो उसे मुक्त दे देना होगा जिसमे कि वह अपना भरण-भारण कर मक । मनु (५।८) एक याज्ञवल्क्य (१।८) ने लिखा है कि यदि पत्नी मरिा पीली हो किसी पुराने रोग म पीठिन रखी हो बालेगड ही लक्ष्मी की कटुमापी ही और कबल पुत्रियाँ ही बनती हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। मनु (५।८।१) एक बीजायन-बर्म (२।२।१५) के मतानुसार कटुवाग्नि पत्नी का त्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। अन्वय म अन्त मूत्रकालात्तर म देवक का उद्धत बर्ण रूप कहा है कि मद्र एक स रीत्य का म अथिप तीन म ब्राह्म्य चार म तथा राजा मितनी चाह उतनी मिथ्या मे विवाह कर मरता है। आरिषर्ष (१९। १३९) म मग्भीरुतापूर्वक लिखा है— क पत्नियाँ मरता कर्ष अर्षम मही है, किन्तु मिथ्या क लिए प्रथम पति के प्रति अर्पन कर्षण न करना उचम है। महाभारत (भीमवर्ष ५।६) के अनुसार धामुनेक (श्री हृष्क) की १६ मत्स्य पत्नियाँ थी। ऐतिहासिक युगो म कश्च-जे राजाका भी एक-एक ही रतिपाँ थी। वेदिराज गावय देव उर्ध्व विचमार्शिय मे प्रयाय म अपनी ती पत्निया क साथ मुक्ति पायी (इलिए एरिडैविवा इच्छिता निव्य २ प ६ एक कही किन् २० प ४)। बर्णक के कुल्लतार क निव्य कर्षाँ मर्षविनि है। उउ एम

३ अमप्रमात्स्यमे दारे मात्या दुर्बिता। अन्वतराभावे कर्षाँ प्रायश्चायेयन्। भाष क २।५।११।१२-१३ मरामिन इतिमोम परिव्राय दारम्यनिजकमे जितामिनि लतावारवि चरेन्। ता कृति, कष्मातान्। भाष क १।१। १२।८।१९ इतिव बृहस्पतिता (७।३।१३) जितम यही प्रायश्चित्त लिखा हुआ है किन्तु मद्र भी मित्रा हुआ है टि पुरय मीय यह प्रायश्चित्त करते महीं। 'अनुकलायवागपुट्टा दसाँ ताष्ठी प्रजाकनीन्। एवन् मर्षाँ मकम्बायी राजा कश्चन मयुषा ॥ मारव (स्त्रीपुत ९५)।

४ न काप्यधर्म कत्यान बहुपत्नीकता मूषान्। स्त्रीजायधर्म मुमहागर्भन् दुर्षस्य लपने ॥ आरिषर्ष १९। १३६।

विशिष्ट कुम्भ से जिनमें कन्याओं का विवाह कर देना भयस्कर माना जाता था अतः इनके फलस्वरूप एक-एक दुर्जन व्यक्ति की अपेक्षित पत्नियों की जिनमें कुछ तो अपने पति का धर्म भी नहीं कर पाती थी।

स्त्रियों के प्रति यह सामाजिक दुर्व्यवहार क्यों? इसके कई कारण थे—(१) पुरुषों की अल्पविक्रम सामाजिक महत्ता (२) ब्राह्मण-विवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की अधिष्ठा (४) स्त्रियों की अपेक्षित पत्नियों की प्रथा का क्रमशः विकास एवं (५) उन्हें शूद्रों के समान मानना तथा (६) स्त्रियों की पुत्र्या पर पूर्ण आभितला।

यद्यपि अनेकपत्नीकता विद्यास्त रूप से विद्यमान थी किन्तु व्यवहार में बहुधा सोम प्रथम पत्नी की उपस्थिति में दूसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं शताब्दी के प्रथम अन्त में स्टीक ने अपनी पुस्तक 'द एन्ड वस्तम बाय हिन्दू कास्ट्स' में यही बात लिखी है। आधुनिक काल में हिन्दू समाज में नये कानून ने अनन्तर एक-पत्नीकता को शीघ्र प्राप्त हो गया है।

अनेकमर्तृकता

तैत्तिरीय संहिता (१।६।४।३ ६।५।१।४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) के मत से स्पष्ट सिद्ध है कि उनके प्रथम-पत्नीको एवं उनके पुत्र अनेकमर्तृकता का कही नाम भी नहीं था। 'एक मृत्यु में वह भी मेघसाएँ बँका है इसी प्रकार एक पुत्र्य को पत्नियों प्राप्त करता है वह जो मृत्यु के अनुधिक एक ही मेघसा नहीं जाँचता इसी प्रकार एक पत्नी को पति नहीं प्राप्त करती (तैत्तिरीय संहिता ६।५।४।३)। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में लिखा है— अतः एक पुत्र्य की कई पत्नियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी के एक ही साथ कई पति नहीं हैं। इसे कोई भी ऐसी वैयक्तिक उक्ति नहीं चिन्तनी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन दिनों अनेक मर्तृकता पामी जाती थी। संस्कृत-साहित्य में सर्वप्रथम उदाहरण है शीपरी का जो पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जब अन्ध लोगों को यह बात बतल गई कि मुचिष्ठिर ने शीपरी को सभी पाण्डवों की पत्नी मान लिया है तो वे सभी चकित हो उठे थे। बृहस्पति (आदिपर्व २९५।२७-२९) ने मुचिष्ठिर को बहुत नगसाया किन्तु मुचिष्ठिर टस-से-मस नहीं हुए और कहा— 'ऐसा कार्य पहले भी होता था और हम पाण्डवों में यह सम है कि हम में जो भी कुछ प्राप्त करेगा वह सबको बराबर भाग में मिलेगा। इस विषय में मुचिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिए (१) बटिका नीलमी सर्पापियों की पत्नी थी तथा (२) शनी रत्न प्राचयस चार्ड बार्डी के पति थे। वे साबएँ कोई ऐतिहासिकता नहीं रखती। तन्त्रशास्त्र में मुनारिक ऋषि ने शीपरी के सम्बन्ध में तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई शीपरीयों भी जो एक-दूसरी में मिलती-

५. यदेकस्मिन्पुत्रे द्वे रक्षणे वरिष्यति तस्मादेको द्वे नाम्ये विन्दते यस्मात्तं रक्षतां द्वयोर्मृत्योः परिष्यति तस्मादेका द्वी पती विन्दते। तैत्तिरीय संहिता ६।५।४।३; और वैश्विपै तैत्तिरीय संहिता ६।५।१।४ तस्मादेको बहुभार्या विन्दते; तस्मादेकस्य बहुभार्या नामा नचमित्तं मेकस्यै बहुव्यं सत्पुत्रस्य। ऐत्तिरीय संहिता १२।११।

६. एकस्य बहुभार्या विद्धिता महिष्यं कुलान्तरतः। मेकस्या बहुव्यं पुत्रा मृत्युते वतय वचन्ति॥ लोकदेवविष्टं त्व नामर्तं धर्मविष्णुचि। कर्तुमर्हति कौन्तेय कस्मान्ते मुचिष्ठिरमुच्यते॥ आदिपर्व १९५।२७-२९ तत्रापर्व (६।५।१५) में कर्तं ने शीपरी को अन्धकी (बैभ्या) नामा है क्योंकि उसे कई पुत्र्य पति के रूप में प्राप्त थे। आदिपर्व (१९६) में मुचिष्ठिर ने उत्तर दिया है— मृत्युमें कर्तं महाराज तास्य किप्यो कर्तं वसित्। पूर्ववामानुष्येव वत कर्तन्वियामहे॥

पुत्री की और महाभारत ने उन्हें आत्मकारिक रूप से एक ही स्त्रीपती के रूप में रख दिया है। बाल्य में पतिव्रत स्त्रीपरियों की विनम्र प्रत्येक प्रत्येक पाठ्य स विवाहित हुई थी।

धर्मशास्त्र-ग्रन्था में अनेकमर्तृकता संबंधी व्यावहारिकता की आरंभ कुछ मंत्र मिल जाते हैं। आप्तग्रन्थमयूत्र (२।१।१७।२४) का कथन है— (नियोग द्वारा पुत्र के लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं प्रकृत अवयव मगोर को ही देना चाहिए, क्योंकि कन्या का दान भाग्य के मारे कुटुम्ब को न निश्चय एक भाई को दिया जाता है। पुत्रों के दान की पुर्तलता के कारण (नियोग) बन्धन है। बृहस्पति का कथन है—“कुछ देना में एक अत्यन्त पुत्राभ्युपेक्षित यह है कि काम भाई की मृत्यु के उपरान्त अपनी विधवा से विवाह कर सके हैं, यह भी पुत्राभ्युपेक्षित है कि एक कन्या पुरे कुटुम्ब का देवी जाती है। इसी प्रकार पारस शास्त्र (पारसीय) में लाल माता भी विवाह कर सके हैं।”^१ हा जामी का यह कथन कि बलिग में जनकमर्तृकता पायी जाती थी सर्वथा विरुद्ध है। हा जामी में बृहस्पति का कथन का कई भाग में करके व्याख्या नहीं की है। बाल्य में बलिग में “मानुषकन्या” से ही विवाह की कथा मान मित्र हुईनी है और अन्य बातें अन्य बनी की हैं। जो कीच में हा जाती की ही भ्रमाभ्युपेक्षित व्याख्या मान की है।

अनकमर्तृकता के दो स्वल्प हैं—(१) मानुषकीय (जब कोई स्त्री किसी से या अधिक व्यक्ति या में सम्बन्ध जाती है जो एक-दूसरे में सम्बन्धित नहीं भी हा और कुछ का कम स्त्री से ही कथना हा) तथा (२) मानुषकीय (विनम्र एक नारी कई भाइयों की पत्नी हो जाती है)। प्रथम प्रकार की प्रथा मयाबाह त्त के मायन-कुला में पायी जाती थी किन्तु अब नहीं पनी बात नहीं है। किन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अब भी कुमार्थ, यन्त्रास में तथा विनामय के प्रान्ती में जामाम त्त पायी जाती रही है। पवित्रत मगनातमाक इन्द्रजी (इन्द्रियत एम्पिकेरी रिस्त्र ८, पृ ८८) का कथना है कि तेष एक यमुना के बीच बालमी कुमार्थ बाह की और कई बनों के लोग अनेक मर्तृकता के अनुपाती हैं और उनमें उत्पन्न पुत्र का जीवन व्यष्ट भाई से उत्पन्न पुत्र मानने है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने जपन मय की नीच कानिया में अनेक-अनकता के प्रचलन की बात लिखी है (आश्विन १ ४।१५ पर नीलकण्ठ)।

पति एक पत्नी के पारम्परिक अधिकार एवं कथन

मनु (१।१।१२) ने पतिव्रतों के घनों की कथा मरोप में की है— ‘उन्हें (घनें) जब एक काम के विषय में एक-दूसरे के प्रति मन्थ रहना चाहिए और मया मही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी भी अन्ध में हों मरें । नीच हम उनके मनी प्रकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों की कथा कथना करेगे।

पति का प्रथम कर्तव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है काम से घाविर कृपा में सम्मिलित हात देना तथा होना। यह बात बलि प्राचीन काक में पायी जाती रही है। ऋषय (१।१०।५) में आया है— ‘जानी पतिना के माक “नृति पूरा के माय मन्थि की पूजा की। एक अन्य स्वान (क ५। १०) पर आया है— ‘यदि तुम पति एक पत्नी का एक

७ अबका बहुपति एवं ता-सद्वारात्पा स्त्रीपति एतत्वेनोपचरिता इति व्यवहारात्कार्यवरा मयते ॥ तन्वदातिव पृ २९।

८ विद्वदा प्रतिवृत्तते बालिकाभ्येषु तत्रति। स्वयानुत्पन्नोडाहो मानुषभ्युत्पन्नविन ॥ अमनूषभ्युत्पन्नार्थ-व्यवृत्तं चानिद्विपिनम्। कुते कथ्याप्रदान के देतेभ्योपेयु इत्यपत् ॥ तथा अमनूषिवाहोपि पारसीयपु इत्यने। बृहस्पति (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ स्मृतिमुक्तावत कर्त्तव्यव ५ ११)।

मन के बना हो तो वे अच्छे मित्र की भाँति तुम्हें ब्रत का लेप करने।" तृप्तिगीय ब्राह्मण (३।७।५) में कहा है—
 एकपत्नी द्वारा पति एवं पत्नी एक-दूसरे से मुक्त हो जायें इस में बैल्यो की भाँति उन्हें यज्ञ में ब्रत खाना चाहिए। वे
 पत्नी एक मन के ही और धनुषों का हाथ करें वे स्वर्ग में म बढते बानी (बबर) ज्योति प्राप्त करें। बड़ी बात कुछ
 अन्तरो के साथ काठक सहिता (५।४) में भी पायी जाती है और बबर न जैमिनि (१।१।२१) की व्याख्या में इसी
 आधार बताया है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि कर्तव्यों का प्रतिफल पति-पत्नी साथ ही भोगते थे। पत्नी ब्रत
 मन में बोधे को लेप करती है (तै ब्रा ३।८।४) तथा विवाह के समय अग्नि में सभा की आहुति देती है। अमरक
 बर्मभूष (२।१।११।१६ १८) के अनुसार विवाहोपरांत पति एवं पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करते हैं पुण्यफल में समान
 भाग पाते हैं धन-सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं तथा पत्नी पति की अनुपस्थिति में अबसर पढ़ने पर भेट आदि
 सकती है।" आस्तकभायनपुस्तक (१।८।५) के अनुसार पत्नी को पति की अनुपस्थिति में गृह की अग्नि की पूजा (अग्नि
 होत्र) करनी पड़ती थी और उसके ब्रत खाने पर उसे उपवास करना पड़ता था वह सम्पत्त्यात्मक की पूजा में आहुति के
 साथ अग्नेय स्वाहा प्राप्त कास की आहुति के साथ "सूर्यसि स्वाहा" कहती थी और दोनों काष्ठी में मील रूप से एक
 आहुति प्रजापति को देती थी। इस विषय में अथ विचार देखिए गीतम (५।१६-८) मोहित्यु (१।७।१११) एवं
 आपस्तम्बगु (८।३६)। मनु (३।१२२) के मत से सम्पत्त्यात्मक के पक्षे हुए भोजन की आहुतिवाँ पत्नी हुए
 बिना मन्त्रों के ही खानी चाहिए। स्पष्ट है यद्यपि मनु के समय में स्त्रियों को वैदिक मन्त्रों पर अधिकार नहीं बना था
 या किन्तु वे धार्मिक कृत्य बिना किसी रोक के कर सकती थी। यज्ञों में पत्नी को निम्न कार्य करते पढ़ते थे—(१)
 स्वाधीपाक (हिरण्यकेशिगुप्तसूत्र १।२।३१) में ब्रत को छोटना बर्त्सि भूसी रहित करना (२) उपसक्त पशु
 को बीना (स्तपचक्रा ३।१२ एवं योमित ३।१।२९) (३) मील यज्ञों में अरव्य की मोर देवता। पूर्व मीपात्र
 (१।१।१७-२१) में देखा जाना है कि जहाँ तक सम्भव हो पति-पत्नी धार्मिक कृत्य साथ करे किन्तु पति साधारण
 अकेला सभी कार्य कर लेता है और पत्नी ब्राह्मण्य ब्रत कस्यामप्रद अथवा काशीर्षचन आदि करती है। धार्मिक कृत्य
 सामान्यतः पति-पत्नी साथ ही करते हैं, इसी से राम को यज्ञ करते समय सीता की स्वर्णिम मूर्ति पास में रखनी पत्नी
 की (रामायण ७।११।२५)। पश्चिनि (४।१।३३) में 'पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति करके बताया है कि उसी को पत्नी
 कहा जाता है जो यज्ञ तथा यज्ञ करने के फल की मायी होती है। इससे स्पष्ट बिहित है कि जो स्त्रियाँ अपने पतिमों के
 साथ यज्ञों में भाग नहीं लेती थी उन्हें बामा या मावौ (पत्नी तही) कहा जाता था। महाभाष्य के अनुसार किसी
 सूत्र की स्त्री केवल साधुस्य भाव से ही उसकी पत्नी नहीं जाती है (क्योंकि सूत्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं उसकी
 मायी की ठो बात ही क्या है)। स्त्रियों का यज्ञों से सम्बन्ध साधुत्व होने के कारण ही यदि वे पति के पूर्व मर जातीं
 थी तो उनका शरीर पवित्र अग्नि से यज्ञ के सारे उपकरणों एवं बरतनों (पात्रों) के साथ बर्त्साया जाता था (मनु ५।१६७-

९ संजापाना उपसीवर्त्सन्मिन् पत्नीवक्तो नमस्यं नमस्यन्। ऋ १।७।२५ अञ्जलि मित्र मुक्ति न दोर्वि-
 ह्वस्ती सजमसा कुम्भोषि। ऋ ५।३।२; स पत्नी पत्या मुञ्जतेन गच्छताम्। यज्ञस्य युक्ती धुर्वाचनृताम्। सजलाना
 विजहतामरती। विनि ज्योतिरजरमारयेताम्। तै ब्रा ३।७।५।

१ आयाक्योर्न विजान्यो विद्यते। पार्थिवप्रजादि सहस्र कर्मन्तु। तथा पुण्यकर्मन्तु इत्यपरिप्रेक्ष्युः। आप-
 न (२।१।११।१६ १८)।

११ पत्युर्न यज्ञतपोने। पश्चिनि ४।१।३३; 'एवमपि पुण्यकर्मस्य पत्नीति न तिच्छति। उपमत्तातिष्ठन्।
 पत्नीवत्पत्नीति। महाभाष्य, शिब २, पृ ११४।

१९८ याज्ञवल्क्य १।८९)। तैत्तिरीय संहिता (३।७।१) के अनुसार ऋक्समा पत्नीबाह पति द्वारा सम्पन्न यज्ञ ब्रह्म बाधा ही फल देता था क्योंकि वह उस स्थिति में पति के साथ बैठकर यज्ञ नहीं कर सकती थी।

किन्तु पत्नी बिना पति के तथा बिना उसकी आज्ञा के स्वतन्त्र रूप से कोई धार्मिक कृत्य सम्पादित नहीं कर सकती थी (मनु ५।१५५-विष्णुधर्मसूत्र २५।१५)। कारत्यायन ने यहाँ तक कह दिया है कि विवाह के पूर्व पिता की आज्ञा बिना या विवाहोपरांत पति या पुत्र की आज्ञा बिना स्त्री या कुछ आभ्यात्मिक काम के लिए करती है वह सब निष्फल जाता है (व्यसहस्रमयूख पृ ११३ में उद्धृत और देखिए व्यासस्मृति २।१९)।

यदि किसी स्त्री कई पतिवासी होती थी तो उनमें सबको समान अधिकार नहीं थे। विष्णुधर्मसूत्र (२६।१४) में इस विषय में नियम बतलाये हैं। यदि सभी पतिवासी एक ही वर्ण की हों तो उनमें सबसे पहले जिसका विवाह हुआ हो उसी के साथ धार्मिक कृत्य किये जाते हैं यदि कई वर्णों की पतिवासी हों (जब अन्तर्जातीय विवाह वैध थे) तो पति के वर्ण वाली पत्नी को प्रधानता दी जाती थी भले ही उसका विवाह बाद में हुआ हो। यदि अपने वर्ण की पत्नी न हो तो अपने से ब्राह्मण जाति की पत्नी को अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु द्विजाति को बृहद पत्नी के साथ कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए।^१ इस विषय में देखिए मत्तपारिजात (पृ १३४)। बृहस्पतिधर्मसूत्र (१८।१८) में कहा है— ब्राह्मण वर्ण वाली (शूद्र) भारी बन्धन आश्रय-श्रमों के लिए है न कि धार्मिक कृत्यों के लिए। एही ही बात योनिस्मृति (१।१३४) विष्णुधर्मसूत्र याज्ञवल्क्य (१।८८) एवं व्यासस्मृति (२।१२) में भी पायी जाती है। याज्ञवल्क्य की व्याख्या में विश्वरूप ने लिखा है कि यद्यपि धार्मिक कृत्यों में श्रेष्ठ पत्नी को ही अधिकार प्राप्त है किन्तु बृहद पत्नी को छोड़कर सभी पतिवासी श्रेष्ठ जाति द्वारा जलायी जा सकती हैं (स्मृतिचिन्ता १ पृ १९५)। विवाह-सम्पन्न (१।४३-४४) में बहुत नियमों के रहन पर तीन मठा की बर्णों की हैं— (१) सभी पतिवासी धार्मिक कृत्यों में पति का साथ दे सकती हैं, (२) केवल सर्वश्रेष्ठ पत्नी ही एसा कर सकती है तथा (३) बन्धन आश्रय प्रमाद के लिए विवाहित पत्नी के साथ पति धार्मिक कृत्य नहीं कर सकता। मनु (९।८६-८७) का मत से अपने वर्ण वाली पत्नी को श्रेष्ठ प्रभुत्वानुसन्धी चाहिए, किन्तु सर्वश्रेष्ठ पत्नी के रहते यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य जाति वाली पत्नी से धार्मिक कृत्य करता है तो वह पापवाक्य ही जाता है।

अति प्राचीन काल में विश्वाम की धाराओं में एक धारा यह थी कि व्यक्ति तीन श्रेणियों में साथ जन्म देता है श्रेष्ठ-श्रेष्ठ, वैश-श्रेष्ठ एवं विन्दु-श्रेष्ठ और इन श्रेणियों से वह क्रम से ब्रह्मचर्य (छात्र जीवन) द्वारा यज्ञ करने एक सत्ता-तपस्वित्तरण करके उन्नत होता है।^१ श्रेष्ठ (५।४।१) में प्राचीन (प्रजापितृ-बभ्रुवर्ण-सम्पत्तयाम्) की है— मैं यज्ञान का द्वारा अमरता प्राप्त करूँ। बृहस्पतिधर्मसूत्र (२७।१४) में तैत्तिरीय संहिता ऐतरेय ब्राह्मण एक श्रेष्ठ की एतत्सम्पत्ति सभी उन्नतियों उद्धृत की है। श्रेष्ठ (१।८५-४५) में तत्रविवाहित कुलहित को १ पुत्रों के लिए भाषीर्षान् दिया है।

१२ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्यानु विद्यमानानु श्रेष्ठेषा सह धर्मचार्यं कुर्यात्। विद्यायां च कनिष्ठयापि समावर्धयति। समावर्धयति अन्वये त्वन्तरमेवापि च। न त्वेव द्विज शूद्रया। विष्णुधर्मसूत्र (२६।२४)।

१३ काममात्रो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्भार्यायाः। ब्रह्मचर्येण श्रेष्ठेषु यज्ञेन वैश्वेभ्यः प्रजया विभुष्यते। एव वा जगुषो य पुत्री यथा ब्रह्मचारिणासी। तं स ६।३।१५। श्रेष्ठ ह वै जायते योऽस्ति। न जायमान एव वैश्वेभ्यः श्रेष्ठियः विभुष्यते मनुष्येभ्यः। शतपथब्राह्मण १।७।२।११। श्रेष्ठस्त्रिभिर्भार्यायाः कथं यच्छति। पिता पुत्रस्य जगताय यद्येवमेव जीवती मुक्षाम्। नापुत्रस्य कोऽप्यस्ति तत्सर्वं दशाधी विदुः। ऐ वा ३।३।१। बृहस्पतिधर्मसूत्र (१।४७) में प्रथम उक्त उद्धृत की है।

सर्वा स्वाना पर आश्रय न पूर्वोत्पत्ति की जर्ना पडानी है (अनु. १। १।२ १।०२।१३, १।१।२३ आदि)। स (१।१५) ने सिद्धा है कि बिना तीनों श्रद्धा से मुक्त हुए किसी को मंगल की अभिप्राया नहीं करनी चाहिए। येय पुत्र क जन्म होने से ही विष्णुश्च म छटकारा मिल जाता है। म विषय म प्रतिष्ठ मनु (१।१३७) बसिष्ठ (१।७५) विष्णुश्च (१।५६६) मनु (१।१३७) आश्विन्य (१०१।१६६) विष्णुश्च (१।५६६)। पुत्र मत्ता इतीन्द्र विष्णुश्च है कि यह (पुत्र) अपने पिता की पुत्र नामक मन्त्र म रखा करता है। विष्णुश्च (२।२) न पुत्र की वदुत्पत्ति इतीन्द्र के की है। इसका अतिरिक्त पित्रो को उत्पन्न एव पिण्ड देन की जर्ना बड़ेही मन्त्रमयुर्व इय से हुई है। विष्णुधर्मसूत्र (८५।३) वनपर्व (८५।१७) एव मन्त्रपुराण (२ ३।१०) म आया है—“अतिरिक्त को कई पुत्रों की आशा रखनी चाहिए जिनम से एक गया मे (आश्रय करने) अवश्य आया।

उपपुत्र विवेचन से स्पष्ट हुआ जाता है कि पत्नी भ्रमण पति को दो जन्मा से मुक्त करती है—(१) जब से शाप देकर देवश्रद्ध से तथा (२) पुत्रोत्पत्ति कर विष्णुश्च से। अतः प्रत्यक्ष मारी वा ध्यम हो जाता है विवाह करने मन्त्रान्मोत्पत्ति करता। पुत्रहीन स्त्री निश्चिंति वाली (अमागी) होती है (शापपत्राहाण ५।१।२।२)। इस विषय में भीर वेदिका मनु (१।१६६) एव मन्त्र (श्रीपुत्र १९)।

पत्नी के कर्तव्यों के विषय मे स्मृतियों पुराणों एव निरुक्तों मे पर्याप्त जर्नाएँ हुई हैं। सबको विस्तार से यहाँ उपस्थित करना कठिन है। बहुत ही सतप मे कुछ प्रमुख बातें यहाँ उल्लिखित होगी। इस विषय म सभी धर्मशास्त्रकार एकमत हैं कि पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना एव उसे देवता की अति सम्मान देना। जब राजकुमारी मुकुन्दा का विवाह हुआ एव अर्ध-धीर्य श्रद्धि ध्यवन मे हो गया (मुकुन्दा के माइयो मे ध्यवन का अपमान किया वा) वो उघने कहा—“मैं अपने पति को जिन्हू मेरे पिता मे मेरे पत्न के रूप म चुना है उनके जीते-जी नहीं छोड़ सकती (शापपत्राहाण १।१।५।९)। अल्लिखित के मत से पत्नी को चाहिए कि वह अपने मनुष्यक को यमुद्विन्द-मत्त पति, मग से अपुने, रोमी पति को म छोड़े अर्थात् पति ही पत्नी का देवता है। बही बात कुछ अन्तर के साथ मनु (५।१।५) ब्राह्मणस्य (१।७७) रामायण (अयोध्याकाण्ड २४।२६ २७) महाभारत (अनुशासनपर्व १४६।५६, आत्मवेदिकपर्व ९।१९१ आतिपर्व १४८।६-७) मन्त्रपुराण (२।१।१८) कालिदास (शा ५) आदि म पायी जाती है। मनु (५।१।५-१५६) ब्राह्मणस्य (१।८।६-८) विष्णुधर्मसूत्र (२।५।२) वनपर्व (२।३।१९-५८) अनुशासनपर्व (१२३) आत्म-स्मृति (२।२०-३२) बृहद् हारीत (१।१।८) स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ २४९) मरुतपाणिपाठ (पृ १९६-१९५) तथा अन्य निरुक्तों मे पतिवा के कर्तव्यों के विषय मे विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कर्तव्यों का वर्णन नीचे किया जाता है।

पत्नी को सदा हँसमुख आयस्क रदा कुशल मूहिली बरठनी पावो आदि को स्वच्छ रखनेवाली एव निरुक्तनी होना चाहिए (मनु ५।१।५)। मनु ने पत्नी के विर निम्न कार्य छोड़े हैं—जन्म सेजला ध्यम करना बन्धुओं को स्वच्छ एव तरतीव से रखना आत्मिक इत्य करना शोक मफाना तथा सभी प्रकार के बृह-उम्बन्धी कार्य करना-जला (मनु १।११)। मनु (१।१३) के अनुसार आश्रय पीता दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहना पति से दूर रहना, दूर-दूर (तीर्थयात्रा मे या कहीं) जमना चित मे सोना अजनबी के घर मे रह जाना—ये छ दोष विवाहित नारियों को बौध कर आकते हैं। आदिपर्व (७५।१२) एव साङ्ख्यिक (५।१७) मे पति से दूर रहने की बहुत बुरा कहा गया है। यही बात मार्कण्डेयपुराण म भी पायी जाती है (७७।१९)। ब्राह्मणस्य (१।८।६ एव ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य हैं—घर के अन्तर्ग कुर्ची आदि को उनके उचित स्थान पर रखना बस होता हँसमुख रहना मित्रध्यपी होना पति के मत क योग्य कार्य करना स्वसुर एव सास के पैर बसाया सुन्दर ढग से चलना फिरला एव अपनी इन्द्रियों को बध न रखना। रास ने निम्नलिखित बातें कही हैं—बिना पति या बचो की आज्ञा के घर के बाहर न जाना बिना कुर्ची

(उत्तरीय) झंड़े बाहर न जाना तत्र न ध्येना व्यापारी सत्यामी कूट भावनी या वैद्य या छात्रकर विनी अथ अगि
 धिन पुत्र्य स आनन्धिय न करणा तामि रा न दिखाना माहीं को पूर्ण उरु पहनना कुच न दिखाना हाथ न या बन्ध
 ये मुक्त हँसकर ही जाय म हैयना अपन पनि या मन्धरनी म पुत्रा न करणा मन्धरा जुवा लान बाणी स्त्री अभिमन्धरा
 (प्रेमियो म मिल्ने क मिए स्थान एव काम ठीत करम बादी) मानुनी मन्धिय कने बादी स्त्री बापू-जाना एक गुन
 क्रिया करनबासी बुधब्रिजा स्त्री का माय न करणा बाशिणु, कवीणि जैमा कि बिज छोगा न कजा है बन्ध पर की स्त्री
 भी बुधब्रिजा क माय से बिगड गवनी है।^१ कूट ह्-एकर क माय से बाने विष्णुधर्मसूत्र (२५।१६) म भी पायी
 जाती है। श्रौषी न कजा है—“मिरा पनि ना मही गाना पीना या पाना मी भी उम मही लानी पीनी या पानी।
 मी पाण्डवा की कुल मन्धरि अथ एक स्यर का स्यौरा जाननी हूँ” (बन-ध २३३)। कामसूत्र (६।१।३२) न भी
 माय पर क माय-धर्म की आनकारी क मिए स्त्री का आदमित किया है।

मनु (८।३६९) न ब्रिज मारी म बान करन पर पुर्य क मिए एक मुबग दण्ड की व्यवस्था की है मात्रमस्य
 (२।२८५) न (पनि या पिता द्वारा ब्रिज) पुर्य म बान करने पर स्त्री के लिए एक मी पण दण्ड की व्यवस्था की है
 तथा ब्रिज मारी म बान करन पर पुर्य क मिए भी पण दण्ड की व्यवस्था की है। बृहस्पति क अनुसार स्त्री का अपन
 पनि एक अथ गुरुवना के पूर्व ही मोक्षर उठ जाना बाशिणु, उरु-सा मन् क उपराल मोक्षर एक स्यत्रल यन्दा बाशिण
 तथा उनसे नीच कामल पर बैठना बाशिणु (स्मृतिब्रिजवा व्यवहार पृ २५७ म उद्धृत)। शाल-निमित्त क मनु
 मार पनि की आज्ञा स ही पत्नी प्रम उपवास नियम दण्ड-युक्ता आदि कर मानी है।^२

पुराणा न भी स्त्रीधर्म के विषय म बहुधा विचार्य मे किया है। बी-गक उराहण्य मही रिय जा ग्ग है। माय-
 धन (७।२।२९) क अनुसार जो मारी पनि का हरि के ममान माननी है वह हरि के सोह म पनि क माय निशाम करनी
 है। स्वल्पगुण्य (अथर्वण्ड बर्गिष्य-गर्गिउद अध्याय ७) न पनिजना स्त्री क विषय मे विचार्य के माय किया
 है— पत्नी का पनि का नाम मही देना बाशिणु एव बाद-बध्न मे (पनि का नाम न लन म) पनि की बापु बरनी है
 उन बूने पुर्य का भी नाम मही देना बाशिणु आइ पनि उम उच्च स्वर म अगवनी ही क्या न मिय क गजा। पीनी

१४ मनुवता गृहप्रियच्छेत्। मानुत्तरीया। न स्वरितं क्सेत्। न परपुत्र्यमभियामयाम्यत्र ब्रिजब्रिजिन-
 बुद्धवैद्यम्। न नार्ति बर्तयेत्। आ पुण्ड्यायाम् परिव्रज्यात्। न स्तनी विवृती कुर्वीत्। न ह्येवतासुता। धर्गार
 तद्वन्धुव्या न द्विष्यत्। न पक्षिवा-युर्गतिस्तारिणी-प्रब्रजिताप्रेक्षिषामायासुहृत्कारिबगु-सीकाबिबि-
 महैव निष्कृत्। लभ्येण हि कुलप्रीत्या बाशिण्यु व्यति।—मिताक्षरा द्वारा मातृबन्धु (१।८७) की हीना म
 उद्धृत अथर्वक (पृ १७) मन्धरिजाल (पृ १९५) स्मृतिब्रिजवा (व्यवहार, पृ २४२-२५ एव विवाह
 रत्नाकर (पृ ४३) परपुत्र्य से बान करने क विषय मे देविणु बन्धु (२६६।३)—एका ह्यह मन्धरि ते न
 वाचं वदति चे भद्र निषाध वेदम्। अह स्वल्पे कथमेवमेवा स्वामाकपेय निरता स्वधर्म ॥ मिताक्षर अनुशासनवध
 (१५६।४३)। शाल द्वारा प्रयुक्त ‘मूलकारिका’ का अर्थ है अदी-बुटी द्वारा कपीकरण करनेवासी। और देविणु बन्धु
 (२३३।७-१४) त्रिमये अन्तिय बाण्य है “मूलप्रचारहि विद्य प्रवच्छलि त्रिपामर.।”

१५ पुर्वाशाम् धरन्धरिणीं श्रीमन्धरिणीं। जयग्यात्मनोपिष्ये धर्म स्त्रीवापुसाहृतम् ॥ ब्रह्मचरि
 (स्मृतिब्रिजवा व्यवहार, पृ २५७ म उद्धृत)।

धर्मरुद्रया इतोपशामनियमेप्यारीनामारम्भ स्त्रीधर्म। प्रबलितित (स्मृतिब्रिजवा व्यवहार, पृ २५२
 म उद्धृत)।

सभी स्थाता पर ऋषेय में पुत्रोत्पत्ति की वर्षा पचासी है (ऋषय १।९।१२ १। २।११ ३।१।२२ आदि)। मनु (६।२५) में लिखा है कि बिना तीनों ऋषो से मुक्त हुए किसी को मंडल की उमिषाया नहीं करनी चाहिए। श्लेठ पुत्र के नाम देने से ही पितृऋण से छुटकारा मिल जाता है। इस विषय में देखिए मनु (१।१३७) बसिष्ठ (१७।५) विष्णुध (१५।४६) मनु (१।१३२) आदि-वर्म (१२१।१८) विष्णुध (१५।४४)। पुत्र तथा स्त्री लिए विष्णुध है कि यह (पुत्र) अपने पिता की पुत्र नामक नरक से रक्षा करता है। मिश्रत (२।२) में पुत्र की स्मृतिपति स्त्री वर्णन की है। इसके अतिरिक्त पितरा को सर्वप्रथम पित्र्य दान की वर्षा कर्तव्यी महत्त्वपूर्ण द्य से हुई है। विष्णुधर्मसूत्र (८।१००) वनपर्व (८।१।९७) एव मत्स्यपुराण (२ ७।३९) में आया है— 'यदि नो वर्ध पुत्रो की आशा रखनी चाहिए, जिनमें से एक गया म (भाय करमें) अवश्य प्राय।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी अपने पति को दो ऋणा से मुक्त करती है—(१) घर में साव बेकर बेवञ्चन से तथा (२) पुत्रोत्पत्ति कर पितृऋण से। अतः प्रत्येक भारी का ध्येय ही जाता है विवाह करने सत्तानोत्पत्ति करवा। पुत्रहीन स्त्री निर्धृति बाम्नी (अमायी) होती है (शतपथब्राह्मण ५।२।२।२)। इस विषय में और देखिए मनु (१।१६) एव नारद (स्त्रीपुत्र १९)।

पत्नी के कर्तव्यों के विषय में स्मृतियों पुराणा एव निबन्धा में पर्याप्त वर्णन हुई है। सबको विस्तार से नहीं उपस्थित करना कठिन है। बहुत ही संक्षेप में कुछ प्रमुख बातें यहाँ उल्लिखित होनी। इस विषय में सभी वर्मशास्त्रकार एकमत है कि पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना एव उसे देवता की भाँति सम्मान देना। जब राजकुमारी मुक्त्या का विवाह बड़े एक शीर्ष-शीर्ष ऋषि अथवा से हो गया (सुकन्या के नाश्या ने अथवा का अपमान किया था) तो उसने कहा— मैं अपने पति को जिन्हे मेरे पिता ने मेरे पति के रूप में चुना है उनके जीते-जी नहीं छोड़ सकती (शतपथ-ब्राह्मण ६।१।५।९)। शास्त्रलिखित क मत से पत्नी को चाहिए कि वह अपने मनुष्य कोपबुद्धि-युक्त पतिन बग से अपने श्रेणी पति को म छोड़े क्योंकि पति ही पत्नी का देवता है। यही बात कुछ अन्तर के साथ मनु (५।११४) याज्ञवल्क्य (१।७७) रामायण (अयोध्याकाण्ड २४।२६-२७) महाभारत (अनुशासनपर्व १४६।५६, आत्मनेभिकर्ष ९।९१ शान्तिपर्व १४८।६-७) मत्स्यपुराण (२।१।१८) कामिशास्त्र (शा ५) आदि में पायी जाती है। मनु (५।११९ १५६) याज्ञवल्क्य (१।८३-८७) विष्णुधर्मसूत्र (२।५।२) वनपर्व (२।३।१९५८) अनुशासनपर्व (१२३) आत्म-स्मृति (२।२ ३२) बृहद् हारीठ (१।१।८४) स्मृतिचन्द्रिका (गणहारा पृ २४९) मदनपारिकर (पृ १९२-१९५) तथा अन्य निबन्धा में पत्नियों के कर्तव्यों के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कर्तव्यों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

पत्नी को सदा हंसमुख आगस्त्र बस दुःखल गृहिणी बरतनी पति की आँखों को स्वच्छ रखनेवासी एव मितलक्षी होना चाहिए (मनु ५।११५)। मनु ने पत्नी के सिवा निम्न कार्य छोड़े हैं—बन सौतेला ध्यय करना बस्तुओं को स्वच्छ एव धरतीन से रक्षना धार्मिक इत्य करना मोहन पकाता तथा सभी प्रकार के गृह-सम्बन्धी कार्य करता करना (मनु १।११)। मनु (१।१३) के अनुसार आसन्न पीना दुष्ट प्रकृति के छागों के साथ रहना पति में डूर रहना डूर-डूर (नीर्ययाता म था नहीं) बसना दिन में नीना अवनवी में बर में रह जाना—ये छ दोष विवाहित भारियों को पीत कर डाकते हैं। आदिपर्व (७।४।१२) एव साङ्ख्यिक (५।१७) में पति से डूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। स्त्री बाल मार्कण्डेयपुराण में भी पायी जाती है (७।७।१९)। याज्ञवल्क्य (१।८३ एव ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य हैं—घर के बरतन दुर्घटि आदि को उसने उचित स्वाम पर रखना बस होना हंसमुख रहना मितलक्षी होना पति के मत के योग्य कार्य करना स्वयं एव साव के पीर दबाना सुन्दर द्य से बहना दिनगा एव अपनी इन्द्रियों को बध में रखना। छय में निम्नलिखित बातें नहीं हैं—बिना पति या बड़ों की आज्ञा क घर के बाहर न जाता बिना दुर्घटि

(उत्तरीय) जोड़े बाहर न जाना उबन न धमना बनापारी सन्यामी बूड़े आवमी या बँध को छोड़कर किसी अन्य अपरि-
 भिन पुरुष से बार्ताबाप न करता भाभि को न लिखाना साडी को एणी तक पहनना कुछ न दिखाना हाथ स या बरत
 से मुझ डेंकर ही बोर स हैंयना अपन पति या सम्बन्धी स बुगा न करना पछिका बुझा लखन बाकी स्त्री वमिमारिका
 (मैथियो से मिसन के लिए स्थान एक काठ ठीक करन बासी) मातुती मबिच्य कहते बासी स्त्री जादू-जेना एक गुप्त
 जिया करनेबासी दुस्वरिना स्त्री का साथ न करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मित्र लोगों ने कहा है उच्छ्वर की स्त्री
 मी दुस्वरिने के साथ से बिगड़ सकती है। कुछ हेर-फेर के साथ स बाते विष्णुधर्मसूत्र (२५।१६) में भी पायी
 जाती हैं। इीपवी ने कहा है—'मेरा पति जो नहीं खाना पीना या पाता मैं भी उस वही खानी पीनी या पाती।
 मैं पाण्डवों की कुछ सम्पत्ति भाय एक ब्यय का ब्यीरा जानती हूँ' (धन-धर्म २३३)। कामसूत्र (१।१। २) में भी
 साथ मर क आय-ब्यय की जानकारी क किए स्त्री को आर्षेपित किया है।

मनु (८।३६१) में बर्जित नारी से बात करन पर पुरुष क किए एक सुबर्न दण्ड की व्यवस्था की है याज्ञवल्क्य
 (२।२८५) में (पति या पिता द्वारा बर्जित) पुरुष से बात करने पर स्त्री के लिए एक छो पत्र दण्ड की व्यवस्था की है
 तथा बर्जित नारी से बात करन पर पुरुष क किए दो मी पत्र दण्ड की व्यवस्था की है। बृहस्पति के अनुसार स्त्री का अपन
 पति एक अन्य गुरुजनो क पूर्व ही सोकर उठ जाना चाहिए, उनसे का लने के उपरान्त मोहन एक व्यजन लेना चाहिए
 तथा उनसे लीच आगन पर बैठना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार पृ २५७ में उद्धृत)। धर्म-निमित्त के अनु-
 सार पति की आज्ञा स डी पत्नी बत उपवास नियम देव-युवा आदि कर सकती है।

पुराणों में भी स्त्रीधर्म के विषय में बहुधा विस्तार से लिखा है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। भाग
 वद (७।२।२९) के अनुसार जो नारी पति को हरि क सगान मानती है वह हरि के लोच में पति क साथ निवास करती
 है। स्कन्दपुराण (ब्रह्मवैवर्त-परिवर्त-अध्याय ७) में पतिपता स्त्री के विषय में विस्तार क साथ लिखा
 है—'पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे चास-बछल से (पति का नाम स लेने से) पति की आयु बढ़ती है
 उसे हुनरे पुरुष का भी नाम नहीं लेना चाहिए, चाठ पति उध उच्छ्वर से भयगामी ही क्यों न सिद्ध कर रहा हो पीती

१४ मनुकता युवाभिर्गच्छेत्। नामतरीयाः। न स्वरित वजेत्। न परपुरुषमभिभाषेताम्बरं बभिवप्रवर्जित
 युवर्षेद्येभ्यः। न नामि बलेयेत्। आ मुक्ताहात परिदम्भ्यात्। न स्तनी विदुनी कुर्मत्। न हुतेवपाम्भता। भर्तारं
 वृकाम्भ्या न द्विष्यात्। न बचिका-युताभिसारिणी-प्रवर्जितायेकविनामायामुक्तुहुक्कारिकायु श्रीलादिभि-
 त्तैक्ये सिधेत्। तत्पेन हि कुलस्त्रीणा चारिण्यं दुष्यति।—मिताम्बर द्वारा याज्ञवल्क्य (१।८७) की टीका से
 उद्धृत, अथारठं (पृ १७) मदनपारिजात (पृ १९५) स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ २४९, २५ एवं विवाह
 रत्नाकर (पृ ४३); परपुरुष से बात करने के विषय में देखिए धनधर्म (२३६।३)—एक इटाह तम्प्रति से न
 बार्षं बरानि कं मड निबोध देवम्। बहु स्वरथ्ये कथयेत्मेका स्वाभालयेय निरता स्वधर्मं॥ मिताम्बर अनुसार
 (१४६।४३)। हाथ द्वारा प्रयुक्त 'मूलाचारिका' का अर्थ है कडी-बूटी द्वारा बरौकरण करनेबासी। और देखिए धनधर्म
 (२३३।१०-१४) जिससे अन्तिम बाधम है "मूलप्रचारिहि विषय प्रयच्छन्ति जियात्तव।"

१५ पुरोत्थानं पुरुषवर्जितं मोहनव्यम्भनक्रिया। जयम्यासनहासिक्रियं धर्मं स्त्रीनामुदाहृतम्॥ बृहस्पति
 (स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार, पृ २५७ में उद्धृत)।

मनुपुराण अनेवधाननियमेत्यादीनामारम्भः स्त्रीधर्मः। धर्मलिखित (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ २५२
 में उद्धृत)।

जाने पर उस जोर से रोना भी नहीं चाहिए, उसे हँसमुख ही रहना चाहिए। पतिव्रता की हस्ती कुटुम्ब मित्पूर, ब्रह्म, कचुनी (पानी) ताम्बूल धूम आभूषण का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने बेटों को सबाग करना चाहिए। पद्म पुराण (सृष्टिकण्ड अध्याय ४७ ब्रह्मा ५५) का कहना है कि वह स्त्री पतिव्रता है जो कार्य में बासी की मति रखने में अल्पग धैर्यी भोजन देने में मर् की मति ही तथा विपत्ति में मन्दी (बन्धी-मन्धी राय देन वाली) ही।

जब पति यात्रा में घर से दूर हो तो पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए? इस विषय में विशिष्ट नियमों की व्यवस्था की गयी थी। सदासिद्धि (अपराध द्वारा उद्धृत पृ १८ स्मृतिव्यवस्था व्यवहार, पृ २५३) के अनुसार पति के दूर रहने पर (यात्रा में) पत्नी को मुक्ता नृत्य वृत्त्याभोजन शरीरानुसेपन वाटिका-परिभ्रमण कुले स्नान म ध्यान मन्त्र एव मुखाभु भोजन एव पेय गद-श्रीडा मुनयित धूप-याचारि पुष्पो आभूषणो विशिष्ट इन स एवम्, अन्न से दूर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।८४) ने यही बात संक्षेप में कही है—“जिह स्त्री वा पति विषेध बना हो उसे क्रीडा-नौतुक शरीर-स्नाना समाजा एव उत्सवा का रचन हैसता अपरिचित के घर में जाना चाहिए छोड़ देना चाहिए। अनुशासनपर्व (१२३।१७) के अनुसार विषेध गये हुए पुरुष की पत्नी को अन्न रोचन नैवमिक स्नान पुष्प अनुसेपन एव आभूषण छोड़ देने चाहिए। मनु (१।७४-७५) में पति को विषेध-गमन के समय अपनी पत्नी की नीबिका का प्रबन्ध कर देने की वृत्ता है क्योंकि ऐसा न करने से पत्नी दुःख में जा सकती है। उल्लिखित है—

पत्नी की नीबिका भरण-योग्य का प्रबन्ध करके जब पति विषेध चला जाता है तो पत्नी को व्यवस्था के भीतर ही रहना चाहिए यदि पति बिना व्यवस्था किये चला जाय तो पत्नी को सिखाई-बुनाई जैसे सिस्म द्वारा अपना प्रतिपादन कर देना चाहिए। यही बात विष्णुधर्मसूत्र में भी पानी जाती है (२५।११)। व्यास-स्मृति (२।५२) के अनुसार विषेध गये हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीका एव दुःखी बना लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का शूभार नहीं करना चाहिए उस पतिपरदायक होना चाहिए, उसे पूरा भोजन नहीं करना चाहिए तथा अपने शरीर को मुखा देना चाहिए। क्रिया मन्त्र (१।८०-८१ एव ८५) के अनुसार विषेध पति वाली पत्नी को पुरोहित की सहायता से अग्निहोत्र के नैवमिक कर्तव्य आचरणक इष्टियाँ एव वितुष्य करने चाहिए, किन्तु सोमयज्ञ नहीं करना चाहिए।^{१९}

स्मृति-ग्रन्थों में पतिमा की पति-भक्ति एव निरमो के पावन बारि के विषय में बहुत विस्तार पाया जाता है। मनु (१।२९३ — ५।११५ एव ११४) का कथन है— ‘जो पत्नी विचार, धर्म एव कार्य से पति के प्रति सख रहती है वह पति के साथ स्वयिक लोको को प्राप्त करती है और साध्वी (पतिव्रता) कही जाती है जो पति के प्रति बल रहती है वह निन्दा की पात्र होती है आग के जल में सिवाग्नि क क्षय में उत्पन्न होती है और भयकर रोमों से पीडित रहती है। यही बात याज्ञवल्क्य (१।७५ ए ८७) ने कुछ दूसरे ढंग से कही है। बृहस्पति ने पतिव्रता की परिभाषा भी की है— (वही स्त्री पतिव्रता है जो) पति के कार्य होने पर आर्त होती है प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है पति के विषेध गमन पर मन्त्रिण वैश धारण करती और दुर्बल हो जाती है एव पति के मरण पर मर जाती है।^{२०}

१९. अन्नजन रोचना चैव स्नान मस्यानुसेपनम् । प्रतापन च निष्कर्मो नामिन्त्वामि कर्तरि ॥ अनुशासन-पर्व १२३।१७ ।

विश्वर्षीमचरना देहसम्कारवञ्जिता । पतिव्रता निरहारा सौम्यते प्रीयते स्त्री ॥ व्यासस्मृति २।५२ ।
अतोऽग्निहोत्रं मित्येधिः किन्तु च इति वयम् । कर्तव्यं प्रीयते पत्नी नामस्तस्वामिक्रियात्मिकम् ॥ क्रियाव्यवहारा (१।८१) ।

२०. आशर्तौ मुक्तिं ह्यष्टा प्रीयते मन्त्रिणा ह्युताः । कुते चिपेत वा पत्नी सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता ॥ बृहस्पति, इति अपराधं मे पृ १९ तथा जितसारा (याज्ञवल्क्य २।८५) ने (हारीत का कथन बहकर) उद्धृत किया है।

प्राग्भाष्य पूर्व पुराणों में पतिव्रता के विषय में अतिविविध कथाएँ मरी पड़ी हैं। कनकपर्व (१३।१८-३९) में माता है कि कनकपत्नी ने उस मन्वन्तक किराड़ी की चाप विद्या को उसकी और कामुक रूप से बना रहा था और वह मर गया। अनुशासनपर्व (१२३) में शाबित्री ने मुमना कैंकरी से कहा कि उसने बिना चापाय बरत (सत्यानियों क बरत) धारण किये बिना कच्छ धारण किये बिना सिर मुझसे या जग रखाये देवत्व प्राप्त किया क्योंकि वह पतिव्रतपत्नी के लिए स्वयस्विक सारे नियमों का पालन करती थी यथा—यदि जो कर्कस बचन न कहता पति द्वारा न कामे जानेवाले भोजन का त्याग धारि। अनुशासनपर्व (१४६।४-९) में पतिव्रता स्त्रियों के नाम तथा उनका गुणा का बखान पाया जाता है। शाबित्री ने पतिव्रता होने के कारण मम के हाथ से अपने पति के प्राण छुड़ा किये। शाबित्री एवं सीता के भार्य मालीय भारियों के औरतपुत्र भार्य रहे हैं। कनकपर्व (२-५२-६) में भी पतिव्रता की माया है। शम्भुपर्व (१३) में पतिव्रता नाटी पात्कारी की शक्ति का बर्णन है। गात्राटी चाहने पर विरज को मन्म कर सकती थी मूर्त्त एवं चन्द्र की पति बन कर सकती थी। स्कन्दपुराण (३ ब्रह्मसंह ब्रह्मराम्य-भाग अध्याय ७) में कतिपय पतिव्रताओं के नाम किये हैं, यथा—अरुन्धती यमपुत्रा शाबित्री घाण्डिका सत्या मना तथा लिखा है कि पतिव्रताएँ अपने पतिवा को ममपुत्री की पकड़ से उठी प्रकार बंध सकती हैं जिस प्रकार व्यासप्राड़ी (संपिता) बिना म से कनकपूर्वक धर्म की बंधेता है। पतिव्रताएँ पति के साथ स्वयंसेवा करती हैं और यमपुत्र उन्हें देखकर तुरंत माय जाने हैं।

पत्नी का प्रमुख कर्तव्य वा पति का आदर-उत्कार एवं सेवा करना मन् उसे सहा पति के साथ रहना चाहिए और पति के घर में निवासस्थान जाने का उसका अधिकार था। पति के यहाँ उसे अपने मरण-शोषण का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। मनु (११।१) के अनुसार 'बड़े माता-पिता पतिव्रता स्त्री छोटे बच्चे का मरण-शोषण एक ही निष्ठ पर्व करते भी करना चाहिए' (मेधाविधि—मनु ३।६२ एवं ४।२५१ मिताश्रय—याज्ञवल्क्य १।२२४ एवं २।१०५)। राम (१।५९—कण्व आश्रय १।७४) ने पौष्पवर्ष (के शोग मिनका प्रतिपादन प्रत्यक्ष व्यक्ति को चाह वह कितना ही बड़ हो करना पड़ना है) के विषय में योक्तियाँ हैं—“माता-पिता मृत, पत्नी बच्चे धारण म बाये हुए हीन व्यक्ति, बन्धि एवं बन्धि पौष्पवर्ष के अर्पण भाते हैं। मनु (८।३८९) के कथानुसार जो व्यक्ति अपने माता-पिता, पत्नी एवं पुत्र को अतिष्णुन म होने पर भी छोड़ देता है तथा उनका मरण-शोषण नहीं करता है, वह राजा द्वारा पद का हनन पाता है। याज्ञवल्क्य (१।७४) के मत से पत्नी के मरण-शोषण पर ध्यान न देनेवाला व्यक्ति पाप का मापी होता है। पुन याज्ञवल्क्य (१।७९) के अनुसार मातापिता परिधमी पुत्रवती एवं मधुरयापिणी पत्नी को छोड़ देना पर सम्पत्ति का ३ भाग दे देना चाहिए, तथा सम्पत्ति न रखने पर उसके मरण-शोषण का प्रत्यक्ष करना चाहिए। यही बात नारद (स्त्रीगुण ९५) में भी कही है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१६३) के मत से पत्नी को छोड़ने पर नार का दण्ड मिलता है। याज्ञवल्क्य (१।८१) के अनुसार पति को पत्नीपरायण होना चाहिए, क्योंकि पत्नी की (धर्म में पिरने से) रक्षा करनी चाहिए, अपति उठती रखा करना मावश्यक है। याज्ञवल्क्य (१।८८) मनु (४।२३१ १३४) अनुशासनपर्व (१-४।२१) एवं मार्कण्डेयपुराण (३।५६२ १३) में व्यक्तिपार की बड़ी निन्दा की है। याज्ञवल्क्य (१।८) की टीका में विश्वकर्म ने लिखा है कि स्त्री का रक्षण उनका प्रतिनिधता रखने से सम्भव है मरण-शोषण से नहीं क्योंकि मरण-शोषण से उनसे (पत्नी के) जीवन का डर रहता है। मनु (९।५-९, १।१०-१२) के स्त्री-रक्षा की बात कथानी है और कहा है कि यह बन्दी बन्धक रखने या शक्ति से सम्भव नहीं है, प्रयुक्त पत्नी का निम्नलिखित कार्यों में सक्तन का देन से ही सम्भव है यथा आय-व्यय का ध्यान रखना कुर्मी-वैद्य (अपस्कर) की टीका करना घर की सुन्दर एवं शक्ति रखना जीवन बचना। उस (पत्नी को) मरने या निवृत्तनर्म के विषय में बचना चाहिए। विष्णु पति की मृत हो गिना की प्रति धार्तरिक दण्ड देने का भी अधिकार था यथा रस्ती या बर्तन की पत्नी छोड़ी में पीर पर मिर पर नहीं मारता। इस विषय में देखिए मनु (८।२९९ ३) एवं मत्स्यपुराण (२२।१।५२-१।५४)।

पति को पत्नी की बीमिका का प्रयत्न तो करना ही पड़ता था साध-ही-साध उस उसके साथ सधोम भी करता पड़ता था क्योंकि ऐसा न करने पर उस पर भ्रूण-हत्या का दोष लगता था। पत्नी को भी पति की छ मीन-इच्छा पूर्ण करनी पड़ती थी क्योंकि ऐसा न करने पर वह भी भ्रूणहत्या की अपराजिनी विन्वनीय और त्याज्य हो जाती थी।”

व्यभिचार एव स्त्रियाँ

भारतीय ऋषियों ने अपनी मानवता का परिचय सबैव किया है। यदि पत्नी का व्यभिचार सिद्ध हो जाय तो पति उसे घर के बाहर कर उसे छोड़ नहीं सकता था। मीतम (२२।१५) के मत से सर्वोत्तम मष्ट करने पर स्त्री को प्राप्तिवत् करना पड़ता था किन्तु खाना-नपका बैकर उसकी रसा भी जाती थी। याज्ञवल्क्य (१।७ ७२) ने बोधित किया है— अपना सर्वोत्तम मष्ट करने वाली स्त्री का अधिकार (भौकर जाकर आदि पर) छीन लेना चाहिए, उसे कम्बे बत्न पहना देने चाहिए, उसे उतना ही भोजन देना चाहिए जिससे वह भी उसे उसकी मर्तना करनी चाहिए और पृथिवी पर ही सुकाना चाहिए। मासिक धर्म की समाप्ति के उपरान्त वह पवित्र ही जाती है। किन्तु यदि वह व्यभिचार के समीप से धर्मवती हो जाय तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि वह अपना धर्म मिरा दे (भ्रूण-हत्या कर ले) पति को मार डाले या कोई ऐसा पाप करे जिससे कारण वह अतिभ्युत हो जाय तो उसे घर से निकाल देना चाहिए। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१।७२) की व्याख्या में लिखा है कि ब्राह्मणों शत्रियों एवं वैश्यों की पत्नियों यदि ब्रह्म से व्यभिचार करण धर्म कारण न किये हों तो प्राप्तिवत् करने पवित्र हो सकती हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में नहीं। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि स्वामि जाने का तात्पर्य है धार्मिक दृष्टि में करने देना तथा समीप में करना न कि उस घर के बाहर सब पर रख देना। उसे घर में ही पृथक् रखकर उसके भोजन-वस्त्र की व्यवस्था कर देनी चाहिए (याज्ञवल्क्य १।२९७)। ब्रह्मिष्ठ (२।११) के मत से केवल घर प्रकार की पत्नियाँ त्याग जाने योग्य हैं—शिव्य से समीप करने वाली पति के ब्रह्म से समीप करने वाली विद्वय रूप से वह जो पति को मार डालने का प्रयत्न करे और बौधे प्रकार की वह जो गीभी जाति (यथा घट जाति) के किसी पुरुष से समीप करे। मारव (स्त्रीपुत्र ९१) ने लिखा है— व्यभिचारिणी स्त्री का मुग्धन कर दिया जाना चाहिए, उस पृथिवी पर सोना चाहिए, उस निष्टुष्ट भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए और छतना धर्म होता चाहिए पति का घर-बार स्वच्छ करना।” गीभ जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर गीतम (२।११४) धान्तिपर्व (१९५।१४) मनु (८।१७१) ने बहूत बड़े बड़ की व्यवस्था की है, जहाँ उड़े राजा की आज्ञा से मुक्तो द्वारा मोक्षवाचक मरवा डालना चाहिए। श्याम (२।४९-५) ने लिखा है—“व्यभिचार में पकड़ी बनी पत्नी को घर में ही एतना चाहिए, किन्तु धार्मिक दृष्ट्यो एक सभाग के उसके सारे अधिकार छीन लेने चाहिए। धन-उत्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा उसकी मर्तना की जाती रहती किन्तु वह व्यभिचार में उपरान्त उसका मासिक धर्म कारण ही

१८. बोधि बर्तमानुत्तमी यो धार्या नापिगच्छति । तदुस्य भ्रूणहत्याया दोषमुत्पद्यतधमम् ॥ अतुमसो मु यो जातो ताप्रयो नपपच्छति । विमरस्तस्य तस्यास तस्मिन्गच्छति दोरते ॥ अर्धः प्रतिनिवेष्टेन या धार्या स्वभवेदुत्तुम् । तां वामभ्ये विदवाप्य भ्रूणघ्नी विधेदुत्तुम् ॥ श्री य सु (४।१।१८ २ ९) । विदवाप्य ने याज्ञवल्क्य (१।७२) की टीका में इन हसीनों की बाधायन रचित माना है। तर्क (९८) में श्री बाधायन की बात नहीं है। यही बात बरामार (४।१४ १५) में भी पायी जाती है।

१९. ब्राह्मणकविद्विजां धार्या दूहक लवता । अयज्जाता विगुञ्जति प्राप्यद्विजतेन नैतरः ॥ अतस्तनु वरित्याग्या शिव्याया वृद्धा च वा । बलिघ्नी च विदेषन अन्तिरोपला च वा ॥ ब्रह्मिष्ठ (२।१।१९ एवं १) ।

यान और बहु पुनः स्वमिथार में संकल्प न हो तो उसे पुनः पत्नी के सारे अधिकार मिला जान चाहिए। मनु (११। १७७) ने अग्नि बुद्धा एव स्वमिथारिणी गारी को एक प्रकोष्ठ में बन्ध कर देने को कहा है और स्वमिथारी पुत्रया द्वारा निवृत्त होने वाले प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है।^२ इसके विषय में और दसिए अग्नि (५।१-५) परापर (४।२ एव ११।८०) तथा बृहस्पति (४।३९) ।

उपर्युक्त विवेचना के उपरान्त हम निम्न निम्नवर्तिकास सकते हैं—(१) स्वमिथार के आभार पर पति पत्नी को छोड़ने का सम्पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है। (२) स्वमिथार साधारण एक उपपातक है और पत्नी द्वारा अनुकूल प्रायश्चित्त करने पर क्षम्य हो सकता है। (३) स्वमिथार करने के उपरान्त प्रायश्चित्त कर सिये जान पर पत्नी को सारे अधिकार पुनः मिला जाते हैं (बृहस्पि २१।१२, याज्ञवल्क्य १।७२ पर मिताक्षरा एव अपराध ५। १८) । (४) जब तक प्रायश्चित्त न पूरा हो जाय स्वमिथारी को अल्प भोजन मिठना चाहिए और अधिकार-भुक्त होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।७ धातिपूर्व १६५।६६) । (५) बृह से स्वमिथार कर देने पर यदि पत्नी को बन्धना हो या यदि वह भ्रूण-हत्या की अपराधिनी हो पति को मार बालने की चेष्टा करने वाली हो या किसी महापातक की अपराधिनी हो तो वह धार्मिक कृत्यों तथा समोस के सारे अधिकारों से वंचित हो जायगी एक कोठरी या घर के निकट ही किसी भीतरी में बन्ध रखी जाय उसे अल्प भोजन तथा निहृष्ट बस्त्र मिठना मले ही उसमें प्रायश्चित्त कर किया हो (दसिए अग्नि २१।१ मनु ११।१७७ याज्ञवल्क्य १।२९७-९८ तथा उन पर मिताक्षरा) । (६) पत्नी याज्ञवल्क्य (१।७२, १।२९७-२९८) बृहस्पि (२१।१ या २८।१७) में बधित कुण्डों का न करने वाली हो उसे अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान दिया जायया चाह वह प्रायश्चित्त करे या न करे (याज्ञवल्क्य १।२९८ पर मिताक्षरा) । (७) उन पतिव्रता को जो स्वमिथार तथा याज्ञवल्क्य (१।७२ तथा ३।२७-८) द्वारा बधित कुण्डों का न करने वाली हो किन्तु प्रायश्चित्त करने के लिए सप्रयत्न होती हो अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान दी नहीं सिये जान चाहिए (याज्ञवल्क्य १।२९८ पर मिताक्षरा) ।

बाणभद्रमयमयुक्त (२।६।१३।१६ १८) ने पति-पत्नी को धार्मिक कृत्या में समान माना है क्योंकि मनु व मनु में पति और पत्नी एक ही हैं (मनु ९।४५) । किन्तु प्राचीन ऋषियों ने व्यावहारिक एव सामुदायिक बातों में यह समानता नहीं मानी। एक-दूसरे की सम्पत्ति पर पति एव पत्नी के अधिकारों एव स्वत्वा तथा एक-दूसरे के ऋणों पर पति एव पत्नी के उत्तरदायित्व पर हम विस्तार के साथ आये गये। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि पत्नी का पति का ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साधारण कोई उत्तरदायित्व नहीं था जब तक कि वह ऋण कुटुम्ब के उपयोग के लिए न किया गया हो (याज्ञवल्क्य २।४६) । इसी प्रकार स्त्रीयन पर पति का कार्य अधिकार नहीं था जब तक कि ब्रह्मकर्म पर या कोई धार्मिक कृत्य करना आवश्यक न हो जाय या कोई रोग न हो जाय या स्वयं पति बन्धन हो यान (याज्ञवल्क्य २।१४७) ।

नारद (स्त्रीयुक्त ८९) के मत में पति या पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि वे एक-दूसरे के विपक्ष राजा

२ स्वमिथारे स्त्रिया मीरहृयमयः दायमेव च । बन्धनं वा कुबालाव च म चावस्वरोऽग्रमम् ॥ नारद (स्त्रीयुक्त ९१) । स्वमिथारेण बुद्ध्यां तां पत्नीया द्यातादुनी । हृतत्रिषणकरणां विवृतां च बन्धेऽपि ॥ बुतस्ता-
नतस्म्यन्तां पूर्ववद् व्यवहारयेत् ॥ ध्याम (२।४५-५) ।

३ स्वमिथारी की अग्नि के अनुसार ही प्रायश्चित्त करना या जारी होना है। मनु (११।६) के अनुसार स्वमिथार एक संपातक है और इसके लिए साधारण प्रायश्चित्त ही भोजन या चाक्रायन (मनु ११।११८) ।

वा सम्बन्धियों के समस्त आवैदान-पत्र के रूप में कोई व्रतियोग उपस्थित कर सकें। याज्ञवल्क्य (२।२९४) की व्याख्या निम्नाश्रया का रूप है कि यद्यपि पति एव पत्नी बाबी एव प्रतिबाबी के रूप में एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते तथापि यदि राबा के कानों में पति या पत्नी द्वारा एक-दूसरे के विरोध में किये गये अपराध की ध्वनि पहुँच जाय तो उसका कर्मव्य है कि वह पति या पत्नी में ओं भी बोली या अपराधी हो उसे उचित रूप से दण्डित करे, नहीं तो वह पत्र का भागी माना जायगा। कुछ अपराधों में बिना व्रतियोग आये राबा अपनी और छ सक्त्य हो सकता है और ऐसे अपराध १ हैं यथा स्त्री-हत्या वर्तसकर, व्यभिचार पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधवा का गर्भाधान भ्रूण-हत्या आदि। यदि पति अपनी सती स्त्री (पत्नी) का परिहृत्य करता था तो उसे अपनी सम्पत्ति का ३ भाग स्त्री को दे देना पड़ता था (याज्ञवल्क्य १।७६, मारुत स्त्रीपुत्र ९५)।

स्त्रियों की दशा

जब हम प्राचीन भारत की सामान्य स्त्रियों एवं पतियों की दशा एवं उनके चरित्र के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि पत्नी पति की अर्वांगिनी कही गयी है (सतपथब्राह्मण ५।२।१।१ ८।७।२।३; तैत्तिरीय संहिता ६।१।८।५ ऐतरेयब्राह्मण १।२।५ बृहस्पति अपराध-द्वारा उद्धृत पृ ७४)। वैदिक काल में स्त्रियों में ऋष्येय की ऋचाएँ बनायीं गये पड़े तथा पतियों के साथ धार्मिक इत्ये किये। इस प्रकार हम देखते हैं कि तब पत्रात्मकानीय युव से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी। किन्तु वैदिक काल में भी कुछ लोगों ने स्त्रियों के विरोध में स्वर उठा किया उनकी अवमानना की तथा उनके साथ भ्रूषा का बरतान किया। वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के बहुत-से बचन स्त्रियों की प्रशंसा में पाये जाते हैं (बीशायतधर्मसूत्र २।२।६३ ६४ मनु ३।५५ ६२ याज्ञवल्क्य १।७१ ७४ ७८, ८२, बसिष्ठधर्मसूत्र २।८।१ ९, अत्रि १४०-१४१ एवं १९३ १९८ आदिपर्व ७४।१४ १५२, श्राम्भिलपर्व १४४।६ एवं १२ १७ अनुशासनपर्व ४६ मार्कण्डेयपुराण २।१।९९-७६)। नामसूत्र (३।२) में स्त्रियों को पुत्रों के समान माना है (द्रुसुमसधर्मयोगे हि योषित)। दो-एक अपराधों को छोड़कर स्त्रियों को किसी भी दशा में मारना वर्जित था। नैतम (२।३।१४) एवं मनु (८।३।७१) में स्पष्टसा ही है कि यदि स्त्री अपने से नीच जाति से पुरुष से अश्लेष रूप से सम्भोग करे तो उसे कुतों द्वारा मुषकाकर मार डालना चाहिए। आने चककर इस दण्ड को भी और सरस कर दिया गया और शेषक परिहृत्य का दण्ड दिया जाने लगा (बसिष्ठ २।१।१ एव याज्ञवल्क्य १।७२)। कुछ स्तुतिकारों ने बड़ी उदारता प्रदर्शित की है यथा अत्रि एव शेषक जिनके मत थे यदि कोई स्त्री पर-जाति से पुरुष से सम्भोग कर के और उसे गर्भ रख जाय तो वह आदिष्णुत मही होती शेषक बच्चा जनने या मासिक धर्म में प्रवृत्त होने पर अपवित्र रहती है। पवित्र ही जाने पर उसमें पुत्र सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और उत्पन्न बच्चा किसी अन्य को पालने में लिये दे दिया जाना है (अत्रि १९५ १९६ शेषक ५०-५१)।^{११} यदि किसी नारी ने साथ कोई बलात्कार कर दे तो वह त्याग्य नहीं समझी जानी यह शेषक आशानी मासिक धर्म में प्रवृत्त होने तक अपवित्र रहती है (अत्रि १९७-१९८)। शेषक ने म्नेच्छो द्वारा अपहृत एव उनके द्वारा भ्रष्ट की गयी तथा गर्भवती हुई नारियों की मुक्ति भी बत

१२ अश्वत्थसु यो गर्भ स्त्रीचा योनी निरिच्छते। अमुद्धा ता नवेधारी यावत्पूर्वं न मुञ्चति ॥ त्रिपुत्तो नु तत शस्ये उच्यतेपि प्रवृत्तते। तदा ता शुभ्रते नारी विना कथनं यथा ॥ अत्रि १९५ १९६; शेषक ५०-५१। अत्रि ने पुत्र कहा है—बलात्कारी प्रमुक्ता वा औरमुक्ता तथापि वा। न त्याग्या बुक्ता नारी न कामोक्ता विधीयते ॥ अनुशासन उपातन पुष्यकालेन मुष्यति ॥ १९७-१९८।

कानी है। गान्धिरां (२६:३३८) के अनुसार यदि स्त्री कुमाय म जाय तो दाम उमरा पनि वा है म रि पनी वा।
 सन्तान (बाबुगोसा म एर मज) म यज कदन बास की पली को यदि उमरा को प्रती पोना वा ता म म पट बाज
 दर्शनार कानी पानी की और म प्रसार मज कहु बेने पर भी उमे यज म भाग लेन दिया जाता वा (निर्दिश्य
 काना १११५, गान्धिरां २१:२१२ कात्यायनधौतयुत्र ५:५१६ १)।

अब हम कुछ ऐसी उक्तिरा वा भी अक्षरारन कटें, जो त्रियवा क बिदाय म पदर्श है। मैत्रायणीमित्रिता मे स्त्री
 वा 'अनु' अर्थात् शूद्र वा अक्षरारन कहा गया है (१:१०:१११)। ऋग्वेद (८:३३:१७) कण कपन म 'न री वा म
 दुर्गम' का गया है। ऋग्वेद (१ : ५:१५) एव गान्धिरां (११:५:११९) मे पाण्डित किया है— त्रियवा मे
 क कानि बिदाय मही है उना ह्यय भविष्य के ह्यय है (अर्थात् कठार एर पंगाराज वा पुन)। ऋग्वेद (५:३ :
 ५) के अनुसार त्रियवा दाम की सेवा एव अन्व-आन्व है। त्रियवामित्रिता (६:५:८:१२) का कपन है— अा त्रियवा
 त्रियवामित्रिता की है उने दाय मही मिलता क दुष्ट मे भी अक्षरार दुख ह्यय म बोधनी । यर उक्ति (आ कागाय म
 त्रियवा का मंग म की अपिरारिणी मही माननी) श्रीपायनपरमयुत्र (२:२:५३) एव मनु (११८) द्वारा दम अथ
 के अक्षरार की मही है रि त्रियवा को कर्मायन वा दाम मे भाग मही मिलता और न उने कविद मना वा अपिरारण है।
 गान्धिरां वा अनुसार रवी धार कुता एव कौशा मे अगण्य पाय एव अपरार बिदायमान कता है (१४:११:१।
 १)। इमी श्राव्य मे पुन किया है—“पण्डितो पूज वा कस्य म ह्य हने पर तथा जिना पुण्य क हाने पर न ता अरन
 ए गण्य कर्ता है और न दार (मगातिभास) पर।” गान्धिरां वा पुन किया है—“क म प्रसार त्रियवा को
 कर्मायन मही अा त्रियवा पुण्य पर अक्षरारन आधि रहती है (११:२:१०:६)।

अनुक्त कपना मे एण्ट है रि बिदित बास म भी त्रियवा कटुवा मीवी दुष्टि ग टरा मारी थी। उने मर्गात
 मे क कण मही मिलता वा तथा मे अभिग थी। त्रियवा क परिष क विपर म आ उक्तिवा है क रवी ही है एगा रि
 उर बाज म क मज एव कुटिल बिबाय बाज मगा म कहा है— हे मारी तुम दुर्बला की गार ए। परमगण्य
 म त्रियवा की दगा कुरी ही मारी कर्ता मरी कवन मर्गात क अपिरारण के बारे मे अक्षरार थावा गया। शीम
 (१:८:१) कर्मायनयुत्र (५:१ एव ३) मनु (५:१:६६ १:६८ एव ९:१० ३) श्रीपायनपरमयुत्र (१:२:५ :
 ३) एव (गान्धिरां ३१) मर्गात न पाण्डित किया है रि त्रियवा अक्षरार मही है मभी मामग मे आदि एव गण्य है
 क कण क बिदायमान एव बुद्धि मे क म म पिता पनि एव पुन द्वारा कक्षा हारा है। मनु (१ : ३) न मर्गात एव
 मर्गात मे मही एगा कान की बाज कर्ता है। मनु (५:१:६६ १:६८) का कपन है रि मभी एने काजा म गया मरी
 दाम । क रवी वा रारन कर्ता पुण्य पर मर्गात है। गान्धिरां (वाग्भाय २८ ३) का कपन है— उर त्रियवा
 दुर्गम मही है उने पनि के मर्गात। उने अण्ण-आण्ण एव मर्गात मगा कान वा ? उर कानि मर्गात।
 मर्गात का मर्गात एव न मगा पिता का पुन एव हारा है। बिदाय मे मर्गात वा अर्गात काना है मध्य कान की

३३ त्रियवा रि दाम आण्णानि कने रि वा कक्षरकला मय मेवा । ऋग्वेद ५:३:११ मर्गातमर्गातों निर्दि
 कान्धिरां कर्मायनयुत्र उपरिस्तर कर्मात। मे मे ६:५:८:१२।
 मित्रिता मर्गातमर्गात त्रियवा कान इति मर्गात। श्रीपायनपरमयुत्र (२:२:५३) मर्गात मर्गात विदा
 मर्गात क कक्षरकानि । मित्रिता वा दामगाय त्रियवा-दुर्गमिनि मर्गात । अथ (११८)।
 दवा। वा कक्षरकाने क री देवा कक्षरकानेमानेक कर्मायनयुत्रकक्षरगा एगा विद्यता कक्षरकाने मर्गात न कक्षर
 क कक्षर । एव ५:१:११:३।

नाशियाँ भी स्वतन्त्र होने पर वर्त में गिर पड़ती हैं। स्त्री का प्रमुख कर्तव्य है पति-सेवा अन्य कार्य (जब जन्मास नियम आदि) वह बिना पति की आज्ञा के नहीं कर सकती (हेमाद्रि ब्रह्मसंह १ पु १६२)।^{१४}

महाभारत मनुस्मृति अन्य स्मृतियों एवं पुराणों में स्त्रियों पर बोर नैतिक काष्ठन कमाये गये हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। अनुशासनपर्व (१९।९) के अनुसार, सुभकार का निष्कर्ष है कि स्त्रियाँ वनूत (मठी) हैं "स्त्रियो से बहकर कोई अन्य दुष्ट नहीं है ये एक छाबही उस्तुरा की मार (शुभमार) हैं, विप हैं सर्व और अग्नि हैं" (अनुशासनपर्व ३८।१२ एवं २९) "शैक्यो-हुबारी में कही एक स्त्री पतिव्रता मिलेनी (अनुशासनपर्व १९।९३) "स्त्रियाँ वास्तव में दुर्बलगीय हैं वे अपन पति के बन्धनों में इष्टी किए रखती हैं कि उन्हें कोई अन्य पुछता नहीं (प्यार नहीं करता) और क्योंकि वे गौकपे-जाकपे से बरती हैं" (अनुशासनपर्व ३८।१९)। और बेखिण अनुशासनपर्व (३८।२४ २५ एवं १९।१-७) "स्त्रियो में राजघो सम्बन्ध नमुचि तथा अन्य कोषों की बुर्रता पायी जाती है। रामायण में भी महाभारत की भाँति स्त्रियों का रोना रोया है और उनकी मरपुर गिन्या की है— वे वर्मभ्रष्ट हैं बचक हैं, क्रूर हैं और हैं विरक्ति उत्पन्न करने वाली" (अरण्यकाण्ड ४५।२९३)। एक स्वान पर मनु महाशय (९।१४ १५) बहूत अनुवार ही गये हैं— "वे कामी हैं बचक मति हैं प्रेमहीन हैं, पति-क्रोही हैं पर-गुण्य प्रेमी हैं चाहे वह पर पुरुष सुभार हो या असुभार उन्हें वो बस पुरुष चाहिए।

पुरुषों की अपनी ओर आकृष्ट करना स्त्रियों का स्वभाव-सा है जठ विद्व कोम नवयुवतियों से शावधानी से बातचीत करते हैं क्योंकि नवयुवतियाँ सभी को चाहे वे विद्व हों या अविद्व पचभ्रष्ट कर सकती हैं" (मनु २।२१३ २१४—अनुशासनपर्व ४८।३७-३८)। बृहस्पराष्टर के अनुसार स्त्रियों की काम-शक्ति पुरुषों की काम-शक्ति की आठ-गुनी होती है। सामुनिक काम में कुछ बृह लोग स्त्रियों के बोवों की मचना करते हैं—जयूत (सूठ बोलना) साहण (विबेकपूर्ण कार्य) माया (बुर्रता) मूर्खतम अति कोम अचीच (अपवित्रता) निर्बलता—ये स्त्रियों के स्वभाविक बोय हैं।^{१५}

२४ अस्वतन्त्रा धर्म स्त्री। पीतम १८।१ अस्वतन्त्रा स्त्री बुधवप्रजाता। वसिष्ठ ५।१। अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्यं पुरुषैर्बहिर्बानिनाम्। श्वियेषु च तत्रजन्त्या संस्थाप्या जातमनी बभूवुः। पिता रक्षति कीमारे भर्ता रक्षति धीवने। रक्षन्ति स्याद्विरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ मनु ९।२-३। अन्तिम बात वसिष्ठ (५।१) धीबायनधर्मसूत्र (२।१।५२), नारद (शायभाग ३१) एवं अनुशासनपर्व (२।१२१) में भी पायी जाती है।

मृते धर्मयुवाभाः प्रतिपत्ता प्रमु स्त्रियया। विविधोपात्तरजामु भरषे त च ईश्वरः॥ परिधीने वसिष्ठुने निर्मनुष्ये निराधये। तत्तपिष्येषु वास्तनु पिनुपत्ता प्रमु स्त्रिययाः॥ स्वातन्त्र्याद्रिप्रपत्यन्ति कुले जाता अवि स्त्रियः। अस्वतन्त्र्यमतस्ताता प्रजापतिरक्षत्यन्तु ॥ नारद (शायभाग प्रकरण २८३)। येवास्तिवि एवं भुल्लूक ने मनु (५।१४७) की बीजा में आया स्त्रीक "तत्तपिष्येषु स्त्रिययाः उदूत क्रिया है और हुतरा आवा और दिया है "बसइयावताने तु राजा भर्ता स्त्रिया मत्तः" जिसके अनुसार राजा की स्त्रियों का पति एवं पिता के कुल में विती पुरब ने न रहने पर अन्तिम रक्षक मान लिया गया है।

वास्ति स्त्रीणां पृथग्यतो न आडं नाप्युपोवितम्। ननुमुपुष्यैर्वता कोशानिध्यान् उद्वजति हि ॥ नारदयेव १६।६१।

२५ (१) प्रजापतिमन ह्येतन्न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति। (अनुशासनपर्व ३।१४); अनुताः स्त्रिय इत्येवं सुभकारी व्यभवन्ति। अनुताः स्त्रिय इत्येव वैदेव्यवि हि पश्यते ॥ (अनुशासन पर्व १९।६-७); न स्त्रीभ्यः विविधवर्ण्यं चापीवस्तरजसि च। शुभकारा विषं सर्वो वद्विद्विद्वैरतः स्त्रियः। (अनुशासनपर्व ३८।१२ एवं ३९)।

प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे लेखक हो गये हैं जिन्होंने स्त्रियों के विरोध में कड़ी पंजी अनर्पक तथा बाराहीन उचितियों का विरोध एवं उनकी कटु आलोचनाएँ की हैं। बराहमिहिर (छठी शताब्दी) ने बृहत्संहिता (७४) में स्त्रियों के पक्ष का जोरदार समर्थन किया है तथा उनकी प्रशंसा में बहुत-कुछ कह डाला है। "बराहमिहिर के मत से स्त्रियों पर धर्म एवं अर्थ आश्रित हैं, जन्ती से पुत्र्य भोग इन्द्रिय-सुख एवं सन्तान-सुख प्राप्त करते हैं ये धर्म की धर्मनी हैं, इनको सबैव सम्मान एवं पग देना चाहिए। इसके उपरान्त बराहमिहिर ने उन लोगों की मर्त्यता की है जो वैराग्यमार्ग का अनुसरण कर स्त्रियों के शोभा की अर्था करते हैं और उनके गुणा क विषय में पील हो जाते हैं। बराहमिहिर मिहिर मिहिरों से पूछते हैं— 'सब बताओ स्त्रियों में कौन से दोष हैं जो गुण लोगों में नहीं पाये जाते? पुत्र्य भोग कृप्या से स्त्रियों की मर्त्यता करते हैं वास्तव में वे (पुत्र्यों की अज्ञेता) अधिक मुषो से सम्पन्न होती हैं। बराहमिहिर ने मनु के बचनों को अपने समर्थन में उद्धृत किया है "अपनी माँ या अपनी पत्नी भी स्त्री ही है। पुत्र्यों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। जो इतनी एक दुष्ट तुम जब इस प्रकार उनकी मर्त्यता करते हो तो तुम्हें मुझ क्योकर मिसेगा? शास्त्रों के अनुसार दोनों पति एवं पत्नी पत्नी हैं यदि वे बिबाह के प्रति सन्ने नहीं होते पुत्र्य भोग शास्त्रों की बहुत कम परबाह करते हैं (किन्तु स्त्रियाँ बहुत परबाह करती हैं) अतः स्त्रियाँ पुत्र्यों की अज्ञेता मति उष्ण हैं। बराहमिहिर पुनः कहते हैं— 'दुष्ट लोगों की कृप्या कितनी बड़ी है ओह! वे पवित्र एवं निरपराध स्त्रियों पर गालियों की बीछार करते हैं, मूठो बैठा ही है बैसा कि चोरो के साथ देखा जाता है मर्त्ति चोर स्वयं चोरी करते हैं और पुनः शोर-गुह करते हैं 'दूरो को चोर' अनेक में पुत्र्य स्त्री की बादकारी करते हैं, किन्तु उसक मर जाने पर उनके पाव इसी प्रकार के पीले सन्ने नहीं होते किन्तु स्त्रियाँ इन्द्रजटा के बच में आकर अपने पति के लोको का आश्रित करने मन्त्रि में प्रवेश कर जाती हैं। आश्रित बाध एवं भवमूर्ति जैसे साहित्यकारों को छोड़कर बराहमिहिर के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक ने स्त्रियों के पक्ष में तथा उनकी प्रशंसा में इतने सुन्दर वाक्य नहीं कहे हैं।"

(२) अनुशासकधर्म के ३८।५-६ और मनु के १।१४ में कोई उल्लेख नहीं है। स्वभावस्त्वेव नारीणां त्रियुधेनेषु दृश्यते। विमुक्तवर्मास्त्वपलास्तस्मिन्ना भेदकरा स्त्रियः ॥ अरथ्यताम्ब ४५।२९ ३ ।

(३) स्त्रीनामष्टयुक् कामो ध्यवसाम्यरथ पद्गुणः ॥ लज्जा चतुर्गुणा तासामाहाररथ तदर्थकः ॥ बृहस्पराधार, ५ १११ ।

(४) मनुर्तं सधुर्तं माया मूर्धात्त्वमतिभोजिता । अलोचत्वं निर्दयत्वं स्त्रीणां शोभा स्वभावजः ॥

२६. वैश्वङ्गनामां प्रवर्तन्ति शोभाश्वेराय्यमार्गेण मुषाम् विहाय ॥ से कुर्वन्ता मे मततो वितर्कः सवृत्ताववायानि न तानि तेषाम् ॥ प्रकृतं सत्यं कतरोऽङ्गनामां शोवस्तु यो नान्वरितो ननुर्ध्वः । वाप्यर्थेन पुत्रिः प्रमदा निरस्ता मुषाकि-वास्ता मनुनाम शोवताम् ॥ आया वा स्वाह्वजनिषी वा स्वास्तमवः स्त्रीहृतो नृषाम् ॥ हे इन्द्राम्नास्तपोनिष्ठा कुर्वन्तां ब-दुत मुषम् ॥ इहो वाप्यर्थेनसाम्ना निवृत्तामवः विभ्यः । मुषकतामिभ चौराणां तिष्ठ चौरैति अन्वताम् ॥ पुत्र्य-इषुनामि वागिनीनां कुष्ये यानि इहो न तानि पश्चत् ॥ सुहृत्सतयोगिता मतामृतवपुष्टा प्रविशन्ति तप्तत्रिहृत् ॥ बृहस्पतिता ७३।५, ७ ११ १५, १६ । अर्थात् एवं ९वीं श्लोक शोभायनगुणद्वय (२।१।६३-६४) में तथा १ वां मनु (३।५८) में तथा अर्थात् एवं ८वां वसिष्ठ (२८।४ एवं ९) में पाये जाते हैं ।

२७. वाकिदास एवं भवमूर्ति ने अने ही कोमल बंध से पति एवं पत्नी के प्रिय एवं अनुर सम्बन्ध की ओर लक्ष्य किया है— 'गृहिणी सच्चिः लक्ष्मी निजः प्रियशिष्या लक्ष्मि कलाविपी । नृदवाविमुषेन मृषुणा हृता स्त्री वा क्वि न के हृतम् ॥ रघुबंध ८।६९; 'प्रेयो निरर्धं कम्पता वा लमपा लवं कामः शोचिर्बोधित वा । स्त्रीणां अर्था अमदाररथ्य पुता-

स्त्रियों को सामान्यतः धर्मशास्त्र के अन्तर्गत मानने पर है किन्तु स्मृति-ग्रन्थों में माता की प्रशंसा एवं सम्मान में बहुत-कुछ कहा गया है। गौतम (२।५६) का कहना है— 'आचार्य (ब्रह्मगुरु) गुरुमा से श्रेष्ठ है, किन्तु कुछ लोगों के मत से माता ही सर्वश्रेष्ठ है।' आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१ १२।८।९) का कहना है कि पुत्र को चाहिए कि वह अपनी माता की सेवा-सेवा करे, भले ही वह जातिभ्रष्ट हो चुकी हो क्योंकि वह उसके लिए महान् कष्टों को सहन करती है। यही बात शौनकायनधर्मसूत्र (२।२।४८) में भी है, किन्तु यहाँ पुत्र को अपनी जातिभ्रष्ट माता से बोलना मना किया गया है। बह्विष्ट-धर्मसूत्र (१।१।४७) के मत से पतिव्रत पिता का त्याग हो सकता है किन्तु पतिव्रत माता का नहीं क्योंकि पुत्र के लिए वह कभी भी पतिव्रत नहीं है।^{१३} मनु (२।१४५) के अनुसार आचार्य बस उपाध्यायी से महत्ता में जाये है पिता ही आचार्यों से जाये है माता एक सहस्र पिताओं से बढकर है (बह्विष्टधर्मसूत्र १।१।४८)। अज्ञानिज्ञान ने एक बहुत ही उपकारी सम्पत्ति दी है— 'पुत्र को पिता एक माता के मुक्त में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किन्तु यदि वह चाहे तो माता के पक्ष में भीक सकता है, क्योंकि माता ने उसे धर्म में धारण किया एक उसका पालन-पोषण किया पुत्र जब तक वह जीवित है अपनी माता के श्रेष्ठ से श्रेष्ठकारा नहीं पा सकता केवल शौभाग्यमयि यज्ञ करने से ही उद्धार हो सकता है। ब्राह्मणस्य (१।१।५) के अनुसार अपने गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय से माता बढकर है। अनुशासनपर्यं (१ ५।१४ १९) का कहना है कि माता अपनी महत्ता में बस पिता से बड़ा तक कि सारी पृथिवी से बढकर है माता से बढकर कोई गुरु नहीं है। धार्मिक पर्यं (२।६७) में भी माता की प्रशंसा की गयी है। अग्नि (१।५१) के मत से माता से बढकर कोई अन्य गुरु नहीं है। पाण्डवों ने अपनी माता कुन्ती को सर्वोच्च सम्मान दिया था। आदिपर्यं (१।७।४) में आया है— 'सभी प्रकार के शत्रुओं से श्रेष्ठकारा ही सकता है, किन्तु माता के धाप से श्रेष्ठकारा नहीं प्राप्त हो सकता।'^{१४}

स्त्रियों के शायदशिकारों एवं बर्षीयत के विषय में विस्तार के साथ बातें कहेंगे। यहाँ पर संक्षेप में ही लिखा जा रहा है। आपस्तम्ब मनु एवं नारद ने पुत्रहीन पुरुष की विधवा को उत्तराधिकारी नहीं माना है, किन्तु गौतम (२।८।१९) ने उसे शपिष्ठो एवं सगोत्रों के समान ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना है। प्राचीन काल में विधवा को शायदशिकार नहीं

मित्यन्वेष्य बल्लपोर्जातमस्तु ॥ बाल्मीकिभाष्य ६। और वैश्वदेव उत्तररामचरित (१) का प्रसिद्ध श्लोक 'ज्यैतं सुखं सुखीरनुपुत्र आदि।

२८ आचार्यः श्रेष्ठो गुरुर्वा मातेत्येके। गौतम २।५६; माता पुत्रस्य न्यायति कर्माप्यारभते तस्मां सुभुवा त्रिया पतितायावपि। आप ब १।१ १२।८।९; पतितामपि तु जतरं विभुवावमिवावभाष। श्री ब २।२।४८; पतिताः पिता वरिण्याज्यो माता तु पुत्रे न वरति। बह्विष्ट १।१।४७।

२९. (१) न मातापितोरत्तरं गच्छेत्पुत्रः। काम मनुदेवानुभूयास्ता द्वि जातिनी पीवनी च। न पुत्रः प्रति- सुधोताम्बर शौभाग्यमिवाप्यश्रीवभुवाभ्यातुः। अज्ञानिज्ञान (संस्कारप्रकाश पृ ४७९); और वैश्वदेव विवाहदत्तक (पृ १५७) स्मृतिचन्द्रिका (द्विष्ट १ पृ ३५)।

(२) नास्ति जन्तुतमा छाया नास्ति मनुतमा पतिः। नास्ति जन्तुतमं ब्रह्म नास्ति मनुतमा शिवा ॥ धर्मलि- बर्षं (२।६७-३१) "माता मुक्तरा भूमेः। अनपर्यं ३।१।६; नास्ति वैवस्वर धारवं नास्ति वापु- परी मुक्तः नास्ति शान्तर निरन्दिह लोके वरत्र च ॥ अग्नि १।५१ नास्ति सत्यात्परो जर्मो नास्ति जन्तुतमो पुटः। धर्मलि ३।४।१८।

(३) सर्वेषामेव धायानां प्रतिपातो द्वि विद्यते। न तु नाजाजिवाप्यानां मोक्ष- वचन विद्यते ॥ आदिपर्यं ३।७।४।

का इस विषय में हम धातुस्तक (९) में प्रकाश मिलता है, जहाँ मन्त्री ने राजा को लिखा है कि मन्त्रणीय बन्धु की सम्पत्ति विधवा का न मिलकर राजा को मिलेगी। किन्तु याज्ञवल्क्य (२।१३५) ब्रह्म एव ब्राह्मण्येण न कदा है कि पुत्रहीन पुरुष की विधवा प्रथम उत्तराधिकारी है। इसमें स्पष्ट है कि मन्त्र ब्राह्मण में प्राग्भिन्न सूत्रब्राह्मण की अपेक्षा विधवा का अधिकार अधिक सुरक्षित था। किन्तु अन्य ब्राह्मणों की दशा में अचलति होतीं थीं। वे पृत्र के मरण तक ही जीवित रहतीं। साम्प्रतिक समय में उत्तर भारत में विधवा को उत्तराधिकार नहीं प्राप्त था क्योंकि उन्होंने इतिहास की रचना की विधवा के ही उत्तराधिकार की चर्चा की है— दक्षिणी देशों में पुत्रहीन पुरुष की विधवा मन्त्रों में नहीं थी, और पर नहीं होती है। साम्प्रतिक समय में उत्तर भारत में और वह पति की सम्पत्ति पानी है।



अध्याय १२

विधवाधम, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा विधवाधम

ऋग्वेद (४।१।१२, १।१।१७ १।४।१२ एवम्) में विधवा धर्म बर्य वार आया है किन्तु इनमें अन्तिम सर्पति ऋग्वेद १।४।१२ की छांदवर अर्थ अथ विधवा की रक्षा पर कोई विशेष प्रकाश नहीं आसकते। ऋग्वेद (१।१७।३) में आया है कि मरुतो की अति दीघ सतिषी में पृथिवी पतिहीन स्त्री की शक्ति बर्णित है। इस प्रकट होना है कि विधवाएँ या तो दुःख के मारे या बलात्कार के डर से बर्णित थी।

दोषायनधर्मसूत्र (२।२।६६ ६८) के मत से विधवा को छाल भर तक मनु मास मरिचा एव तमब छोड़ देना चाहिए तथा भूमि पर रायन करना चाहिए, किन्तु मीरुगाभ्य के मत से केवल छ मास (तब ही ऐसा करना चाहिए) हमने उपरान्त मति बहु पुत्रहीन हों और गुणजन आदेश हैं तो बहु अपने देवर से एक पुत्र उत्पन्न कर सकती है। यही बात बसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।५५-५६) में भी पायी जाती है। मनु (५।१५७-१६) की बतानी हुई व्यवस्था अति काल से मनी स्मृतिपा में पायी जाती है। पति के मर जाने पर स्त्री यदि बहु बच्चे तो केवल पुत्रों पर ही एक मुक्तो का ही गारर अपने वारीय की गजा दे (बुर्बल बना दे) किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं देना चाहिए। मनु-न्यस्त उम मयम रगता चाहिए, धन रखने चाहिए, मनीष्य की रखा करनी चाहिए और पतिव्रता के सदापरम एव गुणा की प्राप्ति की आशाधा करनी चाहिए। पति की मृत्यु के उपरान्त यदि साधरी जारी अविवाह के नियम के अनुसार बने अर्थात् आज मनीष्य की रखा में मयी रह तो बहु पुत्रहीन रहने पर भी स्वर्गापेटय करनी है जैसा कि प्राचीन मीरिच ब्रह्मचारियों (सया मनः) में किया था। कात्यायन के अनुसार "पुत्रहीन विधवा यदि आज पति के विष्टर (द्विस्तर या त्रिस्तर) की बिना अपवित्र नियम बुरजनों के साथ रहनी हुई अपने की सम्पत्ति रगनी है तो उम मनु-न्यस्त पति की सम्पत्ति प्राप्ता हो जाती है। उमर उपरान्त उमर पति के उत्तराधिकारी शौक सम्पत्ति के अति जारी होते हैं। पतिव्रता उपासना एव नियमों में मरुत ब्रह्मचर्य के नियमों के पूर्ण अविधवा की सम्पत्ति करनी एव दात करनी हुई विधवा पुत्रहीन होने पर भी स्वयं की जाती है।" परासर (४।३१) में भी मनु (५।१६) के गवात ही कहा है। बृहस्पति का कथन है— पत्नी पति की अर्थाधिकारी पतिरिज हो चुकी है बहु पति के पात्रो एव पुत्रों की आधी जाती है एव मनुगुनी पत्नी जाने बर पति की बिना बर भयम हो जाती है या अतिव्रत रह जाती

१ प्रीतमरमेवु विष्टरेक देजो भूमिपतिवु यद्व सुम्बने धुने। ऋग्वेद (१।१७।३)।

२ अनुवा रायनं धनुं बालपत्नी बुरी विधवा। बृहस्पतिव्रतप्राप्तता बाधारा ऊर्ध्वमनुपु ॥ बगवतवागवितता ब्रह्मचर ध्यर्थावता। ब्रह्मचरता नियमनुपुति विरं ब्रह्मे ॥ बगवतपत (वीरविश्वोदय पृ ६१६ ६१७ में उद्धृत)। प्रथम एतेषु वाचनान्, स्मृतिरचयिता एवं अन्य बन्धों में उद्धृत है।

है, जल पत्रि के भाष्पात्मिक काम को अवश्य प्राप्त करती है। बृद्धहारीत (११२ ५२१) ने उसकी आभरण विनयार्था की है— उसे बास सेवारता छोड़ बना चाहिए पान कामा मन्थ पुष्प क्षामुपत्र एव रतीत परिधान का प्रयोग छोड़ देना चाहिए, पीतल-कौंस के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए, दो बार भोजन करना अन्न सगात भारि स्वाय देना चाहिए उसे स्नेह कचन कारण करना चाहिए, उसे इन्द्रियो एव कीम को दबाना चाहिए, बोला बरी से दूर रहना चाहिए, प्रमाद एव मिन्दा से मुक्त होना चाहिए, पत्रिन एव सदाभरण बासी होना चाहिए, सदा हरि की पूजा करनी चाहिए, रात्रि में पृथिवी पर कुच की बटाई पर सपन करना चाहिए मनोभोग एव सस्वगति में रमा रहना चाहिए। बाण ने हर्षचरित (६, अन्तिम बाक्याद्य) में लिखा है कि विचबाएँ अपनी माँसा म अन्नजन ग्नी छपाठी भी और न मूत्र पर पीसा सेप ही करती थी न जपन बाला का यो ही बाँध लेती थी। प्रचता म मन्थ-मिमा एव विचबाओ को पान खाना ठेक बौरहू लगाकर स्नान करना एव पाठु के पाशो में भोजन करना मना किया है। आदिपर्व (१६ १२२) म आया है— जिस प्रकार पृथिवी पर पड़े हुए मास क टुकड़े पर पक्षीमन दूट पड़ते हैं उसी प्रकार पविहीन स्त्री पर पुरुष दूट पड़ते हैं। शास्त्रिपर्व (१४८१२) म आया है— बहुत पुत्रों के रहने हुए भी सभी विचबाएँ दुःख में हैं। स्कन्धपुराण (बायीच्छ ४।७१ १ ६ एव ३ ब्रह्मारण्य भाग ७।६७-४१) म विचवारण के नियम में लम्बा विवेचन है, जिसका अधिकारा मदनपारिजात (पृ २२२ ३) निर्णयसिन्धु, वर्षमिन्धु एव अन्य लिबन्दा म उद्धृत है। कुछ बातें यहाँ अवलोकनीय हैं— 'अमयता में विचबा अपने अमगस है विचबा-सर्जन स विधि नहीं प्राप्त होती (हाथ म सिन्धा हुआ कार्य मित्र नहीं होता) विचबा माना को छोड़कर सभी विचबाएँ अमयमनुषक हैं विचबा की आसीर्वाद्योक्ति को किन्न जन ग्रहण नहीं करत मानो बहु सर्पविष हो। स्वन्द-पुण्य के बायीच्छ (अध्याय ४) में निम्न उक्तिवाँ आयी हैं— विचबा के मन्त्रीमन्थ (सिर के बेलो को सेवार कर बीने) से पत्रि अन्धन म पड़ता है अत विचबा को अपना सिर मुच्छित रखना चाहिए। उस दिन म बैकल एक बार बाना चाहिए या उस मास मर उपवास करना चाहिए या आश्रायण व्रत करना चाहिए। जो स्त्री वर्ष के पर घायल जाती है बहु अपने पति को नरक म डासती है। विचबा को अपना शरीर सुगन्धित सेप से नहीं स्पृष्ट करना चाहिए, और न उसे सुगन्धित पदार्थों का सेवन करना चाहिए उसे प्रति दिन सिद्ध अन्न एव कुच म अपन पति पति न पिना एव पति के पितामह के नाम एव मोन से तर्पण करना चाहिए उसे मरते समय भी बैकगाड़ी म नहीं बैटना चाहिए उसे कचुकी (बोली) नहीं पहननी चाहिए, उस रतीत परिधान नहीं बाणन करन चाहिए तथा बैघाल नातिक एव मास मास म बिधेय व्रत करने चाहिए। निर्णयसिन्धु न ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि घाट ना भोजन म्थ पोष बासी विचबा हाउ नहीं बनाना चाहिए।

हिन्दू विचबा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी और उसका माथ्य ती जिनी भी स्थिति म स्तुनीय नहीं माना

३ शरीरार्थ स्तुता आया पुष्यापुष्यपत्ने समा। अम्बाला बाँवती व ताच्ची अर्मुह्रिताय सा ॥ बृहस्पति (अपराह पृ १११ में उद्धृत)।
 ४ ताम्बूलाम्बुजमन्थ चैव वास्यपाने च भोजनम्। पत्रिनश्च ब्रह्महारी च विचबा च विचयेनम् ॥ प्रचेता (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १२२ तथा मुद्रितान्ध पृ ३२५ में उद्धृत) मिलाइए "ताम्बूलोऽर्जुनश्चरीणा यनीना ब्रह्म विचरिणाम्। एवैव घातपुष्प स्वान्मिच्छिन्नु मुरासमम् ॥ (स्मृतिमुक्तावलि चर्चासम पृ १६१ में उद्धृत)।
 ५ उल्लाट्यामिह भूमी प्रार्थयन्ति दया कृपा। प्रार्थयन्ति जना सर्वे बन्दिहीना तथा दिवसम् ॥ आदिपर्व १६ १२२; सर्वपि विचबा शरीरे बहुपुत्राणि शाकने ॥ शास्त्रिपर्व १४८१२।

जा सकता। वह अमयकपूषक भी और बिधी भी उत्सव में यथा विवाह में किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकती थी। उसे न केवल पूर्ण रूप से छापी रहना पड़ता था चाहे वह बचपन से ही विवाह क्यों न हो प्रसूत उस वन्याधी की भक्ति रहता पड़ता था कम भोजन और कम बदन बरत करना पड़ता था। उसके सम्पत्ति-अधिकार न-कुछ थे। यदि उसका पति पुत्रहीन मर गया तो उसे मौलिक रूप से उत्तराधिकार नहीं मिलता था। कासात्तर में उत्तराधिकार के विषय में उसकी स्थिति में सुधार हुआ। किन्तु तब भी उसे केवल सम्पत्ति की आय मात्र मिलती थी जिसे वह घर की वैवाहिक आवश्यकताओं तथा पति के आध्यात्मिक काम के लिए ही हस्तांतरित कर सकती थी (अन्य बातों में नहीं)। हिन्दू समुदाय परिवार में विवाह को केवल भरण-पोषण का अधिकार है (बालक में कुछ अधिक अधिकार है) जिसे वह व्यक्तिगतरिणी हो जाने पर खो देती है। यदि वह पुनः वैवाहिक जीवन व्यतीत कर ले तो उसे जीवन-धर्म का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यदि पति को पूषक रूप से सम्पत्ति ही मयी हो और उसे एक पुत्र या कई पुत्र हो तो उसकी विधवा को केवल भरण-पोषण का ही अधिकार मिलता है। यह स्थिति अभी कुछ दिनों तक रही है किन्तु अब विवाह की अवस्था में सुधार हो गया है।

विवाह का मुख्यतः ही प्रायः करता था (केलिए स्तम्भपुराण का उपर्युक्त उद्धरण)। भवनपरिचर्या में भी यही बात पायी जाती है अथ १४वीं शताब्दी में यह कर्म प्रचलित था। यह प्रथा अब तक भी चलती रहती रहती है। सम्भवतः यह प्रथा परबालालीन है। इस विषय में हमें दो सिद्धान्त देखने पड़ेंगे—(१) पति की मृत्यु पर विवाह का मुख्यतः उली प्रकार होता था जिस प्रकार पुत्रों का तथा (२) विवाह को आमरण मुख्यतः कराना पड़ता था यद्यपि यह बात पिताहीन पुत्रों के साथ नहीं लागू होती। मुख्यतः क पगपाठी तीन वैदिक उचितियों का हवाला देते हैं। यथा ऋग्वेद (१। १८। १२) आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१। ४। १९) एव अथर्ववेद (१। ४। २। १९)। ऋग्वेद (१। १४। १२) केवल विवाह की ओर संकेत करता है या निषेध की बात करता है किन्तु उससे कवन में मुख्यतः की ओर कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। आज के कुछ बट्टर पण्डित लोग निरकन (३। १२५) के 'विवाहनाशु वा इति धर्मशास्त्रा म "धर्मशास्त्रा वा मुण्डित विवाह का शोचन मानते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है वास्तव में 'धर्मशास्त्रा' महीन्द्रिय निरकन के टीका-कारों के मत से निरकन के अर्थ में 'यथा' या 'यथा' के पूर्व कोई आचार्य्य के। आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१। ५। १९) में 'विनेयी' शब्द का अर्थ 'मुण्डित विवाह' नहीं है वैयाकिक लोगों ने समझ रखा है इसका साधारणतः अर्थ है "जिसने हुए कर्मां कायी नहीं। अथर्ववेद की उक्ति में भी 'विनेयी' शब्द विवाह के समय प्रयुक्त हुआ है। एव दुर्गरे स्वात पर (अथर्व वा १। १। १४) गायत्र में 'विनेयी का अर्थ "विनीर्षवेयी अर्थात् विगरे हुए बाल वाली लारी" समझाया है। शब्द है कि वह म विवाह का मुण्डित होने की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। शौचायन-निगूमेपुत्र म अत्येष्टि-विवाह के वर्जन में मृतात्मा के विद्वट सम्बन्धियों के मुख्यतः की कर्मां है किन्तु पत्नी के मुख्यतः का कोई उल्लेख नहीं है (केलिय शौचायन निगूमेपुत्र १। ४। ३ १। ४। ३ १। १२। ३ एव २। ३। ३)।

अनु एव वास्तव्यय विवाहायम की कर्मां में विवाह का मुख्यतः की कर्मां नहीं करना। किमी अन्य स्मृति में भी दगनी कर्मां नहीं हुई है। कुछ धर्मशास्त्रकारों ने विवाह का कम-अनुसार से दूर रखने की बात कही है (बृहदारण्य २। २२ ५) अथ शब्द है कि विवाहों के न करना भी। कम-अनुसार अर्थियों की विवाहों कभी भी मुण्डित निर नहीं होती थी वैयाकिक अन्वयान की विवाहों का विचार से बचन हुआ है। मृतात्मा म के 'प्रतीर्षणा' अर्थात् विवाह कर्मां कायी नहीं मयी है (स्मृतिसं १। १। १८ १। ३। २१ २। १। ५ आधमशास्त्रपरि २। ५। १९ शौचन परं ३। १। ३)। काय के अर्थविय म विवाह के वेद-अनुसार का उल्लेख किया है (यथा—अनुशासु वैदिकवेदी का अनुशासु। अर्थविय ५)। कर्मां के यथा अर्थविय की वेदाका अर्थविय में अनुशासु की विवाहों मन्त्र कायी कायी मयी है (एतिर्षिता इतिवत् अर्थ १ वृ २६६ अन्वय १९)।

बहुत परिष्कृतों में व्यासस्मृति (२।५३) पर भी अथवा मन आश्रित रहा है (पति के मर जाने पर) शास्त्री को पति का सब पौध में लेकर अग्नि प्रवेश करना चाहिए, यदि वह जीवित रहती (मर्ती नहीं होती) है तो उसे त्यागना हीनर तथा से अपने शरीर को सुखा ब्रह्मना चाहिए। यहाँ 'त्यक्तव्या' शब्द के तीन अर्थ सम्भव हैं— (१) वह जिसमें कुछ-कुछ छोड़ दिया हो या (२) वह जिसके कुछ कुछ स्मृतियों का मनामनार बेबल दो अमुक को स्मार्थ में बाटे पय हो जैसा कि गोबध आदि में प्रायश्चित्त में किया जाता है या (३) वह जिसका मिर मुग्ध ही पुत्र हो। जो भी हो अस्य स्मृतिया में विषयों के वेनामुग्धन की खर्चा नहीं की है।

मिताधरा न मातृवत्त्वं (३।३२५) की व्याख्या में मनु ने एक कथन की खर्चा की है— विद्याना राजाजा मिरा न विषय म मिर-मुग्धन की बात नहीं उठनी बेबल महापत्तक करने या गौरव्या करने या ब्रह्मचारी डाग पना बिने जान पर ही मिर-मुग्धन की बात उठनी है। मिताधरा न विषयों के लिए नहीं भी मिर-मुग्धन मान पय खर्चा नहीं माना है।

विषयविमुक्त्यु (मनु १५१२ ई म प्रणीत) के लेखक एक बालमट्टी (१८वीं शताब्दी का अन्तिम खण्ड म प्रणीत) न विषयों का मुग्धन की खर्चा की है और उस क्षया में आपस्तम्बधर्मसूत्र (३।३।१ १६) एक मिताधरा (३।३०) की व्याख्या अथवा इस से करके विषयों का मुग्धन रहने की बात नहीं है। किन्तु इनकी व्याख्या में बहुत परिष्कारनी है जो वास्तविकता को प्रकट करने में असमर्थ है।

उपसृक्त विषयन म हम निम्न निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। विषयों का मुग्धन न विषयों में कोई एक ब्रह्मिण अथवा नहीं मिला। कुछ तथा धर्मसूत्र इनकी आर मरण नहीं करते और न मनु एक यात्रकम्प्य की स्मृतियों की उपा करता है। यदि दो-एक स्मृति-ग्रन्थों में एकोच 'जितने अर्थों में विषयों में कुछ मन्त्र है' विषयों के मुग्धन की खर्चा करने हैं तो कुछ-शरीर के समान अन्य स्मृतियों इतरा विराज करती है। कुछ स्मृतिया न बचल एक बार पति की मृत्यु का उपाय मुग्धन करने की बात बलावी है नहीं भी किसी स्मृति न आपसक मुग्धन बगल की खर्चा नहीं की है। मिताधरा एक अपरार्थ इस विषय में मीन है। मयना है मुग्धन की प्रथा १ की या ११वीं शताब्दी म उक्ति हुई। बालानर म विषयों के विषयों के समान मर्ती जान सगी और यदि लोग अथवा मिर मुग्धना करने का विषयों की सेवा करने लगी। उक्त इस प्रकार समुद्र बनाकर शार्थी गया जान गया। हा मरता है बौद्ध का विषयों का उपायों में भी इस कुर प्रथा की बात मरण किया हो। इस यह बात चुन्कन में साद हुआ है कि बौद्ध शार्थियों (मिशुधियों) मिर का क्या क्या इतरनी की और शारणी का रय (निष्कृत) का परिष्कार पात्रक करनी की। मयागत म कुछ दिन पूब ब्राह्मण विषयों के लाल रय का बन्ध पात्रक करनी की (अभी आज भी कुछ पुत्रांनी ब्रह्मिण विषय ही जानी है)। यह प्रथा ब्रह्म प्राचीन नहीं है। मदनमिरिजान (१४वीं शताब्दी) का उपाय काँ अथ विषय स्वल्पुगाय का कथन उद्भूत नहीं करता। यह प्रथा अब समाप्त पर है।

शामुद्राचार का अनुपायी भी ब्रह्मणा के लपने अग्रदाय में शताब्दिया म विषयों का मिर-मुग्धन बना है मनी यह मयागत अन्य बातों में बड़ा बन्ध है। मुद्रमयागत का कथनामनार मीठ रय की विषयों मिरा मरती है। ब्रह्म प्राचीन बात म यह पात्रक नहीं है कि मिरा का किसी रय में भी मयना नहीं चाहिए। शताय मया (११।१।३।३०) का बन्ध है— आप मिरा की हया मरी करे बन्ध 'म मर्ती बन्धु' हीन मीन है।

६. हेनिए मेचर बुधम आर दि हिए (S. B. L.) क्रिय ३ (विषय) पृष्ठ ३०१। अब माविकी अने केच बरा शारणी की या उरें माव शारणी की, हेनिए उत्तराययन २२।३ (S. B. L., क्रिय ४५, पृ ११६)।

विश्वस्व (याज्ञवल्क्य ३।२६८) न सिखा है कि नीच जाति के साध (गौतम २।१।१४ मनु ८।३७१) धर्मिभार करने पर स्त्री को कंचक राजा ही प्राण-वध से सजाता है, यद्यपि ऐसा करने पर राजा को हत्या प्रायश्चित्त भी करना पड़ जाता था। मनु (९।१९) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए, मने ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो। मनु (९।२१२) ने स्पष्ट सिखा है— 'स्त्रियो बन्धो एव ब्राह्मणो बी हत्या करने वाले को राजा की ओर से प्राण-वध मिलना चाहिए। महाभारत में भी इस साहसपूर्ण नियम की बार संकेत किया है। आश्विन (१५८।३१) कहता है— 'धर्मज्ञ भोग बोधित करते हैं कि स्त्रियो की हत्या नहीं करनी चाहिए। समायन (८१।४३) ने व्यवस्था है— स्त्रियो पायो ब्राह्मणो तथा उधरी ओर जिसने भीविका या जामक किया है मामुष नहीं खलाना चाहिए। धातियन (१३५।१४) ने ऐसा निर्देश है कि ओर नी स्त्रियो की हत्या न करें (ओर देखिए आश्विन १५५।२ २१७।४ वनपर्व २ १।४६)। रामायन (बाह्यकाण्ड) में भी यही बात पायी जाती है जब कि राम को रावणा नामक राक्षसी के मारने के लिए प्रेरित किया गया था।

याज्ञवल्क्य (२।२८९) ने नीच जाति के साथ धर्मिभार करने पर स्त्री के लिए काम नाट लेने का वध क्त धारा है। बृह हारौत (७।१९२) ने पति एव भ्रूय की हत्या करने पर स्त्री की नाक काम एव ज्वर काट लेने की व्यवस्था की है। देखिए याज्ञवल्क्य २।२७८ २७९ जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए स्त्री को प्राण वध तक से देने की व्यवस्था की गयी है।

बहु हमने बहुत पहले देखा किया है कि स्त्रियाँ कर्म उतपन्न वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रों के साथ उत्कार सम्पादन के घाते अधिकारी से सम्बन्ध होती चली गयी और इस प्रकार से पूर्णतः पुरुषों पर आधिपत्य हो गयी। उनकी बधा इस प्रकार, बृह की बधा से समान हो गयी। सभी स्त्रियों को पवित्र होने के लिए तीन बार आचमन करना आवश्यक है। किन्तु नारी एव बृह को केवल एक बार (मनु ५।११७ याज्ञवल्क्य १।२१)। स्त्रियाँ वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करती थी किन्तु स्त्रियाँ एव घृय बिना मन्त्रों से 'अर्घ्य' मील रूप से। घृय एव स्त्रियाँ आम-आम बिना पके जीवन के साथ करती थी। स्त्रियो एव बृहों की हत्या पर समान वध मिलता था (बीषायनममैतृ २।१।११ १२, पराधर १।१६)। साधारणतः स्त्रियाँ बन्ध एव अति नीच पुत्र्य शाक्य नहीं से सकते थे (याज्ञवल्क्य २।७ नारद शृणुवाचन १७८ १९ १ १) किन्तु मनु (८।३८।७) याज्ञवल्क्य (२।७२) एव नारद (शृणुवाचन १५५) ने स्त्रियो के हाथों से स्त्रियो को शाक्य देने को कर्ह दिया है। अन्य शासियों ने जमाज में स्त्रियाँ बोरी धर्मिभार एव अन्य सकित-सम्बन्धी अपराधों में शाक्य से सकती थी। सेंट बान भूमि एव घर की बिन्दी एव बन्धक में स्त्रियो द्वारा लिखे गये कावच-यन साधारणतः बस्ती-हृत् माने जाते थे ऐसी लिखावटी बलात्कार या बोलों से भी

७. मयध्या स्त्रिय इत्याहुर्धर्मज्ञा धर्मनिवृत्तये। आश्विन १५८।३१; स्त्रीषु गोषु न धरत्राणि पातयेद् ब्राह्मणेन च। यस्य आश्रानि शुभ्रवित्तं यत्र च स्वात्मव्यतिथयः ॥ समायन ४१।१३ ॥

८. "स्त्रीशृङ्गायकः सवर्णाकः" इति वाक्यम् ॥ व्यवहारपूजक पृ ११९; शिखरतीक्ष्णमपि कीर्तयामास्यतेऽपि-काशिता। अवन्ति कैचिद्विद्वान्तः स्त्रीणां शृङ्गसनामताम्। घृतसङ्किता (शृङ्गकपलाकर, पृ २३१ में उद्धृत)।

९. बह्वज्जब्रियानां शेषं मन्त्रधत्तनामिष्यते। तुलसीमेव हि शृङ्गस्य स्त्रीणां च कुटुम्बन ॥ चिन्तु (स्मृति-चन्द्रिका १ पृ १८१ में उद्धृत)।

स्त्री शृङ्गः इत्यपञ्चमैव ज्ञानार्थमपि चाप्यत्र। आममार्गं तथा दूर्वाङ्घ्रिकिता पार्ष्वेन तु ॥ प्रवेता (स्मृति-चन्द्रिका, धर्मप्रकरण पृ ४९१ ९२ में उद्धृत)।

की निरापत्नी के समान मानी जाती थी (वेदिए मारव ऋचावान २६ याज्ञवल्क्य २।३१)। उन बिना स्त्रियों की सिद्धी वम की अथ ऐसे व्यवधान करवाने ही थे। मारायण के मिरयलीसेतु नामक ग्रन्थ में बृहदारण्यीय पुराण की एक उक्ति लगी है जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ जिनका उपनयन रास्तर नहीं हुआ हो तथा धूर्त विष्णु एक दिन की मूर्ति-स्थापना नहीं कर सकत थे (धूर्तकमलावर पृ. ३२)।

यदि कुछ बातों से स्त्रियों की अस्वतन्त्रताओं एक अयोग्यताओं के तन्वीमूल मानी जाती थी तो कुछ विषयों में वे पुत्रों की अपेक्षा अधिक अधिकार एक स्वत्व राती थी। स्त्रियाँ की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे मरिचार में पकड़े जाने पर स्यागी ही जा सकती थी। मार्ग में उन्हें पहले जाने चले जाने (अप्रगमन) का अपि शर प्राप्त था। पतित की कन्या पतित नहीं मानी जाती थी किन्तु पतित का पुत्र पतित माना जाता था (बसिष्ठ धर्मसूत्र १।१।५१-५३ आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।१३।४ याज्ञवल्क्य ३।२।११)। एक ही प्रकार की वृत्ति के लिए पुल्ल की अपेक्षा मारी को आधा ही प्रायदिशत करना पड़ता था (विष्णुधर्मसूत्र ५।४।३३ वैशम्प ३ आदि)। चाहे स्त्रियों की जो अवस्था हो उन्हें पति की अवस्था के अनुसार आकर मिसला था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१।४।८—पति चरत स्त्रिय)। वैशम्प ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्णों की स्त्रियाँ (प्रतिक्रम जातिमा की स्त्रियाँ को छोड़कर) भी वर-मुक्त की (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२९।१ ११)। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।२३) में उन स्त्रियों की जो मुक्त या बन्दी बन्धा की बिना वर वाली (अनर) माना है। तीन मास की गर्भवती वन में रहने वाले छापु सौग गत्याही श्याम एक ब्रह्मचारी पालने कर से मुक्त थे (मनु ८।४ ७ एक विष्णु ५।१।३२)। यौनम (५।२३) याज्ञवल्क्य (१।१ ५) आदि के अनुसार बन्धु पुत्रियों एक बहिनो जिनका विवाह हो गया हो किन्तु अभी अणन माना-गिता तथा माया के साथ ही गर्भवती स्त्रियों अधिकारित पुत्रियों अतिथियों एक मीनरो का पर के मासिन एव मासिजिन के प्यूनै पिलामा चाहिए। मनु (६।१।१४) एक विष्णुधर्मसूत्र (६।३।१९) तो कुछ और आगे बढ़ जाते हैं—'दुस की वरविवाहित अतिथियों अधिकारित पुत्रियों गर्भवती मारिया को अतिथियों व भी पहले पिलामा चाहिए। उक्त अधिकार का विचार, जिसमें कोई स्त्री कैसी हो या जिसकी मुनबाई शक्ति में या गाँव के बाहर या पर के भीतर, या पुरुषों के समक्ष हुई हो पुत्र होता चाहिए (मारव १।६३)। सामान्य स्त्रियाँ का अभियोग दिव्य (अथ अग्नि आदि के चित्र परीक्षा) से नहीं मित्र किया जाता था चाहे वह बारी हो या प्रतिबारी हो किन्तु यदि दिव्य अतिथियों-मा ही वाय तो मुक्त-दिव्य की ही अवस्था थी (याज्ञवल्क्य २।९८ एक मिताशरा टीका)। रक्षापन के उल्लंघनकार के पुत्रियों को पुत्रों की अपेक्षा प्रमुक्तता ही सही थी। प्रतिबद्ध अधिकार-प्राप्ति में स्त्री का रक्षापन नहीं पेंम गवता का (याज्ञवल्क्य २।२५ मारव ऋचावान ८२-८३)। आचार के विषय में स्त्रियाँ में सम्भला अवश्य भी जाती थीं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।२९।१५) में ऐसा मत प्रकटित किया है कि शूद्रा में जा जियम न पाये जायें उक्त कुछ आचार्यों के कथनानुसार स्त्रियाँ एक गली बन्धों के पुत्रों से जान देता चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।४।८) मनु (२।२।२३) एक वैशम्पन रमार्त (३।२।१) के अनुसार विवाह में पिताचार की जानकारी स्त्रियों के प्राप्त करनी चाहिए।

१ अथः धीविय। सर्ववर्णिनो च स्त्रियः। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२९।१-११); अथः धीविया रामानुजनाथप्रभृतिसंज्ञितकालकृतचक्रप्रकृतः। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।२३)।

विश्वामित्र (याज्ञवल्क्य ३।२१८) ने सिखा है कि नीच जाति के साथ (पीठम २३।१४ मनु ८।३७१) व्यवहार करने पर स्त्री को केवल राजा ही प्राण-रक्षक से सजता है, यद्यपि ऐसा करने पर राजा को हत्या प्रायश्चित्त भी करना पड़ जाता था। मनु (१।१९) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए, मरे ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो। मनु (१।२३२) ने स्पष्ट सिखा है—“स्त्रियो बन्धो एव ब्राह्मणो की हत्या करने वाले को राजा की ओर से प्राण-रक्षक मिलना चाहिए। महाभारत में भी इस साहसपूर्ण नियम की ओर उल्लेख किया है। आदिपर्व (१५८।३१) कहता है—“धर्मज्ञ लोग बोधित करते हैं कि स्त्रियो की हत्या नहीं करनी चाहिए। समापर्व (४१।४३) में व्यवस्था है—“स्त्रियो गायो ब्राह्मणो तथा उच्छरी ओर जितन जीविका वा भाग्य दिमा है मायुष नहीं बसना चाहिए। शांतिपर्व (१३५।१४) में ऐसा निर्देश है कि ओर भी स्त्रियो की हत्या न करे (और बेहिए आदिपर्व १५५।२, २१७।४ वनपर्व २ १।४६)। रामायण (बाह्यकाण्ड) में भी यही बात पायी जाती है जब कि राम को ताहका नामक राक्षसी के मारने के लिए प्रेरित किया गया था।

याज्ञवल्क्य (२।२८६) ने नीच जाति के साथ व्यवहार करने पर स्त्री के लिए कान काट देने का दण्ड बत-काया है। बृहदारोच (७।१९२) ने पति एवं भ्रूज की हत्या करने पर स्त्री की नाक कान एवं अधर काट देने की व्यवस्था की है। बेहिए याज्ञवल्क्य २।२७८ २७९, जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए स्त्री को प्राण-रक्षक ठर-के देने की व्यवस्था की गयी है।

यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि स्त्रियाँ क्रमशः उपनयन वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रों के साथ तस्कार सम्पादन के सारे अधिकारों से वञ्चित होती चली गयी और इस प्रकार वे पूर्णतः पुरुषों पर आश्रित हो गयी। उनकी दशा इस प्रकार धूम्र की दशा के समान हो गयी। सभी स्त्रियों को पवित्र होने के लिए तीन बार आश्रम करना आवश्यक है। किन्तु नारी एक धूम्र को केवल एक बार (मनु ५।१३९, याज्ञवल्क्य १।२१)। श्रियादिनी वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करती थी किन्तु स्त्रियाँ एक धूम्र बिना मन्त्रों के अर्घ्य मीन त्यज से। धूम्र एक स्त्रियाँ आम-भांड बिना पके भोजन के साथ करती थी। स्त्रियों एक धूम्र को हत्या पर समान दण्ड मिलता था (श्रीपावनवर्मभूम २।१।११ १२ पराशर ६।१६)। साधारणतः स्त्रियाँ बन्धे एक अति जीर्ण पुरुष साधव नहीं से सजते थे (याज्ञवल्क्य २।७ भारव ऋणादान १७८, १९ १९१) किन्तु मनु (८।३८।७) याज्ञवल्क्य (२।७२) एक नारव (ऋणादान १५५) ने स्त्रियो के सजने में स्त्रियों को साध्य देने को कह दिया है। अन्य शास्त्रियों के अमान में स्त्रियाँ चोरी व्यवहार एक अन्य अस्त्रि-सम्बन्धी अपराधों में शामिल थे सकती थी। मृत दान भूमि एक घर की बिक्री एक बन्धक में स्त्रियो द्वारा किंच नमः कागद-यन साधारणतः अस्वीकृत मान जाते थे ऐसी शिवापत्नी बबालकार या बोधे से की

७. अथप्या स्त्रिय इत्यनुवर्मेना वर्मनिश्चये। आदिपर्व १५८।३१; स्त्रीन् पीतु न सास्त्राणि पतयेत् ब्राह्मणेन च। यस्य आत्मानि शुभ्रवीत धनं च स्वात्प्रतिश्रयः॥ समापर्व ४१।१३।

८. “स्त्रीधूम्रात्क त्वमर्त्वि इति भाव्यात्। व्यवहारनपूज पृ ११२ श्रियादिनीनामपि अतिज्ञानाभ्यासौचित्यकारिता। अथपि केचिद्विज्ञास स्त्रीणा धूम्रसमाप्तताम्। सुतसंहिता (धूम्रकर्मकार, पृ २३१ में उद्धृत)।

९. ब्रह्मसप्तविधा नीच जन्मवत्त्वानामिज्यते। तुष्णीमेव हि ब्रह्मस्य स्त्रीणां च कुलकथन॥ विष्णु (स्मृति-कण्डिका १ पृ १८१ में उद्धृत)।

स्त्री धूम्र इत्यवधारणं आतर्त्विच्य भाष्यम्। आमभांड तथा कुर्मशिक्षिता पार्थिवेन तु॥ प्रवेत्ता (स्मृति-कण्डिका पार्थिवकर, पृ ४९१ ९२ में उद्धृत)।

की मिलापकी के समान मानी जाती थी (वेदिक नारण ऋषाहत २९, याज्ञवल्क्य २।३१)। उन दिना स्त्रियाँ पती म्रियी कर्म की अत एव स्वजनान बरदान ही थे। नारायण के निस्वकीसंतु नामक ग्रन्थ में बृहदारण्यीय पुत्रान की एक उक्ति आयी है जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ जिनका उपनयन सम्कार नहीं हुआ था तथा पुत्र विष्णु एव पित्र की मूर्ति-स्वापना नहीं कर सकते थे (शुक्लब्रह्मसंहिता ३२)।

यदि कुछ बातों में स्त्रियाँ मारी अतमर्षनात्रा एव अयोप्यनात्रो क बधीभूत मानी जाती थीं तो कुछ विषयों में वे पुत्रों की अपेक्षा अधिक अधिकार एव स्वत्व रखती थीं। स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे अग्निभार में पड़े जाने पर हयायी ही जा सकती थीं। मार्ग में उन्हे पहले आग चल जाने (अश्रमगत) का अधिकार प्राप्त था। पतिन की कन्या पतिन नहीं मानी जाती थीं किन्तु पतिन का पुत्र पतिन माना जाता था (बसिष्ठ-धर्मसूत्र १।१५१-५३, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।६।१३।४ याज्ञवल्क्य ३।२६१)। एक ही प्रकार की नृपि क सिद्ध पुत्रपुत्री को छोड़ मारी को आधा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णुधर्मसूत्र ५।४।३३ श्वेत्स ३ आशि)। बाह्य स्त्रियाँ की जो बहत्या हो, उन्हे पति की बहत्या क अनुसार धारर मिसना था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४।१६।१८—पति कर्म निव)। श्वेतस ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्णों की स्त्रियाँ (प्रतिशोभ जातियाँ की स्त्रियाँ का छोड़कर) भी कर्म-मुक्त थी (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२६।११ ११)। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।२३) में उन स्त्रियाँ का जो पुत्र या मनी बच्चा की बिना कर वाली (अधर) माना है। तीन मास की गर्भवती बत में रहने बाध सातु लोग मर्यामी श्राद्ध एव ब्रह्मचारी श्राद्ध के कर से मुक्त थे (मनु ८।४ ७ एव विष्णु ५।१३२)। मीलम (५।२३) याज्ञवल्क्य (१।१५) आदि क अनुसार बच्चा पुत्रियों एव बहिनो जिनका विवाह ही गया हो किन्तु अभी अपने माता-पिता मरना धारण के साथ ही धर्मवती स्त्रियाँ अविवाहित पुत्रियाँ अतिथियों एव मीरतो का घर न मालिन एव मालिनिय के पड़े विधाना चाहिए। मनु (६।१।१४) एव विष्णुधर्मसूत्र (६।३।३९) तो कुछ और आये बत जाते हैं—'कल की अविवाहित अश्रमिनी अविवाहित पुत्रियाँ धर्मवती नारियाँ की अतिथियों से भी पढ़क निकलना चाहिए। उस अतिथि का विचार, जिसमें कोई स्त्री फँसी हो या जिसकी मुतलाई राजि में या गाँव के बाहर या घर के भीतर, या पत्नी के मरण हुई हो पुत्र हुना चाहिए (नारद १।४३)। सामान्य स्त्रियाँ का अधिवीण विषय (अत अग्नि आदि न कतिन परीक्षा) से नहीं गिठ किया जाता या चाहे वह बारी ही या प्रतिबारी ही किन्तु यदि दिव्य अतिथार्य-मा ही साथ ही मुला-रिष्य की ही बहत्या थी (याज्ञवल्क्य २। ८ एव मितारण टीका)। स्त्रीजन क उत्तरविवाह से पुत्रियाँ का पुत्रा की अपेक्षा प्रमुखता थी मयी थी। प्रतिभूत अधिकार-श्राप्ति में स्त्री का स्त्रीजन नहीं फँस मरना या (याज्ञवल्क्य २।२८ नारद ऋषाहत ८२-८३)। आचार के विषय में स्त्रियों में मन्त्रणा अवश्य थी जाती थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२। १।१५) में ऐसा मत प्रकटित किया है कि मूत्रा में जा नियम न पाय जायें उन्हे कुछ आचार्यों क बहनामुसार स्त्रियाँ एक मरी बर्णों क पुरया में जात मना चाहिए। आपस्तम्बगृह्यसूत्र आरवकायनगृह्यसूत्र (१।१।६८) मनु (१२००) एव बौधायन स्मार्त (३।२१) क अनुसार विवाह में गिष्टाचार की आजकारी स्त्रियाँ के प्राप्त करनी चाहिए।

परदा की प्रथा

क्या आधुनिक काल में पायी जाने वाली परदा-प्रथा जो मुसलमानों एक भारत में कुछ भागों में विद्यमान है, प्राचीन काल में जन्मी आयी है? ऋग्वेद (१ ८५।३३) में लोगो को विवाह के समय बन्धा की ओर देखने को कहा है—“यह बन्धा मयत्तमय है एकत्र होयो और इसे देना इसे आधीय देकर ही पुन लोग अपने पर पा सकते हो। आन्वभायनगृह्यसूत्र (१।८।१७) में अनुष्ठान बुद्धि को अपने घर में आते समय बुद्ध को चाहिए कि वह प्रत्येक निरस स्वाग (रत्ने के स्वाग) पर दर्शनों को ऋग्वेद (१ ८५।३३) में उपर्युक्त मंत्र के साथ देखे। इस स्पष्ट है कि उन दिना बुद्धि या बन्धुओं द्वारा अन्नगुच्छ (परदा या घूंघट) नहीं धारण किया जाता था प्रत्युत वे सबसे सामने निरसगुच्छ आती थी। ऋग्वेद के विवाहसूक्त (१ ८५।१५६) में एक स्वस्तिवचन है कि बन्धु अपने स्वपुत्र, साधु नन्द वर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह वेषक हृष्य की अभिलाषा मात्र है क्योंकि वास्तविकता कुछ और थी। ऐन्द्रेय ब्राह्मण (१२।११) में आया है कि बन्धु अपने स्वपुत्र से सम्बन्ध करती है और अपने को छिपाकर बन्धी जाती है। इससे प्रकट होता है कि गुप्तकाल के मध्य तक बन्धुवधियों पर कुछ प्रतिबन्ध था। किन्तु युद्ध एक धर्म-युद्ध में स्वर उभर जनमनुष्य में धूमनी हुई स्थिति में परदे के विषय में कोई चिन्तन नहीं प्राप्त होता। पारिनि (१।२।२६) में ‘अनुपपन्था (जो पूर्व में नहीं देखी) की जो रानियाँ के लिए प्रयुक्त हुआ है व्युत्पत्ति की है। इसमें वेषक इत्यादी की प्रकट होता है कि रानियाँ राजप्रासादों की सीमा के बाहर अन्न-साधारण के समस्त नहीं आती थी। रामायण (अर्वाध्यायाङ्क ३३।८) में आया है कि आज तक पर चम्पे हुए लोप उस सीमा को देख रहे हैं, जिसे पहले जानागामी कीद में म दण गये थे। वही आते (मु ११६।२८) फिर आया है— विपत्ति के समय मुद्रा में स्वयंवर में यज्ञ में एक विवाह में स्त्री का बाहर जनता में जाना को-आचार्य नहीं है। सभापर्व (६ १९) में शीघ्र ही कहती है—“हजने मुद्रा है प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियाँ को जनसाधारण की समा या समूह में नहीं ले जाने के चिर काज में बन्धी आयी हुई प्राचीन प्रथा को बौरको में लौट दिया है। शीघ्र ही का दर्शन राजाओं में स्वयंवर के समय किया था उनके उपागन्त मुपिष्ठिर द्वारा जए म हाज आने पर ही लोगो में उसे देना।’ इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि उच्च बुद्ध की नारियाँ कुछ विद्यय अन्नमरा को छानकर बाहर नहीं आती थी किन्तु इनका तात्पर्य यह नहीं है कि वे परदा (अन्नगुच्छ) करती थी। तात्पर्य (२९।७४) में आया है कि बौरको की पूर्व हाज के उपरान्त उनकी स्त्रियाँ को जिन्हें पूर्व में नहीं दण मरणा या राजप्राणी में आय हुए लोग देना रहे थे। और देखा इन विषय में गभापर्व (३।८७) तात्पर्य (१९।६३) स्त्रीपर्व (१९।११) आधमरामितर्व (१५।१३)। हर्षचरित (४) में आया है कि राजकुमारों राज्य की जिसे उपाज भागी परी प्रथमों विवाह के पूर्व देखने आया था अपने मुद्र पर मुन्दर साज रण का परिपाल दाज की। एत अन्य स्वाग पर स्वाधीनकर (बानगर) का वर्धन करने समय बाध करता है कि नारियाँ अन्नगुच्छ दाज हुए थी। वाचस्पदी में भी बाध के उपरान्त की स्वाग रण के अन्नगुच्छ के मात्र विनि

११ (१) या न प्रया मुद्रा इधुं नरेराजार्गरेषु। सावध सीतां पश्यन्ति राजमार्यगता जनाः ॥ अर्वाध्या-
याङ्क ३३।८ अगन्तु न दृष्टानु न पश्यन् स्वयंवरः। न बन्धी को विवाहे वा दृष्टार्थं दृष्ट्ये निजम् ॥ मुद्राङ्क
११६।२८।

(२) वस्यै विधयं जनां पूर्व न लक्ष्मीणि नः पुत्रम्। न मया कीर्येयेषु पुत्रो धनं लतापनः ॥
नभापर्व १९।१।

दिया है। धामुन्तक (५।१३) में दुप्यन्त की राजसमा में साथी जाती हुई धामुन्तका को अबगुप्यन्त शक विहित किया गया है। इससे प्रकट होता है कि उच्च कुल की नारियाँ बिना अबगुप्यन्त के बाहर नहीं जाती थीं किन्तु साधारण नियो के साथ ऐसी बात नहीं थी। उत्तरी एवं पूर्वी भारत में परबा की प्रथा जो सर्वसाधारण में पायी जाती है उसका आगम मुगलमानों के आगमन से हुआ। इस विषय में इण्डियन एथ्निकवेरी (सम् १०३३ पृ १५) पठनीय है जहाँ वाचस्पति की साक्ष्यतत्त्वकीमुषी (नवी घटाब्दी) की एक उद्धृत उक्ति से प्रकट होता है कि उच्च कुल की नारियाँ परबा करके ही बाहर निकलती थीं। और भी देखिए पाठक-स्मृतिप्रबन्ध (पृष्ठ ७२) जहाँ परबा-प्रथा ने प्रथम के विषय में बौद्ध ग्रन्थों से निर्देश दिये गये हैं।

अध्याय १३

निमोग

निमोग का अर्थ है—किसी निमुक्त पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति के लिए पत्नी या विधवा की निमुक्ति। इस प्रथा के उद्भव एवं उपयोग के विषय में विभिन्न मत-मतांतर हैं। सर्वप्रथम हम इस प्रथा के समर्क धर्मशास्त्र-ग्रन्थों की उक्तियों की जाँच करेंगे। गौतम (१८।४-१४) ने इसकी वर्णों की है 'पतिविहीन तारी यदि पुत्र की अभिलाषा रखे तो अपने बेचर द्वारा प्राप्त कर सकती है। किन्तु उसे गुरुजनो से आज्ञा से लेनी चाहिए और सम्भोग केवल ऋतुनाश में (प्रथम चार दिनों को छोड़कर) ही करना चाहिए। वह सतिष्य सयोन सप्रचर या अपनी बाँटि धारै (जब बेचर न हो तो) से ही पुत्र प्राप्त कर सकती है। कुटु लोगों के मत से यह प्रथा केवल बेचर से ही समुक्त है। वह जो से अधिक पुत्र (इस प्रथा द्वारा) नहीं प्राप्त कर सकती। गौतम (१८।११) का कहना है कि औचित्य पति द्वारा प्राप्ति तनी जब (नियोज से) पुत्र उत्पन्न करती है तो वह उसी (पुरुष) का पुत्र होता है। गौतम (२८।३२) ऐसे पुत्र को अन्न और उसकी माता को क्षेत्र की सत्ता देते हैं। इसी प्रकार उस स्त्री या विधवा का पति लोत्री या क्षेत्रिक (विधवा वह पत्नी या विधवा होती है) तथा पुत्रोत्पत्ति के लिए निमुक्त पुरुष बीजी (जो बीज बोना है) या निमोगी (बसिष्ठ १७।१४ अर्चान् की निमुक्त ही) कहलाता है।

बसिष्ठधर्मसूत्र (१७।५९-६५) में लिखा है— विधवा का पिता या भाई (या मृत पति का भाई) बुद्धों को (त्रिभुवों पढ़ाया ही या मृतारमा के लिए यज्ञ कराया हो) तथा सम्बन्धियों को एकत्र करे और उसे (विधवा को) मृत के लिए पुत्रोत्पत्ति के लिए नियोजित करे। उन्मादिनी विधवा अपने को न सौम्य बनने वाली (बुद्ध के मारे) रोगी या कुड़ी विधवा को इस कार्य के लिए नहीं नियोजित करना चाहिए। युवावस्था के ऊपर १९ वर्ष तक ही नियोज होना चाहिए। बीमार पुरुष को नहीं निमुक्त करना चाहिए। निमुक्त व्यक्ति को पति की प्राप्ति प्रवर्तन वाले मयम मूर्धन में विधवा के पास जाना चाहिए और उसने शाव न तो रति बीडा करनी चाहिए, न अस्सीस भायक करना

१ अत्यन्तपथलिपुर्वेचरत्। बुधप्रसूता मर्तुमयीमम्। निष्कणोत्रसिम्बन्धयो योनिनाशान्। तारे-
रादित्येः। नातिद्वितीयम्॥ गौतम (१८।४-८)। हारदत्त ने 'नातिद्वितीयम्' को दूसरे हक से समझाया है; 'प्रथम-
नवत्यमनीत्य द्वितीय न अनयेदिति' अर्चान् एव से अधिक पुत्र नहीं उत्पन्न करना चाहिए।

२ हेनिपु मनु (१।१२, ३३ एवं ५३) अहाँ क्षेत्र अधिक, बीजी अधिक का अर्थ दिया हुआ है। गौतम (१८।११)
एव अत्यन्तसम्बन्धनम् (२।६।१३।६) में 'क्षेत्र' का प्रयोग पत्नी के लिए किया है। गौतम (४।३) में 'बीजी' प्राप्त
आया है। मनु (१।६-०-६१) में व्यक्त किया है कि कुछ लोगों के मत से निमोग द्वारा केवल एक और कुछ लोगों के
मत से दो पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं।

३ प्राजापत्य मूर्धन को ही षाड्मनुत्र कहा जाता है अर्चान् रति का अन्तिम प्रहर (सूर्योदय के पूर्व एक घण्टे
का ३ भाग, अर्चान् सूर्योदय के ४५ निमिष पूर्व)। हेनिपु बसिष्ठ (१३।४७) एवं मनु (४।१९)।

धारिए और न कुर्बानहार करना चाहिए। धन-सम्पत्ति (रिक्थ) का प्राप्ति की अनिलापा से नियोग नहीं करना चाहिए। बीबायनबर्मसूत्र (२।२।१७) के अनुसार क्षेत्रज्ञ पुत्र बही है जो निश्चित आज्ञा के साथ बिषबा से या मनुसक या अन्य पति की पत्नी से उत्पन्न किया जाय। मनु (१।५९.११) का कथन है कि पुत्रहीन बिषबा अपने देवर या पति के वरिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कर सकती है नियुक्त पुरुष को भेदने में ही बिषबा के पास जाना चाहिए, उमर के घटीर पर पूा का भेष होना चाहिए और उसे एक ही (दो नहीं) पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों के मत से दो पुत्र उत्पन्न करने चाहिए। यही बात बीबायनबर्मसूत्र (२।२।१८-७) याज्ञवल्क्य (१।१८.१९) एक नारव (स्त्रीपुत्र ८-८१) में भी पायी जाती है। कौटिल्य (१।१७) न लिखा है कि बड़े एक न अच्छे किये जानेवासे रोम से पीडित राजा को चाहिए कि वह अपनी राणी को नियुक्त कर किसी मातृकल्प या अपने ही समान गुण वाल सामन्त द्वारा पुत्र उत्पन्न कराये। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य न पुत्र कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण बिना सभिकट उत्तराधिकारी के मर जाय तो किसी समोत्र या मानुसक्य को नियोजित कर क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, वह पुत्र रिक्थ प्राप्त करेगा (कौटिल्य ३।६)।

नियोग के लिए निम्नलिखित बंधाएँ आवश्यक थी—(१) धीबित या मृत पति पुत्रहीन होना चाहिए (२) बृक के सुम्बनो द्वारा ही निर्णीत पद्धति से पति के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी को नियोजित करना चाहिए (३) नियोजित पुरुष को पति का भाई (देवर) सपिच्छ या पति का समोत्र (गौत्रम के अनुसार सप्रवर या बन्नी शक्ति का) होना चाहिए (४) नियोजित पुरुष एक नियोजित बिषबा में कामुकता का पूर्ण अभाव एक वर्तम्य ब्रत का मान रहना चाहिए (५) नियोजित (नियुक्त) पुरुष के घटीर पर बृत या ठेक का भेष लगा रहना चाहिए, उसे न तो बौकना चाहिए, न कुम्भन करना चाहिए और न स्त्री के साथ किसी प्रकार की रतिबीजा में समुल्ला होना चाहिए (६) यह सम्बन्ध केवल एक पुत्र उत्पन्न होने तक (अन्य मतों से दो पुत्र उत्पन्न होना तक) रहता है (७) नियुक्त बिषबा को अपेक्षाकृत युवा होना चाहिए, उसे बूढी या बम्प्या (बाँस) जतीतप्रजनन-शक्ति बीमार इच्छाहीन या बर्मरणी नहीं होना चाहिए एक (८) एक पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त दोनों को एक-दुसरे से अर्थात् नियुक्त पुरुष का पवपुर-मा एक नियुक्त बिषबा या स्त्री को बधू-मा व्यवहार करना चाहिए (मनु १।६२)। स्मृतिमा में यह स्पष्ट बताया है कि बिना गृहजनों द्वारा नियुक्ति के या अन्य उपयुक्त बंधाओं के न रहने (यथा यदि पति का पुत्र हो) पर यदि देवर अपनी मांसी से सम्मोग करे तो वह बडात्कार का अपराधी (अगम्यागामी) कहा जायगा (देविए मनु १।५८.११ १४३ १४४ एक नारव-स्त्रीपुत्र ८५-८६)। इस प्रकार के सम्मोग से उत्पन्न पुत्र जात्र (कुल्लोन्मत्त) कहा जायगा तथा सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होय (नारव-स्त्रीपुत्र ८४-८५) और वह उत्पन्न करनेवाले (जनक) का पुत्र कहा जायगा (बसिष्ठधर्मसूत्र १७।१३)। नारव के मत से यदि कोई बिषबा या पुरुष नियोग के नियमा के अनिष्ठन जाय तो राजा द्वारा उस दोनों को दण्ड मिलना चाहिए, नहीं तो गृहबही उत्पन्न हो जायगा। इन सब नियमना से स्पष्ट है कि धर्मसूत्रकाल में भी नियोग उतना सरल नहीं था और यह प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी।

बही नीयम ऐसे धर्मसूत्रकालों में नियोग का बंध टूट गया है बही अनियम अथ धर्मसूत्रकालों में जो काल में नीयम के सामथान ही के इसे बृगास्यन मानकर खोज कर दिया था। आपमन्मन्धमसूत्र (२।१। ३।५.७) बीबायनबर्मसूत्र (२।२।१८) धारि न नियोग की मर्तना की है। मनु (१।१६.१८) न नियोग का बान करन के सामान इन्हीं बुरी तरह से मर्तना की है। इन से इसे नियमबिच्छेद एक अनिष्ठन टूट गया है। उन्हाल राजा केन को इसका प्रबन्ध प्रकाशक माना है और उसे बर्ण-मार्गना का जनक मानकर लिखा की है। उन्हालि लिखा है कि यह एक निष्ठ काम नियोग की दिग्ना करके है किन्तु कुछ लोभ अज्ञानजन इन आतान है। मनु (१।१९.७) में नियोग का बर्ण यह बरकर मनाया है कि नियोग के बिषय में नियम बरकर उनी गया है किन्ना है जा बरकर म प्रतीयन हो

बुद्धी की विन्तु नाभी पति मर गया एही स्थिति में मृत पति के भाई को उस बच्चा से विवाह करने केवल अनुज्ञान में एक बार सम्मत्ता ठक ठक करना पड़ता था जब तक कि एक पुत्र उत्पन्न न हो जाय और वह पुत्र मृत व्यक्ति का पुत्र माना जाता था। यद्यपि मनु ने नियोग की प्राचीन प्रथा की निन्दा की है किन्तु उत्तराधिकार एवं रिश्ते के विभाजन में अलग पुत्र के लिए व्यवस्था रखी है (१।१२ १२१ १४५)। बृहस्पति ने लिखा है—“मनु ने प्रथम नियोग का वर्णन करने इत निरिच्छ किया है इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में लोगो में तप-वक एक ज्ञान का अर्थ है नियमों का पालन ठीक कर सक्ते थे किन्तु द्वार एव कति मुगो में लोगो में सक्ति एव बल का ह्रास हो गया है, अर्थ है नियमों के नियमों के पालन में असमर्थ है। पुत्रों के अनेक प्रकारों के विषय में हम व्यवहार नामक अध्याय में पढ़ेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (१५।१) की एक बात गौतम एवं बसिष्ठ में नहीं पायी जाती श्रेष्ठतम वह पुत्र है जो नियुक्त पत्नी या विधवा तथा पति के सविष्ट या ब्राह्मण से उत्पन्न होता है। महाभारत में नियोग के कतिपय उदाहरण प्राप्त होते हैं। आश्विपर्व (१५ एव १ ३) में आया है कि सत्यवती ने भीष्म को उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य (का मृत हो चुका था) के लिए उसकी रानियों से पुत्र उत्पन्न करने को उद्बेक्षित किया किन्तु भीष्म ने अयोग्य नहीं किया। अन्त दोषणा उत्पत्ती में अपने पुत्र व्यास को नियुक्त किया और इसके पक्षस्थान्य भूतच्छत्र एव पाण्ड उत्पन्न हुए। स्वयं पाण्ड ने अपनी राणी दुर्लभा को किमी तामुक ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न करने को कहा। पाण्ड ने दुर्लभा से नियोग की कई एक गाथाएँ कही हैं (आश्विपर्व १२०-१२३) और निष्कर्ष निकाला है कि अधिक-से-अधिक ठीक पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं किन्तु यदि कोई या पाँचवें पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो स्त्री स्वैरिणी (विधवा) एवं बन्धकी (बेरवा) नहीं आयोगी। आश्विपर्व (१४ एव १ ४) में आया है कि परशुराम ने जब लक्ष्मिणा का नाश करम्भ किया तो उसीसे धना गियाँ ब्राह्मणों के पास पुत्रोत्पत्ति के लिए पहुँचाने लयी। अन्त उदाहरणों एव नियोग-सम्बन्धी सन्तों के लिए हेतु आश्विपर्व (१ ४ एव १००) अनुशासनपर्व (४०।५२-५३) एव शान्तिपर्व (७२।१२)।

स्मृतियों में नियोग-सम्बन्धी नियमों के विषय में बहुत-से अलग-अलग हैं अत विवरण में यथासिद्ध एते ही-कारण न अपन मन प्रकाशन में पर्याप्त छूट रखी है। विवरण में याज्ञवल्क्य (१।६९) की व्याख्या करते हुए हम विषय में कई मन प्रकाशन किये हैं—(१) आज के युग में नियोग निरुद्ध है और है स्मृति विरुद्ध (मनु १।६४ एव ६८) (२) यह उपर्युक्त बलि मनु का ही मन है (३) यह विवरण से लिया जाता है (नियोग बलि एव आजापित बला है) (४) नियोग का विषय में स्मृतियों की उक्तियाँ शून्य हैं किन्तु (मनु में १।६४ में 'द्विजानि' शब्द प्रयुक्त किया है) (यह उक्ति सम्भवत स्वयं विवरण की है) यह राजाओं के लिए आजापित या अर्थ कि उत्तराधिकार के लिए को पुत्र नहीं होता था। विवरण में अपनी उक्तियों बृह मनु एव बामु की भावा पर आजापित की है। विवरण में यह भी कहा है कि विचित्रवीर्य की रानियों में व्यास द्वारा उत्पन्न पुत्रों की बात हीरवी के पाँच पत्तियों के विवाह की रानि निगमण है।

विभाग में उत्पन्न पुत्र विवारा है? इस विषय में भी अनैक्य नहीं है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१०।६) में स्पष्टतः इस प्रकार के विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। (१) प्रथम मत में अनुशासन पुत्र जनन का होता था किन्तु इस

४ उक्तों नियमों की निम्न निरिच्छा स्वयमेव तु। सुयज्जन्तव्योप्येव कर्तव्यविधानतः ॥ ततोऽन्ततमामुराण
दृष्टव्याप्ये वयः । इत्येव च बली बुधां धर्मिण्यनिर्दिशिता ॥ अनेकपत्नी कृता बुधा ऋषिभिरथ पुरातनैः ॥ न
सम्पत्तेयुना कर्तुं परिशीर्षवदत्तम् ॥ बृहस्पति (याज्ञवल्क्य १।६८ ६९ की टीका में अचरार्थ द्वारा तथा मनु १।६८
की टीका में कुम्भक द्वारा उक्त) ।

मन स नियोग की उपयोगिता ही निरलंक मित्र हो जाती है। निरकन (३१२ ३) ने इन मन का समर्पण किया है और श्वेद (७५५७-८) को उदाहरण माना है। पौतम (१८१९) एव मनु (९११८१) ने भी यही धारणा मानी है। आप लम्बवर्णमूत्र (२।१।१३।५) का कहना है कि एक ब्राह्मण-ग्रन्थ के अनुसार पुत्र जनक का ही होता है। (२) द्वितीय मन यह था कि यदि विधवा का पुत्रप्राप्ति एव नियुक्त पुरुष म यह तय पाया हो कि पुत्र पति का होगा तो पुत्र पति का ही मन्ता मानना (देखिए गौतम १८।१०-११ अतिष्ठ १७-८ एव आदिपर्व १ ५।६)। (३) तृतीय मन यह था कि पुत्र दत्ता का अर्थात् जनक एव विधवा के स्वामी का होता है। यह मन नारद (स्त्रीपुत्र ५८) मातृवन्वय (२।१२७) मनु (१।५३) एव पौतम (१८।१३) का है।

नियोग की प्रथा ब्रह्मिण्यु म बर्जित मानी गयी है (बृहस्पति)। बहुरथ-ग्रन्थकारों ने इन ब्रह्मिण्यु म विपिउ बर्जो म दिना है (देखिए मातृवन्वय (२।१२७) श्री श्याम्या म भिनासरा एव ब्रह्मपुराण अथर्ववेद द्वारा उद्धृत पृ १०)।

पति के मारि स विधवा का विवाह तथा उसके पुत्रोत्पत्ति एक अति विस्तृत प्रथा रही है (देखिए वेस्टरमार्क की पुस्तक 'हिन्दी मान ह्यमन मैरेज १९२१ जिल्ड ३ पृ ७-२२)। श्वेद (१।४।१२) म इन पक्षों हैं— 'गुरु इ ब्रह्मिण्यु मय करणे वाळा अपन घर मे बैस ही पुकार रहा है, जिन प्रकार विधवा अपने बच्चे को पुकारती है या बुकती अपने प्रेमी का आह्वान करती है। चिन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि यह उक्ति विधवा तथा उसके घर के विवाह की ओर या नियोग की ओर संकेत करती है। निरकन (३।१५) की कुछ प्रतियों म श्वेद की इन शब्दा म 'देवर' का अर्थ द्वितीय बर्' समझाया गया है। महाभारत (मनु ९।६६) ने इसकी व्याख्या नियोग के अर्थ में की है। मुता एव स्मृतिरा के अनुसार नियोग एव विवाह म अन्तर है। बहुरथ प्राचीन समाज म स्त्रियों सम्पत्ति के समान बनीयन के रूप म प्राप्त होती थी। प्राचीन काल म बड़े मारि की मृत्यु पर छोटा भाई उसकी सम्पत्ति एवं विधवा पर अधिकार कर लेता था। चिन्तु 'श्वेद' का काल इन प्रथा के बहुत ऊपर उठ चुका था। वैदिककाल म अनुमान नियोग की प्रथा के मूल म अनेक-अनुवृत्तता पायी जाती है। चिन्तु वेस्टरमार्क ने इन मन का उल्लेख किया है जो ठीक ही है। जब मुता के नियोग की प्रथा मान्य थी तब अनेक-अनुवृत्तता या तो विस्मृत ही चुकी थी या बर्जित थी। जैसी का यह काल कि जीव पुत्रों के मूल के आर्थिक कारण से निराधार है। नियोग की प्रथा प्राचीन थी जीव उमर के कारण के चिन्तु के समी अज्ञान एव उन्मत्तता है, केवल एक ही उद्योग स्पष्ट है—वैदिक काल म ही पुत्रोत्पत्ति पर बल पान किया गया है। अतिष्ठवर्ममूत्र (१७।१९) म यह मन माना है और वैदिक उक्तिवा के आधार पर चिन्तुएण स मुता हल के लिए पुत्रोत्पत्ति की एक स्वर्गिक सोचा की प्राप्ति की महत्ता प्रकट की है। विभी भी श्वेद ने इन पौतम आर्थिक कारण नहीं रखा है। यदि आर्थिक कारण स गौतम पुत्र प्राप्त किये जायें तो एक व्यक्ति बहुरथ-म पुत्र प्राप्त कर लेता। चिन्तु धर्मशास्त्रकारों ने इसकी आज्ञा नहीं की है। जिन औरस पुत्र होंता या वह अज्ञान अथवा बलात्कृत पुत्र नहीं प्राप्त कर सकता था। जल स्पष्ट है कि नियोग के पीछे आर्थिक कारण नहीं थे। विन्वरतिषा (ज भाग ७ पृ १८९, पृ ७५८) ने नियोग के कारणों म दरिद्रता रिचया का अभाव एवं समुक्त परिवार माना है। चिन्तु इसका विचार म कि ऐतिहासिक काल म भारत म स्त्रियों का जन्म या बर्जित प्रमाण नहीं प्राप्त होता। ही मुता के कारण पुत्रों का अभाव उद्भव रहा होगा। और न अन्य कारण एका दरिद्रता तथा समुक्त परिवार ही विन्वरण से उत्पन्न पति है। यही कहना उचित अर्थता है कि विनाग प्रति बर्जित प्राचीन प्रथा का अभाव मात्र था जो कर्मा विधीन रहा तथा ईसा की आरम्भिक सनातनिय म भारत म महा के लिए बर्जित हो गया।

विधवा विवाह, विवाहविच्छेद (तलाक)

विधवा का पुनर्विवाह

'पुनर्म्' शब्द उस विधवा के लिए प्रयुक्त होता है जिसने पुनर्विवाह किया हो। नारद (स्त्रीपुत्र ४५) के अनुसार सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं जो पहले किसी व्यक्ति से विवाहित (परपूर्वा) हो चुकी रहती हैं उनमें पुनर्म् के तीन प्रकार होते हैं और स्त्रीरिणी के चार प्रकार होते हैं। तीन पुनर्म् हैं—(१) वह जिसका विवाह में पति पहल ही चुका हो किन्तु समायम न हुआ हो इसके विषय में विवाह एक बार पुन होता है (२) वह स्त्री जो पहले अपने पति के साथ रहकर उसे छोड़ दे और अन्य भर्ता कर से किन्तु पुन अपने मौखिक पति के यहाँ चली जाय (३) वह स्त्री जो अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उसके सम्बन्धियों द्वारा बेचर के त रहने पर किसी सपिण्ड को या उसी की आति बाल किछी को बे दी जाय (यह नियोग है जिसने कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया जाता है)। चार स्त्रीरिणी में हैं—(१) वह स्त्री जो पुनर्हीन या पुनर्बनी होने पर अपने पति की जीवितावस्था में प्रेमवत्त किछी अन्य पुरुष के यहाँ चली जाय (२) वह स्त्री जो अपने मृत पति के माइबो तथा अन्य लोगों को न चाहकर किछी अन्य के प्रेम में लँस जाय (३) वह स्त्री जो विवेक से भाकर या कीट होकर या भय-त्याग से स्वाकुल होकर किछी व्यक्ति की घरन में जाकर रहूँ ब 'मैं तुम्हारी हूँ' (४) वह स्त्री जो किसी मजदबी को बेशाचार के कारण अपने मुकदमो द्वारा गुप्त कर दी जाय किन्तु स्त्रीरिणी हो जाने का अपराध करे (यब कि उनके द्वारा या उस स्त्री) के द्वारा नियोग के विषय में स्मृतियों के नियम न पास्तित हो)। नारद के अनुसार उपर्युक्त दोनों प्रकारों में सभी क्रमानुसार निश्चयत कह सकते हैं। याज्ञवल्क्य (१।६७) इतने बड़े विस्तार में नहीं पढ़ते वे पुनर्म् को दो भागों में बाँटते हैं (१) वह जिसका पति से अभी समायम न हुआ हो तथा (२) वह जो समायम कर चुकी हो इन दोनों का विवाह पुन होता है (पुनर्म् वह है जो पुन ससृष्टा हो)। याज्ञवल्क्य 'स्त्रीरिणी' उरुको भाग है जो अपने विवाहित पति को छोड़कर किछी अन्य पुरुष के प्रेम में लँसकर उसी के साथ रहती हो। द्वितीय पति या द्वितीय विवाह से उत्पन्न पुत्र को 'पीनर्मब' (कम से पति या पुत्र तथा पीनर्मब-पति या पीनर्मब-पुत्र) भी मज्जा भी जाती है (वेदिए सस्तरप्रकाश पृ ७४-७४१)। नरय्य के अनुसार पुनर्म् के सात प्रकार हैं—(१) वह नर्या जो विवाह के सिध प्रतिधुत हो चुकी हो (२) वह जो मन से ही जा चुकी हो (३) वह जिसकी बर्त्साई में कर द्वारा भगल बीप रिया बदा हो (४) वह जिसका जल के साथ (पिला द्वारा) दान हो चुका हो (५) वह जिसका कर द्वारा पात्रिपटन ही चुका हो (६) वह जिसने अग्नि प्रदक्षिया कर ली हो तथा (७) जिसे विवाहोपरान्त बन्धा ही चुका हो। इनमें प्रथम पाँच प्रकारों से हमें यह समझना चाहिए कि नर या तो नर मदा या उसने जाने की वैवाहिक रिया नहीं की और लीट गया। इन लक्षरिया को भी इनका

१ बाबा दत्ता मनीषता इतरीनुनमवता। उरुस्वयिता या न या न बाबिपुहीतिका॥ अग्नि परिगता या न पुनर्म् प्रतवा न या। इत्येता नरपेगीता इहन्ति कुलमर्दिनवत्॥ नरय्य (स्मृतिचन्द्रिका १ ७५ में उद्धृत)।

पुनर्विवाह हो जाने पर, पुनर्नू कहा जाता है। यद्यपि इलका प्रथम विवाह विवाह नहीं था। क्योंकि उसमें सप्तपदी नहीं सम्पन्न हुई थी। छठे प्रकार में अग्नि प्रवक्षिणा के कारण विवाह हो जाने की गन्ध मिस्ती है। बीमायन द्वारा उप स्थापित प्रकारों में बाड़ी-सी विभिन्नता है। प्रथम या कल्प्य क प्रकार जैसे है अन्य प्रकार है—(३) बहू का (बर के साथ) अग्नि से अनुष्ठित भूम गयी है (४) बहू जिसने सप्तपदी सम्पन्न कर ली है (५) बहू जिसने सम्मोग कर लिया हो (बाड़े विवाहोपरान्त या बिना विवाह के ही) (६) बहू, जो गर्भवती हो चुकी हो तथा (७) वह जिस कन्या उत्पन्न हो गया हो। वेद में प्रयुक्त 'पुनर्नू' का अर्थ करते समय उपर्युक्त अर्थों का स्मरण रखना चाहिए। पाठ पञ्चांग (५।१।५।९) में सुनन्त्या की कथा स्पष्ट है—बहू के बहू अथवा को दे दी गयी थी। अग्नी उमरा औपचारिक रूप से विवाह नहीं हुआ था। किन्तु उसमें अपने को अथवा की पत्नी मान लिया था। मनु (९।६-७) ने नियोग के नियमों को केवल उस कन्या तक सीमित माना है जो कबल बाण्डता मात्र की किन्तु बसिष्ठधर्मसूत्र (२।७।७२) में कथ्यता एक उदकस्थिता (जो मन से या जल-स्पर्श करके दू या चुकी हो) का वेदमन्तोच्चारण से पुनः अग्नी कुमारी ही मन्ता है। बसिष्ठधर्मसूत्र (२।७।७४) ने बीमायन के भीषे प्रकार की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (१।६७) यह ब्रह्मता के बारे में लिखते हैं तो कल्प्य के सभी छ प्रकारों की ओर संकेत करते हैं या बीमायन के प्रथम चार प्रकारों की ओर निर्देश करते हैं किन्तु अब वे ब्रह्मता की बात करते हैं तो कल्प्य के मात्रमें एक बीमायन के अन्तिम तीन प्रकारों की ओर निर्देश करते हैं। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।७।१९-२) ने पीतर्मज का उस स्त्री का पुनः कहा है जो अपनी मुवाकस्वा के पति को त्याग कर किसी अन्य का साथ करती है और पुनः पति के घर आकर रहने लगती है या जो अपने तनुमज बसिष्ठधर्मसूत्र या पाकस पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर लेती है। बीमायनधर्मसूत्र (२।२।३१) ने पीतर्मज पुनः की उस स्त्री का पुनः माना है जो अपने तनुमज या धातिभ्युत पति को छोड़कर अन्य पति करती है। मारव (स्त्रीपुत्र ९७) पराधर (४।३) एक अग्निपुराण (१५।४।५-६) में एक ही श्लोक आया है, यथा 'तटे मृते प्रजग्ने कवीरे क पतिरे पत्नी। पञ्चस्वापसु मारीणा पतिरन्यो विधीयते ॥ मारव (स्त्रीपुत्र प्रकरण ९७) जिसका अर्थ है— पति विपत्तियों में स्थितो क लिए द्वितीय पति आश्रायित है अब पति नष्ट हो जाय (उसके विषय में कुछ सुनाई न पड़े) मर जाय सम्पत्ती हो जाय तनुमज हो या पतिव्रत हो। इस श्लोक को लेकर बहुत बहस-विवाद चलता रहा है। पराधर माधवीय (२ भाग १ पृ ५३) ने सबसे सरल मत यह लिया है कि यह बात या स्थिति किसी अन्य पुनः के समाज की है इसका कल्प्युग में कोई उपयोग नहीं है। अन्य लोगों ने यथा मेगातिथि (मनु ५।१५७) में लिखा है कि 'पति' शब्द का अर्थ केवल 'पाकस' है। मेगातिथि (मनु ३।१ एव ५।१६३) नियोग के विरोधी नहीं हैं किन्तु के विना के पुनर्विवाह के कट्टर विरोधी हैं। स्मृत्यर्थसार (लगभग ११५ ई से १२ ई तक) में कई मत प्रकाशित किए हैं यथा—(१) कुछ लोगों के मत से यदि सप्तपदी के पूर्व ही मर जाय तो कन्या का विवाह पुनः हो जाना चाहिए, (२) अथवा का कहना है कि समागम (सम्मोग्य हो जाने क) क पूर्व यदि पति मर जाय तो पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, (३) कुछ लोगों के मत से यदि विवाहोपरान्त कन्या के उत्सवना होने क पूर्व पति मर जाय तो पुनर्विवाह ही जाना चाहिए तथा (४) कुछ अन्य लोगों के अनुसार गर्भ उत्पन्न के पूर्व पुनर्विवाह आश्रायित है।

२ बाण्डता मन्तोदता अग्नि परिणता सप्तम पर भीला भुक्ता गृहीतवर्मा प्रज्जता वेति सप्तविधा पुनर्नूमंभवि ।
 कल्पता गृहीता न प्रजा वम क विन्देत् ॥ बीमायन (स्मृतिचण्डिका १ पृ ७५ तथा तत्कारप्रमाण पृ ७३५ में मनु) ।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१३।२ ४) ने पुनर्विवाह की मर्यादा की है—“यदि कोई पुरुष उस स्त्री से जिसका कोई पनि रह चुका हो या जिसका विवाह-संस्कार न हुआ हो या जो दूसरे धर्म की हो सम्मोह करता है तो पाप का भागी होता है और उसका पुन भी पाप का भागी बहू चासपा। हरदत्त ने मनु (३।१७४) की धारणा में सिद्धा है कि दूसरे की पत्नी से जिसका पनि पीबित हो उत्पन्न किया हुआ पुत्र 'कुम्भ' तथा उसके जिसका पनि मर गया हो उत्पन्न किया हुआ पुत्र 'मौल्य' कहलाता है। मनु (४।१६२) ने विधवा के पुनर्विवाह का विरोध किया है—“सवाचारी नारियो के लिए दूसरे पति की शोचना नहीं मही हुई है” यही बात विभिन्न ऋषी से उन्होंने कई बार कही है। बह्मपुराण के बलिमुण्ड ने विधवा-विवाह निषिद्ध माना है। सत्कारप्रथा में कात्यायन का मत प्रकाशित किया है कि उन्होंने सपीन में विवाहित विधवा के पुनर्विवाह की बात चलायी है, किन्तु अब यह मत बलिमुण्ड में अमान्य है। यही बात सभी निबन्धा में पायी जाती है। मनु (१।१७६) ने उस कन्या के पुनर्विवाह में सत्कार की बात उल्लेखी है जिसका अभी समाप्त न हुआ हो या जो अपनी मुवाबतका का पति छोड़कर अन्य के साथ रहकर पुन अपने वास्तविक पति के महीं आ गयी हो। यहीं मनु ने अपने समय की बहिष्कृत परम्परा की ओर संकेत मान किया है वास्तव में जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है वे विधवा के पुनर्विवाह के ओर विरोधी थे। स्पष्ट है मनु ने पुनर्विवाह में सपत्नी के प्रथम का विरोध नहीं किया है प्रत्युत मनु ने अतिरिक्त पुनर्विवाह को अक्षय ही माना है। महाभारत में आया है कि दीपनमा ने पुनर्विवाह एक निमोह बर्जित कर दिया (आदिपर्व १ ४। ३४ ३७)। मनु (१।१७२ १७३) ने स्वयं धर्मवती कन्या के संस्कार की बात चलायी है। कौटिल्यधर्मसूत्र (४।१।१८) बलिष्ठधर्मसूत्र (१७।७४) याज्ञवल्क्य (१।१६७) ने पुनर्विवाह में संस्कार (पौनर्मिक संस्कार) की बात कही है। मनु (३।१५५) एवं याज्ञवल्क्य (१।२२२) ने धाद्य में न बुराये जाने वाले ब्राह्मणों में पौनर्मिक (पुनर्नू का पुनः) की भी यिना है। मरारत (पृ १७) द्वारा उद्धृत बह्मपुराण में यह आया है कि बालविधवा या जो बलवत्त त्याग की गयी हो, या किसी के द्वारा ब्यहृत हो चुकी हो उनके विवाह का मया संस्कार हो सकता है।

बहुत-सी स्मृतियों में उस पत्नी के लिए, जिसका पनि बहुत बर्षों के लिए बाहर गया हुआ हो कुछ नियम बताये हैं। मारु (स्त्रीधर्म १८ १ १) ने ये आदेश दिये हैं—“यदि पति बिदेस गया हो तो ब्राह्मण पत्नी को आन बर्षों तक ओछता चाहिए, किन्तु बचन बार ही बर्षों तक ओछता चाहिए जब कि उसे बच्चा न उत्पन्न हुआ हो उनमें उपरान्त (८ या ४ बर्षों के उपरान्त) वह दूसरा विवाह कर सकती है (मारु ने दायिम और वैद्य परिवर्तों के लिए कम बर्ष निर्दिष्ट नियम हैं) यदि पनि पीबित है तो दूने बर्षों तक ओछता चाहिए प्रजापति का मत यह है कि यदि पनि का कोई पता न हो तो दूसरा पनि करने में कोई पाप नहीं है। मनु (१।७६) का कहना है—“यदि पुरुष पामिन वर्ण्य को छत्र विदेस गया हो तो पत्नी को ८ बर्षों तक यदि ज्ञान या मया की प्राप्ति के लिए गया हो तो ६ बर्षों तक यदि प्रेम का बग दीवार (दूसरी स्त्री के पेश में) मया हो तो तीन बर्षों तक ओछता चाहिए। मनु ने मत नहीं बताया कि उपर्युक्त

३ न द्वितीयस्य ताप्तीनां बबन्धिर्भर्ताविरत्यने। मनु ५।१६२; न विवाहविधायुक्तं विधवादेवमं पुनः। मनु १।१५५ तद्वत्कन्या प्रदीपने। मनु १।४७; बाबिबहृविधवा मन्त्रा कन्यास्वेव प्रतिव्यिता। मनु ८।२२६। वैदिक आश्रमायनसूत्रसूत्र १।७।१३; आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।७—‘अर्जुनश्च नु वैच कन्या अजिन्यसत्त’ आदि, अर्थात् वेदक कन्या’ इत्य प्रयुक्त हुआ है।

४ यदि सा बालविधवा बन्धारयत्तावका बबन्धि। तदा भूयानु संतर्षाया गृहीता विन मेनबिन्। बह्मपुराण (मरारत १ १७ में उद्धृत)।

बनविना के उपरान्त पत्नी को क्या करना चाहिए। बसिष्ठ (१७।७१-७९) ने बताया है कि यदि पति बाहर चला गया हो तो पाँच बर्षों तक बाट बेबाकर उसे पति के पास बसा जाना चाहिए। यह तो ठीक है, किन्तु यदि पति का कोई जादिकाना न जात हो तब उस बेचारी पत्नी को क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में बसिष्ठ मौन हैं। विश्वस्व (मात्रवस्व १।६९) ने लिखा है कि विधेय गये हुए पति को नियमानुसार नियत समय तक जोहकर नियोग को नहीं मन्नाते हुए उसे पति के पास बसा जाना चाहिए। कौटिल्य (३।४) ने मनोहर नियम दिये हैं—“विधेय गये हुए, या बन्सी या मरे हुए पति की पत्नी को सात ऋतुमास तक जाहकर, तथा यदि उसे एक बच्चा हो तो सात मर तक जोहकर अपने पति के सगे माई से विवाह कर लेना चाहिए। यदि कई माई हो तो उस अपने पति की सधिकत अवस्था वाले माई से जो सहायारी हो उसका भरण-पोषण कर सके या वह जो सबसे छोटा हो या अविवाहित हो उससे विवाह करा जाए। यदि कोई माई न हो तो वह अपने पति के सपिण्ड से या उसी जाति के किसी से भी विवाह कर सकती है।” स्वयन्दो की माया यह स्पष्ट करती है कि जब पति का बर्षों पता न चले तो पत्नी पुनर्विवाह सम्पादित कर सकती है (कनन ७०।२४)।

एक प्रश्न उठता है—जब विधवा पुनर्विवाह करे तो उसका गोत्र क्या होगा ? (उसके पिता का जबका प्रथम पति का ?) इस विषय में प्राचीन स्मृतिमें एक टीकाजा में कोई उल्लेख नहीं मिलता। विश्वस्व (मात्रवस्व १।६९) तथाप्र' की व्याख्या में लिखते हैं कि कुछ लोगों के मत से पिता जन्मा का यदि वह अवतयोनि न हो तब भी वान करता है। इस स्पष्ट होता है कि विधवा के पुनर्विवाह में पिता का गोत्र ही रखा जाता है। यही मत विद्यासागर का जिसका हा कननी ने अनुसरण किया है भी है।

विधवा के पुनर्विवाह के विषय में अश्वमेध की कुछ उक्तियाँ भी विचारणीय हैं। अश्वमेध (५।१७।८९) में आया है—“यदि कोई स्त्री पहले दस अष्टाष्टक पति करे, किन्तु अन्त में यदि वह ब्राह्मण से विवाह करे, तो वह उसका अन्तिका पति है। केवल ब्राह्मण ही (वास्तविक) पति है न कि क्षत्रिय या वैश्य यह वास्तव्य सूर्यपत्र मानवा (पंच बर्षों का पंच प्रकार के मनुष्य बर्षों में) में बाधित करता बसता है।” इसका तात्पर्य यह है कि यदि स्त्री को प्रथम क्षत्रिय या वैश्य पति हो तो यदि वह उसकी मृत्यु के उपरान्त किसी ब्राह्मण से विवाह करती है तो वही उसका वास्तविक पति बना बसता। अश्वमेध (९।५।२७-२८) में पुन आया है—‘यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करके के उपरान्त दूसरे से विवाहित होती है यदि वे (बोनों) एक बकरी और मान की पाँच बालियाँ दते हैं तो वे दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे। दूसरा पति अपनी पुनर्विवाहित पत्नी के साथ वही भोज प्राप्त करता है, यदि वह पाँच मान की धानियाँ के साथ एक बकरी देता है तथा दक्षिणा ज्योति (शुक्ल वा शीत प्रकाश) प्रदान करता है। यहाँ पर भी ‘पुनर्भू’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। हो सकता है कि यहाँ मनोवैयता जन्मा के ही पुनर्विवाह की जर्जा हो। चाहे जो हा यह स्पष्ट कतिपय होता है कि इस प्रकार का विवाह तब तक अज्ञा नहीं बिना जाना जा जब तक कि जन्मा का पाप या भ्रातापवाद मज

५. डा कननी, ‘श्रीरेव एण्ड स्त्रीयन’ (५वाँ संस्करण, पृ ३ ९)।

६. तथाप्र इति बचनारसताया एव नैयमिक दानम्। पिता स्वकन्यामपि दद्यादिति कैचित्। विश्वस्व (मात्रवस्व १।६९)।

७. उत अश्वमेधो वा त्रिवरा पुत्र अष्टाष्टकाः। बद्धा वेदस्तमप्रहीत एव वतिरेकया ॥ ब्राह्मण एव पतिर्न राज्ञ्यो न वैश्यः। तस्युर्ग प्रभुवर्सेति पञ्चम्यो मानवेभ्यः ॥ अश्वमेध ५।१७।८९। ‘उत’ शब्द का अर्थ निरुद्ध है ‘अपि’ लयाया है ‘विनोपन’ जब यह वाद या हलोक के आरम्भ में आता है।

से दूर न कर दिया जाय। अन्य उक्तियों की बर्षा आगे होगी। इतना स्पष्ट है कि अथर्ववेद के मूल में विधवा का पुनर्विवाह विपिच्छ एव बन्धित नहीं माना जाता था। ऐतिहासिक उचितता (१।२।४।४) में 'वैधियम्' (विधवापुत्र) शब्द आया है। गृह्यसूत्र विधवा-पुनर्विवाह के विषय में मौन है। सपत्ता है तब तक यह विवाह बन्धित-सा हो चुका था केवल मन्त्र-तन्त्र ऐसी बटनार्थ घट जाया करती थी। ब्राह्मणों एव उनके समान अन्य जातियों में सम्मान के विचार से विधवा-विवाह अठारम्भियों से बन्धित रहा है। प्राचीनतम ऐतिहासिक उदाहरणों में रामपुत्र की राजी धृववेदी का (पति की मृत्यु के उपरान्त) अपने देवर अन्नगुप्त से विवाह बलि प्रसिद्ध रहा है। धृगो एव अन्य भीषी जातियों में विधवा पुनर्विवाह सत्ता से परम्परागत एव नियमानुमोक्षित रहा है। यद्यपि उनमें भी कुमारी कन्या के विवाह से यह विवाह अपेक्षा-हृत अनुत्तम माना जाता रहा है। कुछ जातियों में ऐसे विवाह पञ्चायत से तय होते हैं।

ऋग्वेद एव अथर्ववेद की कुछ उक्तियों से कई विवाह बाधे हो गये हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि विशेष विधवा पुनर्विवाह या विधवा-अग्निप्रवेश में किस की ओर उक्तता संकत है। ऋग्वेद की अन्वयेति नियम-सम्बन्धी ये दो उक्तिवर्ग हैं (ऋग्वेद १।१८।७-८) — 'ये स्त्रियां वा विधवा नही है जिनके अन्वये पति है अन्न के रूप में प्रयुक्त दूध के साथ बैठ जायें वे पत्नियां वो अमुविहीन हैं, रोयविहीन हैं अन्वये परिवान कारय जिये हुए हैं महीं सम्भुय (सबसे पहले) बैठ जायें। है स्त्री तुम जीवित लोग की ओर उठो तुम इस मूल (पति) के पास बैठ जाओ आओ तुम्हारा पत्नीत्व उस पति से जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें प्यार किया सफल हो गया। यह विधिगत बात है कि सायन में उपर्युक्त उक्ति की अन्तिम अर्धार्ध (अर्धार्धी) में मूल पति के माई द्वारा उसकी पत्नी को विवाह के लिए निमन्त्रण देना समझा है। किन्तु सायन का यह अर्ध अर्ध-श्रीशालागी माघ है और इसके 'हस्तघामस्य' 'पत्न्यु एव बन्धन' के वास्तविक अर्थ पर प्रश्नास नहीं पड़ता।

विवाहविच्छेद (सत्याक)

वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी उक्तियां हैं जिन्हें हम विधवा-पुनर्विवाह के अर्थ में ले सकते हैं। 'पुनर्मु' शब्द से पर्याप्त प्रकाश मिलता है। किन्तु विवाह-विच्छेद या सत्याक के विषय में बड़ी कुछ भी प्राप्य नहीं है और परचालनात्मक वैदिक साहित्य में हम कुछ विद्वेय प्रकाश नहीं मिल पाता। धर्मशास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि होम एव सत्पथी के उपरान्त विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता। मनु (१।१११) में लिखा है— पति-मत्नी की पारस्परिक लिप्य आत्मरथ बननी जाय पत्नी पति एव पत्नी का परम धर्म है। मनु ने एक स्थान (१।४६) पर और कहा है— न तो विधवा में और न भाग जाने से पत्नी का पति से छुटकारा हो सकता है। हम समझते हैं यह नियम पुरातन काल में मूर्च्छितर्षा में बनाया है। धर्मशास्त्रकारों का कथन है कि विवाह एक सत्कार है, पत्नीत्व की स्थिति का उत्पन्न उर्षी सत्कार से होता है यदि पति या पत्नी पतिन हो जाय तो सत्कार की परिणामाप्ति नहीं हो जाती यदि पत्नी स्वयंविचारिणी हो जाय तो भी वह पत्नी है और प्रायश्चित्त कर करने के उपरान्त उस विवाह का सत्कार पुन नहीं करता पटना (विरहस्य वाक्यस्य ३।२५३ २५४ पर)। हमने देखा किया है कि पुरुष एव पत्नी के रहन बसना या कई विवाह कर सकता है और कुछ स्थितियों में अपनी स्त्री को छोड़ सकता है। किन्तु यह विवाह-विच्छेद या सत्याक नहीं है यहाँ अर्थ भी विवाह का अर्थन अर्थन स्थान पर हुआ ही है। हमने यह देखा किया है कि मात्र परामर्श एव अन्य धर्मशास्त्रकारों की अनुमति में एक स्त्री कुछ स्थितियों में यथा पति के मृत हो जाने मृत हो जाने आदि से पुनर्विवाह कर सकती थी किन्तु नियम एव टीकाकारों ने इसे पूर्ण मृत की बात बहकर टाप दिया है। अतः विवाह-विच्छेद की बात धर्मशास्त्रों में किन्तु समाज में अत्यन्त ही दुर्लभ थी। अतः धर्मशास्त्रों में अनुवायक बहु बात नहीं प्राणियों में प्रचलित नहीं है। यदि पति उसे उन्नीय दृष्टि से वास्तव छोड़ देता तो पत्नी अन्ध-धर्म की अधिकारी मानी जाती

रही है। अतः इस प्रकार का त्याग विवाह-विच्छेद का सातक नहीं रहा है। परब्रह्मात्मनो मृत्युति या एव निश्चया म
 गारवो षोडशकोर्ध्वं यद्वा वाग सोष ही नहीं सकता या कि पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। गारव मे अथवा
 करा है कि ननुमक मन्वागी एव आतिष्म्युत पति को पत्नी छोड़ सकती है। याज्ञवल्क्य (१।७७) की टीका म मिताश्रय
 का कहना है कि अब तक पति पत्नि (आतिष्म्युत) हो पत्नी उसके नियन्त्रण क बाहर रहनी है किन्तु उम तक तक जाने
 रना चाहिए अब तक कि वह प्रायश्चित्त द्वारा पुन पतिन नह। आय एव जानि म न से श्रिया आय और इसक उप
 एतद का पुन उसने नियन्त्रण म बन्धी जाती है। बडे से बडा पाप प्रायश्चित्त से कर जाता है अत पत्नी अपने पति को
 का के लिए नहीं छोड़ सकती (मनु १।८९ ९२ १ १ ५ १ ६)। कचक त्याग या बपौं तन बाहर रहन या
 परिवार से हिन्दू विवाह की इतिथी नहीं हो जाती।

कौटिल्य के अर्धमास्य (३।३) मे कुछ ऐम मतीरबक नियम हैं जो विवाह-विच्छेद पर कुछ प्रकाश डालते हैं—
 यदि पति नहीं चाहता तो पत्नी को छुटकारा नहीं मिल सकता इसी प्रकार यदि पत्नी नहीं चाहती तो पति को छुटकारा
 नहीं प्राप्त हो सकता किन्तु यदि दोनों म पारम्परिक विद्वप हैं तो छुटकारा सम्भव है। यदि पति पत्नी से डरकर
 उन्म पृथक होना चाहता है तो उसे (पत्नी का) विवाह क समय आ कुछ प्राप्त हुआ या उसे ब देने म पति का छुटकारा
 पिन सकता है। यदि पत्नी पति म डरकर उन्म पृथक होना चाहती है तो पति पत्नी को विवाह के समय आ कुछ प्राप्त
 हुआ या उसे नहीं लीनायया अगीहृत रूप म (अर्ध) विवाह का विच्छेद नहीं हुना। कौटिल्य (३।१) न श्रिया है
 कि श्रद्धा प्राबापत्य आर्य एव दैव नामक विवाह क चार प्रकार अर्थ हैं कयाकि ये पिता क प्रभाव द्वारा स्वीहृत अथवा
 निवे शान हैं। अत इन चार प्रकार क विवाहों का विच्छेद कौटिल्य के मत म सम्भव नहीं है। किन्तु यदि विवाह
 पत्यर आनुर एव राक्षस प्रकार क रहूँ तो विद्वप उत्पन्न ह। आन पर एव-दुमर की सम्मति मे उन्म विच्छेद हो सकता
 है। किन्तु कौटिल्य क अमत म इतना स्पष्ट है कि यदि एक (पति या पत्नी) विच्छेद नहीं चाहता तो दुमर का छुटकारा
 नहीं प्राप्त ह। सकता किन्तु यदि सदीर पर किसी प्रकार का डर या यत्न उत्पन्न ह। आय ता अपवाद रूप से दोनों
 पत्नी का छुटकारा सम्भव है।

अध्याय १५

सती-प्रथा

आजकल भारत में सती होना अपराध है, किन्तु जगमग सभा सी वर्ष पूर्व (सन् १८२९ के पूर्व) इस देश में विधवाओं का सती हो जाना एक बर्ष था। विधवाओं का सती अर्थात् पति की बिता पर अकस्मिक मरम हो जाना केवल ब्राह्मण वर्ग में ही नहीं पाया गया है प्रामुख यह प्रथा मानव-समाज की प्राचीनतम धार्मिक धारणाओं एवं अन्य विधवासमूहों कल्पों में समाविष्ट रही है। सती होने की प्रथा प्राचीन मूलानियों जर्मनों स्कानो एवं अन्य जातियों में भी पायी गयी है (बेकिए, आई की पृ. ५६ ८२-८३ एवं डब्ल्यू का ग्रन्थ 'प्रीहिस्टोरिक एण्टीक्विरीज आब दि आर्नेन् पीपुल अरोजी अनुबाद १८९ पृ. १९१ एवं वेस्टरमार्क की पुस्तक 'ऑरिजिन एण्ड डेवलपमेण्ट आब मोरल आई-कियाज' १९ ६ जिस १ पृ. ४७२-४७६) किन्तु इसका प्रचलन बहुधा राजस्थानों एवं मद्र कोशों में ही रहा है।

वैदिक साहित्य में सती होने के विषय में न तो कोई निर्बंध मिलता है और न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। गृह सूत्रों में भी इसके विषय में कोई बिधि नहीं प्रस्तुत की है। लगता है कि ईसा की कुछ सताब्दियों पहले यह प्रथा ब्राह्मणवर्गीय भारत में प्रचलित हुई। यह प्रथा यही उत्पन्न हुई या किसी अभागीय जाति से ली गयी इस विषय में प्रमाणमूलक उक्ति देना कठिन है। विष्णुधर्मसूत्र को छोड़कर किसी अन्य धर्मसूत्र में भी सती होने के विषय में कोई निर्बंध नहीं दिया है। मनुस्मृति इसके विषय में सर्वथा मौन है। स्ट्रौबो (१५।१।३ एवं ६२) में आया है कि "अलेग्सींडर के साथ मूलानियों ने पंजाब के कठारियों (कठो) में सती प्रथा देखी थी उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि यह प्रथा इस ऋ से उभरी कि पत्नियाँ अपने पतियों को छोड़ देंगी या निव दे देंगी" (हीमिल्टन एवं फेल्डोर्नर का अनुबाद जिस ३)। विष्णुधर्मसूत्र (२५।१४) में लिखा है— अपने पति की मृत्यु पर विधवा ब्रह्मचर्य रखती थी या उसकी बिता पर चर जाती थी (अर्थात् अल जाती थी)। महाभारत में यद्यपि यह उल्लेखित मुद्रों की गाथाओं से भरा पडा है बहुत कम सती के उदाहरण दिये हैं। 'पाण्डु की प्यारी रानी माद्री ने पति के सब के साथ अपने को बला दिया।' विराटपर्व में कीपक के साथ जब बाणे के लिए सैरग्री को आज्ञा दी गयी है (२।३।८)। प्राचीन काल में मृत राजा के साथ बास या बासों को पाव देने की प्रथा भी मौसकपर्व (७।१८) में आया है कि मनुदेव की चार पत्नियों देवकी मात्रा रोहिणी एवं मरिचि ने अपने को पति के साथ बला बाला और (७।७।३-७४) इन्द्र की वसिष्ठी गान्धारी धैष्या हैमवती एवं जाम्बवती ने अपने को उनक (वी इन्द्र के) शरीर के साथ बला दिया तथा मत्स्यभामा एक अन्य राजिया ने तप के लिए बल का मार्ग किया। विष्णुपुराण (५।१।८।२) में लिखा है कि इन्द्र की मृत्यु पर उनकी आठ पत्नियों में अग्नि में प्रथम चर

१ मृते मर्तरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोक्षं च। विष्णुधर्मसूत्र (२५।१४); याज्ञकल्प के १।८६ की व्याख्या में मितम्भरा द्वारा उद्धृत।

२ आदित्यं १५।६५—तत्रैव चित्तामिस्र माद्री तमन्वाचरोह। आदित्यं १२५।२९—राजा शरीरेण सह भवतीह बलैवाम्। इत्यथ्य सुप्रतिष्ठास्यैतद्वार्यं ग्रिय कुब॥

त्रिया। शालिषर्ष (१४८) में जाया है कि एक कपोनी अपन पति (कपोठ) की मृत्यु पर अग्नि में प्रवेष्ट कर गयी। शौनर्ष (२९) में मृत कीरवा की अन्त्येष्टि-त्रिया का वर्णन हुआ है जिसमें कीरवा के रवा परिधाना आयुषा क मया बने की बात आयी है किन्तु उसकी पत्नियों क सती होने की बात पर महाभारत मौन ही है।

अभ्युक्त बातों के स्पष्ट है कि सती प्रथा विद्येपथ राजवरानो एव बड़े-बड़े बीरा तक ही सीमित रही है और पूरे ही अज्ञान का। अपराध के वैदिकनधि अगिरा व्याघ्रपाद आदि की उक्तियां उद्धृत करके बताया है कि इन धर्मशास्त्र शास्त्रों में ब्राह्मण विधवाओं के लिए सती होना बर्जित माना है। निबन्धकारों ने इन नियमों को धुनरे दण्ड से समझाया है—'ब्राह्मणों की पत्नियों अपने को कबल पतिवा की विधा पर ही भस्म कर सकती हैं यदि पति कहीं दूर विदेश में मर गया हो और वही जगह दिया मया हो तो उसकी पत्नी मृत्यु के समाचार से अपन को जला नहीं सकती। उसका प साथ है कि ब्राह्मण विधवा अपने को पति से अलग नहीं जला सकती। सम्भवत इन्हीं उक्ति का निबन्धकारों ने अपने मंत्रों के प्रमाण म रखा है। श्यासम्भूति (२।५९) में बताया है—'पति क साथ का आकलित करके ब्राह्मणों का अग्नि प्रवेष्ट करना चाहिए यदि वह पति के उपरान्त नीवित रखी है तो उसे अपना वेद्य-श्रुयार नहीं करना चाहिए और तप के मठों को यथा बना चाहिए। यामायन (उत्तरकाण्ड १७।१५) में एक ब्राह्मणों के सती हो जान की आर संवेष्ट है—'ब्राह्मणों की पत्नी एव वेदवती की माता ने रावण द्वारा छड़े जान पर अपने को जला डाला। महाभारत (स्त्रीपर्व २३।१५) में शाकाचार्य की पत्नी कृपी विकीर्णकेशी क रूप म रोटी हुई मृत्यु-भूमि म भाठी है किन्तु अपन को जला डालन की कोशिश नहीं करती है। इसके स्पष्ट हुआ है कि ब्राह्मणिया का विधवा रूप म अज्ञान जाना सचिय विरवाया क एक मूल की प्रथा के बहुत दिनों उपरान्त आरम्भ हुआ है।

पति की मृत्यु पर विधवा क जल जाने को सहमरण या सहगमन या अन्धारीहण (जब विधवा मृत पति की विधा पर बहकर राव के साथ जल जाती है) कहा जाता है, किन्तु अनुमरण तक होना है जब पति और कहीं मर जाता है तथा बना दिया जाता है, और उसके मरम के साथ या पायुका के साथ या बिना किसी बिज्ञ क उसकी विधवा जलन मर जाती है (वेदिक उपराध पृ० १११ तथा मयनवारिजात पृ० १९८)। बालिशास क कुमारसम्भव (४।२४) में काम-देव क मन्म हा जान पर उसकी पत्नी अग्नि प्रवेष्ट करना चाहती है किन्तु स्वर्गिक स्वर उस ऐसा करन से रोक देते हैं। गायमन्यमटी (७।३२) में अनुमरण करने वाली एक भारी का उल्लेख हुआ है। कामभूत (९।३।५३) में भी अनु-मरण की चर्चा की है। बरहस्पतिहिर ने उन विधवाओं के साहम को प्रथमा की है जो पति क मरण पर अग्नि प्रवेष्ट कर जाती है (दृष्टपणिना ७४।१९)। शाक क हर्षचरित (उच्छ्वास ५) में हर्ष क पिता प्रमादरवर्षन को मरना देखकर माता यामोती के अग्नि प्रवेष्ट का उल्लेख है किन्तु यह सती होने का उदाहरण नहीं बहा जायगा क्योंकि यामोती न पति क मरण के पूर्व ही अपने को जला दिया। शाक ने हर्षचरित (५) में अनुमरण का भी आत्मनार्थिक रूप म उल्लेख किया है। शाक की कादम्बरी म अनुमरण की बड़े बड़े उदाह्य म लिखा भी है। मागवतपुराण (१।१।३।५०) में बृहस्पति क पत्र क साथ मातृपारी क मन्म होने की बात लिखी है। राजतरंगिणी में बर्ष स्वाता (६।१ ७ १९५ ७।३ ७३८) का मनी होने के उदाहरण मिलते हैं।

बहुमन्य अग्निश्रेयो म सती होने के उदाहरण प्राप्त होने हैं। इनमें मयम प्राचीन मुक्त सत्त्व १ १ (५१ ई) का है (मूल इन्द्रियमय पण्डित पृ० ९१)। इतिव इरान या एरण प्रन्तर स्वन्म अग्निश्रेय त्रिमम गोपराज की पत्नी का पति क साथ मनी हो जाना उन्नीर्य है इदियन एन्नीकरी त्रिस्त पृ० १९४ में केनाल अग्निश्रेय (७ ५ ई) त्रिमम अग्निश्रेय की विधवा राज्यवती अपन पुत्र महादेव को दायन-भार ममापने की बर्हती है और अपने को सती पर देता जानती है अस्तुत्र अग्निश्रेय (७ शक सत्त्व) त्रिमम देवन्व कामक मृद स्त्री अग्नि पति की मृत्यु पर माता त्रिया क मया करने पर भी मयम हा जाती है और उसका माता-पिता उसकी स्मृति म मन्म लडा करने हैं एविपेट्रिया

इण्डिका जिल्ह १४ पू २६५, २६७ जहाँ पर सिन्ध महासम्बन्धेश्वर राघवस्व ने अपने सत्वार बेचिराज की बो बिचबाजो के बो कि सती हो गयी कहते पर सत्र सत्र ११ १ मे एक मन्दिर बनवाया। इसी प्रकार कई एक अमिष्ठेस प्राप्त होते है जिन्हें स्थापनामात्र के कारण मही नहीं दिया जा रहा है। सन् १७७२ ई में पेशवा साधकराज की पत्नी रमा बाई सती हो गयी थी। चितौड़ तथा अन्य स्थानों पर राजपुत्रियो रात्रियो आदि द्वारा खेले गये जीहुर भी कहा निर्मा मभी बहुत ताबी है। मुसलमानों के क्रूर हाथों मे पकने तथा बलात्कार सहने की अनेका राजपूतों की रात्रियो पुत्रियो तथा अन्य राजपूत कुमारियो अपन को अग्नि मे साक देठी थी।

पुरुष भी सहमरण या अनुमरण करते थे। देखिए इण्डियन एशियटिकी जिल्ह ३५ पू १२९, जहाँ इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण जम्भूत किये गये हैं। बहुत-से पुरुष अपनी स्वामि-मक्ति तथा अन्य कारणों से भस्म हो जाया करते थे। इन सतियो एव पुरुषों की स्मृति मे प्रस्तर-स्तम्भ खड़े किये जाठ थे जिन्हें मास्तिस्वन्न (महाघटी के लिए प्रस्तर-स्तम्भ या अयास्तम्भ) या चिरकल (बीर एव भक्त लोभों के लिए अयास्तम्भ) कहा जाता था। हर्षचरित मे राज ने लिखा है कि प्रमाकरवर्षन की मृत्यु पर जितने ही मित्रो मत्रियो दासो एव स्नेहपात्रो मे अपने को मार डाला। राजतरणियो (७।४८१) मे आया है कि जगत की रानी जब सती हो गयी तो उसका पेटाई होनेवाला कुछ अन्य पुरुष तथा तीन शशिर्षा उसके अनुगामी हो गय। एव उदाहरण मरता ना नी मिल्खा है जो अपने पुत्र के साथ सती हो गयी (राजतरणियो ७।१३८)। प्रयाग जैसे स्थानों पर स्वर्ण-प्राप्ति के लिए आत्महत्या एक ही आया करती थी।

एतिहासिक कालो मे जो सती प्रथा प्रचलित थी उसके पीछे कोई पीरोहितक या धार्मिक दबाव नहीं था और न अनिच्छुक मारियो ऐसा करती थी। यह प्रथा कालान्तर मे बढ़ती गयी पर यह कहना कि पुरुषो ने इसके करने मे सहम-यता की अनुचित है। एक रोचक मनोमात्र के कारण ही सती प्रथा का विकास हुआ। प्रचलित यह राजकुलो एव अत्र लोभो तक ही सीमित थी क्वाकि प्राचीन काल मे विजित राजाओ एव धरों की पलियो की स्थिति बड़ी ही दलीम होती थी। जीने हुए जीव विजित लोभो की पतिव्रतो से ही बरका चुकाते थे और उन्हे बन्नी बनाकर ले जाने से और जनत गाव शमिया जैसा व्यवहार करते थे। मनु (७।९९) मे सतिव्रतो को मृत मे प्राप्त करने की साध सिधयो को भी पत्र सेने की आज्ञा दी है। प्रमाकरवर्षन की रती सतीव्रतो अपन पुत्र हर्ष से वर्णन करती है कि विजित राजाओ की पलियो उसको पत्ना सत्ता करती है (हर्षचरित ५)। अथिया कि यह प्रथा ब्राह्मणो मे भी पहुँच गयी मद्यति जैसा कि हमने ऊपर देग किया है स्मृतिकारों ने ब्राह्मणियो के लिए सती होना उचित नहीं माना है। एक बार जब यह प्रथा अत्र पत्र गयी तो निरन्तररतो एक टीकाकारो ने इसको बल दे दिया और मत्रियो के लिए मविष्य मे मिलने वाले पुरस्कारों की वर्षा करा दी।

गणियो के लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञा (पुत्रप्राप्ति) की वर्षा की गयी है—आगविगित एव अथिया के अनु-सार जा करने पति की मृत्यु का अनुमरण करती है वह मनुष्य के शरीर पर पाय जालबाध रोगों की लप्पा के मुख्य वर्षों तर स्वर्ग मे चिरावती है अर्थात् ३३ वर्षों वर्ष। जिस प्रकार मरिचा सौंन को उचने बिल से नीच लेता है उसी प्रकार सती हानबाकी रती अपने पति को (बाहे उर्जा भी बट हा) गीच लेती है और उतने पाय बन्पाय पाती है। मनी होने वाली रती अल्पवयी के समान ही स्वर्ग मे गया पाती है। शरीर के अत मे जो रती सती होती है वह तीन पुत्र ना

३ तिसः शोद्यों-बंरोटी वा पानि सोमानि मानुष। तावन्नात कनेत्सर्वं जगदं मानुषच्छति। ध्यातपद्यी यथा सर्वं बलाबुद्धते बिकल्पं। तद्बुद्धय सा नारी सत् तेनैव मोदते। तत्र सा भर्तृव्रता स्तुवन्नात्सरोरणी। चीदते बलिना सार्धं पाथविश्रान्तमूर्धनं। ब्रह्मन्तो वा वृत्तानो वा निवर्तन्तो वा भवेत्यति। पुनरप्यविषया नारी तमाशाय मुता

वर्णान् मत्ता मित्ता एक पति के कुलों को पवित्र कर बनी है। मिताश्रय न मनी प्रथा अर्थात् अवरोरुप को शाश्वत न कर शाश्वत तक की स्त्रियों के लिए समान रूप में व्यवस्था मत्ता है किन्तु उम स्त्री को आगमबनी है या छाने बन्धा बानी है स्त्री हान स रोक दिया है (याज्ञवल्क्य १।८५)।

बुद्ध प्राचीन टीकाकारों ने मती होने का विरोध किया है। मज्झिमि (मन ५।१५७) न इस प्रथा की तुलना स्वेनयाम (विमल द्वारा भोग भयन घनु पर काका जादू करके उम मागत घ) म की है। मेजानिधि का कहना है कि कथि बहिरा ने अनुमति ली है किन्तु यह आप्तवहत्या है और स्त्रिया के लिए वर्जित है। जिस प्रकार कर कहना है रत्नानिधनम् मज्ज किन्तु इसे अर्थात् दयनयाम का रोग अच्छी दृष्टि म नहीं दन्त अर्थात् उम धर्म नहीं मानत बन्धि बरम कहने है (जैमिनि १।१।२ पर पाठ) उनी प्रकार यद्यपि अगिग न (मनी प्रथा का) अनुमोक्त किया प्रानि यह बरम है। अवरोरुप इस बेराकि के बिरुद्ध है— 'जव तक आयु म बीत जाय किमी को यह लोक छान्ता नहीं पाये। मिताश्रय (याज्ञवल्क्य १।८५) न मज्झिमि का उर्ध्व न मानकर कहा है— 'स्वेनयाम बान्धव म अनुचित है बर बरम है, यह इसलिए कि उमका उद्देश्य है दूरर का कष्ट म इकलता किन्तु अनुयमन बैमा नहीं है यह प्रविशु क न है स्वर्न प्राप्ति का उचित कहा जाता है और जो धुनिमम्भन है यथा— मय्यसि की प्राप्ति के लिए कायु को बड़ो बेनी चाहिए। इनी प्रकार अनुगमन के बारे म स्मृति धुनि क बिरुद्ध नहीं है बर उमका अर्थ है— 'किमी का स्वयिक आनन्द क लिए अपत जीवन का रूपयाग नहीं करता चाहिए, क्याकि स्वयिक आनन्द ब्रह्ममात की तुलना के बुद्ध नहीं है। क्याकि स्त्री अनुगमन द्वारा स्वर्ग की इच्छा करती है अत बह धुनिवाक्य क बिरोध न नहीं जाती है। बरार्थ (पु १११) मन्थारिजात (पु १९) परापरमावर्तीय (भाग १ पु ५५-५६) न मिताश्रय का उक्त सीकार किया है। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि अन्वारुह जिस बिष्णुबममूत्र (२५।१४) एक अगिग के माना है ब्रह्मर्ष के निरुद्ध है, क्याकि अन्वारोरुप क पुरस्कार ब्रह्मर्ष्य क पुरस्कार म समक प पाठे है (व्यवहार पु ५४)। इस क बिरुद्ध अगिग का मत है— पति क मर जान पर बिना पर भयम हा जाने म बड़कर स्त्रिया क लिए रों बर बर नहीं है। सुश्रितरु क अनुसार ऐसी बाग्या केवल मरमरम की महता की अभिप्रायि मान है।

इन्ने उग्र कथ किया है कि शाश्वतियों को कवल अन्वारोरुप की अनुमति थी अनुगमन की नहीं। मरमरम के विरय म और भी नियन्त्रण है— 'ज पतिवा जितने बन्ध छोट-छाट हा आ गमबनी हा आ बनी मुवा न हु हा और

पु का। मूने अर्नरि या नारी समारोहेनुतापाम्। सास्वथीसमाचारा स्वपसोके महीपने ॥ पाबच्छापी मूने कपी ली मात्मान प्रवृत्तेनु। तावन्न मुष्यते सा हि स्त्रीपरीदात्तचचन ॥ याज्ञवल्क्य (१।८५) पर मिताश्रय बरपु पु ११ भुद्धितरु पु २३४। प्रथम के दो श्लोक 'सित्त कोद्दयी भादि परापर (५।१२ एवं ३३) इत्युत्तर एव पीतपीमाहात्म्य (१। १७६ एवं ७४) मे भी पाये जाते हैं।

४ अथ क सर्वासा स्त्रीमाभर्मिनीनामबातापयातामाचारकाल ताचारको बर्म। भररि यानुपच्छर्नीय- तिनीनायानम्। मिताश्रय (याज्ञ १।८५) के लिए मरनपरिजात पु १८६ एवं स्मृतिमुक्ताकम (तत्कार, पु ११७)।

५ अतु बिष्णुना परमिस्तरमुक्त मूने भररि ब्रह्मर्ष्य तदन्वारीह्य का तरेतद्वर्मान्तरमपि ब्रह्मव्यपरमिग्न कपम्। निरुद्धच्छन्नाम्। स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पु २५४)।

बर्मान्नेव नारीयाभिमिप्यनवायुते। मायी बर्मा हि बिसेवा मूने अर्नरि कश्चिन् ॥ अद्भिरा (अपराध हापु १ ९ मे परापरमावर्तीय द्वारा २।१ पु ५८ मे उद्धृत)।

जा रखम्बन्दा हा के पति की बिना पर नही चडती" (बृहदारदीय पुराण)। बृहस्पति ने भी ऐसा ही कहा है। उस पत्नी को जो पति की मृत्यु के समय रखम्बन्दा रखती थी स्नात करने के बीच बिन जल जाने की अनुमति थी।

भातस्नाम्न (पठ) ने उस नारी के लिए, जो पति की बिना पर जल जान की प्रतिज्ञा करके सीट जाती है प्राजा पत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। राजतरंगिणी (६।१९६) ने एक ऐसी रानी का चित्रण किया है।

सुखितरुच न सती होने की बिधि पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। बिधवा नारी स्नात करके दो रत्न बन्ध धारण करती है अपने हाथों में कुन्डली है पूर्व मा उत्तर की ओर मुख करती है आचमन करती है अन्न आह्वय करता है श्रीं मृत्युं बहू नारायण का स्मरण करती है तथा माय पत्य एक तिजि का मन्त्र करती है तब धारण करती है। इसका उपासक बहु माठा पितासा का आह्वान करती है सूर्य पन्ध अग्नि आदि का भी आह्वान करती है कि वे सत्य बिधा पर अन्न जान की क्रिया के साक्षी बनें। तब बहु अग्नि के चारों ओर तीन बार जाती है (तीन बार अग्नि प्रशिक्षा करती है) तब आत्मन बीबिन मन्त्र का पाठ (आचम १।१८७) तथा एक पुराण के मन्त्र (ये मच्छी और परम पतिव भाग्यां जा पतिवरायण है अगने पति के घरो के साथ अग्नि में प्रवेश करें) का पाठ करता है तब स्त्री "नमो मम बहवर् जसमी हुई बिना पर चड जाती है। बमकातर भट्ट द्वारा प्रवीठ निर्णयतिथ्यु (बमकावर भट्ट की माता भी मर्ता हो गयी थी और उन्होंने अपनी माता की स्मृति में बड़े मर्मरार्थी वचन कहे हैं) में उपर्युक्त बिधि कुछ भिन्न थी और उमता धर्ममिथ्यु ने भी अनुकरण किया है।

मात्रिया एक अन्य संघों के मग्य से पत्ना चलता है जि मनी प्रजा बन्ध होने के पूर्व की शताब्दियों में देव के भग्य भाता की श्रेया बमात्र की बिधवाएँ अचिर मग्या से जका करती थी। यदि यह बात थी तो इसके लिए उपयुक्त कारण भी बिद्यमान थे। बमात्र को छाँचकर अन्य प्राजा के समुक्त परिवारों में बिधवा को मरण-शोषण के अनिश्चित भरण में कोई भग्य अचिरतर नही प्राप्त थे। बमात्र में जहाँ पर 'दायभाग' का प्रचलन था पुत्रहीन बिधवा को समुक्त परिवार की सम्पत्ति में बड़ी अचिरतर का जा उमक पति का होला था। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पति की मृत्यु पर गर्मी की पति अचिर की वर्षोत्त माता में उत्तेजित कर देते थे जिनसे कि बहु पति की बिना में भग्य हो जाय। यह है मानव की सम्पत्ति-भोग भावना की पराकाष्ठा ! बिधवा का इस प्रकार का अचिरतर सर्वप्रथम दायभाग के श्रेया जीवनशास्त्र में ही मनी घोषित किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने अतिशय का अनुकरण किया है। बमया मनी प्रजा की भावना भारतीय समाज में म शीघ्रतर होती पकी मयी और अब सार्डे बिलियम बेन्टि ने मनु १/२० ई में इस कार्य घोषित कर दिया तो जगत में इसे स्वीकार ही कर लिया कुछ स्वार्थी जना में ही प्रजा पतिवरा का माय प्रशिक्षा कर त्रिरी कौमिल म दग जामुन क विरोध में भावैतन-यत्र दिया था। इसने पीछे कोई कम्प्रीत पतिवरा भावना नहीं थी कि प्राग इस भावना का मग्यने।

अध्याय १६

वेदया

इस इन्द्र में जब स्त्रियों के विषय में तथा विवाह आदि सस्कारों के विषय में पर्याप्त विस्तार किया गया है तो वे वेदों के जीवन पर भी प्रकाश डालना परमावश्यक है। वेदों-भूति का इतिहास अति प्राचीन है और यह प्रायः पर के सभी भागों में प्रकटित रही है।

ऋग्वेद सं प्रकृत है कि उस काल में कुछ एही भी नारियाँ भी जो सभी की थी और वे भी वेदों या मयिना। वेद (१।१६७।४) में मरुत् गण (अथर्व के देवता) विष्णु के साथ उसी प्रकार समुक्त माने गये हैं जिस प्रकार वेदों के मुख्य लोग समुक्त होते हैं। ऋग्वेद (२।२९।१) के एक संवेत से अभिव्यक्त होता है कि उस समय भी नारियाँ भी जो मरुत् रूप से ब्रह्मा जनकर उस मार्ग के एक ओर रत्न देती थी। ऋग्वेद (१।६१।४ १।११।७।१८ १।१।३ आदि) में कई स्थानों पर आर (मरुत् प्रेमी) का उल्लेख हुआ है। गीतम (२।२।२७) में अनुसार ब्राह्मणों को मारने पर प्रायश्चित्त की कोई आवश्यकता नहीं है केवल ८ मुट्ठी अन्न दान कर देना ही पर्याप्त है। मनु (४।१।१) में वेदों के हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए बर्जित माना है (और वेदिए ४।२।१९)। मनु (८।२।५९) में पूर्व जन्मों को बर्जित करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत में ब्रह्मा-भूति एक स्मर संस्था के रूप में वर्णित पायी जाती है। आदिपर्व (१।१५।३९) में आया है कि मान्वादी के गर्भवती रहने के कारण बुतराष्ट्र की शासक एक वेदों रहती थी। उद्योगपर्व (३।३८) में आया है कि भूमिधर ने कौरवों की वेदों को युद्ध-भंग्य में ले। जब की इन्द्र कौरवों की समा में धाम्नि-स्थापना का संघेस लेकर आय वे तो वेदों भी उनके स्वागत के गी थी (उद्योगपर्व ८६।१५८)। जब पाण्डवों की सेना में युद्ध के लिए रूप किया तो गांधी हारें एक ब्रह्माएँ उनमें आय थी (उद्योगपर्व १५१।५८)। और वेदिए कल्पर्व (२।१९।३७) कर्मपर्व (९।४।२६)।

वाक्यवच्य (२।२९) ने रत्नों को दो भागों में बाँटा है। (१) जबकड़ा (जो घर में रहती है और उनके घर आई अन्य व्यक्ति समीप नहीं कर सकता) तथा (२) भूमिधर (जो घर में नहीं रहती किन्तु एक व्यक्ति की जीवन के रूप में और बही रहती है)। यदि इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति समाग कर तो उसे ५ पण का दण्ड देना पड़ा था। मारु (स्त्रीपुत्र ७८-७९) का कथन है—“अब्राह्मणी स्त्रीरिषी वेदों वासी निष्कामिनी यदि अपनी जाति के निष्कामिनी की हो तो समाग की अनुमति है किन्तु उच्छ्र वादि की स्त्रियों से ऐसा व्यवहार बर्जित है। यदि ये स्त्रियाँ किसी की स्त्री हो तो उनसे समाग करने पर बही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होगा है। इन स्त्रियों

१ पर मुद्रा अयासो धर्या ताबारवेव मरुतो निमिसु। ऋग्वेद (१।१६७।४)।

२ मान्वादी विष्णुसमाग्यायामुदये विवर्धता। बुतराष्ट्र महाराज वेदों पयचरत्निक ॥ आदिपर्व (१।१५।३९)।

३ ब्रह्मण्यु दासीयु भूमिधर्यु तर्बेव च। गम्यस्वपि पुमान्वाप्यः पञ्चाशत्पञ्च वसम् ॥ वाक्यवच्य (१।२९)।

के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि य दूधरे की हैं। मिठाधरा ने याज्ञवल्क्य (१।२९) की व्याख्या में लिखा है कि वेस्वाएँ अप्सरामा से उत्पन्न पञ्चवक्त्रा नामक विघाट जाति हैं। यदि वे किसी की रत्निक नहीं हैं तो यदि वे अपनी जानि या उष्ण जानि के पुट्यों से समीप करती हैं तो पाप की मागी या रात्रा से दण्डित नहीं होती। यदि वे अचरया नहीं हैं तो उनका पास जानबामा व्यक्ति भी दण्डित नहीं होता। किन्तु हमने पास जानबामा को पाप समता है क्योंकि स्मृतियों के अनुसार उन्हें पत्नीपरम्य होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।८१)। जो सोय वेस्वागमन करते वे उन्हें प्राजापत्य प्रायश्चित्त करना पड़ता था (अभि २७१)। भारव (बैतनस्यानपाधर्म १८) ने लिखा है कि यदि पुस्क पा लेने पर वेस्वा मनोय नहीं बरती थी तो उसपर पुस्क का दूना दण्ड लगता था। और इसी प्रकार यदि समीप कर लेने पर व्यक्ति पुस्क नहीं लेता था तो उस पर पुस्क का दूना दण्ड लगता था। यही व्यवस्था याज्ञवल्क्य (२।२९२) एक मत्स्यपुराण (२२७।१४४ १४५) में भी पायी जाती है। मत्स्यपुराण ने वेस्वाधर्म पर लिखा है (अध्याय ७)। कामसूत्र (१।३।२) ने गणिका को बहु वेस्वा कहा है जो १४ वक्त्रा में पाटयत ही। अपराध (याज्ञवल्क्य २।१९८) ने माग्य एव मन्मथपुराण से वेस्वा के विषय में लिखते समय बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं।

समाज में रत्निक (अचरया स्त्री या वेस्वा) को स्त्रीहृति की भी अर्थात् उसे अनीकार किया था। अतः स्मृतियों ने उनको भरक-नोपम की व्यवस्था भी की। व्यक्ति के जीते की रत्निक को उसका विरुद्ध कोई क्रमियोग करने का अधिकार नहीं था। भारव (शायमाय ५२) एक कात्यायन के मत में यदि व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के पास जायी जाती थी तो राजा की मृत व्यक्ति की रत्निका द्वारा एक उसके श्राद्ध के लिए उस सम्पत्ति से प्रत्यक्ष कर्त्ता पड़ता था। मिठाधरा ने यहाँ पर प्रयुक्त रत्निक का अचरया रत्निक के रूप में माना है कि भुविष्या के रूप में था तो मृत श्राद्धन की रत्निका को सम्पत्ति से भरक-नोपम का अधिकार प्राप्त था।

रत्निका की अनीय्य सन्ताना के शायधिकारी के विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

आङ्गिक एव आचार

धर्मशास्त्र में आङ्गिक एव आचार पर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण विस्तार पाया जाता है। हमने ब्रह्मचारिणा के आङ्गिक (प्रति दिन के कर्म) के विषय में पढ़ लिया है और ब्राह्मणशास्त्र एव मरिचिका के विषय में भी पढ़े हैं। इस अध्याय में हम मुख्यतः स्नातको (भाषी गृहस्थों) एव गृहस्थों के कर्तव्यों अथवा धर्मों के विषय में पढ़ेंगे।

सर्वप्रथम हम गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में प्रकाश डालेंगे। गौतम एव श्रीधायन ने गृहस्थाश्रम का ही अनुष्ठान ही है। धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में गृहस्थाश्रम की महत्ता पायी है। गौतम (३।३) के अनुसार गृहस्थ सभी आश्रमों का आधार है क्योंकि अन्य तीन आश्रम (ब्रह्मचर्य ब्राह्मण्य एव संन्यास) सन्तान नहीं उत्पन्न करते। मनु (२।७-७८) के भी यही बात और सुन्दर ढंग से कही है। एक स्थान पर मनु (१।८९-९) में भी कहा है—“त्रिम प्रकार की ही वांछनीय नदियाँ अन्त में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों के लोग गृहस्थ ही आश्रम पाते हैं, जब एक स्तुति के मते से अन्य तीन आश्रमों का आधार-स्वरूप होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोच्च आश्रम कहा जाता है। सभी मनीषाव विष्णुधर्मसूत्र (५।२७-२९) बसिष्ठ (७।१७ तथा ८।१६-१९) श्रीधायनधर्मसूत्र (२।२।१) उद्योगपर्व (४।२५) धातुपर्व (२९६।३९) आदि में भी विभिन्न ढंगों से व्यक्त हुए हैं। धातुपर्व (२७।१६-७) में आया है—“त्रिम प्रकार सभी प्राणी माना के आश्रित होते हैं उसी प्रकार अल्प आश्रम गृहस्था के आश्रम पर स्थित है। इसी अर्थ (२७।१६-१९) में कथित है उन लोगों की मर्त्यता भी है या यह कहत है कि गृहस्थ ही मात्र सम्भव नहीं है। धातुपर्व (१२।१२) के मत से यदि तराजू पर तोला जाय तो एक पल पर गृहस्थाश्रम रहेगा दूसरे पर अन्य तीनों आश्रम एक साह (केनिय धातुपर्व ११।१५, २।३।२-५ अथवा २)। रामायण अयोध्याकाण्ड (१।६।२) में भी यही बात कही है।

शास्त्र में गृहस्थ कई मनीषा के अनुसार कई धर्मिया में बँटे हुए हैं। श्रीधायनधर्मसूत्र (३।१।१) वैश्वदेव (याज्ञवल्क्य की १।१।२८ की व्याख्या में उद्धृत) तथा अन्य ग्रन्थों में गृहस्थ को दो धर्मियों में बाँटा है, यथा (१) शास्त्रीय एव (२) वायव्य, जिनमें दूसरा पहल से अनेकानेक अर्थों में। शास्त्रीय धर्म (यह) में रहता है उमरे पाम कीचर-बाह्य पण्डित

१ तेवा गृहस्थो योजितप्रजन्तत्वाहितरेयाम् । गौतम (३।३) ।

२ नित्योपवीची नित्ययज्ञोपवीची नित्यस्नात्वाप्यौ पतित्वाप्रवर्षी । अन्ती के पञ्चदशविविधेषु ब्रह्मणः शास्त्र-ग्रन्थेषु ब्रह्मणोक्तम् ॥ बसिष्ठ (८।१७) ।

३ यथा मत्तरयाधित्य सर्वे जीवन्ति जस्तवः । एव गार्हस्थ्यमाश्रित्य वर्तन्ते इतराद्यजतः ॥ धातुपर्व २७।१६-७ (—बसिष्ठ ८।१६, जहाँ अतिम पाठ है—सर्वे जीवन्ति भिक्षुजाः) ।

४ अथ शास्त्रीय-वायव्य-व्यवह-वर्षकालिनां तद्विभक्तिर्विद्वान्प्राजाणाम् । शास्त्रध्यायवाच्यतास्तीत्यन्यम् । नृणां वर्या यस्तीति वायव्यत्वं । अनुभवमेव वरणाव्यवहत्वं । श्री ध नू (३।१।१-३-५) । श्रीधायन ने

आदि होते हैं वह स्थिर रूप से किसी धाम में रहता है, उसमें पास अन्न एवं सम्पत्ति होती है, वह साधारण जीवन व्यतीत करता है। यायावर अत्युत्तम बीबिका वाका होता है वह घर में के जाते समय जो अन्न पृथिवी पर गिर जाता है उसे ही चुनटा है और सम्पत्ति नहीं बीबटा है, वह पुरोहितों को करके बीबिका नहीं करता है वह न तो अम्पान्त-कर्म करके और न वान सेकर बीबिका करता है। मनु ने ब्राह्मण गृहस्थों को चार भेषियो में विभाजित किया है यथा— वह जिसके पास पर्याप्त अन्न है वो एक भवा भ्रत रहता है वो अधिक-से-अधिक तीन बिनो के लिए इच्छा कर पाता है वो आनेवाले कल की चिन्ता नहीं करता। बसिए, यही बात शास्त्रिपर्व (२४३१४) एवं सप्तविष्णु (२।१७) में। मिठाक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१२८) ने शास्त्रीयों को चार भेषियो में बाँटा है—(१) जो पीरोहित्य करने वैशाख्यन्त करके वान सेकर, हवि व्यवसाय एवं पशु-पालन करके अपना भरण-पोषण करता है (२) जो उपर्युक्त छ वृत्तियों में केवल प्रथम तीन अर्थात् पीरोहित्य करके वैशाख्यन्त करके वान सेकर अपना काम करता है, (३) जो केवल पीरोहित्य कर्म तथा अम्पान्त करके बीबिका करता है तथा (४) जो केवल अम्पान्त-कर्म करके बीबिका करता है। मिठाक्षरा की व्याख्यानानुसार मनु (४।९) ने भी चार भेषियाँ बतायी हैं। आपस्तम्बमीतसूत्र (५।३।२२) ने शास्त्रीय एवं यायावर का भेद बताया है। बीबायनगृह्यसूत्र (३।५।४) ने यायावर को और संकेत किया है। 'यायावर' शब्द तैत्तिरीय संहिता (५।२।१।७) में भी आया है किन्तु वहाँ उक्तका अर्थ कुछ भ्रष्ट है।

वेदान्तगृह्यसूत्र (८।५) में गृहस्थ चार नामों में बाँटे गये हैं—(१) बर्ता वृत्ति वाला जो हवि पशुपालन, व्यवसाय आदि करता है (२) शास्त्रीय; जो नियमों का पालन (याज्ञवल्क्य ३।३।३) करता है पालन करता है प्रीति-मि करता है प्रति छ. मास पर दस एवं पूर्वमास यज्ञ करता है शत्रुर्वास्य करता है प्रत्येक छ. मास में पशु-यज्ञ करता है तथा प्रत्येक वर्ष में सोमयज्ञ करता है (३) यायावर जो छ. नामों में लया रहता है यथा—हवि एवं सोम यज्ञ करना यज्ञ में पीरोहित्य करना वेद के अम्पान्त-अम्पान्त में लगे रहना वान सेना क्षीत एवं स्मार्त बलि की निरन्तर सेवा करना तथा आमृत अतिथियों को नोकन देना (४) शौचाचारिक (जिसके नियमों का पालन अति कठिन है) जो नियम-वर्ती है यज्ञ करता है किन्तु इतरों के यज्ञ में पुरोहितों (पीरोहित्य) नहीं करता वैशाख्यन्त करता है किन्तु वैशाख्यन्त नहीं करता वान सेना नहीं करता में बिदे हुए अन्नो से अपना भरण-पोषण करता है नाराम्य में जीन रहता है प्रात एवं साय अग्निहोत्र करता है, मार्गशीर्ष एवं ज्येष्ठ में ऐसे प्रतापि करता है जो ठकवार को पार पीसे तीक्ष्ण है तथा बत की औपनि बनस्पतियों से अग्नि की सेवा करता है। ये चारों प्रकार बृहस्पतघर (२) में भी पाये जाते हैं।

बहुत्र-सी स्मृतियों पुराणों एवं निक्तों में मृहस्त्रधर्म विस्तार में यात्र वर्णित है (बेसिए नीमन ५ एवं ९ आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।१ २।५।९ बसिष्ठधर्मसूत्र ८।१.१७ एवं १।१।१४८ मनु ४ याज्ञवल्क्य १।९६ १।२७ विष्णु-धर्मसूत्र ६०-७ ब्रह्म २, व्यास ३ मार्कण्डेयपुराण २९.३ एवं ३४ नृसिंहपुराण ५।८।७५ १.६, कर्मपुराण उत्तरार्ध अम्पान्त १५ १.६, लघु-हारीत ४ पृ. १८३ श्रौतपर्व ८२ वनपर्व २।५३-६३ आश्वमेधिक ३५।१६-२५, अनुशस्तन पर्व ९७। निक्तों में इस विषय में स्मृतिचर्चिका (१ ८८ २३२) स्मृत्यर्थसार (पृ. १८४८) मरतपारिब्रज

'शास्त्रीय' की स्मृत्यति 'शास्त्री' (घर) से की है और 'यायावर' को 'या' (बाबा) एवं वर (वेद्यन्त) से। पाणिनि ५।२।२ (जैसा कि महाभाष्य में अर्थ दिया है) के अनुसार 'शास्त्रीय' 'अनुष्ठ' (जो अनुष्ठान में करे) के अर्थ में 'शास्त्री' से निकला हुआ है। लम्बावत. पाणिनि के समय तक बृहस्प 'शास्त्रीय' एवं 'यायावर' नामों में नहीं बँटा था। बीबायन में मृहस्त्र की तीसरी कोटि भी है बकबर, जो अम्पान्त नहीं पाया जाता।

(वाङ्मनाथ) अधिक प्रसिद्ध हैं। स्थान-सन्तोष से हम यहाँ गृहस्वधर्मों का वर्णन बित्तर स मही करिये बचसु
 यदि यज्ञपूर्वक बर्तों ही उक्तिवित्त की बायेंनी। उवाहरबार्थ अनुभासन पूर्व (१४१२५ २६) म आया है—
 "ब्रह्मा सत्यवचन सनी जीनो पर बया दाम यथाशक्ति दाम—गृहस्थ का यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर-रभी से अससर्ग
 कभी स्त्री एव मरोहर की रक्षा न की हुई बस्तु के प्रहम-भाव से दूर रहना मनु एव मास त दूर रहना—ये पाँच धर्म
 हैं कितनी कई साक्षात् हैं और उनसे सुख की उत्पत्ति होती है।" यह ब्रह्म दस (२।६६ ६७) मे भी पायी जाती है।
 किन्तु इन धारारक बर्तों की बर्तों बहुत पहले ही हो चुकी है (केलिए इस माग का अन्वय १)।

दियस-विभाजन

बहुत प्राचीन काल से दिन को कई भागों में बाँटा गया है। कभी-कभी "अह" शब्द 'रात्रि' से पृथक माना
 गया है और कभी-कभी यह सूर्योदय से सूर्योदय (दिन एव रात्रि) तक का घोटक माना गया है। अश्वेथ (६।१।१)
 में इत्यम् अह अर्थात् रात्रि एव "अर्जुनम् अह अर्थात् दिन का प्रयोग हुआ है।" दिन को कभी-कभी दो भागों
 में बाँटा जाता है यथा पूर्वाह्न (दोपहर के पूर्व) एव अपराह्न (दोपहर के उपरान्त)। केलिए इन विषय में अश्वेथ
 (१ १२४।११) एव मनु (३।२७८)। दिन को तीन भागों में भी बाँटा गया है यथा प्रातः मध्याह्न (दोपहर) एव साय
 सोषीमरस के तीन तर्पणों का घोटक है—प्रातः सवन माध्यम्यिन सवन एव तृतीय सवन (अश्वेथ ३।५३।८ ३।२८।१
 ४ एव ५ ३।३२।१ ३।५२।५ ६)। १२ षष्ठे के दिन को पाँच भागों में बाँटा गया है, यथा—प्रातः मा उदय संयम
 माध्यमिन वा मध्याह्न (दोपहर) अपराह्न एव सायाह्न या जस्तगमन या साय। इनम प्रत्येक का नाम
 ३ मुहूर्तों का होता है। कुछ स्मृतियों एव पुराणों ने इन पाँचों विभागों का वर्णन तथा व्याख्या की है यथा प्रजापति
 स्मृति १५६ १५७ मत्स्यपुराण २२।८२-८४ १२४।८८ ९ वायुपुराण ५।१७०-१७४ अपराह्न (पु
 ४५५) ने भी मातृबन्धु (३।२२६) की व्याख्या में मृति क शक्य एव व्यास की उक्तिमें उद्धृत की है। २४ षष्ठे
 के "अह (दिन) को ३ मुहूर्तों में विभाजित किया गया है (केलिए अतपत्राह्न १२।३।२।५, जहाँ वर्ष को १ ८
 मुहूर्तों में बाँटा गया है अर्थात् ३६ × ३ = १८)। तीतिरीयसंहिता ने दिन के १५ मुहूर्तों का नाम दिये हैं
 यथा चित्र मेनु आदि। मदनपारिजात (पु ४५६) ने व्यास को उद्धृत कर दिन के पन्द्रह भागों के नाम दिये हैं।

स्मृतिना में सामान्यतः दिन को आठ भागों में बाँटा है। इस में दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग में
 दिये जाने वाले वर्तों का वर्णन किया है (२।४-५)। कात्यायन ने दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रथम का छह
 बने के तीन भागों में राजा के सिद्ध न्याय करने की बात कही है। कौटिल्य में छठ एव दिन को ८-८ भागों में बाँटा है
 और उनमें राजा के बर्तों का वर्णन किया है। बसिष्ठ (११।३६) ऋषु हारीत (९९) ऋषु पाठातप (१ ८) आदि

५- अहिता सत्यवचन सर्वभूतानुकम्पनम् । दामो दाम यथाशक्ति गृहस्थी धम उत्तम ॥ बर-बारेण्यसतर्पणो
 आसनीवतिरत्नम् । अदत्तादानचिरमो अनुभासस्य वर्जनम् । एव पचविधो यमो बहुधाकः शुक्रोदयः ॥ अनुभासन
 पूर्व १४१।२५ २६ ।

६- अहश्च इत्यमहरजुम च विस्तते रजती वेद्यानिः । बंधवानरो जायमानो न राजावातिरज्योनिपाति
 लभति ॥ अ ६।१।१ । निरुक्त (२।२१) ने इसकी व्याख्या की है—अहश्च इत्यं रात्रिः शुक्लं च अहरजुमम्
 आदि ।

का कहना है— दिन के आठवें भाग में सूर्य मन्द हो जाता है उस काक को कुटप कहा जाता है। रात में काकम्बी में दिन व आठो भागों के प्रथम भाग में सूर्य के प्रकाश को बरुष हुप एव स्पष्ट होते हुए कहा है। महाभारत में छठे वर्ष में मोक्ष करने को बेरी में मोक्ष करना माना गया है (वनपर्व १७६१९, १८ १९, २९३१९ एव आश्वमेधिका पर्व ८ १२९ २७)।

आधिक्य के अन्तर्गत प्रमुख विषय है—सध्या से उठना शीघ्र (घारीरिक सुखता) वस्त्रधारण (रात स्वच्छ करना) स्नान सध्या तर्षण पश्चात्प्राणायाम (ब्रह्मपत्र एव कठिबि-आकार के साथ) अग्नि-युवा भोजन वन-शक्ति पठना-पठाना छाया की सध्या वान शीघ्र जाना निर्भाषित समय पर पशु करना। पराधरस्मृति (११३९) ने दिन के वर्णस्या को इस प्रकार कहा है—गन्ध्या-प्राणना अप होम देव-युवन अग्निव सप्तर एव देवदेव—ये ही प्रमुख पद धर्म हैं। मनु (४११५२ अनुशासनपर्व १ ४१२३) ने भी प्रमुख धर्मों का वर्णन किया है— मनु-मूत्र-स्नान (मैत्र) एतदावत प्रमाण (द्विच-यु-म) स्नान अन्नन स्याता एव देवपूजन।^७

जैसा कि पूर्वसिद्धांत (मध्यमाधिकार ३९) में आया है दिन की गणना सूर्योदय से ही आती थी किन्तु व्यावहारिक रूप में सूर्योदय व कुछ पूर्व या कुछ परभाव ही दिन का आरम्भ माना जाता रहा है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण में अतएव सूर्योदय के पूर्व चार मासिका (कठिकाओं) से संकर सूर्यस्त के उपरान्त चार मासिकों तक दिन का काक रहता है अर्थात् जब सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेता है तो वह स्नान सूर्योदय के उपरान्त बाछ दिन का ही कहा जाता है। मनु (४१९२) याज्ञवल्क्य (११११५) तथा कुछ अन्य स्मृतिओं के अनुसार बाह्य सूर्योदय से उठना चाहिए धर्म एव धर्म के विषय में जिसे वह उस दिन प्राप्त करता आहता है उस सोचना चाहिए, उस दिन व घारीरिक धर्म के विषय में भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए वैदिक नियमों व वास्तविक धर्म के विषय में। बुल्बुल तथा अन्य माया के मत से मनु (४१९२) द्वारा प्रयुक्त शब्द 'सूर्योदय' सामान्यतः समय का ही बालक है व कि जो कठिकाओं की अवधि का और बाह्य शब्द इसलिये प्रयुक्त है कि यह वही समय है जब कि किसी की बुद्धि एव कठिका बतान की क्षमता अपने गर्भोष्ण रूप में रहती है। पराधरमाधवीय (१११ पृ २२) ने अनुसार सूर्योदय व पूर्व प्रथम प्रहर में ही सूर्योदय होने हैं जिनमें प्रथम को बाह्य और दूसरे का शीघ्र कहते हैं। विद्यामह (स्मृतिचक्रिका पृ ८२ में उद्धृत) के मत से रात्रि का अन्तिम प्रहर 'बाह्य सूर्योदय' कहलता है। बहुत प्राचीन काक से ही सूर्योदय के पूर्व उठ जाना सामान्यतः सत्र लिए किन्तु विद्यमान विद्याधिया व लिए उचित माना जाता रहा है। यौतम (२३१२१) ने लिखा है कि यदि ब्रह्मचारी सूर्योदय के उपरान्त उठे ता उसे प्रायश्चित्त रूप में जिना पापे-नीये दिन भर यथा खरर माधवी मनु का अप करना चाहिए, इसी प्रकार यदि वह सूर्योदय तक सोता रहे तो उस रात्रि भर अगकर माधवी अप करना चाहिए। वही बात आरण्यधर्मसूत्र (२५११२१११ १८) एव मनु (२१२२०-२२१) में भी पायी जाती है और इसमें सूर्योदय के समय मा जान काक को अग्निनिमुक्त या अग्निनिमुक्त कहा गया है। शौमिकस्मृति (पथ में ११३१९) व अनुसार सोतर उठने पर ज्ञानों को देनी चाहिए। श्रुतिधान में ऐसा आया है कि साधन उठने व उपरान्त जब से ज्ञानों व लेनी

७ तप्या स्नानं करो होमो देवतानिचिपुत्रनम्। आतिर्यं देवदेव व बर्ष वर्माणि दिने दिने ॥ परामर ११३९।

८. मैत्र प्रमाणन स्नानं वस्तुधारणमङ्गनम्। पूर्वाह्न एव कुर्वन् देवतानां व पुत्रनम् ॥ अनु ४११५२। मित्र देवता मुत्र के देवता हैं मन् मैत्र का तात्पर्य है मुत्रपुरीशोक्त्या।

९. उरपावुर्यं धात्रीभूजितावनवापत्। सूर्योदयान्त (मध्यमाधिकार ३९)।

बाहिए, किन्तु उसके पूर्व अर्धे १।७३।११ का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अर्धे पाठ का अर्थ है अथवा नार
 य दूर नरी हमारी मर्त्य भर वो और हम म उन्हे छोड वो जो पितृजा मे फसे हा।

प्रात काल उठना

बनपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ ८८) ने लिखा है कि सूर्योदय के कुछ पूर्व उठकर भगवान्
 का स्मरण करना चाहिए। आङ्गिकप्रकाश (पृ १९) ने बामनपुराण (१४।२३-२७) के पाँच श्लोकों को उद्धृत
 कर बताया है कि इन्हे प्रति दिन प्रात काल उठकर अपना चाहिए।^१ माघ भी बहुत-से बृहें सोय इन श्लोकों को
 प्रसन्ननाम बायकर बोझा करते हैं। कुछ ग्रन्थों के अनुसार जो भारतसावित्री नामक पारो श्लोकों का पाठ प्रातकाल
 किया है वह सम्पूर्ण महाभारत सुनने का फल प्राप्त करता है और ब्रह्म को प्राप्ति करता है।^२ आङ्गिकवर्णन (पृ
 ३२०) ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिस सोकर उठने के उपरान्त पढा जाता है और उसमे नाम बर्जोत्तम समयी
 एवा नव एव श्रुतुपर्यं ने नाम कलि के प्रमाणा से मुक्त होने के लिए लिखे गये हैं (महाभारत वनपर्व ७९।१)।
 स्मृतिचन्द्रिका ने ऐसा श्लोक उद्धृत किया है जिसमे लक्ष्मीधर, सीता एव हृष्या पुष्यश्लोक कह गये हैं अर्थात्
 जिनके वच का गान करना पवित्र कार्य है। आचाररत्न (पृ १) ने कुछ बिरज्जीवियों के नाम लेने को कहा है यथा
 मन्मथाना बलि ध्यास हनुमान् विभीषण इव परशुराम एव मार्कण्डेय और पाँच पवित्र स्त्रियों के नाम भी लिखे
 हैं यथा मन्मथाना श्रीयत्री सीता लाला एव मन्मथोदरी। माघ भी प्राचीन परम्परा के अन्वये विनायक बृह लाल
 शरा नाम प्रात काल उठने पर छेदे हैं।

कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि प्रात काल उठने पर यदि बेरज ब्राह्मण सौभाग्यवती स्त्री गाय बेदी (जहाँ
 बलि देनायी ययी हा) बिल्लवाई परें तो व्यक्ति विपत्तियों से छूटकारा पाता है किन्तु यदि पापी विषया अशुभ
 तथा नष्टा तिलसाई पर जायें तो कलि (विपत्ति या शयदा-शय) के घोटक हैं (सोमिलस्मृति २।१६३ एव १६५)।
 परापर (१२।४७) के मत से वैदिक यज्ञ करनेवाले कुलपितृयक अर्धे माघ सन करनेवाले राजा मय्यानी तथा
 मयूर को देखने से पवित्रता जाती है अत इन्हे सर्वैक देवता चाहिए।

मस-मून त्याग

प्रातकाल उठने एव उसने इत्य के उपरान्त मस-मून त्याग का इत्य है। अति प्राचीन मूत्रो एव स्मृतिवो म
 इनके विषय में पर्याप्त लम्बा-बौडा बयल है। बहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं किन्तु प्राचीन ग्रंथों
 के अर्थ अथवा-नियम नैतिक नियम स्वास्थ्य एव स्वच्छता के नियम एव-भूमरे से मिले हुए पाये जाते हैं अत इनका
 सर्वमात्रो में उपरिष्ट होना आवश्यक का विषय नहीं है। अथर्ववेद (१३।१।५६) में भी आया है—“मै तुम्हारी
 यद को जो गुण गाय को वीर से मारते हो सूर्य की ओर मुख-त्याग करते हा बाट देता हैं। गुण इनन आने छाया न

१ ब्रह्म नुरारिस्त्रिपुरारस्तकारी आनु शयी भूमिमुनो बुपयज। मुपयज पुत्रु शनिराट्टवतक बुर्भन्नु तर्हें
 नम गुपयजतम् ॥ बामनपुराण (१४।२३)।

२ वैश्विण नित्याचारपद्धति, पृ १५ १६ आङ्गिकप्रकाश पृ ११। ये श्लोक, यथा—महाभारत, स्वर्ग-
 तीर्थिक पर्व ५।६०-६३ भारतसावित्री ब्रह्म जाते हैं। उनके प्रथम पाठ हैं “मानाविभुनहन्नाति हर्षवाचनहस्ताति,
 इर्षवापुविरीभ्येक न आनु वावात्त अयास लोमान्।



बोने।" अथर्ववेद के अनुसार सबसे होकर मूनत्याग नित्याजनक माना जाता था (७।१२ या १७।१) "मै ब्रह्मा होकर मून मत्यानूया देवता मेरा अममक न करे। अथर्व (१।१३ १५, ३७-३८) भाष्यमन्वन्वर्मसूत्र (१।११।१ १५ ३०-एव १।११।१।१ ३) बसिष्ठवर्मसूत्र (१।१०-१९ एव १।१।१ १३) मनु (४।४५-५२, ५६, १९१) याज्ञवल्क्य (१।१६ १७ १३४ १५४) विष्णुवर्मसूत्र (१।१-२६) शत" (मिताभरा याज्ञवल्क्य १।१३४ प्राय उद्धृत) बामपुत्राय (७।८।५९ १४ एव ७९।२५ ३१) एव बामनपुराय (१।३।३०-३२) के बचनो को हम इस प्रकार संक्षिप्त कर सकते हैं—

मरु-मूत्र त्याग एव सुवि

मार्ग 'उत्त पीपर, जोते एव बोये हुए बेटी ब्रह्म की छाया नहीं या जब प्राय मा सुन्दर स्वामी बेटी के लिए बनी ईदो पर्वतसिखरों गिरे-यह देव-स्वामी या बोधामामो पीटियों के स्वामी बहो या सिद्धो जप फलप्राप्ते के स्वामी बालुनामय ठटो मे मरु-मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अग्नि सूर्य चन्द्र ब्राह्मण बस किसी देवमूर्ति गाय बामु की ओर मुख करके भी मरुमूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए। सुखी भूमि पर भी ये इत्य नहीं किये जाने चाहिए, हाँ सुखी टहिनियो पतियो एव बासा वाली भूमि पर ये इत्य सम्पादित हो सकते हैं। दिन मे या मौसुमि क समय निरर्द्धकर उत्तरदिग्मुख तथा रात्रि मे दक्षिणदिग्मुख मरुमूत्र-त्याग करना चाहिए, किन्तु जब घम हो या कोई आपत्ति हो तो किसी भी बिधा मे ये इत्य सम्पादित हो सकते हैं। सबसे होकर या चकते हुए मूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए (मनु ३।४७) और न बोझना ही चाहिए।" बस्ती से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम जाकर ही मरुमूत्र त्याग करना चाहिए। मनु (५।१२६) एव याज्ञवल्क्य (१।१७) के अनुसार मरुमूत्र-त्याग के उपरांत बहो को गणी न एव मिट्टी के मायो से इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि गन्ध या फन्तरी दूर हो जाय। मनु (५।१३६ एव १३७) एव विष्णुवर्मसूत्र (६।२५ २६) के अनुसार मिट्टी का एव नाम सिम (जलेनेक्रिय) पर, तीन आय मरुमूत्र पर, बम बायें हाथ मे सात बोनो हाथो मे तथा तीन योना पीरो म रुकावे चाहिए। धीन की इतनी सीमा मूहुरणों के लिए है किन्तु ब्रह्मचारियो बातप्रसभो एव सत्यासियो को बूने त्रिगुणे या श्रीमुने जितने भी मान्यता हो उतने मिट्टी के मायो से स्वच्छता करनी चाहिए। मिताभरा (याज्ञवल्क्य १।१७) मे लिखा है कि इतने माय की व्यवस्था देवक ह्य लिए है कि प्रयुक्त अथ टीक से स्वच्छ हो जावें की तो उतनी ही मिट्टी प्रयोग मे लायी चाहिए जितनी से स्वच्छता प्राप्त हो जाव। बड़ी बाल नीलम (१।४५ ४६) बसिष्ठवर्मसूत्र (३।४८) मनु (५।१३४) एव देवक मे पायी जाती है। मरु लोक मिट्टी के माय की जैसा कि र्मुनियों मे बसित है चिन्ता नहीं करते मे उतनी ही मिट्टी प्रयोग मे लाये

१२ याच गां वरा स्वरुति प्रत्येद्य सूर्य च ये हृति । तस्य ब्रह्मणि ते मूलं लब्ध्वायां करबोऽवरतु ॥ अथर्ववेद १३।१।५६) वैश्वाम्नुवर्मस्तित्ठमा वा द्वितियुरीगवरतः ॥ अथर्ववेद ७।१ २ (१ ७)।१।

१३ न गीमपहृष्योपसागदलबिनि-वयप्रान-बन्धीर-वर्त्मनसगोष्यद्विभयर्धंतगुलितेयु मेहेत ब्रूतापारत्नम् । शय (मिताभरा द्वारा याज्ञवल्क्य १।१३४ की व्याख्या में उद्धृत) ।

१४ उच्यते संयुने चैव प्रजाये इत्तपावने । स्नाने भीजनपाने च बद्दु मीनं तत्राचरेत् ॥ हारीत (ब्राह्मण प्रजाप पृ २६ में उद्धृत) । बड़ी लघु-हारीत का ४ वां श्लोक है। अत्रि (३२३) मे लिखा है "पुरीने मयुने होने प्रत्याये इत्तपावने । स्नानभीजनत्रयेषु तथा मीनं तत्राचरेत् ॥

है, जिससे पवित्रता या क्षीय प्राप्त हो पाय ।^१ स्मृत्यर्पण (पृ १९) में दत्ता (५।१२) का अनुसरण करते हुए किया है कि राजि में निज के लिए व्यवस्थित क्षीय का भाया रोगी के लिए एक-बीपाई तथा यात्री के लिए नेचल अष्टनाय होना चाहिए, तथा स्त्रियों झूठो बच्को (बिगना उपनयन अभी न हुआ हो) के लिए मिट्टी के भाग की निर्मात्रि सरया नहीं है। स्पष्ट करते में प्रतरत परत-राष्ट्र एव पैठ की नयी टहिनियां प्रयोग में नहीं लायी पाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।११।३ ३ नीतम ९।१५) और न नदी या क्षीय में भीतर की मरिचि की बस्तीठ (पीन्या फिटोले)की गूदा के सिगने में स्वलों की मोपर-रचल की तथा नाम में साने से अक्षिण मिट्टी प्रयोग में लानी पाहिए (बसिष्ठधर्मसूत्र ६।१७) और न कद या मार्ग बानी या कीडो से भरती या कोयसे हड्डियो या धाम् बानी मिट्टी ही शीय में लानी चाहिए।

इस विषय में और देखाए दत्ता (५।७) को मिट्टी की मात्रा के विषय में व्यवस्था देते हैं। प्रथम बार उतनी मिट्टी बिठनी जार्य हाथ में आ सके दूगरी पार उरका भाया भाय और इसी प्रकार कम करते जाना चाहिए। मिट्टी का बरा आमसक फल के आकार का होना चाहिए (कूर्मपुराण स्मृतिचक्रिका १ पृ १८२ में उद्धृत)। कुग परलकर मळ-मून-त्याग नहीं करना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।११।३ १८) उस समय यज्ञोपवीत को दाहिने हाथ पर लटका लेना चाहिए या निचोठ रूप में पीठ पर चढ़ा लेना चाहिए। मातृवस्त्र (१।१९) के मठ से यज्ञोपवीत को नेचल दाहिने हाथ पर लटका लेना चाहिए। बतपर्य (५।१२) में भाया है कि जय लक में मूत्र-त्याग के आरम्भ अपना पैर नहीं पोया तो कृत्ति (दुर्गम पय झकडा जाति का बेकता) उनमें प्रविष्ट हो गया।

क्षीय के प्रकार

प्रस्त पयय धारी-रचलप्रता तो सामान्य क्षीय का नेचल एक जग है। नीतम (८।२४) के मठ से क्षीय एा कायदुप है। 'दुपेर (७।५९।१२ आदि) में सुविषय पर बल दिया है। हारीठ में अनुगार क्षीय धर्म की और प्रथम धर्म है। यहाँ प्रह्ला (बैर) का निवाय-स्नान है की (सदगी) भी यही रहती है। इद्ये मन स्वच्छ होता है, बेकता इनमें प्रसन्न रहते हैं। इत्ये द्वारा आरम-भोग होता है और इत्ये बुद्धि का जागरण होता है।^२ क्षीयधर्मसूत्र (१।१।२९) हारीठ दत्ता (५।३) एव व्याघ्राय (स्मृतिचक्रिका १ पृ ९३ में उद्धृत) के अनुसार क्षीय के दो प्रकार हैं, बवा बाह्य (बाहरी) एव आन्तर वा आम्प्यतर जिनमें प्रथम पानी एव पीसी वा भुरसुरी मिट्टी से तथा दूसरा बाने बरौबारी की पवित्रता से प्राप्त होता है। हारीठ में बाह्य क्षीय को तीन भागों में विभाजित किया है (१) दूक (दूक में बर्य एव मरण के समय उत्पन्न अक्षीय से पवित्र इना) अर्ध (सभी प्रकार का पाया एव पशुओं को लच्छ रगता) एव धारी (बाने धारी को गुड रगता)। उन्होंने आम्प्यतर को तीन भागों में बाँटा है (१) मल, (२) बालु (न देवाने योग्य पशुओं को न रगता) (३) प्राण्य (न सूँबने योग्य वस्तुना को न सूँबता)

१५ बाह्यतापविशति मन्वेत तावत्क्षीयं विधीयते । प्रमाणं क्षीयसंख्यायां न प्रियं च पवित्र्यते ॥ बेकल (गृह्यसूत्र १।५७) में एवं स्मृतिचक्रिका १ पृ ९३ में उद्धृत)।
 १६ तत्र हारीठ । क्षीयं नाम पर्वविशेषो ब्रह्मायतनं त्रिविधोपिब्रह्मो मजलः प्रस्तावनं वैशानं त्रियं धारीरे क्षेत्र धर्मं बुद्धिप्रबोधनम् । बृहत्संहिता ५ पृ ५९२।
 क्षीयं च त्रिविधं प्रीयतं ब्राह्मणाभ्यन्तरं तथा । मृगजलाम्यां रज्जुं बाह्यं पावगुडितकान्तरम् ॥ दत्ता ५।३ एवं व्याघ्राय ।

(८) बाष्प (बापी का) (५) स्वाद्य (त्रिह्ला वा) । वीतम (८।२४) की व्याख्या में ह्यबत ने छीष के चार प्रकार बताये हैं—(१) इष्य (बिन्धी द्वारा प्रयुक्त पान एवं पर्यार्ष का) (२) पानस (३) बाष्पयन (४) शरीर। कुछ पीतम ने पाँच प्रकार के छीष बताये हैं—(१) मानस, (२) कर्म का (३) कुरु का (४) शरीर का एवं (५) बापी का । मनु (५।१३५) बिष्णुधर्मसूत्र (२।२।८१) एवं अत्रि (३१) के अनुसार बाष्प प्रकार के मूल होते हैं—(१) शर्षी (२) शीर्ष (३) रक्त (४) मज्जा (५) मूत्र (६) बिच्छा (७) नासामल (८) शूट (९) लघार (कफ) (१०) अमू (११) नेत्रमल एवं (१२) पसीना। इनमें प्रथम छ पापी एवं मिट्टी से बिष्णु अन्तिम छ वैश्व पानी से स्वच्छ हो जाते हैं।

आचमन

छीष इत्थ समाप्त करने के उपरान्त मूँहको १२ कुल्हो (यच्छयो) से स्वच्छ करना चाहिए (स्मृतिमुक्तावत आह्निक प २२) । इससे उपरान्त आचमन करना चाहिए। उपनयन के अध्याय में आचमन के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। दिया शीषकर एवं पीछे से परिधान को मोड़कर आचमन करना चाहिए । पानी को बरतक में इतनी मात्रा में बाधना चाहिए कि माप (उर्ष) का बीच बूब सके । अँपूठे एवं बानी अँगुली को छोड़कर अन्य तीनों अँगुलियों को मिलाकर बाह्य तीर्ष (हथेली का ऊपरी भाग) से जल पीना चाहिए। तीर्ष मध्य का अर्ध है दाहिने हाथ का बड़ भाग जिसका द्वारा यामिन इत्थो में जल ग्रहण किया जाता एवं गिराया जाता है, शरीर के ऐसे भागों को बचनाओं का नाम से सम्बोधित किया जाता है। बहुत-सी स्मृतियाँ में चार तीर्षों के नाम आते हैं बचा प्राजापत्य या काय विष्य बाह्य एवं वैश्व (मनु २।५९, बिष्णुधर्मसूत्र १।२।४ याज्ञवल्क्य १।१९ आदि) । बिष्णु यादुघातकस्य कुछ दश (२।१८) आदि में पाँच नाम आते हैं । यथा वैश्व (यज्ञ बाह्यक अपने दाहिने हाथ के अंगन भाग को पूर्वामुग्न करता है) विष्णु (दाहिने हाथ का बाहिना माय) बाह्य (अँगुलियाँ का सामने का भाग अर्धत्वं हथेली का बायाँ भाग) प्राजापत्य (बायीं अँगुली के पाग का माय) एवं पारमेष्ठ्य (दाहिने बरतक का मध्य-माय) । पारतन्त्र्यमूह्यसूत्र में पारमेष्ठ्य को आत्म्य कहा गया है। धर्मसूत्रि (१।१२) के काय एवं प्राजापत्य में अन्तर बताया है । बाह्य का नाम छीष दिया है और उसके स्वान पर प्राजापत्य रखा है। शैवान्त (१।५) में ९ तीर्षों के नाम दिये हैं जिनमें प्रथम चार उपो-ने-ग्याँ हैं । पाँचवाँ आग्नेय (हथेली का मध्य भाग) एवं छठा शर्षी (बायीं अँगुलियाँ का अर्ध एवं पौग) है। कुछ लोगों के मत में वैश्व तीर्ष अँगुलियाँ की पोरों पर है तथा शीम्य एवं आग्नेय हथेली के मध्य में है। शरीर के मूल से वैश्व तीर्ष का उपयोग मार्जत देव-यूजत अत्रि देव या भोजन में होता है । काय तीर्ष का उपयोग काजा-नाम आह्निक नाम में तथा विष्णु तीर्ष का उपयोग गिरदी के इत्थो में होता है। अमरक-रत्नार्थ में बर्षी एवं मज्जा माने में शीम्य तीर्ष का उपयोग होता है (स्मृतिपर्यंगार पृ २) । जय जल की दुर्भेदाता है और आचमन करना आवश्यक है। तीर्षादिना काय छूटका पर्यन्त माना जाता है (स्मृतिपर्यंगार पृ २१) । काय मूल के विषय में विदग्धाँ में यथा किन्तार दिया है । जिनके मूल रत्नानामात्र में यहाँ उल्लिखित नहीं कर रहे हैं। इस विषय में देवित् स्मृतिचक्रिका (१ पृ ५१४) स्मृतिमुक्तावत आह्निकप्रमाण (पृ २२१२४) आह्निक-तरण (पृ ३३।३८८) मृगश्रय्याण (पृ १५ १३०) आदि। आत्मनस्मृति (पद्य में) का मत में आचमन की

१३ तीर्षविधि का इतिहासनेत्रनामप्रदेशनामपद्यत् । तीर्षेषुहनाचकनारे तीर्षघट्ट प्रविष्टः । तानि च विदोरादीनादिचरणात् स्तुपर्थं वैश्वविनाम्नायमे । विद्वन्व (याज्ञवल्क्य १।१९) ।

विधि वार प्रकार की है—(१) पौराणिक (जिसमें प्रत्येक आचमन में चण्ड नायायण माचन आदि के नाम मिलते हैं) स्मार्त (जैसा कि मनु २।६ आदि स्मृतियों में कहा गया है) आगत (जैसा कि दौष एव वैष्णव सम्प्रदाया की पवित्र पुस्तकों में सिखाया गया है) एव शैल (जैसा कि वैदिक यज्ञों में किए शैलमूत्रा में कहा गया है)। आपुनिक नाम में पौराणिक विधि ही बहुधा बाह्यणा द्वारा प्रयोग में लानी जाती है।

दन्तधावन

दन्तधावन का स्नान शौच एव आचमन के उपरान्त एव स्नान के पूर्व है (देखिए याज्ञवल्क्य १।१८ एव एव २।६)। बहुत प्राचीन काल से ही दन्तधावन की व्यवस्था भारत में रही है। तृतीय संहिता (२।५।१।७) में बताया है कि रजस्वला स्त्रियां को दन्तधावन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्पन्न पुत्र के दाँत काले हो जायेंगे। दन्त धावन एव स्वतंत्र कृत्य है यह स्नान तथा प्राण नाक की सन्ध्या का कोई अंग नहीं है। आपस्तम्बबर्मसूत्र (१।२।८।५) में बताया है कि जो मूत्रपुच्छ से अभ्यसन समाप्त करके शौच आया है उस क्षण में भी यदि युक्त का सम्पर्क हो जाय तो दन्त-धावन शरीर-दर्शन कर्मविषयास नहीं करना चाहिए और न बहोभ्यसन के समय यह सब कृत्य ही करना चाहिए (१।३।१।११-१२)। गौतम (२।१९) एव बृहस्पतिबर्मसूत्र (७।१५) के अनुसार ब्रह्मचारी को बहुत देर तक दन्तधावन करने का आनन्द नहीं लेना चाहिए।

गौतमस्मृति (जिस छन्दोप-परिचिह्न भी कहा जाता है) में बताया है कि जब व्यक्ति जल से या धर पर बैठ जाता है तो गन्धोष्कारण नहीं करता है किन्तु जब वह शानुत (कपड़ी का इच्छक) प्रयोग में लाता है तो यह मात्र कृत्य है— हृक्ष मुस आमु बरु यथा ज्पाति सन्तान पशु धन ब्रह्म (केच) स्मृति एव मुद्रि दो। पारस्कर सूत्रसूत्र (२।६) एव आपस्तम्बसूत्रसूत्र (१।२।६) में समाचमन के समय उजुम्बर (गुम्बर) की कपड़ी की शानुत करने की व्यवस्था है।

शानुत की लम्बाई, ब्रुश (जिसकी लम्बाई उपयोग में लानी जा सकती है या नियुक्त है) दिन एक अक्षर (त्रिंशद्विंशति या अक्षर पर दन्तधावन नहीं किया जाता) के विषय में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। दौ-एर नियम यहाँ उल्लिखित हो रहे हैं। ऐसे ब्रुश की टहनी जिनके तन में कच्छक हा और टहनी चौड़ने पर जिनमें दूध ऐसा रस निकल प्रयास में लानी चाहिए तथा बट, असन जर्क तदिर करञ्ज बबर, सर्बे निम्ब अरिमेक अपामार्ग मालती बकुम विन्ध आस्र पुसाग शिरीष की टहनियाँ प्रयास में लानी चाहिए। ये टहनियाँ स्वाद में कपाय शिष्य एव बटु होतीं चाहिए, न कि मीठी या लट्टी। दन्तधावन में निम्नलिखित ब्रुश प्रयोग में नहीं लाये जाते—पलाश छेम्पापत्र अरिष्ट, विमीतक बरु बरुज निर्गुडी शिषु, निम्ब तित्नुक इमुक गुग्गुलु, शमी पीतु, पिण्ड कालि ताग मालि (विष्णुबर्मसूत्र ६।१।१-५)। टहनियाँ शुष्क या अगुष्क शानो हो सकती हैं किन्तु पेठ पर की सुयी नहीं

१८. बडासनाज अरिहरकर अयहरसत्रनिम्बारिमेरापामार्गमालतीबकुमक्षिन्वानामपायनम्। कापाय तिल्लं बकुल। विष्णुबर्मसूत्र (६।१।१४ १५)। आश्रपाताप्रक्षिन्वानामपायामाशिरिपीयो। आरिहस्य बटञ्जस्य बरम्बस्य तत्र ब॥ अक्षय करबीरस्य कुटञ्जस्य विनेपन। बाणत प्रातःकृत्याय मध्येदन्तधावनम्॥ अक्षरवेद की भाष्यकी लिखा (५।१२) सर्वे कच्छकिनः पुण्या शीरिष्णव यास्तिवन्ः। नारद आश्रपुत्राण-विष्णवानामपायामाशिरिपीयो। अत्रेणै प्रान्दक्याय बाण्यो दन्तधावनम्॥ अथिरा। ये लमी उदरत्र स्मृतिभरिडवा (१ बु १ ५ १ ६) में पाये गये हैं। "सर्व कच्छकिनः—यास्तिवन् नृतिरुप्राय (५८।४९) का है।

(विष्णुवर्ममूत्र ६१।८ एव नृसिंहपुराण ५८।४६)। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके दन्तवाहन करना चाहिए, न कि पश्चिम या दक्षिण (विष्णुवर्ममूत्र ६१।१२-१३)। विष्णुवर्ममूत्र (६१।१९-१७) के मत से टङ्गी बाण्ड अगुल सम्भी एव बानी अगुमी की पोर बितनी मट्टी होनी चाहिए। उस बाण्ड प्रयोग म कामा चाहिए तथा प्रयोग के उपरान्त मन्त्रे स्नान म नहीं करना चाहिए। कम्पार्ड के विषय मे कई मत हैं। नृसिंहपुराण (५८।४६,५) के मत से बाण्ड अगुल या एव बित्ता (प्रादेश) गर्ग (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ५ मे उद्धृत) के मत से पार बर्षों तथा स्त्रियों के लिए कम से १ ९ ८ ७ या ४ अगुल सम्भी टङ्गी होनी चाहिए। ईट के टुकड़ा मिट्टी या प्रस्तरों या लाली अंगुलियों से (बैजूठा एव जलामिका के सिवा) मूँह नहीं बाना चाहिए (कम्प साधना ८७३ स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ६)।

कम्प हारीठ एव नृसिंहपुराण (५८।५०-५२) के मत से प्रतिपदा पर्व की तिथियाँ (जिन दिन बाद विद्यार्थ वे पूर्णमासी अमावस मन्त्री अनुर्बधी तथा उस दिन जब सूर्य मधी राधिम म जाय बैलिए विष्णुपुराण ३।११।११८) पच्छी मधमी या जिस दिन बालुन न मिसे दन्तवाहन का रथाग होता चाहिए तथा केवल १२ कुम्भों (पशूपो) से मूँह को सेना चाहिए। वैडीनसि (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ६) के मत से बास पश्चिमा एक एव जलामिका को छोड़कर बिनी भी अगुमी से दन्तवाहन हो सनता है। बलविहीन कीम गधूपो (कुम्भ से या मुख म पागी मरकर) स मूठ स्वच्छ कर मणते हैं। जिस दिन बजिन न हो उस दिन जिह्वा को भी इरी प्रजार रयडकर स्वच्छ करन चाहिए। माड के दिन मर के दिन नियम पाळते समय पति के बिबेध रहने पर, अनीर्ण होने पर विबाह व दिन उप बास मा वत म (स्मृत्यर्षसाठ पृ २५) दन्तवाहन नहीं होना चाहिए। विष्णुवर्ममूत्र (६१।१६) मे मन्त्रेक प्राठ बास प्रत्युन प्रत्येक मोजन के उपरान्त दन्तवाहन की बात नहीं है एसा नेक (बेक के अनुसार) बाी के बीच के अभाग का निरालन के लिए किया जाता है।

स्नान

दन्तवाहन के उपरान्त स्नान किया जाता है। आचमन स्नान जब होय एव अन्य इत्या म बुझा की बाहित हाय मे रचना होता है अत बुझा के विषय मे मही कुछ लिख देना अतिवार्थ है।

बुझों का उपयोग—वर्मपुराण व अनुसार बिना बर्ष एव यज्ञोपवीत के को इत्य किया जाता है उससे इह सोन एव परलोत म कोर् फन मही मिलना (इत्यरत्नाकर पृ ४७ मे उद्धृत)। सातालय के अनुसार 'जप होय बात म्पाप्याय (बैबाप्यवन) या पितृर्तन के समय बाहिते हाय मे सोना बीबी एव बुझा रखने चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ८)। आचमन बादि करते समय बाहिते हाय या बोनों हायों मे बर्षे का पत्रिक (मैजूठी के समय बुनों का कीच छप्का) रचना चाहिए, जो जलामिका अगुमी मे पहना जाता है या उस समय बाहिते हाय म नेकल बुझा रगना चाहिए। बुझा-प्राथम्य बर्ष प्रजार मे होता है।^१ भाद्रपद (अमान्त मास) मास की अमावस का बुन एवक वामे चाहिए बरौति उम दिन एवक बिब मय बुझा बर्षी बानी (पुराण) नहीं पचन बीर पुन प्रयोग म तावे

१ सातालय। बर्षे होमे तथा बाते म्पाप्याये पितृर्तने। अमूर्ध्वं नु बर्षे बुझांगुवर्षरत्नैः बुझैः। स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १ ८; बैलिए स्मृत्यर्षसाठ। अत अन्वारं वताः। हस्तद्वये बर्षेवारत्न। हस्तद्वये बरिबवारत्नं इतिर्नं बरिबं वामे बुझा बरिबम एषोत्रपवित्रि। आचाररत्नाकर पृ २४। बैलिए पौनिकमनूति १।२८ (अचारात् इतर पृ ४३ एवं ४८ मे उद्धृत)।

वा सकते हैं। चारों बर्नों का पवित्र ४ वर्गों या क्रम स ३ २ या १ वर्ग का होना चाहिए या सबके लिए दो वर्गों का पवित्र होना चाहिए। जिससे माने कोई अक्षुर नहीं पड़ते वह वर्ग कहा जाता है, जिससे पुन अक्षुर निरस्त हैं वह पुन कहा जाता है, किन्तु जब क साथ वर्गों को कुतप तथा जितके ऊपरी पोर बाट बाक यंत्र है वह तुष कहा जाता है। जिसके वेत में उरने वाले तथा जिनम सात अक्षुर हो ऐसे कुषा बने मगसमय समझे जाते हैं।

यसो में प्रयुक्त होनेवाले वर्गों का रंग हरा एवं पाकयज्ञों में प्रयुक्त होनेवाला का रंग पीला होना चाहिए जिसके वे याद वाले वर्ग समूह होने चाहिए तथा वैश्वदेव के लिए विभिन्न रंग वाले हान चाहिए। पिण्डदान पितृ वंश वा मरुभूय-स्थान के समय प्रयुक्त वम फेंक देना चाहिए (स्मृत्यर्थसार, पृ ३७)। यदि वर्ग (कुषा) न मिले तो वास वा बुर्जा का प्रयोग हो सकता है।

स्नान—इसका वर्णन कई प्रकार से हो सकता है। यह या तो मुख्य (जल क साथ) या पौष (जिना जल के) होता है और पुन ये दोनों प्रकार कई नामों में बँटे हैं। यल (२।४८) के मत से स्नान तित्य (आवष्यक—प्रति दिन वाक्य) भूमितिक (विन्ही विक्षय अवसरो पर किया जान वाला) एवं काम्य (जिसे फल-प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला) होता है। सभी वर्गों को प्रति दिन जल में या जल से सारे शरीर के साथ (सधिर) स्नान करना चाहिए (श्रीशतपथब्रह्मसूत्र २।४।४ मनु २।१७६ एवं ४।८।८२) तथा द्विजातियों का वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। इसे ही तित्य स्नान कहते हैं। जिना तित्य स्नान क होम रूप एवं अर्थ इत्य नहीं सम्पादित हो सकते (सख ८।२ एवं ख २।९)। शरीर गन्दा होता है, क्योंकि इससे दिन और रात मन्थवी निकला करती है अत प्रति प्रात स्नान करने से स्वच्छ करना चाहिए। इस प्रकार से स्नान द्वारा बुद्ध्य एवं अनुपपन्न फल प्राप्त निय जात है।

ब्राह्मण्य (१।९५ एवं १) ऋगु ब्राह्मण्य (१।१६, ७५) यल (२।९ एवं ४३) आदि क अनुवार ब्राह्मण मन्त्रों को दो बार प्रथम प्रात और दूसरा मध्याह्न में स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण्यिया के लिए दो बार तथा बानप्रस्था के लिए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है (मनु ६।९)। किन्तु मनु (१।२८) एवं याग यन्त्र (१।४८) के अनुसार बानप्रस्थो एक मयियों के लिए प्रात मध्याह्न एवं साय (तीन बार) स्नान करने की व्यवस्था है। स्मृत्यर्थसार (पृ २०) के अनुसार आश्वक बहुधा मध्याह्न क पूर्ण स्नान होता है यदि प्रात स्नान करने से, और प्रात ही प्रत करने वाले ब्राह्मणारी यज्ञ कराने बाक पुरोहित वेदपात्री ब्राह्म तथा ठप म लय हुए कोम स्नान करते हैं। यलघावन के उपरान्त सुयोध्य के पूर्ण ही स्नान कर लेना चाहिए (बिष्णुब्रह्मसूत्र ६।४।८)। शेषिब्रह्मसूत्र (२।२४) के अनुसार स्नान क समय मन्त्रपाठ करन म जपिक समय नहीं लपाना चाहिए, क्योंकि होम के समय (पूर्व विद्या म एक विद्या भर सूर्य के उठ जाने तक) पाठ वा होता ही है (देगिए मनु २।१५)। माध्याह्न स्नान रित के बीच प्राय म (जिन पाठ भाषा म विनाशित करने) करना चाहिए तथा साय म भृगुभूषी मिट्टी या बर पुष्प, बभन या बक कुप तिल एवं चन्धन होना चाहिए (यल २।४३ एवं ऋगु-म्यास २।९)। रात्री व्यक्ति का माध्याह्न स्नान नहीं करना चाहिए। तीमरा स्नान (बानप्रस्था एवं मयियों क लिए) सूर्यास्त क पूर्ण (सूर्यस्त क उपरान्त या प्रति में नहीं) कर लेना चाहिए। गवि-स्नान बजित है किन्तु ग्रहण विवाह जगम मरण वा विभी घन क समय यह बजित नहीं है। मनु (४।१२९ तथा बुम्भक की इस पर व्याख्या) एवं पराग (१।२।७) के अनुसार रात्रि की गचना विनियम का प्रहर के उपरान्त हानी है।

तित्य स्नान तीनक जल से होता चाहिए। साधारणत गर्म जल बजित है। पर (८। १) एवं यल (२।४४) के अनुसार गर्म जल या कुन्दे के लिए रक्षक हुए जल से स्नान करने पर अक्षय माध्याह्निक मुन्त्र घट नहीं जान होता। भूमितिक एवं काम्य स्नान तो प्रत्येक स्थान म वीतक जल से होने ही हैं जबक तित्य स्नान म ही बनी बनी ब्राह्मण पाया जा सकता है (गर्म स्मृतिबन्धिका १ पृ १२१ में उद्धृत)।

मनु (४।२.३) विष्णुधर्मसूत्र (६४।१२ एव १५ १६) याज्ञवल्क्य (१।१५९) ब्रह्म (२।४३) ब्यास-स्मृति (३।०-८) घन (८।२) तथा अन्य लोगो का कथन है कि प्रति दिन स्वामाविष जल में अर्घत् नदियो बाणियो (नन्दिरो सं सम्बद्ध) झीलों बहरे कुण्डो एव पर्वत-प्रपातो में स्नान करना चाहिए। किन्ती सूत्रो के बल (कूप वा कुण्ड आदि) में स्नान नहीं करना चाहिए, किन्तु अत्यन्त जरूज न हो तो कुण्ड के तल में से ३ वा ५ मुट्टी मिट्टी निवाकर वा कूप में से ३ वा ५ पत्रा जल निकालकर स्नान करना चाहिए। इस विषय में बात यह है कि ऐसा न करने से कुण्ड वा कूप वाला व्यक्ति स्नान करनेवाले के पुण्य का भागी हो जायगा (श्रीभायलधर्मसूत्र २।३।७) वा स्नान करनेवाला उसके पाप का भागी हो जायगा (मनु ४।२.०१ २ २)। यदि उपर्युक्त जग का स्वामाधिक जरूज न प्राप्त हो सके तो अपने घर के आँगन में कूपजल से इस प्रकार स्नान करना चाहिए कि बस्त्र भीग जायें। मनु (४।२.३) में प्रयुक्त नदी एव गर्त का अर्थ यो है—नदी वह है जो कम-से-कम ८ पधुप की लम्बाई की हो इसके छटे अन्य नदी-नाम गर्त को बताते हैं। धारण एव शारो में नदियाँ रजस्वला होती हैं (नन्व बल वाली होती हैं) अत उनमें स्नान बर्जित है कंबल उन्ही नदियो में इन मूढों को स्नान करना चाहिए वा समुद्र में गिरनी हैं। किन्तु उपाकर्में उत्सर्ग गरज ब्रह्म के समय इन नदियो में भी स्नान करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (६४।१७) में अनुसार क्रम से तिनोक्त जल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है पान में रखा हुआ जल कुण्ड-जल प्रपात-जल नदी का जल पर लोको द्वारा प्राचीन समय से प्रयुक्त जल एव मगा नदी का जल।

विभिन्न सूत्रो स्मृतियो एव निबन्धो में स्नान-विधि विभिन्न ढंग से बर्जित है। गोभिलस्मृति (१।१३७) के मत से प्रात एव मध्याह्न-स्नान की विधि समान है। यौत बल करनेवालो के लिए प्रात काक का स्नान उचित होता है। विष्णुधर्मसूत्र (६४।१८ २२) के अनुसार सरीर से धूल साबुन तथा जल एव मुरमुरी मिट्टी से यन्त्री स्वच्छ करके जल में उतरला चाहिए तब ज्ञस्वै की तीन ज्ञभाजो (१ १९।१.३) के साथ बल का अतिमन्त्र (बाह्याण) करना चाहिए (आपो हि ष्ठा) इसी प्रकार चार मन्त्र ('हिरण्यवर्णा तैत्तिरिय सहिता ५।१।१।१ २ एव 'ब्रह्माय प्रवक्षते' ऋग्वेद १।२३।२२ वा १।१८) कहने चाहिए। पानी में सके होकर तीन बार 'अमर्षण' सूक्त (ऋग्वेद १।१९।१३ ऋतुध मत्पम आदि) वा 'तद् विष्णोः परम पदम्' (ऋग्वेद १।२२।२) वा हुपरा गावत्री (आवशमेयी संहिता २।१२) वा 'युञ्जते मन के साथ अनुवाक (ऋग्वेद ५।८।१।१-५) वा पुष्यसूक्त (ऋग्वेद १।१९।११९) पढ़ना चाहिए। स्नान करने के उपरान्त भीने कपडो में साथ जल में ही डेरलाओ एव पितरी का उत्पन करना चाहिए। यदि बस्त्र-परिवर्जन कर लिया हो तो पानी से बाहर जाने पर भी उत्पन हो सकता है। वाज बल भी बहुत-से ब्राह्मण पानी में सके होकर पुष्यसूक्त का पाठ करते हैं। और वैश्विण्य षडस्मृति (९) मदनपारिजात (पृ २७-२७१) गृहस्वरत्नाकर (पृ २ ३ २ ८) एव पराशरभाष्यीय (१।१ पृ २७४ २७५) आदि, बर्षा षडस्मृति (अध्याय) उद्धृत है। कात्यायन के स्नानसूत्र (गृहस्वरत्नाकार पृ २ ८ २११ में उद्धृत) में भी स्नान-विधि सविस्तर बर्जित है, जिसे यहाँ स्नानागत से नहीं किया जा रहा है।

अपराध द्वारा उद्धृत शौचान्तरबन्धन में आना है कि यदि कोई विस्तार के साथ स्नान न करला जाहे तो सजा में इतना भी करना चाहिए—जल का अतिमन्त्रण आचमन तब मार्जन (दूध से सरीर पर बल छिड़ना) इसके उपरान्त स्नान तथा अमर्षण (ऋग्वेद १।१९।१३)। गृहस्वरत्नाकर (पृ २१५ २१७) पधुपुराण एव नृसिंहपुराण की विधि उद्धृत करते बहूता है कि पधुपुराण की विधि सभी बर्षो के लिए मान्य है सभी वैदिक ऋत्वालो के लिए समान है केवल सूत्रों के लिए वैदिक मन्त्रपाठ बर्जित है। स्मृत्यर्षाण (पृ २८) में भी स्नान का एक संक्षिप्त बर्णन उपरिष्ठ किया है।

स्नान करने समय दूध तिपयो का पाकन परमावश्यक है। पौतम (९।६) के अनुसार बस्त्रहीन होकर

स्नान नहीं करना चाहिए, और न सारे कपड़ों के साथ ही बेबस नीचे का बन्धन पर्याप्त है। मनु (४।२९) के अनुसार कपड़े न उतराने स्नान नहीं करना चाहिए। उस के भीतर मूत्रत्याग करना एक घरीर रवङ्गा नहीं चाहिए, यह एक त्रिकारे पर आकर करना चाहिए। उस को पैरों से न पीटना चाहिए और न एक भार से हलबाग बकर धार मठ का रिक्ता देना चाहिए (सुहृत्स्वयत्नाकर, पृ १९१ १९२ बसिष्ठ ६। ६ ३७)।

आधुनिक काष्क के मासुन की मति प्राचीन काष्क म मिट्टी का प्रयोग होता था। आजकन भी देहाता म नारियाँ कले गिर को चिक्की मिट्टी स या बेसन से बंती है। मिट्टी पवित्र स्थान से ली पानी की म नि बन्नीय बूहा ब बिन्न वा सय के भीतर बाली मार्ग वेड की वल मन्दिर क पास की। बिनी ब्यक्ति क प्रयोग क उपरान्त अथवा मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघु हारीत (७०-७१) क मत स आठ अगुल नीच की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, वा बर्ग की बर्ग सोय बहुत कम जाते हैं।

ब्रह्मचारियों को ज्ञानन्व लेकन तथा क्रीडा-कौतुक के साथ स्नान नहीं करना चाहिए, बेबस सक्की की मति पानी म डबकर नहाना चाहिए।

महाभारत दस एक अन्य लोगों के मत स स्नान द्वारा दस पुजा की प्राप्ति होती है, यथा मल रूप स्वर एक बर्ग की मुडि घरीर का मधुर एक यम्बुफल स्वर्ग विद्युद्धता थी मौकुमार्य एक सुन्दर स्त्री।^१

नैमित्तिक स्नान

पञ्चस्मृति (८।१ ११) ब्रह्मपुराण तथा अन्य सगी क मत से जल-स्नान छ योगियों म बाँटा गया है—
 नित्य, नैमित्तिक, क्षाम्य, क्षियाम, मत्तापकर्षण (या अर्घ्य-स्नान) एवं क्षिया-स्नान। नित्य स्नान (प्रति दिन का स्नान) ऊपर बयिन है नीचे हम अन्य स्नानों पर थोडा-थोडा लिख रहे हैं। जिन्हीं विविष्ट अवसग पर या कुछ विविष्ट स्थितियों या पक्षों स स्वर्ष ही स्नान पर बा स्नान किया जाता है (मल ही इनके पूर्व नित्य स्नान ही पुजा है)। उमे नैमित्तिक स्नान कहते हैं यथा पुनोर्पति पर, यज्ञ के अन्त म किसी सम्बन्धी के मर जान पर, ग्रहण क समय क्षति (पराधर १२।२६ एक बेबस)। इसी प्रकार किसी क्षानि ब्युत्पन्निक को (जिसका कोई मयकर अपराध किया है) आश्राक का मूर्तिता को उरबबसा को घब को घब धूनेबासे या घब केजानबासे को धू लने पर बन्धनहित स्नान करना की नैमित्तिक स्नान कहते हैं (यनिम १।४२८ २, बसिष्ठ ४।१८, मनु ५।८५ एक १ ३ मासबन्धन ३।३ लघु-आप्लवायन २।२४)। मनु (५।१४४) गलस्मृति (८।३) मार्चण्ड्यपुराण (६।४।३ ३) ब्रह्म-गुण (१।१।३) पराधर (७।२८) क अनुसार उरपी करने पर बर्ष (दम या क्षिय) बार मल-त्याग करन पर स्नान करना लेने पर कु स्वज वेदन पर सम्मोग कर लेने पर ब्रह्माह या रमदाभ म जान पर चिता के बुद से घरीर पिर जाने पर यज्ञ का स्रम्भ (सुप) छू लेन पर (जिमसे बाँधकर पशु की बलि देने है) मानव प्रग्नि छू जान पर करने का पवित्र करन क लिए स्नान करना चाहिए। आपस्तम्बमर्मसूत्र (१।५।१५।१९) मे लिखा है कि गुणा के बाट लेन कर वा छू लेने पर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार बीडा, पापुली, जैना सोहायना नाम्निता पृथिन काम्य कानसार विधानियां एक गुत्रा म स्वर्ष होने पर बन्ध के साथ स्नान करना चाहिए। मासबन्धन (३।३) की टीका

१ पुजा दस स्नानदीक धरले बल रूप स्वरत्नप्रमुडि। स्वर्गद्वय पर्यरक विद्युद्धता क थी: मौकुमार्य पराधरक मार्य ॥ उद्योग्यक ३७।३३। दस (५।१३) मे भी देहा ही कहा है (स्मृत्यर्षमार पृ २५)।

मिताक्षरा स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ ११७-११९) एक अन्य निबन्धों के मत संक्षुप्त पक्षियों (यथा वीजा) तथा वृष्ट पशुना (यथा—सूयों या जामीय भूजरो) को घृ सेने पर स्नान करना चाहिए।”

काम्य स्नान तथा अन्य प्रकार

किसी तीर्थ को जाते समय या पुण्य लक्षण में भन्दोष्य पर जो स्नान होता है माघ एक वैशाख मासों में जानकर कं सिद्ध प्रातःकाल जो स्नान होता है तथा इसी प्रकार कं जो स्नान किसी इच्छा की पूर्ति कं लिए किये जाते हैं उन्हें काम्य स्नान की संज्ञा मिली है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १२२ १२३)।

कूप मन्दिर बाटिका तथा अन्य जन-संस्थाप के निर्माण-कार्य में समय जो स्नान होता है उसे क्रियाय स्नान की संज्ञा मिली है। जब शरीर में तेज एव अशिला रुपाकर केवल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा से स्नान होता है तो उसे मलापकर्षक वा अमर्त्य-स्नान कहा जाता है। सूक्ष्म जीवसो के प्रयोग के विषय में मार्कण्डेय-पुराण (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १२२) बामनपुराण (१४४९) आदि में बर्णन हुई है। सप्तमी तृतीया एव पर्व की तिथियों में आमलक-प्रयोग विधि माना गया है। जब कोई किसी तीर्थ-स्नान पर यात्रा के फल-प्राप्त्यर्थ स्नान करता है तो उसे विद्या-स्नान कहते हैं।

बीमार व्यक्ति पर्व जन्म से स्नान कर सकता है। यदि वह उसे सह न सके तो उसका शरीर (सिर को छोड़कर) पल्ल बना चाहिए। इस स्नान को कापिक स्नान कहते हैं। जब रोगी के लिए स्नान करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है और वह इस योग्य नहीं है कि स्नान कराया जा सके तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे सूकर स्नान करना चाहिए, और जब यह क्रिया उस बाध सम्भारित हो जाती है तो रोगी व्यक्ति पवित्र समझा जाता है (बन बपचर्क पृ १३५, बह्मिक प्रवाल पृ १९७)। जब रजस्वला स्त्री जीभे बिना प्जर से पीकित हो जाय तो किसी अन्य स्त्री को बस या बार्ह्व बार उसे बार-बार स्पर्श करके बसपुष्ट स्नान करना चाहिए। मरु में रजस्वला की भोटी बरस ही जानी चाहिए। इस प्रकार वह पवित्र हो जाती है (उधना स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १२१ में उद्धृत)।

२१ (१) पुत्रजन्मनि ध्ये च तथा चात्पयकर्मणि । राहोर्विद्य बर्द्धनेस्नानं प्रसक्तं नाप्यथा निशि ॥ पराशर १२।२६।

(२) पतितश्चक्रान्मृत्तिकोवक्याद्यवस्मृच्छितस्तपुष्यपुनस्तपनि सचोर्भोवकोपत्पर्सताञ्जुष्येत् । सचत्पुनने च । गौतम १४।२८-२९ सपिण्डमरणे चैव पुत्रजन्मनि चै तथा । स्नानं नैमित्तिकं शल्ल प्रवहन्ति सङ्घर्षकः ॥ अथ्वात्पयकाम्य २।२४।

(३) कु-रुजने मेनुने बान्ते विरिक्ते क्षुरकर्मणि । चित्तिमुपसमाज्जानास्नानां त्यग्ये स्नानमाचरेत् ॥ पराशर (याज्ञवल्क्य ३।३ पर मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ; क्षुरकर्मणि बान्ते च स्त्रीसंभोजे च पुष्कल । स्नायीत् वेत्सवाग्रात् कश्च मुनिमुषेय च ॥ मार्कण्डेयपुराण ३४८९-८३ वैश्विण्वी बीशाम्लवर्षस्तुत्र १।५।५२।

(४) बीशाम्लशुफलात् स्पृष्ट्वा लोकायतिकनासिकान् । विरुर्मत्वात् द्विजान् सूडाम्शवासा ब्रह्मामिषेत् ॥ ब्रह्माण्डपुराण (याज्ञवल्क्य ३।३ की बीका मिताक्षरा) ; स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ ११८) में बर्द्धनि-शान्त की उद्धृत क्रिया है—बीडान् पाशुपताञ्जरीनाम् लोकायतिकनासिकान् । विक् स्पृष्ट्वा तवासा ब्रह्मामिषेत् ॥

गौण स्नान

एक डाय स्नान को बाध्य स्नान कहा जाता है (ऋग्वेद ७।४९।३ के अनुसार बरग पानी के देवता हैं)। अन्य गौण स्नान हैं—मन्त्र-स्नान भीम स्नान आग्नेय स्नान बाध्य स्नान द्विष्य स्नान मातस स्नान। इस प्रकार बाध्य को लेकर छान गौण स्नान कहे जाते हैं। ये स्नान रोमियो के लिए, समयाभाव या उक्त समय के लिए हैं जब कि गौण स्नान मुख्य स्नान करने में कोई कठिनाई या गड़बड़ी हो। दण (२।१५ १९) एव पराशर (१२।९ ११) ने भीम एवं मातस प्रकारों को छोड़कर सभी गौण स्नानों की बर्षा की है और मन्त्र-स्नान के स्नान पर ब्राह्म-स्नान रखा है। वैशम्पैय बृहस्पति (१।२ एव ५) ने मन्त्र एव पूर्वजन्तु का समानार्थक माना है। गर्भ एव बृहस्पति ने भीम एव मातस को छोड़ दिया है और सारस्वत-स्नान जोड़ दिया है। सारस्वत-स्नान में कोई विद्वान् व्यक्ति आशीर्षकन भी करता है तथा—“गुम मया तथा अन्य पवित्र जलो स मुक्त सोम के भद्रो से स्नान करो” (आह्निकप्रकाश पृ १९९ १९७)। मन्त्र-स्नान में ‘आपो हि ष्ठा’ (ऋग्वेद १।९।१ ३) नामक मंत्र में साधु जल का छिड़काव होता है, भीम (या पार्ष्णि) व बृहस्पति मिट्टी धरीर में पेश की जाती है आग्नेय में पवित्र जिभ्रियो (यज्ञ मा होम की राखी) से धरीर स्वच्छ किया जाता है बाध्य में भी के बुरो से उठती हुई बूँक से स्नान करना होता है। द्विष्य में घूर्ण की बिरयो के उठते (शूर में) बर्षा में स्नान करना होता है तथा मातस में भयवान् जिष्णु का स्मरण मान पर्याप्त होता है।

तर्पण

देवताओं-हृदियों एवं पितरों का जल देना स्नान का एक अंग है। तर्पण ब्रह्म-यज्ञ का भी अंग माना जाता है। यत्र म निर एक डबकी से लेने के उपरान्त जल में लड़े रूप में ही तर्पण किया जाता है (वेदिए मनु २।१७६, जिष्णु-वर्षमूत्र १।४२३-२४ पराशर १२।१२ १३)। ‘अजलि व पाण की ओर जल दिया जाता है। बरग-परिचर्जन करके वर पर ही तर्पण किया जा सकता है। तर्पण के विषय में कई एक मत हैं। कुछ लोगों के मत से स्नान के उपरान्त गुरुत ही तर्पण करना चाहिए, यह सम्भ्या-युजन के पूर्व होना चाहिए, और पुन उगी दिन इसे ब्रह्मयज्ञ के अंग के रूप में करना चाहिए। जिष्णु कुछ अन्य लोगों के मत से दिन में केवल एक बार सम्भ्या-पार्ष्णा के उपरान्त इसे करना चाहिए (आह्निक प्रकाश पृ १९१)। अगनी-अपनी पाखा (बैरिड सम्प्रदाय) के अनुसार ही तर्पण किया जाता है। ब्रह्मयज्ञ में वर्णन के रूप में तर्पण के विषय में कुछ लिखते।

जिष्णुवर्ममूत्र (६।१९ १३) के अनुसार स्नान के उपरान्त पानी को हटाने के लिए घिर नहीं करना चाहिए हुए में भी पानी को नहीं पीजना चाहिए और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त बरन प्रयोग में लाना चाहिए अथवा निरवा रोमियो में डब देना चाहिए और बुले हुए एव सूखे दो बरन बारन कर मन चाहिए।

वस्त्र-धारण

ब्रह्मधारी के वस्त्र-धारण के विषय में पहले ही बर्षा ही बुरी है (माय २ अध्याय ७)। यही गृहस्था के परिचल के विषय में मरिचिप बर्षा की जा रही है। वैरिच साहित्य में बगार्ड-नुगार्ड की बर्षा आत्मकारिक रूप में हुई है (ऋग्वेद १।११।४ २।३।९ ५।२।१।१५ १।१ ९।१)। ऋग्वेद (९।१।२ ३) में ‘तन्तु’ एव ‘जोतु’ व नाम आया है। परिचल में पहनने के लिए ‘ब्रह्म’ या ‘बह्व’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तर्पितोप महिना (९।१।१।३) में आया है कि किंचिद वस्त्र के लिए हीना लेने समय व्यक्ति को लीम (बल का बना हुआ) वस्त्र धारण करना पटना था। काटन महिना (१५।१) के उल्लेख में पना बलना है कि कुछ हृद्यों में शीम वस्त्र गुल्म रूप में दिया जाता था। अथर्ववेद में

बाहरी बस्त्र का 'वास' एवं भीतरी को 'नीचि' कहा गया है (८।२।१६)। ऋग्वेद (१।१६२।१६) में अग्निबाध' शब्द भी आया है जो सम्भवतः आचरण या भूषण का संकेत है। तैत्तिरीय ब्रह्मिणी (२।४।१।२) में उसके मूल के धर्म का वर्णन हुआ है। धत्तपत्रशास्त्र (५।२।१।८) में कुस-वास का नाम आया है। 'बीर' शब्द का अर्थ 'कुस-वास का बना हुआ' या 'बीर्य अर्थात् रिद्धि का बना हुआ' हो सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (२।३।६) में काष्ठ रज मे रंसे हुए बस्त्र के साथ स्वेत रज के ऊनी बस्त्र की चर्चा हुई है।

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में बस्त्र ऊनी या सन का बना होता था रेशमी (बीर्यक) बन्ध वृत्त अक्षरी पर चारण किया जाता था मृगधर्म भी बस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था तथा बस्त्र काष्ठ रज मे रंसे भी जाते थे। सूती बस्त्र होते थे कि नहीं इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूची एवं मनुस्मृति में सूती कपड़ों की स्पष्ट चर्चा मिलती है इससे प्रकट होता है कि इनके कई शताब्दियों पूर्व सूती कपड़ों का आविष्कार हो चुका था (विष्णुधर्मसूत्र ७।१।१५ एवं ६।१।२४ तथा मनु ८।१।२६ एवं १।२।६४)। यूनानी एरियन ने उल्लेख से पता चलता है कि भारतीय बस्त्र लई का बना होता था।

भाष्यस्तम्भधर्मसूत्र (२।२।४।२२-२३) के अनुसार बृहस्पति को ऊपरी तथा नीचे के अंगों के लिए बस्त्र तथा यदि बरिच हो तो एक बनेऊ चारण करना पड़ता था। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।१४) के अनुसार स्नातक को (को छात्र-जीवन समाप्त करके लौटता है) ऊपर और नीचे वाला बस्त्र तथा एक जोड़ा बनेऊ (दो यज्ञोपवीत) चारण करने पड़ते थे। श्रीशायनधर्मसूत्र (१।३।२) में भी यही बात कही है किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि स्नातक को पगड़ी पहनी जायित् मृगधर्म ऊपरी बस्त्र के रूप में धारण करना चाहिए तथा जूते और छाता प्रयोग में लाने चाहिए। अथर्व (पृ १३३ १३४) में ब्याघ्र एवं योगयाज्ञवल्क्य को उद्धृत करके 'उपर्युक्त बातों दुर्ज्ञापनी हैं तथा योगयाज्ञवल्क्य की यह बात भी किन्ती है कि यदि दूसरा स्वच्छ किवा हुआ बस्त्र न मिल सके तो ऊन का कम्बल या सन का बना हुआ बस्त्र धारण करना चाहिए। श्रीशायनधर्मसूत्र (१।१।५ ६, १-११) में यज्ञ एवं पूजा के समय नवीन या स्वच्छ बस्त्र धारण की बात कही है। यज्ञ करनेवाले उसकी स्त्री तथा पुरोहितों को स्वच्छ एवं हवा में सुपाय हुए बन्ध चारण करने चाहिए, किन्तु अग्निधार (अनुबो की हाथि) करने के लिए औ यज्ञ किये जाते हैं उनमें पुरोहितों को काष्ठ रज मे रंसे हुए बस्त्र एवं पगड़ी धारण करनी चाहिए। वैश्वि' यज्ञो में सन के बने हुए बस्त्र उनमें ब्रह्मण में सूती या ऊनी कपड़े धारण किये जाने चाहिए। वैमिनि (१ ४।१।३) की व्याख्या में सन के श्रुति-उक्तिवा उद्धृत की है और कहा है कि यज्ञ करनेवाले तथा उसकी पत्नी को आदर्श यज्ञ में नवीन बस्त्र चारण करना चाहिए तथा महाशय में नवीन बस्त्र के अतिरिक्त ताप्य (रेशमी बस्त्र) तथा कुस पास का बना हुआ बस्त्र (पत्नी के लिए) धारण करना चाहिए।" केदा ध्ययन देवालय रूप ताकाह आदि के निर्माण के समय दान देने समय भोजन करते समय या आचमन करते समय उत्तरीय धारण करना चाहिए। यही बात विष्णुपुराण (३।१।२।२) में भी कही है।" इन विषय में अन्य मन्त देना

२२ कहायते ध्ययने ताप्यं यज्ञदान परिपत्त धर्मसय परमी इति। अस्ति तु प्रहृती अहृतं वासः परिपत्ते इति। शबर(वैमिनि १ ४।१।३)। ताप्यं चित्त प्रहार पवित्र किया जाता है। इसके लिए देनािए श्रीशायनधर्मसूत्र (१।१।३।३)। 'अहृतं' शब्द के दो अर्थ हैं: (१) कपड़े पर ले ले नीचे आया हुआ नवीन बस्त्र (विवाह या इसके समान संनसमय कृत्यों में) (२) वह बस्त्र जो बीरर स्वच्छ कर दिया गया है किन्तु नहीं तो प्रयुक्त नहीं हुआ है और वास्तव में बिल्कुल नवीन है और उसकी बीर आदि दुपत्त है। देनािए स्मृतिचिन्ता (१ पृ ११३)।

२३ होयदेवार्थनादानु विधानु पठने तथा। नैव बस्त्र प्रकृतं द्विजो नाचमने जये ॥ विष्णुपुराण ३।१।२। (श्रीमार्ति द्वारा अन्वय पृ ३५ में उद्धृत)।

वना पीतम (११४-५) आपस्तम्बधर्मसूत्र (११११३ ११ १३) श्रीधायनधर्मसूत्र (२१८१२४) मार्कण्डेयपुराण (३१४२४३)। पीतम आपस्तम्बधर्मसूत्र मनु (४१३४ ३५) याज्ञवल्क्य (१११११) तथा अथ्य सोगा के मत से साठह एक गृह्यम्ब को स्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और वे वस्त्र रंगीत महुँये या बटे-फ्ले गम्बे या हुँये द्वारा प्रयुक्त नहीं होने चाहिए।^{२४} साक (कायाय) कपडा धारण करने अप हीम धान धाउ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वे रेश्ता क पास नहीं पहुँच सकते।^{२५} नील के रंग म रँगा हुआ वस्त्र भी बजित है यदि ऐसा कोई बरखा या तो उस उपवास करना पडता था और पञ्चमय्य पीना पडता था। गौधम (११५-७) मनु (४१६६) विष्णुधर्मसूत्र (७११४७) मार्कण्डेयपुराण (३४१४२ ४३) के अनुसार हुँये के द्वारा प्रयोग म काये गये जूते कपडे यजोपवीत धामुपम माता यडा अपने प्रयोग मे नहीं साज चाहिए, किन्तु यदि वे मिल्क न सँचें तो जूते मारण एक वस्त्र मोकर काम य लाने का सकते हैं।^{२६} स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ ११३) म उदरत गर्ग के मत से ब्राह्मण क्षत्रिय एक वैश्य को कम से स्नेन कास के साथ कमलीके तथा पील एक शूद्र को काले तथा मग्ने वस्त्र धारण करने चाहिए। महाभारत क अनुसार रेश्पूतन के समय के वस्त्र मार्ग मे चलते समय या सोते समय के वस्त्रो से भिन्न होने चाहिए। पशुधरमाधवीय द्वारा उदरत प्रशापति के अनुसार सर्वत्र के समय रेश्मी वस्त्र पहनना चाहिए, या बहु जिसका रंग मारणी हो किन्तु शरीरे रंग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए।^{२७} सम्भवत इसी कारण कालान्तर म मोक्षन एक देवपूजन के समय घाउ के कुछ प्रांतो मे रेश्मी वस्त्र के धारण का नियम-खा ही गया है। मनु (४११८) एक विष्णुधर्मसूत्र (७११५ ६) के मत से बाली कपडाका स्वयंसाय धन किशा कुछ एक रेश् के अनुसार वस्त्र धारण करना चाहिए। धानप्रस्य एक स्व्यामियो क वस्त्र-धारण के विषय मे हुम माग पड़ेये। नीचे के वस्त्र क धारण की विधियो के विषय म स्मृतियो म नियम पाबे जाने हैं। निषका वस्त्र तीण स्थानो पर बँधा हुआ (नि-कण्ठ) या लोमा हुआ होता चाहिए, यथा—नाभि के धाम, बायी ओर और पीछे की ओर। बहु ब्राह्मण शूद्र है जो पीछे की लीग या पिछुआ को पीछे की ओर नहीं बाँधा या एक छोर को पीछे पहुँच नी भाँति कटका देता या गरुत डम स यकत स्थान पर बाँधना है या इसने कुम हुए भाग को उमन कटि के चारो ओर बाँध लिया है या छरीर के ऊमरी भाग को नीचे के वस्त्र से ढँक लिया है (हेमिण स्मृतिमुक्तावक माह्विक पृ ३५१ ३५३ एव स्मृतिचन्द्रिका १ पृ ११३ ११४)।

२४ सति विमये न श्रीधर्मलजडाताः स्यात् । न रक्तमुक्कधमन्धपूतं धासो विमुपयत् । पीतम ११४-५ लार्निनात्पातासति बजियेत् । हुप्य च स्वाभाविजम् । अनुभूनासि धासो बसोत् । अप्रतिहृष्टं च धक्षितविषये । आप-
स्तम्बधर्मसूत्र (११११३ ११ १३) ।

२५ कायायमाशा धानुस्ते अपशीनप्रतिग्रहान् । न तद्देवधर्मं भवति हृष्यकध्वेयं यदुपधि ॥ श्रीधायनधर्म-
सूत्र २१८१२४ (अपराध पृ ४३१ मे उद्धृत) ।

२६ यजान्द्रव्यमास्यादि वृत्तधर्म्यं धारयेत् । उपवीतमलकारं कर्तव्यं चैव बजयेत् ॥ मार्कण्डेयपुराण ३४१-
४२-४३ ।

२७ अन्धरेव भवेद्दालः क्षयनीयेत्येव तु । अन्धइध्यानु देवानामर्थायामन्धरेव तु ॥ अनुशासन पर्व १ ४
४६ (अपराध द्वारा पृ १७३ मे तथा गृह्यसाराकार द्वारा पृ ५ १ मे उद्धृत) । माधवीये प्रशापतिः ।
श्रीम बालः प्रशापति तर्पणे सपुत्रा तथा । कायाय धानुरत्न वा मोक्षधर्मं तत्तु बहिर्बिन् ॥ आचाररत्न पृ ३३
(ब) ।

तिलक या चिह्न-अंकन

स्नानोपपन्न आचमन करते (धर्म २।२) अपनी छाति एवं सम्प्रदाय के अनुसार मस्तक पर चिह्न बनाता चाहिए, जिसे तिलक उर्ध्वपुष्प विपुष्प आदि कहा जाता है। इस विषय में ब्राह्मणव्यकरण (पृ. २४८-२५२) स्मृति-मुक्ताफल (ब्राह्मणिक पृ. २९२ ११) में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। ब्रह्माण्डपुराण में बताया है कि उर्ध्व-पुष्प (मस्तक पर एक या अधिक कहीं रेखाओं) के लिए पर्यंत-सिन्धु, लकी-सट (गंगा सिन्धु आदि पवित्र नदियों क सट) विष्णु के पवित्र स्वच्छ बस्तीक एवं तुलसी की जड़ से मिट्टी लेनी चाहिए।^१ अंगूठा मध्यमा एवं अनामिका का ही प्रयोग तिलक देते समय होना चाहिए, तल का स्पर्श मिट्टी से नहीं होना चाहिए। चिह्न के स्वस्थ निम्न प्रकार से होने चाहिए शीप की की बंस की पत्ती कमल की कली मछली कज्जा घड़ के समान चिह्न का आकार हो से लेकर इस अनुसार तक हो सकता है। ये चिह्न मस्तक छाती गले एवं गले के नीचे के गहरे पेट, बाम एवं दक्षिण भ्रूण, बाहुओं कानों पीठ, पर्यंत के पीछे होने चाहिए और इन बारहों स्थानों पर चिह्न लगाते समय विष्णु के बाण नामों (केचन मातृव्य आदि) का उच्चारण होना चाहिए। विपुष्प चिह्न (शीप टोही रेखाएँ) मस्त से तथा तिलक चरण से किया जाता है।^२ ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार स्नान करने के उपरान्त मुरमुरी मिट्टी से उर्ध्वपुष्प इस प्रकार बनाया जाता है कि बड़ हरि के चरण के समान लगने लगे इसी प्रकार होम के उपरान्त विपुष्प तथा बेबपूजा के उपरान्त चरण से तिलक लगाया जाता है।^३ स्मृतिमुक्ताफल (ब्राह्मणिक पृ. २९२) ने बाभुबेधोपनिषद् का मत प्रकाशित किया है कि शीपीचन्वन या उसके अनामक म तुलसी की जड़ की मिट्टी से मस्तक तथा अन्य स्थानों पर उर्ध्वपुष्प चिह्न बनाया चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल द्वारा उद्धृत (ब्राह्मणिक पृ. २९२) विष्णु क मत से यदि बिना उर्ध्वपुष्प के यज्ञ दान जप होम वैवा ध्ययन पितृ-सर्पण किया जाय तो निष्फल होता है। बृहदारण्यकस्मृति (२।५८-७२) में उर्ध्वपुष्प के विषय में बड़े विस्तार के साथ लिखा है। स्मृतिमुक्ताफल (ब्राह्मणिक पृ. २९५) ने सिखा है कि पाशुपत एवं अन्य शैव सम्प्रदाय के लोगों में उर्ध्वपुष्प की निम्ना की है और विपुष्प की प्रशंसा की है इसी प्रकार पाण्डुराज के कवनों से विपुष्प की निंदा तथा शत्रु चक्र, नवा तथा विष्णु के अन्य आयुध चिह्नों की प्रशंसा सम्झती है। माण्ड सम्प्रदाय के वैष्णव भक्त लोग अपने शरीर पर विष्णु के आयुधों यथा—शक्र चक्र आदि को गरम चालु (छत्त मुद्रा) द्वारा अंकित करते हैं (भारतीयक काल में ईसाई लोग भी काल कोड़े से मस्तक पर 'क्रास' का चिह्न लगाते थे)। बृहदारण्यक (२।४८-४५) पृष्ठीकत्रोचक आदि ग्रन्थों में इस प्रकार के चिह्नानकन (गरम कोड़े से शरीर पर शक्र आदि के चिह्न लगाने) की मस्तता की है और उसे शत्रु के लिए ही योग्य माना है। किन्तु बामपुराण एवं विष्णुपुराणों में ऐसे चिह्नानकन का समर्थन किया है (स्मृत्युक्तार द्वारा उद्धृत)। कामादिनखोलनिषद् में विपुष्प लगाने की विधि का वर्णन है। इसी प्रकार स्मृतिमुक्ताफल (ब्राह्मणिक पृ. ११) आचारमयुक्त आदि में भी इसके बारे में विभिन्न मत प्रस्तुत किये हैं। स्मृतिमुक्ताफल

२८. वर्णसंज्ञक नदीतीरे मय शोभे विवेकतः। तिलगुतीरे च क्लीकैः तुलसीमुक्तमाश्रिते ॥ मुत्र पृतास्तु तत्राह्वय
वर्णविरह्याभूतिरका ॥ ब्रह्माण्डपुराण (स्मृतिचक्रिका १ पृ. ११५); और बेहिए निम्नाह्वयश्रीप पृ. ४२-४३।

२९. उर्ध्वपुष्प मुद्रा कुपरिनिपुष्प मस्तका तथा। तिलकं च चिह्नः कुपरिनिपुष्पेन चतुष्कला ॥ ब्राह्मणिकव्यास,
पृ. १५ एवं अवनवारिजस्त, पृ. २७९ द्वारा उद्धृत। विपुष्प की परिभाषा यों की गयी है—शुभोर्मध्यं तमारम्य धान-
वन्ती भवेद् मुद्रा। मध्यमात्मिकानुसुतोर्म्ये तु प्रतिशोभतः। अपुष्पेन कृता वैवा विपुष्पानुवाचिधीयते ॥

३. द्वारवत्पुद्गल शीपीचरण बेंक्योद्भवम्। तन्पराक प्रकुर्वति पुष्प हरिपरकृतिम् ॥ भाण्डकाले विवे-
केन कर्ता भवेत्ता च चारण्ये। बृहदारण्यक ८।१७ १८।

(बाह्यिक पृ ३१) न उन कागा की मर्त्या की है जो बैलको एक हीका के चिह्नका वा मेव एव सगडा लान करते हैं।

लान क उपरान्त सन्ध्या (याज्ञवल्क्य १।९८) की जाती है। इसका वर्जन हमने उपनयन क सन्ध्याय (७) न कर दिया है।

होम

सन्ध्या-नयन के उपरान्त होम किया जाता है (ब्रह्म २।२८ एव याज्ञवल्क्य १।९८ ९९)। यदि ब्राह्मण प्रातः लान करने लम्बी सन्ध्या करे तो उसे होम करने का समय नहीं प्राप्त हो सकता। एव मत स सूर्योदय के पूर्व ही होम होना चाहिए (अनुब्रिते ब्रुहोति) और दूमरे मत से सूर्योदय के उपरान्त (उब्रिते ब्रुहोति) किन्तु दूमरे मत से भी पूर्व के एक बिना उमर बचने के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (गोमिच्छस्मृति १।१२३)।^१ चायकाल का होम ठब हुआ चाहिए जब तारे निकल जाये हो और पश्चिम दिक्षिज म वरजामा समाप्त हो गयी हो (गोमिच्छस्मृति १।१२४)। शास्त्रायनयोक्तृसूत्र (२।२) एव आप्तसायनगृह्यसूत्र (१।९।५) के अनुसार होम संग्रह (पितृ की अर्चन क पाप का क द्वितीय माग) क उपरान्त होना चाहिए। इसी से कुछ लोगों ने प्रातः सन्ध्या के उपरान्त होम की बात कही है (द्वैतिए, स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १६३ म उद्धृत भगडाब नित्याचारपद्धति पृ ३१४ एव सत्कारप्रकाश पृ ८९)। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि मनव्य पर तीन ऋण होते हैं देवऋण अधिऋण एव निवृऋण क्रिमम उक्त की हम होम द्वारा चुकाने का प्रयत्न करते हैं और इसीलिए जीवन मर अनिहोन सम करन की व्यवस्था है। किन अग्नि म होम होना है यह भीत या स्मार्त ही सकता है। भीत अग्नि के लिए कुछ नियम थे: कबल नहीं ध्वनिग किनक सेव पने न हो और पुत्रवान् है या उस व्यवस्था का है जब कि वह पुत्रवान् ही सकता है भीत अग्नि प्रम्बलित कर सकता था। यही अग्नि उत्पन्न करन के विषय म भी मत हैं। बसिष्टकर्मसूत्र (१।१।५ ८८) के मत म “बाह्यन के लिए तीन भीत अग्नियाँ प्रज्वलित करना अनिवार्य था और उनम दर्श-पूर्वमास (समाप्तस्य एव पूर्वमासी क स्य) बाह्यन इष्टि, चानुर्मास्य पद्य एव सोम यज्ञ किये जाठे क कर्वाणि पना करना नियम था और इसे ऋष चुकाना मानन थे।” वेमिनि (५।४।१६)की व्याख्या म धरर ने लिखा है कि पवित्र अग्नि की स्थापना का कोई विनिष्ट विधिगत नियम नहीं था किसी भी दिन पवित्र अग्निमाया उत्पन्न होने पर अग्नि स्थापित की जा सकती थी। बिराभ्र कणन (१।९-७) में भी मत प्रकाशित किये हैं—एक मत से आप्तन (अग्नि अग्नि का प्रज्वलित करना) नित्य (अग्नि कर्म) है, किन्तु दुसरे मत म यह केवल काम्य (किसी उद्देश्य की पूर्ति क छिप किया गया) है। आ ध्वनिग पवित्र अग्नि

११ सन्ध्याकर्मविधाने तु स्वय होमो विधीयते। ब्रह्म २।२८; प्रातुत्करजमनीना प्रसतर्भता क बर्दान्तु। एतन्पूर्व रविर्वावद् मिर्द-हिल्वा न गच्छति। ताचडोमविधिं पुष्पी नाप्योऽभ्युदितहोमिनाम्॥ गोमिच्छस्मृति १।१२२ १२३। होमकाल के विषय मे मनु (२।१५) में कई मत किये हैं। और द्वैतिए स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १६१ बीषायन-पुष्ट क परिशिष्ट १।७२। स्मृत्यर्थसार पृ ३५—आप्तहोमि सयकालः कालस्त्वनुब्रिते तथा। तापनस्तमिते होमकालम् तु न कश्चित् ॥

१२ मनु (४।२६) के मत से कर्वा काल के उपरान्त महीन म्रम के आगमन कर ‘मापयचरिष्ट’ की जानी थी तनु-यज्ञ पतारपय एव इतिहास के आरम्भ मे किया जाता था (अर्चना हो बार) और सामयज्ञ कय के आरम्भ म केवल एक बार किया जाता था। द्वैतिए याज्ञवल्क्य (१।१२५ १२६)।

प्रज्वलित करता था वह उसमें प्रति दिन आहुतियाँ डालता था। बहुत प्राचीन काल में भी बहुत ही कम लोग शीत अग्नि प्रज्वलित रखते थे। गृह्यसूत्रों एवं धर्मसूत्रों में ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कुछ लोग अग्नि प्रज्वलित रखते थे और कुछ लोग नहीं (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१।४)। वेदाध्ययन करना मनस्कार करना एवं अग्नि में समिधा डालना भी वास्तविक यज्ञ माना जाता था। इससे स्पष्ट है कि शीत अग्नि सबके लिए अनिवार्य नहीं थी। किन्तु प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की बड़ी महत्ता थी (आश्वलायनविनय ५।२।४।५)।

शीत पवित्र अग्नियाँ (शत) थीं आर्यवर्णीय गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि। आर्यवर्णीय अग्नि-स्नान वस्त्रादि, गार्हपत्य का वृत्ताकार (क्योंकि पृथ्वी गोल है) एवं दक्षिणाग्नि-स्नान चक्र के गोचरार्थ के बराबर होना था। गार्हपत्यो एवं शीतसूत्रों में अग्न्याधान (अग्नि प्रज्वलित करने) कतिपय मन्त्रों एवं उनके विस्तार के नियम में लम्बा विवरण दिया गया है। हम स्नान-संकोच के कारण इस बातों का विवेचन यहाँ नहीं उपस्थित करेंगे। इस भाग के अन्त में शीत यज्ञों के नियम में जोड़ा विवेचन उपस्थित कर दिया जायगा। कमयम दो सहस्र वर्षों से पशु-यज्ञ एवं सोम-यज्ञ बहुत कम हुए हैं केवल कुछ राजाओं सामन्तों एवं धनिक लोगों ने ही ऐसा किया है। मध्य काल में कुछ ब्राह्मण सोम अनासत्या एवं पूर्वमासी के यज्ञ आप्रयत्न इष्टि एवं चातुर्वस्य यज्ञ करते थे। किन्तु आधुनिक काल में ऐसे भी यज्ञ नहीं होते दिखाई पड़ते। सहस्रा ब्राह्मणों में एक अग्निहोत्री का मिथ्या भी पठित ही है।

जो व्यक्ति पवित्र अग्नि प्रज्वलित करता था वह प्रातः एक साथ नित्य शीताग्नि में अग्निहोत्र अर्वात् कुट्ट की आहुतियाँ डालता था। प्रत्येक नृहस्य को प्रातः एक साथ होम करना पड़ता था (मनु ४।२५, याज्ञवल्क्य १।१९, आप-स्तम्बस्मृत्युक्त १।४।१।१२२ एवं १।४।१।४।१)। जो लोग शीत अग्नि नहीं बजाते थे किन्तु होम करते थे उनकी अग्नि को भीपासन आनसम्य शीतघर वैवाहिक स्मार्त या गृह्य या सामाजिक बड़ा जाता था। कुछ लोगों के मत से गृह्याग्नि वैवाहिक अग्नि है और यह विवाह के दिन ही प्रज्वलित की जाती है। हमने पहले ही देखा कि यज्ञ कर विवाहोपरान्त अन्न घास को खीटा या ठी विवाहाग्नि भी उसके आन-भाग से खायी जाती थी। जिस पात्र में वैवाहिक अग्नि ली जाती जाती है उसे उज्जा कहते हैं (देखिए आपस्तम्बगृह्यसूत्र ५।१४।१५)। आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।१।३) के मत से पाणिग्रहण के उपरान्त उस या उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री या शिष्य को गृह्याग्नि की पूजा करनी पड़ती है। इसकी पूजा (होम) लगातार हँली चाहिए। जो सरता है कि किसी कारण वैवाहिक अग्नि बुझ जाय यथा पत्नी के मर जाने या असावधानी के कारण ठी ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लौकिक अग्नि या पञ्च अग्नि (मोक्ष बनाने वाली अग्नि में) में प्रति दिन होम करना चाहिए। इस प्रकार अब तक हमने पाँच प्रकार की अग्नियों के नाम पढ़े यथा—शीत शीत अग्नि (आर्यवर्णीय गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि) शीपासन या गृह्याग्नि तथा लौकिक। एवं अन्य अग्नि भी हली है, जिसे तम्य (भीर यह है छपी अग्नि) कहते हैं। मनु (३।१८५) की व्याख्या में महादिभि ने लिखा है कि तम्य अग्नि यह है जो किसी व्यक्ति के प्रकोष्ठ में शीत होयाने एवं उष्णता जाने के लिए प्रज्वलित की जाती है। पतञ्जलब्राह्मण के अनुवाकन में लिखा है कि तम्याग्नि शक्ति की द्वारा प्रज्वलित की जाती थी। वाल्मीकि-श्रौतसूत्र (१।१२) के अनुवाकन तम्य अग्नि भी गार्हपत्य की मूर्ति मानन से उत्पन्न की जाती थी। आपस्तम्बश्रौतसूत्र (४।४।३) में लिखा है कि आर्यवर्णीय अग्नि के पूर्व तम्य अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। स्मृत्यर्थकार (गु १४) में लिखा है कि नृहस्य का ५, ६, ३, २ या १ अग्नि बरानी चाहिए बिना अग्नि के उस नहीं रहना चाहिए। जब कोई भेता (शाट वर्णीय पाशुर्य एवं दक्षिणाग्नि) शीपासन तम्य एवं लौकिक (साधारण अग्नि) रखता है उसे छ अग्नियों वाला (पञ्च अग्नि) कहा जाता है जिसमें पात्र भेता शीपासन एवं तम्य अग्नियाँ रहनी हैं वह अग्निमान ब्रह्मसाक्षा है इसी अर्थ में। पतञ्जलब्राह्मण (आ मोक्षन व गमय पवित्र न वैतनवासा को अपनी उपरिचरित से पवित्र करता था) कहा जाता है (देखिए गीता १५)। आपस्तम्बस्मृत्युक्त २।३।१।२२ अतिरूपमसूत्र ३।१ मनु ३।१८५, याज्ञ

सम्भ १।२२१)। जो ब्रह्मा एव जीवात्मन अग्नि रक्षता है उसे अनुस्मिन् कहा जाता है। या वेदक्य ब्रह्मा रक्षता है उच्यते अग्निः इति श्रुत्वा। जो वेदक्य जीवात्मन एव लौकिक अग्नि रक्षता है उसे इत्यग्निः कहा जाता है और या वेदक्य लौकिक अग्नि रक्षता है उसे एकाग्निः कहा जाता है। किसी व्यक्ति की माला के मूझमूझ में बधित इत्य जीवात्मन में त्रिय वने व त्रिन्तु स्मृतियों में बधित इत्य लौकिक अग्नि में सम्पादित होते थे। त्रिन्तु यदि किसी के पाद लौकिक अग्नि में छोड़कर कोई अन्य अग्नि में हो तो उसी अग्नि में समी प्रकार के इत्य त्रिय का सकल है। अग्नि-पूजा पर इतना जो ध्यान दिया गया है वह है सूर्य के प्रति इत्यता का प्रकाशन। अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं वे सूर्य तक पहुँचती हैं मूर्धं ह्येवर्गं वेता है जिससे अन्न मिलता है और हम सबका पेट पकता है। यही है अग्नि-पूजा के पीछे वास्तविक अर्थ (मनु ३।७६ = धान्तिपर्व २६।११ स्मृतिचन्द्रिका १ पृ १५५ एव परावरमायमीय १।१ पृ ११)।

गृह्याग्नि रत्न के बाल के बारे में उच्यते मत्त भी है। गीतम (५।६) पाञ्चब्रह्म (१।७) पाश्चर्यगृह्यमूर्धं (१।२) एव अथ स्यामो के मत से जब कोई कुटुम्ब से पूषक हो तब भी गृह्याग्नि रखी जा सकती है। शाखायन गृह्यमूर्धं (१।१२-५) में सब मिठाकर चार विकल्प रखे हैं जिनमें दो के बारे में पढ़के ही कहा जा चुका है। दोष दो हैं—पिप्य मूर्धं से चकते समय जिस अग्नि में अक्षिप्त समिधा बाधता है उगम से अग्नि सेवर पर जा सकता है मिला ही मूल्य पर श्येष्ठ पुत्र या श्येष्ठ माई की मृत्यु पर छोटा माई अग्नि प्रवृत्त कर सकता है (हो यदि अभी भी मनुष्य परिवार चल रहा हो और सम्पत्ति का अँटकार न हुआ हो)। बीषायनगृह्यमूर्धं (२।६।१७) के मत में यही गृह्याग्नि है जिसके द्वारा उपनयन संस्कार हुआ है उपनयन में समावर्तन तक हीम वेदक्य समिधा तथा व्याहुतियों के उच्चारण सह होता है समावर्तन में बिनाह तक व्याहुतियाँ एव मृत सहँला है तथा बिनाह से आने पर हुणचाकल या भी भी आहुतिका से होता है।

जिन वेदक्यों के लिए प्रात एव साय अग्निहीन किया जाता है वे हैं अग्नि एव प्रजापति। कुछ श्रौतों के मत में प्रात बाल मूर्धं अग्नि का स्थान ग्रहण करता है (वेदिक, बीषायनगृह्यमूर्धं २।७।२१ हिरण्यगिन्तुगृह्यमूर्धं १।२६। ७ मन्वाद्यनगृह्यमूर्धं ३।३ एव आपस्तम्बगृह्यमूर्धं ७।२१)।

प्रात एव साय पके हुए भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं त्रिन्तु उन्ही अमा की हवि बनायी जाती है जो अग्नि की दिये जाने योग्य हैं (आपस्तम्बगृह्यमूर्धं १।२।१)। पका चाबक या जौ ही बहुधा दिया जाता है (आपस्तम्बगृह्यमूर्धं ७।१९)। पौषिकस्मृति (१।१३३ एव ३।११४) के अनुसार हविष्यों में प्रमुख हैं यव (जौ) फिर चाबक त्रिन्तु नाप, गोद्वय एव घीर की कमी भी हवि नहीं बनानी चाहिए, चाहे और कुछ हा या न हो। यव फिर चाबक व बकार व बही रूप या श्येष्ठ अमा व यवागु (मौड़) या जल देना चाहिए। आपस्तम्बगृह्यमूर्धं (१।९।६) की टीका में शाखायन ने एक श्लोक उद्धृत करने अग्नि में उड़ान के लिए इस प्रकार के हविष्यों का नाम दिया है यवा रूप बही यवागु रूप यवा चाबक काँटा हुआ (मुसी निवाला हुआ) चाबक सीम मास निक या तल एव जल (इस विषय में श्रौत वेदिक मनु ३।२५७ एव आपस्तम्बधर्ममूर्धं २।६।१५।१२ १४)। कुछ यज्ञों में मास की आहुतियाँ दी जाती हैं त्रिन्तु प्रात एव साय के हीम में इसका प्रयोग नहीं हो सकता (आपस्तम्बगृह्यमूर्धं १।९।६)। एक सामान्य नियम यह है कि यदि किसी विधिगत वस्तु का नाम नहीं किया गया हो तो वृत्त की ही आहुति दी जाती चाहिए और यदि किसी

३३ गृह्यसूत्रों में अग्निः स्यात्पञ्चाग्निश्चतुराग्निश्च। स्याद् द्विग्नाग्निर्ब्रह्माग्निर्ब्रह्मिणी इति च।।
 आपस्तम्ब, पृ १४।

बेवठा वा नाम न छिया गया ही तो प्रजापति को ही बेवठा समझना चाहिए। एक और नियम यह है कि तरल पदार्थ को मूत्र सं तथा मुष्क हृदि को बाहिने हास से देना चाहिए।^१

पामिलकगृह्यसूत्र (१।१।१५ १९) में कहा है— यदि गृह्याग्नि भूत जाय तो जितनी वैश्य क पर से या यजमानपात्र (भाष) से या उसने चर से जो यज्ञ कृप्या है (बाहे बह बाह्यज ही या क्षत्रिय या वैश्य ही) उसे खाना चाहिए या पानं स (यह पवित्र तो होती है किन्तु सम्पत्ति नहीं जाती) उत्पन्न करना चाहिए। वैधी कामना हो बैधा ही करना चाहिए। यही बात पाण्ड्यायनगृह्यसूत्र (१।१।८) पारस्करगृह्यसूत्र (१।२) आपस्तम्बगृह्यसूत्र (५।१९ १७) में भी पायी जाती है। यदि गृह्याग्नि भूत जाय तो पति एव पत्नी को उस दिन प्रायश्चित्त रूप में उपवास करना चाहिए (आपस्तम्बगृह्यसूत्र ५।१९)।

जिस अग्नि में आहुतियाँ छोड़ी जायें उसमें मूली छन्दियाँ पर्यन्त मात्रा में हानी चाहिए, उस अग्नि पर प्रारंभ होता है अन्न खाना चाहिए और लाल-लाल हुंकर उसे भी फेंकते रहना चाहिए (छान्दोग्योपनिषद् ५।२।४। एव मुष्ककोपनिषद् १।२।२)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१५।१८-२१) मनु (५।५।३) एवं मन्व्य लोगों के मन से अपवित्र अग्नि को इन अग्नि में पास नहीं जाना चाहिए, मुँह से पूनवर इस अज्ञाना भी नहीं चाहिए, अपनी छाट में गीब भी नहीं रखना चाहिए, इसमें पीर भी नहीं सेवने चाहिए और न सोते समय अपने पैरों को जोर रखना चाहिए। मोक्षिक-स्मृति (१।१।३५ १३६) का कहना है कि 'इस हास से मूत्र से या बर्षा (नरक्षुम्भ) से नहीं खाना चाहिए अग्नि पया न खाना चाहिए। मुउभोग अग्नि को मुँह से अलाते हैं क्योंकि यह मुँह से ही उत्पन्न की गयी थी (मनु ५।५।३)। शौचिक अग्नि को भीति इन अग्नि को मुँह से नहीं खाना चाहिए (वेदक धीत अग्नि मुँह से खसामी वा खरती है)।'^२

निरय वा होम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि हुंकरे द्वारा करने से उतना फल नहीं प्राप्त होता किन्तु यदि बड़ पुरोहित पुत्र कुछ भाई भाभ्या कामाच करे तो इस अपन हाउर किया हुआ समझना चाहिए (यजु १।२८ २९ अथर्वण ५ १२५ आंग उद्गुन)। मान्वायनगृह्यसूत्र (१।९।१) में पत्नी पुत्र अविवाहित पुत्री वा मिथ्य को गृह्याग्नि के होम में अग्निस्तित होने को आज्ञा दी है। यही बात पाण्ड्यायनगृह्यसूत्र में भी पायी जाती है। स्मृत्यर्थसार (५ ३४) में यह जोड़ा है कि पत्नी एव पुत्री पर्युक्तता को छोड़कर होम के घारे कार्य कर सकती हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।५।१५ १६) एवं मनु (९।१।९ २७) में मन से पत्नी अविवाहित पुत्री विवाहित पुत्रा पुत्री वन पत्रा-तिगा सूर्य अग्नि रोगी तथा विगता उपनयन न हुआ ही बह गृहस्व न स्थान पर अग्निहास नहीं कर सकते यदि वे ऐसा करें तो वे तथा गृह्यय मरन में पड़ेंगे अत जो हुंकरे के लिए अग्निहास करना चाह उसे धीत यज्ञो में बस एव वैरज होना चाहिए। ये प्रतिश्रुत्य वैरज धीत यज्ञो के लिए हैं किन्तु निरय होम के लिए पत्नी तथा वे भोग जिन्हें आत्ममायनगृह्यसूत्र में उक्त है। गमर्षे हैं अत नि यज्ञ करनपात्रा भीमार ही या बाहर पया ही। ह्यदल (आयनमायनगृह्यसूत्र १।९।१ २) में लिखा है कि पति या पत्नी वा गृह्याग्नि के लक्ष्मी रहना चाहिए। मनु-आश्रमशास्त्र (१।९।९) में यजु स गृह्याग्नि अज्ञानराते को जिना अगनी पत्नी के काम की भीमा नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जहाँ रबी रहती है वही होम होगा

१४ इत्यंशुवेन होमस्य पात्रिता कश्चि हृदि। स्मृत्यर्थसार, ५ ३५। शौचस्य सप्तकं पुत्रं कार्यं मूलं वनं मुष्कम्। एतदज्ञानेन होमस्य माप्यन्विचिबोधोरचना॥ शौचस्यपुत्रो रोषसूत्र १।१।८।

१५ दुर्यमुखा (आश्वे १ १९ ११३) का कहना है "मुपादिगृह्याग्निनाच प्राजाज्ञावृत्तायन। गृह्यमर्ष-वर्तिन्य (१।७) में आया है कि अज्ञाना मूल में होना चाहिए 'मूलैर्नोरथवेदंदि मुपादुपेनोऽप्यज्ञायन' न कि वरज अथ हास या मूत्र न। वेदिगृह्य इत विषय में कई विचित्रों की दृष्टत में (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१।५।१)।

है। शास्त्र किमी पुरोहित को नियुक्त कर अपनी पत्नी की अभ्यसना में गृह्याग्नि छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा सकता है, किन्तु बिना किसी कारण उसे बाहर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। जब पति-पत्नी बाहर सब हा तो पुरोहित को गृहस्थ के स्थान पर होम नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके अभाव में ऐसा होम निष्फल एवं निरर्थक होता है (गोभिलस्मृति ३।१)। जब गृहस्थ की अपनी जाति बानी कई पत्नियाँ हो तथा अन्य जाति वाली पत्नियाँ भी हो तो धार्मिक दृष्टि किनके साथ ही? इस विषय में पहले ही सिद्धा जा चुका है (बिष्णुधर्मसूत्र २।१।४७ देखिए अध्याय ९)। पत्नी की मृत्यु पर भीत अग्नियों का परिश्राम नहीं करना चाहिए, प्रत्युत व्यक्ति को जीवन भर धार्मिकता के लक्ष्य में अग्निहोत्र करते जाता चाहिए। गोभिलस्मृति () में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इसका लिए दूध पी मरण या अनवर्ष नारी से सम्बन्ध कर लेना चाहिए। राम ने शीता-परिश्राम के उपरान्त साने की मीठा प्रतिमा के साथ ब्रह्मचरि किये थे। किन्तु सत्यापाद द्वारा अपने भीत मूल में ब्रह्मि नियम के अनुसार अपराध ने उपर्युक्त धृ की वर्णना की है। सत्यापाद का नियम है— यद्यमान पत्नी पुत्र सम्पन्न स्थान एवं बाल अग्नि देवता तथा धार्मिक दृष्टि एवं बचना का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (३।१)। सत्यापाद का अर्थ यह है कि बृह की ओर निरासे, श्रावण को बिना भूषी का कारण आदि में वास्तविक पत्नी का कार्य पत्नी का अभाव में उसकी प्रतिमा पुत्र प्रतिमा आदि नहीं कर सकती। किन्तु स्मृतिचर्चिका के कथन से प्रकट होता है कि अन्य स्मृतियों में सत्यापाद की बात हमारे अर्थ में ली है— 'सत्यापाद में पत्नी के प्रतिनिधि को किसी मातृ के रूप में व्यवस्था स्वीकार नहीं किया है किन्तु जल्द ही माने या कुछ की प्रतिमा का विरोध नहीं किया है।' बृहदारण्य (१।२।४) में लिखा है कि यदि पत्नी मर जाय तो अग्निहोत्र तथा पञ्चमूत्र पत्नी की प्रतिमा के साथ सम्पादित किये जा सकते हैं। यदि पत्नी मर जाय पर स्वयं बाहर चला जाय या पतिन हो जाय तो उसका पुत्र अग्निहोत्र कर सकता है (अग्नि १।८)। एतरेयाश्रम (३।२।८) के अनुसार विदुर का अपत्नीक को भी अग्निहोत्र करना चाहिए, क्योंकि वेद पत्र करने की आज्ञा देता है। याज्ञवल्क्य (३।२।३४ २३९) तथा बिष्णुधर्मसूत्र (३।२।२८ एवं ५।४।१४) के मत में यदि समर्थ व्यक्ति वैदिक भीत एवं स्थान अग्नि प्रशंसित न करे (पत्र न करे) तो वह उपपातक का भागी होता है। बसिष्ठधर्मसूत्र (३।१) के अनुसार भी वेद का अध्ययन या अभ्यास नहीं करता या जो पवित्र अग्नियों को प्रशंसित नहीं करता वह घात्र के मध्य होता है। यही बात मार्य में कही है— यदि बिबाहोपरान्त द्विज समर्थ रहने पर भी बिना अग्नि के एक घात्र भी घ्राय है तो वह घ्राय एवं पतिन ही जाता है। मुद्गबोधोपनिषद् (१।२।३) में घोषित किया है कि जो बर्त-पूर्वमात्र एवं अन्य मंत्र तथा वैश्वदेव नहीं करता उनसे घात्रा लोका मत् हो जाते हैं। इन विषय में और देखिए नीतिरहित धर्मिण (१।५।२।१) एवं वाङ्मय (१।२)।

जप

याज्ञवल्क्य (१।१९) आदि ने जप (पापनी एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप) को मन्त्रा-युक्त का एक भाग माना है। इस और अध्याय ७ में उल्लेख किया जा चुका है। याज्ञवल्क्य (१।१९) ने प्राण होम के उपरान्त मूर्ध के लिए उन्मोचन मन्त्रों के जप की आज्ञा (१।११ १) मन्त्राहु स्नान के उपरान्त धार्मिक उक्तियों (यथा उपनिषदों की बर्णना—गीता १।१।१२ एवं बसिष्ठधर्मसूत्र २।२।९) के जप की आज्ञा कही है। बसिष्ठधर्मसूत्र (२।८।१०-१५) में विदुराचार्य आदि की आज्ञाओं के मीन पाठ से पवित्र होने की आज्ञा कही है। कुछ विद्विष्ट मन्त्र य हैं—सप्तमन्त्र (ऋग्वेद १।१।१९ १२ ३) पाकमानी (ऋग्वेद) सप्तमन्त्रिय (तैत्तिरीय मंत्रिता ४।५।१ ११) त्रिमुद्रय (तानिरीया अध्याय १।१८८-५) आदि। मन् (२।८०) बसिष्ठ (२।५।११) पाकमूर्ति (१।२।८) बिष्णुधर्मसूत्र (५।५।११) का कहना है कि यदि शास्त्र और कुछ न करे किन्तु जप अभ्यास कर तो वह पुण्य का प्राप्ति कर सकता है।

मोक्षस्मृति (२।१७) के मत से वेद का मन्त्रोच्चारण आरम्भ से विना हो सके अर्थात् करना चाहिए। तर्पण के पूर्व या प्राय होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में अप होना चाहिए और इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं (योविष्णुस्मृति २।२८ २९)। विष्णुवर्मसूत्र (६४।३९ ३९) के मत से अप में वैदिक मन्त्र विधेयत गायत्री एवं पुस्त्यसूक्त कहे जाते हैं, क्योंकि वे सर्वोत्तम मन्त्र हैं।

अप तीन प्रकार का होता है आषिक् (स्पष्ट उच्चारित) उपसृग् (अस्पष्ट अर्थात् न मुनाई देने योग्य) एवं मातत (मन में कहना) जिनमें अन्तिम सर्वोत्तम हुआ मध्यम तथा प्रथम तृतीय योगी का माता जाता है (वेदिए मनु २।८५—असिष्ठ २९।९ अथ १।२।२९)। अप से पाप नष्ट जाता है (गौतम १।१११)। अप कुछ के बाहन पर बैठकर किया जाता है। बार, नदी के तट बौसासा अग्नि प्रकोष्ठ पीछे देव-प्रतिमा के सामने अप करना चाहिए इनमें एक क बाह पुत्ररा उत्तम माता जाता है और क्रम से जाये बढ़ने पर देव प्रतिमा के समक्ष का अप सर्वोत्तम माता जाता है। अप करते समय बोझना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी तथा पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने वाले गृहस्थ को बायमी मन्त्र १ ८ बार कहना चाहिए, किन्तु ब्राह्मण तथा मति को १ बार से अधिक कहना चाहिए (मनु २।१)।

मध्य काल में जब वैशाख्ययन मन्त्रति के मार्ग पर जा और पुराणों की अधिक महत्ता पी जाने लगी थी तो लिखने ने द्योयित किया कि जो सम्पूर्ण वेद जानते हों उन्हें प्रति दिन जितना सम्भव हो सके वेद का पाठ करना चाहिए, जिन्होंने वेद का मन्त्र ब्रह्म पढ़ा हो उन्हें पुस्त्यसूक्त (आम्बर १।९) का अप करना चाहिए और जो ब्राह्मण वेदक गायत्री जानता है उसे पुराणों की उचितयो का अप करना चाहिए (गृह्यसूत्राचार ५ २४९)। बृहदारण्यक (१।३।३४५, १११ २११) के मत से १ असुरो (मोनयो विष्णु) का ८ असुरो (मोनयो वासुदेवाम) या १२ असुरो (मोनयो मयवते वासुदेवाम) का अप १ ८ बार या १ ८ बार करना चाहिए। मन्त्र की सख्या गिनना कई रूप से प्रवर्णित है अंगुष्ठियों द्वारा (अंगुष्ठे को छोड़कर) पृथिवी या भीत पर रेखाएँ खींचकर या माता की मणियाँ गिन कर। बिना सख्या जाने अप करना निष्फल माता जाता है। अथस्मृति (१२) के अनुसार माता की मणियाँ छेले की ब्रह्मस्य पत्न्यो की मोक्षिणी की स्फटिक की खड्ग की पद्माक्ष (कमल के बीज) की वा पुत्रनीचक की होनी चाहिए। सख्या का गिनना कुक्षमूक की गांठों से या बाय हाथ की अंगुष्ठियों को लकाकर भी सम्भव है। माता में १ ८ (सर्वोत्तम) या ५४ (मध्यम) वा २७ (कम-से-कम) मणियाँ हो सकती हैं। काशिका (रघुवज १।१९९) में लिखा है कि परब्रह्मण के हाथिने काल पर मखनीच की माता थी। बाय (कावन्वरी) में खड्ग की चर्चा की है। माता-सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी के लिए वैदिए स्मृतिचन्द्रिका १ ५ १५२-१५३ पराधरनाचारीय १।८ ५ ४ ८ ३११ मन्त्रपरिचयत ५ ८ आश्विनप्रकाश ५ ३२६ ३२८)।

मगलमय एवं अमगल पदार्थों का व्यक्ति

होम एवं अप के उपरान्त कुछ काल तक मगलमय पदार्थों को लेना या उन पर स्पर्श देना चाहिए और वे पदार्थ हैं—गुरुजनों का दर्शन एवं वा वृत्त में मुख-दर्शन किष्क-वैशारता जाय में अन्न भगाना या दूर्वा-स्पर्श (गृह्यसूत्राचार, ५ १८३ तथा मनु ४।१५२)। मारु (प्रकीर्णक ५४।१५) के मत से याद प्रकार के मगलमय पदार्थ हैं—ब्राह्मण गाय अग्नि सीना वृत्त पूर्व अन्न एवं राजा। इन्हें देखने पर मुकता चाहिए या इनकी प्रशिक्षा करनी चाहिए क्योंकि इससे आयु बढ़ती है। इस विषय में और वैदिए सामन्तपुराण (१४।३५ ३७) मत्स्यपुराण (२४४) विष्णुवर्मसूत्र (२३।५८) आश्विन (२९।३४) वैश्वर्ष (१२७।१४) धातिवर्ष (४ ७) अनुष्ठानतन्त्र (१९९।१८ एवं १११।८)। विष्णुवर्मसूत्र (६३।२९) के मत से ब्राह्मण वेद्या अन्नपूर्व तथा तर्पण ध्वजा छटा प्रानावर्षा और आदि पदार्थों को देखकर मात्रा आरम्भ करनी चाहिए। यदि प्रजापत करते समय शरावी पाषण्ड, तर्पण

होने व्यक्ति को जो बमन एवं कई बार मस्त्र-स्नान कर चुका हो पूर्ण मुष्णित सिर वाले गन्ध वस्त्र वाले ऋषि
मातृ, वीन धम्यासी या तारसी वस्त्र धारण करने बाण को देल के ठो वर मे लौट जानर पुन प्रस्नान करना चाहिए।

पीथ पण्डितान्न स्नान सन्ध्या होम एव अप के इत्य दिन के आठ भागों के प्रथम भाग मे सम्पादित हो
जाने हैं। दिन के सुदुरे भाग मे ब्राह्मण गृहस्थ को वेच-पाठ पौहणता समिधा पुष्प हुदा बादि एवत्र करता पठता
वा (वस २।३३ ३५, याज्ञवल्क्य १।९९)। इस विषय मे उपनयन के अग्न्याय म भर्त्ता हो चुकी है। दिन के तीसरे
भाग मे गृहस्थ को बैसा कार्य करता पठता वा जिसके द्वारा वह अपन आभितो भी जीविता बचा सके (वस २।३५)।
एव विषय मे ब्राह्मणो के जीवन पर प्रकाश बहुत पहले वाला वा चुका है (अग्न्याय ३)। गौतम (१।१३) याज्ञवल्क्य
(१।१) मनु (४।३३) बिल्कु (१३।१) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थ को रात्रा या बनिक् के पास अपनी अपने
दुल ही जीविका के सिन्धु जाना चाहिए। जो जितने ही बड़े दुल वा या जितने ही अधिक कामों वा प्रतिपालन कर
सके वही उत्तम है तथा जीवित है जो नेत्रस अपना ही पेट पालता है वह जीता हुमा मरा-सा है (वस २।४)।

दिन के चतुर्थ भाग (मग्न्याह्न के पूर्व) म तर्पण के साथ मग्न्याह्न स्नान किया जाता वा और मग्न्याह्न सम्प्रा
प्यपूरा आदि की व्यवस्था भी (वस २।४३ एव याज्ञवल्क्य १।१०)। बिल्कु कुछ लोग नेत्रस एव ही रात्र स्नान
करते हैं, उन उपसुक्त सन्ध्या आदि नेत्रस उनके लिए है जो मग्न्याह्न स्नान करते हैं। मग्न्याह्न के पूर्व के स्नान के
साथ वेच ऋषि एव विष्णु-तर्पण वेचपूजा एव पञ्चयज्ञ किये जाते हैं। अब हम इन्ही वा सविस्तर बर्नन उपस्थित
करेंगे।

तर्पण

मनु (२।१०१) के मत से प्रति दिन दोनो ऋषिया एव पितरो का तर्पण करना चाहिए, अर्थात् एक वंशर
उन्में पशुपुत्र करना चाहिए। यह तर्पण देवताओं के लिए बाह्निने हाथ के उस भाग म जिस देवतीच रहते हैं, देता
बाह्नि एव पितरोको उसी प्रकार विष्णुवीर्य से। जो व्यक्ति जिन वैदिक धाम्ना वा रहता है वह उसी के गृहामुत्र म
अनुसार तर्पण करता है। विभिन्न गृहामुत्रों म विभिन्न वायें लिखी हुई हैं। महाँ हम आदवकायनगृहामुत्र (३।४।१-५)
म बर्नन वा उल्लेख करेंगे। देवतर्पण मे निम्नोक्त देवताओं के नाम आते हैं और 'तृप्यन्तु' 'तृप्येताम्' वा 'तृप्यन्तु' का
उच्चारण एक देवता को देवताओं तथा दो से अधिक देवताओं के लिए तर्पण किया जाता है और प्रत्येक को एक दिया
जाता है (प्रजापतितृप्यन्तु, ब्रह्मा तृप्यन्तु, धाम्नातृप्यन्तु आदि)। देवता ३१ हैं यथा प्रजापति ब्रह्मा
केर इन ऋषि सभी छन्द, ओकार, वषट्कार, व्याहृतियाँ वायवीय यज्ञ स्वर्ग और पृथिवी अन्तर्निध दिन एव रातों
काय मित्र समुद्र नदियाँ पर्वत केत ऋषी-ऋषियाँ कुछ पत्थर एव अस्त्राएँ, सौम पृथ्वी वायें छाया विद्र मदा
रथम् वृद (प्राणी)। आनुविच काल मे वेन ऋषी-ऋषियाँ कुछ पत्थर एव अस्त्राओं को एक सामाजिक पद म
रखा जाता है और उन्हे एक ही देवता माना जाता है तथा मूला के उपरान्त 'एवमन्तानि' तृप्यन्तु नामक एक अन्य
देवत्व जो- दिया जाता है। ह्यदत्त (आदवकायनगृहामुत्र ३।३।२) म कुछ लोगों के मत स 'एवमन्तानि' वा एक पुनक
रथ सोपिन किया है बिल्कु अपने मत के अनुसार 'एवमन्तानि' को पीजे वाले देवता के अथ मे प्रयुक्त किया है
और देवताओं को अपना 'रक्षाधि' तक समायत्त कर ही है। ह्यदत्त मे यह भी लिखा है कि इन देवताओं को तर्पण
श्रावण-च तीर्थ से दिया जाता है।

तर्पण करने योग्य ऋषिया जो दो भागों वा दत्ता म बाँटा गया है। प्रथम दत्त म १२ ऋषि है जिनके तर्पण मे
प्योनेति निवीन इय के पारण किया जाता है। ये बाह्य ऋषि हैं—सो ऋषाओं के ऋषि मध्यम ऋषि (ऋषव) के पुत्रों
काय से उन्हें मारुत तर के ऋषि) वृत्तमद, चित्रवाजिच कामदेव अत्रि भरद्वाज बसिष्ठ, प्रयाग वायनामी जग

के, छोटे मन्त्रों के ऋषि बड़े मन्त्रों के ऋषि। इनके तर्पण का सूत्र है—यत्तर्पितस्तृप्यन्तु, मन्थमास्तृप्यन्तु, वृत्तमस्तृप्यन्तु आदि। वृत्तमन्त्र विष्णुमन्त्र नामदेव अग्नि मरुदात्र नसिष्ठ क्रम से ब्रह्मरे से लेकर सातवें मन्त्रक के ऋषि हैं। कण्व गोन के प्रगाथो का सम्बन्ध आठवें मन्त्रक के आरम्भिक मन्त्रों से है तथा आठवें मन्त्रक का द्वेष मान अथ कण्व पीथ बालो का माना जाता है। तपे मन्त्रक की ऋचाएँ 'पाथमाय्य' बड़ी जाती हैं। 'सत्तर्पित का सनेत प्रथम मन्त्रक के ऋषियो से है। इसी प्रकार सृष्टिसूक्ता (छोटे मन्त्रों के ऋषि) एवं महासूक्ता (बड़े मन्त्रों के ऋषि) बसवें मन्त्रक के ऋषि हैं। ऋषियो को बाह्ये ह्यत्र के देव-दीर्घ से तर्पण किया जाता है। ब्रह्मरे ह्यत्र के ऋषियो का तर्पण मञ्जोपवीत को प्राप्तीनावीत ह्यत्र से (बाह्ये कथे से नाम भाग मे षट्कटा हुजा) करके किया जाता है। ब्रह्मरे ह्यत्र से ही उपव्रत है। प्रथम उपव्रत मे "तृप्यन्तु" एवं 'तृप्यन्तु' क्रियाएँ बानी हैं और ऋषि हैं—'सुमन्तु-दीर्घमि वैसाम्यायन-दीर्घ-सूत्र-माभ्य-भारत-महाभारत-वर्माचार्यस्तृप्यन्तु'^{११} "वामन्ति-बाह्वि-गार्म-वीतम-साजस्य-वाभ्य-माभ्य-माभ्य-केवास्तृप्यन्तु" पार्ष्णी—वाचकनवी तृप्यन्तु, बडवा—मातिनेवी तृप्यन्तु, सुकमा—मैनेवी तृप्यन्तु। इन ऋषियो मे चार वे हैं जो महाभारत मे व्यास क सिष्य ह्यत्र मे उल्लिखित है (समापर्व ७११ अन्वितर्व ३२।२९ २७)। उपर्युक्त पाँच ऋषियो मे तीन नारियाँ भी ऋषिरूप मे बर्णित हैं यथा—पार्ष्णी बडवा एव सुकमा। ब्रह्मरे उपव्रत मे १७ ऋषि हैं और १८वें ऋषि के रूप मे सभी आचार्य जा जाते हैं यथा—बडवा कीर्तिक महा कीर्तिक वैश्व महार्षि सुयज्ञ ध्यायामन ऐतरेय महैतरेय शाकल्य शाकल्य सुबाठकनन भीष्वाहि महीष्वाहि धीर्मान धीर्जन्य आरभकायन और १८वें हैं 'ये वाग्ये आचार्यस्ते सर्वे तृप्यन्तु। ये सभी ऋषि ऋष्यैव ऋष्यैव क ब्राह्मणो आरभ्यको एव अथ सम्बन्धित प्राणो (धीर्जन्य द्वारा प्रणीत प्रातिष्ठाक्य भूज अग्नि) से सम्बन्धित हैं। आत्मन्नायन मे स्वयं अपना नाम ऋषियो से रखा है। धीर्जन्य ऋषि आरभकायन के आचार्य वे।

आत्मन्नायनबृहस्पृण (३।४।५) मे पितृतर्पण के विषय मे अति सूक्ष्म ढग से लिखा है—'प्रत्येक पीठी ने पितरो को पुत्र-पुत्रक अथ इतर बहु अपने कर लीट्या है और जो कुछ बहु देता है बहु बहुराज्य ना बुरक ही जाता है (तर्पण तो बहुराज्य का ही एक अंग है)। आधुनिक काल मे निम्नांकित ढग अपनाया जाता है। प्रत्येक को (माता मातामही एवं प्रमातामही ने अतिरिक्त अन्य स्त्रियो को छात्रकर) तीन बार पितृ-दीर्घ से अन्न दिया जाता है और पीता करके धमय पितरो का सम्बन्ध नाम एवं गोन बोला जाता है (यथा पिता ने किये—'अस्मत्पितरम् अनुभ' धर्माजम् अनुभवीभ वसुधाय स्वभा नमस्तर्पयामि")। क्रम से इन पितरो को अन्न दिया जाता है—पिता पितामह, प्रपितामह माता मातामही प्रमातामही विमाता नाना (नाना के साथ मातामह स समुक्त उपलौकम्) परनाता परनाता न पिता (उत्तरी पत्नियो के साथ) उपनी पत्नी अपना पुत्र या अपने पुत्र (यदि बर्ष भर बुके हो) एवं उत्तरी पत्नियो (यदि भर बुकी हो) पुत्री (वामाह के साथ यदि बोलनी की मृत्यु हो बनी हो) चाचा (मृत चाची के साथ) मामा (मृत मामी के साथ) बहिन (मृत बहनोई के साथ) दत्तपुत्र (मृत सास एवं मृत सासों के साथ) सुभ (नाबकी एवं बर के आचार्य के रूप मे पितामह्य) एवं शिष्य। स्त्री पितरो के नामा के साथ 'वा' जुडा रहता है। पितामहो एवं पितामहियों को 'दत्तपुत्र' तथा प्रपितामहा एवं प्रपितामहियों को 'आदित्यपुत्र' कहा जाता है। माता मे तीन पितरो को उत्तरी पत्नियो न साथ क्रम से 'वसुधाय' 'दत्तपुत्र' एवं 'आदित्यपुत्र' कहते हैं। उपर्युक्त पितरो न अतिरिक्त अन्य पुत्र्या एवं नारियो को 'वसुधाय' कहा जाता है।

३१ अन्वितर्व (३५ १११ १२) मे कता बतलाता है कि सुमन्तु, अग्नि, वेदन्नायन एवं वीत; ये तीय सुभ (व्यास-पुत्र एवं व्यास के शिष्य) के साथ थे।

बहुत-से गृह्यसूत्रां में बहुत-से मतभेद पाये जाते हैं। केवल योद्धे से विनेद उपस्थित किया जा रहा है। प्रत्येक गृह्य में तर्पण के देवता विभिन्न हैं। बहुत-से सूत्रां में 'देवता मम आता ही मही। कुछ सूत्रों में मत् से सम्बन्धिता के बोधो के नाम प्रतिष्ठित के तर्पण में लही लिये जाते चाहिए। बीषायनधर्मसूत्र (२।५) में तर्पण के विषय का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक देवता ऋषि एव पितृगणो के पूर्व 'ओम्' उच्यते आता है। इनमें बहुत-से अर्थ देवताओं के भी नाम विनाये हैं और एव ही देवता के कई नाम दिये हैं (यथा—विनायक बभ्रुगुह्य इतिगृह्य एवदत्त मम यमराज धर्म धर्मराज नाक नील वैवस्वत आदि)। इसमें ऋषियों की यज्ञी में बहुत-से देवताओं को भी रक्ष दिया है यथा बभ्रु बीषायन आपस्तम्ब सत्यापाठ तथा माहात्म्य एव व्यास। हिरण्यनेदि गृह्यसूत्र (२।११२) बीषायनगृह्यसूत्र (२।९) एव भास्करगृह्यसूत्र (१।९११) में देवताओं एव विधेयत ऋषियों के बहुत से नाम आये हैं।

यदि किसी व्यक्ति को सम्बन्ध तर्पण करने का समय में हो तो धर्मसिन्धु एव अन्य निबन्धा में एक सूत्र में विधि कावली है 'व्यक्ति को स्नोक्त कहकर तीन बार जल प्रदान करे।' इन स्नोक्तों में देवा ऋषियों एव पितृगणों नामों तथा इत्या से लेकर पूज तक के तर्पण की बात है।

पारस्करगृह्यसूत्र में सत्कर्म नात्यायन के स्नानसूत्र (तृतीय कण्डिका) में तर्पण का वर्णन है। बीषायन में मयान यह भी प्रयोग देवता के साथ 'ओम्' उच्यते की बात कहता है और इसमें तुष्यताम् या तुष्यन्ताम् (बहुवचन) क्रिया का उल्लेख है। इसमें देवता केवल २८ हैं और आप्तसामान्य की सूची से कुछ भिन्न हैं। ऋषिमा में केवल सनक सनप सनातन कपिल आसुरि, बौध एव पञ्चसिद्ध (कपिल आसुरि एव पञ्चसिद्ध को साक्ष्यकारिता में साक्ष्य दर्शन से प्रकर्ष माना है और वे गृह्य एव शिष्य की परम्परा में आते हैं) के नाम आये हैं। ऋषितर्पण में उपरान्त गृह्यसूत्रों में अति विचारक एव यज्ञोपवीत को बायें वाम के ऊपर स बायें वामों के नीचे कर्णाकार कर्मबाह्य अनल (अग्नि) शीघ्र वय अर्घ्या अग्निप्राप्तो सोमपो एव बहिषको को जल देना चाहिए। पानी में तिल मिसाकर उपयुक्त कृपा को तीन तीन अक्षरि जल दिया जाता है। ऐसा तर्पण पिता में बहुत भी किया जाना चाहिए। किन्तु तर्पण का श्रावण (निर्गर्षक) बलक अग्नियुक्त को ही करना चाहिए। गोमिलस्मृति (२।१८२) एव मत्स्यपुराण (१ २।१८२१) में बहुत कुछ स्नान-सूत्र की ही मूर्ति व्यवस्था की है। आप्तसामान्य तथा अन्य लोगों के मत् में तर्पण बायें हाथ से करना है किन्तु कर्त्यायन एव कुछ अन्य लोगों में मत्तानुसार दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका (१ १ १११) में मयान उपस्थित होने पर गृह्यसूत्र के नियम मानने के लिए प्रेरित किया है। कार्ष्णिजिनि के अनुसार पञ्च एव विवाह में केवल बाहिने हाथ का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु तर्पण में दोनों हाथों का। देवताओं को एव एव अक्षरि जल दो-दो सतक एव अन्य ऋषियों की तथा तीन-तीन अक्षरि प्रत्येक पितर को देना चाहिए। शीघ्र शीघ्र के साथ जल में उठे होकर तर्पण श्रावण में ही किया जाता है किन्तु पुत्र बलक श्रावण कर लज पर शीघ्र शीघ्र और वा वनि के पात्र में जल गिराना चाहिए किन्तु मिट्टी के पात्र में तर्पण का जल नहीं ल गिराना चाहिए। यदि उपयुक्त पात्र में हो तो कुछ पर जल गिराना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका १ १ १२२)। इस विषय में कई मत हैं (श्रीगुरु गुरुलक्ष्मणकर, १ २११ २१४)। आजकल आधिक तर्पण बहुत कम किया जाता है केवल योद्धे में बहूत श्रावण व्याकरणक तथा पारस्कर प्रति दिन तर्पण करते हुए देखे जाते हैं। सामान्यतः आजकल श्रावण मास में एव दिन बहूतकर व एव अग व एव में अधिकतम श्रावण तर्पण करते हैं।

मास में श्रावण की शुरुवाती की यदि मयल बार आता ही तो मम का विधिगत तर्पण किया जाता है (स्मृति चन्द्रिका १ १ ११३-११८ मयलपात्रिका १ २ १ पराशरमाधवीय १।१ १ ३११)। यह (२।५२-५५) २ ५ में उपयुक्त दिन को मम-तर्पण यमुना में होना वा और बहुत-से नामों से मम का श्रावण किया जाता वा

(वेदिए मत्स्यपुराण २१३।२-८)। तैत्तिरीय संहिता (६।५) में यम के सम्मान में प्रति मास बलि देने की बात पायी जाती है। माघ मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी को मीषम के सम्मान में भी तर्पण होता था (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ. १९८)।

गोमिस्रस्मृति (२।२२-३३) ने लिखा है कि सप्ताह में सभी प्रकार के जीव (स्वाधर एव चर) ब्राह्मण से बक की अपेक्षा रखते हैं अतः उसके द्वारा इनको तर्पण किया जाना चाहिए, यदि वह तर्पण नहीं करता है तो महाम् पाप का भागी है यदि वह तर्पण करता है तो इस प्रकार वह सप्ताह की रक्षा करता है।

कुछ लोगों के मत से तर्पण प्रातः स्नान के उपरान्त किया जाना चाहिए कुछ लोगों ने लिखा है कि इसे प्रति दिन दो बार करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों ने केवल एक बार करने की व्यवस्था की है। आश्वलायनपूज-सूत्र में स्वाध्याय (या ब्राह्मण्य) के पुरत उपरान्त ही तर्पण का समय रखा है जिससे पता चलता है कि तर्पण स्वाध्याय का भागो एक अंग था। गोमिस्रस्मृति (२।२९) का कहना है कि ब्राह्मण्य (विद्यम वैदिक मन्त्र का जप किया जाता है) तर्पण से पूर्व या प्रातः होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में किया जाना चाहिए, और विशेष कारण को छोड़कर किसी अन्य समय में इसका सम्पादन बन्धित है।

ब्राह्मिकप्रकाश (पृ. ३३६-६७७) ने कात्यायन सप्त शोधायन विष्णुपुराण योग-भाष्यवत्सय आश्वलायन एव गोमिस्रब्राह्मण के अनुसार तर्पण का साधक उपस्थित किया है।

अध्याय १८

पञ्च महायज्ञ

वेदिक ऋषि सही पञ्च महायज्ञों के सम्पादन की व्यवस्था पायी जाती है। शतपथब्राह्मण (११।५।६।१) का कथन है—“वेदस पौत्र ही महायज्ञ है, वे महान् सन है और वे हैं भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ विनुयज्ञ, वेद्ययज्ञ एव ब्रह्मयज्ञ।”^१ तैत्तिरीयारण्यक (१।१।१) में आया है—“वास्तव में ये पञ्च महायज्ञ अन्नस रूप से बढ़ते जा रहे हैं और वे हैं वेद्ययज्ञ, विनुयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ।” जब जन्म में आहुति दी जाती है, भक्त ही वह मात्र समिधा हो ता यह वेद्ययज्ञ है जब पितरों को स्वधा (या धाद्य) दी जाती है चाहे वह जस ही क्या न हो तो वह विनुयज्ञ है जब पीधों को बलि (मोक्षन का प्राप्त या पिण्ड) दी जाती है ता वह भूतयज्ञ कहलाता है जब ब्राह्मणों (या अतिथियों) को मोक्षन दिया जाता है ता उस मनुष्ययज्ञ कहते हैं और जब स्वाम्याय क्रिया जाता है, चाहे एक ही ऋषि हो या मनुजों या माम-वेद का एक ही मुक्क हो तो वह ब्रह्मयज्ञ कहलाता है।

आस्वजायनपुष्टयुक् (१।१।१४) में भी पञ्च महायज्ञों की बर्णना की है, तैत्तिरीयारण्यक की मन्त्रि ही उनकी परिभाषा की है और कहा है कि उन्हें प्रति दिन करना चाहिए। आस्वजायनपुष्टयुक् (१।१।१२) की व्याख्या में नारायण एव नरायणमात्रवीर्य (१।१ पृ ११) ने लिखा है कि पञ्च महायज्ञों का आभार तैत्तिरीयारण्यक में ही पाया जाता है। यही बात आपस्तम्बधर्मयुक् (१।४।१२।१३ १५ एवं १।४।१३।१) में भी कही है।^१ गौतम (५।८ एवं ८।१७) कीषा पारम्युक् (२।६।१-८) गौभिलस्मृति (२।१६) तथा अन्य स्मृतियों में भी पञ्च महायज्ञों का बर्णन किया है। गौतम (८।७) में तो इन महायज्ञों को मत्कारा के अन्तर्गत विना है।

पञ्च महायज्ञों की महत्ता

पञ्च महायज्ञों एवं भीत यज्ञा में दो प्रकार के अन्न हैं। पञ्च महायज्ञा में गृहस्थ को जमीन व्यावसायिक पुष्टि की छायापना की अपेक्षा नहीं होगी किन्तु भीत यज्ञों में पुष्टि मुख्य है और गृहस्थ का स्वान्नेत्रक पीन रूप में रहना है। दूसरा अन्न यह है कि पञ्च महायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है विद्या प्राचीन ऋषियों पितरों जीवा एवं

१ पञ्चम महायज्ञाः। ताभ्यो ब्रह्मसमाधि भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञ विनुयज्ञो वेद्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति। अगस्त्य ब्राह्मण १।१।६।७। यातावन्मय (१।१ १) की हीना में विवरण में भी इनै उद्धृत किया है।

२ अथतः पञ्च यज्ञाः। वेद्ययज्ञो भूतयज्ञ विनुयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति। आश्व पृ ३।१।१२; पञ्चयज्ञानां त्रि तैत्तिरीयारण्यकं मूल ब्रह्म वा एते महायज्ञा इत्यपि।

३ अथ ब्राह्मणोक्ता विषयः। तेषां महायज्ञा महासमाधि च तस्मिन्। अहर्हर्भूतबलिर्मनुष्येभ्यो मन्वाग्लि राज्ञः वेदेभ्यः स्वाध्यायार वा वायान् विनुभ्यः स्वध्यायार ओषध्यायारुचिभ्यः स्वाध्याय इति। आश्व पृ ३।१।१२।१-२ एवं १।४।१३।१।

सम्पूर्ण ब्राह्मण्य के प्रति (जिसमें अद्यत्थ भीष रहते हैं) अपने वर्तमानों का पालन। किन्तु मति यज्ञों में त्रिया की प्रमुख प्रेरणा है स्वर्ग सम्पत्ति पुनः आदि की कामना। अतः पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था में पीठ पर्यो की अपेक्षा अधिक नैतिकता आध्यात्मिकता प्रगतिशीलता एक सहायकता देने में जाती है।

पञ्च महायज्ञों के मूल में क्या है? इनके पीछे कौन-से स्थायी मान हैं? ब्राह्मण एक शीतसूत्रों में बर्णित पवित्र शीत यज्ञों का सम्पादन सबसे छिपे सम्भव नहीं था। किन्तु स्वर्ग के मूल अग्नि में एक समिधा बाँधकर सभी कोई देवों के प्रति अपने सम्मान की भावना की अभिव्यक्ति कर सकते थे। इसी प्रकार दो-एक लोको को वाप करके कोई भी प्राचीन ऋषियो साहित्य एक सम्पत्ति के प्रति अपनी इच्छता प्रकट कर सकता था और इसी प्रकार एक अन्वकि या एक पात्र-वत् के तर्पण से कोई भी पितरों के प्रति भक्ति एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था और पिठों की संशुद्ध कर सकता था। सारे विश्व के प्राणी एक ही सृष्टि-बीज के वीर्य हैं, अतः सबसे आदान-प्रदान तथा 'विश्वो एव जीते शो' का प्रमुख सिद्धान्त कार्य रूप में उपस्थित रहता था। उपर्युक्त बर्णित मन्त्रित इच्छता सम्मान प्रिय स्मृति उपाया सन्निवृत्ता की भावनाओं में प्राचीन आर्यों को पञ्च महायज्ञों की महत्ता प्रकट करने को प्रेरित किया। इसका ही बड़ी बड़ी छिपे पीठ पर ऐसे सूत्रकारों तथा मनु (२।२।८) ऐसे स्ववहार-निर्माताओं (बाबू बनाने वालों) में पञ्च महायज्ञों को संस्कारों में परिचलित किया जिससे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले स्वार्थों से बहुत ऊपर उठकर अपनी आत्मा को उच्च बनायें और अपने धरीर की पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थों के योग्य बनायें। शास्त्रों में प्रति बिन के महायज्ञों के साथ अन्य उद्देश्य भी जा जुड़े। मनु (३।१८-७१) विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१९२) धर्म (५।१।२) शारीर मत्स्यपुराण (५।२।१५-१६) तथा अन्य लोगों के मत से प्रत्येक बृहत्स्र अग्निपुत्र यज्ञों का सूत्र तथा इसी प्रकार अन्य बरेक सामग्रियों (यथा चूर्पकेय आदि) से प्रति बिन प्राणियों को आहूत करता एक मारता है अतः इसी पात्र से पुष्टपात्र पाने के लिए प्राचीन ऋषियो में पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था की। ये पाँच महायज्ञ यज्ञ हैं ब्राह्मण्य (वेद का अध्ययन एवं अध्यापन) विष्णुयज्ञ (पितरों का तर्पण) देवयज्ञ (अग्नि में आहुतियाँ देना) भूतयज्ञ (जीवा को अन्न दान देना) एवं मनुष्ययज्ञ (मतिवि-आचार)। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पञ्च महायज्ञ करता है वह उपर्युक्त बर्णित पाँचो स्वार्थों से उत्तम पायो से भुक्ति पाता है। मनु (३।७३-७४) का कहना है कि प्राचीन ऋषियो में पञ्च महायज्ञों का अन्य नामों से उल्लेख किया है यथा अहुत, हुत, प्रहुत ब्राह्मण-हुत एवं प्राणित जो वन से अन्न (या ब्रह्मयज्ञ) होम (देवयज्ञ) भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ एवं विष्णुतर्पण (पितृयज्ञ) हैं। अथर्ववेद (१।७।१२) में उपर्युक्त पाँच में चार का बर्णन मिलता है। हुत एवं प्रहुत ही बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।२) में होम (देवयज्ञ) एवं बलि (भूतयज्ञ) के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु पृथग्पुत्रा में इनके अर्थ किञ्चित् रूप से लगाये गये हैं यथा धामायतपुत्रागुरु (१।५) एवं पारस्करपुत्रागुरु (१।४) के अनुसार चार पात्रयज्ञ हैं—हुत अहुत प्रहुत एवं प्राणित जो धरतापतपुत्रागुरु (१।१।७) के मत से वनवा अग्निहोम (मा देवयज्ञ) बलि (भूतयज्ञ) विष्णुयज्ञ एवं ब्राह्मण-हुत (या मनुष्ययज्ञ) हैं।

शारीरधर्मसूत्र में बने हैं। मत्तोरस ह्य से एक उचित नहीं है—“अप ह्य सुताश्रीं (पान के रसों) की स्थापना करने। ये सुता इन्हीं लिए नहीं जानी हैं कि चक्र एवं अन्न प्राणियों की हत्या करनी है। प्रथम सुता ब्रह्म है जो अनात्म जल में प्रवाह अन्न में इहवीं लेन जल में तिमोर लेन विभिन्न विमाओं में बनें दे देने वन में जिना पाते हुए अन्न अन्न करने एवं साक्षिप के बनाने आदि की क्रियाओं में उपाय करती हैं। दूसरी ब्रह्म है जो अन्वकार में दण्ड उबर करने, कार्य की

छोड़कर चमत् धीमता से हिम जाने या कीड़े-मकोड़ों पर चढ़ जाने भावि से उत्पन्न होती है। तीसरी वह है जो पीने वा काटने (कुहाड़ी से कुछ काटने भावि) चूर्ण करने बीरन (सकड़ी भावि) भावि से उत्पन्न होती है। चौथी वह है जो अनाज काटने रगड़ने या पीसने से उत्पन्न होती है। और पाँचवीं वह है वा चर्चन (सकड़ी से) करने गर्म करने (बक भावि) मूनेने लौहम या पकाने से उत्पन्न होती है। ये पाँच मूला वा हम नरक म क जाती है, सोमों द्वारा प्रतिदित सम्पादित होती हैं। ब्रह्मचारी प्रथम तीन मूनामो से छूटकारा पाते हैं अग्नि-पूजा मुख-सेवा एक ब्रह्मयज्ञ से पूह्य लोन एक ब्राह्मणस्व लोन इन पाँचो मूनाओ से छूटकारा पाँच म्म करके पाते हैं। यति सोम प्रथम वा मूनामो से छूटकारा पवित्र ज्ञान एक मनोयोग से प्राप्त करते हैं, किन्तु बिना पकाय गये बीजा को दाँटा तके बजाने से जो मूना होती है वह उपर्युक्त किसी भी साधन से दूर नहीं होती।

यद्यपि ब्राह्मण्यज्ञानमूत्र एक अन्य धर्मो मे पाँचा यज्ञो का क्रम है—मृतयज्ञ मनुष्ययज्ञ दक्षयज्ञ पितृयज्ञ एक स्वाभ्याय किन्तु उनके सम्पादन के क्रमो के अनुसार उनका क्रम होना चाहिए ब्रह्मयज्ञ (अप भावि) देवयज्ञ मृतयज्ञ पितृयज्ञ एक मनुष्ययज्ञ। हम इसी क्रम से पाँचो का विवेचन करेंगे। ब्रह्मयज्ञ एक पितृयज्ञ के बाल एक स्वयंभु के विषय म कई मत हैं। हम उन मठा का विवेचन यहीं उपस्थित कर दे रहे हैं। यौमिकस्मृति (२।२८-२९) क अनुसार सम्भ्या पूजा के समय क अप को ही ब्रह्मयज्ञ मान लेना चाहिए, अत ब्रह्मयज्ञ को तर्पण के पूर्व एक प्रात होम के पूर्व या वैश्वदेव के उपरान्त करना चाहिए। भास्कराचार्यमूत्र (३।२।१) की व्याख्या मे उपर्युक्त म कहा है कि ब्रह्मयज्ञ वैश्वदेव के पूर्व वा उपरान्त किया जा सकता है। कात्यायन के स्नानमूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ तर्पण के पूर्व होना है। भास्कराचार्य-मूत्रयज्ञ मे, जैसा कि हमने ऊपर तर्पण के विवेचन म देखा किया है तर्पण को ब्रह्मयज्ञ का अंग मान लिया है। मनु (३। ८२-विष्णुधर्ममूत्र १।३।२३ २५) के मत से आङ्गिक आद्य सोमन या अम या ब्रुष या बन्ध-मूल-कृमा से सम्पादित करते पितरों को पवित्र करने का चाहिए। मनु (३।७ एक २८३) ने पुन कहा है कि (स्नान के उपरान्त किया हुआ) तर्पण पितृयज्ञ का अंग है। अत यौमिक (२।२८) के मत से पितृयज्ञ म आद्य तर्पण एक बलि पायी जाती है, हम म से एक के प्रयोग से पितृयज्ञ पूर्ण हुआ जाता है और तीना के सम्पादन की कोई आवश्यकता नहीं है। बहिरुत्थ म (जिसका अर्थ आप किया जायवा) बलि का सेवाद पितरों को दिया जाता है (भास्कराचार्यमूत्र ३।२।११ एक मनु ३।११)।

ब्रह्मयज्ञ

ब्रह्मयज्ञ के विषय मे सम्भवत अत्यन्त प्राचीन अर्थन एतदयत्राद्यत्र (१।१।५।१।३-८) म मिलता है। इस ब्राह्मण के बताया है कि ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन वा वैश्वय्यय (या स्वाभ्याय) है। इस ब्राह्मण न ब्रह्मयज्ञ के कुछ आचार्य्य उपकरणों के साथ दिये हैं, यथा जुह्व चमस उपमृत ध्रुवा मुब अथनुब (यज्ञ के उपरान्त पवित्र स्नान)। (इस पात्रा की व्याख्या अत यज्ञो मे ब्रह्म्यार म होती।) बाली मन बालि मानसिक शक्ति शय्य एक तिजय (जो ब्रह्मविद्या म उपस्थित करते हैं) स्वर्ग के प्रतिनिधि-मे हैं। एतदयत्राद्यत्र मे लिखा है कि जो दिन प्रति-दिन स्वाभ्याय करता (सैदिक पात्र पढ़ता) है उसे उस लोक से नियुता फल होता है जो शान देने या पुरोहित को धन-धान्य के पूय शारा समार देने के शान होता है। देवों को वा दून की साम आदि दिये जात हैं उनकी और आचार्यो यजुर्वेदों माया एक अथर्वगिरमो की मूष्यता नहीं गयी है। यह भी आया है कि देवता लोन प्रमथ होकर ब्रह्मयज्ञ करनेवाले की सुरक्षा मण्डलि आसु बीज उपरा मनुष्य मरत तथा सभी प्रकार के मंगलमय पदार्थ देते हैं और उनसे पितरों का भी एक मयु की पात्रा मे सम्पुष्ट करते हैं।

एतदयत्राद्यत्र (१।१।५।१।८) मे बरों म अतिरिक्त ब्रह्मयज्ञ म अन्य धर्मो के अध्ययन की बात बतायी है। यथा—अनुष्ठापन (केनाय) विद्या (मर्त एक देवयय विद्या—छान्दोग्योपानिषद् ७।१।१) भावेवाचय (ब्रह्मय आचय

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (ब्रह्मण्य अस्तस्य बीजं चतुर्दशैः) अपने वर्तमानों का पाप्मन। विष्णु धर्म २ प्रेरणा है स्वर्ग सम्पत्ति पुत्र आदि की प्राप्ति। अतः पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था में भी नैतिकता साम्प्रदायिकता प्रगतिशीलता एवं सदाचारता देखने में आती है।

पञ्च महायज्ञों के मूल में क्या है? इनके पीछे कौन-से स्थायी भाव हैं? ब्राह्मण्य पवित्र शीत यज्ञों का सम्पादन सबसे किए सम्भव नहीं था। विष्णु स्वर्ग के मूल बलि मरण कोई देवों के प्रति अपने सम्मान की भावना की अभिव्यक्ति कर सकते थे। इसी प्रकार दाम्पत्य कोई भी प्राचीन ऋषियों साहित्य एवं सभ्यता के प्रति अपनी वृत्तता प्रकट कर सकता था। अग्नि या एक पात्र-बल के तर्पण से कोई भी पितरों के प्रति भक्ति एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था। सारे विश्व के प्राणी एक ही सृष्टि-बीज के शोथक हैं, अतः पञ्च महायज्ञों का प्रमुख सिद्धान्त कार्य रूप में उपस्थित रहना चाहिए। उपर्युक्त बलि मरण स्मृति उद्योगिता सृष्टिधर्मों की भावनाओं ने प्राचीन जातियों को पञ्च महायज्ञों की महत्ता बतला दी नहीं। इसी लिए भीतम ऐसे मूलकारों तथा मनु (२।२।८) ऐसे व्यवहार-निर्मा ने पञ्च महायज्ञों को सम्कारों में परिवर्तित किया। जिससे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले अपनी आत्मा को उच्च बनायें और अपने शरीर को पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थों प्रति बिन के महायज्ञों के साथ अन्य उद्देश्य भी जा लें। मनु (३।१८-७१) वि (५।१२) हारीश मन्सपुत्र (५।२।१५-१६) तथा अन्य लोगों के मत से प्रयोग रूप तथा इसी प्रकार अन्य बरेल सामग्रियों (यथा बृहस्पति आदि) से प्रति बिन प्राणि। अतः इसी पापों से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था (वेद का अध्ययन एवं अध्यापन) कृत्य (पितरों का तर्पण) देवयज्ञ (बीजों को अन्न दान देना) एवं मनुष्ययज्ञ (अतिवि-सत्कार)। जो अपनी साम्प्रदायिकता को उच्चतर पवित्र पापों से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाता है। मनु (३। ऋषियों ने पञ्च महायज्ञों का अर्थ नामों से उल्लेख किया है, यथा श्रुत, हुत, प्रतु, अथ (या ब्रह्मयज्ञ) होम (देवयज्ञ) भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ एवं कृत्यतर्पण (पितृयज्ञ) वर्तुल पात्र में चार का वर्णन मिलता है। हुत एवं प्रतु ती महायज्ञों को प्रतिपादित (मृतयज्ञ) ने अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु ब्रह्मयज्ञों में इनके अर्थ विभिन्न रूप से (१।५) एवं धारस्करयज्ञयज्ञ (१।४) के अनुसार चार पाठ्ययज्ञ हैं—हुत महत " मनु (१।१।७) के मत से क्रमशः बलिहोम (या देवयज्ञ) बलि (भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ) हैं।

हारीशमनुष्य ने बड़े ही मनोरम ढंग से एक उक्ति नहीं है—अब हम तुम लोगों (प) के लिये इसी लिए नहीं आती हैं कि जल एवं अन्न प्राणियों की रक्षा करती हैं। प्रथम प्रवेश जल में बुझने से जल में हिलोटे से विभिन्न विषाक्तों में बपेके देने वस्तु से। एवं बाधियों के चकाने आदि की क्रियाओं से उत्पन्न होती है। हुतरी वह है जो अन्नकार

एर ब्राह्मण कस्य यात्वा नारायणी इतिहास एव पुराण। किन्तु मनोयोगपूर्वक जितना स्वाध्याय किया या सक
जना ही कहना चाहिए।

साध्यायनसूत्रम् (१।४) मे ब्रह्मयज्ञ के सिद्ध ऋषेय ने बहुत-से सूक्त एव मन्त्रा के पाठ की बात कही है।
अथ सूत्रम् या मे अपने वेद एव शाखा के अनुसार ब्रह्मयज्ञ के लिए विभिन्न मन्त्रा के पाठ या स्वाध्याय की बात कही
रही है। ब्राह्मणस्यस्मृति (१।१.१) ने लिखा है कि समय एव योग्यता के अनुसार ब्रह्मयज्ञ में अथर्ववेद सहित वेदों
के साथ इतिहास एव वार्षिक ग्रन्थ भी पढ़ जा सकते हैं।

वाग्निव जाके मे अत्यन्त बहुर वैदिका एव शास्त्रिया की छोड़कर ब्रह्मयज्ञ प्रति बिन कोई नहीं करता। ब्राह्मण
में मे अथक एक बार आशय मास मे निर्धारित एक मून के अनुसार ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ऋषय के छान के लिए
वद मून को है—“ओ मूर्धन स्व एव सायनी के पाठ के उपरान्त यह ऋषय के १।१।१.९ मन्त्रा का पाठ करता है,
उप ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण के पाँचा विभाषी के प्रथम ब्राह्मण इत्य एव पुस्तक मनुष्य के प्रथम
शाखा, सामवेद अथर्ववेद के प्रथम ब्राह्मण एव छ वैशाखा (आश्वलायनश्रौतसूत्र निष्कल छन्द निष्कल
गोत्रिय विद्या) के प्रथम ब्राह्मण पाणिनि व्याकरण के प्रथम मून ब्राह्मणस्यस्मृति (१।१) के प्रथम स्मोरार्थ
ब्रह्मयज्ञ (१।१।१) के प्रथम स्मोरार्थ श्याय पूर्व मीमांसा एव उत्तर मीमांसा के प्रथम मून उच ब्रह्मयज्ञप्रद मून
का उक्तबोरावृत्तीमहे ‘भुत्तये’ वीर अस्त म ‘ममा ब्रह्मणे नामक मन्त्र का पाठ करता है।” इन
ब्रह्मयज्ञ के उपरान्त वेदो ऋषिया एव पितरों का तर्पण आरम्भ होता है।

वर्मिन्वु (३ पूर्वार्ध पृ. २९९) के मत से ब्रह्मयज्ञ एक बार प्रातःहाम या मध्याह्न सन्ध्या या वैश्वदेव
के उपरान्त करना चाहिए, किन्तु आश्वलायनसूत्रपाठी का मध्याह्न सन्ध्या के उपरान्त ही करना चाहिए। ब्राह्मण
एव ब्राह्मण्य के उपरान्त यह सकस्य क्रमा चाहिए—“वीरमेवश्रीत्परं ब्रह्मयज्ञ करिष्य तन्गत्या इवर्त्याचार्य-
ताय करिष्य। अथ पिता न हो तो सकस्य म इतना जोड़ देना चाहिए—“पितृतर्पण च करिष्ये।” इसके उपरान्त
वर्मिन्वु उन लोगों के लिए ब्रह्मयज्ञ की व्यवस्था करता है जो सभी वेद जानते हैं या एक ही वेद जानते हैं या वेदक एव
अन ज्ञान हैं या उनके पास समय नहीं है। वर्मिन्वु का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी ‘विद्युवमि विद्या
ने पाप्मानमूपात् मार्यमूर्धमि’ आरम्भ म तथा ‘वृष्टिरसि ब्रह्म मे पाप्मानमूपात् सम्पमुपागाम्’ अन्त में करते हैं।
अथर्ववेद व्यक्ति वैदिक ब्रह्मयज्ञ म कर सके तो वह सेठे हुए भी इसे सम्पादित कर सकता है।

वर्मिन्वु का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायियों एव ब्राह्मणों के लिए अथर्ववेद के अनुसार एतल ब्रह्मयज्ञ का
भी वैदिक नहीं है अतः तर्पण का सम्पादन ब्रह्मयज्ञ में पूर्व या इनमें कुछ समय उपरान्त ही करना है।

अध्याय १९

देवयज्ञ

देवयज्ञ का सम्पादन अग्नि में ममिषा डालने से होता है (तैत्तिरीयारण्यक २।१)। आपस्तम्बब्रह्मसूत्र (१।४।१११) बीषावनवर्गसूत्र^१ (२।६।४) एवं भीतम (५।८) के अनुसार देवता का नाम कंकर 'स्वाहा' शब्द के उच्चारण के साथ अग्नि में हवि या नम-म-नम एवं ममिषा डालना देवयज्ञ है। मनु (१।७) ने होम को देवयज्ञ कहा है। विभिन्न बृहत् एवं धर्मसूत्रों के अनुसार विभिन्न देवताओं के लिए होम या देवयज्ञ किया जाता है। आपस्तम्बब्रह्मसूत्र (१।२।२) का मत है देवयज्ञ के देवता वे हैं— अग्निहोम का देव (सूर्य या अग्नि एवं प्रजापति) सोम वनस्पति अग्नि एवं सोम इन्द्र एवं अग्नि ही एवं पृथिवी अन्वन्तरि, इन्द्र विष्णु देव ब्रह्मा।" भीतम के अनुसार देवता हैं "अग्नि अन्वन्तरि विष्णु देव प्रजापति एवं अग्नि स्वियद्ब्रह्म। मानवगृह्यसूत्र (२।१२।२) में विभिन्न नाम मिलते हैं। पश्चात्कालीन स्मृतियों में होम (या देवयज्ञ) एवं देवपूजा में अन्तर बताया है। याज्ञवल्क्य (१।१) तर्पण तथा देव-पूजा को अर्थात् करने के उपरान्त पञ्चयज्ञों में होम को सम्मिलित करते देखे जाते हैं। मनु (२।१७९) में भी यही अन्तर दर्शाया है। मध्य काल के ग्रन्थकारों ने वैश्वदेव को ही देवयज्ञ माना है, किन्तु अन्य लोगों ने देवों के होम को नैस्वयम से मिला माना है (वेदिए आपस्तम्बवर्गसूत्र १।४।१११ पर हस्तगत)। स्मृतिमुक्तावली (माहिम्न पृ ३८१) में उद्धृत मरीचि एवं हारीत के अनुसार प्रातः होम के उपरान्त या मध्याह्न में ब्रह्मयज्ञ एवं तर्पण के उपरान्त देवपूजा की जाती है। मध्य एवं आधुनिक कालों में होम-सम्बन्धी प्राचीन विचार निम्न सूत्रों में बरका गया और उक्त स्थान देवपूजा (अथ में ही रखी मूर्तियों के पूजन) की विस्तृत विधि में के बिना है। यहाँ पर मूर्ति-पूजा का विषय में बाधा सा लिखा जा रहा है।

मूर्ति-पूजा का उद्गम

प्राचीन वैदिक काल में मूर्ति पूजा होती थी कि नहीं इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में केलागुत्तराग्नि सूर्य बस्य एवं अन्य देवताओं का पूजन होता था किन्तु वह परोक्ष रूप में होता था और वे देव या तो एक ही देवी या विषय व्यक्तित्व की शक्तियाँ या अभिव्यक्तियाँ वे या प्राकृतिक वृक्ष या मानसिक वस्तु वे या धम्मूर्त विषय की विभिन्न गतियाँ वे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर देव श्लोक शीतिक (छापीरिक) उपाधियों से युक्त भी गाने गये हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेद (८।१७।१) में इन्द्र को 'पृथिवीक (शक्तिशाली या मोटी गरजन बाला) 'वपोरर' (बड़े चक्र बाजा) एवं 'पुत्राहु' (सुन्दर बाहुओं वाला) कहा गया है। ऋग्वेद (८।१७।५) में इन्द्र के कर्णों एवं पाशों का वर्णन है और उक्त अपनी बिराहों से मधु पीने को कहा गया है। इसी प्रकार इन्द्र को रजनी बार्धों एवं शरी

१ मनुस्व स्वाहा पुनर्वाकाष्ठात्सवेन देवयज्ञ समाप्नोति। बी व २।६।४; देवपुन्यसुब्रह्मयज्ञाः स्वाभ्यावतव अतिकर्णं। अजावग्निर्वात्तरिबिष्वेदेवा प्रजापति स्वियद्ब्रह्मिर्ति होमः। भीतम (५।८ ९)। मन्त्र होते हैं—'सोमय वनस्पत्ये स्वाहा अग्नीशोमास्या स्वाहा मावि'; अथ स्वाहा कहा जाता है तो अमुति अग्नि में डाली जाती है।

रुद्र (ऋ १ १७१८) हरेरग की दुइबी बासा (ऋ १ ११ ५१०) कहा गया है। रूद्र की 'ऋषुवर' (जिसका फेरलक्ष हो) बभ्रु (भूरे रंग का) एव सुविप्र' (सुन्दर ठाड्डी या नाक बासा) कहा गया है (ऋ १२२३५)। धन्वन्तरी संहिता म वरु का सहृदे आसमानी (नील) रंग बाध गले का एक काल रंग का (१६१०) तथा चर्म (हृदि) एवने बासा कहा गया है (१६५१)। ऋग्वेद (११५५६) म विष्णु का बृहद् गरीर एव युवा रूप म युद्ध म जान लेता है। ऋग्वेद (३१५३६) मे इन्द्र की सोम रस पीकर वर जान का कहा गया है क्योंकि उसको स्त्री सुन्दर एव बलवत् है और उसका वर रमजाक है। ऋग्वेद (१ १२६१७) म पूषा की बाईं हिजाठ हुए कहा गया है। ऋग्वेद (१५३१२) मे संहिता की प्रापि (कवच) पहलने बासा कहा गया है और इसी प्रकार ऋग्वेद (१२५१११) मे वदक गो वल की प्रापि बासा कहा है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किय जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि रूद्र सब बर्नन कवित्वमय एव आत्मकारिक मात्र है। किन्तु ऋग्वेद क दो उदाहरण कठिनाई उपस्थित कर बध हैं। ऋग्वेद (१२४११) म आया है— 'मेरे इस इन्द्र की दस गाया क बयने कौन करीयेगा और बय यह (इन्द्र) धनुषी काधार बासा ठक हसे छोटा देगा?' ऋग्वेद (८११५) म पुन आया है— 'हे इन्द्र मे तुम्हे बडे दामा पर भी नहीं पूँष काड़े एव नी एक महस्र या एक अमुत (१ सहस्र) क्या न मिले। इन दामा उदाहरणा स बर्न निवासा जा लगता है कि इसम इन्द्र की प्रतिमा की और सकेत है। किन्तु यह बर्ननवाली बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि इन उदाहरणा म इन्द्र क प्रति उसके मकडो की अटुट धडा का संकेत प्राप्त होता है। यदि हम बाह्यम-मन्वा म स्थित कडो एव वल की सामग्रिया का अवकाश न करें ता यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियां न देवतामा को परदा का मे ही पूजा है ही कवित्वमय वग से उन्हें हाया पैरा एव भय्य अया स स्थापित मानता है। यह तब कुछ ऐम बर्नन बलवत् बिकडे है किनसे मूनि-पूजा का निर्देय निक जाता है यथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (२६११०) म आया है— 'हेला वरुन उन तीन देवियों की पूजा करे जो सुवर्नमयी हैं सुन्दर हैं और बहद् हैं। क्यठा है तीमा देविया की मान की मूर्तियां की। इतना कहा जा सकता है कि उन्मत्तरीय भाषों मे धार्मिक कृत्या म घर या मन्दिर म मूर्तिपूजा का कोई स्थान नहीं था। किन्तु वैदिक भारत क मिन्मत्तरीय भाषो क धार्मिक आचार-व्यवहारा क विषय म हम कोई साहित्यिक निर्देय नहीं प्राप्त हुंला। ऋग्वेद (७१२१५) मे बलिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं— 'हमारे धार्मिक आचार-व्यवहार (ऋ) पर विस्तरेबा का प्रमाण न पडे। इसी प्रकार ऋग्वेद (१ १९९३) की प्रार्थना है— 'इन्द्र मिन्दरको जो गार-पीठपर अथ स्वराय एव शक्ति से बोल ले। 'मिन्दर' शब्द मे अर्थ मे विषय म मर्त्यय नहीं है। कुछ समय मिन्दरको को विना-पूजा कर्मबाले मानते हैं (देखिए बेदिक इण्डिकम विन्ड २ पृ ३८२)। कुछ भाग एसा कहते हैं कि वह पत्न कीच एव स्नक को मूर्ति प्रमुक्त हुआ है जिसका तात्पर्य है क साथ जा मेवुल-वृत्ति मे सकल रहम है और किन्तु अन्न कार्य को महत्ता नहीं देत। यास्क ने ऋग्वेद (७१२१५) का उद्घाटन कर समझाया है कि मिन्दरक का क है जो ब्राह्मण क नियमों का पालन नहीं करते। अधिवाद्य विद्वान् साथ इसी धूमरे मड को स्वीकार करते हैं।

१ क इम वगानियेन्द्र कीगालि येनुभिः। यथा बृवाणि जघनवर्षेण मे पुनर्दवात् ॥ ऋग्वेद (४१२४११)
 २ ये वन स्थापयित्वा वरा धूम्रकाय देवाम्। न सहज्वाय तापुताय बन्धुको न धृताय धृतामप ॥ ऋग्वेद (८११५)।
 ३ हेला यत्नलोघास्वती। तिलो देवोद्दिश्यमीः। भारतीयुहृतीर्नर्होः। तं वा। ये तीमा देविया
 ४ भारती, इडा एवं सरस्वती।
 ५ वा मिन्दरेबा अवि पुर्जत न ॥ ऋ ७१२१५ इन्द्रमिन्द्रदेवा अवि वर्षता भूनु ॥ ऋ १ १९९३
 ६ वा मिन्दरेबाः अहोव्ययः, मिन्दर इत्यन्ते अवि पुर्जत न सत्य वा यत्र वा। मिन्दर (४११९)।

मोहोन्नेवधो (वेदिए सर जौन मार्लेस बिस्व १ पृ ५८ १३) में सिंग पूजा क बिह्व मिले हैं। इनके अतिरिक्त सिंग-मूर्तियाँ ईसा पूर्व पहली सताब्दी के आगे की नहीं प्राप्त हो सकी हैं। किन्तु ईसा से कई सताब्दियों पूर्व माघ में मूर्ति-पूजा का विस्तार हो चुका था। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२०-१३) की टीका में लिखित इराक के घट से प्राप्त उसकी पत्नी एव पुत्र अथवा (विजेता स्कन्ध) की मूर्तियों की पूजा होती थी। मानवगृह्य (२।१५।१) में लिखा है कि यदि (काष्ठ प्रस्तन या बालु की) मूर्ति बरु आया उसका अंग मन हो आया या बहु गिर जाती है और उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, वह हँसती है या स्वात्मान्तरित हो जाती है तो मूर्ति वाले गृहस्थ को वैश्विक मन्त्रों क साथ अग्नि में इस आहुतियाँ देनी चाहिए। शौभायनगृह्यसूत्र (२।२।१३) में उपनिष्कमन (प्रथम बार अन्न को घर से बाहर ले जाने) के समय पिता द्वारा मूर्ति-पूजा की बात बड़ी है। श्रीगार्गीगृह्य (१८।३) में देवतायतन (देवालय या मन्दिर) की बात बड़ी है। इसी प्रकार गौतम (१।१३ १४ एव १।६६) याज्ञवल्क्यगृह्यसूत्र (४।१२।१५) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।११।३।२८) में देवतायतन की चर्चा हुई है। मनु (२।१७९) में लिखा है कि ब्राह्मणों की मूर्ति-पूजा करनी चाहिए श्रेणियों को याथा में जब मूर्तियाँ मिलें तो प्रवक्षिष्या करनी चाहिए (४।३९) मूर्ति की छाया को छाँटना नहीं चाहिए (४।१३)। मनु ने यह भी लिखा है कि साक्षियों को देवमूर्तियों एव ब्राह्मणों के समस्त शपथ सेनी चाहिए (८।८७)। और वेदिए मनु (३।११७ एव १।२८५)। विष्णुधर्मसूत्र (२।३।३४ ३३।२७) में देवताशक्ति (देवमूर्तियों) की तथा भवबानु बामुदेव की मूर्ति का उल्लेख किया है। अथर्व (११।३१) एव विष्णुधर्मसूत्र (९९।७ ३।१५, ७।१३ ९१।१) में 'देवतायतन' एव 'देवायतन' उल्लेख जाये हैं। किन्तु इन दोनों की विधियाँ अभी निश्चित नहीं की जा सकी हैं। किन्तु इतना तो ठीक ही है कि मानव शौभायन एव शास्त्रायन नामक गृह्यसूत्र तथा गौतम एव वापस्तम्ब ने धर्मसूत्र ईसा पूर्व ५वीं या चौथी सताब्दियों के आरंभ के नहीं हो सकते। पाणिनि ने भी देवमूर्ति की चर्चा की है (५।३।९९) और उनकी विधि ई पृ ३ के उपरान्त नहीं रखी जा सकती। पठम्बसि (महामाय विस्व २, पृ २२२, ३१४ ४२९) ने भी मूर्तियों का उल्लेख किया है। महामाघ्य (आश्विन ७।४९, अनुशासनपर्य १।२०-२१ आश्विन ७।१९ भीष्म ११।२।११ आदि) में देवायतनों का उल्लेख हुआ है। कस्मिन् न राजा कारवेक (ई पृ ५०) की सताब्दी का उत्तरार्ध) ने मन्दिरों द्वारा से आयी नयी विन-मूर्ति की स्थापना की थी और उसे 'सर्वदेवायतन सत्कार-कारण' (सभी मन्दिरों की सुरक्षा एव जीर्णोद्धार करनेवाले) की उपाधि मिली थी। गौटम्य ने अर्धशास्त्र (२।४) में (जिसकी विधि ई पृ ३ से ईसा बाद २५ तक विभिन्न विद्वानों द्वारा रखी गयी है) आवा है कि राजधानियों के मध्य में अथर्वविद्वान् अथर्वविद्वान् अथर्व विद्वान् की तथा सिद्ध भद्रिकनी वैश्वक कर्मनी एव मरिच के मन्दिरों की स्थापना होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट होता है कि पाणिनि ने बहुत पहले से ही मूर्ति

५ यत्तर्था बहुधा नखेहा प्रपतेडा प्रमनेडा प्रबन्धेडा एतानिर्बहुतान् इति बहानुतय। मानवगृह्य (२।१५।१)।

६ श्रीविनायक आयुधे। पाणिनि ५।३।९९ अपय्य इत्युच्यते। तत्रेव न सिध्यति शिबः स्कन्धः विद्याङ्ग इति। कि कारयन्। श्रीश्रीहिरण्याभिरिर्वा प्रकल्पिता। अवेलातु न स्यात्। यास्त्येताः संप्रति पुत्रार्थास्तानु भविष्यति। महामाघ्य विस्व २ पृ ४२९; श्रीधर्मशिक्षणार्थं तुंगनातिक्रमार्थं। महामाघ्य विस्व २, पृ ३२२ (आश्विन ४।१।५४ बर) 'बामुदेवार्जुनायानां वृत्तु। पाणिनि ४।३।९८; 'अथवा नैवा लज्जियाख्या। संभवा तत्र भवत। महामाघ्य, विस्व २ पृ ३१४ वेदिए एतिर्पेरिया इतिवचन विस्व २ पृ ८ एव वा आर की अथर्वकार इति 'वेदविद्वान् एव दीक्षितम् (१९१३) पृ ३-४।

पूजा से उतान बीजिका वाले लोग प्रचलित हो चुके थे तथा बीबी या पाँचबी छताब्दी ईसा पूर्व में देवात्म्य स्थापित थे।

भारत में मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन सात-सात हुआ या वैदिक आर्यों में इस विषय में किसी रूप में या सम्प्रदाय से विचार ग्रहण किये? इस विषय में बहुतों का दृष्टिकोण होता रहा है। तीन मत अधिक श्रेष्ठ हैं—(१) मूर्ति-पूजा ध्रुवों एवं इन्डोसो से प्रथम की गयी और ब्राह्मण धर्म में समाहित हो गयी। (२) मूर्तियाँ का निर्माण बीबी की अनुकृति है, तथा (३) यह प्रथा स्वाभाविक विकास का प्रतिफल है। इसका मत सत्य से बहुत दूर है, क्योंकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक बुद्ध प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ। आरम्भ में बुद्ध केवल प्रतीकात्मक रूप में किने जाते थे। बुद्ध का काल ई. पू. ५६३-४८३ जो बहुत-से विद्वानों को मान्य है। हमने पहले ही देखा कि मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन ई. पू. बीबी या पाँचवीं शताब्दी में ही हुआ था। प्रथम मूर्तियों का मर्मनन या फर्नर (वे कार ए एम् १९२८, पृ. १५-२३) एक डा. कार्पोटियर (इण्डियन ऐन्थ्रोपॉलॉजी १९२७, पृ. ८९ एवं १२) ने किया है। किन्तु इन लोगों का तर्क उचित नहीं जैसा है। ब्राह्मणों ने ईसा पूर्व ४०० के समय ध्रुवों से मूर्ति-पूजा ग्रहण की इस विषय में कोई स्पष्ट तर्क नहीं प्राप्त होता। जैसा कि पुस्तकालय से प्रकृत है पूरा ज्ञान समय एक सहस्र वर्ष ई. पूर्व से भारतीय समाज का एक अंग बन चुके थे। मूर्तिका मन्त्राङ्गण लोग ध्रुवों का ग्रहण किया जस ग्रहण कर सकत थे और ध्रुव मारियो से विचार भी कर लेते थे। अतः यदि मूर्ति-पूजा ध्रुवों की रचना की तो इसे ईसा पूर्व ४०० की जगह एक सहस्र वर्ष पूर्व से प्रचलित रहना चाहिए था। देवसक ब्राह्मण (बहु ब्राह्मण) की मूर्ति-पूजा का व्यवसाय करता है या पूजा में जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है) की भाँति वे समय नहीं बुझाया जाता था और उसे समाज में अपेक्षाकृत तीव्र स्थान प्राप्त था (मनु ३।१५२)। मूर्ति-पूजा की सत्ता मनु के समय में थी एवं गृहस्थता की जगह बहुत पुण्यनी नहीं थी। कथना है मूर्तिपूजा की जगह ब्राह्मण-धर्मस्य (यथा वेदाध्ययन) होना दिया था अतः ऐसे ब्राह्मण हीय दुष्टि से बने जाते थे। ब्राह्मण-धर्म के काल में ही सामाज्य गृह्य यज्ञ यज्ञ इत्यादि के स्तर पर जाते जा रहे थे क्योंकि यीव इत्ये अब उतने जतिव नहीं किये जाते थे अर्थात् उतका प्रचलन जसज जस होता था रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण (२।८) में आया है कि अब कोई किसी रचना को कुछ (हवि) देना चाहता था तो वेद कहने से पूर्व उसे उत देवता का ध्यान करना पड़ता था। हमने पूजा स्वभाव अपने देवता की मानवीय रूप्य एवं उपाधियों का मनु देन की प्रेरणा ग्रहण करेगा। निरुक्त में वैदिक मन्त्रा में निर्दिष्ट देवताऽऽहृणियाँ न प्रकृत पर कुछ लिखा है (७।१-७)। इसमें तीन मत प्रकाशित किये हैं—(१) देवता लंग पुण्यविध (पुण्य आचार काल) है, (२) वे अनुपविध है तथा (३) वे उभयविध है अर्थात् वे ही वे अनुपविध किन्तु किसी कार्यक्रम या उद्देश्य में किसी प्रकार के स्वभाव कारण कर सकत हैं। इन अन्तिम मत में अन्तरालों का निश्चाल पाया जाता है। जब वर्तमान में वैदिक यज्ञ क्रम जस मनायें जात लगे (अहिया न निश्चाल विभिन्न उपाधियों एवं उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म के दार्शनिक दृष्टि आदि के कारण) तब जस मूर्ति-पूजा की प्रथागत ही जात लगी। आरम्भ में मूर्ति-पूजा का स्तना विस्तार नहीं था जैसा कि मध्य एवं आधुनिक काल में पाया जात लया।

७ अर्थात् देवतायें हविगु हीन स्वास्तो ध्यायेत्परद्वारिव्यम्। ऐ. का. २।८ (वेदान्तसूत्र पृ. १।३।३।३ में उक्त-धर्म द्वारा उद्धृत)।

८ अन्वयार्थितान् देवतात्मान्। पुण्यविधः स्मृतिर्येवम्। अनुपविधः स्मृतिव्ययम्। अथि वा उभयविधाः स्मृ. अथि वा अनुपविधालाभे सतामेते कर्त्तव्यान् स्मृ. निरुक्त ७।१-७।

मूर्ति-पूजा-सम्बन्धी विषय

मूर्ति-पूजा-सम्बन्धी साहित्य बहुत सम्बन्धी है। मूर्ति-पूजा से सम्बन्ध रखनेवाले विषय वे हैं—वे पार्ष्णिजिनसे मूर्तियाँ बनती हैं, वे प्रमुख देवता जिनकी मूर्तियाँ की पूजा होती थी या होती है मूर्ति-निर्माण में छठीरावणको के आनुपातिक क्रम मूर्तियों एवं देवालयों की स्थापना एवं मूर्ति-पूजा-विषयक इत्ये।

ब्रह्मसंहिता की बृहत्संहिता (अध्याय ५८ जहाँ ८ या ८ या २ ब्राह्मणों वाली छम एवं विष्णु की मूर्तियों के विषय में तथा बलदेव एकान्तशा ब्रह्मा स्कन्द सिद्ध गिरिजा—सिद्ध की अर्धांगिनी के रूप में—बुद्ध जिन पूर्व मातृका यम बल्लभ एवं कुबेर की मूर्तियों के विषय में उल्लेख है) में मत्स्यपुराण (अध्याय २५८-२६४) में अग्निपुराण (अध्याय ४४१-५३) में विष्णुसर्गोत्तर (३१४४) तथा अथ्य पुराणों में मानसार हमाद्रि की षतुर्बर्गचिन्तामणि (शत्रु षष्ठ जित २ १ पृ ७३-२२२) एवं कठिपय नामक ग्रन्थों में १५वीं शताब्दी के सूत्रधार मन्मथ कृत देवतामूर्ति प्रकरण में तथा अन्य पुस्तकों में प्रतिमात्मत्व के विषय में विस्तृत नियम दिये गये हैं। स्थानाभास के कारण हम विस्तार में नहीं जायेंगे। आधुनिक काल में बहुत-सी सम्प्रदाय-सामग्री ग्रन्थ एवं लेख प्रकाशित हुए हैं।

मध्य काल के निबन्धों में स्मृतिचन्द्रिका स्मृतिमुक्ताफल पूजाप्रकाश आदि ग्रन्थ देवपूजा तथा उसके विभिन्न स्वरूपों पर विस्तार के साथ प्रकाश डालते हैं। पूजाप्रकाश ३८२ पृष्ठों में मुद्रित हुआ है। इन तीनों कुछ विषयों पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे।

मूर्तिपूजा का अधिकारी स्थल आदि

पाणिनि के वाक्य 'उपाद् देवपूजा १।३।२५ पर' में 'देवपूजा' शब्द आया है। निबन्धों में यह विनियमों का प्रवर्ण किया है कि याम (यज्ञ) एवं पूजा समानार्थक है क्योंकि दोनों में देवता के लिए इच्छा-समर्पण की बात पामी जाती है।

अब प्रश्न उठता है देवपूजा करने का अधिकारी कौन है? मूर्तिपूजा एवं मूढ शरीर (१।३ एवं २५९) के मत में मुनिह्वय का रूप में विष्णु की पूजा सभी वर्णों के स्त्री-पुरुष यहाँ तक कि अट्ट ब्रह्म भी कर सकते हैं। व्यवहार मयुग (पृ १३३) में उद्धृत शास्त्र के मत से समुक्त परिवार के सभी सर्वस्य अलग-अलग रूप से सम्पत्ता ब्रह्मयज्ञ एवं अग्निहोत (यदि उत्तरेण भोजन एवं बृहत् अग्निवी प्रयत्नित की हो) कर सकते हैं किन्तु देवपूजा एवं ब्रह्मदेव धारों पर बार क इष्ट होगे। देवपूजा का समय सम्पत्ता के उत्पन्न के उपरांत एक ब्रह्मदेव के पूर्व है किन्तु कुछ लोग इन ब्रह्मदेव के उपरांत भी करते हैं। दध (२।३ ३१) के अनुसार गमी देवधर्म दिन के पूर्व ही भय के भीतर ही हो जाने चाहिए।

हिन्दु धर्म में एक विविध बात है अर्धवार-मेव (बुद्धि गवध एवं भाष्यारिमत बल के आधार पर अधिरारों, बर्णों, उमरों एवं पूजा में अन्तर)। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के अनुष्ठान एवं अध्यात्म-विधि या पध्यात्म नियम का पालन नहीं कर सकते। मूर्ति-पूजा भी सभी व्यक्तियों के लिए अध्यात्मपत्र नहीं थी। प्राचीन ग्रन्थकारों के मत नहीं मही माना कि वे मूर्ति की पूजा भीगीत बन्तु की पूजा के रूप में करते हैं। उनके मत पूर्व विधान का कि मूर्ति का रूप में वे परमात्मा का ध्यान करते हैं।

नाग्य मातृकापुराण (११।७७) एवं बुद्ध शरीर (३।१०८ १०) का मत है कि की पूजा अत्र अग्नि इत्ये मूर्ति यहाँ ब्राह्मणों एवं मुनियों में हीनी है। मातृका का मत है— मातृका भोगों के देव जन्म में है आतिरों के रूप में अर्धवार एवं अत्र बुद्धि भाषा का मत एवं सिद्धी (अर्धार्थ मूर्ति) में तथा योगियों के देव उन्को मत्त (का

रूप) में रहते हैं। ईश्वर की पूजा धर्म में जाहतिबो से होनी है जब म पुष्प अर्पण करने से हृदय में ध्यान में एक पूर्व क पण्डित में अर्पण करने से होनी है।^१

प्रतिमा निर्माण के उपकरण एवं प्रतिमा-आकार

बहुमुख्य प्रस्तरा मुखर्ष रजत ताम्र पित्तल सोह काण्ट या मिट्टी से प्रतिमाएँ बन सकती हैं जिनमें बहुमुख्य स्तरो से निर्मित सर्वथेष्ठ एव मिट्टी से निर्मित जिन्या मानी जाती हैं। मायवतपुराण (११२७।१२) के अनुसार मूर्तियाँ षाठ प्रकार की होती हैं प्रस्तर, काण्ट सोह चन्दन (या तावुन जिची रूप वाली) चित्र बालिका की बहुमुख्य स्तरो की तथा मानसिक। मत्स्यपुराण (२५८।२ २१) ने उपर्युक्त सूची में सीधे एक कठिे की बनी मूर्तियाँ भी जोड़ दी हैं (केसिए बृह हारीठ ८।१०)। बिल्गु-पूजा के लिए प्रस्तर-मूर्तियो में घालघाम प्रस्तर (गण्डकी नदी क उद्गम पर घालघाम नामक घाम में पाये जानवाले काले प्रस्तर-अण्ड) एवं द्वारका के प्रस्तर (मोमतीचक्र जिन पर एक बने हो) बने महत्त्व क माने जाते हैं। बृह हारीठ (८।१८३ १८९) में घालघाम-पूजा की बड़ी महत्ता गापी है। एक मत से घालघाम की पूजा बेबक दिन ही कर सकते हैं सूत्र नहीं। किन्तु कई पुराणों के मत से (पूजाप्रसाद पृ २०-२१ में उद्धृत) मूर्तियाँ एक घूड़ भी बिना सर्वे बिदे घालघाम की पूजा कर सकते हैं। श्रुतियों द्वारा अनीन म संस्कारित बिनी की पूजा भी स्त्रियाँ एवं घूड़ नहीं कर सकते से। घालघाम-पूजा पर्याप्त प्राचीन है क्योंकि वेवास्तुयुग काण्ट (१।२।७) में एकटाचार्य ने हरि के प्रतीक के रूप में इगली चर्चा की है। पूजा में पाँच प्रकार के प्रस्तर प्रयोग से जाने रहे हैं (१) चित्र-पूजा में मर्मबा का काण्ट-रत्न (२) बिल्गु-पूजा में घालघाम, (३) दुर्गा-पूजा में काण्ट मय प्रस्तर, (४) सूर्य-पूजा में स्फटिक प्रस्तर एवं गणेश-पूजा में काण्ट प्रस्तर। राजतरंगिणी (२।१३१ एवं ७।१८५) के अनुसार मर्मबा से प्राप्त चित्र से बाणालिका की स्थापना की चर्चा की है।

बर्ध पूजने की मूर्तियो से विषय में मत्स्यपुराण (२५८।२२) ने कहा है कि उनका आकार अँगूठे में सेकर १२ अङ्गुल से अधिक नहीं होना चाहिए, किन्तु मन्दिर में स्थापित होनेवाली मूर्तिया का आकार १६ अङ्गुल में अधिक नहीं होना चाहिए, या उचित ठेकाई के लिए निम्न नियम काम में आता चाहिए—मन्दिर क द्वार की ठेकाई को धाण्ट पाया में बाँटिए, पुन सात भागों को एक तिहाई एवं दो-तिहाई भागों में बाँटिए मूर्ति का आकार मात्र भागों का एक तिहाई तथा मूर्ति दो-तिहाई (अर्थात् द्वार क ३ का ३) होनी चाहिए (मत्स्यपुराण २५८।२३ २५)।

१. (क) साकारा बिहृतिर्मेवा तस्य सर्वं अयत्सुतम्। पूजाध्यानादिक कार्थ साकारस्वीह हास्यते ॥ बिल्गु-चर्चांतर १।४६।१ मारकोवि। अयत्सुतो हृदये सुर्वे स्वचिदस्ते प्रतिमासु च। वदुस्वातेषु हरेः सम्यक्चन मुनिभिः स्तुतम् ॥ पूजाप्रसाद (पृ १) एवं स्तुतिचक्रिका (सांख्यिक पृ ३८४) में उद्धृत; अग्निघाम ३।२९।२ में भी यही बात पायी जाती है। हृदये प्रतिमायां वा जते सविभुमण्डले। बहूरी च स्वचिदस्ते चापि बिल्गुदेहिष्णुमध्यम् ॥ बृहहारीठ ६।१२८ १२९; अर्चायां स्वचिदस्ते प्रती वा सुर्वे वाप्यु हृदि हिजे। इत्येव चरितपुस्तकोर्षेण स्वगुह मायमायया ॥ काण्टन १।१७७।९ देविए बृहहारीठ ८।९१ ९२।

(ख) अणु वैवा यनुप्यायां विधि वैवा मनोविद्याम्। काण्टलोठेषु मूर्त्तानां मुस्तस्यामनि वैवना ॥ घातासप (सांख्यिकप्रसाद पृ ३८२ में उद्धृत); अनी बिवावता वैवो विधि वैवो मनोविद्याम्। प्रतिमा स्वस्वबद्धीनां पापिनां हृदये हृदि ॥ पूजाप्रसाद (पृ ८) में उद्धृत (मृतिहपुराण ६।२।५ एवं अग्निघाम ३।२९।३); हृदिगामी जने दुर्गा-मूर्त्तियां हृदये हृदि। अर्चन्ति मूर्त्तयो नित्यं जयेन रचिमण्डले ॥ स्तुतिमुरतासक (सांख्यिक पृ ३८४)।

मूर्तिपूजा के येव पञ्चायतन पूजा एवं दशमवतार

जिन देवों की मूर्तियों की पूजा होती है उनमें मुख्य हैं विष्णु (बहुत-से नामों एवं अवतारों के साथ) शिव (कल्पे बहुत-से स्वरूपों के साथ) दुर्गा मण्डल एवं सूर्य। इन देवों की पूजा (पञ्चायतन पूजा) की प्रसिद्धि का येव भी शक्यतापूर्वक ही है। मात्रकर्म भी इन पाँचों देवों की पूजा होती है किन्तु उनके स्वातन्त्र्य में निम्न प्रकार की विशेषता पायी जाती है—

पूर्व

	विष्णुपञ्चायतन	शिवपञ्चायतन	सूर्यपञ्चायतन	देवीपञ्चायतन	मनेद्यपञ्चायतन
उत्तर	घर २ गर्भ ३ विष्णु १	विष्णु २ सूर्य ३ शिव १	शिव २ गर्भ ३ सूर्य १	विष्णु २ शिव ३ देवी १	विष्णु २ शिव ३ मनेद्य १
	देवी ५ सूर्य ४	देवी ५ मनेद्य ६	देवी ५ विष्णु ४	सूर्य ५ गर्भ ४	देवी ५ सूर्य ४

पश्चिम

मध्य एवं आधुनिक काल के नामिकों ने विष्णु को अष्ट एवं इसकी संस्कृति की रक्षा के लिए अवतार रूप में कई बार इस संहार में देखा है। अब हम संक्षेप में अवतारों के सिद्धान्त के विषय में बर्णन करेंगे। विष्णु के बहुत प्रसिद्ध कम अवतार माने गये हैं—तत्स्य कूर्मं बभूवुर्गर्भस्य बामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध एवं कल्कि। मार शिवा वैदिक साहित्य में अवतार की धारणा के विषय में पूर्णतया-सा संकेत मिल जाता है। ऋग्वेद (८।१७।१३) में इन्द्र की ऋषि शृंगबृष का पौत्र माना गया है जिसका तात्पर्य हुआ कि इन्द्र इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में उतरने के। ऋग्वेद (४।२६।१) में ऋषि वामदेव के बहू है—“मं मनु वा मं सूर्यं भी वा। इस उक्ति की ओर बृहदारण्यकोपनिषद् (१।४।१) में भी संकेत मिलता है और इसे आत्मा व आवाहन के सिद्धान्त के समर्पण में बहूना उद्घुष्ट किया जाता है। बाहे जो हो इतना ही कहना ठीक ही प्रकृति है कि वैदिक ऋषि ने सूर्य को इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में अवतरित होने हुए कल्पित किया था। घटपत्र ब्राह्मण (१।८।१।१६) में मनु की कथा आयी है अब अत्यधिक ब्रह्म में मनु की तीव्र इच्छा थी कि जो उन्हीं (मनु ने) उस एक सीधे बामि मरुत्सी व सीधे में बाँध दिया वा और उस मरुत्सी में मनु की रक्षा की थी। इस बाबा व मनुष्यावतार की श्रृंखला शक्य दिख जाती है।^१

घटपत्र ब्राह्मण (४।१।१।५) के पश्चिम व सम्भवतः कूर्मवतार की संज्ञक भी मिलती है। वहाँ ऐसा बताया है कि प्रजापति ने कर्म का रूप कारण करने प्राणियों की मूर्ति की। 'सूर्य' एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' शब्दों का कर्म एक ही है जग

१ स जीव उचितने मावकायेदे तं स तस्य उवाच्यतुम्बुके तस्य शुभे माव पाद्य प्रतिमुनेष तैर्ननुतरं विरि कतिपुत्राव। घटपत्र ब्राह्मण १।८।१।५। और वैश्वदेवे वा ए एत् १८९५, पु १६५ १८९ में श्री श्रीवर्तिल का लेख मिलने अवतारों से सम्बन्ध रखने वाली अवधारणों की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है।

सजी प्राणी कल्पके बंधक या उनसे सम्बन्धित माने जायेंगे।¹ इसी प्रकार सतपथ ब्राह्मण (१४।१।२।११) में बराह बरतार की कथा सजबटी है— एमूय नामक बराह ने पृथिवी को ऊपर उठाया वह उठता (पृथिवी का) स्वामी प्रजापति का। ऋग्वेद (१।६।१।७) में बताया है कि बिष्णु ने बराह को फाड़ दिया। वह इन्द्र द्वारा प्रेरित होकर पूनव के पास एक सी मेंसे और एक एमूय नामक बराह काटा है (ऋ ८।७।७।१)। तैत्तिरीय आरण्यक (१।१।३) में इस विषयकी की बोर संकेत किया है।² ऋग्वेदसंहिता (८।२) में प्रजापति को बराह बनकर पानी में डबकी सेते कहा गया है (वेदिए तैत्तिरीय संहिता ७।१।५।१ एव तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३)। मूर्तिहावतार की कथा की सुरुक हम इन्द्र एव ममूचि की गाथा में मिल जाती है। त्रिरथ्यवदियु का बिष्णु द्वारा सत्यानाश बहुत कुछ उन्ही परिस्थितियों में हुआ जिनमें इन्द्र ने ममूचि का नाश किया। इन्द्र ने ममूचि से कहा था—“तुम्हें दिन या रात में नहीं मारेगा सूखे या पीछ हनेकी वा मुझे स या छठी या अनुव जादि से नहीं मारेंगा” (शतपथब्राह्मण १२।७।३।१४)। हमें शतपथब्राह्मण शत उपसृष्ट ऋग्वेद (८।१।६।१३) से पता चलता है कि इन्द्र ने ममूचि का सिर पानी में फेंक स काट डाला था। “सिरुप्य विराट्” नामक प्राचीन तमिस्र ग्रन्थ में भरतसहावतार की बोर संकेत है। बामनावतार की कथा की बोर संकेत (शतपथ में तीन पर मूमि की माचना की थी) ऋग्वेद से प्राप्त होता है जहाँ बिष्णु के प्रमुख परराजम हैं तीन पर रजना एव पृथिवी की सिकर कर बना।³ वेदिए बामनावतार के लिए शतपथब्राह्मण (१।२।५।१)। धान्वोप्योपनिषद (३।१।७।६) में बताया है कि ऋषि और आगिरस्त ने देवकी के पुत्र इष्क को कोई उपदेश दिया। इन्होंने महाभारत एक पुत्रको के इष्क की आस्थायिकाको पर कुछ प्रभाव डाला होगा।

पतञ्जलि ने बामुदेव को कबल अक्षिय नहीं प्रत्युत परमात्मा का बरतार माना है (महाभाष्य जिस्त्र २ पृ १।१४)। पतञ्जलि ने कथ उपसेन (अन्वय जाति क सदस्य) विषयकसेन (वृष्णि) बलसेन सत्यमाता एव अपूर का इच्छेत् किया है (वेदिए कम से महाभाष्य जिस्त्र २ पृ ३६ एव ११९, जिस्त्र २ पृ २५७ जिस्त्र १ पृ १११ जिस्त्र २ पृ २९५)। इससे स्पष्ट होता है कि इष्क एक उनके साथ क भोगी की कथाएँ (जो महाभारत एक इतिहास में पानी बानी हैं) पतञ्जलि एव कुछ सीमा तक पाञ्जलि की ज्ञात थी। हेरिफोडोरस का वेदनागर स्तम्भ-सेन (एफि-ईनिया इतिहास जिस्त्र १ अनुसूची पृ ६३ न ६६९) से पता चलता है कि बुनानी मी बिष्णु के मरन हो आया करने के। एतल प्रस्तार-संज्ञ (गुप्त इतिहास पृ १५८ न ३६) में बराहवतार का उल्लेख हुआ है। भाषवत पुष्प (२।४।१८) ने लिखा है कि जब विराट हुय आर्यम पुत्रिन्द पुत्रस आमीर, मुह्य यवत सस एक अण्य

११ स स्तम्भों नाम। एतदे कथ हुत्वा प्रजापति प्रजा असुजत धरतुस्ताकरोत्तदकरोत्तत्मात्सर्मा कल्पयो ई पूर्वताम्बावपुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति। शतपथ ब्राह्मण ७।५।१।५।

१२ इसकी ह का इयमसे पृथिव्यात् प्रादेधमात्री तामेयुव इति बराह उग्रध्यान सोऽस्या पतिः प्रजापतिः। शतपथ ब्राह्मण १४।१।२।११ अनुताति बराहोय इष्क्येन शतवपुना। भूमिबेनुवरती लोकवादिणी। तैत्तिरीयारण्यक १।१। ऋग्वेद में बराह का अर्थ 'बराह के समान बाल-राजत' या 'बराह' हो सकता है। वेदिए निष्कत ५।६।

१३ इयं विष्णुविषयमे जेषा निदये परम्। समुद्रमस्य पामुरे। श्रीणि परा विषयमे विष्णुर्षोया धराम्य। ऋग्वेद १।२।१।७-१८ और वेदिए ऋग्वेद १।२।५।१४ १।२।५।१४ ५।४।१।१३ जादि न तै बिष्णो आयजानी न आनी ईव मरिष्कः बरनस्तनाय। उग्रस्तम्भा नाकमूख बृहन् बाधर्ष प्राचीं कतुर्म पृथिव्या। न्यस्तम्भा रोवनी विरभेने शायर्षं पृथिवीनिकी पयुर्तः॥ ऋग्वेद ७।९।१२-३।

पापी गण मन्त्र रूप में विष्णु की धारण में आते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतार (बस सं कम या अविष) ईसा के पूर्व सत्ताम्बियों पहले से प्रसिद्धि पा चुके थे।

महाभारत एवं रामायण में ऐसा आया है कि बुद्धों की पन्ध्र वन सम्प्रदायों की रक्षा करने एवं धर्म के सत्ता पक्ष के लिए अवतार रूप में पृथिवी पर आते हैं।^{११} धान्तिपर्व (३१९।१ ३ १ ४) में भी बस अवतारों के नाम आये हैं विष्णु बह्नी बुद्ध के स्थान पर तथा नाम 'हृष आया है' एवं इन्द्र को सात्त्विक कहा गया है। पुराण में से भी कुछ बुद्धों के अवतार रूप में नहीं उल्लिखित हैं। मार्कण्डेयपुराण (४७।७) में मत्स्य कूर्म एवं बराह को अवतार माना है और ४।५३-५४ में बराह से आरम्भ कर मुनिह नामक एवं मातुर (=इन्द्र) के नाम किये हैं। मत्स्यपुराण (४७।१९-४५) में १२ अवतार बताये हैं जिनमें कुछ सर्वथा भिन्न हैं। इसमें यह भी लिखा है कि भूतु में विष्णु की सात बार मनुष्य रूप में जन्म लेने का उद्योग किया क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्री को मार डाला था। किन्तु मत्स्यपुराण (२८५।६-७) में उल्लिखित दद्यावतारों में बुद्ध का भी नाम है। इस पुराण (४७।२४) में बुद्ध को नवौं अवतार माना है। मुनिह पुराण (अध्याय ३६) अग्निपुराण (अध्याय २ से १६) एवं बराहपुराण (४।२) में प्रसिद्ध दद्यावतारों के नाम किये हैं। बुद्धहारीतस्मृति (१।१४५ १४६) में दद्यावतारों में बुद्ध के स्थान पर हृषयौध आया है और यह कहा गया है कि बुद्ध की पूजा नहीं ईश्वरी चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड १ ९।३४) में बुद्ध को और एक मास्तिष्क कहा गया है।^{१२} विष्णु यह उक्ति श्लेषक भी ही सचरी है। मातृवत्पुत्राण में अवतारों की तीन सूचियाँ हैं—(१) १।३ में २२ अवतार हैं जिनमें बुद्ध कस्मिं श्यास बलराम एवं इन्द्र पृथक-पृथक आये हैं (२) २।७ में प्रसिद्ध अवतारों में साय कपिल दत्तात्रेय एवं कश्यप नाम हैं तथा (३) ३।८ में बुद्ध और ३।१७ में बुद्ध एवं कस्मिं श्यो उल्लिखित हैं। इन्द्रप्रसाकर (पृ १५९ १६) में ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर बताया है कि ईशान सुविक सप्तमी को व्रत करना चाहिए, क्योंकि उगी दिन विष्णु ने बुद्ध रूप में धारणधर्म लब्धया। ब्रह्मा की सपत्नी को पुण्य लब्धय में बुद्धप्रतिमा को धारण करने के साथ स्नान करणा चाहिए और धारण साधुना को मत्स्य धारण करणा चाहिए। इसी पन्ध्र में बुद्ध-इन्द्रकी भी वार्ता है जो कि गीते की बुद्धप्रतिमा को स्नान करणा श्राद्धक को धारण करने का उल्लेख है। सातवीं सत्ताम्बी में एक अग्नि देव में भी बुद्ध का नाम दद्यावतारों में उल्लिखित है।^{१३} इन विवेचनों से स्पष्ट होता है कि अवतार रूप में बुद्ध की पूजा लक्ष्मण धारण मत्ताम्बी से होने लगी थी। उन समय तक जो बुद्ध लोग उन्हें अवतार मानने का उद्योग नहीं करणा पुनर्मास्तिष्क मन्त्र (लगभग ९५ त ७५) में बराहमिहिर ने ब्रह्मसंहिता (६।११९) में लिखा है— 'जा लोका देवतामा ने

१४ विष्णु के अवतारों के विषय में विस्तार से अध्ययन के लिए हेतिए ह्यविष्णु की 'द्विषिक मीमोसांजी' १९१५, पृ २ ९-२१९ एवं इन्द्रियल शिखरिचकल कर्तारली, जिस्व ११ पृ १२१; वरिण 'असतां निपहार्थीय वने-तरकनाय व। अवतीर्थी मनुष्यानामनायत वनुद्ये। वनपर्व ५७२।७१ बह्नी सत्तरमाको वी वीलीर्थतीम तत्तम। धर्मतरकनाथार्थी वर्मनत्तनाय व। आश्वमेधिक पर्व ५४।१३; अगवर्गीता ४।७-८; वनपर्व २७२।६-७ २७६।८ आदि; अयोध्याकाण्ड १।७, उत्तरकाण्ड ८।२७; ईश-सूर्याय मत्स्ययच प्रादुर्भावाद् द्वितीयात्। बराहो मारस्तिष्कव नामको राम एव व। रामो वागारविश्वयव तात्त्वता वस्तिरेव व। धान्तिपर्व ३३९।१ ३ १ ४।

१५ यथा हि शोर-त तथा हि बुद्धस्तवागल नास्तिवमम विद्धि। अयोध्याकाण्ड १ ९।३४।

१६ मत्स्य कूर्मों बराहक तरनिहाव नामन। रामो रामयव इन्द्रयव बुद्धो कर्णो व ते दय। बरहपुराण ४।२ हेतिए डा आर-जी अगवर्कर इत वीष्वावज एव शीवज" पृ-४१।४२। और हेतिए अग्निदेव के लिए आश्वमेधिकव तर्ष आश्व इन्द्रिया (मेम्बावर तरया ३६)।

मन्दिरों में पुजारी होना चाहते हैं यथा विष्णु व मायवत सूर्य-मन्दिरों में मग (शाकद्वीपीय ब्राह्मण) शिव-मन्दिरों में विष्णु कर्णारे शिव देवी के मन्दिरों में मातृमण्डल जानने वाले ब्रह्मा के मन्दिर में ब्राह्मण सांख्यिक एव उदात्तरूप बुद्ध के मन्दिरों में बौद्ध विद्वानों के मन्दिरों में मन्म साधु तथा इती प्रकार के अन्य लोग इनको अपन सम्प्रदाय में व्यवस्थित भिक्षु के अनुसार देवपूजा करनी चाहिए।' सेमेन्द्र (१ १६ ई के रूपमें) ने अपन दशावतार-चरित में एक जय देव (अमग ११८०-१२ ई) ने अपन गीतगीतिका में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। अत अमग १ वी पलाभी में बुद्ध सारे भारतवर्ष में विष्णु के अवतार रूप में विख्यात हो चुके थे।

भारतवर्ष में बौद्धधर्म का अन्त हो जाना एक अति विचित्र घटना है। यद्यपि बुद्ध ने वेद एव ब्राह्मणों का अपि पत्र को न माना न तो व्यक्तिगत आत्मा एक परमात्मा के अस्तित्व में ही विद्वान् विद्या विष्णु उन्हीं धर्म एव पुनर्गम तथा विरहित एव इच्छावृत्ति होने पर संस्कारों से छत्राग पाप के सिद्धांतों में विद्वान् विद्या। अत्र बौद्ध न बुद्ध का पूजना आरम्भ कर दिया जब पञ्चमक एक प्रकार से समाप्त हो गयी जब साक्षरीय दयाशीलता उदार भावना एवं आत्म-निष्ठता का भावना सभी का स्वीकृत हो गयी और वैदिक धर्मविकल्पाय न बौद्ध धर्म के व्यापक सिद्धांत मान लिये तब बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में स्वीकृत हो गये। तब उनके अर्थ-धर्मत्व की आवश्यकता न प्रतीत हुई। विष्णु विष्णु-विष्णुधर्मों के नैतिक पदों से बौद्ध धर्म की अर्थवृत्ति की गति अति तीव्र हो गयी और अन्त में मुसलमानों व आक्र-भवा में अमग १२ ई में बौद्धधर्म को सदा के लिए भारत से विदा कर दिया।

यथा की कई राजाजियों पूर्व से राम एक इच्छा को अवतारों के रूप में पूजा जा रहा था। कालिदास न रघुवन्द (११।२२) एव मेघदूत में रामन को राम के समान ही अवतार माना है। इती प्रकार बादम्बरी न बगल एव नरसिंह के अवतारों का उल्लेख है। त्रिमूर्ति (ब्रह्मा विष्णु एव महेश-शिव को एक देव के रूप में मानने) की धारणा अति

१७. विष्णोर्मायवताममाहक सविभु सम्भो समस्यद्विजात् मनुष्यामपि भागुमण्डलविदो विप्रान् विबुधवृज्ज् ।
 पापकालसर्वहितस्य सामान्यतो मन्माञ्जनाता विदुषो यं वैश्वमुपाधिता स्वविचिन्ता तैस्तस्य कार्या विद्या ॥ बहुस्तहिता
 १।१९। देविए विष्णु का विष्णुपुराण (खिस् ५, पृ ३८२) जहाँ भविष्णुपुराण का (अस्ति १२ अध्यायो का)
 विष्णुत्व किया गया है। अस्तिपत्त होने पर साम्ब ने शिव का मन्दिर बनवाया और शाकद्वीप से मगों के १८ बटुम्ब बुला
 लिये जिनके साथ यादवों के एक वर्ग भोजो ने वैदिक सम्बन्ध स्थापित किया और तब मग लोग भोजक ब्रह्मण्य।
 बाप के हर्षचरित (४) में भोजक श्योतियाधाय तारक का उल्लेख हुआ है जिसने हर्ष के जन्म पर उसकी प्रकृता का
 बधन किया है और शैलीकार के अनुसार 'भोजक' का अर्थ है 'मग'। देविए शैरिय की पुस्तक 'हिन्दु इण्डिया एव वास्तु' (खिस् १ पृ १ २ १ ३) जिसमें उन्होंने शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को मायव ब्राह्मण कहा है न कि 'जय'। 'मग और
 मूर्ति-पूजा' के विषय में देविए का धार की जगद्वारकृत 'वैष्णविय एव धर्मिय' पृ १५१ १५५। देविए
 मग ब्राह्मणों के लिए शिव का कैल 'मगव्यवित भाव इच्छवित' (एविपेयिया इण्डिया, खिस् २ पृ ३३) मग बधि
 कथापर का पौर्विकपुर प्रस्तार-लेख (१ ५९ अध्याय—११३७-३८ ई) जिसमें ऐसा उल्लेख है कि मग लोग सूर्य
 के सारो से उद्भूत हुए हैं इच्छ के पुत्र साम्ब द्वारा शाकद्वीप से लाये गये हैं और प्रथम मग भारद्वाज का। और देविए
 एविपेयिया इण्डिया खिस् २, पृ २७९—प्रतिहार कथक का घटियालक चित्तलेख की मजूरवि मायक मग द्वारा
 लिखित है (सबन् ११८—८११—८१२ ई)। देविए भविष्णुपुराण (अध्याय १३९, ४) जहाँ बाड़ी बड़ाने वाले
 भोजक बटुम्ब हैं आदि। जीष्णवर्ष (अध्याय ११) में शाकद्वीप का उल्लेख किया है और ३६६ एव न मगों (मगों)
 के देश की बान बलायी है।

प्राचीन रही है। महाभारत में आया है कि प्रजापति ब्रह्मा रूप में सृष्टि करता है महान् पुरुष के रूप में रहता करता है तथा वह रूप में जाग करता है (वचनर्ष)। ब्रह्मा के मन्दिर अब बहुत ही कम पाये जाते हैं अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है अजमेर के पास पुष्कर का मन्दिर। सामित्री के घाट से ब्रह्मा की पूजा अचनलि को प्राप्त हुई कही गयी है (पद्यपुराण सृष्टिखण्ड १७)।

शिव-पूजा सम्मिलित प्राचीनतम पूजा है। सर जॉन मार्सेस के ग्रन्थ मोहोत्रयोपको (जिस्के १ पृ. ५२-५३ एवं चित्र १२ पृष्ठ १७) में पता चलता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के समय सम्भवतः शिव-पूजा प्रचलित थी क्योंकि एक चित्र में एक योगी के चतुर्भुज हाथों व्याघ्र गैडा एवं भेड़ पशु हैं (शिव को पशुपति भी कहा जाता है)। काठियावड़ के बहुत पठन में शिव की पूजा आज पुरान एवं भाषी मारी के रूप में प्रचलित थी (आर्यविद्यामिति का प्रथम पत्र एवं कुमारसम्भ ७१२८)। शिव को बटुया पशुपुत्र (पशुमुख-पञ्चामन) भी कहा जाता है और इनके पाँच स्वरूप हैं वाम में सर्वोच्चतम वामदेव अक्षर, उपरुप एवं ईसान (देविए तैत्तिरीयारख्यक १।४३।८७ एवं विष्णुसर्गोत्तर ३।४८।१)। बालान्तर में शैवा एवं वैष्णवों में एक-दूसरे के विरुद्ध पर्याप्त कहा-मुनी हुई किन्तु महाभारत एवं पुराणा के जाला में इनमें कोई वैमनस्य नहीं पा प्रपत्त ब्रह्मा सीतार्थ एवं सहिष्णुता थी। देविए वचनर्ष ३९।७६ एवं १८९।५६ घातिपर्य ३४३।१३२, मत्स्यपुराण ५२।२३। अनुशासनपत्र (१८९।१४।१२) में विष्णु के १ नाम तथा अनुशासन (१७) एक घातिपर्य (२८५।७४) में शिव के भी १ नाम दिये गये हैं।

मघेश के विषय में हमने पहले भी पत्र लिखा है (अध्याय ७)। शैवा ने भी मघेश की पूजा की है (देविए आचार विनयत सवन् १४६८ वर्नल आज इतिहास हिन्दी जिस्के १८, १ ३९ पृ. १५८, जिसमें मघेश की विभिन्न आइतियो एवं एक आइति के १८ बाहुना का वर्नन है)। आचारविनयक में अनुसार मघेश की प्रतिमाओं के २, ४, ६, ९, १८ या १८ हाथ हो सकते हैं। अग्निपुराण (अध्याय ७१) मुद्दकपुराण एवं मघेशपुराण में मघेश-पूजा का वर्नन है किन्तु इन पुराणों की तिथियाँ अनिश्चित हैं। बरालपुराण (अध्याय २३) में गणत के जन्म के विषय में एक विषय कहा सिद्धी है। कलात्मकवैशेषी में मघेश को ब्रह्मा माना है।

उहाँ की प्रतिमाओं का पुरान अवेसाइन प्राचीन है। आर्यवन्धवसृष्टि (१२९६-२९८) में लिखा है कि जो पटा (सूर्य के मगल बुध बुधगति मूल घनि राहु एवं केतु) की पूजा के लिए उनकी मूर्तियाँ वाम से दायरे स्थिति नाम चन्दन माला (बुध एवं बुधगति के लिए) रखन कोहा सीमा एक कति भी बनी होनी चाहिए।

विद्या की देवी सरस्वती के बारे में बरडी (६ ई के पद्यान् मही) में लिखा है कि वे सर्व-मुक्ता हैं।

बलाभय की पूजा बटुया बलाभय में डूँधी है। शैवा की प्रारम्भिक घातिवियों में ही बलाभय की पूजा अचल्य आरम्भ हो गयी थी। आचारविनयक में वे परमहन् बह गये हैं और उनके नाम पर एक उपनिषद् भी है। वचनर्ष (११५) अनुशासन (१५३) एवं घातिपर्य (४०।३६) का कहना है कि उरुति वर्ननीय को बरदान दिये। मार्षभय पूराण (अध्याय १६।१९) में उक्त उक्त के बारे में लिखा है और उहाँ वाली माना है तथा कहा है कि उनके भक्तपत्र उक्त वाराण एक मान दन थे। भागवतपुराण (१२२।२३) अग्निपुराण (४७।२४२-२४६) तथा अन्य पुराणों में भी इनके बारे में लिखा है। आज के विष्णुशासन में इन्हें अक्षर माना है।

देवपूजा की विधि पाठ्य उपचार

विष्णुसर्ग (अध्याय ६५) में (वायु के वा विष्णु की) देवपूजा का वर्नन आरम्भिक स्वरूप पाया जाता है अर्थात् सरस्वती नाम वरक गायत्री पाठन तथा आचमन करने बह-गण्य वर कुनि के मगल अर्थात् एवं अत्यन्त वायु के की पूजा करने की विधि। वर में वरक आचमन अर्थात् नाम तुम्हें प्राप्त है (वैशेषी की महिमा ३।३।४) बह-क

'नृत्यो मत्त' नामक अनुशासक (श्रद्धेय ५।८१) के साथ बिष्णु को आमन्त्रित कर बुटने हाथ एवं सिर टेककर बिष्णु की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धेय ४ टील मन्त्रों (१।१।१२ ३) को कहकर अर्घ्य (हाथ भीने से लिए सम्मान सहित जड़ से) की शोभा करनी चाहिए। इसके उपरान्त चार मन्त्रों के साथ (वैदिकीय संहिता ५।६।१।१२) पाद्य (पैर भीने के छिपे जल) देना चाहिए (अपर्ववेद १।६।४) और फिर आचमनीय करना चाहिए। तब स्नान क सिये पत्र देना चाहिए। इसके उपरान्त 'रघो दुस्साहियो बैलो की शक्ति' मन्त्र के साथ लेप एवं आमूयक देने चाहिए श्रद्धेय (३।८।४) के साथ बस्त्र देना चाहिए तब पुष्प, जूप बीज मक्षुपर्क देना चाहिए तब भीज्य पदार्थ चामर, बर्षण, छत्र, रथ, आसन देते समय मायत्री मन्त्र कहना चाहिए। प्रत्येक कार्य के साथ वैदिक मन्त्र कहने का विधान है। यहाँ सब विस्तार से नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार पूजा के उपरान्त पुष्पपुस्तक का पाठ करना चाहिए। तब कम्पाभाषी को मूल की आहुतियाँ देनी चाहिए। बीषामयगृहपरिषेपमूत्र (२।१४) में बिष्णु-पूजा का विस्तृत वर्णन है। इसी प्रकार इस परिषेपसूत्र (२।१०) में महादेव (शिव) की पूजा का भी विधान पाया जाता है। बिष्णु एवं शिव की पूजा बिधि में कोई विशेष अन्तर नहीं है। हाँ शिव-पूजा में शिव के कई नाम यथा—महादेव, भव, हर एवं श्यवक आये हैं, वहीं-नहीं कुछ मन्त्रों में भी अन्तर है। जब स्थापित मूर्ति की पूजा होती है तो आवाहन और बिसर्जन की बिधि नहीं की जाती।

पूजाप्रकाश (पृ ९७-१४९) एवं अन्य निबन्धा में दीनक गृहपरिषिष्ट श्रद्धिधान बिष्णुमूर्तिसुरपुराण मानसपुराण नरसिंहपुराण के अनुसार देवपूजा की बिधि दी हुई है जिसमें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। उपर्युक्त निबन्धन से स्पष्ट हुआ होना कि देवपूजा में कई उपचार पाये जाते हैं जो सामान्यतः सोलह बड़े बात हैं यथा—आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान बस्त्र यज्ञोपवीत अनुलेपन या गण्य पुष्प जूप बीज नैवेद्य (या उपहार) नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं बिसर्जन या उद्धारन। विभिन्न ग्रन्था में कुछ अन्तर भी है। कुछ ग्रन्था में यज्ञोपवीत के उपरान्त भुषण प्रदक्षिणा या नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल (या मुखवास) भी देने की व्यवस्था है (बृहज्जारीत १।११ ३२ एवं पूजाप्रकाश पृ ९८)। अतः इस प्रकार उपचार १८ ही गये। "कुछ में 'आवाहन' छोड़कर आसन के उपरान्त 'स्वागत' आचमनीय' के उपरान्त मक्षुपर्क' आद्य दिया है। इसी प्रकार कुछ लोगों में 'स्तोत्र' (स्तुति) एवं 'प्रदान' को उपचार से पृथक् माना है और कुछ लोगों में इन दोनों को एक ही तथा प्रदक्षिणा को बिसर्जन का अर्थ माना है (पूजाप्रकाश पृ ९८)। यदि किसी के पास बस्त्र एवं अलंकार न ही तो वह १६ में इन उपचार ही कर सकता है (बसन्त ऋतु से नैवेद्य तक) यदि वे इस भी न ही सकें तो केवल पाद्य (पञ्चोपचार-पूजा) अर्थात् गण्य न नैवेद्य तक बरे। बिष्णु यदि पास में कुछ भी न ही तो पुष्प से ही सोलहो उपचार सम्पादित हो सकते हैं। जब मूर्ति अचल रहती है तो आवाहन एवं बिसर्जन की बात नहीं उठती और उपचार केवल १४ ही रह जाते हैं बिष्णु यदि कोई मासह पूरे करना चाहे वा उपर स्नान पर मन्त्र के साथ पुष्पो का व्यवहार कर सकता है।" आ लाग्युपपुस्तक ब्रह्म सर्वे उग्रेण्यर उपचार

१८ सोलह उपचारों के लिए देखिए नरसिंहपुराण ६२।९ १३ (अपराध पृ १४ १४१ में उद्धृत; श्रद्धिधान ३।११।६।११; स्तुतिवर्णिका (१ पृ १९९); पराशरप्रायश्चित्त १।१ पृ ३६७ नित्याचारपद्धति (विद्यारत्न लिखित, पृ ५३६ ३७) संस्काररत्नमाला (पृ २७) आचाररत्न (पृ ७१)।

१९ देखिए नित्याचारपद्धति, पृ ५४९। अथर्वसो द्वितीय (सं १११७-१२५०-५१ ई) में मान्यता लेक में पञ्चोपचार पूजा का उल्लेख है (एपिपिक्विया इतिहास क्रिस्व ९, पृ ११७ ११९)। प्रतिष्ठित इतिहासाभावाहनबिसर्जनयोरुपायेन अनुब्रह्मोपचारैव पूजा। अथवावाहनबिसर्जनयो स्थाने अथपुष्पाञ्जलिदानम्। भूगर्भविद्यां तु षोडशोपचारैव पूजा। संस्काररत्नमाला पृ २७।

... के लिए। सिधो एवं सुतो को केवल 'सिधाय नाम' या 'विष्णवे नाम' कहना ... के वा से सिधो को बाल-कल्प तथा विष्वामो को हरि की पूजा (१।२०८) करनी ... एवं नैवेद्य में प्रत्येक के उपरांत आचमन होता चाहिए (नरसिंहपुराण ६२।१४)। ... (१०।११ एवं १०।१२) में भी वाङ् के समय आमन्त्रित बाह्यो को पूजा ... मास्य (पुण्य) पूज दीप एवं आच्छादन (वस्त्र)।

... के लिए एक उसी दिन का दीपा हुआ होता चाहिए (विष्णुधर्मसूत्र ६६।१)। पूजा

... वा प्रसाद, यज्ञ के काम में म आनेवाले काष्ठ लासी पृथिवी वास से बने वा हरी वास से निर्मित

... वाईना चाहिए, बलि उठे बन्धन रैसम के वस्त्र या मृगधर्म पर बैटना चाहिए (पूजाप्रकाश पृ

... में निर्मित वाट या बिलनी सम्मन ही सर्वे सामग्रियां बालनी चाहिए—यही वात कुस के ऊपरी

... मधु, यह एक सफेद सरसो (मत्स्यपुराण २६।७२ पूजाप्रकाश पृ ३४ में उक्त)। यह भी

... विष्णु को अर्घ्य देने के लिए सस्र में बल के साथ चम्पन पुण्य एवं अजत होने चाहिए। आचमन के बल में

... तथा कितना सम्मन ही उतना कृष्णकोक मिसा देना चाहिए। मूर्ति के स्नान के लिए

... तथा मूत्र वही पूत मधु एवं चक्रक, होना चाहिए। इनमें सयका प्रयोग क्रम से होना चाहिए और सक्कर अण्ड

... जिससे कि पूठ आदि से उत्पन्न मसुण अथ समान्त हो जाय। इससे उपरांत पवित्र जल से स्नान होता

... पचास स्नान में पाच मन्त्र कहे जाते हैं यथा ऋग्वेद १। १।१६, ४।३१।६ २।३।११ १। १६ १।८१।६।

... विष्णु पवित्र एवं मिट्टी की मूर्ति की स्नान मही कराया जाता। यदि स्नान के लिए अण्ड पर्याप्त न हो तो विष्णु को उगकी

... प्रिय तुलसी की पत्तियां जल में डालकर स्नान करा देना चाहिए। मूर्ति के स्नान बासा जल बड़ा पवित्र माना जाता

... पूजा करते बाला बुद्धि के लोग मित्र-नाथ उसका आचमन करते हैं और उस जल की तीर्थ नहा जाता है। जोय

... अपने गिर पर भी छिद्रते हैं। अनुसेप या गण्ड के विषय में बहुत से नियम बने हैं। अनुसेप का निर्माण चम्पन

... करनी चाहिए, मसुण नहीं (विष्णुधर्मसूत्र ६६।२ ६६।४)। पुष्पों में विषय में बड़े छन्दे नियम बने हैं। पूजा

... (पृ ४२ ४) के विष्णुपूजा में तुलसी की बड़ी महिमा पायी है। इसकी पत्तियां पुण्य के अभाव में प्रयुक्त

... हैं। पुण्य-अम्बुषी नियमों को हम स्वानामात्र के कारण छोड़ रहे हैं। पूजा के दिन जो पुण्य पढ़ाये जाते हैं उन्हें

... पूजा के समय उठा लिया जाता है और उन्हें निर्मित्य नहा जाता है उनका बड़ा महत्त्व माना जाता है और

... उनका गिर पर पढ़ाया जाता है। गण्ड-पूजा में कम से कम पुण्य अच्छे नह जाते हैं यथा—अर्ध करवीर विरचयन

... अण्डाकार (आर्ग) की (मूर्ति के अनुचित दीप घुमाने की विषय)। आर्यो का हृद्य एक बाल म दीप या कर्पूर के

... मूर्ति के अनुचित तथा गिर पर घुमाने परमादिन होता है। नैवेद्य में अन्न भोजन नहीं होता चाहिए

... या भैंग का दूध हावा चाहिए (यद्यपि हमारे लिए इनका उपयोग अन्न नहीं है) इसी प्रकार पाँच मासुन

... मासों में मासुन का मास भी अन्न है। मासुन नियम है—“आ भोजन व्यति करणा है बरी देवताओ का भी देना चाहिए (अथाप्यारण्य १ १।३)। नैवेद्य मान चोरी नौक लाग्वा मिट्टी के पात्र पचास-नव या बन्धन

... देना चाहिए। ब्रह्मगुण्य (अथर्ववेद) १५४ एवं पूजाप्रकाश पृ ८२ में उक्त) के मत में ब्रह्मा विष्णु गनैवेद्य बाह्यका गण्डनी (भागवती) धर्म लपाने वाली, अर्धे

घातों विरयो एवं दण्डि की सेवा चाहिए। स्वयं पूजा करते बाका भी नैवेद्य से सजता है। नैवेद्य से उपरान्त ताम्बूल दिया जाता है। प्राचीन गृह्य एवं धर्मसूत्रों में ताम्बूल एवं मुखवास का कही भी उल्लेख नहीं हुआ है। सम्भवतः इसा के कुछ भगवद्भिरों पहले या आरम्भ में ताम्बूल सर्वप्रथम दक्षिण भारत में प्रयुक्त हुआ और फिर समय उत्तर भारत में भी प्रचलित हो गया। स्मृतियों में सर्वत्र (५५) ऋग्वेद-हारीत ऋग्वेद-आश्वलायन (१।११६०-११६१ एवं २३।१५) शौन्य में शौन्य के उपरान्त ताम्बूल-अर्चन का उल्लेख किया है। काशिका (रघुवम ६।६४) में ताम्बूल पीलों को ताम्बूल-भ्रामा से चिया हुआ लिखा है। कामसूत्र (१।४।१६) में लिखा है कि व्यक्ति को प्रातः मुख धोकर आदर्श (एवम्) में मुख बेलकर और ताम्बूल खाकर अपने बराम को सुगन्धित करते हुए प्रति दिन के कार्यों में लय जाना चाहिए (अथ ताम्बूल-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए कामसूत्र ३।१।४ ४।१।१६ ५।२।२१ एवं २४ ६।१।२९, ६।२।८)। बर्हस्पति की बृहस्पति (७।७।२५ ३७) में ताम्बूल एवं इसका अथ्य उपकरणों के मुलों का बर्णन है। काशिका (३९) में यजमानाघात की तुलना ताम्बूलिक (तमोधी) के पर से की गयी है जिसमें लक्ष्मी लक्ष्य इमायवी बद्धोस नैवेद्य रहने है। पराधरमायवी (१।१ पृ ४३४) में बसिष्ठ के उद्धरण द्वारा बताया है कि जिस प्रकार ताम्बूल की दोनों ओरों को काटकर खाया जाता है। अनुबर्षित्वाभि (ब्रिह्म २, भाग १ पृ २४२) के ब्रह्मण्ड म हमारि ने एतन्नोय का उद्धरण लेकर समझाया है कि ताम्बूल का अर्थ है ताम्बूल का पत्र एवं शूना तथा मुखवास का तात्पर्य है इमायवी बर्हस्पति, ब्रह्मण्ड और एक मानुस्य के दुकनों का एक साथ प्रयोग। नित्याचार्यज्ञि (पृ ५४९) में ताम्बूल के नी उद्धरणों का बर्णन है यथा—सुरारी ताम्बूल पत्र शूना बर्हस्पति इमायवी रुबग बर्होस और मानुस्य फल। बर्हस्पति काल में बर्हस्पति का दुकने जातीक एक उसकी छाल कुसुम लखिरसार किया जाता है किन्तु मानुस्य छाल दिया जाता है। इस प्रकार ताम्बूल के १३ उपकरण हैं। आजकल ताम्बूल के १३ मुख (या तो १३ उपकरणों के कारण या अन्य मुलों के कारण) विख्यात हैं।^१

बुछ ओषो के मत से प्रबलिका (दाहिनी) और मे मुनि के अनुबिद जाना) एक ब्रह्मकार केवल एक उपचार ब्रह्म माने है। नमस्कार या ती अष्टांग (आठ अंगों का माप) होता है या पञ्चोप (पाँच अंगों का माप) होता है। अष्टांग में व्यक्ति पृथिवी पर इस प्रकार पड़ जाता है कि हृदयिनी वर घुटने छानी मध्यक पृथिवी को स्पर्श करते हैं मत धारी एक जीने मुनि की ओर लगी रहती है तथा पञ्चांग में हाथों पीरो एवं सिंग के बस पृथिवी पर पड़ जाना होता है।

आजकल मूर्त के लिए १२ नमस्कार या १२ न बर्हस्पति ममस्कार प्रचलित हैं। मूर्त को १२ नामों में ममस्कार होता है, बाये हैं—मिथ रवि मूर्त मानु, लग पुष्य हिरण्यगभ मठीचि आदित्य मरिचि अक एक मान्कर।

पूजाप्रमाण (पृ १९९ १८८) में ३२ अंगराग विनाये हैं जिनमें पूजा के समय पूरा रहना चाहिए। बर्हस्पति (१।१।१) में भी इन ३२ अंगरागों की बर्णा की है।

२ स प्रातःस्वाय हस्तियतहृत्प्यो मूर्हतिवन्तबानन बुष्टबादस मुख मूर्हतिमुखवासताम्बूल कार्याभ्यनु-
निष्टेन्। कामसूत्र १।४।१६।

२१ ऋग्वेदविषय वायव्यपूर्वमेतर्ना तथा। सर्वंग चक बर्होस लारिकसं मुखबर्हस्पत्। मानुस्य तथा बर्हस्पति ताम्बूलानुस्यपुनि से। इति नवाङ्गताम्बूल प्रदानतया ब्रह्मण्। नित्याचार्यज्ञि, पृ ५४९।

२२ ताम्बूल बद्ध तिलमुष्पमभुर एत ब्रह्मण्यन्विनं वातस्य बर्हनागर्न हुनिहृदं सुगन्धिचिप्यतबम्। ब्रह्म-
ण्यनपत्र चिमुनिबर्हसं शम्भान्तिरौपन ताम्बूलस्य तसं त्रयोदश मुखाः स्वर्गेति से दुर्भवाः ॥ मुभाविन।

शिव-पूजा

श्री मार जी मन्थारकर ने अपनी पुस्तक "बैष्णविकम् एव चैविकम्" में बताया है कि श्चमैर में ख एक महेश्वरपूजक देवता है, तैत्तिरीयसंहिता (४।५।१ ११) में (ख नामक) ११ अनुवाक हैं जिनमें ख के विषय में एक उच्यते स्तुति है। कतिपय शैव सम्प्रदाय एवं सिद्धान्त श्री काकान्तर में उठ खड़े हुए। शिव के चार नामों की कवच पाणिनि (४।१।५९) ने बताया शर्वाणी श्यानी एक भूशानी नामक चार उच्ये बताये हैं। गुह्यसूत्रों में शिवित शूलनभ नामक यज्ञ में ख की महान् देवता मानकर पूजा मया है। आत्मसायनपुष्टसूत्र (४।१।१९) में ख के १२ नाम बताये हैं और कहा है कि इस सप्तार के सभी नाम सभी सेतारों एवं सभी महान् वस्तुओं ख की हैं। पठम्बलि में शिव-सायनत (शिव के मन्त) का उल्लेख किया है (विस्व २ पृ ३८९ ३८८)। शकुराचार्य के मत से वेदान्तसूत्र की एक छक्ति (२।२।३७) शैवी के पापुपत सम्प्रदाय के विरोध में लिखी गयी है। साहित्यर्ष (२०४।१२१ १२४) में पापुपत शैव वर्णभमवर्ण के विरोधी कहे गये हैं। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध अध्याय १९) में शैव सम्प्रदायों के शास्त्रों का उल्लेख किया है और निम्नोक्त सम्प्रदायों को सप्तार को भ्रामक मार्ग में ल जानेवाले माना है यथा—बापाक नापुस (बापुक ?) नाम शैव पापुपत। शिव के अगुरु मन्त नाम में विभिन्न स्वामी पर १४ करोड़ शिवों की स्वायत्ता की थी। इन शिवों को बापा-लिन कहते हैं (नित्याधारपद्धति पृ ५५९) और नरेश मया एवं अल्प पवित्र तथियों में पाये जानेवाले श्वेत प्रस्तर बाण किम ही कहे जाते हैं। प्रसिद्ध १२ श्लोकितिक में है—मान्यता में शोकार, उज्ज्वलिनी में महाकल, मासिक के पास श्यम्भक, एकीय में बुष्मेश्वर, अहमदनगर से पूर्व नागनाथ सहास्रि पर्यंत में श्रीमा नदी के उज्ज्वल-स्वक पर जीमास्वर, गडवाल में केदारनाथ बनारस (बाद्यनदी) में विश्वेश्वर, सीराज में सीमनाथ परमी के पास वेद्यनाथ श्रीशैल पर मलिकार्जुन तथा पक्षिण में रामेश्वर। इनमें बहुत-से मन्दिर मय्य एवं पवित्र मारण में पाय-पाय पाये जाते हैं।

पूजाप्रकाश (पृ १९४) में हारीश की उद्धृत कर बताया है कि महेश्वर की पूजा पाँच बहारी से (नम शिवाय) या खरगायत्री से या 'बौम्' से या ईसान सर्वविद्यानाम्' (तैत्तिरीयारण्यक १।४७) नामक मन्त्र से या ख-मन्त्र (तैत्तिरीय संहिता ४।५।१ ११) से या श्यम्भक यजामहे' (श्वश्वे ७।५।१२) नामक मन्त्र से ही शकती है। शिव के मन्त को खास की माला पहनना आवश्यक है जो हाथ पर, बाहु पर, पक्षे में या शिर पर धारण की जा सकती है। शिवलिन का पाय के बूज बड़ी बूत मनु ईक के रस पचवन्ध नर्पूर एक अनक-निमित्त बल शक्ति से अभिवेक किना जाता है। बहुत प्राचीन काल से मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी शिव के शिव पवित्र मानी जाती रही है।

दुर्गा-पूजा

बहुत प्राचीन काल से दुर्गा-पूजा की परम्पराएँ गुँमती रही हैं। दुर्गा कई नामों एवं स्वरूपों से पूजित होती रही है। तैत्तिरीयारण्यक (१।१८) में शिव अम्बिका या उमा के पति कहे गये हैं। केनोपनिषद् में उमा हैमवती का रूप को ब्रह्मबाल देता शक्ति है (१।२५)। दुर्गा के विभिन्न नाम ये हैं—उमा, पार्वती देवी अम्बिका गौरी बच्ची (या शक्ति) काली दुर्गाटी कच्छिदा शक्ति। महाभारत (बिराटपर्व ९ एवं मीमांसर्व २१) में दुर्गा को विष्णु-शक्तिनी रूपत एक शक्ति पीनेवाली कहा गया है। कल्पर्व में बताया है कि उमा में शिव के किराट बनने पर (अर्जुन

की परीक्षा के लिए) फिरोज़ी का भेष धारण किया था (१९१४)। कुमारसम्भ (११२६ एव ५१२८) में कालिदास ने पार्वती उमा एवं अर्पणा की पक्षा करके अन्तिम दो की व्युत्पत्ति की है। याज्ञवल्क्य (११२९) ने अम्बिका की विनायक की माता कहा है। मार्कण्डेयपुराण (अध्याय ८१ ९१) के वेधीमाहात्म्य का उत्तर भारत में प्रभूत महत्त्व है। एमिर्षिका इण्डिका (जिल्द ९, पृ १८९) से पता चलता है कि सन् १२५ ई के लगभग बुर्गा का आवाहन एक शही देवी के रूप में होता था। बाण ने काबन्धरी में अम्बिका के मन्दिर, रत्न-गान विद्युत् एव महिषासुर के बध का वर्णन किया है। इत्यरत्नाकर (पृ ३५१) ने देवीपुराण का उद्धरण देकर व्यक्त किया है कि मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी (विशेषत आश्विन मास की) देवी के लिए पवित्र है और उस दिन बच्चे या मौसे की बलि होनी चाहिए। बवाल के कासीमन्दिर एव बुर्गा के अन्य मन्दिरों में यह रक्तरञ्जित इत्य अब भी सम्पादित होता है।^{१४} बवाल में आश्विन मास की बुर्गा-पूजा एक विशिष्ट पर्व होता है। रघुनन्दन ने बुर्गा-पूजा-व्यक्ति में आश्विन मास की बुर्गा-पूजा का विवरण वर्णन किया है। बुर्गा की पूजा अल्पकाल से ही भारत में प्रभाव रहा है। इन पर हम आगे लिखेंगे।

ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से ही तान्त्रिक साहित्य में बेव-पूजा के इत्यो पर प्रभाव डाला है और बहुत श्रद्धे से पूजा करनेवालों के मन में पूजा-सम्बन्धी मुद्राओं काया एव अन्य उल्सपूर्ण आसनों का बरत रखा है। याज्ञवल्क्य (११२७) के मत से बेव-पूजा के तीन प्रकार हैं बैबिली तान्त्रिकी एव मिथ्या जिनमें प्रथम एव द्वितीय उल्सियों के लिए तथा तृतीय सूत्रों के लिए है।

^{१४} एवमिर्षिका इण्डिका इत्येतौ द्वौ नाम्। अहिपीछागमेवाया इतिरेव तथा नृप ॥ एव आजातेच्छागमे इत्येते सर्वेषामुक्तिः। अथवागवतिरेव चित्तरेवरे-वात् ॥ इत्यरत्नाकर (पृ ३५७) में उद्धृत अविद्यपुराण।

वैश्वदेव का अर्थ है वेवतामी को पक्वान्न देना। वरा (२।५९) वा कहता है कि दिन के पीछे घास में बृहस्प को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वेवतामी पितरो मनुष्यो यहाँ तक कि जीवो-मनोवो को भोजन देना चाहिए। शातातप (मनु ५।७) की व्याख्या में मेधातिथि द्वारा एक अपराह्नपू १४२ द्वारा उद्भूत के मत से वैश्वदेव बलि, यदि सुरक्षित हो तो गुह्याग्नि में नहीं तो औक्तिक अग्नि (साधारण अग्नि) में देनी चाहिए। यदि अग्नि न हो तो इसे जल में या पृथिवी पर छोड़ देना चाहिए। यही बात उद्भू-श्यास (२।५२) में भी पायी जाती है।

कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों यथा स्मृत्यर्कसार, पराशरमाधवीय (१।१ पृ ३८९) आदि के अनुसार वैश्वदेव वा शातप्य है प्रति दिन के तीन यज्ञ अर्थात् वेवयज्ञ मृतयज्ञ एवं जियुयज्ञ। इसे वैश्वदेव इसलिये कहा गया है कि इस इत्य म सभी वेवतामी को आहुतियाँ दी जाती हैं या इस इत्य म सभी वेवतामी के लिए भोजन पकाया जाता है।^१ शाखायनपुद्गसूत्र (२।१४) में वैश्वदेव की चर्चा की है किन्तु बोमिष्ठपू (१।५।१ १५) आश्विनपू (१।५।२२-२५) में केवल बलिहवन का उल्लेख किया है। सम्भवतः शास्त्राचार्यपुद्ग ने भी शाकतिके रूप से इसकी चर्चा की है। पाणिनि (१।२।३९) ने श्वस्वन-वैश्वदेव का सामासिक प्रयोग किया है। वैजान्त (१।१७) ने स्पष्ट लिखा है कि वेवयज्ञ वेवतामी का बहु यज्ञ है जिसमें सभी वेवतामी को पक्वान्न दिया जाता है। नीलम (५।९) के अनुसार वैश्वदेव के वेवता है अग्नि चन्वत्तरि, जिसके वेव प्रजापति एव स्विष्टकृत् (अग्नि)। मनु (३।८४-८९) के अनुसार वेवता है अग्नि सोम अग्नीषोम जिसके वेव चन्वत्तरि, पुद्ग अनुसार प्रजापति आशापृथिवी (अग्नि) स्विष्टकृत्। शाखायनपू (२।१।४) में १ वेवो के नाम दिये हैं किन्तु उसकी सूची तथा मनु की सूची में कुछ अन्तर है। पारश्वरपू (२।९) के अनुसार वैश्वदेव-वेवता ये हैं—ब्रह्मा प्रजापति गुह्या क्रमय अनुमति। विष्णुवर्मसूत्र (१।७।१।३) के मत से वैश्वदेव हैं वासुदेव सकर्षण अनिकट पुरव सय अश्वत् अग्नि सोम मित्र वरुण इन्द्र, इन्द्राग्नि जिसके वेव प्रजापति अनुमति चन्वत्तरि, वासुदेव (अग्नि) स्विष्टकृत्। इसी प्रकार अन्य पुद्गसूत्रों में अपनी-अपनी सूचियाँ उपस्थित की हैं। इसी विभिन्नता के कारण महत्पारिभाषा (पृ ३१७) ने लिखा है कि वैश्वदेव वेवता दो प्रकार के हैं—(१) एक तो वे जो सबके लिए एक-से हैं और जिनके नाम मनुस्मृति आदि में हैं और (२) दूसरे वे जो अपने-अपने पुद्गसूत्रों में पाये जाते हैं। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ २१२) में भी कही है।^१

१ एते वेवयज्ञमृतयज्ञजियुयज्ञा वैश्वदेव उच्यन्ते। स्मृत्यर्कसार, पृ ४७; त एते वेवयज्ञमृतयज्ञजियुयज्ञ-त्वबोधि वैश्वदेववध्वेनोच्यन्ते। यत्र त्वेवे वेवा इत्यन्ते तद्वैश्वदेविकं कर्म। वैश्वयने च एतन्नाम मुख्यम्। किन्तुमे उक्तियन्ते। पराशरमाधवीय (१।१ पृ ३८९)।

२ यन्नेनाग्नेन वैश्वदेवेन शिवेभ्यो होमो वेवयज्ञः। वैजान्तस्यार्त्त (१।१७)।

३ वैश्वदेव प्रकुर्यात् त्वज्जाह्वानिहितं यथा। श्वयत् (स्मृतिचन्द्रिका पृ २१२ में उद्धृत)।

सभी प्राचीन स्मृतियों में ऐसा विधान है कि वैश्वदेव प्राण एक साथ बोना बार करना चाहिए, किन्तु वाक्यान्तर में प्रत्यक्ष ही परम्परा रह गयी और संकल्प में दोनों वाक्यों को एक में बाँध दिया गया। अग्नेय (५१ ५५) में मन्त्र 'बुष्टी वसुता' एवं 'एह्यन्ते' (ऋ १।७६।२) अग्नि के माह्वान के लिए प्रयुक्त हैं और इसी प्रकार बलि के कुछ अन्वय लक्षण भी अग्नि-व्याण के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। अपने खाने के लिए भी मात्रन बताया जाता है जन्मा घोडा मान्पूषन् पात्र मे रख दिया जाता है और उस पर भूत छोड़ दिया जाता है। तब उस तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसके उपरान्त बायें हाथ का अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाथ से एक अक्षर के अक्षर मोहन को (नील भागों में से एक को) उठाकर तथा जैमूठे से दबाकर उमम स घोडा-घोडा अन्न का भाग दाहिने हाथ से ही सूर्य प्रभापति सीम वनस्पति अग्नी-योम इन्द्राग्नी छात्रापुषित्री अम्बन्तरि, इन्द्र विस्वे देवा एवं ब्रह्मा को दिया जाता है। तब बलि में से मा मस्तुके (ऋ १।११४।८) मन्त्र के साथ मन्त्र लेकर मस्तक गच्छ नाभि दाहिने एवं बायें कर्णो एवं सिर पर स्थापित जाता है। इसके उपरान्त बलि की अन्तिम पूजा की जाती है जिसमें रि बुद्धि, स्मृति वच आदि की प्राप्ति हो।

कुछ मध्यकालिक निबन्धों में बाह-विचार बढ़ा ही गया है (महा मिताक्षरा याज्ञवल्क्य १।१ ३) क्या वैश्वदेव पुत्रार्थ मान (कुछ नस्वानकारी काम के लिए पुत्र्य का कर्मण्य) है या पुत्रार्थ के साथ-साथ पश्चात्त देन का एक संस्कार भी है? इससे पता में भोजन प्रदान और वैश्वदेव यौग ही आयया किन्तु पृष्ठ टप म (यत्र कि वैश्वदेव देवक पुत्रार्थ है) भोजन यौग तथा वैश्वदेव प्रदान ही आयया। आश्वलायनम् (१।२।१) के आधार पर कुछ लोगों के मन में वैश्वदेव पश्चात्त का संस्कार है और आश्वलायनम् (१।१।१ एवं ४) के आधार पर यह पुत्रार्थ है। मिताक्षरा ने मनु (२।२८) के आधार पर वैश्वदेव को पुत्रार्थ माना है। यही बात स्मृतिचक्रिका (१ पु २१२) एवं परापरमावर्णीय (१।१ पु ३९) में भी पायी जाती है। किन्तु स्मृत्यर्थान्तर (पु ४६) एवं तत्पु आश्वलायन (१।१।१) के अनुसार वैश्वदेव गृहस्थो एवं पश्चात्त बीमो वा संस्कार है।

वैश्वदेव का कृत्य आद्य के पूर्व ही या उपरान्त तथा आद्य के लिए भोजन पूषक बने या माष? इस प्रश्न के उत्तर में सर्वत्र गड़ी है। अथर्वकं (पु ४६२) में इस विषय में तीन मत दिये हैं—(१) वैश्वदेव भोजन तैयार होने के पश्चात् बाद ही होता चाहिए, या (२) बलिहृत्य के उपरान्त होना चाहिए, या (३) आद्य समाप्त हो जाने पर ही करना चाहिए। मरुतपारिवाह (पु ३२) बृहस्पतापर (पु १५६) भाषि न मन से वैश्वदेव घाद्य न पूर्व कृत्य ही जाना चाहिए (वेदिक इत्य विषय में स्मृतिपुस्तकाद्यक पु ४ ९४ ७) किन्तु अनुपात्मनपर्व (९।३।१९ १८) के अनुसार घाद्य के दिन पहले किर्तार्थ होता है। तब बलिहृत्य और अन्त में वैश्वदेव। मरुतपारिवाह (पु ३१८) के मन से वैश्वदेव का भोजन आद्य-भोजन से पूर्व करना चाहिए। अनुक्त परिवार में पिता या अष्ट मां वैश्वदेव के मन से वैश्वदेव का भोजन पिता एवं अष्ट माता द्वारा आजापित हान पर पुत्र या उत्पन्न मां भी इन सम्पादित कर सकता है (लक्ष आश्वलायन १।१।७-१।१९)।

पश्चात्त पर भूत बही या कुछ जिज्ञप्ता चाहिए किन्तु एक एक समय नहीं। आश्वलायनपर्व (२।१।१५।१२)

४ आधुनिक संक्षेप यह है—जन्मोपासुदुरितसंग्रहारा धीवरत्नरत्नरीयसंमप्रभासंस्कारपञ्चनूना बलिरीयपरिहारासं प्रस्तवैश्वदेव साथ वैश्वदेव च तद्ग मन्त्रेय करिष्ये।

५. गृहस्थो वैश्वदेवात्थं कर्म प्राप्तये विद्या। अग्रस्य चाश्वलायनसंभुतंस्कारार्थं विद्यते। स्मृत्यर्थान्तर, पु ४६; गृहस्थं चाश्वलायनस्य वैश्वदेवं समाचरेत्। तत्पश्चात्तपु (१।१।१९)।

१८) के मत से सार एव कर्मण का हीम नहीं होता और न बटिया जमी (यथा कुलरूप आदि) का ही वैश्वदेव होता है, किन्तु यदि परित्रता के कारण अच्छे अन्न न मिल सके तो जो कुछ पका हो उसी को ब्रह्मानि या साधारण अन्न को उत्तर दिया मे ले आकर उत्तम भस्म पर डाल देना चाहिए। स्मृत्यर्चसार (पृ ४७) ने भी जना मसुर आदि को वैश्वदेव-वर्जित माना है।^१ असेही उक्त ब्रह्म भोजन किसी कारण से न बनाया जा सके तो होना ही चाहिए (अपरार्क पृ १४५)। भोजन न रहने पर एक बन्दमूल का कैवल ब्रह्म दिया जा सकता है।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१ एव) के मत से वैश्वदेव का अन्न आर्यों (द्विज कोषो) द्वारा स्नान करने के उपरान्त पकाया जाता चाहिए, किन्तु आर्यों की अल्पसंख्या में धूर्त भी पका सकता है। मध्यकाक के निबन्धों के मत से धूर्त द्वारा भोजन बनाने की बात प्राचीन युग की है। अर्थात् यह युगांतर का विषय है कस्मिन् युग में वर्जित है (स्मृतिमुक्ताफल आह्निक, पृ ३९९)। यदि किसी दिन वैश्वदेव का भोजन किसी कारण से न बनाया जा सके तो ब्रह्मण को एक रात और दिन तक उपवास करना चाहिए (बोमिलस्मृति ३।१२)। जो व्यक्ति बिना वैश्वदेव के स्वयं खा लेता है वह नरक में जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ २१३)। हाँ आपति या कोई परेसानी या वक्षेय या आने पर बात दूसरी है।

धूर्त इन पक्ष महायज्ञों को बिना वैदिक या पीठानिक मन्त्रों के कर सकता है किन्तु 'मम शब्द का उच्चारण कर सकता है। यह बिना पका हुआ भोजन वैश्वदेव के लिए प्रयोग में ला सकता है (वेदिए याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१२। मिताशरा एव आह्निकप्रकाश पृ ४१)।

वर्जितकरण या भूतयज्ञ

वर्जितकरण के विषय में भी प्राचीन ब्रह्मसूत्रों मध्यकालिक निबन्धों एव आधुनिक व्यवहारों में मतभेद नहीं है। आश्वलायनब्रह्मसूत्र (१।२।३।११) ने इसके विषय में विस्तार किया है। निम्न वेदताओं को बलि (या वैश्वदेव करते समय पशुधाम का एक अन्न) ही जाती है—वैश्वयज्ञ वाले वेदताओं जलो बड़ी-बूटियों बूटों बट, बरेभू वेदताओं (बुलवेदताओं) बहूँ पर बर बना रहता है उक्त स्वक के वेदताओं इन्द्र तथा उसके अनुचरों मम तथा उसके अनुचरों बभ्रु तथा बभ्रु के अनुचरों सोम तथा उसके अनुचरों (बई विद्याओं में) ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के अनुचरों (मध्य में) विरबदेवी दिन म बभ्रु वाले सभी प्राणियों एव उत्तर में राधरी को बलि ही जाती है। "पितरों की स्वभा" एवों के शाप रोपास बलिभ से छोड़ दिया जाता है। वर्जितकरण करते समय जनेऊ को चाहते बने पर रखना चाहिए। जब वर्जितकरण रति में ही तो "दिन में बभ्रु वाले सभी प्राणियों के स्वात पर 'रति म बभ्रु वाले सभी प्राणियों' कोकर बलि देनी चाहिए।

इस विषय में वेदर नौमिलब्रह्मसूत्र (१।४।५।१५) पारस्करब्रह्मसूत्र (२।९) एव अन्य ब्रह्मसूत्रों तथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१५ एव २।२।४।९) एव गौतम (५।१०-१५) में पर्वान्त मठभेद है जिसे हम स्वाना मान से यहाँ छोड़ रहे हैं।

भूतयज्ञ म बलि अन्न में न केवल पृथिवी पर ही जाती है पहले भू-स्वक हाव से स्वच्छ कर दिया जाता है बहूँ जल छिड़का दिया जाता है तब बलि रणपर उम पर बल छोड़ा जाता है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।३।१५)।

१. बौद्ध धर्म मसुर क कुलरूपम्। सार क लक्ष्मण सर्व वैश्वदेवे विचरन्ति॥ स्मृत्यर्चसार (पृ ४७)।

आपत्तम्बधर्मसूत्र (२।४।१।५ ६) के मत से कुत्तों एवं पाण्डाओं को वैश्वदेव का पक्वान्न देना चाहिए। मनु (३।८७-११) के मत से वैश्वदेव के उपरान्त सभी विधाओं में इन्द्र यम वरुण सोम तथा उनके अनुभारों को द्वार पर मरुतो को बकों को बृशो को वर के पिच्छर की लक्ष्मी (यी) को वर की गीब की मद्रवाली को पर क मय्य वं ब्रह्मा एवं वासोष्पति को विश्वेदेवो को (आकाश में फेंककर) बिन में बलने वाले प्राणियों को (जब बलिहरण दिन में किया जाता है) और रात्रि में बलने वाले प्राणियों को बलि ही जाती है। वर के प्रथम लक्ष्य में सबकी मछाई के लिए बलि देनी चाहिए, इसीमें बलि का दोषास फितुरी को देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि बहुत सावधानी तथा धीरे धीरे (जिसमें बृह ब्रौयन में न मिक सके) कुत्तों पाण्डाओं वातिष्पुतो कल जैसे रोग से पीड़ितों कीर्तों कीबा-मनोषा को बलि दे। याज्ञवल्क्य (३।११ ३) ने गृहस्थों से कहा है कि वे कुत्तों पाण्डाओं एवं कौशों को बलि पृथिवी पर ही दें। इस विषय में देखिए छात्यायनगृह्यसूत्र (२।१४) बनपर्ब (२।५९) एवं अपराकं (पृ १४५)। मनु (३।१२१) ने कहा है कि स्त्रियां बिना मन्त्रोच्चारण के मायकाश की बलि दे सकती हैं। विन्दु व देवतामा का पान कर सकती हैं।

पितृयज्ञ

बृहस्पत्य ऋष्येव (१।१६।१) ने व्याप्य है विन्दु इसका अर्थ अनिश्चित है। पितृयज्ञ तीन प्रकार से सम्पादित होता है (१) तर्पण द्वारा (मनु ३।७ एवं २८३) (२) बलिहरण द्वारा जिसमें बलि का सेषाण फितुरी भी दिया जाता है (मनु ३।९१ एवं आत्मन्नायनगृह्यसूत्र १।२।११) एवं (३) प्रति दिन भाङ द्वारा जिसमें कम से कम एक ब्राह्मण को खिलाया जाता है (मनु ३।८२-८३)। प्रति दिन के भाङ में पिण्डदान नहीं होता है और न पार्श्वक भाङ की विधि एवं नियमों का पालन ही होता है। भाङ के विषय में जाने सिन्हा व्याप्या। तर्पण एवं बलि हरण के विषय में पहले ही सिन्हा का बुधा है।

७ तर्पण-वैश्वदेवो वायिनः कुर्वीतावब्रह्मसिन्ध्या। मानर्हुर्हुम्पो वटाविरयेके। आप य (२।४।१।५ ६)।

८ वैश्वदेवो वृतावभाङ्गोऽयान् भूतबलिं हरेत्। अन्नं भूमीं दत्तवाण्डानवायदेभ्यश्च भिक्षितेन् ॥ याज्ञवल्क्य (३।११ ३)।

अध्याय २१

मृत्यु या मनुष्यमृत

मृत्यु या मनुष्यमृत से तात्पर्य है अतिथि का उत्कार या सम्मान। यही अर्थ मनु की भाष्य है (मनु ३।७)। ऋग्वेद के प्राचीनतम सूक्तों में अग्नि को यज्ञ करने वाले के घर का अतिथि कहा गया है (ऋग्वेद १।७।११ ५।१।८ एवं ९ ५।१।५, ७।४२।४)। ऋग्वेद (४।४।१) में आया है "तुम उसके रखक एवं मित्र बनो जो तुम्हें विधिपूर्वक आतिथ्य देता है। 'आतिथ्य प्राप्त के लिए देखिए ऋग्वेद (४।३।७) एवं तैत्तिरीयसंहिता (१।२।१ ११)। अथर्ववेद (९।९) में अतिथि-उत्कार की प्रवृत्ति पायी गयी है। तैत्तिरीयसंहिता (५।२।२।४) में लिखा है— "जब अतिथि का परार्पण होता है तो उसे आतिथ्य (जिसमें भी नया आशियस रहता है) बिना पाठा है। उद्यम पून आया है— 'जो स्व या गाभी मे मरता है वह बहुत सम्माननीय अतिथि है। इस संहिता में एक स्मान (१।२।१।२) पर आया है कि राजा के साथ जो आते हैं उनका आतिथ्य होता है। और देखिए धासायनब्राह्मण (२।९) तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।३) ऐतरेय ब्राह्मण (२५।५) सतपथ ब्राह्मण (२।१।४।२) आदि। सतपथ ब्राह्मण (३।४।१।२) में लिखा है कि राजा या ब्राह्मण के अतिथि रूप में रहने पर एक बैल या बकरा पचाया गया। ऐतरेय ब्राह्मण (३।४) में भी राजा या किसी अन्य धामर्षवान् के आतिथ्य में बैल या बकरी (वत्स्या) गाय की बलि की रीति नहीं है। याज्ञवल्क्य (१।१ ०) में लिखा है कि वेद के आतिथ्य के लिए एक बकरी बैल या बकरा रखा रहता था। ऐतरेय ब्राह्मण (१।१।१) में आया है— 'जो बर्षा है और प्रसिद्धि या पुत्र है वह (वास्तविक) अतिथि है अथवा व्यक्ति का जोग आतिथ्य नहीं करते। समावर्तन के समय गुरु सिष्य से कहता है— अतिथिवेदो जव (अतिथि उत्कार करो) तैत्तिरीयोपनिषद् (१।१।१।२)। इसी उपनिषद् (३।१ ११) में आतिथ्य की भी चर्चा हुई है। बडौत निषद् (१।७।९) में ब्राह्मण अतिथि की अग्नि (बैरवानर) कहा गया है। निषत्त (४।५) में ऋग्वेद (५।१।५) (जुटो बमूना अतिथिर्बुधो) की व्याख्या में 'अतिथि' की व्युत्पत्ति की है। मनु (३।१ २) परापर (१।४२) एवं मार्कण्डेयपुराण (२९।२-९) में भी अतिथि की व्युत्पत्ति की है। मनु एवं अन्य लोगों के मत से अतिथि उभे कहा जाता है जो पूरे दिन (दिशि) नहीं चलता है या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रात्रि के लिए रहता है (एक रात्रि हि निबन्धन् ब्राह्मणो अतिथि स्मृतः। अनित्यास्य स्थितिर्यस्मात्समावृत्तिरिच्छते॥ मनु ३।१ २)।

१ प्रियो विद्यामतिथिर्मानुषीयाम्। ऋ ५।१।५, "अग्नि तमी मानव प्राथिवीं का अतिथि एवं प्रिय है।" तस्य भासा भवति तस्य सखा मस्त आतिथ्यमनुवन्मुजीवत्। ऋ ४।४।१।

२ अत्र परधि पुहास्तप्रोविष्यत्पुष्यर्षे गोवषाः वर्तन्व इति श्रुते तत्रापि कल्पितो नार्थः कर्मः किन्तु युगात्तरे। आङ्गिरसप्रकाश पु ४५।१।

३ बैरवानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो ब्रह्मणः। तस्यैतां धामिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोवकम्॥ बडौपनिषद् १।७ आय व २।३।६।३। बलिष्ठ (१।१।१।३) में प्रथम भाग उद्धृत किया है।

बलिहृत्य के उपरान्त अतिथि-संस्कार किया जाता है। श्रीधामयजुस्सूत्र (२।१।१२) बलिष्ठ (१।१।६) सिन्धुपुराण (१।२।५५) की आज्ञा है कि बलिहृत्य के उपरान्त गृहस्थ को अपने घर के वापे अतिथि के स्वागत के लिए अपनी बेर-तक बाट देवानी चाहिए। जितनी बेर में माय दुह ली जाती है (या अपने मन से पर्याप्त बेर तक जोहता चाहिए)। मार्कण्डेयपुराण (२।१।२४-२५) के अनुसार एक मूर्त के आठवें माय तक जोहना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका ४१, पृ. २१७ म उद्धृत)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।६।३ से २।१।९।६ तक) ने अतिथि-संस्कार पर विचार करने से निम्ना है। यौतम (५।१।९) मनु (१।१. २-१. ३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१. ७ एवं १।१. १) ने लिखा है कि वही व्यक्ति अतिथि है जो दूसरे ग्राम का है एक ही राति रहने के लिए मन्थ्याकारक म पहुँचता है वह जो खाने के लिए पहले म ही आमन्त्रित है अतिथि नहीं कहलाता वह जो अपने ग्राम का है मित्र है या सहपाठी है अतिथि नहीं कहलाता। बली सामर्थ्य के अनुसार अतिथि-संस्कार करना चाहिए। अतिथियों का मन्थार-कर्म बर्षों के अनुसार होता चाहिए। श्रीब्राह्मणों में योनिय की या उद्य जिसने कर्म-से-कर्म एक बेर पठ किया है अथवा पढ़कर सम्मान देना चाहिए। अतिथ्यधर्मसूत्र (१।६) के अनुसार योष्यवत व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होता चाहिए। यौतम (५।१।९. ४२) मनु (१।१.१-१।१.२) के मन्त्र से अतिथि अथवा पूज्य ब्राह्मणों के अतिथि नहीं हो सकते यदि कोई अतिथि ब्राह्मण क बहुत अतिथि रूप म चला जाता है (यात्री के रूप म पाप म जब भोजन-सामग्री न हो तथा भोजन क समय आ गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिथि के उपरान्त होता है तथा वैष्णो एक मूर्तों की भोजन पर न शीघ्र के साथ दिया जाता चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।९।५) का कहना है कि ईश्वरदेव के उपरान्त जो भी माय उद्य भोजन देना चाहिए, यहाँ तक कि आश्रमालो की भी। हस्तक का कहना है कि यदि योष्य व्यक्ति को अतिथ्य नहीं दिया जाता तो पाप लगता है किन्तु अथवा जो भोजन न देने से पाप नहीं लगता है परन्तु देने से पाप लगता होता है। परासर (१।६) एवं पातालप (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ. २१७ म उद्धृत) ने लिखा है कि जब वह व्यक्ति जिसे गृहस्थ पुण्या की वृष्टि से देवता है या वह जो मूर्त है, भोजन के समय उपस्थित हो तो गृहस्थ को मान देना चाहिए। वाल्मीकि (१।४।६।५) ने लिखा है कि जिस प्रकार वेद बाटने वाले को भी छाया देना है उसी प्रकार यदि धनु भी आ जाय तो उसका आतिथ्यगन्धार करना चाहिए। किन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।६।१९) मनु (५।२।१३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१.६.२) इनके विरोधी हैं और कहते हैं कि अतिथि आतिथ्यकर्ता का विरोधी है तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए और न ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन करना चाहिए जो ईश्वर मरुता है या उस पर किसी मरुता की शपथ करता है। बृह यौतम (पृ. ५३५-५३६) न आश्रमक तक की भोजन देने की व्यवस्था की है। बृह हार्यण (८।२।३. २४) ने अपनी मानवता इस प्रकार प्रदर्शित की है—यदि यात्री पूज्य हो या प्रति शीघ्र राति का (यथा आश्रमक) हो जब वह क्या-मोश मन्थ्या-प्याना पर आ जाय तो गृहस्थ की उसे भोजन देना चाहिए किन्तु यदि मन्थिधर्म बर्षविरोधी या पति (पानों क कारण अतिथ्यपुत्र) हो और उन्हीं वहाँ एक मूर्ती अतिथि के साथ ही उसे पना भोजन न देकर मरु देना चाहिए। मित्राक्षर मनु (५।३) । श्रीधामयजुस्सूत्र (२।१।२।१) ने आश्रमक मन्त्र मन्त्री प्रकार के यात्रियों के अतिथि-संस्कार की व्यवस्था की गयी है।

४. जब ईश्वरदेव हस्तकालिका-संस्कारों-द्वारा मूर्तों को मूर्तों में अतिथि करता है। श्रीधामयजुस्सूत्र २।१।१. ३ एवं नारदायजुस्सूत्र ३।१.४; वैश्विपुत्र मनु ३।१.४ भी। मूर्त-विषयक आश्रम-मूर्तियों की अतिथि-विधि है। मार्कण्डेयपुराण २।१।२५।

५. ब्राह्मणायामनिबिर्ब्राह्मण-भोजनं तु अतिथ्यवर्षे ब्राह्मण्यः। अग्न्यान् मूर्तः स्नानात्सर्वार्थः। यौतम ५।१.९.४२।

अतिथि-सत्कार के नियम ये हैं—जाने बहकर स्वागत करना और बोलने के लिए पक देना आसन देना शीघ्र पकाना कर देना भोजन एवं उठने का स्थान देना व्यक्तिगत ध्यान देना उठने के लिए छटिया-विछावन देना और जाते समय कुछ पूरक वस्त्र पहना देना (देखिए गौतम ५।२९ ३४ एवं ३७ आप ३ २।१।१।७-१५ मनु १।१९. १ ७ एवं ४।२९, दस ३।५-८)। वनपर्व (२ १२२ २५) एवं अनुशासनपर्व ने अतिथि की महत्ता पानी है। अनुशासनपर्व (७।१) में आया है—“अतिथिभक्षणां को जपनी जांठ मन मीठी बोली व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुपमन (जाते समय साध-साध कुछ पूरक वस्त्र पहना) देने चाहिए इस सब (अतिथि) में यही पाँच प्रकार की बलिबा है।” आपस्तम्बपर्ममूल (२।२।७।१९ २१) का कहना है कि यदि भेद न जानने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य पर आ जाय तो उस आसन अथवा भोजन देना चाहिए, किन्तु उठकर आबमगत नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि पूरक अतिथि वनपर्व ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण को उससे काम सेनर उसे भोजन देना चाहिए, किन्तु यदि उसने पाठ कुछ न हो तो उस अपना काम भेजकर राजकुल से सामग्री मँगानी चाहिए। हर्षण ने एक दोषक टिप्पणी की है कि पत्रा की चाहिए कि पूर्वांश अतिथि-सत्कार के लिए प्रातःप्रातः कुछ बात या अन्न रखने की व्यवस्था करे। गौतम (५।११) मनु (३।१ १) वनपर्व (२।५४) उद्योगपर्व (३।१।३४) आपस्तम्बपर्ममूल (२।२।७।१३-१४) याज्ञवल्क्य (१।१ ७) शौषामनस्यमूल (२। १२१ २३) का कहना है कि यदि गृहस्थ के पास और कुछ न हो तो उसे अन्न निदान पास एवं मीठी बोली सही सम्मान करना चाहिए। गौतम (५।१७-१८) के मत से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति के अतिथियों का वन से ‘कुच्छ’ अनामय एवं ‘आरोप्य’ पानी से स्वागत करना चाहिए। गृही में भी आरोप्य करना चाहिए (मन २।१२७)।

अतिथि-सत्कार का पीछ एक मात्र प्रेरक अग्नि सार्वभौम क्या मानना थी। किन्तु इस कर्मण्य की मानवा की महत्ता देने के लिए स्मृतियों ने अन्य प्रेरक भी जोड़ लिये हैं। शास्त्रानुसूत्र (२।१७।१) का कहना है—
 पत्र म विरा हुमा अन्न इच्छा करत जीविना जसामे जामे एवं अग्निहोत्र करत जामे गृहस्थ के घर में यदि ब्राह्मण विना अतिथि-सत्कार पाये रह जाता है तो वह उग्र गृहस्थ का मारे पुण्य की प्राप्ति कर लेता है अर्थात् हर जाता है। मगी बाद मनु (३।१) भी कहते हैं। आश्वमेधपर्ममूल (२।३।१।९) के मत से अतिथि-सत्कार द्वारा स्वर्ग एक विपत्ति-मुक्ति प्राप्त होती है। वेदिए आपस्तम्बपर्ममूल (२।२।७।१९) विष्णुपर्ममूल (९।७।३३) मातृपर्व (१०।१।२२) विष्णुपुराण (३।९।१५) मातृपर्वपुराण (२।९।११) ब्रह्मपुराण (१।१।३९)। ब्रह्मपुराण का वचन है—यदि अतिथि निराग हार होत जाता है तो वह अपान पाप गृहस्थ को देकर उग्र पुण्य की सेनर जाता है। वासुपुराण (७।१।७४) एवं बृहत्संहिता का कहना है कि योनि एवं मित्र सेना मनुष्यी के कर्मान के लिए विभिन्न प्रकार पाप्य कर पूजा करते हैं अन्न बोली हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत करना चाहिए यदि कोई

१ अनुसूत्रानुसूत्रो वपान् बाधं वपान् अनुसूत्रम् ॥ अनुसूत्रेणुपासीत त वपान् वपान् वपान् ॥ अनुशासन ७।६।

७ ब्राह्मणायानपीयाज्यापाननुरवन्नमिति देवं न प्रत्युत्तिष्ठेत् ॥ राजश्रवणमी ७ ॥ गृहस्थायानं कर्मणि नियुञ्ज्यात् ॥ अथार्यो वपान् ॥ वपान् वा राजानुनाहाहृत्याग्निविष्वक्पृष्टं पुण्येयुः ॥ आप ७ प २।२।७।१९-२१ ॥ अन्-एव जाये घाणाजनिशोभं पुत्रार्थं शीघ्रादिक राजा पाये पाये स्वाचवित्तव्यमिति ॥ हर्षण (आपस्तम्बपर्ममूल २।२।७।२१)।

८ तद्य वृत्रायां तात्तिका स्वर्गदध ॥ आप ३ १।६।६ ॥ वेदिए विष्णुपर्ममूल ९।७।३३। अतिथिवेद्यं अन्नापी वृत्राजनिवर्धते ॥ अथवा वृत्राजनिवर्धं पुण्यकारणं वपानि ॥ आश्वमेध २।९।६। सिद्धा हि विपत्तये वपानि

शून्य-अतिविधियों का उत्कार करने में असमर्थ हो तो उसे कम से थोड़ा मुक्त से सम्पन्न व्यक्ति का या प्रथम श्रेणी के या या धोनीय (वेदक) का उत्कार करता चाहिए (बौधायनधर्मसूत्र २।३।१५।१८)।

परन्तु (१।४६।४७) का कहना है कि ब्रह्मघाटी तथा यति को उत्कार में प्रयोजन मिलनी है। इन्हें बिना भोजन दिये खा लेने पर चान्द्रायण प्रायश्चित्त करने पर ही क्षुत्कारा मिश्रा है। यदि कोई यति पर कामे तो उस तक भोजन और पुत्र जन्म होता चाहिए। ऐसा करने से भोजन भय पूर्वक समान तथा जन्म समुद्र में समान ही जाता है। यति के अतिविधि-व्यवहार का साहाय्य कपन कम का होता है। यति गृहस्थ के पर यति एतत् कि तो उत्तर काय तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि यति का ठहरना स्वयं विष्णु का ठहरना है (कृष्णविरु २।१२।१४ वल ७।४२।४४ एवं बृहदारण्यक ८।८९)।

यदि कुछ अतिविधियों के खा लेने पर अल्प अतिविधि का कामें तो पुत्र भोजन बनवाना चाहिए, किन्तु इस बार ब्रह्मघाटी एक ब्रह्मघाटी का अर्थ नहीं है (मनु ३।१५ एवं १८)। अतिविधि से पुत्र खा लेने पर पर भी सम्पत्ति उत्पन्न पदु एक पुष्प मष्ट ही जाते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।३।७।३)। मनु (२।११४-विष्णुधर्मसूत्र ६।७।३९) के मत से नवविवाहित युवियों एवं बहिनों अविवाहित कन्याओं रोगियों एवं गर्भवती नारियों को अतिविधियों से पूर्ण निष्का रना चाहिए, किन्तु गीतम (५।२३) ने उन्हें अतिविधियों के सिक्काने में समय ही सिक्काने को कहा है। मनु २।१११ ११५-११८, विष्णुधर्मसूत्र ६।७।३८-४३ याज्ञवल्क्य १।१५, १८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।३।११ बौधायन धर्मसूत्र २।३।१९ के मत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नी को चाहिए कि वे मित्रों सम्बन्धियों एवं नीचों को खिलाकर ही स्वयं खाएँ उन्हें अतिविधियों आदि को सिक्काने के लिए नीचों के भोजन में बटौती नहीं करनी चाहिए। जो अल्प भोजी को परवाह न करके स्वयं खाता है वह वैश्वस अपने पापी को निमज्जता है किन्तु जो बेवतानी प्राणियों पित्तों एवं अतिविधियों को खिलाकर खाता है वही वास्तविक रूप से खाता है। मनु (३।२८५ वनपर्व २।६) ने लिखा है कि ब्राह्मणों एवं अतिविधियों के खा लेने के उपरान्त जो शय रहता है उसे विषय तथा मत्त करण के उपरान्त भा वेग रहता है उसे जन्तु कहते हैं और इन्हे ही खाता चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२।३।६८ एवं २१-२२) का कहना है—समी को भोजन पर निर्भर रहते हैं, वेद के अनुसार भोजन बीबन (प्राण) है जग भोजन देना चाहिए, क्योंकि वह सर्वोत्तम हवि है बिना किसी अल्प व्यक्ति को दिये भोजन नहीं करना चाहिए।

आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।३।१२।४) का कहना है कि यति के लौटते समय आतिथ्यवर्ता को अतिविधि को उपासी (पापी) तक खाना चाहिए, यदि उपासी न हो तो वहाँ तक खाना चाहिए जहाँ अतिविधि क्षीयन को वह द किन्तु

युधिष्ठिरिवाहम् । तस्मादतिविधिसमाप्तमभियच्छेम् हुताग्निः ॥ वायुपुराण ७।१७४; योगिनी विविधैर्वैश्वस्यमति परधीनते । तस्मान्वायुपुराणम ते चान्द्रायणवदतिथिः । तस्मादभ्यर्चयेत्प्राणं ब्राह्मणैरेतिथिं द्विज ॥ बृहत्सारात् (५ ९९)।

१- यतिवैश्वस्ये गृहे भुङ्क्ते तस्य भुङ्क्ते हृदि स्वयम् । बुद्धहारिण ८।८९; तर्चिनं यद् गृहस्थेन वापनाम रचयितवम् । निर्वहृत्येव तस्मैर्वैश्वस्योपयितो यति ॥ वल ७।४३।

१०- अग्ने पितानि भूतानि जग प्राणमिति धृतिः । तस्मात्प्र प्रवत्स्यस्यं हि वरमं हवि ॥ न स्वयं वदतिवदत्वा भुङ्क्ते । ब्रह्मायुधामपीतो इतोवायुवदहन्ति । यो मानवत्वा पिनुवेवनाम्यो भूयातिवीर्यं च मुहुर्जगन्मव । तस्मैवत्स्यमिति मोहात्तमवम्यहं तस्य च अत्युरसि ॥ यो य नु २।३।६८, २१-२२। 'जगं प्राणः'। ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।१ एवं 'जगं प्राणमप्रयवानमाहुः' (संतिरीय ब्राह्मण २।८।८)।

यदि बटिचि लौटने को न कहे तो गाँव की सीमा तक जाना चाहिए। बसिष्ठबर्मसूत्र (११।१५) एवं याज्ञवल्क्य ने सीमा तक जाने की व्यवस्था की है। अपराध के अनुसार सीमा क्षतिपूर्तियों के बरखार या बसक सत वा गाँव तक परिमित हो सकती है। सखकिसित के अनुसार वहाँ तक राब-साय जाना चाहिए जहाँ बन-जवन या बन-सभामुह (आराम या सभा) हो प्रया (बर्मोस पानी पिलाने का स्थान) हो या ठाकाब मन्दि, कोई पवित्र बृक्ष (पीपक या बरगब) या नवी हो। वहाँ बटिचि की प्रशिक्षा करके कहना चाहिए कि हम पुन मिलेंगे।"

अध्याय २०

मोजन

संन्यासनाश्रम म भोजन-सम्बन्धी नियमो एव प्रतिपत्तयो न विषय म जो विवेचन उपस्थित किया है उसमे स्पष्ट होता है कि उन्होंने नियम निर्माण के विषय म विवाह-संस्कार न उपरान्त इसी की सर्वाधिक प्रमुखता की है। भोजन करने के मिसमिक म दश (२।५६ एव ६८) म लिखा है कि दिन के पाँचवें भाग म गृहस्थ को अपनी सामर्थ्य न अनुसार सेवा फिरसे मनुष्यो एव कीट-पतंगा को खिलाकर ही भोजन का उपभोग करना चाहिए। दिन न पाँचवें भाग म भोजन करने का तात्पर्य है दारहर (सन्ध्याह्न) न उपरान्त ऋतुमम १॥ यत्र क भीतर ही गृहस्थ को भोजन कर लेना चाहिए। यहाँ म भोजन सम्बन्धी विवेचन म विन्म बाता पर प्रयाग नामा जायगा—(१) निठनी बार भोजन करना चाहिए, () भोज्य एव पय पदार्थो न प्रकार तथा तत्सम्बन्धी आत्मा एव प्रतिबन्ध (३) भोजन इति रीम ही जाता है (४) मास-भोजन एव मघ-भोज (५) विमता भोजन पाना चाहिए तथा (६) भोजन न पूर्व भोजन करने समय एव भोजन न उपरान्त क इत्य एव सिप्याचार।

आहारमुद्रि पर प्राचीन कास म ही बल दिया गया है। छान्दोग्योपनिषद् (७।२६।२) ने लिखा है कि आहार मुद्रि मे सत्त्वमुद्रि सत्त्वमुद्रि स मुद्रन एव अटक स्मृति प्राप्त हुनी है एव अटक स्मृति (वास्तविक सत्त्वभोजन) स मार बनन (त्रिभुज आत्मा इन मगार म बंधा रहता है) न मारते है।

भोजन करना

वेदिक साहित्य म पायी जान वाली विधियों एव नियमो का उद्घाटन हम मसोप म करेगे। ऋग्वेद (६।१।१३) न पना चयना है कि वेदिक भोजन दिया जाता था (त्रिभुज प्रकार कोय आन न लिए बैठ जात है उनी प्रयाग पूर्व न पाँच वें गया)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।४।) एव दालपन ब्राह्मण (२।४।२६) क अनुसार भोजन दो बार दिया जाता था। प्राचीन प्रथा म भी भोजन-सम्बन्धी प्रतिपत्तयो वे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।१।१) क अनुसार कुछ का मान इवाम या वास्त पर कुछ मे जो आब निरस्तता है उन यहाँ आना चाहिए क्योंकि बहु रम या बर्न ब्राह्मण्या न बराबर माना जाता है। उनी प्रकार ब्रह्म्या तन पर गाय का रूप बम विना तन नहीं पाना चाहिए (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१३।३।१३)। वेदिक यज्ञ न लिए ब्रह्मिण व्यक्तित्व का भोजन ब्राह्मणिक क ममापन हल क पूर्व नहीं करना चाहिए (मैत्रेय ब्राह्मण २।)। ऋग्वेद (१।१८।३।३) न भोजन की स्मृति की है। छान्दोग्योपनिषद् म भिन्न उपनिषद् आचार्योपनी बहानी बहानी है कि आपणिक कास म भोजन न मिलने पर कुछ भी खाया जा सकता है

१ बन्धने न तथा मागे सविमागे यबार्हत। देवपितृमनुष्याणा कोटाना कोपविदयेने॥ तद्विमाय तनः इत्या गृहस्थ गेयमुत्सवः। दश २।५ एव ६८। प्रथम पठ का उद्घरण अथर्वण (पु १४३) मे भी दिया है।

२ आहारपदो सत्त्वमुद्रि सत्त्वपदो द्रुवा स्मृतिः स्मृतिरुभ तवःपर्वना विप्रमोतः। छान्दोग्य ७।२६।२।

यहाँ तक कि जूठा भोजन भी खाया जा सकता है। ऐतरेयारण्यक (५।१।३) एवं कौपीतकिशाह्वय (१२।३) में भी कुछ प्रतिबन्धों की और संश्लेष किया है। मास-भोजन एक मद्य-पाय के बारे में खाने किता जायगा।

मनु (५।४) में ब्राह्मणों की मृत्यु के बाद कार्यय बताये हैं—(१) वेवाध्ययन का अनाज (२) सम्पन्न कर्तव्यों एवं धर्मों का त्याग (३) प्रसाद एवं (४) भोजन सम्बन्धी शेष। गृहस्वरत्नाकर (पृ ३४७) के मत से दूसरे का भोजन करना उचित पाप कैना है। भोजन-सम्बन्धी सभी प्रकार के विषयों के बारे में विस्तार के साथ नियम एवं प्रतिबन्ध निर्मित हुए हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१।३।१।१) बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।१।८) विष्णुधर्मसूत्र (१।८।४।१) मनु (२।५) में अनुसार साते समय पूर्वामिमूक होना चाहिए तथा विष्णुधर्मसूत्र (१।८।४।१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।८।१।१।२) के अनुसार बसिनामिमूक होकर भी (किन्तु माठा के बीचिष्ठ रहते) खाया जा सकता है। मनु (२।५२—अनुशासनपर्व १।४।५७) के मत से पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर की ओर मुख करके खाने से कम से बीचिष्ठ यथा नम एव उद्यम की प्राप्ति होती है। किन्तु वामनपुराण एवं विष्णुपुराण में दक्षिण एवं पश्चिम ओर मुख करने को मना किया है (गृहस्वरत्नाकर, पृ ३१२ में उद्धृत)। भोजन एकाण्ट में लोगों की वृष्टि से दूर होकर करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका में बखल उक्त। एक पशुप्राण को उद्धृत कर लिखा है—एकाण्ट में भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे मन प्राप्ति होती है। सबके सामने खाने से बचना चाहता है। जिस प्रकार बहुत लोगों के समझ (को जान न रहे हो) नहीं जाना चाहिए उसी प्रकार बहुत-से लोगों को एक व्यक्ति के समझ (को जान न रहा हो) केवल प्रत्यास होकर बखल रहा हो) नहीं जाना चाहिए। अपन पुत्रों छोटे भाइयों मृत्यों आदि के साथ खाया जा सकता है (ब्रह्मपुराण गृहस्वरत्नाकर पृ ३११ में उद्धृत)। किन्तु कुछ प्रत्यकारों में कुछ शक्तियों के विरोध की बात कही है यथा—“एकाण्ट में खाता चाहिए, अपने सगे सम्बन्धी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी के गुप्त पाप को कल बाकता है? गृहस्यसि ने लिखा है कि एक पक्षि में खाने से एक का पाप दूसरे को कम बाता है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ २२८ में उद्धृत)। उत्तर भारत में भोजन-सम्बन्धी बहुत-से प्रतिबन्ध हैं। कहावत भी है—“तीन प्राणी देख चुम्हे” या “तीन कौतिका देख चुम्हे” आदि। जहाँ भोजन किया जाता है वह स्थल गौत्र से लिखा रहना चाहिए। नाब या सक्की से बने उक्त स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र फल पर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१।७।१-८)। हाथी घोडा ऊँट यादी बख मन्थिर, विस्तर या कुर्सी पर नहीं जाना चाहिए, हथेली में केकर भी नहीं खाना चाहिए (गृहस्वरत्नाकर, पृ ३२५ में उद्धृत ब्रह्मपुराण)। भोजन करने के पूर्व हाथ-पाँव को लेना चाहिए। यही बात मनु (४।७।९) अनुशासनपर्व (१।४।१।१२) एवं अग्नि में भी पायी जाती है। स्वास में भोजन के समय बोलो हाथ बोलो पैर एवं मुख (पाँच अंगों) के धोने की बात कही है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ २२१)। सभी धर्मशास्त्रों में भोजन करते समय गीत रहने की बात कही है (बीशायनधर्मसूत्र २।७।२ अनु-द्वारित ४ आदि)। कुछ मनु (स्मृतिचन्द्रिका पृ २२३ में उद्धृत) के अनुसार ५ घासी तक महामील होता चाहिए एवं उसके उपरान्त जहाँ तक ही सके भाषी पर नियन्त्रण करना चाहिए।

भोजन (१।५।९) बीशायनधर्मसूत्र (२।७।३।९) मनु (२।५।९) शर्करा (१२) आदि के मनुसुसार गृहस्व को बखल को बार खाना चाहिए, उक्त सम्पिकास में नहीं खाना चाहिए। भोजिकस्मृति (२।२३) में और जोड़ दिया है—रात्रि में भी। शर्करा (१।१। प्रहर) के उपरान्त तक भोजन किया जा सकता है। न ती प्रात बहुत पहले न अर्ध-रात्रि में और न सम्पिकास में भोजन करना चाहिए (मनु ४।५।५ एवं १२ एवं विष्णुधर्मसूत्र १।८।४।८)। हाँ बौद्ध भोजनों के मध्य में बन्द-मूक फल आदि खाये जा सकते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।१।१।१)। भोजन-पाय (बामी पत्तम आदि) में लीके बख से या पवित्र भस्म से रखाएँ बीच बेनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (गृहस्वरत्नाकर पृ ३११ में उद्धृत) में मत से ब्राह्मणों शक्तियों बीस्वी एवं शूद्रों के लिए कम से कम भिन्न भूत एवं अर्धभक्ष्य का मन्थन वा देना

होनी चाहिए। सब अनु-स्वादात्म (१३३) जिन के मत से सूत्रों को पान में पीने तक उड़क देना पर्यन्त है। मध्यम स्थाने से आरित्य बलु, स्र ब्राह्मण तथा अन्य देवता भोजन ग्रहण करते हैं नहीं तो रागस-विषाध आ समजते हैं। भोजन करने वाले को चार पैर वाले पीछे पर, ऊन के आसन पर या बकरी के बर्भ पर बैठकर खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।८।१९।१)। उपलो (घोबर से बनी चिपरियो या ठीकरो या गोहूरी) पर बैठकर या मिट्टी के आसन पर, बसन्त या पक्काय या बर्क के पत्तों पर या लकड़ी के दो तन्तों को जोड़कर बने आसन पर, अथवाके वा कोड़े की बटियो से जुड़े हुए तन्तों वाले पीछे पर बैठकर नहीं खाना चाहिए (स्मृत्यर्चसार ५ ६९)। पृथ्वी पर बिचे मण्डल पर ही भोजन-पान रहना चाहिए। भोजन-पान छोले चाँदी ताम्र कमरुदक या पक्कास-बल वा हो सकता है (वेदिए, व्यास ३।६७-६८ पौठीनसि)। ताम्र के स्थान पर कंसि का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तम्बधर्म सूत्र (२।८।१९।३) के मत से मध्यस्थित छोले वाले ताम्रपात्र में खाना चाहिए। कोड़े एक मिट्टी के पान में नहीं खाना चाहिए (हारीत स्मृतिचन्द्रिका १ ५ २२२ में उद्धृत)। विष्णु आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७९ १५) ने विषय से इन पात्रों के प्रयोग की बात कही है यथा—जिउमे भोजन न पकाहो वा यो भोजन पका सेन के उपरान्त अग्नि में बर्भ कर लिया गया हो उस मिट्टी के पात्र को हम भोजन-पान के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार भस्म के मीकर कोड़े के पात्र को भोजन के लिए सूत्र किया जा सकता है। उस कनड़ी के पात्र को जो मीतर से भरी गति सपरा बना हो हम भोजन-पान के रूप में काम में ला सकते हैं। मनु (४।६५) ने दूटे पात्र में खाने को मना किया है। विष्णु पौठीनसि के मत से छोले चाँदी ताम्र शक या प्रस्तर के दूटे हुए पात्रों में भोजन किया जा सकता है। कुछ स्मृतियों में कमरु-दक एक पक्कास-पत्र को भोजन-पान के रूप में बर्जित माना है। विष्णु आह्निकप्रथाय (५ ४६७) का कहना है कि यह प्रतिबन्ध केवल पुषिबी पर जगे हुए (जल या ताकान म नहीं) कमरु-दक या छोटे छोटे पक्काय के पत्रों के लिए ही है। पौठीनसि के अनुसार पनेच्छक सोमो को बट, बर्क अन्तवण कुम्भी विष्णुबर्भिसार एक वरज की पत्तियों से निर्मित पात्रों अथवा पत्तों पर भोजन नहीं करना चाहिए। बृह हारीत (८।२५७-२५९) ने लिखा है कि भोजन-पान छोले रजत ताम्र या किसी भी धातुवातुमोचित बृह-पत्र में निर्मित हो सकता है। विष्णु बृहस्वी के लिए कमरु-दक एक पक्कास के पत्र बर्जित हैं। इन्हें केवल यदि वानप्रस्थ एक स्नात करनेवाले लोग ही प्रयोग में ला सकते हैं।

भोजन करने के पूर्व आचमन ही बार पहले ही कर लेना चाहिए और भोजनोपगत भी यही क्रम होना चाहिए। इस प्रकार का आचमन बहुत प्राचीन है (छान्दोग्योपनिषद् ५।२।२ एक बृहदारण्यकोपनिषद् ६।१।१४ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१९।९, मनु २।५३ ५।१३८ आदि)। भोजन करने के लिए बैठने समय अनेक (बजोरनील) की उपवीत इस से पहन लेना चाहिए और उपवस्त्र धारण (विना सिंघरे) करना चाहिए (मनु ४।४५५, ३।२३८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।२।४।२२ २३ एक २।८।१९।१२)। भी तेल पक्कास सभी प्रकार के व्यञ्जन नमन (वे बलुएँ बानी हाथों से मही ही जानी) आदि की रर्षी (कम्पक आदि) में देना चाहिए। विष्णु अथ बन्सुरे, यथा यत्र न पत्रायी बयी बन्सुरे आदि यो ही ही जानी चाहिए, अर्थात् इनके लिए रर्षी का प्रयोग आवश्यक नहीं है। भोजन के समय बृहन्व की चीला बबाहृत (मैगूठी आदि) धारण कर लेना चाहिए। जब भोजन आ जाय तब उपवा मग्नाम करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और उसमें दोष न खोजना चाहिए (गीतम १।२९ बनिष्ठ-धर्मसूत्र ३।६९, मनु २।५४-५५)। बनिष्ठधर्मसूत्र (३।६ -७१) का कहना है कि 'दोषते' इति (अर्थात् घृण यह विम

है) का उच्चारण प्राप्त एवं साम के भोजन क समय करना चाहिए, माछ के भोजन को 'स्वस्तिमिति (बर्षान् खान मं यह स्वस्तिष्ठ वा) तथा मास्युद्यमिक इत्यपी (बिबाह आदि) क भोजन को 'सम्पन्नमिति (बर्षान् यह पूर्ण वा) कहना चाहिए। भोजन को देखकर बीनो हाथ जोड़ने चाहिए और मुरकर प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए 'यही हमे सर्वैक मिसा करे' मदनान् विष्णु ने कहा है कि जो ऐसा करता है वह मुझे सम्मानित करता है (ब्रह्मपुराण गृहस्वरत्नाकर, पृ ३१५)। भोजन प्राप्त हो जाने पर पात्र के धर्तुरिक एक छिन्न कर कहना चाहिए— 'मै तुम्हे जो ऋत के साध सत्य है एक छिन्नता हूँ' (प्रात) मै तुम्हे जो सत्य के साथ ऋत है छिन्नता हूँ' (साम)। कुछ लोगो के मत से तब भोजन-पान के दाहिने पृथिवी पर बाँधा भोजन परिचय से पूर्व धर्मराज (यम) चित्रकूट एव प्रेत के लिए एक दिया जाता है (मविष्णुपुराण स्मृतिचन्द्रिका पृ २२५ म उद्भूत एव आह्निकप्रकाश पृ ५१५)। अथ लोगो के मत से भूपति भुवनेश्वर एव भूतानाशति को बलि भी जाती है। विष्णु व्याकरण से वक्षिणी चित्र चित्रकूट यम एव यमदूत (कुछ लोगो ने पश्चिमी भी जोड़ दिया है यथा—उर्वरको भूमेय स्वाहा) को भी जाती है। इसके उपरान्त "अमृतोपस्तारणमसि" (तुम अमृत के उपस्तर हो) के साथ आचमन करना चाहिए और भोजनोपराण्त "अमृतपिबानमसि" (तुम अमृत क अपिबान हो) से आचमन करना चाहिए। यह सब बहुत प्राचीन काल से चला आया है। दाहकल्प (१।१ ६) ने इस प्रकार क आचमन को "आरोतन" (बस घड़न करता) कहा है। इसके उपरान्त पाँच कीर भोजन पर मूत छिन्न कर प्राणो के पाँचो प्रारारो को समर्पित किया जाता है और प्रत्येक बार पहले 'ओम्' और बाद म 'स्वाहा' कहा जाता है। छात्रोप्योपनिषद् (५।१९ २३) म इन पाँचो प्रारारो को तम से प्राण स्यान् अपान समाग एव उवाग कहा गया है। इन्हें प्राणाहुतियो कहा जाता है। मध्यमास क निबन्धो म प्राणाहुतियो के अतिरिक्त छठी बलि ब्रह्म को देने की व्यवस्था है जो आज भी प्रचलित है। प्राणाहुतियो के समय पूर्ण मीन पारण किया जाता है 'मही तत्र कि हूँ' का उच्चारण तत्र नहीं किया जाता। बीषायनधर्मसूत्र (२।७ ६) क अनुसार पूरे भोजन-काल तब मीन रहना चाहिए और यदि किसी प्रकार बीसना ही पड़ तो 'मो भूर्भुव स्व ओम्' कहकर तत्र पून भोजन आरम्भ करना चाहिए। विष्णु कुछ लोग प्राणाहुतियो के उपरान्त भोजन देने या धर्म के लिए बीसना मना नहीं करते (स्मृतिमुक्ताकच आह्निक पृ ५२३)—"बृहत्सा क लिए भोजन के समय मीन पारण आवश्यक नहीं है बिनते माछ भोजन किया जा रहा हो उनके प्रति औत्सुक्य आदि प्रकट करने के लिए बीसना या उनसे बातचीत भी करनी चाहिए। प्राणाहुतियो बिनती औत्सुकियो से ही कार्य हमम मतबर रहा है। स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ २२९) म उद्भूत हारीत के अनुसार मार्सन बलि पूजा एव भोजन औत्सुकियो के पाना से करना चाहिए। माछ भोजन करने समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए और यार्से हाथ क अंगूठे तथा उनसे पान भी हा औत्सुकियो से भावन-पान बजा गमना चाहिए। विष्णु यदि बटन मीट हो और किसी म, द धुस आदि उद प्राय ता पाँच कीर ग्या मंत्र क उपरान्त भोजन-पान उपर उगाया जा सकता है। पाँचा औत्सुकियो म कीर मूल म ठान्ना चाहिए। व्यवहारा क बलाक म ब्रह्मपुराण (३।२।८३-८४) एव ब्रह्मपुराण (गृहस्वरत्नाकर पृ २२५ म उद्भूत) ने नियम बताये है—मार्गप्रथम मीसा एव तस्य पलापं गान्ता परिष्ठा एव तमरोत एव तदृदा तदार्थं तत्र बटु एव तीःक व्यवहृत मीर जल म धुस किया उपरान्त बरी का गबन मही जाता चाहिए। गृहस्थ को पुनर्निमित्त भोजन करना चाहिए। भोजन धर्मान् रात्री बन्द-मून बज या माग दीन मे काटकर मही गान्ता चाहिए (बीषायनधर्मसूत्र

५ अन्न तथा सत्येन परिचिन्नाभोजनं तत्र परिचिन्नादि। सत्यं तपनेन परिचिन्नाभोजनं प्रथम। तीर्तरीयं ब्राह्मण (२।१।११)।

२।७।)। साठे समय मासन का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और न पीरो म जुने कप्यम बाधि होने चाहिए।
जम समक भवेत् वा स्वर्षं बन्धित है।

मनु (४।४३) विष्णुधर्मसूत्र (१।८।४६) एष बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२।३१) के मठ से पत्नी के साथ बैठकर नहीं खाता चाहिए। यात्रा म ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ एक ही धाकी म खा सकता है (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ २२७)। स्मृत्यर्थशार (पृ० ६९) एक मिताकार (मात्रबन्धय १।१२१) के मठ से विवाह के समय पति-पत्नी वा एक ही बाड़ी म साथ-साथ खाता मना नहीं है।

भोजन की मात्रा के विषय म कई नियम बने हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९।१३) बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२ २।) एष श्रीपापतधर्मसूत्र (२।७।३१ ३२) के अनुसार सग्यामी को ८ कौर, बानप्रस्थ को १६ गृहस्थ को ३२ एष ब्रह्मचारी (वेदपात्री) को उतने चाहे उतने कौर जाता चाहिए। गृहस्थ वा पर्वसित भोजन करना चाहिए, जिससे कि वह अपना कार्य ठीक से कर सके (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।४।९।१२)। इसी प्रकार भबर (वेमिनि ५।१।२) ने लिखा है कि बाह्यतामि गृहस्थ दिन म कई बार खा सकता है।

भोजन के समय क्षिप्टाचार, पक्तिपावन एष पक्तिद्रूपक ब्राह्मण

पत्नी म प्रथम स्थान शमी ग्रहण करना चाहिए जब कि उसने लिए विशेष रूप स आग्रह किया जाय। किन्तु प्रथम भोजन पर बैठ जाने पर मुकम पहले भोजन नहीं आरम्भ करना चाहिए, प्रसूत सबसे भोजन आरम्भ करने के बाद म (सक भयगात्र द्वारा पृ १५ म उद्धृत)। यदि एक ही पक्ति म कई ब्राह्मण बैठे हों और कोई व्यक्ति भयम पहले खासन कर ले या अपना ब्रह्मसित भोजन लिया तो वे व या उर पडे तो अग्य लोगो को भी भोजन छोड़ना उ जाता चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता है उसे ब्रह्महा (ब्राह्मण का मारने वाला) या ब्रह्मरुच्छक कहा जाता है। ये नियम स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ २२७) गृहस्वरत्नाकर (पृ ३३१) एष त्रिभुलायक (माह्विक पृ ४२७) म उद्धृत हैं। इस प्रकार क ब्रह्मसित व्यवहार को रोकने लिए कई विधियाँ बना म लगी गयी हैं। एक पक्ति की मुखला तक दूट जाती है जब कि लाल बालो क बीच म अग्नि हो राग हो, लग्न ही मार्ग हो डार हो या पृथिवी म डार पड जाय। इसी प्रकार का व्यवधान डालकर विभिन्न धार्मिक लोगो की बैंग्या जा सकता है। जम करिन एक विधा के कारण अयोध्य व्यक्तिगो को पक्ति से नहीं बैंग्या चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।५।१७।२)।

इसने बहुत पर्ये बन्ध लिया है कि कतिपय उपाय-धर्या काम ब्राह्मण पाउ म निमित्तिल करने योग्य नहीं होते (अन्याय २)। धौम (१।५।२८ २९) श्रीपापतधर्मसूत्र (८।१२) आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२१ २२) बसिष्ठधर्मसूत्र (३।१९) विष्णु (८।३।२।१) मनु (३।१८४ १८६) धाम (१।१२-८) अनुशासनपर्व (१४) बापु (अन्याय ७९ एष ८७) तथा अन्य दुर्गाणा म एम ब्राह्मणा की सूचियाँ हैं जो पक्तिपावन एक पक्तिद्रूपक बट जान हैं। जो करनी उपस्थिति म पत्नी म बैंगन बाधा का विधि करते हैं उह पक्तिपावन कहा जाता है और जो पत्नी इगिन करते हैं उह पक्तिद्रूपक कहा जाता है। पतिपावन उह कहा जाता है जो वेद क छ अंगो को जानते हैं जो अयेण माम पड रण है त्रिहात नाचिरत अग्नि म होम किया है जा तीन मधुपर जानते हैं जो

१ धवा देववतः प्रातरूप भगवति मध्यन्दिने विविधमप्रयत्नानि भयरात्रे भोदकागमलयतीति। एष विधमन्तीति सम्पद्ये। भबर (वेमिनि ५।१।२)।

विशुद्ध परे रहते हैं जो पंचामि रखते हैं जो वेनाध्ययन के उपरान्त समावर्तन-स्नान किये रहते हैं बर्षा जो स्नातक होते हैं, जो अपने वेद के ब्राह्मण एक मन्त्र जानते हैं जो धर्मशास्त्रज्ञ होते हैं और होते हैं ब्राह्मण-विद्यावाली संहत माता की संस्तान। आपस्तम्बधर्मसूत्र एक सप्तम और चौथा है—“जो चारो मेघ (अस्त्रमेघ सर्वमेघ, पुष्यमेघ एवं जित्मेघ) सम्पादित कर चुके हैं। मनु ने वेदत्रय वेदव्याख्याता ब्रह्मचारी दाता (सहस्र पीओ वा राज करतेबासे) एक ही बर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को भी पक्तिपावन कहा है। छल में योगियो उनको जो छोटे और मिट्टी के टकड़े को बराबर समझते हैं, और ध्यान में मग्न रहने वाले यतियो को पक्तिपावन कहा है। अनुपाठनरत्न (९।१४) ने भाष्य व्याकरण एक पुरान पढ़नेवालो को भी पक्तिपावन कहा है। कोणी लम्बाट व्यक्तिवापी जामुन-बीबी के पुत्र (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।७।१७।२१) ब्राह्मणों के लिए अयोग्य कार्य करने वाले चूर्त कम या अधिक कम वाले जितने वेद, पवित्र अग्नियो माता-पिता गुरुमा वा त्याग कर दिया हो तथा वे कोय जो सुओं के दीवन पर बीते हो पक्तिपूषण कहे जाते हैं (वेद्विद सख १।४।४ एक अथर्क पृ ४५३-४५५)।

एक पक्ति में बैठे हुए लोगों को एक ही प्रकार के व्यञ्जन परोसे जाने चाहिए, किसी प्रकार का विवेक करने से ब्रह्महत्या का दोष समझा है (व्यासस्मृति ४।११)। खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छू ले तो मौन करना छोड़ देना चाहिए या भोजनोपरान्त गामनी का १८ बार जप कर देना चाहिए। आजकल ऐसा हो जाने पर जल से हाँको का स्पर्श कर सिखा जाता है। यदि भोजन करने काबा परोसने वाले को छू ले तो परोसन वाले को चाहिए कि वह भोजन को पृथिवी पर रखकर आचमन करे, और उस पर जल छिड़कने के उपरान्त उठे पुन परोसे। बर्षे हाथ से खाना एवं पीना बर्जित है। खाना खाते समय मिलात से या पानी पीने से पात्र से पानी पीना चाहिए बोना हाथों को मिकाकर पानी नहीं पीना चाहिए (आश्वलायन १।११८)। जित्नु जब खाना न खायो जा रहा हो तो बाहिन हाथ से जल ग्रहण किया जा सकता है। भोजनोपरान्त वापोषण (अमृतापिचानमणि वा उष्णारण) करना चाहिए और बीजा जल ग्रहण करना चाहिए तब हाथ बोना दो बार आचमन करना बाँठो के बीच के भोजन-कण को हटाने के लिए हलके ढग से बाँठो की बोना तथा कन्त में ताम्बूल ग्रहण करना चाहिए। आत्म-सायन में भोजनोपरान्त मुख बीने के लिए १६ कुम्भ (गम्भूय) करने की बात चलानी है। यदि ब्रह्मचारी तथा विचरवा को पाम नहीं जाता चाहिए।

मोक्षार्थ में से सभी कुछ नहीं का बालना चाहिए प्रत्युत भोजन-पान में बही मनु वृत्त बूब एवं सन्तु (सपु) के अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनो का कुछ अणु छोड़ देना चाहिए। जो बच रहता है वह पत्नी या गौकर को दे दिया जाता है (पराशरदाशकीय १।१ पृ ४२२)। किसी को दूसरे का बूटा न तो खाना चाहिए और न देना चाहिए। हाँ बन्धा अपने माता-पिता या बूब का बूटा खा सकता है (स्मृतिमुक्ताफल आह्निक पृ ४२१)। अपने अभिष्ट बूब के अतिरिक्त किसी अन्य बूब को अपना बूटा नहीं देना चाहिए (मनु ८।८ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।१।१।२५-२६)। जब तक भोजन-पान हटा नहीं किया जाता स्पल को गोबर से लीप नहीं दिया जाता और जब तक स्नान करनेवाला दूर हट नहीं जाता तब तक वह आचमन कर लेने पर भी अनिश्च ही कहा जाता है। देखिए आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२।२।४।२४) भी। ब्राह्मण का भोजन पान ब्राह्मण ही उठा सकता है (कोई अन्य नहीं) याद करने काबा पुत्र या शिष्य आदि के भोजन-पान को उठा सकता है किन्तु वह जिसका उपनयन न हुआ हो पत्नी तथा कोई अन्य व्यक्ति नहीं उठा सकता (अनु-आत्मसायन १।११५ ११६)।

ग्रहण या किसी विषय स्थिति में भोजन-स्याग

सूर्य एक जग के ग्रहणों के समय भोजन न करने के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ

२२८-२२९) स्मृत्यर्चनार (पृ ६९) मत्स्यपुराण (६७) अपराकं (पृ १५१ ४२७-४३) आदि में नियम किये हैं। ब्रह्म के समय भोजन करना बहिष्कृत है। बन्धा बूझे एवं रीपियों को छोड़कर अन्य लोगों को सूर्य-ग्रहण एवं चन्द्र-ग्रहण लगने के कम से १२ घण्टा (४ प्रहर) एवं ९ घण्टा (३ प्रहर) पूर्व से ही खाना बन्द कर देना चाहिए। इस नियम का पालन जमी हाक तक होना उम्मा है। ग्रहण आरम्भ हो जाने पर स्नान करना बान देना तर्पण करना एवं माद करना आवश्यक माना जाता है। प्रशोषणस्त स्नान करके भाजन किया जा सकता है। यदि ग्रहण के शाप मूर्धन्य ही जाय तो बूमरे दिन सूर्य का दक्षिण तथा स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। यदि ग्रहण कुछ घण्टा उदित हो तो बूमरे दिन मर भोजन नहीं करना चाहिए। य नियम पर्याप्त प्राचीन हैं (विष्णुसप्त सूत्र ६८१३)। ऋग्वेद (५।४।५९) में भी सूर्य-ग्रहण बहिष्कृत है किन्तु वहाँ यह अनुष्ठान द्वारा काया गया बन्धिन किया गया है। अमुर स्वर्गनि न सूर्य पर अन्धकार डाल दिया एना काठकमहिता (११।५) एवं तैत्तिरीय महिता (१।१।१२) में माया है। शास्त्रायनब्राह्मण (२।४।३) एवं ताण्ड्य ब्राह्मण (४।५।२ ४।६।१३) भी ग्रहण की बर्षा करते हैं। ऋग्वेद (१।१।११) में सूर्य और राहु एक साथ का लडे कर विष गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् (८।१।३।२) में बताया है—“ब्रह्मसौम्य म आन समय सवेत आत्मा घरीर को उर्वी प्रहार हिलाकर छाड रता है जिन प्रहार योग्य मयने बाबा को छोडता है या राहु के मुख से चन्द्र छुटकारा पाता है।

विष्णुसप्तसूत्र (६८।४-५) में स्पष्टता की है कि जब गाय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आ जाय या राजा पर कम्प पडे वा उघरी मृत्यु हो जाय तो भाजन नहीं करना चाहिए।

विहित और निषिद्ध

क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा नियत खाना चाहिए और नियत नहीं खाना चाहिए इन विषय में विष्णु नियम बत हैं। यो तो सभी स्मृतियों में भाजन के विधि-नियम व विषय में स्पष्टताएँ दी हैं किन्तु शैल्य (१७) आपस्तम्बसर्मसूत्र (१।१।११।१०-१।१९) बसिष्ठासर्मसूत्र (१४) मनु (१।२।७-२२३) तथा शतब्रह्मण्य (१।१६७-१८१) में विष्णु के साथ बर्षा की है। दाम्निवर्ष (अध्याय ३६ एवं ७३) बूमपुटाण (उत्त एवं अध्याय १७) पद्य (आदिपर्व अध्याय ५६) तथा अन्य पुराणों में भी नियम बतलाये हैं। निबन्धा में स्मृति चरित्रा (२।५ ४१८ ६२९) सूक्तचरित्रा (पृ ३४ ३९५) मरुतचरित्रा (पृ ३३७-३४३) स्मृति मुलाकन (आह्वित पृ ४३३-४५१) आह्वितचरित्रा (पृ ४८८ ५५) में प्राण-अग्राह्य व विषय में विषय बतन उल्लिख किया है। हम हम से इन नियमों की बर्षा करते।

भारत (पृ २४१) में अग्निपुराण को उद्धृत कर बहिष्कृत भोजन का उल्लेख किया है यथा जानिबुद्ध या स्वकाबुद्ध (स्वभाव से ही बहिष्कृत) जैसे मरुतु प्याज आदि विषाणुद्ध (कुछ क्रियाओं के कारण बहिष्कृत) यथा लारी हाक में परीया हुजा या पलिन (जालिष्णु) चाणाली कुला आदि द्वारा देण किया गया भाजन या पलिन व ही हुए रिनी स्थिति द्वारा भाजन करके गवम पड़े उर जाल व कारण अपवित्र भोजन बालुबुद्ध (ममय शीत जाने करवा अनुचित या अनुपयुक्त समय का भाजन) यथा बामी भोजन घण्टा में पचाया हुजा बन्धा वन व उपरान्त यमु का हल रिनी व घीरन का दूध मसाम्बुद्ध (निवृष्ट लक्षणों या मसपों में अष्ट हुजा भाजन) यथा कुत्ते मट लपुल, काक लोट आदि व मसप म धाया हुजा भोजन लदुस्सिण (पूजा या अर्घि उत्तर करन बाता भोजन) यथा मक आदि। इन पौषों प्रकारी व माक रतकुद्ध (जिनका स्वाद ममाम्प ही गया हो) यथा हुमर दिन पायन या धीर एवं बरिष्ठहुद्ध (जो पलिन स्थितिवागी आदि का हो) जाउ जा मकन है। अरराण में लिगा है कि बहिष्कृत भोजन नियत खाने से उरवातन लयना है ९ प्रकार व कारणों में उल्लेख हुगा है यथा—बन्धाव काक लप्यर्ष

(सर्प) क्रिया मात्र एव परिपह। ईश्वर के रस से मंत्रिता बन्ती है यदि यह जानकर उसका पात्र किया जाय तो यह भावबुद्ध कहलाएगा। जित्नु गौतम (१७१२) के मत से भावबुद्ध भोजन उसे कहते हैं जो अन्तार के साथ किया जाय या जिसे जाने बाका मृणा करे या जिससे वह उन्न चढ़े।

मांस-भक्षण—आय कुछ कहने के पूर्व मांस-भक्षण पर कुछ लिख देना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद में देवताओं के लिए दूध का मांस पकाने की ओर कई संकेत दिये गये हैं उदाहरणार्थ इष्ट कृता है—**ये मेरे लिए १५+२ दूध पकाते हैं (ऋग्वेद १.१८१।१४ और मिलाइए ऋग्वेद १.१२७।२)। ऋग्वेद (१.१२१।१४) में बताया है कि अग्नि के लिए बोकरो बैसें सोंबो वीस गायो एव भेड़ो की बलि दी गयी।** इसलिए ऋग्वेद (१.१७१।१६)। जित्नु उसी में गौ की अम्या (ऋग्वेद १।१६४।२७ एव ४.४।१।६ ५।१८।१८ ८।१५।२१ १.१८७।१६ आदि) भी कहा गया है जिसका अर्थ निम्नत (१.१४३) में भी बताया है—**अध्या महृत्प्या मयति अचकी इति वा** अर्थात् वह जो मारी जाने योग्य नहीं है। सभी-जमी यह शब्द (अध्या) 'चैतु' के विशेष में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋग्वेद ४।१।६ ८।१६।२) अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऋग्वेद के काष्ठ में दूध देनेवासी गायें काटे जाने योग्य नहीं मानी जाती थी। इस इष्टी तर्क के आधार पर गायों के प्रति प्रवृत्तारम्भ सुनो का भी अर्थ लगा सकते हैं यथा—**ऋग्वेद (१।२८।१-८ एव ८।१.१।१५ एव १६)। ऋग्वेद (८।१.१।१५ १६) में गाय को स्त्री की माता बसुओं की पुत्री आदित्यो की बहिन एव अमृत का केन्द्र माना गया है और ऋषि ने अतः से कहा है—** गाय की हत्या न करो यह निषेध है और स्वयं अविति है। ऋग्वेद (८।१.१।१५) में गाय को देवी भी कहा गया है। इससे प्रकट होता है कि गाय अमृत देवत्व को प्राप्त होती जा रही थी। दूध के विषय में गाय को अव्यक्त कहा जा रहा है मन्त्रों की उपयोक्तृता तथा परिवार में आवागमन प्रदान एव विनिमय सम्बन्धी अर्थमीतिक उपयोक्तृता एव महत्ता का कारण गाय को देवत्व प्राप्त हो गया। अथर्ववेद (१.२।४) में भी गाय की पूतता (पवित्रता) मानी गयी है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में पता चलता है कि तत्र तत्र गाय की बलि दी जाती थी (उत्तरीय ब्राह्मण १।१८ अथर्व ब्राह्मण १।१।२।२१)। ऐतरेय ब्राह्मण (१।८) के मत से बीस दस बकरा मय बलि के पशु हैं, किन्तु किन्तु गौरमुग गवय ऊँ एव सरस (आज पैंरो बाका कर्मात्मक जन्तु) नामक पशुओं की म तो बलि ही सचयी भी और न के लिये जा सकते थे। शतपथ ब्राह्मण (१।२।३।९) में भी यही बात पायी जाती है। शतपथ ब्राह्मण (१.१।७।१।३) के उक्तियाँ हैं कि मांस सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आये अमृत-माय इतनी पवित्र हो गयी कि बहुत-से बोधा ने निवारणार्थ उनके दूध वही दूध मूत्र एव गौरस 'पञ्चमस्य वनत मया। पञ्चमस्य न विषय म औ नियम वत है ज्ञानी जानकारी के लिए हैलिये याजवल्क्य (३।३।१४) शौपायनमुह्ययुक्त (२।२) परापर (१.१।२८ ३४) वैश्व (६-२-९) मनु-दाशानप (१.५८ १.६२) मत्स्यपुराण (२.६७।१-९) परापर एव अग्नि म पञ्चमस्य निमित्त की विधियाँ हैं जिन्हें श्वानामात्र न करण हम नहीं दे रहे हैं। पञ्चमस्य को ब्रह्मदूर्ध्व भी कहा जाता है। गाय न मदी अम (दूध के अनिर्दिष्ट) पवित्र माने गये हैं। मनु (५।१२८) में गाय द्वारा दूध या चाटे मय पत्तों के परिशीलन की बात बतानी

६. अथर्ववेदपुराणम्। जातिबुद्धं चियाबुद्धं वातायचिबुद्धमितम्। सप्तार्धापयुद्धं च सहस्रोत्तं स्वभासात्॥
अथर्ववेद पृ. २४१। मिलाइए बृहदारण्यक १.१।२.२ १.२३—**माद्युद्धं चियाबुद्धं वातायुद्धं तर्कं च। सप्तर्षयुद्धं च तथा अथर्ववेदमथि॥ अथर्ववेद च निमित्तत्वं स्वभावात्-वाता-सप्तर्षि-विद्य-माद्य-परिच्छेदः। बोधा मयति। अथर्ववेद पृ. ११५७। इनमें से कुछ धार्य बलिच्छेदमस्युक्त (१.४।२८) में भी पाये जाते हैं—**अत्रं बसुंति आद्युद्धं सहस्रोत्तं पुनः तिष्ठमाद्यमाद्यं वत्यं च।****

है क्योंकि उसका मूँह अपवित्र माना गया है। मनु (११।७९) ने गाय की प्रशंसा की है—जो ब्राह्मणों एक गायो की रक्षा में अपने प्राण दे देता है वह ब्राह्मणहत्या जैसे अक्षय्य पापों से मुक्त हो जाता है। जिप्सुबर्ममूत्र (१९।१८) ने भी पितृ विवाह कि ब्राह्मणों गायों स्त्रियों एक बच्चों की रक्षा में प्राण देने वाले अमृत (ब्राह्मण) भी स्वर्ग को चले गये। धरामण्ड (एपिरीकिया इन्डिका, जिल्द ८ पृ ४४) के सिक्कारुस में "गो-ब्राह्मण-हित" (गायों एक ब्राह्मणों का रक्षा) छन्द प्रयुक्त हुआ है (ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी)। भीर बेसिए रामायण (शालकाण्ड २९।५, बरपकाण्ड २३।२८) एक मत्स्यपुराण (१ ४।१६)। कपिलायाम को अत्यधिक मंगलकारी माना गया है और इसका पूज अग्निहोत्र एक ब्राह्मणों के लिए उत्तम माना गया है किन्तु यदि उसे मूत्र पिये तो वह नरक का भागी होता है (दुर्बलिन पृ ५६८)।

शाकान्तर में मांस मक्षण के प्रति न केवल अनिच्छा प्रत्युत घृणा का भाव भी रखा जात गया। शाक्यब्राह्मण के यह भी मिथ्यात्व प्रतिपादित किया है कि मांसमयी जाये के जन्म में उन्हीं पशुओं द्वारा लाया जायगा जर्जनि उवा हस्ताई जो इस जन्म में गाय का मांस लायेगा ता आने के जन्म में उसे इस जन्म वाली लायी गयी गाय लायेगी। छान्दोग्योपनिषद् (३।१०) ने तप दिया (दान) संस्कृता (श्रुतुना) अहिंसा एक सत्य को प्रतीकामक मंत्र की इक्षिणा माना है। इषी उपनिषद् (८।१५।१) में पुन कहा है कि ब्राह्मणों समस्त जीवों के प्रति अहिंसा प्रकट करते हैं। जो बहुत-से लोगों ने जाने अज्ञान मांस मक्षण छोड़ दिया उसके कई कारण थे (१) आध्यात्मिक धारणा—एक ही ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है (२) सभी जीव एक हैं (३) छोटे-छोटे कीट भी उनी बीबी दक्षिण के अग्निमन्त्र-मात्र हैं क्योंकि (४) वे लोग जो अपनी बायनाओं एक बठोर कृतियों तथा तुप्ताओं पर नियंत्रण नहीं रखने और शाक्यीय बना एक उद्धानुमति नहीं प्रकट करते दार्शनिक सत्त्वों का दर्शन नहीं कर सकते। एक अन्य कारण भी कहा जा सकता है—मांस-मक्षण से असहि प्राप्त होती है (इस विचार से भी अहिंसा के प्रति श्रुतक बड़ा)। ज्या-ज्यो कार्य भारत में मक्ष पूर्व एक इक्षिण में प्रकृत गये अक्ष-बामु एक अत्यधिक मांस-सम्बन्धियों (दान-मात्रियों) एक सत्ता के कारण मान मक्षण में कमी पायी जाने लगी। संक्षमण यह एक कारण है कि भारतवर्ष में आज मांस भक्षण उत्तम नहीं रहा मला जब कि हमारे पूर्वज अति अधिक मांस भोजी थे। यह एक विस्मयक ऐतिहासिक तथ्य है और मसार के इतिहास में अत्यन्त दुर्लभ है। प्राचीन बर्ममूत्रों ने मोजन एक यज्ञ के लिए जीव-हत्या की व्यवस्था की थी। जाचर्व्य तो यह है कि उन समय बर्म एक आभावमन के मिथ्यात्व प्रकल्पित थे तब भी जीव-हत्या की व्यवस्था की गयी थी। वेदान्तमूत्र (३।१।२५) में भी यज्ञ के लिए पशु-हत्या अपवित्र नहीं माना गया है। बृहदारण्यकसंहितापु (६।२) में आभावमन के मिथ्यात्व का विवेचन किया है। किन्तु मांस-हो-मांस इतना उम व्यक्ति के लिए जो बुद्धिमान् पुत्र का उत्पन्न है ब्रह्म या सवि वा किसी अन्य पशु का मांस को खावस एक पूज में पकाने का निर्देश किया है (३।४।१८)। मूत्र एक बर्ममूत्रों के अनुसार कल्पिय सबसों पर न बरक अन्य पशुओं की प्रत्युत गाय की भी बलि दी गयी थी तथा (१) धाड़ में (आपस्तम्बबर्ममूत्र २।३।१९। ५) (२) सम्मानित अग्नि के लिए मधुपर्क में (आपस्तम्बपुस्तकमूत्र १।२।४।२२-२६ बलिष्ठाबर्ममूत्र ४।८) (३) अष्टका धाड़ में (हिरण्यकनिगुप्तमूत्र २।१।५१ बीजायनबुद्धमूत्र २।२।५, बीजायन ४।३) एक (४) सुतपत्र यज्ञ में एक ब्रह्म (आपस्तम्बपुस्तकमूत्र ४।५।१)।

बर्ममूत्रों में कल्पिय पशुओं पतियों एक मछलिया के मांस भक्षण के विषय में नियम दिये गये हैं। यौनम (१।३।३।११) आपस्तम्बबर्ममूत्र (१।५।१।३।५) बलिष्ठाबर्ममूत्र (१।४।३९ ४) याज्ञवल्क्य (१।१।३।३) किन्तु बर्ममूत्र (५।१।६) मत्त (अनारक पृ ११६० में उद्धृत) आभावमन (हिन्दुविद्याकाण्ड १।३।३) मांसपशुनाम (१।५।४) में मांही खरवीना रक्षादिपु (मूत्र) बाबा या मछ (एक प्रकार की छिन्ना) मछा कष्टका का

विष्णुधर्मसूत्र (५११३८४१) याज्ञवल्क्य (११२७) के अनुसार जो सन्धिनी गाय हो जिसका बछड़ा मर गया हो जिसे जुड़वाँ बछड़े उत्पन्न हो गये हो बछड़ा देने पर सभी जिसको उस दिन पूरे न हुए हो जिसके स्तन से अपने-आप दूध निकलता हो उसका दूध नहीं पीता चाहिए। बछड़ा देने के उस दिन तक बकरी एक मेष का दूध भी नहीं पीना चाहिए। भेड़ो ऊँटिनियों तथा एक बुराके पशुओं का दूध सर्वथा बहिष्कृत माना गया है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ११२७) के अनुसार बहिष्कृत दूध का दही भी बहिष्कृत है किन्तु विषवक्ष्य के कथनानुसार बहिष्कृत दूध का दही तथा इसके अन्य पदार्थ बहिष्कृत नहीं हैं। अपवित्र मंत्रजन करने वाली गाय का दूध भी बहिष्कृत माना गया है (विष्णुधर्मसूत्र ५११४१ एक अत्रि ३ १)। सामपुराण में मेष का दूध भी बहिष्कृत माना गया है।^१ शीवात्मनधर्मसूत्र (११५१२५९ १९) में घस के दूध को छोड़कर अन्य बहिष्कृत दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा बहिष्कृत मांस का दूध पीने पर तीन दिनों के उपवास की व्यवस्था की है। आपस्तम्बस्मृति (पथ) ने बाह्यको को छोड़कर अन्य लोपो के लिए कृषिका गाय का दूध बहिष्कृत माना है किन्तु भविष्यपुराण में देव-कृत्यों से बच रहे कृषिका गाय के दूध को ही बाह्यको के प्रयोग के लिए उचित ठहराया है। ब्रह्मपुराण के अनुसार रात्रि में यात्रा करते समय भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, किन्तु रात्रि के समय मधुपर्क में इसे डाला जा सकता है। दिन में सूने अन्न रात्रि में दही एवं जी तथा सभी भागों में बौद्धिहार एवं कृषित्य (बुद्ध या फल) के प्रयोग से दुर्भाग्य का नाशमान होता है।

घास-भाजियों का प्रयोग—इति प्राचीन काल से कुछ घास भाजियाँ बहिष्कृत ठहरायी गयी हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (११५१७१२५ २७) के मत से ये सभी घास जिनसे मरिच निकाली जाती है वस्तुतः (काल लहसुन) पलाण्ड (प्याज) परारिण (काका लहसुन) तथा वे घास-भाजियाँ जिन्हें अन्न लौहा नहीं बाले जाने के प्रयोग नहीं लायी जाती चाहिए। इसी प्रकार 'ब्याहु' (बबक कुकुरमुत्ता) भी नहीं खाता चाहिए। शैतम (१७१२-३३) में वेड़ी की क्रोमल पत्तियों ब्याहु ध्युन (लहसुन) बुद्धो की रास तथा बुद्धो पर अन्न कर देने से घास से जो लाभ प्राप्त निकलता है इन सब को बहिष्कृत माना है। बहिष्कृतधर्मसूत्र (१७१३३) में लहसुन, पलाण्ड, गृन्धन (सिलामुस का घसकम) श्लेष्मातक बृस-आम एवं छाक से निकले मांस भाग को बहिष्कृत माना है। मनु (५१५ ९) में लहसुन, पलाण्ड, गृन्धन बबक (कुकुरमुत्ता) अपवित्र मिट्टी से उपजी हुई सभी प्रकार की घास-भाजियों मांस बृस-आम एवं काल बुद्ध-आम तथा घेक पत्तों को बहिष्कृत माना है। याज्ञवल्क्य (११२७१) ने गिणु जोड़ दिया है जो बहिष्कृत पदार्थों में प्रयोग पर चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था की है। प्राचीन काल में प्रयुक्त घास-भाजियों के आधुनिक पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। गृहस्वरत्नाकर (पृ. ३५९) में उद्धृत स्मृतिभङ्गटी ने अनुशासक पलाण्ड में व्रत प्रचार है जिनमें गृन्धन (घसकम) भी एक है। इसी प्रकार अपराह (पृ. २४०) गृहस्वरत्नाकर

९ 'सन्धिनी' के तीन अर्थ बताये गये हैं—(१) पथं गाय अर्थात् जो नर्मकती होकर चालती है; (२) वह गाय जो दिन में केवल एक बार दूध देती है तथा (३) वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर दूध देती है अर्थात् त्रिचक्षु बछड़ा मर गया हो और दूसरे बछड़े से अन्नितपाजित ही बुद्धी हो।

१ अजा माधो महिष्यश्च अनेष्यं जलपान्तं वा । दुर्गं ध्वये च कर्म्ये च शीमयं न क्षिपेत्पशुः ॥ अत्रि ३ १ ॥
आधिक मार्गाम्यौ च सर्वमेकग्रहं च यत् । सति चान्नं चैव पयो वर्ज्यं विज्ञानता ॥ बभ्रुपुराण ७८११७ ॥

११ शतलो शीर्षपत्रश्च पिष्टपण्यो महीपयम् । द्विरप्यश्च वलाण्डश्च नवतपकः वरारिणः ॥ गृन्धनं घसकं च वलाण्डोर्ध्वं वातकः ॥ इति स्मृतिभङ्गटीवाराणसिनित्यध्यायः ॥ गृहस्वरत्नाकर पृ. ३५९ एवं आधिक-प्रकाश (पृ. ५१४) ।

(५ १५४ १५५) आदि ने भी बर्जित धाक-सम्बन्धों की सूची उपस्थित की है। मुमत्सु व एक मूत्र (याज्ञवल्क्य १।२९ की टीका में मिताक्षर द्वारा उद्धृत) के अनुसार दवा के रूप में समुद्र का प्रयोग बर्जित नहीं है। गौतम (१०।१२) की टीका में इत्यत्र वे लिखा है कि यह नहीं बात है कि हिंगु (हीम) किसी पेड़ का साग है या काट दिये जाने पर लिफाटा हुआ साग है किन्तु सभी मन्त्र व्यक्ति इसे प्रयोग में लाते हैं और कपूर का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि न तो यह साक है न साग है और न ही काटे हुए पेड़ की छाल का साग या रस। स्मृतिबन्धिका (याज्ञ ५ ४१३) ने लिखा है कि कुछ स्मृतियों ने हीम को बर्जित माना है किन्तु आदि पुराण ने नहीं अतः अपनी रधि के अनुसार इसका प्रयोग ही सकता है। गृहस्वरत्नाकर (५ १५४) ने लिखा है कि यौक अलावू (छोटी) बर्जित है। बर्जित धाक-सागियों के नामों के लिए देखिए बृह-हारीत (७।१११ ११२) एवं स्मृतिमुक्ताफल (माहिक्र ५ ४४ ४५)।

बर्जित मम—आपस्तम्बधर्ममूत्र (२।८।२) ने भाद्र में माघ जैसे काले मम बर्जित माने हैं। महाभाष्य (विश्व १ ५ १२०) ने ब्रिष्टिज अवनरो पर माघ को बर्जित मम माना है और लिखा है कि जब यह पीयित है कि माघ नहीं जाना चाहिए, जो उसे मम अन्नो के साथ मिलाकर भी नहीं जाना चाहिए। राजभाष्य स्कूल मुद्रा कुर आदि को बर्जित माना गया है (बृहपुराण गृहस्वरत्नाकर ५ २५९)। माहिक्रप्रवाह (५ १५४) में उद्धृत धर्मलिखित में आया है कि कौटिल्य बर्जक (चना) माघ मधुर, कुम्भक एवं उद्गाहक को उद्गाहक ममी मम देवपत्र में प्रयुक्त हो सकते हैं। बृह-हारीत (७।११ १११) ने भी बर्जित अन्नो की सूची दी है।

बर्जित वक्त्र परार्ध—गौतम (१०।१४) आपस्तम्बधर्ममूत्र (१।५।१०।१७-१९) बर्जितधर्ममूत्र (१।४।२८ २९ एवं ३०-३८) मनु (५।१ २४ २५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९०) के अनुसार बामी पक्वाज (बनाकर कुर देर से रखा हुआ भोजन) या जो अन्य पदार्थों से मिश्रित कर रखा दिया गया हो या वह भोजन जो रात और दिन अर्धसमय २४ घण्टे का हो चुका हो नहीं जाना चाहिए। बही मन्त्रक तरकारियों रोटीयों मूत्र अन्नो इत्यादि पदार्थों के साथ भी मक्काज हुए अन्न या दूध तथा मधु में मिश्रित पदार्थों का छोड़कर दीर्घाण पक्वाज हुए पदार्थों को नहीं जाना चाहिए। वह बामी भोजन जिसमें भी या बही मिला हो या जा देवी का प्रसाद हो जाना चाहिए। मनु (५।२५) बर्जितधर्ममूत्र (१।४।३०-३८) आपस्तम्बधर्ममूत्र (१।५।१०।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९) के मत से वेहूँ एवं जो ने बामी भोज्य पदार्थ तथा दूध व बामी पदार्थ बिना पी व मिश्रक व भी द्विजानियों द्वारा प्रयोग में लाया जा सकते हैं किन्तु ये पदार्थ जब कट्टे हो जायें तो खाने में योग्य नहीं हैं।

बर्जित या श्याम्य भोजन—उर्ध्व लिखित बर्जित माघ दूध एवं माघ माहिक्र आतिष्ठुट या स्वभावदुष्ट भोजन के अन्तर्गत आती है। समय बीत जाने से उत्पन्न बामी या कट्टे भोजन बालदुष्ट कह जाते हैं। आपस्तम्बधर्म मूत्र (१।५।१०।१९ २ एवं २४ २९) मनु (५।२ ७-२ ९ २।२ २१०) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार भाग्य पक्वाज परिक्ताण्डु जैसे बर्जित पदार्थों से मिश्रित हो जायें या अपवित्र इत्ये के अन्तर्क में जा जायें या जिसमें बाह्य या कीट पर जायें या जिसमें बूँद की बीट अणु या कुछ पत्थी मिस्राज या जो रजस्वला नारी म ए उजाय या जिसमें कीट की चाल एक जाय या जिसे मूत्रर छू ले या गाम मूत्र से या जो ऐम पर म आया ही जहाँ कोई मर गया हो या बच्चा उत्पन्न हुआ हो अर्थात् जहाँ मूत्रक लगा हो तो उस बर्जित मानना चाहिए। यदि गाने समय मूत्रक अर्थात् पाण्डु, गुला कीड़ा मृगा कीड़ा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाय तो भाजन छोड़कर उठ जाना चाहिए। मनु (१।२।१९ २४) ने उपर्युक्त सूची में नपुंसक व्यक्ति भी जाह दिया है और कहा है कि इन्हें देवद्वय धात्र या बाल कर्क के सिद्धिने से या जाने समय नहीं देना चाहिए। बाण्डायन ने ठ। यहाँ तक कह डाला है कि यदि बाण्डाय गाने समय पाण्डु, बर्जित रजस्वला नारी का स्पर्श मुत्र से तो उस भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए, किन्तु यदि उनसे

छोटा-छोटा अथवा पाँच तापून वाले (पञ्चनद्य) पशुओं को खाने से मना किया है। शौचम में दोनों जगहों में दान वाले पशुओं को बाल वाले तथा बिना बाल वाले (यथा मर्त्य) पशुओं प्राचीन मुनी प्राचीन मूमरों गाणो एवं वैश्वो को खाने से मना किया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।५।१५) में एक मुर वाले पशुओं उँटों गवयी (पुबरोजी) प्राचीन मूमरों धारमो एक धारमो के मांस को बर्जित किया है किन्तु वैश्वो के मांस को आश्रयनेयव के अनुसार पवित्र माना है। इर्वा धर्मसूत्र (२।२।५।१५) में उपानर्म स उपमर्मन तव के मांसी में वेदाभ्यापव को मांस खाने से मना किया है किमसे प्रवृत्त हुआ है कि अथ मावी म ब्राह्मण आचार्य छोम मांस-भक्षण करते थे। बागी मोक्षम एव जिना पत्रा मास खाने वाले छात्र को अनभ्याम नहीं करना पड़ता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।३।१।१५)। इस धर्मसूत्र (२।३।३।५) में लिखा है कि अनिधि को मांस देने से ब्राह्मणों को बर्जित करने का एक विधिया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।३।५) में लिखा है कि ध्याइ या वैश्वयुजा म प्रिय पसे मास को यदि प्रार्थना करने पर मनि नहीं लाता है तो वह अमत्य नहीं तर नरक में रहता है। तिसु नमस शौपी म मनोभासो म परिबर्तन हुआ। मेघन्यनीज (पृ ९९) एक श्रुति (१।१।१।५) में लिखा है कि धर्मनिरो की प्रथम आदि जो को उपविभागी म विभाजित है यथा— ब्रह्मनेग (ब्राह्मण) एक धर्मनम (धर्मण) पशु-मांस नहीं खानी और न मनुष्य करनी है (सम्भवन ब्रह्मचारी के रूप में) तिसु ३७ वर्षों का एक प्रकार रहना यह आदि उन पशुओं का जो इति के लिये बेकार होते हैं मांस खानी है। नम्राद् अनाथ भी पहले मांसखानी का तिसु नमसा उनसे अपन राजकीय जीवनालम म पशु-भाग बनना बन्द कर दिया।

प्राचीन ऋषिणा के देवयज्ञ मधुपर्क एक ध्याइ म मांस-बलि की व्यवस्था की है अत मनु एव बलिष्ठ म इन नियम में बा मने नहीं है। मनु (५।१७७-४४) में ब्रह्म मधुपर्क बस देवयुग एक ध्याइ म पशु-हवन की आज्ञा की है। मनु (५।२७ एव ३२) में लिखा है कि जब प्राण मरने म ह्रा (अनाथ या रोग के कारण) तो मांस मरण म पाव नहीं लपाता। मर्त्य बाल मांसकलय (१।१७९) में भी नहीं है। मनु के आगे चलकर लिखा है कि पशु-हवन में अति मारे मनु के रामा की मरणा बाल अर्थात् तव स्वय मारा जाना है (बिष्णुधर्मसूत्र ५।१।६)। मनु (५।४ एव ६६-विष्णुधर्मसूत्र २।६३ ९७) में लिखा है कि पीसे पशु ब्रह्म (जिनसे यज्ञ के लिये मनुष्य धारि बनते हैं) छोड़ कर खानी मारि जो मरु करके मियमिड में आरुण होल है अथवा पीनियो में पुन जन्म लेते हैं। वैश्वो लिखा लिखा नहीं बल्कि पीनियो बर में ही पर्य का प्रथम निर्याता है। मर्त्य बाल दूसरे रूप म विष्णुधर्मसूत्र (१।६। ४ ६। ६) में भी नहीं है। आग चलकर मनु (५।६६-५५) में यतो में भी पशुबलि को बर्जित कर दिया (विष्णु धर्मसूत्र ५।१६ ७८)। मनु (५।५३) में अन्न म अना निर्यन दिया है—योगवताय मयथा म मनुष्य के दोष नहीं है बर्जित म स्वाभावित प्रवृत्ति है। कुछ अवसरों एक कुछ सोचा म किसे से शास्त्रानुसंधित है तिसु उनमें दूज मना पर (उन अवसरों पर भी तिसु कि शास्त्रा की आज्ञा मिन चुकी है) मनुष्य की प्राणि होती है। मनु

७. मरुतव व मने व तिसु ब्रह्मनि। अथव वरायो जिना मरुतवोपब्रह्मनि। मनु ७।४१। मर्त्य बाल बलिष्ठ (४।६) विष्णुधर्मसूत्र (५।१।६४) एक धायाउपशुद्रासूत्र (७।१६।१) में भी बायी आनी है।
८. म आनभरणे दोषो म मने म मर्कने। प्रवृत्तिषा भूताना तिसुतानु मरुतवता ॥ मनु ५।५६। मनुष्यवर्जित (व १ १) में इसे उद्घृत किया है। मरुतवनि से हमका बालनिवक अर्थ बनाया है—'श्रीकामध्या तथा मर्त्य को मरुतववर्जितम। श्रुती म मर्कन वर्य बुतोनितनिमित्तम ॥ मरुतवोपब्रह्मनि मर्क ७ मरुतवोपब्रह्मनि ॥ मनु (५।५६) को व्याख्या में मर्कन मरुतव द्वारा उद्घृत।

किन्तु एक बमिष्ठ की उपर्युक्त चरित्तयो से प्रकट होता है कि उनके समय में जो प्रचार के व्यक्ति थे एक से जो मास मन्त्र को वैदिक मानते थे किन्तु वेद के कथनानुसार यज्ञादि अबसरो पर ही पशु-बलि करते थे और दूसरे लोग थे जो बिना नियमन के साक्ष-मन्त्र करते थे। मनु यह जानते थे कि याज्ञादि ऐस अबसरो पर मास-भक्षण होता था और उन्होंने स्वयं लिखा है कि याज्ञ के समय विभिन्न प्रकार के मास के साथ मति मति के व्यञ्जन बनने चाहिए (१।२२७)। याज्ञवल्क्य (१।२५८-२६) ने लिखा है कि याज्ञ के समय ब्राह्मणों को मति-मति न पशुओं का मास देने से बितरी को बहुत बिनी तक सन्तोष मिलता है।

जब साक्ष-मन्त्र कम होता गया। वैष्णव धर्म के विकास से भी पशु-बलि कम होती गयी। भागवत उपम (७।१५।७-८) में मास-भक्षण बर्जित माना गया है। मन्व्य एक वर्तमान कास में उत्तरी एक पूर्वी भारत को (यहाँ के कुछ ब्राह्मण मत्स्यी को बर्जित नहीं मानते यथा मैथिल ब्राह्मण आदि) छोड़कर अन्य ब्राह्मण मान नहीं करते हैं। वैश्य लोग भी बिलेपत जो वैष्णव हैं, मास नहीं खाते हैं। बहुत-से ब्राह्मण भी मास से दूर रहते हैं। किन्तु प्राचीन काल से ही क्षत्रिय लोग मासभोजी रहे हैं। महाभारत में क्षत्रियों एक ब्राह्मणों के मास-भक्षण की बर्जाई बहुत हुई है तथा वनपर्व (५।१४) में आया है कि पाण्डवों ने विपरीत हीरे में हिरण माने और उनका नाम ब्राह्मणों को दान के उपान्त स्वयं आया मुक्तिपर ने (समापर्व ४।१२) मयसमा के उपान्त न अबसरो पर इस सहस्र ब्राह्मणों को कन्य सुकर एक हिरणों के नाम भी जाने को दिया। इसी प्रकार देखिए वनपर्व (२।८।११-१२) अनुपासमपर्व (१।१६।३-१६।१९)। किन्तु महाभारत में भी मनु के मनीषाव प्रकट नियम हैं और कहा है कि मास-भक्षण से दूर रहना चाहिए (अनुपासम १।१५)। मनु (५।५१) ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति पशु को मारने की मन्मति होता है जो पशु-हत्या करता है जो जग-जग पूजक करता है जो मास बेचता या खरीदता है जो पकता है जो परोसता है और जो खाता है—इनमें सभी मारने के अपराधी होते हैं। मनु न कहा है कि मासभोजी सबसे बड़ा पापी है क्योंकि यदि वह न होता तो कोई भी पशु हत्या न करता (आश्विनप्रश्ना ५।१३३)।

जिन पक्षियों को साम्राज्य और जिन्हे न लाया जाय इस विषय में गीतम (१।७।१७-१८ ३५) आप साम्प्रथमसूत्र (१।५।१७।३२ ३५) बमिष्ठवर्मसूत्र (१।४।४८) किन्तुवर्मसूत्र (५।१।७ ३१) मनु (५।११ १५) याज्ञवल्क्य (१।१।७-१।७५) आदि में कर्मा ब्रह्मियाँ हैं। बर्जाता नाम खानका पत्नी (विष्ट कीन आदि) बालक तथा इस घामीण पत्नी (बहुतर आदि) वह योग्यता या जिस साद-गौरव अपना मोक्ष ईदक जाने पत्नी बर्जित माने गये हैं किन्तु जयन्ती मूर्ध एक मार बर्जित नहीं है। मन्व्य न वैमिनि (१।३।२६ ८) में देखा न लिखा है कि ब्रह्मिचर्यों को (जिनमें यज्ञ के लिए वेदी बनायी है) पत्नी तक रख नहीं जाना चाहिए जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाय।

मठकी के मन्त्र के विषय में कोई मनीष्य नहीं है। आपम्प्रथमसूत्र (१।५।१७।३६ ३७) न मनु न चन (मन्व्य या पश्चिमाल ?) बर्जित है। मनु की मति तिर वाली मन्व्य, दास पानेवाली तथा विभिन्न आदिनि वाली मन्त्रियाँ नहीं जानी चाहिए। मनु (५।१५ १५) ने सभी प्रकार की मन्त्रियों के भक्षण को निवृत्त मान मनन माना है किन्तु ब्रह्मण्यी तथा याज्ञ म पाली रोहित राजीव निह की मुत्तादिनि वाली एक बन्धक बार्दी मन्त्रियों की हृत् की गर्वी है (५।१६)। देखिए बमिष्ठवर्मसूत्र (१।४।४९ ४७) गीतम (१।७।१६) एक याज्ञवल्क्य (१।१।७-१।७८)।

बुध-धर्मोप—बुध के विषय में मन्त्रियों ने बहुत-से नियम बनाये हैं। गीतम (१।७।२२ २६) आपम्प्रथमसूत्र (१।५।७।३२-३५) बमिष्ठवर्मसूत्र (१।४।४९ ३५) वीषामनस्यसूत्र (१।५।१५६ १५८) मनु (५।८)

विष्णुधर्मसूत्र (५।१।१८-४१) याज्ञवल्क्य (१।१७) के अनुसार जो मन्थिनी गाय हो जिसका बछड़ा मर गया हो जिसे पुनर्जा बछड़े उत्पन्न हो गये हो बछड़ा देने पर जमी जिसको दस दिन पूरे न हुए हो जिसके स्तन से जने-जाय दूध निकलता हो उसका दूध नहीं पीना चाहिए। बछड़ा देने के दस दिन तक बचरी एक बैस का दूध भी नहीं पीना चाहिए। भेड़ो ऊँनियो तथा एक बुर बाक पशुओं का दूध सर्वथा बन्धित माना गया है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।१७) के अनुसार बन्धित दूध का दही भी बन्धित है किन्तु विरहवय के बचनानुसार बन्धित दूध का दही तथा उसके अन्य पदार्थ बन्धित नहीं हैं। अपबन्धित मान्य करने वाली गाय का दूध भी बन्धित माना गया है (विष्णुधर्मसूत्र ५।१।४१ एवं अत्रि ३।१)। वामपुराण में भेड़ का दूध भी बन्धित माना गया है।^१ शौषायनधर्मसूत्र (१।५।१५९-१६) में बाघ के दूध को छोड़कर अन्य बन्धित दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा बन्धित बाघ का दूध पीने पर तीन दिनों के उपवास की व्यवस्था की है। आपस्तम्बस्मृति (पंच) में ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए बन्धित गाय का दूध बन्धित माना है किन्तु मन्थिप्यपुराण ने वेन-दूधों से बच रहे कृषिमा गाय के दूध को ही ब्राह्मणों के प्रयोग के लिए उचित ठहराया है। बह्मपुराण के अनुसार रात्रि में बाघा करते समय भी दही का सेवन नहीं करता चाहिए, किन्तु रात्रि में समय मनुष्य में दूधे वाला जा सकता है। दिन में धुने अन्न रात्रि में दही एक जो तथा जमी बाको में जोबिहार एक जपित्य (बुल या फल) के प्रयोग से दुर्गम्य का आपमन होता है।

घास-खाकी तरकारी का प्रयोग—बन्धित प्राचीन काल से कुछ घास भाजियाँ बन्धित ठहरावीं गयीं हैं। आप-स्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१७।२५-२७) के मत से वे सभी घास जिनसे मक्खिरा निकाली जाती है कसम्ब (सास कहुमुन) पलाण्डु (प्याज) परारिण (बाला कहुमुन) तथा वे घास भाजियाँ जिन्हें मर लीम नहीं खाते खाले के प्रयोग में नहीं लानी जानी चाहिए। इसी प्रकार 'व्याधु' (बबब कुटुरमुत्ता) भी नहीं खाना चाहिए। गौतम (१०।१२-२३) में पेड़ों की कौमल पत्तियों व्याधु कमुन (सहुमुन) दूधो की राक तथा दूधो पर सात कर देने से छाल से भी सास खाव निषेधित है इन सब को बन्धित माना है। बन्धितधर्मसूत्र (१।४।३३) में समुद्र पलाण्डु पुरुञ्ज (सितामूल या बसबम) इक्ष्वाक्य बृह-साव एक छाल से निराल सास साग को बन्धित माना है। मनु (५।५६) में समुद्र पलाण्डु पुरुञ्ज बबब (कुटुरमुत्ता) अपबन्धित मिट्टी में खपनी हुई नमी प्रकार की घास-भाजियों काल बृह-साव एक काल बृह-साव तथा धेनु पयो को बन्धित माना है। याज्ञवल्क्य (१।१७१) में सिधु जोड़ बिना है और बन्धित पदार्थों के प्रयोग पर आश्रायण ब्रह्म की व्यवस्था की है। प्राचीन काल में प्रयुक्त घास-भाजियों के आपुनित पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। गृह्यसंहिता (पृ ३५६) में उद्धृत स्मृतिमन्त्रों के अनुसार पलाण्डु के दस प्रकार हैं जिनमें पुरुञ्ज (पाउरज) भी एक है। इसी प्रकार अगर्ग (पृ २४९) गृह्यसंहिता

१ 'मन्थिनी' के तीन अर्थ बताये गये हैं—(१) गर्भ माय अर्थात् जो गर्भवती होना चाहती है (२) वह गाय जो दिन में केवल एक बार दूध देती है तथा (३) वह गाय जो दूध दे बछड़े के लाने पर दूध देती है अर्थात् जिसका बछड़ा मर गया हो और दूध दे बछड़े से बन्धितपानित हो चुकी हो।

१ अना गावो महिष्याश्च समेयं भक्षयन्ति वाः। दुर्गं हृद्ये च बन्धे च पीयवं न बिलेक्षयेत् ॥ अत्रि ३०१।
आश्विन आर्षकोष्ठे च सर्वभेजराक्षे च मनुः। आरिण्ये चामरं च बचो बन्धे विज्ञानता ॥ वामपुराण ७८।१०।

११ एतानीं शीघ्रवराहं पिष्टकम्बो महीपयम्। हिरण्यरश्च वलाण्डुश्च मन्थवन् चारिण्यः। पुरुञ्जं इक्ष्वयं च वलाण्डोश्च कालप ॥ इति स्मृतिमन्त्रोक्तानि बन्धितपदार्थानि। गृह्यसंहिता, पृ ३५६ एवं आश्विन-प्रकाश (पृ ५१४)।

(पृ ३५४ ३५९) आदि में भी बजित शाक-सम्बन्धियों की सूची उपस्थित की है। सुमन्तु के एक मूत्र (याज्ञवल्क्य ३।२९ की टीका में मिताश्रया द्वारा उद्धृत) के अनुसार बन्ना के रूप में स्मृन्तु का प्रयोग बजित नहीं है। नीलम (१०।३२) की टीका में हार्यत ने लिखा है कि यह नहीं भात है कि हिन्दु (हीम) पिप्पी पेड़ का साक है या काट दिये जाने पर निकला हुआ साग है किन्तु सभी महत्त्वपूर्ण इन्से प्रयोग में लाते हैं और कपूर का प्रयोग किया जा सकता है, सोनि न तो यह काम है न भाव है और न है काटे हुए पेड़ की छाल का साग या रस। स्मृतिविरचिता (धात्र पृ ४११) ने लिखा है कि कुछ स्मृतियों ने हीम को बजित माना है किन्तु आदि पुराण में नहीं बत अपनी बचि के अनुसार इसका प्रयोग ही सकता है। बृहत्संहिताकार (पृ ३५४) ने लिखा है कि गोक अन्नात् (कीकी) बजित है। बजित शाक-आजियों के नामों के लिए देखिए बृह-हारीत (३।११३-११४) एवं स्मृतिमुस्ताकल (आह्निक पृ ४१४-४१५)।

बजित अन्न—आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।८।२) में धात्र में माप जैसे बाले अन्न बजित माने हैं। महाभाष्य (स्मि १ पृ १२०) ने विविष्ट अन्नसरो पर माप को बजित अन्न माना है और लिखा है कि जब यह भीषित है कि बाप नहीं जाना चाहिए, तो उसे अन्य अन्नों के साथ मिलाकर भी नहीं खाता चाहिए। राजमाप स्मृत्तु मुद्ग मयूर आदि को बजित माना गया है (ब्रह्मपुराण बृहत्संहिताकार, पृ ३५)। आह्निकप्रकाश (पृ ३९४) में उद्धृत अन्नमिश्रित में आया है कि कोदन्न अन्नक (चना) माप मयूर मुद्ग एव उद्गात्मक को छाड़कर सभी अन्न देव्य में प्रयुक्त ही सकते हैं। बृह-हारीत (३।११०-१११) में भी बजित अन्नों की सूची दी है।

बजित पक्व पदार्थ—मीलम (१।३।४) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।७।१०-१९) बसिष्ठाधर्मसूत्र (१।२।२८ २९ एवं ३०-३८) मनु (५।१ २४ २५) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९७) के अनुसार बागी पक्वान्न (बनाकर बूट देर से रखा हुआ भोजन) या जो अन्य पदार्थों से मिश्रित कर रक्त दिया गया हो या वह भाजन जो रात और दिन अर्धरात्रि अगम २४ बन्धे का हो चुका हो नहीं खाना चाहिए। बही मक्कल तरवारिया पीठियों में अन्न हुआ पापको ठेक या भी म पकाय हुए अन्न या दूध तथा मधु से मिश्रित पदार्थों को छोड़कर दौबारा पत्ताये हुए पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। वह बागी भोजन जिसमें घी या बही मिला हो या जो बेबा का प्रगाथ हो या मत्ता चाहिए। मनु (५।२५) बसिष्ठाधर्मसूत्र (१।४।३०-३८) आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।७।१९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१९७) के मत से गेहूँ एवं जौ के बागी सोम्य पदार्थ तथा दूध के बागी पदार्थ बिना घी के मियल व भी डिङ्गलियों द्वारा मनीस में काम जा सकते हैं किन्तु ये पदार्थ अन्न लट्टे ही जायें तो खाने के योग्य नहीं होते।

बजित या स्थाय्य भोजन—उपनि लिखित बजित मास दूध एवं शाक-आजियों अतिदुग्ध या स्वभावाद्दुग्ध भोजन के अन्तर्गत आती हैं। समय बीत जाने में उत्पन्न बागी या लट्टे भोजन कालदुग्ध कह जाते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।५।१।७।१९ २ एवं २४ २९) मनु (५।२ ७-२ ९ २।२ ०१०) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार भीम्य पदार्थ यदि पक्वान्न जैसे बजित पदार्थों में मिश्रित हो जायें या अपचित इन्से व मन्थन में जा जायें या जिसमें बाक या बीज रह जायें या जिसमें जूँहे की बीट अथवा पृष्ठ पड़ी मिला बाय या जो रजस्वला नारी में छू जाय या जिसमें कौए की बॉच लय जाय या जिसमें मूत्रर छू से या पाय मूत्र के या जो ऐसे घर में आया हो जहाँ कोई मर गया हो या कच्चा अन्न हुआ हो अपनि जहाँ मूत्रर लमा हो तो उसे बजित मानना चाहिए। यदि मने मयम मूत्रर अग्राज कागाल बुवा, बीमा मूर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाय तो भोजन छाड़कर उठ जाना चाहिए। मनु (१।२।१९ २४) में उर्गुल्ल सूची में मनुस्य व्यक्ति भी जोड़ दिया है और कहा है कि इन्से देवद्वय धात्र या बान धर्म के निकलने में या मने मयम नहीं देना चाहिए। कायायन में व। यहाँ तक कहा जाता है कि यदि कागाल मने मयम कागाल पतित रजस्वला नारी का स्वभ मनु में तो उन भोजन छाड़कर उठ जाना चाहिए, किन्तु यदि मने

स्वर सुनने के उपरान्त एक बीर भी खा लिया है। टी उसे एक बिल का उपवास करना चाहिए। मृत्यु-शोक वाले घर के भोजन की निमित्तबुद्ध (विधी अन्नरस वा सयोग के कारण बन्धित) कहा जाता है। अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुओं या अमृत मादि के सम्पर्क में आगत भोजन संसर्गबुद्ध का उदाहरण है। क्रुता आदि से रक्षा क्या भोजन विद्याबुद्ध (कुछ विधिबद्ध कारणों से बूधित) कहा जाता है। स्मृतिकारो ने व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रबंधन किया है। बीजात्म धर्मसूत्र (२।७।७) एवं ब्रह्मानस (१।१५) का कथन है कि यदि विपुस भोजन राशि में बाल मासून के टुकड़े धर्म कीट मूसे की लडियाँ बिखारें पत्र खायें तो वहाँ से पीडा भोजन निकाल लेना चाहिए, उष पर पवित्र भस्म (मदूत) छिन्नककर, मानी छिन्नककर तथा ब्राह्मणो द्वारा उसे पवित्र बोधित करवाना जाना चाहिए। परावर (१।७१-७४) में भी यही बात बूधरे बग से कही है और पवित्रीकरण के लिए सोते की शक्ता का स्वर्ण बलि-स्पर्श (बल्ले कुस सं) तथा ब्राह्मण द्वारा पड़े गये मात्र की विधि बताया है।

केवल अपने लिए पकाये हुए भोजन को (जिसका कुछ भी अन्न दवाये या अतिथि के लिए नहीं हो) बलि माना गया है (गीतम १७।१९ एवं मनु ४।२१३)। ऐसे भोजन को संस्कारबुद्ध (पवित्र कियाओ या इस्ते के अन्न के कारण बूधित या त्याग्य) कहा गया है (स्मृत्यर्षसंघट, पृ १८)। परिग्रहबुद्ध भोजन (भोजन भले ही अन्न ही किन्तु विधिबद्ध व्यक्तिओ द्वारा खाये जाने अन्नवा उपस्थित किये जाने के कारण जो त्याग्य माना जाता है) के विषय में बहुध-से नियम बने हैं। इस सम्बन्ध में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।१८।१६ २३ एवं १।१।१९।१) गीतम (१।५।१८ एवं १।७।१७-१८) बह्विधधर्मसूत्र (१।४।२-११) मनु (४।२।५२२) याज्ञवल्क्य (१।१६ १९५) व्यास (१।५।७-५४) ब्रह्मपुराण तथा अन्य ग्रन्थो में निम्नलिखित व्यक्तिओ की बर्णों हुई हैं—पवित्र जिनियो (धीत एवं ब्रह्म अग्निपी) को न रखने वाला कजूस (जो अपने माता-पिता अन्नो एवं पत्नी को सोम के कारण मूढे रहता है) बन्धी और मनुष्यक पशुबान (या अभिनय करके जीविका चलाते वाला) वैष (बाँस का काम करने वाला या निस्वस्व के अनुसार मट) गायक अग्निनेता अधिभस्त (महापातक का अपराधी) बसात् प्राही (अर्थात् खबरदस्ती हुकम जाने वाला या बूधरे की सम्पत्ति पर बलात् अधिकार करने वाला) वैष्वा संघ बा गन (कुछ ब्राह्मणो या कुछ जोगी का बल) वैदिक यज्ञ करने के लिए बोधित (जिसने अभी यज्ञ समाप्त न किया हो अर्थात् जिसने अभी सोम नहीं पँनाया है और अग्नि तथा सोम को पशु-बलि नहीं दी है) वैष (जो अल्प व सीविका पजाता है) और-लाक करने वाला (बर्त) व्यास आबेटक (या मल्लो वैष्ने वाला) न अन्धे होनेवाले रोग से पीडित कूर, व्यक्तिभारिणी मत्त (मदिर के मद्य में ना वान-सम्पत्ति या विद्या के मद्य में कूर) वैरो उष (कोधी स्वभाव वाला या उष जाति का व्यक्ति) पठित (जातिबुद्ध) श्राय कपटी बूड खानेवाला विषवा अपुष स्वर्नवार स्त्रैष (स्त्री के वध में रहने वाला) प्राम-पुरोहित बस्त्र-सस्त्र वैष्ने वाला औदार निवार धर्मी स्वबुधि (कुत्ते का व्यवसाय करने वाला या सेवक) राजा उषपुरोहित बोमी (या रायेष) इठम्न पशु मारकर जीविका चलाते वाला मदिरा बनाने एवं बेचने वाला जो अपनी पत्नी के पार (प्रेमी) क घर में ठहरता है सोम पीया वैष्ने वाला बुवल्कोट, झूठा ठेलो गाय, बायाय (बब तक उसे सन्तान न हो जाय) पुषहीन बिना वैष पड़े यज्ञ करने वाला यज्ञ करने वाली स्त्री बर्ष, ज्योतिपी (ज्योतिष से जीविका चलाते वाला) बन्धी बजाने वाला (राजा को बजाने के लिए बन्धी बजाने वाला) प्रामबट (शाम का अविभारी) परिनिमित परिनिबिबान गूड मारी का पति (पुत्रविवाहित) विषवा का पति पुत्रमू का पुष श्राय का नाम करने वाला कुम्भकार, गुणधर, श्रायस श्रायस के नियमो का शासन करने वाला सप्याही पागल जो बर्ष (करने) में अपने जूपी के घर पर बैठ गया हो। मनु (४।२२२) में उपर्युक्त व्यक्तिओ का भोजन बिना जाने हुए घर सेने पर भी तीन दिनों के बत की व्यवस्था तथा जातवापी में इनका भोजन खा लेने पर इच्छ की व्यवस्था की है। बीजात्मधर्मसूत्र (२।१।१) में जूमेर

(१५८) के अथ की व्यवस्था की है और यही व्यवस्था मनु (१२५३) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।१।६) में भी की है।

विहित भोजन एवं भोग्यास—गौतम एक आपस्तम्ब के काल में ब्राह्मण कोय क्षत्रियो बंदवो एव शूद्रो के यहाँ का सफ़ेते के किन्तु काकाल्तर से यह ब्रूट नियमित हो गयी और नवम उन्हीं शूद्रो के यहाँ ब्राह्मण का सफ़ेते के दो ब्राह्मण की क्षुपि साक्षे में करते ही कुटुम्ब या परिवार के भिन्न ही अपने चरबाहे हो अपने माई (मापिन) या दास ही। इस विषय में मन्वेस मीठम (१७।६) मनु (४।२५३) विष्णुधर्मसूत्र (५७।१६) याज्ञवल्क्य (१।१६६) अथि (१२०-१२१) ब्यास (३।५५) एव पराशर (१।१२१) । मनु एव याज्ञवल्क्य न भौपित किया है कि ऐसा पूर को यह कहे कि वह ब्राह्मण का आयित होने जा रहा है उसक जीवन क कार्य-नसाप इस प्रकार के रहे हैं और वर ब्राह्मणकी सेवा करेगा ठीक भोग्यास (जिसका भोजन साया या सफ़ता है) कहखाता है। मितासरा (याज्ञवल्क्य १।१६६ पर एक सूत्र उद्धृत कर) तथा वेदम ने कुम्भकार की भी भोग्यास भौपित किया है। बध्तिष्ठधर्मसूत्र (१।४।४) मनु (४।२११ एव २२३) एव याज्ञवल्क्य (१।१६) ने शूद्रो के भोजन की बहिष्ठता के विषय में सामान्य नियम लिखे हैं। अथि (१२१) ने लिखा है कि उपर्युक्त बहित पाँच प्रकार के शूद्रो के अतिरिक्त अन्य शूद्रो के यहाँ भोजन करने वर चान्द्रायन ब्रत करना पड़ता है। अथि (१७२ १७३) ने शोबी अभिनता बंधु का वम करने वाले के यहाँ भोजन करने शको के लिए चान्द्रायन ब्रत तथा अन्यजो के यहाँ भोजन करने या रहने शको के लिए पराक प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। इस विषय में और देखिए बध्तिष्ठधर्मसूत्र (१।२६ २९) अथि (६९-७०) आपस्तम्ब (पञ्च ८।११) अथि। अथि (७-१) एव आपस्तम्ब (पञ्च ८।८।९) ने लिखा है कि यदि अभिहीनो शूद्र के यहाँ खाता है तो उसकी पाँच बस्तुएँ लपट हो जाती हैं यथा—आरामा वैदिन ज्ञान एव तीन पवित्र अभिनियाँ। मनु (५।८४) की टीका में मेधातिथि ने स्पष्ट लिखा है कि नापित (नाई) स्त्रिय और भोग्यास है (उसका भोजन साया या सफ़ता है)। इससे स्पष्ट होता है कि नवी सताम्बी तक कुछ शूद्रो के यहाँ भोजन करना भारत के सभी भागो में बहिष्ठ नहीं था। अथि (७३-७८) आपस्तम्ब (पञ्च ८।११ १२) एव मम (मूह्यपरलाकार पृ ३३४ म उद्धृत) ने भौपित किया है कि ब्राह्मण ब्राह्मणो के यहाँ सभी समयों में क्षत्रिय के यहाँ नवक (पूर्वमागी आदि) पर्व के समय बंदवो के यहाँ वेदक वम के लिए बहिष्ठ होने समय भोजन कर सफ़ता है किन्तु शूद्रो के यहाँ नवी भी नहीं ला सफ़ता पावे नवी का भोजन वम से बन्त ब्रूभ भोजन एव रहत है। यदि कोई ज व जीविका न हो तो मनु (४।२२३) व अनुसार ब्राह्मण शूद्र के यहाँ एक रात्रि के लिए बिना पत्राका हुआ भोजन ले सफ़ता है। क्षत्रियो एव बंदवो व यहाँ भोजन करना नव बहिष्ठ हुआ यह कहना बहिष्ठ है। गौतम (१७।१) ने लिखा है कि ईबन जल भूमा (बाग) न-रयुक्त वम मनु रखा बिना मंदि जो मिस धाम्या जाभत आभय गाडी ब्रूभ बड़ी भूना अन्न पकरी (घंटी नन्दी) जियु (ज्वार) माला हितन का मास दाक आदि जब मचानव चिय आर्यो अम्बोकार नहीं करने चाहिए। यही बात बध्तिष्ठधर्मसूत्र (१।४।२२) एव मनु (५।५) में भी पायी जाती है। मूह्यपरलाकार (पृ ३३७) द्वारा उद्धृत अथि के मनु से शूद्र के घर से पाय का ब्रूभ जी का माटा लेस लेम म बने गाछ आने की बनी रोगियाँ तथा इव के बनी बनी प्रकार की बस्तुएँ घरण की जा सकती हैं। मूह्यपरलाकार (६) व अनुसार बिना पत्रा मास पून मनु तथा वना में निरको हुए लेक यदि स्केण्ड के बरतनी म वम हुए हो तो ज्यो ही के उनसे निशाम लिये जाते हैं पवित्र ममम नाल हैं। इसी प्रकार आर्यायो (अहीरो) के पाको म रना हुआ इव एव बड़ी पवित्र है और व पात्र भी इन बस्तुआ व पात्र पवित्र हैं। कब-साठानप (१०८) व अनुसार छन या गलिजाम का अन्न कुएँ म गीचा हुआ जक बीगाना का इव आदि उनसे भी घरण निय जा मरत है जिनका भोजन बहिष्ठ ममता जाता है। परचा-चानीन ग्रम्यकारा (यथा इररर) के मनु (४।२५३) द्वारा बहिष्ठ पाँच प्रकार के शूद्रो व यहाँ नवक आत्ताउ म भोजन करने की लिखा है।

कुछ विशेष परार्थ विधिष्ठ बालो छत्र ही नहीं साथे जा सकते यथा—इहापारी को मयु मास एक बार लगन माना गजित है (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।५६ भागवतसूत्र १।१।२२) विष्णु मासमास में बहु इसे वा सकता है (मेघानिधि मनु ५।२३)। इसी प्रकार बानप्रस्थ एक प्रति सोम बहुत-सी बस्तुएँ नहीं ला सकते वे (इमथा उपदेश आये विद्या प्रायगा)। धर्मियों को सोम पीना गजित था।

भोजन बनाने एवं परोसने वाले—पाचको (भोजन बनाने वाला) एक परोसने वाला व बिषय में भी बहुत-से नियम बत हुए थे। प्रार्थना बाल में ब्राह्मण सभी वर्गों में यहाँ भोजन कर सकता था यहाँ तक कि पाँच प्रकार के घृही व यहाँ भी भोजन पाचको एक परोसने वाला के बिषय में उन विशेष बौद्ध ब्रह्मिण्डाई नहीं थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।३।१) व अनुसार ब्रह्मदेव के लिए अर्घ्य सोम (तीन वर्गों के सोम) स्नान से पवित्र होकर भोजन बना सकते हैं पर वे भोजन ही और और करके ब्राह्मण लोग एक भूष नहीं करते यदि वे ब्राह्मण परीराम एक अपना परिधान सू में ला उरह जल-स्नान करना चाहिए। आयी की अप्यगता में सूत्र लोग भोजन बना सकते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र का कहना है कि सूत्र पाचको प्रति दिन या आठवें दिन या वर्ष व दिनों में अपने वेग दाड़ी एक मासुत बटा लेने चाहिए और मारे बर्षों व साव स्नान करना चाहिए। कब-आयवापन (१।१७६) व मत में पत्नी बसू पुत्र विषय बर्ष अन्नका व मन्वर्षी आचार्य भोजन बना सकते हैं। नारायण (अपराकं मनु ५) व मत से विजातिया को अपनी जाति बर्षी पत्नी भोजन परान सकते हैं।

आराम की मद्र वा मि कोई पुण्य व किसी व पत्नी यथात्मिक भोजन में वर विष्णु शारंगिन स्थिति द्वारा नियमित इन पर भोजन करना ही चाहिए (सीतम १।१८, मनु ३।१ व वाचस्पय १।१२२)। मनु (३।१ ४) के मत में आ स्थिति महा कुलो व अन्न पर ही जीवित रहना चाहता है वह मयु के उपरान्त भोजन देनवाने के बर्ष वसु मय में जन्म पाता है।

अन्नदान—अन्नदान के सोम एक मुरा में अन्नर बापा है। सोम मरचन करने वाला वेद परार्थ का और इमता प्रयाय केवल देवता एक पुराहित लोग कर सकते थे विष्णु मुरा का प्रयोग अन्न कोई भी कर सकता था और वह बटुया देवताओं को गर्भित नहीं होता था। अन्नदान (अ० १।१६) में बलिष्ठ अन्न व बलन व प्रायश्चित्त के मयों में कहा है कि मन्व्य स्वयं आनी अन्न या पवित्र म पाव नहीं करता प्रयत्न भाय मुरा सोप जुवा एक अनाथानी व बरणा बट मगा करना है। सोम एक मुरा के विषय में अन्न मनेन देवता अन्न ८।२।२ १।११६।७ १।१११।१ १।१२।७ १।१३।१ एव ५। अन्नदेव (४। ३।६) में एसा आया है कि पत्र करने वाले को स्वर्ग के पुत्र एवं मनु की सीता एव जल की शक्ति बरनी हुई मुरा मिलती है। अन्नदान (१।१३।१४) में मन्मन्त्रिय मुरा को मुराव कहते हैं और इमता प्रयाय इन्ड के अन्न मन्त्रि व मृष्ट में दिया था। अन्नदेव म मुरा का कर्षण कई स्थानों पर हुआ है पत्र १।१।३५ ३६ ३५। ३। वाचस्पयेय मरिता (१। ३) में भी मुरा एक सोम का अन्नर मन्त्र विना बना है। नीतिरिच मरिता (२।१।१) तथा मन्त्रकथाप्रथम (१।६।३ एव ५।५।४) में लब्ध व पुत्र लिखन की दवा आयी है। विद्वन्मन्त्र के तीन निर के एक में वह सोम पीता था दुसरे में मुरा तथा तीसरे में भोजन करता था। इन्ड मन्त्रकथा के निर काय वा इग पर लब्ध बटुन पवित्र हुआ म व तुको सोमयज्ञ दिया जिमम इन्ड की अर्पण करी दिया। इन्ड में विद्या निरि वर हुए गाग सोम की मरिता। इमता की देव के इन्ड का बरान् कन्त हुआ मन् देवताओं में सोमकाली मन्त्र इन्ड द्वारा उन अन्धका विद्या। सोमकाली मन्त्र उन पुराहित व मन्त्र भी दिया जाता था जो अन्नर गाव की मरिता था। इमता मरचन पवित्र बलन वा विन्धन करता था (देवता वाचावापनधर्मसूत्र १।१। १५) लक्षण बालक (१। ३। ३३) एव वाचापन मन्त्र (१। ३। ३३) में मुरा बनाने की विधि बर्षी मरिता है। मन्त्र (१। ३। ३५) में सोमकाली मन्त्र व विन्धन में बर्षी है। इग मन्त्र में बर्षी बटुया बलन मन्त्र

का बीर उसे मुरा का ठरुछ पीना पड़ता था। दशपथ ब्राह्मण (५।५।४।२८) ने सोम को सर्व समृद्धि एक प्रकार का मुरा को 'असत्य कर्मण एव अथकार' कहा है। इसी ब्राह्मण (५।५।४।२१) ने सोम एक मुरा के मिथम के अन्तर्गत एक वा वर्धन किया है। काठकमहिता (१।२।१२) में मनीरजक वर्णन आया है "अन प्रीड मुक्क वचुरे बीर वचनुर मुरा पीते है, साक-साक प्रकूप करते है। मूर्च्छा (विचारहीनता) मधमूष अपराम है अत ब्राह्मण यह घोषण कर कि यदि मैं पीऊँगा तो अपराध कर्मों का मुरा नहीं पीता अत यह सत्य व क्षिण है ब्राह्मण व रहना चाहिए—यदि क्षत्रिय मुरा पिये तो उसकी हानि नहीं होगी।" इस कथन में स्पष्ट है कि काठकमहिता कथक में सामान्यतः ब्राह्मण लोग मुरा पीना छोड़ चुके थे। सौत्रामणी यज्ञ में मुरा का ठरुछ पीन व क्षिण भी ब्राह्मण का मिथना कठिन हो गया था (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।८।१)। ऐतरेय ब्राह्मण (१।७।६) में अग्निपथ में मध पुरीष्टि द्वारा राजा के हाथ में मुरापान का रत्ना आना बर्णित है। छान्दोग्योपनिषद् (५।१।१) में मुरापान करने वाले को पंच पापियों में परिगणित किया गया है। इनी उपनिषद् (५।१।१।५) में कथक के राजा अक्षयिनि ने कहा है कि उसके राज्य में मध नहीं पाये जाते।

कुष्ठ मूषमूषों में एक विधिन बात पायी जाती है—अन्धकका कथिन अब गुण्य पित्रा को पित्र दिया जाता है तो मत्ता बादी (पितामही) एक प्रणितामही को पित्रबाल व मात मुरा भी दी जाती है। उदाहरणार्थ आश्वलायनश्रुतमूष (२।५।५) में आया है—"पित्रा को पलिनी की मुरा दी जाती है और पत्र बालक का अक्षयप भी।" यही बात पाण्डित्यमूष (३।३) में भी पायी जाती है। काठकश्रुतमूष (१।५।७-८) में आया है कि अन्धकका से मारी पितरो के पित्रा पर कर्म से मुरा छिपनी जाती चाहिए और व पित्र नीचरो या निचरो द्वारा बाध जान चाहिए, या उन्हें पानी या अग्नि में फेंक देना चाहिए या ब्राह्मणों को खाने व क्षिण रहना चाहिए। इस विधि बात का कारण बताया कठिन है। यदि अनुमान द्वारा कारण बताया जा सके तो कहा जा सकता है कि (१) उन विधियों मारियों मुरापान किया करती थी (कर्मवत् कर्म-छिपकर) या (२) गुण्यमूषा के काल में अन्धककीय विवाह करते थे और घर में क्षत्रिय एक वैश्य पलियाँ मुरापान किया करती थी। मनु (१।१।५) में ब्राह्मणों के क्षिण मुरापान बर्णित माना है किन्तु कुष्ठमूष का कथन है कि कुछ टीकाकारों के मत में यह प्रतिबन्ध मारियों के क्षिण मुरा नहीं होता था। गुण्यमूर्षों की कृष्टि में उपर्युक्त कृष्ट व क्षिण जो भी कारण रहे हैं किन्तु यह बात वाक्य कहिता एक ब्राह्मण इन्को के क्षिण ही नहीं प्रत्युत एकमन में वर्धनमूषा एक स्मृति की व क्षिण पुत्रपथ समाप्त नहीं है।

पौन (२।२५) आपस्तम्बधर्ममूष (१।५।१।७।२१) मनु (१।१।९६) में एक स्वर में ब्राह्मणों व क्षिण मूर्षों के अन्धको में मर्षी प्रकार की मर्षी की वस्तुओं को बर्णित माना है। मुरा या मध का पान एक महत्तातन कहा गया है (आपस्तम्बधर्ममूष १।७।२।१८, बसिष्धर्ममूष १।२ विष्णुधर्ममूष १।५।१ मनु १।१।५४ याज्ञक्य १।२२.७)। यह मध होने हुए भी बीजापनधर्ममूष (१।२।४) में लिखा है कि उग्र ने ब्राह्मणों व अथकद्वार में लायी जान मर्षी विधि पत्र वस्तुओं में मीधु (आमध) की है। इस धर्ममूष में उन मर्षी विधियों पत्रों वस्तुओं की वर्धन की है। मनु (१।१।९१ ९४) की वे जाने निबन्धों एक टीकाकारों ने उक्त की है—"मुरा मंत्रन का मध है और पाप को कम करने है अत ब्राह्मणों राज्यों (क्षत्रियों) एक वैश्यों को चाहिए कि वे मुरा का पान न करें। मुरा मंत्रन प्रकार की होती है—मूष वाली जाटे वाली तथा मधु (मधुमा) के पत्र वाली (पौर्य) वैष्टी एक मर्षी) इनमें मर्षी की भी ब्राह्मण व पिये।" महामाण (उपनिषत् ५.१.५) में आनुवद एक वर्धन मर्षी पत्रन मण हुए

कहे गये हैं। यह मरिचा मनु से बनी थी। तन्मवातिक (पृ० २ ९ २१) ने लिखा है कि क्षत्रियो को यह ब्रह्मिण नहीं थी अतः ब्राह्मणों को ब्रह्मण्य ब्रह्मिण्य होने का नाते पापी नहीं हुए। मनु (११ १३-१४) एवं भीष्म (२।२५) ने ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की सुरा ब्रह्मिण माना है किन्तु क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए केवल पीठो ब्रह्मिण है। पृथी के लिए मद्यपान ब्रह्मिण नहीं था मद्यपि बृह-हारीत (१।२७७-२७८) ने लिखा है कि कुछ लोगो के मत से घृ-पूषो को सुरापान नहीं करना चाहिए। मनु की बात करते हुए बृह हारीत ने कहा है कि शूद्र बौद्धने मास-मसज करने मद्यपान करने जोरी करने या ब्रह्मदे की पत्नी चुरान से शूद्र भी पवित्र हो जाता है। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी को सुरापान से दूर रहना पड़ता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।१।२।२३ अथ २।१७७ एव याज्ञवल्क्य १।३३)। याज्ञवल्क्य (१।३३) की टीका में ब्रह्मण्य ने चरक-श्राद्धा की बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब स्नेहनेतु को विनाश नामक धर्मराज हो गया तो अश्विनी ने उससे मनु (सहज या आसज) एक मास भीषण का रूप में खाने को कहा। जब स्नेहनेतु ने यह कहा कि वह ब्रह्मचारी का रूप में इस बन्तुओ का प्रयोग नहीं कर सकता तो अश्विनी ने कहा कि मनुष्य को राम एक मूषु से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीवन ही तो वह पुष्पकारी कार्य कर सकता है। अपराध (पृ ६३) में ब्रह्मपुराण का हवाला देते हुए लिखा है कि कस्मिन् म मरतेम ब्रह्ममद्य मद्यपान तीतो उच्च बनीं के लिए ब्रह्मिण है और ब्राह्मणों के लिए तो सभी मूषो म। किन्तु यह उचित ऐतिहासिक तथ्यो एवं परम्पराओ के विरोध में पड़ती है। महाभारत (आध्याय ७९।७७) में शुक, उसकी पुत्री वैश्यानी एवं पिण्ड्य बन्ध की दावा नहीं है और लिखा है कि शुक ने सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए सुरापान ब्रह्मिण माना और वदता ही कि उसने उपराष्ट सुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्महत्या का अपराधी माना जायगा। भीषणधर्म (१।२९ ३) में आया है कि बलराम ने उग्र दिन से जब कि यादवों का सर्वनाश के लिए मूसल उत्पन्न किया गया सुरापान ब्रह्मिण कर दिया और ब्राह्मण ही कि इस लघुधामन का पालन में करने से लीम शूद्रो पर बड़ा दिये जायेंगे। धाम्निधर्म (११ १२९) में लिखा है कि जम बाल सहो भी मनु मास एक मरिचा के खन से दूर रहता है वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। धाम्निधर्म (३।१२) में यह भी लिखा है कि यदि कोई भय का अज्ञान से सुरापान करता है तो उग्र इन उग्रयन करता चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२।२।८३-८५) में मनुनार ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मिण मद्य प्रसार की है मायूक (महुवा वाली) ऐलव (ईश वाली) टाक (टक या कवित्त फल वाली) बौल (बौल या बहन या उत्राव नामक बर वाली) शार्डर (गमूक वाली) पातस (कटहर वाली) मंगूरी, माष्ठी (मपु वाली) वीरेव (गज पीपे के फल वाली) एवं मारिरेलस (मारिरेल वाली)। किन्तु ये सभी क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए ब्रह्मिण नहीं है। सुरा नामक मन्त्रिण आचमन का आदे में बनी थी।

मनु (१।८) एवं याज्ञवल्क्य (१।३३) का मतानुसार मद्यपान करने वाली पत्नी (बाहू बहु गृहा ही स्त्री न हा और ब्राह्मण की ही बरी न स्वीही गयी हा) त्याग्य है। मिताशरत न उपर्युक्त याज्ञवल्क्य के कथन की टीका में परगा (१।१२९) एक ब्रह्मिणधर्मसूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि मद्यपान करने वाली स्त्री का ब्रह्मिण का अर्थ परीत बने बारी पाप का मायी होता है। ब्रह्मिणधर्मसूत्र (२।१।१) में लिखा है कि यदि ब्राह्मण-स्त्री सुरापान

का आशी का विषय विचिया सुरा। धर्मवैवा तथा सर्वा न बालप्या द्विभोतर्न ॥ मनु (१।१९३ १४)। सर्वत्र मारावण मे माराधी की ध्याप्यातीम प्रकार से की है—माष्ठी ब्राह्मणधर्मिण के विष्णु। मनुष्यधर्म मनुष्य का हुना बाध्या।

१३ बन्धधर्म शरीररय मय आया सुरा विष्णु। ब्रह्मिणधर्मशरीररय विष्णुधर्म विष्णुधर्म ॥ ब्रह्मिण २।१।१ एव ब्रह्मण १।३६।

बन्दी है तो वह अपने पति के सौक (मुस्यपराण) की नहीं प्राप्त कर सकती वह इसी लोक में जोन एक मीषी-आभा बनकर उस में भूमनी रहती है। याज्ञवल्क्य (३।२५९) ने कहा है कि मुरापान करने वाली पत्नी अपने काम के कर्मों में इस संसार में कृतियाँ भीक या सुखर होती हैं।

याज्ञवल्क्य (१।१४) की टीका में विश्वकर्म ने लिखा है कि मद्य या मुरा बेचने वाले की चाहिए कि वह पत्नी हुआ क जाने एक ईडा गाव है कि लोग उसे जान सकें उसकी पूजा क घाम क मध्य म होती चाहिए, उसे चाहिए कि वह अल्पको की, आपत्ताक को छोड़कर अन्य समयों में मुरा न बेचे।

मेवात्मनीय (पृ० ९९) एक सूत्र (१५।१।५३) ने लिखा है कि यज्ञों के कालों को छोड़कर मातृगीय बन्दी भी मुरापान नहीं करते (बौधो घटाभी ईडा पूर्व)। गौतम (२।३।१) मनु (१।१। ४-९१) एक याज्ञवल्क्य (३। २५९) ने लिखा है कि यदि कोई जान-बूझकर और बहुधा मुरा (—पैथी) पीता है तो वह मृत्यु म लीकनी हुई मुरा का एक वा मृत वा काम का मृत वा बृह इतनाकर मर जाने के उपरान्त ही पवित्र हो सकता है। अज्ञान में मुरा पी लेने पर इच्छा प्रायश्चित्त से ही पवित्र हुआ जा सकता है (बद्विच्छभर्ममूत्र २।१९, मनु १।१।२५९ याज्ञवल्क्य ३। २५९)। अनार्य (पृ १७) ने कुमार की स्मृति की उद्धृत करते हुए लिखा है कि पौष बर्ष की अवस्था जाने कल्पे क लिए मुरापान करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है किन्तु उसके ऊपर एक अनयन क पूर मुरापान करने पर उपरि माला-पिला मध्य सम्बन्धी एक मित की तीन कृष्णों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

मनु (७।४७-५२) ने राजाया के कर्मपुत्रों में वन को जानन्व—काम में उपपन्नता आठको जोष स उपपन्नता है और इन कर्मपुत्रों में जानन्व के लिए मुरापान हुआ भारतीय एक मृषया को निहृष्ट माना है किन्तु मुरापान को तो मरुत निहृष्ट बोग गिना है। मही बाल कौत्स्य (८।३) म भी पत्नी जाती है। गौतम (१।२।३८) एक याज्ञवल्क्य (२।८७) ने बौधिय किया है कि मद्यपि मन्वानों को पितरों के ऋण म मुरा होता चाहिए मीर ऐया कला उदावा पावन कार्य है, किन्तु पितरों द्वारा मुरापान के लिए किये गये ऋण को मरवा करना उदावा कौर् कर्मप्य नहीं है। शास्त्र के ब्रह्मिण पत्नी (स्यबलायी) में मुरा-आपार भी है (मनु १।८९ एक याज्ञवल्क्य ३।२७)।

भोजन के उपरान्त के कृत्य

ब्रह्म पुन भोजन के विषय की बर्षा म काम कार्य। दिन के भोजन (मध्याह्न काम के भोजन) क उपरान्त श्राद्धक या कुशवाक आया जाता वा। प्राचीन बाल म भी मीला बुद्ध-ब्रह्म (मुरापान) करते थे जो मुयपिन बनी-बुनिया के (आवरुन क तन्नाक म नहीं) निमित्त पशुओं में डीला वा। ब्राह्मणों म बाल न लिखा है कि गारा मुरा दिन क भोजन के उपरान्त मुयपित्त कृतियाँ का भूमपान करते ताम्बुस का बर्षे करता वा। ब्रह्मपतिता (पुत्रपान कर्म्या ५) में आया है कि आठ शगुल लक एक श्रृंगुडे-जैस मोटे कौलम पशुओं म बन्दन जार्जानक इत्यादी तथा अन्य कृतियाँ एक मसाल मरकर मुखा विना जाता वा और अन्त म मोलने पशुओं में निवारण म मूर्गी हैं कन्तु क मुरापान डीला वा। इस विषय का विस्तार देखिए इन्द्रियत ऐष्टीकबेरी (जिन्द ४ पृ ३७-८)।

(बन्धुपुराण (३।११।१४) के अनुसार दिन क भोजन क उपरान्त कोई मातृगिण पश्चिम नहीं करता चाहिए। इसमें कि मात्र एक एक (७।८९९) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त पुषपाय आठम करना चाहिए, जिसमें कि मात्र एक एक। इतिहास एक पुराणों का श्रवण दिन क छडे पर मातर्वे माय तक करते आठवें माय म गृह्य कों बर-गृह्यी वा वा मायात्त कर्माँ देवता चाहिए और इस प्रकार मत्स्या जाने पर मत्स्या-बन्धन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१।१३ ३७४) के वन में मत्स्या-हीने तक का समय मिष्ट कोनो एक प्रिय मन्त्रियाँ भी मयपि में किताता चाहिए। उनके उपरान्त मत्स्या-बन्धन करने तीनों पवित्र (बैरिज) अग्निओं में मातृगिणों केर वा मुखा अग्नि म हवन करके

गृह्य को चाहिए कि वह अतिथि को (यदि वह आमा हो ती) बिपाये और फिर बन्धो एव नीकरी से बिरकर स्वयं मोहन करे, किन्तु अधिक न खाये और फिर सो जाय। दश (२।७।७१) का कहना है कि सन्ध्या होने के उपरान्त (गृह्य को) होम करना चाहिए, तब खाना चाहिए, घर-गृहस्थी के अन्य कार्य करते चाहिए, इसके उपरान्त वेद का कुछ संघ दुहराना चाहिए और दो प्रहरो (१ घटी) तक सोना चाहिए, गृह्य को चाहिए कि वह पहले के पढ़े हुए वेद को प्रथम एव अन्तिम प्रहर में अवश्य दुहराये।

निद्रा

नीतिम (२।१३ एव १।१) गन् (४।५७ १७५-१७६) याज्ञवल्क्य (१।१३६) विष्णुपुराण (१।११। १-७-१) आदि तथा निबन्धो ने सोने के विषय में (यथा सिर कहाँ रहे घम्मा कँटी रहे कहाँ सोना जाय कीम सा बेबाध पडा जाय भावि) बहुत-से नियम बतलाये हैं। हम यहाँ विष्णुवर्मसूत्र (अध्याय ७) का वर्णन उपलब्ध करते हैं—“भीये पैर नही सोना चाहिए, सिर उत्तर या पश्चिम या सरीर के अन्य बन्धो से भीने न रहे नम नही सोना चाहिए, छत की परत की लम्बाई के भीने नही सोना चाहिए, खुले स्थान में नही सोना चाहिए, पक्का घुस से बनी छाट पर नही सोना चाहिए और न पत्र प्रकार की स्तम्भियों (चतुष्पद-गुल्फ, बट, अश्वत्थ-पीपल पत्र एव बन्धु) से बनी छाट पर ही सोना चाहिए, हाथी द्वारा छोड़ नये पेड़ की लकड़ी एव बिजली से बनी लकड़ी के पर्यक पर भी नही सोना चाहिए, दूटी छाट पर भी नही सोना चाहिए, अच्छी छाट तथा बड़े से सीने गये पेड़ की छाट पर भी नही सोना चाहिए। समसान या कब्रगाह में बिध घर में कोई न रहता हो उसमें मरिच में दुष्ट लोगों की संवति में तारिकों के मध्य में अनाज पर, गीसाला में बड़ लोगों (बुजुर्गों) की छाट पर, बलि पर, मूर्ति पर, मौजोभारण्य विना मूँह एव हाथ भीने दिन में सामकाल रात्र पर, पत्थे स्थान पर, भीये स्थान पर और पर्वत पर नही सोना चाहिए। अन्य विस्तृत वर्णन के लिए देखिए स्मृत्यर्षसार (पृ ७) गृह्यसूत्राकर (पृ ३९७-३९) स्मृतिमुक्ताञ्ज (आह्निक पृ ४५३-४५८) आह्निकप्रकाश (पृ ५५६-५५८) आदि। दो-एक बातें निम्नोक्त हैं। स्मृत्यर्षसार के अनुसार सोने के पूर्व अथन प्रिय वेदता को माथा नवाना चाहिए और सोते समय पाद में बाँध का डब्बा रचना चाहिए। स्मृतिरत्न में लिखा है कि आज के रोपी कोठी तथा उनके साथ जो यजमा बना जाती या ऊपर से आनात हो या किन्तु मूनी जाती हो उनके साथ एक ही विस्तर पर नही सोना चाहिए। रत्नावलि (स्मृतिमुक्ताञ्ज आह्निक पृ ४५७ में उद्धृत) के अनुसार घम्मा के पाद में बलमूर्ध बडा होना चाहिए, वैदिक मन्त्र बोल्ना चाहिए, जिससे कि बिप से रखा हो रात्रि-अभ्यन्त्री वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए, बतबोर सोनेवाके पाँच महापुरुषो यथा—अग्नि माधव मूषकुण्ड वपिक एव जाम्बीक के नाम स्मरण करने चाहिए, विष्णु की प्रणाम करके तब सोना चाहिए। बृह-हारीत (८।१ ९ ३२) ने लिखा है कि यदि ब्रह्मचारी वातप्रस्थ विधवा की छाट पर न सोकर पृथिवी पर मृगचर्म बन्धस या कुछ बिछाकर सोना चाहिए।

इत्री-मर्त्य—रात्रि में सोने के विषय में बर्णा करते समय स्मृतियों एव निबन्धो ने पति-पत्नी के समीप के विषय में प्रभूत बर्णा कर रक्षी है। समय के उचित कालों के विषय में हमने कुछ नियमों की बर्णा पहले भी कर दी है (अध्याय ९ वर्माभान)। पीठम (५।१ २ एव १।२८ २९) और आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।१।१।१६ २३) का कहना है कि गृह्य को उचित विगो में या उचित विगो को छोड़कर नमी भी या जब पत्नी की इच्छा हो उसके पाद बागा चाहिए दिन में या जब पत्नी बीमार हो समीप नही करना चाहिए जब पत्नी अशुभगी हो तब उसके दूर रहना चाहिए यहाँ तक कि आलिनन भी नही करना चाहिए। आपस्तम्बवर्मसूत्र (२।१।१।१९) बधिरवर्मसूत्र (१।२।२४) एव याज्ञवल्क्य (१।८१) ने इन्द्र द्वारा तिनको की दिये गये एक बरदान की कथा लिखी है जो तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१)

के बलिण है। जब इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विषवक्ष्य को मार डाला तो सभी लोगों ने उसे 'ब्रह्महर्ता' (ब्राह्मण की हत्या करने वाला) कहना आरम्भ कर दिया। इन्द्र अपने पाप (ब्रह्महत्या के पाप) का दौड़ने के लिए मासीवातो को सम्पूर्ण विश्व में लोभने लगा। उसके पाप का एक-तिहाई भाग पृथिवी ने लिया। उसे बरवान मिला कि यदि उसमें नहीं गड़बा हो तब तो वह वर्ष के भीतर मर जायगा एक-तिहाई बूधो ने लिया। उन्हें बरवान मिला कि जब वे बाट टौड़ या अट लिये चायें तो पुत्र बहुरिद्ध हो उठेंगे। उनमें से जो साध निरकृता है वह ब्रह्महत्या का ही भाग है अतः लाभ प्राप्त वा क्षय नहीं मानना चाहिए। एक-तिहाई भाग त्रिषयो ने ग्रहण किया और उन्हें बरदान मिला कि वे मासिक धर्म के प्रथम चौदह दिनों में ही धर्म पारण करेंगी और बच्चा उत्पन्न होने तक वे धर्मोप कर सकती हैं त्रिषयो ने ब्रह्महत्या प्रति मास रजोधर्म के रूप में प्रकट होती है। विष्णुधर्मसूत्र (९) ने सभी नियम एक साथ दिये हैं त्रिनम बुद्ध मे हैं—द्याद मे नियन्त्रित होने द्याद भोजन करते द्याद भोजन मिलाने वा घोर-यज्ञ के आरम्भन कृत्वा कर बुझने पर मेधुन नहीं करना चाहिए मरिच, समसान आधी मवान बुल की अब (बाइ) एक दिन वा सायंकाळ में घबोल नहीं करना चाहिए इतना ही नहीं अपने घ बड़ी अवस्था वाली नारी धर्मवती वा अविध वा धर्म भया वाली नारी वा साध भी समीप नहीं करना चाहिए (केलिए विष्णुपुराण ३।१।१११-१२३)। उपर्युक्त नियमों में बहुत से प्रजनन-विषयक वा स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं इनमें कुछ तो धार्मिक एक अन्वेषित्वायुष्य हैं। गीतम (१।२९) में बाल्यसम्बन्धनसूत्र (२।१।२२१-२३ एवं २।१।२।१) मनु (४।४ एवं ५।१४४) क कचनानुसार सभी के उपरान्त पति-वली को स्नान करना चाहिए वा कम-से-कम हाथ मूँह नोखर तथा आचमन करने शरीर पर जल छिड़कर पुनः-पुनः किरतरी पर सीना चाहिए। अन्य केवली न विभिन्न नियम एक मन उद्धृत किये हैं।

रजस्वला-धर्म

तैत्तिरीयसंहिता के काण्ड से ही रजस्वला नारी अपने पति तथा अन्य लोगों के बच्चों के विषय में नियम धरि की बर्णनी होती जाती है। तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१) में आया है—“रजस्वला नारी (की मन्दी रक्षणी है) ने न लो सोलना चाहिए, न अपने पाप बँटना चाहिए और न उसका दिया हुआ कुछ खाना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्महत्या के रा से युक्त है (केलिए इसके ऊपर वाली कहानी) लोगों का कहना है कि रजस्वला नारी का भोजन ब्रह्मभक्षण (मर्मल-मर्क) है अतः उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।३।१) में आया है कि यदि धर्म करने के पूर्व पत्नी बहुतुली (रजस्वला) हो तब तो माया यज्ञतण्ड हो जाता है। किन्तु यदि धार्मिक अपनी रजस्वला पत्नी को नहीं अलग या दूर करे तब न रजस्वला यज्ञ करता है तो पुत्र पैदा मिलता है। तैत्तिरीयसंहिता में इन मन्त्र में १३ नियम दिये हैं और कहा है कि उनसे उल्लंघन न करने पत्नी की प्राप्ति होती है। वे नियम ये हैं— (रजस्वला न मास) मीथुन नहीं होना चाहिए, स्नानोत्तरान्त धन में मधुन नहीं होना चाहिए, स्नानोत्तरान्त भी पत्नी के मन के विरुद्ध मीथुन नहीं होना चाहिए, रजस्वला को प्रथम तीन दिना तक स्नान नहीं करना चाहिए, तेज भी उन दिनों नहीं खानना चाहिए, रथी नहीं बननी चाहिए अजन नहीं खानना चाहिए, इतनावन नहीं करना चाहिए, मधुन नहीं बनने चाहिए, न तो रस्मी बटना चाहिए और न मूत बतना चाहिए, बन्नागपत्र के पात्र (द्वीप-वता) के पानी नहीं पीना चाहिए और न अग्नि में पत्ते (मिट्टी के) बरतन न ही जल ग्रहण करना चाहिए। इन नियमों के उल्लंघन में धर्म नै निम्नलिखित फल मिलते हैं उसका उत्पन्न पुत्र भयावह आराम न मन्वेह में पड़ना जाता है और, लज्जान्त, धर्म में हृदय पर मान बाधा धर्मरोगी लम्बाट नोईई बाधा कुबेस टेंडी और बाधा पत्ते दीन बना बहुतुल्य नामुती बाधा धर्ममर्क आरामहृत्पाया पाणल वा बीना हो जाता है। तैत्तिरीयसंहिता में लिखा है कि नियमों का धारण तीन रात्रिया तक होना है उस समय रजस्वला धर्मजि न पानी पीनी है वा तेज पात्र न जा अग्नि में

पनाया हुआ नहीं ही। बृहदारण्यकौपीनियम् (५।४।१३) में आया है कि विवाहित नारी को रजस्वला होने पर कसि के पास में बस प्रह्वन न करना चाहिए, उसे अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए, सूत्र नारी या पुत्रन उसे न छूए, तीन रात्रियों के उपरांत उसे स्नान करना चाहिए और तब उसे बाण्डक साक करने का काम या बान कूटने का काम करना चाहिए। बहुत-से सूत्रों (यथा—आपस्तम्बपृष्टसूत्र ८।१२ हिरण्यकेशिपुःसूत्र १।२४।७ माण्डूक्यसूत्र १।२ बीषा-यनसूत्र १।७।२२ २६ बीषायनवर्मसूत्र १।५।१३९) में वैतिलीयसंहिता के नियमों का हवाला दिया है। बसिष्ठ-वर्मसूत्र (५।७-९) में इन्द्र एव उसके बरवान की भाषा का उल्लेख किया है और रजस्वला के वर्मों की चर्चा की है। इसके बहुत-से नियम उपर्युक्त नियमों के समान ही हैं कुछ बिसिष्ट ये हैं—रजस्वला को पृथिवी पर सोना चाहिए, उसके लिए विन में सोना मास खाता प्रहो की ओर देखना और हँसना बजित है। कबु-हारीत (३८) के अनुसार रजस्वला को अपने हाथ पर ही खाना चाहिए। बृह-हारीत (११।२१०-११) ने भी यही लिखा है और जोड़ा है कि बिबवा रजस्वला को तीन दिन ब्रत तथा सुहागिनी रजस्वला को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। रजस्वला मारियाँ की एक-दूसरी को स्पर्श नहीं कर सकती की। विष्णुवर्मसूत्र (२२।७३-७४) के मत से यदि रजस्वला नारी अपने से निम्न जाति की रजस्वला नारी को छू ले तो उसे तब तक उपवास करना चाहिए जब तक पीके दिन का स्नान न हो जाय यदि वह अपनी ही जाति वाली या अपन से उच्च वर्ण की रजस्वला नारी को छू लेती है तो उसे स्नान करते ही भोजन करना चाहिए। अथ नियमों के लिए बेलिए अगिरा (४८, यहाँ पञ्चगम्य को व्यक्तसा है) बसि (२७९ २८३) आपस्तम्ब (पृष्ठ ७।२ २२) बृह-वर्म (३।६४ ६८) एव परासर (७।११ १५)। यदि रजस्वला को बाण्डक या कोई अन्यत्र या कुत्ता या बौजा छू ले तो उसे पीके दिन स्नानोपरांत ही भोजन करना चाहिए (अगिरा ६७ बसि २७७-२७९ एव आपस्तम्ब ७।१ ८)। यदि षष्ठाश्रावण अवस्था में नारी रजस्वला हो जाय तो उसे पवित्र होने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे स्पर्श करने बूझरी नारी बन्धसहित स्नान करे और यह व्रत्य (स्नान) प्रत्येक बार आचमन करने बम बार करना चाहिए। ऐसा करने उपरांत भीमार नारी का ब्रत बरत दिया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार बान भावि दिया जाता है तब कभी पवित्रता प्राप्त होती है (मिताश्रावण द्वारा याज्ञवल्क्य ३।२ नौ टीका में उद्धृत उपना और बेलिए अगिरा २२ २३)। यही व्रत्य यदि रोकी पुत्र रजस्वला को छू ले तो उसके लिए दिया जाता है। इस विषय में एक स्वस्व पुत्र्य सात से बम बार स्नान करता है (अगिरा २१ परासर ७।१९ २, मिताश्रावण द्वारा याज्ञवल्क्य ३।२ नौ टीका में उद्धृत)। यदि रजस्वला मर जाय तो उपना बम पञ्चगम्य में मन्त्रवाचा जाना चाहिए तथा उसे अथ्य ब्रत में डकन ही पसना चाहिए। विष्णु अगिरा (८२) में लिखा है कि तीन दिनों के ब्रत ही बम को मन्त्रवाचन बरतना चाहिए। मिताश्रावण (याज्ञवल्क्य ३।२) में लिखा है कि यदि मास में टीका समय से ऋणुमणी होने वाली नारी १७ दिनों के भीतर ही ऋणुमणी (रज-वन्धा) हो जाय तो वह अपवित्र नहीं मानी जाती विष्णु १८वें दिन पर वह एक दिन में १ बें दिन पर दो दिनों में तथा उपन बार के दिनों पर तीन दिनों में ही पवित्रता प्राप्त करती है (बेलिए अगिरा ४३ आपस्तम्ब पृष्ठ ७।२ परासर ७।१९ १७)।

राजा के घम

ब्रह्म का हमने माषाणन मनुष्यों (निनोपन ब्राह्मणों) न जाद्विष वर्मण्यों की चर्चा की है। राजा के जाद्विष वर्मों (वर्मण्यः) न नियम में मनु (७।१.६५ १६७ १५१ १५६ २१६ २२६ याज्ञवल्क्य १।१२७-१३३ एवं नौगम्य १।१) न प्रमूढ चर्चा की है। नौगम्य के राज और दिन दोनों को पुत्रन-पुत्रन आन भाषा में जोड़ा है और लिखा है कि दिन के प्रथम भाग में राजा का भगनी मुताय के लिए उपवास आदि करना चाहिए एवं आप-अथ

का स्वीकार देखा जा रहा है, दूसरे भाग में नगर एवं ग्राम के लोगों के आगम का नियंत्रण करना चाहिए, तीसरे भाग में स्नान वेदाध्ययन या वेधपाठ एवं भोजन करना चाहिए, चौथे भाग में छिने के रूप में कर्म सेना तथा अश्वशो की नियुक्ति करनी चाहिए, पाँचवें भाग में मन्त्र-परिष्कार से बर्ताव या शिक्षा-पद्धति करना तथा गुप्तचरों द्वारा प्राप्त समाचार सुनने चाहिए, छठे भाग में उसे जीवा-कौतुक आदि में रुचिता तथा राजकीय कार्यों पर विचार-विमर्श करना चाहिए, सातवें में उसे हाथियों घोड़ों रथों एवं सेनाओं का निरीक्षण या देखभाल करनी चाहिए, तथा आठवें भाग में राजा को अपने प्रधान सेनापति के साथ आरमभ करने की योजनाओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए। विजयावसान पर राजा को सुम्न्या-वन्दन करना चाहिए। राजा के प्रथम भाग में उसे मुष्ट दूता से भेंट करनी चाहिए, दूसरे भाग में वह स्नान कर सकता है। पाठ दुहरा सकता है एवं भोजन कर सकता है। तीसरे भाग में उस बुभुक्षि एवं नगाडों की पुनः वपन कर पाया जाता है। और चौथे एवं पाँचवें भाग तक सेना चाहिए। छठे भाग में उम वाद्ययंत्रों की सुन के साथ अब जाना चाहिए, सातवीं में लिखित अनुष्ठानों का ध्यान करना चाहिए तथा अष्ट वाप्रापित करने की विधि पर मुनिचारणा करनी चाहिए, सातवें भाग में उस निर्गम करना चाहिए एवं मुष्ट दूतों का बाहर भेजना चाहिए, तथा आठवें भाग में उसे यज्ञ कराने वाले आचार्यों एवं पुरोहितों के साथ माडीर्षचन ग्रहण करना चाहिए तथा अपने वेद प्रधान पात्रक एवं ज्योतिषी को देखना चाहिए। इसके उपरान्त अष्ट संहित गाय एवं वैश्व की प्रवृत्तियां कर उम उम्भममा में जाना चाहिए। राजा अपनी योग्यता के अनुसार रात एवं दिन को (अपन मन के अनुसार) विभाजित कर सकता है। अथ स्मृतिवातो के मर्गों में यज्ञ-तन कुछ अंतर पाया जाता है। मात्रकल्प (१।३२७-३३३) में कौटिल्य की शासिका को सतिष्ठ रूप में मान लिया है। मनुस्मृति में भी कौटिल्य द्वारा उल्लिखित समय-शासिका एवं राजवर्ष का स्वीकार पाया जाता है। और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण बात नहीं जोड़ी गयी है। दसधुमारपरिष्ठ (उच्छ्रय ८) के लेखक ने कौटिल्य की शासिका उपा-की-त्या मान ली है। उनमें बर्जित विद्वेषक विहारभ्य द्वारा कौटिल्य के प्रति उपस्थापित हास्य अवलोकनीय है।

अथ वर्णों के घम

स्मृति में वर्णों एवं धूर्तों के लिए कोई विशेष आश्रित वर्तव्य नहीं रच गय है। शासकों के लिए रच गय नियमों के अनुसार उन्हें अपने को अभियोजित करना पड़ना था। वैश्य भी डिजायनों में आन हैं वे कर्म पीराहित्य के सम्पादन एवं दान-ग्रहण के कार्यों को छोड़कर अन्य सभी शासक-धर्मों के अनुसार चल सकते थे। धूर्तों के विशेष-विचारों एवं उनकी अयोग्यताओं या सीमाओं के विषय में बेलिए इस भाग का तीसरा अध्याय।

अध्याय २३

उपाकर्म या उपाकरण एव उत्सर्जन या उत्सर्ग

उपाकर्म या उपाकरण का तात्पर्य है 'उच्चाटन करना या प्रारम्भ करना' (मिताक्षरा याज्ञवल्क्य १।१४२) तथा उत्सर्जन या उत्सर्ग (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।५।१३) का अर्थ है 'वर्ष में कुछ काल के लिये वेदाध्ययन से विराम। किन्तु आपस्तम्बगृह्यसूत्र (८।१) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।११।२) में 'उत्सर्जन' के स्वाम पर समापन का प्रयोग किया है। अति प्राचीन काल से ये दोनों इत्य विभिन्न मासों एवं विभिन्न तिथियों में सम्पादित होने से किन्तु वेदाध्ययन के ह्रास के कारण मध्यकाल में एक ही दिन सम्पादित होने लगे। बहुत-से सूत्रों में उपाकर्म की अर्ध्यापोपाकरण (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।५।१) वा अर्ध्यापोपाकर्म (पारस्करगृह्यसूत्र २।१ वसिष्ठधर्मसूत्र १३।१) कहा गया है। अतः यहाँ पर 'अर्ध्याप' का अर्थ है वेदाध्ययन या केवल वेद क्योंकि इसमें वेद का अध्ययन (वसिष्ठ रूप से) होता है। अतः यह इत्य औ वर्ष में वेदाध्ययन के आरम्भ-काल में होता है उपाकर्म कहलाता है। गौतम (१।६।१) में उपाकर्म के इत्य को 'वायिक' सम्भवतः इसी लिये कहा गया है कि यह मासों वर्षों (वर्षाकाल) में आरम्भ होता था वा यह वर्ष में एक बार होता था। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।१९) में भी इस इत्य को वायिक कहा है।

उपाकर्म

काल एवं तिथि—सूत्रों में उपाकर्म का काल कई ढंगों से व्यक्त किया गया है। आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।२।३) का कहना है—'अथ औपश्रिमी (वनस्पतिर्वा) उपज जाती है, यावत् मास में यावत् एक चन्द्र के विक्रम में (अर्थात् पूर्वमासी की) या हस्त मघा म यावत् की पक्षमी की (उपाकर्म होता है)।' पारस्करगृ (२।१) के अनुसार औपश्रिमी के निकल जाने पर यावत् की पूर्वमासी की या यावत् की पक्षमी को हस्त मघा में उपाकर्म होता चाहिए। गौतम (१।६।१) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१।३।१) के अनुसार उपाकर्म व्याख्य या माघपद की पूर्वमासी की सम्पादित होना चाहिए। आश्वलायनगृ (३।५।१४।१५) एवं गौतम (३।३।१ एवं १।३) के अनुसार यह माघपद की

१ 'अध्ययनमध्यायस्ततोपाकरणं प्रारम्भो देव कर्मणा तदध्यापोपाकरणम्'—नारायण (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३।५।१); 'अधीयन्ते इत्यध्याया वेदास्तोयामुपाकर्म उपवचनोपवीर्णा प्रातुभवे'—मिताक्षरा (याज्ञ १।१४२)।

२ औपश्रिमी प्रातुभवे अथवेन यावत्पद्य। पञ्चम्यां हस्तेन वा। आश्व पु ३।५।१-२; औपश्रिमी प्रातुभवे अथवेन यावत्पद्य पीर्षमास्यां यावत्पद्य पञ्चम्यां हस्तेन वा। पारस्करगृ २।१; प्रौढपरीं हस्ते वाध्यावा-मुपाकुरुं। आश्वलायनवेदे। आश्वलायनगृ ३।५।१४।१५; प्रौढपरीं हस्तेनोपाकरणम्। अथवायेन उपाहरयेतत्ता तावित्रात्पद्य कांक्षते। गौतमगृ ३।३।१ एवं १।३; अथातः स्वाध्यापोपाकर्मं यावत्पद्य पीर्षमास्यां प्रौढपरीं वा। वसिष्ठ १।३।१; हस्तानुहृतिरुपाकर्मं। यावत्पद्य पीर्षमास्यां कियेतापि वा अथाह्वानम्। बी पु ३।१।१२; यावत्प-पसे औपश्रिमीमु अन्तानु हस्तेन पीर्षमास्यां वाध्यापोपाकर्मं। हिरण्यवेदिगृ २।१८।१।

पूर्वमासी या पंचमी की या कुछ लोगों के मत से धावण की पूजमासी को किया जाना चाहिए। श्रीमानमणु (३।१२) व मूले से उपाकर्म धावण या भायाव की पूर्णमासी को सम्पादित करना चाहिए। मनु (४।१५) ने उपाकर्म के लिए धावण या भायाव की पूर्णमासी ठीक समझी है। इसी प्रकार विभिन्न मत हैं। इसी से मिताक्षरा ने अपने-अपने मूलग्रन्थ के अनुसार बतलाने को कहा है। सत्कारप्रकाश (पृ ४७७-४९८) स्मृतिमुक्ताफल (पृ ३२ ३३) निर्णय निष्प (११५-१२) ने विभिन्न विधियों का निराकरण किया है। धावण मास ही वेदाध्ययन के लिए कर्षी बुता यथा एतदा वार्य भवताना कथित है। ही सजता है। वर्षा ही जाने से यह समय अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ब्राह्मण लोग बहुरा एत दिने वर पर ही रहते हैं और प्रकृति में हरियाली के कारण सौन्दर्य निकर उठता है। धावण मास ही पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन समझा जाता है ('सोम दूसरे वर्ष में ब्राह्मणों का राजा कहा जाता है')। पूर्णमासी के अतिरिक्त हस्त नक्षत्र की शुक्ल पंचमी तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। धावण नक्षत्र का योग होने के कारण धावण की पूर्णमासी को धावनी भी कहते हैं अतः वेदाध्ययन के दायिक सप्त-प्रारम्भ के लिए धावण नक्षत्र ही विधिष्ठ महत्ता भी जाने लगी। वास्तव में धावण नक्षत्र का उपाकर्म से कोई सीमा सम्पर्क नहीं था। क्योंकि बहुत-से मन्त्रों में उमरा उन्नेत्र एक नहीं किया है। गोमिल एव आविर ने धावण की धावनी (पूर्णमासी) को न मानकर भाद्रपद एव हस्त मध्य ही उपाकर्म के लिए महत्ता दी है। हस्त के देवता हैं सविता वेदाध्ययन यावन्ती मत्र से आरम्भ होता है अतः वेदाध्ययन के लिए उपाकर्म का सम्बन्ध हस्त नक्षत्र से ही सजता है।

उपाकर्म प्रातःकाल किया जाता है। यह ब्राह्मचारियों गृहस्थों एव वानप्रस्थों द्वारा सम्पादित होता है। अध्यापक एवं स्त्रियों (बाहेर के ब्रह्मचारी हो या न हो) के साथ करता है और अपनी गृह्याग्नि में ही होम करता है (पारम्भगु ३।११)। पारस्करगु के टीकाकार कर्क के कथनानुसार यदि अध्यापक या गुरु के पास शिष्य न हो तो उसे गृह्याग्नि में उपाकर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। हरिहर का कहना है कि साधारण लौकिक जन्म में वेदापनी छात्र व धार उपाकर्म करना प्रामाणिक नहीं है। यह केवल व्यवहार मास है।

विधि—आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।५।४ १२) में उपाकर्म की विधि यों वर्णित है—तो जाय्यभागा (घृत व दूध वन) की ब्राह्मणियाँ देने के उपरान्त निम्नलिखित वेदवाक्यों को जाय्य बना चाहिए, यथा मावित्री अथा यथा मेवा प्रजा वारणा (स्मृति) सप्तसप्तमि अनुमति छन्द एव ऋषि। इनके उपरान्त जी क भाट (मन्त्र) में बनी निम्नपर ब्राह्मणियाँ ऋषेय के मन्त्रों के साथ ही जानी है। य मन्त्र हैं—३।१।१ ३।१९।११९ २।४३।३ ३।६२।१८ ३।५८।११ ५।८।१९ ३।७।११९ ७।१ ३।२५ ८।१ ३।१४ ३।११।५४ १ १।९१।५। वेदाध्ययन आरम्भ करने समय जब अन्य शिष्य गुरु के साथ हो लेते हैं (उमरा हाथ परत कर बैठ जाते हैं) तब उसे बचनामा के लिए हस्त करना चाहिए, तदनन्तर त्रिवष्टङ्ग अग्नि की ब्राह्मणियाँ देनी चाहिए और मन्त्र (ओ वा माता) के मात विधि बही साधारण मार्ग करना चाहिए। अग्नि व परिषद एव वर्षागत पर वृत्तर त्रिमयी शीत पूर्व की ओर हा कुपवित्रा की उल्लास में रख देना चाहिए इनके उपरान्त आचार्य महोदय ब्रह्माग्नि के रूप में हाथों की ओरपर शिष्यों व साथ निम्न पाठ करते हैं—ओम् के मात तथा वेचक तानी ब्याह्रणियाँ मावित्री मत्र (कन्द ३।६२। १) का शीत धार पाठ तथा ऋषेय का प्रारम्भिक अथ (कच एक मत्र या एक अनुवाक)।

अथ गृह्यसूत्रों में मन्त्रों वेदवाक्या एव ब्राह्मणियाँ पदावली के विषय में बहुत-सा मत है। हम यहाँ स्पष्टानामक के कारण मन्त्रमातलर में नहीं चर्चेंगे। पाठनीय अनुसूच है कि विस्तार के लिए वे पारम्भगुह्यसूत्र (२।१) का अध्ययन कर।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (८।१२) में बहुत संक्षेप में उपाकर्म का वर्णन किया है। उमरा बचना है कि वेदाध्ययन आरम्भ एव समाप्त करने से इन्को वे समय बाध (तीतिरीयमग्नि व मात) के ऋषि हैं। बचना है। उर्हा का

प्रमुखता ही जाती है और दूसरे स्थान पर उपवसति की पूजा होती है। मुरछनाचार्य ने इस गृह्यसूत्र क बौली मूर्तों की सभी व्याख्या की है जो उपोष में दो है—सम्पूर्ण वेद (इत्यं यजुर्वेद) के अध्ययन का प्रारम्भ (उपाकर्म) भाष्य की पूर्णमासी को होना है अथिषो ग्रा तर्पण होता है जिन्हे आज्य की गौ जाहुनियां दी जाती हैं और नवी अङ्गुलि उपवसतिम् (ऋग्वेद १।१।१—आपस्तम्ब म मन्वाण्ड १।१।८) के साथ ही जाती है। किन्तु जब किसी वाक्य का प्रारम्भ होता है तो वृत्ता उपाकर्म होता है और इसके लिए भी होम किया जाता है।

कमथ गृह्यसूत्रो में बर्णित सीधी उपाकर्म-विधि में बहुत-से निरर्थक विस्तार जुड़ते चले गये। आधुनिक वाक्य में बड़े विस्तार के साथ उपाकर्म सम्पादित होता है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ कोई विस्तार नहीं दे पा रहे हैं।

उपाकर्म इत्यं के उपरान्त गृह्यसूत्रों में अनध्याय (छट्टी) की व्यवस्था की है किन्तु अनध्याय की अवधि के विषय में मनीष्य नहीं है। पारस्करगृह्यसूत्र (२।१) में तीन दिन रात में किए अनध्याय पूषित किया है और कहा है उस अवधि में बास बनवाना एवं माकून कटवाना बर्णित है। कुछ लोगों ने मठ से उत्सर्जन तक अर्थात् लगभग ५॥ महीनो तक के लिए बास एवं माकून कटवाना बर्णित माना गया है। शाखायनगृह्यसूत्र (४।५।१७) एवं मनु (४।१।१९) ने उपाकर्म एवं उत्सर्जन के उपरान्त तीन दिनों की छट्टी (अनध्याय) की बात कही है। और मनु के लिए देखिए गोभिलगृह्यसूत्र (३।३।९ एवं ११) माच्छान्दगृह्यसूत्र (३।८)।

उत्सर्जन

काष्ठ एवं तिथि—उत्सर्जन के काष्ठ के विषय में भी विभिन्न मत हैं। बौधायनगृ (१।५।१९३) ने पीपल या माष की पूर्णमासी तिथि को उपयुक्त माना है। आश्वलायनगृ (३।५।१४) ने वेदाध्ययन के लिए उपाकर्म से उत्सर्जन तक ६ मास की अवधि ठहरापी है अथ यदि उपाकर्म आश्वी (आश्व की पूर्णिमा) को सम्पादित हुआ तो मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन होमा। पारस्करगृ (२।११) के मत से ५॥ या ६ मास तक वेदाध्ययन करने मुक्त एवं सिन्धी को उत्सर्जन (उत्सर्न अर्थात् वेदाध्ययन की आधिक्य समाप्ति) करना चाहिए। इसी प्रकार पीमिलगृ (३।३।१४) आबिरगृ (३।२।२४) शाखायनगृह्य (४।६।१) ने क्रम से तीन (पीपल) की पूर्णमासी बड़ी अर्थात् पीपल की पूर्णिमा मास के द्वादश पक्ष की प्रतिपदा को उत्सर्जन की तिथि माना है। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने अपन मठ सिद्धे हैं जिनमें काष्ठ ४॥ ५ या ५॥ ६ या ६॥ महीनो तक बतलाया गया है। फलतः पीपल या माष मास ही उत्सर्जन के लिए उपयुक्त माना गया है।

विधि—आश्वलायनगृह्य (३।५।१३) ने उपाकर्म से उत्सर्जन तक की विधि का बर्णन किया है। उत्सर्जन में मूत के स्थान पर पके हुए चाबुक की जाहुनियां दी जाती हैं उसके उपरान्त स्थान तथा वेद्यतामो आचार्यों अथिषो, पितरों (बैद्य कि बह्वक्षत्र में उठता है) को तर्पण किया जाता है। तारायण के मत से उपाकर्म के समान उत्सर्जन में भी ने सप्तु में वही मिश्रित करके खाना तथा मार्जन नहीं होता है। पारस्करगृह्य (२।१२) ने उत्सर्जन की विधि इस प्रकार की है— जन्हे (आचार्य एवं धिष्यो को) अन्न के निगारे (नवी ताकाव आधि पर) खाना चाहिए, वेद्यतामो कन्धो वेद्यो अथिषो प्राचीन आचार्यों दन्धर्षो अन्य पुरजो, निमान के साथ बर्ष पितरों आचार्यों तथा उनके मूत सम्बन्धियों का तर्पण करना चाहिए। इसके उपरान्त सावित्री का धीमता से चार चार पाठ करके कहना चाहिए— 'हमने (वेदाध्ययन) अन्न कर लिया। उत्सर्जन में भी उपाकर्म की मति अनध्याय होता है और उपरन्तर वेद्यताम अर्थात् पके हुए वेद्यतामो का बहुराज्य होता है। इस विषय में अन्य मत देखिए गोभिल (३।३।१५) मनु (४।९७) एवं याज्ञवल्क्य (१।१।४४)।

नई महीनी तक वेवाभ्ययन छोड़ देना सम्भवतः अच्छा नहीं माना जाता या अथ मनु (४।१८) वसिष्ठ-
 धर्मसूत्र तथा बौध्दयस (पृ ५१५) ने उत्सर्जन के उपरान्त उपाकर्म तक महीनी के शुक्ल पक्षा में वेवाभ्ययन तथा
 इत्यपला में वा जैसी इच्छा हो वेवागी का अभ्ययन करने की व्यवस्था की है। नमस पीप एव माप के उत्सर्जन
 इत्य की परम्परा समाप्त हो गयी। मानवमूछ (१।५१) की टीका में अष्टाकर ने अपने समय की मर्तना की है
 वह कि उत्सर्जन कृत्य बन्द सा हो गया था। स्मृत्यर्थसार (पृ ११) ने लिखा है कि उपाकर्म के पश्चात् एव नप तक
 वेवाभ्ययन इत्य के उपरान्त उपाकर्म के बिना उत्सर्जन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।
 यावत्त ज्ञान उद्ये बिना सम्पादित होता है जिस बिना उपाकर्म होता है। ये दोनों यावत्ती (यावत्त की प्रामिता)
 की वा यावत्त नस्य मे वा यावत्त शुक्ल पञ्चमी को सम्पादित होते हैं अथ इन्ह यावत्ती भी कहते हैं।

अध्याय २४

अप्रधान गृह्य तथा अग्न्य कृत्य

गृह्यसूत्रो ने वर्ष की कुछ निश्चित तिथियों के कुछ अग्न्य कृत्यो का वर्णन किया है। अब इनको बहुत-सी विधियाँ समाप्त हो चुकी हैं, किन्तु कुछ के अन्वेषेण सिद्ध अब भी पाये जाते हैं। गीतम (८।१९) में अपने आधीस सप्ताहों में सात पाकयज्ञ-संस्कारों की भी योजना की है। इन सात पाकयज्ञों में अष्टका पार्षण एवं पात्र का वर्णन हम मात्र नामक अध्याय में आगे करेंगे। सात हविर्व्यसो एवं सात वीमसंस्कारों का वर्णन अथि-सम्बन्धी टिप्पणी में विधा बायपा। कुछ कृत्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है।

पार्षण स्थासीपाक

गीतम द्वारा वर्णित सात पाकयज्ञ-संस्कारों में एक है पार्षण स्थासीपाक। अब कोई विवाह करते पत्नी को घर लाता है तो उस गन्-विवाहिता से बहुत-से भोग्य पदार्थों पकवाकर उन्हें देवताओं की अग्नि-होम द्वारा अर्पित करता है। पत्नी जाकर कटौती है और उससे स्थासीपाक बनाती है। वह मौजल पकवाकर उस पर आग्य छिड़कती है और अग्नि से उठाकर ले जाती है। तब पति उसे वैदिक वर्ष-पूर्वमास के देवताओं को चढाता है और फिर अग्नि स्विष्ट इत् को देता है। बचे हुए मौजल को वह एक बिनाग्न्य ब्राह्मण को देता है और उसे एक बैल बलिष्ठा में देता है। उस समय से गृह्यसूत्र सभी पूर्णिमा एवं अमावास्या के दिनों में ऐसा ही पत्नी मौजल अग्नि को चढाता है। जो व्यक्ति तीन वैदिक बलिष्ठा नहीं प्रतिष्ठित करता उसका स्थासीपाक इग्न्य अग्नि के सिद्ध (आग्नेय) होता है। जो तीनों वैदिक बलिष्ठा स्थापित रखता है उसका पूर्णिमा वाला स्थासीपाक अग्नीषोमीय एवं अमावास्या वाला ऐन्द्र वा मातृन्द्र वा ऐन्द्राग्न्य कहलाता है (आदिरनुष्टुप् २।२।१३ आपस्तम्बमनुष्टुप् १।३।८ १२)। पति एवं पत्नी पूर्णिमा एवं अमावास्या के दिन उपवास करते हैं या केवल एक बार प्रातः काल खाते हैं। उपोष में वह पार्षण स्थासीपाक है। वह विवाहीतराज प्रथम पूर्णिमा को प्रारम्भ हीकर पति-पत्नी के जीवन भर चढता रहता है। बैल की बलिष्ठा केवल प्रथम बार ही होती है जीवन भर नहीं। विस्तार के लिए देखिए आपस्तम्बमनु (१।१) आपस्तम्बगु (३।१ १९) सत्वारकौस्तुभ (पृ ८२३) एवं सत्वारकौष्ठ (पृ ९४९)।

चैत्री

यह इग्न्य चैत्र मास की पूर्णिमा को होता है। गीतम (८।१९) की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि आपस्तम्बगु (१।१।१३) के अनुयायियों के लिए चैत्री ब्रह्मण्य (ईसागर्भ) के समान है। वैशाख (४।८) में इस का वर्णन किया है—चैत्र की पूर्णिमा को घर स्वच्छ एवं अलङ्कृत किया जाता है। पति-पत्नी गये वरुण पुत्र्य आदि से अलङ्कृत होते हैं अग्नि में वरुण को आहार दे दिने जाते हैं तथा देवों के लिए पात्र में जाकर पका किया जाता है तो 'श्रीष्णो हेमन्'।

१ सत्वार एक पार से वृत्त का अग्नि में डारना 'आहार' का सूचक होता है। वह आहार प्रजापति के लिए उत्तर-पश्चिम से बलिष्ठा-पूर्व में तथा इन्द्र के लिए बलिष्ठा-पश्चिम से उत्तर-पूर्व में होता है।

(तीतिरीयसंहिता ५।७।२।४) 'ऊन मे पूर्वताम्' भिवे जाठ (ऋषेय १।१४।४) 'वैष्णवम्' (तीतिरीयसंहिता १।२।१।३) नामक मन्त्रा के साथ मृत की आहुतियाँ भी जाती हैं। तब पके हुए चावल को भी म मिथित कर मनु' चावल कुछ सुषि मम ममस्व इय ऊर्ज सह सहस्य तर्प तपस्य की ऋतुका मोक्षधियो जोषमिपतिया भी पीनि तथा विष्णु की आहुतियाँ भी जाती हैं। अग्नि के पश्चिम भी की एव पूर्वामिमुख भीपति की पूजा करके हवि अहित की जाती है। इसके उपरान्त जल की स्तुति के साथ पका हुआ चैत्य भोजन आहुतियों की देकर सपिण्ड बोलों की समष्टि में स्वयं का सिधा जाता है।

सीतायज्ञ

इस यज्ञ का शास्त्रार्थ है "बोले हुए बेट का यज्ञ। गोमिरूपुष्ट (४।४।२७) में इस यज्ञ का सम्पत्त बिबरण प्राप्त होता है। यह यज्ञ स्मार्त या भीषासक अग्नि वाले स्थिति द्वारा बेट बोलने के समय किया जाता है। शुभ मुहूर्त में यज्ञ का भोजन बताकर इन देवताओं की आहुतियाँ भी जाती हैं—इन्द्र मस्त्वम परम्य अग्नि एव भव। शिवा भावा बरवा एव जनवा को मृत की आहुतियाँ भी जाती हैं। पारस्करयु (२।१७) में यह यज्ञ विस्तार से बर्णित है जिसे हम स्थानानाम से यहाँ नहीं देख रहे हैं। पारस्करयु (२।१३) में हक की निशाकने एव बोलने के प्रयोग में जाने के समय कई प्रकार के इत्थो का वर्णन किया है। (उत्तर प्रदेश में भी नहीं नहीं 'ममहुत के समय कुछ ऐसी ही पूजा आज भी की जाती है।)

श्रावणी या श्रावणाकर्म एव सर्पधर्म

पूछमूत्रो म आस्वसायन (२।१।१ १५) पारस्कर (२।१४) गोमिल (३।७।१ २३) धामायन (४।१५) बाघाव (२।१) आपस्तम्ब आदि म इन बोलो इत्थो का वर्णन किया है। ये इत्य श्रावण की पूर्वमासी को सम्पादित होते हैं। आस्वसायनयु में इनका वर्णन निम्न रूप से किया है—'एक लये घरे म मुने हुए जी रत्नकर उने एव नरे शिरय (सिंहहर—बड़ा आदि रखने के लिए पत्थी ऊँड़ियो से बन डीब) पर बलि देने क लिए एव चम्यक के साथ रख दिया जाता है। जी के मुने हुए अघ का आमा भाय मृत में मिमा दिया जाता है। मूर्ध्नि के समय स्वाधीनाय भोजन बताया जाता है और मृत्पात्र पर एक रोटी पहायी जाती है तथा बार मन्त्रा (ऋषेय १।१८।१।४) के साथ भोजन की आहुतियाँ भी जाती हैं। रोटी मृत म पूर्वम्येय डबो भी जाती है या उमगा ऊरी नाम लिपाई पछटा रहना चाहिए। रोटी का मन्त्र क साथ (ऋषेय १।१८।१।५) हवन कर मारा मृत (त्रिमम रोटी हुरीपी नहीं पी) उठेक दिया जाता है। इसके उपरान्त मृता हुआ जी अजग्नि म मज्ज अग्नि म हाका जाता है। जिस मुने जी म मृत नहीं मिथित रहता वह ज्यम सोयो (पुत्र आदि) को दे दिया जाता है। घरे म से जी का अघ चम्यक में मरुट कर के बाहर पूर्वामिमुख एव पश्चिम स्थल पर पानी गिराया जाता है और मर्तों को बह मृता जल दिया जाता है (सर्पदेवमेनेभ्य स्वाहा' कहा जाता है) और उनकी मज्ज प्रहार म अर्घ्यर्चना कर पूजा की जाती है और बलि भी जाती है। इस प्रकार सर्प-पूजा का एक लम्बा विधान है जिसका विस्तार स्थानानाम के कारण छोटा या बड़ा है। पारस्करयु (२।१४) म सर्प-बलि का लम्बा विस्तार किया है। पति की अनुपस्थिति में पत्नी सर्पबलि कर सकती है।

२ मनु से लेकर तपस्य तक प्राचीन शास्त्र के श्रुतियों के नाम हैं (तीतिरीय संहिता १।४।१४।१ एवं शास्त्र-ब्रह्मो संहिता ७।३)।

सर्प-बध के मय से ही सर्प-युवा की परम्परा चली है। सर्प-युवा बहुत प्राचीन है (तैत्तिरीयसंहिता ४।२।८।१)। इस विषय में अपभ्रंश (८।७।२३ एव ११।१।१६ एव २४) में बिये गये सर्पों के नाम प्रसिद्ध हैं यथा तसक, वृत्, राष्ट्र एव ऐरावत। सर्पों के दिनों में सर्पों का विशेष धिय होता है क्योंकि वे बिलों में एक प्रवेश ही जाने के कारण तथा वृहे, मेढक आदि आहार के लिए बस्ती में जा जाते हैं। इसी से लोग धावन मास में सर्पयज्ञ सर्पयुवा या नाग-युवा करते हैं। फिर क्वातातराधार महीनो सर्पात् मार्गशीर्ष की पूर्वमासी तक प्रति दिन सर्पों को बलि दी जाती थी। मार्गशीर्ष की पूर्वमा की ही प्रत्यक्षरोहण (पुन उतरना सर्पात् पम्प से उतरकर पृथिवी पर सीना) भी होता था। महाभारत में भागी की सर्पा बहुधा हुई है (आदिपर्व ३५ एव १२३।७१ उद्योगपर्व १ ३९ १६ अनुशासनपर्व १५ १४१ जहाँ बासुकि अनन्त आदि सात सर्पों के नाम आते हैं। अनुशासनपर्व १५।५५ में शिव को अपने शरीर पर यज्ञोपवीत की भाँति नाम रखने वाला कहा गया है। पुराणों में भी भागी के विषय में कहा गया है। नागयुवा दक्षिण भारत में बहूत होती है। आजकल नागयुवा आसामी (धावन की पूर्वमासी) को न होकर धावन शुभक पञ्चमी को होती है। इस तिथि को आजकल महापञ्चमी कहा जाता है। पत्तों के उत्प्रेषण में हम नागपञ्चमी के विषय में थोड़ा विवरण दें। भारत में जितने प्रकार के सर्प पाये जाते हैं उतने कड़ी भी नहीं देखने में आते और अन्य देशों की अपेक्षा भारत में सर्प-बध सं प्रति वर्ष सड़सो व्यक्ति मर जाते हैं।

नागबलि

कुछ अभ्युक्तिवि मित्रभी तथा सप्तारक्षीस्तुम (पृ १२२) में नागबलि नामक कुल का वर्णन मिलता है। यह कुल सिन्धीवासी (यह दिन चन्द्र चन्द्र बिछाई पड़ता है जित्पु वृसरे दिन अमावस्या पड़ जाती है) के दिन वा पूर्वमा के दिन वा पञ्चमी या षष्ठी के (यह चन्द्र आस्मेका मसत्र में रहता है इस मसत्र के देवता हैं सर्प) सम्पादित होता है। यह कुल या ठो सर्पों को मार देने पर पाप-मोचन के लिए किया जाता है या सन्तान उत्पन्न होने के लिए (सर्प मार देने के कारण सर्प क्रोध पालयर्ष) किया जाता है। चाबस देहों या शरीरों के बाटे की एक सर्पाकृति बनायी जाती है तब उसका छोकड़ो उपचारों से साध पूजन होता है और पायस (चाबस-दूध या और) की बलि दी जाती है। वृत् की एक आहुति 'ओम्' एव तीन ब्याहृतियाँ कहकर सर्पाकृति के मुँह में दी जाती है और नाग्य वा देवाय उसके शरीर पर किञ्चक दिया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (४।२।८।३) एव कुछ पुराणों के मय पड़े जाते हैं और सर्पाकृति मणि में अन्त दी जाती है। इसके उपरान्त प्रति अपनी पत्नी के साथ तीन दिनों वा एक दिन का अर्पण मनाता है। तब ८ ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया जाता है। वे पत्नी हुई सर्पाकृति के स्थान पर बसित रूप में खड़े होते हैं। तब वे छोकड़ो उपचारों से पूजे जाते हैं। मोहन एव बलिना दी जाती है। इसके उपरान्त जलपूजन वडे (नमस्य) में सीने की सर्पाकृति रखी जाती है और वह आहुति या एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है।

इन्द्रयज्ञ

मोच्छाव (आश्वय) की पूर्वमासी के दिन इन्द्रयज्ञ होता था। इसका वर्णन हमें पारस्करणु (२।१५) में प्राप्त होता है। इन्द्रयज्ञ मत्सेय में इस प्रकार है—इन्द्र के लिए पायस एव रोटियाँ पनाकर मणि के बहुविक्रि चार रोटियाँ गन्धक और दो आग्नेयमास वेधर इन्द्र की पायस दिया जाता है। आग्नेय आहुतियाँ इन्द्र इन्द्राभी अन्न एतपाव, अहिर्बुध्न्य एव मोच्छावासी की दी जाती है। इन्द्र की पायस दिया जाता है इन्द्र को देने से उपरान्त मस्ती की बलि दी जाती है (क्याचि मरुत अहुत को माने हैं—नागपञ्चमाह ४।५।२।१५) मस्ती की बलि अस्तव्य के पत्तों पर दी जाती है (क्याचि मरुत अस्तव्य वृस पर रखे हैं—नागपञ्चमाह ४।५।३।६)। आजकल की गहिता (१७।८०

८५) एष उद्यमवशात्पुत्र (१।३।१।२६) और एतु वाज्रमनसी संहिता (१७।८५) क मन्त्रो वा पाठ ह्येता है और मन्त्र मे वाङ्मनो को जीवन कराया जाता है।

सौमित्रसूत्र (१४) मे राजामा के लिए इन्द्र के सम्मान म एक उत्सव करने की विधि का वर्णन किया है। यह उत्सव मात्रपद या आदिभक्त मे सुवक्रपक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसमे मन्त्र नक्षत्र म एक शब्दा प्रकाश किया जाता है। मात्रवक्षय (१।१४७) मे इन्द्र का शब्दा कहुरान एव उठारने मे बिन को अनध्याय (छुट्टी) शोधित किया है। अपराह्मे मे धर्म को उद्भूत कर बताया है कि राजा द्वारा पताका मात्रपद वस्तु पदा की झावरी को कहुरामी बानी है (अब नि अन्त्र उठरावाइ मन्त्र या भविष्या म रहता है) तथा मात्रपद की पूर्वमासी मा भरणी को उठारी बानी है। इत्यरत्नाकर (पृ २९२ ९२) म आया है कि इस उत्सव क बिनो म ईस मे दुबडी क मत इन्द्र धनी (इन्द्राणी मा इन्द्र की स्त्री) एव जयन्त (इन्द्र के पुत्र) की मूर्तियो (आहृतियो) की पूजा हुंली है पताकाएँ मनिवार मा मन्त्र या जस-मन्त्र के बनीष के दिन या मूढाश क दिन नहीं सखी की जाती है। आदिपर्व (६३।१ २९) म पता चमत्ता है कि इस उत्सव (इन्द्रमह) का प्रारम्भ उपरिचर बनुन किया वा। बहूँ यह दाय्या है कि इन्द्र ने राजा को बानप्रस्थ ग्रहण करने से रोना और वेदि राज्य पर राजा रूप मे बने रहूँ को बिदय किया। इन्द्र न राजा को एक बान का बणा प्रीति उठारने रूप म दिया। राजा ने इन्द्रजता प्रकाशित करन के लिए उच बण्डे को पूबिनी म पाठ किया। तन न प्रति सर्व राजा तथा अन्य साधारण लोग बौध के बण्डे पूबिनी म पाठने लगे और बूडरे दिन उत्सव सुगन्धित इन्ध्र एव आभूषण बादि बौधकर माकाएँ सम्मान लय। यह सम्मभ है कि बौध मास के प्रथम दिन बधिष मात्र एव अन्य स्वामी म बौध पाठन की बी प्रथा है बहु सम्मभत इन्द्र मे सम्मान म प्यजा सखी करन की परम्परा की ही शोचन हूँ। ब्रह्ममहिता (अध्याय ४३) ने इन्द्रमह उत्सव मनान की विधि का वर्णन लगभग ६ श्लोको म किया है। हम स्वामामात्र मे उन विधि का वर्णन नहीं कर रहे है।

आद्वयुजी

गौतम (८।१९) मे अथ न सस्कारो क जन्मगत मात पाषयशा म आद्वयुजी को भी परिगणना की है। वास्तव्यात्मयु (२।२।१ ३) ने इस इत्य का वर्णन या किया है—आद्वयुज अर्चना जादिबन की पूजिया को आद्वयुजी इत्य किया जाता है। कर को अमहत कर्म स्नानोत्तरान्त स्वच्छ द्येन कर्म भारत क पता हुवा मात्रत पापुपनय मिश्रण चक्षुराय पूपाठनाय स्वाहा मन के मात्र पापुपति को देना चाहिए। पादक एव पूत मिलाकर उन अन्त्रसि से "इम मे पूर्यता पूग मे मोतसदनु पूपाठनाय स्वाहेति मन्त्र न साध पता चाहिए।

मान्वायतनपुष्ट (४।१९) का कहना है कि इस इत्य म पूत की आहृतियो अदिबनी अद्वयुज मन्त्र मे बली शरी आदिबन की पूजिया शरु एव पापुपति की ही जानी चाहिए। आत्म्य का शान कन्देद न मात्र आ मातो कर्मन् के साध होना चाहिए। उम दिन राति म बछड अपनी माताजी का बूध पीने के लिए उठ विद्य जाने है। पार मन्त्र (२।१९) मे इस इत्य को पूपाठना कहा है सोमिनपुष्ट (३।८।१) मे 'पूपाठन मात्र किया है। और वेदिए आदिबन् (३।३।१-५) एव वैशालन (४।९)।

आध्वयण

बहूँ मे गृह्यपुत्री म आद्वयुजी क उपगन्त आध्वयण इत्य का वर्णन हुआ है। सौमित्रसूत्रि (पृ ३।१ ३) एव मनु (४।२०) मे इसे कम मे मन्त्र एव मन्त्रसर्वेष्टि कहा है। यह बहु इत्य है त्रिम "नत्र कन् (उदर) मन्त्रपत्र

देवी को दिये जाते हैं या जिसमें "नमः अन्न सर्वप्रथमं दियां या खाया जाता है।" आर्यसामयकीनसूत्र (२।९) के अनुसार आप्रथम इच्छि केवल आहिताग्नियो (जिन्होंने टीगा बैदित अग्नि स्थापित की ही) द्वारा ही की जानी चाहिए। गारायण ने टीका में लिखा है कि आहिताग्नि को भीतसूत्र के अनुसार नमः अन्न का यज्ञ करना चाहिए, यदि कठिनार्थ हो तो यह इत्य आस्वलायनम् (२।२।४) के अनुसार भेदा अग्नियो में भी किया जा सकता है तथा जिन्होंने टीगा अग्निवां न अलावी ही तो वे घाला (अर्थात् ओलायत) अग्नि में भी इसे कर सकते हैं। आबल यौ एव स्वाभाक् नामक अन्नो वा उपयोम बिना आप्रथम किये नहीं ही सकता था। किन्तु अन्न अन्नो एव माको के प्रयोग के विषय में ऐसी बात नहीं की। यौत आप्रथम के देवता तीन हैं यथा इन्द्राग्नी (या अग्नीन्द्री) विश्वे देव एव घावायुषिषी किन्तु बृहस्प आप्रथम में अग्नि स्विष्टकृत् भी जोड़ दिया गया है। आस्वलायनम् (२।२।४-५) में इन इत्य का वर्णन है जिसे हम यहाँ स्वाभामात्र से नहीं देखेंगे। इस इत्य का वर्णन आपस्तम्बम् (१।१।६-७) शाखायनम् (१।८) पारस्करम् (३।१) गोधिलम् (३।८।९-२४) साधिरम् (३।३।९ १५) वैशालस (४।२) मानवम् (२।३।९ १४) आदि में भी पाया जाता है। वैशालस ने देवताओं के साथ पित्रो को भी जोड़ दिया है। मानवम् में वसुत में किसी पर्व के दिन भी अन्न का तथा शरत् में आबल का इस इत्य में साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वैशालस ने बिना आप्रथम इत्य किये नवाभ प्रयोग करने पर पाबन्धन प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है (१।१९)।

आप्रहायणी

यह इत्य पीठम् (८।१९) द्वारा वर्णित चासीस संस्कारों में परिगणित है और अन्न पात्रयज्ञो में एक पात्रयज्ञ है। मार्गशीर्ष (अगस्त) की पूर्णमासी को आप्रहायणी कहा जाता है अतः उस दिन जो इत्य सम्पादित हो उसे भी यही सजा मिली है। इसमें प्रत्यक्षरोहण इत्य द्वारा पर्यंक एक बाटी पर सोना छोड़ दिया जाता है। शाखायनम् (४।१५।२२) के मत से आबल (आबल मास की पूर्णमासी) से लोग पुषिणी पर सोना छोड़ देते हैं, क्योंकि सर्व-यज्ञ का वर रहता है। कुछ लोग आप्रहायणी एवं प्रत्यक्षरोहण को ही विशिष्ट इत्य मानते हैं जिनमें प्रथम मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को तथा दूसरा हेमन्त की प्रथम राति को मनाया जाता है (देखिए आपस्तम्बगृह्य १।१।५ एव ८-१२)। इस इत्य के काल एक विधि के विषय में कई मत हैं जिनके पक्षों में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। पारस्करम् (३।२) एक गोधिलम् (३।१।१२ २३) में इसके विषय में विस्तार दिया हुआ है। आबलक यह इत्य विस्तृत नहीं किया जाता अतः बहुत ही संक्षेप में यहाँ इसका वर्णन किया जा रहा है। वर को पुत्र (अर्थात् आस्वलायनी के उपरान्त) स्वच्छ किया जाता है (भीषा-योधा जाता है जिन्हीं मिथी तथा गोबर से स्वच्छ करने की प्रथा रही है)। फलों की समतल कर दिया जाता है। सायकाल पामस की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसमें अग्नि स्विष्टकृत् को आहुति नहीं दी जाती। अग्नि के पश्चिम में घाम बिछा दी जाती है जिस पर गृह्य अपने वर माको के साथ घिर की पूर्व दिशा में रत्नकर उत्तम-मिमुक्षु हो आबल (१।२।२।१५) के अन्न के साथ बैठ जाता है। इसी प्रकार मन्त्रों के उच्चारण के साथ सबको उष्ण पकता है। ब्राह्मणों की मौजल कटाया जाता है। अनुत्तर-निकाय (पाञ्च-ग्रन्थ) में भी पञ्चोरोहणनियम नामक अन्न में ब्राह्मणों द्वारा सम्पादित प्रत्यक्षरोहण इत्य का वर्णन है। इस इत्य का वर्णन अन्न बृहस्पुत्रो में भी पाया

३ आपस्तम्बम् (१।१।६) की टीका में सुप्रसंग लिखते हैं—येन कर्मणा सर्वं तत्राद्यं देवाप्रथमतीतिं धत्तुं इत्यैव वाचयन् प्रथमायनं नवाभमायनंप्राप्तिसंकीर्ति। इत्यतः ने इत्यो व्याख्या में कहा है—एतिस्र प्रासनाभिः।

मन्त्रा है तथा बाहिर (३।३।२६) योगिक (३।९) मानक (२।७।१५) माख्यान (२।२।) आपस्तम्ब (२।१।७।२)। औषधयन (२।१) में प्रत्यक्षरोहण नामक इत्येव वा वर्णन किया है जो सभी ऋषियों के वाक्य में तथा अधिक मात्र (मलमात्र) में किया जाता था किन्तु यह इत्येव वृत्त ही है आपद्भाग्यही नहीं।

दूरसंग्रह या इक्षानवलि

आरम्भिक रूप में यह इत्येव दिग्गो बैल का मात्र देन से सम्बन्धित था। इसके बाद न विषय में मत्तमेव है। ब्रह्मसंहितायनगृह्य (४।१।२) के अनुसार यह सरत् या बसन्त में आर्द्रा मलयन में किया जाता था। किन्तु औषधयनगृह्य (२।७।१२) के मत से यह मार्गशीर्ष की पूर्णिमा या आर्द्रा मलयन में सम्पादित होना चाहिए। इसी प्रकार अम मत्त भी है। इस इत्येव के नाम के विषय में कई व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं। मारामयन में कहा है कि यहाँ 'सूर्य' का अर्थ है वह जो नौलौका दण्ड रहे अर्थात् दिग्गो 'धुली' कहा जाता है और इस यज्ञ में बैल दण्डपशु के रूप में रत्त पूर्वा जो दिया जाता है। हरपत्त का कहना है कि इसमें बैल पर (दिग्गो के) दण्ड का चिह्न अंकित होना है।

इस इत्येव का वर्णन इन गृह्यसूत्रों में पाया जाता है—आरण्यकामन (४।९) औषधयन (२।७) हिरण्यकामि (२।८-९) माख्यान (२।८) पारस्कर (३।८)। समझा है कि गृह्यसूत्रों के नामों में भी बहुत भेद इन इत्येव की नहीं पसन्द करते थे क्योंकि औषधयन (२।७।२६-२७) में बताया है कि बैल में मिल्ने पर बकरा या भेडा दिया जा सकता है या ईशान के लिए केवल स्थायीपाक पर्याप्त है। काठक (५।२।१) के टीकाकार दण्डपाक का कहना है कि केवल बकरा चढ़ाया जाता है क्योंकि लोग कुपम-बलि के पक्ष में नहीं हैं। यह इत्येव अथ नहीं किया जाता अथ बहुत बकरों में हम इनका वर्णन कर रहे हैं। मानवगृह्य (२।५।१६) का कहना है—रत्त क अनुरजन के लिए सरत् में पूज्यव इत्येव किया जाता है। रत्त में ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर पर बैलों के बीच में एक मूष पाक किया जाता है। अग्नि त्रिपुण्ड्र के होम के पूर्व (अर्थात् पक्ष हुए पाकक साधारण होम न उपरान्त) पतियों की आग्नेयिणी (शोभा) में रक्त भरकर दिग्गो को दिया जाता है और आठ बोलें अनुवाक मन्त्रा न माय मध्यवर्गी दिग्गो को दिये जाते हैं। बिना पक्षा हुआ उपहार ग्राम में नहीं लाया जाता। पशु न मद्यपय चिह्न (वर्ममहिन्) पृथिवी में पाक देने चाहिए।

वास्तु प्रतिष्ठा

इस इत्येव का अर्थ है मन्त्रों गृह का निर्माण एवं उत्तम प्रवचन। मय मरान के निर्माण न विषय में गृह्यसूत्रा (आरण्यकामन २।७-९, शाब्दायन ३।२-४ पारस्कर ३।४ आपस्तम्ब १।७।१ १ बाहिर ४।२।६ २२ आदि) में पर्याप्त वर्णन है। आरण्यकामन (२।७) के मतानुसार सर्वप्रथम स्वक की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वक शागरहित होना चाहिए, उत्तम औषधियाँ (वर्मस्वधियाँ) कुछ बीरज तुम प्राग अनी रहनी चाहिए। उत्तम में कटीन पीप तथा ऐसी बर्से जिनमें दूध निक्षेपता ही निवास बाहर करनी चाहिए और अपामार्ग निक्षेप आदि पीप भी निवास देने चाहिए। उस स्वक पर चारों ओर से पानी बाहर बाहिली बार रहना हुआ पूर्व दिशा में निक्षेप जाना चाहिए। मय

४ अब यदि वां न लभते देवमत्रं बालभते। ईशानाय स्थायीपाकं वा अथयनि तस्मादेवमत्रं करोति यद् पक्षा वर्ममन्त्रा की नु २।७।२६ २७। अबहानहोमान्त्रात् न उपागयत् एव। पीः पुनरुत्पन्न एव सौर्वाचिरोपान्। देवपाक (वाक्यगु ५३।१)।

स्वल्प म धूम गुण होते हैं। उस स्वल्प पर कहीं नत्र भर खीरकर देख लेना चाहिए और पुन मिट्टानी हुई मिट्टी ही भर बनी चाहिए। यदि भरते समय कुछ मिट्टी बच जाय तो स्वल्प को सर्वोत्तम समझना चाहिए, यदि पक्का भरने के लिए मिट्टी पर्याप्त हो जाय तो उसे मध्यम तथा यदि पक्का भरने के लिए मिट्टी कम पड़ जाय तो उसे निहृष्ट स्वल्प समझकर छोड़ देना चाहिए। स्वल्प-पह्वाचन की बृहती विधि भी है। गृहों में पानी भरकर रात भर छोड़ देना चाहिए, यदि प्रातः काम तक पानी पाया जाय तो स्वल्प सर्वोत्तम यदि सीगा रहे तो मध्यम तथा सूखा रहे तो निहृष्ट समझकर छोड़ देना चाहिए। विजातियों को भ्रम से रक्षित क्षाम एव पीठ स्वल्प जोड़ना चाहिए। स्वल्प वर्माकार वा यजु-मूर्जाकार होना चाहिए और स्वामी को चाहिए कि वह उस पर पीठ की एक छहक हराहरी करे। क्षमी या उजुम्बर की टहनी से तीन बार प्रवक्षिणा करके दाहिने हाथ से उस पर बल छिन्नकना चाहिए और आन्तरीक स्तोत्र (ऋग्वेद ७।३।१।१५) का पाठ करना चाहिए। वह बिना इसके तीन बार करना चाहिए तथा 'आपोहिष्ठा' (ऋग्वेद १।१।१।३) का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार की एक बहुत विस्तृत विधि है।

मत्स्यपुराण (अध्याय २५२-२५७) में वास्तुशास्त्र पर एक कम्पा विवरण उपस्थित किया है। उसने अनुसार (२५६।१-११) वास्तुमन्त्र पाँच बार किया जाना चाहिए, नीच रखते समय प्रथम स्तम्भ याड़ते समय प्रथम द्वार के साथ शीतल काड़ी करते समय गृह-प्रवेश के समय तथा वास्तु-शान्ति के समय (जब कोई उपद्रव आदि उठ पड़ा हो तब)। इसमें उपरान्त मत्स्यपुराण ने अन्य विधियों का विचार वर्णन उपस्थित किया है जिसे हम यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं।

आजकल गृह प्रवेश का उत्सव बड़े ठाट-बाट से किया जाता है। ज्योतिषी से पूछकर एक शुभ दिन निश्चित किया जाता है। गृह प्रवेश की विधि बड़ी कम्बी-शौरी होती है। दो-एक बार्ते यहाँ की जा रही है। एक मण्डल बनाया जाता है जिसमें ८१ वर्ग बनाये जाते हैं और उसमें आमनन के लिए ९२ बेशताजी का आवाहन किया जाता है। इसके उपरान्त धनिया तिल एव आग्य की २८ आहुतियों के साथ ९ घड़ी का होम किया जाता है। घर की पूर्व दिशा से आरम्भ कर तीन बार मुख से घेर दिया जाता है और उसके साथ रक्षीमन्त्र (ऋग्वेद ७।४।१।१५, या १।८७।१।२९) तथा पशुमन्त्र (ऋग्वेद ९।१।१।१) नामक सूक्तों का पाठ होता है। इसी प्रकार अन्य बार्ते विधिबन्त की जाती है और बार्ते-नाम के साथ स्वामी अपनी पत्नी बच्चों ब्राह्मणों के साथ हाथ जोड़कर तथा अन्य शुभ सामग्रियों केवल गृह में प्रवेश करता है। इसने उपरान्त पुष्पाहवाचन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसने उपरान्त गृह-स्वामी अपने मित्रों के साथ भोजन करता है।

सुर बाके पसुव्री का व्यापार वर्जित है किन्तु गरीबताक के पेशेवा सिकासेख से पठा चकता है कि बाह्यक कोप भी अन्न के क्रय-विक्रय का व्यापार करते थे और इस व्यापार से उत्पन्न कर को मन्दिरो के प्रबन्ध में व्यय किया जाता था (एपिमैथिया इण्डिका बिम्ब १ पृ १८९)। नीलम(१९१९) ने अपराधी के प्रामाणिक के लिए अन्न-दान की चर्चा की है। दान के विषय में बीर देसिए आलापन बाह्यक (२५१४) एवं ऐतरेय बाह्यक (३ १९)।

शतपथबाह्यक (२।२।१ १६) का कहना है—“देव को प्रकार के होते हैं स्वर्ग के देव एवं मानव देव अर्थात् वेदक बाह्यक इन्हीं लोगों में यज्ञ का विभाजन होता है अर्थात् बाहुवियाँ देवों को मिलती है तथा दक्षिणा मानव देवों (वेदक बाह्यक) को।” तैत्तिरीयसंहिता (१।१।१।१) का कहना है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्व दान कर देता है तो वह भी तपस्या ही है। बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।३) ने अनुसार तीन विधिष्ट गृह हैं दम दान एवं दया। ऐतरेय बाह्यक (१९।६-७) ने भी सोने पृथिवी एवं पशु के दान की चर्चा की है। छात्रोपनिषद् (७।२।४-५) में बताया है कि आनभूति ने संवर्ष विद्या के अध्ययन हेतु रैवक को एक सहस्र गाव एवं सीने की सिकड़ी एक रथ बिससे बन्दर जूते के अपनी बग्या (पत्नी के बप में) एवं कुछ गाँव दान में दिये थे। रैवक को प्रदत्त दान काकारण में महावर्ष देघ में रैवकपर्व प्राप्त के नाम से विख्यात हुए।

दान-सम्बन्धी साहित्य बहुत सम्पन्न-सीमा है। महाभारत के सभी पर्वों में दान-सम्बन्धी सामान्य संघट मिलते हैं तथा अनुशासन पर्व में विशेष रूप से दान के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है। पुराणों में विवेच्य अग्नि (अध्याय २ ८ २१५ एवं २१७) मत्स्य (अध्याय ८२ ९१ एवं २७४ २८९) एवं बराह (अध्याय ९९ १११) दान के विषय में कतिपय चर्चा करते हैं। कुछ निबन्धों में दान पर पूरक प्रकरण उपस्थित किया है। इस विषय में हमारा दान दानकण्ड (चतुर्वर्गमिथ्यामणि) श्रीविश्वामित्र की दानविद्याजीमूवी नीलकण्ठ का दानमयूख विद्यापति की दानदानयावलि बस्त्राकमेत का दानसागर एवं मित्र मित्र का दानप्रकाश अधिक प्रसिद्ध हैं। श्रीके हनु इनका लक्ष्य मान्य रहे हैं।

‘दान’ का अर्थ

‘दान’ का अर्थ प्राचीन काल में ही स्पष्ट कर दिया गया था। दान हीम एवं दान में अन्तर है। दान में देवता के लिए वैदिक मन्त्रों के साथ कुछ वस्तुओं का त्याग होता है हीम में अपनी किसी वस्तु की बाहुति किसी देवता के लिए अग्नि में ही जाती है दान में किसी वृद्धों को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है। दान देने की स्वीकृति मानविक या दार्शनिक या धार्मिक रूप से ही मानी है (देसिए बीमिनि ७।२।२८ ७।१।५ एवं ९।७।३२ पर बन्दर, तथा वाक्यवत् १२७ पर मिताश्रय)। मिताश्रय का कहना है कि धार्मिक (दार्शनिक) स्वीकृति एक हाथ में ले देने वा सू देने से ही जाती है। दानविद्याजीमूवी (पृ ७) में उद्धृत निष्कर्षमौलर, बृहत्परारण्य (अध्याय ८ पृ २४२) आदि में दान देने की विधियों का विमल वर्णन पाया जाता है। परमंगारण्य में ‘प्रतिपह’ पद का विविष्ट अर्थ होता है। मनु (७।५)

१ एवं च यज्ञि मद् इत्यैवतामुद्दिश्य मन्त्रेण त्यज्यते। बीमिनि ७।१।५ की व्याख्या में बन्दर। स्वस्वत्वविकृति परस्वत्वापादन च दानम्। परस्वत्त्वोपादनं च परी यदि स्वीकरोति तथा तत्पठते नाप्यथा। स्वीकारण्य विविध। मानसो दार्शनिक दार्शनिक-वर्धित। दार्शनिक-पुनरुपादाननिवर्तनार्थद्विचोलेकविषय। तत्र च नियम-रम्यते। दण्डवत्त्वार्थिन वृष्टे मां वृष्टे वरिष्ठ वरे। नेतरेव तथैवार्थं दानो निरति वाचयेत्॥ इति श्रीश्री श्रीमन्मनुः ब्रह्म-वैश्वानरविदेव दार्शनिकविद्याशास्त्रकण्ड-स्वध्यायपुत्रयोगेन धर्मव्याख्यम्। मिताश्रय (दातवत्त्व ३।२७)।

की टीका में मेधातिथि का बयान है—“ग्रहण मात्र प्रतिग्रह नहीं है। उची की प्रतिग्रह कहते हैं जो विविध स्वीकृति का परिणामक हो अर्थात् जब उसे स्वीकार किया जाय वी बाता की अदृष्ट आध्यात्मिक पुष्प प्राप्त हो और त्रिदे देते समय वैदिक मन्त्र पढ़ा जाय। जब कोई मित्रा होता है तब वह कोई मन्त्रोच्चारण (यथा देवस्य त्वा) नहीं करता तब वह शास्त्रबिहित दान नहीं है और न स्नेह से भिन या भीकर को दिया गया पदार्थ ही प्रतिग्रह है। इसी प्रकार जब विद्यादान सन्ध का प्रयोग होता है तो यहाँ दान सन्ध मात्र आत्मकारिक है नहीं तो गुरु की शिष्य के लिए दक्षिणा देनी पर बावनी किन्तु ऐसी बात है नहीं क्योंकि शास्त्रक म शिष्य ही गुरु की दक्षिणा देता है। इसी प्रकार जब शिषी मूर्ति को दान दिया जाता है वी यहाँ भी दान सन्ध का प्रयोग योग्य अर्थ न ही है क्योंकि शास्त्रक म मूर्ति कोई दान ग्रहण नहीं कर सकती। देवक ने शास्त्रोक्त 'दान' की परिभाषा यी की है— “द्यान् द्वारा उचित ठहराये गये व्यक्ति को शास्त्रानु-
 बर्तित विधि से प्रदत्त वन को दान कहा जाता है। जब शिषी उचित व्यक्ति को केवल अपना कर्मस्य समस्तकर कुछ देना करता है तो उसे धर्मदान कहा जाता है।” दानमपूष (पृ ३) में व्याख्या की है कि देवक की परिभाषा केवल आत्मिक दान से सम्बन्धित है न कि सामान्य दान से। यदि बाता दान देवे किन्तु वह मार्ग न ही को जाय और पान देने के यहाँ न पहुँके तो वह दान नहीं है और न उसके देने से दान का फल ही प्राप्त हो सकता है।

दान के छ अंग

देवक ने दान के छ अंग बर्णित किये हैं बाता प्रतिग्रहीता यथा वामयुक्त देय (उचित वन से प्राप्त वन) उचित वाक एव उचित वेद (स्वान)। इनम प्रथम चार का स्पष्ट उल्लेख मनु (४।२२९-२३७) में भी है। इन छ अंगों का वर्णन हम करेंगे।

इत्यापूर्व—आये कुछ लिखने से पूर्व हम इत्यापूर्व सन्ध का अर्थ समझें। यह सन्ध श्लेषक म भी आया है (१।१४।८)। इसका अर्थ है “यत्र-नमो तथा दान-नमो से उत्पन्न पुष्प। श्लेषक (१।१४।८) म हाक म (गुरु) को हुए एक बाता के विषय म आया है— तुम विनरो घ मिल सको तुम यम से मिल मकी तथा मिल मको स्वयं म बाने इत्यापूर्व से। 'दत्' का अर्थ है जो सन्ध के लिए दिया गया है और 'पूर्व' का अर्थ है जो भर गया है। अर्थात् वेद म भी आया है—“हमारे पूर्वको क इत्यापूर्व (मनुजो मे) हमारी रक्षा करें (२।१२।४)। और देविए वनदेव (१।२१।१)। इसी प्रकार तीक्ष्णीय संहिता (२।७।७।१३) तीक्ष्णीय ब्राह्मण (२।५।५७ ३।१।१४) शतकोटी संहिता (१।५।५४) कठोपनिषद् (१।१।८) एव माण्डूकीयनिरणय (१।२।१) म भी इत्यापूर्व का प्रयोग हुआ है। कठोपनिषद् म आया है कि जो अग्निषि को बिना मोक्ष कराये भर म ठहराता है वह अपन इत्यापूर्व का मन्त्रात् एव मनुजो का माया करता है। माण्डूकीयनिरणय ने उन लोगों को अर्थना भी है जो इत्यापूर्व को सर्वोच्च

१ नैव ग्रहणमात्रं बरिषहः। विविध एव स्वीकारे प्रतिपूर्वो गुणानिर्बतति। अदृष्टवृत्त्या वीयमानं मन्त्रपूर्वं वृक्षतः प्रतिग्रहो भवति। न च वीये देवस्य त्वादिनाञ्जोषचारणमस्ति। न च प्रीत्यादिना दानग्रहणे। नच तत्र प्रतिग्रहस्य्यहाः। मेधातिथि (मनु ५।४)।

४ अर्थात्मूर्तिते पात्रे यथाशक्त्यतिपादनम्। दानभिरप्यभिनिर्दिष्टं ध्यायानं तस्य भवत्ये। देवक (अचरार्क पृ २८७ में, दानकियायीनुरी पृ २, हैमाद्रि दानअष्ट प १३ दानवाप्याचरित आदि द्वारा उद्धृत)। पार्श्वेयी वीयते निरप्यतवेद्य प्रयोअनम्। केवलं धर्मवृत्त्या यद्वर्धदानं तदुच्यते। देवक (हैमाद्रि द्वारा दान पृ १४ में उद्धृत)।

हता वेते हैं और उसके ऊपर किसी अन्य को मानते ही नहीं। इस उपनिषद् ने तर्क उपस्थित किया है कि इष्टापूर्व स्थिति को अन्तिम मानना नहीं वे स्रष्टा उससे तो व्यक्ति को बेबक स्मरणित्व मिलता है जिसे भीषकर व्यक्ति पुनः स्रष्टार में या इससे भी नीचे के लोक में उतर आता है।

अपराध के 'इष्ट' एवं 'पूर्व' के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए महाभारत का हवाला दिया है—“यो कुछ एक निः (कुछ अग्नि) में बाधा जाता है तथा जो कुछ वीली यीत अग्निमें में बाधा जाता एवं वेदी (यज्ञ मन्त्री) में ल किया जाता है उसे 'इष्ट' कहते हैं किन्तु सहोदर कूपी आमतौर कूपी उद्योगी (ताम्रबी) विद्यताम्रणी (मन्त्रिणे)। समर्पण अन्नप्रदान एवं आराम (वन-वाटिका) वा प्रबन्ध 'पूर्व' कहलाता है।” अपराध के तारक की वृत्त कर लिखा है— वातिष्य तथा वैश्वदेव-कर्म इष्ट है किन्तु ताम्रबी कूपी मन्त्रिणे मारामो का मोक्षद्वितीयं सर्वज पूर्व है इसी प्रकार चन्द्र एवं सूर्य के ग्रहणों के समय का वान भी पूर्व है। रोगियों की सेवा भी पूर्व है (हिमात्रि ल पु २)। मनु ने भी इष्ट एवं पूर्व करने की बात कही है। उनके अनुसार इष्ट एवं पूर्व सर्वैक करते जाना चाहिए, रीति यज्ञा एवं उचित ऋण से प्राप्त वन से जिये गये इष्ट एवं पूर्व अलग होते हैं (मनु ४।२२९)।

समी धीम यहू तक कि गरिबी एवं सूख भी वान से स्रष्टे हैं। वागधर्म की बड़ी महत्ता कही गयी है। अपराध एक पक्ष उद्घुष्ट किया है—“यो प्रकार के व्यक्तियों के गले में सिक्का बाँधकर डुबी देना चाहिए अक्षामी वनवान् एवं तपस्वी बरिद्र।” समी द्विजातिपौ के लिए इष्ट एवं पूर्व करना वर्म माना जाता वा सूत्र लोग पूर्व धर्म कर स्रष्टे वे त्नु वैदिक धर्म नहीं। बेबक ने अनुसार बाधा को पापरोग से हीन वागिनः किरतु (यज्ञाकु) दुर्बुनहीन क्षुत्रि पवित्र) निम्नित व्यषधाय से रहित होना चाहिए। बहुत-सी स्मृतियों में ऐसा लिखा है कि बहुत कम धर्म स्थापित न वान न वेते डुबे जाते हैं। व्यास ने लिखा है—“सो म एक सूत्र, स्रष्टो म एक विद्यान् सत सहस्रो में एक वस्ता म्कता है बाधा तो घायब हीं मिर स्रष्टा है और नहीं भी।

वान के पात्र—इस धाम के अध्याय ३ म मीष्य एवं अधोष्य पात्रों के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। १-यन् धार्य यहाँ भी कहे जाते हैं। वस्त (१।१७-१८) ने लिखा है— गाठा-पिता युव मित्र बरिद्रवान् स्थिति पकारी बरिद्र (बीन) असहाम (अनाथ) विसिष्ट युव बाल् स्थिति को वान देन से पुष्य प्राप्त होता है किन्तु पूर्वो स्थियो (अन्धता अन्धबालो) मस्त्रो (कुक्षी लब्धेबासो) कुर्वो क्षुभारियो बन्धको चाटी चारको एवं चोटी को रया गया वान निष्कल होता है। मनु (४।१९३-२ -विष्णुधर्मसूत्र ९।१७-१३) ने कपटी एवं वेद न वाननेवासे

५ महाभारतम्। एकानिकर्म हवन त्रेताया पञ्च हव्ये। अस्तर्वेद्या च महात्मनिष्टमित्यनिधीयते॥ वती-स्तबापानि देवतामस्तानि च। अन्नप्रदानमारान् पूर्तमित्यनिधीयते॥ अपराधं पु २९ ; वृषर पञ्च अत्रि (४६) म है। अत्रि ने इष्ट की यो कहा है—“अग्निहोत्र तपः तस्य देवानां चैव पाकमन्। आतिष्यं वैश्वदेवस्य प्यमित्यनिधीयते॥ अत्रि (४३)।

६ इत्येवान्मु प्रवेष्ट्यमी गये बद्ध्वा महाभिक्षान्। पनवन्तमवातार बरिद्रं चरतपत्तिवन्म्॥ अपराधं (पु १९९)। लवत्वावर्ति यद् उद्योपनव (३।१६) का पक्ष है।

७ इष्टापूर्वी द्विजश्रीलाघर्ष-तामात्य इष्यते। अपिचारी सर्वेष्वङ्गी पूर्तं धर्मं न वैदिके॥ अत्रि ४६, लिखित ६; से अपराधं (पु २४) ने अङ्गुल्यं का वाना है। अपापोनी परमेना विलुप्तस्य क्षुत्रि। अग्निष्वात्मीवर्मा च पद् वरिद्रा प्रयास्यते॥ वैबक (अपराधं पु २८८ एवं हिमात्रि वान पु १४)। पापरोग तत्र प्रकार के होते हैं—अन्धता अत्रि। एतेषु जायते शूद्र स्त्रुज्य च बरिद्रव। वस्ता एतस्त्रुजेषु बाधा पश्ति वा न वा॥ व्यास ४।६।

शास्त्र को दान का पात्र नहीं माना है। बृहस्पत (२।२४ २८) ने भी कुपात्रो के नाम गिनाये हैं यथा कोट्टी न मच्छ
 हिनैवाले रोत्र से पीकित द्यूती का यज्ञ कटानेवासे देवकक भेद वेचनेवासे (पहले स शुष्क निदिचन करके वेद पढाने
 नामे) शास्त्रो को न तो भाख मे बुझाना चाहिए और न जन्ह दान देना चाहिए। बृहस्पत न पुन लिखा है कि निहृष्ट
 कर्म करलेवासे सोभी देव सम्पत्ता आदि कर्मों से हीन शास्त्राणोचित कर्मों से भ्रष्ट दुष्ट एव भ्यसनी शास्त्रो को दान
 स्वी देना चाहिए। इसी प्रकार कुपात्रो एव गुपात्रो की जानकारी के लिए देखिए वनपर्व (२। १५९) बृहस्पतउत्तर
 (८। ५ २४१-२४२) गीतम (३। ५ ८-५ ९) आदि। वैशम्पेय के उपरान्त सबको मोहन देना चाहिए। विष्णु-
 वर्णोत्तर ने लिखा है कि मोहन एव वरुण के दान मे मनुष्य की आश्चर्यजनता देखनी चाहिए न कि उनकी जाति। विनी
 अपने प्राणी को देखते ही विचक मुक्त पर मुक्त की अहुरे उत्पन्न हो जाती और जो प्रेमपूर्वक एव सम्मान के साथ देता है
 वह वास्तविक यज्ञ की अभिव्यक्ति करता है। आवर से बनेवासे एव आदर से छनवासे स्वर्ग प्राप्त कृत है और
 इस नियम के अपवादी नरक में जाते हैं (मनु ४।२३५)।

द्वै—दान के पदार्थों एव उपकरणों के बियम न बहुत-से नियम बने हैं। अनुशासनपर्व (५। १७) के मत से
 पवार के सर्वधेष्ठ प्यारे पदार्थ तथा जिसे व्यक्ति बहुत मूल्यवान् समझता है उद्यता गुणवान् व्यक्ति को दिया जाना
 ब्रह्म पूष एव पुष्य देनेवासा दान कहा जाता है। देवस के मत से वह वस्तु ऐय है जिस बाटा मे बिना जिनी को सताये
 किता एव कुछ दिय स्वय प्राप्त किया हो वह चाहे छोटी हा या मूल्यवान् हो। देय की बढाई या छोटाई अथवा
 मृत्गा या अभिनवा पर पुष्य नहीं निर्भर रहता वह तो मनोमात्र वाता की समर्पता तथा उससे प्रमार्जन के ङग पर
 निर्भर रहता है। यज्ञ से जो कुछ भुपात्र को दिया जाय वह सफल दय है किन्तु अथवा स या भुपात्र को दिया गया भन
 निष्फल होता है। अपनी समर्पता के अनुसार देना चाहिए।

देव पदार्थों मे कुछ उत्तम कुछ मध्यम एव कुछ निहृष्ट माने जाते हैं। उत्तम पदार्थ है—मोहन यही मनु
 तथा वाय भूमि सीमा अन्न एव हाथी। मध्यम हैं—विद्या आभयमूह बरेन् उपकरण (यथा पत्तम आदि) औषधें
 तथा निहृष्ट हैं—मृते हिडोके गाडियाँ छत्र (छाता) बरतन मासन बीपक लकड़ी फल या मय्य जीर्ण
 पीर्ण कपूर (देखिए देवक अपराकं पृ २८९० मे उद्धृत एव हमानि दान पृ १६)। याज्ञवल्क्य (१।२१ ११)
 की तात्पिका भी अवलोकनीय है। अवर की तात्पिका एव याज्ञवल्क्य की तात्पिका में कोई मौखिक भेद नहीं है अत
 इस उदे यहाँ उद्धृत नहीं कर रहे हैं। तीन प्रकार के देय सर्वोत्तम कहे गये हैं यथा गाय भूमि एव सरस्वती (विद्या)
 और इन्हे अतिराल कहा जाता है (बसिष्ठधर्मसूत्र २।१।१९ एव बृहस्वति १८)। बसिष्ठधर्मसूत्र (२।१।१९) मनु
 (४।२।३३) अत्रि (३४) एव वाङ्मन्व्य (१।२।१२) का कहना है कि विद्या सर्वधेष्ठ देय है अर्थात् यह जस मोहन
 दान, भूमि वरुण तिक छोटे एव बृत् से धेष्ठ है। किन्तु अनुशासनपर्व (६।२।२) एव विष्णुवर्णोत्तर (अपराकं
 पृ १६९ मे उद्धृत) की वृत्ति मे भूमि वा दान सर्वधेष्ठ है। विष्णुधर्मसूत्र मे अमयदान को सर्वधेष्ठ माना है। कुछ
 पदार्थों का दान महादान कहा जाता है जिनका वर्णन हम आये करते।

दान-प्रकार—दान के प्रकार हैं नित्य (आवृत्तिक, देवस क मन स) भैमितिक एव वाप्य। औ प्रति दिन दिया

८. अन्वयापिप्लो हत्वा लक्ष्मीं पृथिवीमपि। अद्वावर्गमपात्राय न वाचिद् भूतिभाष्युयाम्॥ प्रदाय शाक-
 बुटि वा अद्वावर्गमपात्राय॥ महते पात्रभूताय सर्वाम्बुदयमाप्नुयाम्॥ देवस (अपराकं ३९०) लक्ष्-
 मीलाय धर्मं दानप्रतिर्दानाय च। दत्तायपदक या शाक्याय सब शुभ्यकस्तः स्मृतः॥ आश्वमेधिरथव (९। १६६ ९७);
 एतां वा वप्युपाद् ददा दत्ताय गोराती। दत्त सहस्रपुत्रदास्तर्षं शुभ्यकला द्वि से॥ अग्निपुराण (२।१।११)।

जाय (यथा वैश्वदेव आदि के उपरान्त भोजन) उसे मित्य, जो किन्हीं विधिपुत्र ब्रह्मरु (यथा प्रह्व) पर दिया जाय उसे नमितिक तथा जो सन्तानोत्पत्ति विषय समृद्धि स्वयं या पत्नी के लिए दिया जाय उसे काम्य कहते हैं। वाटिका मूष आदि का समर्पण श्रुतब्रह्म कहा जाता है (वेदम)। कर्मपुराण ने इन तीनों प्रकारों में एक और जोड़ दिया है यथा विमल (पवित्र) जो ब्रह्मज्ञानी को भद्रावहित भगवत्प्राप्ति के लिए दिया जाता है। भगवद्गीता (१७।२-२२) में दान की सांख्यिक, राजस एव तामस मासक योगियों में बाँटा है और कहा है— जब वेद दान एव पात्र के अनुसार अपना कर्मव्य समसकर दान दिया जाता है और भेनेवाला अस्वीकार नहीं करता तो ऐसे दान को सांख्यिक दान कहा जाता है जब किसी दृष्टता की पूर्ति के लिए या अनुत्साह से दिया जाय उसे राजस दान तथा जो दान अनुचित भाव स्वान एव पात्र की बिना भद्रा तथा पूजा के साथ दिया जाय उसे तामस दान कहते हैं। गौरी-वाक्यवच्य का कहना है कि पुत्र दान बिना अहकार का दान तथा बिना अर्थ लोभा की निष्ठाएँ अप करना अनन्त फल देनेवाला होता है। वेदम ने भी ऐसा ही कहा है।

बिना पाँया दान—मनु (५।२७७-२५) मातृवलय (१।२१४-२१५) आपस्तम्बपरमंशुष (१।९।११। ११-१४) विष्णुधर्मशुष (५७।११) ने मत से कुछ कृष्णी तरकारियाँ दूध घट्टा द्रासन घुना हुआ बी बरु मूष्य दानु पत्रर, समिधा फल कन्दमूल मधुर भोजन यदि बिना माँवें मिश्र तो अस्वीकार नहीं करना चाहिए (विष्णु मनुष्य वेदपात्रा एक पतिवो द्वाप दिये जाने पर अस्वीकार कर देना चाहिए)।

अद्वय वराह—कुछ वस्तुएँ दान में ही जानी चाहिए। अद्वय वराहों में कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अपना स्वत्व नहीं होता तथा कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऋणियों ने दान के लिए बन्धित ठहराया है। जैमिनि (१।७।१-७) ने इस विषय में कुछ सिद्धान्त दिये हैं—(१) अपनी ही वस्तु का दान ही बचना है, (२) विषयविन् यत्र म अपने सम्बन्धियों, यथा माता-पिता पुत्रा एव अप्य लोभों का दान नहीं हो सक्ता (३) राजा अपने सम्पूर्ण राज्य का दान नहीं कर सक्ता (४) उस धन में अपनी का दान नहीं हो सक्ता क्योंकि यह उस धन में अनुचितकृत है (५) दूध की वेचल नीकरी ने लिए यात्रिक की सेवा सक्ता है दान में नहीं दिया जा सक्ता तथा (६) विषयविन् यत्र म नहीं वराहें बसिमास्वरप दिया जा सक्ता है जिस पर व्यक्तित्व का पूर्ण अधिकार एक स्वामित्व ही। नारद (ब्रह्मप्रबन्धिक ४-५) ने ऋत प्रकार का दान बन्धित माने है—(१) ऋत पुत्राने ने लिए ऋणी द्वारा ऋणदाता को दान के लिए ठीकरे व्यक्ति की दिया यथा वन (२) प्रयोग में लाने के लिए उधार की पत्नी सामग्री (यथा उत्तरक ने ब्रह्मरु पर उधार किया गया आनुषक) (३) म्यास (द्रुष्ट) (४) समुद्र या कई लोभों के साथ वाली सम्पत्ति (५) निधेय अर्पण विधि का जमा दिया हुआ धन (६) दुष एव पत्नी (७) सन्तानों का रहने पर अपनी पूरी सम्पत्ति एवं (८) दूसरे को पहुँचे से ही दिया हुआ वराह। दण्ड (१।१९-२) में उर्ध्वलि मूषी म बं बानें और जोर ही है (मित्र का धन एक मय से दान) तथा एक दान विनाक ही है (बह वराहों को दूगरे को पहुँचे से ही दे दिया गया ही)। पातृवलय (१।२७५) में भी बर्ही व्यक्ति है। आराध (पु ७७९) में बृहस्पति एक बाणायन का इसी प्रकार के बचन उद्धृत किये हैं।

अद्वेगान्तकारी न दान-विद्या न अन्त प्रतिबन्ध भी मया गता है। दान देना चाहिए और अन्त देना चाहिए, विष्णु मृतानुमत्या (दवाग्ना) अपने घर में विषय में भी हीनी चाहिए (म्यास ४।१९-१८-२४-२६, १०-११ अग्निपुराण २-९।१२-१३)। आपस्तम्बपरमंशुष (२।७।१।१०-१२) गौरीवलयपरमंशुष (२।३।१९) में लिखा है कि दान प्राप्ति (जिनका अर्थ-प्राप्त करना अपना विधिपुत्र उत्तरप्राप्ति है) नीकरी एव दानी की चिन्ता (वराह) न करने अनिबिधा एक अर्थ का औरत बाँट देना अनुचित है। मातृवलय (२।१०५) में लिखा है कि अपने दुष्टम की वराह करने हुए दान देना चाहिए। बृहस्पति एक मनु (१।१९-१) में भी दान की प्रार्थना की है जो अपने दुष्टम के अन्त-प्राप्त की वराह न करने दिया जाता है दण्ड उर्ध्वने धर्म का मन्त्र अनुकरणा जाता है। अपने कीच मूषी

दरें और अग्य लोग बरी से दान लेकर मीठ उड़ावें यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। यही बात अनुशासनपर्व (३७।२३) में भी पायी जाती है। हेमाद्रि ने शिवधर्म को उद्धृत कर लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपना धन कौ पाप भाग से कटके तीन भाग अपने तथा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण में ख्यामे और शेष दो भाग धर्म-कार्य में क्योंकि वह जीवन लाभकर है।

अस्वीकार के शोष दान—कुछ पदार्थों को दान रूप में स्वीकार करना बर्जित माना गया है। मृति न वा स्नातकियो वाक पशुओ की दान रूप में ग्रहण करना बर्जित माना है (वैमिनि ६।७।४ पर शबर की व्याख्या)। बनिष्ठ-धर्मसूत्र (१३।५५) में ब्राह्मणों के लिए अस्त्र-धस्त्र विषेस पदार्थ एव च मत्तकारी तरक पदाथ ग्रहण बर्जित ठहराया है। मनु (५।१८८) का कहना है कि अविद्यांग घाह्यन को सोने भूमि अथवा पाय भाजन वस्त्र तिष्ठ एव पूत वा एन गृही लेना चाहिए, यदि वह लेगा तो रुकड़ी की भाँति मरम हो जायगा (अर्थात् नष्ट हो जायगा)। हेमाद्रि (दान पुच्छ ५७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह भेड़ो अथवा बटूमस्य पत्तय, हाथी तिष्ठ एव लोहे का पात न के यदि ब्राह्मण मुगधर्म या तिष्ठ स्वीकार करता है तो वह पुन पुन्य रूप में नहीं समेगा और वह जो मरे हुए की शय्या आभूषण एव परिवान ग्रहण करता है वह नरक में जायगा।

दान के फल—दान करने के उचित ढाँचों के विषय में बहुत-से नियम बत हुए हैं। प्रति दिन क दान-कर्म में बहिरिक्त अथ विधिष्ट अथसरो क दान की व्यवस्था करते हुए धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि प्रति दिन क दान कर्म के विधिष्ट अथसरो के दान-कर्म अधिक सफल एव पुण्यप्रद माने जाते हैं (याज्ञवल्क्य १।२३)। लघु-दानाद्य (१२५ १५१) में लिखा है कि अयनी (सूर्य के उत्तरायण एव दक्षिणायन) के प्रथम दिन में पशुवीति वा प्रारम्भ में मूर्धन्य ग्रहों के समय दान अथवा देना चाहिए, क्योंकि इन अथसरो के दान अथवा फली क दाता मान जाते हैं।^१ स्वर्ण (२ १२५) में भी यही कहा है। अथावस्था के दिन तिथिद्यय म विषुव के दिन (जब रात दिन बराबर हो) एव अतिपात के दिन का दान कम से ती गुना सहस्र गुना काक गुना एव अथाव फल देनासा है। स्वर्ण (२ ८ २ ९) का कहना है कि अथ विषुव अतिपात दिनद्यय श्रावरी सनाति को दिया हुआ दान अथवा फल देनेवाला होगा है इसी प्रकार उपर्युक्त बिली या द्विषियों के अतिरिक्त रविचार वा दिन स्नात जप हीम ब्राह्मण-मोक्ष उत्तम एव दान क लिए उपयुक्त ठहराया गया है। दाताद्य (१४६) विषय (याज्ञवल्क्य १।२१४ २१७)

१. तस्मान् विचार्यं वित्तस्य बीजनाय प्रकल्पयेत् । भावद्वयं तु धर्माधिपतित्य र्बं वित्त यत् ॥ हेमाद्रि (दान पु ४४) एवं दानसूत्र (पु ५) द्वारा उद्धृत।

१ अथे विषुवे चैव पशुवीतिसुषेव च । अथसुर्योपरागे क दानमलयमुच्यते ॥ धनपर्व २ १२५; अथमारी मरा दानम् इत्यनियं नृहे वतम् । पशुवीतिसुषे चैव विमुक्तो अथसुर्योः ॥ लघुशास्त्राय (अपराध पु २९१ में अथसुर्य मन् से उद्धृत) । विषुव कल्पा मनु एव मीन राशियों में जब ध्रुव का प्रवेश होगा है तो उसे पशुवीति कहते हैं बृहस्पतिपर पु २४५ एवं अपराध पु २९२, जहाँ बनिष्ठ, अग्निपुराण (२ ९।११) उद्धृत हैं।

११ दानविषुवधये धर्मं सत्तुलं तु वित्तस्यै । विषुवे अतसाहसं ध्यनीपाते त्वनन्तकम् ॥ लघुशास्त्राय (१५) अपराध द्वारा व्यास के उद्धरण के रूप में उद्धृत। जब तीन तिथियाँ एव ही दिन पड़ जाती हैं तो इसे वितलय कहा जाता है क्योंकि बीच वाली तिथि पक्षांग में बढ़ा दी जाती है (वेदिय अपराध पु २९२) अतिपात २७ योनों में अथवा प्रारम्भ विषयक से होता है एक योग में, इसकी परिभाषा यी दी गयी है—अथवातिवर्षादिनां गणनायक-कल्पः । पक्षा रविचारेण ध्यनीपातः स उच्यते ॥ (बृह मनु अपराध पु ४२९) अर्थात् जब चण्ड अथवा, अतिवर्षा-

प्रजापति (२५ एव २८) अग्नि (३२७) ने बाल-काल के विषय में नियम दिये हैं। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८९) में बर्ष की पूर्वमासी के दिन विभिन्न प्रकार के पशुधर्मों के दान करने से उत्पन्न फलों की अर्चा की है। अनुशासनपर्व (अध्याय ६४) में कुटिका से जागे क २७ गधमों के बानों का उल्लेख किया है।

एक सामान्य नियम यह है कि रात्रि में दान नहीं दिया जाना चाहिए। किन्तु कुछ अपवाद भी हैं। अग्नि (३२७) में लिखा है कि गृहको बिनाही उक्तान्तिभो एव पुत्ररत्न-लाभ के अक्षर पर रात्रि में दान दिये-लिये जा सकते हैं। और देखिए पराशरमासमीय १।१ पृ १९४ में उद्धृत वेदस।

उपसृप्त अक्षरों एव नियमों का विस्तरण ब्रह्मात्मिकों में भी हो जाता है। जो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। सूर्य-ग्रहण के अक्षर पर भूमि एव प्राणों के दान की अर्चा लाभपत्रो एव ब्रह्मात्मिकों में हुई है। यथा राष्ट्रकूटमन्त्राण नातिरक्षेत्पत्र (एपिब्रह्मिण्य इषिका जित्स्व ११ पृ २७९, इषिकएण ऐष्टिकेरी जित्स्व ९, पृ ७३ अन् ११३ ई) ब्राह्मण्य कौटिल्यमां त्रितीय के समय का लक्ष (एपिब्रह्मिण्य इषिका जित्स्व ३ पृ १ अन् ११ ई)। पत्र गृहण क अक्षर पर प्रवृत्त बानों का उल्लेख वे जी जी मार एस् (जित्स्व २ पृ ११५) एपिब्रह्मिण्य इषिका (जित्स्व १ पृ ३४१, जित्स्व १९, पृ ४१ जित्स्व २ पृ १२५) में हुआ है। अर्चो (उत्पद्यमान एव बलिनामन) के अक्षर वाले दानपत्रों के लिए देखिए इषिकएण ऐष्टिकेरी जित्स्व १२, पृ १९३ अक्षर-यत्र (अमीषवर्षे ष)। उक्तान्तिभो के अक्षर के दानपत्रों की अर्चा के लिए देखिए एपिब्रह्मिण्य इषिका जित्स्व ८ पृ १८२, जित्स्व १२, पृ १४२, जित्स्व ८ पृ १५९। इस प्रकार अन्य तिथियों पर दिये गये दानपत्रों की अर्चा के लिए देखिए एपिब्रह्मिण्य इषिका जित्स्व ७ पृ ९३ जित्स्व १४ पृ ३२४ जित्स्व १४ पृ १९८ जित्स्व ७ पृ ९८ जित्स्व १ पृ ७५।

दान के स्वस्त्व-स्मृतियों पुराणों एव निबन्धों में वेद (स्वान वा स्वस्त्व) के विषय में प्रकृत अर्चार्थें हुई हैं। दानमपूष (पृ ८) में आया है कि घर में दिया गया दान इस मुना गीसाळा में ही पुना ठीकों में यहलमुना तथा सिव की आश्रित (स्मि) के समस्त का दान अनन्त फल देनेवाला होता है। स्वस्त्वपुराण (हेमाद्रि दान पृ ८१ में उद्धृत) में मठ से बाटागडी कुस्त्रेण प्रथम पुष्कर (अक्षमेर) यथा एव समुद्र के तट, गीमिवारण्य अमरकण्ठ मी-पर्वत महाकाक (उग्गयिणी म) गोर्धन वेद पर्वत तथा इन्हीं के समान अन्य स्वस्त्व पवित्र हैं। यहाँ देवता एव सिद्ध रहते हैं। सभी पर्वत सभी पर्विया एव समुद्र पवित्र हैं। गीसाळा सिद्ध एव ऋषि ऋषी के वास-स्वस्त्व पवित्र हैं इन स्वानों में भी कुछ दान दिया जाता है वह अनन्त फल देनेवाला होता है।

दान की बलिना—निष्ठी भी यन्मु या दान करते समय दान देनेवाले के हृत्त पर बल गिराया चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।९) में अनुसार सभी प्रकार के दानों में बल-प्रयोग होता है (वेदक वैदिक बली को छांङ्कर जिनम वैदिक उक्तिकों व अनुसार इत्य फिय जाते हैं)। सभी प्रकार के दानों में बलिना देना भी अनिवार्य है। यन्मु अनिपुराण (२।१।१।१) में सोने-चाँदी ताँब्र चावल अन्न के दान में तथा आश्विन याज्ञ एव आश्विन

बनिष्ठ, आर्द्रा आनेवा में बड़ जाता है। एव अनायास रविवार को पड़ती है तो इसे ध्यवीपात कहते हैं। बाध में भी हर्षवर्तित (४) में लिखा है कि हर्ष का अन्व ध्यवीपात ऐसी अनुभ घटियों से रहित समय में हुआ था।

१२ बाराहमी बुधश्रेष्ठ प्रयागः पुष्कराणि च। यज्ञा समुद्रीरं च गीमिवारण्य अमरकण्ठम्॥ धीपर्वतपद्मार्ण गोर्धनं वेदपर्वतम्। इत्याद्या कौशिता हेमः सुरतिसिद्धिबेधिताः॥ सर्वं प्रितोष्ययाः पुष्याः सर्वा मघा सततमः। गोविन्दपुनिश्चालय वेमः पुष्या प्रशोशिताः॥ एवुं ठीर्वेवुं यदत्त फलदायानमयदृद् भवेत्। स्वस्त्वपुराण (हेमाद्रि दान व ८३ में उद्धृत)।

देवद्वारा के समय दक्षिणा देना अनिवार्य नहीं माना है। दक्षिणा सोने के रूप में ही की जाती थी किन्तु सोने के बान में चांदी की दक्षिणा भी वा सकती थी। बहुमुख्य वस्तु के बान में यथा तुल्यमुख्य बान में दक्षिणा एक ही मा पचाम या पचौम या दस मिन्नों की या बान की हुई वस्तु का एक-दसवाँ भाग या सामर्थ्य के अनुसार ही सकती है।

बान के वैधता—बहुत-से पदार्थों के देवता होते हैं। हेमाद्रि (दान पृ १६ १७) एक बानमयूक (पृ ११ १२) में विष्णुसमोत्तर को उद्भूत कर दान-पदार्थ के देवताओं के नाम दिये हैं यथा सोने के देवता है अग्नि दाम के प्रजापति, चांदी के दक्ष आदि। जब किसी पदार्थ के कोई विशिष्ट देवता नहीं होते तो विष्णु को ही देवता मान लिया जाता है। इस प्रकार का विचार ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं भीतसूत्रों से लिया गया है जहाँ दक्ष सोम प्रजापति आदि के देवता, परिवर्तनी मानवी आदि के देवता नहुँ गये हैं (वेदिएँ तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।५ आपन्मन्त्रधर्मसूत्र १।१।१।)।

बान देने की विधि—बाता एक प्रतिग्रहीता को स्नान करके दो पवित्र बरत बरत धारण कर लेने चाहिए, पत्ता को पवित्री पहनकर आचमन करना चाहिए, पुष्पामिमुक छोकर उपवील कम से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, स्वयं पवित्र आसन (कुष्मासुत) पर बैठकर प्रतिग्रहीता (दान लेने वाले) को उत्तरामिमुक बैठकर दान के पदार्थ का नाम धमके देवता का नाम तथा दान देने का उद्देश्य उच्चारण करना चाहिए और कहना चाहिए—“मे इस पदार्थ का दान आपका कर रहा हूँ” तब प्रतिग्रहीता के हाथ पर बल गिराना चाहिए। जब प्रतिग्रहीता नहे “बीबिएँ” तब दाता को देव पदार्थ पर बल छिड़चना चाहिए और उसे प्रतिग्रहीता के हाथ पर रख देना चाहिए, तब प्रतिग्रहीता “ओम् नमस्ते” का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त प्रतिग्रहीता को दक्षिणा दी जाती है। अग्निपुराण (२ १) ५१ ६१) । निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दान की चर्चा की है—मुत्र पीन नृहृत्स्वर्गं पत्नी वर्मां नीति विद्या शौच्यं गारोयं वर्षपापोपशान्ति स्वर्वां मुक्तिमुक्ति ।' समय एवं देव पदार्थों के अनुभाग विधि में परिवर्तन विद्या या शक्त्या है, यथा भूमि का दान हाथ से नहीं लिया जा सकता बँटी स्थिति में दान की हुई भूमि की प्रदक्षिणा का समय श्रेष्ठ मात्र पर्यन्त है।

राजा द्वारा दान—याज्ञवल्क्य (१।११३) के मत से राजा को चाहिए कि वह प्रति दिन देवद (पोयिय) ब्राह्मणों को दूधकर यादें सोना भूमि कर, विवाह करने के उपकरण आदि दे। यह बहुत प्राचीन परम्परा नहीं है। कनार्व (१८५।१५) में आया है कि जो ब्राह्म विवाह के लिए नग्या दान एवं भूमि दान करता है वह इन्द्रकोट के आनन्द का उपासी करता है। महाभारत के बामाद उपबारात (प्रथम घनाश्री ई ७५) में मितासय से पता चलता है कि वह प्रति वर्ष तीन लाख पाये एक १५ घाम ब्राह्मणों एवं देवताओं को दान देता था प्रति वर्ष वह एक लाख ब्राह्मणों को मोत्रन देता था उसने प्रभाम (घोरपट्ट) में अपने ध्यय से जाठ ब्राह्मणों के विवाह करायें उनमें बापांना मदी के विचार दीर्घियाँ बनबायी मरुत्त (मानुनिक मरौण) इन्द्रपुर (मालवा) गोवर्धन (मामिष) एवं सूर्यारक (भोडारा) के अनुपासाएँ नृहृ एवं प्रतिभय (उहले के स्वान) बनबाये नृए एवं ताताक बनबाये इना पारता समता टारपी बनबाया ब्राह्मणों (मे सभी जाना एक मूरत के बीच में है) नामक हरियो वर निजास्व भावें बनबायी उक्त विवरण के लिए काथय स्वक एवं समामृह बनबाये सूर्यारक म रामनीर्य एवं अन्य तीन स्वानों का करण ताया के ब्राह्मणों की भया में बनबायी (मानुनिक मरौण) में ३२ कारियत दिये। उपबारात म यह भी लिखा है कि उनमें एक ब्राह्मण म

१३ पुनर्वीप्रनृहृत्स्वर्गं पत्नी वर्मां नीति विद्या शौच्यं गारोयं वर्षपापोपशान्ति स्वर्वां मुक्तिमुक्ति ।' फलतुष्य संयवे प्रीयता मे हृतिः शिवः ॥ अग्निपुराण (१ १।५९ ६१) । सर्वपापीवामन्त्रधर्म

५ कार्यालय रेकर भूमि खरीदी और उसे अपने (अर्थात् उपन्यास) द्वारा निर्मित पुष्प में चारों ओर से बाने-बाके मिसुबो को दे दिया।

विवाह के लिए शास्त्र को तथा उसे पूर्णरूपेण व्यवस्थित करने के लिए जो दान दिया जाता है उसकी भी प्रशंसा महत्ता गायी गयी है। इस में लिखा है— 'मातृपितृविहीन शास्त्रय के संस्कार एवं विवाह आदि करने से जो पुष्प होता है उसे कृता मही या छकटा एक शास्त्रय की व्यवस्थित करने से जो फल प्राप्त होता है वह अग्निहोत्र एवं अग्निष्टोम यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता' (ब्रह्म ३।३२-३३)। तथैतिक दान के विषय में अपराक (पृ. ३७७) ने बालिका-पुराण से सम्बन्धी उद्धृत की है जिसका संक्षेप यी है— 'दाता को भोगिय ११ शास्त्रय भुनकर उनके लिए ११ मकान बनवा देने चाहिए अपने स्वयं से उनका विवाह सम्पादित करा देना चाहिए, उनके बेटों को ब्रह्म-संस्कार, पशु, मौकुरानियो दाय्या आसन मिट्टी के माखी ताम्र आदि के बरतनो एवं बरतनो से सुसज्जित कर देना चाहिए ऐसा करके उसे चाहिए कि वह प्रत्येक शास्त्रय के भरण-पोषण के लिए १ निवर्तनो की भूमि या एक गाँव या ब्राह्मण गाँव दे और उन शास्त्रयो को अग्निहोत्री बनने की प्रेरणा करे। ऐसा करने से दाता सभी प्रकार के यज्ञ ब्रत दान एवं तीर्थयात्राएँ करने का पुण्य पा लेता है और स्वर्गानन्द प्राप्त करता है। यदि कोई दाता इतना न कर सके तो कम-से-कम एक भोगिय के लिए बैसा कर देने पर उतना ही पुष्प प्राप्त करता है। धिक्कालेखी के अनुसूचीकन से पता चलता है कि बहुत से राजाओं ने शास्त्रयो के विवाहो में बल-स्वयं किया है। आशिल्लसेन के अफ्फार दिक्कालेख (बैलिये नुत इतिवत्स्य घ ५२, पृ. २ ३) में अपराहरो के बागो से १ शास्त्रय कयामो के विवाह करने का वर्णन आता है। धिक्कालेख रायकुमार गम्हरारित्य के दिक्कालेख से पता चलता है कि राजा ने १६ शास्त्रयो के विवाह करने और उनके भरणपोषण के लिए तीन निवर्तनो का प्रबन्ध किया (बैलिये जे बी जी बार ए एस बिल्ड १३, पृ. १)। शास्त्रयो का जीवन छाया सरस और उनके विचार उच्च वे वे देस के पवित्र शास्त्रिक को बलीनत के रूप में प्राप्त कर उसकी रक्षा कले वे और उसे बुरसो तक पहुँचावे वे वे लोगो को नि शूलक पढावे वे। उन दिनों राज्य में आधुनिक काल की भाँति शिक्षण-संस्थाएँ नहीं थी अतः राजाओं का यह कर्तव्य था कि वे शास्त्रयो को ऐसी सहायता करते कि वे अपने कार्यों की सम्पन्न रूप से सम्पादित कर पाते। याज्ञवल्क्य (२।१८५) ने राजाओं के लिए यह लिखा है कि उन्हें विद्वान् एवं वेदज्ञ शास्त्रयो की मुक्त-सुविधा का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि वे स्वधर्म सम्पादित कर सकें। अपराक (पृ. ७९२) ने बृहस्पति की उक्तियाँ उद्धृत करके लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह अग्निहोत्री एवं विद्वान् शास्त्रयो के भरण-पोषण के लिए नि शूलक भूमि या दान करे और शास्त्रयो को चाहिए कि वे अपना कर्तव्य करें और बालिक धर्म्य नरतें हुए लोग मनक की सावता से पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। शास्त्रयो को यह भी चाहिए कि वे बनता के सन्नेह दूक करें और रामो यज्ञा एव नियमो के लिए ियम विद्यान तथा परम्पराएँ स्थिर करें। कौटिल्य (२।१) ने भी शास्त्रयो के लिए नि शूलक भूमि वे दान को ब्रत बचानी है।

भूमि-दान

बहुत प्राचीन काल से ही भूमि-दान को सर्वोच्च पुण्यकार्य इत्य माना गया है। बसिष्ठधर्मसूत्र (२९।१६) बृहस्पति (७) विष्णुधर्मोत्तर, अल्पपुराण (अपराक पृ. ३९९, ३७) में उद्धृत) महाभारत (अनुशासनपर्व १२। १९) आदि में भूदान की महत्ता गायी गयी है। अनुशासनपर्व (१२।१९) में लिखा है— 'परिस्वित्तित्तवस स्पक्ति जो कुछ पाप कर बैठता है वह गोचर्म भाष भूदान से मित्र बनता है।' अपराक (पृष्ठ ३६८, ३७) ने विष्णुधर्मोत्तर

मातृवपुत्राद्य एव मास्यपुराण को उद्भूत कर लिखा है कि मूदान से उष्ण पत्थो की प्राप्ति होती है। ब्रह्मपर्व (१३। ७८-७९) में लिखा है कि राजा वासुदेव अपने समय जो भी पाप करता है उसे यज्ञ एक दान करने बाह्यणों को भूमि एक सहस्रांशमें देकर मद्ध कर देता है जिस प्रकार ब्रह्म राहु से छटकारा पाता है उसी प्रकार राजा भी पापमुक्त हो जाता है। अनुशासनपर्व (५९।५) में कहा है—सीने पायो एक भूमि के दान से हुष्ट व्यक्ति छुटकारा पा करता है।

भूमि-दान की महत्ता के कारण स्मृतियों में इसके विषय में बहुत-से नियम बनाये हैं। याज्ञवल्क्य (१।३।८ ३२) में लिखा है—“अत्र राजा मू-दान या निबन्ध-दान (निश्चित दान और प्रति वर्ष या प्रति मास या विभिन्न अवसरो पर दिया जाता है) करे तो उसे आगामी मग्न (मच्छे) राज्यामी के लिए लिखित आदेश छानने चाहिए। राजा की शक्ति में वह अपनी मुद्रा की किसी बन्ध-बन्ध या ताम्रपत्र के ऊपर लिखित कर दे और नीचे अपना तथा पूर्वजों का नाम बलिष्ठ कर दे और दान का परिमाण एक उन स्मृतियों की उक्तियाँ लिखे दे जो विषय हुए दान के कौटा सेने पर (बाता की) मर्त्याता करती हैं।” याज्ञवल्क्य के सबसे प्राचीन टीकाकार ब्रह्मवल्क्य ने लिखा है कि दान-पत्र पर बामा हुष्टक आदि पत्रमर्त्यापि एव राजसेना के ठहुराव के स्मर आदि के नाम भी अलिख होने चाहिए, लिखा (रागी या राजमाता) के नाम भी उल्लिखित होने चाहिए और होनी चाहिए बर्षा उन हुष्टको की जो दान कौटा सेने से प्राप्त होंगे हैं। इसी विषय पर बराहर्षि (पृ. ५७९-५८०) में बृहस्पति एव श्यास की उद्भूत किया है।

बहि ह्यम अत्र एक के प्राप्ति सहस्री शिलालेखों या दान-पत्रों का अबको बन करे तो पता चलता है कि स्मृतियों की उद्भूत उक्तियो का अकारण पासम होता रहा है विशेषतः पौषमी शताब्दी में याज्ञवल्क्य बृहस्पति एव श्यास आदि की उक्तियो के अनुसार ही दान-पत्र लिखे जाते रहे हैं। अत्यन्त प्राचीन शिलालेखों में दान-पत्र एक दान देना कौटा सेने के विषय में कुछ मही पाया जाता (बेजिए हुष्ट इतिप्यस्य मर्त्या ८ पृ. ३९ जहाँ नेचम इतना ही आया है—

अनुशासन (३२।१९) बृहस्पति (७) मज्जिम्यपुराण (४।१६४।१८)। याज्ञवल्क्य (१।२।१) की टीका में मितायरा में हते म्नु की उक्ति मत्ता है और द्वितीय पार की ‘ज्ञानतो ज्ञानतोर्मि वा’ लिखा है। बृहस्पति ने ‘पौषर्म’ को १ निर्बर्णो के समान तथा एक निर्बर्ण को ३ सट्टों के समान तथा एक सट्ट को १ हाथो के समान माना है। बृहस्पति ब्रह्मणे विशाहर्षीर्बर्णतमम्। दश ताम्येव विस्तारो षोडशतमहाहसम्॥ बृहस्पति (८)। बृहस्पति (९) में पौषर्म की एक अन्य परिभाषा की है—“पौषर्म असे बहते हैं जहाँ एक सहस्र गाय अपने बछड़ों एवं साँड़ के साथ स्वतन्त्र रूप से जाती रहती हैं—‘सर्व्वं गोलहसं तु यत्र तिष्ठत्यस्यत्रितम्। शान्तवत्तत्प्रनुतातां तत् पौषर्म इति स्मृतम्॥ पौषर्म की अन्य परिभाषायामों के लिए देखिए पराशर (१२।५९) विष्णुधर्मसूत्र (५।१८१) अथराव (पृ. १२२५) हैमात्रि (ब्रह्मवल्क्य भाग १ पृ. ५२-५३)। कौटिल्य (२।२) में एक बण्ड की चार अरतियों के बराबर, दस बण्डों को एक रज्जु के बराबर तथा तीन रज्जुओं को एक निर्बर्ण के बराबर माना है। निर्बर्ण एक मासिक शिलालेख (सरया ५—एपिर्षिध्या इण्डिका जिस ८, पृ. ७३) एवं बल्लभों के राजा शिववल्क्य वर्मा (एपिर्षिध्या इण्डिका, जिस १ पृष्ठ ६) के शिलालेख में आया है। इन शब्दों की व्याख्या के लिए देखिए एपिर्षिध्या इण्डिका जिस ११ पृ. २८।

१५. दत्ता भूमि निबन्ध का इत्यादि केषु नु कारयेत्। आगामिब्रह्मपतिपरिजानाय पात्रिक॥ बरे वा दानपत्रे वा स्वभूमीपरिबिहितम्। अभिलेख्यारमणो ब्रह्मणसमान च बहोवर्ति॥ प्रतिप्रहरीमाण दानच्छेरोपबर्णम्। स्वस्वराजतम्यर्षं दानत कारयेत्स्वधत्तम्। याज्ञवल्क्य (१।३।८ ३२)।

'जो भी कोई इस वाक्य को समाप्त करेगा वह पंच महापापी का मारी होना' इसी प्रकार संख्या ५ (पृ ३२) में आया है—जो इस वाक्य को समाप्त करेगा वह ब्रह्महत्या एवं मोहत्या एवं पंचमहापापों का अपराधी होगा)।

भारतमिक अमिलेसी में बान महुता एव बान कौटा सेने के विषय में कोई विरोध नहीं देखने में आती किन्तु परशास्त्रात्मक अमिलेसी में प्रभूत बर्चाएँ हुई हैं। कुछ उक्तिवर्षों को सामान्य रूप से सारे भारत में उद्धृत की जाती रही है— सगर तथा अन्य राजाओं में पृथिवी का बान किया था जो भी राजा पृथिवीपति होता है वह भूमि-बान का पुण्य कमला है। भूमिबान स्वर्ग में १ वर्षों तक जातन्त्र प्रवृत्त करता है और जो बान कौटा सेना है वह जगत् ही वर्षों तक नरक में बाध करता है। इन विधानों के रहते हुए भी कुछ राजाओं में बान में भी गयी सम्पत्ति कौटा की है यथा इन्द्रराज तृतीय के अमिलेख (८३६ खण्ड) से पता चलता है कि राजा ने ४ ग्राम बानपात्रों को कौटाने जो कि उत्तरे पूर्व के राजाओं में बन्ध कर जिनमें से (एपिपैफिया इण्डिया जिय ९, पृ १४)। चारुच विजयविरय प्रथम (६६ ई) के तुलमधि लाभपत्र में पता चलता है कि राजा ने मन्विरों एवं ब्राह्मणों को पुनः तीन राज्यों में हत दान सौग द्वि (एपिपैफिया इण्डिया जिय ९, पृ १)। राजतरुणियों (१६६ १७) से पता चलता है कि बर्चस्ति-वर्म के पुत्र धरुवर्मों में आने ऐष-आराम (व्यसनों) से लसी हुए नौष की मन्विरों की सम्पत्ति क्षीनकर पुत्र निदा। परागार (१२।५१) में लिखा है कि बान में पूर्ववत् सम्पत्ति को क्षीन सेने से एक ही बाधयेय यज्ञ करने का लक्षो वर्ग देने पर भी प्राप्तचित्त नहीं होता। परिभाषक महाशय सखोम के नोह पत्रों से एक विचित्र उक्ति का पता चलता है— 'जो व्यक्ति मेरे इस बान की तोड़ेगा उसे मैं हमरे जन्म में खरुकर भी मयकर सामानि में जका पुँदा (केलिए, पुन इतिव्यम मण्या २३ पृ १७)। बहुत से जिज्ञासेषो म बन्धित बानों में ऐषा उत्पन्न है कि "इस पूर्व बान से गृहित भूमि-नरक या रथक म सब कुछ दिया जा रहा है यथा "पूर्वप्रस-वेच-ब्रह्म-बाध-रहित—परमरि-वेच (बन्धकों के राजा) के एक बान में (एपिपैफिया इण्डिया जिय २२ पृ १२९) बुद्ध (बुद्ध-मन्विर) की दिने बने पाँच वर्णों (भूमि-भाप) को छोड़कर अन्य भू-भाग देने की बर्चा है। इससे स्पष्ट है कि वैशानुमायी राजा भी बुद्धमन्विर को दिने गव बान का सम्मान करता था (देवभीबुद्ध-सरा-यच-रथं बहिरुष्य)। बहुत-से ऐसे साराहृष मिने हैं जो बहू मिद्ध करने हैं कि राजाओं में प्रतिघड़ीता की भूमि बारीबकर पुन उसे बह बान में से भी (केलिए एपिपैफिया इण्डिया जिय १७ पृ ३४५)। राजा लीम बान की हुई भूमि से तिनो प्रकार का कर नहीं लेते थे (एपिपैफिया इण्डिया जिय ८ पृ ६५, वही जिय ६ पृ ८७ पुन इतिव्यम मण्या ५५, पृ २३५)।

भूमि या बान क बान-पत्रों में आता जोषो का बर्चन आया है (केलिए एपिपैफिया इण्डिया जिय ६ पृ ९७)। विष्णुवाध के कीलेन-पत्रों में जोषो के नाम आये हैं यथा निधि निशेष (भूमि कर जो कुछ दिया गया हो) पारि (जल) जलमा (प्रत्येक गाँव) अलिषी (बागविक विजयापियार) आपामी (मन्विक में हुँलेबाका लाल) तिद्ध (जो भू-गट इति के नाम में से लिया है) एक लाम्य (बकर भूमि जो नवी-सेनी के नाम में आ जाती है)। इन धर्मों के अर्थ के लिए केलिए एपिपैफिया इण्डिया जिय १३ पृ ३४ एवं इण्डिएन एप्टरवरी जिय १९, पृ २४४। बरार्गे का बान में भूमि-राशों एक घामा के बानों में 'अननदृषताप्यापाचनिकिदिशेय (जल तद बान लक्षी पत्पर नोम एक जमा) लिखा रहता था।

भूमि कर स्वामित्व चितता?—इस प्रश्न के विषय में बहुत प्राचीन काल में कार विचार होता आया है। जैजिनि (१।७।३) में लिखा है कि विरवर्जित यज्ञ म (जिसमें धार्मिक बर्चान् यज्ञ करने वाला अपना सर्वस्व दान कर देता है) म धारा भी मण्डुलं बुदिवी का दान नहीं कर सकता क्योंकि पृथिवी सब की है (मन्माद् तथा जनकी जो जीतने हैं और प्रयोग के लाने हैं)। एकर में जैजिनि की इस उक्ति की व्याख्या की है और जल में बहता है कि पृथिवी पर मन्माद्

एवं राज्य लोगों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। व्यवहारमयूक्त (पृ ११) में भी उपर्युक्त बात ब्रुहस्पति है। उपर्युक्त मत के अनुसार पृथिवी के मूल-सभ्यो पर अधिकार उनका है जो जीते हैं, बोते हैं, राजा को केवल कर एकत्र करने का अधिकार है। जब राजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को बाल रूप में देने का पूर्ण अधिकार है। इससे स्पष्ट है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं है, बल्कि केवल कर देने का अधिकारी है।

एक दूसरा मत यह है कि राजा ही भूमि का स्वामी है, प्रजाजन केवल मोनी या अधिकारी मात्र है। मिताक्षरा (वाक्यवचन १।११८) में लिखा है कि याज्ञवल्क्य के शब्दों से तिर्यो मिथ्या है कि मूल-दान करने या निवृत्त देने का अधिकार केवल राजा को है न कि किसी जनपद के शासक को।^१ मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।११४) ने एक स्मृति की उक्ति उद्धृत की है—“छः परिस्थितियों में भूमि जाती है अर्थात् खी जाती है—अपने भाग ग्राम प्राप्ति (प्राप्ति माई लोग) क्षय, दान, श्राद्धों की अनुमति तथा सफल-जल छ। यहाँ राजा की अनुमति की अर्थात् नहीं है। किन्तु कभी कभी राजा को बाबा की भी आवश्यकता समझी गयी है (देखिए गुप्त इतिहास सभा ३१ पृ १३५)।

बाल-सम्बन्धी शासन-प्रणाली की बड़ी महत्ता की और कभी-कभी लोग कपटलेख का सहारा लेकर मूल-सम्पत्ति पर अधिकार बताते थे। हर्षवर्धन के मधुवन शासन (एपिपिण्डिया इतिहास खिख ७ पृ १५५) में बालरूप नामक शाहूष के (श्रीमद्भूष के नाम के विषय में) कट लेख का प्रभाव बिया हुआ है। मनु (१।२३२) ने कपटाचरण से राजकीय शासन की प्राप्ति पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था की है (देखिए पलीट का “स्मूरिएस इन्डियन रेवाइस नामक सेल इन्डियन एन्टोस्केरी खिख ३ पृ २१)।

मनु तथा अन्य स्मृतिकारों के कथनानुसार यह पता चलता है कि कथित भूमि (खेती के काम में लायी जाती) पर श्रमिकों का स्वामित्व था और राजा को उसकी रक्षा करने के हेतु कर दिया जाता था। मनु (७।१३०-१३२) में बताया है— राजा को पशुओं एवं घोड़ों का २-३ भाग, अनाजों का १/२ या २/३ भाग तथा बृशों मांस मनु पृत तथा नदी-मृत्तियों (कोषधियों) तरल पदार्थों (सबिरा आदि) पुष्पों बज्र-मूलों फलों आदि का १/२ भाग देना चाहिए। मनु (१।११८) ने अत्रप्रापित अन्नस्रोतों पर भूमि की उपज पर ३ भाग तक कर लगा देने की व्यवस्था की है। मनु (१।११४) में लिखा है कि भूमि जली की है, जो बास फूस साठ आदि को दूर कर उसे खेती के योग्य बनाता है। मनु (८।११९) में लिखा है कि भूमि में दूरे बन या क्षाम में पाये गये बन का नामी राजा इसी लिए होता है कि वह पुष्पी का भाग और रसाक है। इस उक्ति से स्पष्ट है कि मनु राजा की भूमि का स्वामी नहीं मानते थे। नहीं तो यह हुए बन तथा बानों की सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूर्ण अधिकार बताते और बचल बीडा भाग या देने का अधिकारी न बताते। मनु (८।१२४) में समय पर खेती न करने बाल कृषकों पर दण्ड की व्यवस्था की है। इस दण्ड का अर्थ केवल होता ही है कि खेती न करने से राजा का भाग मारा जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की जोतन-बीज तथा समय से खेती करने से राजा को कर के रूप में अपना भाग मिलता है। उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता है कि मनु श्रमिकों की अर्थात् खेती करने वालों को ही भूमि का स्वामी मानते थे वे राजा को केवल कर या भाग देने का अधिकारी मानते थे। बीडा कि पहले कहा जा चुका है, कुछ अच्छे राजा श्रमिकों से भूमि खरीदकर प्रतिपहीठा शाहूषों या नामिन स्वामी को

११. अनेन कृपतेरेव भूमिवाले निवृत्तवाले अ अधिकारी न भोगपतेरिति ब्रिहस्पतिम् । मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१८ । ब्रुहस्पति बाल राष्ट्रपतियों निवृत्तपतियों भोगपतियों आदि को सम्बोधित है। देखिए गुप्त इतिहास सभा ३५ पृ ११ एपिपिण्डिया इतिहास, खिख ११ पृ ८२ एवं खिख १२ पृ ३४ में ‘भोग’ शब्द (जो राज्य में एक शिखर का अर्थ है) को व्याख्या देखिए; यही अर्थ ‘भुक्ति’ शब्द का भी है।

दान करते थे। हाँ वह भूमि को बंदिता नहीं थी वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मनु (७।१।१५, ११९) के मत से राजा को एक घाम के लिए एक मुलिया तथा दस बीघे की एक एक सहस्र घामों के लिए अधिकारी नियुक्त करने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को अपने ऊपर के अधिकारी को अपनी सीमा के बपरावों तथा अन्य बातों की सूचना देनी चाहिए। मुलिया को भोजन ईंधन आदि के लिए अर्बन्त अपनी अधिकार के लिए गाँव पर ही निर्भर रहना पड़ता था (वह उठना या सनता था जितना कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारी था) तथा अन्य अधिकारियों को भूमि बाल में मिलनी थी (बैरी ही भूमि को बंदिता नहीं होती थी)। कौटिल्य (२।१) का कहना है कि शरी के मध्य बनायी गयी भूमि दूधको को भी जानी चाहिए, क्योंकि वे जीवन मर कर देने किन्तु जो खेत नहीं जोतते उसकी भूमि जम्ह कर दूधको को दे दी जानी चाहिए, किन्तु अल्पगो आय-व्यय का स्वीकार रखने वालों तथा अन्य लोगों को भी गयी भूमि में उन्मत्त द्वारा बर्बाद या सनती और न बन्वन्त रयी या सनती है। स्वाभाविक के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम जाने नहीं स जा सकते। भूमि पर कौनों मात्तमुबारी निराया है या कर है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढग से दिया जाता है। वैवेक पायल ने अपनी पुस्तक "वेब्ड सिस्टम आब रिटिड इन्डिया" (पृ २४ २८) में लिखा है कि भूमि का ज्ञान निराया नहीं कर है।

अप्रहार—कति प्राचीन काल से ब्राह्मणों को दान में दिये गये घाम या भूमिद्वय अप्रहार के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। महाभारत में इसकी बर्षा बहुत बार हुई है (अनपर्व ६८।४ आयमवासिपर्व २।२, १।४१ १३।११ १७।१४ २५।५)। और देविए इन विषय में एपिप्रीकिया इण्डिया जिम्ब १५ ८८ मनुबन ताप्रपत्र (बही जिम्ब १५ ७३ एच जिम्ब ७ पृ १५८)।

महादान

कुछ बल्लुओं के दान महादान कहे जाते थे। अग्निपुराण (२ १।२३ २४) में अनुमात्त दान महादान के हैं— सोने बरसों निक हाथियों दानियों रथों भूमि पर, दुकहित एक बणिया गाय का दान। पुराणों में सामान्यतः महादान की संख्या १६ है जो निम्नोक्त हैं— तुलापुत्र (मनुष्य के बराबर सोना या चाँदी तीसकर ब्राह्मणों में बाँट देना) शिख्यपर्व ब्रह्माण्ड बन्धुव्य योमद्वय नामधेनु (या शिख्य-नामधेनु) शिख्यास्व शिख्यास्वराव (या वैबल बन्धु रथ) इमहस्मिन् रथ (या वैबल इस्मिन् रथ) पञ्चागम बपराव (या हैमपराव) शिवबन्धु बन्धुत्वा (या महादान) मन्तगायर रत्नधेनु महाभुजट। क्लिपुराण (उत्तरार्ध अध्याय २८) में इन नामों में कुछ विभिन्नता है। इनमें से कुछ नाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (आयमवासिपर्व ३।३१ १३।१५) में 'महादानानि' शब्द आया है। हाथी गुल्फा अग्निदेव (एपिप्रीकिया इण्डिया जिम्ब २ पृ ७९) में 'बन्धुव्य' दान का नाम आया है। बाघ न भी महादानों तथा योमद्वय नामक महादान की बर्षा की है (हर्षचरित ३)। उपबन्धन में जिन बल्लुओं का दान दिया था उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं (एपिप्रीकिया इण्डिया जिम्ब ७ पृ ५७ एच जिम्ब ८ पृ ७८)। अग्नि देवों में तुलापुत्र का उल्लेख कई बार हुआ है (देविए एपिप्रीकिया इण्डिया जिम्ब ७ पृ २५ १ पृ ११२ पृ २८ ११ पृ २ १४ पृ १९७ ७ पृ १७)। बगाल के राजा लक्ष्मणसेन ने हेमाद्रिदेव नामक महादान करने समय एक घाम दान में दिया था (एपिप्रीकिया इण्डिया जिम्ब १२ पृ १)। अमोवर्ष के सम्बन्ध बर्षों में शिख्यपर्व नामक महादान की बर्षा हुई है (एपिप्रीकिया इण्डिया जिम्ब १८ पृ २३५, २३८)। इसी प्रकार पञ्च लक्षण दान का भी उल्लेख हुआ है (ज बी बी आर एण्ड जिम्ब १३ पृ १)।

महादान-विधि—अग्निपुराण (अध्याय २७।२८९) में लक्षण ४ बर्षों में महादानों की विधि की बर्षा की है इनमें से तथा अग्निपुराण से बहुत से पठ केवल अपठार्थ (पृ ३१३ ३४४) में उद्धृत किये हैं। हेमाद्रि (दाल

बन्ध, पू १११ ३४५) ने बहुत विवाह वर्जन उपस्थित किया है और सिमि पदक तथा अन्य पुराणों एवं तत्र तथा आगम ग्रन्थों के अनुसार विधियाँ हैं। ब्रह्मसूक्त में ८१ से १५१ तक १६ महावानी के नियम मिलता है। मत्स्यपुराण (२७५-११ १२) में लिखा है कि वासुदेव अम्बरीष भार्गव कार्तवीर्य-अर्जुन राम महाबाहू पुत्र एवं मरुत ने महावात जिये थे। इसके उपरान्त इस पुराण में 'मन्वन्त' के निर्माण के नियम में नियम दिये हैं। मन्वन्त कई प्रकार के होते हैं अर्थात् उनकी आदिष्टियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और उनके आकार भी विविध ढंग के हो सकते हैं यथा—१६ अर लिंगों वाले (१ अरलिंग—बाता के २१ अयुक्त की) या १२ या १ हाथ बाल जिनमें चार हाथ और एक बशी का होना आवश्यक है। बेबी होने से बनी ७ या ५ हाथ की होनी चाहिए, छादन से मारने के लिए एक तनीया चाहिए, ० या ५ कुण्ड होने चाहिए। दो-दो मगल-वट मन्वन्त के प्रत्येक द्वार पर होना चाहिए, तुला दो पलके वाली होनी चाहिए जिसकी शरीर अत्यन्त बिलम्ब पकाया जायिक की लकड़ी की होनी चाहिए और उसमें चीज के आसुपण जड़े होने चाहिए। अन्य विस्तार स्थानावाहक व कारण नहीं दिये जा रहे हैं। चारों दिशाओं में चार वेदक ब्राह्मण बैठने चाहिए, यथा पूर्व में अग्नेयी दक्षिण में बसुन्दी पश्चिम में सामवेदी एवं उत्तर में अथर्ववेदी। इसके उपरान्त मन्वन्त पद्व कोनपासा बाट बनानी आदित्यो मरुतो ब्रह्मा विष्णु शिव भूर्भुवो विष्वक्को चार चार आहुति होम किया जाता है तथा इनका सम्बन्धित वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं।

तुला-मुक्क—होम के उपरान्त बृहत्सुप्प एवं गन्ध के साथ पीराजित मन्त्रों का उच्चारण करने औरपाला का आवाहन करते हैं यथा—ब्रह्म अग्नि मम निष्कृति बरुण वायु सोम ईशान जगत् एव इत्यादि। इसके उपरान्त बाता चीज के आसुपण वर्णानुसूचन चीजों की सिद्धियाँ कर्मान अगुटियों एवं परिवाहन पुरोहितों की तथा इनके ब्रह्म (की प्रत्यक्ष शरीरक को बिया याव उसका तुला) पदार्थ गुण की वेदने के लिए प्रस्तुत करता है। तब ब्राह्मण पाण्डित्य-मन्त्रों की वैदिक मन्त्रों का पाठ करते हैं। इसके उपरान्त बाता पुनः स्नान करने के तब बरुण पाण्डित्य करने के तब पुष्पा की भांति पहन कर तथा हाथों में पुष्प केकर तुला का (कस्मिन् विष्णु का) आवाहन करता है और तुला की परिचया करके एक पलके पर पद जाता है दूसरे पलके पर ब्राह्मण कोन चीजा रख देता है। इसके उपरान्त पुषिषी का आवाहन होता है और बाता तुला की छोड़कर हट जाता है। फिर वह चीजों का एक आधा भाग मुठ की तथा दूसरा भाग ब्राह्मण को उनका हाथों पर रख दिखते हुए देता है। बाता अपने मुख एवं शरीरों की प्राण-दान भी कर सकता है। जो यह श्रम करता है वह ब्रह्म का कर्तव्य विष्णुकोक में निवास करता है। यही विधि रजत या कपूर तुलादान में भी अपनायी जाती है (अरण्यक पू ३२ हेमाद्रि-शामकण्ड पू २१४)। राजा कोम कमी-कमी स्वर्ण का तुलादान अर्थात् तुलापुरण महावात तो करने ही है, कमी-कमी मन्त्रियों में भी ऐसा किया है जैसा कि मित्रिया के राजा का के मन्त्री अथर्ववन्त ने अपनी पुष्प विवाह उत्सव में अग्निमान के साथ वर्जन किया है।

१७. शीतलकंठ के पुनः हाकर द्वारा प्रकीर्त बुधहाल नामक ग्रन्थ में १५ पद्यों में बुधकी के विषय में उल्लेख किया है। बुध रत्न प्रकार के होते हैं—बुधाकाट, कमलाकाट, अङ्गारार दीनिकन्त्र त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, बन्धुजाकार, बन्धुमन्त्राट, अष्टभुजाकार एवं अष्टभुजाकार। उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में लीजा टुमा वर्ण एवं हा चार, छ. बा. ८ हाथों का हो सकता है, जो १ से १ आहुतियाँ या १ से केकर एक लक्ष या एक लाख आसुपणों से एक करोड़ आहुतियों काका (८ हाथ लम्बा वर्ण) हो सकता है। वर्णों की इनकी बड़ी लम्बाई का कारण यही है कि आहुतियाँ बुध के हाथ में गिरीं। विभिन्न प्रकार के बुध विभिन्न प्रकार के हाथों के लिए निर्धारित हैं। विस्तार के लिए पण्डित हेमाद्रि (शामकण्ड, पू १२५ १३४)।

हिरण्यवर्म—इस विषय में देखिए मत्स्यपुराण (२७५) एवं म्लिन्धपुराण (२१२९)। मन्थन काल स्वर्ग पदार्थ (सामग्रियों) पुण्याहवापन लोचपासो का आवाहन आदि इस महादान तथा अन्य महादानों में बैठा ही है बैठा कि तुष्ठापुष्प में होता है। बाता एक सोने का कुण्ड (बाल या परात या बरतन) जो ७२ अंगुल ऊँचा एवं ४८ अंगुल चौड़ा होता है जाता है। यह कुण्ड मूर्खाकार (गुर्गाकार) होता है या मुनहुट कमल (बाठ इस बाले) के भीतरी भाग के आकार का होता है। यह स्वर्णम पात्र जो हिरण्यवर्म कहलाता है तिस की राधि पर रखा जाता है। इसके उपरान्त पीरातिक मन्त्रों के साथ सोने के पात्र को सम्बोधित किया जाता है और उसे हिरण्यवर्म (स्रष्टा) के समान माना जाता है। तब वाता उस हिरण्यवर्म के अन्तर उत्तराभिमुख बैठ जाता है और वर्मस्व सिद्ध की भाँति पाँच स्वस्तों के बाल तक बैठा रहता है उस समय उरुक हाथों में ब्रह्मा एवं धर्मराज की स्वर्गाहृतिर्मा रहती हैं। तब गुरु स्वर्गपात्र (हिरण्यवर्म) के ऊपर कर्मधान पुण्यन एवं सीमन्तोपवन के मन्त्रों का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त गुरु वायु-यन्त्रा या मन्त्रपात्रों के साथ हिरण्यपात्र से वाता को बाहर निकल जाने की कहता है। इसके उपरान्त तब बाह्यो संस्कार प्रतीकालम्ब डग से सम्पादित किए जाते हैं। बाता हिरण्यवर्म के लिए मन्त्रपाठ करता है और कहता है—
 “यहूँ मैं मरुदसील के रूप में मैं से उत्पन्न हुआ था किन्तु अब आप से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर प्राप्त करूँगा। इसके उपरान्त बाता सोने के आसन पर बैठकर ‘देवस्य रथा’ नामक मन्त्र के साथ स्नान करता है और हिरण्यवर्म की गुरु एवं अम ऋत्विजों से बातला है।

ब्रह्माण्ड—देखिए मत्स्यपुराण (२७९)। इस काल में दो ऐसे स्वर्ग-यात्र निमित्त होते हैं, जो मोक्षार्थ के दो मायों के समान होते हैं जिनमें एक धी (स्वर्ग) तथा दूसरा पुषिणी माना जाता है। ये दोनों जर्ब पात्र बाता को सामर्थ्य के अनुसार बीच से लेकर एक सहज पत्रों के बचन के ही उचते हैं और उनकी लम्बाई-चौड़ाई १२ से १ अंगुल तक ही सफ़टी है। इन दोनों जर्बों पर बाठ विष्णुको बेरो छ जयों अष्ट लोकपालों ब्रह्मा (मध्य में) दिव्य विष्णु पूर्ण (अग्र) जमा लक्ष्मी वसुधो आदित्यो (धीतर) मरुतो की आकृतियाँ (सोने की) हीमी चाहिए, सोनी की रेषमी वरुण से कनेटकर तिल की राशि पर रख देना चाहिए और उनके आठविक १८ प्रकार के अन्न सजा देने चाहिए। इसके उपरान्त बाठो विद्याधी में पूर्ब विद्या से आरम्भ कर, अनन्तसवन (सर्प पर सोये हुए विष्णु) प्रद्युम्न प्रकृति सफ़र्यब चारो बेरो अनिष्ट बन्धि वासुदेव की स्वर्णम आकृतिर्मा कम से सजा देनी चाहिए। वरुणो से डक हुए हत षट पात्र में रख देना चाहिए। स्वर्नत्रयिटी सीगो बाधी वरुणो ब्रह्म ब्रुह्मे के लिए वरुणो से डके हुए कास्य-मात्रों के साथ बाल में बी बाणी चाहिए। वयुको छाताओ आसनी वरुणो की गेट भी बी बाणी चाहिए। इसके उपरान्त सोने के पात्र (जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है) का पीरातिक मन्त्रों के साथ सम्बोधन होता है और सीगा गुरु एवं ऋत्विजों या पुरोहितों में (दो भाग गुरु की तथा शेषाष्ट बाठ ऋत्विजों की) बाँट दिया जाता है।

कल्पनायक या कल्पवृक्ष—(मत्स्य २७७ ऋग २।३९)। मूर्ति-मूर्ति के फलों आनूपत्रों एवं परिवर्तनों से सुसज्जित वनस्पत का निर्माण किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की मात्रा ठीक पत्रों से लेकर एक सहज तक हा सजती है। आने सोने से वनस्पत बननाया जाता है और ब्रह्मा विष्णु, शिव एवं सूर्य की आकृतिर्मा रख बी जाती है। पाँच साक्षात् भी रहती हैं। इनके अतिरिक्त बचे हुए आने सोने की चार टहूँतियाँ जो कम से सम्पन्न मन्त्राएँ पारिवर्तक एवं हरिचन्वन की होती हैं बनायी जाती हैं जिनमें कम से पूर्ब दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर में रख दिया

१८. आग्नेय का १ १२२११ १ बाका अंश हिरण्यवर्म के लिए है और उत्तर का आरम्भ हिरण्यवर्म के उत्तरकर्तव्यो भूतस्य आत्तः पतिरेक आसीत् से होता है।

जाता है। कल्पवृक्ष (कल्पवृक्ष) के नीचे कामदेव एवं उनकी चार स्त्रियों की मील की आइतियाँ रख दी जाती हैं। उक्तपूर्व बाठ कल्प बदन स बकचर भीषको, कामरों एव छावों क साव रख दिय जाने हैं। इनके माथ १८ भाग्य रहते हैं। संसारकी समुद्र से पार कराने के लिए कल्पवृक्ष की स्तुतियाँ की जाती हैं। इमक उपरान्त कल्पवृक्ष गद की तथा अन्य चार टहिनियाँ चार पुगेहियो को बेदी जाती हैं। संतानहीन पुत्र एव स्त्री की यह महादान कर्ता चाहिए (अपठार्ण पृ ३२६)।

पीतहृत्—(मत्स्य २७८ एव सिप २।३८)। बाठा की तीन या एक दिन केबक रूप पर रहना चाहिए और उन कौनसामी के आबाहृत् पुष्याहृत्वाचन होम आवि इत्यो का सम्पादन हीना चाहिए। इसके उपरान्त एक मुक्ता मय रत्न के घटीर पर मुयभिल पयार्थ का सेप करके उस बेदी पर लडा करता चाहिए और एक सप्तम गायी म म १ गायी की पुन मंगा चाहिए। इन गायी पर बदन उद्यावा रहना चाहिए, इनक मीमा क म्पर मुनहृग पानी बडा देना या मीने का पत्र लगा देना चाहिए, कुटों पर बाँधी बडा देनी चाहिए और तब उन्हे मन्त्रय म म्पण मग्मानित करना चाहिए। इन हनीं गायी के मध्य म नन्दिनेस्वर (गिब के बेल) को लडा कर देना चाहिए। मन्दिनेस्वर के गये में मील की बन्धियाँ ऊपर देवामी बदन मन्त्र पुण्य होने चाहिए तथा उनक मीयो पर सोला बडा रहना चाहिए। इनक उपरान्त बाठा की सर्वोपबियो" से पूरित अन्न मस्तान करके हाथा म पुण्य म्पण मन्त्रो क माव गायी का माह्वान करना चाहिए और उनकी महृता की प्रशामा करली चाहिए। २मी प्रचार बाठा को चाहिए कि बह मन्दिनेस्वर ईर (स्त्री) को बर्म बहृकर पुकारे। इमके उपरान्त बाठा को गायी के माव मन्त्री की म्बर्जाइति गृह को तथा धाट पुगेहिया म प्रयेक की एव-एव गाय देता है। सोप गायो का ५ या १ की मत्स्या म अय बाध्याया म बाट दिया जाता है। बाठा की पुन एक दिन बूब पर ही रह जाता पठता है तथा पूज मन्त्रोप रहना पन्ना है। इस महादान के काम से बाठा मित्रनीक की प्राप्ति करता है तथा अयम पितरों जाना एवं दय्य माग्निपरो की रखा करता है।

कामधेनु—(मत्स्य २७९, सिप २।३५)। बहृण मन्त्री मोन की दो आइतियाँ बनायी जाती हैं एव माव की और दुमरी बड्ड की। मोन की सोस १ या ५ या २५ पदी की या सामय्य के अनुमार बकम ठील पधी की ह मन्त्री है। बेदी पर एक काल मृग का बर्म बिडा देना चाहिए किम पर मोने की माय बाट मगक-घटा फया १८ प्रकार के अनाका कामरो ताभ्रपात्रो बीया छात्रा को देवमी बन्त्रो बन्धियो मल के आमृषणा आदि क माव रख दी जाती है। बाठा पीतपिण मन्त्रो क माव गाय का माह्वान करता है और तब मुद को माय एव बउर का बलि करता है।

शिव्यायन—(मत्स्य २८)। बेदी पर मृगबर्म बिडाकर उम पर निक रण देने चाहिए। कामधेनु के बरान गीन बाट मोने का एव बीडा बनाना चाहिए। बाठा बाँडे का अगवान् के रूप म माह्वान करता है और बह आइति

१९. इयामारधाययबन्धुदुगतिकानुमापयोपूनकोइबहुकरबततीनिमिर्षी।

अद्यावर्त्तं अजकलायमयोव्यराजमायप्रियद्रगुतहितं च मसुरमाह ॥

(अपठार्ण पृ ३२३)। मत्स्यपुराण (२७६।७) में भी १८ अन्न बताये हैं।

२. कर्मर्षिने ईवतरोरो मन्थार पारिजातक। तन्नाम कल्पवृक्षात् पुंसि का हरिचन्दनम् ॥ अर्षिन् कल्पवज (अभिरात्र) की पुनि करेनेवाले) पीब ह—मन्थार, पारिजातक तन्नाम कल्पवृक्ष एव हरिचन्दन।

२१. सर्वो बन्धियाँ बल हैं, "कुष्ठं मासी हरिरे हे मुरा दीनेयचन्दनम्। बडाचम्पकमल च लपी बप्यो रण म्पणः ॥ एतौ पारिमिष्ये (बालमपुत्र पृ १७ में उदपुन)।

गुरु की दान में वे देता है। हेमाद्रि ने जोड़े की आकृति में चारों पैरों एवं मुख पर चौड़ी की चतुर लगाने की बात कही है (दानसूत्र पृ. २७८)।

हिरण्यस्वरूप—(मत्स्य २८१)। सात या चार पौधों चार पहियों एवं ध्वजा वाला एक छौंटे का रथ बनवाना चाहिए। ध्वजा पर नीले रंग का कण्डू खुलना चाहिए। चार मण्डप होते हैं। इसका दान चारों छत्ता रेखनी परिधानों एवं सामर्थ्य के अनुसार बापों के साथ किया जाता है।

हेमहस्तिरथ—(मत्स्य २८२)। चार पहियों एवं मध्य में बाट लोचपासों बद्धा विष मूर्धे नारायण लक्ष्मी एवं पुष्टि की आकृतियों के साथ एक छौंटे का रथ (छोटा अर्थात् जिलीने के आकार का) बनवाना चाहिए। ध्वजा पर गरुड एवं स्वप्न पर मणेर की आकृति होनी चाहिए। रथ में चार हानी होने चाहिए। आङ्गान के उपरान्त रथ का दान कर दिया जाता है।

पञ्चमहाद्वारक—(मत्स्य २८३)। पुष्ट बूँडों की सज्जी के पाँच हस्त बनवाने चाहिए। इसी प्रकार पाँच फाड़ छौंटे के होने चाहिए। इस बँडों की सजावट आदि उनसे छीणों पर छीना पूँछ में मोती सुतों में चौड़ी लपानी चाहिए। चतुर्भुज बस्तुओं का दान सामर्थ्य के अनुसार एक सर्वट के बराबर भूमि छेद या दान या १ या ५ निरुत्तों के साथ होना चाहिए। एक सप्तलीक बाहुय को छौंटे की सिद्धियों अर्थात् रेखनी बस्तु एवं कर्मों का दान करता चाहिए।

चतुरासन या वृषपरादान—(मत्स्य २८४)। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ५ पक्षों से लेकर १ एक छौंटे की पृथिवी का निर्माण करना चाहिए। पृथिवी की आकृति अर्थात् अक्षी होती चाहिए, जिसमें किनारे पर अनेक पर्वत मध्य में एक पर्वत और चौकड़ी आकृतियाँ एवं साठों समुद्र बने रहते चाहिए। इसका पुनः आवाहन किया जाता है। आकृति का २ या ३ गुरु की तथा षण् पुरोहितों की बंट दिया जाता है।

विश्ववक्र—(मत्स्य २८५)। एक छौंटे के चक्र का निर्माण होना चाहिए, जिसमें १६ लोलियाँ एवं ८ मण्डप (परिधि) हैं। और उनमें लोच अपनी सामर्थ्य के अनुसार २ पक्षों से लेकर १ पक्षों तक होनी चाहिए। प्रथम मध्यमाय पर पीनी की मंडा में बिन्दु की आकृति होनी चाहिए, जिसके पाठ छत्र एवं चक्र तथा आठ देवियों की आकृतियाँ रहनी चाहिए। इनके मण्डप पर अग्नि भूमि बलिष्ठ ब्रह्मा करण तथा वसुधाधारी की आकृतियाँ बुरी रहनी चाहिए। चौमरे पर बीरी एवं माना-बहियों चौबे पर १२ आकृतियों तथा चार देवों पाँचों पर पाँच मूर्तों (छिति अन्न, पावन गण एवं समीर) एवं ११ बड़ी छडे पर आठ लोचपासों एवं विद्याया आठ हस्तिपों साठों पर आठ अस्त्रपात्रों 'एक आठ मन्त्रमय बरगुमों तथा आठों पर अग्नि व देवताओं की आकृतियाँ बनी रहनी हैं। दाना चक्र का आवाहन करने दान कर देना है।

महावक्रकला—(मत्स्य २८६)। विभिन्न पुण्यों एवं कर्मों की आकृतियों में मात्र संज्ञे की इस वस्तुकाएँ बनानी चाहिए, जिस पर विद्यापदों की अर्थात् लोचपासों में मिलने हुए देवताओं एवं ब्राह्मी अक्षरान्वित आग्नेय, चारों तथा अन्य पत्तियों की आकृतियाँ होनी चाहिए तथा मन्त्रे उपर पर विद्याया की आकृति भी होनी चाहिए।

२३ आठ प्रकार के अस्त्र-दास्य वे हैं—अङ्गुलमगवास्तिसुस्ताद्युष्मभूमि च। स्वभिनिभेति प्रार्थानि तेषु चान् प्रमायने ॥ अङ्गुलमगवास्तिसुस्ताद्युष्मभूमि च। आठ प्रकार के मन्त्रय वराय वे हैं—वसिष्ठवर्णान्तराच रीचमा अन्तर तथा। सुपनाचल हिरण्य च छत्र आनरमेच च। आर्योदधेति विद्येयं अन्तरं अंगुलाद्युष्मा वराचर (हेमाद्रि पृ०)।

बेटी पर बिचे हुए एक बूट के मध्य में बी कल्पकटाएँ तथा बेटी की बाँटों बिद्याओं में अन्य आठ कल्पकटाएँ रख दी जाती हैं। इस यामें एव मंगल-वट भी होने चाहिए। बी कल्पकटाएँ पूर को तथा अन्य आठ कल्पकटाएँ पुण्ड्रियों को शान में दे दी जाती हैं।

तपसावरक—(मत्स्य २८७)। यामर्ष्य के अनुसार ७ पत्थों से केकर ? पत्थों तक के सोने से ? ३ अंगुल (प्रायेण) या २१ अंगुल कर्ण वाले साठ पात्र (कुण्ड) बनाये जाने चाहिए, जिनमें क्रम से नमक ब्रूच मूत्र इमुरस इही पीनी एव पवित्र बक रखा जाना चाहिए। इन कुण्डों में ब्रह्मा बिष्णु शिव सूर्य इन्द्र रुद्रमी एव पार्वती की आकृतियाँ दूरी देनी चाहिए और उनमें सभी रख बाके जाने चाहिए तथा उनके चतुर्भिः सभी श्राप्य समा देने चाहिए। इसका हीम करके घाणों समुद्रों का (कुण्डों के प्रतीक के रूप में) आवाहन करना चाहिए और इसके उपरान्त श्रद्धा शान करना चाहिए।

घण्टामुस्य पत्थरो (रत्नी) से एक माय की आकृति बनायी जाती है। उस आकृति के मुख में ८१ उपरान्त-दक्ष रखे जाते हैं। नाक की पीर के ऊपर ? पुष्परोग-रक्त मस्तक पर स्वर्णम टिकक लौहों में ? मेषी बौधो पर ? घीनियाँ रखी जाती हैं। कान के स्थान पर सीपियों के दो टुकड़े रहते हैं। शीव सोने के होते हैं। शिर ? हीरक मणिबो का होता है। गरदन (घीषा) पर ? हीरक मणिबो होती हैं। पीठ पर ? नील मणिबो रत्नी घण्टों में ? शेरुव मणिबो पेट पर स्फटिक पत्थर, कमर पर ? रत्नीमणिक पत्थर होते हैं। शिर सोने के एक पूँछ मोठियों की होती है। इसी तरह शरीर के अल्पान्य माय विभिन्न प्रकार के बहुमुख्य पत्थरों से अलंकृत किये जाते हैं। जीन सनकर की मूत्र बूट का गौरव मुख का होता है। माय का दछडा गाय की सामग्रियों के बाने माय का बना होता है। माय एव बछडे का शान हो जाता है।

ब्रह्माकृत्य—(मत्स्य २८९)। १-३ अंगुल से केकर ? अंगुल तक के कर्ण पर रखे हुए बहुमुख्य पत्थरों (पत्थों) पर एक घोने का बट रखा जाता है। इसे ब्रूच एव भी से भरा जाता है और इस पर ब्रह्मा बिष्णु एव शिव की आकृतियाँ रखी जाती हैं। कूर्म हाग उठायी दयी पृथिवी मकर (बाहन) के साथ बरब भेडे (बाहन) के साथ कर्म मूय (बाहन) के साथ बापु, पूहे (बाहन) के साथ मन्थ की आकृतियाँ बट में रखी जाती हैं। इनका अति शिव कायाका से साथ ऋषेभ कमल के साथ यमुनेब बाँसुरी के साथ सामवेव एव मुकु सुषो (बटकुम्भों) के साथ ब्रह्मवेव एव जपमाला तथा वक्रपुर्ण कच्छ के साथ पुराणों (पर्वणवेव) की आकृतियाँ भी बट में रखी जाती हैं। इसके उपरान्त सोने का बडा शान में दे दिया जाता है।

गोदान

गोदान-महिमा—ब्रिबिबाय स्मृतियों में गाय के शान की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (४।२।३१) के अनुसार गोदान करनेवाला सूर्यबोध में जाता है। याज्ञवल्क्य (१।२।४२.५) एव अतिपुण्य (२।१।३) के अनुसार देव शान में शीव तथा शूर कम से सोने एव चाँदी से जटित होने चाहिए। गाय के गले में बन्धी उसकी बुजन के लिए घाव एव उसके ऊपर बरसावरण होना चाहिए। माय शीबी होनी चाहिए (मत्स्यही -माले वाली साठ शीन चक्रान वाली नहीं)। शान के साथ ब्रह्मिया होनी चाहिए। जो इस प्रकार की गाय का शान करता है वह जलन ही क्यों तक स्वर्ग में जाता है जिनके जि माय के शरीर पर आक होने हैं (वेदिक मन्त्र ७१. ७४. ७५)। अनुशासनपर्व (५।१. २५-३४) में गोदान की महिमा का वर्णन है। अनुशासनपर्व (८।१।१०-१) में लिखा है कि गाय यज्ञ का मुक्तान्त

११ पौनर्वसुर्ष्य न चन्द्र्यानि चर्न क्रिञ्चिचिद्विहाय्युत। शीतं श्वक्चं शर्नं शर्नं चापि पाचि॥ यथा प्रप्रयते

शासन है क्योंकि यह मनुष्य का रूप से प्रतिपादन जाती है एक इसकी सन्तानों (बैको) से कृषि का कार्य होता है। अतः इसकी प्रशंसा का गान होता चाहिए। अपराज (पृ. २९५-२९७) ने पुराणों द्वारा की गयी प्रशंसा उद्धृत की है। बायीं में कृषिका नाम के शान की प्रशंसा महत्ता गायी गयी है। इस भाग का शान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है (अनुशासन ७३।४२ एवं ७३।८)। याज्ञवल्क्य (१।२. ५) ने लिखा है कि कृषिका गाय का शान अपने शान अपनी सप्त पीढियों की तार देता है। (पाप से रक्षा करता है)। एक कृषिका गाय अन्य १. शापारण बायीं के समान है (अपराज पृ. २९७ सर्वत का उद्धरण)।

पोदान की विधि—बराहपुराण (१।११) ने पोदान का वर्णन किया है जिसे हम यहाँ संक्षेप में देते हैं। कृषिका गाय को बछड़ों के साथ पूर्वाभिमुख करके शान (स्नान करके तथा धिसा बाँधकर) उसकी पूजा करता है। वह उसकी पूँछ के पास बैठता है और प्रतिप्रहीता उत्तराभिमुख बैठता है। शान अपने हाथ में बृहत्पूर्व पात्र लेता है जिसमें घीने का एक टुकड़ा रखा गया जाता है। बाय की पूँछ की मज्जाम में डूबोकर प्रतिप्रहीता के बाहिने हाथ में पकड़ा दिया जाता है। किन्तु गाय की पूँछ का बास बासा भाग पूर्व दिशा में ही रखा जाता है। प्रतिप्रहीता के हाथ में बक, तिरु एवं कृष्ण रत्न लिये जाते हैं। शान अपने हाथ में जम्ब्यान् सेकर पीरायिक मन्त्रों के साथ बक छिड़कता है, बहिना देता है और जब गाय प्रतिप्रहीता के साथ चलने लगती है तो वह कुछ कर्म भागो अनुसरण करके गाय की स्तुति करता है। अग्निपुराण ने मरवाचम मनुष्य के लिये काशी गाम का शान श्वेत्कर माना है क्योंकि उससे वमकोक की गयी बैठरणी की पार करने में सुसमता होती है। इसी से बाय की भी बैठरणी कहा गया है।

उमयतोमुखी-शोदान—याज्ञवल्क्य (१।२. १२. ७) अग्निपुराण (२। १३३) विष्णुधर्मसूत्र (८।८।१५) नवपर्व (२. १९९-७१) अग्नि (३।३३) बराहपुराण (१।१२) आदि में उमयतोमुखी गाय (जो तुल्य ही बछड़ा देने वाली हो) के शान की विधिप्रकृत प्रकृत की है और कहा है कि शान स्वर्ग में उतने ही वर्ष रहता है जितने कि शान एक बछड़ा के शरीर पर रोम होते हैं। अथर्व वेद उद्धृत कर अपराज (पृ. २९९. १. १) ने इस प्रकार के शान की विधि बतायी है। जब गाय के पेट से बछड़े का सिर बाहर प्रकट हो तो शान को प्रतिप्रहीता से कहना चाहिए। मेरे जन्मान्त से लिये, मैं कि केवल शान की इच्छा से इस भाग को स्वीकार करो और श्वेत्कर (५।१९।१) का पाठ करो। इसके उपरान्त शान गाय को पकड़कर 'का इव कस्मा अवात्' के सूक्त (अथर्ववेद ३।२९।७ कास्वभायतभीमपृष्ठ ५।१३ आपस्तम्बश्रौतसूत्र १।५।१।२) पढ़कर बछड़े की गीचे उतारता है और उच्च स्वर से 'यमो नु' (श्वेत्कर ५।२७।१) का पाठ करता है। इसके उपरान्त अग्नि प्रशंसित करके शान बेबी निठरी मृचिनी पर्वती पीपीले घमुत्रो सपो एवं शोपविमी को सम्बोधित मन्त्रों (श्वेत्कर १।१३९।११. १. ११९।१२. १. १७५।५. १।७५।५. १।७।११. ७।५।११. १।७५।१५. १।९. १६) का पाठ करता है। फिर वह पृथिवी की मन्त्रपाठ (श्वेत्कर १।१२।१. १।२।१।१. १।२।५।७. १।१६।५।५।१) से प्रथम करता है। तब शान को बृहत् की ८५ आहुतियाँ देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन देकर उनके बाहीर्षि केना चाहिए, यथा "स्वस्ति तो (श्वेत्कर ५।५।१।१७)। इस प्रकार के शोदान के साथ घीने शोदी सेत अन्ध्रक वस्त्र नमक चन्चन आदि का शान करना चाहिए। इसके बन्धित भोजन करते ब्राह्मण-

वीर सर्वपापहर धिक्त्वं। स्वहृत्कारकवद्कारी गोभु कित्त्वं प्रतिच्छिती। पावो वस्तव मेधो वी तथा वस्तव ता मुक्त्वं ॥ यथा स्वर्गस्य लोपालं पाकः स्वर्गसि पूजिता ॥ अनुशासन ५।१।२६ एवं ३१; अनुशासन ७।१।३३ यथा वेनु पुत्रता कास्वभोद्वा कस्वाचकस्तामनकायिनी च। यामन्ति रोमाणि यमन्ति तस्यास्तावद्वाभ्यन्तु स्वर्गलोचम् ॥ यह याज्ञवल्क्य (१।२. ५) के सूक्त हैं।

एवा नल अविचार करते (अयम्यागमन यथा मातुगमन स्वसुगमन आवि बभित गमन) से उत्पन्न पापा से बचाव ही बाता है।

धेनुदान

धेनुसंख्या—गोदान की अनुष्ठिति से कुछ समय पदार्थों का वान किया जाता है। उन पदार्थों को धेनु कहा जाता है। मत्स्यपुराण (८२।१७-२२) ने दस धेनुओं के नाम लिखे हैं यथा—गुड मूत तिल ब्रह्म कीर, मधु, सफ़ेदा येन एव (अथ तरुण पशुर्धेनु एव गोधेनु स्वयं गाम)। इस पुराण ने युद्धधेनु का वर्णन करते हुए लिखा है कि तरुण धेनुओं को बड़ों से रखना चाहिए तथा अय धेनुओं को रात्रि के रूप में रखना चाहिए। उनके दान की विधि इस-सी है। कुछ लोगों ने अन्य धेनुओं के नाम भी लिखे हैं यथा—सुवर्णधेनु, नवमीसधेनु (मरुत्तन की गाय) एवं एतधेनु। अग्निपुराण (२१।१११-१२) ने भी दस धेनुओं के नाम लिखे हैं। अनुशासनपर्व (७।१।१९-४१) में दस धेनुओं के नाम दत्त धेनुओं का वर्णन है। बराहपुराण (अध्याय १९।११) में १२ धेनुओं का विस्तार का उल्लेख वर्णन किया है। इसकी सूची में मत्स्यपुराण के मूत एवं गोधेनु मही हैं तथा नवमीस अथवा नवमीस (नवमा-२१) एवं ब्रह्म (ब्रह्मा) नाम लिये जोड़ दिये हैं।

विधि—चार हाथ लम्बा काका मूषधर्म योकर से सिपी भूमि पर बिछा दिया जाता है। जिस स्थल पर मूषधर्म बिछा रहता है उस पर कुछ जिनकी लोके पूर्वामियुक्त होती है- बिछ रहते हैं। यह लम्प गाय का प्रतीक माना जाता है। उसी की मूर्ति बिछा हुआ एक छोटा मूष-धर्म बछड़े का प्रतीक माना जाता है। यदि यह गुरुधेनु है तो वह '१ वा ४ मारो' की तथा बछड़ा इसके ३ भाग का बना होता है। गाय के विभिन्न भागों के प्रतीक के रूप में गुरुधेनु पशुधर्म यथा—सक इत्येक टण्डले मोषी भयम्, सीपी आवि रत्न वाते हैं और मूष एवं वीप द्वारा पूजा करने की विधि इससे ही का आह्वान किया जाता है। इसके उपरान्त बस्तुओं का दान कर दिया जाता है। हेमाद्रि (उपनिषद्, पृ ४१) दानमयुक्त (पृ १७२-१७४) ने अय विस्तार भी दिये हैं जिन्हें हम स्वानामात्र के दान नहीं दे रहे हैं।

वर्जित गोदान

गोदान की महत्ता के फलस्वरूप बाता सींग कमी-नमी बूढ़ी एवं दुर्बल गायें भी दान में दे देते हैं। बनेपरनिपट (१।१।१) ने इस प्रकार के व्यवहार की भर्त्सना की है—'जी सींग केवल जल पीनेवाली एवं काम खानेवाली चित्तु नहीं हुए देववाणी जान बिजाने वाली गाय का दान करते हैं वे अनन्द (आनन्दन देनवाले) सींग में पहुँचते हैं। यही बात अनुशासनपर्व (७।१।१९) में पायी जाती है। अनुशासनपर्व में एक स्वस (६।१।५३) पर यह भी आया है कि शायद जो हुए बिना बछड़े की बीस रोपी ध्यग (जिसका कोई भय भग हो गया हो) एवं यकी हुई गाय नहीं

१४ ५ इत्यन्त-१ मास, १६ मास-१ सुवर्ण ४ सुवर्ण-१ वस १ ० पल-१ मुता २ मुता १ चार।
 विधि का उल्लेख (पृ ३३) एवं अग्निपुराण (२१।१७-१८)।
 अग्निपुराण की उद्धृत कर हेमाद्रि (अनन्तपद, पृ ६७) एवं परमारभाष्यीय (२।१५ १४१) ने
 अय की लोके के बटवरो की सूची दी है—२ पल-प्रसुति २ प्रसुति कुडव ४ कुडव-प्रसव ४ प्रसव आरव
 ४ आरव शीघ्र १६ शीघ्र-आरी। चित्तु देव-देव में विभिन्न बटवरे जलते थे।

देनी चाहिए। हेमाद्रि (बाग पृ ४४८-४४९) ने इस उद्धृत किया है और लिखा है कि इस प्रकार के दोबान से गरुड मिलता है।

पर्वत-दान

विभिन्न नाम—मत्स्यपुराण (अध्याय ८३।९२) में इस प्रकार के पर्वतदानों या देवदानों का वर्णन किया है जो ये हैं—“वायव्य (अनाज) सन्नम बुद्ध ह्येव (सीमा) तिष्ठ कार्पास (कपास) भूत रत्न रजत (चाँदी) एव धर्करा। अग्निपुराण (२१।१९१) में भी यही सूची पायी जाती है। हेमाद्रि (बाग पृ ३४६-३९६) ने बाणेश्वर नामक एक शैव ग्रन्थ को उद्धृत कर १२ दानों की चर्चा की है। इनमें पर्वत शैल या अन्नस दान इस सिद्ध कहा जाता है कि वेय पदार्थ पहाड़ों की माँति रखकर दान में दिये जाते हैं।

विधि—सभी प्रकार के पर्वत-दानों की विधि एक-सी है। एक उत्तर-पूर्व या पूर्व की ओर मुखा हुआ बर्तार उत्तम स्थान बनाया जाता है जिस पर गोबर से लीपकर कुछ बिछा दिये जाते हैं। इसके मध्य में एक राशि पर्वतकार तथा अन्न राशियाँ पहाड़ियों की माँति बनायी जाती है। अनाज के पर्वत के निर्माण में १ या ५ या ३ श्रेय की लोह की अन्न राशि होनी चाहिए। इस राशि के मध्यभाग में चीने के तीन बूझ होने चाहिए और चारों दिशाओं में चम स मोटियों के गोमेद एवं पुष्करज के भरकठ एवं लौहमणियों के तथा वैदूर्य के कमलवत् पीपे होने चाहिए। मत्स्यपुराण में ८१ देवदानों की स्वर्ण एवं रजत आहुतियों की भी चर्चा की है। होम के लिए एक गुह्य और चार पुरोहितों का चुनाव होता है और प्रत्येक देवता को १३-१३ आहुतियाँ दी जाती हैं। स्वर्ण के दान में १४ १६ श्रेणों चीने के दान में १ से १ पत्थी तिक के दान में ३ से १ शीशो कपास के दान में ५ से २ चारों ओर के दान में २ कुम्भी से २ कुम्भी रत्नों के दान में २ मोटियों से १ मोटियों तक का प्रयोग किया जाता है तथा बहुमुख्य रत्नों वाली पहाड़ियों में मोटियों के ३ भाग का कपास में २ पत्थों से १ पत्थों का एकल में २ मार से ८ चारों का प्रयोग होता है।

पशुओं बस्त्रा मृगधर्म तथा प्रपा आदि का दान

इन्द्रियों पुराणों एवं निरन्धों में हाथियों घोड़ों भैरों बस्त्रों मृगधर्मों छात्रों पूर्णों आदि का दान भी चर्चा की है जिसे हम स्वानामात्र के कारण यहाँ छोड़ रहे हैं। वि-भु इनमें से ही मा चीन दानों का वर्णन महारघुर्ण में है। अथर्वाने भविष्योत्तर से एक कम्बा विवरण उपस्थित किया है जिसमें चैत्र मास में पशुधर्मों को जल पिबाने के लिए एक बर्तन-निर्माण की चर्चा हुई है। नगर के मध्य में या महामूर्ति में या किसी मन्दिर के पास इस बर्तन का निर्माण होता था। एक बाह्य में पानी पिबाने के लिए गुल्फ पर नियुक्त किया जाता था। यह बर्तन ४ या ३ मीट्रो तक चलता था। इस उत्तर भाग में पीनप (प्याऊ) भी बहने है।

पुष्पदान

महाभारतीय वर्णनाम्नो एव पुराणों की हस्तलिखित प्रतियों का भी दान हुआ करता था। अथर्वाने (पृ ३८९-४३) एवं हेमाद्रि (बाग पृ ५२९-५४) ने भविष्योत्तर मन्थ तथा अथर्व पुराणों को उद्धृत कर इन प्रकार के दानों की बर्णना पायी है। भविष्यपुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति विष्णु तिस्र मा पूर्व से मन्त्रियों में लोको का प्रयोग के लिए पुनः का बर्तन करने है वे पौराण भूमिदान एवं स्वर्णदान का जल पाते हैं। कुछ विद्वानों ने

करती चाहिए। हेमाद्रि (दान पृ. ८९३-९५) ने भी इसे तथा स्कन्धपुराण को उद्धृत कर आरोप्यवाक्य की स्थापना के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

असत्यप्रतिग्रह

स्मृतियों के अनुसार बन्धित दान ग्रहण करने पर पाप कथता है जो दत्त वस्तु के परिव्याग वैदिक मन्त्रों के (यात्री के समान) अप एव तपो (प्रायश्चित्तों) से दूर किया जा सकता है (देखिए मनु ११।१९३ विष्णुधर्मसूत्र ५४।२८)। इस पाप का कारण है असत्यप्रतिग्रह जो जाति या दाता की क्रिया (दाता चाण्डाल या पतित हो सकता है) भादि से उत्पन्न होता है। यह निष्ठी निषिष्ट कास और रेष म (यथा क्रुस्नेज म वा ग्रहण के समय) सेने से या निष्ठी रेष पवार्ष (मद्य या भेज या मूत्रक की शय्या या उभयपठोमुखी गाय) के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मनु (११।१९४) विष्णुधर्मसूत्र (५४।२४) एव याज्ञवल्क्य (३।२८९) ने असत्यप्रतिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए गौसाक्षा में एक मास रहने नवक वृक्ष पर रहने पूर्वस्नेज ब्राह्मणर्व पाठन करने एव प्रति दिन ३ ० बार मायत्री मन्त्र अप की व्यवस्था की है। उपर्युक्त बोलों बघावों में दाता को कोई पाप नहीं लगता। केवल दान सेने वाला (दान-प्रतिग्रहीता) ही पाप का भागी होता है। दानक्रियाहीमुखी (पृ. ८४-८५) ने कठिनम पुराणों से उद्धरण देकर लिखा है कि नवा तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान नहीं सेना चाहिए, इसी प्रकार ह्यवित्री भोडो, रणो मूठ छोमो की शय्या एव ब्राह्मणिक शके मूय के धर्म एव उभयपठोमुखी गाय का दान नहीं सेना चाहिए। दानचक्रिका ने पद्यपुराण का उद्धरण देकर समझाया है कि आपत्काल में ब्राह्मण मया तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान के सकता है। किन्तु उसे दान का बधमाद्य दान न कर देना चाहिए ऐसा करने से पाप नहीं लगता।

प्रतिभूत दान की वेयता

याज्ञवल्क्य (२।१७६) ने लिखा है कि प्रतिभूत दान देना जाना चाहिए और प्रवत दान वापस नहीं लेना चाहिए। नारद (ब्रह्मप्रवर्तनिक ८) ने बोधित किया है कि पश्वमुख्य (सामान के रूप में देना गया मुख्य) वेण (मीनर भादि की) आलम्ब न किए दिया गया वन (संगीत नृत्य भादि में) स्नेह-दान धय्या-दान दान्वा के वय में दिया गया वन एक बामिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों से दिया गया दान वापस नहीं किया जाता। किन्तु यदि दान जमी दिया न गया हो केवल अभी नवन देना हो तो उसे पूरा नहीं माता जाना चाहिए और उसका अन्वयाकरण ही सकता है। गौतम (५।२१) ने लिखा है कि यदि दान सेनेवाला व्यक्ति कुपात्र ही अधार्मिक वा वैश्यामायी हो तो उस प्रतिभूत दान नहीं देना चाहिए। यही बात मनु (८।२१२) में भी पायी जाती है। नारदायन ने लिखा है कि ब्राह्मण की प्रतिभूत दान न देन व स्थिति उस ब्राह्मण का इस लोक एवं परलोक में खूबी हो जाता है (अपराध पृ. ७८३)।

अप्रामाणिक दान

गौतम (५।२२) ने लिखा है कि भावावेध में आकर, यथा भोज या आत्यधिक प्रसन्नता के कारण मयरीत हीनर उन्मादवस्था में लौन के कारण अन्वयावस्था (१६ वर्ष के भीतर) क नारद अत्यधिक बुझापे में मूर्खतावद्य अता-वन्धा म या पागलपन व नान्य प्रतिभन्त किया गया दान नहीं भी दिया जा सकता। नारद ने १६ प्रकार के अप्रामाणिक दानों की वर्णना की है—उपवृत्त बन्धित (गौतम ५।२३) जिनम प्रसन्नता एव लोभ जनिन दानों को छोड़ दिया गया है) दान पूम में परिहृत में देना पहचाने अन्य नो बधन वय में दिया गया दान छत से प्रतिभूत हो जाने में अन्वयित

अध्याय २६

प्रतिष्ठा एवं उत्सव

गठ अध्याय में हमने राज के नियम में विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसने उपरान्त हम स्वभावतः प्रतिष्ठा एवं उत्सव की चर्चा पर आ जाते हैं। जनकस्याय के लिए मन्दिरों का निर्माण जनम देवों की प्रतिमाओं की स्थापना एवं रूप-तालाब-बाटिका-आदि का समर्पण प्रतिष्ठा एवं उत्सवों का नाम से पुकारे जाते हैं। हमने बहुत पढ़ा-पढ़ा किमा है कि मन्दिरों-क्यों तथा अन्य धार्मिक-संस्थाओं का निर्माण पूर्व-वर्ष के अन्तर्गत जाता है और पूज्य-लीन यह कार्य कर सकते थे। मात्रवस्वय (२।११४) की टीका मितासरा के मत से सिन्धवा (विजया भी) पूर्व-वर्षों के लिए जन-व्यय कर सकती थी (यद्यपि वे वैदिक-यज्ञ-आदि नहीं कर सकती थी)। बहुत प्राचीन-काल से धार्मिक-काम एवं उपयोग के लिए धार्मिक-कार्यों एवं वस्तुओं से सम्बन्धित नियम बने हुए हैं। धरर ने स्मृतिषो के प्रतिष्ठा-विषयक-नियमों की मूर्ति पर आधारित माना है (बैमिनि १।३।२)। ऋग्वेद (१।१७।१) में पुण्डरिणी (तालाब) का उल्लेख हुआ है। विष्णु-धर्मसूत्र (१।१।२) के मत से जो व्यक्ति जन-हित के लिए रूप-जुदवाता है उसके जाये पाप-उपये पापी निकलने के साथ ही मृत हो जाते हैं जो व्यक्ति तालाब-जुदवाता है वह सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है और ब्रह्म-मीक में निवास करता है। राज में काबम्बरी में लिखा है कि स्मृतिषो के अनुसार-छोटी को जन-समायवन-आशय रूप-प्रपाएँ (पीसरे) बाटिकाएँ, मन्दिर, बीच-वस-यत्र (बटयन्त्र) आदि बनवाने चाहिए। कुछ ऋषिषो ने ही यहाँ तक कहा है कि यज्ञों से केवल स्वर्ग मिलता है किन्तु पूर्व-वर्षों-मन्दिरों-तालाबों-एवं-बाटिकाओं के निर्माण से सद्यः से मूर्ति ही जाती है।^१ इससे स्पष्ट है कि जन-कस्याय के लिए किये गये कार्य-प्रकार-इतने-ध-जिनमें केवल-इन्द्रियों-को-काम-होता-या-कई-गुने-अच्छे-माने-जाते-थे।

रूप-या-तालाब-की-प्रतिष्ठा-विधि—शाखायन-सूत्र (५।२) में रूप-या-तालाब-जुदवाने-एवं-उपकी-प्रतिष्ठा-के-विषय-में-विधि-लिखी-है-यथा-सुक्त-पक्ष-में-या-विधी-मगलम-विधि-के-दिन-रूप-में-थी-का-च-उचाना-हुमा-सोचन) पकाकर-वाता-की-‘ए-मो-अन्ते’ (ऋग्वेद-७।१।४-५) तथा ‘ज-ते-हेव’ (ऋग्वेद-१।२।४।४) ‘इ-मे-व-च-’ (ऋग्वेद-१।२।५।१९) ‘जु-उ-म-व-च-’ (ऋग्वेद-१।२।४।१५) इ-मा-वि-यन्’ (ऋग्वेद-८।४।२।३) नामक-मन्त्रों-के-सह-यज्ञ-करना-चाहिए। मन्त्र-में-रूप-की-वाह्य-विधी-ही-जाती-है-और-मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद-१।८।१।३७-१।२।१।७-एवं-७।८।१।५) होता-है। इस-यज्ञ-की-वर्षिका-है-एक-जोबा-बीती-तथा-एक-गाय। इसके-उपरान्त-इन्द्र-मीक-होता-है।

रूप-एवं-जहास्य-के-प्रधान-तथा-प्रतिष्ठा-के-विषय-में-अन्य-धर्मशास्त्र-सम्बन्धी-ग्रन्थों-में-पर्याप्त-विस्तार-पाया-जाता-है (आश्वलायन-गृह्यपरिधिष्ट-७।९-पारस्कर-गृह्यपरिधिष्ट-मत्स्यपुराण-५८, अग्निपुराण-३४)। किन्तु-हम-इस-विस्तार-में-गहरी-पढेंगे। अथवा-पुराणों-में-वर्णित-विधि-को-ही-उप-प्रति-महत्त्व-दिया-जाते-हैं-जना-है (अपरार्क-पृ-१५)।

१ इन्द्रापूर्वी-स्मृती-वर्षी-मुनी-ती-सिष्य-सम्पत्ती। प्रतिष्ठा-स-तयो-पूर्व-निष्क-व्यावृत्त-वन्तः॥ मुनि-सुनिष्ठ-पूर्व-निष्क-वैश्वानर-वन्तः॥ अग्निपुराण (इन्द्रापूर्व-वन्तः, पृ-१-में-उद्धृत)।

बराहर्ष (पृ २ ९४१४) हेमाद्रि (दान पृ ९९७-१ २९) दानत्रियाकीमुदी (पृ० १६ १८१) जसा पनोपर्स-राज (रघुनन्दनचन्द्र) तीरुक्त इष्ट प्रतिष्ठामयूक्त एक उत्सर्गमयूक्त राजधर्मकौस्तुभ (पृ १७१ २२३) बादि ज्ञानो ने बुरो जसासबो पुष्करिणीयो आवि की प्रतिष्ठा के नियम में बिनाय विधि की है। यह विधि मूहपरि किये पुष्यो (मत्स्य ५८ आवि) सन्तो पाञ्चरात्र तथा अन्य ज्ञानो पर आचारित है। हम इस विधि का बर्णन यहाँ नहीं दे सकेंगे। विस्तारपूर्ण विधि के मूल में जो बात भी बहु केबल जसासय के बर कौ पवित्रता से सम्बन्धित है, क्योंकि पूजा-पाठ तथा बार्मिक नियम-नकाय से वस्तु की पवित्रता प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठा का सामान्य तात्पर्य है व्यक्तिका इत्थो के साथ जनता की समर्पण।^१ प्रतिष्ठा की विधि में चार मुख्य स्तर हैं—(१) सकल्प (२) होम (३) उत्सर्ग (इसका उत्सर्गोप कि वस्तु दे दी गयी है) तथा (४) बलिदान एवं ब्राह्मण भोजन। मन्त्रि के लिए उचित यज्ञ है प्रतिष्ठा न कि उत्सर्ग।

दान एवं उत्सर्ग में भेद—दान एक उत्सर्ग के पारिभाषिक अर्थ में कुछ अन्तर है। दान में स्वामी अपना स्वामित्व किसी वस्तु की दे देता है और उसका उस वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता अर्थात् तो वह उसका प्रयोग कर सकता और न उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही रह सकता है। किन्तु जब उत्सर्ग दिया जाता है तो वस्तु जनता की हो जाती है और बाता जनता के सत्त्वय के रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। यह धारणा अधिकार सेनको की है कि तु कुछ सेवन उत्सर्ग की हुई वस्तु का बाता द्वारा प्रयोग अनुचित ठहराये हैं।

जसासयों के प्रकार

जन-नकाय के सिद्ध बुराये हुए जसासयों के चार प्रकार होते हैं—कूप बापी पुष्करिणी एव तडाग। कुछ ज्ञानो ने किता है कि अनुसूजाकार या बृत्ताकार होते से कूप का व्यास ५ हाय स ५ हाय तक हो सकता है और इतना व्यास रखना पानी तक पहुँचने के लिए सीधिया नहीं होती। बापी वह कूप होता है जिसमें चार और से पा तीन हो या एक और से तीरियाँ हो और जिसका मुख ५ से १ हाय तक हो। पुष्करिणी १ स २ हाय व्यास की होती है। तडाग २ से ३ हाय व्यास होता है। अल्पपुराण (१५४५१२) के अनुसार बापी १ बुरो न बराबर कर (महत्त जसासय) ? बापियों के बराबर होता है एक पुत्र १ ह्वर के बराबर तथा एक बृत्त १ पुत्रो के बराबर होता है। रघुनन्दन द्वारा उद्धृत बसिष्ठसंहिता के अनुसार पुष्करिणी ४ हाय लम्बी और तडाग इनका गण कुना कहा होता है।

बुद्ध-महत्ता एव बुद्धारोपण आदि

बुद्धमहत्ता—भारत में बुद्धो की महत्ता सभी कालो में गायी गयी है। वे यत्र म पूर्वा (जिनमें बलि का अनुमान जाता है) के लिए, इत्य (ईश्वर या मनिषाको) के लिए, मूब बुद्ध आदि यज्ञयात्री एव बरपुत्रा आदि के लिए उपास्यो होते हैं। वैश्वीय ब्राह्मण (१।१।३) के मान प्रकार के पवित्र बुद्ध बनाय है। मैत्रितीय मणिता (३।४।८।४) के मत के इत्य (मनिषायो) स्वर्गोप उद्ध्वर अस्वय एव पक्ष नामन बुद्धो की होती है क्योंकि उतम मन्त्रो एव

१ सदा अर्थ पवित्र व्याख्यजसत्सुतम्। बुद्धायैवापि रात्रेण न स्पष्टव्यक्तसत्सुतम् ॥ बादीरूपनडागाशो ब्राह्मण व्याख्यसुतम्। अयेयं तद् अनेकानं पीत्वा ब्राह्मण्यम चरेत् ॥ बसिष्ठपुराण (निर्भवजिन्म ३ बुद्धि पृ ३१४ से उद्धृत)। प्रतिष्ठापनं तद्विधियेत्सत्सुतं तद्विधयः ॥ दानत्रियाकीमुदी, पृ १६६।

अप्यराजो ना निवासः । इसके अतिरिक्त ब्रह्म अपने इच्छित पनाको में पतिवो को जोरस एव उच्च नीर देते हैं ब्रह्म से बूझो की हरी पतियां (यथा जाम आदि बूझो की) आनकक भी सुभावसरो पर मन्त्रयो मा हारीं पर जोरन स्य में बांधी जाती हैं। हेमाद्रि ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि अरवत्त उद्धुम्बर, फला आम्र (जाम) एव म्यदीय की टहिनियां एव पतियां पञ्चवज्र कही जाती हैं और सभी इत्यो मे मन्त्रमय भागी जाती हैं। बीबास धर्मसूत्र (२।३।२५) में आया है कि पसाध परम पवित्र है अतः उसके भाग से मांसन सङ्गाम् बन्तबावन आदि नहीं बनने चाहिए। ब्रह्म रूप से बचाते हैं तथा बेवो एव पितरो को बचाने क लिए पुष्प-फल देते हैं। गिर जाने पर उनकी ककडियों से भर बनाये जाते हैं उनसे माता प्रकार के सामान बनाये जाते हैं तथा उन्हें बसाकर बीबन बनाया जाता है एव घीत से रसा भी जाती हैं। अपने घातवें स्तम्भाकिलेस मे अशोक के आठ कोस की दूरी पर रूप-निर्माण एव बट ब्रह्म समाने की चर्चा की है (देखिए कार्पस इतिव्ययम् इतिव्ययम् जिल्ब १ पृ १३४ १३५)। महाभाष्य (जिल्ब १ पृ १४) ने एक अति प्राचीन पद्य का अर्थ उद्धृत किया है जिसका तात्पर्य है कि जो आम को पली बेगा है वीर उसकी सेवा करता है उसके पितृजन उससे प्रसन्न रहते हैं। मनु (४।३९) एव याज्ञवल्क्य (१।१३३) ने स्नातको के लिए मार्ग के प्रसिद्ध बूझो (यथा अरवत्त) की परिष्कार कराना आवश्यक माना है। बाब ने काबम्बरी मे पुत्र की इच्छा करनेवाली स्त्री द्वारा बूझो की पूजा की चर्चा की है।

बूझो के प्रकार एवं उनकी सेवा—महाभाष्य (अनुशासनपर्व ५।८।२३ ३२) में वेद-वीथो के जीवन की प्रकृत प्रससा की है और उन्हें ९ पाथो मे बाँटा है यथा—ब्रह्म (पेड़) कला (जो बूझो के सहारे ढटकी रहती है) बल्की (जो पृथिवी पर फैली है) मुसम (साड़ियाँ) लकसार (ऐसे वस्तु जिनका ऊपरी भाग प्रबल या मजबूत रहता है किन्तु जो भीतर से पोके रहते हैं जैसे बाँस आदि) एव भास। महाभारत मे वही मह भी आया है कि जो ब्रह्म धरते हैं वे अपने रसा पाते हैं अतः उनकी सेवा पुत्रो के समान करनी चाहिए। यही बात दूसरे क्रम से विष्णुधर्मसूत्र (१।१।४) में भी पायी जाती है। हेमाद्रि (शान पृ १ ३०-३१) ने पद्यपुराण को उद्धृत कर बताया है कि किस प्रकार अरवत्त, बजोर कम्पिता (इमली) आदि (अनार) आदि वेद-वीथो लगाने से क्रम से सम्पत्ति पापनोषण बीर्षाव, स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। ब्रह्म-बीठम में अरवत्त की समता थी इत्यु से भी है। महाभारत में भीय (समाधिस्तूप वा विष्णुधर्मसूत्र) वाले अरवत्त ब्रह्म की पतियां तथा लोडना बजित माना है (शान्तिपर्व ९९।४२)। शान्तिपर्व (१।८।१ १०)

३ ब्रह्म की उपयोगिता से प्रभावित हो ब्रह्मि ने उसकी आधिकारिक प्रशंसा में निम्न उद्गार कहा है—

एक वीर से ब्रह्म बड़ा है रात-दिवस तब वही बड़ा है!

मत्ता और प्रजातों से अग्नि से जिसलय मुझ कुल छोड़ा है।

४ आशासत्र लिखतः पितरश्च भीविताः। महाभाष्य जिल्ब १ पृ १४। बूझों से जो लाभ होते हैं, उनके विषय मे देखिए अनुशासनपर्व (५।८।२८ ३) एव विष्णुधर्मसूत्र (१।१।५-८)। आधुनिक भारत में स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रति वर्ष बन-महोत्सव मनाया जाता है और स्वान-स्वान वर ब्रह्म-रोपण हो रहा है। बहाइयों के बूझों के बट जाने से अन्न का अभाव होता था रहा है अनापूर्ति से वही-वही हाड़काट हो रहा है। भारत-सरकार अब बूझों के बट्टरब को समझ रही है। हमारे अर्थियों ने बूझों की महत्ता पर जो कुछ लिखा है वह सार्थक था, क्योंकि आश्रम के रूप-व्यवस्थाओं तथा भूयोल विद्या-विद्यार्थियों ने ब्रह्म-महत्ता की वैज्ञानिकता स्पष्ट कर दी है। (अ)

५ ब्रह्म पुत्रबद्ध ब्रह्मस्तारधर्म परम वः। तस्मात्तस्माने तद्ब्रह्मा रोप्यः ध्येयोविना तथा। पुत्रवत्परिवासात्पुत्र पुत्राते प्रभत स्मृतः। अनुशासन ५।८।३०-३१ ब्रह्मारीपयिनुब्रह्मा परमोऽपुत्रा अवन्ति। विष्णुधर्मसूत्र १।१।४

के देव-प्रीति में जीवित माना है और कहा है कि वे भी गुण-गुण (हृद्य-कलेष्ट) का अनुभव करते हैं और वाट स्थित जान पर अनुष्ठित होते हैं। उद्यम्यमयूख (पृ १६) में उद्भूत भविष्यपुराण के मत से आ स्थिति एक अस्त्राण या एक विष्णुर्ष (श्रीम) या एक स्वयंसेवा या एक इमर्षी या तीम कपिल्व विस्व तथा कामरुक् या पाण काम के पंच स्मार्ता है पर मरत न मही जाता। मत्स्यपुराण (२७।२८२९) के अनुसार मन्दिरे के मध्य के पूर्वे फलवापर बुरा लगाय काम चाहिए, इक्षिम में दूध की तरह रस बांके बुरा लगाये जाने चाहिए पश्चिम भाग में कमरी श्र पूष अनामय रहना चाहिए तथा उत्तर में पुण्य-जातिना तथा सरक एक ठाम के बुरा होना चाहिए। अग्निपंचमयूख (१९।११ १०) में यज्ञ में पात्र जाने बाक बुरी तथा नदी की भूमि बाक बुरी के अनिरिक्त अथ फूट-फूट वेन बाक बुरा को वाटन में मना गया है। निष्यधर्मयूख (५।५५।५९) में फल वेन बास पुण्य वेन बाक बुरी की टोड़न तथा छटा मृग या घाम बाग्ने जाने कोलो के लिए राजा द्वारा इष्ट दिये जाने की व्यवस्था की है।

वाटिका-वाटविधि—हमात्रि (दान पृ १ २९ १ ५५) में बृधारोपक वाटिका-गमर्षय तथा बृध-दान में अत्र पूष के विषय में भविष्यर किता है। शांतायनपुण्यपरिगिष्ट (६।१) मत्स्यपुराण (५९) अग्निपुराण (७) तथा अन्य ग्रन्थों में वाटिका के समर्पण की विधि बतायी गयी है। यह विधि कया एव तटाका के समर्पण की विधि पर आधारित है, कबल मना में विधिप्रदा है। सद्ये म शांतायनपुण्य (५।२) द्वारा उचित विधि या है—वाटिका में पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर, स्वाहीनाक (मीत्रन) तैयार करके वाटा की “विष्णवे स्वाहा इन्द्राग्निभ्या स्वाहा विस्वकर्षणे स्वाहा” तथा ऋष्येव (३।८।६) के मन्त्र पढ़कर होम करना चाहिए। इसके उपरान्त यह वाटिका में बस्ये घटवस्त्रो बिरोह’ (ऋष्येव ३।८।११) नामक मन्त्र पढ़ता है। इस यज्ञ की इतिहा मीना होती है।

देव प्रतिष्ठा

देवपूजा के प्रकार—घटवि धर्ममूर्ती मन्दिरो एव प्रतिमाको रा उक्त्य पाया जाता है विष्णु देवता प्रतिष्ठापन की विधि की कर्षा विधी भी प्रमथ गुह्य या धर्मयूख में नहीं पायी जाती। पुराणा एव कुछ निबन्धों में देव-प्रतिष्ठा पर भविष्यर किता गया है (मत्स्यपुराण २६८ अग्निपुराण ६ एव ६६ आदि)। विष्णु विध आदि की प्रतिमाको के प्रतिष्ठापन पर अरुण-अरुण अध्याय लिख गये हैं। यहाँ मन्त्र का विस्तार देना बज्जि है। देवता-पूजा का मूर्ती म हा मूर्ती है (१) किता विधी प्रतीक के तथा (२) प्रतीक के साथ। प्रथम प्रकार की पूजा मूर्ति एव इत्य म मन्त्रादिन होती है और दूसरे प्रकार की मूर्ति-पूजा के रूप में। मूर्तिपूजा की यह बातें हैं कि देवता के रूप विष्णु अर्थात् विष्णु का एक किता मूर्ती का होता है विभिन्न मूर्तियों के रूप में रहने बाव देवता की स्थिति कल्पना मात्र है।

मूर्ति रूप में देव-पूजा के प्रकार—मूर्ति के रूप में देव-पूजा की दो प्रकार की होती है (१) अथ पर म की जाने वाली तथा (२) अथ मन्दिरे में। त्रितीय प्रकार मूर्तितम कहा गया है (बुध ग्रन्थों द्वारा) क्यानि इगर्ग द्वारा

१. अत्रात्मकेकं विष्णुमर्दिकं गद्योपमेकं ह्यत्र विधिभीकम् ।
 अग्निविस्वनायतनत्रयं च परुषाप्रजापी नरक न परमेत् ॥
 अग्निपुराण (उत्तरमयूख पृ १६ एव राजवन्दनीसुत्र पृ १८६ में उद्धृत) ।
 २. विष्णुपराशरितीयस्य निष्कलस्यागतीरिणः उपानताना कार्यार्षे इष्ट्या रूपरूपया ॥ (उद्यम्यर के इष्ट्यापारक, पृ ५ में उद्धृत) ।

उत्सवा का मनाया तथा उपचार न विधि इनको पूर्णता के साथ अपनाता सरल एवं सम्मिश्र होता है। हमने देवपूजा के अध्याय में व्यक्तिगत मूर्ति-पूजा के विषय में लिखा है। हम यहाँ मन्दिर की देव-पूजा का वर्णन उपस्थित करते हैं।

मन्दिरों में मूर्ति-स्थापना के प्रकार—मन्दिरों में मूर्ति-स्थापना के दो प्रकार हैं (१) चक्रार्च (विषम मूर्ति उठावी या सजती है और अन्यत्र भी रखी जा सकती है) तथा (२) स्थिरार्च (जहाँ मूर्ति स्थिर रूप से फलक पर जमी रहती है और इसमें उभार हुनायी नहीं जा सकती)। इन दोनों प्रकार की प्रतिष्ठाओं के विवरण में कुछ अन्तर है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६४-२९६) में विषम वर्णन किया गया है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं दे रहे हैं। जिज्ञानु पाठकी को बाह्य कि वे मत्स्यपुराण का अध्ययन कर सकें। मध्य काल के निबन्धों (जहाँ देवप्रतिष्ठातत्त्व आदि) में कुछ तार्किक प्रश्नों के उत्तरको से विस्तार बढ़ गया है।

मत्स्यपुराण अग्निपुराण मूर्तिहपुराण निर्णयसिन्धु तथा अन्य इनकी से बासुदेव सिंग एवं अन्य देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के विषय में विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इन प्रश्नों में तार्किक प्रयोगों के अनुसार मायुकाभास तत्त्वग्याप्त एवं अन्वग्याप्त नामक कई श्रेणियों की चर्चा हुई है।

शैलान्तमर्त्यार्तसूत्र (४१-११) में विष्णुमूर्ति की स्थापना के विषय में वर्णन मिलता है। विष्णु मूर्ति-स्थापना का यह विवरण किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर में स्थापित मूर्ति के विषय में ही है। इस विवरण को हम उद्धृत नहीं कर रहे हैं।

देवगण्ठी

बहुत प्राचीन काल से ही मन्दिरों में सलज्ज मूर्तियों की व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था का उद्गम रोम की बेस्टल्ल अरिस्त नामक संस्था के समान ही है। राजतरंगिणी (४१-१९) में दो मन्दिर-मूर्तियों की चर्चा हुई है (देव कुहाभित्त मूर्तियों) जो पूर्विकी में बने एवं मन्दिर के स्तम्भ पर भाषती-गाती थी। भाषणी (कामदेव जिज्ञा) के शिलालेख (१-१९-१-७ ई) में गोविन्दराज के शान्त-वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने भाषने-याने वाली विलासिनी की प्रकल्प किया था (एशियाटिक सोसायटी ट्रान्जैक्शन २५-२२७)। चाहूमान राजा जोरसदेव के शिलालेख (१-१०-११ ई) में ज्ञान होता है कि उन्होंने एक जलज में सभी मन्दिरों की मूर्तियों की मुन्दर से मुन्दर सम्बाधरणों से मुसगिन हीनर जाने का आदेश दिया था और जो नहीं था सजी भी उनके प्रति अपना जाकीम प्रकट किया था (एशियाटिक सोसायटी ट्रान्जैक्शन २९-२७)। इस विषय में और देगिए एशियाटिक सोसायटी ट्रान्जैक्शन १३-१५-१८। उपर्युक्त प्रथा की देवराणी की प्रथा कहते हैं। रत्नागिरि जिले (दक्षिण भारत) में इस प्रथा की भाषिणी की प्रथा कहा जाता था। अब यह प्रथा गैरकानूनी ठहरा दी गयी है। यहाँके मन्दिरों की स्थापना तथा मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ कर्माओं का भी शान होता था जो देवराणी कहलाती थी। देवराणियों की पवित्र इन में रहते हुए देव-पूजा के समय या समय-समय पर नृत्य-नाच करना पड़ता था। किन्तु कालान्तर में यह प्रथा व्यक्तिगत की मूर्ति करने लगी और मन्दिर में सलज्ज देवराणियों के समान समझी जाने लगी। भाष्यक अब यह प्रथा समाप्त हो गयी है। देवराणी का मानसिक विवाह मूर्ति में होता था।

८ (मन्दिरों की मूर्तियों से शान्तिग कर्माओं का विवाह कर दिया जाता था।) 'देवराणी' का अर्थ है 'देव की बाली और 'भाषिणी' शब्द 'भाषिणी' शब्द से निकला है और इसका अर्थ है 'भाष करने वाली गायी'। 'भाष' का अर्थ 'देव का प्रेम' (रत्नसंघर्ष विषया भाष इति प्रोचतः, काव्यप्रकाश ४।३५) है।

पुन प्रतिष्ठा

ब्रह्मप्रतिष्ठातत्त्व एव निर्णयसिन्धु मे ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि निम्नोक्त वचन ब्रह्माजी म देवता मूर्ति म निवाच करना ठाढ़ देते हैं जब मूर्ति क्षणिक हो जाय चकनाचूर हो जाय बका भी जाय फलक (आधार) से हटा भी जाय उसका अपमान हो जाय उसकी पूजा बन्ध हो गयी हो गरहा-जैस पशुमो से छु छी गयी हो अपवित्र स्थान पर निर जाय दूसरे देवताओं के मन्त्रो से पूजित हो गयी हो पत्तियो या जातिभ्युतो से छु सी गयी हो। जब मूर्ति का स्पर्श बाह्य-रक्त से घब से या पतित से हो जाय तो उसकी पुन प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जब मूर्ति के टकड़े हो जायें या चकनाचूर हो जाय तो उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। जब मूर्ति तोड़ भी जाय या चुरा ली जाय तो उपचार करना चाहिए। यदि चालुओं की मूर्तियाँ बाघ या बाघबालों द्वारा छु ली जायें तो उन्हें अन्य पात्रा भी मूर्ति पवित्र कर फिर से प्रतिष्ठित करना चाहिए। जब उचित रूप से स्थापित हो जाने के उपरान्त मूर्ति की पूजा मूक से एक रात्रि या एक मास या दो मासो तक न हो या उसे कोई शूद्र या रजस्वलानारी छु से तो उसका ब्रह्म-अधिवास (ब्रह्म रचना) होना चाहिए, उसे बट-अध से लहसाकर, पञ्चगव्य से पोता चाहिए, इसके उपरान्त घड़ो क स्वयंउ ब्रह्म से पुण्य-मुक्त पढ़कर नहलाना चाहिए (ऋग्वेद १। १९)। पुरयसूक्त का पाठ ८ बार या ८ बार या २८ बार होना चाहिए। इसके उपरान्त अल्पन एक पुष्प से पूजा कर, नैवेद्य (मुड़ के साथ भावक पकाकर) देना चाहिए। यह पुन स्थापन की विधि है।

जीर्णोद्धार

पुन प्रतिष्ठा के साथ यह विषय सम्बन्धित है। अग्निपुराण (अध्याय १७ एव १ ३) म बर्धन बानी के आधार पर निर्णयसिन्धु (३ पूर्वार्ध पृ ३५३) एव बर्धसिन्धु (३ पूर्वार्ध पृ ३३५) ने बिलुप्त विवरण उपस्थित किया है। मन्दिर की मूर्ति के ब्रह्म जाने उलझ जान या स्वानान्तरित किये जाने पर जीर्णोद्धार किया जाता है। अग्निपुराण (१ ३।८) ने लिखा है कि यदि कोई ऋग् या मूर्ति तीव्र धारा से बह जाय तो उसका धात्व के नियमो न अनुसार पुन स्थापन होना चाहिए। अग्निपुराण (१ ३।२१) के मत म अनुरो (बाघामुखचारि) या मुनियो या देवताओं या एतन्निष्ठाविधारो द्वारा स्थापित ऋग् को चाह बह पुराना हो गया हो या टूट गया हो दूसरे स्थान पर नहीं स जाना चाहिए, चाहे बर्धो मूर्ति पूजा चारि सम्पारित कर ही गयी हो। अग्निपुराण (१.७।३ ६) ने लिखा है कि जीर्णोद्धार वाप्य-प्रतिमा बका डाकी जानी चाहिए, बीनी डी प्रस्तर-मूर्ति बल म प्रवाहित कर देनी चाहिए, धानु एव रत्नो (मैला चारि) की बनी जीर्ण-दीर्घ मूर्ति गहरे जल या समुद्र म डाल ही जानी चाहिए। यह कार्य बट गट-बट तथा चाहे-चाहे न मात्र तथा मूर्ति की बल म लोटेकर करना चाहिए और उनी दिन उनी बन्तु मे निर्मित तथा उनी ही बनी दूसरी मूर्ति विधिबन्त पूजा क उपरान्त स्थापित कर देनी चाहिए। जब प्रति दिन की पूजा बन्तु ही जाय या जब मूर्ति का गुरु चारि छ से तो पुन प्रतिष्ठापन न उपरान्त ही पवित्रोत्तरक ही मचना है।

निर्णयसिन्धु बर्धसिन्धु तथा अन्य ग्रन्था मे जीर्णोद्धार-विधि विवरण रूप म बर्धन है। बृह-हारीण (1८ ४।५) म सी इस पर लिखा है। विवाहसंग्रहालय द्वारा उद्धृत सम्बन्धित मे आया है कि जब प्रतिमा क्षतिग्रत तथा बुर, पक्का बाँध बकाघाय बत कोई टाड़-पीड़ है तो उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए तथा उपरान्त को ८ पना वा

१. चाहेदेन प्रवाहेन तदवाचिपते घटि । ततोप्यत्रादि संस्थाप्य विधिवृष्टेन बर्धया ॥ अनुदीर्घनिर्णोर्धे सत्पञ्चविंश प्रतिष्ठितम् ॥ बीर्धे वाप्यपक्वा प्रम्य विधिनापि न जानयेत् ॥ अग्निपुराण १ ३।४ एव २१ ।

इसके निम्नता चाहिए।" पूजा बन्ध ही जाने पर कुछ सेसको मे पुन प्रतिष्ठा की बात पक्की है किन्तु कुछ जन्म को भी मे बन्ध 'प्रोक्षण' की व्यवस्था की है (देवप्रतिष्ठातरण पृ ५१२ एवं धर्मसिन्धु ३ पूर्वाह्न पृ ३३५)। मुसलमानों द्वारा छोड़ी गयी एक प्रतिमा के पुन स्थापन का बर्णन एपिपैफिया इण्डिका (जिब्र २ अनुक्रमिका पृ ५९ संख्या ३८१) में बर्णित एक चिल्लासेख (११७८-७९ ई) में पाया जाता है।

मठ-प्रतिष्ठा

मठों का अर्थ—मठ प्रतिष्ठा से तात्पर्य है मुनिवास आश्रम विहार या मठ की या अल्पावकाश तथा छात्रों के लिए महाविद्यालय की स्थापना। मठ-स्थापना बहुत प्राचीन प्रथा मठी है। श्रीमद्यजुर्वेदसूत्र (३।१।१६) ने अग्निहोत्री ब्राह्मण के विषय में लिखा है—'अपने गृह से प्रस्थान करने के उपरांत वह (गृहस्थ) धाम की सीमा पर रहकर जाता है वहाँ वह एक कुटी या पर्यवास (मठ) बनाता है और उसमें प्रवेश करता है। यहाँ 'मठ' शब्द का कोई पारिभाषिक अर्थ नहीं है। अमरकोश में मठ की परिभाषा यों की हुई है—'वह स्थान जहाँ शिष्य (और उनके गुरु) रहते हैं। मन्दिर या मठ का निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की धार्मिक प्रथा या मनोभाव है किन्तु उनके उद्देश्य पृथक्-पृथक् हैं। मन्दिर का निर्माण मुख्यतः पूजा एवं स्तुति करने के लिए होता है किन्तु इसमें धार्मिक शिष्या महामातृ रामानन्द एवं पुराणों का पाठ तथा मण्डलमय कौर्त्तन आदि की भी व्यवस्था होती थी किन्तु ये बातें योंन मात्र थी। मठों की बातें गिराणों की नहीं एते शिष्यों या अन्य साधारण जनों की शिष्या का प्रवचन का जिनके गुरु किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों या विनी बर्णन के सिद्धान्तों या स्मरणार्थ भीमासा उपयोग आदि विद्या-शास्त्रों की विद्या दिया करते थे। बहुत से मठों में देवस्थल या मन्दिर आदि भी मात्र-साय स्थापित रहते थे किन्तु किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना मठों का प्रमुख बर्तन्य नहीं था। सम्भवतः वैदिक धर्मब्रह्मसिद्धियों के मठों की स्थापना बौद्ध विहारों की अनुकूलि पर ही हुई।' आद्य सारवाचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी 'शुद्धेरी पुरी (गोवर्धन मठ) द्वारा (धारवा मठ) एवं बहरी (अश्वतथमठ)। अश्वतथ सारवाचार्य ने अपने वेदांग-सिद्धान्त के प्रसार के लिए ही उपर्युक्त मठों की स्थापना की थी। भारतवर्ष में विविध प्रकार के मठ पाये जाते हैं। रामानुज एवं माध्व ऐसे आचार्यों ने अपने-अपने मठ स्थापित किये। आज तो सम्भवतः मठों प्रकार के धार्मिक एवं शारीरिक सिद्धान्तों के मठ पाये जाते हैं। शैक्षिक रूप से सारवाचार्य जैसे सन्ध्यामियों द्वारा स्थापित मठों में बौद्ध सम्प्रति नहीं थी क्योंकि धारवा ने सन्ध्यामियों के लिए सम्प्रति की बर्तन ठहराया है। सन्ध्यामी मठों बन्धन गृहस्थ परिपालन भीषणता का तापत्र पर क्लित या बाध पर क्लित धार्मिक पुरतर्क तथा अन्य साधारण बस्तुओं के अनिश्चित अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे। सन्ध्यामी लोगों की एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना भी बर्तन था। आज लोग सन्ध्यामियों के जाने पर उनके आश्रय के लिए अपने कनबे या श्याम मनुष्यों बन्धन होने के शिष्ट मठ बना जाता का जिनका मठों में मठ अर्थ है वह स्थान जहाँ मन्ध्यामी रहते हैं। किन्तु इनका शिष्य मठों में अर्थ है वह स्थान या मन्ध्या जहाँ आचार्य या गुरु की अध्यापना में बहुत-से शिष्य धार्मिक सिद्धान्तों आचार्य तथा सन्ध्यामियों विवरणता का अध्यापन करते हैं या गिणा-शिक्षा पाते हैं। किन्तु बालास्तर में बने-बने आचार्यों के अनुयायियों एवं शिष्यों के अध्यापित उपाय शिष्या एवं लक्षण के मठों की बन्ध एवं बन्धन सम्प्रतियों प्राप्त हो गयी।

१ धर्मशास्त्राचार्य बसवराजने मुनिपालमठों में तारावृत्तवाचन प्रतिनरकारोत्पत्तयं च। विचाररत्नाकर (पृ ३६४)।

२ इतिहास विहारों एवं उनके उद्देश के विषय में ब्रह्मसूत्र (६।१ एवं १५)।

महन्त की नियुक्ति—मठ के मुख्य संस्थानी को स्वामी मठपति महाधिपति या महन्त कहा जाता है। महन्त की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजों या परम्पराओं के अनुसार होती है। नियुक्ति मुख्यतया तीन रूपा में होती है (१) मठ का अधिपति (महन्त) अपने शिष्या व किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना उत्तराधिकारी बना सता है, (२) शिष्य कोय अपने म सं किसी एक को अपने पुत्र का उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तथा (३) सामान करनेवाला या मठ का सहायक या अपने उत्तराधिकारी कोय महन्त की गद्दी कासी हीन पर किसी की नियुक्ति कर देने हैं।

मन्दिर एव मठ

मन्दिर एव मठ धार्मिक एव आध्यात्मिक कार्यों में एक दूसरे के पूरक रह हैं। मन्दिरों में इतिहासों पुराणों धारि का पाठ हुआ करता था। बाबू ने लिखा है कि उत्तराधिका के महाहाल मन्दिर में महाभारत का नियमित पाठ हुआ करता था। रामकृष्णगीता (५।२९) में बताया है कि बन्दीर के राजा अन्तुवर्मा ने रामकृष्ण की नियुक्ति मन्दिर में स्थापना के स्वास्वाता क पद (स्वास्वाम्यपद) पर की (९ ई क समय)। अग्निपुराण (२१।१५७) में मठ में जो व्यक्ति भिन्न विष्णु या सूर्य क मन्दिर में प्रणम करता है वह मत्र प्रकार की बिद्या व ज्ञान का पुण्य पाता है।^१ कुछ मठों में न केवल आध्यात्मिक बिद्या का दान दिया जाता था, प्रत्युत बहो धर्म-निर्गमन बर्णो कीर्तिन बिद्या-दान देने की भी व्यवस्था की (रेविए एतिवैष्टिया इन्डिया रिम्बर १ पृष्ठ ३३८ तथा एतिवैष्टिया इन्डिया रिम्बर ९, पृष्ठा ११)।

शास्त्रविद्या शास्त्र उपनिषद् स्वस्वपुराण के उद्धरण में पता चलता है कि मठ में जो किसी एवं ज्ञानता की व्यवस्था होती थी मठ पुना स आकाशविन होता था और उनमें उनमें स्यात (ब्रह्मविद्या) धारि बन गल था। एम मठ शास्त्रों या मन्त्रात्मियों की मंगलमय मुहूर्त में दान किया जाता था। इस प्रकार व दान में इच्छा-शी की पूर्ति होती थी और निष्ठा बल देने पर मोक्ष प्राप्त होता था।^२

मठों मध्य का प्रयोग कभी-कभी 'धर्मशाखा' (जहाँ बुर-बुर म आचार मात्री कुछ दिनों व सिंग ठहर जाने हैं) व मठ में भी हुआ है। रामकृष्णगीता (१।३) में बताया है कि गली बिद्या न मन्त्रवेद्य धाट एव मीमांसा में मानवात् भोनों व ठहरने के लिए मठ का निर्माण कराया (९७२ ई क समय)।

मठों एव मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबंध

मठों मन्त्रार्थ व मन्त्रियों एव मठों व स्वक पावे जान हैं और उनमें बहुतां व पाम पर्याप्त सम्पत्ति है। इन धार्मिक सम्पत्तियों की सम्पत्ति का प्रबंध तथा उनमें सम्बन्धित स्यात कार्य किम प्रकार होता था तथा उनमें बुद्धव्या पर विद्य प्रसार व प्रतिबन्ध के रूप विद्य म ह्य विष्णार के साथ बिबरण कही नहीं प्राप्त होता। बाल्य म दान मठ की ति प्राचीन काक के धर्मोधिकारी स्वस्वलाधिकारी पुरोहित आदि इतन उद्भवक बरिच जाने व कि उनके प्रबंध में कोई हस्तगत ही नहीं व स्या था और धर्मशास्त्रकारों ने उनमें पून जीवन एव धर्मोचरण व ऊपर किसी बिगिष्ट वानुत

११ सिवालकी विष्णुगुरु सूर्यव्य भवने तथा । लखनऊप्रब स स्वास्वाम्यपदं आचयेत्तु य ॥ अग्निपुराण २१।१५७।

२१ इत्या मठ प्रयत्नैः धर्मशास्त्रमपगतम् । सुश्रुताच्छास्त्रिणं चैव वैदिकानि मुष्मन्तिनाम् ॥ पुष्पवाते द्विष्टेभ्यो वा बलिभ्यो वा निवेद्येत् ॥ सर्वान् धर्मात्मनश्चोनि निष्ठातो भोक्तव्यान्पत्नम् ॥ स्वस्वपुराण (दानबन्धिव्या, १५२ व उद्घृत) ।

व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं समझी। मनु (१.१.२६) ने सिखा है कि 'जो व्यक्ति देव-सम्पत्ति या ब्राह्मण-सम्पत्ति छीनता है वह दूसरे लोक में गूँधी का उच्छिष्ट भोजन करता है। जैमिनि (१.१.१९) को व्याख्या में उल्लेख है कि 'यदि यह कहा जाय कि ग्राम या श्वेत देवता का है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देवता उस ग्राम या श्वेत का प्रतीक करता है अपर्युक्त इसका तात्पर्य यह है कि देवता के पुजारी आदि का उस सम्पत्ति से भरण-पोषण होता है और वह सम्पत्ति उसी की है जो उसे अपने मन में अनुसार काम में लाता है। अतः अन्य दानो तथा मूर्ति के लिए दिये गये दानों में अन्तर है। मेघातिथि (मनु १.१.२६ एव २.१.८९) ने सिखा है कि मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ धार्मिक अर्थ में स्वामी-पद नहीं पा सकतीं वेकस गौतम अर्थ में ही उन्हें सम्पत्ति में स्वामी का पद मिल सकता है क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकती और न उसकी रक्षा ही कर सकती हैं। सम्पत्ति का स्वामित्व जो उसी को प्राप्त होता है जो उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रयोग में ला सके और उसकी रक्षा कर सके।"

धार्मिक काम के भारतीय व्यापारियों ने मूर्ति को सम्पत्ति का स्वामी मान लिया है किन्तु भारत में स्वामित्व एक प्रबन्ध मंत्रालय या ट्रस्टी को प्राप्त है। मठ इसी स्थिति में एक मूर्ति है। मूर्ति या मठ के अधिकारों की रक्षा एक प्रतिपाद्य क्रम से मन्दिर में मंत्रालय (प्रबन्धक) या ट्रस्टी तथा मन्त्र के द्वारा न है। मनु एक अन्य स्मृतिकारों ने लिखा है कि मन्दिरो को सम्पत्ति में किसी प्रकार के अन्वेषण उपस्थित करनेवाले तथा उसका नाश करनेवाले को दण्डित करना राजा का कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य (२.१.२८) ने मन्दिरो के पास के या पवित्र स्थलों के मांसदान-वाटो के बुरो या निर्मित उन्नत स्थलों पर बने हुए वेदों की टहनियों या वेदों को काटने पर ४ ८ या १८ पण दण्ड की व्यवस्था की है। याज्ञवल्क्य (२.१.२४ एव २.१.५) ने राजा द्वारा दिये गये दानपत्रों में अपनी ओर से कुछ धोखे देने या बटा देने पर कठिन-से-कठिन दण्ड की व्यवस्था की है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २.१.८९) ने मण से ठगाने मन्दिरो एक गावों से चरागाहों की रक्षा के लिए बने नियमों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। मनु (१.१.२८) ने सिखा है कि जो राज्य के धन्धार-गृह में सँग लगाता है या धन्धारवाय या मन्दिर में खोरी करने की इच्छा से प्रवेश करता है उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए जो मूर्ति को लौटता है उसे जीर्णोद्धार का पूरा व्यय तथा ५० पण दण्डमाने में देने चाहिए। कौटिल्य (१.१९) ने भी मन्दिरो पर अनधिकार चोरी करनेवाले को दण्डित करने की व्यवस्था की है। कौटिल्य (५.१२) ने 'देवताप्यत्र' नामक राज्य-संचारी की नियुक्ति की बात कही है जो आवश्यकता पसने पर मन्दिरो की सम्पत्ति दुर्गों में छाकर रख सकता था और प्रयोग में ला सकता था (और सम्भवतः विपत्ति टक जाने पर उसे लौटा देता था)। मारक (३) स्मृतिचक्रिका (व्यवहार, पृ. २७) ब्राह्मण्यत तथा अन्य शब्दों की इतिवृत्ति में पता चलता है कि राजा को न मन्दिरो ठगाने कभी आदि की सम्पत्तियों पर निगरानी रखते थे और उन पर किसी प्रकार की विपत्ति जाने पर उनको रक्षा करते थे।

प्राचीन काल में (सामग ई. पू. तीसरी या दूसरी शताब्दी में ही) धार्मिक संस्थाओं की भी एक समिति होती थी जिसे मोक्षी कहा जाता था और उन्नत सदस्यों की गोठिन कहा जाता था। कुछ सिद्धांतों में मन्दिरो में अर्चीपत्नी

१४ देवप्रामो देवशेवमिति उपचारनाम् । यो ब्रह्मिणो विनिवोस्तुमूर्तिं तत्सत्यं स्वम् । न च ग्रामं लोभं वा पञ्चानिप्रापं विनिवृत्ते देवता । देवपरिचारकानां तु ततो मूर्तिर्भवति देवतामृदियं ययवत्तम् । प्रवर (जैमिनि १.१.१९) । नहि देवतायां स्वस्वामिभारोस्ति मुखात्कालकदाच गौतम एवाहो प्राह । मेघातिथि (मनु २.१.८९) ; देवामृदियं यथाविधिपार्थ पश्यन्मनुष्यं तद्देवस्य मुनयस्य स्वस्वामिसम्बन्धस्य देवनामसम्बन्धात् । न हि देवता इच्छता वन निवृत्तये । न च परिपात्मन्याचारतत्तां बुधये । स्व लोभेय तादृमनुष्यते । मेघातिथि (मनु १.१.२६) ।

अध्याय २७

दानप्रस्थ

]

दानप्रस्थ एवं वैश्वानस—दानप्रस्थ के लिए प्राचीन काल में सम्भवतः वैश्वानस एव प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद-अनुष्मन्नी मं १ वैश्वानस ऋष्येव १।६६ व ऋषि बहे गये हैं और ऋष्यन् १।१९ के ऋषि हैं वन्न वैश्वानस। तैत्तिरीयारण्यक (१।२३) ने 'वैश्वानस एव्य का सम्बन्ध प्रजापति के मन्त्रों से स्थापित किया है।' समता है अति प्राचीन काल में 'वैश्वानससास्त्र' नामक कोई ग्रन्थ था जिसमें वन के मुनियों के नियम में निबन्ध लिखे हुए थे। गीतम (३।२) ने दानप्रस्थ आश्रम के लिए 'वैश्वानस' एव्य का प्रयोग किया है। वीषायनबर्मसूत्र (३।१।१९) ने वृषी को दानप्रस्थ माना है जो वैश्वानस-शास्त्र से अनुमोदित नियमों का पालन करता है। बृह-गीतम (अध्याय ८ पृ ५९४) ने सम्भवतः वैष्यवों के दो सम्प्रदाय बताये हैं वैश्वानस एवं पाण्डुरात्रिक जिनमें प्रथम सम्प्रदाय ने विष्णु की पुराण अभ्युत्पन्न एवं अनिष्ट उपनिषदों से पुकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु की कामुदेव चक्रवर्ण प्रथुम्न एवं अनिष्ट मागक चार मूर्तियों या मूहों का माना है। पराशरस्मार्तनीय (भाग २ पृ १३९) ने वसिष्ठबर्मसूत्र (१।११) को उद्धृत करते (शामभेनाग्निमात्राया) लिखा है कि 'शामयक' वह वैश्वानस-सूत्र है जिसमें उपनिषदों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। वाल्मीकि मं शाकुन्तल में कश्यप ऋषि की पर्यकुटी में रहती हुई शकुन्तला के जीवन को वैश्वानस-मत कहा है (१।२७)। मनु (६।२१) ने दानप्रस्थ की वैश्वानस के मत के अनुसार चरने की कहा है और वेदातिथि ने वैश्वानस की ऐसा शास्त्र माना है जिसमें वन में रहने वाले मुनियों या मत्तियों (दानप्रस्थ) के कर्तव्यों का वर्णन हो। महाभारत (शान्तिपर्व २।१६ एवं २६।६) के अनुसार वैश्वानसी का विचार यह है—'वन में पीछे पड़ने की अपेक्षा वन एतल करने की इच्छा न रखना ही अच्छा है। सकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (३।४।२) में तीवरे आश्रम की वैश्वानस कहा है और छात्रोपनिषत् (२।२।१) में प्रयुक्त 'तपस्' शब्द की ओर संकेत किया है।

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।४५) के अनुसार बालप्रस्थ एव्य दानप्रस्थ ही है जिसका शास्त्र है 'वह जो वन में सर्वोत्तम रूप से (जीवन के गठीर नियमों का पालन करते हुए) रहता है। किन्तु सौरस्थानी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे रूप से की है।'

दानप्रस्थ का काल

दानप्रस्थ होने का समय भी प्रचार से हीना है। जाबालोपनिषत् (४) के मत से कोई व्यक्ति छत्र-जीवन में

१ ये महाभारते वैश्वानसाः । ये बालास्ते बालविश्याः । तं आ १।२३।

२ दानप्रस्थो वैश्वानसः प्रथमतः मुवाचारः । वी व सु २।६।१९।

३ वने प्रवेशेन नियमेन च तिष्ठति चरतीति वनप्रस्थः वनप्रस्थ एव दानप्रस्थः । संज्ञायै वैश्वानसः । मिताक्षरा (भाग ३।४५) । सौरस्थानी ने दूसरे रूप से कहा है—'प्रतिष्ठन्ते अस्मिन् प्रस्थे वनप्रस्थे भवौ दानप्रस्थ वैश्वानसाश्च ।'

उपगत या बृहत्स्व रूप में कुछ वर्ष व्यतीत कर लेने के उपरान्त वातप्रस्थ हो सकता है। मनु (६।२) के अनुसार जब बृहत्स्व अपने घटीर पर झुरियाँ देते उसके बाद एक वर्ष और जब उसका पुत्रो के पुत्र हो जायें तो उसे वन की यह केंपी चाहिए। इस नियम में टीकाकारों के विभिन्न मत हैं। कोई तीनो बशाओ (झुरियाँ कस एक जाना पीन उपन हो जाना) को कोई इनमें किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५ वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने को बतलाने वन जाने का उपयुक्त समय समझता है। कुल्बुक (मनु ३।५) में एक स्मृति का उद्धरण देकर ५ वर्ष की अवस्था को वातप्रस्थ के लिए उपयुक्त ठहराया है।

वातप्रस्थ का नियम

वैशम्प (३।२५ ३४) आपस्तम्बधर्मशूत्र (२। १२।१।८ एवं २।१।२।३।२) बौधायनधर्मशूत्र (३।३) धर्मशूत्रधर्मशूत्र (९) मनु (६।१ ३२) याज्ञवल्क्य (३।४५-५५) विष्णुधर्मशूत्र (९५) वैशानस (१। १५) घल स्मृति (६।१-७) धातिसर्व (२४५।१ १४) अनुशासनपर्व (१४२) आश्वमेधिनपर्व (४६।९ १६) लघु विष्णु (१) कर्मपुराण (उत्तरार्ध २७) आदि में वातप्रस्थ के कतिपय नियमों का ब्यौरा दिया है। हम नीचे प्रमुख बातें दे रहे हैं।

(१) वन में अपनी पत्नी के साथ या उस पुत्रों के साथ या छोड़कर, जाना हो सकता है (मनु ९।३ एवं याज्ञ १।४५)। यदि स्त्री चाहें तो साथ जा सकती है। मेधातिथि में टिप्पणी की है कि यदि पत्नी चुनती हो तो वह पुत्रों के साथ रह सकती है किन्तु मूर्खी हो तो वह पनि का अनुसरण कर सकती है।

(२) वातप्रस्थ अपने साथ तीनों वैदिक अग्निवाँ गृह्याग्नि तथा यज्ञ में नाम जान नाम पात्र यथा—मूक मुत्र आदि के भेदा है। साधारणतः यज्ञों में पत्नी का सहयोग आवश्यक माना जाता है किन्तु जब वह अपने पुत्रों के साथ रह सकती है तो यज्ञों में उसने सहयोग की बात नहीं भी उठायी जा सकती। वन में पशुव जान पर व्यक्ति की बनावस्था-पूर्णिमा के दिन धीत यज्ञ करने चाहिए, यथा—आप्रयत्न इष्टि, वानुमन्थि तुरायत्न एवं शशापत्न (मनु ६।१।१ १ एवं याज्ञवल्क्य ३।४५)। यज्ञ के लिए मात्र वन में उपनस होने वाले बाले गीबार नामक यज्ञ में वनता चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार वातप्रस्थ की धीत एक पृथक् अग्नियों का त्याग कर भामण्य (अर्घानि वैशानस-शूत्र)

४ यदि व्यक्ति में अर्धाधान ढंग का अनुत्तरण किया है तो उसके पास धीत एवं गृह्य अग्नियों पृथक्-पृथक् होती हैं। किन्तु यदि उसने अर्धाधान ढंग स्वीकार किया है तो उसके पास संकल धीत अग्नियाँ होती हैं और वह केवल उन्हीं की साथ लेकर चलता है। जब कोई तीनों धीत अग्नियाँ चलता है, तो वह अपनी समस्त अग्नि का आधा वन बाहर रख सकता है, इसी को अर्धाधान ढंग कहा जाता है। जब कोई समस्त अग्नि पृथक् रूप में नहीं रखता तो उसे अर्धाधान ढंग कहा जाता है (वेदिए आपस्तम्बधर्मशूत्र ५ ४।१२-१५ एवं ५।७।८ एवं निर्मलतिष्णु ३ पूर्वाय १ ३७)। यदि व्यक्ति के पास धीत अग्नियाँ नहीं होती तो वह केवल गृह्याग्नि लेकर चलता है। जिसकी पत्नी वन में ही रहूँगी वातप्रस्थ ग्रहण कर सकता है (मिताक्षर, याज्ञ ३।४५)। शशापत्न नामक यज्ञ वर्णपूर्वनात एवं वादितार्थक मास है (माय की ३।१७।४ एवं ११ आश्वमेधपर्व २।१४।७ तथा आश्वमेध १।१।११ की टीका) तुरायत्न तो आश्व की (२।१४।४-६) के अनुसार इष्टयत्न तथा आपस्तम्ब (२।३।२।४।१) के अनुसार यज्ञ है।

अध्याय २७

वानप्रस्थ

]

वानप्रस्थ एवं वैशालस— वानप्रस्थ के लिए प्राचीन काल में सम्भवतः 'वैशालस' शब्द प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद-अनुक्रमणी में १ वैशालस ऋषेय १।६६ के ऋषि बड़े गये हैं और ऋषेय १।१९ के ऋषि हैं वान वैशालस। तैत्तिरीयारण्यक (१।२३) में वैशालस शब्द का सम्बन्ध प्रजापति के नामों से स्थापित किया है।^१ कदाचित् अति प्राचीन काल में 'वैशालसशास्त्र' नामक कोई ग्रन्थ था जिसमें वन के मुनियों के विषय में नियम लिखे हुए थे। पीठय (३।२) में वानप्रस्थ आश्रम के लिए 'वैशालस' शब्द का प्रयोग किया है। श्रीवायनब्रह्मसूत्र (३।१।१९) में उड़ी को वानप्रस्थ माना है जो वैशालस-शास्त्र से अनुसूचित नियमों का पालन करता है। बृह-पीठय (अध्याय ८ पृ ५९४) में सम्भवतः वैशालस के दो सम्प्रदाय बताये हैं वैशालस एवं पारम्पर्यात्मिक जिनमें प्रथम सम्प्रदाय ने विष्णु को पुत्र मान्यता एवं अनिच्छित उपासियों से सुकरा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु को बामुखेय सवर्षेण प्रद्युम्न एवं अनिच्छित नामक चार मूर्तियों या मूर्तियों का माना है। पराशरमाधवीय (भाग २ पृ १३९) में बसिष्ठब्रह्मसूत्र (१।११) को उद्धृत करते (शामभवेनाग्निमाधाय) लिखा है कि 'शामभक' वह वैशालस-सूत्र है जिसने उपस्थियों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। कात्यायन में ब्राह्मणतन्त्र में कथ्य ऋषि की पर्यकुटी में रहती हुई सन्तुष्टता के जीवन को वैशालस-कृत कहा है (१।२७)। मनु (१।२१) में वानप्रस्थ को वैशालस के मत के अनुसार करने को कहा है और वेदातिथि में वैशालस को ऐसा शास्त्र माना है जिसमें वन में रहने वाले मुनियों या पतियों (वानप्रस्थ) के कर्तव्यों का वर्णन है। महाभारत (द्वान्तिपर्व २।१६ एवं २।१६) में अनुसार वैशालसों का विचार यह है—'वन के पीछे पड़ने की अपेक्षा वन एकत्र करने की इच्छा न रखना ही अच्छा है। शकटाचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (१।४।२) में तीसरे आश्रम को वैशालस कहा है और छान्दोग्योपनिषद् (२।२।११) में प्रयुक्त उपशु शब्द की ओर संकेत किया है।

मिताक्षरा (माधवभाष्य ३।४५) के अनुसार वानप्रस्थ शब्द वानप्रस्थ ही है जिसका तात्पर्य है 'वह जो वन में सर्वोत्तम ढंग से (जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हुए) रहता है। किन्तु धीरस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे ढंग से की है।

वानप्रस्थ का काल

वानप्रस्थ होने का समय दो प्रकार से होता है। आबालोपनिषद् (४) के मत से कोई व्यक्ति छान्दोग्य-जीवन के

१ ये महास्ते वैशालसः। ये वासस्ते वासकिष्पाः। तै आ १।२३।

२ वानप्रस्थो वैशालसशास्त्रसमुदायात्। शौ व सू २।१।१९।

३ वने प्रकर्मणं नियमेन च तिष्ठति अरतीति वानप्रस्थः वानप्रस्थ एव वानप्रस्थः। संज्ञाय वैश्वम्। मिताक्षरा (भाग ३।४५)। धीरस्वामी ने दूसरे ढंग से कहा है—'प्रतिष्ठन्ते अतिष्णु प्रस्थ- वानप्रस्थे यदो वानप्रस्थ- वैशाल- महाभारतः।

(११) बहू रात या दिन म केवल एक बार खा सकता है या एक दिन या दो या तीन दिनो क अन्तर पर खा सकता है (विष्णुधर्म १५।५ ६ तथा मनु ६।१९)। बहू पात्रायण व्रत (मनु ११।२१२६) भी कर सकता है या केवल एक म उत्पन्न करने के लिये फूली (मनु ६।२०-२१ एक यात्र ३।५) का खा सकता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक व्रत क उपवास खा सकता है। जमल उम इस प्रकार केवल जम या बामु पर ही निर्भर रहता चाहिए (आपस्तम्ब धर्म २।५।२३।२, मनु ६।११ विष्णुधर्म १५।७-१२)।

(१२) उम मोहन-नामघी एक दिन के लिए या एक मास या केवल एक वर्ष क लिए एकत्र करनी चाहिए और प्रति वर्ष एकत्र ही हुई सामघी आदिब्रत मास म विनष्टि कर देनी चाहिए (मनु ६।१५, यात्र ३।४७ आप ५ २।५।२२ १२४)।

(१३) उमपश्चानि (चारो दिनामा म चार अग्नि एक ऊपर सूर्य) क बीच खड होकर, वर्षा म बाहर खड होकर, मास म मीन बस्त्र धारण कर (मन ६।२ १३४ यात्र ३।५२ एक विष्णुधर्म १५।२।४) कति उपस्था करनी चाहिए और जन्ते परीर को मीनि-मीति क कष्ट बन्ध अपने को सब कुछ सहे करने का सम्पादी बना सना चाहिए।

(१४) उम जमघा किमी बर म रहता बन्ध कर पत्र क मीच निबन्ध करता चाहिए और बबल फर्षा एक बन्ध पुता कर निबन्ध करता चाहिए (मनु ६।२५, कनिष्ठ १११ यात्र ३।५४ आपस्तम्बधर्म २।५।२१)।

(१५) रात्रि म उम खाडी पूर्विणी पर सयन करता चाहिए। आभरण को दवा म बैठकर या चलते हुए या शलाक्याय करण हुए समय बिनाता चाहिए। उम आनन्द रत वाली बस्तु के सेवन म दूर रहता चाहिए (मनु ६।२२ ६२ २१ तथा याज्ञवल्क्य ३।५१)।

(१६) उम अपन धरीर की पवित्रता ज्ञान-अर्थन एक अन्त म मोल-पत्र प्राप्ति क लिए उपनिषदा का पाठ करता चाहिए (मनु ६।२९ १)।

(१७) यदि बालप्रस्थ किमी जमाभ्य रोप म पीणित है अपन कर्तव्य तही कर पाता और अपनी मृत्यु को पात्र म बाधी हुई समझता है, तो उम उत्तर पूत्र की और मुख करने महाप्रस्थान कर देता चाहिए और केवल एक एक बामु पर रहता चाहिए और ठक ठक चलते रहता चाहिए जब तक कि बहू एया गिर कि पुन ग उठ सक (मनु ६।३१ यात्र ३।५५)। मिनाक्षरा एक अपराध (पृ १४५) न याज्ञवल्क्य (३।५५) की व्याख्या म किमी स्मृति का उद्धरण किया है कि बालप्रस्थ को किमी छम्बी यात्रा म लग जाना चाहिए या जल या अग्नि में अपन को छाड देना चाहिए वा अपन को ऊँचाई से नीचे बनेक देना चाहिए।

बालप्रस्था क प्रकार

बीराहणधर्मसूत्र (३।३) ने बालप्रस्था क प्रकार यो ब्रह्मण (जो पत्नी मीरत या पत्नी कन पात्र है) एक अपचमानक (जो अपना जीवन पकात नहीं) ये बर्ली पुन पांच भागो मे विभाजित है। पांच पचमानक है—बर्षारथ्यक संतुषिण के जो केवल पत्नी केवलमूला अग्नि पर निर्भर रहत है जो केवल फलो पर रहत है तथा के जो केवल पात्र-पत्र खाते हैं। इन पांचो म बर्षारथ्यक लोग दो प्रकार के होते हैं—इन्द्रावलिख (जो अपना गन्ध बलि मानकर पकाने है उनमे यमिहीन करत है और उम अग्नि की समर्पित कर स्वयं पाने है) एक सेतोवलिख (जो

१. बालप्रस्थो बुराध्वानं क्वत्तनाम्बप्रव्रधनं भृगुप्रपतनं बामुनिष्ठम्। इति स्वरभान्। मिनाक्षरा (यात्र ३।५५)।

के नियमों के अनुसार तबीत अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञाहुतियाँ देनी चाहिए।^१ इस विषय में श्री रेखिए मीथम (३।३६) आप व सू (२।१।२।२) एव बसिष्ठधर्म (१।१)। अन्त में वातप्रत्यय को अपने घंटीर में ही पवित्र अग्नि को स्थापित कर बाह्य रूप से उमका त्याग कर देना चाहिए (बेलागम सूत्र)। रेखिए मनु (१।२५) एव याज्ञवल्क्य (३।४५)।

(३) मनु (१।५) एव मीथम (३।२६ एव २८) के मत से वातप्रत्यय को अपने गीब बाला मोहन तथा गृहस्त्री के सामान (माय अन्न घयनाशन आदि) का त्याग कर देना चाहिए, और फूस फूस कन्ध-मूस पर तथा बग में या पानी में छत्रबाली बनस्पतियों या पत्तियों के योग्य नौवार, द्वामाक (छाँवा) आदि जनावों पर निर्भर रहना चाहिए। किन्तु उसे मधु, माघ पृथिवी पर अपने बासे कुट्टरपृता मृत्तुय क्षिप्रुक तथा दशेष्मातक फस का छेदन नहीं करना चाहिए (मनु ६।१४)। मीथम में कुछ नहीं मिलने पर भासमोत्री पशुओं द्वारा भारे गये पशुओं के मंस के छेदन की व्यवस्था की है। याज्ञवल्क्य (३।५४-५५) एव मनु (१।२७-२८) ने अन्य पत्तियों के यहाँ मिटा मांगने या नौवों में जाकर आठ घास मोहन मांगने की छूट की है। मनु (१।१२) के मत से वह अपने द्वारा बनाया हुआ ममक का छेदन है।

(४) उसे प्रति दिन पत्र मङ्गापत्र करने चाहिए, अर्थात् दबी ऋषियों पिठरो मागर्षी (अतिथियों) एव मूलां (प्राथियों) को नुजा कर उन्हें पत्तियों के योग्य मोहन देना चाहिए या फली कन्धमूकों एव बनस्पतियों से उत्पन्न करना चाहिए, इसी की मिसा देनी चाहिए।

(५) उसे तीन बार स्नान करना चाहिए प्रात मध्याह्न एव सायंकाल (मनु १।२२ एव २४ याज्ञ ३।४८ बसिष्ठ १।९)। मनु (६।९) ने दो बार (प्रात एव साय) के स्नान की भी व्यवस्था की है।

(६) उसे मृगधर्म बृह की छाल या कुछ से घंटीर बनना चाहिए, और घिर के बाक एव माघून बढने देना चाहिए (मनु ६।६ नीठम ३।३४ बसिष्ठ १।११)।

(७) उसे बेराध्ययन में अन्ना रहनी चाहिए और बिब का मीन पाठ करना चाहिए (आप व २।१।२।६ मनु ६।८ एव याज्ञवल्क्य ३।४८)।

(८) उस समयी आराम निग्रही हिलीपी सभेत तथा सवय (सवार) होना चाहिए। दुस्सून वा बहु मत कि वातप्रत्यय को घाब म पत्नी के रहने पर, नियमित बाको में मँबुल करना चाहिए, आराम है तर्वाति मनु (१।२९) याज्ञ (३।४५) एव बसिष्ठ (१।५) ने इसे बजित माना है।

(९) उध हूक से जीने हुए खेत के अन्न वा चाँहे वह रूपन द्वारा छोड़ ही नवी न दिया गया हो प्रयोग नहीं करना चाहिए और न नौवों में उत्पन्न फली एव कन्ध-मूकों वा ही प्रयोग करना चाहिए (मनु ६।१६ एव याज्ञवल्क्य ३।४६)।

(१०) वह बग म उत्पन्न अन्न को पना सुरता है या जो स्वय पत्र पाय (यथा फल) उसे छा सजना है वा अन्न को पत्तियों म नुचमवर वा सजना है अपने बाँटी में चवाकर छा सजता है। वह अन्न भाजन तथा पामिन इषों में पी वा प्रवाल नहीं कर सजता वह बेबन बग में उत्पन्न होत बाक तीन वा ही प्रयोग कर सजता है (मनु ६।१७ एव याज्ञ ३।४९)।

१. मेपागिन (मनु ६।९) के अनुसार 'घाबकक' अग्नि उत्ती के द्वारा प्रज्वलित की जाती थी जिसकी लपटी भर जाती थी अथवा को छात्र-बीजल के मुक्त बार ही वातप्रत्यय ही अन्ना वा।

(११) बहुरात्र या दिन में केवल एक बार का सकृत्ता है या एक दिन या दो या तीन दिनों के अन्तर पर का सकृत्ता है (विष्णुधर्म १५।५ १ तथा मनु ६।१९)। बहुरात्रायण व्रत (मनु १।१२१६) भी वर सकृत्ता है या केवल वन में जपस फलों बन्धुमूलों फूलों (मनु ६।२०-२१ एव याज्ञ ३।५) को का सकृत्ता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक वर्ष के उपरान्त का सकृत्ता है। क्रमशः उक्त इस प्रकार केवल जल या बामु पर ही निर्भर रहना चाहिए (जापस्तम्ब धर्म २।१।२३।२ मनु ६।३१ विष्णुधर्म १५।७-१२)।

(१२) उसे मौजल-सामग्री एक दिन के लिए या एक मास या केवल एक वर्ष के लिए एकत्र करनी चाहिए और प्रति वर्ष एकत्र की हुई सामग्री आश्विन मास में वितरित कर देनी चाहिए (मनु ६।१५ याज्ञ ३।७० जापस्तम्ब २।१।२२।२४)।

(१३) उसे पश्चान्नि (चारों दिशाओं में चार अग्नि एवं ऊपर सूर्य) के बीच बड़े हीकर, वर्षा में बाहर लड़े हीकर, बाड़े में भीये बन्ध घातक कर (मनु ६।२३।३४ याज्ञ ३।५२ एव विष्णुधर्म ५।२।४) कठिन तपस्या करनी चाहिए और ब्रह्म सतीर को मूर्ति-मूर्ति के बन्ध डेकर अपने को सब कुछ सह सकने का अभ्यासी बना लेना चाहिए।

(१४) उसे जमस किसी वर में रहना बन्द कर पेठ के नीचे निवास करना चाहिए और केवल फलों एवं बन्धुमूलों पर निर्भर रहना चाहिए (मनु ६।२५ बतिस्य ९।११ याज्ञ ३।५४ जापस्तम्बधर्म २।१।२१।२)।

(१५) रात्रि में उसे काली पूजिनी पर श्रयण करना चाहिए। चायरस की बधा में बैठकर या चलते हुए या शयान्ताम करते हुए समय बिताना चाहिए। उसे आनन्द देने वाली वस्तु से सेवन संकुर रहना चाहिए (मनु ६।२२ एव २९ तथा याज्ञबल्क्य ३।५१)।

(१६) उसे अपने शरीर की पवित्रता ज्ञान-वर्धन एवं जन्तु में मोक्ष-पथ प्राप्ति के लिए उपनिषदों का पाठ करना चाहिए (मनु ६।२९)।

(१७) यदि बानप्रस्थ किसी असाध्य रोग से पीड़ित है अपने वर्तव्य नहीं कर पाता और अपनी मृत्यु की घण्टा में जायी हुई समझता है तो उसे उत्तर पूर्व की ओर मुख करके महाश्राद्ध कर लेना चाहिए और केवल जल एवं बामु पर रहना चाहिए और तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वह ऐसा गिरे कि पुनः म उठ सके (मनु ६।३१ याज्ञबल्क्य ३।५५)। मिताक्षरा एवं अपराक (पृ ९४५) ने याज्ञबल्क्य (३।५५) की व्याख्या में निम्नी स्मृति का उल्लेख किया है कि बानप्रस्थ को किसी लम्बी यात्रा में रुक जाना चाहिए या जल या अग्नि में श्रयण की छोड़ लेना चाहिए या अपने की ऊँचाई से नीचे उतरना चाहिए।

बानप्रस्थों के प्रकार

शौरासनधर्मसूत्र (३।३) ने बानप्रस्थों के प्रकार यों बताये हैं—पञ्चमानक (जो पत्न भोजन या पत्न पत्र जान है) एवं अष्वमानक (जो अपना भोजन पत्राने नहीं) ये दोनों पुन पाँच भागी में विभाजित हैं। पाँच पञ्चमानक के हैं—सर्दारस्थक, वैशुपिक के जो केवल फलों बन्धुमूलों आदि पर निर्भर रहते हैं जो केवल फलों पर रहते हैं तथा के जो केवल घात-पत्र खाते हैं। इन पाँचों में सर्दारस्थक तीन दो प्रकार के होते हैं—इन्द्रावतिवत् (जो कला गुग्गुलु आदि लहर-पत्राव हैं) उनसे अग्निहोत्र करते हैं और उक्त अतिवि की समर्पण कर स्वयं पत्राने हैं) एवं शैतोवतिवत् (जो

१. बानप्रस्थों द्वारा प्राप्त केवलआम्बुप्रदशन धूम्रपतन बानुनिच्छेत्। इति स्वरयान्। मिताक्षरा (याज्ञबल्क्य, ३।५५)।

व्याघ्रो भेदियो एव वाज इतरा मारे गये पशुओं का मांस खाते हैं पकाकर अग्नि की चटाते हैं और स्वयं खाते हैं। अपचमांसक के पाँच प्रकार ये हैं—अम्नश्चक (जो मोहन रखने के लिए लोहे या पत्थर का घाघन नहीं रखते) प्रवृत्त-सिन् (जो बिना पात्र सिन्डे के बस हाथ में ही खकर खाते हैं) सुषेनावायिन (जो बिना हाथ के प्रयोग के पशुओं की मति केवल मुँह से ही खाते हैं) लौघाहार (जो केवल जल पीते हैं) तथा वायुभक्ष (जो पूर्ण रूप से उपवास करते हैं)। वीषायन के अनुसार वे ही वीषानस की वय बीसा हैं। मनु (१।२९) में भी वन की वीषाओं के लिए कुछ नियमों की व्यवस्था की है।

गृहपराशर (अध्याय ११ पृ. २९) में वानप्रस्थों के चार प्रकार बताते हैं वीक्षणत घनुम्बट, वाकसिन् एव बनेवासी। वीक्षानस (८।७) के मत में वानप्रस्थ या तो उपलीक वा अपलीक होते हैं बिनम उपलीक पुन चार प्रकार के हैं औद्बुम्बर वैरिञ्च वाकसिन् एव केनप। रामायण (अरण्यकाण्ड अध्याय १९।२-६) में वानप्रस्थों की वाकसिन् बधमकृत् आदि मामों से पुकारा है।

वानप्रस्थ क अधिकारी

सूत्रों की छोड़कर अन्य तीन वर्गों में कोई भी वानप्रस्थ हो सकता था। शांतिपर्व (२।१।५) में बताया है कि दानिय की राज्यकार्य पुत्र पर छोड़कर वन में बसा जाना चाहिए और वन में उत्पन्न साध पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा धावच (धामगक) शास्त्रों के अनुसार भक्षना चाहिए। आश्वमेधिक पर्व (३।५।४३) में स्पष्ट शब्दों में क्लिप्त है कि वानप्रस्थ आयम तीनों विधातिथी के लिए हैं। महाभारत में बहुत-से वानप्रस्थ राजाओं की चर्चा की है। राजा ययाति ने अपने पुत्र पुत्र को राजा बनाकर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण किया (आश्विपर्व ८।१।१) और वन में कठिन तप करके उपवास से शरीर-त्याग दिया (आश्विपर्व ८।१।२ १७ एव ७।५।५८)। आश्वमेधिकपर्व (अध्याय १९) में बताया है कि वृतराष्ट्र ने अपनी स्त्री गान्धारी के साथ वानप्रस्थ ग्रहण करके वृक्ष की छाँटो एव मृगचर्म की बस्त्र रूप में वारण किया। पराशरमाधवीय (१।२ पृ. १३९) ने मनु (१।२) मय तथा अन्य श्रेष्ठों का उत्सेस करके तीनों उच्च वर्गों को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है। त्विषी भी वानप्रस्थ हो सकती थी। मौषल्यर्व (७।७।४) में बताया है कि श्री हृष्य के स्वर्ग-वसन क उपराण्ट उगरी सत्ययामा आदि पत्नियों वन में चली गयी और कठिन तपस्या में लीन हो गयी। आश्विपर्व (१२।८।१२।१३) में लिखा है कि पाण्डु की मृत्यु के उपराण्ट सत्यवती अपनी दो पुत्रवधुओं ने साध तप करने को वन में चली गयी और वही मर गयी। और बेलिए शांतिपर्व १।४।११ (महाप्रस्थान के लिए) एव आश्वमेधिकपर्व ३।७।२७-२८। वैश्राण्ट (८।१) एव वामनपुराण (१।४।११७-११८) के अनुसार ब्राह्मण चार जायगों सभिय तीन (ध्यास की छोड़कर) वीष वी (बड़ाचर्च एव गृहस्व) एव सूत्र केवल एक (गृहस्व) आयम का अधिकारी होता है। धाम्क नामक सूत्र की कहानी प्रसिद्ध ही है।

आरम-हृत्या का प्रथम एव वानप्रस्थ का प्राण-त्याग

वानप्रस्थ का महाप्रस्थान एव उच्च शिखर आदि से गिरकर प्राण त्याग करना कहीं तक उगत है इस पर वर्मशास्त्र के लेखकों ने विभिन्न मत हैं। वर्मशास्त्रकारों ने धामायत आरमहृत्या की मर्तना की है तथा आरमहृत्या

७. पुत्रवधवितधीरुच बने बन्धेन वर्तयन्। विविना धावजेनैव कुर्वीत्कर्माव्यतभितः ॥ शांतिपर्व २।१।९।
धावच धारं तम्भवत धावच वा धामजक का ही एक शेष है।

करने के प्रयत्न को महापाप माना है। पराधर (५।१२) ने लिखा है कि जो स्त्री या पुत्र्य धमण्ड या तोष या कैय नाश के कारण आत्महत्या करता है वह ६० सहस्र वर्ष तक नरकवास करता है। मनु ने लिखा है कि जो अपने को मार सकता है उसकी आत्मा की शान्ति के लिए दर्शन नहीं करना चाहिए (५।८५)। आश्विन्य (१७।१२) ने वैश्व क्रिया है कि आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोको में नहीं जा सकता। बसिष्ठधर्मसूत्र (२३।१४-१६) ने कहा है—जो आत्महत्या करता है वह अभिशप्त हो जाता है और उसके सम्बन्ध लोग उसका ध्यात नहीं करते जो व्यक्ति मने को अग्नि बल मूलाखण्ड (डेला) पत्थर, हृषिकार बिप या रम्पी से मार सकता है वह आत्महत्या कहलाता है। जो द्विज स्नेहवच आत्महत्या की अन्तिम क्रिया करता है उसे तप्तकृष्ण का साथ आन्द्रायण घट करना पड़ता है। आत्म हत्या करने का प्रश्न करने पर भी प्रायश्चित्त आवश्यक है (बसिष्ठधर्मसूत्र २३।१८)। यम (२।१२१) ने लिखा है कि जो रस्ती से छटकर मर जाता चाहता है वह यदि मर जाम तो उसके घब को अपवित्र बनाने से लिप्त करनेना चाहिए, यदि वह बच जाता है तो उसको २ पक्ष का वषट्ठ देना चाहिए, उसने मित्रों एवं पुत्रों में प्रत्येक को एक एक पक्ष का वषट्ठ भिक्षना चाहिए और शास्त्र में बिये हुए प्रायश्चित्त एवं घट आदि करने चाहिए।

धर्मसूत्र सामान्य आरणा क रहते हुए भी स्मृतियों महाभाष्यो एवं पुराणों में अपवाद बिये गये हैं। मनु (१।१। ४) एवं मातृवस्त्व (३।२४८) में आया है कि ब्रह्महत्या करतवाला व्यक्ति युद्ध में अनुचारियों से अपनी हत्या करा जाता है या वह अपने को अग्नि में डोक सकता है। इसी प्रकार आसन्न पीने वाला शौलता हुआ आसन्न जल भी माय का हूब का गाय का मूत्र पीकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है (मनु १।१।९०-९१ मात्र ३।२५३ शीतल २३।१ बसिष्ठधर्म २।१२२)। इसी प्रकार व्यक्तिवादी और आदि के लिए बसिष्ठधर्म (१।१।१४) मीलम (२३।१) आप-सम्भ (१।१।२५।१ ३ एवं ९) में मर जाने की व्यवस्था की है। धर्मसूत्र (३।१।३३ ३४) ने लिखा है—“जो मरस्वती के उदरी छट पर पुरुषक नामक स्थल पर वैश्व मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ अपना शरीर छोड़ देता है वह पुन मृत्यु का भय नहीं पाता। मनुशासनधर्म (२।५।६२-६४) में आया है कि जो वेदाङ्ग के अनुसार अपने जीवन को धार्मिक मन्त्रों पर विभक्त कियात्म्य में उपवास करके प्राप्त त्याग देता है वह ब्रह्मलोक पहुँच जाता है (वैश्व धर्मधर्म ८।५।८३ श्याम म मरहत्या करने के विषय में)। मत्स्यपुराण (१८।१।३।३५) में आया है कि जो अमरकण्ठ की पीठी पर अग्नि बिप बल उपवास से या गिरल मर जाता है वह पुन इस संसार में लौट कर नहीं आता।

धर्मसूत्र आरणाओं के साकार उपाहरक विस्तारों में भी पाये जाते हैं। यथाशक्ति के अनेक शान्ति से पता चलता है कि ब्रह्मपुरि राजा वाशेय ने अपनी एक शी शान्तियों के साक्ष प्रयाग में मुक्ति प्राप्त की (मनु १।७३ ई) (वैश्व इय विषयम एषिर्वैश्विना इगिना जित् १२ पु २ ५)। बन्धुम कुल के राजा बभ्रवे ने १ वर्ष की अवस्था में छेद का ध्यान करते-करते प्रयाग में अपना शरीर छोड़ दिया (एषिर्वैश्विना इगिना जित् १ ५ १४)। शाण्ड्य-राज मौमेन्दर ने योष साधन करने के उपरान्त तुयमडा में अपन को डबा दिया (मनु १।९८ ई एषिर्वैश्विना जित् २, सवेत १३६)। रघुवज (८।१४) में आया है कि राजा रघु ने ब्रह्मावस्था में रोग से पीड़ित होत पर मना और सरयु के समान पर उपवास करने अपने को हृषीकर मार डाला और मुरल ही स्वर्ग का वासी हो गया।

८ अतिमानावतिशोमात्मेहाहा यदि वा भवान् । उद्बन्धीयमस्त्री पुष्यात्वा गतिरेवा विधीयते ॥ पुष्यो-
न्निशान्मने इत्थे समति मरुति । वधि बर्षसहस्राणि नरक प्रतिपद्यते ॥ पराधर ५।१२।

९ अतश्चान्नात्तस्वस्तु रज्ज्वादिनिषयधर्मः । मृतोऽप्येव लतप्यो जीवतो द्विर्लोक इवः ॥ इत्यास्तासु
निशानि प्रत्येक धर्मिकं वनम् । प्रायश्चित्तं ततः धर्म्यंयाजाम्रज्ज्वादिनिशान् ॥ यम (२०-२१) ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि धर्मशास्त्रकारों ने आत्म-हत्या का मामला में कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य आत्म-हत्याओं को किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं माना है। ब्रह्म-उपवासों से एक पवित्र स्थली पर मर जाने को धर्मशास्त्रीय दृष्टि में ही प्रत्युत ब्रह्म प्रकार की आत्महत्या को मुक्ति ऐसे परमोच्च स्थान का साधन मान लिया गया था। स्मृतियों में ब्रह्मप्रस्थों के लिए भी आत्महत्या की दृष्टि दे दी थी। वे महाप्रस्थान करने मृत्यु का आश्रित्य कर सकते थे वे कुछ परिस्थितियों में अग्निप्रवेश पर-प्रवेश उपवास करके तथा पर्वत-शिखर से गिरकर मर सकते थे। ब्रह्मप्रस्थों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी ब्रह्मप्रस्थों की भाँति मरने की जा चुकी है। इन विधियों से आत्महत्या कर सकते थे। यौतम (११० ११) में लिखा है कि जो लोग इच्छापूर्वक उपवास करने हृदिधार से अपने को काटकर, अग्नि से विप से अन्न प्रवेश से रस्ती से कटककर या पर्वत-शिखर से गिरकर मर जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार के दोष करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिपु अग्नि (२१८ २१९) में कुछ अपवाद दिए हैं—यदि वह जो बहुत बुरा हो (७ वर्ष के ऊपर) जो (अल्प विषादी रोग के कारण) नियमानुसार शरीर को पवित्र न रख सके जो असाध्य रोग से पीड़ित हो वह पर्वतशिखर से गिरकर अग्नि या जल में प्रवेश कर या उपवास कर अपने प्राणों की हत्या कर दे तो उसके लिए तीन ब्रह्मों का अक्षय्य करना चाहिए और उसका माद भी कर देना चाहिए। अपराध (पृ. ५३९) में ब्रह्मगर्भ विवस्वान् एव यार्य की उक्ति-यो का उच्चारण किया है—यदि कोई बृहस्पति असाध्य रोग या महाभ्याधि से पीड़ित हो या जो अति बुरा हो जो किसी भी इन्द्रिय से उत्पन्न आत्मत्व का अस्मिन्नाश हो तो और जिसने अपने कर्तव्य कर किये हों वह महाप्रस्थान अग्नि या जल में प्रवेश करके या पर्वत-शिखर से गिरकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है। ऐसा करके वह कोई पाप नहीं करता है इसकी मृत्यु तपो से भी बचकर है धारणासुभोदित कर्तव्यों के पालन में असफल होने पर जीन की इच्छा रखना स्मर्य है। अपराध (पृ. ८७७) एक पराधरमाधवीय (११२ पृ. २२८) में अग्नि पुराण से बहुत-से श्लोक उद्धृत किये हैं जो यह बताते हैं कि उपवास करके या अग्नि प्रवेश या बस्तीर अन्न में प्रवेश करके या ऊँचाई से गिरकर वा हिमालय में महाप्रस्थान करके या प्रयाग में बट की बाक से कूटकर प्राण देने से किसी प्रकार का पाप नहीं बनता बल्कि ब्रह्मप्राप्त कर लेता है। रामायण (अरण्यकाण्ड अध्याय ९) में धरमय में अग्नि प्रवेश से आत्महत्या की। मूच्छकटिक नाटक में राधा खूबन को अग्नि प्रवेश करके मरते हुए व्यक्त किया गया है। गुप्ताभिकेख (अध्याय ४२) से पता चलता है कि रामाद् कुमारमुत्त ने उपवास की अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर ली थी।

ब्रह्मों में बहुत से नियम उपर्युक्त नियमों से निकले-बुद्धे हैं। धर्मशास्त्र (अथर्ववेद में ब्रह्मशास्त्र) में ब्रह्म शास्त्रों के उपरान्त) के अर्थ रत्नकर इत्यादिनाकार में सारने बता के विषय में लिखा है। आपतियों अकारों अति बुराबलाएव

१ ब्रह्मः श्रीधर्मसूतेर्ब्रह्म प्रत्याख्यातविक्रमिः। आत्मार्त्तं घटतेघटस्तु मृच्यन्वतमलाभुभिः ॥ तस्य विराटमासीर्षं द्वितीये त्वत्विषसम्भवम् ॥ तृतीये तुवर्कं हृत्वा अतुर्बं भाद्रमाभरेत् ॥ अग्नि २१८-२१९ (अनु. ५१८९) की व्याख्या में वैश्वामित्र द्वारा, भाद्रकाल्य ३५ की टीका में नितमारा द्वारा उद्धृत) यह अपराध पृ. ९ में अगिरा का तथा पराधरमाधवीय ११२, पृ. २२८ में शास्ताप का उच्चारण माना गया है।

११ तथा च ब्रह्मगर्भः। यो जीवितु न शक्नोति महाभ्याधुपपीडितः। सोऽनुब्रह्महायात्रां कुर्वन्सामुखं बुध्यति ॥ विवस्वान् ॥ तर्बन्निघण्टविकृतस्य ब्रह्मस्य हृत्तर्बन्मन् ॥ व्याजित्तयेच्छया तीर्थे मरणं तत्सतीयिकम् ॥ तथा यार्योपि मृत्यु-मपिदृष्टाह ॥ महाप्रस्थानागमनं अन्तमाभुप्रयोगम् ॥ भृगुपुत्रेण श्रीं बुधा मेच्छेत्तु जीवितुम् ॥ अरण्यकं द्वारा उद्धृत (पृ. ५३९)।

ब्रह्मण्य रोमो मे घटीर-स्याग को सस्तेजना कहते हैं।" काष्ठी (खिरोही) के अमिलेख से पटा पकटा है नि
 मन् ११८९ मे एक जैन-समाज के सभी सोमो ने सामूहिक आत्महत्या की थी (एपिग्रेफिया इण्डिका रिस्टर २२,
 म्मुम्बयिना पृ ८९ सख्या ६९१)।

मेगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि ई. पू. चौथी शताब्दी म भी धार्मिक आत्महत्या प्रचलित थी।
 ईरो ने लिखा है कि भारतीय राजबूटो के साथ अक्सटस सीजर के यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिमने कैसा-
 बस (एक यूनानी) के समान अपने को ज्मि मझोक दिया था। कैसागीस ने असेफेडेर (सिबन्दर) के समझ ऐसा
 ही किया था (वेसिए मैकटिडिस पृ १६ एच स्टुडी १५।१।४)।"

पुरुषो के समय म महाप्रस्थान अग्नि प्रवेश एव भूयुप्रपगत मे आत्महत्या करना बजित मान लिया गया
 और उसे बलिदण्य म परिगणित कर दिया गया है।

बानप्रस्थ एव सन्यास

बानप्रसो के लिए बने बहुत-से नियम एवं कर्तव्य क्यो-के-रयो मन्व्यामियो के लिए भी व्यवस्थित पाये पाते
 हैं। मनु (१।२५ २९) मे जो नियम बानप्रसो के लिए व्यवस्थित किये हैं वे ही परिश्रावका के लिए भी हैं (मनु
 १।१८, ४३ एव ४४)। यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।९।२।१ एव २) म भी पायी जाती है। बानप्रस्थ ही
 मन् मन्व्यामी हो जाता है। दोनों को ब्रह्मचर्य इन्द्रिय-निग्रह भोजननियम आदि का पालन करना पड़ता था और
 जलियो को मनीष्य से पढ़ना पड़ता था तथा ब्रह्मज्ञान क लिए प्रयत्न करना पड़ना था। दोनों आश्रमो मे कुछ अन्तर
 भी थे। बानप्रस्थ आरम्भ मे अपनी स्त्री भी साथ मे रख सकता था किन्तु सन्यामी के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती।
 बानप्रस्थ को आरम्भ म अग्नि प्रस्थित रखनी पड़ती थी आह्निक एव अन्य यज्ञ करन पड़ते थे किन्तु मन्व्यामी
 बलि का स्वाय कर देने से। बानप्रस्थ को तप करते पड़ते थे आह्नारुचि के अभाव का कयेया सहना पड़ता था अपने
 शीतला पड़ता था। किन्तु सन्यामी को मूण्यत अपनी इन्द्रियो पर मयम रखना पड़ना था एव परमनात्त्व का ध्यान
 करतापड़ना था जैसा कि स्वामी शकटाचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (३।४।२) म लिखा है। बानप्रस्थ एव मन्व्याम म बहुत
 धाम्य का बने कालान्तर म लोग युहस्मायम व उपरान्त शीघ्र सन्याम म प्रविष्ट हो जात थ। इसी मे मौनिकमन्व्यामी
 ने शीतलधर्मसूत्र (१।३।१४ १६७) का व्याख्या म लिखा है— 'बानप्रस्थमन्व्यामनेव विमर्षमाचार्येण इत्यमावक
 प्रण्य' अर्थात् आचार्य से पूछना चाहिए कि उन्होंने बानप्रस्थ एव सन्याम को पुषक-पुषक क्यो किया है। दोनों
 कथना साम्य है कि उन्हें पुषक नहीं रखना चाहिए। इसी म कालान्तर म कोई बानप्रस्थ होता ही नहीं था
 और इसे बलिदण्य म बजित भी मान लिया गया (बृहदारण्यीय पूर्वार्ध २।४।१४ स्मृत्यपर्वशर पृ २६श्लोक १७)।

१२ उपसर्गे बुद्धिने चरसि ब्रजाया च निष्प्रतीकारे। धर्माय तनुविमोचनमाप्तुं तस्तेष्वनामार्थे ॥ रत्नकररत्न
 याचकाचार (अध्याय ५)।
 १३ म्प्रप्रस्थानागतने धीमेयश्च तथा यज्ञः। एतान् धर्मान् बलिमुपो वर्ज्यावाङ्मनूनिविष् ॥ बृहदारण्यीय
 पूर्वार्ध, अध्याय २।४।१६; स्मृतिचण्डिका भाष १ पृ १२।
 लोण्डन म्बर्डीनी प्र १

अध्याय २८

सन्यास

छान्दोग्योपनिषद् (२।२।११) में ब्रह्मर्षयं गृह्णन् एव वाग्दत्तं नाम तौ आधमो नौ और सवित्र मिच्छा है। मन्मथ इम उपनिषद् में सन्यास की चौथे आधम के रूप में प्रह्वन नहीं किया है बृहदारण्यकोपनिषद् जैनी प्राचीन उपनिषदों में सामारिक मोक्षरता के रथाक विद्या-कृति एव परब्रह्म-ध्यान पर बस अक्षय रिया गया है किन्तु इन प्रकार की बारलाभो के साथ सन्यास नामर निर्मा आधम की चर्चा नहीं हुई है। जाबामोपनिषद् (५) में सन्यास की चौथे आधम के रूप में प्रह्वन करने को कल्पित छात्र दिया है और रहा है कि इनका ब्रह्म प्रथम वा आधमो म विनी के उपरगत हो सकता है।

बृहदारण्यकोपनिषद् (२।५।१) में आया है कि पाउकल्पक के परिष्कारक होंने के समय अपनी स्त्री मैत्री के सम्पत्ति को उसमें (मैत्री) और कात्यायनी (मैत्री की छीन) में बाँट देने की चर्चा की। इनके प्रसट होता है कि उन विनी परिष्कारको को कर शार फनी एव मारी सम्पत्ति का परिष्कार कर देना पड़ता था। इगी उपनिषद् (१।५।१) में आया है कि आरमिद् व्यक्ति सम्पत्त सामारिक मन्थान मोक्ष आदि छोड़ देते हैं और मिच्छा की वा जीवन व्यपित करते हैं अत ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्पूर्ण पाण्डित्य प्राप्ति के उपरान्त वासक-वा बना रहे (अर्थात् उसे अपने पाण्डित्य की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए) ज्ञान एव वास्य (बन्धो जैने व्यवहार) के ऊपर उठकर उसे मुनि की स्थिति में आना चाहिए तथा मुनि या अमुनि (मौन रूप में रहने) के रूप में ऊपर उठकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (जिसके ब्रह्म की अनुमति कर की हो) बन जाना चाहिए। इगी प्रकार के अन्य शरको एक मनीषाको के अन्वयन के लिए देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (५।५।२२)। जाबामोपनिषद् (५) में लिखा है कि परिष्कार कोण विचर्न-वास (द्वेष करण मही) के मुषिष्ठ सिट, बिना सम्पत्ति वाले पवित्र अत्रोही भिक्षाकृति करने वाले से तथा ब्रह्म-सम्पन्न रहते हैं। परम-हंस ब्रह्म तारक-परिष्कारक एव सन्यास उपनिषदो में सन्यास के विषय में बहुत से नियम हैं। किन्तु इन उपनिषदो की ऐतिहासिकता एव सचार्थ पर सन्देश है अत इम धर्ममूलां एव प्राचीन स्मृतिवो क नियमो की ही चर्चा करेंगे।

संयास-धर्म

यतिधर्म अथवा संयास-धर्म के विषय में हम निम्नलिखित इन्को का विवेचन उपस्थित करते यथा—श्रौतम (१।१०-२५) आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२।१७-२) शौचायनधर्मसूत्र (२।१।२।२७ एव २।१) बसिष्ठ-

१ मैत्रीयति होवाक पाउकल्पक उपास्यन्वा अरेभ्रुममत्तकलाइसिं हुत तैप्रया कल्पयाम्यार्ज्जं कर-वाचीति। पृ० अ २।५।१ एत ई तमस्तनार्तं विविक्वा ब्राह्मणा. पुनैकवावाकत विसेयवायाकत कोकैकवायाकत म्मुन्वायाकत निष्काच्यं चरन्ति। तस्मत् ब्राह्मण पाण्डित्य निविद्य वास्येण सिच्छन्तेत्। ब्रह्म क वाचिच्छत्यं क निविद्यवा मुनिरमौन क मौनं क निविद्यवा ब्राह्मणः। पृ० अ १।५।१ और देखिए वेदान्तसूत्र १।५।७-४९ एवं ५ च्छां कर्तितम अथ पर विवेचन उपस्थित किया गया है।

ब्रह्मसूत्र (१) मनु (६।३३-८६) याज्ञवल्क्य (३।५६ ६६) वैश्वानर (१।९) जिष्णुधर्मसूत्र (१६) शारिपर्व (ब्रह्मसूत्र २४६ एवं २७९) आदिपर्व (११९।७-२१) आश्वमेधिकपर्व (६६।१८ ४६) दासस्मृति (७ दशोत्तरबद्ध) एवं (७।२८ ३८) कर्मपुराण (उत्तरार्ध अध्याय २८) अग्निपुराण (१६१) आदि। हम संन्यास के कर्तव्यों एवं कर्मों की चर्चा निम्न रूप से करेंगे।

(१) संन्यास आश्रम प्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़ता है अपनी सारी सम्पत्ति पुरोहितों को दान देना और असहामि से बाँट देनी होती है (मनु ६।३८ याज्ञ ३।५६ जिष्णुसू १९।१ पञ्च ७।१) जो लोग तीन वैदिक अग्निर्वा रक्षते हैं उन्हें प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवल गृह्य अग्नि होती है व अग्नि के लिए इष्टि करते हैं (मत्स्यधर्मसंग्रह पृ १३)। आवाकोपनिषद् (४) में केवल अग्नि की इष्टि की बात बरी है और प्राजापत्येष्टि का उल्लेख किया है। मुसिहपुराण (६।२-४) के अनुसार संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व आश्रम प्रहण करने चाहिए। मुसिहपुराण (५।८।३६) ने प्रत्येक वैदिक आश्रमाश्रमियों को संन्यासी होने की इच्छा की है यदि वह सती, कामरोगी मूख जिह्वा का समीचीन हो। आठ प्रकार के आश्रम हैं—ब्रह्म (ब्रह्मसूत्र) इति एवं आदिपर्व (१) आश्रम (ब्रह्मसूत्र आदि पञ्च ऋषियों को) विष्णु (हिरण्यवर्मन एवं वैराज को) मानुष (सनत्कुमार एवं अन्य पाँच को) शक्ति (पञ्चमूला पृथिवी आदि को) पंतुक (कश्यपाह अग्नि साम अर्यमार्ग—अग्निष्वात्त आदि वितरो को) मत्स्य (श्रीकृष्ण आदि पञ्च माताओं को) तथा आत्मशास्त्र (परमात्मा को)। इस विषय में देखिए यज्ञधर्मसंग्रह (पृ ८९) एवं मुसिहपुराण (पृ १७७)। मनु (६।३५ ३७) ने मत्स्यता से लिखा है कि वेदाध्ययन सन्तानोत्पत्ति एवं यज्ञों के उपरान्त (वेद-अध्ययन आदि) एक पितृ-पुत्र पुत्राभय क उपरान्त ही मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए। शौभयान (२।१ १३-१६) एवं वैश्वानर (१।९) ने लिखा है कि वह गृहस्थ जिसे सन्तान न हो जिसकी पत्नी मरण गयी हो या जिसके लड़के लड़कियों से बर्षों मरण हो या जो ७ वर्षों से अधिक अशक्तता का हो बुढ़ा हो संन्यासी हो सकता है। शक्ति (२।१) ने लिखा है कि जो व्यक्ति बिना कर्मों एवं पत्नी का प्रदत्त विधे संन्यासी हो जाता है उस पाहुरमण्डल विष्णु है। मनु (६।३८) के मत से संन्यासी होनेवाला अपनी अग्नि को अपने में समाहित कर आश्रम-प्रहण करता है।

(२) वह पत्नी पुत्रों एवं सम्पत्ति का त्याग करके संन्यासी को यदि वे बाहर रहना चाहिए उन बंधन का त्याग चाहिए, जब सुपरिष्ठ हो जाय तो वेको के शीघ्र या परित्यक्त घर में रहना चाहिए, और तथा एक स्थान में ठहरने का अधिकार बसते रहना चाहिए। वह कर्मकर्मों के मीमंसा में एक स्थान पर ठहर सकता है (मनु ६।४१ एवं ४४ शक्तिधर्म १।१२ १५ एवं ७।६)। मित्तारता (याज्ञवल्क्य ३।५८) द्वारा उद्धृत शब्द में अश्रम से पता चलता है कि संन्यासी कर्त्तव्य मनु में एक स्थान पर केवल दो मास तक रह सकता है। कर्म का कहना है कि वह एक रात्रि तक है, या शीघ्र विन कर्म में (कर्त्तव्य को छोड़कर) रह सकता है। आवाज की सुविधा में केवल आग या दान नहीं तो तब कर्त्तव्य में एक स्थान पर रहना जा सकता है। संन्यासी यदि चाहे तो गया के ठट पर महा रह सकता है।

(३) संन्यासी को सदा अनेक धूमना चाहिए, नहीं तो मोह एक बिच्छो से बहु परीक्षित हो सकता है। इस (७।१२-१८) ने इन बातों पर भी बतल दिया है—“वास्तविक संन्यासी अनेक रहता है जो की एक साथ टिकने ही नहीं एक जोड़ा ही बात है जब तीन साथ टिकते हैं तो वे प्रथम में समाप्त हो जाते हैं जब अग्नि (अर्थात् तीन में अग्नि) एक साथ टिकते हैं तो वे नगर में समाप्त हो जाते हैं। उपरवी को जोड़ा प्रथम एक नगर नहीं बनाया चाहिए, नहीं तो ईश्वर करने पर बहु कर्मभूत हो जायगा। क्योंकि दो में मात्र रहने से राजबार्ता (कोरबाती) हाथ लगती है एवं दूसरे की विज्ञान में विषय में चर्चा होने लगती है और अत्यधिक सामर्थ्य में स्त्री ईश्वर दुष्कृत आदि मनोवाचों की चर्चा ही जाती है। उपरवी तीन बद्ध-मंत्रियों में मसम्भ हो जाते हैं यथा धर्म-सम्पत्ति या आदर प्राप्ति के लिए वास्तविक ईश्वर विष्णु की पूजा करना चाहिए। उपरवीको के लिए केवल चार प्रकार की धियाएँ हैं (१) ध्यान

(२) शौच, (३) मिसा एवं (४) एकलतासीद्धता (एक जकेका रहना)। ताद के अनुसार यतिवो के लिए उ प्रकार के कार्य राजबन्धवत् अनिवार्य माने गये हैं—मिसादम अथ ध्यान स्थान शौच वैशार्वान।

(५) सन्यासी को बह्मचाटी होना चाहिए और उदा ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भक्ति रखनी चाहिए एवं इन्द्रिय-मुक्त आत्मरूपवत् बस्तुभी संभ्रूर रहना चाहिए (मनु १।४१ एवं ४९, गौतम ३।११)।

(६) सन्यासी को निमाजीवो को बन्ध दिये ब्रुमना-फिरना चाहिए, उसे अपमान के प्रति उदासीन रहना चाहिए, यदि कोई उसे को ब प्रकट करे तो को बालेध म नही जाना चाहिए। यदि कोई उसे का बुरा करे तो भी उसे बन्धनप्रद दण्डो का ही उन्धारण करना चाहिए और उसे कमी भी असत्य भाषण नही करना चाहिए (मनु १।४ ४७-४८, याज्ञ ३।६१ गौतम ३।२३)।

(७) उसे शीतानिमियां भूध्यानि एवं लौकिक अग्नि (भोजन बनाने के लिए) नही अजानी चाहिए और देवक मित्रा से प्राप्त भोजन करना चाहिए (मनु १।३८ एवं ४३ आपस्तम्बधर्मसूत्र १।९।२१ एवं आदिपर्व ९।१।२२)।

(८) उसे धाम मे निशाटन के लिए केवल एक बार जाना चाहिए, यहाँ को छोड़कर रात्रि के समय धाम मे नही रहना चाहिए, किन्तु यदि रुकना ही पडे तो एक रात्रि से अधिक नही रुकना चाहिए (गौतम ३।१३ एवं २ मनु १।४३ एवं ५५)।

(९) उसे बिना किसी पूर्व भोजन या जूमाक के साठ बरो सं मिसा माँगनी चाहिए (बसिष्ठधर्म १।७ उख ७।३ आदिपर्व ११९।१२-५ या १ वा)। शौचान्नधर्मसूत्र (२।१ १५७-५८) के मत से शास्त्रीय एवं वयावहार प्रकार के ब्राह्मण गृहस्थो के यहाँ ही निष्ठा के लिए जाना चाहिए और उतने ही समय तक रुकना चाहिए बितन मे एक वाय हुइ ली जाती है। शौचायनधर्म (२।१ १९९) ने अन्य लोयो के मयो को उद्वल कर बताया है कि सन्यासी किसी भी वर्ण के वहाँ निष्ठा माँग सकता है किन्तु भोजन केवल द्विजातियो के यहाँ कर सकता है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।२४) के मत से वह केवल ब्राह्मण के यहाँ ही मिसा माँग सकता है। वायुपुराण (१।१८।१७) के अनुसार सन्यासी को कबल एक व्यक्ति के यहाँ ही नही बसिष्ठ कई व्यक्तियो के यहाँ से माँकर जाना चाहिए। उसे मास या मनु का सेवन नही करना चाहिए, आम भाख (बिना पके भोजन वा भाख) नही ब्रह्मण करना चाहिए और न ऊपर से नमक का प्रयोग करना चाहिए (नमक के छाब पकावी हुई साय-भाजी का सेनी चाहिए)। उचना के मतानुसार निष्ठा से प्राप्त भोजन पाँच प्रकार का होता है (१) माचुकर (किन्ही तेल पाँच या साठ बरो से प्राप्त निष्ठा बिध प्रकार मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के पुष्पो से मनु एकन करती है) (२) प्राक्खनीत (अथ अयन स्थान सं उठने के पूर्व ही जलो द्वारा भोजन के लिए प्रार्थना की जाती है) (३) अबाधित (निष्ठादन करते के लिए उठने के पूर्व ही जब कोई भोजन के लिए निमग्नित कर वे) (४) उत्तकामिक (सन्यासी के पुँवते ही जब कोई ब्राह्मण भोजन करण की सूचना दे वे) तथा (५) अयपन्न (मल्ल सिन्धो या अन्य लोयो के द्वारा मठ मे लाजा वया पका भोजन)। उचना की यह उक्ति स्मृतिनुकताफळ (पृ २) एवं यतिधर्मसङ्ग्रह (पृ ७४-७५) मे उद्धृत है। बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१३१) के मत से

२ एको विद्युर्मथोक्तस्तु ही निवृ मिचुनं स्मृतम्। अयो प्रासः समाख्यात ऊच्यं तु नपराच्छते ॥ नपर हि न कर्तव्य ज्ञानो वा मिचुन तथा। एतन्मयं प्रबुधजिनः स्वबन्धनव्यक्ते यतिः ॥ राजबन्धो ततस्तैर्वा निष्ठावर्ता पर एवरम्। स्नेहवैशुपयमास्तस्यं ललितकीर्ण सद्यपः ॥ बाणपुत्राग्निनिर्ले तु व्याख्यातं किम्यस्तं ब्रह्मः ॥ एते चाल्ये च बहून्-अपञ्चा कुतपसिजान् ॥ ध्यान शौच तथा मिसा नित्यमेकलतासीद्धता। निष्ठावत्कारि कर्माणि नञ्चर्न बोधपच्छते ॥ उख ७।३४ ३८ (अपराजं पृ ९५९ मे तथा मितान्तरा याज्ञ ३।५८ मे उद्धृत)।

ब्रह्मण संन्यासी को भूख कं चर मे भोजन नहीं करना चाहिए, और अपराह्न (पृ १६३) की व्याख्या के अनुसार ब्राह्मण भूख के चर के अन्तर्ग मे क्षत्रिय या वैश्य कं यहाँ भोजन करना चाहिए। आगे बख्तर हर किरी के पर मे मिषाटन करना कश्चिदर्थ मान किया गया (यद्येस्तु सर्ववर्णेषु न मिसाचरण कर्त्तव्य)। वैश्विपुस्तिकताफल (पृ २१)। पण्डर एव वपु न पूडे एव रुक्म संन्यासी के लिए कूट ही है वह एक बित्त या कई पितो तक एक ही व्यक्ति के यहाँ भोजन कर सकता है वा अपने पुत्री मित्री आपार्थ माहमो या पत्नी के यहाँ खा सकता है (स्मृतिपुस्तकताफल पृ २१ ब्रह्मिणमंभर पृ ७५)। पराधर (१५१) एव सूतसंहिता (ज्ञान-योग खण्ड ४।१५ १६) के मत से पर न भोजन करने का प्रथम अविचार है संन्यासी एक ब्रह्मचारी का यदि कोई व्यक्ति बिना उन्हे मित्रा चिये खा कता है तो उसे पात्रापण पठ करना चाहिए। संन्यासी का भोजन देने के पूर्व उसके हाथ पर जल छोड़ा जाता है और भोजन देने के उपरान्त भुज जल छोड़ा जाता है (हरषत द्वारा मीठम ५।१६ की व्याख्या मे उद्धृत पण्डर १।५३ आपस्तम्बधर्म सूत्र २।२।४।१ एव याज्ञवल्क्य १।१ ७)।

(१) संन्यासी को सध्या समय मित्रा मीत्रिणी चाहिए, जब कि रघोईचर से भूम का निकलना बन्द हो चुका हो मनि भूम चुकी हो वरतन आदि अलग रख दिये गये हो (मनु १।५६ याज्ञ ३।५९ बसिष्ठ १।१८ एव वल ७।२)। उन मांग एक मनु नहीं पहन करना चाहिए (बसिष्ठ १।१२४)। मनु (१।५०-५१) के मत से संन्यासी को न तो अविद्यवासी बनने सम्भालसुन बतानकर अयोधिय का प्रयोग करके विद्या ज्ञान आदि के सिद्धांतों का उद्घाटन करने और न विवेचन आदि करने मित्रा मीत्रिणे का प्रयत्न करना चाहिए उसे ऐसे चर मे भी नहीं जाना चाहिए जहाँ चर के ही पति काय ब्राह्मण पत्नी एक भुने मित्रारी या अन्य लोग आ गये ही।

(१) संन्यासी को मरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे बेबल उठना ही पाना चाहिए जिनमे वह अपने पण्डर एव आरमा को एक साथ रख सके उध अधिक पाने पर न तो सन्तोष या प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और न वह जिनमे पर निराशा (मनु १।५७ एव ५९ बसिष्ठ १।१२ २२ २५ याज्ञ ३।५९)। कहा भी गया है संन्यासी (मति) को ८ प्रास भानप्रत्य की १९ प्रास मुह्य की ३२ प्रास तथा ब्रह्मचारी को बितता चाहे उतना पाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २।४।९।१३ एव बीषायनधर्मसूत्र २।१ १६८)।

(१) संन्यासी को अपने पास कुछ भी एकत्र नहीं करना चाहिए, उसने पास बेबल जीर्ण-शीर्ण परिधान बनान एव भिन्ना-पात्र हुला चाहिए (मनु ४।४३ ४४ मीठम ३।१ बसिष्ठ १।१६)। बबल (भिन्नाभरु द्वारा उद्धृत वल ३।५८) के मत से उसने पास बेबल जल-पात्र पवित्र (जल छानने के लिए बल) पाहुवा यागन एव पत्नी (बलि जाडे से बचन के लिए कचरी) हानी चाहिए। महाभारत (वेदान्तकल्पतरु-परिमल पृ ६३ म उद्धृत) के अन्तर्ग ही नापाय मारण मीठम कर्मण्डल अरुपात्र एक त्रिचिष्टम्ब न भोजन की प्राप्ति ही सफल है किन्तु सोड की प्राप्ति नहीं। महाभाष्य मे (त्रिच १ पृ ३६५, पाणिनि २।१।१ की व्याख्या म) धारित किया है कि त्रिचिष्टम्ब (त्रिचण्ड) मे ही किसी को परित्राजक समझा जा सकता है। आयुपुराण (१।८) न उन मामयिणी के मत लिये है जिन्हे संन्यासी अपने पास रख सकता है (अपराह्न पृ १४९ ९५ मे उद्धृत)।

१। नापायपार्ष्ण मीठम त्रिचिष्टम्ब कर्मण्डल। त्रिद्व्याप्यधार्ममेतामि न मोक्षायैति मे मति ॥ वेदान्तसूत्र ३।६।८ की व्याख्या मे वेदान्तकल्पतरुपरिमल (पृ ६३९) द्वारा उद्धृत महाभारत का एक अंग, जितम जनक एव सुभाष का बलवीत का वर्णन है। त्रिचिष्टम्ब व द्वावा परित्राजक इति। महाभाष्य त्रिच १ पृ ३६५ (पाणिनि २।१।१)।

(१२) सन्यासी को केवल अपना गुप्तांग धरने के लिए बस्त्र धारण करना चाहिए, उसे अन्य लोगों द्वारा छोड़ा हुआ वीर्य-शीर्षं विलुप्त स्वच्छ बस्त्र पहनना चाहिए (मैतिल ३।१७-१८ आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२१।११ १२)। कुछ लोगों के मत से उसे नया रङ्गना चाहिए। बसिष्ठ (१।१९ ११) के मत से उसे अपने सरीर को बस्त्र के टुकड़े से अर्थात् झट्टी (गायिका) से ढकना चाहिए या मृगचर्म या बायो के लिए काटी गयी चाद से। श्रीधामनधर्मसूत्र (२।१।२४) के अनुसार उरुका बस्त्र कापाय हीना चाहिए (अपराकं पृ ९६२ में उद्धृत)।

(१३) सन्यासी का भिक्षापत्र तथा वक्रपात्र मिट्टी सखड़ी लुम्बी या बिना छिद्र बाँसे बाँस का हीना चाहिए, किसी भी रङ्ग में उसे धातु का पात्र प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उसे अपना जल-पात्र या भोजन-पात्र बस से या घास के बालों से वर्षण करने के स्वच्छ रखना चाहिए (मनु १।५३-५४ यात्र ३।६ एव ऋग्विष्णु १।२९३)।

(१४) उसे अपने मासूम बाक एव दाबी कटा भेगी चाहिए (मनु १।५२ बसिष्ठधर्मसूत्र १।६)। विलुप्त पीतम में विकल्प भी दिया है (३।२१) अर्थात् वह चाहे तो मुच्छित रहे या केवल बटा रहे।

(१५) उसे स्वच्छिक (साथी बगुलरे) पर सीना चाहिए, यदि रोग हो जाम तो बिन्दा नहीं करनी चाहिए। न तो उसे मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और न जीने पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। उसे वैयंपूर्वक मृत्यु की ना उसी प्रकार जोहनी चाहिए जिस प्रकार नीकर नीकरी के समय की बाट बेकता रहता है (मनु १।४३ एव ४६)।

(१६) केवल वैदिक मात्रो के धप को छोड़कर उसे सामारज्य मीन-बत रखना चाहिए (मनु १।४३ मैतिल ३।१६ श्रीधामनधर्म २।१।७९, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।१।२१।१)।

(१७) याज्ञवल्क्य (३।५८) के अनुसार उस विरचयी (तीन छत्रियों वाला) हीना चाहिए, विलुप्त मनु (१।५२) में उसे बघी (एक छत्री लेकर चकनेवाला) ही कहा है। 'बघी धाम्य दो अर्थों में प्रयुक्त होता है (१) बाँस का बघ या (२) नियन्त्रण। श्रीधामनधर्म (२।१।५३) का कहना है कि सन्यासी एकबघी या वि बघी ही सकता है उसे प्राणियों को बांधी क्रियाओं एव बिचारों से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए (बी २।१।२५)। मनु (१।२।१) एव बख (७।३) के मत से जो व्यक्ति बांधी मन एव सरीर पर संयम का नियन्त्रण रखता है वही विरचयी है। रत्न का कहना है कि देव लोग भी जो संतुल्य बाने होते हैं इन्द्रिय-सुख के बधीभूत ही सकते हैं, तो मनुष्यों का क्या कहना है? अतः जिसने मानव का स्वाह लेना छोड़ दिया है वही बघ्य धारण कर सकता है अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे योग-विघ्न के बधीभूत ही सकते हैं। केवल बाँस क बघी के धारण से कोई सन्यासी विरचयी नहीं हो जाता वही विरचयी है जो अपने में आध्यात्मिक वष्य रखता है। बहुर-से सोन केवल विरच्य धारण करने अपनी नीचिका बखते हैं (७।२७-३१)। बांधी के बखन या नियन्त्रण का तात्पर्य है मीन-धारण कर्म-नियन्त्रण है किसी जीव को हानि न पहुँचाना तथा मानसिक नियन्त्रण है प्राणायाम एव अन्य यौगिक अभ्यास बाँध करना। बख के अनुसार विरच्य बघी का विशिष्ट बाह्य चिह्न है मेसका मृगचर्म एव बघ्य वैदिक ज्ञानों का तथा लम्बे-लम्बे मासूम एव दाबी मानप्रत्य का कसाव है। ऋग्विष्णु (५।१२) के मत से सन्यासी एकबघी या विरचयी ही सकता है।

(१८) उसे बघी बेधो एव दार्शनिक विचारों से सम्बन्धित वैदिक बातों का अध्ययन एव उच्चारण करना चाहिए (बचा—सत्य ज्ञानमन्त बहुर—नैतिश्रीयोगनिब २।१)। देखिए मनु (५।८३)।

(१९) उसे मञ्जी बाँध आये भूमि-निरीक्षण करके चलना चाहिए, पानी जानकर पीना चाहिए (जिसे पीटी बाँध पीन पेट में भीतर न चले जायें)। धूप से पवित्र हुए वस्त्रों का उच्चारण करना चाहिए तथा नहीं करना चाहिए जिध करन से त्रिप्य अन्त करण नहै (मनु १।४६, बख ७।७ विष्णुधर्मसूत्र ९.१।१५-१७)।

(२) वैराग्य (बन्धाहीनता) की उत्पत्ति एव अपनी इन्द्रियों के निग्रह के लिए उसे यह शौचना चाहिए कि वह परीर योग्युर्न होगा ही एक-न-एक बिन यह बुद्धा हीना ही वह मति-बाँध के अपवित्र पदार्थों से बचा हुआ है।

उसे इस संस्कार की अग्रसंग्रहता पर ध्यान देना चाहिए, उसे मर्माधान से केसर मृत्यु तक की अनभिन्न परेशानियों तथा काम-मरण के अन्नप्र प्रवाह की कल्पना करते रहना चाहिए (मनु १।७९-७७ याज्ञ ३।६३ ६४ विष्णुसर्मसूत्र १।२५ ४२)।

(२१) सत्यता अग्रब्रह्मना औपहीनता विनीतता पवित्रता भस्मे एवं बुरे का भेष मन की स्थिरता मन नियन्त्रण इन्द्रिय-निग्रह, आत्मज्ञान आदि सभी बर्णों के धर्म हैं। संन्यासी को तो इन्हें प्राप्त करना ही है क्योंकि ब्रह्म वेद मूया कमण्डलु आदि से कुछ होता-जाता नहीं—इन्हें तो बन्धक भी पारण कर सकता है (मनु १।६९ ९२ ९४ याज्ञ ३।६५ ६६, बसिष्ठ १।३ श्रीवायन २।१।५५-५६ शान्तिपर्व १।१।१३-१४ कामुद्रगण जिल्ब १।८।७९ १७८)।

(२२) संन्यासी की प्रानायाम एवं भग्य यौनाङ्गी द्वारा अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, जिनसे कि ब्रह्म वषट्क को समस्त के और अन्त से मोक्ष पत्र प्राप्त कर ले (मनु १।७०-७५, ८१ एवं याज्ञ ३।६२ ६४)।

संन्यासियों के प्रकार

बहुत-से धर्मों में संन्यासियों के प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। अनुशासन-वर्ष (१४१।८९) में चार प्रकार बताये हैं कुटीचक बहुचक ह्यस एव परमहंस जिसमें प्रत्येक भागें बाला पिच्छसे से अष्ट रहा जाता है। वेदान्त (८९) कर्-विष्णु (४।१४-२३) सूतसंहिता (मानवीयसङ्घ अध्याय ६) मित्कौपनिषद् प्रजापति (अपराट १० १५२ म उब्रत) में इन चारों प्रकारों की परिभाषाएँ दी हैं जिनमें बहुत मतभेद है। कुटीचक मन्वामी अपने पूरे यही संन्यास धारण कर रहता है, धिबा जेऊ, निरवध कमण्डलु धारण करता है तथा अपने पुत्रों या कुटुम्बियों से निष्ठा माँगकर जाता है। बहु अपने पुत्रों द्वारा निर्मित कुटिया में ही रहता है। कुटीचक लोग व्रतम भ्रष्टाचर यात्र कर्म एव हारीत नामक ऋषियों के आश्रमों में भी ठहरते थे वे प्रति दिन केवल ८ प्राण भोजन करते थे योष-मार्ग मन्ते थे और मोक्ष-प्राप्ति के साधनों में लगे रहते थे। बहुचकों के पास निरवध कमण्डलु बापाय बन्ध रहने हैं वे ऋषिगुरु यात बाइली के यहाँ से भिक्षा माँगते हैं जिनसे मास तक एक बाली भोजन नहीं देना। हंस लोप प्राण में एव एहि तवर में पाँच राशियों से अर्ध-भिक्षा माँगने के लिए नहीं ठहरते वे मोक्ष या गोबर पीने-प्याने हैं या एक क्षम का उपवास करते हैं या सर्वत्र आन्त्रायण व्रत करते रहते हैं। स्मृतिमुक्तावली (वर्षाधम पृ १८४) में उब्रत विनाह के मत से हंस संन्यासी एकचकी होने हैं और केवल निरादान के लिए ही प्राण म प्रवेद्य करने हैं नहीं ता सर्वत्र भेष (पुष्प) म, मही-व्रत पर या वेद के तीर्थ रहते हैं।

परमहंस लोग सर्वत्र वेद के नीचे या बाली मजान या दमसाण म निवास करते हैं। या ता बन्द करने हैं या बन्ध धारण करने हैं। वे वर्माधर्म मर्यादाएँ पवित्रापवित्र के इन्डों या इतियों के पत्रे रहते हैं। वे सत्रों एव-ममान मानने हैं, मन्त्री ब्राह्मण के समान समसते हैं और सभी बर्णों के यहाँ भिक्षा माँगने हैं। पराधरमाधवीय (१।० पृ १७२-१७३) के मत में परमहंस को एक बन्ध धारण करना चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के दो प्रकार हैं विद्वत्परमहंस (जिनके ब्रह्मानुभूति कर ली हो) तथा विविधियु (जो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सतत मचष्ट रहने हैं)। परामा काशीय में विद्वत्की श्याम्या के लिए बहुवारण्यकौपनिषद् पर तथा विविधियु के लिए आशीयकौपनिषद् पर जोर दिया है। आश्वत्थम विद्वत्सन्ध्याम के उदाहरण हैं जिनसे श्रीवामुक्ति प्राप्त होती है (श्रीवामुक्ति में इनी जीवन के अर्धवर्ष इनी वरीर के मास भोज प्राप्त होता है)। विविधिया-संन्याम से मृत्युपराण भोज प्राप्त होता है जिसे विद्वत्-मुक्ति भी कहा जाना है। वैदिक श्रीवामुक्तिविवेक (पृ ४)।

जाबालोपनिषद् (९) में परमहंसों का विद्यवर्धन पाया जाता है। कुछ ऐसे ऋषि हैं यथा—सर्वर्तक ब्राह्मिण स्वेतकेतु, दुर्वासाम् ऋष्यु निवाच ब्रह्मरथ वसामेय रैवतक ओ जपने लिए कोई विविष्ट विद्वान् नहीं रहते। वे यद्यपि पागल नहीं हैं किन्तु पापलो-जैसा व्यवहार करते हैं। वेबल बेहू एक आत्मा को साव रखने के लिए वे भोग मित्रा के लिए बाहर जाते हैं। मित्रा की प्राप्ति वा अप्राप्ति से अग्रमाहित रहते हैं। उनके पास बर नहीं होता वे सबा भूमा करते हैं। मौर मन्दिर म या बास के मुख पर या बस्तीक पर या पेठ के पीने या नयी-तट पर या गुफा में रहते हैं। वे निची भी बस्तु से मोह गयी रहते वे वेबल परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। सूतपहिता (२।१।३१) के अनुसार वेबल हंस एक परमहंस ही विद्या एक जनेठ का त्याग कर सकते हैं।

सम्यासीपनिषद् (११) में दो मन्थ प्रकार पाये जाते हैं यथा—तुरीयास्तित एवं अबभूत। तुरीयास्तित (जो बीने स्तर अर्थात् परमहंस से ऊपर ही) गाय के समान फल खाता है (हाराँ का प्रयोग नहीं करता) यदि वह पत्रा भोजन लेता है तो केवल तीन बरो से ही लेता है। वह बरन नहीं चारन करता उसका शरीर भी ही बीटा रहता है (किन्तु वह उसके विषय में विस्तृत संकेत नहीं होता) वह अपने शरीर से ऐसा व्यवहार करता है। मागो वह भर पुरा है। अबभूत निची भी प्रचार का नियन्त्रण नहीं मानता। वह निची धर्म के महीं भोजन कर सकता है। किन्तु पतितो एव पापियो वा भोजन नहीं ग्रहण करता। वह मजपार के समान खाता है (अर्थात् कभी भूखा ही पत्रा रहता या नयी बिना किसी प्रयत्न के मूल लीकते हुए बूब खा लेता है)। वह सदा परब्रह्म के वास्तविक ध्यान में निमग्न रहता है।

संन्यास तथा वर्ण

या सम्यास तीनों वर्णों के औपचारिक बर सकते हैं वा वेबल ब्राह्मण ही? इस प्रश्न के उत्तर में गहरा मनन रहता है। सुविषो (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।२२ ३।५।१ मुखकोपनिषद् १।२।१२ अथि) ने तो वेबल ब्राह्मणों को ही संन्यास के योग्य माना है। यही बात मनु (१।३।८) में भी पायी जाती है। लघु-विष्णु (५।१३) में बताया है कि संन्यास ब्राह्मणों के लिए है अन्य द्विजातियों के लिए वेबल तीन ही आश्रम हैं। किन्तु अन्य सेक्तों ने सुविषो में प्रयुक्त 'ब्राह्मण' मन्थ की 'उत्पलन' अर्थात् उदाहरण के रूप में माना है और मुखरार वात्स्यायन ने तो स्पष्ट कहा है—'वेबा ध्ययन के उपरान्त तीनों वर्ण चारी आश्रमों में प्रवेश कर सकते हैं। जाबालोपनिषद् (५) में बताया है—'बाहे स्थिति में बत न जिये ही। उनसे समाकर्तन (वेबाध्ययन के उपरान्त ह्ययमय स्नान) बाह न किया ही चाहे उसकी वैदिक अग्निवाँ अनी न बुझी ही। यदि वह इस शौचिक तमार से ऊब चुका ही तो वह परिश्राजक मन्थावी ही सकता है।" स्पष्ट है इस अर्थ में ब्रह्मचारी भी संन्यासी ही सकता है। दण्डिय एव वैश्य भी संन्यासी ही सकता है। याज्ञवल्क्य (३।३२) का कहना है कि द्विजातियों के विषय में मन मुदि वा एव साधन है संन्यास। पूर्वपुत्राज (अनार्य २८।२) में भी नयी द्विजा के लिए संन्यासी होता किया है।

४ तत्र वरपर्युता नाम सर्वतक्यवलि-वैतरेतुदुर्बाल-ऋषिवायजब्रह्मरथवसामेयवतकप्रबुधयोऽप्यव-
लिना अप्यवनाचारा अनुष्णता उष्णतवशावलेः प्राणसंपारचार्यं यथोक्तवति विमुक्तो भेदाभावेन
जाबालाश्रयो जपो ब्रूया सुम्यादारवैबपुहृणवडवन्नीवबुधमूलवर्षिहंसु तेज्वनिरेतवारवप्रयत्नो निर्विक-
मुक्तप्यावराययो अनुत्तरवर्तिर्नूनवपर संन्यासेन वैरुत्यायं करोति त वरपर्युतो नाम। जाबालोपनिषद् (९)।

५ बुवदनी वा जनी वा स्नातनी वास्तनतनी बीस्तमानिनी वा धरदरेव विरजैतवदरेव प्रजेने। जाब-
लोपनिषद् (५)।

ब्रह्म-से केसकों ने उपर्युक्त दोनों मतों का समर्पण किया है। महान् विचारक श्री शंकराचार्य ने बृहदारण्य
 योगनियम् (२।५।१ एवं ५।५।१५) के आख्य म केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास के योग्य माना है। किन्तु शंकराचार्य
 के निम्न मुद्रेश्वर ने शांकरमार्ग के धार्मिक म अपने गुप्त म मत्त का कल्पन किया है। मेधातिथि (मनु ६।१९७) मित्राक्षरा
 परतारिवात (पृ १९५ ३७३) स्मृतिमुक्ताफळ (वर्षाभम पृ १७६) ने केवल ब्राह्मणों को मन्वीमाधम क योग्य
 दर्शना है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ ६५) ने दूसरे मत्त का समर्पण किया है। महाभारत (आदिपर्व ११९)
 के अनुसार शशिय भी संन्यासी हो सकते हैं। दान्तिपर्व (६३।१६ २१) ने राजाओं को भीम के अन्तिम खणों म
 संन्यासी हो जाने की लिखा है। वासिष्ठस ने त्र्युषा (८।१४ एवं १५) म शत्रु के संन्यास का कर्त्तव्यम बतल उपस्थित
 किया है और संन्यासी बृद्ध राजा तथा नये अभिषिक्त राजा की तुलना बड़े मनीषम डग से की है।

संन्यास एवं धृष्ट

स्मृतियों एवं मध्य शास्त्र के ग्रन्थों के अनुसार धृष्ट संन्यास नहीं भारत कर सकता। दान्तिपर्व (६१ ११ १४)
 ने स्पष्ट लिखा है कि धृष्ट मिश्र नहीं हो सकता। इसमें एक स्थान (१८।३२) पर ऐसा आया है कि कुछ लोग (सम्भवत
 धृष्ट) ब्राह्मण रूप से संन्यासी बनकर मिला तथा बान प्रहल करते हैं। वे फिर मूंडाकट, बापाय बस्त्र भारत कर
 शर-उपर ब्रूमा करते हैं और बभ्रवता प्रवर्धित करते हैं। किन्तु प्राचीन स्मृतियों ने अबसोजन में पता बसता है
 कि धृष्ट लोग भी संन्यासी बन सकते थे। विष्णुधर्मसूत्र (५।११५) एवं मांडूक्य (२।२४१) में स्पष्ट लिखा है कि
 जो लोग धृष्ट संन्यासी को बेवोएव पितरों के पूजन-इत्यो के समय भीजन देते हैं उन पर १ पण का दण्ड लगता
 बाहिर। आश्वमवासिधर्म (२६।३३) म आया है कि विदुर संन्यासी के रूप म मांहे यय। इन पर टीकाकार गीसकथ
 ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है धृष्ट भी संन्यासी बन सकते थे।

संन्यास एवं नारियाँ

प्राचीन ब्राह्मणवादी शास्त्रों म नारी-नारी नारियाँ भी संन्यास भारत कर लेती थीं। मित्राक्षरा (मांडूक्य
 ३।५८) के शीवायन के एक सूत्र (स्त्रीया शैके) का उद्धरण देते हुए लिखा है कि कुछ आचार्यों का मत म नारियाँ भी
 संन्यासमय में प्रविष्ट हो सकती थीं। पतञ्जलि ने अपने महामाध्य (२ पृ १) म धरणा नामक परिभाषिता का
 उल्लेख किया है। स्मृतिचन्द्रिका ने यम (व्यवहार, पृ २५४) को उद्धृत किया है— नारियाँ के लिए म लो वेदा म
 औरत धर्मशास्त्रों में संन्यासाधम में प्रविष्ट होने की व्यवस्था पायी जाती है उनका उचित धर्म है अपनी जति में पुण्यो
 के मन्वीमाधम में प्रविष्ट करना। अथि (११९ १३७) ने लिखा है कि नारियों एवं गृह्य के लिए छ धर्म बर्जित हैं जिनक
 करने में पाप लगता है—अथ तप प्रव्रज्या (संन्यास जीवन) तीर्थयात्रा मन्वीमाधम दक्षतायापन। बालिष्ठम में
 जाने नाट्य साकविद्यान्निमित्त म परिहृता नौसिकी की संन्यासी का वेदा म बर्जाया है (१।१४)। उपर्युक्त विवेचन म
 प्रष्ट होता है कि हिन्दू धर्म म मामागत्य नारियों के लिए अगुही होकर मन्वीमाधम-वेदा इधर उपर घूमना अच्छा नहीं
 मना जाता रहा है।

संन्यास तथा धृष्ट एक नारी की योग्यता

पूरी एक नारियों के संन्यासी बनने का प्रश्न उभरा हुआ-मा है। 'संन्यास शब्द में लो साधनार्थ प्रष्ट होता
 है (१) किसी उद्देश्य की प्राप्ति की अभिलाशा में उत्पन्न मयी प्रकाश में नारी (बाध्य धर्म) का परिणाम एक
 (२) किसी विभिन्न जीवन-व्य (आधम) का अनुकरण जिनके बाह्य लक्षण हैं ब्रह्म बापाय आदि का भारत करना

और जिसने प्रवेश करने के पूर्व प्रिय का उच्चारण करता पढ़ता है। औचकमुक्तिविवेक (पृ ३) के अनुसार मौख (अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है, ऐसा कि कैवल्योपनिषद् (२) में आया है—“न तो कर्मों से न सन्तानोत्पत्ति से और न बन से ही बल्कि त्याग से कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे त्याग के लिए शूद्रों एवं मारियो लोगों को धृष्ट है मारियो के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का माता जाता है जिसने ऋषि याज्ञवल्क्य से स्पष्ट शब्दों में कहा था—“ओ मुझे खतर नहीं बनाएगा मैं उसे लेकर क्या करूँगी ? (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।५।३-४)। मगधवृषीणा (१।८।२) में भी आया है कि सत्यास (किसी उद्देश्य की प्राप्ति की कामना से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। औचकमुक्तिविवेक में यह भी आया है कि सत्यासी की माता एवं पत्नी के सत्यासत्त्व में प्रविष्ट होने पर वे पुत्र स्त्री के रूप में काम नहीं लेती (प्रत्युत वे पुरुष रूप में उत्पन्न होती हैं)। अतः मारियाँ एवं शूद्र भी कर्मों का त्याग कर सकते हैं, मने ही वे सत्यासिधों की विस्मयन वेदा-भूवाएँ एवं जय बाह्य उपकरण धारण न कर सकें। वेदान्तसूत्र (१।१।३४) के एक भाष्यकार श्रीकर के मत से सत्यास केवल तीन वर्गों के लिए है किन्तु स्यास (मीतिक आनन्दों एवं कामाओं का त्याग) तो शूद्रों मारियो एवं बर्षवकरो (मिश्रित जातिवासी) द्वारा किया जा सकता है।

सत्यास तथा अन्ये छूले-रुगडे नपुंसक आदि

कुछ लोगों के मत से सत्यास केवल अन्वो छूले-रुगडों तथा नपुंसकों के लिए है, क्योंकि वे श्रेय वैदिक इत्यों के सम्पादन के अनधिकारी हैं। वेदान्तसूत्र (१।४।२) के भाष्य में श्री सकराचार्य ने तथा सुरेश्वर ने श्री सकराचार्य के बृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में इस मत का खण्डन किया है। मनु (१।१।६) की व्याख्या में मेधातिथि ने भी उर्वृक्त मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि अन्वो छूले-रुगडों नपुंसक आदि सत्यास के अपयोग हैं, क्योंकि सत्यास के निबन्धों का पालन उनसे नहीं ही सकता। अन्वो एवं छूले-रुगडों का एक शीघ्र में एक ही रात्रि तक ठहरना तथा नपुंसकी का बिना उपनयन हुए सत्यास धारण करना युक्तिवगत नहीं जैसा (नपुंसकी का उपनयन-संस्कार नहीं होता)। नही बात सिताक्षर (याज्ञवल्क्य ३।५.९) में भी पायी जाती है। स्मृतिमुनवाक्य (पृ १७६) एवं इतिवर्मवचन (पृ ५९) में उद्धरण किया है—“सत्यासधर्म से श्मृत का पुत्र असुन्दर नाबूतो एवं कासे दौरी भासा व्यक्ति तम रोग से दुर्बल, लूका या लँवडा व्यक्ति सत्यास नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार वे श्रेय जो अपराधी पापी श्राय होते हैं शय शीघ्र यज्ञ ब्रत तप बया वान वेद्याभ्ययन हीम आदि के त्यागी होते हैं उन्हें सत्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है।

सत्यास एवं नियमभ्रष्टता

यद्यपि वे मुख्य नियमों में एक नियम का पत्नी एवं बृह का त्याग तथा मैत्रु के विषय में कनी न सीपना या पुत्र गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर नियन्त्रण रखता। अत्रि (८।१.६ एवं १८) में उक्त किया है—“मैं उस व्यक्ति के लिए किसी प्रायश्चित्त की कल्पना तक नहीं कर सकता जो सत्यासी हो जाने के उपरान्त भ्रष्ट या श्मृत ही जाता है वह न तो श्रिय है और न ही शूद्र उद्योगी सठठि पाण्डाल हो जाती है और बिरुद नष्टकारी है। सकराचार्य ने वेदान्त सूत्र के भाष्य (१।४।४२) में अत्रि के उर्वृक्त शब्दों को उद्धृत किया है और कहा है कि प्रायश्चित्त न होने की बात केवल कामुता के प्रकोपन से बचने पर बल देने के लिए नहीं गयी है वास्तव में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि कोई मिला मैत्रु न कर बैठता है तो उसका प्रायश्चित्त है। बल (७।३.३) में लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति के मरुत पर कुत्ते के पैर की मूत्र लगाकर वेध-निवाला कर दे जो सत्यासी हो जाने के उपरान्त नियमों (वर्ण-धर्म) रहने या लँवडा कसकर बाँधने आदि नियमों का पालन नहीं करता। जो सत्यासी के धर्म से श्मृत ही जाता है वह जीवन भर राजा का दास रहता है। अत्रि के मत से सत्यासी जो उस त्याग पर, नहीं उसके माता पिता आदि,

इति क्ली पुत्र बहु सम्बन्धी समातीय मिन पुत्री मा पुत्री के पुत्र आवि रहते हैं एक तिन मी नही रहता चाहिए (स्मिमुस्ताफत्र पृ २९)।

समाप्ती तथा मठ एवं उनक शगड़े

बारम्भ म उपर्युक्त निमयो का पाकन भरपूर होता था। श्री शंकराचार्य जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे किन्तु अन्ति अपने मिठान्ता एवं वर्तन के प्रकार के लिए चार मठ स्थापित किये (शुद्धी पुरी डाखा एवं बरगी)। यदा एको एव मठो ते इत मठो को बहुत दानानि दिये। मठो की सन्धा बढन सगी और उनम सम्पति नी एका होन कपी मिय पर स्वास्तिक प्रमुख ब्राम्हिन्थो मा महन्ती का रहने लगा। कबल कईती सन्धासिधो म दम भाक्षाएँ हो गयीं यथा—तीर्थ आयम बन करस्य गिरि पर्वत सागर, सरस्वती भारती एव पुरी। इन्ही श्री शंकराचार्य के चार सिधो के उत्तराधिकारी सिधो के नाम से पुकारा जाता है यथा—पद्मपाव क शिष्य थे तीर्थ एव कामम हुस्तामन्य के के क एव बरस्य मोटक क ने गिरि, पर्वत एव सागर एव मुरेस्वर क थे सरस्वती भारती एव पुरी। शुद्धी काञ्ची पुम्पोजाम् कुबसि सदेस्वर सिबपगा मामक मठो के अधिकार-क्षेत्र ब्राम्हिन् प्रमलता आदि सिधो म बहुत मत थे एव शगड़ होने रहे है। अपने अधिकारो की ब्राम्हिन्थि एव पुष्टता के लिए बहुत स मठो ने पुरतो एव सिधो की स्थापितियो म हेर-भेद कर बाळा है और बहुत सी मनगडन्त बातें बोड की है। इस प्रकार विभिन्न मठो द्वारा स्थापित किये के मठो म साम्य नही पाया जाता। एक सूची क अनुसार मुरेस्वर ७० मा ८ बर्य तक चीन रह। स्वामी पदपाव्य के समान रामानुजाचार्य एव भम्भाचार्य क भी बहुत-से सिधो ने मठ स्थापित किये। बम्भमाधाय तथा जने के सिधो ने मग्यास नही ग्रहण किया। उनके मत से स्यास कस्मियुय मे बन्धित है जीसे माधम म वेचक प्रवेश होन ने बन्धान नही प्राप्त हो जाता बस्कि उच्च ऐसे भक्त क व्यवहार म परिग्याय का माग मामने आला है (भागवत ३।८)। बहुत-से मठो म अपार सम्पति है जो पाल-वीजल (सेल की मुठिपी के निर्माण एव अन्य कर्षणि कार्यों) म कर्षे होती है। कृणु क म ही मडावीच पर्व-शिखे हैं यहाँ तक कि बहुतो को सख्त मापा तक का काम नही होना बहुधा के माधुनिक निवारो एव बावस्थानामो क प्रति निरपका होते हैं और मुबार-सम्बन्धी कार्यों के बिच्छ रहने हैं। केवल इन-गिने मठो के कुछ महत्त जीवन भर ब्रह्मचर्य रख सके है। महन्ती म अधिकपाय गृहस्थ होन के उपराण्ट मग्यासी हुए थ। अपने अधिकारिण नही प्राप्त करन के लिए भयकर होड एव शगड़े कलते हैं। बहुत-से मठो क महन्ता की मृत्यु पाम आ जाने पर कुछ लोग किसी इच्छूक गृहस्थ की पत्रकार बाबा (महत्त) का बेसा बना देन हैं जो बाबा की मृत्यु क उपराण्ट सब बडावीच हो जाता है। स्वभावत एगो महत्त अपने कर का माडू नहीं छोडता और कमाय म की सम्पति पर वा बाव-बन्धो की बेचना रहता है। अब तक उपर्युक्त उत्तराधिकारी का बृम्भान नही होना तक तक मठो का मुषार नही हो बनता। वास्तव मे महत्त के बहुत-स शिष्य होते चाहिए, महत्त की मृत्यु-काल्या पर चुनाव नही होना चाहिए

१. योगपट्ट क इत्यस्य वेदागताम्नाहतः परम्। ततो नाम प्रकृत्यं गुरुषा सर्वतन्मतम्॥ तीर्थापनवत-
 र्चर्यासर्वतन्मतः॥ सरस्वती भारती क पुरी नाम मतेर्बया॥ श्रीपारततया भाष्यं (बाष्यं ?) नाम तस्य पत्र-
 तम्। अदारस्य स्वया भाष्यं बीलाग्याल्यदिक् तथा। योगपट्टीय इत्यस्य शिष्ये तन्वच परीक्षिते॥ स्मिमुस्ताफत्र
 (ब्राम्हण पृ १८२ तथा पतिपरमसह पृ १३) मे उद्धृत। और डैगिय बिलसन इत Religious Sects
 of the Hindus in works Vol I (1861) p 202 एव डा कर्तुहर इत Outline of the Religious
 Literature of India (1920) p. 174 जिलने इतनासिधो के बारे मे लिखा हुआ है।

और जिसमें प्रवेश करने के पूर्व श्रम का उपचार करना पड़ता है। औषधमुक्तिविवेक (पृ ३) के अनुसार मोक्ष (अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है। वैसे कि कौबस्योत्तनियम् (२) में आया है—“न तौ कर्मो ध न सन्तानोत्पत्ति से और न धन से ही बन्धि त्याग से कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे त्याग के लिए दूधो एव नारियी दोनों को छूट है। नारियी के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का माता जाता है। जिन्होंने श्रम याज्ञवल्क्य से स्पष्ट शब्दों में कहा था—‘जो मुझे अमर नहीं बनाएगा मैं उसे भ्रम कर क्या करूँगी?’ (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।५।१४)। भगवद्गीता (१/१२) में भी आया है कि संन्यास (किसी उद्देश्य की प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। औषधमुक्तिविवेक में यह भी आया है कि संन्यासी की माता एव पत्नी के संन्यासात्म्य में प्रविष्ट होने पर वे पुनः स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेती (प्रत्युत वे पुनः रूप में उत्पन्न होती हैं)। जब नारियाँ एव सूत्र भी कर्मों का त्याग कर चकते हैं, भले ही वे संन्यासियों की विस्मयक वेष-मुधारें एव अन्य बातें उपकरण धारण न कर सकें। वेदान्तसूत्र (१।३।१४) के एक भाष्यकार श्रीकर के मत से संन्यास केवल तीन कर्मों के लिए है किन्तु संन्यास (भौतिक जानन्वी एव काश्चाको वा त्याग) दो सूत्रों नारियी एव वर्णसंहरो (मिथित जातिवाको) द्वारा किया जा सकता है।

संन्यास तथा अन्ये सूत्रे-संग्रहे मनुसूक्त आदि

कुछ लोगों के मत से संन्यास केवल अन्धी सूत्रे-संग्रहों तथा मनुसूक्तों के लिए है, क्योंकि ये सोन वैदिक इत्यो के संन्यास के अनधिकारी हैं। वेदान्तसूत्र (१।४।२) के भाष्य में श्री सकराचार्य ने तथा सुरेश्वर ने श्री सकराचार्य के बृहदारण्यकोपनिषद् के भाष्य में इस मत का खण्डन किया है। मनु (१।३।९) की व्याख्या में मेघातिथि ने भी उपर्युक्त मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि अन्ये सूत्रे-संग्रहे मनुसूक्त आदि संन्यास के अयोग्य हैं क्योंकि संन्यास के नियमों का पालन उनसे नहीं हो सकता। अन्धों एव सूत्रे-संग्रहों का एक गाँव में एक ही रात्रि तक ठहरना तथा मनुसूक्तों का बिना उपनयन हुए संन्यास धारण करना मुक्तिजनक नहीं बँधता (मनुसूक्तों का उपनयन-उत्तरकार नहीं होता)। नही बात मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५९) में भी पायी जाती है। स्मृतिमुस्ताकष (पृ १७३) एव मतिभर्मसंग्रह (पृ ५९) में उद्धरण किया है—‘संन्यासकर्म संन्युत का पुत्र असुन्दर नासुतो एव काफ़े बातों का भाग्य व्यक्ति शय रोष से दुर्बल, सत्ता का संभव व्यक्ति संन्यास नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार के लोग जो उपरानी पापी ब्राह्मण होते हैं तप्य शीघ्र यत्न बत तप बया बान वेदाध्ययन होम आदि के त्यागी होते हैं उन्हें संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है।’

संन्यास एव नियमभ्रष्टता

यदिमो के मुख्य नियमों में एक नियम का पत्नी एव गृह का त्याग तथा संतुन के विषय में कभी न सोचना का पुनः गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर नियन्त्रण रखना। अग्नि (८।१९ एव १८) में उचित किया है—‘मैं उस व्यक्ति के लिए किसी प्रायश्चित्त की कल्पना तक नहीं कर सकता जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त भ्रष्ट या अन्युत हो जाता है। वह न तो श्रम है और न ही सूत्र छुटकी संतति आश्वासन ही जाती है और बिह्वर नहलाती है। सकराचार्य ने वेदान्तसूत्र के भाष्य (३।४।४२) में अग्नि के उपर्युक्त बचन को उद्धृत किया है और कहा है कि प्रायश्चित्त न होने की बात नेत्रक कामुजता के प्रकोपन से बचने पर बल देने के लिए नहीं मयी है। वास्तव में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि कोई शिशु संतुन कर बैठता है तो उसका प्रायश्चित्त है। इस (७।३।३) में लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह उन व्यक्ति के मन्त्रक पर कुतों के पीर की मुहर लगाकर वेध-निकाशा करे जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त नियमों (ब्रह्मचर्य रहने या ‘सँपेटा कसकर बँधने’ आदि नियमों) का पालन नहीं करता। जो संन्यासी के कर्म से अन्युत हो जाता है वह औषध भर राजा का हाथ रहता है। अग्नि के मत से संन्यासी को उस स्थान पर, जहाँ उसके मरना पड़ा जाई

प्रायश्चित्तनिर्णय में नागेश ने ब्यासवृत्त सन्यासपद्धति में अनुसूच्य एक विस्वाद्य उक्ति यह की है कि जब नमिष्यु के ४४ वर्ष की उम्र (१२९९ ई के उपरान्त) तो समस्तार ब्राह्मण को सन्यास नहीं करना चाहिए। मन्दा है तब तब मुसल्लिम आक्रमणों से सन्यासियों पर अपने आत्मभय आरम्भ कर दिये थे और तभी धर्मशास्त्रकारों ने सन्यासियों को नियमबिच्छेद कहते देखकर तथा उन पर बहुर मूसलमानों के आक्रमण होते देखकर उपर्युक्त उद्धरण प्रकाशित किया। निर्णयसिन्धु (३ पूर्वाह्न अन्तिम) में भी ब्यास की उपयुक्त उक्ति बोलरामी है और कहा है कि सन्यास-सम्बन्धी बर्जना केवल निश्चयी सन्यासियों के लिए है।

सन्यास की विधि

सन्यास-विधि का बर्णन बीजायनधर्मसूत्र (२।१।११३) बीजायनपुस्तकेपसूत्र (४।१६) ब्रह्मसंहिता (१।१६-८) में हुआ है। सम्भवतः बीजा धर्म का बर्णन सबसे प्राचीन है। स्वाभाविक के कारण हम यहाँ विधि का विस्तार उपस्थित नहीं करेंगे। जो भी विधि की जाती है उसका तात्पर्य है मौलिक सम्बन्धों का स्वाम साधारण एवं पृथिवी-सम्बन्धी बनने के प्रति पूर्ण अहिंसामय जीवन ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्तुतिमूर्ति करना। गिर, शरीर तथा शरीर के सभी अंगों के बाल बननाकर, तीन बरों को एक में जोड़कर, एक बर-बन्ध (बाल छानने के लिए) एक कमण्डलु एवं एक मित्रा-यान लेकर व्यक्ति जप-ध्यान के इत्यो में संलग्न होता है।

मध्य काल के ग्रन्थों में विशेषतः स्मृत्यर्थसार (पृ ९६ ९७) स्मृतिमुक्ताञ्जल (पृ १७७-१८२) यतिधर्म-संग्रह (पृ १ २२) निर्णयसिन्धु (३ उत्तरार्ध पृ ६२८ ६३२) धर्मसिन्धु में सन्यास-विधि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों में सन्यास-सम्बन्धी ब्रह्मशास्त्री नामक ग्रन्थ का संस्मरण किया है जो बनी तक अप्राप्य है।

आतुर-सन्यास

आत्मानुपलिवद् (५) में उन लोगों के सन्यास का भी बर्णन किया है जो रोगी हैं या मरणाशय हैं। ऐसे लोगों के लिए विस्तृत विधि या इत्यो की कोई आवश्यकता नहीं है केवल शब्दों द्वारा उच्चारण एवं मन संकल्प ही पर्याप्त है। स्मृतिमुक्ताञ्जल (पृ १७४ एवं १८२) में उद्धृत अदिरा एवं सुमन्वु का कहना है— "जब व्यक्ति बुढ़ापे से बीमारी-हीन हो गया हो शत्रुओं से बहुर कष्ट या रक्षा ही या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो तो वह केवल 'प्रेम' मन्त्र का उच्चारण करके सन्यासी हो सकता है" अर्थात् उसके लिए विस्तारपूर्वक विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए, जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, केवल संकल्प प्रेम (यथा "मैंन सब कुछ त्याग दिया है जो ब्याहृतियों के साथ कहा जाता है) एवं अहिंसा से लिए प्रण कर लेना ही पर्याप्त है अन्य इत्य परिस्थितियों के अनुसूच्य किसे या नहीं भी किने जा सकते हैं। आजकल ऐसे सन्यास (आतुर-सन्यास) में धार्मिक व्यक्ति बहुधा प्रसूत होते हैं और संकल्प और (गिर-जाति का मुम्बन) साधिवीप्रवेश एवं प्रीवोन्कार नामक इत्य ही पर्याप्त मान लिये जाते हैं।

सन्यास तथा शिक्षा एवं यज्ञोपवीत (जनेऊ)

क्या सन्यासी को अपनी शिक्षा एवं जनेऊ का त्याग कर लेना चाहिए? इस विषय में प्राचीन काल से ही मत-

तत्यापवाचनम् स एव। पाल्यहर्षविभक्तोऽपि स पाल्यहोत्रं प्रवर्तते। तावत्पाल्योऽपि नृशोभं च कर्तव्यं तु कस्यो मुनेः॥ इति।
स्मृतिमुक्ताञ्जल पृ १७६ (बर्चान्यम) यतिधर्मसंग्रह पृ २३।

देर रहा है। आबामोसिनियम् (५) के उत्प्रेक्ष के अनुसार जब अग्नि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि 'संयायी ही जान पर जब अग्नि अपने बनेक का त्याग कर देता है तो वह ब्राह्मण जैसे कइका सपत्ता है' तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि सन्यायी की शपथ ही उसका बनेक (यज्ञोपवीत) है। आबामोसिनियम् (९) में यह भी आया है कि परमहम को जब म अपने पीने लखी कमण्डलु, धियम मिसापात्र जब काननेकाले वरुन-सख्य मिसा एव यज्ञोपवीत को छाड़ देना चाहिए और आत्मा की खोज में बग्या रहना चाहिए। यही बात आरुनिकोसिनियम् (२) में भी पायी जाती है। मन्वाचार्य मूषारुणकोसिनियम् (३।५।१) के भाष्य में बोलो पलो की बातें कहते हुए अन्त में अपना मत देते हैं कि यज्ञोपवीत एव मिसा का परिव्याय ही आत्मा चाहिए। यही बात निषकण्ड्य (याज्ञवल्क्य ३।६६) में भी नहीं है। चिन्तु बृह-हारीत (८।५०) का कहना है—“अग्नि सन्यायी ब्रह्मणं अर्चन्ति मिसा एव बनेक का परिव्याय कर देता है तब वह जीने की प्राणा ही जाता है और मृत्यु के पश्चात् कुपो का जन्म पाता है। जीवमुक्तिविशेष (पृ ६) एव परामरमापर्षीय (३।२.५ १६४) ने इस उक्ति का विशेषण उपस्थित कर अन्त में उपराचार्य की बात बहीरामी है। यही बात मिताक्षरा (भाग ३।५८) में भी पायी जाती है। आजकल के संयायी मिसा एव बनेक नहीं धारण करते।

संन्यास एवं कुछ विशिष्ट नियम

सम्यायिकों के आह्निक इत्यो के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निमित्त हैं (अतिवर्नमयह पृ ९५)। उर मीन रत्नबाबन स्नान आदि बृहस्वो की मति ही करने चाहिए। मनु (५।१३७—अभिष्टवर्ममूत्र ४।१९, शिन्धु-वर्ममूत्र १।२६ मख १।१।२३ २४) का कहना है कि शानप्रस्वो एव संन्यासियों की गृहस्था का ममान ही कम म हीन एव बार बार शीघ्र-वर्म (सर्पिर-वृद्धि) करना चाहिए। मोजन केवल एक बार और वह भी केवल ८ प्रायश्चाना चाहिए। सम्यायिकों की पुरुषोत्तम (बार स्वधपो के साथ बामुधेव) ब्यास (मुमन्तु, जैमिनि वैमस्यायन एव पीठ नामक बार मियो के साथ) भाष्यकार सकर (बारो धिप्यो अर्चन्ति पशुपात्र हस्तामकक कोष्क एव मुण्डेस्वर के साथ) आदि की पूजा करनी चाहिए। आर-सम्मान के आदान-प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह देवी एव अपने में बड़े सम्यासियों को जो नियमानुक्रम अपने मार्ग पर चलते हो नमस्कार करे, चिन्तु किसी पुरुष को चाहे वह आचारवान् एव विचारवान् ही क्यों न हो नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उन कोई नमस्कार देने तो उन सबका नारायण कहना चाहिए, म कि आधीर्बाह देना चाहिए। जब सन्यासी मर जाय (यहाँ तक कि वह भी जिनत मुमुक्षुया पर ही संन्यास ग्रहण किया ही) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पृथिवी में गाड़ देना चाहिए। यदि की मृत्यु पर रोदन आदि नहीं करना चाहिए और न श्राद्ध ही करना चाहिए, नकळ १२वें दिन पार्थिव का देना चाहिए (अनर्त्त पृ ५३८)। यदि सन्यासी अपने पुत्र की मृत्यु या किसी मन्वन्थी की मृत्यु का समाचार सुन ता वह अपवित्र नहीं होता और न उसे स्नान ही करना चाहिए, चिन्तु माता या पिता की मृत्यु मुनकर वह स्नान अवश्य करना है चिन्तु नियम नहीं करता।

परिवृत्त शिष्ट और धर्मनिर्णय

वर्मव्याय के निश्चाल के अनुसार राजा न केवल पीर एव जनपद के पामन का मुख्याधिकारी है प्रथम वह स्याय का प्रमुख शील है। राजा धार्मिक एव आध्यात्मिक सम्दात्री का समयनकर्ता एव रक्षक है। वह जनता का धर्म में नियो-दिन करता है एव धार्मिक तथा आध्यात्मिक उत्कृष्टता पर बखर देता है। मरप में वह धर्म का रक्षक है (नीतिम १३। ११, शिन्धुवर्ममूत्र ३।२-३ मारक प्रवीर्णक ५।० याज्ञवल्क्य १।३३० एव ३।५९ अति १०-२ मनु ७।१३)। चिन्तु राजा धार्मिक एव आध्यात्मिक कार्य स्वतः नहीं लय करता वा प्रथम वह पुरोहित एव मन्त्रियों की नामनि एव विद्वात् मीनी की सहाय्य अर्चन्ति परिवृत्त की राय से ही करता वा। जब कभी कोई धार्मिक या प्रायश्चित्त-मन्वन्थी या पत्निक ने

शुद्ध विशिष्ट व्यक्तियों को एक प्रतिनिधि-सभा के स्वर का मान होना चाहिए। समाप्तियों के मठों के अधिपति अपना महत्त्व कमी-कमी सम्पत्ति मान-सम्मान एवं अधिकार-शेष का मामला लेकर कचहरी तक पहुँचते हैं। उदाहरणार्थ हम निम्न मामलों को बौध्द कर सकते हैं। म्यूबेरी मठ के सकराचार्य महन्त ने बाबा क्रिया कि केवक उन्हें ही पारसी पर चढ़कर मार्ग पर चलने का अधिकार है। सिमायती के स्वामी ऐसा नहीं कर सकते (रेसिए, ३, मूर का इन्डियन कपीस प १९८)। डारका के शारबा मठ के सकराचार्य ने मामला पेश किया कि प्रतिबाबी को सकराचार्य की उपाधि एवं मान-सम्मान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और न उसे बहमशाबाब की पगता की बान-बसिना और न गुजरल के अर्थ स्वामी के वामाधि प्राप्त करने का अधिकार है वह न तो सकराचार्य है और न शारबा मठ के सकराचार्य की पगती का वास्तविक अधिकारी है (रेसिए, मजमूबन पर्वत बनाम श्री माधव तीर्थ, ३३ बम्बई, २७८)। बिद्यासकर बमाम बिद्यासकरसिंह (५१ बम्बई ४४२ प्रिबी कौसिल) के मामले में प्रिबी कौसिल को चार व्यक्तियों के मामले को तय करना पड़ा था जिसमें बाबी एवं प्रतिबाबी दोनों अपने को सकेबबर एवं कर्बीर मठ के सकराचार्य कहते थे और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी भी पहले से नियुक्त कर लिये थे। इस प्रकार इस मामले में चार व्यक्तियों का स्वार्थ निहित था। इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि महान् सन्ध्यासी एवं वार्षिक बिद्वान् सकराचार्य के आश्रमों की पूजा आधुनिक समय में किस प्रकार हो रही है। आश्चर्य है उस महान् विचारक एवं परम मेधावी वार्षिक तथा बहिरीय ब्रह्मचारी सन्ध्यासी के नामभारी आज के सन्ध्यासी मठों की गद्दी पर बैठकर उनका नाम बेच रहे हैं। उन्हें बौध्द-मुक्तिविशेष एवं उसके द्वारा उन्नत मेधातिथि के सम्बन्ध स्मरण रखने चाहिए। यदि निवासस्थान के रूप में कोई सन्ध्यासी कोई मठ प्राप्त करता है तो उसका मन मठ की उन्नति एवं हानि से जकायमान हो उठेगा अतः किसी सन्ध्यासी को मठ की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, उसे अपने प्रयोग के लिए सोन एवं भाँरी के पान एवं बरतन भी नहीं रखने चाहिए और न अपनी सेवा सम्मान वस प्रसार एवं जन-काम के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए उसे बेवश लोगो की मनीषता या अज्ञान हुए करने के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए।”

उत्तरकालीन सन्ध्यासी

बेराती सन्ध्यासियों के विषय में डा के एन फर्गुहर (वे मार० ए एस १९२५, पृ ४७९, ४८९) ने एक बहुत ही विद्वतापूर्ण लेख लिखा है। उसमें इसका बर्णन है कि किस प्रकार अरबों एवं सन्ध्यों से घुससिद्ध मुसलमान फकीरों ने हिन्दू सन्ध्यासियों को नष्ट किया तथा बहुतेको लस्कार के घाट उतार दिया। किस प्रकार मजमूबन सरस्वती ने सम्राट् अकबर के पास जाकर उनसे प्रार्थना की जिस प्रकार पुरी सहायता न पाने पर मजमूबन सरस्वती ने बसवामियों में सप्त नामों के सन्ध्यासियों के रूप में क्षत्रियों एवं वैश्यों को बीधित कर उन्हें अरब-सरस से घुससिद्ध किया। किस प्रकार इन सन्ध्यासियों ने मुसलमान फकीरों से तथा अपने से युद्ध किया। किस प्रकार अन्ध्राष्ट्रग गारियों मिरि एवं पुरी के रूप में बीधित हुईं और किस प्रकार उत्तर भारत में आज बेवश तीर्थ आश्रम एवं सरस्वती नामक सन्ध्यासी ही एकाधिक रूप में बचे हुए हैं। उपर्युक्त नयी पीढ़ि से बीधित सन्ध्यासियों की परम्परा ने आये जम्कट भयकर परिणाम उपस्थित

७. यदि नियतवस्तार्थं वैदिकान्ध लंघादयेत्तदानीं तस्मिन्मन्त्रे तस्मिन् तदीयान्निबुद्धपीडितसं विलिप्येत।

यथा मठो न परिग्रहीतव्यस्तथा सोमर्षराज्जतामनीना विज्ञातमनादिपात्राणादेवमपि न पशुनीयान्॥ मेधातिथिरिति।
आत्मन वात्रलोपरवातयवः शिष्यसंग्रहः॥ विद्यास्थली बुधालापो फ्लोर्बन्धकतामि ७६॥ सुभूपात्कान्मुत्रार्थं यद्योर्षं
वा परिग्रहः॥ सिध्यानां न शु दावन्धप्रत लेवः शिष्यसंग्रहः॥ श्रीधम्पुत्रितविशेष पृ १५८ ९।

निर। सन्नासियो एव फलीरो ने बयाल प्राप्त को छोप-सा किया। ब्रिटिश शासन के आरम्भिक दिनों में (१८वीं सदी के प्रथम चरण में) उनके आक्रमणों एव उपद्रवों ने बयाल को परेशान एवं तबाह कर रखा था। इसके हमला करने हैं कि किस प्रकार सन्नासियो का बहिष्कार नामक प्रबल सूत्र कासात्तर में बीछा पड़ गया।

सन्नासी एव उसके वाय-सम्बन्धी अधिकार

प्राचीन एव आधुनिक हिन्दू कानूनों के अनुसार सन्नासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पत्ति एव धर्म से विच्छेद हो जाता है (बसिष्ठधर्मसूत्र १७।५२)। हिन्दू मठ परिषद केवल वेदज्ञा धारण मान से ही नहीं होता प्रत्युत उसके लिए (समास-धारण के लिए) आवश्यक कृत्य सम्पादित करने पड़ते हैं। इसी प्रकार सन्नासी की सम्पत्ति (समा-धन सम्बन्धी पुस्तकें आदि) उसके घर वालों की नहीं प्रत्युत उसके शिष्य या शिष्यों को प्राप्त होती है (देखिए वाक्यवलय २।११७ एव उषी पर मित्राक्षरा)। यदि कोई सूत्र सन्नासी हो जाय तो वे नियम उस पर नहीं लागू होते हैं।

आदर्श श्रुत सन्नासी एव घरबारी गोसाइ

सन्नास के आदर्श पर एक मयकर कुठाराघात पडा उस श्रुत से जिससे सन्नासी लोगों की स्त्री वा स्त्रीक करने की आज्ञा मिल गयी। पतिधर्मसंग्रह (पृ १८) में उद्धृत बामुपुराण के बचन से पता चलता है कि जो व्यक्ति सन्नासी हो कर उपरास में बुन करता है वह ६ वर्षों तक मासवान का कीडा बना रहता है और उसके उपरास पूरे गिड गुने बन्द, मूबर पेड पुष्प फल प्रेत की योनियों की पार करता हुआ चाण्डाल के रूप में जन्म लेता है। राजतरुिणी (१।१२) का कहना है कि मन्वन्तक की रागी द्वारा निर्मित मठ के एक भाग में नियमी व अनुसार चलनेवाले सन्नासी एवों के और दूसरे भाग में बसे अनियमित सन्नासी रहते हैं जिनके साथ उनकी पत्नियाँ धन-सम्पत्ति एव पशु आदि के (बर्तानु दूसरे भाग में गृहस्थ सन्नासी रहते हैं)। ऐसे सन्नासियों को जो गृहस्थ रूप में रहते हैं, घरबारी गोसाइं कहते हैं। बम्बई प्रांत में उन्हें घरबारी गोसाइं कहा जाता है।

सन्नास एव मुपति-परिश्राजक

बुद्ध मुपति श्रमिणियों से पता चलता है कि मुपति समाजों के सामन्ती में कुछ ऐसे राजा थे जिनकी उपाधि भी मुपति-परिश्राजक अर्थात् राजकीय सन्नासी। वा पलीट (मुपतिश्रमिण पृ ९५, पारटिपत्नी १) ने इस उपाधि की उपाधि नामक उपाधि के समरत रखा है। हिन्दू यह बात बँबती नहीं। मुपति-परिश्राजक का गीत का मर राज और उनके संस्थापक बलि के अवनार मान जाने व (पृ ११९)। हो सकता है कि बुद्ध के सम्भाषण महोदय राज्य करने के उपरास बुद्धिनी में परिश्राजक हो यम ही और उनके बचन लोग भी उनी परम्परा में राज्य करने व उपासक सन्नासी होने लगे हैं। उनी से सम्भवतः उन्हे मुपति-परिश्राजक कहा जाता था। स्मृतिमुक्ताश्रय (पृ १७९) में उद्धृत व्यास एव पतिधर्मसंग्रह व मठ में बलिपुत्र में सन्नास बर्णित है। हिन्दू उनके मन से यह भी मरत होता है कि वे वर बर्णियमन्त्रों की परम्परा चलनी रहेगी सन्नास की परम्परा बलिपुत्र में भी मानित रहेगी। अपने श्रावणा

८. देखिए राय साहब पाणिनी मोहक घोष द्वारा लिखित (१९१) एव Sannyasi and Fakir leaders in Bengal

९. व्यास। अष्टाध्याय्य गणतन्त्र संख्यात् बलवन्तम्। ईदरेण मुनेर्पतिं बली वञ्च विचर्येत्॥ इति।

प्रायश्चित्तनिर्णय में मायेस ने व्यासहृत सत्यासपद्धति के अनुसार एक विरुद्ध उक्ति यह भी है कि जब कस्मिन् के ४४ वर्ष बीत जायें (१२९९ ई के उपरान्त) तो समस्तवार ब्राह्मण को सत्यास नहीं धारण करना चाहिए। मरता है तब तक मुसलिम आक्रामकों ने सत्यासियों पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये थे और ठनी धर्मशास्त्रकारों ने सत्यासियों को नियमबिच्छन्न करते देखकर तथा उन पर कट्टर मुसलमानों के आक्रमण होते देखकर उपर्युक्त उद्धरण प्रकाशित किया। निर्णयसिन्धु (३ पूर्वाध्याय अक्षिप्त) में भी व्यास की उपर्युक्त उक्ति बोज़रूपी है और कहा है कि सत्यास-सम्बन्धी बर्तना केवल विद्वन्मयी सत्यासियों के लिए है।

सत्यास की विधि

सत्यास-विधि का बर्णन बीषायतधर्मसूत्र (२।१।११३) बीषायतपृष्टासेपयुत्र (४।१६) ब्रह्मजल (१।६-८) में हुआ है। सम्भवत बीषा धर्म का बर्णन सबसे प्राचीन है। स्वानामात्र के कारण हम यहाँ विधि का विस्तार उपस्थित नहीं करते। जो भी विधि की जाती है उसका तात्पर्य है शैतिक सम्बन्धी का त्याग सांसारिक एवं पृथिवी-सम्बन्धी जन के प्रति बुद्धि अहिंसामय जीवन ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्तानुभूति करना। शिर, हाथी तथा शरीर के सभी अंगों को बाण बनवाकर, तीन बड़ों को एक में जोड़कर, एक बरत-बन्ध (जल छानने के लिए) एक बरतक एवं एक मिस्रा-पात्र लेकर व्यक्ति जप-व्यास के कृत्यों में संलग्न होता है।

मध्य रात्रि के प्रथम में विशेषतः स्मृत्यर्षाचार (पृ ९९-१०) स्मृतिमुक्ताफल (पृ १०७-१८२) यतिधर्म संहिता (पृ १-२२) निर्णयसिन्धु (३ उत्तरार्ध पृ ६२८-६३२) धर्मसिन्धु में सत्यास-विधि पर विचार रूप से प्रकाश डाला है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों में सत्यास-सम्बन्धी 'ब्रह्मानन्वी' नामक इत्य का उल्लेख किया है जो अभी तक अप्राप्य है।

आतुर-सत्यास

आबाकोपनिषद् (५) में उन लोगों के सत्यास का भी बर्णन किया है जो रोनी हैं या मरणासन्न हैं। ऐसे लोगों को लिए विस्तृत विधि या कृत्यों की कोई आवश्यकता नहीं है केवल शब्दों द्वारा उद्बोधन एवं मन संकल्प ही पर्याप्त है। स्मृतिमुक्ताफल (पृ १०४ एवं १८२) में उद्धृत अगिरा एवं गुमस्तु का कहना है— 'जब व्यक्ति बुढ़ापे से बीर्ण-बीर्ण हो गया हो शत्रुओं से बहुत कष्ट या खटा हो या किसी असाम्य रोग से पीड़ित हो तो वह केवल 'प्रेम' मात्र का उच्चारण करने सत्यास ही करता है।' अर्थात् उसके लिए विस्तारपूर्ण विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो मृत्यु के द्वार पर लगे हैं केवल मन्त्र प्रिय (यथा "मैंने सब कुछ त्याग दिया है जो व्याहृति के साथ रहा जाता है) एवं अहिंसा के लिए प्रण कर देना ही संश्लेष है अन्य कृत्य परिस्थितियों के अनुसार किये जा सकते हैं। आत्मरक्ष एवं सत्यास (आतुरसत्यास) में धार्मिक व्यक्ति ब्रह्म प्रभूत होते हैं और संकल्प, और (शिर आदि का मुञ्चन) सावित्रीप्रार्थना एवं प्रीत्योच्चारण नामक कृत्य ही पर्याप्त भाग किये जाते हैं।

सत्यास तथा शिक्षा एवं यज्ञोपवीत (जनेऊ)

क्या सत्यासी को अपनी शिक्षा एवं जनेऊ का त्याग कर देना चाहिए? इस विषय में प्राचीन काल से ही मन

तात्याचारमाह स एव। धारणार्थविधायोऽस्ति धारणैव प्रवर्तते। तावन्पास्तोऽस्मिन्मूर्त्तं च वर्तम्यं तु कर्त्तव्यं मुनेः॥ इति। स्मृतिमुक्ताफल पृ १०६ (बर्णाध्याय) यतिधर्मसंहिता पृ २-३।

में रहा है। बाबाभोपनिषद् (५) के उल्लेख के अनुसार जब भक्ति में माझबन्धन से मुक्ति सिद्ध होती है तो वह बाह्य रूप से कहुसा सकता है। तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि मन्वासी की माता ही उसका बनेक (यज्ञोपवीत) है। बाबाभोपनिषद् (६) में यह भी बताया है कि परमहंस को जब म अपने रीति रीतों, कर्मफल विषय मिलापात्र जब जाननेवाले बन्धन-बन्धन विद्या एवं यज्ञोपवीत को छोड़ देना चाहिए और माता की ओर में जाना रहना चाहिए। यही बात आर्यभट्टोपनिषद् (२) में भी पामी जाती है। सरकारचर्य बृहदारण्यकोपनिषद् (३।५।१) के भाष्य में दोनों पक्षों की बातें कहते हुए अन्त में अपना मत बतते हैं कि यज्ञोपवीत एवं विद्या का परित्याग ही जाना चाहिए। यही बात विद्वत्स्य (याज्ञवल्क्य ३।१६) में भी कही है। किन्तु बृह-हारीत (८।५७) का कहना है—“यदि मन्वासी ब्रह्मकर्म अर्थात् विद्या एवं जनेक का परित्याग कर देता है तो वह जीत-जीत पाया ही जाता है और मृत्यु के परभाव कृत का भय पाता है। श्रीबन्धुविरचितेक (पृ १) एवं पञ्चमहापर्वीय (१।२.५ ११४) में इस उक्ति का विशेषण उपस्थित कर अन्त में सरकारचर्य की बात दोहरायी है। यही बात मितानरा (पत्र ३।५८) में भी पामी जाती है। याज्ञवल्क्य के मन्वासी विद्या एवं जनेक नहीं मारण करते।

सन्धास एवं कुछ विशिष्ट नियम

सन्धासिद्धों के आर्थिक कृत्यों के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निम्न हैं (यतिधर्मसंग्रह पृ ९५)। उन्हें तीन स्वतन्त्र स्नान यात्रि बृहस्त्रों की मति ही करने चाहिए। मनु (५।११७—वशिष्टधर्मसूत्र ५।१९ विष्णु-धर्मसूत्र १।२१ शक १।२।३-२४) का कहना है कि जानप्रस्थो एवं सन्धासिद्धों को गृहस्थों के समान ही क्रम से तीन बार बार धीच-धर्म (शरीर-शुद्धि) करना चाहिए। जोरत केवल एक बार और वह भी केवल ८ प्रातःकाला चाहिए। सन्धासिद्धों को पुस्तोत्तम (चार स्वस्त्रों के साथ बागुदेव) व्यास (मुमुक्षु बंमिनि बंसम्पायन एवं पैस नामक चार विद्यों के साथ) भाष्यकार शंकर (चारों विद्यों अर्थात् पञ्चपात्र हस्तामलक शेटक एवं सुरेस्वर के साथ) आदि की पूजा करनी चाहिए। आदर-सम्मान के माहान प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। मन्वासी को चाहिए कि वह पैसो एवं अपने में बड़े सन्धासिद्धों की जो नियमानुसूल अपने मार्ग पर चले हो नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्थ को जो वह आचारवान् एवं विचारवान् ही क्यों न हो नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उन कोई नमस्कार करे तो उन केवल 'मातराम्' कहना चाहिए, न कि 'आसीर्वा' देना चाहिए। जब सन्धासी मर जाय (यहाँ तक कि वह भी जिनमें ब्रह्म-धर्म पर ही सन्धास प्रवृत्त किया हो) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पृथिवी में गाड़ देना चाहिए। यदि भी ब्रह्म पर ऐतन आदि सही करना चाहिए और न याज्ञ ही करना चाहिए, बल्कि ११४ दिन पारंगन कर देना चाहिए (कारण पृ ५३८)। यदि सन्धासी अपने पुत्र की मृत्यु या किसी सम्बन्धी की मृत्यु का समाचार सुन तो वह अपवित्र नहीं होता और न उसे स्नान ही करना चाहिए, किन्तु माता या पिता की मृत्यु सुनकर वह स्नान अवश्य करना है किन्तु निराल नहीं करना।

परिपद् सिद्ध और धर्मनिर्णय

धर्मशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार राजा में केवल पीर एवं जलपत्र के माहान का मुख्याधिकारी है प्रत्युत वह ग्याय का प्रमुख शक्ति है। राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक सन्ध्याओं का समयनकर्ता एवं रक्षक है। वह जलना की धर्म में निरपी मित करता है एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उत्सवधर्मों पर रण्ड देता है। मधेय में वह धर्म का रक्षक है (गीतम ११)। विष्णुधर्मसूत्र ३।२ ३ शारद, प्रकीर्णक ५।३ याज्ञवल्क्य १।३।३ एवं ३।५९, अति १७-२ मनु ७।११)। किन्तु राजा धार्मिक एवं आध्यात्मिक धर्मों स्वतः नहीं ठप करता का प्रयत्न वह पुरोहित एवं मन्त्रिणी की मन्मदि एवं विद्वान् पीर की मन्वाओं अर्थात् परिपद् की राय से ही करता का। उन सभी कोई धार्मिक या प्रायश्चित्त-मन्त्राधी या पतिन के

परिवर्त के माध्य में लिखा है—“जब धर्म के सूक्ष्म-निर्यय में किसी परिवर्त का होना आवश्यक है तथा विशेष रूप से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्यय आवश्यक है, जैसा कि नियम भी है—एक परिवर्त में कम-से-कम दस या तीन या दस निर्यय व्यक्ति का होना परमावश्यक है।”^{११} संकटात्म्य की उपर्युक्त स्थिति से स्पष्ट होता है कि जबतक आत्मगत १५ वर्ष पहले परिवर्तों की परम्पराएँ विद्यमान थीं जो धर्म एक आचार-अभ्यन्धी निर्यय दिया जाती थीं।

परिवर्त में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए? इस विषय में गीतम (२८। १५-१७) के अनुसार परिवर्त में कम-से-कम दस व्यक्ति होना चाहिए यथा—चार वेदज्ञ एक मैट्रिक ब्रह्मचारी एक गृह्य एक छत्यासी तथा तीन धर्मशास्त्रज्ञ। बसिष्ठधर्म (३।२) श्रीवायन (१।१।८) पराशर (८।२७) एक बलिष्ठ ने बतिया है कि परिवर्त में दस व्यक्ति होने चाहिए यथा—चार वेदज्ञ एक श्रीमान् एक पद वेदवेत्त, एक धर्मशास्त्रज्ञ तीन अन्य व्यक्ति जिनमें एक गृह्य एक ब्राह्मण एक एक छत्यासी हो। मनु (१२।१११) एक से दस पार्षद य है—तीन वेदज्ञ (एक-एक वेद की जाननेवाले अथर्ववेद की छोड़कर) एक तर्कशास्त्री, एक श्रीमान् एक निरुक्तज्ञ एक धर्मशास्त्रज्ञ एक गृह्य एक ब्राह्मण तथा एक छत्यासी। पराशरभाष्य (२।८।१ २।८) द्वारा उद्धृत बृहस्पति के अनुसार एक परिवर्त में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं जिनमें प्रत्येक की वेद वेदागत धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार की परिवर्त पवित्र मन्त्र के समान मानी जाती है (और ऐतिहासिक पृ. २३)। बसिष्ठधर्मसूत्र (३।७) याज्ञवल्क्य (१।९) मनु (१२।११२) पराशर (८।११) के अनुसार परिवर्त में कम-से-कम ४ या ३ व्यक्ति होने चाहिए जिनमें प्रत्येक की वेदज्ञ अभिहोती एक धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। गीतम (२८।४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकें तो समय उपस्थित होने पर निर्यय पूर्ण से सम्पन्न एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति की मन्त्रोक्त ब्राह्मण सिद्ध वेद का गम्भीर अध्ययन होना चाहिए (गीतम २८।४८, मनु १२।११३ एवं अति १६३)। याज्ञवल्क्य (१।७) पराशर (८।१३) अग्नि का कहना है कि एक ही व्यक्ति यदि बहु मन्त्रोक्त सन्यासी हो एक आत्मविद् की परिवर्त का रूप से मरना है और समय उपस्थित होने पर सम्बन्धित निमग्न का उद्धार कर सकता है। यद्यपि समय पड़ने पर एक व्यक्ति द्वारा समय में निर्यय देने की बात नहीं गयी है किन्तु पात्र ही धर्मशास्त्रकारों ने यह भी घोषित किया है कि जहाँ तक सम्भव हो एक व्यक्ति ही परिवर्त में माना जाय। श्रीवायनधर्मसूत्र (१।१३) का कहना है—“धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है तथा अनुपस्थित करना बहुत कठिन है इसमें बहुत से द्वार हैं (अर्थात् धर्म विभिन्न परिस्थितियों या अवसर पर विभिन्न रूप में प्रकट होता है) अतः बहुत होने पर भी समय की स्थिति में सर्वथा अचक्रे ही धर्मोत्तर न विषय में उद्धार नहीं करना चाहिए।”^{१२} धर्म की बातें मूल लोगों के मनो मन्त्री तय की जानी चाहिए चाहे वे मन्त्री भी सन्या

११ अतएव धर्मसूक्ष्मनिर्यये परिवर्त-व्यापार इच्छते । मुख्यविशेषावधारणयते ब्रह्मचारा परिवर्त प्रयोक्तव्येति । पातरवाय (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।३।२) ।

१२ भूमिनामस्तत्तद्विद्यानां विज्ञानां यत्तत्तद्विद्यानाम् । वेदकालेषु स्मृतानामेतेषु परिवर्त भवेत् ॥ पराशर ८।१३; अतीनां स्मृतयस्तां ज्ञानविज्ञानवेत्तसाम् । सिद्धान्तैश्च स्मृतानामेतेषु परिवर्त भवेत् ॥ (अपारक पृ. २३) धर्मशास्त्रकाराणां २।१ पृ. २१७ द्वारा उद्धृत अगिरा) । मुख्यकोपनिषद् (३।२।१) में आया है कि त्रिकूर्ति विरहित कर लिया है वे बहुविधा पुरुष के योग्य माने जाते हैं ।

१३ बृहदारण्यक धर्मसूत्र मूल्य मूल्य गति । तस्मात्तद्विद्यानां स्मृतयः कर्तव्येति । धर्मशास्त्र १।१।१३ ।

में ही कभी न उपस्थित हुए ही। मनु (१२।१।१४ ११५—वीषायनधर्मयूत्र ३।५ ६ परासर ८।६ एव १५) का कहना है— अघटी वैश्विहीन एव वैश्व जातिवत् से ही वीषिका ब्रह्मणे वासे सहस्रो ब्राह्मण परिपद् का क्रम नहीं बरत कर सकते। यदि ऐसे व्यक्ति धर्म का उद्घोष (पाप के लिए प्रायश्चित्त का निर्णय) करते हैं तो वह पाप संकटो मुना बहकर उन्हीं के (उद्घोष करने वालों के) पास चला जाता है।

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।३) ने लिखा है कि परिपद् के सदस्यो की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है वास्तव में छोटे-छोटे पापों के लिए बोधे-से विद्वानों द्वारा प्रायश्चित्त-निर्णय पर्वति है किन्तु भयानक अपराधों के प्रायश्चित्त-निर्णय में परिपद् के सदस्यो की संख्या सम्बन्धी होनी चाहिए। वैश्व (याज्ञवल्क्य ३।३) की व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने लिखा है कि जब पाप गम्भीर न हो तो ब्राह्मण लोग बिना राजा को बताने प्रायश्चित्त का निर्णय ले सकते हैं और पापी को उसके अधिकार बाधकर सकते हैं किन्तु गम्भीर पापी में राजा तथा ब्राह्मण लोग सावधानीपूर्वक जाँच करके प्रायश्चित्त का निर्णय देते हैं। परासर (८।२८ २९) ने बताया है— ब्राह्मणों की राजा की आज्ञा से पापों के प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, उन्हें अपने से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था नहीं देनी चाहिए, और न राजा को ही बिना ब्राह्मणों की सहमति के प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, नहीं तो पाप बहकर ही मुना ही जाता है। जब व्यक्ति परिपद् के पास जाये अपनी बृतियों कहे और छुटकारे का उपाय मगि तो यदि परिपद् प्रायश्चित्त की व्यवस्था जानकर भी उसे सन्तुष्ट न करे तो उसके सदस्यो की अपराधों का पाप छन जाता है। परासर (८।२) का कहना है कि अपने पाप के ज्ञान के उपरान्त पापी को परिपद् के लोगों के पास जाकर उनके सामने पृथिवी पर बन्दबन् गिर जाना चाहिए और अपने पाप की प्रायश्चित्त-व्यवस्था की माँग करनी चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।३) ने कहा है कि पापी को एक पाप या एक बँस का देना ही कुछ देकर परिपद् के समक्ष अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए।

सन्ध्यासी एव परिपद्

सम्प्रदाय में स्मृतियों द्वारा निर्धारित परिपद्-सम्बन्धी नियमों का पालन राजाको एव विद्वान् ब्राह्मणों द्वारा बहरस किया जाता था। कुछ वर्षों के उपरान्त विवेपथ दक्षिण में अकराचार्य के उत्तराधिकारियों ने परिपद् के बुद्धर भार को अपने दुर्बल कंधों पर ले लिया। यह विभिन्न परम्परा कर चल उठी इसका निर्णय करता कठिन है। मनु १२ ई के उपरान्त उत्तर भारत का अधिकार क्रममय ५ वर्षों तक तथा दक्षिण भारत का अन्त्याध क्रममय ३ वर्षों तक मुसलमानों के अधिकार में रहा। स्वर्गीय श्री विरभनाथ के राजबाबे (जिन्होंने मराठी इतिहास मराठी भाषा एव मराठी साहित्य पर अपने अनुसंधानों से अनूतपूर्व प्रकाश डाला है) एव उनके मित्रों ने बहुत से लेख प्रकाशित किये हैं जिनसे पता चलता है कि मराठा-बाधिपत्य के समय राजा या राज्यमन्त्री द्वारा धार्मिक मामलों में पैठन नासिक एव कटाड के विद्वान् ब्राह्मणों की सम्मति ली जाती थी कुन्नी-कभी संकेसर एव करवीर

१६. स्वयं तु ब्राह्मणान् बुभुक्षन्वैश्वेभ्यु निष्कृतम् । राजा च ब्राह्मणाचार्यं महत्तु च परीक्षितम् ॥ वैश्व (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ ३।३) की व्याख्या में उद्धृत) राजा बालुकले स्थित्वा प्रायश्चित्तं विनिश्चिरोद् । स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्या स्वल्पनिष्कृति ॥ ब्राह्मणतत्सामितिक्रम्य राजा कर्तुं यद्विच्छति । तत्पर्यं कृत्वा भूत्वा राजानमनुपच्छति ॥ परासर ८।२८ २९; अज्ञाना मार्गमात्राणां प्रायश्चित्तानि वै द्विजाः । ज्ञानतो न प्रयच्छन्ति ते पान्ति समतां तु तैः ॥ अत्रिरा (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ ३।३) में उद्धृत); पचाहु परासरः । पार्थं विव्यातयेत्यानी दत्त्वा भेनुं तथा वृक्षम् । इति । एतन्वीपरातकविषयम् । गृह्णातकविषयिक कल्पनीयम् । मिताक्षरा (याज्ञ ३।३) ।

श्री कृष्णो के शकटाचार्य से भी राज्य ली जाती थी। किन्तु अमेजी शासन का कर्म शकटाचार्यों ने धार्मिक मामलों में सम्पन्न वेन धार्मिक्युक्त करने या धार्मिक में सम्मिलित कर लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था।

श्रीराम (१८१४६) ने लिखा है कि परिवर्ष में शिष्ट लोगों को चुना चाहिए। कतिपय स्मृतियों ने शिष्ट की परमाया विभिन्न रूप से की है। श्रीरामायणधर्मसूत्र (१११५९) के मत से 'शिष्ट' वे हैं जो मत्सर एवं अहंकार से दूर हैं, जिनके पाद उदया जल हो जो एक कुम्भी में जल एक जो सोम कपट एवं मोह जोष आदि से रहित हों। शिष्ट वे हैं जो गियमानुकूल इतिहास एवं पुराणों के साथ वेदाध्ययन कर चुके हों और जो बर में उचित संवेत पा सकें तथा जो अन्य लोगों की बेर की बातें मानने के लिए प्रेरित कर सकें।" शिष्टा क विषय में श्रीरामायण धर्मसूत्र (११६) मत्स्यपुराण (१२५।३४ ३६) एवं वायुपुराण (जिल्ह १ ५९।३३-३५)।

शिष्टा की मन्त्रि-परिवर्ष में एक मन्त्री 'पंडितराज' भी था जो धार्मिक मामलों तथा अन्य बातों में शिष्ट लोगों की सम्पत्तियों का आदर करता था। पंडितराज धर्म या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी समस्तपूर्व मामलों में बाई धार्मिक पण्डितों के आदेशों की सम्मति लिया करते थे। पंडितराज इस प्रकार बहुमुखन मुसकमान बनाने एवं शिष्टों को धार्मिक में सम्मिलित करते थे।

कभी-कभी संकेतपर मठ क महन्त भूमि एवं धामी से सम्बन्धित मामलों में भी फैसला करते थे। राजागम नामक एका के शकटाचार्य नामक व्यक्ति को एक ग्राम का बान दिया था जिसकी लेकर एक विचार बड़ा हुआ और उसका पाँच मन्त्रियों ने उस ग्राम पर अपने अधिकार भी बताने आरम्भ कर दिया। यह मामला करबीर के शकटाचार्य के समक्ष लक्षित किया गया किन्हीं विधानोपबन्धन व्यवहारमयूक्त एवं शान्तमलाकर से प्रभायी क आचार पर यह तय किया कि शकित ग्राम के बान का केस्य-प्रमाण पाँच व्यक्तियों के नाम में हुआ है किन्तु वास्तविक अधिकारी श्रीशकटाचार्य ही है। इसी प्रकार करबीर मठ क महन्त की एक आज्ञा का पता चका है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने एक शासन के माँ अन्य शासकों को भोजन कर देने को कहा है। बात यह भी कि उन शासकों को स्त्री का एक भी शकटाचार्य से अनुचित सम्बन्ध था। जब शासकों में उचित प्रायश्चित्त क लिया तो महन्त ने उस प्रकार की आज्ञा निषाली। इसी प्रकार बहुय-से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनमें पता चलता है कि सम्बन्धित म शिष्टा विद्वान् शासकों एवं शिष्टों की महन्त-के ऐसे अधिकार प्राप्त थे किन्तु शकटाचार्य धार्मिक आदि मामलों में निर्णय से उचित थे।

उत्प्लुत विवेचन से स्पष्ट है कि कभी-कभी नवीं तक विद्वान् शासकों को धार्मिक मामलों एवं आचार-सम्बन्धी शासक उनका प्रायश्चित्तों के विषय में निर्णय दिया करते थे। अमेजी राज्य की स्थापना क पूर्व तक यहाँ दया की थी किन्तु शासकों शिष्टों एवं आचारवाङ्ग धर्मसाक्षियों से सम्बन्धित परिवर्ष कटित एवं मजयात्मक मामलों में निर्णय दिया करती थी। कुछ दिनों से और बहु भी कभी-कभी मन्त्री के महन्त कोम तथ्यायी होने के मत निर्णय देने लगे थे। बहुधा शकटाचार्य पदवाची व्यक्ति जो धर्मसास्त्र का 'क' मन्त्र भी नहीं जानते थे कुछ स्वार्थी बना क पर वे कटित करनी मुहूत लगा दिया करते थे। वास्तव में धार्मिक तथा संसारायक विषयों का निर्णय विद्वान् लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए।

१४. शिष्टाः जल विगतकस्तदा निवृत्तारः कुम्भीयाध्या अलोत्पया इन्महर्षीमनोहरोबिर्वाजिताः।
 धर्मसाक्षिणी देवा वैशः सपरिबन्धुः। शिष्टास्तदनुमानना धर्मिप्रत्यसहोतवः॥ श्री कृष्ण ११।५९। और
 शिष्टो म्नु (११।१९ ९) एवं कतिप्य (६।४३) शिष्ट पुनरकामरमा। कतिप्य १।६। यिक्ताइए महाभाष्य जिल्ह
 १.५ १७४ "धर्मिप्रत्यनिवासे ये शासका कुम्भीयाध्या अलोत्पया अनुहृताचारणः निर्वहन्तरेव कस्याश्चित्
 शिष्टाश्च शास्यन्ति कस्यः शिष्टाः।"

भौत (वैदिक) यज्ञ

उपोद्घात

वैदिक साहित्य को मही नालि समाने उस साहित्य के निर्माण-काल, विचार एवं उसके विभिन्न भागों के पत्रों के सम्बन्ध में अनेकानेक एवं निश्चित भाग्यता स्थिर करने काय बर्षों एवं प्राति-व्यवस्था पर उस साहित्य के प्रभाव की जानकारी बाह्यो के कतिपय उपद्रावियों में विचारित हो जाने के कारण के ज्ञान तथा विभिन्न भागों एवं प्रबन्धों के यथातथ्य विवेचन के लिए वैदिक यज्ञों का सम्पूर्ण अध्ययन परमावश्यक है। बहुत-से आरम्भिक यूरोपीय लेखकों ने बिना वैदिक यज्ञों का सम्पूर्ण अध्ययन किये वेदों का अर्थ केवल व्याकरण, तुलनात्मक भाषा-शास्त्र आदि के आधार पर किया जो आगे चलकर बहुत मर्यादे में प्रमाणात्मक सिद्ध हुआ। यूरोपीय विद्वान् वेदों को बलि प्राचीन कहते में सकोच करते थे अतः अतिक्रम यूरोपीय भारत-उपनिवेशियों ने वैदिक यज्ञों को ईसापूर्व १४ वर्यों के पूर्व रक्षे हुए नहीं माना। इस विषय में सर्वप्रथम सस्कृत-साहित्य एवं भारतीयता के विवेचक एवं प्रसिद्ध विद्वान् मैक्स मूलर से ही शुरुआत ही मयी और आगे चलकर कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ने उसी की बातें बुझायी। इन वहाँ वैदिक साहित्य के विभिन्न भागों के काल-निर्माण के पक्षों में मही पक्षों को ही यह विषय इस पक्ष की अध्ययन-परिधि के बाहर है। इसमें सम्बन्ध नहीं रह गया है कि वैदिक यज्ञ ई पू १४ के बहुत पहले जनेन शताब्दियों पूर्व विहित हुए थे। वैदिक साहित्य में अविचार (कुछ सीमा तक अज्ञान को छोड़कर) संहिताएँ यज्ञों के सम्प्रदाय-सम्बन्धी स्वस्वी के आधार पर कठित हैं। विभिन्न यज्ञों के लिए विभिन्न पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी और वे विभिन्न पुरोहित अपने पास विभिन्न यज्ञों के उपहृ रखते थे।

वैदिक यज्ञों के सम्बन्ध ज्ञान के लिए कतिपय वैदिक संहिताओं बाह्यो एवं भौतयुक्त का साधनाधीनपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। अथवा में इस सबब की पुस्तके में है—हाम द्वारा ऐतरेय बाह्यो का टिप्पणी-सहित अनुबाध श्री इर्मोल्ड हाग उपनय बाह्यो का टिप्पणी संहित अनुबाध श्री कीम लिखित वेद एवं उपनिषदों का अर्थ एवं वर्तन (रिजिजिएन एन्ड फिलॉसॉफी ऑफ दि वेद एन्ड उपनिषद्स) नामक पुस्तक इन्ड यमुबैर एवं अज्ञान-बाह्यो का अनुबाध श्री बुन्ते इत "विशिष्टदृष्टिमात्र नाम आर्यम् सिद्धिकिञ्चन इत इच्छिवा" (१८८) विशेषतः पू १९७-२१२। इनके अतिरिक्त सर्वभौत वेद एवं इन्डिस्ट्रिट में अर्जन् भाषा में वैदिक यज्ञों के विषय में महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। सर्वभौत वेद एवं हेनरी ने अमिन्टीय पर (१९ ९) एक बहुत ही विशद विद्वान्पूर्व एवं व्यवस्थित ग्रन्थ का प्रथम फ्रांसीसी भाषा में किया है। इसी प्रकार अर्जन् भाषा में श्री इन्ड्रिट इन्ड 'क इन्डिस्ट्रिट' (१९१९) नामक पुस्तक तथा इन्डिस्ट्रिट इन्ड कुछ-पुस्तके बलि प्रसिद्ध है। इस अध्ययन में मौखिक ग्रन्थों के आधार पर ही विवेचन उपस्थित किया जायगा किन्तु मही-मही आधुनिक लेखकों के ग्रन्थों की ओर भी संकेत किया जायगा।

वैदिक में 'पूर्वमीमांसायुग' में मीमांसा-सम्बन्धी संहिताओं के विषय में सहुनो उक्तियाँ उपलब्ध की हैं और कतिपय यज्ञों के विस्तारों के विषय में अपने निश्चित निष्कर्ष दिये हैं। इस अध्ययन में वैदिक के लिच्छनों की विवेचन चर्चा की जायगी।

बैदिक अग्निष्टोम एवं पारमिया कर्मों में बहुत-कुछ समता है। पारमिया की प्राचीन भासिक पुस्तिका एवं वैदिक महिष्य में प्रयुक्त यज्ञ-नाम्नकी ध्वजा में जो सावृष्य विचारों पणती हैं उनमें प्रकट होता है कि यज्ञ-नाम्नकी पल्पराएँ बहुत-साचीन हैं यथा—अवर्धन् आशुति उपश बहिम् मत्र यज्ञ गोम मवत स्तम इलु आशुि वाश प्राचीन पार्थी-मार्गिय म पाय जाते हैं। यद्यपि वैदिक मस आशकक बहुत कम विद्य जात हैं (धर्म-यूधमास एवं चातुर्मास्य की शोहर) किन्तु वे ईसा से कई शताब्दिया पूर्व बहुत प्रचलित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना एवं प्रसार के कई शताब्दियों के उपरान्त भी वे यज्ञ यथावत् चलते रहे हैं जैसा कि मिस्रालको में अश्विना राजाओं द्वारा विद्य गय यज्ञा में पता चला है। हरिष्य (३।२।३९८) मारुचिवाग्निमित्र (अन ५ त्रिसम राजसूय का वणत है) अयोन्वा क गुणा विष्णु (एपिपैठिया इणिका त्रिम्ब २ पृ ५४) में समापति पुष्यमित्र द्वारा कृत अश्वमध (या शत्रुसूय) यज्ञ का वर्णन मिलता है। हार्यो गुम्फा अग्निरेल (एपिपैठिया इणिका त्रिम्ब २ पृ ७९) में राजा शारवक द्वारा विद्य मने राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। समग्रगुप्त ने भी अश्वमध यज्ञ विद्या था जैसा कि कुमांगुण क बिल्मद अश्वमध से पता चलता है (गुप्त इन्डियास पृष्ठ ४३)। वहीं दानपत्र में नैकृत्य राजा बह्लमन की अश्वमध यज्ञ कृत नाम कहा गया है (एपिपैठिया इणिका त्रिम्ब १ पृ ५३)। पीरिय दानपत्र में पल्पक राजा अश्वमध यज्ञ कृत नामे तथा एक अन्य दानपत्र में अग्निष्टोम शत्रुपय एवं अश्वमध नामक यज्ञ कृत नामे वृक्ष मय है (एपिपैठिया इणिका त्रिम्ब १ पृ २)। बाराटक राजा प्रवरसत त्रितीय (गुप्त इन्डियास मथ्या ५५, पृ २३६) क अश्वक दानपत्र में प्रवरसत प्रथम बहुत-से धीन यज्ञ कृत नामे शाला कोपिय विद्या गया है।

अग्नि-यूरा मूल रूप में व्यक्तितगत एवं जलीय या बर्गीय रही होगी। आशुिक अग्निहात व्यक्तितगत रूप था किन्तु धर्मयूधमास क ममान मरल इणिया में चार पुरोहितों की आश्वमधता पणती थी। सोमयज्ञ में १६ पुरोहिता ए अश्वक मन्त्रुया की आश्वमधता पणती थी और इस प्रकार के यज्ञा में बहुत-से धीन माने थे तथा उनका लक्ष्य कुछ सामाजिक था। आरम्भिक काल में अग्निहोत्री काग कम ही रहे होंगे क्योंकि ब्राह्मण काग अश्वमधक नियत होने हैं और अग्निहोत्री होत में उरुह धर पर ही रहना पडता तथा अश्विकता कमान में मरबनी होती। मध्यम काल में ही शत्रुपय का अश्वक अश्वमधता की व्यवस्था थी (जैमिनि १।३।३ की व्याख्या में शत्रुपय)। आशुिक अग्निष्टोम क विद्य धीनको कर्तव्य (गाय क योशर म बनी छानी-उरी मूनी कर्तव्य) एवं समिधार्थी क अग्निरेल क म-म एव ही माना की परम आश्वमधता होती थी। अग्निहोत्री की व्यवस्था क लिए तथा धर्मयूधमास (त्रिसम चार पुरो-हिती की आश्वमधता पणती है) एवं चातुर्मास्य (त्रिसम तीस पुरोहिती की आश्वमधता पणती है) कर्म क शत्रुपय मन्त्र होता आश्वमध है। सोमयज्ञ की कथन राजाओं मालला धनी व्यक्तियों क मात्रा अश्विक धन एवक कर्म मन्त्रों के कृते की जान थी। राजाओं के दानपत्रों में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण इस दान में अश्विक वर दगा तथा अग्नि हत कला (यथा कुशराज मणकी दानपत्र मन् ६ १ १ ई शामादरपुर दानपत्र मन् ४७-४८ ई)। मुम-कती के समय में आश्वमध म एव दान नहीं प्राप्त हो सकत था जिन वैदिक यज्ञा की परंपराएँ ममान-नी जा मयी। एव के अन्त में भी अग्नि वैदिक यज्ञ बहुत ही कम विद्य गय हैं। शत्रुपय (१।३।३६) में यज्ञा का प्रथम पत्ती अश्विक कर्तव्यो म मिला है और धर्मोत्पन्न एव विषय में मन्वन्वित धनक में उनको अश्विक अश्वमध हली आशुिक। कर्म कथन में, इस मही वैदिक यज्ञा का वर्णन कर्ते।

१ हेमिपु एपिपैठिया इणिका, त्रिम्ब ६, पृ २९१ 'अश्विकधर्मोत्पन्नो अग्निहोत्री आशुिकोत्पन्नो अश्विकधर्मोत्पन्नो' (धर्मोत्पन्नो पणत); अरी, त्रिम्ब १५, पृ ११३ 'अग्निहोत्रीपयोगाय' (पृ १३) 'पशुपतशत्रुपययज्ञकर्मोत्पन्नो' (पृ १३३) 'अश्विकधर्मोत्पन्नो अश्विकधर्मोत्पन्नो अश्विकधर्मोत्पन्नो अश्विकधर्मोत्पन्नो' (पृ १४३)—शामादरपुर दानपत्र।

प्राचीन नाम म निये जानेवाले यज्ञो वा वर्धन भीतमूर्त्ती से विपर रूप म पाया जाता है। अतिमूल ठी वैदिक यज्ञ करन बासा न सिध मात्रा प्याबहारिक चर्चाते या पठनियो मात्र है और उनसे प्राचीन शास्त्रम पन्था ने उपकरण पर्यन्त मात्रा एक सरया म पाये जात हैं। हम यहाँ केवल कुछ ही वैदिक यज्ञो वा वर्धन उपस्थित करने और कर भी यज्ञो मे योजि हमारा उद्देश्य है कबल उनक रूप वा परिधर्मान मात्र करा देना। हम यहाँ आरबलायन आपस्तम्ब नात्यायन शौभ्यायन एक छत्यापाठ ने भीतमूर्त्ती वा आधार पर ही अपना बिबेचन उपस्थित करेगे नही-नही संहितायो एक बाइजो भी और भी मन्त किया जाता रहगा। स्वानामात्र वा बारन हम मूर्त्ती के परस्पर बिबेदो पद्धतियो वा अन्तरो एव आधुनिक व्यवहारो भी अर्प करते म सवीच करते। बारासवी से मानस्वर शास्त्री ने 'अतिपार्श्व निर्बन्ध' नामन एक सग्रह प्रनामित किया है जो कई जर्नों मे बडा उपयोगी है किन्तु अमाप्यबध मग्रहर्ता ने जो उद्घरण दिये है उनरा स्वस-सवेत नही बिया अर्थात् यह नही मिला कि ये उद्घरण किस अतिमूल म चर्हा पर है। पूना मे मीमासा-विद्यालय मे बैसिठ यज्ञो म नाम आनेवाले पार्श्व वा नामो की मूर्त्ती बनायी है और पात्रो एक बैदिको के बिन एक मान-विज्ञ उपस्थित निय है। इस सम्पात्र म चातुर्मस्यो पसुबन्ध ज्योतिष्टोम वा वर्धन विस्तार क साध किया जायवा शर्धपूजमात्र वा बिबेचन भी विस्तार से किया जायवा तथा अन्य यज्ञ सतिष्ठ रूप से बर्णित होंगे।

ऋग्वेद मे अति घञ्—जिन दिनों ऋग्वेद के मन्त्रो वा प्रलयन एक सग्रह ही रखा वा उन्हीं दिनी यज्ञो ने प्रमूल प्रकार (सद्यः) भी प्रकट होते वा रहे वा। तीन अर्धियो प्रकट हो चुकी थी। ऋग्वेद (२।३६।४) म अग्नि की तीन स्वातो पर बैठने को कहा गया है। ऋग्वेद (१।१५।४ एव ५।२।२) म यह भी आया है—मगुव तीन स्वातो पर अग्नि प्रबन्धित करते हैं। ऋग्वेद (१।१५।१२) मे 'गार्हपत्य' नामक अग्नि वा नाम भी आ गया है। ऋग्वेद म तीन सवनी (प्रात मध्याह्न एव साय म सोम वा रस निवास्त) वा वर्धन आया है यथा—ऋग्वेद ३।२८।१ म प्रात-सवत ३।२८।४ मे मध्यमिग्न सवत; ३।२८।५ मे तृतीय सवत। ऋग्वेद ने ३।५२।५-९ एव ४।१२।१ म आया है कि सभी दिनी मे यज्ञ द्वारा अग्नि को तीन बार भोजन मिच्छा है। और भी बेसिध ऋग्वेद (४।३।११)। सोमयज्ञ मे कार्य करते ने सिध १६ पुरोहितो की आवश्यकता पड़ती है। सन्वत इनके सभी बिबिध नाम ऋग्वेद

२ अति बडो मे 'आहुवनीच' 'पार्श्वपर्य' एवं 'बलिचानि' नामक तीन अर्धियो प्रबन्धित की जाती हैं।

३ सोम्य पुरोहित या अतिचक ये हैं—होता मीत्राबन्धोऽम्बत्वाको वाचस्तुवर्धयुं प्रतिप्रत्नता तेज्योमेता ब्रह्मा ब्राह्मणाऽम्बानीम् पेतोवृगता अनेतेता प्रतिहर्ता सुब्रह्म्य इति। आरबलायनधीतसुब ४।१।६, आस्तम्ब-भीतसुब १।१।९। इनमे होता अर्धयुं, ब्रह्मा एव उद्यताता चार प्रमूक पुरोहित हैं और उपर्युक्त सुबी मे इन चारों मे प्रत्येक के आगे के तीन पुरोहित उनके सहायक होते हैं; इस प्रकार कुल १२ पुरोहित सहायक हुए। चारों प्रमूक अतिचको के कार्य ऋग्वेद (१।१०।११) मे बर्णित हैं। ऋग्वेद (२।४।३।१) मे ह्ये तामो (सामवेद के मन्त्रों) के गायक भी अर्ध मिलती है। अग्निष्टोम मे केवल अर्धर्ध की आवश्यकता पड़ती है। अम्ब्यावेव शर्धपूजमत्त एवं मन्व इतिचो मे चार पुरोहितो की आवश्यकता पड़ती है यथा—अर्धयुं आणीम् होता एवं ब्रह्मा। चातुर्मस्यो मे पाँच पुरोहितो की, यथा शर्धपूजमात्र के चार पुरोहित तथा प्रतिप्रत्नता। पसुबन्धयज्ञ में मीत्राबन्ध नामक एक छठा पुरोहित भी रहता है। सोम यज्ञो मे सभी १६ पुरोहितो की आवश्यकता पड़ती है। सामवेद नामक चातुर्मस्य मे आणीम् को 'ब्रह्मपुत्र' (बेसिध आरब भी २।१८।१२) नाम से सम्बोधित किया जाता है। पुरोहितो की आवश्यकता के बिबिध मे बेसिध तीसरीय ब्राह्मण (२।३।६) एव बीचा भी (२।३)। कुछ जौनों मे एक सत्रहवां पुरोहित

हो जाते हैं यथा ऋग्वेद (१११६२।५) में होता अन्वर्णु अन्विमिष (अन्वीत् या आन्वीथ) पावप्राम
 वगुत्) घस्ता (प्रघास्ता वा मैत्रावरुण) सुविप्र (ब्रह्मा?) ऋग्वेद (२।१।२) में होता मन्वा कर्मन्त्
 ला (मैत्रावरुण) अन्वर्णु, ब्रह्मा ऋग्वेद (२।१।६) में होता पोता (२) आनीध (४) आह्वान (आह्वानाच्छर्वा)
 प्रयास्ता (६)। ऋग्वेद (२।४।२) में उद्भाता का नाम आया है। ऋग्वेद (३।१।४ १।१ १०
 १।१।११) में सात होतारों की चर्चा हुई है और ऋग्वेद (२।५।२) में पोता को आठवाँ पुरोहित कहा
 है। ऋग्वेद में 'पुरोहित' शब्द अनेक बार आया है (१।१।१ १।४।१ एव १२, ३।२।८ १।६।२ १।
 १।१।१)। ऋग्वेद में अतिरुध (७।१ ३।७) त्रिकद्रुक (२।२।१ ८।१।१।८ ८।१।२।१ १ ११।४।६) का नाम
 है। ऋग्वेद (१।१६२।६) में यूप (जिसमें बलि का पशु बाँधा जाता था) एक उसके धीर्पनाम यूपाम का बणन
 है। ऋग्वेद का ३।८ वाका मधु यूप की प्रशंसा से भरा पत्रा है। जिस व्यक्ति ने यज्ञ क पशु को मारा (गमिता)
 का बर्णन ऋग्वेद (१६२।१ एव ५।४।३।४) में हुआ है। धर्म (प्रबर्ण्यं हृद्य के लिए उसके हुए रूप का पान या
 अथ सामन्वित उचन में बलिधर्म) का उल्लेख ऋग्वेद (३।५।३।४ ५।३ १२५ ५।४।३।७) में हुआ है। ऐसा
 बलि का कि यज्ञ में बलि किया हुआ पशु स्वर्ग में भेजा जाता है (ऋग्वेद १।१६२।२ १।१६३।१३)। का
 किया के बर्णन से यन्मन्वि उत्पन्न की जाती थी (ऋग्वेद ३।२।१।३ ५।१।३ ६।४।८।५)। यवी (ऋ
 १।१) कुक (ऋ ४।१।२।१ ६।२।५) वृद्ध (ऋ १ १२।१।३) का उल्लेख हुआ है। बोधी की प्रशंसा में भी
 वेद में मन्वा जाने हैं (ऋ १।१२२।१।३ ८।५।३।७ आदि)। ऋग्वेद (३।५।३।३) में हला (आह्वान) का आह्वान
 अन्वर्णु (प्रतिवर) द्वारा स्वीहृति का उत्तर स्पष्ट रूप में बणित है। ऋग्वेद (१ ११।४।५) में सीम क बागहा
 (पापी का कलहा) का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (१।२।८।२) में चौड़ी गडह वाले यन्धर (घावा) का जिस
 सीम के इच्छम बूटे जाते थे बर्णन है इसी प्रकार बल का जिसमें सीम का चूर्ण बनाया जाता था तथा अन्वि-
 का जिस पर सीम का रस तिकाका जाता था। सीम पील क उपयोग में आने वाले 'अमस' (पद्मज) नामक
 का भी उल्लेख हुआ है (ऋ १।२ १६, १।११ १३ १।१६।१।१ एव ८।३।२।७)। सीमयज्ञ क बल में किया जाने
 के मन्वा अन्वर्णु की चर्चा ऋग्वेद (८।१।३।२) में हुई है। ऋग्वेद के हम आधी मन्वा से पता चलता है कि पील
 में बलि पय-यज्ञ के अनुष्ठान से उत्पन्न उग समय प्रबन्धित हो गये थे।

श्रीतहृत्वाँ के कुछ सामान्य नियम—जाने कुछ लिखत क पूर्व शील हृत्वाँ क कुछ सामान्य नियमों की जानकारी
 के लिये आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय में आर्यभट्टायनधौतयुज (१।१।८ २२) पत्नीय है। जब तक ब्रह्म
 अन्य यज्ञिक को सर्वत्र उत्तरादिमुख रहना चाहिए, पत्नी मारुत (स्यत्यस्तपात्र चर्चार्ण एव पीर का हुमर के माप
 मरुत) बैत्रा चाहिए, और यज्ञिय उपकरणों (यज्ञ के उपयोग में आने वाली सामग्री यथा कुश आदि) को पूर्व-
 मुख करके रखना चाहिए। जब तक निवीत या प्राचीनावीत ढग से पड़नत को न कहा जाय तब तक यन्वावीत को
 नीत ढग में पड़ने रहना चाहिए। जब तक किसी अन्य शरीररग का नाम न लिया जाय दाहिने ओर का ही प्रयोग
 करना माना चाहिए (यथा हाथ पीर, अयुमी)। जब 'दक्षिण' शब्द कहा जाय तो हम यन्मान (याज्ञिक) के लिए ही
 उक्त नियमना चाहिए। आर्यभट्टायनधौतयुज (१।१ १।२) के मतानुसार 'वाचयति' शब्द का अर्थ है यन्मान की

में लिया है यथा सरस्वती। श्री (२।३) में तो उसे तीन लहायक पुरोहित भी दे दिये हैं किन्तु शतपथ ब्रह्मण
 १।१।१।१९) में अत्रह्वे पुरोहित की नियुक्ति को बर्जित माना है। यज्ञ में ऋत्विचों के अनिश्चित कुछ अन्य
 भी होते हैं, यथा यजिता अमताय्यम्। आर्य श्री (१।३ ६) में त्रिकद्रुक को श्वोति- गौ-एव आयु-ब्रह्म पया है।

और जब कि बहु शान देता है या मन्त्रोच्चारण करता है यही शान उन्नात्मनः या करदान के चुनाव का व्रत (सत्यता आदि) करने में या डेबार्ड सेने (यात्रिक भी ही डेबार्ड माप-बन्ध का कार्य करती है) के निश्चित म समझनी चाहिए। जब बिना कर्ता का नाम सिन्धे किसी वृत्त का वर्णन होता है तो वहाँ अपूर्ण को ही कर्ता समझना चाहिए, प्रायश्चित्तों के विषय में 'जुहोति एव 'यजति' धर्मों का सम्बन्ध है बहुत पुरोहित (ऋषिभू) में। अब वेदक एव ही 'पाप का उत्प्रेक्ष्य किया जाय तो इनका तात्पर्य है सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण करना। अब निनी वृत्त में वेदक आरम्भिक राज्य व्यक्त किये गये ही तो उसके यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण मूल का उच्चारण करना है। जहाँ एक पाप में कुछ अधिक दिया गया हो वहाँ यह समझना चाहिए कि शान के अर्थ को मन्त्र (कुस विमातरा टील मन्त्र) भी पड़े जान है। अब ब्राम्हण क्रमिमन्त्रय आप्यायन उपत्वात के मन्त्र और के मन्त्र जो किये जानना वृत्त भी और संनत करे, उपासु वग (मन्त्र स्वर) से बड़े जाने चाहिए। सामान्य नियम (प्रमग) से विमित्त नियम (अपवाद या विधेय विधि) अधिक उपनिषाणी समझा जाता है।

कुस अर्थ सामान्य सिद्धांत—याग (मन्त्र) में इत्य वेदता एक रयाग टील वन्तु मुख्य हैं अतः साम का तात्पर्य है वेदता के लिए इत्य का ल्याय। हीम का अर्थ है किसी वेदता के लिए अग्नि में इत्य की आहुति। यजनिनी (यज्ञ-सम्बन्धी वृत्त) जिन्से लिए कोई फल नहीं मिष्टता शान व प्रमुख अय हैं। मन्त्रों की भेषियां चार हैं 'अ' यन् साम एव निगद, जिन्से अच् तो यात्रिक हैं यन् के लिए मातावय या छन्दवय होना आवश्यक नहीं है किन्तु वे पूर्व वाक्य के अर्थ में अवश्य होते हैं (बारया १।१।२) साम का सामन होता है निगद को प्रैय कहते हैं अर्थात् ऐसे वचन को किसी को कोई कार्य करने में लिए सम्मोचित किये जाते हैं, यथा 'प्रोद्यथीरामावय 'सुच सम्मुहृति' (बारया यन २।१।३४)। निगद वास्तव में यन् ही होते हैं किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि निगदों का उच्चारण और से किन्तु यन् का पीरे से होता है। अग्नि (२।१।३८ ४५) में मातावय यन् एव निगद में अन्तर को समझाया है और अच् साम एव यन् के भेषो को भी प्रकट किया है (२।१।३५ ३७)। अन्वेद एव सामवय के पय और से किन्तु यन् के मन्त्र स्वर से (कुस पयो को छोड़कर, यथा—'आयुत' अर्थात्—'आयावय के समान अर्थ 'प्रत्यायुत' अर्थात्—उत्तर—'अस्तु भीवत् 'प्रवर-मन्त्र' अर्थात्—'अग्निवेशो होता' आदि सकार अर्थात् प्रार्थनाएँ एव आज्ञाएँ—'भवा मे पाती छिडक' ? हाँ छिडको सम्मैय अर्थात्—'गुच्छ करने में लिए बुलाया यथा 'प्रियाशीरासावय') बड़े जाते हैं। उच्च स्वर टील प्रकार के होते हैं—मति उच्च मध्यम उच्च एव कम उच्च। सामिबेनी पय मध्यम स्वर से उच्चारित होते हैं। ज्योतिष्टोम एव प्रातःसवन में अन्वाधान से लेकर आय्यमाय तक मन्त्र स्वर से किन्तु रर्ध-न्यूसाम में हस्ती में आय्यमाय से लेकर सिक्कटवृत् तक सभी मन्त्र मन्त्र स्वर से उच्चारित होते हैं। सिक्कटवृत् के उपरान्त रर्ध-पूर्वमास के तथा पृथीव सवन के उच्च मन्त्र उच्च स्वर में कहे जाते हैं। उत्तर बहु स्वसु है जहाँ वेदी को मूल बटोरकर (बुहारकर) रखी जाती है। आहुतनीम से उत्तर के पाप में रखा गया अच् प्रतीता कहलाता है। यात्रिक स्वसु जहाँ अग्नि प्रकल्पित रखी जाती है बिहार कहा जाता है। इष्टियो में बिहार से आगन-आना प्रतीता एव उत्तर के बीच से होता है (अर्थात् उत्तर से पूर्व एव प्रतीता से पश्चिम) किन्तु अर्थ सिक्तियो में उत्तर एव आत्मास के बीच से होता है (आसव १।१। ४ ६ एव कारवायन १।३।४२ ४३)। बिहार के पास जाने के इस मार्ग या पय को टीर्थ कहा जाता है। आत्मास बहु गच्छा है जो योग एव पद्य-यज्ञों में आवश्यक माना जाता है। बहूत से पायी एव वरतनों की आवश्यकता होती है जिनमें मूल अक्षिर मानक काष्ठ से बनाया जाता है। सुच एक अरली (हाथ भर) लम्बा होता है और उसका मूल मोल्लार एव आठों के बराबर होता है। मूक (आहुति देने वाली करमूक रर्धी या जमस—जमसज) एक हाथ लम्बा होता है और उसका मूल हृषेयी की मति होता है किन्तु निकलत हृष की शोच के समान होता है। मूक टील प्रकार का होता है—मूठ (वर्षी) जो पलाय का बना होता है उपमूठ को पीपल से बना होता है तथा भुजा जो विकलत काष्ठ से बना

होता है। अन्य याज्ञिक पात्र विकृत हो बने होते हैं। किन्तु वे पात्र जिन्का सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता वस्तुतः से बन होते हैं। 'स्यम' नामक एकबार लदिर की बनी होती है। मुख्य-मुख्य यज्ञपात्र या यज्ञायुध तीथे पात्र किन्नी में दिये बने हैं।

सभी प्रकार के उत्सहार (यथा अधिभयस्य पर्यमितकरण किन्नी यज्ञपात्र को मर्म करना आदि) गार्हपत्य अग्नि (जब तक कि स्वयं रूप से कुछ कहा न जाय) में दिये जाते हैं किन्तु इति का फलाना या तो गार्हपत्य अग्नि में या बह्वेदीय में बपनी छाया या मूत्र के अनुसार होता है। जब किसी विशिष्ट वस्तु का नाम न सिद्धा मया ही तो होम पून में किया जाता है। इसी प्रकार जब तक कोई मूत्री बात न कही जाय सभी प्रकार के होम ब्राह्मणीय में दिये जाते हैं और मूत्र का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है (कात्या १।८।४४-४५)। जो कुर्य ऋग्वेद के मन्त्रों से दिये गये हैं इन्में होता रहता है। इसी प्रकार यज्ञवेद के मन्त्रों के साथ अथर्ववेद के मन्त्रों के साथ उद्यमता तथा ब्रह्मा वेदी वेदों के मन्त्रों के साथ रहता है (ऐतरेय ब्राह्मण २५।८)। पुरोहित का कार्य केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं (मैत्रिणी १२।३।४२-४३)। याज्ञिक की पत्नी गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तर-पूर्व की ओर मुख करने बैठती है (कात्या २।३।१)। किन्नी इष्टि या इत्य के आरम्भ में पाँच प्रकार के मूत्र-उत्सार आह्वनीय के कर (दक्षिणायन या वेदी) तथा दक्षिणान्ति पर दिये जाते हैं और वे ये हैं—(१) परित्तमूहन (गौरी हाथ में बुहान्ता) जो पूर्व से उत्तर तक तीन बार किया जाता है (२) यौमय-उपमेव्य (बोहर से तीन बार भीषना) (३) स्व्य (मन्त्री से उत्सहार) से दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम तीन रेखाएँ खीचता (४) अगूठे एव अतानिवा अयुनी म रत्नाओ की सिद्धी ह्यत्ता तथा (५) तीन बार अग्न्युत्सह करना (जल छिड़कना)।

अग्न्याधेय (अग्न्याधान)

यौमय (८।२०-२१) में सात इतिवर्जो एक सात समसस्याओं के नाम गिनाये हैं। अग्न्याधेय सात इतिवर्जो में यत्र इतिवर्ज है। यह एक इष्टि है। 'इष्टि' धर्म का अर्थ है ऐसा यज्ञ जो यज्ञमान (याज्ञिक) एक उमकी पत्नी द्वारा

४ तीर्त्तरीय संहिता (१।१।८।२ ३) के मत से बस यज्ञायुध ये हैं— "यो ई बस यज्ञायुधानि वेद मुक्त्वोत्स्य एव बह्वेदीय स्वयं कथाकानि चान्तिद्वौजह्वणी च शूर्पं च इच्छाजितं च धाम्या चोत्सृज्यं च मुसलं च इत्यन्वोत्सला कौत्सि ई बस यज्ञायुधानि।" इत नियम में अतपत्रब्राह्मण (१।१।१२२) एवं कात्या (२।३।८) भी इष्टम्य हैं। इन मुख्य दस यज्ञपात्रों के अतिरिक्त अन्य हैं—जुह उपमूत्र, जुहु, मुभ, प्रातिज्ञहृत्, इडापात्र, पैसल, पिच्छोत्पत्नी, अर्थात्पत्र, आम्बरात्नी, वेद, वास्यामी, घोषत्र वेदपरिवातल, कुट्टि, इध्यप्रवचन, अन्वाहायत्पत्नी, मरुत्नी, कर्पूरजपात्र, अन्तर्जनिवद (वेदिए कात्या १।३।३६ पर भाव्य जिसमें इन उपकरणों के आकार, नाम एवं प्रयोग के करने के इन वस्तुओं के नाम आदि दिये हुए हैं)। पवित्र अग्नियों की प्रवृत्ति करने वाला जब मर जाता है तो ए वैदिक अग्नियों एवं सारे यज्ञपात्रों (यज्ञायुधों) के साथ बसा दिया जाता है ('आदितान्तिनामिर्वह्नि यज्ञपात्रेषु—उत्तर, मैत्रिणी १।१।३४)। इसी को पात्रों का प्रतिपत्तिवर्ण कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सार अग्नि के धार के विभिन्न अंगों पर (यथा जुहु पाहिते हाथ में उपमूत्र बायें हाथ में मुभा घट में आदि) रखे गये हैं और इनके धार के साथ अस्म कर दिया जाता है। इस प्रकार यज्ञपात्रों की अन्तिम प्रतिपत्ति या 'पत्ति' होती है।

५. अग्न्याधेय के पूर्व विवेचन के लिए देखिए तीर्त्तरीय ब्राह्मण १।१।२ १ १।२।१ धानपत्र ब्राह्मण २।१ अर्थ १; अथर्व २।१।९ अथ ५।१-२२; कात्या ४।७-१ ; बौध २।६-२१।

बाण पुरोहितों की सहायता से सम्पादित होता है। 'इष्टि' का समूचा कामे चत्वार दश-पूर्वभाग के साथ उपरिष्ठत किया जायगा। अम्बाधेय म सो दिन सग जाने हैं। प्रथम दिन (जिसे उपबन्धन कहा जाता है) भारतीय ब्रह्मी म निरत जाता है और दूसरा दिन प्रमुख ब्रह्मी के सम्पादन म बीत जाता है। इसका सम्पादन दो बार किया जाता है (१) पर निम्नाह्न साता मरता म तिमी की उपमुख मानकर किया जा मरता है यथा—दृष्टिवा रोहिणी मृषधीं पूर्वा फान्बुनी उतरा बाम्बुनी विद्यामा उतरा भाद्रपदा। भाग्यम्ब मे अय मरतो क भी नाम दिये है यथा—हृण, बिना आदि तथा कुछ ऐसे मरता क भी नाम है जिनम विविष्ट फको की अधिकताया केनर यममान इत इष्टि का सम्पादन कर मरता है (५।३।३ १४)। मन्मथशास्त्र (२।१।२।१०) एव भाष (५।३।१३) के मन मे धर्मि मी बिना मरत म पवित्र अग्नि प्रकल्पि करती चाहिए। (२) द्वितीय बार अम्बाधेय शास्त्राया रात्रियो भैरवो तथा उरकणो (जो तिजानि नहीं है किन्तु वैदिक यज्ञ कर मरते हैं) भाद्र २।१। इन्हें बड़ईतिरी करते बाबा वैद्य भी कहा जाता है) द्वारा कम म बमल श्रीम कर्षा वा पनपड म तिमी पक्ष क दिन किया जा मरता है। किन्तु श्नुको क श्नुमात्र में उरर्वक बर्षान मरता को प्यार मे रणना आक्षयव है। सम्पादन-नाम के लिए वैदिए भाष (५।३।१७-२) वैमिदि (२।३ ४) मी का (१।१।२) मन्मथ (३।१।२।१९ एव १।१।२।१०)। कठिनाई उपरिपत्र होते पर अम्बाधेय निर्मा मी श्नु मे सम्पादित हो मरता है। यदि तिगी मे मीय मर करने की ठाम की है तो उमे श्नु पा मरत की बाट मीने की आक्षयववा नहीं है। अम्बाधेय करने बाट की न तो बहुत छाग और न बहुत बूडा होना चाहिए।

अम्बाधेय का तात्पर्य है माहर्षय एव अन्य अग्निषों की स्थापित करने क लिए प्रकल्पित शंभारो की विविष्ट मन्त्रा के साथ तिमी विविष्ट स्थिति द्वारा तिगी विविष्ट बाट एक स्थल म रणना। अरगियो (मन्त्री क की श्नु) के माने मे मरत पूर्वाह्नि ता क मराने इत्य अम्बाधेय म मग्निम्बि है। पूर्वाह्नि के उतरान इत्य करने बाबा स्थिति आतिमानि की की (जिनम वैदिक अग्निषों प्रकल्पि कर की हैं) मे आ जाता है। अम्बाधेय मत्री यज्ञ-मन्त्रापी श्नुया के लिए सम्पादित जाता है क रि करत दशपूर्वभागानि करने क लिए किया जाता है (वैमिदि ३।५।१४ १५-१३।३।०)। यो अक्षय्य रात्रीमर्ग नामा मरत क भाष धानी श्नु की ताया मे उगने बाटे अक्षय्य (पीठक) श्नु की वा अरगिया क यममान अक्षय्य के द्वारा पर मरता है (भाष २।१।१०)। इसा उरगान अरगियो क उरने एक उरवी मरगाई आदि की तिपियां बायी मर्षा है जिसे इय श्वातामात्र के बाण छार मने है। मरतुं वैरी पर मात्र श्रीविक एव मान काल-मन्त्रापी उरगिया मरता है या प्रयेक की तर्क श्नुया वा आठ श्रीविक उरगिया एव मरता है। आठ श्रीविक मरार्थ मे है—बाळ धार द्विटी श्नु क दिव की द्विटी कर्षीत की बिनी म मृगम दान उपायव क तव की बिनी मृगम म मारी मरी द्विटी कर्षत एव माता (भाष ५।३।६)। मान काल-मन्त्रापी मरार्थ मे है—अक्षय्य उरगिया एव (कपाल) मत्री विरगण दिव्य अयव वा मृगम म बाटे हुए बरा क तके एव बाव की एव मर्षा। शीघ्र (१००) म इत मरार्थो का इत्ये वा मे बर्षिण किया है। यममान देवयज्ञ (गुरा) के लिए एक उरव एवत का तिजान क है। म पूर्वे की आठ श्नु मरता है उम पर कत उरगिया है और मन्त्रोच्चारण आदि मरता है। उरत का श्नु की आठ उरव कर्ष की मात्र मरार्थ मे है के उरगिया एवत (कपाल) कत किया जाता है। छात्रक क मय के एव वा म्/मय कर्ष का अक्षय्य (मरत) मरता है मरगिय अग्नि क पूर्वे आरगिनी अग्नि मरती है यो अक्षय्य उरगिया एव वैदिक क लिए एव मे मरगिय अग्नि म आ मरगिया एव बाण उरवम। एव प्रथम वा का मीय मरी के मरगिय मरता है की श्नु मर मरती है का मर्षा क लिए उरगिया की श्नु मरती है। कर्षीत। इतिमार्ग मरगिया के दिव्य दक्षिण मीयव दिव्य म मरगिया एव अक्षय्य की श्नु को है म्/द्वी मर मरती है। कर्ष-क मर मे मरगिनी एव मर्षी एव कर्ष कर्षीत के लिए एवक श्नु क मरत मर मरती है किन्तु श्नुपूर्वभाग एव मातामय मत्री मे मीय। इतर की

बलिर्वा एव ही मध्य के भीतर प्रतिष्ठित की जाती हैं। इन तीन अग्निषो म ब्रह्म वैदिक त्रिमाए या इत्य ही सम्पा-
 दित है। इनसे हैं उनसे साधारण भोजन नहीं पकाया या सजाता और न अन्य भौतिक उपयोग में जाने वाले कार्य ही
 तिनसे या करते हैं (बैमिनि १२।२। १-३)। गार्हपत्य अग्नि को प्राज्वहित अग्नि भी कहा जाता है (बैमिनि १२।२।१
 ०) तथा बलिदान की अन्वाहृत्पयम स्वीकृति इमी पर आबल पकाकर अमावास्या के दिन 'पिच-विगुयज' किया
 जाता है।

ब्रह्मण विर मुंहाकर एव माकृत कनाकर स्नान करता है। उसकी पत्नी भी मुहन के सिवा नहीं करती
 है। पत्नी-पत्नी दो-दो रेशमी वस्त्र धारण करते हैं जो अध्याधेय मंत्र के उपरान्त मध्यर्षु को दे दिये जाते हैं।
 ब्रह्मण को अध्याधेय करने का अधिकार करना चाहिए और अपने पुरोहितों का बनाव (दृशिवग-करण) उचित
 रूप से उच्चारण के साथ उनके हाथों को स्पर्श करके करना चाहिए तथा उन्हें मधुपर्क देना चाहिए (आप
 १।१।१३-१४)। दोपहर के उपरान्त (अपराह्न म) जब सूर्य बुधों के अन्तर बसा जाय तो मध्यर्षु को चाहिए कि
 वह बौवासन (पुश्याग्नि) का एक अक्ष के आये और ब्राह्मीदैनिक (जो ब्राह्मीदैनिक के लिए तैयार किया जाता है)
 साधक अग्नि बार्हस्पत्य अग्नि बाल स्वस के पश्चिम की ओर प्रवर्तित करे या धर्म म ही अग्नि उत्पन्न करे। इसका उच्चा-
 रण बड़े स्पष्टिक (बाकू आदि की बेदी) ब्रह्मण चाहिए और उस पर पश्चिम से पूर्व की ओर रखाएँ तथा बलिदान म उत्तर
 की ओर रखाएँ बीच देनी चाहिए। स्पष्टिक पर जल छिड़कने के उपरान्त औषधमन अग्नि से बलते हुए बोधम साधक
 की ओर पूर्व देखाओ पर रक्त देने चाहिए। यदि वह मध्यर्षु औषधमन अग्नि उठा करता है तो उस चाहिए कि उदुम्बर की या
 किसी से एक पर की की रोटी तथा बूसरी पर बाबक की रोटी लेकर उन्हें ब्राह्मीदैनिक अग्नि के स्थान पर रख दे (जो
 की रोटी को पश्चिम तथा बाबक वाली को पूर्व की ओर) और तब उस पर अग्नि रखे। मध्यर्षु रात्रि म ब्राह्मीदैनिक
 अग्नि के पश्चिम बैल की लाक बाध पट, जिसका मुक्त पूर्व की ओर रहना है और बाक बासा माग ऊपर रहता है या बाध
 म बलन म बाबक की चार बाधियाँ रखता है। यह कार्य मन्त्र के साथ या मीन रूप सही किया जाता है। वह
 चार बलनी म पत्नी के साथ आबल या औ पकाता है। पके भोजन (ब्राह्मीदन) से बर्षी (ब्रह्मण) द्वारा कुछ निकाल-
 कर अग्नि को देता है और मन्त्रोच्चारण करता है (आ ५।१५।१ तं वा १।२।१)। उस यह ब्रह्मा के लिए है मरे
 पर अग्नि को देता है और मन्त्रोच्चारण करता है (आ ५।१५।१ तं वा १।२।१)। उस यह ब्रह्मा के लिए है मरे
 लिए भी रहता चाहिए। चार पाखियों म पका भोजन रखकर तथा उस पर पर्यपि मात्रा म भी आकर उन्हें
 (पक्षियों को) अग्नि से भोजन चार पुरोहितों को देता है। एक भोजन (ब्राह्मीदन) बलनी म निकालकर तथा उस
 पर देय भी निकालर तथा उसम विभिन्न अन्नबाल की एक विला वाली पीली तेल समिधाओ को पतिया सहित बजा-
 कर अग्नि म डाल दिया जाता है। ऐसा करते समय ब्राह्मणों के लिए तीन गायधियाँ (अग्नि को सम्बोधित कर)
 धीनी म किए तीन विन्दु तथा बैसो के लिए तीन अपतियाँ नहीं जाती हैं (आप ५।१५।१)।

द्विज समय अग्नि से समिधा वाली औषधी हैं यजमान द्वारा मध्यर्षु को तीन बछड़े तथा उतन ही। बछड़े ब्राह्मीदन
 बल बने ब्रह्म मनी ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। अन्वाधान की तिथि म पूर्व एक अथ तक बछड़ों के बान एक समिधा
 मध्यर्षु म आप इस प्रकार का ब्राह्मीदन सम्पादित किया जाता है। अध्याधेय के दिन के १२ ३ २ या १ दिन पूर्व प्रत्येक
 अग्नि म जो तीन पश्चिम अग्निमाँ स्थापित करता आहता है। इस प्रकार की समिधाओं की आहुति देनी पड़ती है।
 ब्रह्मण कुछ दान करता है मन्त्र-मान-न्याय ब्रह्मण्य पर की अग्नि किसी को न देना केवल ब्रह्म या भाग पर तीन निदा
 तर रहना, नक बौक्या पूर्ण पर छोला आदि। यदि किसी कारणवत् यजमान बर्ष (या १२ दिन आदि) म ब्राह्मी-
 दैनिक के उपरान्त अध्याधेय नहीं करता है तो उस पून ब्राह्मीदन पकाना पड़ता है तथा समिधाएँ बलनी म पड़ती हैं तम नहीं
 वह अध्याधान सम्पादित कर पाता है। अध्याधान दिन म पूर्व की रात्रि म मध्यर्षु तथा अन्य पुरोहित जो कुछ दान
 करते हैं, बन्ध-मान-न्याय तथा समीग से दूर रहना। उस रात्रि जाने धर्मो वाली एक बचरी दायापय अग्नि म लिए

बने स्वस्व के उत्तर बांध रखी जाती है। उस रात्रि में यजमान मीन रहता है और अन्य सोप उन बाँसुरी बीया आदि ब्रह्म-
 ऋत जगाये रहता है (विश्वस्य भी है, बहु मीन तथा जवा गह्री भी रह सचता है)। यजमान रात्रि मंत्र आनकर ब्राह्मी-
 दग्ध अग्नि में ब्रह्मदियाँ डाला करता है। यदि बहु रात्रि मंत्र जगता न चाहे तो एक बार ही बहुल-सी कर्णदियाँ डाल
 देता है। प्रातः काल अर्घ्य अग्नि में डाल दिया जाता है और मन्त्रोच्चारण करता है (तै वा १।२।११)। इसके
 उपरान्त ब्राह्मीदग्ध अग्नि ब्रह्मा दी जाती है और दोनो बरणियों का बाह्मण किया जाता है। अर्घ्य उन्हें यजमान
 को दे देता है। यह सब मन्त्रोच्चारण के साथ होता है। इसके उपरान्त अर्घ्य गार्हपत्य अग्नि में छिपे स्वस्व की व्यवस्था
 करता है और उस पर अन्न छिड़कता है। यही किया बहु दक्षिणाग्नि (दक्षिण-परिषद विद्या में) आहुवनीय सभ्य एव
 आनसभ्य नामक अग्नि को स्वस्व (आयतनी) के छिपे करता है। सम्भारो (सामधियो) में साथ आनीत नाम के
 जाये भाग का एक भाग गार्हपत्य तथा दूसरा भाग दक्षिणाग्नि में स्वस्वो पर बिखेर दिया जाता है। सोप बासू को
 तीन मासों में कर आहुवनीय सभ्य तथा आनसभ्य नामक अग्नि को स्वस्वो में बिखेर दिया जाता है। यदि सभ्य एव
 आनसभ्य अग्नि को जलाता न हो तो बासू को आहुवनीयमाग्नि में स्वस्व पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार सभ्य
 सामधियाँ (सम्भार) अग्नि को स्वस्वो पर रख दी जाती है। इन इत्थो क साथ यथोचित मन्त्रों का उच्चारण भी
 होता रहता है। विभिन्न स्वस्वो पर ब्रह्म के प्रस्तरसभ्यो एव वेदों को रखकर बहु अपने धनु का स्मरण करता है।
 ब्राह्मीदग्ध अग्नि की रात्रि को इटाकर बहु बहूँ दोनो बरणियों को रखकर वर्षत से अग्नि उत्पन्न करता है। जब
 सूर्य पूर्य म निकलने को रहता है उसके पूर्व ही बहु उपर की बरणी को नीचे रख देता है और 'इस-सोप' नामक नुत
 पछता है। वर्षत से अग्नि प्रकल्पित करते समय एक बसेठ या काल घोडा (जिसकी आँसो से पानी न गिरता हो
 जिसके घुटने काँसे हों या जिसके अन्धकोप पूर्णस्वोप विकसित हों) उपस्थित रहना चाहिए। उस समय 'सप्त
 साङ्गि' का मान होता है। जब ब्रह्म निकलता है तो माथिन कौंसिक घान गाया जाता है और अरघ्योनिहितो (ऋ
 १।२।१२) का उच्चारण किया जाता है।

अग्नि प्रकल्पित होते ही अर्घ्य 'उपावरोह वातवेध' (तै वा २।५।८) नामक मन्त्र का उच्चारण कर
 अग्नि का बाह्मण करता है। इसके उपरान्त अर्घ्य यजमान से 'चतुर्होतृ' (तै वा १।२-५) नामक मन्त्र पढ़वाता
 है। अग्नि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त यजमान अर्घ्य की गाय की दक्षिणा देता है। यजमान अग्नि के ऊपर हाँस
 देता है और 'ब्रह्मापतिस्त्वा' कहता है (तै वा ५।२।१।१)। अर्घ्य अपने जुबे हाथों को नीचे मुकावर अग्नि के ऊपर
 रखता है और कर्णदियों से उसे और प्रकल्पित करता है (तै वा ५।१।१२)। उस समय एतत्तर एव 'ब्रह्मापति
 नामक धागो का नाम होता रहता है और अर्घ्य सम्भारो पर गार्हपत्य अग्नि प्रतिष्ठापित करता है। यजमान के गोत्र
 एव प्रवर के अनुष्ठान सम्पादित किया जाता है। 'धर्मविरस के मन्त्रों का भी पाठ किया जाता है।

आहुवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा पूर्व विद्या के पूर्व के जाये विन्म के निकलने-निकलने कर दी जाती है। अर्घ्य
 गार्हपत्य पर सौ कर्णदियाँ जलाता है जिन्हें बहु जाये से जाता है। उन्हें बहु बासू से भरे बरतन में ही रखकर से जाता
 है और यजमान से अग्निर्घुं नुत का पाठ कराता है। इसके उपरान्त अग्नि की आहुवनीय के स्वस्व पर रखता है।
 इसके परवात् नाम्नी भूरोहित नृणाग्नि सता है या वर्षत से उत्पन्न करता है और घुटनों को उठकर बँटा
 है तथा दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा करता है। उस समय ब्रह्मापतिव्य साम का नामन होता रहता है। अनेक सूक्तों के पाठ
 के उपरान्त दक्षिणाग्नि सम्भारो पर रख दी जाती है (मान ५।१।१८)।

दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा के लिए अग्नि किसी ब्राह्मण दक्षिण वैश्व का धनु के गूह से ली जाती है किन्तु यदि
 यजमान समृद्धि का इच्छुक है तो जिसके घर से बहु अग्नि लानी जाती है उसे समृद्धिसाक्षी होता चाहिए। अग्नि जाने
 के उपरान्त यजमान उस घर में फिर कभी योजन नहीं कर सकता। बीषावन (२।१७) के अनुष्ठान अग्नि गार्हपत्य

सतपथ ब्राह्मण ने लिखा है मयू उक्त करता पड़ता है। सत्यापत्र (३१) के मत से प्रत्येक द्विज के लिए तीन वैदिक अग्निपौ की स्थापना के उपरान्त अग्निहोत्र एवं वर्षपूर्वमास श्राद्ध का यज्ञ करना अनिवार्य है महीं तक कि एककापे तथा निपादो की भी ऐसा करना चाहिए, किन्तु इस अतिम नाम पर अन्य सूत्रकारों ने अपनी सहमति नहीं दी है। बंमिनि (१।३।१-७ एवं ८ ?) के मत से अग्निहोत्र अनिवार्य है अतः वे लोग भी जो सम्पूर्ण विस्तार के साथ इसे सम्पादित नहीं कर सकते इसे कर सकते हैं किन्तु उन लोगों को जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इसे करना चाहते हैं इसे सम्पूर्णता के साथ सम्पादित करना चाहिए। बह्वृते सूत्रों में मात्रो एक विस्तार के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुछ लोगों के मत से बृहस्प की सभी वैदिक अग्निपौ प्रशस्तित रखनी चाहिए (कात्या ४।१।३।५) कुछ लोगों के अनुसार वेदक गार्हपत्याग्नि को ही सतत रखना चाहिए (आप १।२।१२) किन्तु कुछ लोगों के मत से यदि अग्न्याग्नेय के समक बक्षिणाग्नि अरुणि-अग्नय से उत्पन्न कर स्थापित की गयी हो तो उसे सदा के लिए रखना चाहिए। गृहस्प अश्वर्षु द्वारा गार्हपत्याग्नि से आहुवनीयाग्नि मंगाता है और अश्वर्षु यह कार्य प्रातः एक साथ करता है। किन्तु यदि यजमान यह कार्य प्रति दिन करता है तो उसे अश्वर्षु की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्व (२।२।१) के मत से प्रति दिन के अग्निहोत्र में बक्षिणाग्नि कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यथा वैश्य के घर से या किसी बलि के घर से या वर्षण से या स्वयं कृत तप में प्रशस्तित रखी जा सकती है। अन्य विस्तार के लिए देखिए आश्व (२।२।३ एवं ६) आप (१।१।७) शौचा (३।४)।

गृहस्प को प्रशस्तित गार्हपत्याग्नि से एक बरतन में जलते हुए अगार लेकर आहुवनीयाग्नि के पास मन्त्रोच्चारण (देव एवा देवेभ्य मिमा उवराग्नि) के साथ जाता चाहिए और पूर्व की ओर जाते समय अन्न मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए, यथा "मूसे पाप से ऊपर उठाइए जो भी पाप मैंने जान-अज्ञान में किये हो उनसे बचाइए। दिन के पापों के लिए सायनाह्न में तथा रात्रि के पापों के लिए प्रातः काह्न में प्रार्थना की जाती है। प्रातः एक साथ सूर्याभिमुख होकर अग्निहोत्र किया जाता है। कात्या (४।१।३।२) के अनुसार प्रातः काह्न का अग्निहोत्र सूर्योदय के तथा सायनाह्न का सूर्यास्त के पूर्व ही जाना चाहिए। किन्तु आश्वसायन के मत से अग्निहोत्र सूर्यास्त के उपरान्त ही करना चाहिए। इस विषय में प्राचीन काह्न से ही दो मत चले आ रहे हैं कुछ लोगों ने सूर्योदय के पूर्व और कुछ लोगों ने सूर्योदय के उपरान्त अग्निहोत्र करने की व्यवस्था की है। ऐतरेय ब्राह्मण (२।४।९) एवं कौपीयनब्राह्मण (२।९) भी इस विषय में अश्वसौमनीय हैं। आप (१।४।७-९) ने इस विषय में चार मतों का उच्चारण किया है अग्निहोत्र प्रातः एक साथ अर्धरात्रि एवं दिन के सविताह्न में करना चाहिए, या एक अन्न प्रथम तारा आकाश में दिखाई पड़े या रात्रि के प्रथम या तृतीय प्रहर में या प्रातः अन्न सूर्य के मण्डल का एक अन्न दिखाई पड़े या अन्न सूर्य ऊपर आ चुका हो। गृहस्प को मग्न्या-पूजा के उपरान्त ही अग्निहोत्र करना चाहिए। बृहत्याग्नि में हीम अग्निहोत्र के पूर्व होना चाहिए कि जसो

९. तं वा (२।१।२) में अग्निहोत्र अन्न की व्युत्पत्ति की गयी है। यह वह इत्य है जिससे अग्नि के लिए होम किया जाता है। लायन का कहना है—अग्नये होत्रं होमोऽस्ति अग्नये इति बहुव्रीहिस्युत्पत्त्याग्निहोत्रमिति वर्षमास। अग्नये होत्रमिति तत्पुत्र्यस्युत्पत्त्या हविर्नाम। इति च बंमिनि (१।४।४) जिससे आया है—“अग्निहोत्रं सूर्योर्नि रवर्षाकात्” यही 'अग्निहोत्र' एक इत्य का नाम है। सतपथ ब्राह्मण (१।२।४।१) में आया है—“होत्रं तत्रं ह वा एत उपयति केऽग्निहोत्रं बृहस्पतेः अरामयं तत्रं अग्निहोत्रं अरदा तत्र ह्योवात्तन्मनुष्यते मृत्युना वा। तत्तन्नात् (३।१) का कहना है—आपाताग्निहोत्रं वर्षपूर्वमासो व निष्कौ। निवाहरककारयोः पातानाग्निहोत्रं वर्षपूर्वमासो व नियम्येते।”

उपस्थ? इस विषय में मतभेद है। कुछ लोगों के मत से अग्निहोत्र के पूर्व गृह्याग्नि में होम होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक अग्निहोत्र के उपरांत ही गृह्याग्नि में होम होना चाहिए। सम्ब्याबन्द्य के उपरांत गृहस्थ या ठी मार्हपत्याग्नि एवं दक्षिणाग्नि के बीच से आहुवनीयाग्नि की ओर जाता है या इन दोनों अग्नियों के स्थलों में दक्षिण बार के मार्ग से आहुवनीयाग्नि की प्रवृत्ति कर दक्षिण में अपने स्थान पर बैठ जाता है और उसकी पत्नी भी अपने स्थान पर बैठ जाती है (नाय्या ४।१।१२ एव ४।१।५।२ ज्ञाप ६।५।३ तथा कात्या ४।१।१३ एव ज्ञाप ६।५।२२)। गृहस्थ विद्वत्सि विद्या में पाप्मानमुत्थास्तत्समुर्धमि मयि अद्या (ज्ञाप ६।५।३) नामक मन्त्र के साथ आचमन करता है अपनी पत्नी भी आचमन करती है। इसके उपरांत पति एवं पत्नी अग्निहोत्र होने तक मौन साधे रहते हैं। बिना पत्नी नाम गृहस्थ भी बेली समय अग्निहोत्र सम्पन्न कर सकते हैं (ऐतरेयब्रा १।२।८)। तीनों अग्नियों (मार्हपत्य आहुवनीय एवं दक्षिण) के लिए परिसमूह (गीते हाथ से उत्तर पूर्व से उत्तर तक पीछे) का कार्य अर्धपूर्व ही करता है। अर्धपूर्व ही आहुवनीयाग्नि के चारों ओर धर्म विद्यता है अर्थात् परित्तरण करता है। पूर्व एवं पश्चिम बाधे बुझा की ओर दक्षिण की ओर तथा उत्तर एवं दक्षिण बाधों की पूर्ण की ओर होती है। परित्तरण-इत्य पूर्व से प्रारम्भ कर कम से दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर की ओर किया जाता है। इसी प्रकार अर्धपूर्व मध्य बेली वैदिक अग्नियों (मार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि) की चारों विद्याओं में धर्म विद्या देता है। बाह्ये हाथ में बल लेकर वह आहुवनीयाग्नि व चतुर्विक् (उत्तरपूर्व से प्रारम्भ कर पुन उत्तर विद्या में समाप्त कर) छिड़कता है। इनके उपरांत वह पश्चिम की ओर से बल धार गिराता आहुवनीयाग्नि से मार्हपत्याग्नि तक चला जाता है। इनके उपरांत पर्युक्ता-इत्य किया जाता है जो मार्हपत्य से प्रारम्भ कर बायी ओर से बाह्ये की ओर बल लेकर दक्षिणाग्नि तक बल छिड़कने के रूप में अग्निमन्त्र होता है। या सर्वप्रथम मार्हपत्याग्नि के चारों ओर बल छिड़का जा सकता है और तब दक्षिणाग्नि के चारों ओर। इसके उपरांत मार्हपत्य से पूर्व की ओर आहुवनीय के चतुर्विक् बल की धारा गिरानी जाती है (आश्व० २।२।१६)। मन्त्री उपरांत मार्हपत्य से पूर्व की ओर आहुवनीय के चतुर्विक् बल की धारा गिरानी जाती है (आश्व० २।२।१६)। मन्त्री उपरांत मार्हपत्य से पूर्व की ओर आहुवनीय के चतुर्विक् बल की धारा गिरानी जाती है (आश्व० २।२।१६)। मन्त्री उपरांत मार्हपत्य से पूर्व की ओर आहुवनीय के चतुर्विक् बल की धारा गिरानी जाती है (आश्व० २।२।१६)।

कारण के विषय में वैदिक शास्त्र (२।२।११ १३) नाय्या (४।१।१३ १८) एव ज्ञाप (६।५।४) जो व्यक्ति ने बल पश्चिम वर्तमान समस्त अग्निहोत्र करता है उसे पाप के दूष स होम करना चाहिए किन्तु जो व्यक्ति कोई ग्राम या प्रकृि भोजन या सन्नि या मया चाहता है उसे चाहिए कि वह मवागू मात रही या पुन स होम करे (आश्व २।३।२)। इसके उपरांत पाप दूहने बाल व्यक्ति को जाना ही जाती है। पाप यज्ञ-वचन की दक्षिण दिशा मन्त्री गन्ती चाहिए और उसका बन्धा लडा होना चाहिए। पाप दूहने समय बछे की माय के दक्षिण में गन्ता चाहिए। पहले बछेका दूध पी ले तब उसे इटा कर दूध दूहना चाहिए। पाप को दूहने बाला दूध मानी होना चाहिए।

७. सव्याबन्धनापन्तर पूर्ववाग्निहोत्रहोमस्ततः स्मार्तः। तदुक्तम्—होमं वैतामिके इत्या स्मार्तं पुर्याद विवक्षतः। स्मृतीनां वैदिकान्तरात्तन्मार्तं वैदिकपुरा विदुः ॥ इति। कात्या ४।१।१२ का भाष्य; चण्डोप्य में उपपुन चण्डाव। वैदिक आचाररत्न (पृ ५२)।

८. चण्ड्या (४।१।३) के भाष्य में आया है—उपवेदान्तमस्तिरिक्तं पत्नी विवर्ति न करोतीति तंत्रदायः। इयं आचूतरम्। इतसे स्पष्ट है कि विवर्त्य की यज्ञ-इत्य-सम्बन्धी सारी महत्ता ब्रह्म विनीत होनी चानी गयी और अब यथावि धर्मों में पतिव्रतों की बधन में बँटी सारे इत्यो को मौन रूप से देखनी पटनी है। अब तो ब्रह्म यज्ञमात्र के अब यथावि धर्मों में पतिव्रतों की बधन में बँटी सारे इत्यो को मौन रूप से देखनी पटनी है। अर्धमिनि (६।१।१७-२१) में लिखा एव पुरोहित नाम आचमन रहते हैं रिक्तों मूक बनी घटरी-भनी बँटी पटनी है। अर्धमिनि (६।१।१७-२१) में लिखा है कि यज्ञ-सम्पादन में पति मूर्ध कर्ण की एव-दूहने से सहयोग करना चाहिए, किन्तु पुन-इसी मूर्ध में आया है (६।१।२४) कि पत्नी यज्ञ के सारे कार्य नहीं कर सकती वह ब्रह्म यज्ञता ही कीनेगी जिसने त्वत् पटनि में पृष्ट है।



(काल्या ४१४१) विष्णु आप (१।३।११ १४) में ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा है। बीबा (३।४) के मत से नाव बहने वाला बाह्य ही होता चाहिए। पाप बहने के विषय में भी बहुत-से नियम बने हैं (शातपथ वा ३।७ से वा २।१।८)। मूर्धास्त होते ही बहना चाहिए (आप १।४।५)। किसी कार्य द्वारा निर्मित मिट्टी के बरतन में ही रूप दुहा जाना चाहिए। पात्र बरतन नहीं बना रहना चाहिए। उसका मूँह बड़ा तथा घेरा बुताकार या डामू नहीं होना चाहिए बल्कि बीबा लटा (काल्या ४१४१ आप १।३।७)। इसको अग्निहोत्रस्थानी कहा जाता है (आप १।३।१५)। अर्घ्यपूर्ण गार्हपत्याग्नि से जलनी हुई अग्नि लेकर (ब्रह्म उवाकने के लिए) उसने उत्तर अक्षर स्वल्प पर रखता है। तब वह माय के पाश जानकर ब्रह्मपात्र को उठाकर बाह्यवर्तीयान्नि के पूर्व रखकर गार्हपत्याग्नि के परिधम में बैठता है और पात्र को बर्न करता है। वह अतिरिक्त बर्न लेकर उसे जमाकर ब्रह्म के ऊपर प्रकाश करता है। तब वह मुख से बर्न में कुछ बर्न लौकने हुए ब्रह्म में छिद्यता है (आत्म २।३।१ एव ५)। इसके उपरान्त वह पुन प्रयुक्त बर्न को जलन-कर बर्न ब्रह्म के ऊपर प्रकाश करता है। यह तीन बार किया जाता है। ब्रह्म को बीबा बना चाहिए कि वेबल धर्म कर देना चाहिए, इस विषय में मनीष्य नहीं है। इसके उपरान्त तीन भत्री के साथ ब्रह्म का पात्र बीरे-से उत्तर लिया जाता है और जलनी अग्नि के उत्तर रख दिया जाता है। तब जलनी हुई बची अग्नि गार्हपत्याग्नि में डाल दी जाती है। इसके उपरान्त मुख एव मुख को हाथ से साह-नी-ऊपर गार्हपत्याग्नि पर धर्म कर लिया जाता है। यही विभा पुन की जाती है और यजमान में पूजा जाता है—“यथा मैं मुख में ब्रह्म निवास सत्तर हूँ? यजमान कहता है—“ह्रीं निवासिण्य, तत्र अर्घ्यपूर्ण बाह्ये हाथ में मुख से तथा बायें में अग्निहोत्र-ब्रह्मणी लेकर उसमें ब्रह्म का पात्र से रूप निवासता है। यह इत्य बार बार किया जाता है और मुख ब्रह्म के पात्र में ही छोड़ दिया जाता है। आपस्तम्ब (१।७।७।८) एव आश्व (२।३।११ १४) के मतानुसार अर्घ्यपूर्ण मुख का अग्निमन् जानते हुए मुख से मरूपूर रूप निवासता है क्योंकि ऐसा करने से गृह्य को लबने योग्य पुन काम की बात होती है। जितना ही बर्न ब्रह्म मुख में होना प्रायणा सभी अनुपात में भाय पुत्री के काम की काम मानी जायगी। इसके उपरान्त अर्घ्यपूर्ण एव हाथ लम्बा पलाश-वृक्ष श्वेतवर्ण के ऊपर उत्तर घाई पञ्चानि की उवाका का पात्र रखा है और मुख को अपनी पात्र के ब-उपर ऊँचा रखकर गार्हवनीय तत्र से जाता है घाई पाय एव आश्वनीय की दूरी के बीच में वह मुख को अपनी नाभि तक लाता है और पुन मुख की ऊँचाई तत्र उठाकर आश्वनीय के पात्र पहुँचता है और उसने बदिबन्ध रख तथा पलाश-वृक्ष की समिधा को बर्न पर रखता है। वह स्वयं पूर्वा भिसुग ही आश्वनीय की उत्तर-पूर्व किया में बैठता है। उसने बुरने मुखे रहने में बायें हाथ में मुख एव बाह्ये में मणिबा लम्बा वह आश्वनीयान्नि में 'रजनी र्वाग्निम्योनिषम्' (आत्म २।३।१५) मन्त्र के साथ आहुति देता है। इसमें उपरान्त भर विचरमि विधा में पाप्मानम् (आप १। ३ आश्व २।३।१६) मन्त्र का साथ आवश्यक बताया है। जब जलनी हुई मणिबा जल्प लगी है तो वह 'बीं भूर्भुव स्वरोम् अग्निम्योनिम्योनिमिन्नि स्वाहा माया काय के साथ समिधा पर ब्रह्म की आहुति छोड़ता है। मन्त्रों के प्रयोग के विषय में कई मत हैं। इन विषय में देविए काय लजनी मणिबा (३) आप (५।१ ३) में वा (२।१।२)। इसमें उपरान्त वह मुख को कुस पर रखा देता है और गार्हपत्याग्नि की ओर इन विचार के साथ देवता है—“मूर्ते ननु र्वाग्नि। पुन वह मुख उठाता है और पहुँचने में दूरी माया में ब्रह्म की दूरी आहुति देता है। इस बार तीन मायका प्रजापति का प्यान करण आहुति की जाती है। यह दूरी आहुति प्रथम आहुति के पूर्व या उत्तर में इन प्रकार की जाती है कि शील; में निर्मी प्रकार का मन्त्राण में हीने पाय। इसके उपरान्त मुख में दूसरी आहुति बायें ब्रह्म में अग्नि दूध किया जाता है। तब वह मुख को हाथ में (आप ५।१।३) के अनुसार तीन बार) इस प्रकार उठाता है कि अग्नि-उवाका उत्तर और पूर्व में और ऐसा करण मुख को कूर्ने पर रख देता है। इसमें उपरान्त वह मुख के मुख को बीच में रखकर स्वल्प कर देता है और पुन कूर्ने (उत्तर वा प्रजा की पात्र) की उत्तर किया में बायें हाथ पर लज ब्रह्म की बुँद रखकर स्वल्प कर देता है और "देवताओं की

श्रवण (आत्या ४।१।१३) या "तुम्हें पशु प्राप्ति के लिए" नामक शब्दों का उच्चारण करता है। आप (१।१।१) में प्रथम एवं सायंकाल के समय सूत्र को स्वच्छ करने की एक असम विधि दी है और तै स (१।१।१।१) के अन्त के उच्चारण की बात कही है। इसके उपरान्त ह्येकी को ऊपर तथा बनेक को प्राचीनाधीत इय से धारण करने वह अपनी अर्पुण्ड्री को मीन रूप से "स्वधा पितृभ्य पितृन् जिन्व (आप १।१।१।४) या "स्वधा पितृभ्य (आत्या ४।१।१।२१ एवं आप २।३।२१) नामक मन्त्र के साथ दक्षिण दिशा में मुखों की नोक पर रखता है। तब वह पूर्व-विमुख हो अपनी इय से बनेक रखकर आचमन करता है। इसके उपरान्त वह गार्हपत्याग्नि के पास जाता है और एक पत्थिका बने-बने उठाता है। पुन पूर्वामिमुख हो गार्हपत्याग्नि की उत्तर-पश्चिम दिशा में बैठ जाता है और मुने मुख कर गार्हपत्याग्नि में समिधा बाळता है फिर सूत्र में धूम लेकर 'ता अस्य सूत्रोदृष' (श्र ८।१९।३) या कोई अन्य वा "इह पुष्टिन् पुष्टिपति" पुष्टिपत्ये स्वाहा" नामक मन्त्र के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह आत्या (४।१।१।२४) एवं आप (२।३।२७-२९) के अनुसार किसी भी विधि से दूसरी आहुति मीन रूप में या मन्त्रोच्चारण (श्र १।१९।१९-२१) के साथ देता है। तब वह अत्राशामाभयते स्वाहा" शब्दों के साथ दक्षिणाम्नि में मुख द्वारा पुनः आहुति देता है और दूसरी आहुति मीन रूप से देता है। इसके उपरान्त वह बस-स्यंस करता है उत्तरामिमुख होता है और अपनी एक अर्पुण्ड्री (आत्या ४।१।१।२६ के मत से अनामिका) से सूत्र में बने हुए मांस की निकालकर बिना स्वर उच्चारण के तथा बिना दंत के स्पर्श के चाट जाता है। वह फिर आचमन करते पुन चाटकर आचमन करता है। एक उत्तर-दक्षिण सूत्र में बने हुए धूम आदि को ह्येकी में या किसी पात्र में लेकर भीम से चाटता है। आप (१।१।१।५ एवं १।१।२।२) एवं शीशा (३।६) में शेष की चाटने की विधि में कुछ अन्य बातें भी हैं जिन्हें यहाँ स्वामामात्र से छोड़ा जा रहा है। इसके उपरान्त वह अपना हाथ जोटा है दो बार आचमन करता है आहुतनीयाम्नि के पास जाता है और बैठ जाता है सूत्र को जल से भरता है और सूत्र से जल को आहुतनीयाम्नि के उत्तर "दिवा जिन्व शब्दों के साथ छिड़कता है। प्राचीनाधीत इय से बनेक धारण करने वह यही इत्य पुन करता है किन्तु इस बार आहुतनीयाम्नि के दक्षिण दिशा की "पितृन् जिन्व" नामक शब्दों के साथ बस-मारा देता है। तब वह यही किया सत्पर्विन् जिन्व" कहकर उत्तरपूर्व में ऊपर की जल छिड़कता है। शीशा बार वह सूत्र को भरता है आहुतनीयाम्नि के पश्चिम में रखे (पूर्व पाल के) शर्म को हटाता है वहाँ तीन बार पूर्व से उत्तर की ओर जल देता है। इसके उपरान्त वह सूत्र एवं सूत्र की एक भाग ही आहुतनीयाम्नि में बर्न करता है और उन्हें अन्तर्बेदी पर रख देता है या उन्हें किसी परिवारक की दे देता है। तब वह पशुधन वाले क्रम के अनुसार (आहुतनीय गार्हपत्य दक्षिणाम्नि या गार्हपत्य दक्षिणाम्नि आहुतनीय के मत से) प्रत्येक अग्नि में समिधा बाळता है। इसके उपरान्त गृहस्व अग्नि की पूजा बाल्त्तप स्तुतियों के साथ करता है या श्रवण (३।३।७) के अनुसार "मूर्ध्नि स्व आदि के उच्चारण के साथ सजये में पूजा करता है और एक वा आहुतनीय के पास बैठकर मीनाशमना करता है। तब वह गार्हपत्य के पास बैठता है या सेंट आना है। इसके उपरान्त वह सभी अग्निपियों के लिए पशुधन करता है। तब गृहस्व अपना मीन दौड़कर आचमन करता है और बाहर निकल बाग पर दक्षिणाम्नि का ध्यान करता है। अन्त में पत्नी भी मीन रूप से आचमन करती है।

आत्या (४।१।२।१२) के मत से सायंकाल बालम्न शम्भो (बाज म ३।२।३६ एवं शत वा २।३।४।१९-४१) के साथ आहुतियों देने के उपरान्त उत्पत्थान करना (अग्निपियों की स्तुति करना) इच्छा पर आधारीत है गृहस्व बाहे गावरी की कर सकता है या केवल एक मन्त्र का उच्चारण मात्र (बाज म ३।३।७ एवं सतपथ वा २।४।१।१२) कर सकता है। आप (१।१।१।४ एवं ६) ने जो उच्चारण के लिए उ शम्भो तथा अन्य शम्भो के ध्यान की बात कर सकता है। आप (१।१।१।४ एवं ६) ने जो उच्चारण के लिए उ शम्भो तथा अन्य शम्भो के ध्यान की बात कर सकता है, जिसकी व्याख्या स्वामामात्र से यहाँ नहीं की जा रही है। कुछ लोग उत्पत्थान की वचन सायंकाल के लिए

ही उचित मानते हैं और कुछ भोग प्राप्त एवं सार्थ होनेो समझो के लिए (देखिए, आप १।११।४ १-से लेकर १।२१ तक)।

क्षत्रियों के विषय में अग्निहोत्र के लिए आप (१।१५।१०-११) ने कुछ मनीष्य नियम दिये हैं। आपस्तम्ब का कहना है कि क्षत्रिय को आहुवनीयानि सर्वत्र रखनी चाहिए, चाहे वह आह्निक अग्निहोत्र करे या न करे। जब सामान्य रूप से अग्निहोत्र किया जाय तो क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपने घर से ब्राह्मण के लिए भोजन भेजे जिससे कि उसे अग्निहोत्र करने का पुण्य लाभ प्राप्त हो और अप्सर्षु को चाहिए कि वह क्षत्रिय (राज्य) से अप्सर्षुस्वाहा (अग्निस्तुति के मन्त्रों) का पाठ कराये। जिस राज्य ने धीमन्न कर लिया हो और जो क्षत्र्य बोलता हो वह आह्निक अग्निहोत्र कर सकता है। आप (२।१।३-५) के मतानुसार क्षत्रिय एवं वैश्य अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन अग्निहोत्र कर सकते हैं तथा अन्य क्षत्रियों से उन्हें किसी कर्त्तव्यपरायण ब्राह्मण के वहाँ पका हुआ भोजन भेजना चाहिए। पितृ, बहु क्षत्रिय या वैश्य जो विचार एवं स्वयं (बचन) से उत्सवादी हैं और धीमन्न कर चुका है आह्निक (प्रति दिन वाका) अग्निहोत्र कर सकता है। लज्जा है इन नियमों द्वारा क्षत्रियों एवं वैश्यों को अन्य कार्य करने के लिए अधिक समय एवं अधिक प्रदान किये गये थे। आप (१।१५।१४ १६) आस (३।४।२-४) तथा अन्य लोगों के मत से गृह्य को स्वयं प्रति दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो कम-से-कम वर्ष के बिनो में तो उसे अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए। उसके लिए पुरोहित शिष्य या पुत्र भी अग्निहोत्र कर सकता है।

प्रातः एवं सायंकाल के अग्निहोत्र को विधियाँ सामान्यत एकरुपी हैं, केवल विस्तार में कुछ भेद हैं यथा आस (२।४।२५) में प्रातः का पुरुषस्य-मन्त्र कुछ और है और सायं का कुछ और (आस २।२।११)। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं (आस २।४।२५ एवं २।२।१६)। अन्य बातों के लिए देखिए कात्या (४।१५)।

एक रात्रि के लिए या सभी रात्रि के लिए जब गृह्य बाहर जाता है तो उसे अग्निहोत्र के विषय में क्या करना चाहिए? इसके विषय में सूत्रों में बहुत-से नियम पाये जाते हैं। देखिए सतपथ वा (२।४।१।३-१४) आस (२।५) आप (१।२४ २७) कात्या (४।१।२।३-१४)। आस के मत से गृह्यपूर्व नियम ये हैं—बहु अग्नि को उद्दीप्त कर देता है (बनाका में परिष्कृत कर देता है) आचमन करता है और आहुवनीय गार्हपत्य तथा बलिवाग्नि के पास जाकर उसकी पूजा शस्य पशून् मे पाहिं 'नर्व प्रजा मे पाहिं' एवं अर्घ्य पितृ मे पाहिं नामक मन्त्रों (वाक्समेवी स ३।३७) के साथ करता है। इसके उपरान्त बलिवाग्नि के पास खड़े होकर उसे अन्य दोनों अग्निों की ओर 'इमात् मे मित्रावस्मो ह्यानु गीमायत पुनरावनात् (काठक स १।३ मंत्रायमी सक्ति १।५।१४—ब्रह्म अन्तरी के साथ) नामक मन्त्र के साथ करता है। वह पुनः आहुवनीय के पास जाकर उसकी पूजा करता है (तै स १।५।१ १ नामक मन्त्र के साथ)। इसके उपरान्त उसे बिना पीछे देखे यात्रा में लय जाता चाहिए और 'मा प्रथम' नामक स्तुति का पाठ करना चाहिए। जब वह ऐसे स्थल पर पहुँच जाता है जहाँ से उसके घर की छत नहीं दिखाई पड़ती तब वह अपना मील छोड़ता है। जब अपने घर से गन्तव्य स्थान के मार्ग की ओर पहुँचे तो उसे सवा सुय (ऋ १।५।४।२१) का पाठ करना चाहिए। जब वह यात्रा से घर लौट जाने उसे 'अग्नि पश्याम्' (ऋ १।५।१।१६) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे मील सामना चाहिए अपने हाथ में समिधाएँ, सेनी चाहिए और वह सुनने पर नि उसके पुत्र वा शिष्य ने अग्निमाँ उद्दीप्त कर ली है, उसे आहुवनीय की ओर जाकर (२।५।१६) के दो मन्त्रों के साथ करता है। इसके उपरान्त समिधाएँ बाँकर उसे "मम नाम तव च" (तै स १।५।१ १) नामक मन्त्र से आहुवनीय की पूजा करनी चाहिए। तब उसे वाज स (१।२८ १) के एक-एक मन्त्र के साथ आहुवनीय गार्हपत्य एवं बलिवाग्नि में अग्निघाएँ डालनी चाहिए।

उपर्युक्त नियम सभी लागू होते हैं जब कि गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाता है। जब तक वह बाहर जाता है उसे अग्निहोत्र एक वर्षपूर्वमास के समय मानसिक रूप से अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए और सभी प्रकार के श्राद्धों का पाठ करना चाहिए (यथा कहीं तक सम्भव हो फल-फूल दान-मूक पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए)।
 ऐन्द्रियाय (४।१६।१८) एक वात्या (४।१२।१६) तथा इत्या माप्य। घर से बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी पर अग्निषी का भार सौंप देना चाहिए तथा आवश्यक कृत्यों के सम्पादन के लिए किसी पुरोहित की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ यात्रा करता है तो उसे अग्निषी साथ में ही रख लेनी चाहिए। यदि वह अपनी यात्रा करे किन्तु अग्निषी साथ में रखे तो घर पर पुरोहित का रखना निरर्थक है क्योंकि पति-पत्नी की अनुपस्थिति में अग्निहोत्र होम नहीं सम्पादित हो सकता। सीटकर जाने पर गृहस्थ को अग्नि की प्रतिष्ठा पुनः (पुनराधान) करनी ही पड़ेगी।

अध्याय ३०

वशा-पूर्वमास

समी दृष्टियो (ऐसे यज्ञ जिनमे पशु-बलि ही जाती है) की प्रकृति पर वर्षपूर्वमास नामक यज्ञ के बर्णन एवं व्याख्या से प्रकाश पड़ जाता है इसी से समी यीशसूत्र सर्वप्रथम वर्षपूर्वमास का बर्णन विस्तार से करते हैं जो ठीक वन के अनुसार अग्न्याधान का स्थान सर्वप्रथम है। आर्य (२।१।१) का कहना है कि समी प्रकार की दृष्टियो पर पूर्वमास दृष्टि के विवेचन से प्रकाश पड़ जाता है। आप (३।१४।११-१३) के अनुसार तीनों बलियो (मार्हपत्य ब्राह्मणीय एवं वसिष्ठान्ति) की प्रतिष्ठापना के उपरान्त प्रतिष्ठान्तक की वर्षपूर्वमास का सम्पादन भीम भर (या जब तक सम्पत्ती न हो जाय) या ३ वर्षों तक या जब तक बहुत भीर्भ (इत्य करते मे पूर्वस्मेभ अपीत्य) न ही जाय करते जाना चाहिए।

अमावस्या' शब्द का अर्थ है 'बहु दिन जब (सूर्य एवं चन्द्र) साथ रहे। यह वह तिथि है जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र एक दूसरे के बहुत पास (अर्थात् स्पृशतम दूरी पर) रहते हैं। 'पूर्वमासी' वह तिथि है जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र एक-दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। 'पूर्वमास का तात्पर्य है 'बहु सब जब कि चन्द्र पूर्व (पूरु या मरुपुर) रहता है। 'वस' का तात्पर्य यही है जो अमावस्या' का है। वर्ष का अर्थ है 'बहु दिन जब चन्द्र की केवल सूर्य ही देख सकता है और जब कोई नहीं। 'वस' एवं 'पूर्वमास' के गीन अर्थ हैं 'वे इत्य जो कम से अमावस्या एवं पूर्वमासी के दिन सम्पादित होते हैं। 'दृष्टि' का तात्पर्य उस यज्ञ से है जिसमे यजमान चार पुरोहितों को नियुक्त करता है। नीचे हम सत्यापाठ एवं आर्यबलायन के शीतसूत्रों पर आधारित वर्ष-पूर्वमास-सम्बन्धी विवेचन उपस्थित करते हैं।

अध्यायेन कर चुकनेवाला जागे की प्रथम पूर्वमासी को वर्षपूर्वमास का सम्पादन कर सकता है। पूर्वमासी के दिन की दृष्टि दो दिन हो सकती है किन्तु सारे इत्य संक्षिप्त कर एक ही दिन में सम्पादित हो सकते हैं। यदि दो दिनो तक इत्य किये जायें तो वे प्रथम दिन (पूर्वमासी के दिन) तथा प्रतिपत्ता (पूर्वमासी के आगे के इत्य पक्ष का प्रथम दिन) तक समाप्त हो जाते हैं। प्रथम दिन को उपवास्य दिन तथा दूसरे दिन को एकत्रीय दिन कहा जाता है। पूर्वमास इत्य के सिद्धांतों से उपवास्य के दिन अग्न्याधान (जनि में हीनन जानना) एवं परिस्तरय इत्य किये जाते हैं और केवल इत्य यज्ञीय दिन में सम्पादित होते हैं। यदि प्रारम्भिक पूर्वमास दृष्टि का वर्ष दृष्टि हो तो यजमान को अग्न्याधनभीया दृष्टि सम्पादित करनी पड़ती है बिना नीचे पाठ-दृष्ट्यो भी न पकिए।

१ 'यावन्भीय वर्षपूर्वमास्तान्वा पक्षैः—'मीमि (१।८।१६) की व्याख्या में ध्वर द्वारा अनुपुत। और देखिए अ वा (११।१।२।१३) अर्थात् ३ वर्षों की अवधि है। 'ताम्या' मावन्भीयं पक्षैः। विस्तं वा वसतिभिः। भीर्भो वा विरतेभ्यु। आप (३।१४।११-१३)।

२ सर्वप्रथम तं सं (३।५।१।१) के मन्त्रों के साथ सरस्वती की दो आयुतियाँ ही जाती हैं और तब अग्न्याधनभीया का सम्पादन होता है। इसमे बलि एवं विष्णु को ११ कपाठों (असकठों, मिट्टी के कतौरी या जित्तपात्रों) में पकयी पयी रोटी ही जाती है। सरस्वती की चब (एक ही में चाबल, जौ, गूब आदि उबालकर बनायी

पूर्वमासी के दिन प्रातः काक यजमान अपनी स्त्री के साथ आङ्गिक अग्निहोत्र करने के उपरान्त गार्हपत्य के ध्वजक रथों पर बैठकर, अपने हाथ में कुछ सेकर तथा प्राणायाम करके धीपरमेववरीत्यर्थं पीपीमासेष्ट्या यद्य' (यजमान के दिन वह 'पीपीमासेष्ट्या' के स्थान पर 'धरोष्ट्या' कहता है) नामक सक्तप करता है। इसके उपरान्त वह अम्बु, ब्रह्मा होता एव आग्नीध्र नामक चार पुरोहितों से कहता है—“मै आपको अपना अम्बु अपना ब्रह्मा बना होता एव अपना आग्नीध्र चुनता हूँ। अम्बु गार्हपत्य से अग्नि सेकर ब्राह्मणीय एव वसिष्ठानि क पाठ जानता है और एक समिधा की नीक को पुष्पामिमुक करके आह्वनीय पर रखता और मन्त्रोच्चारण करता है (ऋष्य १। १२८१ ठै स ४।७।१४१)। अम्बु एव यजमान तीन पक्षों का (घटपक्ष का १।२ म वसिष्ठ ठै का ३।७।५ के पक्ष) रूप करते हैं। अब वह आह्वनीय एव गार्हपत्य के मध्य में रहता है दो खड़े-खड़े अन्तराग्नि मणीपया' (ठै का ३।७।५) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह मन्त्र क साथ (ऋ १।१२८।१२=ठै स ४।७।१४१) गार्हपत्य म समिधा बालता है। अम्बु एव यजमान 'बहु प्रजा' एव 'बहु पसव' (ठै का ३।७।५ स का १।२) का उच्चारण करते हैं। इसके उपरान्त अम्बु वसिष्ठानि म मयि देवा (ऋ १।१२८।१५ ठै स ४।७।१४१) के साथ समिधा रखता है। तब बोनी 'अप पितृणाम्' (ठै का ३।७।५) का पाठ करते हैं। जो मन्त्र पर ब्राह्मण्य अग्निर्वा प्रज्जसिष्ठ रखते हैं वे उनमें मन्त्रों के साथ (ठै का ३।७।५) समिधार्थ बालते हैं।

उस यजमान को जिसने सोमयज्ञ पहले ही कर लिया हो आत्साह्वरण नामक इत्य करना पड़ता है। उस अम्बु (जाने वृष म लट्टा वृष या पिच्छली रात्रि के वृष का यही मिलान से बना हुआ पवार्ष) बना पड़ता है। ठै म (१।१।११) के मत से केवल सोमयात्री ही साम्राज्य देता है। इन्द्र या महेन्द्र को भी साम्राज्य दिया गया था (घटपक्ष का १।१।१२१ एव कात्या ४।२।१)। ठै स (२।५।४।५) के मत से केवल यक्षी महेन्द्र को साम्राज्य दे सकता है किन्तु घट का (१।५) के अनुसार सोमयाग के उपरान्त एक या दो बयों तक इन्द्र एव महेन्द्र को साम्राज्य दिया गया था। पूर्वमासी की इष्टि म अग्नि एव अग्नीध्रों को पुरोडास (रोपी) दिया जाता है और इसमें दो पुरोडासों के साथ सोम एव से प्रजापति को आज्य दिया जाता है। वसों की इष्टि म पुरोडास व देवता हैं अग्नि एव एतानी तथा साम्राज्य इन्द्र या महेन्द्र को दिया जाता है (आस १।१।१२२)।

आत्साह्वरण—यह इत्य कंस इसी से सम्बन्धित है जिसने केवल वसिष्ठ और सोमयज्ञ कर लिया हो। अम्बु पसव का घनी मूल की ऐसी डास से मयी आत्सा काता है जो बड़ी से मूखी म हो और जिसम अग्नि मन्त्रा म पतिपा

इसमें उपरान्त को १२ घटसकलों में पकामी ययी रोटी तथा अग्नि अग्नि को ८ घटसकलों में पकयी ययी रोटी दी जाती है। अग्नि (१।१।१५ ३५) के मतानुसार अन्वारम्भनीया प्रति बार नहीं की जाती, केवल एक बार इन्द्रा ब्रह्मयज्ञ पर्याप्त है। अन्य विस्तारों के लिए वेदिए ठै स (३।५।१) आस (२।८) आय (५।२।३।५ ९) वीथ (२।२१)।

३। साम्राज्य मन्त्रोच्चारण 'ओम्' से आरम्भ दिया जाता है। किन्तु योत इत्यो में यह कोई नियम नहीं है और इसी से योतपुत्रों में इसका उल्लेख भी नहीं म्ही हुआ है। यजमान एवं अम्बु दोनों में से कोई भी समिधा बाल सकता है (कात्या १।१।१२)।

४। घटपक्षी लोग तीनों अग्निपों को सवा रखते हैं (कात्या ४।१।३।५ एवं आय ६।२।१२)। वे लोग वृष के पक्ष में अग्निपों एवं वसिष्ठ ब्राह्मण, विजयी अग्निप एव घाम के सवने बने बंध्य होते हैं—“अग्निपितृ सवज्यम तथा वसिष्ठः तयो इ वं पतधियः सुपुत्रान् ब्राह्मणः अग्निपौ विजयी राजा वैश्यो घामधीर्दिगि” (कात्या ४।१।३)।

हो। शाखा ब्रह्म की पूर्ण उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा से की जाती है (जैमिनि ४।२।७)। वह उसे 'इर त्वा' (तं स १।१।११) सव्यो के साथ जाटता है अन्न-स्पर्श करता है और 'ऊर्गे रवा' (तं स १।१।११) के साथ शाखा को सीधी करता है या स्पर्श करता है। इसके उपरान्त वह उस शाखा को 'इय प्राची' (तं वा ३।४।७) के साथ यज्ञ-स्पर्श पर लाता है। इस शाखा से वह छ बछड़ी की जनकी मातामो (गायो) से पुष्पक करता है (तं स १।१।११)। अर्धवृत्त यजमान की बायो को तं स के मूल (१।१।११) के साथ चरने को छोड़ देता है जब वे पक देती हैं तो उन्हें पुकारता है (श्र १।२।७।७ तं वा २।८।८)। तब वह यजमान के चर कीट जाता है और शाखा को परिवर्तित स्पर्श पर (जिससे वह भूछायी न जा सके) या यज्ञ-स्पर्श पर या अग्निपथ के पास काठ के बने बेंरे (नठबरे) में रख देता है। जैमिनि (३।१।२८ २९) का कहना है कि शाखाहरण प्रजा एव साय भोगो समयो म नाम के बुद्धे जाने से सम्बन्धित है।

यजमान आह्वनीय के परिचय से जानकर उसके दक्षिण में ही जाता है और आचमन करता है। तब वह सार्व का ध्यान करता है और अग्नि बानु आदित्य एव ब्रतपति की पूजा करता है (तं स १।५।१ १३ एव तं वा ३।७।४)।

बहिर्हरण—इस इत्य का तात्पर्य है प्रयोग में लाने के लिए पवित्र कुम्बों की पुष्कियां जाला। इस इत्य न कई स्तर हैं जिनमें प्रत्येक में अपने विशिष्ट मन्त्र हैं। सभी मन्त्र छोटे छोटे मन्त्रात्मक सूत्र हैं जो तं स में पाये जाते हैं (१।१।२)। उन्हें हम स्वाभामात्र के कारण यहाँ नहीं ले रहे हैं। कतिपय स्तर निम्न हैं—अर्धवृत्त हौंसिया या बोरे वा बेल की काठी की एक हड्डी सेता है जो मार्हपथ के उत्तर रखी रखी है और मन्त्रोच्चारण करता है। साथ साथ वह मार्हपथ की स्तुति करता है। हौंसिया (हड्डी नहीं) मार्हपथ में बर्ण कर की जाती है। तब वह बिहार (यज्ञ-स्पर्श) के उत्तर या पूर्व कुछ दूर जाता है और कुछ-स्पर्श का अनुनास करता है एक बर्ण-गुच्छक स्पर्श को छोड़कर आचम्यकता के अनुसार अन्य स्पर्शों पर विज्ञान बना देता है। इसे पशुजी के लिए छोड़ रहा हूँ और "इसे देवों के लिए बाट रहा हूँ" कहकर वह अपने बायें हाथ की अँगुलियों में कुश को बजाकर मन्त्रों के साथ हौंसिया से बाट लेता है। इन प्रथम मूठों में कुम्बों को प्रस्तार कहा जाता है। इसके उपरान्त वह विषम सख्या में कई मूठियों में कुश कीट लेता है (३।५।७ ११)। प्रत्येक मूठों के साथ पूर्ववत् इत्य किये जाते हैं और अर्धवृत्त कहता है—"हे बहिर् देवता तुम तीर्थों साक्षात् में हीकर चपी। वह अपने हृदय-स्पर्श की शुरु करेता है—"हम भी सङ्गो शाखाओं में बरें। वह अन्नस्पर्श करके एक शून्ध (रस्ती) में मूठों में बर्ण बायें से बाहिने रखता है और उस पर अन्य ३ या ५ कुश-गुलियों की रखता है और रस्ती (शून्ध) से बाँध देता है। पुष्कियों की नीचे उत्तर या पूर्व पृथी पर रखी जाती है। इस प्रकार एव बजा बद्धर बना किया जाता है और उसके ऊपर प्रस्तार रखा जाता है। सारा बद्धर पुनः फसकर बाँध दिया जाता है। अर्धवृत्त सभी मार्ग से गठर यज्ञ-स्पर्श में लाकर देवी पर कुश के ऊपर (कुम्बों पुष्कियों पर नहीं) मध्य परिधि वाले स्पर्श के पास ही उसे रख देता है। वह बहिर् की इस प्रकार रखकर मन्त्रोच्चारण करता है और मार्हपथ के पास एक चटाई या रस्ती के समान किसी अन्य वस्तु पर उसे रख देता है। अर्धवृत्त मूल रूप से बहिर् के साथ अन्य बर्णों की बिल्हे परिचोक्षणीय कहा जाता है भाता है। वह इसी प्रकार शून्ध कुश (रत्नराशि) में भाता है।

इम्यहरण—इस इत्य का तात्पर्य है ईक्षण जाना। पलाय या खदिर की २१ सयिबाओं की आचम्यकता पञ्ची

५. परिचोक्षणीय बर्णों से पुरोहितो, यजमान एवं यजमानत्वर्णों के लिए अन्नक बनाये जाते हैं। वेभिय देवैर्य ब्राह्मण का हौंस-कृत अनुवाक पृ ७९, जिसमें बहिर् परिचोक्षणीय एवं वेध पर त्रिपुष्कियां भी हुई हैं।

है जिसमें १५ समिपेनी मन्त्रों के उच्चारण के साथ अग्नि में डालने के लिए होती है। ३ परिधियाँ होती हैं। २ का प्रयोग दो बाषाणों के लिए तथा अन्तिम अर्घ्यत् २१वीं समिषा अनुयाय के लिए होती है। बर्ष से बनी रस्ती को पृथिवी पर निम्न किया जाता है जिस पर मन्त्र के साथ (आप ११६११ षट् वा ११२ पृ ८९) इष्मो वा देव रत्न किया जाता है। रत्न वा बट्टर बहि के गट्टर के पास ही रत्न किया जाता है। इष्म काटते समय कन्धी के जो भाग बच रहते हैं उन्हें इष्मप्रवण कहा जाता है। बर्ष के एक मुष्ण से बैब वा निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक बछड़े का मुट्ठे के बराबर होता है। बैब से मन्त्र के साथ बेवी का स्वस्त्य स्थापित किया जाता है। यजमान की स्त्री का यह बैब दे दिया जाता है। बैब बनाने से पूर्व के जो भाग बच रहते हैं उन्हें बैब-परिभासन कहा जाता है। इसके उपरांत इष्मप्रवणचन से बैब-परिभासन को एक साथ रत्न किया जाता है। इसके उपरांत वह एक टहनी सेता है उसकी पतियाँ (छुछ को आकर) काट देता है और नोकदार एक काष्ठमुखाक बना लेता है जिस उपवेप की लजा भी गयी है। उपवेप पर मन्त्र का जाता है (आप ११६१७)। पूर्वमासी के यज्ञ में उपवेप का निर्माण मीन रूप से किया जाता है। तब वह उपवेप पर रत्न वर्षभूषण रखता है और उनका मन्त्र के साथ आह्वान करता है। बर्ष के इस रूप का चित्रण कहा जाता है। (वै वा ११७४ आप ११६११ षट् वा ११२ पृ ९२)।

इस उपरांत अथवाहू में पिण्ड-पितृयज्ञ किया जाता है। यह इत्य बर्षोपि म ही होता है म कि पूर्वमासेपि म। बर्ष इस पिण्डपितृयज्ञ का वर्जन करे।

सायणो—यदि यजमान ने बनी सोमयज्ञ कर दिया है तो उसे सायबोहू का सम्प्रादन करना पड़ता है। साय बर्षोपि सम्प्रादन के उपरांत मूहस्व गार्हपत्य क उत्तरवर्ष में देखा देता है। सामास्य पात्रों को (जो सायबोहू म भी मूल होते हैं) दो-दो करके पंढा है और उन्हें बर्ष पर बर्षोमुख करने रख देता है। इस उपरांत वह समान आदि रत्न बर्ष बाने दो बर्षों के दो पवित्र सेता है जो एक बिना लम्बे होते हैं और जिनकी शीफ बड़ी हुई गयी होती और जो नैव बाने या हौमिया द्वारा काटे गये हैं म कि नाकूनी से और जिनकी काटते समय मन्त्रोच्चारण किया गया है (वै

१. वरिषि का तासर्प्य है लकड़ी की वह छड़ी जो बुलाकार हो 'अग्ने पितो भीष्मते तामि वावनि परिमय' (आ वा ११२ का मास्य पृ ८८)। ऐसी लकड़ियाँ (तमिवाप्यै) पत्ताया कासर्प्य अथि उदुम्बर अथि यमिय (यके नाम में आने वाले) बुनो की होती हैं। वे गीली या सूखी हो सकती हैं, जिन्से छिलके के साथ ही प्रमुष्ण देनी हैं। मास्य वाली सबसे मोटी, वसिण वाली सबसे लम्बी तथा उत्तर वाली सबसे पतली एवं छोटी होती हैं। अथि (आप ११५७-१ एवं कात्या २४८११)। परिधियाँ तीन बिसों की या एक बाहु लम्बी होती हैं। तमिवाप्यै दो बिसों की (प्रवेद्य अर्घ्यत् अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की) होती हैं।

७ सामास्य वा साय-बोहू पात्रों की तालिका यों है—अग्निहोत्रहवनीमुष्णामुपवेपं दास्यारवित्रमभिधानी निराने दोहृमप्रवणार्थं वास्यपानं वा पिधानार्थम्। तास्यपात्र ११३ पृ ९३। ये पात्र आठ हैं। इनके तिर्य बैसिए आप (११११५)। अग्निहोत्रहवनी एवं उपवेप में प्रथम यह पात्र है जिससे द्वारा अग्निहोत्र किया जाता है और वह पिण्डय काष्ठ का बना होता है। 'अक्षारप्येवगार्थं काष्ठमुपवेप इति समाख्यायते' अर्घ्यत् उपवेप यह है जिसके द्वारा अथार ह्यो वा बड़ये जाते हैं। उन्का तो आपस्तम्ब की कुम्भी ही है यह मिट्टी का एक बड़ा पात्र होता है। अग्निधानी यह लम्बी है, जिससे गाय वा बछड़ा बाँधा जाता है। दोनों निराल के रस्तिवर्षा हैं जिससे पाय के पीठे के पैर (भुर एवं अर्ध के नाम) बाँधे जाते हैं। दोहृन यह पात्र है जिससे गाय बुड़ी जाती है। दोहृन को हँसे के लिए काष्ठ या पात्र का बचन होता है। दास्यारवित्र उस शाखा से निर्मित होता है जिससे उपवेप बना होता है।

वा १।७।४)। अश्वर्षु उन्हें नीचे से ऊपर की ओर बस से भी देता है। वैमिनि (१।८।३२) का कहना है कि जो पवित्र और विधुविर्वा कटे हुए बहिनो से नहीं बनायी जाती हैं प्रस्तुत परिभोजनीय नामक कुसो से बनायी जाती हैं। अश्वर्षु उष्ण स्वर से उच्चेष्टन करता है—“गाम रस्सिपो एव सभी पात्रो को पवित्र करो। तब वह अग्निहीनहृत्मी के भीतर को पवित्र रख देता है सबसे बस छोड़ता है पवित्रो को पूर्ण विद्या में रखकर बस को पवित्र करता है इसी प्रकार पवित्रो को पुन उनके स्वान पर लाता है और उनके ऊपरी छोरो को तीन बार उत्तर की ओर उठाकर तीस (१।१।५।१) का मन्त्र पढ़ता है। तब वह बस का आह्वान करता है (तै स १।१।५।१ वाच १।१२-१) पात्रो क मूत्रो को ऊपर करता है उन पर तीन बार बस छिन्नकता है और कहता है—“आप देव-पूजा के लिए इस विष्य हृत्मी को पवित्र करें” (तै स १।१।३।१)। वह दोनों पवित्रो को सुपरिचित स्वान पर रख देता है। वह ‘एता आन रन्ति (तै वा १।७।४) नामक मन्त्र के साथ चरामाह से आनेवाली घामो को बाट जोड़ता है। अश्वर्षु मन्त्र के साथ (तै स १।१।७।१) उपवेश और गार्हपत्य से अवार लेकर उत्तर की ओर के जाता है। उखा को उग भगारो पर रख देता है और उसके चाते ओर कीमसे मुझ्या देता है और कहता है—“आप कोम मनुष्यो एव अविश्रयो क तप की मति नर्म हो जाये” (तै स १।१।७।२)। तब वह रूप बहने बाके को आना देता है—“अब बछडा बाय के पास बसा बाय तो मुससे कहना। वह मन्त्र के साथ उखा में पूर्ण की ओर भेज करके शाखापवित्र को रखता है और उसके स्वर्ण करके मीन हो जाता है तथा शाखापवित्र को पकड़े रहता है। रूप बहने वाला अग्निधामो (रस्सी) को अग्नि रास्नाधि (तै स १।१।२।२) के साथ एव ही निवालो (रस्सिपो) को चुपचाप उठाता है और ‘तुम पूजा ही’ कहकर बछडे की पाय से मिला देता है। अश्वर्षु कहता है—“बछडे को विप्रायो दुई गाम और विहार (यज्ञ-स्वाम) के बीच से कोई न भाये-भाये।” सभी कोम आना का पासन करते हैं। अश्वर्षु एक मन्त्र के साथ गाम का आह्वान करता है और बहने वाला बाय के पास बैठ जाता है। बहने वाला भी मन्त्र पढ़ता है। पाय पुहे चाते समय गृह्यन्म मन्त्रपाठ करता है और अब पाय में बुर्य-बारा गिरने लगायी है और वह सुगने लगाता है तो बुरे मन्त्र का पाठ करता है। बहने वाला अश्वर्षु के पास जाता है और अश्वर्षु उसके पूछता है—‘तुमने किये कुछा ?’ बोधना करो यह इन्द्र के किये है वह धर्मित है। बहने वाला गाम का नाम (यथा वना) बताता है और कहता है—‘इसने देवो एव मातवा वे किये रूप पाया जाता है। अश्वर्षु कहता है—‘यह (पाय) सबका जीवन है। तब वह उखा (या कुम्भी) में पवित्र रखता है और उसने पवित्र के द्वारा मा-बोन्वारण के साथ रूप डालता है। इसी प्रकार अश्वर्षु को अन्य घायें डूहाता है। यहाँ गामो के नामो में अन्तर हीया (यथा यमुना मादि) और दूमरी एव तीसरी घायें क्रम से ‘विष्वम्याथा एव विष्वकर्म’ वही जायेगी न कि विष्वाम्। अब तीन घायें डूह ली जाती हैं तो वह उच्चेष्टन करता है—“इन्द्र के किये अधिक रूप दुहो देवो बछडो मातवा के लिए आहुति बडे कुहने के किये पुन तैयार हो जावो। यदि अन्य घायें भी ही (साधारणतः क होती हैं) तो उन्हें भी इसी प्रकार डूहना चाहिये, किन्तु अश्वर्षु कीलता रहता है और कुम्भी नहीं डूहता है। उस रात्रि घर के लोपो को रूप नहीं मिलना क्योंकि सारत-का-सारत रूप साम्राय्य के किये रख लिया जाता है। अब पूरी घायें डूह ली जाती हैं और वह स्वक जहाँ रूप की कुछ बूँट क बयी रहती हैं स्वच्छ कर लिया जाता है तब मन्त्र के साथ अश्वर्षु उस पाय का आह्वान करता है जिसमें कि सामाय बनाया जाता है। रूप के पाय का

८. बछडे के द्वारा पाय डूही जाती है न कि स्तन पर हस्त-चिया से, “अस्ति च बोहार्थ प्रसव साम्यः” (स्त वा १।३ वृ ९६ वर साम्य)। यही वस्तु तै वा (२।१।८) में भी है। मन्त्र (१।१।२।५) के मन्त्र से इत घम में गाय को डूहने वाला घृह भी हो सकता है और ग्नी भी हो सकता है।

पैरों या अक्ष द्वारा बो दिया जाता है और वह एक साप्ताह्य वाले पात्र में छोड़ दिया जाता है। अर्धसूर्य पूर्व गर्म पड़ा है और उद्यम बृह छोड़ता है (अभिप्राय)। अगले से वह गर्म पात्र इस प्रकार कौपता है कि पश्चिमी पर एक रेखा बन जाती है और उद्ये पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर भाग में मन्त्र के साथ रख दिया है। जब पात्र ठण्डा हो जाता है तो उसमें सूखी शक देता है जिससे कि ब्रह्म ब्रह्म जाय और कहता है—“मे सोम (वही) मिलाया है जिससे कि इन्द्र के लिए वही बन जाय (तै सं० १।१।३)।” अग्निहोत्र ही जाने के उपरान्त पात्र में या मूक में जो द्रव्य बचा रहता है वह इनम मिला दिया जाता है। इसके उपरान्त इन्धन वाले पात्र में जल छोड़कर उद्ये गर्म ब्रह्म के ऊपर रख दिया जाता है। यदि इन्धन मिट्टी से बना पात्र ही तो उद्य पर भास या टहनियाँ रख दी जाती है। जब अर्धसूर्य धावापवित्र को बन के साथ (बहि बह पलाया हो) या मौन रूप से (यदि क्षमी का ही) उगता है और सुरसिद्ध स्वक में रहता है। अर्धसूर्य साप्ताह्य को गार्हपत्य के मास में एक गिणय (क्षमि) पर रख देता है और कहता है—हे विष्णु इम आहुति गी रखा करो।

प्रत्येक दिन में अर्धसूर्य दूसरी साप्ता से या बर्से से गायों के बछड़ों को प्रातर्वोह के लिए अक्षय करता है। प्रातर्वोह में ही धामवोह को बहि काम्य होती है। दो-एक मर्नों में कुछ अन्तर पाया जाता है। प्रातर्वोह वाले ब्रह्म में अमान से मिय मान (वही बहि) नहीं मिलाया जाता। स्थानाभाव के कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहे हैं।

सावबोह के उपरान्त अर्धसूर्य आग्नीध्र या क्रिची अन्य पुरोहित या अपने को आबेय देता है—अग्निपों के अर्धसूर्य, पक्षे आहवनीय तब गार्हपत्य और अन्त में बक्षिनाग्नि के अनुबिन् कुश फेला रो” या नम यो ही उकता है कि पक्षे गार्हपत्य तब बक्षिनाग्नि और अन्त में आहवनीय। बक्षिण और उत्तर विभागी में फेलाये यय बर्से ही मीन पूर्व की ओर रहती है। कुछो को फेलाते समय यजमान मन्त्र पढ़ता है।

उपवसथ इत्योपरान्त बहु अमानवत्या को उपवसथ के रूप में ग्रहण करता है। अमानवत्या के दिन बहु अमानवत्या बल (अग्निपों में ईंधन की आहुतियाँ देना) करता है। धावा से बछड़ों को (धायो ध) अक्रा करता है धामवोह (माय पात्र में पात्र कुहना) करता है। बहि एव ईंधन छाता है वेद और वेदी बनाता है और बत करता है। विष्णु बछड़ों को पूषण करने का इत्य एव सायवोह सम्पादन के ही कर समस्त है जिन्हीं सीमयत् कर किन्ना ही। यदि पूषणमास-दृष्टि ही किन्ने में सम्पादित की जाने वाली हो तो पूर्णमासी के दिन नवव अर्धसूर्यपात्र एव अग्निपों के अनुबिन् कुश विद्यान इत्ये सम्पादित होने है दूसरे दिन बहि इधम (ईंधन) साम आते हैं तथा वेद निर्माण एव प्रय इत्ये निये आते हैं। विष्णु बहि इत्ये एक ही दिन में की जाती है तो वेद-निर्माण के उपरान्त कुश विद्याय आते हैं।

पूषण दिन (पूर्णमास के सित्तसिद्ध में इत्येपता के प्रथम दिन) में यजमान भूर्बोध के पूर्व अग्निहोत्र करता है और भूर्बोध के उपरान्त पूर्णमास-दृष्टि आरम्भ करता है (बर्ष इत्ये व निवसिद्ध में सूर्योदय व पूषण ही इत्ये आरम्भ हो

१. वही मिलाये के विषय में कई मत हैं। उपवसथ के एक दिन पूर्व (अर्धसूर्य १४वें दिन) एक ही या दोन भायें ब्रह्म की जाती हैं, उनका ब्रह्म उपवसथ दिन के साथ वाले गर्म ब्रह्म में मिला दिया जाता है। दूसरी बहि यही—प्राय १२वें दिन ब्रह्म की जाती है, यत ब्रह्म को १३वें दिन के ब्रह्म में मिला दिया जाता है और इत प्रकार दो दिनों से प्राय वही को १४वें दिन के ब्रह्म में मिला दिया जाता है। इत प्रकार ब्रह्म कुहना और विद्यामा १२व १३वें एवं १४वें दिन तक या १३वें या १४वें दिन तक चला करता है। वैदिक माय (१।१।३-१४) एवं उद्ये का (१।१।५ १९)। जब ब्रह्मन मिले तो आहव या पलाय की छात के ब्रह्मों का धाम्य या अर्धसूर्य बरत एक या पूर्णमासी (सोम का प्रतिदिनि) बत दिया जाता है जिससे कि ब्रह्म ब्रह्म ही जाय।

जाता है)। वह मन्त्र (तै स १।१।४।१) के साथ अपने दोनों हाथ जोटा है। माह्वपत्याग्नि से माह्वनीयाम्नि तक कुण्डो की नीली को पूर्वाग्निमुख करने तै स के मन्त्र (१।२।४) का उच्चारण करते हुए उन्हें एक रेखा में बिछाता है। वह इस रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में मीन रूप से कुछ बिछा देता है। माह्वनीय के दक्षिण कुशासन बनाये जाते हैं जिन पर ब्रह्मा एवं यजमान बैठते हैं (ब्रह्मा यजमान के पूर्व में बैठता है)। यजमान का आसन बेदी के पूर्व दक्षिण कोने में होता है। माह्वपत्याग्नि के उत्तर कुण्डो की (नीली को पूर्व या उत्तर में करके) बिछा दिया जाता है जिन पर ब्रह्मसे बौकर तथा मुखो को नीचे झुकाकर (सत्य एवं कृपाक आदि) दक्षिण पाशो को बांधे में रख दिया जाता है। इस कृत्य की पात्रासादन कहते हैं। 'पात्रासादन का शास्त्रम् है पाशो को पाश में रखना।

ब्रह्मचरण—अपने आसन पर उत्तराग्निमुख बैठकर यजमान 'ब्रह्मा' नामक पुरोहित को चुनता है जो तै वा के मन्त्र (१।७।९) के साथ पूर्वाग्निमुख उत्तर के पास बैठता है। ब्रह्मा एक लम्बा मन्त्र-पाठ करता है (आप १।१।८।४ तै वा १।७।९)। इसके उपरान्त वह उच्च स्वर से कहता है—'हे बृहस्पति यह की रसा कीबिए' और माह्वनीय के पश्चिम में बेदी की पार करके दक्षिण की ओर जाता हुआ वह अपने आसन के दक्षिण में उत्तराग्निमुख हो खड़ा हो जाता है और अपने आसन के कुण्डो से एक कुछ उठाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा (निर्ध्वंति कुर्मस्य की दिशा) में फेंकता है और कहता है—'अरे ईविपस्य (विनाशित विनवा के पुत्र) इस स्वच्छ से उठ और मुझसे अधिक नाशमय के यहाँ बिराजमान हो' (तै स २।२।४।४) तब ब्रह्म-स्पर्श करने पूर्वाग्निमुख ही वह मन्त्र के साथ बैठ जाता है और फिर मन्त्र के साथ माह्वनीय के घन्मुख हो जाता है (आप १।१।८।४ कात्या २।१।२४)। ब्रह्मा पुरोहित को वैश्विक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए (ब्रह्मिष्ठ आप १।१।८।१) और होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ एवं श्रोत्रिय। ब्रह्मा मन्त्रोच्चारण के समय मीन रहता है और सभी क्रियाओं एक कुण्डो के अर्धोत्तर रूप में बिचमान रहता है। अर्धर्षु उठी से आज्ञा लेकर कृत्य करता है। वर्ष-पूर्वमास में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। यजमान भी माह्वनीय के पश्चिम से दक्षिण जाता हुआ पूर्वाग्निमुख ही अपने आसन पर कुछ दालनर उस पर निराश्रमान हो जाता है। अर्धर्षु भी समान मोटे बसों को जिनकी गोक कटी न हो लेकर एक बिना का आकार देता है और बिना गार्जुन का प्रयोग किये उनकी बड़े काट देता है।

गाह्वपत्य अग्नि के पश्चिम (या उत्तर) बैठकर अर्धर्षु यमस (यम्माच) चारण करता है जिससे 'यस के लिए तुमको (आप १।१।७।१) के साथ बल मरा जाता है वह उसे तीन बार बल से होता है—एक बार मन्त्र से और दो बार मीन रूप से। मन्त्र यह है—'तू पीशो से बना है तुझे बेदी के लिए स्वच्छ दिया जाता है तू बेदी के लिए यमस, तू बेदी के लिए पवित्र हो जा' (आप १।१।९।१)। अर्धर्षु यमस में दो पवित्र रहता है और उसमें बल मरता है और मन्त्रोच्चारण करता है (आप १।१।९।१)। उठी समय वह पृथिवी का स्पर्श करता है। तब वह एक पात्र मरता है जिनमें उसके मूल को कुछ छाती रहता है और उत्पवन की विधि से बल को पवित्र करता है। इसके उपरान्त वह बेदी का आह्वान करता है (तैत्तिरीय संहिता १।१।५।१)। अर्धर्षु को ब्रह्मा पुरोहित से आशेष देना पड़ता है "ब्रह्मन् क्या मैं बल को जाने के चर्खू और आशेषित कर्क कि हे याज्ञिक मीन हो जाओ? तब ब्रह्मा पुरोहित मन्त्र का उच्चारण करता है और अर्धर्षु भी आशेष देता है। अर्धर्षु आशेषित ही मन्त्र पढ़ता है और बल लेकर जाये बचता है। बल के

१ आनस्तम्ब (१।१।१।९) के अनुसार उत्पवन विधि यह है—उत्पवनमुच्यते प्राय्या पवित्राम्यामूर्ध्वपवनं शोचनवपाम्। धातिका हस्तद्वयेन पवित्रे पृथ्वीचोत्पुनन्ति तन्मूलमन्वोऽवध्यम्।

मते स्वयं यज्ञ करेवाला मन्त्रोच्चारण करता है।^{११} इससे उपरान्त अथर्व्यु आहवनीय अग्नि के उत्तर दक्षिण दिशा पर अथर्व्यु पात्र रखता है और मन्त्रोच्चारण करता है^{१२} और कुण्डो से पात्र को ढक देता है। इन इत्यों की प्रतीताम्बयन की उपाधी मयी है। आहवनीय अग्नि के निष्कृत जल रखते समय याज्ञिक भाष्य का मन्त्र पढ़ा है और अथर्व्यु यज्ञ-सूत्र पर कृत्रियन करता है। आहवनीय अग्नि एक प्रतीता-जल के मन्त्र से कोई जा जा नहीं सकता (कात्यायन १।१।४)। प्रतीता-जल का मुख्य उपयोग है पीछे हुए बन्धो (आटे) की पुरोडास के लिए विनत करना अथर्व्यु अपने बाण मना जाता है जिससे पुरोडास बनाया जाता है जो अन्त में बेदी में ढासा जाता है (मैमिनि १।१।४-१५)।

इसके उपरान्त निर्वाण कृत्य किया जाता है। निर्वाण का तात्पर्य है एक मुट्ठी अन्न निकालना या अन्य यज्ञिय (यज्ञ-सम्बन्धी) सामग्रियों का एक भाग निकालना? 'अथर्व्यु अपन हाथ में अग्निहोत्रहृत्वी ग्रहण करता है उन बाण हाथ में रखकर बायें हाथ में अर्घ्य (सूप) ग्रहण करता है। इससे उपरान्त वह बर्षी (अग्निहोत्रहृत्वी) को माहयस्य अग्नि पर स्पर्श करता है और कहता है— 'राक्षस मस्म हो गये मनु मस्म हो गये।' तब वह जल का स्पर्श करता है।^{१३} इनके उपरान्त अथर्व्यु याज्ञिक से पूछता है— 'हे याज्ञिक क्या मैं यज्ञिय सामग्री निकालूँ?' याज्ञिक स आज्ञा प्राप्त कर कह करता है— 'मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अथर्व्यु आहवनीय या गार्हपत्य अग्नि के पश्चिम में लड़के मण्डप या लकी की पेटी के पास जाता है जिनमें कटाइयो से ढका बाणध या भी रखा रहता है। वहाँ वह मणि-भाँटि व इत्यय करता है किन्तु इन स्थानामात्र के कारण यहाँ उखल नहीं कर रहे हैं। विभिन्न इत्यों के उपरान्त अथर्व्यु अन्न निकालता है। इस प्रकार अथर्व्यु के समे रहने समय या निर्वाण करते समय याज्ञिक मन्त्र पढ़ता है— 'मैं यहाँ अग्नि होला यज्ञा निष्कृत बेदी की मुकुटा हूँ प्रसन्नकरन देव यहाँ आर्यो और मेरी माहृतियाँ ग्रहण करें।' अथर्व्यु केवल चार मुट्ठी अन्न ग्रहण करता है और पुनः उन पर अथर्व्यु चार मट्टियों वाले अन्न पर कुण्ड और अन्न ढाक देता है। यदि माही न हो तो अथर्व्यु के बड़े या पात्र में रखा जा सकता है जैसा कि आचनिक कास में होता भी है। यही इत्यय अन्न बेदी के लिए बगाने जाने वाले पुरोडास के लिए भी किया जाता है। अन्न को स्पर्श करने उस पीमने आदि के नियम में एक लम्बी विधि भी मयी है जिसे हम यहाँ स्नानसंज्ञक से मही दे पा रहे हैं। अन्न के आटे से पुरोडास निर्मित किया जाता है और उसे विधिपूर्वक पचाया जाता है।

आहवनीय के पश्चिम बर्षी का निर्वाण किया जाता है। बेदी की लम्बाई याज्ञिक की लम्बाई के बराबर या आधी के अनुसार होती है और उसकी गोलकार आइति टेडी-मडी होती है। अथर्व्यु एक यज्ञमान (याज्ञिक) बेदी के स्नान के निरीक्षण सम्पन्न, निर्वाण समाप्त आदि के इत्यों में विभिन्न प्रकार के मन्त्र उच्चारण करना है जिनका पान यहाँ नहीं किया जा रहा है।

११ मन्त्र यह है— 'सुवच कच काल कर्क च पात्रव च्च चर्त च सूच सुवच सुचर्चकालः सुचैयमा विराजो का इर विच सुचन ध्यानशुस्ता भो बेदीस्तरता संविधानः स्वस्ति यज्ञ मयन प्रजापतेः (आय ४।४।४)।

१२ कुण्डो।

१३ 'देवतावीत्येन सुपचरुत्वं निर्वाणः' (आय १।१।४ की टीका)।

१४ अन्न राक्षसों के लिए किसी मन्त्र का उच्चारण किया जाना है तो अन्य इत्यय करने के पूर्व अन्न का स्पर्श कर लिया जाता है। देखिए— 'राक्षसमाहुरमाहिरवणिक मन्त्रकल्पा पितृशान्तात्मान आतम्योचस्वरीः। अथर्वस्य १।१।४।

इसके उपरान्त बहू उपभृत् एव धृवा नामक तीन बधियों तथा ब्रुव का आह्वान किया जाता है। उन्हें स्वर्ण किया जाता है और तत्सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के इत्य मन्त्रों के उच्चारण के साथ सम्पादित होते हैं।

पत्नीसम्पन्न—यह इत्य मन्त्रमान की पत्नी को मेसला पहनाने से सम्बन्धित है। आग्नीध्र महोदय वेद की टहनी आग्नेयस्वामी योजनी तथा दो वर्माङ्कुर ग्रहण करते हैं। गार्हपत्य अग्नि के बक्षिण-वक्षिण मन्त्रमान की पत्नी पशों के बस पर बैठी रहती है जबकि उसके बूटने उठे रहते हैं या खड़ी रहती है और उस आग्नीध्र या अश्वर्षु मेसला पहनाता है। यह मेसला मूत्र (यौनत्र) की होती है। बाजकक पत्नी मेसला स्वयं बारण कर लेती है। आग्नीध्र या अश्वर्षु मेसला को बस्त्र के ऊपर से नहीं प्रस्तुत भीतर से पहनाता है (आपस्तम्ब २।५।५ म विष्णु मी पर्या जाता है, अर्थात् मेसला बस्त्र के ऊपर भी बारण की जा सकती है)। पत्नी खड़ी होकर गार्हपत्य अग्नि की स्तुति करती है और कहती है—
“हे अग्नि तु बहू का स्वामी है मुझे अपने निकट बुला के। इसी प्रकार गार्हपत्य के पश्चिम बहू वेसलाओं की पत्नियों की स्तुति करती है और बक्षिण-वक्षिण विद्या से पुनः स्तुति करती है तथा अपने सन्तानों एव सन्ततियों के क्लिय अग्नि से बारणान माँगती है। आग्नीध्र बस्त्र से बके हुए बूटपूत्र बड़े का मुख ढोछता है और इत्य के क्लिय बितना चाहिए उससे कुछ अधिक बूट निजासता है और उसे बक्षिण अग्नि पर मर्म करता है। इसके उपरान्त बहू पशों के समूह से आग्नेयस्वामी (जिसमें बूट रखा जाता है) निकालता है और उसमें दो पशियों को रखकर पर्याप्त मात्रा में बूट भर देता है। इस इत्य को भूत-निर्वाण मी कहा जाता है। आग्नीध्र उस बूट को विभिन्न विधियों से गार्हपत्य के जकटे भगारो पर मर्म करता है। इसी प्रकार उस बूट को पुनीत वगाने के क्लिय अनेक विधियाँ हैं, जिन्हें स्वात्मानाम से वहाँ बणित नहीं किया जा रहा है।

बहिरास्तरण—इस इत्य का तात्पर्य है बेबी पर कुस विधाना। अश्वर्षु बहि के घटकर की गँठ खोलकर प्रस्तर-बूच्छ को लीजता है और उस पर दो पशिन रखता है तथा उसे बह्या को दे देता है और बह्या उसे मन्त्रमान को देता है। उसके उपरान्त अश्वर्षु बेबी पर बर्म विछाटा है और उस पर बहि बाँधने वाली रस्ती रख देता है। बहि रखते समय मन्त्रमान उसकी स्तुति करता है। इसी प्रकार अनेक इत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन आबस्यक नहीं है।

इसके उपरान्त अश्वर्षु होता के क्लिय आसन बनाता है और वह आहुवर्गीय के उत्तर-पूर्व में बैठता है। होता के बैठने का ङग भी निराका होता है। वह अनेक प्रकार की स्तुतियाँ करके आसन ग्रहण करता है और अपने को पशिन करता है। मन्त्रमान दस-द्वीण मन्त्रों का उच्चारण करता है (तैत्तिरीयारण्यक ३।१)।

इसके उपरान्त सामिनेनी मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। दश-पूर्वमास में पत्रह सामिनेनी मन्त्र बड़े जाते हैं जिनका बारण आश्वेद की ३।२७।१ तस्य च आचा से है अर्थात् इस आचा के “अ को बाजा” में प्रत्येक की तथा अन्तिम (आ बूहोण आश्वेद ५।२।८।६) को तीन बार कहा जाता है। एव ही स्वर से सब पशों को उच्चारित किया जाता है अर्थात् वहाँ उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित नामक स्वरोच्चारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उच्चारण की इन विधि को एकमुत्ति सत्ता भी पयी है। प्रत्येक पश के अन्त में ‘ओम्’ कहा जाता है। होता के ‘ओम्’ बहने पर अश्वर्षु आहुवर्गीय में एव समिधा बाल देता है। उस स्थिति में मन्त्रमान अन्त्य इव म मर्म का उच्चारण करता है। ऐसा वह प्रत्येक समिधा प्रणोपन के साथ करता है। इस प्रकार ग्याहू समिधा बाली जाती है। एव की खोजकर, जो अनुयायी

१५. आग्नेयस्वामी बहू पात्र है जिससे दो पशियों को रखकर पल रखा जाता है। यौनत्र मूत्र की तीन छाताओं वाली रस्ती है जिससे मन्त्रमान को पत्नी की बटि में मेसला (बटपत्नी) बाँधी जाती है। बली मेसला पत्र से के उपरान्त ही पत्र में सम्बन्धित हो सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।३)।

के लिए रखी है, अथ्य देव को अन्तिम पद कहे जाने के पूर्व अग्नि में छोड़ दिया जाता है। भास्वसायन (१।१।८-२२) देव नामिर्भूमिषो के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है।

इसके उपरान्त होता प्रवर ऋषियों का आह्वान करता है। इसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है जिससे प्र-अथ्य देवों की बुलावे गया अग्नि सोम अग्नि प्रजापति अग्नीषोम, भूत पीने वाले देवों को।

इस प्रकार देवताओं का आह्वान करने होता बृहती के बस बँट जाता है (अब तक के सारे इत्य बहुत लम्बा होकर गया है) देवी से कुछ उत्तर की ओर हटा देता है और देवी का एक बिल्ला स्वयं माप सेता है तथा स्तुति करता है (भास्वसायन १।१।२२)। यजमान की स्तुति करता है (काठक संहिता ४।१४)। यजमान अथ्य विधि में साब गृहणीय में भूत आह्वान है। इस इत्य को आचार की सजा मिथी है। आचार की विधि भी लक्ष्मी चौकी है जिस स्नातामास से नहीं उबरत नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार होसुरता एक प्रयागो की क्रियाएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि उनका विषय गृह्यत्र श्लो ११६ और उनके करके ही समझाया जा सकता है। भास्वसायन का इत्य भी विस्तारभय से छोड़ दिया जा रहा है।

उपर्युक्त इत्या के उपरान्त प्रमुक्त यज्ञ का मारम्भ होता है। अथ्यर्षु होता से स्तुति करने को कहता है और वह अथ्ये ८।१९ से मारम्भ करता है। अथ्यर्षु पुरोडास का अथ अग्नि से आह्वान है। इसकी विधि भी विस्तार से मरी है जिसका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। इस प्रकार अग्नि प्रजापति या विष्णु को आह्वानों की जाती है। इस पुरोडास अग्नि एव सोम को दिया जाता है। अथ्य वास विस्तारभय से छोड़ दी जा रही है।

प्रमुक्त आहुतियों के उपरान्त अग्नि रिजच्छद्व्य की पूजा की जाती है और उसे भूत हवि आदि की आहुतियों की जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मपान^१ से पुरोडास के दक्षिणी अथ का एक भाग काट लिया जाता है। इसी प्रकार अथ्यर्षु अथ से पुरोडास के पूर्वी अथ भाग के एक अथ को काट लेता है। इसी प्रकार पुरोडास के दक्षिणी अथ पूर्वी भाग के बीच से कुछ अथ काटा जाता है। इसी अथ से अन्त में उत्तरी भाग का अथ भी ले लिया जाता है। अथ्यर्षु इस प्रकार इन अथों पर नाम छिड़ककर देवी के पूर्व में रख देता है। इसके उपरान्त कई एक इत्य विधे आते हैं जिन्हें हम यहाँ उबर नहीं करते।

भास्वसायन (१।७।७) में दशोत्सृजाम् (दश के आह्वान) का विस्तार के साथ वर्णन है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इस प्रकार की स्तुति एव आह्वान से दश देवता यजमान के पक्ष में ही आता है।

दश के आह्वान के उपरान्त अथ्यर्षु आह्वणीयानि के पूर्व से प्रवक्षिषा करता हुआ प्राथिन ब्रह्मा को देता है। भास्वसायन (१।१।१२) में ब्रह्मा के इत्य का वर्णन विस्तार से किया है। होता अवात्तेदेवा आत्ता है और ब्रह्मा प्राथिन जाता है बीषी मन्त्रोत्पारस करते हैं (भास्वसायन १।७।८ एव आपस्तम्ब ३।२।१०-११ एव उदितेय काश्याय ३।२।५)। इसी प्रकार सभी पुरोहित अथ्यर्षु आह्वणीय ब्रह्मा होता एव यजमान दश आह्वं है तथा मन्त्र लभे है। अब तक के मार्जन कर नहीं केते मीन चारन करते हैं।

दक्षिणानि च पर्याप्त मासा ये वाचस यजामा जाता है। इन अथ्यार्ह्य की सजा भी गर्वी है। यजमान आरौ पुर्वेदो को अथ्यार्ह्य आने के लिए प्रार्थना करता है। इससे उपरान्त यजमान उत्तरहोत्सु का पत्र करता है। मन्त्र

१६ 'दश' एक देवता का नाम है, जिन्को बीच तक से एक इत्य तथा अन्तिम सामर्थियों से भी इत्या उत्पन्न करा गया है। दश नाम अन्त्य (बीचल) की लक्ष्मी से मिलित होता है। यह नाम चार अंगुल चौड़ा तथा यजमान के बीच के अंतरांतर लम्बा होता है इसकी लम्बाय (भूत) चार अंगुल लक्ष्मी होती है।

होना-वर्ष में अश्विर्गु, होता ब्रह्मा आशीर्वा प्ररुता प्रतिहर्षा जादि जाते हैं। प्रत्येक वर्ष में मन्वन्त एवाय का मन्व पञ्चा है। अनुयाय तीन प्रकार के होते हैं जिनमें प्रथम में 'बिवात् मन्' तथा अन्य दो में 'वेबत् मन्' कहा जाता है।^{१०}

इसके उपरान्त कई अन्य कृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है। हीता पत्नी की मेखसा (योग्य) कोल देता है और मन्व पञ्चा है (बृहस्पे १।८५।२४)। पत्नी योग्य को अलग कर देती है और अश्विर्गु उससे मन्वोन्धारण कराता है (तैत्तिरीय संहिता १।१।१।२)। अन्य अन्तिम कृत्य स्वामानाव से यहाँ छिचे गयी जा रहे हैं।

बर्षेष्टि की बिधि में पूर्वमासेष्टि की अपेक्षा अधिक सतमताम्तर पाये जाते हैं। बर्षपूर्वमास के कई परिष्कृत रूप हैं यथा बातायन यज्ञ बंभुन धाकम्प्रस्वीम आदि जिन्हें हम स्वानघकोष के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। वैमिनि (२।३।५।११) के कथनानुसार बाभामय धाकम्प्रस्वीम एव सक्रम यज्ञ बर्षपूर्वमास के ही परिष्कृत रूप हैं।

पिण्डपितृयज्ञ

इस कृत्य में पके हुए चावल के पिण्ड मिठरी की दिये जाते हैं अथ इसे पिण्डपितृयज्ञ की छत्रा बी गयी है।^{११} वैमिनि (४।४।१९।२१) के अनुसार पिण्डपितृयज्ञ एक स्वतन्त्र कृत्य है न कि बर्षेष्टि के अन्तर्गत मन्वा उत्पन्न अथ। किन्तु कतिपय लेखकों के अनुसार यह बर्ष नामक यज्ञ का एक मन्व है (कात्यायन ४।१)। इस यज्ञ के विस्तार के लिए ये ग्रन्थ अन्वलीकनीय हैं यथा—अथपत्र ब्राह्मण २।४।२ तैत्तिरीय ब्राह्मण १।३।१ २।६।१९ आश्वलायन २।६-७ आपस्तम्ब १।७-१ कात्यायन ४।१।१३ अथ २।७ बीभामय ३।१ ११। यह कृत्य उस दिन किया जाता है जब कि चन्द्र का बर्षण नहीं होता अर्थात् अमावस्या के तीसरे भाग में जब सूर्य की किरणें बूझी के ऊपरी भाग पर पड़ती हैं। स्वामानाव से इस यज्ञ का वर्णन नहीं किया जा रहा है।

इस यज्ञ की वह गृह्यन्व भी कर सकता है जिससे तीन वैदिक अग्नियाँ नहीं स्थापित की हैं। ऐसा गृह्यन्व अमावस्या के दिन गृह्य अग्नि में आहुतियाँ देता है (वेदिए आश्वलायनश्रौतसूत्र २।७।१८ संस्कारकीर्तुम संस्कारमकाव आदि)। नीलम (५।५) का कहना है कि प्रत्येक गृह्यन्व की कम-से-कम एक-तर्पण अवसर करना चाहिए, उसे मन्वा समित मोचन आदि की भी आहुतियाँ देनी चाहिए। मनु ने भी वैदिक पिण्डपितृयज्ञ की बात बसायी है (२।१०६)।

१०. वेदिए आश्वलायन (१।८।७) तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।५।१८) तैत्तिरीय संहिता (१।१।४।१) एवं आपस्तम्ब (४।१२)

११. अनावस्यायां यवहृद्यन्वमसं न चयन्ति तद्यद् पिण्डपितृयज्ञं कुर्वते (आप १।७।१२)। छत्रत में व्याख्या की है—“पिण्डः पितृना यज्ञः ; सत्त्वावाह की बीका से यहुत्वेव नै कृता है—“स्विदीः पिण्डवलेन तद्विः स्विन्मो वेवेन्मो यज्ञो होतः त पिण्डपितृयज्ञः (२।७, पृ २४५)।

चातुर्मास्य (ऋतु-सम्बन्धी यज्ञ)'

वास्तुब्रह्मण (२।१।५।१) के मतानुसार इष्टपयन के अन्तर्गत चातुर्मास्य तुरावय वासायन तथा अन्य इष्टियाँ आ जाती हैं। चातुर्मास्य तीन हैं यथा—वैश्वदेव बरुणप्रवासा एव साकमेव; किन्तु कुछ वेदका ने मुनाशीरीय मान्य एक हीका चातुर्मास्य भी सम्मिलित कर दिया है। इनमें प्रत्येक चातुर्मास्य को पर्व (अंग या सभि) कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक प्रति चौथे मास के अन्त में किया जाता है अथ हर्षे चातुर्मास्य सञ्जा मिली है। यज्ञ से फलस्फुन या पर्व आपन्न तथा कार्तिक की पूर्वमासी की वा पूर्वमासी के पौषमें दिन या साकमेव के हो या तीन दिन पूर्व चिये जाते हैं। इनसे तीन ऋतुओं यथा बसन्त वर्षा एव हेमन्त के आगमन का निर्णय निम्नता है। मुनाशीरीय के लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। वह साकमेव के उपरान्त या इसके दो तीन या चार दिनों या एक या चार मासों के उपरान्त सम्पादित किया जा सकता है (देखिए वास्यायन ५।१।१।१-२ और इसकी टीका)। यदि वैश्वदेव पर्व पौष की पूर्वमासी को सम्पादित है तो बरुणप्रवासा एव साकमेव क्रम से भाद्रपद एव मार्गशीर्ष की पूर्णमासी के अक्षर पर होने हैं।

यज्ञवेद

वास्तुब्रह्मण के मत से फलस्फुन की पूर्णिमा के एक दिन पूर्व चातुर्मास्य के निमित्त वैश्वानर (अग्नि) एक पर्वन्त्य के लिए एक इष्टि करनी चाहिए। वास्यायन (५।१।२) ने यहाँ ब्रह्मण किया है कि उक्त दिन अग्नि यह इष्टि करे वा ब्रह्मणशीया इष्टि करे। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल वैश्वदेव किया जाता है और तब पूर्णमास इष्टि की जाती है। वास्यायन (५।१) की टीका के मत से वैश्वदेव-इष्टि पूर्णिमा के एक दिन उपरान्त प्रातःकाल की जाती है और तभी फलस्फुन की पूर्णमास-इष्टि की तिथि उचित मानी जाती है। चातुर्मास्यो के सभी पर्वों में यज्ञमान के लिए कुछ इत या इत करना आवश्यक होता है यथा चिर-मुष्णन या बाबी बनवाना पूर्विकी पर सीना मनु-सेवन मकरमा मान मकर विपुन घटीरालकरण आदि से कर रहना आदि। मूँछ एव बाबी बनवाने के विषय में ब्रह्मण्य भी पाया जाता है यथा— वागी अग्नि प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन या चारों ओरों पर ऐसा कर सकता है। सभी चातुर्मास्यो में पौष इत्य वास्तव माने गये हैं यथा अग्नि के लिए आठ बटवाक्यों (बपाकों) का एक पुरोडाश (रीटी) सीम के लिए पकावा इत वाक्य अर्वात् पात सविता (ज्यायु) के लिए बारह या आठ बपाकों वाक्य एक पुरोडाश सरस्वती के लिए पकवा पूषा के लिए वाक्य के आठ का अथ। चातुर्मास्यो के सम्प्राप्त से यज्ञमान की स्वर्ग मिलता है। ये यज्ञ योजन कर वा सेवक एक वर्ष के लिए चिये जा सकते हैं।

वैश्वानर एक पर्वन्त्य की आरम्भिक इष्टि म वैश्वानर के लिए बारह बपाकों वाली रीटी तथा पर्वन्त्य के लिए

१ देखिए तैत्तिरीय संहिता १।५।२-७, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।१-१ एवं १।५।५-६, शतपथ ब्राह्मण १।५।१-१ एवं १।५।२, आपस्तम्ब ८, वास्यायन ५, आश्वलायन २।१।२-२, बौधायन ५।

बन्ध बनाया जाता है। दोनों के लिए अनुवाक्या पर भी होते हैं (आश्वलायन २।१५।२ एवं ऋग्वेद ७।१ २।१)। याज्या पर भी पाबं जाते हैं (ऋग्वेद १।१८।२ एवं ५।८३।४)। वैश्वदेव पर्व म ही (समी वानुमांस्यो मे पाबं भाहुतिर्वा सत्मान्य रूप से ही जाती हैं) तीन अल्प भाहुतिर्वा हैं यथा—मस्त स्वन्वो या मस्वी के लिए एक पुरोडाश (सप्त नपासो वाक्ता) समी देवो (बिरसे देवो) के लिए एक पमस्या (या अग्निता) तथा वाबापुषिषी के लिए एक नपास नामी रोगी।^१

आश्वलायन (५।१।२१ २४) के मत में वैश्वदेव पर्व ऐसे स्थल पर करता चाहिए जो पूर्व की ओर मुखा हुआ हो। यजमान और पत्नी मवा वस्त्र धारण करते हैं जिसे वे दोनों पुन वस्त्रप्रपास पर्व म धारण करते हैं। मत्तपत्र ब्राह्मण (२।५।१) क आधार पर आश्वलायन (५।१।२५ २६) का मत है कि बहि (बहु पवित्र वर्म जिसे यज-स्वल्प पर विद्याया जाता है) तीन गद्दियों म अन्न अल्प नाम की रस्सी मे बाँधा जाता है। वे तीनों मद्दियों पुन एक बड़ी रस्सी से बाँधी जाती हैं। इनसे बीच मे (अग्निम रस्सी के भीतर) फूले हुए गुप्ता का एक गद्दर रख दिया जाता है जो मस्तक के रूप म प्रयुक्त होता है। यज-स्वल्प पर यजमान की रस्त्रधारणियों से अग्नि उत्पन्न की जाती है। अश्वर्षु क कहते पर होता अरविषी की रगड़ते समय वैदिक मन्त्री (ऋग्वेद १।२७।३ १।२२।१३ १।१६।१३ १५) का उच्चारण तब तक करता है जब तक बहु अश्वर्षु मे वृषरा आदेश (सग्रीव) नहीं पा मेलता। यदि अग्नि उत्पन्न उत्पन्न ही तो होता मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १ ११।८) करता जाता है और यह क्रिया (अरविषी के रगड़ने एवं मन्त्रोच्चारण की क्रिया) अग्नि प्रज्वलित होने तक होती रहती है। जब अश्वर्षु कहता है— अग्नि उत्पन्न हो पनी तो होता ऋग्वेद (१।१६ १५) का मन्त्र उच्चारित करता है। इसके उपरान्त होता अन्य मन्त्र पढ़ता है यथा ऋग्वेद १।७।७३ एवं १।१६।४ का अर्च माय तथा १।१६।४१ ४२ १।२।१६ ८।४३।१४ 'तमनेयन्त सुकमुम्' एवं ऋग्वेद १ १६ १६ का परिचालीया पद्य (अग्निम मन्त्र)। वैश्वदेव पर्व मे ती प्रयाज एवं ती अनुयाज होते हैं किन्तु चर्तपूर्वमास म केवल पाँच प्रयाज तथा तीन अनुयाज होते हैं। सविता की आहुतियों के लिए ऋग्वेद के ५।८।२।७ एवं ६।७।१६ मन्त्र अनुवाक्या एवं याज्या हैं। अनुयाजो य सुस्तवाक या वसुवाक के उपरान्त वाजिन नामक देवी के लिए वाजिन की आहुति की जाती है। वाजिन का सेवाद्य एक पात्र म लकी प्रकार लाया जाता है जैसा कि इडा का (अर्थात् बहु अश्वर्षु द्वारा होता के बूड़े हाथी मे रखा जाता है होता उसे बाँधे हाथ मे रखकर बाँधे हाथ मे अश्वर्षु द्वारा छिड़का हुआ वृत् धारण करता है और तब वाजिन के दो अक्ष रखे जाते हैं और पुन उन पर कुछ वृत् छिड़का जाता है) रखा जाता है। इसके उपरान्त पात्र मूत्र या नाक तक ऊपर उठाया जाता है। होता अन्य पुरोहितो से वाजिन लाने की कहता है। होता अश्वर्षु, इडा एवं आग्नीम केवल खींचकर वाजिन को अपनाते है। किन्तु यजमान वाजिन की वास्तविक रूप मे खाता है। आश्वलायन (५।२। १ एवं १२) के मत से अश्वर्षु समिष्ट-यजु नामक तीन आहुतियाँ वात बज एवं मजपति के लिए देता है। मत्तपत्र ब्राह्मण (२।५।१।२१) इस रूप मे धान के लिए ऋगु मे प्रथम उत्पन्न बछ्छे का निर्देश करता है। आश्वलायन का कहना है कि तीनों वानुमांस्यो की समाप्ति पर यजमान अपने केश बनवा सकता है किन्तु घृताशीपीय नामक वानुमांस्य मे ऐसा नहीं करना चाहिए (२।५।१।२१)।

वस्त्रप्रपास

'वस्त्रप्रपास' शब्द पुस्तक है और सवा बहुवचन मे प्रयुक्त होता है। मत्तपत्र ब्राह्मण (२।५।२।१) ने इसकी

१ मत्तकाल के वृत्त की वर्म करके उत्तमे बड़ा वृत्त मालने से बही करता है, चत्तका कड़ा नाम आग्निता तथा तरक परार्ध वाजिन कह्यता है।

एक शतमिक श्युलपति थी है। यह (जी) मम बचन के लिए है और ये इस इत्य में श्रमि (पद्य-बाना) बाते हैं का इसा यह नाम है। वैदिकवेक के चार मास उपरान्त कर्पाश्रुत में आपाड या थावक की पूर्णमा को यह इत्य दिया जाता है। मबमल को अपने घर के बाहर ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर्यन्त माघा में पीने उगे रहते हैं। आह् कर्षित श्रमि क पूर्व तथा वसिष्ठ की ओर दो बेधियां बनायी जाती हैं। उत्तर वाली बेधी अर्धवृत्त तथा वसिष्ठ वाली उड़ने छाया प्रथिप्रस्थाता (भाप ८।५।५) के रक्षण में होती है। प्रतिप्रस्थाता अर्धवृत्त का अनुसरण करता है। केवळ स्वके बाना पत्नी-समहून (पत्नी को मेखला पहनाना) अग्नि प्रश्रवण तथा अन्य कार्य जी कार्यायन (५।१।३३) में वसिष्ठ है। इन्हें अर्धवृत्त करता है। सभी प्रकार के आवेस केवल एक बार कहे जाते हैं और यह सब केवल अर्धवृत्त ही करता है। किन्तु बेमिनि (१२।१।१८) के मत से भाग्य सेने के मन्त्र तथा प्रोक्षण आदि के मन्त्र दोनों के श्राप अन्व-अन्व कहे जाते हैं। दोनों बेधियां दो तीन या चार जमुक की डूरी पर रहती हैं। उत्तर अन्व राह होता है। प्रतिप्रस्थाता दोनों बेधियों के बीच में बिचरण करता है। एक दिन पूर्व अर्धवृत्त पिउले दिन वह करम्म कर्ण कर्णोत्तर रहता है। करम्म का अर्थ है मूने हुए जी जिनके छिस्के साफ किया हुए होत हैं और जो पीमकर धी में निमित्त कर दिये जाते हैं (कार्या ५।३।२)। आपस्तम्ब (८।५।३) के मत से पत्नी ही करम्मपात्र बनती है। वे पात्र मन्त्राणी की सन्धा से एक अधिक होत हैं (पुत्र कुमारी पुत्रियां पीत्र एवं कुमारी पीत्रियों में एक अधिक)। आपस्तम्ब (५।३।४-५) एवं आपस्तम्ब (८।५।४१) के अनुसार इस कौटि म अर्धवृत्त में मन्त्रिण्डि की जाती है। कम अन्वगतिल सन्धाने अन्वय सन्मिष्ठि की जाती है। करम्मपात्रों के लिए प्रयोग म काले बाने बाले मूने हुए जी तथा पीम एर जी के सेवास से मेड एवं मेडी की आहुति बनायी जाती है। मेड (गर) का निर्माण अर्धवृत्त तथा मेडी (मेपी) का प्रतिप्रस्थाता करता है। इन आहुतियों को ऊन (एकका अर्धवृत्त जवसी बकरी की छोडकर जिमी मी पनु के ऊन) का उन्क अन्वय म कुप से डक दिया जाता है। सभी शारुयन्त्रियों म जो पाँच आहुतियां की जाती हैं उनके अनिश्चित शारुयन्त्रियों में चार अन्य बेधी को अर्धवृत्त इन्क एवं अग्नि मल्लो बदन एवं क अर्धवृत्त प्रजापति को आहुतियां की जाती है (आश्वलायन २।१०।१४)। मल्लो एवं बचन की पयस्या या बानिष्ठा तथा क (प्रजापति) की एक रोटी दी जाती है। सारी आहुतियां जी की होती हैं। अनवाक्या एवं याग्या आश्वेक के ७।२।१८ २।६ ११ १।८।१।१ ५।८।५ १।२।५।१९ १।२।५।११ ५।३।१।१ एव १।१२।१।१ मन्त्रा के रूप म होती हैं (आश्व २।१०।२५)। शारुयन्त्र अग्नि के ठीक पूर्व में समाग्य तीन प्रथम की डूरी पर उत्तरबेधी निर्मित की जाती है जो पश्चिम म पूर्व की चार चार अरतियों के बराबर लम्बी होती है। इसकी चौड़ाई समग्य तीन अरतियों का बराबर होती है। कर्षित निर्माण की विधि सम्वी है जिस पर स्वाताभाव से प्रकाश नहीं आता या रहा है। प्रातःकाल अर्धवृत्त पर प्रतिप्रस्थाता बेधियों की ओर साहंपरय म अग्नि ले जाते हैं। बेमिनि (७।३।२३ २५) के मत में अग्नि म जाता केवल अर्धवृत्तवासी एवं साकमेधो म डी किया जाता है। आये का विष्णव स्थाताभाव से छोड दिया जा रहा है।

इस इत्य का अन्त विधी तरी म जाकर पुरीहियों यजमान एवं पत्नी का स्नान सं होता है। जिनी जय स्थान में ही स्नान किया की जा सकती है। स्नातोपरांत यजमान तथा पत्नी अपने अन्व किसी पुरीहिन की देवर तर्षान रूप वात्स करने हैं और चार लौठकर यजमान साह्वनीय म एक ममिष्ठा बास रता है।

साकमय

शारुयन्त्रियों के तृतीय पर्व का बीबायन आपस्तम्ब एवं तारयायन ने बडा विस्तार किया है। तीथे ह्य केवल मनुष्य बाते दे रहे हैं। 'साकमय' श्राव का प्रयोग बहुकचक में होता है क्वीचि इयम बहुन-न इत्यो एवं आहुतिया की

बीजना पायी जाती है। 'साकमेध' का अर्थ है 'एक ही साध या मागो एक ही समय प्रण्वसित करना (साकम् एव)। इसका यह नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा है कि इसमें प्रथम आहुति जाठ कपाओ वाली रोटी (पुरोडाघ—परीश—रोट—रोटी) की होती है जो सुबोध के साथ अग्नि अनीकवान् की भी जाती है। वदनप्रवासी के चार माघ उपरान्त कार्तिक या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की यह इत्युच्यतया जाता है। इस में कुल दो दिन लग जाते हैं। पूर्णिमा के एक दिन पूर्व तीन सबनो (माठ मध्याह्न एव साय) में तीन इत्युच्यतया तीन वेधो यथा—अग्नि अनीकवान् सन्तपन मरुओ एव नृहमेधो मरुओ के लिए की जाती है। माठ जाठ कपाओ वाला पुरोडाघ अग्नि अनीकवान् को मध्याह्न काल में चर (पकाने हुए चावल अर्थात् माठ की आहुति) सन्तपन की तथा साय यजमान की सभी पाओ के रूप में पका हुआ चर नृहमेधो मरुओ की दिया जाता है (आप ८।१।८)। अन्तिम चर के विषय में आपस्तम्ब (८।१।८ एव ८।१।८।१) तथा ब्राह्मण (५।१।२९।१) ने लिखा है कि यदि रूप में अधिक चावल पकाया गया हो तो पुरोहित पुन एव पीत्र उसका भरपेट भोजन कर उस रात्रि एक ही कोठरी में सो जाते हैं और इच्छिता एव मूल की चर्चा नहीं करते। दूसरे दिन माठ काल पानी में पके हुए चावलको से अग्निहोत्र किया जाता है। साकमेध के प्रमुख दिन यजमान पिछले दिन नृहमेधो मरुओ के लिए पकाये गये माठ की पाओ की सहा से एक बर्षी (करकूल) माठ निकालकर अग्निहोत्र के पूर्व या उपरान्त होम करता है। होम के समय मन्त्रपाठ भी होता है (वाजसनेयी संहिता ३।४९, तैत्तिरीय संहिता १।८।४।१)। इसके उपरान्त अम्बर्षु यजमान से एक बैल काने को बहता है और उसे गर्जन करने को उद्येकित करता है। बैल ने तितार करने पर बर्षी या माठ मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ३।५, तैत्तिरीय संहिता १।८।४।१) के साथ अग्नि में डाला जाता है। यदि बैल में बोल सके तो पुरोहित के कहने पर होम कर दिया जाता है। आपस्तम्ब (२।१।८।११-१२) के मत से बैल के म बोलने पर चर-जर्जन पर या आग्नीध्र (एक पुरोहित) के गर्जन करने पर (आग्नीध्र को ब्रह्मपुत्र अर्थात् ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है) होम कर दिया जाता है। बैल को दान रूप में अम्बर्षु ग्रहण करता है। इसके उपरान्त साठ कपाओ पर पका हुआ एक पुरोडाघ बीबी सबनो के लिए तथा एक चर अदिति के लिए आहुति के रूप में दिया जाता है। इस इत्युच्यतया उपरान्त महाहवि की बारी जाती है जिसमें माठ वेधो की जाठ आहुतियाँ भी जाती हैं जिनमें पाँच आहुतियाँ तो सभी ब्राह्मणों को वाली होती हैं। छठी १२ कपाओ वाले पुरोडाघ की इन्द्र एव अग्नि के लिए, मातृश्री महेन्द्र (माघव २।१।८।१८) के मत से इन्द्र या बृहहा इन्द्र या महेन्द्र के लिए चर के रूप में तथा आठवीं आहुति एव कपाल धामे पुरोडाघ के रूप में विदवर्षा के लिए होती है। आपस्तम्ब के मत से आठवीं आहुति सह सहास्य तः एव तन्मय नामक चारों माठों (मार्गशीर्ष पीर माघ एव फाल्गुन) में नामों को उच्चारित कर भी जाती है। महाहवि की बलिभा है एक बैल (आप के मत में एक माघ)।

महाहवि के उपरान्त तिनूयज्ञ की बारी जाती है जिसे महापिनूयज्ञ कहा जाता है। इन्द्रियाग्नि में बलिच चार कोल वाली (चार दिशाओ में फैरी बुझाओ वाली) वेधी या निर्मास होता है। इस वेधी की लम्बाई एव चौड़ाई यजमान की लम्बाई के बराबर होती है (आप ८।१।३।२)। यजमान इन्द्रियाग्नि से अग्नि काचर हम लयी-वेधी ने मन्त्र में गगना है यहाँ आहवनीयाग्नि में वाली जाने वाली आहुतियाँ वाली जाती हैं। महापिनूयज्ञ में पली कुछ नहीं बरती। छ कपाओ वाली रोटी दग बत व नीमवान् निरयो या तिनूयज्ञ नीम को पागा (भुन हुए औ) इत्युच्यतया विलो की तथा अम्ब

३ अथ बीर्षमात्सा उपचतन्वेन्वेन्नीचरते पुरोडागामप्यारपात्तं निर्वचति साधं पूर्वोच्यते। बी ५।१। आप ८।१।१ एव तै० ब १।८।४।१।

४ यह माघ जितना अपना बट्टा न हो तिनू इतनी माघ के बट्टे ने रूप है उसे 'निवाध्या' माघ कहा जाता

व्यभिचात स्थितो को बिया जाता है। भास्वकायन (२।१९।२१) मे यम देवता को भी सम्मिलित कर लिया है। इस इत्य सम्बन्धी अन्य विस्तार स्वानामात्र से छोड़ दिये जा रहे हैं।

शाम्भवे की अन्तिम क्रिया त्रैयम्बक होम है (वेदिए टी० स १।८।६, शतपथ ब्राह्मण २।६।२।१ १७ यजु २।११।३।४।४ आप ८।१७-१९ बीया ५।१६ १७ कात्या ५।१)। यह होम घर के लिए किया जाता है। विस्तार वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है।

शुनाधीरीय

शुनाधियो की अन्य पाँच जातियों के अतिरिक्त इस इष्टि में विदित जातियाँ हैं—बारह बपाना वाली ऐं (बाप एव भावित्य के लिए तथा आपस्तम्ब के अनुसार इन्द्र शुनाधीर के लिए) धारोष्ण दूध (बापु के लिए) एक बपान वाली रोटी (सूर्य के लिए)। इस इत्य में न तो उत्तरवेदी होती है और न धर्म्य से उत्पन्न अग्नि। पाँच प्रमाणों के अनुसार एक एक समिष्टयक होते हैं। आपस्तम्ब (८।२।१६) के मत से नौ प्रमाण एक अनुपात होते हैं। इतिपा के मत में च बीसों या दो बीसों के साथ एक होता है। कात्यायन (५।११।१२ १४) के मत से एक सफेद बैस तैत्तिरीय इष्टिया (१।८।७) के मत से १२ बीसों के साथ एक एक तथा आपस्तम्ब (८।२।१९) के मत से १२ या ६ बीसों के साथ एक एक होता है।

श्वेद (४।५७।५ एव ८) में शुनाधीरी का उल्लेख है। श्वेद (४।५७।४ एव ८) में मूल शब्द कई बार बना है। इनका अर्थ सन्धेहास्य है। मात्स्य के निरुक्त (९।४) के अनुसार 'शुन' एव 'धीर' का अर्थ है—जम से अनुपूर भावित्य। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (२।६।१।२) में 'शुन' का अर्थ है समृद्धि एव 'धीर' का अर्थ है मार और इस इष्टि को यह सब इसलिये मिस्री है कि इससे यजमान को समृद्धि एक शर की प्राप्ति होती है।

आश्रयण

इस इत्य के विषय में विस्तार के लिए वेदिए शतपथ ब्राह्मण २।४।३ आपस्तम्ब ६।२९।२ भास्वकायन २।९, शतपथ ४।६, बीयायन ३।१२। यह वह इष्टि है जिस सम्प्राप्त किये बिना मन्वीन वाकल की शर्ता (व्यामात्र) एक एक नहीं मन्वी का प्रयोग जाहिरातिल नहीं कर सकता था। यह इत्य प्रथिमा या अमावस्या में दिन किया जाता था। वाकल के अनुसार इस इत्य का काक शरर श्नु था। जी बसन्त में पकते हैं अत इनका आश्रयण इत्य एक श्नु में किया जाता था। भास्वकायन में विकल्प दिया है कि एक बार शरर में आश्रयण कर छने पर सब के लिए शरता सम्प्रादन पुन नहीं भी किया जा सकता है। व्यामात्र (शर्ता) की इष्टि कर्पा श्नु में भी जाती है और इन की चढ़ दिया जाता है। आश्रयण दो शब्दों से बना है 'अश' एव 'अयन'। 'अश' का अर्थ है प्रथम फल एव

है। इस शब्द का दूध जाने श्नु में हुए भी जाने पात्र में रखा जाता है। जैसे दो-एक बार इत के उच्छल से शिला गिरा जाता है। ईक के उच्छल से एक रस्ती बँधी रहती है जिसे पकड़कर दूध शिलाया जाता है। शिलान बलता ईक को दूध से नहीं पकड़ता। यह शिलाना या मथना बाह्यिने से कार्य होता है। इत प्रकार के अन्धन से प्राप्त श्नु को अश कहा जाता है।

५. बरा वर्णस्य श्रुता स्यादवाश्रयणेन यजत। अथि वा किया मवेसु। आश्र २।९।३ एवं ५।

अथ का अर्थ है आना।^१ आपस्तम्ब (१।२१।६) के अनुसार इक्ष्म अग्नि प्रज्वलित करने वाले १७ मन्त्र (सामिमेनी) होते हैं। इस इक्ष्म के वेद हैं इन्द्र एव अग्नि (आप ६।२१।१ एव आस्र २।१।१६ के मंत्र से ऐम्ब्रान्त वा वाग्नेत्र) तथा आहुतियाँ हैं बाण्डू बपासो बाभी रोटी वैश्वदेवी के लिए ब्रूज मा जल से पकाया हुआ चरु एक बपाक बाभी रोटी (बाबापुषिबी के लिए) तथा घीम के लिए चरु (सबि साबाँ के अन्न क विषय में इक्ष्म ही रहा हो तो)। आप्तमन्त्र का सम्बन्ध की अन्य बातें विस्तार मय से छोड़ दी जा रही हैं। बसिना के विषय में कई मत हैं। कात्यायन (४।१।१८) के मत से रेवमी बस्त्र मधुपर्क (मधु दही एव बी) या बर्षा ऋतु में प्रचलित द्वारा पहना गया बस्त्र बिया या सक्ता है। आपस्तम्ब (१।३।१०) के मत से माघ की पूर्णिमा के पूर्व उत्पन्न हुए लकड़ों से प्रथम बछ्वा और इष्टि बाका बस्त्र (साबाँ अन्न के साथ) बिया जा सकता है। ब्रह्मिनि (१।३।१४ ३८, १।२।३४ ३७) के मत से रेवमी बस्त्र बछ्वा तथा दक्षिणाग्नि पर पकाया हुआ चावल बिया जा सकता है। आप्तमन्त्र इक्ष्म अग्नि यज्ञ का ही एक रूप है जो तीनों वैदिक अग्निवो को प्रज्वलित करने वाली के लिए साम्य है।

काम्येष्टि

घीमपूत्रो मे बहुत-सी ऐसी इष्टियों के सम्पादन के नियम पाये जाते हैं जो विधिष्ठ बटनाओ सबसे दो वा नाञ्छित बन्धुओ को प्राप्ति के लिए की जाती हैं। आश्वलायन (२।१०-१४) आपस्तम्ब (१।१।१८ २७) तथा अन्य धीमपूत्रा मे बहुत-सी इष्टियों के नाम दिये हैं यथा आयुष्कामेष्टि (कम्भी आयु की अभिलाषा रखने वाले के लिए) स्वस्त्ययमी (सुरभापूर्ण मात्रा के लिए) पुत्रकामेष्टि (उसके लिए जो पुत्र या बत्तन की अभिलाषा करता है आश्वलायन २।१।१८ ९) लोकेष्टि मृगार्वाजी (आश्वलायन २।१।१४ ४) मा निवृत्तिष्टा (कात्यायन ५।१२, उसने लिए जो सम्पत्ति राज्य मित्रो एव कम्भी आदु की अभिलाषा रखता है। इसमे १ देवो की पूजा की जाती है) क्वाती (समझीते के लिए) कारीरीष्टि (उसके लिए जो बर्षा चाहता है आश्व २।१।१४ १३ आप १।१।२५।१६) सुरायन (आश्व २।१।४ ६) बाभायन (आश्व २।१।७-१)। इन इष्टियों का बर्षान् स्थानान्नाम से यहाँ नहीं लिया जा रहा है।

९. अग्ने अथन जज्ञचं देन कर्मया तदाप्रपन्नम्। प्रवत्तश्रिटीयधोहुरुस्वशीर्षत्वम्यत्पयः। आश्वलायन (२।१।१) की टीका।

७ कानिचतुराण (ध्वजहारमपूज पृ ११४) के मत से पाँच बर्ष वाले या उल्लेख कहे पुत्र को यौव लेने वाला पुत्रेष्टि करता है। कारीरीष्टि से प्रचलित वाले अञ्जल वाले वाले वात्र की पारण करता है (श्रीतरीय तर्हिना, २।४।७-१)। निवृत्तिष्टा के लिए दैतिए अलपन्नमपूज १।१।४। बाभायन के लिए दैतिए अलपन्नमपूज (२।४।४ १।१।१।१३) जिनके अनुसार यह इष्टि बत्तन १५ बर्षों तक की जाती है क्योंकि इसमें प्रति मास दो अन्नाभ्यासों एवं दो पूर्णिमाओं को आहुतियाँ दी जाती हैं।

अध्याय ३२

पशुबन्ध या निरुद्ध पशुबन्ध^१

पशुबन्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ है और सोमयज्ञो में इसका सम्पादन उनका एक अतिशय कम भाग जाता है। निरुद्ध पशुबन्ध को निरुद्ध पशुबन्ध (जो कि निकाले हुए पशु की आहुति) कहा जाता है तथा अन्य यौग पशुबन्धों की सौमिक (वाक्य ३।८।३-४) सजा है। जैसा कि नीमिति (८।१।११) का उद्घोष है निरुद्धपशु सोमयज्ञ में प्रयुक्त पशुबन्ध (वर्णोपयोग पशु) का परिवारजन भाग है किन्तु कतिपय सूत्रों के निरुद्धपशु नामक परिच्छेद में दोनों की बिनि वा पूर्णनिर्वाण हुआ है (वेदिय, कात्यायन ६।१।३२ एक कात्यायन ६।१।३१ की टीका)। सप्तमीयपशु एवं अनुबन्ध पशु के बहिर्लोक सभी पशुयज्ञों का आर्षस रूप (प्रकृति) वास्तव में निरुद्ध पशुबन्ध ही है। आहिताग्नि की बीजन शक्ति का वास उपरान्त या प्रति वर्ष स्वतन्त्र रूप से पशुयज्ञ करना पड़ता था।^२ प्रति वर्ष किये जाने पर वर्षा ऋतु (समय या आशुपर) की अभावस्था या पुषिमा के दिन या प्रति छ मास पर किये जाने पर बहिर्वायन एवं उत्तरान्त का के आरम्भ में यह किया जाता था। तब यह कियी भी बिना सम्पादित हो सकता था और उत्तरक लिए अभावस्था या पुषिमा वा दिन आवश्यक नहीं माना जाता था। आशुवत्सायन (३।१।२१) के मत से पशुबन्ध के पूर्ण वा उपरान्त किये जाने की कोई शक्ति की वा सचयी की और यह या तो अग्नि या अग्नि-विष्णु अथवा अग्नि और अग्नि-विष्णु का ही होती थी। इन यज्ञ में एक छत्र पुरोहित होता था मन्वावतन (या प्रसस्ता)। हम पहले ही बत चुके हैं कि पशुबन्धों में पशु पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। अग्निष्ठीम ऐसे यज्ञ में यज्ञमान को उरुम्बर की छड़ी से उठाती है। अशुक्ल में पुरोहितों के बुताम के उपरान्त जब मन्वावतन यज्ञभूमि में प्रवेश करता है तो अम्बर्षु (कुछ माताओं के अनुसार यज्ञमान) उसे यज्ञमान के मुँह तक लम्बी छड़ी मन्त्र के साथ देता है और मन्वावतन मन्त्र के साथ उस धार करता है। इसके उपरान्त कुछ समय इत्ये होने हैं जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। अम्बर्षु आहवनीय में पुत्र होता है। इस किया को मूपाहुति कहते हैं। इसके उपरान्त अम्बर्षु वनस्पती में किर्मा बर्ई (गधा) के साथ जाता है। बह-पशु या मूष का निर्माण पलाश अथवा बिल्व वा रोहितक नामक मूष के काष्ठ से होता है। विष्णु मन्त्र में अवाकमभ अथवा वा ही मूष निर्मित होता है। मूष इष्ट होता चाहिए, उत्तरा ऊपर भाग गुण नहीं होना चाहिए। यह भीमा लडा हो तथा उसकी टहलियाँ ऊपर की ओर उनी हों। इतना ही नहीं टहलियाँ वा मुखाव

^१ वेदिय धारपत्रवाक्य ३।६।४ ११।१।१; तैत्तिरीय संहिता १।३।५ ११ ६।३४ कात्यायन ६।१।३२
^२ अशु (३।१।२६) में भी अग्नि के आरम्भ में पशुयज्ञ की व्यवस्था कही है। आपस्तम्ब (७।८।२-३) एवं
 अशु (३।१) के पशुबन्ध में प्रयुक्त सामग्रियों एवं यज्ञवाकों का वर्णन किया है।
^३ मूष के निर्माण में विस्तार से आग्ने के लिए वेदिय धारपत्रवाक्य (३।६।४ से लेकर ३।७।१ तक) तथा
 तैत्तिरीय (६।१।३)।

दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अर्धसू द्रव्या यजमान एवं बड़े ब्रह्म के उपरान्त ब्रह्म की मन्त्र (ब्राह्मणेयी संहिता ५।१२२, वैतिलीयसंहिता १।३।५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरान्त मन्त्रोच्चारण के साथ अर्धसू दुग्धहारी लगाता है। बड़े उस ब्रह्म को इस प्रकार काटता है कि सूची में बचा हुआ माय रज के बन्धों को न रोक सके। बटे हुए ब्रह्म को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूर्व उत्तर या उत्तर-पूर्व में गिरना चाहिए। ब्रह्म फिर जाने के उपरान्त मन्त्रोच्चारण होता है।

इस प्रकार बटे हुए सूय की सम्भारि के विषय में बड़े मठ प्रकाशित क्रियं मये हैं (आपस्तम्ब ७।२।११ १७ ब्राह्मण ६।१।२४ २९)। कुछ लोगों के मत से सूय एक अरति से ३३ अरतिली तक ही चकता है। किन्तु ब्राह्मण में साधारणतः तीन या चार अरतियों की सम्भारि की ओर संकेत किया है। सतपथ ब्राह्मण (१।१।३।१) में भी यही कहा है। ब्राह्मण (६।१।३१) में सीमयज्ञ के सूय की सम्भारि पाँच से पंद्रह अरतियों तक उचित ठहराया है। उन्होंने इसी प्रकार ब्राह्मणेय यज्ञ के सूय की १७ अरति तथा अश्वमेध के सूय की २१ अरति सम्भारि माना है। आपस्तम्ब के मत से सूय यजमान की सम्भारि या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की सम्भारि का होना चाहिए। सूय की मोटाई के विषय में कोई मत नहीं है। सूय के उस भाग को जो पुष्यी में गड़ा रहता है, उपर नष्टा जाता है। उपर बनसक रहता है किन्तु सूय का अन्य भाग ठीक से छिन्ना रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। सूय की पूरी सम्भारि को ऊपर तक इस प्रकार धीला जाता है कि उसमें बाठ बीच बन जायें जिनमें एक कीच अथवा कोषो से बना होता है और अग्नि की ओर झुका रहता है। सूय निर्माण के उपरान्त ब्रह्म के बचे हुए ऊपरी अंश से कर्त्तारि से अमृती के पीर तक सम्भारि गिराने बताया जाता है। यह गिराने की बढकीला और बीच में ऊँचक की मूर्ति होता है। इस भाग को चपाक कहा जाता है जो सूय पर पगड़ी की मूर्ति रखा जाता है (कार्यावली ६।१।५)।

निकटपशुबन्ध में दो दिन लग जाते हैं किन्तु यह एक दिन में भी सम्पन्न हो सकता है। प्रथम दिन में जिसे उपसक्त कहा जाता है आरम्भिक कार्य यथा वैदिक-निर्माण सूय जाना जाति किया जाता है।

इस अन्न में केवल एक बेदी बनायी जाती है जो ब्रह्मप्रसाद वाली की मूर्ति ब्राह्मणीय अग्नि के पूर्व में होती है न कि स्वर्णपूर्वमास वाली की मूर्ति पश्चिम में। बेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन नहीं अनपेक्षित है। इस बेदी पर एक उत्तरबेदी (ऊँची बेदी) का निर्माण होता है। बेदी की पूर्व दिशा के उत्तरी कोण से लेकर सम्भारि (३२ अणु) वर्ण परिमाण का एक बड्का सोदा जाता है जिसे बाल्याक कहा जाता है और यह तीन बिसा (मिहस्ति) या ३६ अणुल बहुरा होता है। इसी प्रकार विभिन्न कृत्यो एवं मन्त्रो से मुक्त मूर्ति-मूर्ति की साम-यिनी उत्पन्न की जाती है और उन्हें बचास्वान रखा जाता है। जिनका वर्णन यहाँ स्वानाबाध से नहीं किया जा रहा है। सूय गाड़ने की भी विधि बर्णित है। एक मही कई सूय माडे जाते हैं प्यारू सूयो की परम्परा पानी जाती है। सूय के लिए प्रोलाज (बल छिन्नकला) अन्न उज्ज्वल (ऊपर छल्ला) परिष्काम वा परिष्कामय (मेखला या कटवनी से बने की क्रिया) जाति के कृत्य क्रिये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, न कि प्रति पशु की बलि के उपरान्त। मेखला सूय का अंग है न कि पशु का न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मेखला की आवश्यकता होती है।

बलि का पशु सुबन्धित अन्न से गढ़काया जाता है और बाल्याक एवं उत्तर के बीच में रखा जाता है। उसका मुख पश्चिम में सूय के पूर्व होता है। पशु नर (ऊँचा-बकरा) होता है उसका अय-अय नहीं होना चाहिए, बर्णन इसके सींग न दूटे हो जाना न हो नतकटा वा कलकटा न हो बँट न दूटे हो और न पुच्छ-बिहीन हो न धी बँगडा हो और न सात बुरो (प्रत्येक पैर में दो बुर होते हैं इस प्रकार चार पैरो के बाठ बुर) वाला हो। यदि उर्ध्वकाल दोषो में कोई दोष निबन्धमान हो तो शूद्रि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णु, उत्सकती या बृहस्पति की आज्ञा की अनुमति

पी जाती है (वापस्तम्ब ७।१२।३)। इसके उपरान्त पशुपाकरण इत्य किमा जाता है जो कुछ एवं मन्त्रों के माप पशु को सुख देवों के लिए उसे समर्पित करने से सम्बन्धित है। कुछ अन्य कृत्यों के उपरान्त पशु को बस पिनाया जाता है और उसके कक्षिपय अंगों पर बस छिड़का जाता है।

पशु की बलि इन्द्र अग्नि सूर्य या प्रजापति के लिए पी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुबन्धन में तीन बार उम देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है (वात्स्यायन १।३।२९.३)। सत्य से सम्बन्धित अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ मानवधर्म नहीं है।

अध्वर्यु धमिता (पशु भारतेबासे) की अस्तु देता है। यह किमा मात्र आदि के शाक की जाती है। जब पशु का रखा जाता है तो उसकी आँखें आदि एक विशिष्ट गर्दबे में रखा भी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का मांस प्रमा जाता है उसे धामिन कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बंध दिया जाता है कि नाटवे समय उसका मुख से धार न निकले। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता आन्वीध्र एक यजमान अपना मुख नाट बाते हुए पशु में डूबती और हवा लेने है। यजमान ऐसे मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका शास्त्रिय यह है कि वह पशु के मांस स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख नाक आँखों नामि सिप गुदा पीरो की मन्त्रों के साथ स्वच्छ कर देती है। पीप्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छ) यजमान और उसकी पत्नी मार्जन द्वारा करने की पूज करते हैं।

इसके उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रबन्ध किमा जाता है और आध्वर्यु पाशों को माह्वनीय के पूर्व में रख दिया जाता है। अध्वर्यु पशु के विभिन्न अंगों पर हाथ चिड़का आदि को पूजक करता है। वापस्तम्ब (अ२।२।९ प ७) ने अनुधार यह कार्य धमिता करता है। इस मन्त्र से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वर्णन मानवधर्म नहीं करता है। इसका अर्थ कि मन्त्र-शाक म पशु-यज्ञ बहुत कम होते थे और कल म बन्ध से ही गये मन्त्र निबन्ध मयों ने उन पर अपनी विस्तृत टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मन्त्र-मन्त्रालय पाये जाते हैं। वापस्तम्ब (अ२।२।६) के मन्त्र पशु के कटे हुए अंगों में हैं—हृदय जिह्वा छाती कक्षिका कृकन कार्य पीर का अन्न मांस का पूर इत्यादि तथा मन्त्र की ओरिधियाँ। ये अंग देवता के लिए हैं जो जुहु से दिये जाते हैं। बाहिने पीर का अन्न मांस कार्य तथा पत्नी ओरिधियाँ स्विष्टकृत् की भी जाती हैं। बाहिने फेडका प्लोहा पुरीणत् अध्वर्यु की बलिपू (बरी ओरिधियाँ) मेरा आचनी (पूँछ) आदि भी माह्वनीयों के रूप में दिये जाते हैं। मन्त्री अंग (हृदय को छोड़कर) उन्ना (एक विशिष्ट पात्र) म पकामे जाते हैं। हृदय की एक बरलि लम्बी लकड़ी म लानकर पूजक रूप से भूना जाता है। धमिता ही पशुने का कार्य करता है। नैमिनि (१२।१।१२) के मन्त्र से मान पशुने का कार्य मानानुशीय अग्नि पर कि धामिन अग्नि पर, होता है। अध्वर्यु पक हुए मांस की पी म लोटेकर इन्द्र एक अग्नि स्विष्टकृत् एक अग्नि स्विष्टकृत् की आह्वानियों के रूप में देता है। इस प्रकार अध्वर्यु पूरे मान का बहुत मा भाग अग्नि में डाल देता है। जोर का हा गुड अन्न बह्या की तथा अन्य भाग अन्य पुरोहिता की दिया जाता है। धमिता द्वारा अन्न में पशुने मने हुए तथा अन्य दोष काम को अध्वर्यु पूज तथा आह्वनीय अग्नि के बीच म देवी के बलिधर्म भाग में रख देता है तथा मन्त्र पूज करता है।

अध्वर्यु पशु की यज्ञिय वस्तु बड़ा जाता है। जिस प्रकार बाल (बाधका) को खर का पतार्थ माना जाता है जो प्रकार पूरे पशु की यज्ञिय वस्तु की सजा मिलनी है। हृदय एक अन्य अंगों की हृदि के रूप में ही दिया जाता है।

पुरोहितों को भी विभिन्न ऋणों के भोग दिये जाते हैं। पशुबन्ध का कल्प भी बहुत लम्बा है। विस्तार में जाना यहाँ अनपेक्षित है।

काम्याः पञ्चकः—जिस प्रकार बहुत-सी वाम्येष्टियाँ होती हैं उसी प्रकार सम्पत्ति धार्मिक, मद्य आदि के कारणात् विभिन्न पशु दिये जाते हैं यथा समृद्धि के लिए श्वेत पशु बाणु को, धाम के लिए कीर्द पशु बाणु तिमुरवान् को, वाक्पटता के लिए भेड सरम्बती को (तं घ २।१।२।६)। काम्य पशुओं के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।८।१९) आपस्तम्ब (१९।१६।१७) एवं आश्वलायन (३।७।एन ३।८।१)। इन सभी प्रकार के यज्ञों में निम्न पशुबन्ध की ही विधि लागू होती है।

अग्निष्टोम

कनी-कनी सुविधा के लिए यज्ञ तीन विधानों में विभाजित कर दिये जाते हैं यथा—इष्टि, पशु एव सीम।
 ऋग्वेद (८।२१) एव साट्यायन यी (५।४।३४) के अनुसार सीमयज्ञ के सप्त प्रकार हैं—अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम
 जल्प षोडशी वाजवेय अतिरात्र एव अन्तर्मिम। अग्निष्टोम को सीमयज्ञो का आदर्श रूप मान लिया गया है।
 अग्निष्टोम ऐकाहिक या एकाह अर्थात् एक दिन बाका यज्ञ है और यह ज्योतिष्टोम का ऐसा अन्तर्हित भाग है कि
 दोनों को कनी-कनी एक ही माना जाता है। सीमयज्ञ नई प्रकार के हैं, यथा एकाह (एक दिन बाका) अहीन
 (एक दिन से केवल बारह दिनों तक चलने वाला) तथा सप्त (जो बारह दिनों से अधिक दिनों तक चलता है)।
 इनमें नामक यज्ञ सप्त एव अहीन है (जैमिनि १।१।१०-११ एव तत्त्वार्थिका २।२।२)। ज्योतिष्टोम में बहुधा
 दो दिन लगा जाते हैं इसके मुख्य इत्य ये हैं—पहले दिन पुरोहितो का वरुण मधुपर्क षोडशीयेष्टि एव बीसा भूमरे
 ऋग्वेद—मायवीया इष्टि (आरम्भ वाली इष्टि) सीम का क्रम अतिवेष्टि (सीम को अग्निष्मि बने वाली इष्टि)
 प्रथम एव उपसब् (प्रातः एव सायं का अग्निवाहन) तीसरे दिन—प्रथम एव दो बार उपसब् चौथे दिन—प्रथम एव
 उत्तर, अग्निप्रणयन अग्नीषोमप्रणयन इतिर्वात् प्रणयन एव पशुयज्ञ तथा पञ्चमं दिन अर्वात् मूल्य या सवनीय ने
 ऋग्वेद—सीम को देला (रक्ष निवाकता) प्रातः काक पूजा में चढाना एव पीना तथा बोधहर एव सायं देवार्थन एव
 ऋग्वेद—उपसनीया (अन्तिम इष्टि) एव अचमूष (अन्तिम सुष्ट करने वाला स्नान)। प्रमुक्त पीन मूनी के आचार पर
 इस नीचे बहुत ही संक्षेप में अग्निष्टोम का वर्णन उपरिष्ठित करेंगे।

जैमिनि (१।२।३१) के मतानुसार तीनों वर्णों के लिए ज्योतिष्टोम करना अनिवार्य है। इनका अग्निष्टोम
 नाम इतिष्ठि पत्रा है कि इसमें अग्नि की स्तुति की जाती है और अग्निम स्तोत्र अग्नि को ही सम्बोधित है (ऐतरेय
 ब्राह्मण १।४।५, आष्वस्तम्ब १।२।३)। यह प्रति वर्ष कमल म अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किया जाता है
 (आष्वस्तम्ब १।२।२।५ एव ६ सात्यायन ७।१।४ एव सत्यायन ७।१)। जैमिनि (४।२।३७) में आया है कि
 सर्वपूर्वमास चातुर्मास्य एव पशु-यज्ञ मन्वादिन करने के उपरान्त ही सीमयज्ञ किया जाता चाहिए, किन्तु कुछ अन्य
 ऋषीणा मत है कि सर्वपूर्वमास में पूर्व ही यह विज्ञा या सवता है परन्तु अज्यपामान के उपरान्त ही ऐसा करना उचित
 है (आष्व ७।१।११ २ एव सत्यायन ७।१ पु ५५५)।

इस यज्ञ का अग्निवापी सर्वप्रथम शोकप्रवाह (सीम यज्ञ करने वाले के निम्नवचनार्थ) को वैदिक ब्राह्मणों को
 (शोक तो अग्नि कुछ ही और न कम अवस्था क ही और न ही विचक्षण) बुझाने के लिए देवता है (ताण्ड्य

१ ऐतिहासिक संविधान १।२-४ ३।१ ३ ३।१ ५ एवं ७।१; तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१ १।४।१ एवं
 ५-८, १।५।४ २।३।८; इत्युपब्राह्मण ३-४ ऐतरेयब्राह्मण १।१५ आष्वस्तम्ब १-०-१३ एवं १।४।८ १२ अज्यपामान
 ५-११ औषापय ६ १ अग्निवायन ४ ६ सात्यायन ८ ९। सात्यायन वीतानुव (१२)।

शाङ्गण १।१।१ शाङ्गायन श्रौतसूत्र १।१ तथा आपस्तम्ब १।१।१)। वह प्रमुख चार या सभी लोकही (या सर्वस्व) को सम्मिलित कर १७ ऋत्विजों की बुलाता है।^१

पुरोहितों की मनुष्यर्षि दिया जाता है। यजमान अपने देव के राजा के पास मन्त्रमूमि (देवयजन) की याचना के लिए जाता है। यह एक आइन्ध्र मास है वहाँ तक कि राजा भी ऐसी याचना होता तथा अन्य पुरोहितों से करता है। अपनी मूमि रहने पर भी यजमान को ऐसी याचना करनी पड़ती है।

देवयजन (मन्त्र-मूमि) के पश्चिम भाग में पाठ-पाठ हुटानर एवं मन्त्र्य^२ (विहित—चार कोशों वाला मन्त्र्य) खड़ा किया जाता है। मन्त्र्य के नियम में कारवायन (७।१।१९ २५) आपस्तम्ब (१।५।१-५) एवं शौचायन (१।१) में विस्तार से वर्णन किया है। मन्त्र्य के दक्षिण में ब्रत-भोजन बनाने के लिए एक घासा तथा पश्चिम में पत्नी (यजमान की पत्नी) के लिए दूसरी घासा बना दी जाती है।

यजमान अपने घर में ही गार्हपत्य एवं आइन्धीय ऋत्विजों को ऋत्विजों में रख देता है और पुरोहितों, ऋत्विजों तथा पत्नी के साथ मन्त्र्य में पूर्वी द्वार से प्रवेश करता है। अन्य सामर्थियाँ (सम्भार) भी मन्त्र्य में लायी जाती हैं। मन्त्र्य में एक बैठी बनाकर उसमें वर्णन से उत्पन्न अग्नि रखी जाती है। इसके उपरान्त कई इत्य क्रिये जाते हैं जिनका वर्णन नहीं आवश्यक नहीं है। मन्त्र्य के बाहर उत्तर में यजमान एक विशिष्ट घासा में गर्द से सिद्ध कौश मुख के केश तथा मल कटा देता है। इसके उपरान्त अनुम्बर की टहनी से बन्धवायन कर कुण्ड के पत्र से स्नान करता है तथा साधन आदि करता है। इसी प्रकार यजमान की पत्नी भी प्रतिप्रस्थाता द्वारा आशेषित हो मल कटाती है तथा स्नान आदि करती है किन्तु उसके इन कृत्यों में मन्त्रीष्कारण नहीं किया जाता जैसा कि यजमान के इत्यो में पाया जाता है। उसके केश नहीं काटे जाते किन्तु कुछ सेवकों ने केश कटाने की भी व्यवस्था की है। यजमान अम्भर्षु द्वारा दिये गये रेसनी बस्त्र धारण करता है। अघराह में वह प्राम्भस में बैठकर ही एक बह्नी से विहित वाक्य या मन्त्रवाह्य भोजन करता है। पत्नी भी यही करती है। इसके उपरान्त वह बर्त की दो फूनदियों से अपने घट्टर पर लवनीय लगाता है। यह इत्य वह बेहरे से आरम्भ कर तीन बार करता है। इसके उपरान्त बर्त से अपनी बायीं ओर में दो बार और बायीं ओर में एक बार अम्भजन लगाता है या तीन बार दोनों ओरों में लगाता है। अम्भर्षु प्राम्भस के बाहर यजमान की मुक्ति (पवन) करता है। यही बात प्रतिप्रस्थाता उसकी पत्नी के साथ करता है किन्तु मन्त्रीष्कारण के साथ नहीं। यजमान मन्त्र्य में पूर्वी द्वार से तथा उसकी पत्नी पश्चिम द्वार से प्रवेश करती है। दोनों अपने-अपने आयन पर बैठ जाते हैं। इसके उपरान्त शीतलीय दृष्टि की जाती है जिसके फलस्वरूप यजमान शीतिल समझा जाता है और मन्त्र करने के योग्य माना जाता है (जैमिनि ५।१।२९ ३१)। स्वागतायन के कारण शीतलीय दृष्टि का वर्णन नहीं उपस्थित नहीं किया जा रहा है। शीता का इत्य अघराह में ही किया जाता है। जब तक ठारे नहीं बिछाईं देते यजमान तीन बारण क्रिये रहता है। पूरे मन्त्र तक यजमान एक उसकी पत्नी को दूध पर ही रहता होता है। ऐसा करना मन्त्र्यर्ष (अग्निचार्य नियम) माना जाता है न कि पुनर्वाच मास (जैमिनि ७।१।८ ९)। वह दूध को गायी के स्तनो से कुड़ा जाता है और दो पाशों में पृथक्-पृथक् बंध किया जाता है यजमान के लिए गर्द

१ लौक्य पुरोहितों संख्या विवरण देखिए अध्याय २९, वि ३ में।

२ मन्त्र्य की प्राम्भस या प्राथोन्धस कहा जाता है। कुछ लोगों के मत से वह पश्चिम से पूर्व १६ प्रक्रम सम्रा तथा दक्षिण से उत्तर १२ प्रक्रम चौड़ा होता है। इसमें ४ या ५ (एक द्वार उत्तर-पूर्व में होता है) द्वार तथा चारों दिशाओं में छोटे-छोटे प्रवेश-द्वार होते हैं (देखिए आपस्तम्ब १।५।५)।

अग्नि पर तथा उसकी पत्नी के लिए दक्षिणाग्नि पर। यजमान एक उसकी पत्नी को बहुत से अनिर्वाय नियमा का प्राण करता करता है (आप १ १२१ कात्या ५१२१३४ बीषा ११९)।

बीषा के दिन या वितो के उपरान्त प्रथम इष्ट्य है प्राणनीय (आत्मन् बाधी) इष्टि। इस इष्टि में ऋषि (पाण्ड) ब्रह्म में पकाकर अग्नि को दिया जाता है तथा ज्ञान्य की चार आहुतियाँ अथ्य चार वेदतामी की भी जाती हैं। ये चार वेदता हैं पथ्या स्वरित अग्नि सोम एव सविता ओ ऋषि से पूर्व दक्षिण पश्चिम एव उत्तर दिशा के तले जाते हैं।

इसके उपरान्त सोम का जप किया जाता है। कुत्स गोत्र वाले ब्राह्मण या जिन्ही गृह स सोम प्राप्त किया जाता है। आप (१ १२ १२२) ने किन्ही भी ब्राह्मण से खरीदने की बात नहीं है। अग्नि (१०।३१) ने सोम का विषय ने किन् पुरोहितों के अतिरिक्त किन्ही को भी उचित बिकेता मान लिया है। ऋष के समय सोम की ब्राह्मण एव मूत्र कर्मो म राजा कहा गया है। सोम वेदकाले स सोम म पन्ना वाम-भूय स्वच्छ कर देने की कह दिया जाता है। गौम को स्वच्छ करते समय अर्धसू, अर्धसू के महायज यजमान तथा यजमान के पुत्र वापि उने वेद नहीं मन्ते और स्वय स्वच्छ ही कर सकते हैं (सत्यापाद ७।१।५ १ ९)। बीक की साध खाक के दक्षिणी भाग पर सोम रख दिया जाता है। सोमबिकेता साध क उत्तरी भाग पर बैठ जाता है। एक बरुपात्र सोम के ममल रख दिया जाता है। इनके उपरान्त हिरण्यवर्षी आहुति दी जाती है जिसका वर्णन यहाँ अनपेक्षित है। यज्ञ-भूमि के पूर्वी द्वार के दक्षिण एव दक्षिण छोटी छूटी है जिसे सोमकर्मणी कहा जाता है। यह एक दो मा तीन बर्ष की होती है। इसका रय मवासम्भन सोम के बमान ही होता है। इसी माय को बेकर सोम का ऋष होता है बत माय को सोमकर्मणी कहते हैं (सोम कोने गया बहा सा सोमकर्मणी)। माय की पिपक होना चाहिए, उसकी आर्धे पीन रय से मिथिन भूरी होनी चाहिए, कू बनी बिभ्रामी म हो न तो वह बिभ्राम ही और म हो वैधी हुई। उसका कान पी पीर पकड़कर कोई बहा म ही किन्नु बाधस्वच्छता पकने पर उसकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। इसी प्रकार इन सोमकर्मणी माय के माध ज्ञय इष्ट्य निके जाते हैं। इसके उपरान्त अर्धसू यजमान के बीकर द्वार सोम की इष्टि के लिए करवा दीगता है। चार पहिबी वाली बाधी म सोम बनाइयो से डका रत्ता खूता है। सोम के जग या इष्ट्य किम प्रकार बुने जाते हैं ह्य म किने जाते हैं बन्ध से बने जाते हैं आदि क विषय म बहुत-स नियम हैं (आप १ १२।७-१४ कात्या ७।७।२२ २३)। यजमान सोम का अग्निवाहन करता है और अग्नि की पूजा करता है (आप १ १२।५)। इनके उपरान्त अर्धसू बीषा हुआ सोम सोम-बिकेता को दे देता है और बोनी म ऋष-बिकेता सम्पत्ती एक नाटक चलता है। सोम बिकेता वा स्वर्ण भी दिया जाता है। मत्तपडाह्य (१।३।३) आपन्ना (१ १२।१२ १९) कात्यायन (७।७।२-२) एव सत्यापाद (७।२।५ १३३ १४३) म केन-केन से सम्भिनिक बहुत-सी बालों वा बर्तन पाया जाता है। सोमकर्मणी की बीषावा म जेक दिया जाता है और उसके बने अथ्य वाय ही जाती है। आपन्ना (१ १२।७।८) एव सत्यापाद (७।२।५ १८४) ने लिखा है कि सोम-बिकेता को दोनों एव छदियों ने मारन का मात्त किया जाता है इनके उर एव मुष्टकाया इष्ट्य दिया जाता है जिने उरुवाता पुटोहित वा महायक मुष्टकाय नामक पुटोहित करता है। सोम का बाधी से विविष्ट हृत्वी के हाक लया जाता है। सोम की राजा की अग्नि से सम्भोधि किया जाता है। अपने स्वामन

४ कुछ सूत्रों (आप १ १२।८, १ १२।५ कात्या ५१२।१-१५) ने आपार पर बीषा-वार्ध १२ दिनों या एक मास या एक बध तक चलता है और इत प्रकार यजमान बुझता ही जाता है। ऐसी स्थिति में यजमान पर के लिए अथ्य सामान बध आदि अपने लोहारों (सहायकों) द्वारा एकत्र करता है।

मे जातिध्वेष्टि की जाती है। आशुमारि की व्यवस्था की जाती है और पाड़ी से घीम को उतारकर उसके लिए बने त्रिषिष्ट आसन पर मुनवर्म बिठाकर उसे विधिकत् रखा जाता है। जातिध्वेष्टि के प्रमुख देवता हैं विष्णु और उनके लिए ती नपासो बाष्पी रीपी बननी है। अग्नि की उत्पत्ति पर्वण स की जाती है। अन्य विधियों के विस्तार के लिए देखिए आपस्तम्ब (१।१३) एव कात्यायन (८।१)। इडा वा मेघ के उपरान्त तागुत्त कर्म किया जाता है। इस इत्य मे यजमान एव सभी पुरोहित तनुत्पात् (वीर वेम न बनसे वाली इडा) का नाम लेकर प्रण करते हैं कि वे एक-दूसरे का अमयक नहीं करेगे। इस इत्य के उपरान्त यजमान को अवागतर-बीसा भी जाती है जिसमें यजमान मंत्र (वाजसनेयी संहिता ५।६) के साथ आहुवनोपानि म समिधा डालता है उसकी पत्नी मील रूप से नार्ह्य यानि म समिधा डालती है। मरुती नामक पात्र के यर्म जल की यजमान तथा सभी पुरोहित स्पर्श करते हैं।

अवागतर-बीसा के उपरान्त प्रवर्ष्य तथा उसके उपरान्त उपसद् (उपसद् प्रवर्ष्य के पूर्व भी हो सकता है—आप. १।२।२५ सत्यापाठ ४ पृ. १६२) नामक इत्य बिय आत है। ये दोनों प्राप्त एव अपराह्ण दो बार होते हैं। यह जम तीन दिनों तक (दूसरे तीसरे तथा चौथे दिन तक) चलता रहता है किन्तु यह तनी होता है जब घीम का रस पात्रमें बिल निकास आब। यदि घीम का रस सतसे बिल या और जाने चलकर निकाला जाय तो प्रवर्ष्यी एव उपसदो की संख्या बढ़ा दी जाती है (आप. १।५।२।२।५)। आतिव्या म प्रमुक्त वहि प्रस्तर एव परिबिही बिनि उपसदो एव जग्नी बोनीय पशु क इत्यो म भी की जाती है। जब हम संक्षेप मे प्रवर्ष्य उपसद् जग्नीपोनीय पशु बादि का वर्णन उपस्थित करते हैं।

प्रवर्ष्य—बहुत-से सूत्री (यथा—आप. १।५।१२ कात्या. २५, वीया १।६) म प्रवर्ष्य का वर्णन पूनक रूप से पाया जाता है। इस इत्य से यजमान को मानो एक नवीन बैरी शरीर प्राप्त होता है (ऐतरेय ब्राह्मण ४।५)। यह एक स्वल्प या अपूर्ण इत्य मानी गया है न कि किसी इत्य का परिमाणित रूप। आप. (१।१।३।६-५) क मतानुसार यह इत्य प्रत्येक अग्निध्वेष्टि म आवश्यक नहीं माना जाता। वाजसनेयी संहिता (२।१।५) म जो 'वर्म' कहा गया है वह सूर्य का चोतक है और सम्राट नाम से यज्ञ का अविच्छाता माना गया है। इसी प्रकार गर्म दूध बैरी जीवन एव प्रकाश का चोतक माना जाता है (वेदिए ऐतरेय ब्राह्मण ४।१ सतपथ ब्राह्मण १।४।४ तैत्तिरीयारण्यक ४।१।४२ ५।१।१२)। मिट्टी का एक पात्र बनाया जाता है जिसकी लहारीर सजा है। इसमे एक छिद्र होता है जिसके द्वारा ठरस पदार्थ बिरामा जाता है। इसी प्रकार दो अन्य महाबीर पात्र होते हैं। पितवन नामक अन्य दो दुग्धपात्र होते हैं और रौहिण नामक दो प्याकियाँ होती हैं जिनमे रोटिबी पकानी जाती है। महाबीर, पितवन एव रौहिण मार्ह्यत्वानि से प्रज्वलित बीर के गीवर की अग्नि मे तपाने चाते हैं (कुल कोयो के मत से ये पात्र इन्द्रियानि म तपाने चाते हैं)। रौहिण मे दो पुरोडास पकाकर प्राप्त एव छाय बिन तथा रात्रि के लिए आहुति रूप मे बिये चाते हैं। महाबीर पात्र की मिट्टी से बने चण्ड स्वच पर रखकर उसके अतुष्टि अग्नि बलाकर उसमे भी छोड़ा जाता है। प्रमुख महाबीर पात्र की प्रथम पात्र माना जाता है। अन्य दो महाबीर पात्रों को बल से डककर घीम वाले स्थान से उत्तर दिशा मे बढ़ी बासनी पर रख दिया जाता है। प्रमुख पात्र के छवकते हुए बी मे माय तथा बकरे वाली बकरी का दूध मिजाकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से मिथित गर्म दूध को वर्म कहा जाता है जो अस्मिनी मसु, इन्द्र सविता बृहस्पति एव मम की आहुति रूप मे बिया जाता है। यजमान (पुरोहित कोय केवल यज केते है) होय दूध को उपयमनी से पी जाता है। यह छव करते समय होता मन्त्रों का पाठ करता है और प्रस्तौता धाम-गान करता जाता है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण इत्य की प्रवर्ष्य कहा जाता है।

उपसद्—यह एक इष्टि है। बहुत-सी किमाएँ (यथा—अप्यन्वाजात) को वर्धपूर्वमाद्य मे की जाती है इस इष्टि म नहीं की जाती। इसमे पृथ की आहुतियाँ अग्नि विष्णु एव घीम को जुड़ से भी जाती है। आतिव्या नामक

इष्टि के उपरान्त क्रिये जाने वाले सब इष्टय यथा सोम को बढ़ाना निष्ठुव सुब्रह्मण्या स्वीव का पाठ प्रत्येक उपसव् में प्रात एव अथवा ह्यतीत विल या अधिक दिनो तक क्रिये जाते हैं। उपसव् म आश्विमागो प्रयागो अनुयागो का क्रियाएँ गौरी की जाती और म स्विष्टकृत्व अग्नि (आपवसायम ७।८।८) को आहुति ही भी जाती है। प्रातःकाल आश्वि के तीन मन्त्रो (७।१।१।१) का पाठ तीन-तीन बार किया जाता है जिन्हें सामिपेनी कहा जाता है। इसी प्रकार अश्विमाग आश्वि (२।६।१।१) के मन्त्रो को पढ़ा जाता है। एक एक मन्त्र तीन बार पढ़ा जाता है और इस प्रकार तीन मन्त्रो के ती उच्चारणों को सामिपेनी कहा जाता है। उपसव् की आहुति सुब्र उ ही जाती है। उपसव् के मन्त्रो म पढ़ा जाता है कि वे कोहू जावी एव सीने क हुयो के भेरो की ओर उभेत करते हैं। ये मन्त्र यहाँ क्यो प्रयुक्त हुए है कुछ कहना नठिन है। घृतपत्र बाह्यम (३।१।१।३) म नबरो पर बेरा आत्मने की पचा हुई है।

महावेदि—प्रथम एव उपसव् इष्टयो के उपरान्त दूसरे दिन सोमयाग के लिए महावेदि (महाबदी) का निर्माण किया जाता है (आत्यायन ८।३।६ घृतपत्र ७।४ आप ११।१।११)। आहवनीयाग्नि के सम्मुख पूर्व ओर ६ प्रक्रम की दूरी पर एक कूटी (सव्) गाड़ी जाती है (बीचा १।२२) या आत्यायन (८।३।७) के मत से साधारण अग्निपाला के पूर्वी द्वार से पूर्व की ओर ३ प्रक्रम की दूरी पर अन्तःपात्य या छात्मायुधीम (बीचायन के मत से) नामक कूटी गाड़ी जाती है। इस कूटी से ३६ प्रक्रम पूर्व एक दूसरी कूटी गाड़ी जाती है जिस मुपाबदीय (सुप बासे गड्ड से सम्बन्धित) कहा जाता है। इन दो कूटियों को जोड़ने वाले माय को पृच्छया कहा जाता है। अन्तःपात्य नामक कूटी के उत्तरी एव दक्षिणी माय से १५ प्रक्रमों की दूरी पर अन्य कूटियाँ गाड़ी जाती हैं। मुपाबदीय नामक कूटी के दक्षिणी एव उत्तरी दिशे से १२ प्रक्रमों की दूरी पर दो कूटियाँ गाड़ी जाती हैं। इस प्रकार महावेदी का परिचयी माय जिसे अग्नी कहा जाता है ३ प्रक्रमों का पूर्वी माय जिसे अश्व (कषा) कहा जाता है २४ प्रक्रमों का तथा महाबदी की सम्बाई ३६ प्रक्रमों की ही जाती है। महावेदी (महावेदि) के चारो ओर एव उत्तरी बाँध भी जाती है। दर्शपूर्णमाय से क्रिये जानेवाले सभी प्रकार सोमयाग की महावेदी पर क्रिये जाते हैं (सत्यापाठ ७।४ पृ १८५)। महावेदी से पूर्वी माय म एव उत्तर वेदी का निर्माण होता है जो अनुनुजाकार होती है। इसी प्रकार अन्य स्थल भी बनाये जाते हैं जिनका विवरण यहाँ आवश्यक नहीं है।

दूसरे दिन प्रातःकाल ही प्रात एव सायनामे प्रथमो एव उपसवी क इष्टय सम्पादन कर दिने जाते हैं। प्रथम के उद्घासन के उपरान्त आहवनीयाग्नि से उत्तरवेदी तक क्षायी जाने वाली अग्नि का इष्टय किया जाता है जिन अग्नि के अक्षयन कहा जाता है। वेदी की अग्नि पर उत्तरी ययो अग्नि सोमयाग की आहवनीयाग्नि नहीं जाती है और वीक्षिच आहवनीयाग्नि गाईर्याग्नि का रूप धारण कर लती है (अप ११।५।१९)। कुछ समिया एव वेदी पर अश्व उड्डव किया जाता है और सम्पूर्ण वेदी पर कुप बिछा दिये जाने हैं। कुप के अक्षुर पूर्वाभिमुख रख जान है। अग्निपाला से अश्व उड्डव स्वच्छ को हुई हो गाईर्या अक्षर महावेदी पर गन हो जाती है। इन गाईर्यो की हविर्बान नाम दिया गया है वशिष्ठ सोम (बी सोमयाग म हवि क अश्व म किया जाता है) इन पर रखा रखा है। दक्षिण दिया वाली गाड़ी अश्वपुं

५ आपस्तम्ब (५।१।३) की टीका के अनुसार एक प्रक्रम बीचा तीन पदों के बराबर तथा एक पद १५ अनुपात (बीचायन) या १२ अनुपात (अत्यायन) के बराबर होता है। किन्तु आत्यायन (८।३।१४) की टीका के अनुसार एक पद दो अनुपातों के बराबर होता है। प्रथमों के अतिरिक्त पञ्चमाल के चरों से भी माय लिया जा सकता है। तीक्ष्णीय संहिता (१।२।१।५) से भी महावेदी का माय किया हुआ है—“त्रिपात्यग्नि वक्ष्वातिरुची वक्षति वद्विपात्यग्नी अनुविपति पुरस्तात्तरुची।”

एव उत्तर वाली प्रतिप्रस्थाता ने अधिकार में रखी है। वे गार्हपत्य भास या बौस क छिन्नकों से बनी चण्डियों से एक ही जाती हैं। इसके उपरान्त ६ चण्डो बाला एक मण्डप (हविर्धान-मण्डप) बनाया जाता है। गार्हो के चुरो पर यजमान की पत्नी एव प्रतिप्रस्थाता द्वारा कई कृत्य किये जाते हैं। इस विषय में अथ्य सस्वाट यथा गार्हियों को डकना आदि यहाँ नहीं किये जा रहे हैं (आप ११।७-८ कात्या ८।४)। हविर्धान ने भीतर कोई कुछ सा-नी नहीं सता।

उपरब—अथर्व्वं ब्रह्मिण विद्या मे रक्षी हुई गार्हो के सामने एक हाथ गहरे चार बड़े चौकटा है जिस पर कुम विद्या किये जाते हैं उन पर दो अथियवचन-कलक (कचडी के तस्ते) बिछाकर अथियवचन-धर्म (बीस वा काक धर्म) रख दिया जाता है। इस धर्म पर चार प्रस्तर-सण्डो से घीम वा रस निकाला जाता है। प्रस्तर-सण्डो से उत्पन्न बोन को चारो बड़े अथिन बुजित कर देते हैं इसी से इनको उपरब कहा जाता है (कात्यायन ८।४।१८ की टीका)।

उपरबो के पूर्व में वा अथियवचन-धर्म वा उपस्तम्भन (रस्ती में बँधे दो सीमे बाँधा वा डोँधा जिस पर गार्हो का अथभाग या जुआ रख दिया जाता है) के पूर्व में चार कोनो बाला मिट्टी का एक बूझ बना बिचा जाता है जिस पर सीम के पात्र रखे जाते हैं। इसके उपरान्त पुरोहितो के लिए पूषक-पूषक आसनी का निर्माण होता है। इन आसनी में निर्माण के साथ कई सस्वार किये जाते हैं जिन्हें स्थानामात्र से यहाँ छोड़ दिया जा रहा है।

उपरबो के उपर कीमल कुल रख दिये जाते हैं और उनके उपर उदुम्बर, पलाश या काशमय नामक पेड़ में लकी से बने दो फलक रख दिये जाते हैं इन्हें ही अथियवचन-कलक कहा जाता है। अन्य कृत्यो का वर्णन यहाँ आशयपन नहीं है।

इसके उपरान्त अग्नि एव सीम के लिए एक पशु की बलि दी जाती है। यह बलि निचडपबुबन्ध बलि के समान ही है। परिस्तरब बन्धिय पात्रो का रखना प्रीसाच आदि कृत्य किये जाते हैं। प्रतिप्रस्थाता यजमान की पत्नी को उसके स्थान (पत्नीसाला) से लाता है। इसी प्रकार यजमान के अथ्य सम्बन्धी बुझाये जाते हैं। यजमान अथर्व्व का पत्नी यजमान (पति) वा पुत्र एव धारि छोन पत्नी का स्पर्श करते हैं। ये सभी तबीन परिधान पहने रहते हैं और अथर्व्व आथ्य की प्रथरनी अर्वात्त बैसनिन जाहृतियो सीम को वेठा है (कात्या ८।७।१ आप ११।१९।१५)। इसके उपरान्त अग्नि एव सीम का प्रथयन (आने लागा) होता है। जाहृबनीय पर अग्नि प्रथबलित कर उत्तरदेवी पर लायी जाती है। मन्त्रि-मन्त्रि के पात्र महादेवी पर (पशुबलि के निमित्त) लाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन सीम रख निकालते समय काम में लाये जाने वाले पात्र यथास्थान सजा दिये जाते हैं। अग्नि मालीभ के विषय के पास रख दी जाती है। सीम के उच्छल हविर्धान-मण्डप में धाबे जाते हैं और बक्षिण की गार्हो म उनके हरिच ने धर्म पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त यजमान अपनी यज्यम बीसा का त्याग करता है अर्वात्त यह अपनी मेखका

१ 'अथ उपरिष्ठाद् यजमाना रवाः शब्दो येषु ते। वैश्विण कल्पायन (८।४।२८, ८।५।२४) एवं आपस्तम्ब (११।११।१ ११।१२।१)।

७ कल्पायन (८।५।२५) की टीका में कलक बरन लकड़ी के होते हैं। इनका नाम अथियवचन कलक है, "अग्नि उपरि अथिबुजो घीमो ययोस्तो अथियवचने कलके"। कल्पायन (८।५।२६) की टीका के अनुसार अथियवचन-धर्म बीस का धर्म होता है (अथर्व्व १।१५।१—'अथु बुहुतो अथ्यास्तो पति')। आपस्तम्ब (१२।२।१५) के मत से प्रस्तर-सण्ड चार होते हैं, किन्तु कल्पायन (८।५।२८) ने बौच सख्या दी है। आपस्तम्ब (१२।२।१५) ने बौचसे प्रस्तर-सण्ड को उपर कहा है। यह पर्याप्त बीसा प्रस्तर होता है और इसी पर सीम के उच्छल कृते जाते हैं, इनके चारों ओर बाधा नामक चार सण्ड रखे रहते हैं जो एक-एक बिसा लम्बे होते हैं और इस प्रकार बने होते हैं कि सीम के उच्छल ठीक से कृते जा सकें।

दीर्घ कर देता है मृद्विर्णा खोल देता है मील तोड़ता है उपवास का भोजन छोड़ता है और अपना पक्ष मंत्रावधम नामक पुरोहित को दे देता है (आप ११।१।१६)। सोमरस निकालने जाने के दिन वह सोमरस पीता है और पंच रश्मि भोजन खाता है। इसके उपरान्त वह अपने नाम से पुकारा जाता है और उसके घर में बना भोजन व्यर्थ हो जाने है (कात्या ८।७।२२)। तब अग्नि एक सोम के लिए पशु-बलि भी जाती है। अग्नि (१।१।१२) के अनुसार बलि का पशु छाग (बकरा) होता है। निरुद्ध पशुबन्ध एक अग्नोपोमोय पशु की बलि में चौड़ा-सा क्णर होता है। सोमरस निकालने के लिए जिस जड़ की आवश्यकता होती है उसे बसतीबरी कहा जाता है। इसे विभिपूर्वक निमी नदी से लाया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। रात भर यज्ञशाला में हा पुरोहित अग्नि निवास करते हैं।

पौषके दिन (अभितम दिन) को 'सुर्या' (जिस दिन सोमरस निकाला जाता है) कहा जाता है। सूर्योदय होने के बहुत पहले ही सभी पुरोहित जग विवे जाते हैं जिससे वे सूर्योदय के पहले ही उपाशु प्रस्तर-आवृत्त से सोमरस निकाल सकें। इसके उपरान्त सवनीय (सोम रस निकालने जाने के दिन बलि दिये जाने वाले) पशु की बलि की व्यवस्था की जाती है।

प्रारम्भिक—सूर्योदय के पूर्व जब कि पत्नी भी जागे नहीं होते अश्वमु होता को प्रारम्भिक (प्रारम्भिक की स्तुति) कहने के लिए जाना देता है। यह स्तुति अग्नि उपा एक अश्विनी के लिए कही जाती है क्योंकि ये देव प्राण प्राप्त हो जाते हैं। इती प्रकार अश्वर्षु ब्रह्मा से मीन धारण करने प्रतिप्रस्थाता को सवनीय पुरोहिताय के लिए निर्वाण (धामिनी) निकालने तथा सुब्रह्म्य को सुब्रह्म्या स्तोत्र पढ़ने के लिए जाना देता है। इती प्रकार अश्वर्षु होता है कहा है कि वह (अश्वर्षु) उसकी स्तुति को गान-ही मन कहेगा। होता अश्विनी माशिवी के जुगो के बीच में बैठ-एर प्रारम्भिक की वीन भागो में कहता है। इन वीनी भागो को ऋगु कहा जाता है जिनमें प्रथम अग्नि के लिए द्वितीय उपा के लिए एक तृतीय अश्विनी के लिए होता है। प्रत्येक भाग में होता कम-से-कम एक एक गायत्री अनुष्टुप् सूती अग्नि क विष्टुप् अगती एक पक्ति नामक सागो छन्दी में कहता है। आश्वकामय में कर्ममय २५ मन्त्र उपा ऋगु न ४ ७ अश्विन ऋगु में कहने की लिखा है—इस प्रकार अश्वेक का समयक पौषका मान वह बाकना पड़ता है। यह प्रारम्भिक मन्त्र गति से कहा जाता है (आश्व ४।१।१६)।

प्रारम्भिक होते समय आधीध (वात्सा १।१।१५ के मत में) या प्रतिप्रस्थाता (आप १२।३।४ के मत में) निर्वाण (माहुतियो की सामधियो) निकालता है। ये सामधियो हैं—प्याहृ कपाली बाकी एक रोटी (इन्द्र के लिए) पत्र के दो इरियो (विगल बोटी) के लिए जाता (पूने हुए जी) पूषा के लिए करम्भ (बही में पिना भी वा मनु) प्रत्येकी के लिए बही तथा मित्र एक बरुण के लिए पयम्बा। इनके उपरान्त बहुत-से इत्य विद्य जाते हैं जिनका वर्णन स्वानामाव में नहीं किया जा सकता। समय-मय पर सामन्त भी निकाला जाता है और देवी को बजाया जाता है। अन्य इत्यो में उपरान्त महाभियव इत्य किया जाता है।

सुहाभियव—यह एक महान् इत्य माना जाता है। इनका सम्बन्ध है सोमरस निकालने के प्रमुख कर्म में। सोमरस निकालने में ही प्रकार के जल का प्रयोग होता है। एक को बसतीबरी कहा जाता है जो पूर्व रात्रि में ही लाया जाता है और दूसरा है एकलना जो बसतीबिन लाया जाता है। प्रारम्भिक मीन से बसतीबरी के अश्विनम भाग में कम निकाला जाता है तथा कुछ कम भाग से मय्याङ्ग नाम में। अश्वर्षु उपर पावक पावक उपावर उपा अश्विनम पूर्व पर लता है और उपा पर कुछ मीन-बन्धन रखकर जिहाम्य जल छिड़कता है। अन्य पुरोहित अश्विने हाथों में पावक लेकर बसतीबरी में बैठते हैं। इस इत्य की कर्वाण अश्वर्षु पहला और बरुण है। दूसर और में बरुण समय इत्य उपर विरह बसतीबरी को बटा जाता है। इती प्रकार बरुण का मीलना और भी बरुण है। इस उपरान्त अश्वर्षु कटे हुए

इच्छाओं की सम्मरणी नामक पात्र में एकत्र कर आष्विनीय नामक पात्र में रखता है। आष्विनीय पात्र में पड़े से जल रूढ़ता है। सोम के इच्छा उद्यमे स्वच्छ किये जाते हैं और फिर निचोड़कर और बाहर निकालकर अष्विनीय-पात्र पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कई इन्ध्र किये जाते हैं और पात्र-पर-यात्रा मरे जाते हैं। प्रथम पात्र को अन्तर्माम कहा जाता है। शोषकस्य म रणे सोम को लुक कहा जाता है (कार्या १।५।१५)। उपानु प्लावा सुर्वोद्य के पूर्व दिया जाता है किन्तु अन्तर्माम प्लावा अर्धवृ द्वारा सुर्वोद्य होते समय दिया जाता है (आप १२।१३।१२)। सोमरस से मरे पात्र या प्याले में हैं—ऐन्द्रवायव्य संभावक्य शुक्र, मन्वी आपयन उक्त्य भुव। ये पात्र का नामक उक्त्य स्वस पर रखे जाते हैं। इन पात्रों में सोमरस धारा रूप में डाला जाता है अत इन्हें धाराग्रह कहा जाता है। इसके उपरान्त बह्विष्यमान स्तोत्र का पाठ किया जाता है जो कई हरेपों के साथ सम्पादित होता है। जहाँ यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उसे आस्ताव कहा जाता है (आप ५।३।१९)। बह्विष्यमान स्तोत्र एक दिन से अधिक समय तक चलता रहता है। यजमान एक बार पुरोहित (किन्तु अर्धवृ नहीं) गायक का कार्य करते हैं अर्धवृ स्तोत्र का पाठ करते हैं (उपगाथा आप १२।१७।११-१२)। सोमरस जब पहली बार निकाला जाता है तो प्रथम स्तोत्र कहा जाता है जिसे पञ्चमान की छत्रा मिकी है (आप १२।१७।८-८) किन्तु प्रातः कालीन सप्तस्तोत्र की बह्विष्यमान कहा जाता है। दूसरी एक तीसरी बार रस निकालते समय क्रमसे माध्यमिन पञ्चमान एक आर्म या तुलीय पञ्चमान कहा जाता है। अन्य स्तोत्रों को धर्म कहा जाता है (कार्या १।२।५ की टीका)।

बह्विष्यमान स्तोत्र कहे जाते समय उभेता पुरोहित आष्विनीय पात्र से सोमरस को पूतनू पात्र में डालता है। स्तोत्र समाप्त हो जाने पर अर्धवृ आन्वीभ पुरोहित स विष्णु पर अग्नि प्रवक्षित करते की करता है और बेरी पर कुश रखते तथा पुरोडासों (रोटियों) को जलकृत करने की आज्ञा देता है। इसी प्रकार अर्धवृ प्रतिप्रस्ताता की सवनीय पन्नु काने की आज्ञा देता है।

सवनीय पन्नु की आहुति—अग्निष्टीम में सोमरस निकालने के दिन अग्नि के लिए बकरे की बलि दी जाती है। उ प्य यत्र मे इन्द्र एव अग्नि के लिए एक दूसरे बकरे की बलि हुईती है। पोखरी यत्र भ एक तीसरा पन्नु (कार्या १।८।४ के मत से मेव तथा आप १२।१८।१३ के मत से बकरा) काटा जाता है। अतिरात्र म सरस्वती के लिए बकरा काटा जाता है। इन चार पन्नुओं को स्तोत्रायन (कार्या ८। १७) एव ऋणुपन्नु (आप ५।३।४) कहा जाता है। इन पन्नुओं की बलि निरुद्ध-यसुवन्ध के मयान ही की जाती है। सभी पुरोहित एक यजमान सभी में प्रवेश करते हैं और बीडम्बरी स्तम्भ के पूर्व एक अपने बलिपय आसनों (बिष्णुपासी) के पवित्रम भान में बैठ जाते हैं। वे सभी अपने-अपने सोमरस-पात्रों एव तीनी बौनियो बर्बात आष्विनीय पूतनू एव शोषकस्य तथा घृण-पात्रों की और मत्रों के साथ बृत्ति पेशते हैं। यजमान मत्रों (आप १२।१९।५) के साथ इन सभी पात्रों का सम्पादन करता है। इस उपरान्त प्रतिप्रस्ताता पौत्रो सवनीय आहुतिपौ (यथा इन्द्र के लिए ग्यारह बपानों पर बनी रोटी इन्द्र के बीनी हरिनामक घोड़ी के लिए बाना (मुना हुआ जी) पूजा के लिए करन्ध (वही से मिश्रित जी का सनु) सम्पनी क लिए बही एव मित्र तथा बरुन के लिए पयस्या जाता है। अर्धवृ इन आहुतिपौ को सजाकर एक पात्र में रखता है। इन आहुतिपौ के देने के उपरान्त सीमाहुतिपौ द्विवेत्प षड्ही को अर्धवृ इन्द्र एव बामु मित्र एवं बरुन तथा बीनी अष्विनी की (बी-बी बेसों की साथ-साथ) दी जाती है। इनके उपरान्त षमस्तोत्रयन इत्य इला है।

षमस्तोत्रयन—उपारवैरी ने पवित्रम में उभेता नामक पुरोहित षमस्तोत्रयनो के लिए भी प्यात्तियाँ सोमरस स करता है। सर्वप्रथम शोषकस्य से सोमरस लिया जाता है (इसे उपमन्गय कहा जाता है) तब पूतनू ए और अन्त में पूत हापकस्य में सीमरस लिया जाता है (इसे अष्विपारुन कहा जाता है)। ये ती पात्र षम में डीला बढ़ा ज्

पक्षा यजमान यैवावस्व ब्राह्मणाच्छंभी पोषा मेष्टा एव जाम्बीभ के लिए भरे जाते हैं (उभेता तथा अष्ठावा के लिए सोमरस नहीं मरा जाता)। इसके उपरांत शुक्राग्नि-अभ्यर्चन कृत्य होता है।

सुक्राग्नि-अभ्यर्चन—अभ्यर्च्यं सुक्र नामक सीमंवाच प्रह्वन करता है। इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता यन्वी पात्र तथा उत्तरवैदी पर रखे गये बमसों (बम्मसो) को बमसाभ्यर्च्यं कृत्वा बह्वन करते हैं। बमसाभ्यर्च्यं क्रम यजमान द्वारा बुने गये ऋत्विग नहीं हैं वे पुरोहिता (ऋत्विगो) द्वारा बुने गये सहायक पुरोहित होते हैं (देखिए वैमिनि १।१।२७)। वैमिनि (१।७।२६-२७) के मत से बमसाभ्यर्च्यं कुक मिलाकर दस होते हैं। तीन पुरोहित सबस पहले सीमं रस पान करता है अष्ठ्यर्च्यं या ब्रह्मा? इस विषय में मतभेद है। विभिन्न पुरोहिती के पीने की विधि बड़ी अटिक है सीमं रसनाभाव से इस का वर्णन नहीं किया जा रहा है।

शुद्धपत्र—अग्निष्टोम कृत्य में विभिन्न श्नुतु-वाचों से भी सीमंरस मरा जाता है। इन पात्रों में शीमंरसमं स रस बरा जाता है। अभ्यर्च्यं शीर उसका सहायक प्रतिप्रस्थाता १२ मासों (मनु, माघन आदि देखिए) तीर्तीय सहित (१।१।१४) या बावसमेवी सहित (७।१) या मसमाद्य को लेकर ११ मासों (जब कि ११ मास पक जाय) को भी सीमं रस देता है। मसमाद्य को सस्यं (तै सं १।१।१।१) एक गृहसंपत्ति (बाज म ७।१) कहा जाता है। सोमं मासों की छ श्नुतुओं को भी सीमंरस प्रदान किया जाता है। दो मासों से प्रथम को अभ्यर्च्यं तथा दूसरे को प्रतिप्रस्थाता रस देता है।

अथिय एवं सीमंरस—ऐतरेय ब्राह्मण (३।५।२-४) के मत से अथिय यजमान सीमंरस का पान नहीं कर सकता। अन्य मत से यदि अथिय चाहें तो यह करपद की क्रोमक टहनियों के रस करपद के या अथ पवित्र पेय या उजुस्मर (शुद्ध) के फसों को बह्नी में मिलाकर खा सकता है। किन्तु मसूत वाद्यमय में कभी-कभी राजाओं को 'सीमंवा' कहा गया है। कुछ गुणों (सत्यापाक ८।७ पृ ८८२) या (१।२।४।५) ने भी यही बात कही है। वैमिनि (१।५।४७-५१) ने लिखा है कि इन वस्तुओं का तरल रूप जब प्यासे में रस दिया जाता है तो उसे अथ-अमस कहा जाता है और यह ब्राह्मणी-जाति के अघारी पर काम दिया जाता है यह कामा नहीं जाता (देखिए वैमिनि १।५।१६)।

अथ एवं स्तोत्र—अग्निष्टोम कृत्य में ब्राह्मणों के वाचन के छ या सात प्रकार हैं यथा (१) शीमं रस स जा (२) ब्राह्मण एवं प्रतिपत्, (३) वृष्णीसम (४) त्रिविध् या पुरोस्म, (५) मूल (६) 'उत्पवाचि' मन्वी का जप (सास ५।१।१२७-२४) एक (७) याम्या (सास ५।१।१२१)। मासवाच्य भीमपूत्र के अतिरिक्त अथ यम्यो में 'वृष्णीसम' का उल्लेख नहीं हुआ है।

अग्निष्टोम में १२ स्तोत्र एक १२ मल्ल पाये जाते हैं। 'यमत्र' एवं 'म्योत्र' मन्वी का जर्म है 'स्तुति का प्रस्ता' किन्तु 'म्योत्र' वह स्तुति है जो स्वर के साथ गायी जाती है और 'यमत्र' वह स्तुति है जिसका वाचन मात्र होता है (गावर् वैमिनि ७।२।१७)। यमत्र का वाचन स्तोत्र का उपरान्त होता है। अग्निष्टोम में ब्राह्मण-यमत्र प्रथम यमत्र है और अग्नि रस अथिय। प्रस्तावाच के सवन (शीमं की कुछसमन्तर रस निवास्तने की क्रिया) में पाँच स्तोत्र गाये जाते हैं यथा—सवित्रवाच तथा अन्य चार आग्नेयस्तोत्र मय्याङ्गजातीन सवन में अन्य पाँच यथा माध्यन्दिन यजमान तथा अन्य

८. अर्थात् कि पहले (अध्याय २१, शिष्यी ३ से) लिखा जा चुका है प्रमुख पुरोहित चार हैं; होता अभ्यर्च्यं, ब्रह्मा एवं ज्यपाता इन चारों के तीन-तीन सहायक पुरोहित होते हैं; (१) होता के सहायक हैं ब्राह्मणद्वय अष्ठावाच्य तथा ज्यपातुन् (२) अभ्यर्च्यं के प्रतिप्रस्थाता, मेष्टा एवं उभेता (३) ब्रह्मा के ब्राह्मणपटनी, जाम्बीभ एवं पोषा तथा (४) ज्यपाता के प्रतीना प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य (बावर् भीमपूत्र ७।१।६ एक वाच थी १।१।५)।

चार पृष्ठस्तोत्र तथा सायकामीन सवन में केवल दो स्तोत्र यथा आरंभ पवमान तथा अग्निष्टोम साम। इस प्रकार कुल १२ स्तोत्र हुए। इसी प्रकार १२ सस्त्र ये हैं—प्राग्भक्त (होता द्वारा) प्रीगघस्त्र (होता द्वारा) एक तीन आर्यसस्त्र (मैत्रावरुण ब्राह्मणाच्छी एव अच्छावाक द्वारा—ये तीनों ही एक कहे जाते हैं) मय्याङ्गकामीन सवन में मरुत्परीय सस्त्र (होता द्वारा) निज्येभ्यस्त्र (होता द्वारा) एक होता के सहायको (मैत्रावरुण अच्छावाक एव वावस्तुव) द्वारा अन्य तीन सस्त्र तथा सायकामीन सवन में होता द्वारा कहे जाने वाले दो सस्त्र यथा—वैश्वदेव सस्त्र एक अग्निमास सस्त्र। त्रिभुत्स्तोम में बह्विभ्यवमान का पञ्चवस्त्रोम में चार आर्यस्तोत्र एव साम्यन्विन पवमान वा सप्तवस्त्रोम में चार पृष्ठस्तोत्र एव आरंभ पवमान का तथा एकविंशस्तोम में यज्ञायत्रीय का गायन होता है। 'स्तोम' का अर्थ है कई छन्दों का समूह। पञ्चवस्त्रोम आदि अन्य छन्दों का आशय यह है कि छन्द (अग्निवत्तर तीन) १५ १७ २१ आदि सख्याओं तक बढ़ा दिये जाते हैं। यह बढ़ावा कई विधियों (विन्दुविधियों) से होता है जो बार बार कुहराने के आकार पर बनी होती हैं। इन विधियों के विस्तार का वर्णन यहाँ अनावश्यक है।

वसिष्ठा—अग्निष्टोम कृत्य में वसिष्ठा देने का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। यजमान एक उसके परिचार के लोभने के परिधान में जो स्वर्ण-संख बँधा रहता है वह वसिष्ठा के रूप में पुरोहितों को दिया जाता है। पुरोहितों को अन्य प्रकार की भेंटें भी दी जाती हैं। आपस्तम्ब (१३।५।१—१३।७।१५) ने चौल्लह पुरोहितों की वसिष्ठा का वर्णन विस्तार से किया है। वसिष्ठा के रूप में ७ २१ ९ १ ११२ या १ पायें हो सकती हैं वा षोडश पुत्र के मान की छोड़कर सारी सम्पत्ति दी जा सकती है। जब एक सङ्घर्ष पशु या सारी सम्पत्ति भी जाती है तो उसके साथ एक लक्ष्मण भी दिया जाता है (आप १३।५।१३)। बकरियाँ में से चोटे दाढ़ वाली परिधान रख करे तथा मण्डि मण्डि के अन्न दिये जा सकते हैं। यजमान वसिष्ठा के रूप में अपनी बन्धा भी दे सकता है (जब बिबाह)। सारे पशु चार भागों में बाँटे जाते हैं। एक चौथाई भाग अश्वर्षु तथा उसके सहायकों को इस प्रकार दिया जाता है कि प्रतिप्रसवाता देप्ता एव उषेता को अश्वर्षु के मान का क्रम से आधा तिहाई एव चौथाई भाग मिले। सर्वप्रथम आग्नीम को वसिष्ठा दी जाती है। उसे एक स्वर्ण-संख पूर्ण पात्र तथा सभी रथों में सूत से बना एक लकिया दिया जाता है। प्रतिहृता गानक पुरोहित को सबसे अन्त में वसिष्ठा मिलती है (आप १३।६।२ एव कारवा १।२।३९)। अश्वर्षु एव उसके सहायकों को वसिष्ठा हविर्बलि-स्वन्न म दी जाती है किन्तु अन्य पुरोहितों को सबों के मीठर। अग्नि भोज के एक ब्राह्मण को (जो ऋत्विक् नहीं होता) सबसे पहले वा आग्नीम के उपरांत एक स्वर्ण-संख दिया जाता है। आग्नीम के उपरांत क्रम से बह्या उज्जाता एव होता की घाटी माती है। इन पुरोहितों तथा ऋत्विक् के अतिरिक्त चमसाध्वर्षुओं को सबसे तथा मयो में बँधे हुए बर्षकों की भी बचावहित दान दिया जाता है। इन बर्षकों की प्रसर्पक सखा है। किन्तु नन्ध एव बचपय मीठ वाली तथा उन लोभों को भी मीठते हैं वसिष्ठा का भाग नहीं मिलता (आप १३।७।१-५, कारवा १।२।३५)। माघारत्नक ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता किन्तु बरि बहु वैश्व ही तो उन दिया जा सकता है किन्तु वेदज्ञानपूर्ण ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता।

सोम क्या था ?

पुरोतीय विद्वानों में सोमयाज से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी मतभेद बन्नामार्थ बना डाली हैं। किन्तु इनमें कोई एक नहीं है। माघ-युद्ध के आरम्भ के दिवस में भारतीय वाजिन्स पुस्तकें भूज हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंत्र के पूर्व में सोम के सम्बन्ध की परम्पराएँ बनी आ गयी हैं। ऋग्वेद में सोम शीशु का चन्द्र से सम्बन्ध बताया गया है (ऋग्वेद १।८५।१ एव २)। ऋग्वेद (५।५।१।१५ १।८५।१ ७ ८।९।१ १ १।१०।१७ १ १५।८।१) में चन्द्र की बहूया 'साम्' या 'चन्द्रमम्' कहा गया है। ऋग्वेद में एक पञ्चम (८।८।२।८) पर एक उल्लेख आया है—'वी अन्तु चन्द्रया इव लीयचन्तु वदुप

बर्षान् सोम (सोम क) पाशों में बीसा ही बीसना है जैसा कि जल में चन्द्रमा।" अथर्ववेद में आया है—“सोमो मा देवो मुष्कन्तु यमाहुः सचन्द्रमा इति (१।१।६।७) अर्थात् वह देवता जिसे लोग चन्द्रमा कहते हैं, सोम है।” कई स्थानों पर सोम को ईशु कहा गया है (ऋ १।८६।२४ २६ ३७ ८।४।८।२४ ५.१२.१३)। कहा जाता है कि सोम मूत्रवान् (पर्वत) (ऋ १।३४।१) पर उपता वा और आर्यीनीय देता में मुषोमा नदी पर पाया जाता वा (ऋ ८।१६।४।१)। स्पष्ट है ऋग्वेद में भी सोम के विषय में बल्लकबाएँ मात्र प्रचलित थीं। ऋग्वेद (१।८६।२४) में आया है कि मुषर्ष (गहक पत्नी?) इसे स्वर्ग से यहाँ ले आया। इसी प्रकार ऋग्वेद (१।९।३।६) में पुन आया है कि इमे कौरि रयेन (बात्र पत्नी) ले आया। ब्राह्मणों के काल में यह बहुत कठिनाता से प्राप्त होता था। सततपञ्चाङ्गम (४।५।२) में सोम के स्थान पर कई अन्य पौधों के नाम दिये हैं जिनमें फास्फुन पौधा बृह एव इरे दुग्ग प्रसिद्ध हैं। ताण्ड्यब्राह्मण (१।३।३) में कहा है कि यदि सोम न मिल तो पूनीक से रस निकाला जा सकता है। पूनीक के विषय में आश्वलायन (१।८।५) ने भी लिखा है। किन्तु पूनीक के बारे में कुछ नहीं आता है। दक्षिण में अब कभी सामयान किया जाता है तो सोम के स्थान पर ‘रासेर’ (मराठी) नामक पौधा काम में आता है।

अध्याय ३४

अथ सोमयज्ञ

सूना में सोमयज्ञों के सात प्रकारों के विषय में लिखा है जो ये हैं—अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्थ्य पोडशी वाजपेय अतिरात्र एव अष्टोर्नाम (कात्या १।१।२७ आश्व १।१।११ लाट्यायन ५।४।२४)। प्रथम के विषय में हमने पूर्व अध्याय में पढ़ किया है। अन्य सोमयज्ञों के विषय में हम बहुत ही संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सभी सूत्र सोमयज्ञों को संख्या एक ही नहीं बताते। आप (१।४।१।१) एव सत्याबाह (१।७।पृ १५८) ने स्पष्ट लिखा है कि उक्थ्य पोडशी अतिरात्र एव अष्टोर्नाम केवल अग्निष्टोम के विभिन्न परिष्कृत रूप हैं। ब्राह्मणों में अग्निष्टोम उक्थ्य पोडशी एव अतिरात्र अष्टोर्नाम के विभिन्न रूपों में ही वर्णित हैं (सतपथ ४।१।१।३ तैत्ति १।१।२ एव ४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने वाजपेय को भी ऐसा ही मान लिया है।

उक्थ्य या उक्थ

इस सोमयज्ञ में अग्निष्टोम के स्तोत्रों एव घट्टों के अतिरिक्त अन्य तीन स्तोत्र (उक्थस्तोत्र) एव घट्ट (उक्थ घट्ट) पामे जाते हैं और इस प्रकार सायकालीन सीमरस निकालते समय बाने बाने (स्तोत्र) एव कहे बाने बाने (घट्ट) एकत्र जुस निकालकर १५ होते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३ आश्व १।१।१३)। आपस्तम्ब (१।४।१।२) का कथन है कि उक्थ्य पोडशी अतिरात्र एव अष्टोर्नाम क्रम से जन्ही सोनी द्वारा सम्पादित होते हैं जो पशु शक्ति शक्तति एव सभी वस्तुओं के अधिकारी होते हैं। उक्थ्य में अग्निष्टोम के सामान्य बलि दिये जाने वाले पशुओं के अतिरिक्त बकरों की भी बलि दी जाती है (वेद्विण ऐतरेय ब्राह्मण १।४।३ आश्वलायन १।१।१३ आपस्तम्ब १।४।१ सतपथ १।७।पृ १५८ १५९)।

पोडशी

इस यज्ञ में उक्थ्य के १५ स्तोत्रों एव घट्टों के अतिरिक्त एक अन्य स्तोत्र एव घट्ट वा गायन एवं पाठ होता है जिसे तृतीय अवन (सायकाल में सीमरस निकालने) में पोडशी के नाम से पुकारा जाता है। आपस्तम्ब (१।४।१।५) के मत में प्रातःकाल या अथवा रात्री में उस रूप में लिए एक अविज पात्र भी एक दिया जाता है। बहु पात्र अतिरिक्त न्यून भी सज्जी से बनाया जाता है और इसका आकार खुज्जोल होता है। इस यज्ञ में इन्द्र के लिए एक नेत्र भी बाटा जाता है। इसकी दत्तिया सीहित-पिणक पोड़ा या मारा कम्बर होती है (वेद्विण ऐतरेय १।१।४ आश्व १।२-३ आप १।४।१।३ सत्या १।७।पृ १५९-१६२)।

अत्यग्निष्टोम

इस यज्ञ में पोडशी स्तोत्र पोडशी वाज एव इन्द्र के लिए एक अन्य पशु जोड़ दिया जाता है अन्य बातें अग्निष्टोम के समान ही बायी जाती हैं।

अतिराज

इस यज्ञ का नाम अश्वमेध (७।१ ३।७) में भी आया है। यह एक दिन और रात्रि में समाप्त होता है अतः इसका नाम अतिराज है। आपस्तम्ब (१।१।४) का कहना है कि कुछ लोगो के मत से यह अग्निष्टोम के पूर्व सम्पादित होता है। अतिराज में २९ स्तोत्र एवं २९ रात्रि होते हैं। इसमें अतिरिक्त स्तोत्र एवं रात्रि रात्रि के समय तीन स्तोत्रो एवं घर्षणों के चार जातों में जिन्हे पर्याय कहा जाता है वह जाते हैं। आश्वलायन (१।७।१) ने इन १२ घर्षणों की बीर संकेत किया है। इसमें आश्विन नामक रात्रि माये जाते हैं किन्तु इसके पूर्व रात्रि में ६ आहुतियाँ दी जाती हैं। आश्विन-घर्षणों की बिधि प्रातरनुवाक के अनुसार होती है और सूर्योदय तक कम-से-कम एक सहस्र मन्त्र कहे दिये जाते हैं। सन्धिस्तोत्र का पाठ सम्पन्ना काल में होता है। इसका स्वर उपन्तर होता है। यदि सूर्य का उदय न हो तो होता अश्वमेध (१।१।१२) का पाठ करता रहता है। किन्तु सूर्य उदय हो जाय तो वह छोटी आधारे (आ १।१।५८ १।५ १।९ १।१५ १।३७) कहता है। सोमरस निकालने के दिन सरस्वती की एक भेड़ (कुछ लोगो के मत से भेडा) बधायी जाती है (सतपथ ब्राह्मण १।७ पृ ९६३)। रात्रि में प्रमुख कमस इन्द्र अग्निधर को भिजे जाते हैं। दो बपालो पर बनी एक रोगी (पुरोडाश) तथा एक प्याली भर सोमरस अश्विनी को प्रतिप्रस्थाता द्वारा दिया जाता है। इस यज्ञ के विषय में बिस्तार से जानने के लिये देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (१।७।३ एवं १।१।५-७) आश्वलायन (१।४-५) सप्तापाठ (१।७ पृष्ठ ९६२ ९६५) आपस्तम्ब (१।१।८—१।७।११)।

अश्वोर्षामि

यह यज्ञ अतिराज के सदृश है और प्रणीत होता है, यह उषी का बिस्तार मात्र है। इसमें चार अतिरिक्त स्तोत्र (अर्थात् कुछ मिलाकर ३३ स्तोत्र) एवं चार अतिरिक्त रात्रि होता एवं उसका सहायको द्वारा पढ़ जाते हैं। अग्नि एवं विरहे देव एक बिन्दु (आप १।७।१।२-१६ सप्तापाठ १।७ पृ ९६६ ९६७) मातायन १।५।१।२४-१८ एवं सप्तापाठ १।४ पृ ११११) के लिए तम से एक-एक अर्थात् कुछ मिलाकर चार कमस (सोमरस की आहुति देने वाला एक प्रकार का पात्र) होले हैं। आश्वलायन (१।१।१।१) के मत से यह यज्ञ उष लोपी द्वारा सम्पादित होता है जिसके पशु जीवित नहीं रहते वा जो अश्वी जाति के पशु ने अग्निवाची होने हैं। अश्वोर्षामि की बलिवा महत्ता थीर होती है। होता को रजतवर्णित तथा गार्हपत्यो से लीजा जाने वाला रूप मिलता है। बहुधा यह यज्ञ अश्व यज्ञ के साथ किया जाता है। ताण्ड्य ब्राह्मण (२।१।४।५) का कहना है कि इसका नाम अश्वोर्षामि इसलिए पड़ा है कि इसके द्वारा अग्निवाचित वस्तु प्राप्त (आपुं) शत्रु से बना हुआ पाय) होगी है।

आजपय

आजपय का शाब्धिक अर्थ है 'संज्ञित एवं पय वा शक्ति वा पीता' वा 'मात्रल वा पीता' वा 'जाति वा पीता'। यह भी एक प्रकार का सोमयज्ञ है अर्थात् इसमें भी सोमरस का पात्र होता है अतः इस यज्ञ में सम्पादन में संज्ञित (अन्न) यकित जाति की प्राप्ति होती है। इसमें वांछनी की बिधि पायी जाती है और यह ज्योतिष्योपय का ही एक रूप है किन्तु इसकी अपनी पूयक विशेषताएँ भी हैं। इस यज्ञ में १७ की भरवा को प्रमुखता प्राप्त है। इसमें स्तोत्रों एवं

१ आजपय के कई अर्थ कहे गये हैं। सैतरीय ब्राह्मण (१।३।४२) का कहना है—“आजपयो वा पयः। पाय इति वा ऐतनुः। सोमो वा आजपयः। अन्नं वा आजपयः।” साम्पायनपीठ (१।५।१।४।६) का कहना है “आजं वा पयः। अन्नं आजः। पयं वा पूर्वमापयः। तपोऽन्नयोऽपयः।”

पादों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि होती है। दक्षिणा में १७ बस्तुएँ दी जाती हैं, पूष (जिसमें बाँधकर पशु की बलि होती है) १७ अरत्नियों का सम्पादन होता है। पूष में जो परिवान बोधा जाता है वह भी १७ टुकड़ों वाला होता है। यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक बीसा ३ दिनों तक उपमस तथा एक दिन मीम से एक निष्काम्ना) चलता रहता है (वेदिग. आप. १.८।१।५ ताण्ड्य १.८।३।५ आप. १.८।१।२ आश्व. १।१।२ ३ आदि)। इसमें प्रजापति के लिए १७ प्याण्डियों में मुरा मदी रहनी है और इन्हीं प्रकार १७ प्याण्डियों में सोमरस भी रखा जाता है। इस मंत्र में १७ रत्न होने हैं जिनमें घोड़, जलकर, बीड़ की जाती है। बेदी की उत्तरी ओर की पर १७ बीसके रखी रहती हैं, जो माघ ही बनायी जाती हैं (आप. १.८।३।५ एव ७ कात्यायन १।३।१।५)। यह अग्नि इत्यु इसके द्वारा दिया जाता था जो आग्निपत्य (आश्व. १।१।१) या समुद्धि (आप. १.८।१।१) या स्वराग्न्य (इन्द्र की तिष्ठति या निबिरोध राग्न्य) का अभिसाधी होता था। यह गरुड ऋषु में सम्पादित होता था। इसका सम्पादन मेकक ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता था बस्य नहीं (ते. वा. १।३।२ सात्यायन ८।१।१ कात्यायन १।३।१।१ एव आप. १.८।१।१)। इस मंत्र के सभी पुरोहित यजमान एव यजमान की पत्नी सोने की सिक्कियाँ धारण करते हैं। पुरोहितों की निरन्धिता उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि इन्द्र एव इन्द्राग्नी के लिए जो पशु मारे जाते हैं उनका अतिरिक्त मरुतो के लिए एक ठोठ (बध्म्या) बाय सरस्वती के लिए एक मेघ तथा प्रजापति के लिए शूद्रबिहीन एव रज वाली या वाली तथा एव पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आप. १.८।२।१२ १३ कात्यायन १।३।२।११ १३)। प्रतिप्रस्थाता हविर्धान के बलिपौ बुरे के परिषम पार्ष्ण में एक उष्ण स्वस (घर) का निर्माण करता है जिस पर विभिन्न बड़ी-मूठियों से निर्मित आशय (परिभूत) की १७ प्याण्डियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्याण्डियाँ) पाणी के बुरे के पूर्व तथा आशयपात्र परिषम एक दूसरे से पूषक-पूषक रख दिये जाते हैं। कात्यायन (१।३।१।७ एव २६) के मत से नेष्टा नामक पुरोहित ही ऋतु एवं आशयपात्रों का निर्माण करता है। आशयपात्रों का मध्य में एक घीने के पात्र में मसु रखा जाता है। अब मन्माहुकामीन सोमरस निकाला जाता है उस समय रत्नों की बीड़ करायी जाती है (आप. १.८।३।३ एव १२-१५)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।२) ने उस बीड़ की ओर शकृत किया है जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस प्रश्न में उस बीड़ की कायदेव यह से सम्बन्धित माना है। आहुततीय अग्नि के पूर्व में १७ रत्न इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके पूरे उत्तर का पूर्व में रहने हैं। यजमान के रज में तीन बीड़ मन्त्री के साथ जोड़े जाते हैं और बीधा बोधा तीसरे पीठ के साथ बिना जोड़े हुए बीड़ता है। इन बीड़ों को बृहस्पति के लिए निर्मित ऋतुर्धिया जाता है। अब १६ रत्नों में बेदी के बाहर चार-चार बीड़ बिना मन्त्री के जोड़े दिये जाते हैं (कात्यायन १।३।१।१)। आत्माक एव उत्कर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत से राजपुत्र) एक तीर छोड़ता है और वहाँ वह तीर गिरता है वहाँ से वह एक दूसरा तीर छोड़ता है। यह किया १७ बार की जाती है। वहाँ सनहर्षा तीर गिरता है वहाँ उषुम्बटा एक रत्नम बाध बिना जाता है और उषी स्वक तक रज-बीड़ का इत्य किया जाता है (आप. १.८।३।१२ एव कात्यायन १।३।१।११ एव १६-१७)। अब रत्नों की बीड़ आरम्भ होती है ब्रह्मा १७ करोड़का एक पहिया रज की धुरी में कमाकर उस पर चढ़ता है और कहता है— संविता देवता की उत्पत्ति पर मैं बाध (संविता भोजन या बीड़) जीत लूँ (आप. १.८।३।८ कात्यायन १।३।१।३ कायसनेमी चह्मिटा १।१)। अब पहिया बाये छ बाहिने तीन बार घुमाना जाता है वो ब्रह्मा 'वाजि-साम' (आप. १.८।३।११ आश्व. १।१।८ सात्यायन ५।१।२।१५) का पाठ करता है। यजमान उस रज पर बैठता है जिस पर मन्त्री का उच्चारण किया जाता है।

२ ब्रह्मा इस मन्त्र का पाठ करता है—वाजिर्मर्वा आ वाजं वाजिनो अम्बोकेत्य उविषु सवै। स्वर्वा अर्बन्वो

अथर्वानुष्ठातृणां शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग जिन्हें बाजपेय
 कहा जाता है वीह में सम्मिलित होने के लिए दोष १६ एवो म बैठ बाते हैं। सोमही एवो की पमित के किसी एक
 एव में एक अग्नि या वैश्व बैठ जाता है। इस प्रकार एव-वीह आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ बोलकों बह उठती
 है। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चाबक (नीबार) के बंद को सभी बोधे चुंभ लेते हैं। सबसे आगे यज
 मान का एव होता है। अथर्वयजमान से विजय-यज्ञ अर्थात् अग्निरेकासरेयं (बाज स० ८।३१ ३४ तृति स १।
 १।११) कहा जाता है। समय तक पहुँच जाने पर एव उठार की ओर जाकर क्षीर फिर ब्रूमकर दक्षिणामिमुख हो
 जाता है। सभी एव पुनः यज्ञस्थल पर लौट आते हैं और सभी बोधों को पुनः नीबार (बाजवी चाबक) का बंधुंवाया
 जाता है। इनके उपरान्त हुनुमि-विषोबनीय होम होता है अर्थात् बीसक (हुनुमि) बजते समय होम किया जाता
 है। एव-एक बेर (कृत्वाक नामक एक प्रकार की लोख के बराबर स्वर्न-खण्ड) एव में बँडने वाले सभी बोधों को
 दिया जाता है जिसे व पुनः लौटते हैं। इन बोधों को बड़ा पहन कर देता है। स्वयं-यज्ञ म रखा हुआ मध पात्र
 के सहित बड़ा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-यज्ञ प्रह्वन किये जाते हैं। अथर्व हीनु अमन प्रह्वन करता
 है। इसी प्रकार बतसाधुर्ण सोम भी अपने अपने पात्र उठाते हैं। इसके उपरान्त मय इत्य किये जाते हैं जिनका
 वर्णन यहाँ बाजपेयक मही है।

बाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान शशिय की शक्ति व्यवहार करता है अर्थात् वह अध्ययन कर सकता है
 या दान कर सकता है किन्तु अध्ययन एवं दान-ग्रहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अग्निब्राह्मण करने के लिए
 मन्त्र कहा नहीं होता और न ऐसे सोमों के साथ ब्राह्मण पर बैठ सकता है जिन्होंने बाजपेय यज्ञ नहीं किया है।

अथर्वयजमान चाक एव की तथा यूप में बँडे हुए १७ परिघातों को ले जाता है। दक्षिणा के नियम म कई
 पाए हैं (वेदिए भाग १।८।३।८-५, भाष्य १।९।१४ १७ काट्या १।२।२९ ३३ एव लाट्या ८।१।१६ २२)।
 बाजपेयन का कहना है कि ब्रह्मिणा क रूप में १७ गायें १७ एव (बोधों के सहित) १७ पीठें पुत्रों के बन्दे
 कल्प १७ पशु, १७ बँक १७ मादियाँ मुनहरे परिघाती आकटो से मने १७ हाथी किये जाते हैं। ये बल्युर्ण पुरोहितों
 के हँडे की जानी हैं।

बाजपेय यज्ञ में बहूँक-से प्रतीकात्मक तएव पाये जाते हैं। भाष्यलायन (१।१।१९) का कहना है कि बाजपेय के
 अन्तर्गत के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजभूमि यज्ञ बने और बाह्यग की चाहिए कि वह उसके उपरान्त बृह
 लयिग्व करे।

अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ 'एकाह' यज्ञ कहे जाते हैं क्योंकि उनमें सोमरस प्याकियों द्वारा एक ही दिन
 पीना बार (मान मध्याह्न एव माम) दिया जाता है। भाष्यलायन (१।५ ११) बीषायन (१।८।११) कायायन

अथर्वानुष्ठातृणां शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग जिन्हें बाजपेय
 कहा जाता है वीह में सम्मिलित होने के लिए दोष १६ एवो म बैठ बाते हैं। सोमही एवो की पमित के किसी एक
 एव में एक अग्नि या वैश्व बैठ जाता है। इस प्रकार एव-वीह आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ बोलकों बह उठती
 है। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चाबक (नीबार) के बंद को सभी बोधे चुंभ लेते हैं। सबसे आगे यज
 मान का एव होता है। अथर्वयजमान से विजय-यज्ञ अर्थात् अग्निरेकासरेयं (बाज स० ८।३१ ३४ तृति स १।
 १।११) कहा जाता है। समय तक पहुँच जाने पर एव उठार की ओर जाकर क्षीर फिर ब्रूमकर दक्षिणामिमुख हो
 जाता है। सभी एव पुनः यज्ञस्थल पर लौट आते हैं और सभी बोधों को पुनः नीबार (बाजवी चाबक) का बंधुंवाया
 जाता है। इनके उपरान्त हुनुमि-विषोबनीय होम होता है अर्थात् बीसक (हुनुमि) बजते समय होम किया जाता
 है। एव-एक बेर (कृत्वाक नामक एक प्रकार की लोख के बराबर स्वर्न-खण्ड) एव में बँडने वाले सभी बोधों को
 दिया जाता है जिसे व पुनः लौटते हैं। इन बोधों को बड़ा पहन कर देता है। स्वयं-यज्ञ म रखा हुआ मध पात्र
 के सहित बड़ा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-यज्ञ प्रह्वन किये जाते हैं। अथर्व हीनु अमन प्रह्वन करता
 है। इसी प्रकार बतसाधुर्ण सोम भी अपने अपने पात्र उठाते हैं। इसके उपरान्त मय इत्य किये जाते हैं जिनका
 वर्णन यहाँ बाजपेयक मही है।

बाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान शशिय की शक्ति व्यवहार करता है अर्थात् वह अध्ययन कर सकता है
 या दान कर सकता है किन्तु अध्ययन एवं दान-ग्रहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अग्निब्राह्मण करने के लिए
 मन्त्र कहा नहीं होता और न ऐसे सोमों के साथ ब्राह्मण पर बैठ सकता है जिन्होंने बाजपेय यज्ञ नहीं किया है।

अथर्वयजमान चाक एव की तथा यूप में बँडे हुए १७ परिघातों को ले जाता है। दक्षिणा के नियम म कई
 पाए हैं (वेदिए भाग १।८।३।८-५, भाष्य १।९।१४ १७ काट्या १।२।२९ ३३ एव लाट्या ८।१।१६ २२)।
 बाजपेयन का कहना है कि ब्रह्मिणा क रूप में १७ गायें १७ एव (बोधों के सहित) १७ पीठें पुत्रों के बन्दे
 कल्प १७ पशु, १७ बँक १७ मादियाँ मुनहरे परिघाती आकटो से मने १७ हाथी किये जाते हैं। ये बल्युर्ण पुरोहितों
 के हँडे की जानी हैं।

बाजपेय यज्ञ में बहूँक-से प्रतीकात्मक तएव पाये जाते हैं। भाष्यलायन (१।१।१९) का कहना है कि बाजपेय के
 अन्तर्गत के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजभूमि यज्ञ बने और बाह्यग की चाहिए कि वह उसके उपरान्त बृह
 लयिग्व करे।

अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ 'एकाह' यज्ञ कहे जाते हैं क्योंकि उनमें सोमरस प्याकियों द्वारा एक ही दिन
 पीना बार (मान मध्याह्न एव माम) दिया जाता है। भाष्यलायन (१।५ ११) बीषायन (१।८।११) कायायन

(२२) यदि ने कुछ अन्य एकाह सोमयज्ञो का वर्धन किया है यथा बहुस्पतिवच मौक्त स्येन उद्भिद् विश्वस्मिन् प्रायस्त्वोम आदि, तिनका वर्धन यहाँ स्थापनामात्र से नहीं किया जायगा।

अहीन यज्ञ वे हैं जिनमें सोमरस का निकालना ही से बाखू दिनी तक होता रहता है तिनका अन्त अतिरात्र से साध होता है तथा जो बीसा एवं उपसृप् दिनी को मिलाकर एक मास तक होते हैं। इनका आरम्भ पूर्वमासी की होता है। इनमें कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो दो दिनी तीन दिनों (यथा गर्भजिदान) चार दिनी पाँच दिनी (यथा पञ्चरात्र जिनमें पञ्चधारतीय भी एक यज्ञ है) छ दिनी तक तथा इसी प्रकार नई दिनी तक चलते रहते हैं। इन्हीं अहीन यज्ञों में अरबमेघ एवं द्वापसाह यज्ञ भी हैं जिनका संक्षिप्त वर्धन यहाँ उपस्थित किया जायगा।

द्वापसाह एक सत्र

यह यज्ञ अहीन एक सत्र (आस्य १।५।२) दोनों है। इसके नई रूप हैं जिनम भरत-द्वापसाह (आस्य १।५।८ आप २।१।१५) अति प्रसिद्ध है। बाखू दिनी से प्रायचीय (वारुणिक इत्य-अतिरात्र) पृष्ठप यज्ञ (छ दिनी तक) अश्वमेध नामक उपस्य (तीन दिनी तक) अग्निष्टोम (सबसे बिल) एवं उरुवीय (अग्निष्टोम इत्य-अतिरात्र होता है) आदि इत्य क्रिये जाते हैं। अहीन एक सत्र में विधिष्ट अन्तर ये हैं—(१) सत्र नेवक द्वापसाहो द्वापसाहो द्वापसाहो तीनों उरुव यज्ञों द्वारा सम्पादित होता है। (२) सत्र अग्नी अग्नि (एक वर्ष या इससे भी अधिक) तक चलता रहता है किन्तु द्वापसाह को अग्नि नेवक बाखू दिनी तक है। (३) सत्र में यजमान एवं पुरोहितों में कोई अन्तर नहीं होता सभी ब्रह्मण्य होते हैं, किन्तु द्वापसाह में ऐसी बात नहीं होती। (४) सत्र में बलिषा नहीं होती क्योंकि सभी यजमान होते हैं। कात्यायन (१।२।१४) का कहना है कि वैदिक उन्मत्तों में यहाँ 'उपसृप्ति' एक आरुण्य

४ एकाह यज्ञों में विश्वस्मिन् यज्ञ बहुस्पतिवच है। इतने यजमान एक सहस्र वाय या अपने श्वेच्छ पुत्र के जाल को छोड़कर (भूमि तथा आतामी अर्थात् अपने जेतों में काम करने वाले धर्मिक धूर्तों को छोड़कर) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान में दे देता है (श्रीमिनि ४।३।१०-१६, १।७।१२ ७।३।६ ११ १।५।१३)। इस यज्ञ के उपरान्त यजमान उद्गुम्बर पेड़ के नीचे तीन दिनों तक रहकर केवल फल एवं कण्ड-मूल पर निर्बन्धि करता है तीन दिनों तक बहू नियाहो की जस्ती में रहकर चावल, प्रयामाक (साँचा) एवं हूरिच के मास भर निबन्धि करता है, तीन दिनों तक बहू श्वेच्छों (अनों) तथा अन्य तीन दिनों तक अग्नियों के साथ रहता है। इसके उपरान्त बहू वर्ष भर को कुछ दिया जाय उसे अस्वीकार नहीं कर सकता किन्तु मिसा नहीं जाय सकता (कत्याय २२।१।१ १३३ एवं कात्यायन ८।२।१ १३)। मौक्त तो एक अति विधि यज्ञ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।६) ने संक्षेप में इतका वर्धन किया है। स्थापना का इच्छुक इसे करता है। आप (२२।१।२।१-२ एवं २२।१।३।१ ३) ने सिद्धा है कि इस यज्ञ के उपरान्त साल भर यजमान को पशुव्रत अर्थात् पशु की अति आचरण करना पड़ता है, उसे वधु के समान बल पीन, मास भरना कुटुम्ब-व्यवहार आदि करना पड़ता है—'तेनेव्वा संवत्सरं पशुव्रतो भवति। उषावह-पौरक निवेत्तुगानि चाग्निष्टोमत्। उप मासतारमियायुप स्वतारमुप सनोवाम्' (आप २२।१।३।३)। एक अन्य मनोरञ्जक एकाह यज्ञ है तर्पस्वार जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो यज्ञ करने-करते स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भर जाना चाहता है। सार्यशाल सोमरस निवारणसे तमय जब आर्यक यजमान स्तोत्र का पठ होता रहता है यजमान पुरोहितों से यज्ञ की सम्पत्ति को प्राप्त बहुर अग्नि में प्रवेश कर जाता है। इस यज्ञ की धुन-अग्निष्टोम कहा जाता है (ताण्ड्य ब्राह्मण १७।१।२।५, श्रीमिनि १।५।५७-६१)।

बाये हैं, वे सत्र के छोटक हैं। किन्तु यहाँ 'घनेत या याजयेत' छन्द जाते हैं, उन्हें बहीम समझा जाना चाहिए। बहीम म केवल अन्तिम दिन अतिराज होता है किन्तु सत्र म आरम्भिक एवं अन्तिम दोनों दिन अतिराज होने हैं (शाखा० १२।१।५)।

राजसूय

यह यज्ञ पूर्वतया सोमयज्ञ नहीं है प्रत्युत एक ऐसा अटिस यज्ञ है जिसमे बहुत-नी पुष्य-पुष्य इष्टियाँ सम्पादित होती हैं और जो एक ऊंची अवधि तक चलता रहता है (दो वर्षों से अधिक अवधि तक)। किन्तु हम यहाँ केवल मुख्य-मुख्य बातों का ही उल्लेख करेंगे।

यह यज्ञ केवल क्षत्रिय द्वारा ही सम्पादित होता है। कुछ ऋषियों के मत से यह उन्नी व्यक्ति द्वारा सम्पादित होता है। बिचले वाजपेय यज्ञ न किया हो (शाखा १५।१।२) किन्तु कुछ अन्य ऋषियों के मत से यह वाजपेय यज्ञ के उपरान्त ही किया जाता है (आश्वलायन १।५।१९)। उपरान्त ब्राह्मण (१।३।४।८) में बताया है कि राजसूय करने से स्थिति राजा होता है वाजपेय करने से सम्भ्राट् होता है तथा राजा की स्थिति के उपरान्त ही मन्नाट् की स्थिति उत्पन्न होती है।

फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन मजमान पवित्र नामक सोमयज्ञ के लिए बीसा मेठा है जो अग्निष्टोम की विधि के समान ही है (शाखा १।१।२ आश्व १।३।२ शाखा १५।१।५)। बीसा के बिना ही मन्ना के नियम म मनयेव है (शाखा १।१।८, शाखा० १५।१।४)। राजसूय के प्रमुक्त इत्यो म अग्निपेचीव नामक इत्य पवित्र यज्ञ सम्पादन के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है (शाखा १।१।४)।

पवित्र यज्ञ के उपरान्त पाँच दिनों तक एक-एक करके पाँच आहुतियाँ की जाती हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को अनुमति के लिए एक इष्टि की जाती है (एक पुरीषाग दिया जाता है)। वैशिए शाखा (१५।१।९) एक आय (१।८।१)। इसके उपरान्त कई इत्य क्रिये जाते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को चातुर्मास्यो (अर्थात् वर्षप्रथम वैश्वदेव और तत्र चार मास उपरान्त बहवप्रथम आदि) का आरम्भ होता है। यह एक वर्ष तक चलता रहता है। चातुर्मास्यो जाने वर्षों के बीच पूर्णिमा एवं अमावस्या के मासिक यज्ञ होने रहते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन मुना पीर्यो वर्ष के साथ चातुर्मास्यो की परिमत्पत्ति होती है। इसके उपरान्त कई इत्यो का आरम्भ होता है तथा पञ्च मासीय (आय १।८।१।१०-११ शाखा १५।१।२०-२१) अनामार्ग-होम (आय १।८।१।१५२ शाखा १५।१।१)। इसके उपरान्त बारह आहुतियाँ की जाती हैं जिन्हें रत्निका हवीयि कहा जाता है और जो एक-एक करने बारह दिनों तक चल्ती रहती हैं। ये आहुतियाँ रत्नों के घरो म अर्थात् प्रथमान उमकी गनिया एवं राजनीय वर्ष चातुर्मास्यो के घरा म की जाती हैं (शाखा० १५।१ एवं आय १।८।१)। आश्वलायन के अनुसार य बारह रत्न हैं— मजमान किनापनि पुरीहित महातानी भूत (मासिक वा माट्?) घामकी (बीव वा मुगिया) दाता (बभुरि)

५. राजा राजसूयने घनेत। शाखायनयज्ञोत् (१।१।१)। तन्वावाड (१३।३) में 'घनेत' व पूर्व 'रवर्ग-बाकी' बीव दिया है (और वैशिए आय १।८।१ शाखा १५।१।१)। दावर (बैबिलि ११।२।१२) में 'राजसूयने स्वाराज्यदातो घनेत' उद्धरण दिया है। तभी एवंतघजमानो महाजसूयने घनेते तबेपो राज्यानां येषूयं स्वाराज्य-विशयं वर्धति' (आश्वलायन १५।१।३।१)। दावर में 'राजसूय' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है—'राजा तत्र सूयने तत्रात् राजसूयः। राजो वा यज्ञो राजसूयः (बैबिलि ४।४।१ की बीवा से)। सोम को 'राजा' कहा जाना है।

सबहीता (कोषपाक या सारणि ?) असावाप (घृत का जपीकरण) योनिवर्ता (खिकारी) दूत या पाकागल एव परि
 वृणी (गिरावृत्त रात्री)। इसी प्रकार कम से बेवता वे हैं—इन्द्र अग्नि जनीकवान् बृहस्पति अरिति बरुन मरुत
 सविता अश्विनी ख (असावाप एव योनिवर्ता के लिए) अग्नि मिर्चति (इसके लिए मत्स्यो से निकाले हुए काले
 पावक का खर दिया जाता है)। दक्षिणा की मात्रा भी पुनः-पुनः होती है। इसके उपरान्त कई अन्य आहुतियाँ
 की जाती हैं।

उत्तरान्तर अग्निवेशनीय इत्य होता है। जो राजसूय यज्ञ का केन्द्रिय इत्य है। यह पाँच दिनों तक चकता रहता
 है (एक दिन बीजा तीन दिन उपसर्ग तथा एक दिन सीमरस निकालने के लिए, जिसे मुख्य दिन कहा जाता है)।
 अग्निवेशनीय (अग्निविषय कुरुव) चैत्र मास के प्रथम दिन किया जाता है। यह इत्य यज्ञस्वक के दक्षिणी भाग में
 तथा इक्ष्वेय इत्य उत्तरी भाग में किया जाता है। दोनों इत्यो का हीता मू-जोमज रखा जाता है (ताम्ब्य ब्राह्मण
 १.८।१।२ कात्या १.५।४।१ एव शाखा १.५।१।२)। बीजो इत्यो के लिए सीम काया जाता है। सविता अग्नि
 बृहस्पति सीम वनस्पति बृहस्पति इन्द्र ख मित्र एव बरुन नामक आठ देवों को देवसू-ह्वि की जाठ आहुतियाँ की
 जाती हैं जो बर के रूप में होती हैं। बर की इन आहुतियों के उपरान्त पुरोहित १७ पाशों (उजुम्बर काष्ठ के पाशों)
 में १७ प्रकार का जल काता है। यथा—उरस्वती नदी का जल, यवती नदी का जल, किसी व्यक्ति या पशु के प्रवेश
 से उत्पन्न हुमबल मुक्त जल बहती नदी के जलसे बहाव का जल समुद्र-जल समुद्र की कहीरे का जल प्रमर से उत्पन्न
 जल कुले आकाश के बम्बीर एव सुस्विर जलाशय का जल पृथिवी पर गिरने से पूर्व सूर्यप्रकाश में गिरता हुआ
 बर्ग-जल झील का जल वज्रज गुहार जल आदि (कार्या १.५।४।२।४२ आप १.८।१।१।१८)। ये सर्वा
 प्रकार के जल उजुम्बर के पाश में मीनावदन नामक पुरोहित के हाथों से पास रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त
 अनेक इत्य होते हैं जिनका वर्णन यहाँ स्वानामात्र से नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के जलो से यजमान
 का अग्निविषय किया जाता है। होता घृत सेव की कला कहता है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३)। यह कला
 घृत बीजा के उपरान्त कही जाती है। अग्निवेशनीय इत्य के उपरान्त भी प्रकार-क हीम किये जाते हैं जिन्हें
 'नामम्भतिवर्णनीय' कहा जाता है। इन हीमों में पहले ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता का पिता कहा जाता है और तब
 वास्तविक सम्बन्ध जोपित किया जाता है (आप १.८।१।१।४५ कात्या १.५।१।११)। इसके उपरान्त
 यीशो की सूट का प्रतीक उपस्थित किया जाता है। यजमान (यहाँ राजा) अपने सने-सम्बन्धियों की सी या अतिक
 मायो को घृत लेने का भाव प्रकट करता है। वह यह किया चार बीजों वाले रव पर चककर करता है। मायो को
 वह पुत्र लौटा देता है। इसके उपरान्त रक्षिमोक्षनीय नामक चार आहुतियाँ की जाती हैं। यजमान बान बेने का
 इत्य करता है। यजमान (राजा) घृत (जुजा) बेस्ता है जिसमें उसे जिता दिया जाता है।

अग्निवेशनीय इत्य के बस दिन उपरान्त बसोम इत्य किया जाता है। वक्षेव इत्य में बस चमरी एव बस
 ब्राह्मणो ना समीता होता है। ये बस ब्राह्मण अद्विक ही होते हैं और बस चमरी में कम से एक-एक चमस सीमरस
 पाल करते हैं। ये ब्राह्मण बस चमरी के अतिरिक्त चमरी (अनुप्रसर्वकी) का भी पाल करते हैं जो कम से उनके
 बस-बस पुत्रपुत्रों (पुत्रों) के घोलक होते हैं।

राजसूय यज्ञ के कई मायो एव अगो के इत्यो में भी बान-दक्षिणा देने का विधान है जिन्हु अग्निवेशनीय
 एव इक्ष्वेय इत्यो में विशिष्ट दक्षिणाएँ की जाती हैं। अग्निवेशनीय इत्य में ३२ चारों चार प्रमुख पुरो-
 हितों को १६, प्रथम सहायको को ८ आगे के चार सहायको को तथा ४ अग्रिम चार सहायको को
 की जाती हैं। इस प्रकार हीता सम्भर्षु, ब्रह्मा एव जन्वाता में प्रत्येक को ३२ चारों मीनावदन (हीता के प्रथम
 सहायक) प्रतिप्रस्थाता (सम्भर्षु के प्रथम सहायक) ब्राह्मणाच्छवी (ब्रह्मा के प्रथम सहायक) एव प्रस्तौता (उर्षु

यज्ञ के प्रथम सहायक) से प्रत्येक को १६ यारों तथा जाये के चार (अच्छावाक वेष्टा बानीम एवं प्रतिहृती) य प्रत्येक को ८ एवं अन्तिम चार (प्राक्स्तुय उषेता पोता एवं मुञ्जहृष्य) में प्रत्येक को ४०० यारों की जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर २४ यारों की जाती है। दशमेय कृत्य के उपरान्त १ • यारों की जाती है और १६ पुरोहिती की विविष्ट वसिष्ठा भी जाती है (आश्व १।१।७-२ भाष १।८।१।६-७ कात्या १।५।८।३-२७ काट्या १।२।१५) यथा—यौने की एक सिकड़ी एक घोडा बछड़े के साथ एक दुग्धात् माय एक बकरी सोने के दो कर्णफूल चाँदी के दो कर्णफूल पाँच बर्ष वाली बारह मासिन यारों एक बन्ध्या माय सोने वा एक घोडाकार आसूयम (रुम) एक बैल दई का एक परिचाम सन (घग) का एक मोटा बदन जी से भरी एक एक बैल कुल पाड़ी एक साँव एक वसिष्ठा एक तीन बर्षीय बैल क्रम से दुग्धाता एक उसके तीन सहायकी (प्रस्तौता प्रतिहृती एवं मुञ्जहृष्य) अम्बर्षु प्रतिप्रस्थाता ब्रह्मा मीनादशक होता ब्राह्मणमाञ्जवी पोता वेष्टा अच्छावाक बानीम उषेता एवं प्राक्स्तुय को दिये जाते हैं।

दशमेय कृत्य से ब्रह्मूच स्नान के उपरान्त सास भर एक राजा को कुछ घत (देवजग काट्या १।२।१७) करने पड़ते हैं यथा—बहु नियम स्नान के लिए बस म डबकी नहीं लगा करना देवक मरीच को रण्ड भर स्नान करे, बहु सबैव बाँवों को स्वच्छ रखे नाखून कटाय ब्राह्म नहीं कटायें केवल बाँवों एवं मूँठ स्वच्छ एवं बह-भूमि से बाह के चमड़े पर रखन करे, प्रति दिन समिधा डाले उसकी प्रजा (ब्राह्मणों को छोड़कर) सास भर एक केश नहीं कटायें इसी प्रकार उसके घोडों के बाल भी सास भर तक नहीं काटे जायें। सास भर एक राजा बिना पर गाव के पृथिवी पर नहीं पड़े।

कुछ अन्य छोटे-मोटे कृत्य भी होते हैं यथा पंचवित्त एवं बारह प्रयुज नामक आहुतियाँ जो जन स चारों दिशाओं एवं बीच में तथा माथों के बीच में वा प्रति को दिनों के उपरान्त की जाती है (कात्या १।५।१।१ ३ १।५।१।११ १४ भाष १।८।२।५-७)।

दशमेय कृत्य के एक वर्ष उपरान्त केषवपनीय नामक कृत्य होता है जिनकी बिबि अतिराज यज्ञ न समाप्त होती है (आश्व १।३।२४) और जिसमें सास भर के बाल काट डाले जाते हैं। इसके उपरान्त स्यूष्टि द्विराज-द्विराज का समापन समुष्टि के लिए होता है। नामक दो हव्य किये जाते हैं। स्यूष्टि प्रथमतः एक प्रकार का अग्निष्टोम ही वा और द्विराज एक प्रकार का अतिराज। केषवपनीय स्यूष्टि एवं द्विराज क समापन-बाणों के विषय में मत-मता भेद हैं। स्यूष्टि-द्विराज के एक मास उपरान्त ब्रह्म-भूति नामक कृत्य किया जाता है। इस कृत्य का सम्बन्ध अग्नि ऋषि से है। यह अग्निष्टोम की बिबि के अनुसार किया जाता है। मातापतनीयमूत्र (१।५।१।११ ११) में बताया है कि इस कृत्य के न करन से बृहज्जो को प्रत्येक यज्ञ में हार खानी पड़ी। एक अन्य कृत्य वा प्रथमवी वा उपरसानीया के स्नान पर किया जाता वा (घृतपत्र ब्राह्मण ५।५।६ ९) जिसमें पाचक एवं जी की मिथिन रोगी की भाङ्गि भी जाती थी। इस प्रकार राजसूय का अन्त होता था किन्तु इसकी समाप्ति के एक मास उपरान्त लौकिककी नामक इष्टि की जाती थी। लौकिककी का वर्णन जाये के अध्याय में किया जायगा।

राजसूय यज्ञ की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय गृह्य (१।८।१ १०) तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।१ १) घट (५।२।३-५) ऐत (३।११ एवं ८) ताण्ड्य (१।८।८ ११) भाष (१।८।८ २२) कात्या (१।५।१ ९) आश्व (१।३।४) काट्या (१।१ ३) वात्सा (१।५।१२) वीथा (१२)।

सौत्रामणी, अश्वमेध एव अग्न्य यज्ञ
सौत्रामणी'

यह यज्ञ हविर्भक्तो के सात प्रकारों में एक है (गीतम ८।२ कात्या ५।४।२१)। यह यौग्ययज्ञ नहीं है यह एक इष्टि एक पशु-यज्ञ का नियम है (षाठ १२।७।२।१)। इसमें सुरा की आहुति दी जाती है। आजकल सुरा के स्थान पर दूध दिया जाता है। इनके दो रूप हैं (१) कौटिली एवं (२) बरक-सौत्रामणी (वा साधारण सौत्रामणी)। कौटिली इत्ये वा सम्पादन स्वतन्त्र रूप से होता है किन्तु सामान्य सौत्रामणी इत्ये राजपूय यज्ञ के एक भाग उपरान्त तथा अग्निषयम के अन्त में किया जाता है। कात्यायन (५।४।२१) के मत से केवल कौटिली में घाम मन्त्रों का वाचन होता है अग्न्य प्रकारों में नहीं। कात्यायन (११।५।१) के मत से ब्रह्मा पुरोहित बृहती ध्वनि में इन्द्र के लिए घाम का मायन करता है। आपस्तम्ब (११।१।२) का कहना है कि सामान्य सौत्रामणी की विधि निरुद्ध-पशुयज्ञ के समान होती है और यही बात कौटिली के नियम में भी लागू होती है। बरकप्रभाष के मतान ही इसमें दो अग्नियाँ होती हैं किन्तु बशिष्ठ अग्नि बेदी पर नहीं रखी जाती (कात्या ११।२।१ एवं ५।४।१२)। षतपथ ब्राह्मण (१२।७।१।७) आग्नि के मत से दो बेदियाँ होती हैं जिनके पीछे दो उरुष्य स्वक्तों का निर्माण होता है जिनमें एक पर दूध की प्याक्तियाँ तथा दूसरे पर सुरा की प्याक्तियाँ रखी जाती हैं। इस इत्ये में बार बिन लय जाते हैं प्रथम तीन दिनों तक मूर्ति-मूर्ति के पदार्थों से सुरा बनायी जाती है और अन्तिम दिन में दूध तथा सुरा की तीन-तीन प्याक्तियाँ अग्निनी सरस्वती एव इन्द्र को समर्पित की जाती हैं तथा इन्हीं तीन बेदों के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती है यथा अग्निनी के लिए मूँटे रग का बकरा सरस्वती के लिए भेड़ (मेघ) तथा इन्द्र मुत्तामा के लिए एक बैल (साध्यायन १५।१५।१४ आश्वकत्यायन ३।१।२)। षतपथब्राह्मण (५।५।४ एवं १२।७।२) कात्या (१५।१।२८ ३ एवं ११।१।२) आदि में सुरा-निर्माण के विषय में विचार बर्धन मिलता है जिसे हम यहाँ स्वाताभाष से नहीं देखें हैं।

सौत्रामणी में तीनो पशु बकर भी ही संघटत हैं। कुछ परिचितियों में बृहस्पति भी भी एक पशु दिया जाता है (भाष ११।२।१ २)। यह इत्ये राजपूय के अन्त में वा उनके लिए की बलक इत्ये वा सम्पादन करते हैं, जो अजन्त जा अश्विनि गीम पाने के कारण भीमार पत्र जात है अर्थात् जिनके घरीर के छिद्रों से (मुख से नहीं) सौतरस निचल रहा हो दिया जाता है। स्वतन्त्र सौत्रामणी अर्थात् कौटिली उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है जो सम्पत्ति के इच्छा हैं या जिनका राज्य छिन गया है या जो पशु-यज्ञ चाहते हैं (कात्या ११।१।२ ४)। इस इत्ये में प्रारम्भ एक अन्त में अग्नि का पत्र दिया जाता है।

१ 'सौत्रामणी' शब्द की उत्पत्ति 'सुत्रामन्' (एक अक्षय्य रराक) शब्द से हुई है, जो इन्द्र की एक उपाधि है (आश्वेद १।१२।१ ६-७)। षतपथब्राह्मण (५।५।४।१२) में इतका अर्थ यों लगाया है—“बृहती (अग्निनी द्वारा) बली प्रकार बचा किया गया है।”

वी जाती हैं और साथ ही एक ही पुत्रा मर का एक स्वर्ण-स्रष्ट भी में दिया जाता है (कात्या २।१।४६ आद्या १।१।८)। अग्नि मूर्धन्वान् एव पुत्रा के लिए दो इष्टियाँ की जाती हैं (आश्व १।१।२५-२६ कात्या २।१।२५)। यजमान केष्ट मास्तुन कृताता है इति स्वच्छ करता है स्नान करके महीन मत्न धारण करता है निष्ण (छीने का जानपुत्र) धारण करता है और मीन रहता है। इन हरयो के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।८।१ एवं आय २।४।१ १४। यजमान की चारों रानियाँ अस्मृत हो तथा निष्ण धारण करके उसके पास जाती हैं। महिषी राजकुमारियों के साथ बूटरी रानी (बाबाताम, जिस राजा सबसे अधिक चाहता है) शत्रियों की कन्याओं के साथ तीसरी रानी (परिवृषनी, त्यागी हुई) सूतो एव प्राम-मुक्षियों की लक्ष्मियों के साथ तथा चौथी रानी (पालापत्नी, मीन जाति वाली) शत्रु (बँबर-दुष्मानेवाली) एव सवहीलाओं की कन्याओं के साथ जाती है। यजमान अग्नि-स्वत्न में प्रवेश कर आईपत्न्याग्नि के पश्चिम उत्तराग्निमुख बैठ जाता है।

अस्व के रथ एव अथ्य बुगो के विषय में बहुत-से नियम बताये गये हैं (उत्पन्नवा १३।४।२।४ कात्या २।१।२९ १५, आद्या १।१।४)। अस्व स्वेत रथ का होना चाहिए और उस पर कामे रथ के मुताबक बिड़ो तो अत्युत्तम है तथा उसे बहुत तेज चलने वाला होना चाहिए। यदि स्वेत रथ बाका अस्व न हो तो उसका अथ बाग काला हो तथा पुष्ट जग स्वेत या उसके केस गहरे नीले रंग के हो तो अच्छा है।

चारों प्रमुख पुरोहित अस्व पर पवित्र जल छिड़कते हैं। ये पुरोहित क्रम से चारों दिशाओं में लड़े रहते हैं और उनके साथ एक ही राजकुमार, एक ही उष (जो राजा नहीं होते) मृष्ट धाम-मुक्षिया धाम एव सप्रहिता होते हैं (आय २।४ सत्यापठ १।१।१११)। चार ओकों बाका एक कुता (जो प्राकृतिक ओकों और दोनो ओकों के पास दो पड़के वाला) आरोग्य जाति के एक व्यक्ति द्वारा वा सिद्धक काष्ठ से बने मूसल से किसी विषयामकत व्यक्ति द्वारा मारा जाता है। अथ पानी में ले जाया जाता है जहाँ उसके पेट के नीचे कुत्ते का अथ रथी से बाँधकर धारणा जाता है (आय २।१।१६ १३ कात्या २।२।१३८ सत्या १।४।१३-१४)। इसके उपरान्त अथ अग्नि के पास लाया जाता है और अथ तक उसके शरीर से जल की बूँद टपकती रहनी है तब तक अग्नि में जाहुतियाँ डाली जाती हैं (कात्या २।२।३-४)। अथ की मूत्र की या अथ की १२ मा १३ अरति अग्नी मेकला पहनायी जाती है। अग्नी के साथ अथ पर जल छिड़का जाता है। यजमान अग्नी के साथ अथ के शक्ति का नाम ले उसकी वृत्तिपय उपनिषाँ या सत्रार्थ करता है (आय २।५।१९)। इसके उपरान्त अथ स्वत्न रूप से देव-विशेष में भूमने को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ चार ही रथक होते हैं (नामलेयी संहिता २।२।१९ तैत्तिरीय संहिता ४।१।२।१)। रथको में एक ही ऐश राजकुमार रहते हैं जो राजा के साथ सम्मानपूर्वक बैठ सकते हैं। इन राजकुमारों के पास अस्व-वस्त्र होते हैं। अथ रथको के पास भी उनकी योग्यता के अनुसार हथियार होते हैं (तै ब्राह्मण ३।८।१ आय २।५।१ १४ कात्या २।२।१।१)। अथ सात बार तक इस प्रकार अपने-आप चकता रहता है किन्तु पीके नहीं झटने पाता। वह म ती बार में प्रवेश करने पाता और न चौथिमी से मिलने पाता है (कात्या २।२।२।१२ १३)। अथ के रथक लोग ब्राह्मणों से योग्य मर्भकर करते हैं और रथि में रथकारों के चरों से घीले हैं (आय २।५।१५ १८ २।२।१५ १६)। अथ तक अथ इस प्रकार बाहर रहता है यजमान (बाह्य पर राजा) प्रति दिन प्राण मध्याह्न एव साय सविता के लिए तीन इष्टियाँ करता रहता है। सविता की प्रात मध्याह्न एव साय क्रम से सत्यप्रथम प्रसविता एव आसविता कहकर पूजित किया जाता है (आश्व १।१।८ आद्या १।१।१ कात्या २।२।६)। अथ प्रयाग नामक जाहुतियाँ भी जाती हैं पुरोहितों के अतिरिक्त कोई अन्य ब्राह्मण भी पा पर राजा के विषय में स्मरचित तीन प्रसवितापुत्र गाथाएँ पाता है (आय २।६।५ कात्या २।२।७)। सविता की इष्टि के सम्प्राप्त के उपरान्त ये प्रसविताँ प्रति दिन तीन बार पायी जाती हैं (अथ वा १।१।२।८ १४ तै वा ३।१।१४)। इसी प्रकार एक भीगावाक अग्नि यजमान (राजा) के सत्रागो एव विजयो

नामक ४९ हीम हस्तिनापि में किये जाते हैं (सतपथ वा १३।१।३।५, टी स ७।१।१९।)। इस प्रकार सविता की इष्टियाँ नाथन पारिष्कन-अथन एवं पृथि की बाहुतियाँ साल भर भसा जाती हैं। साल भर तक यजमान राजपुत्र के समान ही कुछ विशिष्ट वस्त्र पहना रहता है (कात्या ९।१।१४)। अश्वर्यु गायेबाओ एव हीता की प्रभुर बलिबा मिलती है।

यदि अश्वमेध की परिश्रमापि के पूर्व अश्व मर जाय या किसी रोग से प्रसू हो जाय तो निवृद्धि के कई नियम बतलाये गये हैं (आप २२।७।९-२ कात्या २।३।१३-२१)। यदि सन्धु डाटा अश्व का हृदय ही जाय तो अश्वमेध नष्ट हो जाता था। वर्ष के अन्त में अश्व अश्वशाळा में लाया जाता था और तब यजमान बलिष्ठ किया जाता था। इस विषय में १२ बीसामी १२ जपसमी एवं ३ सुर्या विनो (ऐसे विन जिनमें सीमारस निकाला जाता था) की व्यवस्था की गयी है। वेदिप सतपथशास्त्र (१३।४।४।१) आश्वमेध (१।८।१) एव काट्यायन (९।९।१७)। बीसा के उपरान्त यजमान की स्तुति देवताओं की कीर्ति होती है तथा सीमारस निकालने के दिनों में उचनगीमा इष्टि, अनुबन्ध्या एव उचनशापीमा के समय बहू प्रशंसति के समूह समझा जाता है (आप २।७।१४-१६)। कुसुमिकाकर २१-२१ अष्टमियों की कन्धारी बासे २१ मूष सब किये जाते हैं। मध्य वाला मूष राजमुवाल (स्वेप्यातक) की लकड़ी का होता है जिसके दोनों पाखों में देवबाब के दो मूष होते हैं, जिनके पाखों में निम्न खरिद एवं पलास के मूष सब किये जाते हैं (टी स ३।८।९ सतपथ १३।४।४।५, आप २।९।६-८ एव कात्या २।४।१६-२)। इन पूर्वों में बहुत-से पशु बलि जाते हैं और जगकी बलि भी जाती है। यहाँ तक कि मूकर ऐसे बनेके पशु तथा पत्नी भी काने जाते हैं (आप २।१४।२)। बहुत-से पत्नी बलि की प्रशंसिबा कराकर छोड़ भी दिये जाते हैं। सीमारस निकालने के तीन दिनों में दूसरा दिन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन दिन बहुत-से इष्ट्य होते हैं। यज्ञ का अश्व अन्य तीन अश्वों के साथ एक रथ में जोड़ा जाता है जिस पर अश्वर्यु एव यजमान चढ़कर किसी तालाब की ओर या बलाघण्य को जाते हैं और अश्व को पानी में प्रवेश कराते हैं (कात्या २।१।११-१४)। यज्ञ-स्वल्प में लौट जाने पर पटरानी राजा की अत्यन्त प्रिय रानी अश्वर्यु बाबाता तथा स्वामी हुई रानी (परिवृत्ता) क्रम से अश्व के अग्रभाग मध्यभाग एव पृष्ठभाग पर मूत्र करता है। वे मू मूत्र एव स्व नामक घण्टों के साथ अश्व के शिर, अयाक एव पूँछ पर १-२ स्वर्ण पृथिकार्य (गोचिदी) बाँधती है। इसके उपरान्त कतिपय अन्य इष्ट्य किये जाते हैं। अश्वमेध की १।१६३ (आश्व १।८।५) नामक ऋचा के साथ अश्व की स्तुति की जाती है। रात पर एक अश्व-अश्व बिछा दिया जाता है जिस पर एक अन्य चढ़कर खरकर तथा एक स्वर्ण-अश्व डालकर अश्व का हृदय किया जाता है। इसके उपरान्त रानियाँ बाहिनो से बांध जाती हुई अश्व की तीन बार परिष्का करती हैं (बाबसनेमी संहिता २।३।१९) रानियाँ अपने अश्वों से मूत्र अथवा को हवा करती हैं और बाहिनो और अपने केव बाँधती हैं तथा बायीं ओर खोलती हैं। इस इष्ट्य के साथ वे बाहिनो हाथ से अपनी बायीं ओर पर आश्रय करती हैं (आप २२।१७।१३ आश्व १।८।८)। पटरानी (बड़ी रानी) मूत्र अश्व के पार्श्व में डाल जाती है और अश्वर्यु दोनों को नीचे पकी भाँवर से डक देता है। पटरानी इस प्रकार मूत्र अश्व से सम्मिजन करती है (आप २२।१८।३-४ कात्या २।९।१५-१६)। इसके उपरान्त आश्वकामन (१।८।१-१३) के मत से वैश्वी के बाहुर हीता पटरानी की अश्लील भाषा में गाबियाँ देता है जिसका उत्तर पटरानी अपनी एक ही बायीं राजकुमारियों के साथ देती है। इसी प्रकार बह्या नामक पुरोहित एव बाबाता (भियतमा रानी) भी जाते हैं अश्वर्यु जन्मे की अश्लील भाषा में पाबिनी का और चलाता है। कात्यायन (२।९।१८) के अनुसार चारों प्रमुख पुरोहितों एव सब (बैरव कुलाने बाबिनो) में भी बड़ी अश्लील व्यवहार हीता है और वे सभी रानियों एव जगकी नवकुवगी बासियों से पत्नी-पत्नी बार्ते करते हैं (बाबसनेमी संहिता २।३।२२-३१ सतपथ १३।२।९ एव कात्या ९।१।३-६)। इसके उपरान्त बायीं राजकुमारियाँ पटरानी को मूत्र अश्व से डक जाती हैं। अश्व को पटरानी, बाबाता

एवं परिवृष्णी रानियां क्रम से सीने बाँधी एवं छोड़े (समयत यहाँ यह लाभ का ही वर्ण रहता है) की सूझ्यों से काटती है और उनके मांस को निकास बाहर करती है। इसके उपरान्त यज्ञ-सम्बन्धी बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर पुरोहितों एवं यजनान के बीच बसते हैं जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। विभिन्न देवताओं के नाम पर मांस की वाहुतियाँ भी जाती हैं। इसके उपरान्त बहुत-से इत्य क्रिये जाते हैं जिन्हें स्वामानास से हम यहाँ नहीं देख रहे हैं।

इस यज्ञ के बहुत-से दान दिये जाते हैं। सोमरत्न निकालने के प्रथम एवं अन्तिम दिन भएछ सहस्र यीर्षे तथा हुनरेजिन राव्य के किसी एक क्षणयस म रहने वाले सभी अष्टाध्याय वासियों की सम्पत्ति दान से भी जाती है। विजिन देव के पूर्वी भाग की सम्पत्ति होला की तथा इसी प्रकार विजित देव के उत्तरी पश्चिमी एवं दक्षिणी भागों की सम्पत्ति यम से चक्राता अर्धयुं एवं ब्रह्मा तथा उनके सहायकों की से भी जाती है। यदि इस प्रकार की सम्पत्ति म भी जा सके तो चार प्रमुख पुरोहितों को ४८ यीर्षे और प्रधान पुरोहितों के तीन सहायकों को २४ १२ तथा ९ यीर्षे भी जाती हैं।

प्राचीन काल में भी अश्वमेध बहुत कम होता था। तैत्तिरीय संहिता (५।३।१२।३) एवं शतपथ ब्राह्मण (१।१।३।१) ने लिखा है कि अश्वमेध एक प्रकार का उत्सव (जिसका अब प्रचलन नहीं) यज्ञ था। अश्वमेध (९।३।७-८) में भी राजसूय बाधयेय अश्वमेध सभी तथा कुछ अन्य यज्ञों को उत्सव यज्ञ भी कहा है। अश्वमेध के आरम्भ के विषय में कुछ कहना कठिन है। इसकी बहुत-सी बातें विचित्रताओं से भरी हैं तथा मृत अश्व के पार्श्व में रानी का सीना गांभी-वाञ्छी करने आदि। बहुत-से लेखकों ने अपने-अपने दिके हैं किन्तु जगसे सर्वस्य का अभाव है।

महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में अश्वमेध का वर्णन कुछ विस्तार से हुआ है। यह स्वामाधिक है कि महाकाव्य के केषक अति प्रसिद्ध उत्सव तथा कुछ धार्मिक इत्यो पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। महाभारत (७।१।१६) में ध्यान में पृथिवि से कहा है कि अश्वमेध से व्यक्तिक के सारे पाप मुक्त जाते हैं। वेद की पूर्णिमा की इसी वीणा पृथिवि से भी बोली की (७।२।४)। इस कथं आदि पात्र धीने के ने या उन पर सीने की कर्कर हुई थी (७।२।९)। उन सिनी के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पर साल भर तक बसकर मारनेवाले अश्व की रत्ता का मार सीपा गया था और उन मुझ में बसते रहने की कहा गया था (७।२।२३ २४)। चौड़े का रज इत्तमर (बादे-वाले घड़ों का) वा (७।३।८)। अर्जुन के साथ याज्ञवल्क्य का एक शिष्य तथा बहुत-से विद्यान् ब्राह्मण से जिन्हें मान्ति करने के इत्य करने पड़ने से (७।३।१८)। अर्जुन के साथ बसने वाले सैनिकों की संख्या नहीं थी हुई है। अश्व सम्पूर्ण भाग में पूर्व में दक्षिण तथा पश्चिम में उत्तर तक बसता रहा। अपने घनूजो से अनेक मुझ करता हुआ अर्जुन अपने पुत्र मगिपुत्र के राजा बहुवाक्य न हार्यां में मारा गया किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागदुमारी उन्नी द्वारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८)। माप मारा गया किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागदुमारी उन्नी द्वारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८)। माप मारा गया किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागदुमारी उन्नी द्वारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८)। माप मारा गया किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागदुमारी उन्नी द्वारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८)। माप मारा गया किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागदुमारी उन्नी द्वारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८)। माप मारा गया किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागदुमारी उन्नी द्वारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८)।

५. वैजिए तैत्तिरीय संहिता में श्री वेदिक की पूर्णिमा 'वैजित्वन एव किपालकी द्याव द्वा वेद' भाग २ पृ ३४५, ३४७ तथा तैत्तिरेय बृह भाग की ईद, विज ४४ पु २८ ३३। इन कथनों में आश्वमेध विद्यानों के विद्यान्त पर्व का वर्णन है।

श्रीपती सोपी भी (८९।२३)। अस्व की बपा बाहुति के रूप में भी मभी भी किन्तु आपस्तम्ब (२।१८।११) ने स्पष्ट लिखा है कि अस्वमेध में बपा का निवेश है। बहुल-से मोषो को मोशन गुरु जाहि दिये जाने का प्रबन्ध था। हरिद्री एवं आश्रमहीनो को मोशन दिया गया था (८८।२३ ८९, ३९ ४३)। बाह्यमो को करोड़ो निष्क दिये गये थे। व्यास को सम्पूर्ण पृथिवी दान में मिल्पी भी जिसे उड़ोने अपने तथा बाह्यमो को स्वर्ण देने के बखसे में छोटा दिया। पुनः-एतत् की झालसा से बधरण ने भी अस्वमेध यज्ञ किया था। रामायण में इसका विवरण वर्णन पाया जाता है (बाण काण्ड १३-१४)।

ऐतिहासिक कालों में भी अस्वमेध का उत्प्रेषण हुआ है। मन्दिबर्ष पल्लवमल्ल के सेनापति उष्यधन्व ने नियास राज पृथिवीप्याम को हरया जिसने उसके अस्वमेध के यज्ञ की स्थापना-स्थान पर बाठे समय रक्षा भी की (इण्डियन एण्टीक्वेरी जिस्व ८ पृ २७३)। यह बटना मभी छत्ताम्बी की है। चालुक्यराज पुल्लेयी ने भी अस्वमेध किया था (एविथाफिका कर्नाटिका जिस्व १ कौलरसम्मा १३)। आर्य के राजा ने राजसूय की अस्वमेध वर्षधिराज तथा मयन एव अगिरसाभयन सम्पादित किये थे (आकर्मामाजिबल सर्वे आर्य वेस्टर्न इण्डिया जिस्व ५, पृ ६०-६१ नागा घाट अमिसेब)।^१ १८वीं छत्ताम्बी के प्रथम भाग में जामेर (अजपुर) के राजा बर्बसिह ने अस्वमेध यज्ञ किया था (पूना ओरियण्टलिस्ट, जिस्व २ पृ १६६ १८ तथा इण्डो-बर्बि का इस्वरविलास नाम्य इवन कात्रेज कलेचयन इस्तमियि सस्मा २७३ सन् १८८४-८६)।

सत्र

यज्ञ-सम्बन्धी शीर्ष कालों की अवधि वाले इत्य की सत्र कहा जाता है जिसकी सीमा १२ दिनों से लेकर एक वर्ष या इससे अधिक होती है। मन्त्रों की प्रवृत्ति द्वारा साह की होती है (आस ९।१।७)। सत्रों को मुखिबानुसार रात्रिसत्रों तथा सांख्यसत्रों (एक वर्ष या अधिक समय तक चलने वाले) में विभाजित किया जा सकता है। आसक्त्यायन (९।१।८—१।१।१६) एक काल्यायन (२।७।१२) ने मयोधराज आदि ने लेकर सत्रराज तथा के बहुल-से रात्रिसत्रों का उल्लेख किया है। इन दोनों सूत्रों में मन्त्रों के प्रमुख विद्यान्तो तथा इन्द्रसाह से उनके उत्पन्न का वर्णन मिलता है। यदि एक ही दिन और जोड़ा जाय तो यह महासत्र हो जाता है और यह एक दिन का जोड़ना अचरणीय नामक अन्तिम दिन का पूर्व ही होता है। यदि दो या अधिक दिन जोड़े जायें तो ऐसा बधराज का पूर्व ही किया जाता है (ऐसा करना प्रायणीय दिन में उदरान्त ही अच्छा माना जाता है और यह इन्द्रसाह का यह मन्त्र अथ ही जाता है)। बहुल दिनों तक चलने वाले रात्रिसत्रों में विषय में बहुत जोड़े जाते हैं (नाय्या २।७।१।५-७ आस ९।१।८ १४)। एक ही सत्र में अधिक से अधिक एक ही बार बधराज होकराया जा सकता है (नाय्या २।७।३।४)। स्वाभाविक से हम रात्रिसत्रों का वर्णन नहीं करेंगे। माध्वसत्रि मन्त्रों का आधार है तथा मयन (पापी का पत्र अर्चन्त् सूर्य की किरणों का दिन)। इन विषय में हेनिए आरक्त्यायन (९।७।१) वैजिनि (८।१।८) की टीका तथा नाय्यायन (२।७।७।२)। मूत्र-बन्धी में एक वर्ष या इसमें अधिक अवधि वाले कर्णिय मन्त्रों का उल्लेख हुआ है यथा—त्राश्रित्यानामयन (आस १२।१।१) अगिरसाभयन कुण्डरायिनामयन (आस १२।७।१) सर्वाभामयन वैश्विक (तीन वर्षों वाला) इन्द्र

१. अचरणीय के विषय में हेनिए तैत्तिरीय संहिता (४।६।६-९, ४।७।१५, ५।१ ६, ७।१-५); तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८-९); मयनब्रह्मण्य (१।१।१-५); भाष्य (२।१२ २३); तात्याय (१५); आस (१।६।१)। नाय्या (२) नाय्या (९।९ ११); शीषा (१५)।

वार्षिक पद्धतिशास्त्राधिक शतसंस्कार (आसव १२।५।१८) एवं सहस्रसंस्कार, सारस्वत (पवित्र नदी संस्वती के तट पर किया जाने वाला)। यहाँ पर केवल महामयम क विषय म कुछ लिखा जायगा।

'गर्भाम् अयम' सांस्कृतिक सन है जो १२ मासी (३ बितो वाले) तक चलता रहता है। इसका निम्नलिखित अर्थ है (शाब्दिक २।३।११ आसव १।१।२६ एवं ७।२।१२ संतपम १।५।१८४ एवं भाष २।१।१५) —

(क) प्रायणीय अतिरात्र (आरम्भिक दिन)

अनुविद्य दिन उपर्युक्त

प्राय मास जिनमें प्रत्येक म चार अमिष्क पड़ह तथा एक पुष्य पड़ह पाये जाते हैं (प्रत्येक मास ३० बितो का माना जाता है)।

तीन अमिष्क एवं एक पुष्य अमिष्क दिन (अमिष्क) } २८ दिन
तीन स्वरसाम दिन

ये सभी दिन मिलाकर ३ दिन वाले ६ मास होने हैं।

(ख) विषुवत् मास्य दिन (एकविंशती) जब कि अतिरात्र सोम-प्रात सुब
तथा द्विती अयरात्री को दिया जाता है।

(ग) तीन स्वरसाम दिन (जब स्वर साम का गायन होता है शाब्दिक ५।५)
द्विद्विंशति दिन (अमिष्क) } २८ दिन
एक पुष्य तथा तीन अमिष्क पड़ह
आरम्भ म एक पुष्य तथा चार अमिष्क पड़ह वाले चार मास

तीन अमिष्क पड़ह
एक पौष्टोम (अमिष्क)
एक आयुष्टोम (उपम्य)
एक अक्षरात्र (सप्त दिन) } ३ दिन

महाप्रत दिन (अमिष्क)

अयमणीय (अतिरात्र)

ये सभी दिन (ग के अन्तर्गत) ६ मास होने हैं।

इस महाम अयम का सम्पादन कई प्रकार क करी गया—मन्त्रि सम्पत्ति उष्ण स्थिति स्वयं क लिए दिया जाता है (भाष २।१।१५१ संवापात्र १।५।१४)। जिस दिन बीया की जाती है, उसके विषय के कई अर्थ हैं। एत रय ब्राह्मण (१.१।४) के अनुसार इनका सम्पादन माघ या फाल्गुन में होना चाहिए। कुछ लोगों क मत म (संवापात्र १।५।१६ १७ भाष २।१।५५ ६) माघ या चैत्र की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व बीया कनी चाहिए। अन्य दिनों क लिए वैश्विण माघायम (१।५।१६ १७) माघायम (१।१।२१) आदि। त्रैविनि (६।५।३ १७) एवं चारवा पत्र (१।१।१८) के मत से माघ की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व (अर्थात् एकादशी को) बीया कनी चाहिए।

महामयम में सब के रूप में ब्राह्मण की द्विज अरनायी जाती है (भाष २।१।५।२-३ एवं त्रैविनि ८।१।१७)। कुछ लोगों के मत में इनमें १२ की बीया १७ बीयाएँ की जाती हैं। सभी के विषय में कुछ सामान्य विषय के हैं—ये कई अयमणी आठ सम्पादित हो सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही इनके अतिरात्री अर्पित करते हैं (त्रैविनि ६।५।१६ २३ चारवा १।६।१४)। इनके लिए अलग से अग्निच या पुरोहित नहीं होते प्रयुक्त यजमान ही पुरोहित होने हैं

(वैमिनि १।५।५ एव ५१-५२ सत्यावाह १६।१।२१)। वैमिनि (१।२।१) की व्याख्या म धार में लिखा है कि जो लोग एक साथ मिलकर एक सम्पादित करते हैं उनको सस्या कम-से-कम १७ तथा अधिक-से-अधिक २५ हीटी है और सभी को समान आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है (वैमिनि १।२।१ २)। इसी से सभी म न ठो करण (पुरोहिती का चुनाव) होता है और न दान-वसिष्ठा का प्रसन्न उठता है (वैमिनि १।२।१४ १८)। सतीहारो (दक्षिणा एकत्र करने वाले) को दान एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्यावाहो का निर्माण समान प्रयोग के लिए होता है सबके पास अक्षय-अक्षय होते हैं। यदि कोई एक-सम्पादन के बीच ही मर जाय तो उसको उसके यज्ञवाहो के साथ ही बका बिया जाता है (वैमिनि १।६।१३-१५)। सभी म प्रतिनिधियों को भी व्यवस्था होती है। विवत व्यक्तिक स्वाम पर अग्र्य व्यक्ति भी सत्र कर सकते हैं किन्तु फल-भाण्डि विवत को ही होती है। वे ही लोग सत्र कर सकते हैं जिन्होंने पीली वैदिक अग्निवा प्रवृत्ति कर रखी ही केवल शास्त्रवत सत्र में ही कुछ छूट इस विषय में भी गयी है। वैमिनि (१।६।१ ११) के मत से एक ही प्रकार की शाखाविक्रि के अनुसार बन्ने वाले लीय शाख-शाख सत्र कर सकते हैं, अग्र्यवा प्रयागो एक माप्री बचनी (छन्दो या पदो) के विषय में कठिनाई उत्पन्न ही सत्रती है। बहुधा एक ही पौत्र वाले एक शाख सत्र कर सकते हैं। यदि सत्र करने की प्रतिज्ञा केरु अववा आरम्भ कर लेने के उपरान्त कोई व्यक्ति सत्र करना छोड़ देता है तो उसे प्रायश्चित्त रूप में विस्वजिष्णु इत्य (वैमिनि १।७।३२ एव ६।५।२५ २७) करना पड़ता है।

यद्यपि सत्र में सभी मजमान होते हैं किन्तु उनमें किसी एक को गृहपति बन जाना पड़ता है। बीसा छेदे समय एक विधिब विधि का पालन करना पड़ता है (कात्यायन १।२।१।१५, सत्यावाह १६।१।३६ आपस्तम्ब २।१।२।१९ २।१।३।१) अथर्व्यु सर्वप्रथम गृहपति तथा ब्रह्मा होता एव उद्गाता को बीखा देता है प्रतिप्रस्थाता अथर्व्यु मैनाबन्ध ब्राह्मणाच्छरी एव प्रतीठा को बीधित करता है। नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अष्टाबाक आनीप्र एव प्रति-ह्वती को बीधित करता है। उमेता नेष्टा प्रावस्तु एव सुब्रह्म्य को तथा इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता या कोई अन्य ब्राह्मण (जो स्वयं बीधित ही चुका हो) या वेद का कोई ज्ञान या स्नातक उमेता को बीधित करता है। उन्मृत्त लीयो को पलिबां भी साथ ही बीधित होती है (कात्या १।२।१।१६)। प्रति दिन सत्र में सम्मिलित लोग घूम की मील रूप से रखा करते हैं तथा आम लोग वेद-पाठ करते हैं या समिवा करते हैं (उत्पन्न ब्राह्मण ५।६।१।७ कात्या १।२।७।१ एव ३)। दसों दिन ब्रह्मोच्च होता है या प्रजापति की मधुमन्त्रियां लीया (भिड) एव और उत्पन्न करने के कारण गान्धियां भी जाती है (आप २।१।२।१ ३ सत्या १६।७।३३-३५, कात्या १।२।७।२१ २३)।

सत्र करते समय यजमान को कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं (आस १।२।८ ब्राह्मणम श्रौतसूत्र ७।३-९)। बीसधोता इष्टि करने के उपरान्त पिठरो के लिए किन्ने वाले वाले इत्य (पिष्वपिपु-सत्र भावि) तथा वेवताओ वाले इत्य (बवा अग्निहोत्र) सत्र को समाप्ति तक बन्ध रखे जाते हैं। सत्र करने वाले को सत्र-समाप्ति तक सन्धोण करना मना रहता है। वे बीडकर नहीं बन्न सकते। वे न ठो बधि विष्णुकर हैंस सकते और न मारियो से बाठी कर सकते हैं। वे अनाथों से बीड नहीं सकते। बन्न में बबकी केना अत्यन्त भावय करता कोच करना पत्र पर बबना माव या रव पर बबना मना कर बिया जाता है। सभी (सत्र करने वाले) को नाना नाभमा एव नाच यन्न बबाना मना है। बीखा के समय में केवल हूण का पाल कर सकते हैं। घोरस गिकाऊने के दिन में हवि के अद्योच नाय कन्ध-मूळ-कन्ध या व्रत वाले शोभ्य पराधो का ही सेवन कर सकते हैं।

सत्र-करव का अत्यन्त महोहारो दिन महाव्रत वाला माना जाता है और यह महाव्रत समाप्ति के एक दिन पूर्व किया जाता है। इस दिन विधि-विधि इत्य होते हैं। यह व्रत प्रजापति के लिए किया जाता है क्योंकि प्रजापति को 'महान्' कहा जाता है। 'महाव्रत' का तात्पर्य है 'अन्न' (ताम्ब्य ५।१ १२ उत्पन्न ५।६।७।२)। इस दिन अन्न पात्री के शाख-शाख महाव्रतीय घीम-पात्र से घीम की आहुति भी जाती है। प्रजापति के लिए पशु-बलि भी जाती है।

महाबत बाबा साम-पाठ क्रिया जाता है। सत्र में सगे हुए लोगों को यास्त्रियाँ भी जाती हैं। एक बेस्या एक एक ब्रह्मपाठी में भी गाली-मलौज होता है। आर्य एक गुरु भ भी मुंड का नाटक होता है जिसमें आर्य जीत जाता है (ताण्ड्य ५।५। १४-१७ तथा १६।७।२८-३२)।

जो लोग सत्र में सम्मिलित नहीं होते उनमें सम्मोच होता है। यह जर्म एक घिरे हुए स्थल में होता है। यह इत्य प्रजापति के कार्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह सृष्टि का बिचाता है। महाबत प्रजापति के लिए ही सम्पादित होता है अतः यह इत्य विशेष रूप से उपसे ही सम्बन्धित है। बेबी के अधिप कोक के पूर्व भी जो। एक रथ रखा जाता है जिस पर बळकर एक सामन्त या क्षत्रिय अनुच-आच से युक्त होकर बेबी की तीन बार प्रशिक्षण करता है और एक जर्म पर बाण फेंकता है। इस इत्य के समय बोलकें बजनी रहती हैं। पुरोहित पाठे हैं यजमानों की पत्नियों विप्रतियों का कर्म प्रशिक्षित करती हैं। आठ बस बासियाँ चिर पर जलपूर्ण बड़े लेकर जावती-वाती हैं और वायाएँ गहरी हैं जिनमें भी भी महिमा की प्रशामठा रहती है। स्मृता है महाबत प्राचीन बाल का कोई औषिक इत्य है जो यज्ञ की बकाल मिटाने के लिए सम्पादित होता था। ऐतरेय आरण्यक (१ एव ५) ने महाबत को एक विधिष्ट रूप दिया है और उपर्युक्त बातों का उल्लेख किया है।

उपयनीय बिल में मंत्रावस्थ विद्ये बेबी एक बृहस्पति (कात्यायन १३।७।४) को तीन अनुबन्धा गर्में जाहू डिनों के रूप में भी जाती हैं।

यद्यपि यज्ञो म सी-सी या सहस्र बयों तक के सत्रों का वर्णन किया है किन्तु प्राचीन बाल के लेखकों ने भी उल्लेख किया है कि ऐसे सत्र बाल्ता में सम्पादित होते नहीं थे कम-से-कम ऐतिहासिक बालों में उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पतञ्जलि ने महामास्य में लिखा है कि उनके समय के आस-पास ही या सहस्र बयों तक चलने वाले सत्रों का सम्पादन नहीं होता था और याज्ञिकों ने सत्रों के विषय में जो नियम बनाये हैं वे सभी प्राचीन ऋषियों की परम्परा के बोलक मात्र हैं (महामास्य भाग १ पृ ९)।

अन्य जनों में सारस्वत सत्र अत्यन्त व्यापक एक करणीय माने गये हैं क्योंकि उनके सम्पादन के विभिन्निके में नरस्त्री तथा अन्य पवित्र नरियों के पावन स्पर्श पर यजमानों को जाना पड़ता था। इस विषय में वैदिक आस्य काव्य (१।२।६) काट्यायन (१।१५) एक काट्यायन (६।१४)।

अग्निषयन

अग्नि-वेदिका का निर्माण अत्यन्त गूढ एक जटिल है। यज्ञ यज्ञो म यह इत्य सबसे बलि है। यज्ञयज्ञ ब्राह्मण य ज्ययज्ञ एक तिहाई भाग (१४ आयो म ५ आय) ज्यन से ही सम्बन्धित है। आरण्यक में ज्यन एक स्वयम्भू इत्य का जित्नु आने बसकर यह सोम-यज्ञों के अन्तर्गत आ गया। इस इत्य की जट म कुछ विधिष्ट उपलब्धि-विषयक विद्याएँ पाय जाते हैं। ऋग्वेद (१।१२१) में भी विरच्यवर्न या प्रजापति सृष्टुर्भू ब्रह्मपाठ न विद्याएँ के रूप में ब्यक्त किया गया है उपर्युक्त नाम एक पुनरुत्पत्ति का नियम सारस्वत माना गया है अत्रस-निरिर्वा गथा से बरुनी आयो हैं और बरुनी आर्यनी ऐसा विरहाय बहुत प्राचीन बाल न जट आयो है (पाता यथायुर्विषयस्यन् ऋग्वेद

७ ब्राह्मणज्ययज्ञ-कारवन्ति। एतन्मिग्रहन् प्रभूतयर्न ब्रह्मन्। राजयुज्य जर्म व्यापयत्वायन्मि भूमिदुभुर्भि पल्पयत् बाल्बोषा भूतानां च दीपुर्न ब्रह्मकारित्पुत्रकथ्यो तमपारीनेनेन ताव्ना निषेधस्याय इत्युक्ते राजन स्तोत्रियेक प्रतिपद्यते। ऐं आ (५।१।६)।

१।१९।३)। पुत्र्य ने स्वयं यज्ञिय सामग्रियों (हवि) का रूप धारण कर लिया। वर्ष एक ऋतुको ने पुनर्निर्माण का रूप धारण कर लिया—विभिन्न भागो में विभाजित पुत्र्य के पुनरभियोजन एवं पुनर्निर्माण के पीछे वर्ष एक विभिन्न ऋतु है। इसी लिए मनुष्य को जो इस प्रकार की अवल गतियों का शिशु मात्र है। इस विषय में पुनर्निर्माण के लिए अपना कर्तव्य करना चाहिए। वह अपना यह कर्तव्य जग्मि को प्रजापति के रूप में या उसे परमपूत तथा जीवनाधार एवं सभी त्रियामो के मूल के रूप में मानकर, जग्मि की पूजा करके सम्पादित कर सकता है। इस प्रकार जग्मि में यज्ञ-ऋतुको की आहुतियाँ देकर वह पुनः सृष्टि एवं पुनर्निर्माण की गति को बढ़ावा दे सकता है। मनुष्य विधाता की सृष्टि की अनुकृति (गर्भस) ईदो से बने बड़े-बड़े बीजों से कर सकता है। छतपम ब्राह्मण (१।१।२।२१) ने इन बातों की ओर संकेत किया है। छतपम ब्राह्मण का इसका कारण अग्निधर्म के रहस्य से सम्बन्धित है। वैदिका के निर्माण में जो ऊपर होते हैं। अर्थात् जिस प्रकार वैदिका-निर्माण होता है उसमें सृष्टि की पुनः सृष्टि एवं पुनर्निर्माण की ही गतियाँ प्रतीक रूप में स्रोतित हैं। नीचे हम कार्यात्मक सत्त्वापाठ एवं आपस्तम्ब के वर्णन के आधार पर समेप में अग्नि-धर्म का वर्णन उपस्थित करते हैं।

अग्नि-वैदिका का पाँच स्तरी में निर्माण सोमयाग का एक अंग है। किन्तु प्रत्येक सोमयाग में अग्नि आबल्यक नहीं माना जाता। महाभूत नामक सोमयाग में ऐसा किया जाता है। हमने ऊपर देखा किया है कि महाभूत पञ्चाम-याग की समाप्ति के एक दिन पूर्व सम्पादित होता है। जब कोई व्यक्ति अग्नि-वैदिका बनाना चाहता है तो वह सर्व प्रथम फाल्गुनी की पूर्णिमा-इष्टि के उपरान्त या माघ की अमावस्या के दिन पाँच पशुओं (यथा मनुष्य अथ वरू भेड एक बकरे) की बलि देता है। मनुष्य की बलि किसी छिने स्थान में होती है। पशुओं के सिर बहिका मन्त्र ब्रिये जाते थे और उनके बड़ उस बरू में फेंके ब्रिये जाते थे जिससे मिट्टी उभरकर उठे बलायी जाती थी। कात्यायन (१।१।१।३२) ने लिखा है कि हम विकल्प से पशुओं के स्थान पर उनके सिर के आधार से स्वर्णिम या मिट्टी के सिर बना कर प्रयोग में ला सकते हैं। आधुनिक काल में जब कभी अग्नि-धर्म होता है तो इस पाँच जीवों की स्वर्णिम आहुतियाँ ही प्रयोग में लायी जाती हैं। इससे उपरान्त फाल्गुनी में इष्ट्य पशु में आठवें दिन एक अथवा एक गवहा तथा एक बकरा आहुतनीय अग्नि के दक्षिण के बाये जाते हैं (अथ सबसे आगे रहता है)। इन पशुओं में मूल पूर्व की ओर होते हैं। जहाँ से मिट्टी ली जाती है वहाँ तक अथ के जाया जाता है। आहुतनीय अग्नि के पूर्व में एक वर्गाकार गड्ढा खोया जाता है जिसमें मिट्टी का एक इतना बड़ा गोधा रख दिया जाता है कि उससे गड्ढा पुनः भर जाता है और उस स्थल का ऊपरी भाग पूर्विकी के बराबर ज्यो-क-रवो ही जाता है। इसके उपरान्त मिट्टी के गोधे एवं आहुतनीय के मध्य की मूमि में पीटियों के बूँद में मिट्टी साकर इष्टकी नग की जाती है। आहुतनीय अग्नि के उत्तर में किसी यज्ञिय ब्रूष का एक बिला सम्भा बुबास रख दिया जाता है। इस बुबास में गड्ढे में रखी मिट्टी (पीली मिट्टी के बाये) में ऊपर पीटिया के बूँद वाली मिट्टी रख दी जाती है। अथ के पैर द्वारा उस ब्रूष की मिट्टी बहा दी जाती है। पुराहित बुबास से उस मिट्टी पर तीन रेखाएँ खींच देता है और उससे उत्तर में एक इष्ट्य-मूषधर्म बिछा कर उस पर एक बमल-यज्ञ रख देता है जिस पर गड्ढे वाली मिट्टी निकाल कर रख दी जाती है। मूषधर्म के विनादे

८. ऐसा समझा है कि मनुष्य वास्तव में, जारा नहीं जाता था। प्रत्युत छोड़ दिया जाता था। बलि वाला मनुष्य वैश्य या क्षत्रिय होता था (वसुधायाग १।१।१।१७)। जीवायन (१।१९) के मत से मुझ में आते गये मनुष्य तथा अथ के सिर लाये जाते थे— तीर्थाने हतयोः सत्यं च वैश्यस्य च शिरसी। शीव्यस्तत्र श्रुत्वा च पञ्चमे। कुर्वि च बन्ध चाहन्ति। एतत्कर्त्तव्यम्।” वैश्वदेव वसुधायाग (१।१।१।३२)।

मूत्र की रस्ती से बाँध दिये जाते हैं। पुरोहित मिट्टी के पीपे के माप मूमर्चम उठा लेता है और उसे पूर्व की ओर करके पशुओं के ऊपर रखता है। इस बार पशु उछट्टी रीति में जाते हैं अर्थात् पहले बकरा जाता है और अन्न में अन्न। आप्तम्भ (१६।३।१) के मत से मिट्टी की लेप पहले पर रखकर एक बिबिर में लायी जाती है। चारा मोर से बिने बिबिर में ब्राह्मणीय के उत्तर मिट्टी रखा ही जाती है। इनका उपरान्त पुरोहित उस मिट्टी में बकरे के बाल मिलाता है और उस ऐसे अन्न से सानता है जिसमें पकाया ही छाक उबाली गयी हो। उस गनी हुई मिट्टी में वह बाल काट्ट का बंग एक छोटे-छोटे प्रस्तर-खण्ड मिला देता है। इस मिट्टी में यजमान की पत्नी या पड़ती पत्नी (यदि कई पत्नियाँ ही हों) प्रथम ईंट का निर्माण करती है जिसकी सपाटा सजा है। इस ईंट का आकार अनुमूत्र होता है और यह यजमान के पाँव के बराबर होती है। ईंट पर तीन रेखाएँ खीच ही जाती हैं। यजमान गनी हुई मिट्टी में एक उन्ना (अग्नि-पात्र) बनाता है। वह बिन्दुगोपी नामक तीन अण्य ईंटें बनाता है जिन पर तीन एसी रेखाएँ खीच ही जाती हैं जो प्रथम द्वितीय एवं तृतीय ईंटों की धोला ही जाती हैं। तृती मिट्टी का घण भाग जिन उपवास कहा जाता है पूषक रखा दिया जाता है। उन्ना को चोड़ को घीर में बत मात उपवास में मूम में बूपायित किया जाता है। य उपर पश्चिम अग्नि में बलाये जाने हैं। एक बर्गकार गड़दा खोदा जाता है जिसमें कर्णधियाँ बलायी जाती हैं और उनमें उन्ना एक ईंटें पक्क कर लिए बास ही जाती हैं। पुरोहित दिन में उन चारों ईंटों एक उन्ना को निकालता है और उन पर बकरी का मूत्र छिड़कता है। इनके उपरान्त अण्य ईंटें बनायी जाती हैं जो यजमान के पाँव के बराबर होती हैं और जिनमें इतना पकाया जाता है कि वे कास हो उठनी हैं।

फाल्गुन की समावस्या की इस कृत्य के लिए बीला की जाती है। बीलनीया इष्टि तथा अण्य साधारण कृत्य सम्पादित किये जाते हैं। यजमान या अर्धवर्ष उन्ना की ब्राह्मणीय अग्नि पर रखता है और उस पर १३ मदिघाँ मज्जाता है। यजमान २१ कुड्डलों या मणियों बाला (नामिक तक पहुँचत बाला) मने का आक्षुपम घासक करता है। इनके उपरान्त ब्राह्मणीय से उन्ना उन्नाकर उनमें पूर्व में एक निषय पर रख ही जाती है जिसमें अग्नि शक ही जाती है। उन्ना में रखी हुई यह अग्नि मास मर या कुछ कम अवधि (आय १५। १२ के अनुसार १२५ या ३ दिनों) तक लगी रहती है। एक दिन के अन्तर पर यजमान उस अग्नि का यजमान बारम्बार मत्ता (बात्रपत्तेवी मरिता १०।११/२८ आ १।१५।१११) से बलाता है और विष्णुधम करता है। वह राख हठान्त मदी मदिघाँ उन्ना में सपता रहता है।

इनके उपरान्त वेदिवा-निर्माण होता है। वेदिवा के पाँच स्तर होते हैं जिसमें प्रथम मृतीय एवं पम्भम का ढग द्वितीय एवं अनुर्व म मित होता है। वेदिवा का स्वल्प ढोग (बात) के समान या एक-एक स्पेन (बात्र पत्ती) का मुपर्व (गर्भ) के समान होता है (श्री म ५।१।११ कात्या १५।५।) कई आकार की ईंटें व्यवहार में लायी जाती हैं यथा त्रिकोणाकार आयताकार बर्गकार या त्रिभुज आयताकार। उक्त विभिन्न ढग में मज्जाया जाता है। वेदिवा की ईंटों की मज्जाबट में प्यामिनि एवं रात्रपीठी का भाग आबन्धन है। पत्थों के माप ईंटें रगी जाती हैं। ईंटों के कई नाम होते हैं। यजुष्मती नामक ईंट पत्थों के आकार के नाम में आती है। कुछ दूरी के नाम श्रुतिया के नाम पर होते हैं यथा बालखिल्य। लगता है ये ईंटें मूर्धप्रथम श्रुतियों द्वारा नाम में लायी जाती थीं। त्रैमिनि (५।३।१७-२) में त्रिभुजो एव लोचम्यक नामक ईंटों के स्वामी का वर्णन किया है।

अन्तिम बीला के दिन वेदिवा के स्वयं की मत्ता खोला ही जाती है। यजमान की लम्बाई में दूर्वा रगी म मार बादि दिया जाता है। यजमान की लम्बाई का पाँचवाँ भाग अर्धम करता है और एकवाँ भाग कर। प्रत्येक पर बाखू मधुमा का मत्ता जाता है और तीन पर का एक प्रथम होता है (कात्या १५। १०१)। वेदिवा-पम्भम की विविष्ट ढग में जाता जाता है (आय १५।१११ १३ कात्या १०।३।५ कात्यायाड १।१२१)। प्रथम

उपरोक्त के उपरान्त ईटों की सजावट आरम्भ की जाती है। बेदिका-स्वच्छ पर सर्वप्रथम जहाँ जलक जपना पौर एक बुका रहता है (आप १९।२२।३) एक कमक-नम रखा जाता है जिस पर अजमान द्वारा मारण किया हुआ जामुपण रखा जाता है। मन्त्री का उच्चारण होता है (आज संहिता १।३। वैश्वदेवी संहिता ४।२।८।२)। इस जामुपण के बहिष्क एक सोने की मनुष्याकृति रखी जाती है जिसकी प्रार्थना (उपस्थान) की जाती है। इसके उपरान्त कई प्रकार की विधियों से शाना प्रकार की ईटें यथा त्रियम्, चतुस्य अथवा अथावा स्वयमावृत्ता रखी जाती है। कुछ मनु वही से सेवित एक कछुवा बाँधकर रख दिया जाता है। इसके उपरान्त अनेक इत्य होते हैं जिनका विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है। जैसा कि आरम्भ में ही लिखा जा चुका है पाँचों जीवों के चिर भी यथास्थान रखे जाते हैं। सत्यावाह (११।५।२२) के मत से बेदिका के प्रत्येक स्तर में २ ईटें (कुछ मिलाकर २ × ५ = १ ईटें) लगती हैं। सतपथ ब्राह्मण एक कात्यायन (१७।७।२१ २२) के मत से पाँचों स्तरों में कुछ मिलाकर १ ८ ईटें लगती हैं। निर्माण की अवधि के विषय में भी कई मत हैं। कुछ लोगों के मत से चार स्तरों में ८ मास तथा पाँचवें में चार मास लगते हैं। किन्तु सत्यावाह (१२।१।१) एवं आपस्तम्ब (१७।१ १ ११ १७।२।८ १७।३।१) ने सभी स्तरों के लिए पाँच दिनों की अवधि घोषित की है।

सभी स्तरों के निर्मित हो जाने पर बेदिका पर बाह्यवर्णीय अग्नि की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षानार या वृत्ताकार आठ बिम्बों का निर्माण होता है। एक छोटा बौद्ध तथा विभिन्न रंगों वाला प्रस्तर (अथवा) जाम्बीय के आसन के बहिष्क में रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य इत्य भी किये जाते हैं। सब के लिए सतपथिय होम किया जाता है। अर्क नामक पीले के पत्तों से ४२५ आहुतियाँ सब तथा उसके अन्य भयानक स्वरूपों की भी जाती हैं। मन्त्री का उच्चारण होता रहता है (आजसनेवी संहिता १९।१ १९ वैश्व स ४।५।१ १)। इसके उपरान्त बेदिका को जल से उन्ना किया जाता है। बहुत-सी आहुतियाँ भी जाती हैं जिनका विवरण यहाँ अपेक्षित नहीं है।

सोमयाज की विधि भी की जाती है। जो अग्नि-जपन का इत्य करते हैं उन्हें घृत भी करने पड़ते हैं। वे विधि के सामने झुकते नहीं। वर्षा में बाहर नहीं निकलते पशियों का मांस नहीं खाते घृह गायों से सोम्य नहीं करते आदि आदि। जब कोई हुमरी बार अग्नि-जपन कर सेता है वह अपनी ही जाति वाली पत्नी से सहवास कर सतर्ता है। तीसरी बार अग्नि-जपन कर लेने पर अपनी स्त्री से भी सोम्य करना मना है (आप १७।२।४।१-५, कात्या १८।१।२५ ३१ सत्या १२।७।१५ १७)। वैश्विनि (२।३।२१ ३३) के मत से अग्नि-जपन अग्नि का सत्कार है न कि कोई स्वतन्त्र यज्ञ।

यदि कोई अग्नि-जपन कर लेने पर कोई काम नहीं उठा पाता तो वह पुनर्विचिन्ति कर पाता है। आप स्मृत्य (१८।२।४।१) के मत में पुनर्विचिन्ति का सत्कारण सत्याति वैश्व-ज्ञान या सत्ताम के लिए किया जाता है।

अग्नि-जपन के सत्कारण के समय जो कृदियाँ होती हैं उनके लिए बहुत-से सरल एवं जटिल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की गयी है जिनका वर्णन अगले भाग में होगा। इस भाग में अग्नि यज्ञों के दार्शनिक स्वरूप पर प्रकाश आने वाला प्रायण। आगे हम यह भी देखेंगे कि ये यज्ञ वातावरण में समाप्त-ने क्या हो गये और इनके स्थान पर अन्य धार्मिक इत्य क्यों दिये जाने लगे।

९. वायुवा प्रजापति के कार्य की अनुवृत्ति का प्रतीक है। वायु के वायु धारण करके ही प्रजापति ने इत सत्कार का निर्माण किया था। सम्भवतः इसी विद्या के आधार पर भवन पुन आदि के निर्माण में पशु-अग्नि आदि की वरम्परा बनी है।

